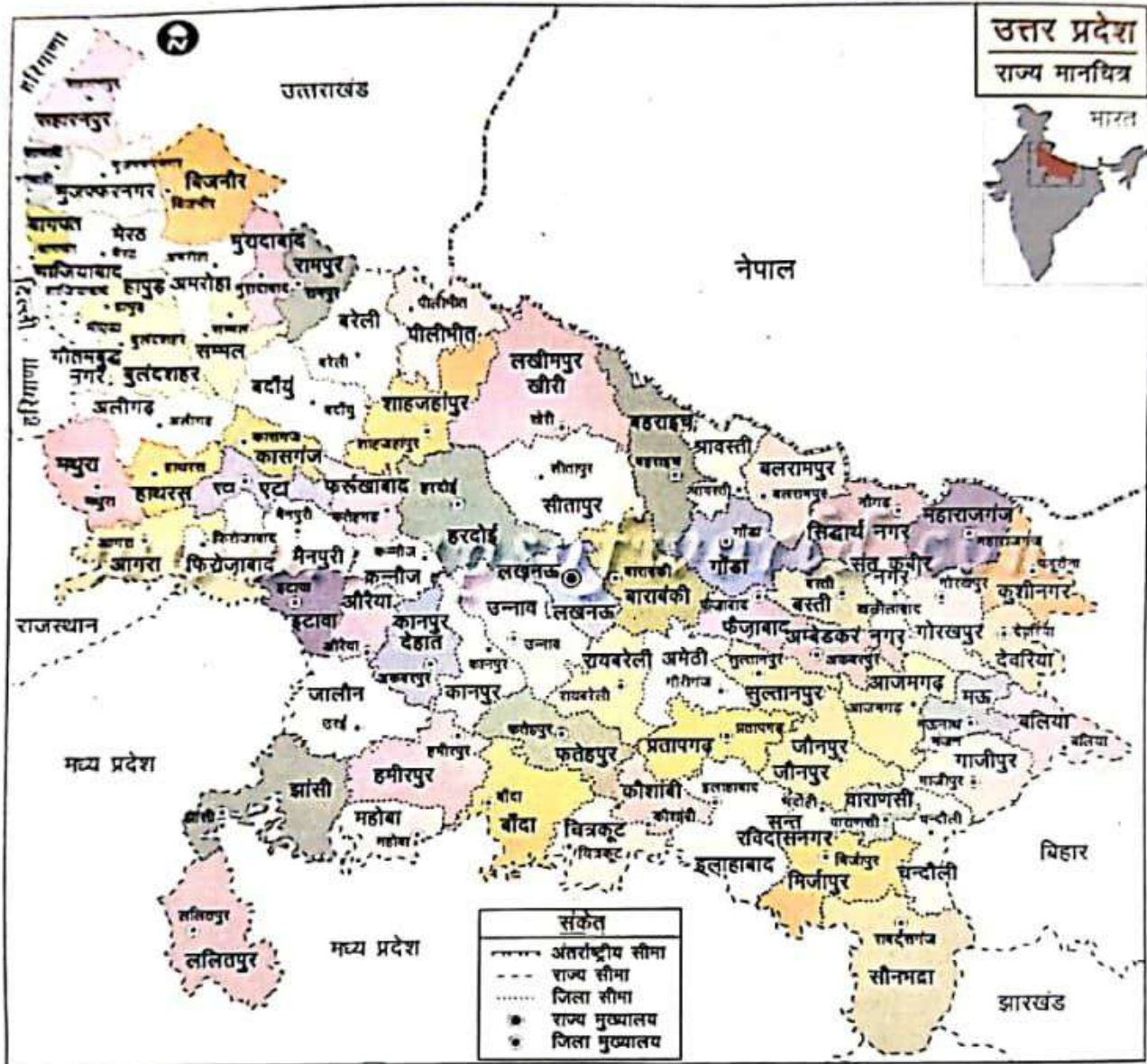


# निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का  
वार्षिक प्रतिवेदन  
वर्ष 2019-2020  
भाग-2**

|   |                                                               |                    |                         |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                                                               | कृष्णा ब्रिक फिल्ड | 3200.00+2795.00=5995.00 |
|   |                                                               | <b>योग</b>         | <b>70578.00</b>         |
| 5 | प्रा.वि. हावपुर भड़ारी के कैम्पस में मि.ख. एवं चबूतरा निर्माण | कृष्णा ब्रिक फिल्ड | 4800+7494=12294.00      |
|   |                                                               | मणि ट्रेडर्स       | 910.00                  |
|   |                                                               | <b>योग</b>         | <b>13204.00</b>         |
|   | करैली सिवान से देवमुनी के घर तक मि./ खडजा निर्माण कार्य       | कृष्णा ब्रिक फिल्ड | 2988.00                 |
|   |                                                               | <b>महायोग</b>      | <b>295569.00</b>        |

इस प्रकार कुल रु. 295569.00 जी.एस.टी का भुगतान फर्म को दिखाकर अपहरण किया गया है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमितता | योग       |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 295569.00 | -        | -         | 295569.00 |

#### प्रस्तर संख्या- 37

क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2019-20की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निष्प्रयोज्य धनराशि को वापस न कर अनियमितता आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशियां वर्षांत तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही

| क्रम सं. | मद                                        | धनराशि            |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1        | स्थानीय क्षे. वि. निधि ( सांसद निधि )     | 138551.00         |
| 2        | विधायक निधि                               | 292238.00         |
| 3        | आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण             | 21275.00          |
| 4        | उ.प्रा. ढोढया व तिघरा चहार दिवारी निर्माण | 1095000.00        |
|          | <b>योग</b>                                | <b>1547064.00</b> |

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु. 1547064.00 31.3.20 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधि. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह व लेखाकार श्री अमरनाथ उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता  | योग        |
|-------|----------|------------|------------|
| -     | -        | 1547064.00 | 1547064.00 |

#### प्रस्तर संख्या -38

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में विधायक निधि से कराये गये कार्यों पर 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 22248.00 जी.एस.टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व का क्षति की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री राजीव राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है। विवरण निम्नलिखित है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्रम सं. | कार्य का नाम                                        | बिल सं. / दिनांक | बिल की धनराशि | न काटी गयी जी.एस.टी की धनराशि |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| 1        | भगवानदास चौरसिया से सुरेश के घर तक इ.ला             | 57/8.3.2019      | 168234.00     | 3365.00                       |
| 2        | भटली में विनोद राय के घर से सेहुआनाथ मंदिर तक इ.ला. | 55/8.3.2019      | 210000.00     | 4200.00                       |

|              |                                                       |                  |                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3            | जीवधरा में पी.डब्लू.डी रोड से रामनयन के घर तक इ.ला.   | 59/8.3.2019      | 188000.00       | 3760.00         |
| 4            | एम.आर.डी.रोड से यादव टोला में रामूरत के घर तक इ.ला.   | 60/8.3.2019      | 138596.00       | 2772.00         |
| 5            | "                                                     | 66/15.2.2020     | 44700.00        | 894.00          |
| 6            | ग्राम पं. मेलान खुर्द मेंमंगेर से अकरम के घर तक इ.ला. | 56/8.3.2019      | 219725.00       | 4394.00         |
| 7            | कुसुम्हामाफी में मनोज से राजेश के घर तक इ.ला.         | 58/8.3.2019      | 143128.00       | 2863.00         |
|              |                                                       |                  | <b>योग</b>      | <b>22248.00</b> |
| <b>अपहरण</b> | <b>दुरुपयोग</b>                                       | <b>अनियमितता</b> | <b>योग</b>      |                 |
| -            | -                                                     | <b>22248.00</b>  | <b>22248.00</b> |                 |

#### प्रस्तर संख्या -39

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में विधायक निधि से कराये गये कार्य सोनौरा गुमानराय के पाण्डे पुरवा में रामदयाल से चन्द्रदेव के घर तक इ.ला. कार्य पर डी.डी इन्फ्रास्ट्रक्चर को कुल भुगतानित धनराशि रु. 173570.00 पर 2 प्रतिशत जी.एस.टी कटौती रु. 3471.00 के सापेक्ष रु. 572.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु. 2899.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री राजीव राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग     |
|-------|----------|-----------|---------|
| -     | -        | 2899.00   | 2899.00 |

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -40

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 21437.00 जी.एस.टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री राजीव राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है विवरण निम्नलिखित है।

| क्रम सं. | कार्य का नाम                                                          | बिल सं. / दिनांक | बिल की धनराशि | न काटी गयी जी.एस.टी धनराशि |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | जंगल दशहर में चिरैहवा टोला में पिच मार्ग से तोलम चौधरी के घर तक इ.ला. | 38/22.3.2019     | 92993.00      | 1859.00                    |
| 2        | हनुमान मंदिर के बगल पोखरे से नंदलाल के घर तक इ.ला.                    | 37/22.3.2019     | 626520.00     | 12530.00                   |
| 3        | अमरुल्ला से गुलामअख्तर के घर तक इ.ला.                                 | 34/22.3.2019     | 325079.00     | 6501.00                    |
| 4        | वि.ख. परिसर के दक्षिण चहारदिवारी के ध्वस्त भाग का पुनर्निर्माण        | 35/22.3.2019     | 27355.00      | 547.00                     |
|          |                                                                       |                  | <b>योग</b>    | <b>21437.00</b>            |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग      |
|-------|----------|-----------|----------|
| -     | -        | 21437.00  | 21437.00 |

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -41

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों पर श्रमांश का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को नगद भुगतान कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है। विवरण निम्नलिखित है।

| क्रम सं. | कार्य का नाम                                                                          | नगद भुगतानित श्रमांश की धनराशि |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | जंगल दशहर में चिरैहवा टोला में पिच मार्ग से तोलम चौधरी के घर तक इ.ला. ( राज्य वित्त ) | 13300.00                       |
| 2        | हनुमान मंदिर के बगल पोखरे से नंदलाल के घर तक इ.ला. (राज्यवित्त)                       | 93450.00                       |
| 3        | अमरुल्ला से गुलामअख्तर के घर तक इ.ला. ( राज्य वित्त)                                  | 46900.00                       |
| 4        | वि.ख. परिसर के दक्षिणी चहारदिवारी के ध्वस्त भाग का पुनर्निमाण ( राज्य वित्त )         | 9450.00                        |
| 5        | भगवानदास चौरसिया से सुरेश के घर तक इ.ला. ( विधायक निधि)                               | 34300.00                       |
| 6        | भटली में विनोद राय के घर से सेहंनाथ मंदिर तक इ.ला. ( विधायक निधि)                     | 23275.00                       |
| 7        | जीवधरा में पी.डब्लू.डी रोड से रामनयन के घर तक इ.ला. (विधायक निधि )                    | 43400.00                       |
| 8        | एम.आर.डी.रोड से यादव टोला में राममूरत के घर तक इ.ला ( विधायक निधि)                    | 25186.00                       |
| 9        | ग्राम पं मेलान खुर्द में मंगेर से अकरम के घर तक इ.ला.( विधायक निधि )                  | 25900.00                       |
| 10       | कुसुम्हामाफी में मनोज से राजेश के घर तक इ.ला. ( विधायक निधि )                         | 34125.00                       |
| 11       | पाण्डे पुरवा में रामदयाल से चन्द्रदेव के घर तक इ.ला. ( विधायक निधि)                   | 30100.00                       |
| 12       | कुसुरु में बीएमसीटी मुख्य मार्ग से इन्द्रजीत शुक्ल के घर तक इ.ला. (विधायक निधि )      | 75210.00                       |
|          | <b>योग</b>                                                                            | <b>454596.00</b>               |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| -     | -        | 454596.00 | 454596.00 |

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -42

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में 31.3.2020 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में रु. 200524.00 अवशेष बची धनराशि को प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री राजीव राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| -     | -        | 200524.00 | 200524.00 |

#### प्रस्तर संख्या -43



क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.3.2020 को निम्न धनराशियां ग्राट 3 के अनुसार विगत वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसे प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु लेखाकार श्री राजीव राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डे जिम्मेदार है। विवरण निम्न है।

| क्रम सं. | मद का नाम                              | धनराशि            |
|----------|----------------------------------------|-------------------|
| 1        | विधायक निधि                            | 3573274.00        |
| 2        | सांसद निधि                             | 100020.00         |
| 3        | डी.आर.डी.ए. कंटीजेंसी                  | 27384.00          |
| 4        | समग्र ग्रा.रो.गारंटी योजना 2.5 प्रतिशत | 909.00            |
| 5        | समग्र ग्रा.रो.गारंटी योजना कंटीजेंसी   | 1643.00           |
| 6        | निर्मल भारत                            | 50351.00          |
|          | <b>योग</b>                             | <b>3753581.00</b> |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता  | योग        |
|-------|----------|------------|------------|
| -     | -        | 3753581.00 | 3753581.00 |

इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -44

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कार्यों के सापेक्ष सामग्री क्रय पर जी.एस.टी कटौती शासनादेश के अनुसार न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है।

| कार्य                                                                           | फर्म                       | भुगतानित धनराशि | कटौती योग्य जीएसटी ( जी.एस.टी दर 2 प्रतिशत ) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. पिकौरा में नंदलाल के घर से इ.ला. कार्य                                       | में आयुष का.               | 347977.00       | 6960.00                                      |
| 2. जयराम पट्टी पिच रोड से इ.ला.                                                 | में आयुष का.               | 347481.00       | 6950.00                                      |
| 3. मोलनापुर में राम दुलारे यादव के मकान में घिसियावन धोबी के घर तक नाली / ढक्कन | में. रामकृष्ण इंटरप्राइजेज | 254827.00       | 5097.00                                      |
| 4. मोलनापुर में मोल्हू हरिजन से दुलारे के घर तक इ.ला.                           | में. रामकृष्ण इंटरप्राइजेज | 373808.00       | 7476.00                                      |
| 5. कोदवट में बेचन के घर से नगेन्द्र के घर तक इ.ला.                              | में. रामकृष्ण इंटरप्राइजेज | 474089.00       | 9482.00                                      |
|                                                                                 |                            | <b>योग</b>      | <b>35965.00</b>                              |

उक्तानुसार रु. 35965.00 जी.एस.टी के कटौती फर्म के बिलों से न कर ख.वि.अ. श्री दीपक कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री तरुण शांडिल द्वारा अनियमितता की गई है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग      |
|-------|----------|-----------|----------|
| -     | -        | 35965.00  | 35965.00 |

#### प्रस्तर संख्या -45

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न कार्यों पर श्रमांश का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है जबकि भुगतान सम्बन्धित मजदूरों के खाते में नहीं किया गया है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| कार्य                                                                           | भुगतानित धनराशि  | कार्य प्रभारी        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. पिकौरा में नंदलाल के घर से इ.ला. कार्य                                       | 144375.00        | श्री इन्द्रेक्ष यादव |
| 2. जयराम पट्टी पिच रोड से इ.ला.                                                 | 156783.00        | श्री इन्द्रेक्ष यादव |
| 3. मोलनापुर में राम दुलारे यादव के मकान में घिसियावन धोबी के घर तक नाली / ढक्कन | 64078.00         | श्री इन्द्रेक्ष यादव |
| 4. मोलनापुर में मोल्हू हरिजन से दुलारे के घर तक इ.ला.                           | 78078.00         | श्री इन्द्रेक्ष यादव |
| 5. कोदवट में बेचन के घर से नगेन्द्र के घर तक इ.ला.                              | 84693.00         | श्री शिव प्रकाश      |
| <b>योग</b>                                                                      | <b>528007.00</b> |                      |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| -     | -        | 528007.00 | 528007.00 |

#### प्रस्तर संख्या -46

क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2021 की धनराशियाँ खातों में निष्प्रयोज्य पड़ी रही। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. विधायक निधि          | 20543.00         |
| 2. पू.वि. निधि          | 106943.00        |
| 3. डी.आर.डी.ए कंटीजेंसी | 9.00             |
| 4. एस.जी.एस . वाई       | 24992.00         |
| 5. आपदा राहत            | 122563.00        |
| <b>योग</b>              | <b>275050.00</b> |

उक्त को प्रयोग न होने के उपरान्त प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक सिंह व लेखाकार श्री तरुण शांडिल जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| -     | -        | 275050.00 | 275050.00 |

### प्रारूप -03

### जनपद - सिद्धार्थनगर

#### क्षेत्र पंचायत से सम्बंधित आपतियां

**प्रस्तर सं0-01-** क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 18-19 की राज्य वित्त से सम्बंधित पत्रावली (सौरहवा गांट पिटनी पुल से जहाने के घर के आगे तक सी0सी रोड निर्माण जिसका भुगतान वर्ष 19-20 में किया गया ) की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है जी राज्य वित्त योग के मार्गदर्शी सिद्धांत के विपरीत है। साथ ही एनालिसिस ऑफ़ रेट भी नहीं भरा गया है। जे०ई द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की आख्या पत्रावली में नहीं दी गयी है। मेसर्स रिया इन्टरप्राइजेज रेहराकला का टेंडर स्वीकृत है। खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक द्वारा आपूर्ति की सूचना दी गयी है। जिसके अनुक्रम में रिया इन्टरप्राइजेज द्वारा सामग्री आपूर्ति मांग से अधिक की गयी है। जैसे एस्टीमेट में ईट 4000 नग, ईट गिट्टी 22 घन मीटर की मांग के स्थान पर ईट 5134, ईट गिट्टी 43.99 घन मीटर की आपूर्ति की गयी है। इस प्रकार ईट 1134 नग एवं ईट गिट्टी 21.99 घन मीटर अधिक आपूर्ति की गयी है। जिसकी कीमत कुल रु० 39469.50 है। इस प्रकार तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार

पाण्डेय ० श्री सुरेन्द्र कुमार लेखाकार द्वारा प्राक्कलन से अधिक रु० 39469.50 का अधिक सामग्री करय कर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 39469.50 | 0        | 39469.50 |

**प्रस्तर सं०-02-** क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 18-19 की राज्य वित्त से सम्बंधित पत्रावली (पिरैला में जैश मुहम्मद के घर से प्रा० वि तक नाली एवं सी०सी रोड निर्माण जिसका भुगतान वर्ष 19-20 में किया गया ) की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है जी राज्य वित्त योग के मार्गदर्शी सिद्धांत के विपरीत है। साथ ही एनालिसिस ऑफ़ रेट भी नहीं भरा गया है। पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन में इस कार्य हेतु कुल 11031 ईट रु० 6.3 की दर से तथा सीमेंट 405 बोरी रु० 294.00 की दर से प्रावधानित है। जबकि पत्रावली में मात्र 6087 नग ईट एवं 349 बोरी सीमेंट का ही भुगतान किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार और श्री लक्ष्मी चंद जे०ई द्वारा प्राक्कलन से रु० 47611.20 का कम सामग्री करय कर के अधोमानक कार्य कराया गया है अतः अब तक व्यय धनराशि रु० 464001.00 का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 464001.0 | 0        | 464001.0 |

**प्रस्तर सं०-03** क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 18-19 की राज्य वित्त से सम्बंधित पत्रावली (कठेला गर्वी में पी०डब्लू०डी रोड से गाँव तक सी०सी रोड निर्माण कार्य जिसका भुगतान वर्ष 19-20 में किया गया ) की जांच में पाया गया कि कार्य ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है जी राज्य वित्त योग के मार्गदर्शी सिद्धांत के विपरीत है। साथ ही एनालिसिस ऑफ़ रेट भी नहीं भरा गया है। जे०ई द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की आख्या पत्रावली में नहीं दी गयी है। पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन में इस कार्य हेतु कुल 7682 ईट रु० 6.3 की दर से तथा सीमेंट 349 बोरी रु० 294.00 की दर से तथा मजदूरी रु० 60950.00 प्रावधानित है। जबकि पत्रावली में मात्र 4200 नग ईट एवं 246 बोरी सीमेंट एवं मजदूरी रु० 44590.00 का ही भुगतान किया गया है। इस प्रकार ईट 3482 नग एवं सीमेंट 103 बोरी एवं मजदूरी रु० 16360.00 कम भुगतान किया गया है। इस प्रकार खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार और श्री लक्ष्मी चंद जे०ई द्वारा प्राक्कलन से रु० 68578.60 का कम सामग्री/श्रमांश का कम भुगतान कर के अधोमानक कार्य कराया गया है अतः अब तक व्यय धनराशि रु० 400173 का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 400173.0 | 0        | 400173.0 |

**प्रस्तर सं०-04-** क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी कुल रु 563915.00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी को किया गया है, जो की गंभीर अनियमितता का विषय है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार तथा कार्यप्रभारी श्री सुनील कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 563915.00 | 563915.00 |

**प्रस्तर सं०-05-** क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 19-20 ली लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्षात में कुल 2731110.00 शेष पड़ा है। जिसे उपभोगोपरांत प्रदाता को वापस न कर गंभीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है -

| क्र०सं० | नाम योजना                         | अवशेष  |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 1       | ठेकेदार द्वारा प्राप्त जमानत राशि | 171440 |

|    |                                              |                |
|----|----------------------------------------------|----------------|
| 2  | सहायक रोकड़ बही अवशेष                        | 2000           |
| 3  | विधायक निधि                                  | 1514527        |
| 4  | सांसद निधि                                   | 97655          |
| 5  | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना         | 564401         |
| 6  | ठेकेदार द्वारा पंजियन/टेंडर मूल्य            | 40989          |
| 7  | बी0आर0जी0एफ                                  | 6928           |
| 8  | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण | 1500           |
| 9  | डा०अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र स्थल विकास      | 18000          |
| 10 | पेयजल स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम           | 56170          |
| 11 | स्वच्छ शौचालय                                | 40500          |
| 12 | त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 रैपिड सर्वे  | 55000          |
|    | <b>योग</b>                                   | <b>2731110</b> |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 2731110.0 | 2731110.0 |

**प्रस्तर स०-06-** क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 19-20 के ग्राम बेलहसा में मिटटी खंडजा कार्य सम्बंधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनांक 09.06.2019 को बाउचर स० 22 से रु० 46588का ईट मे० ताज ब्रिक फिल्ड से करय किया गया है। जिसपर जी०एस०टी 2 प्रतिशत की दर से रु० 932.00 होता है। परन्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा जी०एस०टी रु० 932.00 की कटौती न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग    |
|-------|----------|----------|--------|
| 0     | 0        | 932.00   | 932.00 |

**प्रस्तर स०-07-** क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 03.06.19 को ग्राम बेलहसा में मिटटी खंडजा कार्य पर अरुण ट्रेडर्स जिगनिधाम को रु० 3635.00 मिट्टी दुलाईहेतु चेक स० 58983 दिनांक 19.11.19 को भुगतान किया गया है। मिट्टी की मात्रा अंकित नहीं है। यदि 700 प्रति ट्राली की दर से माना जाय तो लगभग 5.19 ट्राली होगी। यदि एक ट्राली में 2.5 घन मीटर ही माना जाय तो भी कुल 12.98 घन मीटर होगी। जिसकी रोल्टी 30 रु० प्रति घन मीटर की दर से 389.0 होता है जिसके कटौती बिल से नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग    |
|-------|----------|----------|--------|
| 0     | 0        | 389.00   | 389.00 |

**प्रस्तर स०-08-** क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बी०डी०ओ आवास मरम्मत कार्य पर श्री सुनील कुमार को चेक स० 886725 दिनांक 09.01.20 को रु 200000.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार फर्म को भुगतान न करके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा वित्तीय अनियमिता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग |
|-------|----------|----------|-----|
|-------|----------|----------|-----|

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 200000.00 | 200000.00 |
|---|---|-----------|-----------|

**प्रस्तर स०-09-** क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 19-20 कि अनुदान पंजिका भाग-3 की जांच में पाया गया कि माह मार्च -2020 में मुख्यमंत्री सामुहिक शादी अनुदान मद का अंतिम अवशेष रु० 563072 .00 है , आलोच्य वर्ष में व्यय नहीं किया गया है और न नही वापस किया गया है ।इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक अवशेष पड़ा रहा ,जो अनियमित है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 563072.00 | 563072.00 |

**प्रस्तर स०-10-** क्षेत्र पंचायत इटवा वर्ष 19-20 कि अनुदान पंजिका भाग-3 की जांच में पाया गया कि माह मार्च 2020 में टी0डीएस (जी०एस0टी अक्टूबर 2018 के पूर्व ) एवं रॉयल्टी मद का अंतिम अवशेष करमशः रु० 16878.00 व रु० 32910.00 अर्थात कुल रु० 49788.00 है जो विगत वर्षों से चला आ रहा है ।आलोच्य वर्ष में भी इसे सम्बन्धित हेड में जमा नहीं किया गया है ।इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक अवशेष पड़ा है ।जो अनियमित है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 49788.00 | 49788.00 |

**प्रस्तर स०-11-** क्षेत्र पंचायत खुनियाव के वर्ष 19-20 की राज्य वित्त मद व अन्य मद से कराये गए निर्माण कार्य की पत्रवाली की जांच में पाया गया कि परियोजनाओं के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री हेतु भुगतान से पूर्व आयकर की कटौती की गयी है जिसे अनुदान पंजिका भाग तृतीय में कुल 134918.00 दर्शया गया है ,जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के साथ अनुरक्षित बिल/वाउचर में दर्शित कटौती का कुल जमा योग रु० 134918.00 है ।जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा में आगणित व कटौती की गयी आयकर कुल रु० 134918.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखापरीक्षा शीर्ष में जमा न कर अवरुद्ध रखा गया है ,जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 134918.00 | 134918.00 |

**प्रस्तर स०-12-** क्षेत्र पंचायत खुनियाव के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विधायक निधि मद से ग्राम पंचायत खम्हरिया में ग्राम के पूरब से पश्चिम काली स्थान तक सी०सी कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टरोल से सम्बंधित समस्त मजदूरी की धनराशि रु० 32700.00 का भुगतान वाहक चेक स०-974433 दिनांक 18.04.19 के माध्यम से कार्यप्रभारी श्री विजय कुमार (ग्रा0प०अधि) को स्वयं के नाम से नगद लिया गया है ।जबकि मस्टरोल से सम्बन्धितमजदूरी की धनराशि मजदूरों के खाते में बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए ।स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है ,जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ब्लाक प्रमुख श्री मनोज मौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 32700.00 | 32700.00 |

**प्रस्तर स०-13-** क्षेत्र पंचायत नौगढ़ की वर्ष 19-20 के लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पत्रावली में संलग्न मस्टरोल की धनराशि रु० 1228997.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया जबकि मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खाते में बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए ।स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय



अनियमितता किया गया है ,जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं श्री सएजाज अहमद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता   | योग        |
|-------|----------|------------|------------|
| 0     | 0        | 1228997.00 | 1228997.00 |

**प्रस्तर स०-14-** क्षेत्र पंचायत नौगढ़ के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुल रु० 78747.00 विभिन्न मदों का विगत कई वर्षों से अवशेष रहा जिसे अनुपयोगित की दशा में उसी वर्ष के अंत में शासन को संबंधित प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था ,परन्तु इकाई द्वारा वर्षवार अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं श्री एजाज अहमद उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्न है -

| क्र०स | अनुदान मद का नाम              | वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि |
|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 1     | सांसद निधि                    | 4678                         |
| 2     | बायो गैस                      | 8000                         |
| 3     | टैंडर आवेदन से प्राप्त धनराशि | 9000                         |
| 4     | रैपिड सर्वे मानदेय            | 25950                        |
| 5     | पिछड़ा क्षेत्र जमानत          | 31119                        |
|       | <b>योग</b>                    | <b>78747</b>                 |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 78747.00 | 78747.00 |

**प्रस्तर स०-15-** क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 19-20 की राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों से सम्बंधित निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 19-20 में निर्माण कार्यों पर कुल रु० 847308.0 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राधेश्याम मणि पदनाम ए0डी0ओ (आई०एस०बी ) को रु० 538076.00 व श्री राम सरन पदनाम जे०ई (एम०आई) को रु० 309232 का भुगतान किया गया है ।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए ।इस प्रकार रु० 847308.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ,।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 847308.00 | 847308.00 |

**प्रस्तर स०-16-** क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 19-20 की राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों से सम्बंधित निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 19-20 में निर्माण कार्यों पर कुल रु० 241150.0 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री गुणराज गुप्ता पदनाम ए0डी0ओ (कोआपरेटिव ) को किया गया है ।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए ।इस प्रकार रु० 241150.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 241150.00 | 241150.00 |

**प्रस्तर सं-17-** क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 19-20 की विधायक निधि योजनान्तर्गत किये गए गत वित्तीय वर्ष के अवशेष भुगतान /कार्य पोखरभिटवा से बस्ती -बांसी मार्ग तक मिट्टी खंडजा कार्य की निर्माण पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि ,उक्त कार्य पर आलोच्य वर्ष में आपूर्तिकर्ता द्वारा मिट्टी आपूर्ति के सापेक्ष कुल रु० 84530.00 का बिल संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया नियमतः संस्था द्वारा इस धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए ,परन्तु ऐसा न करके इस धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारी श्री गुणराज गुप्ता को किया गया इस प्रकार रु० 84530.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को न करके कार्यप्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 84530.00 | 84530.00 |

**प्रस्तर सं-18-** क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में दो किस्तों में कुल रु० 182800.00 की सामग्री (खंड विकास अधिकारी कार्यालय हेतु कुर्सी ,मेज इत्यादि )आपूर्तिकर्ता फर्म में हिंदुस्तान फर्नीचर से करय की गयी ।उपरोक्त करय के सापेक्ष सामग्री मूल्य रु० 182800.00 में से 2 प्रतिशत टी0डी0एस रु० 3656 काटकर अवशेष धनराशि रु० 179144.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था । परन्तु यहाँ आकलित टी0डी0एस न काटकर बिल की सम्पूर्ण धनराशि रु० 182800.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 3656.00  | 3656.00 |

**प्रस्तर सं-19-** क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आलोच्य वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में विवाहित जोड़ो(कुल 68 )हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु० 670956.0 की सामग्री (मे० विशाल गिफ्ट इम्पोरियम एंड जनरल स्टोर ,तेतरी बाज़ार सिद्धार्थनगर से रु० 462196.0 की एवं यूपिका हैंडलूम से रु० 208760.00 )प्राप्त किया गयी ।उपरोक्त करय के सापेक्ष मे० विशाल गिफ्ट इम्पोरियम एंड जनरल स्टोर ,तेतरी बाज़ार सिद्धार्थनगर को रु० 462196.0 में से 4 प्रतिशत यानी कुल रु० 18488.00 की टैक्स मद (2 प्रतिशत टी0डी0एस रु० 9244 एवं 2 प्रतिशत जी0एस0टी रु० 9244) कटौती कर अवशेष धनराशि धनराशि रु० 443708.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था ।परन्तु यहाँ आकलित टैक्स की धनराशि न काटकर बिल कि सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया है ।इसी प्रकार यूपिका हैंडलूम द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि रु० 208760.00 में से 2 प्रतिशत टी0डी0एस रु० 4175 काटकर अवशेष धनराशि रु० 204585.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था ।परन्तु यहाँ आकलित टैक्स की धनराशि न काटकर बिल की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया है ।इस प्रकार आलोच्य वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में से रु० 670956.00 की सामग्री के प्रस्तुत बिल में से आकलित टैक्स की धनराशि रु० 22663.00 (रु० 18488+रु० 4175 )न काटकर बिल की सम्पूर्ण धनराशि रु० 670956.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री अर्जुन प्रसाद उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 22663.00 | 22663.00 |

**प्रस्तर सं-20-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों /भुगतान से सम्बन्धित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में

कराये गए निर्माण कार्यों हेतु करय सामग्रियों के सापेक्ष किये गए भुगतान की धनराशि से कुल रु० 152018 .00 की टैक्स कटौती (जी०एस०टी मद में रु० 76570 एवं टी०डी०एस मद में रु० 75448.00) की गयी है ,परन्तु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है ,जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है ।इसी प्रकार व्यय प्रमाणको (क्रीत सामग्रियों ) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी०एस०टी कटौती की जाँच व डी०डी०वो के दायित्व सम्बन्धी भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय ,राजस्व विभाग के दिशा निर्देश के करम में डी०डी०वो द्वारा जी०एस०टी आर-7 दाखिल किये जाने से सबम्न्धी कोई अभिलेख साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जो अपेक्षित रहा ।जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सयुंक्त रूप से उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 152018.00 | 152018.00 |

**प्रस्तर सं०-21-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि क्षेत्र निधि खाते (खाता सं-3261082951 बडौदा यू०पी बैंक ,बेलौहा सिद्धार्थनगर )में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 16.07.19 को रु० 60266.0 के प्राप्ति एवं दिनांक 25.09.19 को रु० 60266.00 का व्यय अंकित है परन्तु इस प्राप्ति का स्रोत एवं व्यय का मद अज्ञात रहा ,कारण न तो अनुदान पंजिकाओं में इस प्राप्ति व व्यय का अंकन किया गया है और न ही इस प्राप्ति एवं व्यय के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।ऐसी स्थिति में लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि संस्था द्वारा क्षेत्र निधि खाते से रु० 60266.00 की निकासी कर उक्त धनराशि का अपहरण के लिया गया है ,जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है ।अतः इस प्रकार अपहृत (रु० 30133)की गयी धनराशि की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशिल कुमार पाण्डेय एवं रु० 30133 लेखाकार श्री रामप्रकाश से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|----------|----------|----------|----------|
| 60266.00 | 0        | 0        | 60266.00 |

**प्रस्तर सं०-22-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष द्वारा क्षेत्र पंचायत 19-20 के अनुदान पंजिका-२ के अवलोकन में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद से दिनांक 23.10.19 को चेक सं०-206246 द्वारा क्षेत्र पंचायत बैठक हेतु यात्रा भत्ता भुगतान मद में कुल रु० 90000.00 का व्यय दर्शित है जो कि श्री ओम प्रकाश ,कनिष्ठ सहायक को भुगतानित है ।इस व्यय कि पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है ,जिससे उक्त व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी ।ऐसी स्थिति में लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि बिना वांछित अभिलेख तैयार किये क्षेत्र पंचायत बैठक हेतु यात्रा भत्ता भुगतान मद में कुल 90000.00 का भुगतान कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है ।इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 90000.00 | 90000.00 |

**प्रस्तर सं०-23-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों से सम्बंधित निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि,वर्ष 19-20 में निर्माण कार्यों पर कुल रु० 665752.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न कर के कार्य प्रभारी श्री उमा शंकर गौतम पदनाम ऐं०डी०ओं (आई०एस०बी) को किया गया है ।जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के खाते में किया जाना चाहिए । इस प्रकार रु० 665752.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्य प्रभारी को कर संस्था द्वारा

गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार /कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 665752.00 | 665752.00 |

**प्रस्तर सं०-24-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों से सम्बंधित निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 19-20 में निर्माण कार्यों पर कुल रु० 74750.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न कर के कार्य प्रभारी श्री बाल कृष्ण यादव ऐ०डी०ओ (को०) को किया गया है। जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु० 74750.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्य प्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश /कार्य प्रभारी श्री बाल कृष्ण उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 74750.00 | 74750.00 |

**प्रस्तर सं०-25-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों से सम्बंधित निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि, वर्ष 19-20 में निर्माण कार्यों पर कुल रु० 28250.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न कर के कार्य प्रभारी श्री मनीराम वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) को किया गया है। जबकि नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु० 28250.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर के कार्य प्रभारी को कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार /कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 28250.00 | 28250.00 |

**प्रस्तर सं०-26-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त में आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष के अवशेष कार्य ग्राम सभा पेडारी बुजर्ग में बहादुर यादव के घर से कन्हाई के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य के सापेक्ष सामग्री मद में कुल रु० 54547.00 का बिल आपूर्तिकर्ता फर्म भारत ब्रिक फिल्ड द्वारा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नियमतः उपरोक्त आपूर्ति कि धनराशि से 4 प्रतिशत यानी कुल रु० 2182.00 की टैक्स मद में (2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 1091 एवं 2 प्रतिशत जी०एस०टी रु० 1091) कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 52365.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ टैक्स मद में कोई धनराशि काटे बिना बिल प्रस्तुत कुल धनराशि रु० 54547.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को कर दिया गया है।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में संस्था द्वारा सामग्री के प्रस्तुत बिल में से आकलित टैक्स कि धनराशि रु० 2182.00 की कटौती न कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 2182.00  | 2182.00 |

**प्रस्तर सं०-27-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त में आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष के अवशेष कार्य ग्राम सभा पेडारी बुजर्ग में बहादुर यादव के घर से कन्हाई के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य के सापेक्ष सामग्री मद में कुल रु० 212215.00 का बिल आपूर्तिकर्ता आर०आर०ट्रेडर्स द्वारा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नियमतः उपरोक्त आपूर्ति कि धनराशि से 4 प्रतिशत यानी कुल रु० 8488.00 कि टैक्स मद में

(2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 4244 एवं 2 प्रतिशत जी०एस०टी रु० 4244 )कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 203727.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ टी०डी०एस मद में कोई धनराशि काटे बिना मात्र जी०एस०टी मद में रु० 4244.00 कि कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 207971.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को कर दिया गया है।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में संस्था द्वारा सामग्री के प्रस्तुत बिल में से आकलित टैक्स कि धनराशि में से 2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 4244.00 की कटौती न कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एजाज़ अहमद एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 4244.00  | 4244.00 |

**प्रस्तर सं०-28-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त में आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष के अवशेष कार्य कोटिया गेंगटा मार्ग से कोटिया हरिजन बस्ती जाने वाली सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य के सापेक्ष सामग्री मद में कुल रु० 80934.00 का बिल आपूर्तिकर्ता फर्म भारत ब्रिक फिल्ड द्वारा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नियमतः उपरोक्त आपूर्ति कि धनराशि से 4 प्रतिशत यानी कुल रु० 3238.00 की टैक्स मद में (2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 1619 एवं 2 प्रतिशत जी०एस०टी रु० 1619 )कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 77696.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ टैक्स मद में कोई धनराशि काटे बिना बिल प्रस्तुत कुल धनराशि रु० 80934.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को कर दिया गया है।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में संस्था द्वारा सामग्री के प्रस्तुत बिल में से आकलित टैक्स कि धनराशि रु० 3238.00 कि कटौती न कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एजाज़ अहमद एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 3238.00  | 3238.00 |

**प्रस्तर सं०-29-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त में आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष के अवशेष कार्य कोटिया गेंगटा मार्ग से कोटिया हरिजन बस्ती जाने वाली सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य के सापेक्ष सामग्री मद में कुल रु० 250754.00 का बिल आपूर्तिकर्ता फर्म आर०आर० ट्रेडर्स द्वारा संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नियमतः उपरोक्त आपूर्ति कि धनराशि से 4 प्रतिशत यानी कुल रु० 10030.00 की टैक्स मद में (2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 5015 एवं 2 प्रतिशत जी०एस०टी रु० 5015 )कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 240724.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ टी०डी०एस मद में कोई धनराशि काटे बिना मात्र जी०एस०टी मद में रु० 5016.00 की कटौती कर अवशेष धनराशि रु० 245738.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को कर दिया गया है।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में संस्था द्वारा सामग्री के प्रस्तुत बिल में से आकलित टैक्स कि धनराशि में से 2 प्रतिशत टी०डी०एस रु० 5015.00 की कटौती न कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एजाज़ अहमद एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 5015.00  | 5015.00 |

**प्रस्तर सं०-30-** क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनुदान पंजिका -3 के अनुसार कुछ विशिष्ट मदों (जिनका उद्देश्य व अवधि सीमित होती है) में पूर्व वर्षों में प्राप्त धनराशि रु 636360.00 विगत वर्षों से ही अवशेष पड़ी है। इस प्रकार ऐसे मद जिनका उद्देश्य व अवधि समाप्त हो

चुकी है मैं अवशेष रखकर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है -

| क्र०स | मद का नाम    | 31-03-20 को दर्शित अवशेष |
|-------|--------------|--------------------------|
| 1     | बयो गैस      | 8000                     |
| 2     | संसद निधि    | 157060                   |
| 3     | वृद्धा पेंशन | 424500                   |
| 4     | विधवा पेंशन  | 46800                    |
|       | योग          | 636360                   |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 636360.00 | 636360.00 |

**प्रस्तर सं०-31-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के वर्ष 19-20 के अनुदान पंजिका भाग-3 कि जांच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बारहवे वित्त योजनान्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष माह अप्रैल 2019 में कुल रु० 40110.81 दर्शाया गया है। जांच में पाया गया कि माह नवम्बर 2019 में उक्त धनराशि को व्यय दर्शाकर इस मद से अवशेष को शून्य कर दिया गया है। पुनः माह जनवरी 2020 में रु० 40110.81 को आय पक्ष में दर्शाकर माह फरवरी में व्यय दर्शाकर खाते का अवशेष शून्य कर दिया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 40110.81 | 40110.81 |

**प्रस्तर सं०-32-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के वर्ष 19-20 के अनुदान पंजिका भाग-3 कि जांच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आदर्श जलाशय योजना मद में माह अप्रैल 2019 का प्रारम्भिक अवशेष कुल रु० 72847.00 दर्शित है। अप्रैल 19 से माह जून 19 तक इस मद में कोई आय -व्यय दर्शित नहीं है। आगे जांच में पाया गया कि माह जुलाई 19 में बिना किसी व्यय को दर्शाए इस मद का अंतिम अवशेष शून्य कर दिया गया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 72847.00 | 72847.00 |

**प्रस्तर सं०-33-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के वर्ष 19-20 के अनुदान पंजिका भाग-3 कि जांच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मद में माह अप्रैल 2019 से जून 19 का प्रारम्भिक अवशेष वो अंतिम अवशेष रु० 500.00 दर्शित है। इस अवधि में इस मद में कोई आय -व्यय दर्शित नहीं है। किन्तु माह जुलाई 19 में बिना किसी व्यय को दर्शाये इस मद का अंतिम अवशेष शून्य कर दिया गया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग    |
|-------|----------|----------|--------|
| 0     | 0        | 500.00   | 500.00 |

**प्रस्तर सं०-34-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के वर्ष 19-20 के अनुदान पंजिका कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विवधमद /जनसूचना से प्राप्त धन में विगत वर्षों का दर्शित अवशेष कुल रु० 79519.00 में जनसूचना से प्राप्त धन रु० 1310.00 सम्मिलित है। उक्त धनराशि को चालान संख्या -25/20.11.19 द्वारा लेखा शीर्ष-0515(विभागीय मद) में वापस किया गया है। नियमनुसार जनसूचना से प्राप्त धन विभागीय लेखा शीर्ष में जमा न

होकर निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशिल अग्रहरी एवं लेखाकार श्री राकेश सोनकर उत्तरदायी हैं। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 1310.00  | 1310.00 |

**प्रस्तर सं०-35-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रस्तुत बिलों के आधार पर आगणन के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल आयकर 2 प्रतिशत की दर से कुल रु० 51804.22 है, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा कुल रु० 56240.00 की कटौती की गयी है। संस्था द्वारा कटौती का दर स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि कोविड महामारी से उत्पन्न समस्या व लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। कटौती की गयी धनराशि को ले०प० अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया। इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इसहेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 56240.00 | 56240.00 |

**प्रस्तर सं०-36-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष आयकर एवं जी०एस०टी की कटौती की गयी है -

| परि<br>करमांक | सामग्री पर<br>भुगतान | देय आयकर<br>2 प्रतिशत | आयकर की<br>कि गयी<br>कटौती | अवशेष<br>आयकर   | देय जी०एस०टी<br>2 प्रतिशत की<br>दर से | जी०एस०टी<br>कटौती | अवशेष<br>जी०एस०टी |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 87623                | 1752.46               | 1963                       | -210.46         | 1752.46                               | 1752              | 0                 |
|               | 11424                | 228.48                | 256                        | -27.52          | 228.48                                | 228               | 0                 |
| 2             | 366704               | 7334.08               | 7394                       | -59.92          | 7334.08                               | 6602              | 732               |
|               | 113210               | 2264.2                | 2415                       | -150.8          | 2264.2                                | 2156              | 108               |
| 3             | 32340                | 646.8                 | 690                        | -43.2           | 646.8                                 | 616               | 31                |
|               | 209721               | 4194.42               | 4698                       | -503.58         | 4194.42                               | 4194              | 0                 |
| 4             | 87234                | 1744.68               | 1861                       | -116.32         | 1744.68                               | 1662              | 83                |
|               | 314800               | 6296                  | 6338                       | -42             | 6296                                  | 5658              | 638               |
| 5             | 184800               | 3696                  | 4140                       | -444            | 3696                                  | 3696              | 0                 |
|               | 246796               | 4935.92               | 5528                       | -592.08         | 4935.92                               | 4936              | 0                 |
| 6             | 77704                | 1554.08               | 1741                       | -186.92         | 1554.08                               | 1554              | 0                 |
|               | 122451               | 2449.02               | 2743                       | -293.98         | 2449.02                               | 2449              | 0                 |
| 7             | 59388                | 1187.76               | 1330                       | -142.24         | 1187.76                               | 1188              | 0                 |
| 8             | 153006               | 3060.12               | 3427                       | -366.88         | 3060                                  | 3060              | 0                 |
|               | 8526                 | 170.52                | 191                        | -20.48          | 170.52                                | 170               | 1                 |
| 9             | 23940                | 478.8                 | 536                        | -57.2           | 478.8                                 | 478               | 1                 |
| 10            | 323775               | 6475.5                | 7253                       | -777.5          | 6475.5                                | 4676              | 1800              |
|               | 90174                | 1803.48               | 2020                       | -216.52         | 1803.48                               | 1804              | -1                |
| 11            | 65900                | 1318                  | 1476                       | -158            | 1318                                  | 1318              | 0                 |
|               | 10695                | 213.9                 | 240                        | -26.1           | 213.9                                 | 213               | 1                 |
| <b>योग</b>    | <b>2590211</b>       | <b>51804.22</b>       | <b>56240</b>               | <b>-4435.78</b> | <b>51804.22</b>                       | <b>48410</b>      | <b>3394.22</b>    |

उपरोक्तसारणी से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिलों के आधार पर आगणन के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल आयकर 2 प्रतिशत की दर से कुल रु० 51804.0 है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा कुल रु० 56240.00 की कटौती की गयी है। संस्था द्वारा कटौती की दर स्पष्ट नहीं है। कटौती की गयी धनराशि को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया। इस सम्बन्ध में बताया गया कि कोविड महामारी से उत्पन्न समस्या व लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

((ख) उपरोक्त सारणी में संस्था द्वारा कटौती की गयी जी०एस०टी की धनराशि एवं लेखा परीक्षा में 2 प्रतिशत की दर से आगणित जी०एस०टी की धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 19-20 में निर्धारित दर से कुल देय जी० एस० टी की धनराशि कुल रु० 51804.22 है जबकि संस्था द्वारा इस मद में कुल कटौती रु० 48410.00 किया गया है। इस प्रकार प्राप्त बिलों के सापेक्ष कुल रु० 3394.22 कम जी०एस०टी की कटौती की गयी है। कटौती की जी०एस०टी की कुल धनराशि रु० 48410.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं०-65/39/2018-डी०ओ०आर०ए एफ०एल०ओ०एस०एस०टी -में -2 दि० 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी०डी०ओ० द्वारा जी०एस०टी०आर-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। इस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशिल कुमार अग्रहरी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार सोनकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 51804.00 | 51804.00 |

**प्रस्तर सं-37-** क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज वर्ष 19-20 कि निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल की जांच में पाया गया कि मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं पाया गया, स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खंड कार्यालय से निर्गत नहीं है। देय मजदूरी रु 560691.00 के भुगतान से सम्बंधित चेक का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। इस प्रकार वर्ष दौरान इस मद में कुल धनराशि रु 560691.00 अनियमित रही। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार अग्रहरी एवं लेखाकार श्री राकेश सोनकर है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 560691.00 | 560691.00 |

**प्रस्तर सं०-38-** क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रस्तुत बिलों के आधार पर आगणन के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल आयकर 2 प्रतिशत की दर से कुल रु० 93667.26 है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा कुल रु० 101071.00 की कटौती कि गयी है। संस्था द्वारा कटौती का दर स्पष्ट नहीं किया गया है। कटौती की गयी धनराशि को ले०प० अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया। इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती तारा देवी एवं लेखाकार श्री अशोक तिवारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 101071.00 | 101071.00 |

**प्रस्तर सं०-39-** क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रस्तुत बिलों के आधार पर आगणन के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल जी०एस०टी 2 प्रतिशत की दर से कुल रु० 93243.90 है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा कुल रु० 93095.00 की कटौती कि गयी है। इस प्रकार बिलों के सापेक्ष कुल रु 148.90 कम जी०एस०टी की कटौती कि गयी है। कटौती की गयी जी०एस०टी कि कुल धनराशि रु 93095.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया। इससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस



हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एजाज अहमद एवं लेखाकार श्री अशोक तिवारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 93244.00 | 93244.00 |

**प्रस्तर सं-40-** क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 19-20 कि निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल की जांच में पाया गया कि मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं पाया गया, स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खंड कार्यालय से निर्गत नहीं है। देय मजदूरी रु 832400.00 के भुगतान से सम्बंधित चेक का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वर्ष दौरान इस मद में कुल धनराशि रु 832400.00 अनियमित रही। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद एवं लेखाकार श्री अशोक तिवारी एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 832400.00 | 832400.00 |

**प्रस्तर सं-41-** क्षेत्र पंचायत बांसी कि वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के अनुसार श्रमिकों को उनकी मजदूरी रु 641525.00 का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारी श्री सतीश सिंह (सहा.वि.अधि) को चेक निर्गत किये गए हैं तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टररोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गए हैं। जबकि नियमतः मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 641525.00 | 641525.00 |

**प्रस्तर सं-42-** क्षेत्र पंचायत बांसी के वर्ष 19-20 के आवास आवंटन पंजीक कि जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्रीमती प्रियंका वर्मा (बाल विकास परियोजना अधिकारी संविदा) एवं श्री दीपक श्रीवास्तव कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइप -2 श्रेणी का आवास सामान्य किराये रु० 870.00 के मासिक दर पर आवंटित किया गया था। जबकि विकास खण्ड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रु० 870.00 एवं उन्हें देय मकान किराया भत्ता की कटौती कर किराया मद में जमा किया जाता है। स्पष्ट है कि श्रीमती प्रियंका वर्मा एवं श्री दीपक श्रीवास्तव को विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से बहुत कम दर पर आवास आवंटित किया गया है। वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5(01) के नियम संख्या 291 (घ) के अनुसार जो आवासीय भवन विभाग के बाहर किसी निजी व्यक्ति को किराया पर उठाया जाता है तब किराया सामान्य प्रयोजनों के लिए किये गए सामान्य स्थानों हेतु स्थानीय क्षेत्र में विद्यमान बाज़ार दर पर अग्रिम रूप में मासिक आधार पर वसूल किया जाना चाहिए, जो नियमानुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार श्रीमती प्रियंका वर्मा एवं श्री दीपक श्रीवास्तव को आवास का किराया वास्तविक किराया से कम दर पर आवंटित कर एवं कम किराया वसूल कर संस्था को रु० 934004.00 क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशिल कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 934004.00 | 934004.00 |

**प्रस्तर सं-43-** क्षेत्र पंचायत बांसी के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ मदों में पूर्व वर्षों से धनराशि रु० 6623325.00 अवशेष दर्शाया जा रहा है। जबकि इनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। अवधि समाप्त होने के बाद उन मदों में अवशेष धनराशि को मूल विभाग में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करा दिया

जाना चाहिये। इस वित्तीय अनियमिता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्रं०स | मद का नाम               | अवशेष धनराशि      |
|--------|-------------------------|-------------------|
| 1      | पिछड़ी जाति रैपिड सर्वे | 17500.00          |
| 2      | विधायक निधि             | 483719.00         |
| 3      | बी०आर०जी०एफ योजना       | 4496570.00        |
| 4      | बी०आर०जी०एफ ब्याज       | 1453986.00        |
| 5      | बी०आर०जी०एफ जमानत राशि  | 171550.00         |
|        | <b>योग</b>              | <b>6623325.00</b> |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता   | योग        |
|-------|----------|------------|------------|
| 0     | 0        | 6623325.00 | 6623325.00 |

**प्रस्तर सं-44-** आयकर अधिनियम 1961 कि धारा 194(सी) के अंतर्गत शासकीय कार्यों में सामग्री अपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से स्रोत पर कर कि कटौती टी0डी0एस ( 2 प्रतिशत की दर से )करने के उपरांत ही सम्बंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत बांसी के वर्ष 19-20 के मुख्यमंत्री सामूहिक शादी विवाह कि पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 19-20 में कुल रु० 331789.00 कि सामग्री के बिलों का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया है ,किन्तु उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित दर से स्रोत पर कर की कटौती नहीं किया गया है ,जिससे रु० 6636.00 आयकर के शासकीय राजस्व कि क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 6636.00  | 6636.00 |

**प्रस्तर सं-45-** क्षेत्र पंचायत बढ़नी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा के क्रम में ग्रांट रजिस्टर भाग -3 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विगत वर्षों का व्यापार कर कटौती रु० 297216.00 अवरुद्ध करके रखा गया है। जो वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष में जी०एस०टी अधिनियम लागू है ,जी०एस०टी लागू होने बाद व्यापार कर समाप्त हो चुका है। संदर्भित अवधि से पूर्व ही संस्था द्वारा धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था। व्यापार कर अधिनियम की धाराओं के अधीन अवरुद्ध धनराशि को पेनाल्टी सहित जमा न करके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम बिलास राय एवं लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 297216.00 | 297216.00 |

**प्रस्तर सं-46-** क्षेत्र पंचायत बढ़नी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा के क्रम में ग्रांट रजिस्टर भाग -3 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि गत वर्ष का आयकर /टी०डी०एस कटौती रु० 311479.00+70785=382264 होल्ड करके रखा गया है ,जो वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत धारा के अंतर्गत इसे निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करने से राजकीय राजस्व की क्षति होती है ,जो एक वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खंड अधिकारी श्री राम बिलास राय एवं लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ॥

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 382264.00 | 382264.00 |

**प्रस्तर सं-47-** क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा के क्रम में ग्रांट रजिस्टर भाग -3 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि माह अप्रैल 2019 में गौवंश आश्रय स्थल मद में प्रा० अवशेष रु० 22000.00 दर्ज है। इसी माह में रु० 70000.00 व्यय दर्शित है। इस प्रकार 22000-70000.00= (-)48000.00 का ऋणात्मक व्यय कर किसी अन्य मद कि धनराशि का व्यावर्तन कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड अधिकारी श्री राम बिलास राय एवं लेखाकार श्री रामानन्द सिन्हा उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 48000.00 | 48000.00 |

**प्रस्तर सं-48-** क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा के क्रम में ग्रांट रजिस्टर भाग -2 के अवलोकन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि रा०वि मद से दिनांक 04.04.19 को चेक सं०-976263 द्वारा रु० 51000.00 मे० प्रकाश स्टेशनर्स और स्प्लायर्स को भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त भुगतान से सम्बंधित कोई भी वाउचर लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही स्टेशनरी से सम्बंधित कोई भी पत्रावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार बिना बिल/वाउचर के रु० 51000.00 फर्म को फर्जी भुगतान कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड अधिकारी श्री राम बिलास राय एवं लेखाकार श्री रामानन्द सिन्हा उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|----------|----------|----------|----------|
| 51000.00 | 0        | 0        | 51000.00 |

**प्रस्तर सं-49-** क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो से सम्बंधित कोई भी पत्रावली नहीं रखी गयी है, ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष दौरान कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं हुआ। विगत वर्षों के कार्यो से सम्बंधित कुछ भुगतान आलोच्य वर्ष में किये गए हैं किन्तु इन कार्यो से सम्बंधित पत्रावली भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। कुल रु० 69437.00 (सामग्री मद में 43362.00 एवं मजदूरी मद में 26075.00) का भुगतान दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष बिल/वाउचर/मस्टररोल, निर्माण पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा। साथ ही स्वीकृति और सम्बंधित परियोजना कि एम०बी उपलब्ध नहीं करायी गयी। स्पष्ट है कि सामग्री एवं श्रमांश मद में कुल रु० 69437.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण कर किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम बिलास राय एवं लेखाकार श्री रामानन्द सिन्हा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है -

| क्र०स | दिनांक   | चेक सं० | धनराशि   | फर्म जिसको भुगतान किया गया      |
|-------|----------|---------|----------|---------------------------------|
| 1     | 20.04.19 | 976264  | 8418.00  | खान ब्रिक फील्ड                 |
| 2     | 20.04.19 | 976265  | 1308.00  | मे० जिंदल स्प्लायर्स            |
| 3     | 20.04.19 | 976267  | 26075.00 | श्री राजेन्द्र यादव सहा०वि०अधि० |
| 4     | 20.04.19 | 976271  | 33636.00 | किसान ब्रिक फील्ड               |
|       |          | योग     | 69437.00 |                                 |

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|----------|----------|----------|----------|
| 69437.00 | 0        | 0        | 69437.00 |

**प्रस्तर सं-50-** क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा के क्रम में ग्रांट रजिस्टर भाग -1 एवं ग्रांट रजिस्टर -2 अवलोकन के कम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संचारी रोग मद में दिनांक 11.09.19 को रु० 43514.00 प्राप्त दिखाया गया है तथा व्यय विवरण कि जांच में पाया गया कि दिनांक 24.10.19 को चेक सं०- 182467.00 द्वारा श्री हरीकृष्ण व०स०/म०लि० को भुगतान किया गया दर्शित है लेकिन लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त भुगतान किस मद/कार्यो पर किया गया है। लेखा परीक्षा में सम्बंधित फोटो, व्यय वाउचर, पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम बिलास राय /लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|----------|----------|----------|----------|
| 43514.00 | 0        | 0        | 43514.00 |

**प्रस्तर सं-51-** क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 19-20 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त से अर्जित ब्याज रु० 19670.00 तेरहवे वित्त का रु० 58800.00, तेरहवा वित्त अर्जित ब्याज रु० 19670.00 के सम्बन्ध में ऐसा कोई व्यय विवरण /साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस बात का निर्धारण किया जा सके कि धनराशि वापस कि गयी अथवा किसी मद विशेष /परियोजना के सापेक्ष व्यय किया गया है। इस प्रकार आय-व्ययक में दर्शित उपरोक्त कुल व्यय रु० 98141.00 अनियमितता की श्रेणी में पाया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम बिलास राय /लेखाकार श्री रामानंद सिन्हा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 98141.00 | 98141.00 |

**प्रस्तर सं-52-** क्षेत्र पंचायत उसका बाज़ार के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी रु० 174240.00 का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किये गए हैं तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद मजदूरी का भुगतान किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को उनके खाते में किये जाने का निर्देश दिया गया है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए कार्यप्रभारी /खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा /लेखाकार श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 174240.00 | 174240.00 |

**प्रस्तर सं-53-** विकास खंड उसका बाज़ार के वर्ष 19-20 के निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष दौरान निर्माण कार्यो पर कुल रु० 217108.00 की सामग्री क्रय की गयी है नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से २ प्रतिशत की दर से रु 4342.00 का जी०एस०टी काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए परन्तु लेखाकार द्वारा बिना जी०एस०टी की कटौती किये ही बिल की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए लेखाकार श्री विनोद कुमार /खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अधिक भुगतानित धनराशि रु० 4342.00 की ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 0        | 4342.00  | 4342.00 |

**प्रस्तर सं-54-** विकास खंड उसका बाज़ार की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ मदों में पूर्व वर्षों की धनराशि रु 1059522.00 अवशेष दर्शायी जा रही है जबकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। अवधि समाप्त हो जाने के बाद उन मदों में अवशेष धनराशि को मूल विभाग में वापस कर दिया जाना

चहिये। ऐसा न कर खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकर द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्र०स | मद का नाम                  | अवशेष धनराशि |
|-------|----------------------------|--------------|
| 1     | संशोधित निर्बल वर्ग आवास   | 13400        |
| 2     | विधायक निधि                | 84332        |
| 3     | सांसद निधि                 | 71467        |
| 4     | विधायक निधि देवेन्द्र सिंह | 465          |
| 5     | स्वच्छता कार्यक्रम         | 2000         |
| 6     | एन०आर०पी लिपिक का वेतन     | 3524         |
| 7     | पूर्वांचल विकास निधि       | 763734       |
|       | योग                        | 1059522.00   |

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता   | योग        |
|-------|----------|------------|------------|
| 0     | 0        | 1059522.00 | 1059522.00 |

**प्रस्तर सं-55-** क्षेत्र पंचायत उसका बाज़ार के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बरदहा गाव में बहराइच राय के घर से काली मन्दिर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर इंटरलॉकिंग ब्रिक पर रु 25.60 प्रति ईट की दर से भुगतान किया गया है, जबकि पी०डब्लू०डी के एस०ओ०आर रजिस्टर के अनुसार इंटरलॉकिंग ब्रिक की दर 23.60 निर्धारित है। इस प्रकार उक्त कार्य पर प्रयुक्त किये गए 4800 इंटरलॉकिंग ब्रिक पर कुल रु 9600.00 का अधिक भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग     |
|-------|----------|----------|---------|
| 0     | 9600.00  | 0        | 9600.00 |

**प्रस्तर सं-56** -क्षेत्र पंचायत उसका बाज़ार की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 19-20 में कुल रु० 19422.00 की जी०एस०टी की कटौती की गयी है परन्तु कटौती की गयी धनराशि को सम्बंधित लेखाशीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था के खाते में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 19422.00 | 19422.00 |

**प्रस्तर सं-57-** क्षेत्र पंचायत उसका बाज़ार वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 19-20 में कुल रु० 26613.00 आयकर कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष मात्र रु० 7397.00 ही सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा किया गया है। अंतर की धनराशि रु० 19216.00 को सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था के खाते में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता | योग      |
|-------|----------|----------|----------|
| 0     | 0        | 19216.00 | 19216.00 |

**प्रस्तर सं-58-** क्षेत्र पंचायत उसका बाज़ार वर्ष 19-20 के अनुदान पंजिका भाग-3 की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्वांचल विकास निधि मद से रु० 285540.00 का व्यय किया गया है जबकि पूर्वांचल विकास निधि योजना पूर्व में ही बंद कि जा चुकी है। स्पष्ट है कि किसी अन्य योजना मद में व्यय धनराशि का भुगतान पूर्वांचल विकास निधि से कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमिता  | योग       |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 0     | 0        | 285540.00 | 285540.00 |

### प्रारूप - 3

#### जनपद- चित्रकूट

#### मण्डल चित्रकूट

#### क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

**प्रस्तर सं0 1-** क्षेत्र पंचायत मऊ की आलोच्य वर्ष 2019-20 में विधायक निधि से दर्शित व्यय रूपया 375000.00 है। जिसे ग्राम पंचायत गाहुर के मजरा भारत पुरवा से सुनील के घर की ओर इ0 ला0 खडण्जा पर व्यय किया गया है। उपरोक्त कार्य पर आदेश संख्या- 1533/15.09.2018 के द्वारा श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया है। कार्य की कुल प्राक्कलित राशि 6.08 लाख रुपये थी। परन्तु बाद में इसे संशोधित कर प्राक्कलन की राशि 5.00 लाख कर दी गयी है। उपरोक्त कार्य को वर्ष के दौरान पूर्ण नहीं किया जा सका है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एम0बी0 व मस्टर रोल (हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है) अधूरा है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। दर्शित व्यय रु0 375000.0 रनिंग एम0बी0 के आधार पर किया गया है जो अभिलेखों के अभाव में सही प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त कार्य के दौरान गम्भीर अनियमितता का प्रकरण दर्शित है। विकास खण्ड अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला व लेखाकार श्री अतुलकान्त खरे से ब्याजसहित वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं कार्य प्रभारी श्री रामकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 2-** क्षेत्र पंचायत मऊ की सामान्य वित्तीय वर्ष नियम 2005 212 (5) के अनुसार लेखापरीक्षा में वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग आदि की योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि के सन्दर्भ में उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना यह सुनिश्चित करना है कि उपरोक्त कार्य पूर्ण हो चुका है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में नियमानुसार कार्य का होना संदिग्ध माना जाता है। आलोच्य वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्र पंचायत मऊ के विकास खण्ड कार्यालय सभागार कक्ष आदि की पुताई कार्य में व्यय रु0 80581 के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। दर्शित व्यय रु0 80581 के सापेक्ष ही कर का अवधारण किया गया है परन्तु मस्टर रोल या मजदूरी पर भुगतान शून्य है। कर का अवधारण केवल सामग्री पर ही किया जा सकता है न की मजदूरी पर। उपरोक्त कार्य में अन्तर निहित मजदूरी पर कर का अवधारण करना क्षेत्र पंचायत नियमावली के विरुद्ध है। अतः किया गया कार्य उपरोक्त प्रमाण पत्रों एवं मस्टर रोल के अभाव में दर्शित व्यय रु0 80581 अनियमित है। खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला एवं लेखाकार श्री विष्णुकान्त खरे से ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है, तथा कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र यादव अवर अभियन्ता आर0ई0एस0 पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 3-** क्षेत्र पंचायत मऊ की शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं। जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने का प्रावधान है, तथा शासनादेश संख्या1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 09 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में

व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग 01 से अधिक ग्राम प्रचायतो को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार नए निर्माण कार्य पर किया जाएगा। साथ ही मरम्मत एवं नये कार्य के सापेक्ष एनओसी प्रस्तुत की जायेगी। परन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्ययस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत मऊ द्वारा कराया गया निम्न कार्य ऐसा है जो एक ग्राम पंचायत तक सीमित है।

| क्रमांक | कार्य का नाम                                                                                                             | सामग्री               | श्रमांग  | योग       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 1       | ग्राम पंचायत खण्डेहा के अहिरनपुरवा दबवा में धर्मराज सिंह के घर से फूलचन्द्र केशरवानी के घर तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 342812.00             | 55825.00 | 398637.00 |
| 2       | डोडिया माफी में अल्पनारायण के घर से अमरनाथ गिरि के घर तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण                                      | 392191.00             | 76300.00 | 468491.00 |
| 3       | कोटवा माफी में रामआसरे के घर से सरदार सिंह के घर तक इण्टर लांकिंग खण्डजा निर्माण                                         | 721921.00             | 51994.00 | 969825.00 |
|         |                                                                                                                          | 178700.00             | 17210.00 |           |
|         |                                                                                                                          | कुल योग -- 1836953.00 |          |           |

शासनादेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के विपरीत कराए गए कार्य पर व्यय धनराशि ₹0 1836953.00 अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राकेशचन्द्र शुक्ला एवं ब्लाक प्रमुख श्री शिवाकान्त बलुवा व तत्कालीन लेखाकार श्री अतुलकान्त खरे एवं श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी रहे। अतः प्रत्येक से वैधानिक कार्यवाही सहित ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 4-** वर्ष 2019-2020 में राज्य वि0 मद से क्षेत्र पंचायत मऊ के ब्लॉक परिसर में स्थित गेस्ट हाउस एवं बी0डी0ओ0 आवास का अनुरक्षण कार्य पर कुल व्यय ₹0 709962.00 दर्शित हैं। जिसमें मस्टर रोल सं0 764 से 767 पर 54034 रूपया की धनराशि श्रमांश मद एवं सामग्री पर 655928.00 व्यय दर्शित हैं परन्तु विकास खण्ड परिसर में स्थित भवनों में गेस्ट हाउस नाम से अंकित कोई भी भवन नहीं पाया गया। चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहने से गेस्ट हाउस नाम से अंकित किसी भी भवन की पुष्टि नहीं हो सकी। गेस्ट हाउस व विकास खण्ड अधिकारी आवास के लिए अलग-अलग इस्टीमेट व कार्य योजना बनायी जानी चाहिए थी। परन्तु दर्शित कार्य में गेस्ट हाउस व खण्ड विकास अधिकारी आवास पर व्यय अलग-अलग न दर्शाकर एक साथ दर्शाया गया है। जिससे सम्पूर्ण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्य संदिग्ध होने के कारण दर्शित व्यय ₹0 709962.00 का अपहरण किया गया है। वैधानिक कार्यवाही करते हुए विकास खण्ड अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला एवं ब्लाक प्रमुख श्री शिवा कान्त बलुवा से एवं लेखाकार श्री विष्णुकान्त खरे बराबर ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 5-** क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502(1)/दस-201510(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से प्राप्त विभिन्न अनुदानों का बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे ससमय राजकोष में जमा करना होगा।

क्षेत्र पंचायत - मानिकपुर में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वर्ष वार अर्जित ब्याज क्रमांक ₹0 219445.00 व 156872.00 रहा तथा कुल ब्याज ₹0 376317.00 शासन को वापस न कर बैंक शाखाओं में खुले बचत खाता में अधीन रखकर गंभीर अनियमितता की गयी है, जिससे लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1- श्री आशा राम सिंह 2- श्री शेर बहादुर 3- श्री अनय मिश्रा 4- श्री कुलदीप कुमार 5- श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं तत्कालीन लेखाकार

1- श्री प्रदीप कुमार माथुर एवं 2- रमेश कुमार कुशवाहा उत्तरदायी हैं। वर्षवार विभिन्न अनुदानों से प्राप्त (आय) अर्जित ब्याज का विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | मद का नाम                 | वर्ष 2018-19     | वर्ष 2019-20     | योग              |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1        | चतुर्थ राज्य वित्त        | 165716.00        | 71974.00         | 237690.00        |
| 2        | पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि | 4984.00          | 5176.00          | 10160.00         |
| 3        | सांसद निधि                | 11412.00         | 9031.00          | 20443.00         |
| 4        | विधायक निधि               | 37333.00         | 70691.00         | 108024.00        |
|          | <b>योग</b>                | <b>219445.00</b> | <b>156872.00</b> | <b>376317.00</b> |

**प्रस्तर संख्या 6- क्षेत्र पंचायत मानिकपुर** की शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने को प्रावधान है तथा शासनादेश संख्या 1639/33.3.2015.03/2015 दिनांक 9 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग 01 से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। परन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत- मानिकपुर द्वारा कराये गये निम्न कार्य ऐसे हैं जो एक ग्राम पंचायत तक सीमित हैं।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                             | सामग्री           | श्रम             | खण्ड विकास अधिकारी       | ब्लाक प्रमुख            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1        | ग्रा०पं० रामपुर कल्याणगढ में गोरे लाल के घर से मोहन के घर तक खडण्जा इण्टल लाकिंग                         | 84590.00          | 9500.00          | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 2        | ग्रा०पं० कोठिलिहाई में हेमलाल के घर से द्वारिका के घर तक इ० ला० निर्माण                                  | 363390.00         | 27150.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 3        | ग्रा०पं० रामपुर कल्याणगढ में राजा के घर से कल्लू के खेत तक खडण्जा मरम्मत                                 | 366761.00         | 92750.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 4        | ग्रा०पं० इटवाडुडैला के छोटा पाटिन में भइया बहादुर के घर से श्री केशव प्रताप के कूप तक सी०सी० रोड निर्माण | 75873.00          | 18550.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 5        | ग्रा०पं० कल्याणपुर में मजरा लक्ष्मणपुर में छोटा के घर से शंकर के घर तक सी०सी० रोड कार्य                  | 71897.00          | 18200.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 6        | ग्रा०पं० भौरी में बया के घर से बरम बाबा तक डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण                                       | 435988.00         | 49875.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 7        | ग्रा० पं० सेमरदहा के मजरा टेकरी में देवनाथ यादव के घर से सत्यदेव यादव के घर तक पत्थर खडण्जा              | 228997.00         | 52300.00         | श्री आशा राम सिंह        | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
| 8        | अगरहुण्डा मे विनय कुशवाहा के घर से अनूप सिंह के घर तक इ० ला० ं                                           | 831347.00         | 86024.00         | श्री दिनेश कुमार अग्रवाल | श्रीमती ज्योत्सना वर्मा |
|          | <b>योग-</b>                                                                                              | <b>2458843.00</b> | <b>354349.00</b> |                          |                         |



शासनादेश के मार्ग दर्शक सिद्धांतों के विपरीत कराये गये कार्य पर व्यय धनराशि रु 2813192.00 (2458843+354349) अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः वैधानिक कार्यवाही सहित रु0 2813192.00 की ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 7-** क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की वर्ष 2018-19 के ग्रांट रजिस्टर तृतीय के माह जनवरी 2019 के अन्त में ब्याज के मद में अवशेष धनराशि 1838863.00 दर्शित है। पुनः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में फरवरी 2019 ब्याज मद की इस अवशेष धनराशि विभिन्न मदों के ब्याज के रूप में निम्न विवरणानुसार दर्शित किया गया है:-

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (ब्याज) | - 491922.00         |
| 2-बी0आर0जी0एफ0 (ब्याज)             | - 88285.00          |
| 3-सांसद निधि (ब्याज)               | - 89937.00          |
| 4-विधायक निधि (ब्याज)              | - 265253.00         |
| 5-विविध खाता (ग्रा0 बैंक) में जमा  | - 727562.00         |
| <b>योग-</b>                        | <b>- 1662959.00</b> |

इस प्रकार माह जनवरी 2019 के सापेक्ष फरवरी 2019 में ब्याज के मद अवशेष धनराशि 18388663-1662959 व 175904.00 रु0 कम दर्शित है। इस प्रकार ब्याज के मद में फरवरी 2019 में 175904.00 रुपये कम दर्शित है। ब्याज के मद में इस कम हुई धनराशि (175904.00) का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। स्पष्ट है, कि ब्याज की इस धनराशि (175904.00) कोई विवरण प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम सिंह एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतः वैधानिक कार्यवाही सहित रु0 175904.00 की ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 8-** क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में वर्ष 2018-19 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच से स्पष्ट हुआ कि निम्नांकित कार्यों की फाइलों में कार्यपूति प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ है।

| क्र0 सं0    | कार्य का नाम                                                                             | सामग्री          | श्रमांश        | (मस्टर रोल अप्रस्तुत रहा) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1-          | प्रमुख कक्ष की रंगाई एवं पोताई एवं पेंटिंग                                               | 73478.0          | -              |                           |
| 2-          | विकास खण्ड परिसर में ब्लाक संसाधन केन्द्र तक पहुच मार्ग में इण्टर लांकिंग खडण्जा निर्माण | 76680.00         | 5450.00        |                           |
| <b>योग-</b> |                                                                                          | <b>150158.00</b> | <b>5450.00</b> |                           |

कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य के पूर्ण होने एवं भौतिक निरीक्षण का सूचक होता है। कार्यपूति प्रमाण पत्र के अभाव में उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय रु0 155608.00 संदिग्ध एवं अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम सिंह एवं कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतः वैधानिक कार्यवाही समेत ब्याजसहित वसूली की प्रभावी कार्यवाही जिम्मेदार व्यक्तियों से अपेक्षित है।

### **प्रारूप - 3 जनपद - हमीरपुर** **क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपतियां**

**प्रस्तर सं0-1** क्षेत्र पंचायत कुरारा में वर्ष 2019-20 में निर्माण सामग्री के सापेक्ष काटा गया आयकर रु0 46420-00 की धनराशि को वर्षान्त तक सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार आयकर अधिनियम का पालन न कर लेखाकार श्री मोहम्मद इमरान खान एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसिंह अहिरवार द्वारा अनियमितता की गयी है जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है।

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के सामग्री बिलों में काटा गया आयकर संस्था द्वारा

अद्यतन जमा नहीं किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्र०स | कार्य का नाम व पता                                                                                                                     | फर्म का नाम         | बिल संख्या/ इन्वाइस नं० | बिल की तिथि | बिल की/सामग्री की धनराशि | काटा गया आयकर   | भुगतान चेक सं० एवं तिथि | भुगतान धनराशि     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | ग्राम पंचायत मनकी कला में डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के चारों ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण                                           | मे० आर०एस० ट्रेडर्स | 31                      | दिनांक सहित | 71391.00                 | 1621.00         | 068537 24.05.19         | 69770.00          |
|       |                                                                                                                                        |                     | 32                      | दिनांक सहित | 227075.00                | 5155.00         | 074223 22.07.19         | 221920.00         |
| 2     | ग्राम कुरारा में भौली मार्ग से रामरती नोवडा मेमोरियल महिला महाविद्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण                                           | ,,                  | 24                      | दिनांक सहित | 428347.00                | 9723.00         | 068527 02.04.19         | 418624.00         |
|       |                                                                                                                                        |                     |                         | दिनांक सहित | 111606.00                | 2533.00         | 068529 02.04.19         | 109073.00         |
| 3     | मुख्य गेट से प्रमुख के आवास तक इण्टरलाकिंग एवं सी०सी० रोड नि० मुख्य परिसर विकास खण्ड कार्यालय कुरारा                                   | ,,                  | 27                      | दिनांक सहित | 121080.00                | 2748.00         | 068531 02.04.19         | 118332.00         |
|       |                                                                                                                                        |                     | 30                      | 15.05.19    | 112690.00                | 2558.00         | 073301 14.09.11         | 110132.00         |
| 4     | विकास खण्ड कुरारा परिसर में कार्यालय बाल विकास परियोजना एवं उ०प्र० राज्य आजीविका मिशन कार्यालय के सामने सी०सी० रोड नि० एवं इण्टरलाकिंग | ,,                  | 26                      | दिनांक सहित | 22200.00                 | 504.00          | 068532.00 02.04.19      | 21696.00          |
|       |                                                                                                                                        |                     | 29                      | दिनांक सहित | 168358.00                | 3822.00         | 073303 16.04.19         | 164536.00         |
| 5     | ग्राम व मनकी खुर्द में डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल निर्माण                                                  | आस्था ट्रेडर्स      | 20                      | दिनांक सहित | 35632.00                 | 809.00          | 068575.00 20.05.19      | 34823.00          |
|       |                                                                                                                                        |                     | 21                      | दिनांक सहित | 50871.00                 | 1155.00         | 074221 22.07.19         | 49716.00          |
| 6     | विकास खण्ड परिसर में सुन्दरीकरण कार्य के अन्तर्गत पार्क का निर्माण                                                                     | आर०एस० ट्रेडर्स     | 28                      | दिनांक सहित | 197646.00                | 4487.00         | 068539 20.05.19         | 193159.00         |
|       |                                                                                                                                        |                     | 38                      | दिनांक सहित | 264764.00                | 6010+ 5295.00   | 074226 14.11.19         | 253459.00         |
|       |                                                                                                                                        |                     |                         |             | <b>1811660.00</b>        | <b>46420.00</b> |                         | <b>1765240.00</b> |

### प्रारूप-3

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जनपद-बहराइच

मण्डल-देवीपाटन

आपत्ति का विवरण

क्षेत्र पंचायत-तेजवापुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या

**प्रस्तर संख्या 1** आलोच्य वर्ष 2019-20 में आयकर कटौती ₹0-121259.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव एवं लेखाकार श्री लायक राम वर्मा से की जाय तथा कटौती की धनराशि मय ब्याज आयकर विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है **(आ०सं० 29)**

**प्रस्तर संख्या 2.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में सेस चार्ज ₹0-53734.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव एवं लेखाकार श्री लायक राम वर्मा से की जाय तथा सेस की धनराशि ₹० 53734.00 मय ब्याज सम्बन्धित विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है **(आ०सं० 30)**

**प्रस्तर संख्या 3** आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रमुख मानदेय के रूप में ₹0-156800.00 के भुगतान की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चेक इश्यू रजिस्टर व मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव व श्री वीरेन्द्र यादव एवं लेखाकार श्री लायक राम वर्मा से की जाय। **(आ०सं० 31)**

**प्रस्तर संख्या 4.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में बी०डी०सी० भत्ता के रूप में ₹0-89000.00 के भुगतान की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चेक इश्यू रजिस्टर व मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव व श्री वीरेन्द्र यादव एवं लेखाकार श्री लायक राम वर्मा से की जाय। **(आ०सं० 32)**

**प्रस्तर संख्या 5** सराय मेहराबाद मे मरीमाता गेट से राम जानकी मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम०बी० के दि०- 24.03.2022 को ₹0-662504.00 का भुगतान कर अपहरण कर लिया गया ह। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव, लेखाकार श्री लायक राम वर्मा तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जाय। **(आ०सं० 33)**

## क्षेत्र पंचायत-बलहा

वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 6.** मोब्बनपुरवा गांव से मदारी वाता के मजार तक खडन्जा निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम०बी० के ₹0-635326.00 का भुगतान कर अपहरण कर लिया गया ह। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र सरोज, लेखाकार श्री संजय कुमार जैन तथा अवर अभियन्ता श्री अजय कुमार वर्मा से की जाय। **(आ०सं० 28)**

## क्षेत्र पंचायत-पयागपुर

वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 7.** आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक बी०डी०सी० भत्ता एवं प्रमुख मानदेय के रूप में दि०:- 26.06.2014, 22.04.2015, 27.04.2015, 24.05.2016, 16.01.2017 में क्रमशः चेक सं०- 004028, 007480, 007963, 0112642, 0112643 द्वारा कुल ₹0-228161.00 के भुगतान की पुष्टि में चेक इश्यू रजिस्टर व मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय। **(आ०सं० 24)**

**प्रस्तर संख्या 8.** आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक व्यापार कर कटौती ₹0-790804.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अपहरण के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय तथा व्यापार कर की धनराशि 790804.00 ब्याज सहित व्यापार कर विभाग में जमा करायी जाना अपेक्षित है **(आ०सं० 25)**

**प्रस्तर संख्या 9** आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आयकर कटौती ₹0-537942.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अपहरण के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय तथा रूपए 537942.00 ब्याज सहित आयकर विभाग में जमा करायी जाना अपेक्षित **(आ०सं० 26)**

**प्रस्तर संख्या 10** ग्राम पंचायत बेलवा पट्टम समदा में विश्वनाथ के घर से सरहद से बेलवापट्टम बार्डर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम0बी0 के दि०:- 25.06.2015 एवं दि०:- 15.01.2016 को कुल रू०- 1291349.00 का भुगतान कर अनियमितता कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जाय।  
(आ०सं० 27)

**प्रस्तर संख्या 11.** ग्राम पंचायत शम्भूटिकरी में राम समुझ के घर से लक्ष्मपुरवा गांव तक खडन्जा मरम्मत कार्य एवं 04 पुलिया निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम0बी0 के दि०- 09.09.2015 एवं दि०- 17.09.2015 को कुल रू०- 243820.00 का भुगतान कर अनियमितता कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जाय।  
(आ०सं० 28)

**प्रस्तर संख्या 12.** ग्राम पंचायत रायडीह में देवनारायन शुक्ला के घर से काली माता के स्थान होते हुए भभूति के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम0बी0 के दि०- 25.06.2015 एवं दि०- 15.01.2016 को कुल रू०- 516222.00 का भुगतान कर अनियमितता कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहदेव प्रसाद मिश्र व श्री एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जाय।  
आ०सं० 29)

## क्षेत्र पंचायत-फखरपुर

वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 13.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में आयकर कटौती रू०-16708.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार अस्थाना से की जाय तथा रू०- 16708.00 ब्याज सहित आयकर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आ०सं० 28)

**प्रस्तर संख्या 14.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में सेस चार्ज रू०-7459.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार अस्थाना से की जाय तथा रू०-7459.00 ब्याज सहित श्रमिक उपकर कार्यालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आ०सं० 29)

**प्रस्तर संख्या 15.** जगन्नाथ मन्दिर से पीताम्बर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम0बी0 को रू०- 466667.00 का भुगतान कर अनियमितता कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार अस्थाना तथा अवर अभियन्ता श्री तुषार वर्मा से की जाय।  
(आ०सं० 30)

## क्षेत्र पंचायत-नवाबगंज

वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 16.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में सेस चार्ज रू०-37827.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र शेखर प्रसाद एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय तथा रू०-37827.00 ब्याज सहित श्रमिक उपकर कार्यालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आ०सं० 29)

**प्रस्तर संख्या 17.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में आयकर कटौती रू०-84733.00 की जमा पुष्टि में इश्यू चेक नं०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र शेखर प्रसाद एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय तथा रू०-84733.00 ब्याज सहित आयकर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आ०सं० 30)

**प्रस्तर संख्या 18.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में कराये गये 6 निर्माण कार्यों के सापेक्ष जमानत कटौती रू०-189136.00 नहीं की गयी। पुष्टि में ग्रांट रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया। जो वित्तीय अनियमितता के रूप में है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र शेखर प्रसाद एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद से की जाय।

(आ०सं० 31)

**प्रस्तर संख्या 19.** गुरचाही से सहजरामपुरवा जाने वाले मार्ग पर खडन्जा मरम्मत/दीवाल निर्माण कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटो ग्राफी, एम०बी० के रू०-690864.00 का भुगतान कर अनियमितता कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव, लेखाकार श्री चन्द्र शेखर प्रसाद एवं लेखाकार श्री अयोध्या प्रसाद व अवर अभियन्ता श्री विवेक वर्मा से की जाय।

(आ०सं० 32)

## क्षेत्र पंचायत-पयागपुर वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 20.** क्षेत्र पंचायत पयागपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत पयागपुर के विकास खण्ड परिसर में कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य पर दिनांक 29/06/2017 को रू० 291126.00 को भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं। तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन नहीं है। इंजीनियर समक्ष अधिकारी है उनसे सत्यापित है अथवा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार रू 291126.00 का भुगतान दर्शाया गया है जो अपहरण है जिसकी नियमित कार्यवाही अपेक्षित है। कार्य की पुष्टि में मजदूरी की जाँच में मस्टर रोल नहीं पाए गए हैं। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क (ड०) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है अन्तर्गत अपहरण एवं वसूली योग्य है जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी अमित कुमार मिश्रा तथा लेखाकार अनुपम प्रताप से की जाने अपेक्षित है। (आ०सं० 23)

**प्रस्तर संख्या 21.** क्षेत्र पंचायत पयागपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि देवरिया गांव से खण्ड पुरवा गाँव तक खडंजा मरम्मत कार्य पर दिनांक 28/05/2018 को रू० 1149267.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क (ड०) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी अमित कुमार मिश्रा तथा लेखाकार अनुपम प्रताप से की जाने अपेक्षित है। (आ०सं० 24)

**प्रस्तर संख्या 22.** क्षेत्र पंचायत पयागपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि गुरुदत्त पुरवा, लीलापुरवा में बैदौरा सम्पर्क मार्ग पर खडंजा मरम्मत कार्य पर दिनांक 29/06/2017 को रू० 747333.00 का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य में कार्य संबंधी कोई फोटो नहीं लगाया गया है। जिससे सारे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क (ड०) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी अमित कुमार मिश्रा तथा लेखाकार अनुपम प्रताप से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं० 25)

## क्षेत्र पंचायत-शिवपुर वर्ष 2019-20

**प्रस्तर संख्या 23.** क्षेत्र पंचायत शिवपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि घढीघाट में बंधरधराम के घर से खण्डजा निर्माण कार्य पर दिनांक 14/05/2019 को रू०554292.00 को भुगतान दर्शाया गया है निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य संबंधी कोई फोटो नहीं लगाया गया है। जिससे सारे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मास्टर रोल नहीं पाए गए हैं। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क(ड०) के अन्तर्गत जहाँ अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार बसंतबल्लभ लोहानी से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०24)

**प्रस्तर संख्या 24.** क्षेत्र पंचायत शिवपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बौडी में मुकेश के दुकान से रोहित की दुकान तक इंटर लॉकिंग कार्य पर दिनांक 16/05/2019 को रू 784678 को भुगतान दर्शाया गया

है। निर्माण कार्य में कार्य संबंधी कोई फोटो नहीं लगाया गया है। जिससे सारे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क (ड०) के अन्तर्गत बनाये गये नियमो अथवा विनियमों के उपबंधो का उल्लंघन करके व्यय किया गया है के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार बसंतबल्लभ लोहानी से की जाने अपेक्षित है।

(आ०सं० 25)

**प्रस्तर संख्या 25.** क्षेत्र पंचायत शिवपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत पिपरी माफी में नंदू वर्मा के घर से सहज राम के घर तक सी०सी० रोड के निर्माण कार्य पर दिनांक 05/10/2019 को रू० 865509.00 को भुगतान दर्शाया गया है। उक्त कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जो उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) क (ड०) के अन्तर्गत बनाये गये नियमो अथवा विनियमों के उपबंधो का उल्लंघन करके व्यय किया गया है अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी चन्द्र भूषण यादव तथा लेखाकार बसंतबल्लभ लोहानी से की जाने अपेक्षित है।

(आ०सं० 26)

### प्रारूप-3

#### जनपद का नाम - बलरामपुर

#### क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2019-20

#### क्षेत्र पंचायत- तुलसीपुर ( वर्ष- 2019-20)

##### **प्रस्तर संख्या-1**

कैराती कृषि केंद्र को रु. 56500.00 'जनरेटर का भुगतान' द्वारा चेक सं. 587063, दिनांक- 27.11.2019 से किया गया है। राज्य वित्त मद से इस प्रकार के भुगतान वि.ख. स्तर से दिये जाने की भूमिका संदिग्ध रही है। कृषि केंद्र को कृषि विभाग से धनराशि मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।

इस प्रकार फर्जी / आधारहीन / भ्रामक व्यय दर्शाकर रु. 56500.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ख.वि.अधि. श्री राजेश कुमार व लेखाकार श्री विजय पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित रु. 56500.00 की वसूली करके राज्य वित्त मद में जमा कराया जाना चाहिये। संबंधित से धनराशि प्रतिपूर्ति अविलम्ब वांछित है। प्रकरण अधिभार की श्रेणी में ऑडिट स्तर से लाया जाता है।

##### **प्रस्तर संख्या-2**

चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत कुल 11 परियोजनाओं का इस्टीमेट लागत कुल रु. 52.44 लाख पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 'लेबर सेस' की कटौती नहीं की गई है, जबकि 1 प्रतिशत कटौती करके राजस्व श्रम विभाग के नियत मद में जमा कराया जाना था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में 'लेबर सेस' राशि का प्रत्यक्ष रूप से अपहरण करके राजकीय निर्देशों के विरुद्ध आर्थिक अपराध ख.वि.अधि. श्री राजेश कुमार, अवर अभियंता श्री सतीश चंद्र एवं लेखाकार श्री विजय पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः ब्याज सहित रु. 52440.00 की वसूली संयुक्त रूप से करके राज्य राजस्व अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उपर्युक्त धनराशि को राजस्व अधिभार अंतर्गत 'अपहरण' की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए रखा जाता है। अविलम्ब वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर संख्या-3**

मनरेगा प्रशासनिक मद में किये गए व्यय से संबंधित पत्रावली / बिल / प्रमाणक लेखा परीक्षा में माँग के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराये गये, जबकि वर्ष आलोच्य में कुल धनराशि रु. 5147307.00 व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार ऑडिट स्तर पर समस्त व्यय दर्शित राशि 'आधारहीन व्यय' की श्रेणी में आँकलित किया जाता है। प्रशासनिक मद की धनराशि का हिसाब विकास खण्ड पर उपलब्ध रहना चाहिए, परंतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः सम्पूर्ण आधारहीन / अपुष्ट व्यय 'अपहरण' की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए अधिभार अंतर्गत लाया जाता है। आवश्यक समाधान / वसूली की कार्यवाही श्री राजेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विजय पाल सिंह, सहायक लेखाकार से ब्याज सहित करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।

#### **प्रस्तर संख्या-4**

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत कुल रु. 6082700.00 व्यय वर्ष आलोच्य में किया गया है। इस आधारभूत व्यय का हिसाब-लेखा सहा.वि.अधि. (समाज कल्याण) के जिम्मे किया जाना चाहिये तथा कमेटी गठित कर कार्यक्रम आहूत करके व्यय का लेखा तथा पृथक खाता संख्या रखा जाना चाहिये परंतु लेखाकार व ख.वि.अधि. द्वारा मदवार व्यय की धनराशि का विवरण अलग से रजिस्टरबद्ध न करके मात्र अनुदान पंजी III से प्राप्तियाँ एवं व्यय दर्शाये गए हैं।

इस प्रकार नियंत्रण व लेखा रखरखाव की दूषित / अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर 'गम्भीर अनियमितता' की गई है। अतः रु. 6082700.00 अधिभार अंतर्गत लाया जाता है तथा विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान श्री राजेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विजय पाल सिंह, सहायक लेखाकार पर विधिक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

### **क्षेत्र पंचायत- उत्तरौला ( वर्ष- 2019-20)**

#### **प्रस्तर संख्या-5**

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 2953394.00 व्यय दर्शित है। किंतु बार-बार पत्राचार के बावजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय धनराशि रु. 2953394.00 अपुष्ट रही। प्रकरण अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल व लेखाकार श्री बनवारी लाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-6**

मनरेगा प्रशासनिक मद में वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 3431844.00 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष बार-बार पत्राचार के बावजूद भी व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं, जिसमें धनराशि रु. 3431844.00 की पुष्टि न की जा सकी। प्रकरण अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल व लेखाकार श्री बनवारी लाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-7**

प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशासनिक मद) में रु. 105767.00 व्यय दर्शित है। बार-बार पत्राचार के बावजूद भी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जिससे रु. 105767.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रकरण अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल व लेखाकार श्री बनवारी लाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-8**

विधायक निधि में वर्ष रु. 215786.00 व्यय दर्शित है, बार-बार पत्राचार के बावजूद भी व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे जिसमें व्यय धनराशि रु. 215786.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रकरण अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा जायसवाल व लेखाकार श्री बनवारी लाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत- गैसडी ( वर्ष- 2011-12 से 2013-14 तक)**

#### **प्रस्तर संख्या-9**

आलोच्य वर्ष में सोडियम लाइट / स्ट्रीट लाइट में गैर अनुमोदित एवं विवरण / प्रमाणक रहित फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि कुल रु.4041250.00 अधिभार अंतर्गत लायी जाती है। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से धनराशि वसूली मय ब्याज किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा सख्त कार्यवाही अभीष्ट है।

#### **प्रस्तर संख्या-10**

आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से वि०ख०परिसर में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु कुल रु. 350776.00 का व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार मनमाने ढंग से व्यय किये जाने की कार्यवाही तत्कालीन ख०वि०अधि०, अवर अभियंता एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से बी.आर.जी.एफ. की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोगित धनराशि रु. 350776.00 की प्रतिपूर्ति अद्यावधि ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-11**

बी.आर.जी.एफ. अनुदान मद से बालापुर जरवा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य परियोजना पर सामग्री मद की धनराशि रु. 973504.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता / फर्म को न करके ठेकेदार के पक्ष में किया गया है। लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी व तत्कालीन ख०वि०अधि० इस अनियमित प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायी रहे हैं। अतः प्रकरण अधिभार अंतर्गत गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में लाया जाता है तथा विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विधिक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

#### **प्रस्तर संख्या-12**

विभिन्न परियोजनाओं पर राजकीय राजस्व- लेबर सेस की धनराशि संबंधी आर्थिक अपराध की प्रक्रिया अपनाकर धनराशि रु. 134419.00 के राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया। ज्ञातव्य है कि परियोजनाओं की लागत पर श्रमिक भागीदारी होती है, इस प्रकार 1 प्रतिशत लेबर सेस का प्रावधान व कटौती न करके श्रम विभाग को धनराशि अवमुक्त कर जमा कराया जाना चाहिए। इसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि०, अवर अभियंता व लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी उत्तरदायी रहे हैं। उक्त 1 प्रतिशत लेबर सेस की वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि०, अवर अभियंता व लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से करते हुए श्रम विभाग में जमा कराने हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-13**

तृतीय राज्य वित्त / 12वें / 13वें वित्त / बी.आर.जी.एफ. एवं विधायक निधि से ईंट क्रय बिलों से राजस्व कटौती न करके धनराशि रु.459196.00 के राजस्व का अपहरण करके आर्थिक अपराध किया जाना। अतः अविलम्ब राजस्व जमा कराकर क्षतिपूर्ति कराया जाना विभागीय उच्चाधिकारियों से अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि०, अवर अभियंता (आर.ई.डी) व लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी उत्तरदायी रहे हैं।

#### **प्रस्तर संख्या-14**

मनरेगा प्रशासनिक मद से विभिन्न कार्यों (यथा- जीप व जनरेटर पर डीजल क्रय /मरम्मत व्यय) पर फर्जी / आधारहीन /प्रमाणक रहित व्यय दर्शाकर कर धनराशि रु. 341398.00 का अपहरण किया जाना। अतः आधारहीन व्यय की वसूली अविलम्ब, उत्तरदायी तत्कालीन ख०वि०अधि०, अवर अभियंता व लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से ब्याज सहित कराया जाना वांछित है।

### **क्षेत्र पंचायत- रेहरा बाजार (वर्ष- 2019-20)**

#### **प्रस्तर संख्या-15**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रु.2092441.00 का व्यय ग्राम पंचायत के अंदर इंटरलॉकिंग व खड़ंगा निर्माण पर किया गया है जबकि नियमतः क्षेत्र निधि से एक ग्राम पंचायत को दूसरे ग्रा.पं. को जोड़ने वाले मार्गों पर किया जाना चाहिए। अतः कार्य पर व्यय धनराशि रु. 2092441.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में लाई जाती है।

उपर्युक्त कार्य से संबंधित टेण्डर पत्रावलियाँ, प्राक्कलन बिल वाउचर, प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रही जिस कारण से व्ययों की पुष्टि न हो सकी। अतः अनियमित व्यय हेतु उत्तरदायी ख०वि०अधि० श्रीमती नीति श्रीवास्तव व लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र पर विधिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **प्रस्तर संख्या-16**

चालू वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त एवं विधायक निधि से रु. 6933880.00 व्यय किया जाना दर्शित है जिसमें नियमानुसार टीडीएस रुपए 156706.00 की कटौती का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिल/ जमा प्रमाणिक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः उक्त धनराशि की कटौती की पुष्टि नहीं होती है जिसकी वसूली उत्तरदायी ख०वि०अधि० श्रीमती नीति श्रीवास्तव व लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।



#### **प्रस्तर संख्या-17**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में किए गए मजदूरी व्यय पर 1% लेबर सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत रुपए 69338.00 जमा नहीं किया गया, जो अनियमित रहा एवं अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है। स्पष्ट है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ख०वि०अधि० श्रीमती नीति श्रीवास्तव व लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-18**

आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत निधि के तहत रुपए 6794651.00 व्यय किया गया तथा विधायक निधि से रुपए 139229.00 व्यय किया गया जिसमें से केवल 6 कार्यों पर व्यय रुपए 4745738.70 का ही विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधायक निधि से कृत कार्य व राज्य वित्त से कृत कार्य का विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिपूर्ण रहा। शेष 6794651+ 139229= 6933880- 4745738.70= **2188141.00** का कार्य विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 2188141.00 अपहरण की श्रेणी में लायी जाती है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख०वि०अधि० श्रीमती नीति श्रीवास्तव व लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत- गैण्डास बुजुर्ग (वर्ष- 2019-20)**

#### **प्रस्तर संख्या-19**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त से रुपए 306273.00 का व्यय मजदूरी मद में किया जाना दर्शित है जो कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार है। कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के अंतर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1% लेबर सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना चाहिए जो रुपए 3062.00 होता है। खंड विकास अधिकारी प्रशासन द्वारा लेबर सेस न काटकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अतः रुपए 3062.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री बलराम कुंवर श्रीवास्तव, वेद प्रकाश मौर्य तथा लेखाकार श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-20**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में धनराशि रुपए 1225677.00 का व्यय विभिन्न कार्यों पर चतुर्थ राज्य वित्त से किया गया जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही साथ ही साथ व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा- कार्य पत्रावली, माप-पुस्तिका, प्राक्कलन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे कार्य की पुष्टि न हो सकी।

अतः धनराशि रुपए 1225677.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिस पर विधिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रारूप- 3**

#### **जनपद का नाम - गोण्डा**

#### **मण्डल का नाम- देवीपाटन**

### **क्षेत्र पंचायतों के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

#### **क्षेत्र पंचायत-मुजेहना**

#### **प्रस्तर- 1**

आलोच्य वर्ष 2011-12 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

- |     |                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| (क) | राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि से व्यय- | 389435.00 |
| (ख) | सरस हाट/विपणन केन्द्र निर्माण पर व्यय-          | 177127.00 |

**योग- 566562.00**

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 566562.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के

नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 566562.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।  
(सा०अ०सं० 13)

## **प्रस्तर-2**

आलोच्य वर्ष 2012-13 मे विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (क) | राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि से व्यय- | 1961781.00 |
| (ख) | 13वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से व्यय-     | 466627.00  |
| (ग) | एस.जी.एस.वाई. की प्राप्त धनराशि से व्यय-        | 214713.00  |
| (घ) | प्रशासनिक मद में किया गया व्यय-                 | 1523.00    |

**योग- 2644644.00**

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 2644644.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 2644644.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।  
(सा०अ०सं० 14)

## **प्रस्तर-3**

आलोच्य वर्ष 2013-14 मे विभिन्ना मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (क) | राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि से व्यय- | 7280682.00 |
| (ख) | 13वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से व्यय-     | 8121732.00 |
| (ग) | सरस हाट/विपणन केन्द्र निर्माण पर व्यय-          | 4059.00    |

**योग- 15406473.00**

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 15406473.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 15406473.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।  
(सा०अ०सं० 15)

## **प्रस्तर-4**

आलोच्य वर्ष 2014-15 मे विभिन्ना मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | मदों में व्यय              | धनराशि            |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 1       | राज्य वित्त आयोग की धनराशि | 1066969.00        |
| 2       | 13वें वित्त आयोग की धनराशि | 3025379.00        |
| 3       | एस.वाई.एस.जी.              | 24236.00          |
| 4       | ब्याज मद                   | 8863.00           |
| 5       | बायो गैस अनुदान            | 46762.00          |
| 6       | बी.एफ.जी.आर.               | 427186.00         |
| 7       | सामाजिकजाति जनगणना, आर्थिक | 1233000.00        |
| 8       | विधायक निधि                | 546164.00         |
|         | <b>योग</b>                 | <b>6378559.00</b> |

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 6378559.00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 6378559.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह, श्री रंगीलाल व श्री जीतेंद्र बहादुर सिंह, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 13)

#### प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2015-16 मे विभिन्ना मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | मदों में व्यय              | धनराशि            |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 1       | राज्य वित्त आयोग की धनराशि | 5667703.00        |
| 2       | 13वें वित्त आयोग की धनराशि | 496678.00         |
| 3       | बी.एफ.जी.आर.               | 1105278.00        |
| 4       | विधायक निधि                | 585574.00         |
| 5       | सोशल आडिट                  | 7500.00           |
|         | <b>योग</b>                 | <b>7862723.00</b> |

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 7862723.00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 7862723.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जीतेंद्र बहादुर सिंह, श्री आनंदकुमार मिश्रा व श्री हरिराम, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 14)

#### प्रस्तर-6

आलोच्य वर्ष 2016-17 मे विभिन्ना मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | मदों में व्यय                                    | धनराशि            |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | निर्बल वर्ग आवास योजनाइंदिरा आवास योजना/         | 44741.00          |
| 2       | राज्य वित्त आयोग की धनराशि                       | 1525279.00        |
| 3       | विपणन केन्द्र निर्माण सरस हाट/                   | 567231.00         |
| 4       | ब्याज मद                                         | 842498.00         |
| 5       | बी.एफ.जी.आर.                                     | 37045.00          |
| 6       | विधायक निधि                                      | 513923.00         |
| 7       | सोशल आडिट                                        | 500.00            |
| 8       | जे.ई./ए.ई.एस. बीमारी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम | 10000.00          |
|         | <b>योग</b>                                       | <b>3541217.00</b> |

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 3541217.00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त दर्शित व्यय में रूपया 85475.00 तथा रूपया 349226.00 क्रमशः चेक सं० 058119 एवं 058118 द्वारा दिनांक 24-11-2017 को खण्ड विकास अधिकारी के खाते में भुगतानित है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 3541217.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिराम पाण्डेय, श्री वीरपाल, श्री सर्वेश कुमार, श्री अशोक कुमार, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 15)

#### **प्रस्तर-7**

आलोच्य वर्ष 2017-18 में विभिन्ना मदों में व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | मदों में व्यय              | धनराशि             |
|---------|----------------------------|--------------------|
| 1       | राज्य वित्त आयोग की धनराशि | 11818089.00        |
| 2       | 13वें वित्त आयोग की धनराशि | 2776850.00         |
| 3       | सरस हाट विपणन केन्द्र      | 512228.00          |
| 4       | ब्याज मद                   | 424187.00          |
| 5       | बी.एफ.जी.आर.               | 1074621.00         |
| 6       | पी.वाई.ए.जी.एम.            | 147504.00          |
|         | <b>योग</b>                 | <b>16753479.00</b> |

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 16753479.00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)- 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 16753479.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार,श्री संतोष नारायण गुप्ता,श्री दिनकर विद्यार्थी,डॉ आर पी यादव,श्री शिवकुमार त्रिपाठी, लेखाकार श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 18)

#### **प्रस्तर-8**

आलोच्य वर्ष 2018-19 मेराज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान में से रु० 5348316.00 का उपभोग विविध कार्यों में किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 5348316.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवकुमार त्रिपाठी,श्री पन्नालाल, श्री एच सी राम प्रजापति, श्री योगेशप्रताप सिंह,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है। उक्त व्यय धनराशि में अनुदान पंजी-2 के अनुसार आपत्तियां निम्नवत हैं-

1. बी.डी.सी. बैठक/मानदेय रु०96500.00 का भुगतान श्री इरशाद अहमद, कनिष्ठ सहायक द्वारा लिया गया है। यह बी.डी.सी. सदस्यों के खाते में होना चाहिए।
2. समस्त निर्माण कार्यों में श्रमांश कार्य-प्रभारियों द्वारा लिया गया है। इसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
3. कम्प्यूटर कार्टेज व मरम्मत के लिए व्यय रु० 69507.00 का भुगतान हुआ है। यह बहुत अधिक है। इसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 19)

#### **प्रस्तर-9**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान में से रु० 7532.00 का उपभोग विविध कार्यों में किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रूपया 7532.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार त्रिपाठी,श्री पन्नालाल,श्री एच सी राम प्रजापति, श्री योगेशप्रताप सिंह,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 20)

#### **प्रस्तर-10**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में सरस हाट/विपणन केन्द्र हेतु प्रदत्त अनुदान में से ₹ 1303.00 का उपभोग विविध कार्यों में किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 1303.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार त्रिपाठी,श्री पन्नालाल,श्री एच सी राम प्रजापति, श्री योगेशप्रताप सिंह,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 21)

#### **प्रस्तर-11**

आलोच्य वर्ष 2018-19 मेंराष्ट्रीयबायो गैस हेतु प्रदत्त अनुदान में से ₹ 12460.25 का उपभोग विविध कार्यों में किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 12460.25 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार त्रिपाठी,श्री पन्नालाल,श्री एच सी राम प्रजापति, श्री योगेशप्रताप सिंह,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 22)

#### **प्रस्तर-12**

आलोच्य वर्ष 2018-19 मेंबी.आर.जी.एफ. हेतु प्रदत्त अनुदान में से ₹ 1037868.00 का उपभोग विविध कार्यों में किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 1037868.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार त्रिपाठी,श्री पन्नालाल,श्री एच सी राम प्रजापति, श्री योगेशप्रताप सिंह,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 23)

#### **प्रस्तर-13**

आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न कार्य कराये जाने की जानकारी हुई:-

| क्र०सं० | दिनांक     | कार्य का नाम                                                                           | धनराशि            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 21-03-2020 | विकास खण्ड परिसर के कम्प्यूटर कक्ष की आक्सीडाइजिंग।                                    | 140448.00         |
| 2       | 23-03-2020 | ग्राम पंचायत तेंदुआ मोहना में भदवाकंसदा मार्ग पर पुलिया निर्माण।                       | 326032.00         |
| 3       | 23-03-2020 | पुरे सिधारी में पुरे टिकुइया में राजेन्द्र के घर के पास पुलिया निर्माण।                | 975853.00         |
| 4       | 24-03-2020 | ग्राम पंचायत दुल्लापुर बनकट में औदान सिंह पुरवा में गामा के खेत के पास पुलिया निर्माण। | 976106.00         |
| 5       | 24-03-2020 | ग्राम पंचायत जैतापुर में राम बच्चन के खेत के पास पुलिया निर्माण।                       | 975853.00         |
|         |            | <b>योग</b>                                                                             | <b>3394292.00</b> |

उपर्युक्त दर्शित व्यय रूपया 3394292.00के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 3394292.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार त्रिपाठी, श्री एच सी राम प्रजापति,श्रीमती मृदुला, लेखाकार श्री नन्दश्याम, तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी और सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 29)

#### **प्रस्तर-14**

आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, धानेपुर विकास खण्ड मुजेहना में टी.डी.एस.जमा इस प्रकार दर्शित है:-

| दिनांक     | चेक संख्या | धनराशि           | शाखा                   |
|------------|------------|------------------|------------------------|
| 02-05-2019 | 009259     | 206633.00        | इलाहाबाद बैंक, धानेपुर |
| 02-05-2019 | 009261     | 84938.00         | इलाहाबाद बैंक, धानेपुर |
| 20-08-2019 | 009262     | 68718.00         | इलाहाबाद बैंक, धानेपुर |
|            | <b>योग</b> | <b>360289.00</b> |                        |

उक्त टी.डी.एस.जमा सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतएव आगामी लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दुओं के सन्दर्भ में जांच की जानी अपेक्षित है:-

1. इलाहाबाद बैंक के राजकोष में उक्त रूपया 360289.00 जमा है।
2. चेक सं० 009259 एवं 009261 द्वारा क्रमशः दर्शित जमा रूपया 206633.00 एवं 84938.00 किस वर्ष का है तथा सामग्री मद का 2.24 प्रतिशत है या नहीं है।
3. चेक सं० 009262द्वारा रूपया 68718.00 टी.डी.एस. के रूप में वर्ष 2019-20 में जमा दर्शित है जबकि यह वित्तीय वर्ष 2017-18 की कटौती की धनराशि है। यह वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए लेखाकार श्री नन्दश्याम व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 30)

#### **प्रस्तर-15**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में चेक सं० 009263 द्वारा रू० 121118.00 वैट के रूप में जमा इलाहाबाद बैंक में दर्शित है। यह वैट कटौती 2017-18 की है। इसे इतने दिन तक रोक कर रखना 2019-20 में जमा करना वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए लेखाकार श्री नन्दश्याम व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 31)

### **क्षेत्र पंचायत-झंझरी**

#### **प्रस्तर-16**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय रूपया 263777.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 263777.00अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख, लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 03)

#### **प्रस्तर-17**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में विधायक निधि से व्यय रूपया 81650.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 81650.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख, लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 05)

#### **प्रस्तर-18**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपया 15000.00 दिनांक 31-03-2020 तक अनुपयोगित रहा। धनराशि को अनावश्यक रूप से खाते में रोक कर व्याज

कमाया जाता रहा। दूसरी ओर धनराशि वापस न करके वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार अभियन्ता उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 06)

#### **प्रस्तर-19**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपया 70040.00 दिनांक 31-03-2020 तक अनुपयोगित रहा। धनराशि को अनावश्यक रूप से खाते में रोक कर व्याज कमाया जाता रहा। दूसरी ओर धनराशि वापस न करके वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार अभियन्ता उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 07)

#### **प्रस्तर-20**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत छावनी सरकार (तोपखाना) में अब्दुल सत्तार के घर से ग्राम पंचायत परेड सरकार बार्डर तक नाली निर्माण (ह्यूम पाइप) पर व्यय रूपया 249841.00 कीसामग्री खरीदी गयी। परन्तु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 249841.00 दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 08)

### **क्षेत्र पंचायत- इटियाथोक**

#### **प्रस्तर-21**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में इटियाथोक से खरगपुर मार्ग तक आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर चेक सं०- 036872 एवं 036875 से क्रमशः रूपया 532945.00 एवं रूपया 267244.00 का भुगतान मेसर्स खान टेडर्स धानेपुर को भुगतानित है। उक्त कार्य पर चेक सं०-036873 एवं 036874 से क्रमशः रूपया 49560.00 एवं रूपया 54292.00 का मजदूरी भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 904041.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री सन्तोष, कार्यप्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 08)

#### **प्रस्तर-22**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में इटियाथोक ब्लाक परिसर/कार्यालय सौन्दरीकरण कार्य पर चेक सं०-036877से रूपया 223532.00 का भुगतान मेसर्स किसान कन्ट्रक्शन को भुगतानित है। उक्त कार्य पर चेक सं०-036878 एवं चेक सं०- 036874 से क्रमशः रूपया 27720.00 एवं रूपया 26320.00 का मजदूरी भुगतान किया गया है। किन्तु इस मजदूरी का भुगतान श्री राजीव यादव कार्यप्रभारी को किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 277572.00 अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचन्द प्रजापति, लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री सन्तोष, कार्यप्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 09)

### **क्षेत्र पंचायत- तरबगंज**

#### **प्रस्तर-23**

आलोच्य वर्ष 2011-12 मेंग्रान्ट रजिस्टर भाग तीन के अनुसार क्रमांक 15 पर अंकित नरेगा क्षेत्र पंचायत अंश में माह जुलाई 2011 में निम्न विवरण के अनुसार अन्तिम शेष 4041637.00 से कम दिखाया गया है। जो

वर्षान्त तक चला आ रहा है। माह जुलाई 2011 के अनुदान रजिस्टर भाग तीन के नरेगा क्षेत्र पंचायत अंश का विवरण निम्नलिखित है:-

| प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में व्यय | ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार अवशेष | लेखा परीक्षा के अनुसार | अन्तर      |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| 14806287.00      | -                | 6770065.00    | 3994585.00                      | 8036222.00             | 4041637.00 |

4. इस प्रकार दिनांक 31.07.2011 को अवशेष 8036222.00 के स्थान पर रु० 3994585.00 दर्शाकर रु० 4041637.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 4041637.00 वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द पाण्डेय एवं प्रमुख श्रीमती विमला पाण्डेय एवं सहायक लेखाधिकारी श्री रामदीन उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 14)

#### **प्रस्तर-24**

5. विकासखण्ड तरबगंज की मनरेगा निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम सभा में एक घर से दूसरे घर तक निर्माण कार्य कराया गया है। जबकि शासनादेश सं० 8307/33-02-2004 93जी०/2004 दिनांक 12-01-2005 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकारी माना गया है। इस प्रकार उक्त शासनादेश का उल्लंघन करके क्षेत्र पंचायत तरबगंज द्वारा गिरधरपुर देवता प्रसाद के घर से राम करन यादव के घर तक मिटटी/खडन्जा कार्य माप 110 मी० वर्ष 2012-13 व्यय 71358.00 व्यय करके गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी द्वारा करायी जानी चाहिए जो नहीं कराई गई है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 71358.00 वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए श्री आर०एन०पाण्डेय एवं श्री विवेक त्रिपाठी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 15)

#### **प्रस्तर-25**

आलोच्य वर्ष 2012-13 वी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

6. श्री निशिकान्त रावत क्षेत्रीय युवक कल्याण अधिकारी कार्य प्रभारी, तरबगंज गोण्डा द्वारा दिनांक 23-01-2013 को खण्ड विकास अधिकारी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र में उक्त कार्य समाप्ति पर है। 110000.00 अग्रिम की मांग किया गया है। समायोजन बाउचर भुगतान पश्चात प्रस्तुत कर दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चेक सं० 009299 दिनांक 06.02.2013 द्वारा 110000.00 की अग्रिम दिये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अद्यावधि समायोजन प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एन०पाण्डेय एवं लेखाकार श्री दिलीप कुमार गुप्ता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 16)

### **क्षेत्र पंचायत- करनैलगंज**

#### **प्रस्तर-26**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 8058814.74 का व्यय प्रमाणक पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट



एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु०8058814.74 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे खंड विकास अधिकारी श्री सेवा राम चौधरी, अवर अभियंता श्री गोपाल जी, लेखाकार श्री हरिराम तिवारी एवं कार्य प्रभारी श्री सेवा राम चौधरी बीडी ओ, सतीश चंद्र तिवारी ए डी ओ पंचायत, संतोष कुमार चौहान ए डी ओ कृषि समान रूप से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 22)

#### **प्रस्तर-27**

7. आलोच्य वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु०191743.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी, जिसको राजकीय कोषागार में जमा करने संबंधित कोई व्यय प्रमाणक पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। राजकीय धन कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु०191743.00 वित्तीय अनियमितरहा। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री सेवा राम चौधरी, लेखाकार श्री हरिराम तिवारी समान रूप उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 23)

### **क्षेत्र पंचायत- पण्डरीकपाल**

#### **प्रस्तर-28**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में विकास खंड कार्यालय में बीआर जी एफ भवन में टाइल्स कार्य पर रु० 91918.00 सामग्री क्रय हेतु किया गया है। जिसमे संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु०91918.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र राम प्रजापति, अवर अभियंता, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्र, कार्य प्रभारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 एवं प्रमुख श्री मुनिजर वर्मा से समान रूप से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 20)

#### **प्रस्तर-29**

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल व्यय रु० 4085732.00 किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपभोग के सापेक्ष रु० 2433535 की पत्रावली अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। शेष रु०1652197.00 से संबंधित पत्रावली अप्रस्तुत रही। पत्रावली के अभाव में लेखा परीक्षा स्तर पर उक्त संबंधित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु०1652197.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र राम प्रजापति, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्र एवं प्रमुख श्री मुनिजर वर्मा से समान रूप से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 21)

#### **प्रस्तर-30**

लेखा परीक्षा में पाया गया की वित्तीय वर्ष 2019-2020 में टी0डी0एस0/बैट/ जी0एस0टी0 की कटौती रु० 52421.00 की गई है। रु० 52421.00 को जमा करने से संबंधित कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

| वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुल कटौतियाँ |                   |              |                |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| क्रम                                    | फर्म का नाम       | टी0डी0एस0    | वैट/जीएसटी आदि |
| 1                                       | विराटकन्स्ट्रक्शन | रु० 38558.00 | रु० 5457       |
| 2                                       | खान ब्रिकफील्ड्स  | रु० 8406.00  |                |

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| योग             | रु० 46964.00 | रु० 5457 |
| कुल कटौतीका योग | रु० 52421.00 |          |

8. स्पष्ट है की रु० 52421.00 की कटौती कर के संबंधित को भुगतान न कर राजकीयधन अवरुद्ध रखी गई है। जिसे समुचित समय पर संबंधित को जमा किया जाना अपेक्षित था। यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु० 52421.00 वित्तीय अनियमित रहा। इसके लिए खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र राम प्रजापति, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्र एवं प्रमुख श्री मुनिजर वर्मा समान रूप उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 22)

### **क्षेत्र पंचायत- परसपुर**

#### **प्रस्तर-31**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के ग्रांट रजिस्टर में कुल व्यय रु० 11140510.00 के सापेक्ष रु० 2333369.00 का विवरण ग्रांट रजिस्टर-III के अनुसार व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी विवरण/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे धनराशि रु० 2333369.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु० 2333369.00 अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में खंड विकास अधिकारी श्री एम०पी० प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 03)

#### **प्रस्तर-32**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर-III के अनुसार कुल व्यय धनराशि रु० 5920320.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण/निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु० 5920320.00 अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में खंड विकास अधिकारी श्री एम०पी० प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 04)

#### **प्रस्तर-33**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर-III के अनुसार कुल व्यय धनराशि रु० 4009649.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण/निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अर्न्तगत धनराशि रु० 4009649.00 अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में खंड विकास अधिकारी श्री एम०पी० प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 05)

#### **प्रस्तर-34**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ब्याज वापसी सम्बन्धी विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिसका विवरण निम्न है:-

| क्र०सं० | योजना                   | 2014-15 में<br>ब्याज वापसी | 2015-16 में<br>ब्याज वापसी | 2016-17 में<br>ब्याज वापसी |
|---------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1       | इन्दिरा आवास योजना      | 6072.00                    | 14454.00                   | -                          |
| 2       | राज्य वित्त/13वां वित्त | 1198439.00                 | 244401.00                  | -                          |

|   |                                 |                   |                  |   |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|
| 3 | डा0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना | -                 | 75701.00         | - |
|   | <b>योग-</b>                     | <b>1204511.00</b> | <b>334556.00</b> | - |

9. उक्त ब्याज के प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित था। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-20120-10(33)/2010 दिनांक 31.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित की जाती है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज रु० 1539067.00 राजकोष में जमा करा देना चाहिए। ब्याज राजकोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह उत्तरदायी है।  
(सा०अ०सं० 06)

#### प्रस्तर-35

परसपुर-बालपुर रोड से जगन्नाथ सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

| बाउ सं0    | दिनांक   | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                      |
|------------|----------|-------------------|--------|---------------------------|
| 38         | 09.06.14 | 005670/11.06.14   | 336061 | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0    |
| 43         | 30.06.14 | 005696/30.07.14   | 73758  | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0    |
| 12         | 10.05.15 | 013164/20.03.15   | 4000   | मे0 विशाल कान्स0          |
| एमआर 45/46 | -        | 005697/30.07.14   | 75212  | श्रीकांत तिवारी (का0प्र0) |

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं:-

1. बाउचर सं0-38/09.06.14 एवं भुगतान तिथि 005670/11.06.14 पर बाउचर तिथि के पूर्व ही रु० 336061 का भुगतान कर दिया गया जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनियमित है।
  2. बाउचर सं0- 12 जिस पर रु० 4000.00 का भुगतान किया गया है। वह फर्म टेण्डर/कोटेशन में नहीं शामिल है और न ही स्वीकृति प्राप्त है, से साइन बोर्ड क्रय कर रु० 4000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।
  3. मस्टररोल सं0- 45/46 पर चेक सं0 005697/30.07.14 द्वारा श्रमिकों का पारिश्रमिक रु० 75212.00 का भुगतान किया गया। श्रमिकों को न करके श्रीकान्त तिवारी (ग्रा0वि0अ0) कार्य प्रभारी को दिया गया जबकि श्रमिकों को उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कार्य प्रभारी को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना अनियमित है।
10. अतः उक्त व्यय धनराशि रु० 415273.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह उत्तरदायी है।  
(सा०अ०सं० 07)

#### प्रस्तर-36

विकासखण्ड परिसर में कार्यालय भवन/आवासीय भवनों पर स्टीट लाइट लगवाई हेतु देव इन्टरप्राइजेज कानपुर देहात को चेक संख्या 005658/30.07.17 को रु० 37393.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं:-

1. टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
2. कोटेशन स्थानीय फर्मों का न देकर दूरस्थ के फर्मों को दिया गया।
3. स्टीट लाइट लगवाई पर श्रमिकों का भुगतान अलग दर्शित नहीं है।

11. अतः उक्त कार्य पर रु० 37393.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं अवर अभियन्ता श्री निर्भय सिंह उत्तरदायी है।  
(सा०अ०सं० 08)

### प्रस्तर-37

विकासखण्ड परिसर में बाउण्डीवाल का निर्माण एवं उच्चीकरण तथा मरम्मत कार्य किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

| बाउ सं० | दिनांक               | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                   |
|---------|----------------------|-------------------|--------|------------------------|
| 15      | 30.02.14             | 009363/20.08.14   | 52937  | मे० जयशक्ति कान्स० कं० |
| 20      | 12.09.14             | 009373/24.09.14   | 17108  | मे० जयशक्ति कान्स० कं० |
| एमआर 22 | 01.09.14 से 15.09.14 | 009374/24.09.14   | 26982  | अनिल सिंह (का०प्र०)    |

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं:-

1. मस्टर रोल सम्बन्धी भुगतान जो कि श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए या उसे कार्य प्रभारी को किया गया जो कि अनियमित है।
2. मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं पाये गये।

12. अतः उक्त कार्य पर रु० 26982.00 का अनियमित भुगतान किया गया। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री एम०पी० प्रबल, लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री अनिल सिंह उत्तरदायी हैं।  
नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 09)

### प्रस्तर-38

खजुरी निधि ग्राम पंचायत में बलभद्र सिंह के दरवाजेपर स्थित पिच रोड से मोनिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| बाउ सं० | दिनांक               | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                                  |
|---------|----------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 40      | 10.06.14             | 005676/19.06.14   | 84812  | मे० जयशक्ति कान्स० कं०                |
| 47      | 26.06.14             | 005681/23.02.14   | 43041  | मे० जयशक्ति कान्स० कं०                |
| 08      | 11.08.14 से          | 009361/20.08.14   | 130373 | मे० जयशक्ति कान्स० कं०                |
| 13      | 10.03.15             | 013166/20.03.15   | 4000   | मे० विशाल कान्स० कं०                  |
| 48      | 01.04.14 से 14.08.14 | 009362/20.08.15   | 38417  | रणबीर सिंह (प्र०स०वि०अ०) कृषि का०प्र० |

1. उक्त व्यय पर बाउचर सं० 13/10.03.15 द्वारा रु० 4000.00 का भुगतान विशाल कान्स० कम्पनी का किया गया जो कि टेण्डर प्रक्रिया में स्वीकृत नहीं है।
2. मस्टर रोल पर किया गया भुगतान कार्यभारी श्री रणबीर सिंह (स०वि०अ० कृषि) को किया गया जबकि श्रमांश की श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाता चाहिए। अतः श्रमांश की धनराशि रु० 38417 का भुगतान कार्य प्रभारी को करके वित्तीय अनियमितता की गई।

अतः उक्त धनराशि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत धनराशि रु० 42417 का भुगतान अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्से में खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी श्री रणबीर सिंह(प्र०स०वि०अ०) कृषि का०प्र० से अपेक्षित है। (सा०अ०सं० 10)

### प्रस्तर-39

सिंगरिया ग्राम पंचायत में कृष्ण कुमार तिवारी के घर से लालापुरवा तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| बाउ सं० | दिनांक   | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                   |
|---------|----------|-------------------|--------|------------------------|
| 38      | 09.06.14 | 005666/11.06.14   | 176717 | मे० जयशक्ति कान्स० कं० |
| 43      | 30.06.14 | 005694/30.07.14   | 2562   | मे० जयशक्ति कान्स० कं० |

|      |          |                 |       |                                        |
|------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------|
| 43   | 30.06.14 | 013162/20.03.15 | 4000  | मे0 विशाल कान्स0 कं0                   |
| एमआर | -        | 005695/30.07.14 | 31320 | श्री अरविन्द कुमार चौधारी (ग्रा०वि०अ०) |

1. उक्त व्यय पर बाउचर सं० 49/10.03.15 द्वारा रू० 4000.00 का भुगतान किया गया। सम्बन्धित फर्म को साइन बोर्ड भुगतान किया गया जिसे टेण्डर प्रक्रिया में स्वीकृति नहीं प्राप्त है। अतः उक्त फर्म को रू० 4000 का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गई।
2. मस्टर रोल पर किया गया भुगतान कार्यभारी श्री अरविन्द कुमार चौधारी (ग्रा०वि०अ०) को किया गया जबकि श्रमांश की श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाता चाहिए। अतः श्रमांश की धनराशि रू० 35320 को श्रमिकों के बैंक खातों में न कर कार्यप्रभारी को करके वित्तीय अनियमितता की गई।

अतः उक्त धनराशि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत धनराशि रू० 31320 का भुगतान अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी श्री अरविन्द कुमार चौधारी (ग्रा०वि०अ०) से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 11)

#### प्रस्तर-40

बहुवन कन्नीपुरवा में हनोमान बडई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| बाउ सं०    | दिनांक   | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                           |
|------------|----------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 37         | 09.06.14 | 005665/11.06.14   | 180742 | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0         |
| 04         | 30.06.14 | 005690/30.07.14   | 42195  | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0         |
| 42(मि०दु०) | 30.06.14 | 005689/30.07.14   | 10400  | बसंत बहादुर सिंह कार्य प्रभारी |
| 05         | 10.03.15 | 013163/20.03.15   | 4000   | मे0 विशाल कान्स0 कं0           |
| एमआर       | -        | 005691/30.07.14   | 32100  | बसंत बहादुर सिंह कार्य प्रभारी |

1. उक्त व्यय पर बाउचर सं० 42/10.03.15 मिटटी दुलाई हेतु नियुक्त श्रमिक/ट्रैक्टर चालक को रू० 10400.00 का भुगतान न करके कार्य प्रभारी को की गई। 05/10.03.15 की रू० 4000.00 विशाल कान्स० कम्पनी का किया गई जिस फर्म को टेण्डर प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत प्राप्त नहीं है। एवं मस्टर रोल पर किया गया भुगताननित धनराशि रू० 38417 श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान न कर कार्य प्रभारी को करके वित्तीय अनियमितता की गई।

अतः उक्त धनराशि रू० (10400+4000+32100) अर्थात रू० 46500.00 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत धनराशि रू० 38417 का भुगतान अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी श्री बसंत बहादुर सिंह कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 12)

#### प्रस्तर-41

ग्रामपं० खरखूपुर में शुभूपुरवा गांव में खडन्जा कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| बाउ सं०    | दिनांक   | चेक संख्या/दिनांक | धनराशि | फर्म                   |
|------------|----------|-------------------|--------|------------------------|
| 41         | 16.06.14 | 005674/19.06.14   | 490560 | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0 |
| 44         | 05.07.14 | 009366/30.08.14   | 12754  | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0 |
| 10         | 10.03.14 | 009436/20.03.14   | 4000   | मे0 विशाल कान्स0 कं0   |
| एमआर 46-47 | -        | 009367/30.08.14   | 76440  | राजेश कुमार (का०प्र०)  |
| एमआर 48-49 | -        | 009367/30.08.14   | 75348  | राजेश कुमार (का०प्र०)  |
| एमआर 50-51 | -        | 009367/30.08.14   | 77844  | राजेश कुमार (का०प्र०)  |

उक्त व्यय पर बाउचर सं० 10/10.03.15 पर साइन बोर्ड क्रय हेतु रु० 4000.00 का भुगतान किया गया जो विशाल कान्स० कम्पनी को किया गया जिस फर्म को टेण्डर प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत प्राप्त नहीं है। एवं मस्टर रोल सं० 46-47, 48-49, एवं 50-51 द्वारा श्रमांश रु० 2296332 का भुगतान श्रमिकों के खाते में न करकार्य प्रभारी को करके वित्तीय अनियमितता की गई।

अतः उक्त धनराशि रु० 229632.00 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत धनराशि रु० 229632.00 का भुगतान अपहरित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो में खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 13)

#### प्रस्तर-42

ग्रामपं० पुरेलाली में परसपुर-पसका मार्ग से मलखन पाण्डेय के घर तक खडन्जा कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र० सं० | चेक संख्या | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता          |
|----------|------------|----------|--------|----------------|------------------------------|
| 1        | 019989     | 30.04.14 | 192392 | ईट क्रय        | मे० जयशक्ति कान्स० कं०       |
| 2        | 019990     | 09.06.14 | 101530 | मजदूरी         | राजेन्द्र कुमार (ग्रा०वि०अ०) |
| 3        | -          | -        | 4408   | टी०डी०एस०      | -                            |
| योग:-    |            |          | 298330 |                |                              |

(सा०अ०सं० 14 a)

खैरा में पी०डी० बन्धा से वृन्दावन गांव तक खडन्जा कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र० सं० | चेक संख्या | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता         |
|----------|------------|----------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1        | 005661     | 09.06.14 | 490560 | खडन्जा ईट      | मे० जयशक्ति कान्स० कं०      |
| 2        | 009434     | 10.03.15 | 4000   | साइन बोर्ड     | मे० विशाल कान्स० कं०        |
| 3        | 009365     | 05.07.14 | 167544 | मजदूरी         | राजेन्द्र कुमार(ग्रा०वि०अ०) |
| 4        | -          | -        | 11240  | टी०डी०एस०      | -                           |
| योग:-    |            |          | 673344 |                |                             |

(सा०अ०सं० 14 b)

बलमत्थर में सी०बी०एन० मार्ग से सडकियनपुरवा अमरेश सिंह के घर तक इण्डरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र० सं० | चेक सं० | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता         |
|----------|---------|----------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1        | 005687  | 30.06.14 | 13556  | सामग्री        | मे० जयशक्ति कान्स० कं०      |
| 2        | 005662  | 09.06.14 | 121007 | सामग्री        | मे० जयशक्ति कान्स० कं०      |
| 3        | 005686  | 30.06.14 | 6800   | मिटटी ढुलाई    | रूपनारायन भरती (ग्रा०वि०अ०) |
| 4        | 009439  | 10.03.15 | 4000   | साइन बोर्ड     | मे० विशाल कान्स० कं०        |
| 5        | 005688  | 30.06.14 | 21556  | मजदूरी         | रूपनारायन भरती (ग्रा०वि०अ०) |
| 6        | -       | -        | 3491   | टी०डी०एस०      | -                           |
| योग:-    |         |          | 188410 |                |                             |

(सा०अ०सं० 14 c)

करनपुर में डेहरास-कटहाघाट मार्ग से गुड्डू सिंह के घर तक इण्डरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र० सं० | चेक सं० | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता    |
|----------|---------|----------|--------|----------------|------------------------|
| 1        | 009371  | 08.09.14 | 145264 | सामग्री        | मे० जयशक्ति कान्स० कं० |

|       |        |          |        |            |                          |
|-------|--------|----------|--------|------------|--------------------------|
| 2     | 005664 | 09.06.14 | 255316 | सामग्री    | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0   |
| 3     | 009376 | 10.10.14 | 119281 | सामग्री    | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0   |
| 4     | 013161 | 10.03.15 | 4000   | साइन बोर्ड | मे0 विशाल कान्स0 कं0     |
| 5     | 009372 | 07.10.14 | 65730  | मजदूरी     | राकेश गुप्ता(ग्रा0वि0अ0) |
| 6     | 009372 | 26.11.14 | 21212  | मजदूरी     | राकेश गुप्ता(ग्रा0वि0अ0) |
| 7     | -      | -        | 11911  | टी0डी0एस0  | -                        |
| योग:- |        |          | 622714 |            |                          |

(सा०अ०सं० 14 d)

ग्राम पं0 कडरू में बरइनपुरवा गांव तक खडन्जा कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र0 सं0 | चेक सं0 | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता          |
|----------|---------|----------|--------|----------------|------------------------------|
| 1        | 005692  | 30.06.14 | 40837  | खडन्जा ईंट     | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0       |
| 2        | 005667  | 09.06.14 | 175018 | खडन्जा ईंट     | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0       |
| 3        | 009435  | 10.03.15 | 4000   | साइन बोर्ड     | मे0 विशाल कान्स0 कं0         |
| 4        | 005693  | 30.06.14 | 69010  | मजदूरी         | राजेन्द्र कुमार (ग्रा0वि0अ0) |
| 5        | -       | -        | 4946   | टी0डी0एस0      | -                            |
| योग:-    |         |          | 293811 |                |                              |

(सा०अ०सं० 14 e)

ग्राम पं0 त्योरासी में रमईपुरवा में तालुकदार सिंह के घर आज्ञा प्रसाद सिंह के घर तक इण्डरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र0 सं0 | चेक सं0 | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता          |
|----------|---------|----------|--------|----------------|------------------------------|
| 1        | 005672  | 16.06.14 | 158318 | सामग्री क्रय   | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0       |
| 2        | 005680  | 26.06.14 | 132122 | सामग्री क्रय   | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0       |
| 3        | 005699  | 11.08.14 | 500523 | सामग्री क्रय   | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0       |
| 4        | 009438  | 10.03.15 | 4000   | साइन बोर्ड     | मे0 विशाल कान्स0 कं0         |
| 5        | 005700  | 05.07.14 | 124043 | मजदूरी         | रूपनारायन भारती (ग्रा0वि0अ0) |
| 6        | -       | -        | 18701  | टी0डी0एस0      | -                            |
| योग:-    |         |          | 940707 |                |                              |

महायोग- (a+b+c+d+e+f) = 3017316.00

उक्त कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं:-

1. उक्त कार्यों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/निर्माण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
2. उक्त कार्यों पर मस्टर रोल पर भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है जबकि श्रमांश श्रमिकों के सम्बन्धित बैंक खातों में किया जाना था।

अस्तु उक्त कार्यों पर कुल भुगतान रु० 2962629 की प्रष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल/निरीक्षण पत्रावली/निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रहा, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 14 f)

#### प्रस्तर-43

ग्राम पं0 दुल्लापुर तरहर में गडरियानपुरवा में इण्डरलाकिंग कार्य पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

| क्र0 सं0 | चेक सं0 | दिनांक   | धनराशि | सामग्री/मजदूरी | भुगतान प्राप्तकर्ता    |
|----------|---------|----------|--------|----------------|------------------------|
| 1        | 005675  | 16.06.14 | 131870 | सामग्री क्रय   | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0 |

|              |        |          |               |              |                          |
|--------------|--------|----------|---------------|--------------|--------------------------|
| 2            | 005682 | 26.06.14 | 64839         | सामग्री क्रय | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0   |
| 3            | 009369 | 12.07.14 | 188090        | सामग्री क्रय | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0   |
| 4            | 009379 | 10.10.14 | 78027         | सामग्री क्रय | मे0 जयशक्ति कान्स0 कं0   |
| 5            | 009368 | 12.09.14 | 10400         | सामग्री क्रय | रणबीर सिंह (प्र0स0वि0अ0) |
| 6            | 009370 | 12.09.14 | 54857         | मजदूरी       | रणबीर सिंह (प्र0स0वि0अ0) |
| 7            | 008380 | 10.03.15 | 11807         | मजदूरी       | रणबीर सिंह (प्र0स0वि0अ0) |
| 8            | 009378 | 10.10.14 | 5200          | मिटटी ढुलाई  | रणबीर सिंह (प्र0स0वि0अ0) |
| 9            | 013165 | 10.03.15 | 4000          | साइन बोर्ड   | मे0 विशाल कान्स0 कं0     |
| 10           | -      | -        | 10606         | टी0डी0एस0    | -                        |
| <b>योग:-</b> |        |          | <b>559696</b> |              |                          |

उक्त कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

1. उक्त कार्यों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/निर्माण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
2. उक्त कार्यों पर मस्टर रोल पर भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है जबकि श्रमांश श्रमिकों के सम्बन्धित बैंक खातों में किया जाना था।

अस्तु उक्त कार्यों पर कुल भुगतान रु० 559696 की प्रष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल/निरीक्षण पत्रावली/निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रहा, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 15)

### क्षेत्र पंचायत- छपिया

#### प्रस्तर-44

आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 1598125.00 की मजदूरी भुगतान श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारी श्री जगदीश नारायण मिश्रा एव दिवाकर पाठक को करके धन का अपहरण कर लिया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रूपया 1598125.00 का अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खण्ड विकास अधिकारी श्री दर्याधन एवं श्री वीरपाल अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री श्रीराम एवं कार्यप्रभारी श्री जगदीश नारायण मिश्रा एव दिवाकर पाठक से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 03)

#### प्रस्तर-45

आलोच्य वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की लेखा परीक्षा में पत्रावली न प्रस्तुत कर क्रमशः रु० 1598125.00, रु० 14143017.00 एवं रु० 3555778.00 कुल धनराशि रु० 28224087.00 का अपहरण कर लिया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत कुल धनराशि रु० 28224087.00 का अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं प्रमुख समान रूप से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 04,05,06)

#### प्रस्तर-46

आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रमशः रु० 363771.00 एवं रु० 54847.00 कुल धनराशि रु० 418618.00 पर 4% की दर से व्याज कर (बैट) नियमानुसार न काट कर राजस्व की हानि कर वित्तीय अनियमितता की गयी। 9(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत कुल धनराशि रु० 418618.00 वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार से अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 07)



#### प्रस्तर-47

आलोच्य वर्ष 2014-15से 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर 2.26% की कटौती की गयी। लेकिन टी0डी0एस0 कटौती क्रमशः रु० 178447.00 एवं रु० 31705.00 कुल धनराशि रु० 210152.00 राजकीय कोषागार में धन हस्तान्तरित किये जाने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट रहा कि सम्बन्धित राजकीय धन अनियमित रूप से रोक रखा गया। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा)-1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत कुल धनराशि रु० 210152.00 वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार समान रूप उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०अ०सं० 08)

### प्रारूप-3

#### वार्षिक प्रतिवेदन (क्षेत्र पंचायत), वर्ष 2019-20

#### क्षेत्र पंचायत – जमुनहां

#### जनपद – श्रावस्ती

#### प्रस्तर – 1

अन्य (मिश्रित) मद की धनराशि रु० 10000.00 का भुगतान द्वारा चेक संख्या-009312 दिनांक 05.09.2016 को कैशियर श्री रविदुल राम नगराज के पक्ष में निगित किया गया है। भुगतान का उद्देश्य मस्तिष्क ज्वर के प्रचार-प्रसार हेतु दर्शाया गया है, परन्तु व्यय के समर्थन में कोई भी आदेश एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध पाये गये, अतः धनराशि के सम्यक उपभोग की स्थिति 'अपुष्ट' रही है। अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत उक्त व्यय आधारहीन की दशा में रु० 10000.00 का अपहरण किया जाना लेखा परीक्षा के अनुसार रहा है। अतः प्रकरण अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है विभागीय सख्त कार्यवाही एवं वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित लिया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ० सं०-11)

#### प्रस्तर – 2

निम्न प्रकार भुगतान इं० आ० प्रशा० मद से आलोच्य वर्ष 2016-17 में किये गये हैं, भुगतान उद्देश्य इंदिरा आवास लाभार्थियों के आवासों की फोटोग्राफी रही है। इस सम्बन्ध में जांच में पाया गया कि फोटोग्राफर्स को चेक का भुगतान न करके, सीधे ग्रा०पं०/वि०अधिकारियों को किये गये हैं जो कि अनियमित रहा है तथा पुष्टिपरक नहीं है। विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | चेक संख्या | तिथि       | धनराशि   | अन्य विवरण                             |
|---------|------------|------------|----------|----------------------------------------|
| 1.      | 009062     | 29.09.2016 | 5850.00  | श्री सुरेन्द्र प्रताप वर्मा ग्रा०पं०अ० |
| 2.      | 009063     | 29.09.2016 | 6730.00  | श्री राम चन्दर सिंह ग्रा०वि०अ०         |
| 3.      | 009064     | 29.09.2016 | 7140.00  | श्री संजय श्रीवास्तव ग्रा०वि०अ०        |
| 4.      | 009065     | 29.09.2016 | 14340.00 | गिरवर प्रसाद वर्मा ग्रा०वि०अ०          |
| 5.      | 009066     | 29.09.2016 | 6870.00  | जितेन्द्र लाल श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ०    |
| 6.      | 009067     | 29.09.2016 | 12090.00 | विनोद कुमार मौर्य ग्रा०वि०अ०           |
| 7.      | 009068     | 29.09.2016 | 6780.00  | नरेशचन्द्र श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ०       |
| 8.      | 009069     | 29.09.2016 | 10800.00 | नन्द किशोर श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ०       |
| 9.      | 009070     | 29.09.2016 | 9450.00  | अनिल कुमार त्रिपाठी ग्रा०वि०अ०         |
| योग     |            |            | 80050.00 |                                        |

अतः रु० 80050.00 का अनियमित व अपुष्ट भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-12)

#### प्रस्तर -3

दिनांक 27.04.2017 को चेक संख्या-009868 से ब्याज शीर्ष की धनराशि रु० 288809.00 बैंक शाखा इलाहाबाद बैंक मल्लीपुर से आहरण कराकर डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में आहरित दर्शाया गया है। धनराशि किसके पक्ष तथा किसे प्राप्त करायी गयी का कोई ब्यौरा लेखा परीक्षा में लेखाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत धनराशि रु० 288809.00 को अधिभार मानते

हुए,अपहरण की श्रेणी में दर्शाया जाता है।उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री एजाज अहमद खॉ एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार गुप्ता से धनराशिरू० 288809.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०-09)

#### प्रस्तर – 4

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ख०वि०अ० के पत्रांक 976/दि० 13.10.2017 द्वारा इस शीर्ष में शेष धनराशि रू० 95849.00 का भुगतान स०वि०अ० (पं०) के पक्ष में किया जाना दर्शाया गया है। भुगतान अन्तरण के पश्चात् खाता शेष 'शून्य' हो गया। इस सम्बन्ध में यह कि धनराशि को किस खाते में जमा कराया गया अथवा निजी हित में स०वि०अ० (पं०) द्वारा उपभोग में लाया गया, किसी प्रकार कोई विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा है। अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गतरू० 95849.00 अधिभार के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में दर्शाया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद खॉ एवं तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी(पं०) तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार गुप्ता इस हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। धनराशि रू० 95849.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित कराया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-07)

#### प्रस्तर – 5

आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण मद से भुगतान की गई धनराशि जो ठेकेदारों/फर्मों को की गयी है, पर राजकीय राजस्व, लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार राजकीय राजस्व की प्रत्यक्ष रूप से क्षति करके आर्थिक अपराध के अन्तर्गत राजस्व का अपहरण किया गया है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत प्रकरण अधिभार योग्य है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट है। अतः राजस्व के क्षति के प्रति उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री अशोक दूबे, श्री राजकुमार, श्री एजाज अहमद खॉअवर अभियंता (आर०ई०डी०) श्री हरिमोहन सिंह एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार गुप्ता से नियत राजकीय मद में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार रहा है:-

| क्रमांक | चेक संख्या | तिथि       | धनराशि     | अन्य विवरण                 |
|---------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1.      | 004376     | 12.04.2016 | 341308.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| 2.      | 004377     | 12.04.2016 | 324214.00  | मे० बवंडली सिंह            |
| 3.      | 004378     | 24.04.2016 | 254462.00  | मे० त्रिदेव कांस्ट्रक्शन   |
| 4.      | 004382     | 21.06.2016 | 461821.00  | मे० बवंडली सिंह            |
| 5.      | 004384     | 21.06.2016 | 313952.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| 6.      | 004388     | 05.07.2016 | 157270.00  | मे० त्रिदेव कांस्ट्रक्शन   |
| 7.      | 004389     | 05.07.2016 | 238365.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| 8.      | 004393     | 07.09.2016 | 58939.00   | मे० अंकित ट्रेडर्स         |
| 9.      | 004394     | 07.09.2016 | 112193.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| 10.     | 009855     | 25.11.2016 | 62556.00   | मे० त्रिदेव कांस्ट्रक्शन   |
| 11.     | 009856     | 25.11.2016 | 95377.00   | मे० त्रिदेव कांस्ट्रक्शन   |
| 12.     | 009862     | 20.05.2017 | 239195.00  | मे० त्रिदेव कांस्ट्रक्शन   |
| 13.     | 009866     | 10.04.2017 | 160401.00  | मे० बवंडली सिंह ठेकेदार    |
| 14.     | 009867     | 25.04.2017 | 131390.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| 15.     | 009895     | 27.05.2017 | 159954.00  | मे० अम्बिका प्रसाद ठेकेदार |
| योग     |            |            | 3111397.00 |                            |

अतः कुल धनराशि रू० 3111397.00 पर देय लेबर सेस दर 1 प्रतिशत से रू० 31114.00 अधिभार अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है। धनराशि की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-21)

#### प्रस्तर – 6

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य पर रू० 1606079.00 का व्यय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015 पंचायती राज अनुभाग-3 के बिन्दु 2.5 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित कराने के लिए कार्य कराये जायेंगे। इस प्रकार अधिनियम, नियम एवं शासनादेशों का उल्लंघन गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके

लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र पाठक एवं श्री नरेन्द्र देव द्विवेदी अवर अभियन्ता श्री हरिमोहन सिंह एवं राजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, ऐसे ही लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-22)

| क्र०सं० | कार्य का नाम                                                                 | वर्ष    | व्यय धनराशि |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.      | मनवरिया भोजा में रसीद के हाता से पुत्तन के खेत तक खड्जा निर्माण              | 2017-18 | 299142.00   |
| 2.      | छोटी बघनी में प्राथमिक विद्यालय से लाडली प्रसाद के घर तक खड्जा निर्माण कार्य | 2017-18 | 349758.00   |
| 3.      | रानी पुर में प्रेम सिंह के घर से नन्हकऊ के बाग तक खड्जा व पुलिया निर्माण     | 2017-18 | 309538.00   |
| 4.      | मोगला गांव में पंचम के खेत से रवि सिंह के खेत का खड्जा कार्य                 | 2017-18 | 362517.00   |
| 5.      | मलंग गांव में मंगरे के घर से सरजू के हाता तक खड्जा निर्माण                   | 2017-18 | 285124.00   |
| योग     |                                                                              |         | 1606079.00  |

## क्षेत्र पंचायत – गिलौला

## जनपद – श्रावस्ती

### प्रस्तर – 7

क्षेत्र पंचायत-गिलौला वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कटहा में में चैन सिंहपुरवा बार्डर पर ककरहा तालाब से मोहम्मद रजा के घर तक इण्टर लॉकिंग का कार्य कराया जाना दर्शित है, जिसमें कार्य के प्राक्कलन में दी गई माप एवं दर का मिलान संलग्न जे.ई. बिल फॉर्म में दर्शित कार्य की माप एवं दर से किया गया। जिसमें निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया-

| क्र० सं० | कार्य का विवरण                             | प्राक्कलन में दर्शित |      |          | जे०ई०बिल फॉर्म में दर्शित |      |          | अधिक दर्शित |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|------|----------|---------------------------|------|----------|-------------|
| 1        | अर्थ इवेकुएशन                              | 6.9 घनमी०            | 109  | 752.10   | 12.24                     | 109  | 1334.16  | 582.06      |
| 2        | फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क                    | 7.95 घनमी०           | 5520 | 43884.00 | 12.24                     | 5520 | 67564.80 | 23680.80    |
| 3        | 12एम.एम.प्लास्टर, 1.4 सीमेण्ट, कोरस सैंण्ड | 34.5 वर्गमी०         | 155  | 5347.50  | 61.18                     | 155  | 9482.90  | 4135.40     |
| योग      |                                            |                      |      |          |                           |      |          | 28398.26    |

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य प्राक्कलन में दर्शित एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक कार्य की मात्रा दर्शाकर माप-पुस्तिका/जे.ई. बिल फार्म के अनुसार अधिक भुगतान रु० 28398.26 कर दिया गया है। भले ही भुगतान स्वीकृत कुल धनराशि के अन्तर्गत किया गया है।

“उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत नक्शों या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह प्राधिकारी, जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया गया है या उसकी स्वीकृति दे दें।”

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर स्टीमेट में स्वीकृत कार्य की मात्रा से अधिक कार्य दर्शाकर रु० 28398.26 धन का दुरुपयोग/गबन किया गया है, जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा 179(2)क से ड के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आर.पी.शर्मा, अवर अभियन्ता श्री नौमीलाल तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ० सं० – 12)

### प्रस्तर – 8

क्षेत्र पंचायत-गिलौला में वर्ष 2019-20 में ग्राम-डिकरा राजा राम के घर के पास सम्पर्क मार्ग से साधू के घर के पास सम्पर्क मार्ग तक इण्टर लॉकिंग का कार्य कराया गया, जिसमें कार्य के प्राक्कलन में दी गई कार्य की मात्रा एक दर का मिलान संलग्न जे.ई. बिल फॉर्म में दर्शित कार्य की मात्रा एवं दर से किया गया। जिसमें निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया:-

| क्र० सं० | कार्य का विवरण | प्राक्कलन में दर्शित | जे०ई०बिल फॉर्म में दर्शित | अधिक दर्शित |
|----------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------|
|----------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------|

|     |                                       | मात्रा       | दर   | कुल मूल्य | मात्रा | दर   | कुल मूल्य |          |
|-----|---------------------------------------|--------------|------|-----------|--------|------|-----------|----------|
| 1   | अर्थ इवेकुएशन                         | 6घनमी०       | 109  | 654.00    | 11.96  | 109  | 1303.64   | 649.64   |
| 2   | फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क               | 6.9 घनमी०    | 5520 | 38088.00  | 11.96  | 5520 | 66019.20  | 27931.20 |
| 3   | 12 एम.एम.प्लास्टर सीमेण्ट कोरस सैंण्ड | 29.9 वर्गमी० | 155  | 4634.50   | 59.80  | 155  | 9269.00   | 4634.50  |
| योग |                                       |              |      |           |        |      |           | 33215.34 |

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य प्राक्कलन में दर्शित एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक कार्य की मात्रा दर्शाकर माप-पुस्तिका/जे.ई. बिल फार्म के अनुसार अधिक भुगतान रु0 33215.34 कर दिया गया है। भले ही भुगतान स्वीकृत कुल धनराशि के अन्तर्गत किया गया है।

“उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत नक्शों या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह प्राधिकारी, जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया गया है या उसकी स्वीकृति दे दें।”

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर स्टीमेट स्वीकृत कार्य की मात्रा से अधिक कार्य दर्शाकर रु0 33215.34 धन का दुरुपयोग/गबन किया गया है, जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा 179(2)क से ड के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आर.पी.शर्मा, अवर अभियन्ता श्री नौमीलाल तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -13)

## क्षेत्र पंचायत – सिरसिया

## जनपद – श्रावस्ती

### प्रस्तर – 9

पत्रावली की जाँच में पाया गया मेन रोड से पश्चिम में गडरियनपुरवा तक खडन्जा मरम्मत में जेई बिल फॉर्म में ठेकेदार को रु० 342883.86 के स्थान पर रु० 387765.87 भुगतान हेतु पास कर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 44882.00 का अधिक भुगतान किया गया है। इसके लिए अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेदार हैं। जिनसे रु० 44882.00 की वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

बिल के आगणन के अनुसार –

| क्र०सं०                     | बिल विवरण                           | माप                          | धनराशि    |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1                           | डिसेमेंटलाईजेशन ऑफ ब्रिक्स          | 900 वर्गमी० दर प्रति 10.00   | 9000.00   |
| 2                           | अर्थ वर्क इन इक्सकुएशन ऑफ फाउन्डेशन | 416.43 घनमी० दर प्रति 112.00 | 46640.16  |
| 3                           | सेम एज आर्टम नं०-2 कार्टेज          | 229.04 घनमी० दर प्रति 193.60 | 44342.14  |
| 4                           | लेईंग ब्रिक सॉलिंग                  | 900 वर्गमी० दर प्रति 436.00  | 392480.00 |
| योग                         |                                     |                              | 492462.30 |
| घटाया पुरानी ईंटों का मूल्य |                                     |                              | 186316.00 |
|                             |                                     |                              | 306146.30 |
| जी०एस०टी० 12 प्रतिशत        |                                     |                              | 36737.56  |
| कुल योग                     |                                     |                              | 342883.86 |

- भुगतान बिल के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां दृष्टिगत है:-

- लेखा परीक्षा जांच में कार्य से सम्बन्धित माप-पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।
- बिल अवर अभियन्ता द्वारा निर्मित है जिस पर कार्यदिश तिथि कार्यदिश सं० एवं कार्य आरम्भ -कार्य समापन की तिथि अंकित नहीं है। जबकि अनुबन्ध पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है स्टीमेट पर मात्र कार्य की माप 350 मी० लिखी गयी है, जबकि खडन्जे की चौड़ाई अंकित नहीं है कुल कार्य 900 वर्ग मी० दर्शाया गया है जिसमें पुरानी ईंटों के मूल्य की धनराशि को तो बिल की धनराशि से घटा दिया गया है किन्तु पुरानी ईंटों की माप दर्शायी नहीं गयी है। यह स्थिति आपत्ति जनक है बिल ऑफ क्वान्टिटी में ओल्ड ब्रिक का मूल्यांकन रु० 207563.50 किया गया है, किन्तु भुगतान बिल से मात्र रु० 186318 की कटौती की गयी है। इस प्रकार 207553-186318=21235 की कुल कटौती कम करके धनराशि की हानि पहुँचायी गयी है। स्पष्ट है कि अवर अभियन्ता द्वारा अपने स्वहित हेतु संस्था को हानि पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली अवर अभियन्ता श्री दिनेश कुमार सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार प्रभारी से मय ब्याज सहित अपेक्षित है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य का अनुबन्ध करने हेतु नानज्यूडिसियल पेपर 24.04.2019 को क्रय किये गये है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य करने के लिए शपथ पत्र नोटरी द्वारा 24.04.2019 को प्रमाणित है, जबकि जे०ई० द्वारा निर्मित बिल

पर कार्य आरम्भ तिथि 29.03.2019 दर्शायी गयी है स्पष्ट है कि बिल ऑफ क्वान्टिटी तैयार कर ठेकेदार को कार्य का भुगतान किया गया है। तथा मात्र औपचारिकता करने हेतु शपथ पत्र एवं अनुबन्ध तैयार किया गया है।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य नियमावली 1965 के नियम 179(2) (क) से (ड) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार (प्रभारी) खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। जिनसे रू० 44882.00+21235.00=66117.00 की वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।  
(सामान्य आपत्ति संख्या -08)

## वार्षिक प्रतिवेदन-2019-2020

जनपद का नाम-देवरिया

मण्डल का नाम-गोरखपुर

क्षेत्र पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण:-

क्षेत्र पंचायत-बनकटा

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-01- वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न कार्यों की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण अनुदान पंजिका-2 में निम्न प्रकार दर्शित है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                   | सामग्री               | मजदूरी    | चेक सं०/दिनांक                   | योग        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 1.       | विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हॉल का निर्माण                                     | 27865.00              | 96950.00  | 30619/6-6-19                     | 1241815.00 |
| 2.       | पी०डब्ल्यू०डी० रोड से प्रभावती देवी रमापति देवी स्कूल तक खण्डजा निर्माण कार्य। | 166546.00             | 39550.00  | 30698/6-6-19<br>30699/6-6-19     | 206096.00  |
| 3.       | गोबरही में योद्धा के खेत से हनुमान मंदिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।                 | 355928.00             | 39872.00  | --                               | 395800.00  |
| 4.       | विकास खण्ड कार्यालय का जीर्णोद्धार                                             | 266879.00<br>11864.00 | 37548.00  | 33158/15-11-19<br>33159/15-11-19 | 316291.00  |
|          | योग                                                                            | 829082.00             | 213920.00 |                                  | 1043002.00 |

उक्त कार्यों में सामग्री पर रू० 829082.00 एवं मजदूरी पर रू० 213920.00 खर्च किया गया है। कुल मिलाकर रू० 1043002.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्यों की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्ययित धन के सापेक्ष पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रू० 1043002.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन सिंह, लेखाकार, श्री दीनदयाल गुप्ता एवं कार्य प्रभारी श्री चंद्रजीत यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अधिभार हेतु मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि रूपये 1043002.00 की बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।  
(सामान्य आपत्ति संख्या 14)

| अपहरण      | दुरुपयोग | अनियमितता |
|------------|----------|-----------|
| 1043002=00 |          |           |

प्रस्तर संख्या-02-

विकास खण्ड कार्यालय में बिजली वायरिंग पर निम्न प्रकार व्यय किया गया:-

| क्र० सं० | फर्म का नाम            | वाउचर क्रमांक | दिनांक     | धनराशि  | चेक सं०           |
|----------|------------------------|---------------|------------|---------|-------------------|
| 1.       | माँ वैष्णो इलेक्ट्रिकल | --            | 06.09.2019 | 7680.00 | 033157/15.01.2019 |

|    |                        |     |            |          |         |
|----|------------------------|-----|------------|----------|---------|
| 2. | माँ वैष्णो इलेक्ट्रिकल | --  | 06.09.2019 | 16948.00 | उपरोक्त |
| 3. | मजदूरी                 | --- | 06.09.2019 | 24696.00 | उपरोक्त |
|    |                        |     | योग        | 49324.00 |         |

उक्त कार्य में ₹0 24628.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर वाउचर क्रमांक अंकित नहीं पाया गया तथा वाउचर अवास्तविक प्रतीत होता है। मजदूरी सहित सामग्री पर कुल ₹0 49324.00 का भुगतान दर्शित है।

उक्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रेमप्रकाश भारती (क0स0) द्वारा चेक सं0 33157/15.10.2019 से किया गया है। फर्म कोटेशन भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर ₹0 49324.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन सिंह, लेखाकार श्री दीनदयाल गुप्त एवं कार्य प्रभारी श्री प्रकाश भारती संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अधिभार हेतु मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि ₹0 49324.00 को बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 15)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 49324=00 |          |           |

प्रस्तर संख्या-03:(i) आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा दर्शाए गये नक्शे में ठेकेदारों से ₹0 66800.00 आयकर एवं सी0जी0टी0एवं एस0जी0टी0 के रूप में ₹0 58193.00, कुल आयकर एवं जी0एस0टी0 ₹0 124993.00 की कटौती की गयी है, लेकिन अनुदान रजिस्टर में उक्त कटौती सम्बन्धित शीर्ष में जमा करना दर्शित नहीं है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन सिंह, श्री शिवनारायण पटेल, लेखाकार श्री रामाशीष एवं श्री दीनदयाल उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 18 (ii))

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 124993=00 |

प्रस्तर संख्या-03:(ii) ग्राण्ट रजिस्टर-II में कार्य का नाम मनरेगा कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी कक्ष में बैटरी एवं कूलर तथा कार्य का नाम विकास खण्ड कार्यालय में वायरिंग में संबंधित फर्म ठेकेदार से आयकर की कटौती ₹0 2434.00 न करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन सिंह, लेखाकार श्री रामाशीष एवं श्री दीनदयाल उत्तरदायी रहे है। उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण केन्द्रीय/राजकीय की क्षति हुई जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं-18 (iii))

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 2434=00   |

## क्षेत्र पंचायत-सलेमपुर

## जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-04- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या 11 में दर्शित कार्य विकास खण्ड अधिकारी आवास का मरम्मत कार्य में दिनांक 26.12.2019 को बिल संख्या 28/26.12.2019 द्वारा मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन को विद्युत मोटर (टुल्लू पम्प) हेतु ₹0 12000.00 तथा अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री हेतु ₹0 27301.00 कुल ₹0 39301.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा नगद किया गया, जो शासकीय नियमों एवं निर्देशों के सर्वथा विपरीत है। उक्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेकों द्वारा सम्बन्धित फर्म को देय होना चाहिए था। निर्माण फर्म से इलेक्ट्रानिक सामग्री का क्रय दर्शाने का औचित्य अज्ञात रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित पक्ष द्वारा उक्त फर्म से क्रय अपने निजी हितों की पूर्ति हेतु किया गया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का

इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है। साथ ही इस दुरुपयोगित धन की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता तथा लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       | 39301=00 |           |

**प्रस्तर संख्या-05-** वर्ष 2019-20 की स्वच्छ भारत मिशन की जांच में पाया गया कि दिनांक 17.06.2019 को मेसर्स टी0पी0 ट्रेडर्स एवं कन्स्ट्रक्शन को चेक संख्या 187806 दिनांक 17.06.2019 द्वारा रू0 50875.00 का भुगतान देवरिया महोत्सव में नाश्ता (250 व्यक्ति X 25=6250.00) एवं खाना (250 व्यक्ति X 160=40000.00) कुल व्यय रू0 46250.00 एवं (5 प्रतिशत सी जी एस टी '5 प्रतिशत एस जी एस टी ) कुल 10 प्रतिशत = 4625.00 कुल व्यय= 50874 दर्शित है। उक्त व्यय में 250 व्यक्तियों को चाय नाश्ते एवं खाने का भुगतान दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में उपस्थित पंजिका एवं आमंत्रण पत्र लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश एवं लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-15)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 50874=00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-06-** वर्ष 2019-20 में की धारा 51 जो कि 01.10.2018 से प्रभावी है पर 2.50 लाख से उपर की धनराशि व्यय पर 1 प्रतिशत सी जी एस टी एवं 1 प्रतिशत एस जी एस टी की कटौती होनी है, जबकि निम्नांकित कार्यों में उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। कटौती न करने का प्रकरण।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                                     | वाउचर न0 दिनांक | चेक नं0 दिनांक   | कुल धनराशि | 1 प्रतिशत सी जी एस टी | 1 प्रतिशत एस जी एस टी | कुल 2 प्रतिशत सी जी एस टी |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.       | ग्रा0पं0 चकरा गोसाई में गांव की मुख्य सड़क से इण्टर कालेज बरह्नी तक इण्टरलार्किंग कार्य          | 03/25.09.19     | 011245/ 10.10.19 | 319163     | 3191.63               | 3191.63               | 6383.26                   |
| 2.       | ग्रा0पं0 चकरा गोसाई में पिच सड़क से पुलिस चौकी होते हुए राजवन यादव के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य। | 02/14.09.19     | 011240 10.10.19  | 362993     | 3629.93               | 3629.93               | 7259.86                   |
| 3        | बंजरिया चैरो में पिच रोड से विधान नाथ के घर होते हुए प्रा0प्रा0 बंजरिया तक ख0नि0 कार्य।          | 25/06.11.19     | 011255 05.12.19  | 310533     | 3105.33               | 3105.33               | 6210.66                   |
| 4        | सलेमपुर चांदपलिया मार्ग पर पुलिया से चक मोरवा हद्दीश के घर तक खण्डजा कार्य।                      | 07/23.01.20     | 011272 07.02.20  | 303301     | 3033.01               | 3033.01               | 6066.02                   |

|   |                                                                           |             |                 |        |         |         |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| 5 | ग्राम हिरौरा में सिराजुद्दीन के घर से आरिफ के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य। | 04/23.01.20 | 011277 10.02.20 | 294396 | 2943.96 | 2943.96 | 5887.92 |
| 6 | देवरिया उर्फ शामपुर में भरदुल के घर से नौका                               | 05/08.02.20 | 011282 20.02.20 | 337015 | 3370.15 | 3370.15 | 6740.30 |

|    |                                                                                                |             |                    |            |           |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------|----------|
|    | टोला तक इण्टरलार्किंग कार्य।                                                                   |             |                    |            |           |          |          |
| 7  | परसिया भंडारी में मेन पिच रोड से राजेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।                  | 06/10.02.20 | 011287<br>26.02.20 | 351238     | 3512.38   | 3512.38  | 7024.76  |
| 8  | खण्ड विकास अधिकारी आवास का मरम्मत कार्य।                                                       | 0/18.12.19  | 015962<br>06.03.20 | 283429     | 2834.29   | 2834.29  | 5668.58  |
| 9  | ग्राम पंचायत बंजरिया में विकास यादव के घर से मेन पिच रोड तक इण्टरलार्किंग कार्य।               | 07/06.02.20 | 015962<br>06.03.20 | 269501     | 2695.01   | 2695.01  | 5390.02  |
| 10 | ग्रा0पं0 पुरादाखिला में मथुरा चौहान के खेत से सुनल अंसारी के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।        | 09/06.02.20 | 015981<br>25.05.20 | 267690     | 2676.90   | 2676.90  | 5353.80  |
| 11 | बंजरिया में खलिहान से केशव शर्मा के घर होते हुए महेन्द्र पाण्डेय के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य। | 11/22.04.20 | 015981<br>25.05.20 | 476898     | 4768.98   | 4768.98  | 9537.96  |
| 12 | सोहनाग/प्रयागपुर में परशुराम धाम स्थल से फरिदन हरिजन के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।             | 10/07.05.20 | 015986<br>25.05.20 | 458883     | 4588.83   | 4588.83  | 9177.66  |
| 13 | पड़री झिल्लीपार में दिनेश भगत के दुकान से पश्चिमी मिस्त्री के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।       | 12/15.05.20 | 015996<br>01.06.20 | 268342     | 2683.42   | 2683.42  | 5366.84  |
| 14 | विराजभार में मोती चन्द्र दुशाद के घर से पिपरा नाजिर तक मि0/ख0 कार्य।                           | 72/04.5.20  | 016000<br>01.06.20 | 511763     | 51176.63  | 5117.63  | 10235.26 |
|    | योग                                                                                            |             |                    | 4815145.00 | 481514.45 | 48151.45 | 96302.90 |

इस प्रकार रू0 96302.90 की कटौती नहीं कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचाई गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता एवं लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता उत्तरदायी है। अतः रू0 96302.90 की यथाशीघ्र बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-16)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 50874=00 |          |           |

## क्षेत्र पंचायत-भाटपाररानी

## जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-07- वर्ष लेखा परीक्षा में क्षेत्र निधि के लेखों की जांच में पाया गया कि विरेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अ0 से गत वर्ष की वसूली रू0 60000.00 एवं आलोच्य वर्ष की वसूली रू0 20000.00 कुल रू0 80000.00 को हस्ते नगद दर्शाया गया है जो राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिस प्रति लेखाकार श्री दीनदयाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री डॉ0 संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः उक्त धन को यथाशीघ्र बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-18)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|-------|----------|-----------|



|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | 80000=00 |  |
|--|----------|--|

प्रस्तर संख्या-08- आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कार्यों के मस्टररोलो पर कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि का अंकन नहीं है। साथ ही कार्य रजिस्टर में भी उक्त के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य को कराने में गंभीर अनियमितता एवं राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                                                      | कार्य प्रारंभ | कार्य समा | फर्म का नाम                         | चेक दिनांक                          | धनराशि     |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                   |               |           |                                     |                                     | सामग्री    | मजदूरी    | योग        |
| 1.       | ग्रा0पं0 पकड़ी बाबू में प्रदीप के घर से केदार सिंह के खेत तक इ0ला0कार्य                           | ---           | ---       | वी0के0 इंटरप्राइजेज मां दुर्गा ई0उ0 | 54/<br>11.01.20<br>621/<br>11.01.20 | 446903.30  | 55480.00  | 502383.30  |
| 2.       | खण्ड विकास अधिकारी आवास का मरम्मत एवं सुन्दरीकरण व शौचालय मरम्मत कार्य।                           | ---           | ---       | वी0के0 इंटरप्राइजेज मां दुर्गा ई0उ0 | 53/<br>11.01.20                     | 224182.00  | 88160.00  | 312342.00  |
| 3.       | भिंडा मिश्र में भरौली में ओझा के घर से मुनई के घर होते हुए भरत गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण | ---           | ---       | वी0के0 इंटरप्राइजेज मां दुर्गा ई0उ0 | 617/<br>03.03.20<br>57/<br>03.03.20 | 139840.00  | 17360.00  | 157200.00  |
| 4.       | भरौली में सी0सी0 रोड से ठाकुर प्रसाद के घर तक एवं सी0सी0 रोड से गंगा सागर के घर तक इ0ला0 कार्य।   | ---           | ---       | वी0के0 इंटरप्राइजेज मां दुर्गा ई0उ0 | 56/<br>04.03.20<br>618/<br>04.03.20 | 502362.50  | 50160.00  | 552522.50  |
| 5.       | भिंडा मिश्र में ग्राम भरौली के अनुसूचित बस्ती में लालबहादुर के घोठा से पिच सड़क तक सी0सी0 निर्माण | ---           | ---       | वी0के0 इंटरप्राइजेज मां दुर्गा ई0उ0 | 55/<br>29.02.20<br>619/<br>29.0.20  | 884742     | 103560    | 988302     |
|          |                                                                                                   |               |           |                                     | योग                                 | 2198029.80 | 314720.00 | 2512749.80 |

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 2512749.80 के लिए बी0डी0ओ0 डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री हरीश चन्द जायसवाल तथा दीनदयाल उत्तरदायी है। अभिलेखीय साक्ष्य न होने के कारण उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-19)

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता  |
|       |          | 2512749=80 |

## क्षेत्र पंचायत-बरहज

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-09-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 05 निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जिसमें निविदा देने की आवश्यकता थी, परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाए गए। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझ कर निविदा न करवाकर संस्था को निजी हित में हानि पहुंचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम 3 फर्में द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत बरहज को 5X3X500=7500.00 ₹ की आमदनी होती। स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण किया गया है। जिसकी बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री रामाशीष एवं श्री दीनदयाल से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 7500=00   |

**प्रस्तर संख्या-10-** पत्रावली संख्या-05 में कार्य का नाम ग्राम पंचायत नदुआ छापर में बरछोली टोले पर रजवंशी के घर से रामदास के खेत तक मि0/ख0 कार्य में निर्माण सामग्री पर 428398.00 एवं मजदूरी/श्रमांश ₹ 113180.00 कुल ₹ 541578.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित इस्टीमेट, व्यय वाउचर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धन को अपहरण मानते हुए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री रामाशीष से उक्त धन बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

| अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-----------|----------|-----------|
| 541578=00 |          |           |

## क्षेत्र पंचायत-देसही देवरिया

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-11-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में 10 प्रोजेक्ट पर कार्य कराया गया 10 में से 4 प्रोजेक्ट पर कार्य किसी एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है जबकि शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-3/2015 लखनऊ दिनांक 19 जून 2015 के बिन्दु 25 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-3 दिनांक 31.07.2015 पर स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदान का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों सृजित संपत्तियों के रख रखाव तथा नए निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाएगा। विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम संख्या | कार्य का विवरण                                                                       | फर्म              | भुगतान     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1           | मोहनपट्टी से नन्हकू के खेत तक मिट्टी व खण्डजा कार्य।                                 | पाण्डेय ईट उद्योग | 579581.00  |
| 2.          | जिगनी राजा में गम्हा के घर से ड्रेनके पुलिया तक मिट्टी खण्डजा                        | पाण्डेय ईट उद्योग | 463550.00  |
| 3.          | रामपुर श्री पाल में पिच सड़क से रामक्षित के खेत तक खण्डजा कार्य।                     | पाण्डेय ईट उद्योग | 363374.00  |
| 4.          | पणियापार के तिवारी तोला में शिवमंदिर से कुमार शंकर तिवारी के घर मिट्टी/खण्डजा कार्य। | पाण्डेय ईट उद्योग | 175370.00  |
|             | योग                                                                                  |                   | 1581875.00 |

उक्त कार्यों का ही ग्राम पंचायत तक सीमित होना गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-9 (i))

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|-------|----------|-----------|

**प्रस्तर संख्या-12-** उ०प्र०-माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा.प्र. 51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या/ ए.डी.कमि.जी.एस.टी.अनु /2018-19/1819049/705/वाणिज्यकर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो रू0 2.5 लाख से ऊपर के हैं, के भुगतान पर 1 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. तथा 1 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. की कटौती दिनांक 01.10.2018 से किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत देसही, देवरिया के अन्तर्गत राज्य वित्त के कार्य पर क्रय सामग्री पर पारित भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम सं. | वाउचर क्र./दिनांक | धनराशि  | फर्म का नाम         | चेक नं./दिनांक  | भुगतान की धनराशि |
|----------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1.       | 209/<br>23.09.19  | 592861  | पाण्डेय ब्रिक फील्ड | 148557/26.10.19 | 579581.00        |
| 2.       | 236/<br>12.10.19  | 474170  | पाण्डेय ब्रिक फील्ड | 148560/11.11.19 | 463550.00        |
| 3.       | 32/02.02.20       | 29616   | पाण्डेय ब्रिक फील्ड | 148575/21.03.20 | 28953.00         |
| 4.       | 9/07.11.19        | 371700  | पाण्डेय ब्रिक फील्ड | 148563/12.02.20 | 363374.00        |
| 5.       | 227/<br>20.01.20  | 179388  | पाण्डेय ब्रिक फील्ड | 148571/12.02.20 | 175370.00        |
|          | योग               | 1647735 |                     | योग             | 1610828.00       |

वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष लेखा परीक्षा में 1647735 का बिल प्रस्तुत किया गया। कुल बिल की धनराशि रू0 1647735.00 में से 2प्रतिशत की दर से रू0 32955.00 जी.एस.टी. की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि क्षेत्र पंचायत देसही देवरिया द्वारा कोई जी.एस.टी. संबंधी कटौती नहीं की गयी जिस कारण रू0 32955.00 का राजस्व क्षति हुआ जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 32955.00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-13-** आलोच्य वर्ष 2019-20 ठेकेदार फर्म की सामग्री मूल्य पर आयकर की धनराशि रू0 38883.00 तथा जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 3529.00 की कटौती की गयी है जिसे अनुदान रजिस्टर तृतीय में नहीं लिया गया है उक्त धनराशि रू0 42412.00 के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद जिम्मेदार है अगर धनराशि जमा न की गयी हो तो तत्काल सम्बन्धित शीर्ष में जमा की जानी अपेक्षित है, इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।  
(सामान्य आपत्ति संख्या-11)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 42412=00  |

**प्रस्तर संख्या-14-** गतवर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अवशेष रू0 2822602 दर्शाया गया है आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रारंभिक अवशेष रू0 2793000

दर्शित है इस प्रकार अंतर की धनराशि ₹0 29602 उक्त शीर्ष के अंतर्गत कम दर्शाया जा रहा है चूंकि उक्त व्यय का उल्लेख अनुदान रजिस्टर में दर्शित नहीं है इस प्रकार सम्बन्धित शीर्ष में धनराशि कम दर्शित कर ₹0 29602.00 अपहरित कर लिया गया है जिसकी खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रजापति से ₹0 14801 तथा लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद से ₹0 14801 ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति संख्या-14)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 29602=00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-15-** वर्ष 2018-2019 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र शीर्ष के अंतर्गत निर्माण की अंतिम अवशेष धनराशि ₹0 317798 दर्शित है वर्ष 2019-20 के अनुदान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण अंतिम शीर्ष के प्रारम्भिक अवशेष ₹0 347400 दर्शित की गयी है इस प्रकार वर्ष 2018-19 के अंतिम अवशेष वर्ष 2019-2020 प्रारम्भिक अवशेष ₹0 29602 बढ़ा लिया गया है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-15)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 29602=00  |

**प्रस्तर संख्या-16-** गतवर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2019 अवशेष धनराशि ₹0 539650.00 दर्शित है अनुदान रजिस्टर तृतीय में स्वच्छ भारत मिशन से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि नहीं दर्शाया गया है, उक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि एवं उपभोग राशि का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ ₹0 539650.00 की धनराशि का उपभोग भी किया गया अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-16)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 539650=00 |

## क्षेत्र पंचायत-रूद्रपुर

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-17-** आलोच्य वर्ष में लगाये गये ग्राण्ट रजिस्टर-II के अनुसार वर्ष 2019-20 में आयकर की धनराशि ₹0 48306.00 एवं जी0एस0टी0 (केन्द्र तथा राज्य सरकार) ₹0 42584.00 की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष 2019-2020 में आयकर की धनराशि दिनांक 07.07.2019 एवं 13.09.2019 ₹0 14481.00 एवं 10899.00 कुल ₹0 25380.00 आयकर शीर्ष में जमा किया गया है। दिनांक 07.07.2019 एवं 13.09.2019 को जी0एस0टी0 जमा करने हेतु ₹0 12928.00 एवं 9732.00 का चेक जारी किया गया लेकिन दोनों चेक जमा न होकर रिटर्न हो गया। इस प्रकार एक पैसा धनराशि जमा नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹0 22926.00 आयकर की धनराशि एवं ₹0 42584.00 जी0एस0टी0 की धनराशि जमा नहीं की गयी। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं मुख्य लेखाकार श्री उमेश शर्मा से जिम्मेदार है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-17)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 65510=00  |

**प्रस्तर संख्या-18-** निम्नांकित कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराया गया है। जिस पर सामग्री एवं मजदूरी का विवरण निम्न है।

| क्रम सं० | निर्माण कार्य का नाम                                                                                                 | सामग्री पर व्यय | श्रमांश पर व्यय |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत नगवा खास में पिच रोड से अजय राय के घर तक मिट्टी खण्डजा                          | 39049=48        | 7583=63         |
| 2.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत भिरवा में सिंचाई बन्धे से प्रा०वि० छपरा बुजुर्ग तक इण्टरलार्किंग कार्य।         | 258280=48       | 24151=88        |
| 3.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत नगवा खास में पिच रोड से प्रदीप राव के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।                | 256213=54       | 23593=16        |
| 4.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत जगदीशपुर में आने प्रकाश के स्कूल से बाबू राम के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।      | 233179=78       | 51400=13        |
| 5.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत देवकली जयराम में कामिल शेख के स्कूल पर अवशेष इण्टरलार्किंग कार्य।               | 74721=35        | 6676=98         |
| 6.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत लालपुर में जि०पं० इण्टरलार्किंग से आगे राकेश यादव के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य। | 359932=57       | 35528=75        |
| 7.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत पिडरा में पिच रोड से गोल्डेन सिंह के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।                 | 138887=74       | 12944=51        |
| 8.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत डढिया में सिंचाई बन्धे से पी०डब्लू०डी० रोड तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।              | 237816=37       | 52453=41        |
| 9.       | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत नगवा खास में शंकर जी के मन्दिर से बबलू राव के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।        | 117448=25       | 25278=75        |
| 10.      | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत मदनपुर में देवकली जयराम रोड से कामिल शेख के विद्यालय तक इण्टरलार्किंग कार्य।    | 297729=10       | 29403=64        |
| 11.      | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत मांझा नरायन में पी०डब्लू०डी० सड. क से अशोक के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।        | 140967=10       | 30587=29        |
| 12.      | विकास खण्ड रूद्रपुर में ग्राम पंचायत पचलडी में पिच सड. क से नन्द किशोर के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य।                 | 353483=62       | 35407=55        |
|          | योग                                                                                                                  | 2507710=17      | 335009=68       |
|          | कुल योग                                                                                                              | 2842719=84      |                 |

उपरोक्त समस्त कार्य किसी ग्राम पंचायत के अन्दर ही सीमित है जबकि शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 लखनउ दिनांक 19.06.2015 के बिन्दु 2.5 पर स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य ही कराया जाना चाहिए। किसी ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाना एवं ग्राम पंचायत से उस मार्ग पर कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र न लेना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय, श्री आलोक दत्त उपाध्याय, श्री कार्तिकेय मिश्र एवं लेखाकार श्री उमेश वर्मा एवं श्री विजय जायसवाल जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-18)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता  |
|-------|----------|------------|
|       |          | 2842719=84 |

**प्रस्तर संख्या-19-** आलोच्य वर्ष 2019-2020 में निम्नांकित धनराशियां उपयोग नहीं की जा रही एवं इन्दिरा आवास की धनराशि विगत वर्ष से आलोच्य वर्ष में भी उपयोग नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न है:-

| क्रम संख्या | मद का नाम               | अवशेष धनराशि |
|-------------|-------------------------|--------------|
| 1.          | तेरहवां वित्त की धनराशि | 36737=50     |
| 2.          | इन्दिरा आवास की धनराशि  | 30139=00     |
| 3.          | इन्दिरा आवास की धनराशि  | 76619=00     |
| 4.          | स्वच्छ शौचालय की धनराशि | 76096=00     |
|             | योग                     | 219591=50    |

उपरोक्त शीर्ष 2, 3, 4, की धनराशियां तीन वर्षों से उपभोग नहीं की जा रही एवं तेरहवां वित्त योजना समाप्त हो चुकी है लेकिन उक्त धनराशि धनदाता को वापस न किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्रा एवं लेखाकार श्री विजय जायसवाल जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-19)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 29591=50  |

**प्रस्तर संख्या-20-** प्रारूप-1 में दर्शित सामग्री की धनराशि का टेण्डर नियमानुसार किया गया होता तो टेण्डर कार्य बिक्री एवं उस पर जी0एस0टी0 की धनराशि ₹0 18000+3240=21240=00 प्राप्त हुआ होता जिसका विवरण निम्न है।

| क्रम संख्या | टेण्डर फार्म का मूल्य | जी0एस0टी0 |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 2           | 600=00                | 108=00    |
| 3           | 600=00                | 108=00    |
| 4           | 500=00                | 90=00     |
| 6           | 400=00                | 72=00     |
| 7           | 800=00                | 144=00    |
| 8           | 400=00                | 72=00     |
| 9           | 500=00                | 90=00     |
| 10          | 400=00                | 72=00     |
| 11          | 400=00                | 72=00     |
| 12          | 600=00                | 108=00    |
| 13          | 800=00                | 144=00    |
| योग         | 6000=00               | 1080=00   |

अनुदान रजिस्टर में कही भी टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि (6000X3=18000) एवं जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (1080X3=3240=00) से प्राप्त धनराशि न दर्शाकर क्षेत्र निधि एवं राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय, श्री आलोक दत्त उपाध्याय, श्री कार्तिकेय मिश्र एवं लेखाकार श्री उमेश शर्मा, श्री विजय जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि फर्मों/ठेकेदारों से नियमानुसार जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी जा रही है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष आकृष्ट किया जाता है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-20)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 21240=00  |

## क्षेत्र पंचायत-भागलपुर

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-21-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मेसर्स अमित बिल्डिंग मैटेरियल्स को निम्न कार्यों पर भुगतान किया गया

(सामान्य आपत्ति सं-5)

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                          | चेक सं0/दिनांक        | भुगतान की धनराशि                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1        | तेलिया कला में मुख्य मार्ग के किनारे सुरेश के घर से शिव मंदिर तक भूमिगत नाली निर्माण। | 133524/<br>24.02.2020 | 8895.00 कुल भुगतान ₹0<br>126084.00 |
| 2        | विकास खण्ड कार्यालय में कार्यालय भवन की                                               | 24.05.2019            | 54060.00 कुल धनराशि ₹0             |

|   |                                                                                                    |                      |                         |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   | रंगाई पोताई एवं कुर्सी मेज                                                                         |                      | 85235.00                |                |
| 3 | विकास खण्ड भागलपुर में सभागार कक्ष का मरम्मत एवं रंगाई पोताई                                       | 123899<br>31.05.2019 | 22305.00<br>75557.00    | कुल धनराशि रू0 |
| 4 | विकास खण्ड भागलपुर में प्रमुख कक्ष की रंगाई पोताई एवं कुर्सी आपूर्ति                               | 20.05.2019           | 26792.00<br>132260.00   | कुल धनराशि रू0 |
| 5 | ग्राम पंचायत तेलिया कला में सत्य प्रकाश के दरवाजे से साहेब सिंह के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 133513<br>15.10.2019 | 79356.00<br>585956.00   | कुल धनराशि रू0 |
|   | योग                                                                                                |                      | 191408.00<br>1005092.00 | कुल धनराशि रू0 |

उक्त कार्यों पर मेसर्स अमित बिल्डिंग मैटेरियल्स द्वारा सामग्री प्रदत्त की गयी। इस फर्म द्वारा जो वाउचर प्रस्तुत किया गया उस पर वाउचर क्रमांक अंकित नहीं पाया गया तथा अन्य वाउचर भी संदिग्ध पाए गये। सभी वाउचरों को पेड एण्ड कैंसिल नहीं किया गया। उक्त कार्यों पर मजदूरी सहित कुल रू0 1005092.00 भुगतान दर्शाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर कुल रू0 1005092.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए लेखाकार श्री चन्द्र गुप्त, कार्य प्रभारी श्री बिकाऊ प्रसाद, श्री बाबूराम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

| अपहरण      | दुरुपयोग | अनियमितता |
|------------|----------|-----------|
| 1005092=00 |          |           |

## क्षेत्र पंचायत-गौरी बाजार

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-22-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में 10 प्रोजेक्ट पर कार्य कराया गया ही जिसमें से 7 प्रोजेक्ट पर कार्य किसी एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है, जबकि शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-3/2015 लखनऊ दिनांक 19 जून 2015 के बिन्दु 2.5 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-3/2015 दिनांक 31.07.2015 पर स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदान का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित संपत्तियों के रख-रखाव नए निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाएगा। विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम संख्या | कार्य का विवरण                                                             | फर्म                                                    | भुगतान                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           | गौरी बुजुर्ग में रामानंद के घर से आनंद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य     | शाही इंटरप्राइजेज<br>शिव कंस्ट्रक्शन<br>राय ईट उद्योग   | 425308.00<br>124863.00<br>172738.00 |
| 2.          | सवना परशुराम में बीरबल के खेत से हरिहर के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।        | राय ईट उद्योग                                           | 214545.00                           |
| 3.          | रसौली में खण्डजा से सदीक के घर होते हुए पौहारी के घर तक अवशेष इण्टरलाकिंग। | राय ईट उद्योग<br>शाही इंटरप्राइजेज<br>राय ईट उद्योग     | 40896.00<br>160187.00<br>65618.00   |
| 4.          | विशुनपुरा में यादव के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग।              | शाही इंटरप्राइजेज<br>राय ईट उद्योग<br>शाही इंटरप्राइजेज | 167445.00<br>66056.00<br>83606.00   |
| 5.          | विशुनपुरा में गौरी बाजार हाता मार्ग से कमलेश चौहान के खेत तक इण्टरलाकिंग।  | शाही इंटरप्राइजेज<br>राय ईट उद्योग                      | 403385.00<br>111029.00              |

|   |                                                                          |                   |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|   |                                                                          | शाही इंटरप्राइजेज | 158856.00  |
| 6 | कारमेल में इंदुपूर छितही बाजार होते हुए योगेन्द्र के घर तक खण्डजा मरम्मत | राय ईट उद्योग     | 128726.00  |
| 7 | करमाजीतपुर खरोड़ गौरीबाजार रोड से राजेश के घर तक खण्डजा                  | राय ईट उद्योग     | 185344.00  |
|   |                                                                          | योग               | 2508602.00 |

उक्त कार्यों का एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित होना गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-05)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता  |
|-------|----------|------------|
|       |          | 2508602=00 |

**प्रस्तर संख्या-23-** उ.प्र. माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या/ए.डी.कमि.जी.एस.टी.अनु./2018-19/1819049/705/वाणिज्य कर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो ₹0 2.5 लाख से ऊपर के हैं, के भुगतान पर 1 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. तथा 1 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. की कटौती दिनांक 01.10.2018 से किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत गौरीबाजार के अन्तर्गत राज्य वित्त के कार्य पर क्रय सामग्री पर पारित भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम सं. | वाउचर क्रं./ दिनांक | धनराशि  | फर्म का नाम       | चेक नं./दिनांक | भुगतान की धनराशि |
|----------|---------------------|---------|-------------------|----------------|------------------|
| 1        | 17/25.01.20         | 444361  | शाही इंटरप्राइजेज | 31044/03.02.20 | 425308           |
| 2.       | 01/30.01.20         | 182209  | राय ईट उद्योग     | 31048/03.02.20 | 172738           |
| 3.       | 39/10.03.19         | 220697  | राय ईट उद्योग     | 29227/06.04.19 | 214545           |
| 4        | 81/30.03.19         | 42043   | राव ट्रेडर्स      | 58303/06.04.19 | 40896            |
| 5        | 13/31.03.19         | 164680  | शाही इंटरप्राइजेज | 29225/06.04.19 | 160187           |
| 6        | 44/31.03.19         | 67499   | राय ईट उद्योग     | 58304/06.04.19 | 65618            |
| 7        | 16/31.03.19         | 172143  | शाही इंटरप्राइजेज | 29226/06.04.19 | 167445           |
| 8        | 83/31.03.19         | 67913   | राव ट्रेडर्स      | 58301/06.04.19 | 66056            |
| 9        | 45/31.03.19         | 85943   | शाही इंटरप्राइजेज | 58302/06.04.19 | 83606            |
| 10       | 48/31.03.19         | 190682  | राय ईट उद्योग     | 58313/06.04.19 | 185344           |
| 11       | 11/31.03.19         | 2659    | राय ईट उद्योग     | 31033/07.05.19 | 2585             |
| 12       | 89/31.03.19         | 39664   | राव ट्रेडर्स      | 31034/07.05.19 | 38558            |
| 13       | 15/31.03.19         | 414702  | शाही इंटरप्राइजेज | 58306/06.04.19 | 403385           |
| 14       | 82/31.03.19         | 114144  | राव ट्रेडर्स      | 58305/06.04.19 | 111029           |
| 15       | 87/31.03.19         | 39664   | राव ट्रेडर्स      | 58319/06.05.19 | 38558            |
| 16       | 50/31.03.19         | 2759    | राय ईट उद्योग     | 31032/07.5.19  | 2683             |
| 17       | 09/31.03.19         | 2759    | राय ईट उद्योग     | 31031/07.05.19 | 2683             |
| 18       | 86/31.03.19         | 39664   | राव ट्रेडर्स      | 58320/06.05.19 | 38558            |
| 19       | 46/31.03.19         | 163411  | राय ईट उद्योग     | 58307/06.04.19 | 158856           |
| 20       | 40/31.03.19         | 132418  | राय ईट उद्योग     | 58310/06.04.19 | 128726           |
|          | योग                 | 2590014 |                   |                | 2507364          |



वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष लेखा परीक्षा में ₹0 2590014.00 का बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें से 2प्रतिशत की दर से ₹0 51800.00 जी.एस.टी. की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि लेखा परीक्षित संस्था द्वारा मात्र ₹0 15096.00 की कटौती की गयी है, इस प्रकार जी.एस.टी. मद में ₹0 36706.00 की कम कटौती की गयी। स्रोत पर भुगतान कटौती ₹0 36706.00 कम किये जाने से राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 36706.00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-24-** आलोच्य वर्ष 2019-20 ठेकेदारों/फर्मों की सामग्री मूल्य भुगतान कर आयकर की धनराशि ₹0 62901 एवं जो जी.एस.टी. की धनराशि ₹0 15096 की कटौती की गयी है उक्त आयकर एवं जी.एस.टी. की धनराशि कटौती को अनुदान रजिस्टर तृतीय में नहीं दर्शाया गया है, उक्त धनराशि ₹0 77997.00 के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने का कोई प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है, अगर धनराशि जमा न की गयी हो तो तत्काल संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति संख्या-18)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 77997=00  |

**प्रस्तर संख्या-25-** स्वीकृत मात्र चार फर्मों से ₹0 10000.00 की दर से ₹0 40000 जमानत राशि प्राप्त किया गया जबकि टेंडर जो सामग्री मूल्य ₹0 289995 स्वीकृत हुआ उसके अनुसार जमानत की धनराशि ₹0 289995.00 होगी, इस प्रकार ₹0 289995.00 जमानत की धनराशि न काटकर कार्य कराया जाना गंभीर अनियमितता का द्योतक है, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-19)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 289995=00 |

## क्षेत्र पंचायत-बैतालपुर

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-26-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गए कार्य मेदनापुर में पिच रोड से राम अवध के घर तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य हेतु सरस्वती ईट उद्योग, सरौरा देवरिया से ₹0 448102.00 की ईट क्रय की गयी है जिस पर टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. की कटौती के बाद देय धनराशि ₹0 429102 के विरुद्ध चेक संख्या 011643 दिनांक 24.12.2019 द्वारा ₹0 492102.00 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि राज्य वित्त आयोग के पास बुक से होती है इस प्रकार देय धनराशि से ₹0 63000.00 का अधिक भुगतान अपहृत रहा तथा बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज की क्षति हुई है, जिसके लिए लेखाकार श्री नरेन्द्र देव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी जिम्मेदार है। क्षतिपूर्ति हेतु अपहृत धनराशि की बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-02)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 63000=00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-27-** राज्य वित्त के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री स्टीमेट से अधिक क्रय की गयी है, विवरण निम्नवत् है:-

| क्र. | कार्य का विवरण | इस्टीमेट | क्रय | अधिक क्रय | दर | मूल्य |
|------|----------------|----------|------|-----------|----|-------|
|------|----------------|----------|------|-----------|----|-------|

| सं |                                                                                      | सामग्री                    |           |          |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 1  | जंगल इमिलिहा में मेन रोड से छितही टोला तक इण्टरलार्किंग कार्य                        | सीमेंट 204                 | 212 बैग   | 8 बैग    | 294.40  | 2352.00  |
|    |                                                                                      | फाइन सैंड 40 घन मी.        | 42 घन मी0 |          |         | 2520.00  |
|    |                                                                                      | ईट तुकरी 40 मिमी 64 घन मी. | 68        | 4 घन मी. | 1447.20 | 5789.00  |
|    |                                                                                      | मजदूरी 132779              | 134990    | 2211     | --      | 2211.00  |
| 2. | ग्राम पंचायत उसरा बाजार में साधन सहकारी समिति लिमिटेड तिवई का मरम्मत कार्य।          | सीमेंट 146 बैग             | 151 बैग   | 5 बैग    | 294.40  | 1472.00  |
|    |                                                                                      | फ्लोर टाइल्स 108           | 138       | 30       | 251.34  | 7540.00  |
|    |                                                                                      | वाल टाइल्स 493             | 511       | 18       | 21.24   | 382.00   |
|    |                                                                                      | प्राइमर 104                | 110       | 6        | 121.60  | 730.00   |
|    |                                                                                      | इमुलेसनपेंट 91.09          | 97        | 5.91     | 259.84  | 1536.00  |
|    |                                                                                      | मजदूरी 115765              | 123180    | 123180   | --      | 7415.00  |
| 3  | उसरा छपौली मार्ग से माता रानी महाविद्यालय तक सी.सी. रोड निर्माण                      | सीमेंट 448 बैग             | 454 बैग   | 6 बैग    | 294.40  | 1766.00  |
|    |                                                                                      | फाइल सैंड 28               | 29        | 1        | 1260.00 | 1260.00  |
|    |                                                                                      | स्टोन ग्रेड 41             | 42        | 1        |         | 3942.00  |
|    |                                                                                      | माइक्रोपोलीथिन 456         | 466       | 10       | 36.75   | 368.00   |
| 4. | माहीगज में काली स्थान से धारी यादव के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।                     | ईट 23256                   | 23940     | 684      | 6.195   | 4730.00  |
| 5. | मेदनापुर में पिच रोड से राम अवध के घर तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।                    | मिट्टी 430                 | 452       | 22       | 99.70   | 2193.00  |
| 6. | विक्रमापुर बासपार में अमूल्य रत्न माही के घर से प्रा.वि. तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य। | मिट्टी 283                 | 309       | 26       | 99.70   | 2592.00  |
|    | योग                                                                                  |                            |           |          |         | 48798.00 |

इस प्रकार उपरोक्तानुसार इस्टीमेट से अधिक की सामग्री क्रय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन रु0 48798.00का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वसंती देवी एवं लेखाकार श्री नरेन्द्र से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-03)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       | 48798.00 |           |

**प्रस्तर संख्या-28-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की भांति ही निम्न फर्मों के भुगतान पर 2प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. की कटौती नहीं की गयी है।

| क्रम संख्या | वाउचर        | फर्म                           | भुगतान | जी.एस.टी. |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 1.          | 106/.....    | सरस्वती ईट उद्योग, सरौरा       | 148308 | 2964.00   |
| 2           | 428/07.09.19 | मां कृष्णा ट्रेडर्स, बेल्डरिया | 170993 | 3420.00   |
| 3           | 104/07.09.19 | सरस्वती ईट उद्योग, सरौरा       | 9669   | 193.00    |
|             |              |                                | योग    | 6577.00   |

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 6577.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है जो अधिभार योग्य है वाउचरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी फर्म द्वारा जी.एस.टी. की धनराशि बिल में जोड़ा नहीं किया है अर्थात् क्रेता से जी.एस.टी. नहीं लिया गया है इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि सामग्री का रेट टेंडर में जी.एस.टी. सम्मिलित करते हुए मांगा गया है। यदि जी.एस.टी.फर्मों द्वारा जमा किया जा रहा है तो जमा रसीद प्रमाणक स्वरूप प्राप्त कर रखी जानी चाहिए। जी.एस.टी. जमा की रसीद के अभाव में क्रय सामग्री पर फर्मों द्वारा जी.एस.टी. जमा की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस अपहृत धनराशि की बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-04)

| अपहरण   | दुरुपयोग | अनियमितता |
|---------|----------|-----------|
| 6577=00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-29-** आलोच्य वर्ष में ब्लाक प्रमुख को दिनांक 18.03.2016 से 31.03.2017 तक के मानदेय के रूप में ₹0 122024.00 का भुगतान किया गया है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार मानदेय की धनराशि ₹0 98361.00 आती है। इस प्रकार वास्तविक धनराशि से ₹0 23663.00 का अधिक भुगतान कर क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त के अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। जिसको बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-04 (i))

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       | 23663=00 |           |

**प्रस्तर संख्या-30-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दिनांक 31.03.2019 को दर्शित अवशेष 01.04.19 को दर्शित अवशेष के मध्य अंतर है, विवरण निम्नवत् है:-

| क्र. सं. | विवरण                | आडिट रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2019 को अवशेष | अनुदान पंजी तीन के अनुसार 01.04.19 को अवशेष | अन्तर           |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | राज्य वित्त आयोग     | 6203828.50                                 | 6147371.20                                  | 56457.00 (कम0)  |
| 2.       | पूर्वांचल विकास निधि | 1.00                                       | दर्शित नहीं                                 | 1.00 (कम0)      |
| 3        | क्षेत्र निधि ब्याज   | 42542.00                                   | 98999.46                                    | 50258.46 (अधिक) |
| 4.       | ब्याज                | 6199                                       |                                             |                 |
| 5        | सांसद निधि           | 262820.50                                  | 254392.50                                   | 8428.00 (कम0)   |
|          | योग                  |                                            |                                             | 14627.84 (कम0)  |

अंतर के निराकरण हेतु लेखाकार द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया किसी शीर्ष के अंतिम अवशेष एवं उसी शीर्ष के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर यानी अनुदान अवशेष की धनराशि को बिना व्यय दर्शाए अवशेष को कम करना

गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-14)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 14627=84  |

**प्रस्तर संख्या-31-** आलोच्य वर्ष में ब्याज क्षेत्र निधि में ₹0 117802.00 व्यय दर्शाया गया है जिसमें से ₹0 61170.00 राज्य वित्त आयोग के ब्याज को उसी खाते में ट्रान्सफर किया गया है, शेष ₹0 56632 व्यय किया गया है का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण किया गया है जिसके प्रति लेखाकार श्री नरेन्द्र देव तथा खण्ड विकास अधिकारी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-15)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 61170.00 |          |           |

### क्षेत्र पंचायत-रामपुर कारखाना

### जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-32-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर क्रय सामग्री पर आयकर की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | योजना का नाम | प्रोजेक्ट का नाम                                                  | वाउचर दिनांक                  | क्र/ धनराशि          | आयकर जो नहीं काटा गया। |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | राज्य वित्त  | वि०ख० रामपुर कारखाना में इण्टरलार्किंग एवं सुन्दरीकरण             | 212/ 02.03.20                 | 49843.00             | 1096.00                |
| 2        | राज्य वित्त  | रामपुर चन्द्रभान में गुनेश्वर के घर से हरजिन बस्ती तक भूमिगत नाली | 96/ 13.09.19                  | 70130.00             | 157.00                 |
| 3        | राज्य वित्त  | ग्राम पंचायत हरपुर कला में अस्थायी गोआश्रम स्थल पर गेट निर्माण    | 91/                           | 6832.00              | 153.00                 |
| 4        | मनरेगा       | आंगनबाड़ी केन्द्र सवरेजी खर्ग का निर्माण                          | 45/ 07.02.20<br>215/ 07.02.20 | 50698.70<br>18017.57 | 1136.00<br>404.00      |
|          |              |                                                                   | योग                           |                      | 2946.00                |

इस प्रकार उपरोक्तानुसार ₹0 2946.00 के आयकर की कटौती न कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय एवं श्री महेश नारायण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-02)

| अपहरण   | दुरुपयोग | अनियमितता |
|---------|----------|-----------|
| 2946=00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-33-** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०ए०डी० कमि० जी०एस०टी० अनु०/2018-19/1819049/ 705/ वाणिज्यकर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो ₹0 2.50 लाख से अधिक के हैं, के भुगतान पर 1 प्रतिशत एस०जी०एस०टी० एवं 1 प्रतिशत सी०जी०एस०टी० की कटौती दिनांक 01.10.2018 से किया जाना है। क्षेत्र पंचायत रामपुर कारखाना के अन्तर्गत राज्य वित्त के कार्य पर क्रय सामग्री पर पारित भुगतान जो ₹0 2.50 लाख से अधिक के हैं, का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | वाउचर क्रमांक/दिनांक | धनराशि    | फर्म का नाम     | एस०जी०एस०टी/सी०जी०एस०जी |
|----------|----------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1        | 55-59/ 03.09.19      | 349398.00 | बालाजी ट्रेडर्स | 6988.00                 |
| 2        | 61/                  | 251304.00 | बालाजी ट्रेडर्स | 5026.00                 |
|          |                      |           | योग             | 12014.00                |

उपरोक्तानुसार रू० 12014 की एस०जी०एस०टी/सी०जी०एस०टी० की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ सिंह एवं श्री कृष्ण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-03)

| अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------|----------|-----------|
| 12014.00 |          |           |

**प्रस्तर संख्या-34-** राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु इस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रय की गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | प्रोजेक्ट का नाम                                                          | इस्टीमेट के अनुसार          | क्रय      | अधिक क्रय                                 | मूल्य              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1        | रामपुर चन्द्रभान में गुनेश्वर से घर से हरिजन बस्ती तक भूमिगत नाली निर्माण | ईट 5713 नग ह्यूम पाईप 50 नग | 650054    | 787<br>दर 6195<br>4 दर 2125.34            | 4875.00<br>8501.00 |
| 2        | वि०ख० कार्यालय में हाल नरेगा सेल में टाइल्स कार्य।                        | सीमेन्ट 206 बोरी            | 209 बोरी  | 3 बोरी<br>दर 294.40<br>3.5 सीm<br>दर 1260 | 8501.00            |
| 3        | वि०ख० कार्यालय का मरम्मत एवं रंगाई पोताई                                  | मजदूरी,<br>1,12,772.00      | 156360.00 | 33588.00                                  | 33588.00           |
|          |                                                                           | योग                         |           |                                           | 55465.00           |

इस प्रकार उपरोक्तानुसार इस्टीमेट से अधिक की सामग्री क्रम दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन रू० 55465.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए क्रमांक 1 पर अधिक धनराशि के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता, क्रमांक 2 पर अंकित धनराशि के लिए ख०वि०अ० श्री ओमप्रकाश प्रजापति एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता, क्रमांक 3 पर अंकित धनराशि के लिए ख०वि०अ० श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं लेखाकार ऋषिकेश गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-04)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       | 55465.00 |           |

**प्रस्तर संख्या-35-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि टेण्डरकर्ताओं से टेण्डर बिक्री से प्राप्त धनराशि को आय के रूप में नहीं दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि 4 निविदाकर्ताओं से प्रति निविदाकर्ता रू० 500 की दर से रू० 2000 को सहायक कोषवही में आय न दर्शाकर प्राप्त धनराशि का अपहरण किया गया है। क्षतिपूर्ति हेतु रू० 2000 की वसूली बराबर-बराबर खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-07)

| अपहरण   | दुरुपयोग | अनियमितता |
|---------|----------|-----------|
| 2000.00 |          |           |

## क्षेत्र पंचायत-पथरदेवा

## जनपद-देवरिया

**प्रस्तर संख्या-36-** दिनांक 31.03.2019/01.04.2019 को दर्शाये गये अनुदान रजिस्टर पार्ट-III एवं बैंक खाते में ₹0 120398.00 का अन्तर है। जिसमें ₹0 108734.00 का चेक कालातीत हो चुका है। माह जुलाई 2019 में समस्त अन्तर की धनराशि ₹0 120398.00 का कालातीत होने के कारण अनुदान रजिस्टर में पकड़ लिया गया है। यहां में उल्लेखनीय है कि जो चेक कालातीत के कारण अनुदान रजिस्टर के आय पक्ष में पकड़ी गयी है। उतनी ही धनराशि के चेक सम्बन्धित फर्म को पुनः निर्गत किया जाना चाहिए। व्यय पक्ष के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त चेक वर्ष 2019-2020 में पुनः निर्गत नहीं की गयी है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त से सम्बन्धित सामग्री मूल्य का भुगतान पुनः नहीं किया गया है। वर्ष 2018-2019 में ₹0 120398.00 से प्राप्त सामग्री की पुष्टि स्टॉक रजिस्टर से नहीं करायी गयी। जो निर्माण कार्य प्रभावित होने का द्योतक है। जिसके लिए उत्तरदायी लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-17)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 120398.00 |

**प्रस्तर संख्या-37-** राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर आयकर की कटौती ₹0 42581.00 की गयी है। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों पर 2प्रतिशत जी.एस.टी.(सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी.) ₹0 37446.00 की कटौती नहीं की गयी है। अवगत कराना है कि विभाग में जमा नहीं किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकार आयकर की धनराशि ₹0 42581.00 एवं जी.एस.टी. की धनराशि ₹0 37446.00 कुल धनराशि ₹0 80027.00 तत्काल आयकर एवं जी.एस.टी. विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-19)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 800027.00 |

**प्रस्तर संख्या-38-** राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत देवघाट में डेरी से आंगनबाड़ी केन्द्र होते हुए हरिजन बस्ती के पास इण्टरलार्किंग मार्ग तक इण्टरलार्किंग कार्य हेतु सामग्री पर ₹0 614394.00 जिसमें ₹0 13762.00 आयकर की कटौती करते हुए ₹0 600632.00 का भुगतान किया गया है एवं मजदूरी पर ₹0 73457.00 का भुगतान कुल भुगतान ₹0 674089.00 का किया गया है। शासनादेश सं0 4/866/33-2-14-93 जी0/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य ही कराये जाने चाहिए, जिसका परिपालन नहीं किया गया है। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के जिस मार्ग पर निर्माण कोई प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराकर (ग्राम पंचायत से एन.ओ.सी. न लेकर) गंभीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-20)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 674089.00 |

## क्षेत्र पंचायत-तरकुलवां

## जनपद-देवरिया

| प्रस्तर संख्या-39-                                                   | कार्य का नाम | फर्म का नाम एवं बिल का विवरण | श्रमिकों की श्रेणी | सामग्री क्रय का विवरण/ नाम | दर | सामग्री क्रय कीमत की धनराशि | जी0एस0 टी0 दर | बिल की धनराशि में सम्मिलित जी0एस0 टी0 धनराशि | संस्था द्वारा की गयी कटौती | की आयकर |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------|
| क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वित्तीय वर्ष (2019-20) राज्य वित्त योजना |              |                              |                    |                            |    |                             |               |                                              | जी0एस0 टी0                 | र       |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                            |                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर रुपये 2021388.00 भुगतान दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-क्र. सं0 |                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                            |                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |      |
| 1.                                                                                                                                                   | ग्राम पंचायत कोटवा में पिच सड़क से स्टूडेंट लाइफ ट्यूटोरियल स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी(आई एस बी ) | यशराज ट्रेडर्स, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 19 दिनांक 24.01.20 | सीमेन्ट फाइन सैण्ड लोकलसैण्ड 80 मिमी0 इ0ला0 ईट 40 मिमी0 ईट गिट्टी             | 38 बोरी 7.04 घन मी 03 घन मी 3980 नग 3125 नग 9.30 घनमी0     | 294.40 बोरी 1260 घन मी 735 घन मी 6.19 नग 24.78 नग 1350 घन मी | 11187.20 8870.40 2205.00 24636.00 77437.50 12555.00 0  | 28प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 18प्रतिशत 05प्रतिशत | 2447.20 422.40 105.00 1174.10 11812.50 627.75 | 2738 | 3066 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                            | योग                                                                           | --                                                         | --                                                           | 136891.00                                              | --                                                          | 16588.95                                      | 2738 | 3066 |
| 2.                                                                                                                                                   | ग्राम पंचायत सोनहला रामनगर में पिच मार्ग सड़क से ओमप्रकाश बाबू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी-श्री आश मुहम्मद वि.अ.                               | यशराज ट्रेडर्स, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 22 दिनांक 20.02.20 | सीमेन्ट फाइन सैण्ड लोकलसैण्ड ईट प्रथम श्रेणी इण्टरलाकिंग ईट 40मिमी0 ईट गिट्टी | 47 बोरी 8.80 घन मी 3.744 घन मी 4970 नग 3900 नग 11.63 घन मी | 294.40 बोरी 1260 घन मी 735 घन मी 6.19 नग 24.78 नग 1350 घन मी | 13836.80 11088.00 2751.84 30764.30 96330.00 15700.50 0 | 28प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 18प्रतिशत 05प्रतिशत           | 3026.80 528.00 131.04 1466.15 14742.00 785.03 | 3409 | 3818 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                            |                                                              | घटाया (-)                                              | 10.44                                                       |                                               |      |      |

|  |  |  |     |  |    |           |  |          |      |      |
|--|--|--|-----|--|----|-----------|--|----------|------|------|
|  |  |  | योग |  | -- | 170461.00 |  | 20679.02 | 3409 | 3818 |
|--|--|--|-----|--|----|-----------|--|----------|------|------|

|   |                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                        |                                                           |                                                               |                                                             |                                                             |                                                     |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| 3 | ग्राम पंचायत मुसहरी में पिच सड़क से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज तक इण्टर लार्किंग कार्य कार्यप्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही पद ए .डी ओ . (आई एस बी )               | यशराज ट्रेडर्स, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 18 दिनांक 14.01.20    | सीमेन्ट फाइन सैण्ड लोकलसैण्ड ईट प्रथम श्रेणी इण्टरलार्किंग ईट ईट मिट्टी                | 48 बोरी 9.30 घन मी 4.80 घन मी 3979 नग 5000 नग 13.80 घन मी | 294.40 बोरी 1260 घन मी 735 घन मी 619 हजार 24.78 नग 1350 घन मी | 14131.20 11718.00 3528.00 24636.00 123900.00 18630.00 0.20  | 28प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 18प्रतिशत 05प्रतिशत | 3091.20 558.00 168.00 1173.81 18900.00 931.50       | 3931  | 4403  |
|   |                                                                                                                                                                      | योग                                                           |                                                                                        |                                                           |                                                               | 196543.00                                                   | -                                                           | 24822.51                                            | 3931  | 4403  |
| 4 | ग्राम पंचायत मोगलपुरा (अहिरौली ) में पिच सड़क से कैक्ट्री तक जाने वाल सड़क पर इण्टरलार्किंग कार्य कार्यप्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | यशराज ट्रेडर्स देवरिया कैशमेमो क्रमांक 21 दिनांक 03.02.20     | सीमेन्ट फाइन सैण्ड लोकलसैण्ड ईट प्रथमश्रेणी इण्टरलार्किंग ईट 40मिमी0ईटगिट्टी           | 141 बैंग 26.40 घन मी 14900नग 11719नग 34.88घन मी           | 294.40बोरी 1260 घन मी 6.19 नग 24.70 नग 1350 घन मी             | 41510.40 33264.00 92231.00 289459.30 47088.00 0.70          | 28प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 18प्रतिशत 05प्रतिशत           | 9080.40 1584.00 4395.50 44180.63 2354.40            | 10071 | 11280 |
|   |                                                                                                                                                                      | योग                                                           | -                                                                                      | -                                                         | -                                                             | 503552.00                                                   | --                                                          | 61594.93                                            | 10071 | 11280 |
| 5 | ग्राम पंचायत तरकुलवां में शौचालय निर्माण (महिला एवं पुरुष) कार्यप्रभारी                                                                                              | (1) यशराज ट्रेडर्स, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 17 दिनांक 30.11.1 | सीमेन्ट फाइन सैण्ड 40मिमी0ईटगिट्टी कोर सैण्ड ईट प्रथमश्रेणी चाइना टाइल्स 20मिमी0 पत्थर | 52 बोरी 2.40 घन मी 2.40 घन मी 5.40 घन मी 5970 नग          | 294.40बोरी 1260घन मी 14175घन मी 2900घन मी 6195                | 15308.80 3024.00 3402.00 15660.00 36984.15 30691.80 5246.89 | 28प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत 05प्रतिशत           | 3348.00 144.00 162.00 745.71 1761.15 4681.80 249.85 | 2206  | 2471  |



|                                                       |   |        |                    |                             |      |                         |    |          |         |         |
|-------------------------------------------------------|---|--------|--------------------|-----------------------------|------|-------------------------|----|----------|---------|---------|
| श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 9 | गिट्टी | 1445 न0 1.37 घन मी | हजार 21.24 न0 3829.35 घन मी |      | त 18प्रतिश त 05प्रतिश त |    |          |         |         |
|                                                       |   |        |                    | घटाया (- )                  | 0.64 |                         |    |          |         |         |
|                                                       |   | योग    | --                 | --                          |      | 110317.00               | -- | 11093.31 | 2206.00 | 2471.00 |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                             |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 6 | विकास<br>खण्ड<br>परिसर के<br>पीछे चारो<br>तरफ<br>बाउण्ड्री का<br>मरम्मत<br>कार्य एवं<br>रंगाई-पुताई<br>कार्य<br>कार्यप्रभारी<br>श्री मनोज<br>शर्मा पद-<br>सहायक<br>विकास<br>अधिकारी<br>(आई एस<br>बी)                 | यथराज<br>ट्रेडर्स,<br>देवरिया<br>कैशमेमो<br>क्रमांक 10<br>दिनांक<br>08.03.19<br>(बिल का<br>भुगतान<br>चेक सं0<br>106832<br>दिनांक<br>13.05.19<br>मु0<br>353135) | ईटप्रथमश्रेणी<br>40मिमी0ईट<br>गिट्टी<br>सैण्ड<br>फाइन सैण्ड<br>सीमेन्ट<br>सरिया<br>पत्थर<br>सफेद सीमेन्ट<br>समोसन               | 33770न0<br>4.5 घन<br>मी<br>24.72<br>घन मी<br>2.28 घन<br>मी<br>192 बोरी<br>2.10Q+I<br>2.40 घन<br>मी<br>44kg<br>88kg | 6195/हजार<br>141750/घन<br>मी<br>2900/घन मी<br>1260/घन मी<br>294.40<br>बोरी<br>4295/Q+I<br>3467.10/घन<br>मी<br>17.40kg<br>45/kg | 209205.15<br>6378.75<br>71688.00<br>2872.80<br>56524.80<br>9019.92<br>8355.71<br>765.60<br>3960.00 | 5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>28प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>28प्रतिशत<br>18प्रतिशत | 9962.00<br>303.00<br>3414.00<br>136.00<br>12365.00<br>1376.00<br>398.00<br>168.00<br>604.00 | 7375    | 826 0   |
|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | योग                                                                                                                             | --                                                                                                                 | --                                                                                                                             | 368770.00                                                                                          | --                                                                                               | 28726.00                                                                                    | 7375.00 | 8260.00 |
| 7 | ग्राम<br>पंचायत<br>कंचनपुर में<br>मौलाना<br>बजरूद्दीन<br>के घर से<br>राजेन्द्र<br>चौहान के<br>घर तक<br>इण्टरलार्किंग<br>कार्य<br>कार्यप्रभारी<br>श्री मनोज<br>शर्मा पद<br>सहायक<br>विकास<br>अधिकारी<br>(आई एस<br>बी) | यथराज<br>ट्रेडर्स,<br>देवरिया<br>कैशमेमो<br>क्रमांक 11<br>दिनांक<br>21.03.19<br>(बिल का<br>भुगतान<br>चेक सं0<br>106837<br>दिनांक<br>01.06.19<br>मु0<br>152132) | 40मिमी0<br>ब्रिक<br>ब्लास्ट<br>सीमेन्ट<br>फाइन सैण्ड<br>लोकल सैण्ड<br>ईटप्रथमश्रेणी<br>इण्टरलार्किंगईट<br>साइनबोर्ड             | 11.63<br>घन मी<br>47 बोरी<br>8.81.घन<br>मी<br>6.25घन<br>मी<br>4973न0<br>3906 न0<br>1 अद्                           | 1359/घन मी<br>294.40<br>बोरी<br>1260/<br>735/<br>6.19/<br>20.06/<br>4500/न0.                                                   | 15700.00<br>13836.00<br>11100.00<br>4593.75<br>30782.87<br>78354.36<br>4500.00                     | 5प्रतिशत                                                                                         |                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | योग                                                                                                                             | --                                                                                                                 | --                                                                                                                             | 158868.00                                                                                          | --                                                                                               | 18626.00                                                                                    | 3177    | 3559    |
| 8 | भरौटा में<br>रामनिवास<br>गुप्ता की<br>दुकान पिच<br>रोड से<br>राधेश्याम<br>गुप्ता के घर<br>तक<br>इण्टरलार्किंग<br>कार्य<br>कार्यप्रभारी<br>श्री मनोज<br>शर्मा पद-<br>सहायक<br>विकास<br>अधिकारी<br>(आई एस              | यथराज<br>ट्रेडर्स,<br>देवरिया<br>कैशमेमो<br>क्रमांक 12<br>दिनांक<br>15.03.19<br>(बिल का<br>भुगतान<br>चेक सं0<br>106839<br>दिनांक<br>01.06.19)                  | 40मिमी0<br>औस मिमी0<br>ब्रिक<br>ब्लास्ट<br>सीमेन्ट<br>फाइन सैण्ड<br>लोकल सैण्ड<br>ईटप्रथमश्रेणी<br>इण्टरलार्किंगईट<br>साइनबोर्ड | 23.25<br>घन मी<br><br>94 बोरी<br>17.61<br>घन मी<br>12.50<br>घन मी<br>9945 न0<br>7813 न0<br>1 अद्                   | 1350/घन मी<br><br>29440 बोरी<br>1260/घन मी<br>735/घन मी<br>619/न0.<br>20.06/न0.<br>4500/न0.<br>खर्च (-)                        | 31387.50<br><br>27673.60<br>22188.60<br>9187.50<br>61559.55<br>156728.78<br>4500.00<br>0.53        | 5प्रतिशत<br><br>28प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत          | 1495.00<br><br>6054.00<br>1057.00<br>438.00<br>2931.00<br>23908.00<br>686.00                | 6265    | 7016    |

|  |                                     |  |     |  |  |           |    |           |       |       |
|--|-------------------------------------|--|-----|--|--|-----------|----|-----------|-------|-------|
|  | बी)                                 |  |     |  |  |           |    |           |       |       |
|  |                                     |  | योग |  |  | 313225.00 | -- | 36569.00  | 6265  | 7016  |
|  | क्रमांक 01 से क्रमांक 08 तक कुल योग |  |     |  |  | 2021388   | -- | 228273.55 | 40427 | 45279 |

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी तरकुलवां, जनपद देवरिया के पत्रांक 321/निविदा विज्ञप्ति/19-20/दिनांक 16.10.2019 से क्षेत्र पंचायत तरकुलवां द्वारा मनरेगा, राज्य वित्त योजना के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (2019-20) में स्वीकृत परियोजनाओं पर कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट, इण्टरलार्किंग ईट प्रथम श्रेणी, पत्थर गिट्टी, लोकल बालू, सीमेन्ट, मोरंग बालू, मिट्टी, ईट की गिट्टी, सरिया, ह्यूम पाइप, साइन बोर्ड इत्यादि की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित किया गया। समाचार पत्र प्रभात में दिनांक 19.10.2019 को तथा समाचार पत्र नवसत्ता हिन्दी दैनिक में दिनांक 20.10.2019 को निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 21.10.2019 से 30.10.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 3 तक निर्धारित किया गया। निविदा बाक्स में टेण्डर जमा करने की तिथि दिनांक 02.11.2019 के अपराह्न 3 बजे तक तथा निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने की तिथि दिनांक 02.11.2019 को अपराह्न 3.30 बजे निर्धारित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी तरकुलवां द्वारा वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए निविदा कार्य हेतु गठित समिति सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) खण्ड विकास अधिकारी, तरकुलवां-अध्यक्ष
- 2) श्री गिरिजेश उपाध्याय, सहायक विकास अधिकारी (स0क0)-सदस्य।
- 3) श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)-सदस्य।
- 4) श्री शिवाजी राय, अवर अभियन्ता ग्रामीण सेवा-सदस्य।

प्रथम श्रेणी ईट, इण्टरलार्किंग ईट प्रथम श्रेणी, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, लोकल बालू, मोरंग बालू, सीमेन्ट, सरिया, साइन बोर्ड, ह्यूम पाइप पास (एनपी-3) 4500मिमी0, मिट्टी, पेन्ट इत्यादि की आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) यशराज ट्रेडर्स, आजादनगर, देवरिया
- 2) शिवम् ईट उद्योग, बालपुर श्रीनगर, तरकुलवां, जिला-देवरिया
- 3) मेसर्स प्रकाश ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, सोनहुला रामनगर, जिला-देवरिया

यशराज ट्रेडर्स, आजादनगर, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ शपथपत्र 100 रुपये का स्टैम्प पेपर कोषागार स्टैम्प की तिथि 11.10.2019, स्टैम्प पेपर क्रमांक एफ बी 920612, निर्गमन तिथि 1353/20.10.2019 जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई0एन 09ए बी जी एच एस 0812आर आई जेड एल ) की छायाप्रति श्री संजीव कुमार राव का आधार क्रमांक 280956297683 की छायाप्रति, श्री संजीव कुमार राव का पैन न0 जी.ए.पी.आर 054951 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति पी0डब्ल्यू0डी0 की स्वीकृत रेट पर किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन प्रत्येक आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का आपूर्ति दर की धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, अनैस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

शिवम् उद्योग, बालपुर श्रीनगर, तरकुलवां, जिला देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन स्टैम्प पेपर क्रमांक बी डब्लू 115537, निर्गमन तिथि 725/22.10.2019 धनराशि रू0 50.00 संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों आपूर्ति पी0डब्ल्यू0 डी0 की स्वीकृत रेट से 0.25प्रतिशत अधिक दर से किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन प्रत्येक आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का आपूर्ति दर का धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, अनैस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स प्रकाश ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, सोनहुला रामनगर, जिला देवरिया ने अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई0एन 09 ए.जी.आर.पी.आर.2691बी आई जेड 0) छायाप्रति, पैन नम्बर (श्री मीना राव) पैन न0 ए.जी.आर.पी.आर.2691बी बी की छायाप्रति 100 रुपये का नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर क्रमांक एल आई पी एफ बी 955790, कोषागार स्टैम्प तिथि 22.10.2019, निर्गमन तिथि 1334/22.10.2019 संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति पी0डब्ल्यू0डी0 (लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दर से 0.50प्रतिशत अधिक दर पर किये जाने का उल्लेख

किया गया है, लेकिन आपूर्ति किये जोन वाले प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी तरकुलवां द्वारा इन तीनों में से यशराज ट्रेडर्स, आजादनगर देवरिया की निविदा को स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2019-20) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है, लेकिन टेण्डर फर्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्त की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अंतर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फर्म नोटिस पर टेंडर दर की वैधताकाल/ समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) निविदा प्रतिभागियों से जमा नहीं कराया गया है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा दाता से सामग्री का सैम्पल संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत स्वीकृत टेण्डर वाले सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है, लेकिन टेण्डर स्वीकृति के पश्चात सामग्री मूल्य निविदा मूल्य ₹0 2021388.00 के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि मात्र दस हजार रुपये प्रत्येक स्वीकृत निविदा वाले आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी गयी है, जो कि वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता फर्म से अनुचित सुरक्षा जमा ली गयी है। टेण्डरदाताओं द्वारा निविदा, प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरणी, बिक्री कर/ वैट/ जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथपत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेण्डर दाताओं की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। क्रयादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) संस्था द्वारा नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं किया गया है। निविदादाता फर्मों द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए शपथ भी नहीं लगाया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर/अधिक मूल्य पर किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2019-20) में उक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रुपये 2021388.00 में टेण्डर नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय रुपये 2021388.00 में टेण्डर प्रक्रियाओं के कारण अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन लेखाकार मु0 अतहर हुसैन टेण्डर हेतु गठित समिति सदस्य यथा सहायक विकास अधिकारी समिति सदस्य सहायक विकास अधिकारी (स0क0 श्री गिरीजेश उपाध्याय, समिति सदस्य सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रामाश्रय विश्वकर्मा उत्तरदायी है।

सामग्री आपूर्ति फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यों के लिए संस्था को सामग्री को आपूर्ति कब की गयी, इससे संबंधित विवरण यथा-सामग्री आपूर्ति तिथि, स्थान एवं समय सहित उपलब्ध नहीं रहा। क्रय की गयी सामग्री किस वाहन से संस्था पर अथवा कार्य स्थल पर लाया गया, इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री ढलान करने वाले वाहन से मालिक का नाम, पता, वाहन चालक का नाम, पता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का नाम पता इत्यादि का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वाहन के आगमन का समय, दिनांक, स्थान का विवरण तथा सामग्री उतारने के पश्चात वाहन के प्रस्थान का दिनांक, समय का विवरण, सामग्री ढोनेवाले वाहन का प्रकार, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, टोलटैक्स पेमेन्ट रसीद इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गयी सामग्री का आमद, उपयोग एवं अवशेष की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति संख्या-19 ए)

**प्रस्तर संख्या-40-** क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय कीमत रुपये 2021388.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना दर्शित किया गया है, जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि रुपये 228273.55 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में सामग्रियों के विश्लेषण की दर शीर्ष में भी सामग्री क्रय कीमत जी0एस0टी0 सहित आकलित किया गया है। लेकिन फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिलों पर सामग्री कीमत के साथ-साथ जी0एस0टी0 का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान का विवरण भी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे फर्म द्वारा दिये गये जी0एस0टी0 भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिल के साथ-साथ जी0एस0टी0 भुगतान रुपये 228273.55 अनियमितता रहा। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थ रहने की स्थिति में उन फर्मों से सामग्री क्रय संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय एवं सामग्री क्रय कीमत भुगतान की उच्च स्तरीय जांच अपेक्षित है। उपरोक्त जी0एस0टी0 भुगतान रुपये 228273.55 के प्रति श्री अशोक कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी, मु0 अतहर हुसैन लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या-19 बी)

प्रस्तर संख्या-41-

उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल से आयकर रुपये 45279.00 तथा जी0एस0टी0 रुपये 40427.00 को राजकीय कोषागार में जमा किये जाने संबंधी चालान, धनराशि प्राप्ति रसीद, दाखिल आयकर रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त के प्रति श्री रघुनाथ यादव लेखाकार भण्डार लिपिक, मु0 अतहर हुसैन, लेखाकार, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-19 सी )

**प्रस्तर संख्या-42-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में वित्तीय वर्ष (2019-20) राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान व्यय रुपये 264030.00 दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                                                                                                             | मस्टररोल अवधि                                                                    | श्रमिकों की श्रेणी                              | श्रमिकों की संख्या   | कुल श्रम दिवस        | मजदूरी दर प्रतिदिन       | मजदूरी धनराशि रुपये में                                                  | मजदूरी भुगतान रुपये में | चेक संख्या एवं तिथि | चेक प्राप्तकर्ता भुगतान प्राप्तकर्ता                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ग्राम पंचायत कोटवा में पिच मार्ग सड़क से स्टूडेंट रियल स्कूल तक इण्टरलार्किंग कार्य कार्यप्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                                   | 25.01.20 से 31.01.20 तक                                                          | मिस्त्री मजदूरी योग                             | 03<br>07<br>10       | 21<br>49<br>70       | 290<br>200<br>---        | 6090<br>9800<br>15890                                                    | 15890.00                | 71783/<br>06.02.20  | श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                  |
| 2.       | ग्राम पंचायत सोनहला रामनगर में पिच सड़क से ओमप्रकाश बाबू के घर तक इण्टरलार्किंग कार्य कार्य प्रभारी श्री आश मुहम्मद वि.अ.                                                                | 20.02.20 से 28.02.20                                                             | मिस्त्री मजदूरी योग                             | 03<br>07<br>10       | 27<br>60<br>87       | 290<br>200<br>--         | 7830<br>12000<br>19830                                                   | 19830                   | 71811/<br>31.03.20  | कार्य प्रभारी श्री आश मुहम्मद वि.अ.                                    |
| 3.       | ग्राम पंचायत मुसहरी में पिच सड़क से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज तक इण्टरलार्किंग कार्य कार्य प्रभारी-श्री निर्भय कुमार शाही पद ए.डी.ओ (आई एस बी)                                       | 15.01.20 से 21.01.20 तक                                                          | मिस्त्री मजदूरी योग                             | 05<br>10<br>15       | 30<br>67             | 290<br>200               | 8700<br>13400<br><b>22100.00</b>                                         | 22100.00                | 71781/<br>06.02.20  | श्री निर्भय कुमार शाही पद(ए.डी.ओ )                                     |
| 4        | ग्राम पंचायत भोगलपुरा (अहिरौली) में पिच सड़क से फैक्ट्री तक जाने वाले सड़क पर इण्टरलार्किंग कार्य कार्यप्रभारी-श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                     | 04.02.20 से 17.02.20 तक                                                          | मिस्त्री मजदूरी योग                             | 06<br>13<br>19       | 82<br>179<br>261     | 290<br>290<br>--         | 23780<br>35800<br>59580                                                  | 59580.00                | 717807/<br>12.03.20 | श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) कार्यप्रभारी     |
| 5        | ग्राम पंचायत तरकुलवा में शौचालय निर्माण (महिला एवं पुरुष) कार्य प्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                                                            | 01.12.219 से 07.12.19 तक                                                         | मिस्त्री मजदूरी योग                             | 05<br>13<br>18       | 35<br>86<br>121      | 320<br>200<br>--         | 11200<br>17200<br>28400                                                  | 28400                   | 71779/<br>06.02.20  | श्री निर्भय कुमार शाही सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) कार्यप्रभारी     |
| 6        | विकास खण्ड परिसर के पीछे चारो तरफ बाउण्ड्री वाल निर्माण एवं पूर्व निर्मित बाउण्ड्री का मरम्मत कार्स एवं रंगाई-पुताई कार्य कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 1) 08.03.19 से 14.03.19<br>2) 16.03.19 से 22.03.19 तक<br>3) 23.03.19 29.03.19 तक | मिस्त्री मजदूरी मिस्त्री मजदूरी मिस्त्री मजदूरी | 04<br>11<br>04<br>11 | 28<br>77<br>28<br>77 | 320<br>200<br>320<br>200 | 8960.00<br><b>15400</b><br>24360<br><br>8960.00<br><b>15400</b><br>24360 | 58560.00                | 106833/<br>13.05.19 | श्री मनोज शर्मा पद सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (आई एस बी) कार्यप्रभारी |

|   |                                                                                                                                                              |                              |                    |          |          |            |                         |           |                     |                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                              |                              |                    | 03<br>04 | 17<br>22 |            | 5440<br>4400<br>9840    |           |                     |                                                                        |
| 7 | ग्राम पंचायत कंचनपुर में मौलाना बजरूद्दीन के घर से राजेन्द्र चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 22.03.19 से<br>28.03.19 तक   | मिस्त्री<br>मजदूरी | 04<br>09 | 28<br>59 | 290<br>200 | 8120<br>11800<br>19920  | 19920.00  | 106838/<br>01.06.19 | श्री मनोज शर्मा पद<br>सहायक विकास अधिकारी<br>(आई एस बी) (कार्यप्रभारी) |
| 8 | भरौटा में रामनिवास गुप्ता की दुकान पिच रोड से राधेश्याम गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)    | 15.03.2019 से<br>21.03.19 तक | मिस्त्री<br>मजदूरी | 35<br>70 | 35<br>70 | 290<br>200 | 10150<br>14000<br>24150 | 39750.00  | 106840/<br>01.06.19 | श्री मनोज शर्मा पद<br>सहायक विकास अधिकारी<br>(आई एस बी)                |
|   |                                                                                                                                                              | 22.03.19 से<br>26.03.19 तक   | मिस्त्री<br>मजदूरी | 04<br>10 | 20<br>49 | 290<br>200 | 5800<br>9800<br>15600   |           |                     |                                                                        |
|   | क्रमांक 01 से क्रमांक 08 तक कुल योग                                                                                                                          |                              |                    |          |          |            | 264030                  | 264030.00 |                     |                                                                        |

क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत वर्ष (2019-20) में कराए गए निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान रुपये 264030.00 किया गया। उक्त निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है।

मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलों पर क्रमांक/प्रिन्टेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं पाये गये जबकि मस्टररोलों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत जारी किया गया जाना चाहिए था। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सप्ताह के अंत में नहीं किया गया। मस्टररोलों प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसने नीचे श्रमिकों को उपस्थिति लेने वाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टररोलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति/माहि्ला इत्यादि का विवरण, कुल सृजित श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया है। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ित के अलग-अलग अंगुलियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अंगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अंगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये। मजदूरों के अंगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यों में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है। जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रतिकार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अंगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण पत्र के रूप में उपस्थिति लेनेवाले कर्मचारी/कार्यप्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों की उपस्थिति एवं उपस्थिति रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्यप्रारम्भ मध्य एवं कार्यसम्पत्ति पर कार्यस्थल की फोटोग्राफी करायी जानी चाहिए। कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के कार्य प्रारम्भ के समय साईनबोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाया जाना चाहिए।

मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है, जिन्होंने निर्माण कार्य पर कार्य किया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय

जांच करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त मजदूरी भुगतान रुपये 264030.00 में अनियमितता के प्रति श्री अशोक कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी, मु0 अतहर हुसैन, लेखा कार संबंधित कार्यप्रभारी श्री निर्भय कुमार शाही ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0), श्री आश मुहम्मद (ग्राम विकास अधिकारी,) श्री मनोज शर्मा ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान राशि 264030.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-20)

**प्रस्तर संख्या-43-**

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-2020) में स्वच्छ भारत मिशन मद की लेखों की प्रविष्टि दिनांक 31.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि का अनुदान पंजिका में किया है। स्वच्छ भारत मिशन मद की दिनांक 31.10.2019 से पूर्व की लेखों की प्रविष्टि संस्था के अभिलेखों अनुदान पंजिका में नहीं किया गया है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन मद की राजकीय अनुदान का वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में प्राप्त, वर्ष में उपयोग इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन मद के अनुदान का विवरण दिनांक 31.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि का निम्न प्रकार है:-

धनराशि रुपये में

| क्रम सं0 | मद                        | अवधि                                  | दिनांक 31.10.19 को प्रारंभिक शेष | दिनांक 31.10.19 से दिनांक 31.03.20 तक में प्राप्त राजकीय अनुदान | दिनांक 31.10.019 दिनांक 31.03.20 तक में दर्शित व्यय | वर्षान्त में दिनांक 31.03.20 को अन्तिम अवशेष |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01       | स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) | दिनांक 31.10.19 से दिनांक 31.03.20 तक | 62760.00                         | 300896.00                                                       | 140138.00                                           | 223518.00                                    |
|          | कुल योग                   | --                                    | 62760.00                         | 300896.00                                                       | 140138.00                                           | 223518.00                                    |

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-20) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रा0 के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान की धनराशि से दिनांक 31.10.19 से 31.03.20 तक की अवधि में किये गये व्यय रुपये 140138.00 का विवरण अनुदान पंजिका के अनुसार निम्न प्रकार है।

धनराशि रुपये में

| क्रम सं0 | दिनांक   | व्यय का विवरण                                                                                             | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1        | 08.11.19 | जागरण प्रकाशन लि0 को भुगतान (विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय)                                                    | 934040              | 21000.00  |
| 2        | 13.01.20 | श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी को वाहन सं0 यू पी 52 टी 9311) हेतु डीजल क्रय का भुगतान      | 718011              | 14180.00  |
| 3        | 30.03.20 | मेसर्स एस0डी0 इण्टरप्राइजेज, रामगुलाम टोला, भीखमपुर रोड देवरिया को वाहन किराया का आरटीजीएस द्वारा भुगतान। | 718012              | 104958.00 |
|          | योग      |                                                                                                           |                     | 140138.00 |

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वाहन संख्या यू पी52टी 9311 को किराये पर लिया गया। वाहन आपूर्ति कर्ता फर्म/वाहन स्वामी एवं क्षेत्र पंचायत के बीच किये गये अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) एवं इकरारनामा एवं किराये के वाहन हेतु टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार वाहन किराया एवं डीजल क्रय भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:-

धनराशि रुपये में

| क्रम सं0 | व्यय का विवरण                                                                       | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि    | भुगतान प्राप्तकर्ता                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ए)       | वाहन किराया                                                                         |                     |           |                                                                                                                                               |
| 1        | मे0 एस0डी0 इण्टरप्राइजेज, रामगुलाम टोला, भीखमपुर रोड, देवरिया को वाहन किराया भुगतान | 718012              | 104958.00 | द्वारा फर्म के बैंक खाते सिंडीकेट बैंक देवरिया अ0नं0 89633070001673 में रू0 104958.00 जमा क्षेत्र पंचायत के बैंक खाते से निकासी तिथि 07.04.20 |
| 2        | मे0 एस0डी0 इण्टरप्राइजेज, रामगुलाम                                                  | 718017              | 108486.00 | वित्तीय वर्ष (2020-21) में भुगतान किया गया।                                                                                                   |



|                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| टोला, भीखमपुर रोड, देवरिया को वाहन किराया भुगतान (वाहन संख्या यू पी 52 टी 9311) |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

योग - 213444.00(धनराशि रुपये में)

| क्रम सं० | व्यय का विवरण                                                | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वी )     | डीजल क्रय कीमत भुगतान                                        |                     |        |                                                                                                                                      |
| 1        | वाहन हेतु डीजल क्रय का भुगतान (वाहन संख्या यू पी 52 टी 9311) | 718017/<br>13.01.20 | 14180  | श्री रामाश्रय विश्वकर्मा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) (क्षेत्र 0 पं० बैंक खाते से निकासी तिथि 17.01.19)                              |
| 2        | वाहन हेतु डीजल क्रय का भुगतान (वाहन संख्या यू पी 52 टी 9311) | 718016<br>29.04.20  | 23529  | श्री रामाश्रय विश्वकर्मा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) (क्षेत्र 0 पं० बैंक खाते से निकासी तिथि 05.05.20 (भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21) |
|          | योग (वी )                                                    | --                  | 37709  |                                                                                                                                      |
|          | कुल योग (ए + वी )                                            |                     | 251153 |                                                                                                                                      |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वाहन किराया रुपये 213444.00 का भुगतान एस0डी0 इन्टरप्राइजेज, रामगुलाम टोला, भीखमपुर रोड देवरिया को तथा डीजल क्रय कीमत रुपये 37709.00 का भुगतान श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तरकुलवा को किया गया।

वाहन लागवुक की संलग्न छायाप्रति के अनुसार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किराये के वाहन का उपयोग क्षेत्र भ्रमण एवं यात्रा में किया था। उनके द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण एवं यात्रा वाहन लागवुक में दर्शित कर वाहन किराया एवं डीजल व्यय दर्शित किया गया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा कार्यक्रम उपलब्ध नहीं रहा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उनका भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा कार्यक्रम लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उनके द्वारा प्रतिदिन किये गये यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा ब्लाक स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों यथा निर्मित शौचालयों का शत प्रतिशत निरीक्षण, स्थलीय सत्यापन एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच की जानी चाहिए थी। एस0बी0एम0 के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा निरीक्षण में यह रखा जाना तथा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार किया गया है, निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा कराया गया है, शौचालय द्वारा पेयजल स्रोत दूषित नहीं हो रहे हैं, कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित पात्रता श्रेणी के लाभार्थियों का ही चयन किया गया है एवं निर्मित शौचालयों का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। जबकि सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उपरोक्त तथ्यों को सुनिश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण, भौतिक/ स्थलीय सत्यापन एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच संबंधी रिपोर्ट इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। स्पष्ट है उनके द्वारा उद्देश्यहीन यात्रा दर्शितकर डीजल एवं वाहन किराया पर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंधी स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त मद में राजकीय धन के दुरुपयोग के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), श्री रामाश्रय विश्वकर्मा खण्ड विकास अधिकारी, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, लेखाकार मु0 अतहर हुसैन उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-22)

**प्रस्तर संख्या-44-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में वर्ष (2019-20) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग तीन के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं वर्ष में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-  
(धनराशि रुपये में)

| क्रम सं० | वित्तीय वर्ष | मद का विवरण        | वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष (01.04.19 को) | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में व्यय | वर्षान्त में अन्तिम अवशेष (31.03.20 को) |
|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2019-20      | मनरेगा कन्टीजेन्सी | 1088369.00                                 | 2229722          | 2566630       | 751461.00                               |
|          |              |                    | 1088369.00                                 | 2229722          | 2566630       | 751461.00                               |

क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में वर्ष (2019-20) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी बैंक खाते पर अर्जित आय का विवरण निम्न प्रकार है:-  
(धनराशि रुपये में)

| क्रम सं० | दिनांक | अनुदान दाता का नाम एवं मद का विवरण | धनराशि |
|----------|--------|------------------------------------|--------|
|----------|--------|------------------------------------|--------|

|   |          |                                                                                              |           |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 04.04.19 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 179310.00 |
| 2 | 26.06.19 | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद बैंक खाते पर अर्जित ब्याज                                              | 3504.00   |
| 3 | 13.08.19 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 250000.00 |
| 4 | 13.08.19 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 151200.00 |

|    |                      |                                                                                              |            |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5  | 13.08.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 50000.00   |
| 6  | 26.08.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 15000.00   |
| 7  | 26.08.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 105000.00  |
| 8  | 26.08.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 15000.00   |
| 9  | 28.09.19             | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद बैंक खाते पर अर्जित ब्याज                                              | 3535.00    |
| 10 | 25.11.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 105000.00  |
| 11 | 25.11.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 151200.00  |
| 12 | 25.11.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 25000.00   |
| 13 | 25.11.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 198000.00  |
| 14 | 25.11.19             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 25000.00   |
| 15 | 27.12.19<br>01.01.20 | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद बैंक खाते पर अर्जित ब्याज                                              | 3261.00    |
| 16 | 10.02.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 40000.00   |
| 17 | 10.02.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 25000.00   |
| 18 | 10.02.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 151200.00  |
| 19 | 10.02.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 225000.00  |
| 20 | 20.03.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 198000.00  |
| 21 | 20.03.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में एन इ एफ टी द्वारा खाते में प्राप्त | 198000.00  |
| 22 | 20.03.20             | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में                                    | 101000.00  |
| 23 | 27.03.20             | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद बैंक खाते पर अर्जित ब्याज                                              | 3612.00    |
|    |                      | योग                                                                                          | 2221822.00 |

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-20) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-  
धनराशि रूपये में

| क्र० सं० | दिनांक   | चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण                                            | चेक संख्या | व्यय धनराशि |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1        | 04.04.19 | मनरेगा कार्मियों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां | 696549     | 50400.00    |
| 2        | 11.04.19 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां    | 696550     | 792000.00   |
| 3        | 11.04.19 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल                   | 528726     | 114000.00   |

|   |          |                                                                                           |        |          |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|   |          | बैंक, तरकुलवां                                                                            |        |          |
| 4 | 11.04.19 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                    | 528727 | 12000.00 |
| 5 | 09.04.19 | बैंक शाखा द्वारा दिनांक 09.04.19 को चेक बुक चार्ज शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां | ---    | 89.00    |

|    |          |                                                                                                        |        |           |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 6  | 07.06.19 | मनरेगा कार्मियों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                              | 528730 | 50400.00  |
| 7  | 23.07.19 | श्री रघुनाथ यादव, भण्डार लिपिक को कार्यालय व्यय का भुगतान                                              | 528732 | 10222.00  |
| 8  | 05.08.19 | श्री रघुनाथ यादव, भण्डार लिपिक को कार्यालय व्यय का भुगतान                                              | 528733 | 6900.00   |
| 9  | 13.09.19 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                                 | 528734 | 186000.00 |
| 10 | 13.09.19 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                                 | 528735 | 264000.00 |
| 11 | 16.09.19 | कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                              | 528736 | 33600.00  |
| 12 | 23.09.19 | कार्टेज दो अदद क्रय का भुगतान डी0सी0 मनोगा को आरटीजीएस द्वारा (शाख प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां) | 528737 | 10200.00  |
| 13 | 05.10.19 | लेखा सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय भुगतान शाख प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                    | 528738 | 44800.00  |
| 14 | 24.10.19 | लेखा सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय भुगतान शाख प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                    | 528739 | 33600.00  |
| 15 | 16.12.19 | ए पी ओ को मानदेय भुगतान माह जून 19 से नवम्बर 19 तक का शाख प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां           | 528741 | 140000.00 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 16 | 16.12.19 | लेखा सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय भुगतान शाख प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                                                                                                                                                                             | 528742 | 22400.00  |
| 17 | 16.12.19 | श्री रघुनाथ यादव, भण्डार लिपिक को (कार्टेज क्रय, प्रिन्टर आदि) कार्यालय व्यय                                                                                                                                                                                    | 528743 | 15770.00  |
| 18 | 01.01.20 | मेसर्स बतसा ट्रेडिंग कम्पनी को आर0ओ0 प्लान्ट के मरम्मत पर व्यय का भुगतान (शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां)<br>(वापस/निरस्त चेक 528740/ 04.11.19) धनराशि 7900.00 के स्थान पर दूसरा चेक 528744/ 01.01.20 धनराशि 7900.00 निर्गत कर फर्म को किया गया भुगतान | 528744 | 7900.00   |
| 19 | 06.01.20 | ए पी ओ , ए एच एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय भुगतान (शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक तरकुलवां)                                                                                                                                                                    | 528745 | 50400.00  |
| 20 | 22.01.20 | मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां।                                                                                                                                                                                                          | 528746 | 28000.00  |
| 21 | 22.01.20 | रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान शाखा प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां                                                                                                                                                                                          | 528746 | 312000.00 |
| 22 | 22.02.20 | श्री रघुनाथ यादव, भण्डार लिपिक को स्टेशनरी, कार्टेज हेतु क्रय पर भुगतान                                                                                                                                                                                         | 528747 | 2600.00   |
| 23 | 06.03.20 | मानदेय भुगतान (मनरेगा कार्मिक एवं रोजगार सेवक), मनरेगा कर्मी-96312 रोजगार सेवक-198000.00 योग-294312.00 प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां।                                                                                                                      | 528749 | 294312.00 |

|    |          |                                                                                   |        |                   |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 24 | 06.03.20 | इ0पी0एफ0 कटौती पर व्यय प्रबन्धक, पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां।                        | 528750 | 9350.00           |
| 25 | 13.03.20 | बैंक शाखा द्वारा चेक निर्गमन चार्ज                                                | ----   | 89.00             |
| 26 | 21.03.20 | मेसर्स साहू टेन्ट हाउस देवरिया को लन्च पैकेट, साउंड बाक्स, बैनर इत्यादि का भुगतान | 53201  | 17298.00          |
|    |          | <b>बृहद योग</b>                                                                   |        | <b>2566630.00</b> |

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-20) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका (नया) के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में धनराशि रुपये 2566630.00 तथा मनरेगा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन (2019-20)/ वित्तीय विवरण समरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत में मनरेगा प्रशासनिक मद (पी0ओ0 स्तर) पर व्यय रुपये 2029000.00 दर्शित है। इस प्रकार वर्ष (2019-20) में मनरेगा में प्रशासनिक मद/ मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय में अंतर रुपये 537630.00 का समाधान/निराकरण अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-20) में मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में उक्त दर्शित व्यय ₹0 2566630.00 के व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज / पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मनरेगा श्रमिक उपस्थिति पंजिका, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी से संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः उक्त के अभाव में मनरेगा कन्टीजेन्सी / मनरेगा प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय अपुष्टि रहे। मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत तरकुलवां की वर्ष (2019-20) की मनरेगा एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद संबंधित अनुदान पंजिका भाग एक बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र चेक इश्यू रजिस्टर, मनरेगा कैंशबुक इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे मद में राजकीय अनुदान का वर्षान्त में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में प्राप्त, वर्षान्त में अन्तिम अवशेष इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के प्रति श्री अशोक कुमार त्रिपाठी वी.डी.ओ, मु0 अतहर हुसैन लेखाकार, तत्कालीन ए0पी0ओ0 उत्तरदायी है। पुष्टि के अभाव में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-23)

**प्रस्तर संख्या-45-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में वर्ष (2019-20) में निम्न बैंक खातों के बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है:-  
धनराशि रुपये में

| क्र0 सं0 | मद का विवरण                   | बैंक, बैंक शाखा एवं खाता संख्या का विवरण                 | 31.03.20 को अनुदान पंजिका में दर्शित अन्तिम अवशेष |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | कन्टीजेन्सी मद क्षेत्र पंचायत | पूर्वांचल बैंक, तरकुलवां अ0नं0 3102032221                | 112539.00                                         |
| 2        | तकनीकी प्रशासनिक              | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राघव नगर, अ0नं0 3689972051 | 12848.69                                          |
|          |                               | <b>योग</b>                                               | <b>125387.69</b>                                  |

उक्त बैंक खातों के बैंक पास बुक, स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर एवं संबंधित अन्य अभिलेखों प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या-24)

**प्रस्तर संख्या-46-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवां में कितने आवासीय भवन है तथा इन भवनों को किन-किन अधिकारियों कर्मचारियों को आवंटित किया गया है, इस संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। किराया पंजिका एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या-25)

**प्रस्तर संख्या-47-** मनरेगा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन (2019-20) (वित्तीय विवरण) के अनुसार क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में वर्ष (2019-20) में महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी योज ना के अन्तर्गत सामग्री क्रय पर व्यय 2.5 लाख रुपये एवं श्रमिकों का पारिश्रमिक ₹0 0.54 लाख कुल रुपये 3.09 लाख व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-  
धनराशि रुपये में

| क्रम संख्या | मद का विवरण                                         | वर्ष (2019-20) में व्यय की धनराशि |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | क्षेत्र पंचायत स्तर पर अकुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक | 0.54 लाख                          |
| 2           | क्षेत्र पंचायत स्तर पर सामग्री क्रय पर व्यय         | 2.55 लाख                          |
|             | <b>कुल योग</b>                                      | <b>3.09 लाख</b>                   |

उक्त दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, पत्रावली संबंधित दस्तावेज संबंधित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, पत्रावली/परियोजनाओं की पत्रावली, संबंधित दस्तावेज संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा

परीक्षा में प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री अशोक कुमार त्रिपाठी बी0डी0ओ0, मु0 अतहर हुसैन लेखाकार, तत्कालीन ए0पी0ओ0 उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-27)

**प्रस्तर संख्या-48-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवां द्वारा वर्ष (2019-20) में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों के सामग्री क्रय बिलों पर आयकर की कटौती की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल आयकर रिटर्न/जमा रसीदें इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। क्षेत्र पंचायत की अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार आयकर कटौती जमा का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम संख्या | मद                                               | चेक सं0दिनांक          | धनराशि (रूपये में) |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | 106834/दिनांक 13.05.19 | 12120.00           |
| 2           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | 071791/दिनांक 15.06.19 | 10575.00           |
| 3           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | 071804/दिनांक 06.02.20 | 11341.00           |
| 4           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | 071808/दिनांक 12.03.20 | 11280.00           |
|             |                                                  | योग                    | 45316.0            |

आयकर कटौती जमा की पुष्टि जमा रसीदें/चालान/दाखिल आयकर रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री रघुनाथ यादव लेखाकार/भण्डार लिपिक उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-28)

**प्रस्तर संख्या-49-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवां द्वारा वर्ष (2019-20) में राजकीय अनुदान राज्य वित्त आयोग मद में श्री रघुनाथ यादव, लेखाकार/अ0लि0 को विभिन्न तिथियों में रुपये 243000.00 भुगतान अनुदान पंजिका भाग दो में दर्शित हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-  
(धनराशि रूपये में)

| क्रम संख्या | मद                                                                              | चेक प्राप्तकर्ता भुगतान प्राप्तकर्ता | चेक सं0दिनांक                                          | धनराशि (रूपये में) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1           | माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख मानदेय (माह अगस्त 2017 से माह जुलाई 2019 तक)       | श्री रघुनाथ यादव लेखाकार अ0लि0       | 071794 दिनांक 19.08.2019 बैंक में निकासी तिथि 21.08.19 | 168000.00          |
| 2           | क्षेत्र पंचायत बैठक दिनांक 25.10.19 में माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय | श्री रघुनाथ यादव लेखाकार अ0लि0       | 071796 दिनांक 23.10.2019 बैंक में निकासी तिथि 24.10.19 | 75000.00           |
|             |                                                                                 |                                      | कुल योग                                                | 243000.00          |

बैंक पासबुक के अनुसार धनराशि रूपये 243000.00 का भुगतान श्री रघुनाथ यादव, लेखाकार/अ0लि0 को किया गया है जबकि उक्त भुगतान क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए था। क्षेत्र पंचायत प्रमुख मानदेय पंजिका, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय पंजिका एवं टी0ए0 बिल, क्षेत्र पंचायत प्रमुख मानदेय भुगतान प्राप्ति रसीद एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय टी0ए0 बिल भुगतान प्राप्ति रसीद इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय भुगतान प्राप्ति अपुष्टित रहा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं सदस्यों की मानदेय पंजिका, टी0ए0 बिल, मानदेय भुगतान प्राप्ति रसीद/टी0ए0 बिल भुगतान प्राप्ति रसीद तथा संबंधित दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा के प्रति श्री रघुनाथ यादव लेखाकार/भण्डार लिपिक श्री अशोक कुमार त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-50-** क्षेत्र पंचायत तरकुलवां द्वारा वर्ष (2019-20) में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों के सामग्री क्रय बिलों पर जी0एस0टी0 (दर 2प्रतिशत) की कटौती की गयी है। निम्न जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि

जमा की पुष्टि में चालान/जी0एस0टी0 विवरणी/जी0एस0टी0 जमा रसीदें तथा अन्य संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

| क्र0<br>सं0 | चेक प्राप्तकर्ता                                 | निर्गत आपत्तियों की संख्या<br>चेक संख्या/ दिनांक | धनराशि (रूपये में) | बैंक से निकासी की तिथि<br>इलाहाबाद बैंक अ0न0<br>500568226428 |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | चेक संख्या/ 71805<br>दिनांक 06.02.2020           | 10135              | 23.03.2020                                                   |
| 2           | शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विकास भवन, देवरिया | चेक संख्या/ 71809<br>दिनांक 12.03.2020           | 10076              | 23.03.2020                                                   |
|             |                                                  | कुल योग                                          | 20211.00           |                                                              |

जी0एस0टी0 कटौती को राजकीय कोषागार में जमा न किये जाने के प्रति श्री अशोक कुमार त्रिपाठी बी डी ओ , मु0 अतहर हुसैन लेखाकार, श्री रघुनाथ यादव लेखाकार भण्डार लिपिक उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-30)

क्षेत्र पंचायत-लार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-51 (अ)- क्षेत्र पंचायत लार में वित्तीय वर्ष (2019-20) राज्य वित्त योजना आयोग अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर रुपये 5878547.00 भुगतान दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                                                                                                 | फर्म का नाम एवं बिल का विवरण                                                                       | सामग्री क्रय का विवरण                                           | मात्रा                                                                            | दर                                                                              | सामग्री क्रय कीमत                                                               | जी0एस0टी0 दर                                                       | बिल की धनराशि में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि | संस्था द्वारा की गयी कटौती |                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                 |                                                                    |                                                | जी0एस0टी0                  | आयकर                   |
| 1        | ग्राम पंचायत महाल मझरिया में रमाकान्त साहूनी के घर से निरकारी भवन तक खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी | (I) ओम ईट उद्योग ग्राम+पोस्ट-अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक 20 दिनांक 16.06.2019              | ईट प्रथम श्रेणी योग                                             | 90000 न0<br><br>बचत<br><br>--                                                     | 6195 प्रति हजार<br>(-)<br>1394<br><br>---                                       | 557550<br><br><br>532575                                                        | 5प्रतिशत<br><br><br>--                                             | 27878.00<br><br><br>27878.00                   | 11123<br><br><br>11123     | 12458<br><br><br>12458 |
| 2        | ग्राम पंचायत बरडीहा परशुराम में नन्दी भौजी पोखर में सीढ़ी निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री वैभव कुमार सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी          | (I) ओम ईट उद्योग ग्राम+पोस्ट- अजना, लार, जिला-देवरिया बिल ऑफ सप्लाई बिल क्रमांक 16 दिनांक 16.06.19 | ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी (40 मिमी0)                         | 28000 न0<br>41.40 घन मी                                                           | 6195 प्रति हजार<br>1417/<br>घन मी<br>बचत                                        | 173460<br><br>58663.80<br><br>(-) 580.80                                        | 5प्रतिशत<br><br>5प्रतिशत                                           | 8673<br><br>2933.00                            | 4631                       | 5186                   |
|          |                                                                                                                                              |                                                                                                    | योग                                                             |                                                                                   |                                                                                 | 231543                                                                          | --                                                                 |                                                | 4631                       | 5186                   |
|          |                                                                                                                                              | (II) मे0 अमित कुमार सिंह बरडीहा परशुराम, देवरिया बिल क्रमांक 83 दिनांक 16.06.2019                  | सीमेन्ट सफेद बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी (20मिमी0) स्टील सरिया | 294/बोरी<br>1260/घन मी<br>2900/ घन मी<br><br>3829.35 प्रति घन मीटर<br>4295/क्यूएच | 509 बोरी<br>27.44घन मी<br>31.56घन मी<br><br>30.80घन मी<br><br>23.3क्यूएच<br>बचत | 149646<br>34574.40<br>91524<br>117943.<br>98<br>100245.3<br>0<br>(-)<br>1235.68 | 28प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br><br>5प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत | 41901<br>1729<br>4576<br><br>5897<br><br>18044 | 9854                       | 11036                  |
|          |                                                                                                                                              |                                                                                                    | योग                                                             | --                                                                                | --                                                                              | 492698                                                                          | --                                                                 | 72147                                          | 9854                       | 11036                  |
| 3        | ग्राम पंचायत महाल मझरिया में नाला नम्बर 01 पर (1X5)                                                                                          | (I) ओम ईट उद्योग ग्राम+पोस्ट-अजना, लार, जिला-देवरिया                                               | ईट प्रथम श्रेणी बोर्ड बोरिंग लोरिक सफेद बालू                    | 6195/ हजार<br>40 आर एम<br><br>0.43 घन मी                                          | 25200<br>न0<br>158/आर एम<br><br>1260/घन मी                                      | 156114<br><br>6320.00<br><br>504.00                                             | 5प्रतिशत<br><br>12प्रतिशत<br><br>5प्रतिशत                          | 7806<br><br>677.00<br><br>25.00                |                            |                        |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                 |                 |            |           |       |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|------|
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                 | बचत             | (-) 936.80 |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | योग                         | --              | --              | 373353     | --        | 45544 | 7467 | 8363 |
| 4. | ग्राम पंचायत बावनपाली में हरेन्द्र राजभर के घोठा से मस्जिद तक इण्टरलार्किंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री तेज बहादुर सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (कृषि) | (I) एफ बी एस टाइल्स प्लांट, ग्राम+पोस्ट-अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक 36 दिनांक 11.08.19 | इण्टर लार्किंग टाइल्स       | 7600 न0         | 24/पीस          | 182400     | 18प्रतिशत | 27824 | 3639 | 4076 |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                |                             | बचत             | (-) 456         |            |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     | योग                                                                                            | --                          | --              | 181944          | --         |           | 27824 | 3639 | 4076 |
|    |                                                                                                                                                     | (II) मेसर्स अमित कुमार सिंह बरडीहा परशुराम, देवरिया बिल क्रमांक 95 दिनांक 10.08.19             | सीमेन्ट                     | 75 बोरी         | 294/ बोरी       | 22050.00   | 28प्रतिशत | 4823  | 967  | 1078 |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | सफेद बालू                   | 10.48 घन मी     | 735/घन मी       | 7702.80    | 5प्रतिशत  | 367   |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | मारेंग बालू                 | 14.69 घन मी     | 1260 घन मी      | 18509.40   | 5प्रतिशत  | 881   |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                 | बचत             | (-)121.00  |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | योग                         | --              | --              | 48141.00   | --        | 6071  | 967  | 1078 |
|    |                                                                                                                                                     | (III) ओम ईट उद्योग, ग्राम+पोस्ट अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक 24 दिनांक 10.08.19         | ईट प्रथम श्रेणी             | 5900न0          | 6195 प्रति हजार | 36550.5    | 5प्रतिशत  | 1741  |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | ईट गिट्टी                   | 22.26 घन मी     | 1417 घन मी      | 31542.42   | 5प्रतिशत  | 1502  | 1358 | 1521 |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                |                             |                 | बचत             | (-) 170    |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | योग                         | --              | --              | 67922.00   | --        | 3243  | 1358 | 1521 |
| 5  | विकास खण्ड कार्यालय लार में साज सज्जा कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी (कृषि)                                       | (I) मेसर्स राघव ट्रेडर्स, बरडीहा परशुराम देवरिया बिल क्रमांक-28 दिनांक 19.08.2019              | चैनल गेट 2 पीस              | 12.23 वर्ग मीटर | 4218.50         | 51592.25   | 18प्रतिशत | 7870  |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | आयरन ग्रील                  | 2.65 क्यूएच     | 6053            | 16041.51   | 18प्रतिशत | 2447  |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | जंगल का शीशा                | 7.04 वर्ग मीटर  |                 | 3780.48    | 12प्रतिशत | 405   |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | लकड़ी का फ्रेम              | 10.40 वर्ग मीटर |                 | 4784.00    | 12प्रतिशत | 513   |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                | लकड़ी का पल्ला पानी की टंकी | 1.80 वर्ग मीटर  | 1790/वर्ग मीटर  | 3401.00    | 12प्रतिशत | 364   | 1822 | 2041 |



|  |  |                                                                                             |                               |                      |                    |                             |                        |           |      |      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------|------|
|  |  |                                                                                             | (500 ली0)                     | 01                   | 7.60/ली0           | 3800                        | 18प्रतिशत              | 580       |      |      |
|  |  |                                                                                             | पीवीसी पाइप                   | 58 आर एम             | 77                 | 4466                        | 18प्रतिशत              | 681       |      |      |
|  |  |                                                                                             | हैण्ड वाश<br>वैशिन            | 1 पीस                | 1150               | 1150                        | 18प्रतिशत              | 175       |      |      |
|  |  |                                                                                             | प्लास्टिक<br>कटोरी            | 3 पीस                | 150                | 450                         | 18प्रतिशत              | 69        |      |      |
|  |  |                                                                                             | सॉकेट                         | 10 पीस               | 80                 | 800                         | 18प्रतिशत              | 122       |      |      |
|  |  |                                                                                             | बैण्ड<br>दरवाजे का<br>क्लेम्प | 10 पीस<br>3.80 घन मी | 90<br>49.50<br>बचत | 900<br>188.10<br>(-) 228.34 | 18प्रतिशत<br>18प्रतिशत | 137<br>29 |      |      |
|  |  |                                                                                             | योग                           | --                   | --                 | 91125.00                    | --                     | 13392     | 1822 | 2041 |
|  |  | (II) मेसर्स राघव ट्रेडर्स,<br>बरडीहा परशुराम<br>देवरिया बिल क्रमांक-38<br>दिनांक 21.08.2019 | वायरिंग<br>प्वाइंट            | 20 न0                | 770                | 15400                       | 18प्रतिशत              | 2349      | 2915 | 3265 |
|  |  |                                                                                             | वायरिंग<br>प्वाइंट फैन        | 4 न0                 | 763                | 3052                        | 18प्रतिशत              | 468       |      |      |
|  |  |                                                                                             | वायरिंग<br>प्वाइंट प्लग       | 12 न0                | 325                | 4225                        | 18प्रतिशत              | 645       |      |      |
|  |  |                                                                                             | सोडियम पेपर<br>लैम्प          | 4 न0                 | 860                | 3440                        | 18प्रतिशत              | 525       |      |      |
|  |  |                                                                                             | स्वीच वाक्स                   | 8 न0                 | 165                | 1320                        | 18प्रतिशत              | 201       |      |      |
|  |  |                                                                                             | मॉड्यूलर टाइप<br>स्वीच        | 4 न0                 | 125                | 500                         | 18प्रतिशत              | 76        |      |      |
|  |  |                                                                                             | लाइट प्वाइंट                  | 20 न0                | 230                | 4600                        | 18प्रतिशत              | 702       |      |      |
|  |  |                                                                                             | प्लग प्वाइंट                  | 13 न0                | 215                | 2795                        | 18प्रतिशत              | 426       |      |      |
|  |  |                                                                                             | इक्जॉस्ट फैन<br>प्वाइंट       | 4 न0                 | 125                | 500                         | 18प्रतिशत              | 76        |      |      |
|  |  |                                                                                             | स्वीच पोल                     | 1 न0                 | 2830               | 2830                        | 18प्रतिशत              | 432       |      |      |
|  |  |                                                                                             | रेगुलेटर                      | 2 न0                 | 675                | 1350                        | 18प्रतिशत              | 206       |      |      |
|  |  |                                                                                             | सीलिंग फैन                    | 2 न0                 | 2200               | 4400                        | 18प्रतिशत              | 671       |      |      |
|  |  |                                                                                             | वातानकुलित<br>उपकरण (1.5      | 2 न0                 | 40000              | 80000                       | 28प्रतिशत              | 17500     |      |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                     |             |                                                     |                            |           |       |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | टन)                 |             |                                                     |                            |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | ग्लास सेड           | 10 न0       | 605<br>जोड़ जी0एस0टी0<br>12प्रतिशत बचत<br>25प्रतिशत | 600<br>(+) 15655<br>(-365) | 12प्रतिशत | 648   |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | योग                 | --          | --                                                  | 145752                     | --        | 40578 | 2915 | 3265 |
| 6. | ग्राम पंचायत महाल मझरिया के ग्राम पहेरिया में दुलभ यादव के मकान के पास आरसीसी पुलिया से आरो राधा किशुन मिश्रा के बगीचे से आगे तक इंटर लार्किंग कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी | (i) ओम ईट उद्योग ग्राम+पोस्ट-अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक 30 दिनांक 01.10.2019 | ईट प्रथम श्रेणी     | 10350 न0    | 6195 प्रति हजार                                     | 64118                      | 5प्रतिशत  | 3053  | 2622 | 2937 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | ईट गिट्टी           | 47.50 घन मी | 1417<br>बचत                                         | 67307<br>(-329)            | 5प्रतिशत  | 3205  |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | योग                 | --          | --                                                  | 131096                     | --        | 6258  | 2622 | 2937 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 | (ii) एफ बी एस टाइल्स प्लांट, अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक                      | ईटर लार्किंग टाइल्स | 16780 न0    | 24/न0<br>बचत                                        | 402720<br>(-) 1007         | 18प्रतिशत | 61432 | 8034 | 8998 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | योग                 | ---         | ----                                                | 401713                     | --        | 61432 | 8034 | 8998 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 | (III) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स, चुरिया, लार इनवायस क्रमांक 06 दिनांक 02.10.2019           | सीमेंट              | 150 bag     | 294/ bag                                            | 44100                      | 28प्रतिशत | 9647  |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | फाइन सैंड           | 30.40 घन मी | 1268/ घन मी                                         | 38304                      | 5प्रतिशत  | 1824  | 1857 | 2079 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | लोकल सैंड           | 14.50 घन मी | 735/ घन मी<br>बचत                                   | 10657.50<br>(-) 233.50     | 5प्रतिशत  | 508   |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | योग                 | --          | --                                                  | 92828                      | --        | 11979 | 1857 | 2079 |
| 7  | ग्राम पंचायत बरडीहा परशुराम में लार रोड बरडीहा पिच मार्ग से काली माता के स्थान तक सी.सी. रडि निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह पद-ग्राम पंचायत अधिकारी                                            | (i) ओम ईट उद्योग ग्राम+पोस्ट-अजना, लार, जिला-देवरिया बिल क्रमांक-45 दिनांक 08.12.2019 | ईट प्रथम श्रेणी     | 11400 न0    | 6195 प्रति हजार                                     | 70623                      | 5प्रतिशत  | 3363  |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | ईट गिट्टी           | 59.26 घन मी | 1417/घन मी<br>बचत                                   | 83971.42<br>(-) 386.42     | 5प्रतिशत  | 3999  | 3084 | 3454 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | योग                 | --          | --                                                  | 154208                     | --        | 7362  | 3084 | 3454 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 | (ii) मेसर्स अमित कुमार                                                                | सीमेंट              | 594 बोरी    | 294/बोरी                                            | 174636                     | 28प्रतिशत | 38202 |      |      |

|  |  |                                                                     |                            |             |                                |                     |           |       |      |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------|------|-------|
|  |  | सिंह बरडीहा परशुराम,<br>देवरिया बिल क्रमांक 98<br>दिनांक 09.12.2019 | मोरंग बालू                 | 36.29 घन मी | 1260/घन मी                     | 45725.40            | 5प्रतिशत  | 2177  | 9934 | 11126 |
|  |  |                                                                     | सफेद बालू                  | 25.89 घन मी | 2900/घन मी                     | 75081.0             | 5प्रतिशत  | 3575  |      |       |
|  |  |                                                                     | पत्थर<br>गिट्टी            | 51.68 घन मी | 3829.35<br>/घन मी              | 197900.80           | 5प्रतिशत  | 9424  |      |       |
|  |  |                                                                     | पॉलीथी नं<br>12.5 माइक्रॉन | 75 मी.      | 8/ वर्ग मीटर<br>बचत0.25प्रतिशत | 4600.00<br>(-) 1245 | 18प्रतिशत | 702   |      |       |
|  |  |                                                                     | योग                        | --          | --                             | <b>496698</b>       | --        | 54080 | 9934 | 11126 |

|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                      |                 |                       |                     |           |       |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------|------|------|
| 8 | ग्राम पंचायत बरडीहा<br>परशुराम में मां दुर्गा<br>मंदिर पर विश्रामालय का<br>निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी<br>आफताव अहमद पद-<br>सहायक विकास<br>अधिकारी (आई एस बी) | (i) ओम ईट उद्योग,<br>ग्राम+पोस्ट-अजना, लार,<br>जिला देवरिया बिल<br>क्रमांक 82 दिनांक<br>01.02.2020  | ईट प्रथम श्रेणी      | 20200 न0        | 6195 प्रति<br>हजार    | 125139              | 5प्रतिशत  | 5959  | 2768 | 3100 |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | ईट गिट्टी            | 6.90/घन मी      | 1417/घन मी<br><br>बचत | 13603<br><br>(-)347 | 5प्रतिशत  | 648   |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | योग                  | --              | --                    | 138395              | --        | 6607  | 2768 | 3100 |
|   |                                                                                                                                                               | (ii) ओम ईट उद्योग,<br>ग्राम+पोस्ट-अजना, लार,<br>जिला देवरिया बिल<br>क्रमांक 82 दिनांक<br>01.02.2020 | टाइल्स<br>(60x60)सीm | 74.11 वर्ग मीटर | 1187 वर्ग मीटर        | 87968.57            | 18प्रतिशत | 13419 | 1852 | 2075 |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | टाइल्स<br>(30x30)सीm | 4.48 वर्ग मीटर  | 1094 वर्ग मीटर        | 4901.12             | 18प्रतिशत | 748   |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | योग                  | --              | --                    | <b>92637</b>        | --        | 14167 | 1852 | 2075 |
|   |                                                                                                                                                               | (iii) मेसर्स अमित कुमार<br>सिंह बरडीहा परशुराम<br>देवरिया बिल क्रमांक<br>189 दिनांक<br>01.02.2020   | सीमेन्ट              | 284 bag         | 294 bag               | 83496               | 28प्रतिशत | 18265 | 6236 | 6984 |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | फाइन सैंड            | 13.60 घन मी     | 1260 वर्ग मीटर        | 17136               | 5प्रतिशत  | 816   |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | मोरंग                | 14.90 घन मी     | 2900 वर्ग मीटर        | 43210               | 5प्रतिशत  | 2058  |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | पत्थर गिट्टी         | 15.30 घन मी     | 3829.35 वर्ग<br>मीटर  | 58589.05            | 5प्रतिशत  | 2790  |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | सरिया                | 14.50 ०क्यूएच   | 4295/क्यूएच           | 62277.30            | 18प्रतिशत | 9500  |      |      |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     | लोहे का फ्रेम ग्रील  | 1.77 क्यूएच     | 6114.35               | 10822.39            | 18प्रतिशत | 1651  |      |      |

|  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                      |                                                     |      |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
|  |  |                                                                                                  | दरवाजे का पल्ला<br>खिड़की का पल्ला<br>अक्सीडाइज<br>आयरन<br>पेंटिंग कार्य (लोहा)<br>फिनिशिंग बॉल<br>शौचालय शीट<br>पेंटिंग कार्य (लकड़ी)<br>पीवीसी पाइप 3आर<br>एम                                                            | 6.53 घन मी<br>3.24 घन मी<br>9.77 वर्ग मीटर<br>7.25 वर्ग मीटर<br>368.20वर्ग मीटर<br>1 न0<br>14.51 वर्ग मीटर<br>3 आर एम | 1248 घन मी<br>1139 वर्ग मीटर<br>158 वर्ग मीटर<br>71/ वर्ग मीटर<br>55.80वर्ग मीटर<br>1150/न0<br>81/ वर्ग मीटर<br>95/आर एम<br>बचत<br>0.25प्रतिशत | 8149.44<br>3690.36<br>1543.66<br>514.75<br>20545.56<br>1150<br>1175<br>285<br>(-) 781 | 12प्रतिशत<br>12प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत | 873<br>395<br>235<br>79<br>3134<br>175<br>179<br>43 |      |      |
|  |  |                                                                                                  | योग                                                                                                                                                                                                                        | --                                                                                                                    | --                                                                                                                                             | 311804                                                                                | --                                                                                                   | 40193                                               | 6236 | 6984 |
|  |  | (IV) मेसर्स अमित<br>कुमार सिंह बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक 200 दिनांक<br>02.02.2020 | वायरिंग प्वाइंट<br>(नाईट के लिए)<br>वायरिंग प्वाइंट<br>(पंखा के लिए)<br>वायरिंग प्वाइंट<br>(पंखा के लिए)<br>स्वीच बॉक्स<br>अतिरिक्त वायरिंग<br>प्वाइंट<br>63 एम्पेयर<br>स्वीच<br>कनेक्शन चार्ज<br>इलेक्ट्रानिक<br>रेगुलेटर | 10 न0<br>2 न0<br>3 न0                                                                                                 | 887<br>878.57<br>374.40                                                                                                                        | 8870<br>1757.94<br>1123.20                                                            | 18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत                                                                  | 1353<br>268<br>171                                  | 572  | 1212 |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                       |      |      |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                      | सीलिंग फैन<br>(आईएसआई मार्क 42)"<br>प्लग<br>प्वाइंट माड्यूलर<br>टाइप स्वीच                                                                                       | 2 न0<br>2 न0<br><br>1 न0<br><br>1 न0<br><br>2 न0<br><br>2 न0<br><br>5 न0        | 190<br>125<br><br>4385.66<br><br>3260<br><br>777<br><br>3000<br><br>215<br>बचत                | 380<br>250<br><br>4385.66<br><br>3260<br><br>1554<br><br>6000<br><br>1075<br>(-) 72                  | 18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत           | 58<br>38<br><br>669<br><br>497<br><br>237<br><br>915<br><br>164       |      |      |
|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                      | योग                                                                                                                                                              | --                                                                              | --                                                                                            | 28583                                                                                                | --                                                                                                                    | 4370                                                                  | 572  | 1212 |
| 9 | ग्राम पंचायत मडिल<br>उपाध्याय में ऑगनबाड़ी | (i) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स<br>चुरिया लार, देवरिया<br>केन्द्र टैक्स इनवायस<br>क्रमांक-44 दिनांक<br>30.06.2019 (इनवायस<br>क्रमांक दिनांक को<br>मिटाकर हाथ से पुनः<br>इनवायस क्रमांक एवं<br>दिनांक अंकित किया<br>गया है।) | सीमेन्ट<br>बालू मोरंग<br>गिट्टी (20मिमी0)<br>टाइल्स<br>(2x2)<br>टाइल्स<br>(600x600)<br>इलेक्ट्रिक सामग्री<br>सेनेटरी<br>सामग्री<br>वाटर<br>सप्लाई सामग्री<br>योग | 16 बोरी<br>0.80 घन मी<br>1.65 घन मी<br>551 न0<br>206 न0<br>--<br>--<br>--<br>-- | 360<br>2197 घन मी<br>3088 घन मी<br>41/-<br>20/-<br>20000/-<br>23000/-<br>23000/-<br>बचत<br>-- | 5760<br>1557.60<br>5096.02<br>22591<br>4120<br>20000/-<br>23000/-<br>23000/-<br>(-) 263.62<br>104861 | 28प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>5प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>18प्रतिशत<br>-- | 1260<br>74<br>243<br>3446<br>628<br>3051<br>3509<br>3509<br><br>15720 | 2097 | 2349 |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                     |                       |                                     |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| (ii) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स<br>चुरिया लार, देवरिया<br>केन्द्र टैक्स इनवायस<br>क्रमांक-47 दिनांक<br>01.07.2019 (टैक्स<br>इनवायस क्रमांक को<br>मिटाकर हाथ से पुनः<br>इनवायस क्रमांक को<br>अंकित किया गया है<br>तथा तिथि पर<br>ऊपरलेखन किया गया<br>है।) | गिट्टी (40 मिमी0)                       | 10.81 वर्ग मीटर              | 270/-               | 2918.70               | 18प्रतिशत                           | 444             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एंगिल (दरवाजा और<br>खिड़की )            | 0.51 क्यूएच                  | 6600/-              | 3366                  | 18प्रतिशत                           | 514             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एस एफ / ऑफ़ एम<br>एस आयरन ग़िल          | 1.68 क्यूएच                  | 6600/-              | 11088                 | 18प्रतिशत                           | 1691            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एस /एफ ऑफ़ एम<br>एस आयरन रेलिंग         | 1.30क्यूएच                   | 6600/-              | 8580.00               | 18प्रतिशत                           | 671             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एस एफ ऑफ़<br>मोस्कूइतोनेत               | 6.75वर्ग मीटर                | 610                 | 4117.50               | 18प्रतिशत                           | 627             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | दरवाजा लगवायी                           | 3 न0                         | 75/-                | 225.50                | 12प्रतिशत                           | 24              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी /एफ ऑफ़ पैन्स<br>गिलास               | 1 न0                         | 50/-                | 50.00                 | 12प्रतिशत                           | 5.00            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एस /एफ 90 मिमी0<br>ख़राब लकड़ी          | 2 न0                         | 37/-                | 74.00                 | 12प्रतिशत                           | 8.00            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी /एफ<br>एल्युमीनियम शीट               | 6.75 वर्ग मीटर               | 651/-               | 4394.25               | 18प्रतिशत                           | 670             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी/एफ स्लाइडिंग<br>डोर                  | 5.99 वर्ग मीटर               | 2150/-              | 12878.50              | 18प्रतिशत                           | 1964            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी/एफ स्लाइडिंग<br>डोर बोल्ट ,          | 1 न0                         | 173.20              | 173.20                | 18प्रतिशत                           | 26              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एम एस टावर बोल्ट                        | 0.90 वर्ग मीटर               | 1000/-              | 900.00                | 18प्रतिशत                           | 137             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एम एस हैंडल                             | 2 न0                         | 166.20/-            | 332.40                | 18प्रतिशत                           | 50              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | स्टॉप प्लस                              | 3 न0                         | 66.954              | 200.85                | 18प्रतिशत                           | 30              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | मैटिंग ग़ोवेस                           | 6 न0                         | 28.90               | 173.40                | 18प्रतिशत                           | 26              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | फ्रंट ऑफ़ गिलास<br>स्ट्राइप             | 3 न0                         | 83.95               | 251.85                | 12प्रतिशत                           | 38              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी/एफ ऑफ़ बोर्ड                         | 142.81 आर एम                 | 20                  | 2856.20               | 12प्रतिशत                           | 300             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | पी/एफ ऑफ़ 100<br>मिमी0 दिस्ल<br>क्लिप्स | 250.70 आर एम<br>1 न0<br>2 न0 | 15<br>500/-<br>87/- | 3860.78<br>500<br>174 | 12प्रतिशत<br>12प्रतिशत<br>12प्रतिशत | 413<br>54<br>19 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | एस एफ आयरन स्टैंड                       | 1 न0                         | 5000/-              | 5000/-                | 12प्रतिशत                           | 536             |  |  |

|    |                                                                      |                                                                                               |                                 |                 |               |          |           |        |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|--------|------|------|
|    |                                                                      |                                                                                               |                                 |                 | बचत           | (-) 155  |           |        |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | योग                             | --              | --            | 61959    | --        | 8247   | 1239 | 1388 |
| 10 | ग्राम पंचायत इटुहरा<br>मिश्र में आंगनबाड़ी केन्द्र<br>निर्माण कार्य। | (i) मेसर्स अमित कुमार<br>सिंह, बरडीहा परशुराम<br>देवरिया बिल क्रमांक-90<br>दिनांक 05.01.2018  | मोरंग (लाल बालू)                | 1.50 घन मी      | 2197 घन मी    | 3295.50  | 5प्रतिशत  | 157    | 823  | 922  |
|    |                                                                      |                                                                                               | सरिया                           | 8.08 क्यूएच     | 4700/- क्यूएच | 37976.00 | 18प्रतिशत | 5793   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | योग                             | --              | --            | 41168    | --        | 5950   | 823  | 922  |
|    |                                                                      | (ii) मेसर्स अमित कुमार<br>सिंह, बरडीहा परशुराम<br>देवरिया बिल क्रमांक-92<br>दिनांक 15.05.2018 | गिट्टी (13 मिमी0)               | 10.81 वर्ग मीटर | 270           | 2918.70  | 5प्रतिशत  | 139.00 | 1281 | 1435 |
|    |                                                                      |                                                                                               | एंगिल                           | 0.51 क्यूएच     | 6600/-        | 3366.00  | 18प्रतिशत | 514    |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | जेड सेक्शन खिड़की               | 1.68 क्यूएच     | 6600/-        | 11088    | 18प्रतिशत | 1691   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | आयरन ग्रील                      | 1.30 क्यूएच     | 6600/-        | 8580     | 18प्रतिशत | 1309   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | मच्छर जाली                      | 6.75 वर्ग मीटर  | 610/-         | 4117.50  | 18प्रतिशत | 628    |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | दरवाजा<br>लगवायी                | 3 न0            | 75/-          | 225.00   | 12प्रतिशत | 24     |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | चौखट लगवायी                     | 1 न0            | 50/-          | 50.00    | 12प्रतिशत | 5.00   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | वेन्टीलेटर लगवायी               | 2 न0            | 37/-          | 74.00    | 12प्रतिशत | 8.00   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | पैनल ग्लास                      | 6.75 वर्ग मीटर  | 651/-         | 4394.25  | 18प्रतिशत | 670    |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | शीशम पैनल<br>(40मिमी0)          | 5.99 वर्ग मीटर  | 2150/-        | 12878.50 | 28प्रतिशत | 7183   |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | अलुमिनियम सीट<br>(24 मिमी0) गेज | 0.92 वर्ग मीटर  | 1000/-        | 900.00   | 18प्रतिशत | 137    |      |      |
|    |                                                                      |                                                                                               | स्लाइडिंग डोर,<br>बोल्ड नट      | 3 न0            | 166.20        | 498.60   | 18प्रतिशत | 75     |      |      |

|  |  |  |                               |                 |         |         |           |     |  |  |
|--|--|--|-------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|-----|--|--|
|  |  |  | ग्लास स्ट्रीप 3<br>मिमी0 मोटा | 250.70 आर<br>एम | 15.40   | 3860.78 | 18प्रतिशत | 589 |  |  |
|  |  |  | सीमेंट                        | 2 बैग           | 360/-   | 720.00  | 28प्रतिशत | 158 |  |  |
|  |  |  | बालू (सफेद)                   | 0.50 घन मी      | 1050/-  | 525.00  | 5प्रतिशत  | 25  |  |  |
|  |  |  | मोरंग (लाल बालू)              | 0.50 घन मी      | 2197/-  | 1098.50 | 5प्रतिशत  | 52  |  |  |
|  |  |  | गिट्टी (20 मिमी0<br>)         | 1.50 घन मी      | 3088.50 | 4632.75 | 5प्रतिशत  | 221 |  |  |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                               |                                          |             |                |                    |           |              |             |             |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | सरिया                                    | 0.91 क्यूएच | 4700/-<br>बचत  | 4277.00<br>(-) 161 | 18प्रतिशत | 652          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | योग                                      | --          | ---            | <b>64043</b>       | --        | <b>14080</b> | <b>1281</b> | <b>1435</b> |
|    |                                                        | (III) मेसर्स अमति कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम, देवरिया बिल क्रमांक 95 दिनांक 25.08.2019                                                                                        | फ्लोर टाइल्स                             | 551 न0      | 44/-           | 22591              | 18प्रतिशत | 3446         | 1850        | 2072        |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | वॉल टाइल्स                               | 206 न0      | 20/-           | 4120               | 18प्रतिशत | 628          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | इलेक्ट्रिक वायरिंग सामग्री               | 1 नग        | 20000/-        | 20000/-            | 18प्रतिशत | 3051         |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सामग्री          | 1 नग        | 23000/-        | 23000              | 18प्रतिशत | 3508         |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | वाटर सप्लाई (वैडिंग) एवं सेनेटरी सामग्री | 1 नग        | 23000/-<br>बचत | 23000/-<br>(-) 232 | 18प्रतिशत | 3508         |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | योग                                      | ---         | ---            |                    | --        | <b>14141</b> | <b>1850</b> | <b>2072</b> |
| 11 | ग्राम पंचायत हाटा में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य। | (I) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स चुरिया लार, देवरिया टैक्स इनवायस क्रमांक-14 दिनांक-अकित नहीं है। (प्रिन्टेड इनवायस क्रमांक को मिटाकर हाथ से पुनः इनवायस क्रमांक को अकित किया गया है) | सीमेन्ट                                  | 42 बोरी     | 360/-          | 15120              | 28प्रतिशत | <b>3308</b>  |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | महीन बालू                                | 4.48 घन मी  | 1050/- घन मी   | 4704               | 5प्रतिशत  | 224          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | मोटा बालू                                | 0.79 घन मी  | 2197/ घन मी    | 1735.63            | 5प्रतिशत  | 83           |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | पत्थर गिट्टी (20मिमी0)                   | 1.65 घन मी  | 3083/ घन मी    | 5096.02            | 5प्रतिशत  | 243          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | ओवरआल रेट सामग्री                        |             |                | 62114.63           | 18प्रतिशत | 9474         |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | शौचालय सामग्री                           | 1 न0        | 17230/-<br>बचत | 17230<br>(-) 0.28  | 18प्रतिशत | 2628         |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | योग                                      | --          | --             | <b>10600</b>       | ---       | <b>15960</b> |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               |                                          |             |                |                    |           |              |             |             |
|    |                                                        | (II) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स चुरिया लार, देवरिया टैक्स इनवायस क्रमांक-42 दिनांक-अकित नहीं है।                                                                                    | प्राइम पेंट                              | 2 ली.       | 165/-          | 330                | 18प्रतिशत | 50           | 1668        | 1868        |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | पेंट                                     | 1.50 ली.    | 220/-          | 330                | 18प्रतिशत | 50           |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | सीमेंट पेंट                              | 20 kg       | 62/-           | 1240               | 18प्रतिशत | 189          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | डिस्टेंपर                                | 30 kg       | 70/-           | 2100               | 18प्रतिशत | 320          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट                   | 82kg        | 42/-           | 3444               | 18प्रतिशत | 525          |             |             |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                               | फ्लोर टाइल्स                             | 551 न0      | 41/-           | 22591              | 18प्रतिशत | 3446         |             |             |



|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                        |                      |                   |                        |                            |             |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------|------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | चाइना ग्लेड<br>टाइल्स<br>बिजली सामग्री | 206 न0<br><br>वन जॉब | 20/-<br><br>      | 4120<br><br>20000/-    | 18प्रतिशत<br><br>18प्रतिशत | 628<br>3051 |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 100 मिमी0<br>दिया पाइप                 | 2 न0                 | 87/-              | 174                    | 18प्रतिशत                  | 27          |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | ग्रीन बोर्ड                            | 1 न0                 | 500/-             | 500                    | 18प्रतिशत                  | 76          |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | अन्य सामग्री                           | वन जॉब               | बचत               | 28770<br>(-) 209       | 18प्रतिशत                  | 4389        |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | योग                                    | --                   | --                | 83390                  | --                         | 12751       | 1668 | 1868 |
| 12 | ग्राम पंचायत<br>हरखौली मे<br>आंगनबाड़ी<br>केन्द्र निर्माण<br>कार्य। | (I) मेसर्स अमित कुमार<br>सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक 86 दिनांक<br>06.01.2018 प्रिन्टेड<br>बिल क्रमांक को<br>मिटाकर हाथ से<br>पुनःबिल क्रमांक को<br>अंकित किया गयाहै।)  | मोरंग (लाल बालू)                       | 1.50 घन मी           | 2197/-*           | 3295.50                | 5प्रतिशत                   | 157         | 823  | 922  |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | सरिया                                  | 8.08 क्यूएच          | 4700/-<br><br>बचत | 37976<br><br>(-)103.50 | 18प्रतिशत                  | 5793        |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | योग                                    | --                   | --                | 41168                  | --                         | 5950        | 823  | 922  |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                        |                      |                   |                        |                            |             |      |      |
|    |                                                                     | (II) मेसर्स अमित<br>कुमार सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक 94 दिनांक<br>15.05.2018 प्रिन्टेड<br>बिल क्रमांक को<br>मिटाकर हाथ से<br>पुनःबिल क्रमांक को<br>अंकित किया गयाहै।) | खिड़की                                 |                      |                   |                        |                            |             |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | आयरन ग्रील                             | 1.30 क्यूएच          | 6600/-            | 8580                   | 18प्रतिशत                  | 1309        |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | मच्छर जाली                             | 6.75 घन मी           | 610/-             | 4117                   | 18प्रतिशत                  | 628         |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | दरवाजा लगवायी                          | 3 न0                 | 75/-              | 225                    | 12प्रतिशत                  | 24          |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | चौखट लगवायी                            | 1 न0                 | 50/-              | 50                     | 12प्रतिशत                  | 5           |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | वेन्टीलेटर<br>लगवायी                   | 2 न0                 | 37/-              | 74/                    | 12प्रतिशत                  | 8           |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | पैनल ग्लास                             | 6.75 वर्ग<br>मीटर    | 651/-             | 4394.25                | 18प्रतिशत                  | 670         |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | शीशम पैनल (40<br>मिमी0 मोटा)           | 5.92 वर्ग<br>मीटर    | 2150/-            | 12878.50               | 28प्रतिशत                  | 2817        |      |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | अल्यूमीनियम<br>सीट (24 मिमी0           | 0.90 वर्ग<br>मीटर    | 1000/-            | 900                    | 18प्रतिशत                  | 137         |      |      |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                              |                   |                              |                       |           |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------|------|------|
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | मोटा)                                        |                   |                              |                       |           |       |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | स्लाइडिंग डोर<br>वाल्ड नट                    | 3 न0              | 166.20                       | 498.60                | 18प्रतिशत | 76    |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | ग्लास स्त्रीप (3<br>मिमी0 मोटा)              | 250.70 आर<br>एम   | 15.40                        | 3860.78               | 18प्रतिशत | 589   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | सीमेंट                                       | 2 बोरी            | 360                          | 720                   | 28प्रतिशत | 158   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | बालू सफेद                                    | 0.50 वर्ग<br>मीटर | 1050/-                       | 525                   | 5प्रतिशत  | 25    |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | मोरंग (लाल बालू)                             | 1.50 घन मी        | 2197/-                       | 3295.50               | 5प्रतिशत  | 157   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | गिट्टी (20<br>मिमी0)                         | 5 घन मी           | 3088.50                      | 15442.50              | 5प्रतिशत  | 735   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | सरिया                                        | 0.62 क्यूएच       | 4700/-<br>बचत0.25प्रतिशत     | 2914<br>(-) 190.00    | 18प्रतिशत | 445   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | योग                                          | --                | --                           | 75658.00              | --        | 10126 | 1513 | 1895 |
|    |                                                                   | (III) मेसर्स अमित<br>कुमार सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक 96 दिनांक<br>25.08.2019 प्रिन्टेड<br>बिल क्रमांक को<br>मिटाकर हाथ से<br>पुनःबिल क्रमांक को<br>अंकित किया गया है।) | फ्लोर टाइल्स                                 | 551 न0            | 41/-                         | 22591                 | 18प्रतिशत | 3446  | 1850 | 2072 |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | वॉल टाइल्स                                   | 206 न0            | 20/-                         | 4120                  | 18प्रतिशत | 628   |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | इलेक्ट्रिक वायरिंग<br>सामग्री                | 1 नग              | 20000/-                      | 2000/-                | 18प्रतिशत | 3051  |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | सेनेटरी एवं वाटर<br>सप्लाई सामग्री           | 1 नग              | 23000/-                      | 23000/-               | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | वाटर सप्लाई<br>वेडिंग एवं सेनेटरी<br>सामग्री | 1 नग              | 23000/-<br>बचत0.25प्रतिशत    | 23000/-<br>(-) 232.00 | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | योग                                          | --                | --                           | 92479.00              | --        | 14143 | 1850 | 2072 |
| 13 | ग्राम पंचायत<br>मेहरौना<br>आंगनवाड़ी<br>केन्द्र निर्माण<br>कार्य। | (I) मेसर्स अमित कुमार<br>सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक-80 दिनांक<br>05.01.2018 प्रिन्टेड<br>बिल क्रमांक को<br>मिटाकर हाथ से<br>पुनःबिल क्रमांक को                          | मोरंग (लाल बालू)                             | 1.50 घन मी        | 2197/-                       | 3295.50               | 5प्रतिशत  | 157   | 823  | 922  |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | सरिया                                        | 8.08 क्यूएच       | 4700/-<br>बचत<br>0.25प्रतिशत | 37976<br>(-) 103      | 18प्रतिशत | 5793  |      |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                             | योग                                          | --                | --                           | 41168.00              | --        | 5950  |      |      |

|     |                                      |                                                                                                                                                                    |                                 |                |                               |                           |           |       |      |      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------|------|------|
|     |                                      | अंकित किया गया है।)                                                                                                                                                |                                 |                |                               |                           |           |       |      |      |
|     |                                      | (II) मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम देवरिया बिल क्रमांक-93 दिनांक 25.08.2019 प्रिन्टेड बिल क्रमांक को मिटाकर हाथ से पुनःबिल क्रमांक को अंकित किया गया है।) | फ्लोर टाइल्स                    | 551 न0         | 41/-                          | 22591                     | 18प्रतिशत | 3446  | 1850 | 2072 |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | वॉल टाइल्स                      | 206 न0         | 20/-                          | 4120                      | 18प्रतिशत | 629   |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | इलेक्ट्रिक वायरिंग सामग्री      | 1 नग           | 20000/-                       | 20000/-                   | 18प्रतिशत | 3051  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सामग्री | 1 नग           | 23000/-                       | 23000/-                   | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी सामग्री | 1 नग           | 23000/-<br>बचत<br>0.25प्रतिशत | 23000/-<br><br>(-) 232.00 | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|     |                                      | योग                                                                                                                                                                | --                              | --             | --                            | 92479.00                  |           | 14144 | 1850 | 2072 |
| 14. | ग्राम पंचायत करमुआ (प्रथम) आंगनबाड़ी | (I) मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम देवरिया बिल क्रमांक-96 दिनांक 15.07.2018 प्रिन्टेड बिल क्रमांक को मिटाकर हाथ से पुनःबिल क्रमांक को अंकित किया गया है।)  | फ्लोर टाइल्स                    | 551 न0         | 41/-                          | 22591                     | 18प्रतिशत | 3446  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | वॉल टाइल्स                      | 206 न0         | 20/-                          | 4120                      | 18प्रतिशत | 629   |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | इलेक्ट्रिक वायरिंग सामग्री      | 1 नग           | 20000/-                       | 20000/-                   | 18प्रतिशत | 3051  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सामग्री | 1 नग           | 23000/-                       | 23000/-                   | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी सामग्री | 1 नग           | 23000/-<br>बचत0.25प्रतिशत     | 23000/-<br><br>(-) 232.00 | 18प्रतिशत | 3509  |      |      |
|     |                                      | योग                                                                                                                                                                | --                              | --             | --                            | 92479.00                  | --        | 14144 | 1850 | 2072 |
|     |                                      | (II) मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम देवरिया बिल क्रमांक-87 दिनांक 05.01.2018 प्रिन्टेड बिल क्रमांक को मिटाकर हाथ से पुनःबिल क्रमांक को अंकित किया गया है।) | सीमेन्ट                         | 50 बोरी        | 360/-                         | 18000                     | 28प्रतिशत | 3938  | 1934 | 2166 |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | गिट्टी                          | 10.81 घन मी    | 270/-                         | 2918.70                   | 5प्रतिशत  | 139   |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | एंगिल आयरन                      | 0.51 क्यूएच    | 6600/-                        | 3366                      | 18प्रतिशत | 513   |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | जेड सेक्शन एंगिल                | 1.68 क्यूएच    | 6600/-                        | 11088                     | 18प्रतिशत | 1691  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | आयरन ग्रील                      | 1.30 क्यूएच    | 6600/-                        | 8580                      | 18प्रतिशत | 1309  |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | मच्छर जाली                      | 6.75 वर्ग मीटर | 610/-                         | 4117.50                   | 18प्रतिशत | 628   |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | दरवाजा लगवायी                   | 3 न0           | 75/-                          | 225                       | 12प्रतिशत | 24    |      |      |
|     |                                      |                                                                                                                                                                    | खिड़की लगवायी                   | 1 न0           | 50/-                          | 50                        | 12प्रतिशत | 5     |      |      |

|    |                                                            |                                                                                                                                                               |                                 |                |                        |                    |              |              |             |             |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | वैटिलेटर लगवायी                 | 2 न0           | 37/-                   | 74                 | 12प्रतिशत    | 8            |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | ग्लास                           | 6.75 वर्ग मीटर | 651/ वर्ग मीटर         | 4394.25            | 18प्रतिशत    | 670          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | 20 मिमी0 मोटर शीशम पैनल         | 5.99 वर्ग मीटर | 2159/ वर्ग मीटर        | 12878.50           | 28प्रतिशत    | 2817         |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | अल्युमी नियम सीट 24 मिमी0 गेज   | 0.92 वर्ग मीटर | 1000/-                 | 900                | 18प्रतिशत    | 137          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | स्लाडिंग दरवाजा नट वोल्ट        | 3 न0           | 166.20                 | 498.60             | 18प्रतिशत    | 76           |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | ग्लास स्ट्रीप                   | 250.20 आर एम   | 15.40                  | 3860.75            | 18प्रतिशत    | 589          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | सीमेंट                          | 22 बैग         | 360/-                  | 7920               | 28प्रतिशत    | 1733         |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | सफेद बालू                       | 3.50 घन मी     | 1050/-                 | 3675               | 5प्रतिशत     | 175          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | मोरंग (लाल बालू)                | 1.50 घन मी     | 2197/-                 | 3295.50            | 5प्रतिशत     | 157          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | गिट्टी 20 मिमी0                 | 1 वर्ग मीटर    | 3088.50                | 3088.50            | 5प्रतिशत     | 147          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | सरिया                           | 1.70 क्यूएच    | 4700/- बचत0.25प्रतिशत  | 7990 (-) 242       | 18प्रतिशत    | 1219         |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | <b>योग</b>                      | --             | --                     | <b>96677</b>       | --           | <b>15975</b> | <b>1934</b> | <b>2166</b> |
| 15 | ग्राम पंचायत गाहोडीला में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य। | मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम देवरिया बिल क्रमांक-98 दिनांक 15.07.2019 प्रिन्टेड बिल क्रमांक को मिटाकर हाथ से पुनःबिल क्रमांक को अंकित किया गया है।) | फ्लोर टाइल्स                    | 551 न0         | 41/-                   | 22591              | 18प्रतिशत    | 3446         | <b>1850</b> | <b>2072</b> |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | वॉल टाइल्स                      | 206 न0         | 20/-                   | 4120               | 18प्रतिशत    | 629          |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | इलेक्ट्रिक वायरिंग सामग्री      | 1 नग           | 20000/-                | 20000/-            | 18प्रतिशत    | 3051         |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सामग्री | 1 नग           | 23000/-                | 23000/-            | 18प्रतिशत    | 3509         |             |             |
|    |                                                            |                                                                                                                                                               | वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी सामग्री | 1 नग           | 23000/- बचत0.25प्रतिशत | 23000/- (-) 232.00 | 18प्रतिशत    | 3509         |             |             |
|    |                                                            | <b>योग</b>                                                                                                                                                    | --                              | --             | <b>92479.00</b>        | --                 | <b>14144</b> | <b>1850</b>  | <b>2072</b> |             |
| 16 | ग्राम पंचायत                                               | (I) मेसर्स अमित                                                                                                                                               | मोरंग (लाल बालू)                | 1.50 घन मी     | 2197/-                 | 3295.50            | 5प्रतिशत     | 157          |             |             |

|  |                                                                       |                                                                                                  |                                             |                   |                |           |                        |         |      |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|---------|------|------|
|  | हनुहरा मिश्र<br>(भरौली) में<br>आंगनवाड़ी<br>केन्द्र निर्माण<br>कार्य। | कुमार सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक-84 दिनांक<br>06.01.2018                     | सरिया                                       | 8.08 क्यूएच       | 4700/-         | 37976     | 18प्रतिशत              | 5793    | 823  | 922  |
|  |                                                                       |                                                                                                  | योग                                         | --                | --             | 41168.00  | --                     | 5950    | 823  | 922  |
|  |                                                                       |                                                                                                  |                                             |                   |                |           |                        |         |      |      |
|  |                                                                       | (II) मेसर्स अमित<br>कुमार सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक-84 दिनांक<br>06.01.2018 | गिट्टी 13 मिमी0                             | 10.81 घन<br>मी    | 270/-          | 2918.70   | 5प्रतिशत               | 139     | 1540 | 1725 |
|  |                                                                       |                                                                                                  | एंगिल चौखट<br>(दरवाजा, खिड़की<br>वेंटीलेटर) | 0.51 क्यूएच       | 6600/-         | 3366      | 18प्रतिशत              | 513     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | जेड सेक्शन एंगिल                            | 1.68 क्यूएच       | 6600/-         | 11088     | 18प्रतिशत              | 1691    |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | आयरन ग्रील,<br>एंगिल                        | 1.30 क्यूएच       | 6600/-         | 8580      | 18प्रतिशत              | 1309    |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | मच्छर जाली                                  | 6.72 वर्ग<br>मीटर | 610/-          | 4117.50   | 18प्रतिशत              | 628     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | दरवाजा लगवायी<br>खिड़की लगवायी              | 3 न0<br>1 न0      | 75/-<br>50/-   | 225<br>50 | 12प्रतिशत<br>12प्रतिशत | 24<br>5 |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | वेंटीलेटर लगवायी                            | 2 न0              | 37/-           | 74        | 12प्रतिशत              | 8       |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | ग्लास<br>40 मिमी0<br>मोटर शीशम<br>पैनल      | 6.75 वर्ग<br>मीटर | 651/ वर्ग मीटर | 4394.25   | 18प्रतिशत              | 670     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | अल्युमी<br>नियम सीट 22<br>मिमी0 गेज         | 0.90 वर्ग<br>मीटर | 1000/-         | 900       | 18प्रतिशत              | 137     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | दरवाजा नट वोल्ट                             | 3 न0              | 166.20         | 498.60    | 18प्रतिशत              | 76      |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | ग्लास<br>स्ट्रीप                            | 250.70 आर<br>एम   | 15.40          | 3860.75   | 18प्रतिशत              | 589     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | सीमेंट                                      | 2 बैग             | 360/-          | 720       | 28प्रतिशत              | 158     |      |      |
|  |                                                                       |                                                                                                  | सफेद<br>वालू                                | 0.50 घन मी        | 1050/-         | 720       | 28प्रतिशत              | 158     |      |      |

|  |                                             |                                                                                                   |                                    |             |                               |                     |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                             |                                                                                                   | लाल बालू                           | 1.50 घन मी  | 2197                          | 3295.50             | 5प्रतिशत  | 3139      |           |           |
|  |                                             |                                                                                                   | गिट्टी<br>20 मिमी0                 | 5 घन मी     | 3088.50                       | 15442.50            | 5प्रतिशत  | 735       |           |           |
|  |                                             |                                                                                                   | सरिया (छड़)                        | 0.91 क्यूएच | 4700/-<br>बचत<br>0.25प्रतिशत  | 4277<br>(-) 193     | 18प्रतिशत | 652       |           |           |
|  |                                             | योग                                                                                               | --                                 | --          | --                            | 77018               | --        | 3316      | 1540      | 1725      |
|  |                                             | (III) मेसर्स अमित<br>कुमार सिंह, बरडीहा<br>परशुराम देवरिया बिल<br>क्रमांक-95 दिनांक<br>15.07.2019 | फ्लोर टाइल्स                       | 551 न0      | 41/-                          | 22591               | 18प्रतिशत | 3446      | 1850      | 2072      |
|  |                                             |                                                                                                   | वॉल टाइल्स                         | 206 न0      | 20/-                          | 4120                | 18प्रतिशत | 629       |           |           |
|  |                                             |                                                                                                   | इलेक्ट्रीक वायरिंग<br>सामग्री      | 1 नग        | 20000/-                       | 20000/-             | 18प्रतिशत | 3051      |           |           |
|  |                                             |                                                                                                   | सेनेटरी एवं वाटर<br>सप्लाई सामग्री | 1 नग        | 23000/-                       | 23000/-             | 18प्रतिशत | 3509      |           |           |
|  |                                             |                                                                                                   | वाटर सप्लाई एवं<br>सेनेटरी सामग्री | 1 नग        | 23000/-<br>बचत<br>0.25प्रतिशत | 23000<br>(-) 232.00 | 18प्रतिशत | 3509      |           |           |
|  |                                             | योग                                                                                               | --                                 | --          | --                            | 92479.00            | --        | 14144.00  | 1850.00   | 2072.00   |
|  | क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 16 तक कुल योग |                                                                                                   |                                    |             |                               | 5878547.00          |           | 697849.00 | 115826.00 | 130494.00 |

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी लार, जनपद-देवरिया के पत्रांक 71/निविदा-लेखाकार/2019-2020 दिनांक 27.05.2019 से क्षेत्र पंचायत लार द्वारा वित्त, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (2019-2020) में क्षेत्र पंचायत लार, देवरिया द्वारा विकास खण्ड लार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु पंजिका फर्मों/दुकानदारों/ईट भट्टा मालिकों से मुहूखण्ड निविदा आमंत्रित किया गया। समाचार पत्र आज, गोरखपुर में दिनांक 03.06.2019 को तथा समाचार पत्र अमर उजाला, गोरखपुर में दिनांक 03.06.2019 को निविदा विज्ञापन प्रकाशित किया गया। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय लार में दिनांक 09.06.2019 से दिनांक 11.06.2019 तक समय 11 सुबह से 3 रात, निविदा बॉक्स में निविदा डालने की तिथि 12.06.2019 को अपराह्न 1 बजे तक तथा निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने की तिथि दिनांक 12.06.2019 को अपराह्न 2 बजे के बाद खण्ड विकास अधिकारी लार के कक्ष में निर्धारित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी लार द्वारा वित्तीय वर्ष (2019-2020) के लिए खण्ड विकास अधिकारी लार, जनपद-देवरिया के पत्रांक 72/निविदा आंकित/2019-2020 दिनांक 27/05/2019 से एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। त्रिसदस्यीय समिति सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- |                                         |   |         |
|-----------------------------------------|---|---------|
| 1) खण्ड विकास अधिकारी लार, जनपद-देवरिया | - | अध्यक्ष |
| 2) अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता विभाग | - | सदस्य   |
| 3) सहायता विकास अधिकारी (आई एस बी) लार  | - | सदस्य   |

इंटरलार्किंग टाइल्स आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) मेसर्स हर्षराज टाइल्स, सलेमपुर।
- 2) मेसर्स दुर्गा सीमेंट ब्रिक्स एण्ड टाइल्स, अजना।
- 3) मेसर्स एफ0बी0एस0 टाइल्स प्लांट, अजना।

मेसर्स हर्षराज टाइल्स, सलेमपुर द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैन बी.जे.सी.पी.एस 0028एन ) की छायाप्रति आधार क्रमांक 656792709686 की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन न0. 09 बी /सीपीएस0028एनएन 22एक्स ) की छायाप्रति आयकर विवरण असेसमेंट वर्ष (2017-2018) तथा वर्ष (2018-2019) को संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.10प्रतिशत कम दर से किये गये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का आपूर्ति धनराशि सहित स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। इस द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ शपथ पत्र, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स दुर्गा सीमेंट ब्रिक्स एण्ड टाइल्स, अजना द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड पैन एए आरएचआर5269जी की छायाप्रति, व्यापार प्रमाण पत्र (टिन न0 099203085545) की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जानेवाली सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर 0.15प्रतिशत कम दर किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन इस फर्म द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नाम तथा सामग्री आपूर्ति दर धनराशि सहित स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा में नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर विवरण, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण/जी0एस0टी0 विवरण, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, शपथ पत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स एफ0बी0एस0 टाइल्स, प्लांट, अजना ने अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड -ई जे एफ पी एस 9717जी ) की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई एन 09 ई जे एफ पी एस 9717जी आई जेड एल ) की छायाप्रति जमानत धनराशि रुपये 20000/- की केनरा बैंक ब्रांच पिण्डी कामधेनू जमा रसीद क्रमांक 622629 जमा तिथि 12.06.2019, खाता न0. 3206401001148/1, परिपक्वता तिथि 12.06.2024 तथा आयकर विवरण असेसमेंट वर्ष (2018-2019) संलग्न किया गया है। आयकर विवरण के अनुसार असेसमेंट वर्ष 2018-2019 में एक्नॉलेजमेंटन0. 748536370110718 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार टी रुपये 524218.00 तथा कुल आयकर रुपये 13613.00 है। इस फर्म द्वारा आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.25प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख अपने निविदा में किया है। लेकिन आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्री इंटरलार्किंग टाइल्स की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.25प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख अपने निविदा में किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ शपथ पत्र, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी लार द्वारा इन फर्मों में से इंटरलार्किंग टाइल्स के लिए मेसर्स एफ0बी0एस0 टाइल्स प्लांट, अजना की निविदा को स्वीकृत किया गया।

पत्थर की गिट्टी, सीमेंट, मोरम बालू, लोकल बालू, सरिया, अन्य भवन सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम।
- 2) मेसर्स मयंक ट्रेडर्स, लार।
- 3) मेसर्स राघव ट्रेडर्स, बरडीहा परशुराम।
- 4) मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल, अजना।

मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड न0 बी जे पी एस 2342) टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (टिन न0. 098203074805) की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई एन 09बी जे ओ पी एस 2342 के आई जेड एन) की छायाप्रति, धरोहर धनराशि रुपये 2000/- का विवरण संलग्न किया गया है। धरोहर धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | डाकघर का नाम    | एन एस सी क्रमांक/तिथि                    | धनराशि   |
|---------|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 1.      | डाकघर शाखा, लार | 5एन.एस/54ईएफ 728914<br>दिनांक 31.03.2016 | 10000.00 |
| 2       | डाकघर शाखा लार  | 5एन.एस/54ईएफ 728920<br>दिनांक 31.03.2016 | 10000.00 |
|         |                 | योग                                      | 20000.00 |

इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.25प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया है लेकिन आपूर्ति की जानेवाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर का धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा में नहीं किया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ शपथ पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरण, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण/जी0एस0टी0 विवरण, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स मयंक ट्रेडर्स लार द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैनन0. जे आई ए पी एस 6909 डी ) की छायाप्रति, श्री मयंक कुमार सिंह का आधार क्रमांक 517686936166 की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई एन न0

09 जे आई ए पी एस 6909डीआई जेड एक्स) की छायाप्रति, धरोहर धनराशि रूपये 20000/- सिंडिकेट बैंक शाखा लार की मियादी जमा टी डी सी क्रमांक एस बी एम 885873 दिनांक 11.06.20119, धनराशि 2000/- खाता न0. -98784050001310/1 संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा असेसमेंट वर्ष (2019-2020) का आयकर विवरण, एकाउंटेजमेंट न0.-484739990290519 दिनांक 29.05.2019 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार सकल कुल आय रूपये 367472.00 तथा कुल आयकर रूपये 2106.00 है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों का आपूर्तियों स्वीकृत दर से 0.25प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस फर्म द्वारा आपूर्ति की जानेवाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा में नहीं किया गया है। इस फर्म रसीद अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 विवरण / जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स राघव ट्रेडर्स, बरडीहा परशुराम द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैनन0. जे आई ए पी एस 6909डी ) टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (टिन न0. 09620 301658) की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 आई एन 09ए के क्यू पी डी 3720क्यूआई जेडएन) की छायाप्रति तथा धरोहर/अर्नेस्ट मनी रूपये 2000/- की डाकघर लार की एन.एस.सी संलग्न किया गया है। एन.एस.सी का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र.सं. | डाकघर का नाम    | एन.एस.सी क्रमांक/तिथि                    | धनराशि   |
|---------|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 1.      | डाकघर शाखा, लार | 5एनएस/54ई.एफ 728919<br>दिनांक 31.03.2016 | 10000.00 |
| 2       | डाकघर शाखा लार  | 5एनएस/54ई.एफ 728920<br>दिनांक 31.03.2016 | 10000.00 |
|         |                 | योग                                      | 20000.00 |

इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.20प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया है। लेकिन आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर का धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा में नहीं किया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ शपथ पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरण, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण/जी0एस0टी0 विवरण, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मेसर्स दुर्गा सीमेंट ब्रिक्स एण्ड टाइल्स, अजना द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड न एफ वाई सी पी एस 2083क्यू) की छायाप्रति, टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (टिन न0 098203085595) की छायाप्रति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेमादेई खाता न0 3537603688 की टर्म जमा रसीद क्रमांक एन 147237 दिनांक 13.05.2016 धनराशि 20000/- परिपक्वता तिथि 29.06.2018 संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.18प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस फर्म द्वारा आपूर्ति की जानेवाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर विवरण/दाखिल आयकर रिटर्न, जी0एस0टी0 विवरण/ जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी लार द्वारा इन फर्मों में से उक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम तथा मेसर्स मयंक ट्रेडर्स, लार की निविदा को स्वीकृत किया गया।

प्रथम श्रेणी ईट एवं गिट्टी की आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) मेसर्स दुर्गा ईट उद्योग, अजना।
- 2) मेसर्स तिवारी ईट उद्योग, चुरिया सुतवारा।
- 3) मेसर्स ओम ईट उद्योग, अजना।

मेसर्स दुर्गा ईट उद्योग अजना ने अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैनन0 बी यू एच पी एस 5137ए) की छायाप्रति, टिन रजिस्ट्रेशन (टिन न0 0982030274) की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.20प्रतिशत कम दर किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जानेवाली प्रत्येक सामग्री आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरण, जी0एस0टी0 विवरण/जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स तिवारी ईट उद्योग चुरिया सुतावर द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, आधार की सत्यापित प्रति, तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न /आयकर विवरण, जी0एस0टी0 विवरण / जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों



की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.15प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन आपूर्ति की जानेवाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है।

मेसर्स ओम ईट उद्योग, अजना द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड सी आई एफ पी एस 9919क्यू ) की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0आई एन 09 ईजे एफ पी एस 9919क्यू आई जेड) की छायाप्रति, धरोहर जमा धनराशि, केनरा बैंक शाखा पिण्डी अकाउंट न0.-3206401001147/1 डिपोजिट क्रमांक केएफ622628 दिनांक 12.06.2019, धनराशि रुपये 20000/-, परिपक्वता तिथि 12.06.2024 आयकर विवरण असेसमेंट वर्ष (2015-2016), (2016-2017) तथा (2017-2018) तथा श्रीमती इंदू सिंह का आधार क्रमांक 570562969105 की छायाप्रति संलग्न किया है। आयकर विवरण का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | मूल्यांकन वर्ष | सकल कुल आय | कुल आयकर | आयकर विवरणी एक्रोलेगमेंट न0 एवं दिनांक |
|----------|----------------|------------|----------|----------------------------------------|
| 1.       | 2015-2016      | 424586.00  | 8908.00  | 89615954030111<br>दिनांक 30.11.2015    |
| 2        | 2016-2017      | 590759.00  | 15959.00 | 44108519109091<br>दिनांक 09.09.2016    |
| 3.       | 2017-2018      | 945224.00  | 81415.00 | 216867661200917 दिनांक 20.09.2017      |

इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर से 0.25प्रतिशत कम दर पर किये जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 विवरणी / जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी लार द्वारा इन फर्मों में मेसर्स ओम ईट उद्योग, अजना की निविदा प्रथम श्रेणी ईट एवं ईट गिट्टी आपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2019-2020) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है लेकिन टेंडर फर्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेंडर जारी करने की तिथि एवं टेंडर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अन्तर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फर्म/नोटिस पर टेंडर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेंडर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेंडर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) निविदा प्रतिभागियों से जमा नहीं कराया गया है, निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पुल संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। टेंडर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत स्वीकृत टेंडर सामग्री आपूर्तिकर्ता में से जमा करायी जानी अनिवार्य है लेकिन टेंडर स्वीकृति के पश्चात सामग्री मूल्य/निविदा मूल्य 5878547.00 के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि मात्र दस हजार रुपये प्रत्येक स्वीकृत निविदा वाले आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी गयी है जो कि वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है, कि आपूर्तिकर्ता फर्म से अनुचित सुरक्षा जमा ली गयी है। टेंडर दाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरण, बिक्रीकर/वैट/जी.एस.टी. भुगतान विवरण, शपथ पत्र संलग्न नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेंडर दाताओं की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। क्रयादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेंट) संस्था द्वारा नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं किया गया है। निविदादाता फर्मों द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए शपथ पत्र भी नहीं लगाया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर/अधिक मूल्य पर किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2019-2020 में उक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रुपये 578547.00 में टेंडर नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त अनियमितता के प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र गुप्त, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती आरती देवी, टेंडर हेतु गठित समिति सदस्य अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्ता विभाग), सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) लार उत्तरदायी है।

सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यों के लिए संस्था को सामग्री की आपूर्ति कब की गयी, इससे संबंधित विवरण यथा सामग्री आपूर्ति तिथि, स्थान एवं समय सहित उपलब्ध नहीं रहा। क्रय की गयी सामग्री किस वाहन से संस्था पर अथवा कार्यस्थल पर लाया गया, इसका विवरण भी लेखा परीक्षा उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री ढुलान करने वाले वाहन के मालिक का नाम, पता, वाहन चालक का नाम, पता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का नाम, पता इत्यादि का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वाहन के आगमन का समय, दिनांक, स्थान का विवरण तथा सामग्री उतारने के पश्चात वाहन के प्रस्थान का दिनांक, समय का विवरण सामग्री ढोनेवाले वाहन का प्रकार, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, टोल टैक्स पेमेंट रसीद इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। स्टॉक रजिस्टर में क्रय

की गयी सामग्री का आमद, उपभोग एवं अवशेष की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-19 (अ))

**प्रस्तर संख्या-51 (ब)-** क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय कीमत रुपये 5878547.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना दर्शित किया गया है, जिससे जी.एस.टी. की धनराशि ₹0 697849.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में सामग्रियों के रेट ऑफ़ एनालिसिस शीर्ष में सामग्री क्रय कीमत जी.एस.टी. सहित आकलित किया गया है। लेकिन फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिलों पर सामग्री कीमत के साथ साथ जी.एस.टी. भुगतान का विवरण भी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे फर्म द्वारा किये गये जी.एस.टी. भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिल के साथ-साथ जी.एस.टी. भुगतान विवरण भी संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को जी.एस.टी. भुगतान रुपये 697849.00 अनियमित रहा। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी.एस.टी. भुगतान विवरण क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थ रहने की स्थिति में उन फर्मों से सामग्री क्रय संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय एवं सामग्री क्रय कीमत भुगतान की उच्च स्तरीय जांच अपेक्षित है। उपरोक्त जी.एस.टी. के अनियमित भुगतान के प्रति श्रीमती सुधा सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-19 (ब))

**प्रस्तर संख्या-51 (स)-** उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल से आयकर रुपये 130494.00 तथा जी.एस.टी. रुपये 115826.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन आयकर कटौती की धनराशि रुपये 130494.00 तथा जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रुपये 115826.00 को राजकीय कोषगार में जमा किये जाने संबंधी चालान/धनराशि प्राप्ति रसीद, दाखिल आयकर रिटर्न, दाखिल जी0एस0टी0 रिटर्न/जी0एस0टी0 भुगतान विवरण इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्रीमती सुधा सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र गुप्त उत्तरदायी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी ढोनेवाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। किन भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/ खेतों से मिट्टी खननकर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है, इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय बिल भी उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सारे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किय गया है, जिन पर दिनांक / भुगतान तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-19 (स))

**प्रस्तर संख्या-52-**

क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष (2019-2020) में राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न कार्यो पर मजदूरी भुगतान रूपये 706818.00 दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                                                                  | मस्टररोल अवधि                      | श्रमिकों की श्रेणी | श्रमिकों की संख्या | कुल श्रम दिवस | मजदूरी दर प्रतिदिन | मजदूरी धनराशि रूपये में | मजदूरी भुगतान रूपये में | चेक संख्या एवं तिथि                | चेक प्राप्तकर्ता भुगतान प्राप्तकर्ता                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.       | ग्राम पंचायत महाल मंझरिया में रमाकांत साहनी के घर से निरंकारी भवन तक खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी। | I)दिनांक 16.06.19 से 22.06.19 तक   | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    | 188160                  | चेक संख्या 017855/ दिनांक 25.07.19 | कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 34                 | 238           | 182                | 43316                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 53116                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | II)दिनांक 24.05.19 से 30.06.19 तक  | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 34                 | 238           | 182                | 43316                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 53116                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | III)दिनांक 02.07.19 से 08.07.19 तक | मिख्री             | 04                 | 24            | 350                | 8400                    |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 34                 | 238           | 182                | 43316                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 51716                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | III)दिनांक 02.07.19 से 08.07.19 तक | मिख्री             | --                 | --            | --                 | --                      |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 34                 | 166           | 182                | 30212                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 30212                   |                         |                                    |                                                           |
| 2.       | ग्राम पंचायत बरडीहा परशुराम में ननदी भौजी पोखर में सीढ़ी निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री वैभव कुमार सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी            | I)दिनांक 16.06.19 से 22.06.19 तक   | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    | 125090                  | चेक संख्या 017853/ दिनांक 22.07.19 | कार्यप्रभारी श्री वैभव कुमार सिंह पद-ग्राम पंचायत अधिकारी |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 20                 | 139           | 182                | 25298                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 35098                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | II)दिनांक 24.06.19 से 30.06.19 तक  | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 20                 | 140           | 182                | 25480                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 35280                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | III)दिनांक 24.06.19 से 30.06.19 तक | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 20                 | 140           | 182                | 25480                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 35280                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               | IV)दिनांक 24.06.19 से 30.06.19 तक  | मिख्री             | 04                 | 16            | 350                | 5600                    |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    | मजदूर              | 19                 | 76            | 182                | 13832                   |                         |                                    |                                                           |
|          |                                                                                                                                               |                                    |                    |                    |               |                    | 19432                   |                         |                                    |                                                           |
| 3.       | ग्राम पंचायत महाल मंझरिया                                                                                                                     | I)दिनांक 17.08.19 से               | मिख्री             | 04                 | 28            | 350                | 9800                    |                         | चेक संख्या                         | कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना                               |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |    |     |     |       |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----|-----|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | नाला नम्बर 01 पर (1X5) मीटर स्पॉन आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी                                                                            | 23.08.19 तक                       | मजदूर  | 12 | 84  | 182 | 15288 | 141890 | 018242/ दिनांक 15.09.19 धनराशि 43008 चेक संख्या 018263 दिनांक 05.05.20 चेक की एकल धनराशि 104447 में से रू0 98882 | सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                         | II)दिनांक 24.08.19 से 28.08.19 तक | मिख्री | 04 | 20  | 350 | 7000  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 12 | 60  | 182 | 10920 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | III)दिनांक 21.02.20 से 27.2.20 तक | मिख्री | 04 | 28  | 350 | 9800  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 20 | 140 | 182 | 25480 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | IV)दिनांक 01.03.20 से 07.03.20 तक | मिख्री | 04 | 20  | 350 | 7000  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 20 | 140 | 182 | 25480 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | V)दिनांक 11.03.20 से 17.03.20 तक  | मिख्री | -- | --  | --  | ---   |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 20 | 140 | 182 | 25480 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | IV)दिनांक 18.03.20 से 24.03.20 तक | मजदूर  | 09 | 31  | 182 | 5642  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |    |     |     | 5642  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
| 4. | ग्राम पंचायत बाबनपाली गोसाई में हरेन्द्र राजभर के घोठा से मस्जिद तक इंटर लार्किंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री तेज बहादुर सिंह, पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)                                               | I)दिनांक 16.08.19 से 22.08.19 तक  | मिख्री | 02 | 14  | 350 | 4900  | 33488  | चेक संख्या 018240 दिनांक 12.09.19                                                                                | कार्यप्रभारी श्री तेज बहादुर सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (कृषि) |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 11 | 74  | 182 | 13468 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | II)दिनांक 23.08.19 से 28.08.19 तक | मिख्री | 02 | 12  | 350 | 4200  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 10 | 60  | 182 | 10920 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
| 5  | ग्राम पंचायत महाल मंझरिया के ग्राम पहेटिया में दुलर्स यादव के मकान के पास आरसीसी पुलिया से आगे राधा किशुन मिश्रा के बगीचे से आगे इंटर लार्किंग कार्य। कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत | I)दिनांक 03.10.19 से 09.10.19 तक  | मिख्री | 04 | 28  | 350 | 9800  | 70210  | चेक संख्या 18248 दिनांक 08.11.19                                                                                 | कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी।       |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 15 | 105 | 182 | 19110 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | II)दिनांक 10.10.19 से 16.10.19 तक | मिख्री | 04 | 28  | 350 | 9800  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | मजदूर  | 15 | 105 | 182 | 19110 |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | III)दिनांक 18.10.19 से            | मिख्री | 04 | 12  | 350 | 4200  |        |                                                                                                                  |                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |    |     |     |       |        |                                                                                                                  |                                                                  |

|   |                                                                                                             |                                    |          |    |    |     |              |       |                                   |                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----|----|-----|--------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | अधिकारी।                                                                                                    | 20.10.19 तक                        | मजदूर    | 15 | 45 | 182 | 8190         |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    |          |    |    |     | <b>12390</b> |       |                                   |                                                            |
| 6 | ग्राम पंचायत वरडीहा परशुराम में लार रोड वरडीहा पिच मार्ग से काली माता के स्थान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | I)दिनांक 12.12.19 से 18.12.19 तक   | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800         | 69440 | चेक संख्या 018253 दिनांक 08.01.20 | कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी। |
|   |                                                                                                             |                                    | मजदूर    | 11 | 77 | 182 | 14014        |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    |          |    |    |     | <b>23814</b> |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             | II)दिनांक 20.12.19 से 26.12.19 तक  | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800         |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    | मजदूर    | 11 | 73 | 182 | 13286        |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    |          |    |    |     | <b>23086</b> |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             | III)दिनांक 01.01.20 से 07.01.20 तक | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800         |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    | मजदूर    | 10 | 70 | 182 | 12740        |       |                                   |                                                            |
|   |                                                                                                             |                                    |          |    |    |     | <b>22540</b> |       |                                   |                                                            |

|                                                |                                                                                                                                            |                                    |          |    |    |     |        |       |                                                               |                                                           |       |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----|----|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
| 7                                              | ग्राम पंचायत वरडीहा परशुराम में मां दुर्गा मंदिर पर विश्रामालय का निर्माण कार्य। कार्यप्रभरी-आफताब अहमद, पद सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | I)दिनांक 03.02.20 से 09.02.20 तक   | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800   | 78540 | चेक संख्या 018257 दिनांक चेक की एकल धनराशि 81540 में से 78540 | कार्यप्रभरी-आफताब अहमद, पद सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    | मजदूर    | 13 | 91 | 182 | 16562  |       |                                                               |                                                           |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    |          |    |    |     | 26362  |       |                                                               |                                                           |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            | II)दिनांक 10.02.20 से 16.02.20 तक  | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800   |       |                                                               |                                                           | 70618 |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    | मजदूर    | 13 | 91 | 182 | 16562  |       |                                                               |                                                           |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    |          |    |    |     | 26362  |       |                                                               |                                                           |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            | III)दिनांक 17.02.20 से 23.02.20 तक | मिस्त्री | 04 | 28 | 350 | 9800   |       |                                                               |                                                           | 70618 |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    | मजदूर    | 13 | 88 | 182 | 16016  |       |                                                               |                                                           |       |  |
|                                                |                                                                                                                                            |                                    |          |    |    |     | 25186  |       |                                                               |                                                           |       |  |
| क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 07 तक का कुल योग |                                                                                                                                            |                                    |          |    |    |     | 706818 | 70618 |                                                               |                                                           |       |  |

क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्त योजना अन्तर्गत मजदूरी रुपये 706818.00 का उपरोक्त निर्माण कार्यो किया गया। उक्त निर्माण कार्यो में मजदूरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरी के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्यप्रभारी को किया गया है जो कि अनियमितता है। मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलों पर क्रमांक /प्रिंटेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं पाये गये जबकि मस्टररोलों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत जारी किया जाना चाहिए था। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बार श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सप्ताह के अंत में नहीं किया गया है। मस्टररोलों पर प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसके नीचे श्रमिकों की उपस्थिति लेनेवाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टररोलों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति/महिला इत्यादि का विवरण, कुल सृजित श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के अलग-अलग अंगुलियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अंगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अंगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये। मजदूरों के अंगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यो में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रतिकार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अंगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / कार्यप्रभारी / सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटो ग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समिति पर कार्यस्थल की फोटो ग्राफी करायी जानी चाहिए। कार्यस्थल पर निर्माण कार्यो के प्रारम्भ के समय साइन बोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाना जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इन आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है। जिन्होंने निर्माण कार्य पर कार्य किया गया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त मजदूरी भुगतान रुपये 706818/- में अनियमितता के प्रति श्रीमती सुधा सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र गुप्त, लेखाकार कार्यप्रभारी श्रीमती अल्पना सिंह (ग्रा.पं.अ.) श्री वैभव कुमार सिंह (ग्रा.पं.अ.) श्री तेज बहादुर सिंह सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री आफताब अहमद सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-20)

**प्रस्तर संख्या-53-** क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं वर्ष में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | मद का विवरण        | वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष 01.04.19 को ओ बी ) | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में व्यय | वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.20 को सी बी ) |
|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2019-2020    | मनरेगा कन्टीजेन्सी | 1780990.00                                      | 3053302          | 3219279       | 1615013                                       |
|          |              | योग                | 1780990.00                                      | 3053302          | 3219279       | 1615013                                       |

क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी बैंक खाते पर अजिति ब्याज का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | दिनांक   | अनुदानदाता का नाम एवं मद का विवरण                                                                                                                       | धनराशि    |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.       | 04.04.19 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया में मनरेगा प्रशासनिक/ कन्टीजेन्सी मद में अतिरिक्त आवंटन (ग्रामीण रोजगार सेवक मानदेय) 1एफ टी ओ न0-2048978 दिनांक 30.03.2019 | 244828.00 |
| 2.       | 01.06.19 | मनरेगा प्रशासनिक मद की धनराशि एफ टी ओ न0-19743 दिनांक 06.04.2019 द्वारा बैंक खाते में जमा                                                               | 415400.00 |
| 3.       | 08.06.19 | मनरेगा प्रशासनिक मद में शासन से सीधे मनरेगा कन्टीजेन्सी बैंक खाते में प्राप्त                                                                           | 200000.00 |
| 4.       | 10.06.19 | मनरेगा प्रशासनिक मद में कन्टीजेन्सी वर्ष (2019-2020) की धनराशि एफ टी ओ न0-267137 दिनांक 12.08.2019 द्वारा बैंक खाते में जमा प्राप्त।                    | 153000.00 |
| 5.       | 13.08.19 | मनरेगा प्रशासनिक मद में कन्टीजेन्सी वर्ष (2019-2020) की धनराशि एफ टी ओ न0-266233 दिनांक 12.08.2019 द्वारा बैंक खाते में जमा प्राप्त।                    | 343000.00 |
| 6.       | 25.11.19 | मनरेगा योजना की प्रशासनिक मद में कन्टीजेन्सी की धनराशि एफ टी ओ न0-1304279 दिनांक 22.11.2019 द्वारा बैंक खाते में जमा प्राप्त                            | 845000.00 |
| 7.       | 11.02.20 | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद की धनराशि बैंक खाते में प्राप्त                                                                                                   | 474000.00 |

| क्र.सं. | एफ टी ओ न0 | दिनांक   | धनराशि           |
|---------|------------|----------|------------------|
| 1.      | 1808841    | 08.02.20 | 67200.00         |
| 2       | 1808875    | 08.02.20 | 84000.00         |
| 3       | 1809051    | 08.02.20 | 322800.00        |
|         | <b>योग</b> |          | <b>474000.00</b> |

|    |          |                                                                                                                                                    |                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | 20.03.20 | मनरेगा कन्टीजेन्सी मद की धनराशि एफ टी ओ न0 2020922 दिनांक 19.03.2020 द्वारा बैंक खाते में प्राप्त<br>(i) 150000 (ii) 128000 (iii) 249000.00=527000 | 527000.00         |
| 9  | 29.06.20 | मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी मद में बैंक खाते पर प्राप्त व्याज                                                                                     | 15250.00          |
| 10 | 28.09.19 | मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी मद में बैंक खाते पर प्राप्त व्याज                                                                                     | 14827.00          |
| 11 | 27.12.19 | मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी मद में बैंक खाते पर प्राप्त व्याज                                                                                     | 10989.00          |
| 12 | 27.03.20 | मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी मद में बैंक खाते पर प्राप्त व्याज                                                                                     | 10008.00          |
|    |          | <b>योग</b>                                                                                                                                         | <b>3253302.00</b> |

क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष (2019-2020) में मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक/कन्टीजेन्सी मद में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | दिनांक   | चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण                                              | चेक संख्या दिनांक | व्यय की धनराशि    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 25.04.19 | मेसर्स जायसवाल फिलिंग स्टेशन, लार टाउन को डीजल बिल का भुगतान                | एलएन42 25.04.19   | 67697.00          |
| 2        | 13.05.19 | प्रिंटर कार्टेज बिल का भुगतान बैंक द्वारा डेबिट चार्ज                       | एलएन67 13.05.19   | 2525.00<br>178.00 |
| 3        | 17.05.19 | अधिकारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सलेमपुर को बिजलीबिल भुगतान             | 082201 17.05.19   | 25000.00          |
| 4        | 03.06.19 | ए.ओ. (कैश) बीएसएनएल सलेमपुर को नेट बिल का भुगतान                            | 82202 03.06.19    | 16331.00          |
| 5        | 03.07.19 | स्टेशनरी लेखन सामग्री आदि का भुगतान (शाखा प्रबंधक पूर्वांचल बैंक शाखा, लार) | 082203 03.07.19   | 32135.00          |

|    |          |                                                                                |                 |          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 6  | 24.07.19 | मेसर्स धीरज कुमार तिवारी, कार्टेज एडवाइजर को प्रिंटर में कार्टेज बिल का भुगतान | 082204 24.07.19 | 1000.00  |
| 7  | 05.08.19 | ज्ञान मण्डल लिमिटेड गोरखपुर को निविदा बिल का भुगतान                            | 82206 05.08.19  | 12617.00 |
| 8  | 05.08.19 | मेसर्स अमर उजाला लिमिटेड गोरखपुर को निविदा बिल का भुगतान                       | 82207 05.08.19  | 10112.00 |
| 9  | 30.08.19 | मेसर्स धीरज कुमार तिवारी, कार्टेज एडवाइजर को प्रिंटर में कार्टेज बिल का भुगतान | 082208 30.08.19 | 5650.00  |
| 10 | 30.08.19 | श्री अभिषेक बरनवान, ले.ख. को स्टेशनरी आदि का भुगतान                            | 082209 09.09.19 | 7900.00  |
| 11 | 09.09.19 | मेसर्स आकाश ट्रक हाउस, सलेमपुर को आलमारी, कुर्सी का भुगतान                     | 82210 09.09.19  | 9950.00  |
| 12 | 24.12.19 | मेसर्स जायसवाल एसोसिएट देवरिया को कम्प्यूटर मरम्मत बिल का भुगतान               | 082218 24.12.19 | 18275.00 |
| 13 | 18.01.20 | जनरेटर में ईंधन आदि बिल भुगतान (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक लार)              | 082220 18.01.19 | 23202.00 |
| 14 | 20.01.20 | श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार को डी एस सी डोंगल नवीनीकरण हेतु भुगतान         | 082221 20.01.20 | 1700.00  |
| 15 | 03.03.20 | श्री रवि प्रकाश सिंह ए पी ओ को सर्वे फार्म बिल भुगतान                          | 082222 03.03.20 | 8000.00  |
| 16 | 06.03.20 | श्री दुर्गेश कुमार तिवारी, कम्प्यूटर आपरेटर को कम्प्यूटर संबंधी भुगतान         | 082227 06.03.20 | 15705.00 |
| 17 | 17.03.20 | मेसर्स वेलटेक कम्प्यूटर सलेमपुर को कम्प्यूटर संबंधी भुगतान                     | 82228 17.03.20  | 44200.00 |

|    |          |                                                                                                                                                    |                 |           |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 18 | 05.03.20 | मनरेगा सेल देवरिया को वाहन का किराया भुगतान माह फरवरी 2020 (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, लार)                                                     | 082226 05.03.20 | 18850.00  |
| 19 | 30.04.19 | ग्रा. रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, लार)                                                                           | एलएन48 30.04.19 | 666000.00 |
| 20 | 01.05.19 | ए पी ओ लेखाकार, आपरेटर मानदेय भुगतान अप्रैल 19 तक (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक शाखा लार)                                                          | एलएन50 01.05.19 | 100800.00 |
| 21 | 05.08.19 | (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक शाखा लार) ए पी ओ कम्प्यूटर आपरेटर ले.स. का मानदेय माह मई 19 से जुलाई 19 तक भुगतान                                    | 082205 05.08.19 | 123200.00 |
| 22 | 12.09.19 | ग्रा. रोजगार सेवकों का मानदेय माह अप्रैल 19 से जून 19 तक 3 माह का भुगतान (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                                  | 082211 12.09.19 | 594000.00 |
| 23 | 24.10.19 | ए पी ओ का मानदेय माह 07/19 से 10/19 तक तथा ले.ख. कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय माह 08/19 से 10/19 तक का भुगतान (शाखा प्रबंधक पूर्वांचल बैंक शाखा लार) | 082212 24.10.19 | 179200.00 |
| 24 | 24.10.19 | ग्रा. रोजगार सेवकों मटियारी जग. का मानदेय माह 04/19 से 06/19 तक 3 माह का भुगतान (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                           | 082213 24.10.19 | 18000.00  |
| 25 | 02.12.19 | श्री रवि प्र. सिंह, ए पी ओ का अवशेष मानदेय भुगतान (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                                                         | 082214 02.12.19 | 64540.00  |

|    |          |                                                                                                                           |                 |                   |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 26 | 03.12.19 | ए पी ओ , कम्प्यूटर आपरेटर, ले.ख. का मानदेय भुगतान माह नवम्बर 19 (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                  | 082215 03.12.19 | 50400.00          |
| 27 | 07.12.19 | श्री रवि प्र. सिंह, ए पी ओ का अवशेष मानदेय 08/19 से 10/19 तक 3 माह (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)               | 082216 07.12.19 | 84000.00          |
| 28 | 09.12.19 | ग्रा. रोजगार सेवकों का मानदेय माह 07/19 से 09/19 तक 3 माह (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                        | 082217 09.12.19 | 648000.00         |
| 29 | 07.01.20 | ए पी ओ , कम्प्यूटर आपरेटर, ले.ख. का मानदेय भुगतान माह दिसम्बर 19 (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                 | 082219 07.01.20 | 50400.00          |
| 30 | 05.03.20 | ए पी ओ , कम्प्यूटर आपरेटर, ले.ख. का मानदेय भुगतान माह जनवरी 20 से फरवरी 20 तक का (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार) | 082223 05.03.20 | 98112.00          |
| 31 | 05.03.20 | ई एफ पी कटौती की धनराशि (01/20 से 02/20 तक) (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, शाखा लार)                                      | 82224 05.03.20  | 5600.00           |
| 32 | 05.03.20 | ग्रा.रोजगार सेवकों का माह 10/20 का भुगतान                                                                                 | 082225 05.03.20 | 216000.00         |
|    |          | <b>योग</b>                                                                                                                |                 | <b>3219279.00</b> |

क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका (नया) के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि रुपये 3219279.00 तथा मनरेगा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन (2019-2020)/ वित्तीय समरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत में मनरेगा प्रशासनिक मद (पी ओ स्तर) पर व्यय रुपये 27.57 लाख दर्शित है। इस प्रकार वर्ष 2019-2020 में मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में किये गये व्यय में रुपये 462279.00 का अन्तर है। वर्ष 2019-2020 में मनरेगा प्रशासनिक मद/ मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय में अन्तर 462279.00 का समाधान /निराकरण अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत लार में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय रुपये 3219279.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज / पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मानदेय पंजिका / मानदेय भुगतान पंजिका, वेतन पंजिका / वेतन भुगतान पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, मनरेगा श्रमिक उपस्थिति पंजिका, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, हेड स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका एवं



मनरेगा कन्टीजेन्सी / मनरेगा प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय अपुष्टि रहे। मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत लार की वर्ष 2019-2020 की मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद संबंधित अनुदान पंजिका भाग एक भाग तीन कैश पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मनरेगा कैशबुक इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त में राजकीय अनुदान का वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में प्राप्त, वर्षान्त में अन्तिम अवशेष इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्रीमती सुधा सिंह वी.डी.ओ, श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार, तत्कालीन ए.पी.ओ. उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-22)

**प्रस्तर संख्या-54-** क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में अनुदान पंजिका भाग दो एवं भाग तीन में निम्न मदों में दर्शित व्यय के प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, संबंधित दस्तावेज/ पत्रावली एवं संबंधित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण | दिनांक | चेक संख्या | व्यय की धनराशि |
|---------|--------------------------------|--------|------------|----------------|
|---------|--------------------------------|--------|------------|----------------|

अ) इन्दिरा आवास योजना/प्रचार प्रशिक्षण मद

|    |                                                                                        |          |        |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 1. | श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार (योग दिवस प्रशिक्षण)                                        | 04.12.19 | 174033 | 300.00          |
| 2  | श्री ओमकार ओझा, वरिष्ठ सहायक (जे.ई./ए.ई.एस प्रशिक्षण)                                  | 16.12.19 | 174034 | 15000.00        |
| 3  | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक शाखा लार (जे.ई./ए.ई.एस प्रशिक्षण)                         | 13.01.20 | 174037 | 8130.00         |
| 4  | श्री विशाल कुमार, ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम पंचायत बौरडीह में नीर निर्मल प्रशिक्षण)   | 27.02.20 | 174039 | 14000.00        |
| 5  | श्री जय प्रकाश जायसवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (रावतपार अमे. में नीर निर्मल प्रशिक्षण)   | 27.02.20 |        | 14000.00        |
| 6  | श्री स्वतंत्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम पंचायत डुमरी में नीर निर्मल प्रशिक्षण) | 27.02.20 |        | 14000.00        |
|    | <b>योग</b>                                                                             |          |        | <b>68130.00</b> |

ब) आवासीय प्रशासनिक मद

|    |                                                                                                                         |          |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|
| 1. | मेसर्स विजय कम्प्यूटेक प्रा.लि. रामपुर कारखाना (कम्प्यूटर आपरेटर आवास) का मानदेय भुगतान माह नवम्बर 18 से दिसम्बर 18 तक। | 11.04.19 | 408109 | 24000            |
| 2  | मेसर्स विजय कम्प्यूटेक प्रा.लि. रामपुर कारखाना (कम्प्यूटर आपरेटर आवास) का मानदेय भुगतान माह जनवरी                       | 07.08.19 | 408110 | 12000            |
| 3  | मेसर्स सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स, देवरिया को भुगतान (कम्प्यूटर प्रोग्रामर मानदेय माह फरवरी 19 से मई 2019 तक )               | 30.10.19 | 408111 | 47613            |
| 4  | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक शाखा लार (लेखन सामग्री व्यय)                                                               | 30.10.19 | 401813 | 19500            |
| 5  | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक शाखा लार (परियोजना निदेशक, डी आर डी ए देवरिया को वापस)                                     | 18.11.19 | 401814 | 402.00           |
|    | <b>योग</b>                                                                                                              |          |        | <b>103515.00</b> |

स) राज्य वित्त आयोग योजना मद

|    |                                                 |            |        |           |
|----|-------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1. | मेसर्स ओम उद्योग, अजना ग्राम पंचायत महाल मझरिया | 08.07.2019 | 017850 | 532575.00 |
|----|-------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|    |                                                                               |            |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
|    | में खण्डजा कार्य।                                                             |            |        |                  |
| 2. | मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम (आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण करमुआ-II)   | 06.09.2019 | 018235 | 181134.00        |
| 3  | शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सलेमपुर (आयकर कटौती संग्रीहत धनराशि) | 21.12.2019 | 018249 | 94966.00         |
|    |                                                                               | <b>योग</b> |        | <b>808675.00</b> |

#### **द) आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण**

|    |                                                                                         |            |        |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 1. | मेसर्स मयंक ट्रेडर्स, चुरिया, लार (ग्राम पंचायत बावनपाली आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण) | 08.07.2019 | 017850 | 532575.00         |
| 2. | शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सलेमपुर (आयकर कटौती)                           | 21.12.2019 | 174038 | 4056.00           |
|    | <b>योग</b>                                                                              |            |        | <b>177405.00</b>  |
|    | <b>कुल योग (अ +ब +स +द +)</b>                                                           |            |        | <b>1157725.00</b> |

उक्त मदों में दर्शित उपरोक्त व्ययों के प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, संबंधित दस्तावेज / पत्रावली एवं संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त दर्शित व्यय अपुष्टि रहे। व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, संबंधित दस्तावेज, पत्रावली एवं संबंधित अन्य अभिलेखों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं करायी गयी। उक्त के प्रति श्रीमती सुधा सिंह बी.डी.ओ, श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार उत्तरदायी है। पुष्टि के अभाव में व्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(सा0 आ0 सं0-24)**

**प्रस्तर संख्या-55-** क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में भारत स्वच्छता मिशन योजना अन्तर्गत राजकीय अनुदान प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की प्रविष्टि अनुदान पंजिका भाग एक, अनुदान पंजिका भाग दो तथा अनुदान पंजिका भाग तीन एवं कैशबुक में नहीं किया गया है। भारत स्वच्छ मिशन मद की ब्लाक सेनिटेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लार, देवरिया का बैंक पासबुक बैंक शाखा केनरा बैंक, सिविल लाइन्स, गोरखपुर रोड, देवरिया आई एफ एस सी -सी एन.आर.बी 0002662, खाता संख्या 2662101018272 वित्तीय वर्ष 2019-2020 से संबंधित पासबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा। इस बैंक खाते का परिचालन / संचालन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लार द्वारा किया जाता है। इस बैंक खाते के अनुसार वर्ष (2019-2020) में इस मद की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक शेष (01.04.19) ओ बी | वर्ष में जमा/ प्राप्त | वर्ष में आहरण /निकासी | वर्षांत में अन्तिम अवशेष 31.03.20 सी बी |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 2019-2020    | 81331.00                       | 356392.00             | 285834.00             | 151889.00                               |

इस खाते के अनुसार प्रारम्भिक शेष दिनांक 01.04.2019 को रुपये 81331.00 तथा वर्षांत में अंतिम अवशेष दिनांक 31.03.2020 को रुपये 151889.00 है। इस बैंक खाते में वर्ष 2019-2020 में विभिन्न तिथियों राजकीय अनुदान जमा रुपये 352920.00 तथा वर्ष में खाते पर व्याज प्राप्त रुपये 3472.00 कुल रुपये 356392.00 जमा दर्शित है। वर्ष 2019-2020 में इस खाते से विभिन्न तिथियों में रुपये 285834.00 का आहरण किया गया। बैंक खाते से आहरण की प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत की अनुदान पंजिका तथा कैशबुक में नहीं किया गया है। बैंक आहरण रुपये 285834.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, व्यय से संबंधित दस्तावेज / पत्रावली एवं संबंधित अन्य अभिलेखों इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण भारत स्वच्छता मिशन अन्तर्गत व्यय रुपये 285834.00 अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक एवं व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख एवं बैंक खाते से संबंधित समस्त अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त प्रति श्रीमती सुधा सिंह, ख0वि0अ0 श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। व्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-26)**

**प्रस्तर संख्या-56-** मनरेगा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन (2019-2020) / वित्तीय समरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष (2019-2020) में महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों का परिश्रामिक भुगतान रुपये 3.89 लाख दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | मद / व्यय का विवरण | धनराशि |
|---------|--------------------|--------|
|---------|--------------------|--------|

|    |                                                            |          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | क्षेत्र पंचायत स्तर पर अकुशल श्रमिकों का परिश्रामिक भुगतान | 3.89     |
|    | कुल योग                                                    | 3.89 लाख |

क्षेत्र पंचायत लार में वर्ष 2019-2020 में उक्त दर्शित व्यय रूपये 3.89 लाख से संबंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज / पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मानदेय पंजिका / मानदेय भुगतान पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, मनरेगा श्रमिक उपस्थिति पंजिका, सामग्री स्टॉक रजिस्टर एवं संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः उक्त के अभाव में मनरेगा में दर्शित व्यय अपुष्टित रहे। मनरेगा व्यय संबंधी समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत लार की वर्ष 2019-2020 की मनरेगा एवं मनरेगा कंटीजेन्सी संबंधित अनुदान पंजिका भाग एक, अनुदान पंजिका भाग दो एवं अनुदान पंजिका तीन तथा मनरेगा एवं मनरेगा कंटीजेन्सी मद का बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे।

उक्त के प्रति श्रीमती सुधा सिंह, वी.डी.ओ श्री सुभाष चन्द्र गुप्त लेखाकार, तत्कालीन ए.पी.ओ. उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-26)

क्षेत्र पंचायत-भटनी

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-57 (अ)

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                                                                                                                               | फर्म का नाम एवं बिल का विवरण                                                                                                                 | सामग्री क्रय का विवरण | मात्रा         | दर                 | सामग्री कीमत | जी0एस0टी0 दर | बिल धनराशि सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि का में | संस्था द्वारा की गयी कटौती |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                       |                |                    |              |              |                                                | जी0एस0टी0                  | आयकर |
| 1        | ग्राम पंचायत सवरेजी में गामा विश्वकर्मा के घर से रामप्यारे तिवारी के घर तक खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (आई एस वी)                | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 21 बुक नं0-अंकित नहीं। दिनांक 02.03.20   | ईट प्रथम श्रेणी       | 28800 न0       | 6182.61 प्रति हजार | 178059       | 5प्रतिशत     | 84479                                          | 3562                       | 3989 |
|          |                                                                                                                                                                            | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव वि.ख. भटनी देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52P9711 सारे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं।      | मिट्टी क्रय           | 132.58 घन मीटर | 77 प्रति घन मीटर   | 10208        | 5प्रतिशत     | 486.00                                         | --                         | --   |
| 2.       | ग्राम पंचायत भरहेचौरा पीच मार्ग से शारदा पटेल के घर होते हुए मुकेश मौर्य के खेत से दक्षिण सड़क तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 19 बुक नं0-अंकित नहीं। दिनांक 21.02.2020 | ईट प्रथम श्रेणी       | 24350 नग       | 6182.60 प्रति हजार | 150546       | 5प्रतिशत     | 7169                                           | 3010                       | 3372 |
|          |                                                                                                                                                                            | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव वि.ख. भटनी देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52पी9711 सारे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं।     | मिट्टी क्रय           | 78.08 घन मीटर  | 77 प्रति घन मीटर   | 6012         | 5प्रतिशत     | 286                                            | --                         | --   |
| 3        | ग्रा.प. बनकटा तिवारी में                                                                                                                                                   | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता                                                                                                                  | ईट प्रथम श्रेणी       | 35900नग        | 6182.60 प्रति      | 221955       | 5प्रतिशत     | 10569                                          | 4440                       | 4972 |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                 |                |                     |                                   |          |                     |                     |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | सिंगासन यादव के दुकान से पीखल प्रजापति के घर होते हुए मदरसा तक खण्डजा निर्माण कार्य। प्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)              | कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 19 बुक नं0-अंकित नहीं। दिनांक 21.02.20                            |                 |                | हजार                |                                   |          |                     |                     |                     |
|    |                                                                                                                                                             | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव वि.ख. भटनी देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52पी9711 सारे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं।  | मिट्टी क्रय     | 192.54 घन मीटर | 77 प्रति घन मीटर    | 14825                             | 5प्रतिशत | 706                 | --                  | --                  |
| 4. | ग्रा.पं. घाटी मेन रोड घाटी पिच मार्ग से हरिहरण यादव के घर तक मिट्टी खण्डजा। निर्माण कार्य कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)    | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 15 बुक नं0 अंकित नहीं दिनांक 06.11.19 | ईट प्रथम श्रेणी | 21600 नग       | 6182.60 प्रति हजार  | 133544<br>100.00<br><b>132544</b> | 5प्रतिशत | 6359<br><b>6359</b> | 2650<br><b>2650</b> | 2969<br><b>2969</b> |
|    |                                                                                                                                                             | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव वि.ख. भटनी देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52पी9711 सारे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं।  | मिट्टी क्रय     | 132.62 घन मीटर | 71.19 प्रति घन मीटर | 9441                              | 5प्रतिशत | 450                 | --                  | --                  |
| 5. | धर्मखोर दूबे में उमा यादव के घर के सामने से खैराट मे महेश के खेत तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 14 बुक नं0 अंकित नहीं दिनांक 22.10.19 | ईट प्रथम श्रेणी | 121000 नग      | 6182.60 प्रति हजार  | 748095                            | 5प्रतिशत | 35624               | 14962               | 16757               |
|    |                                                                                                                                                             | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव वि.ख. भटनी                                                                                          | मिट्टी क्रय     | 591.50 घन मीटर | 77.00 प्रति घन मीटर | 45545                             | 5प्रतिशत | 2169                | --                  | --                  |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                        |            |                     |                 |           |         |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|---------|------|------|
|    |                                                                                                                    | देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52पी9711 सारे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं।                                                   |                        |            |                     |                 |           |         |      |      |
| 6. | ग्राम पंचायत सठियाव में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण। कार्य प्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 13 बुक नं0 अंकित नहीं दिनांक 22.10.19 | ईट प्रथम श्रेणी        | 1550 न0    | 6182.60 प्रति हजार  | 9583.03         | 5प्रतिशत  | 456.00  | 366  | 410  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | ईट गिट्टी 40 मिमी0     | 6.31घन मी  | 1379.50 31घन मी बचत | 8704.65<br>0.68 | 5प्रतिशत  | 414     |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | योग                    | --         | --                  | 18287           | --        | 870     | 366  | 410  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                        |            |                     |                 |           |         |      |      |
|    |                                                                                                                    | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया टैक्स इनवाइस 26 दिनांक 03.09.19                                                  | सीमेंट                 | 53 बैग     | 293.22 बैग          | 15540.66        | 28प्रतिशत | 3400    | 3040 | 3040 |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | फाइन सैंड              | 3.55घन मी  | 1100 घन मी          | 3905            | 5प्रतिशत  | 186     |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | मोरंग                  | 1.98घन मी  | 2797.10 घन मी       | 35538.25        | 5प्रतिशत  | 1692    |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | पत्थर गिट्टी 20        | 2.96 घन मी | 3736.10 घन मी       | 11058.85        | 5प्रतिशत  | 527     |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | एम.एस. ग्रील           | 1.55क्यूएच | 3800 क्यूएच         | 5890            | 18प्रतिशत | 899     |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | स्लाइडिंग डोर वोल्ट    | 4 न0       | 91/न0               | 364.00          | 18प्रतिशत | 27.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | टावर वोल्ट (200 मिमी0) | 3          | 35                  | 105             | 18प्रतिशत | 16.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | टावर वोल्ट (100 मिमी0) | 20         | 30                  | 600             | 18प्रतिशत | 92.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | डोर हैंडल              | 6 पीस      | 21                  | 126             | 18प्रतिशत | 19.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | एस एफ आयरन 100 मिमी0   | 16         | 110                 | 146.67          | 18प्रतिशत | 22.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | एस एफ आयरन 75 मिमी0    | 42         | 96                  | 336             | 18प्रतिशत | 51.00   |      |      |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | योग                    | ---        | ---                 | 43610.43        |           | 6931.00 | 3040 | 3040 |

|  |  |                                 |                 |    |      |      |           |     |  |  |
|--|--|---------------------------------|-----------------|----|------|------|-----------|-----|--|--|
|  |  | (III) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. | डब्ल्यू/सी पेंट | 01 | 1150 | 1150 | 18प्रतिशत | 176 |  |  |
|--|--|---------------------------------|-----------------|----|------|------|-----------|-----|--|--|

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |                       |                  |           |              |             |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|----|
|    |                                                                                                                                                    | सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया<br>टैक्स इनवाइस 27 दिनांक<br>03.09.19                                                                                                                             | भराई के साथ                                       |             |                       |                  |           |              |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | डी/डब्ल्यू सरल<br>भराई के साथ                     | 12.19       | 930 घन मी             | 11336.70         | 18प्रतिशत | 1729         |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | एस एफ टाइल्स<br>भराई के साथ                       | 50.34       | 100890                | 50788.02         | 18प्रतिशत | 7747         |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | प्राइमर के साथ<br>कोटेड पेंटिंग                   | 31          | 64.51                 | 1994.81          | 18प्रतिशत | 304.00       |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | पेंटिंग सफेद<br>सीमेंट के साथ                     | 357.47      | 45.36                 | 16214.83         | 18प्रतिशत | 2473         |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | टू कोट डिस्टेम्पर                                 | 357.47      | 70.56                 | 25223.08         | 18प्रतिशत | 3848         |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | एम/एस आरसीसी<br>कार्य                             | 45          | 3800                  | 1710             | 18प्रतिशत | 261          |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | <b>योग</b>                                        | ---         | --                    | <b>108422.44</b> |           | <b>16538</b> |             |    |
|    |                                                                                                                                                    | (IV) हरिश कुशवाहा पुत्र श्री<br>राजदेव भगत, ग्रा.पं.<br>सठियाव, बैकुण्ठपुर जनपद-<br>देवरिया ट्रैक्टर नं0<br>रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नहीं।<br>सारे कागज पर धन प्राप्ति<br>रसीद दिनांक 03.09.19 | मिट्टी क्रय (मिट्टी<br>भराई कार्य हेतु<br>भुगतान) |             |                       | 9425             | 5प्रतिशत  | 449          |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | <b>योग</b>                                        | ---         | --                    | <b>9425</b>      |           | <b>449</b>   |             |    |
| 7. | खैराट मे पुल के पास<br>सिंचाई बंधे तक सी.सी.<br>मार्ग निर्माण कार्य। कार्य<br>प्रभारी श्री नन्द किशोर<br>सिंह पद सहायक विकास<br>अधिकारी (आई एस बी) | (I) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता<br>कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स,<br>बनकटा शिव, भटनी देवरिया<br>टैक्स इनवाइस<br>क्रमांक 07 बुक नं0 अंकित<br>नहीं दिनांक 16.12.19                                    | प्रथम श्रेणी ईट                                   | 16700 न0    | 6182.60 हजार          | 103249.42        | 5प्रतिशत  | 5012         | <b>3524</b> | -- |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | ईट गिट्टी 40<br>मिमी0                             | 50.70 घन मी | 1439.76 घन मी<br>(-)  | 72995.83<br>0.25 | 5प्रतिशत  | 3476         |             |    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | <b>योग</b>                                        | --          | --                    | <b>176245</b>    | --        | <b>8488</b>  | <b>3524</b> |    |
|    |                                                                                                                                                    | (II) यादव इंजीनियरिंग शॉप<br>रतसिया रोड भाटपारानी<br>टैक्स इनवाइस क्रमांक-15<br>दिनांक 30.09.19                                                                                             | सी आई बी बोर्ड<br>(3X4)                           | 1 न0        | 3500 न0               | 3500             | 18प्रतिशत | 534          |             |    |
|    |                                                                                                                                                    | (III) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं.<br>सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया                                                                                                                                | सीमेंट                                            | 620bag      | 293.22 प्रति घन<br>मी | 181796.40        | 28प्रतिशत | 39768        |             |    |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                              |              |                          |                  |           |            |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                     | टैक्स इनवाइस 17 दिनांक 17.12.18                                                                                                                                         | 200 मिमी0 पलर मिट्टी                         | 59.35 घन मी  | 2829.35 प्रति घन मी      | 167921.92        | 5प्रतिशत  | 7996       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | फाइन सैंड                                    | 25.35 घन मी  | 1260 प्रति घन मी         | 31941            | 5प्रतिशत  | 1521       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | कोर सैंड                                     | 39.46 घन मी  | 2900.10 प्रति घन मी      | 114437.95        | 5प्रतिशत  | 5440       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 125 माइक्रॉन प्लास्टिक                       | 300 घन मी    | 28                       | 8400             | 18प्रतिशत | 1281       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | एमएसबी एआर                                   | 3.124 क्यूएच | 4284.50 प्रति क्यूएच (-) | 13384.78<br>0.05 | 18प्रतिशत | 2042       |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | <b>योग</b>                                   | --           | --                       | <b>15613</b>     | --        | <b>744</b> |      |      |
| 8. | खैराट मे गोरख के दुकान/ ट्रांसफार्मर से रमेश यादव के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | (I) यादव इंजीनियरिंग शॉप रतसिया रोड भाटपार रानी टैक्स इनवाइस क्रमांक 16 दिनांक 30.09.19 (विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये)                                           | सी आई बी बोर्ड (4x3) (भुगतान चेक सं0 धनराशि) | 01           | 3500                     | 3500             | 18प्रतिशत | 534        |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 464592 दि. 3500                              |              | दिनांक 26.11.19          |                  |           |            |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | <b>योग</b>                                   | --           | --                       | <b>3500</b>      | --        | <b>534</b> |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                              |              |                          |                  |           |            |      |      |
|    |                                                                                                                                                     | (II) श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रानधारी, ग्रा.पं. बनकटा शिव, वि.ख. भटनी, जनपद-देवरिया ट्रैक्टर नं0-यू पी52एच5573 सारे कागज पर धन प्राप्ति रसीद दिनांक अंकित नहीं। | मिट्टी क्रय (भुगतान चेक सं0- धनराशि)         | 130.66 घन मी | 119.50 घन मी             | 15613            | 5प्रतिशत  | 744        |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 469564 दि. 64788                             |              | दिनांक 05.04.19          |                  |           |            |      |      |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | <b>योग</b>                                   | --           | --                       | <b>15613</b>     | --        | <b>744</b> |      |      |
|    |                                                                                                                                                     | (III) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 08 बुक नं0 अंकित                                                  | ईट प्रथम श्रेणी (भुगतान चेक सं0- धनराशि)     | 36086        |                          | 223105.30        | 5प्रतिशत  | 10624      | 4462 | 5056 |
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 464562 दि 213587                             |              | दिनांक 05.04.19          |                  |           |            |      |      |



|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                 |             |                       |          |           |       |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------|-----------|-------|------|------|
|    |                                                                                                                                              | नहीं                                                                                                                             |                 |             | (-)                   | 0.30     |           |       |      |      |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | योग             | --          | --                    | 223105   | --        | 10624 | 4462 | 5056 |
| 9. | खैराट में भरत प्रसाद के घर से बच्चन प्रसाद के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण। कार्य प्रभारी-श्री रविन्द्र नाथ सिंह पद-सहायक विकास अधिकारी | (I) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं. सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया टैक्स इनवाइस 22 दिनांक अंकित नहीं। भुगतान चेक सं0-464567 दिनांक 30.05.19 | सीमेंट          | 16.5 bag    | 293.22 bag            | 48381.30 | 28प्रतिशत | 10584 | 3000 | 3398 |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | फाइन सैंड       | 8.80घन मी   | 1260 प्रति घन मी      | 11088    | 5प्रतिशत  | 528   |      |      |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | मोरंग बालू      | 10.60 घन मी | 2900.10 प्रति घन मीटर | 30741.60 | 5प्रतिशत  | 1464  |      |      |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | पत्थर गिट्टी 20 | 13.05 घन मी | 3842.85 प्रति घन मीटर | 50149.19 | 5प्रतिशत  | 2388  |      |      |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                        |                 |                      |          |           |       |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|-------|------|------|
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | स्टील                  | 1.395 क्यूएच    | 4284.50 प्रति क्यूएच | 5976.87  | 18प्रतिशत | 912   |      |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | माइक्रॉन प्लास्टिक सीट | 29.45 वर्ग मीटर | 28                   | 36324.60 | 18प्रतिशत | 5541  |      |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | योग                    | --              | --                   | 14961.00 | --        | 21417 | 3000 | 3398 |
|    |                                                                                                                                                         | (II) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, भटनी देवरिया टैक्स इनवाइस क्रमांक 10 बुक नं0 अंकित नहीं भुगतान चेक सं0-464568 दिनांक 30.05.19         | ईट प्रथम श्रेणी        | 6955 न0         | 6182.60              | 42999.98 | 5प्रतिशत  | 2047  |      |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ईट गिट्टी              | 16.80 घन मी     | 1417.50              | 23814.00 | 5प्रतिशत  | 1134  |      |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | योग                    | --              | --                   | 66813.00 | --        | 3181  | 1336 | 1514 |
| 10 | खैराट में रामपति शाह के घर के सामने से सूरत मछेशिय के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण। कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र नाथ सिंह पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | (II) यादव इंजीनियरिंग शॉप रतसिया रोड भाटपारानी टैक्स इनवाइस क्रमांक-14 दिनांक 30.09.19 भुगतान विवरण चेक सं0-464592 दिनांक 26.11.19 धनराशि-10500/- पुनः चेक निरस्त कर चेक | सी आई बी बोर्ड         | 01              | 3500                 | 3500     | 18प्रतिशत | 534   |      |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | योग                    | --              | --                   | 3500     | --        | 534   |      |      |

|  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | सं0-4646031 दिनांक<br>19.03.20 धनराशि-10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                             |                     |                        |           |           |       |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-------|------|-------|
|    |                                                                                                                 | (II) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता<br>कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स,<br>बनकटा शिव, भटनी देवरिया<br>टैक्स इनवाइस<br>क्रमांक 12 बुक नं0 अंकित<br>नहीं दिनांक अंकित नहीं                                    | प्रथम श्रेणी ईट             | 14978               | 6182.60                | 92602.98  | 5प्रतिशत  | 4410  | 3030 | 3433  |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | ईट गिट्टी                   | 41.53 घन मी         | 1417 प्रति घन<br>मी    | 58876.35  | 5प्रतिशत  | 2804  |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | योग                         | --                  | --                     | 151479    | --        | 7214  | 3030 | 3433  |
|    |                                                                                                                 | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं.<br>सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया<br>टैक्स इनवाइस 22 दिनांक<br>अंकित नहीं। भुगतान चेक<br>सं0-464567<br>दिनांक 30.05.19                                               | फाइन सैंड                   | 20.78 घन मी         | 1260                   | 26182     | 5प्रतिशत  | 1247  | 9244 | 10474 |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | कोर सैंड                    | 32.45 घन मी         | 2900                   | 44105     | 5प्रतिशत  | 2100  |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | पत्थर गिट्टी 20             | 147.30 घन<br>मी     | 3829.35                | 181128.25 | 5प्रतिशत  | 8625  |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | स्टील छड़                   | 0.344 क्यूएच        | 4295                   | 1477.48   | 18प्रतिशत | 225   |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | सीमेंट                      | 503bag              | 293.22                 | 147489.66 | 28प्रतिशत | 32263 |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | 125 माइक्रान<br>पॉलीथीन सीट | 423.12 वर्ग<br>मीटर | 28                     | 11847.36  | 18प्रतिशत | 1807  |      |       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | योग                         | --                  | --                     | 462230    | --        | 46267 | 9244 | 10474 |
| 11 | खण्ड विकास अधिकारी<br>आवास/कार्यालय का<br>मरम्मत नवीनीकरण कार्य<br>प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार<br>भण्डार लिपिक | (II) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता<br>कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स,<br>बनकटा शिव, भटनी देवरिया<br>टैक्स इनवाइस<br>क्रमांक 09 दिनांक<br>08.03.19<br>भुगतान का विवरण चेक<br>सं0-464562 दिनांक<br>05.04.19 | ईट गिट्टी (40<br>मिमी0)     | 4.67 घन मी          | 1417.50 प्रति<br>घन मी | 6620      | 5प्रतिशत  | 315   | 132  | 150   |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | योग                         | --                  | --                     | 6620      | --        | 315   | 132  | 150   |

|  |  |                                                                                       |          |              |         |          |           |      |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----------|-----------|------|--|--|
|  |  | (II) श्री राजदेव भगत, ग्रा.पं.<br>सठियाव बैकुण्ठपुर देवरिया<br>टैक्स इनवाइस 21 दिनांक | सीमेंट   | 96bag        | 293.22  | 28149.12 | 28प्रतिशत | 6158 |  |  |
|  |  |                                                                                       | कोर सैंड | 7.18घन<br>मी | 2900.10 | 20822.72 | 5प्रतिशत  | 992  |  |  |

|    |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                          |                  |              |               |           |              |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                            | 08.03.19                                                                                              | फाइन सैंड                                                | 6.38घन मी        | 1260         | 8038.80       | 5प्रतिशत  | 383          | 5890        | 6674        |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | स्टोन ग्रेट                                              | 1.47घन मी        | 3829.35      | 5629.14       | 5प्रतिशत  | 268          |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | कलोवर टाइल्स                                             | 220 न0           | 251.34       | 55294.80      | 18प्रतिशत | 8435         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | कामर्शियल क्वालिटी शटर                                   | 15.80 वर्ग मीटर  | 1624.85      | 25672.63      | 18प्रतिशत | 3916         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | डोर शटर                                                  | 8.52वर्ग मीटर    | 1508         | 12848.16      | 18प्रतिशत | 1960         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | विन्डो शटर                                               | 18.9 आर एम       | 130.56 आर एम | 2467.58       | 18प्रतिशत | 377          |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | एल्युमीनियम टी सी सी पैनल                                | 2.43 वर्ग मीटर   | 554.60       | 1347.67       | 18प्रतिशत | 206          |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | 6मिमी0 पिक प्लेट ग्लास                                   | 6.7988 वर्ग मीटर | 130.17       | 88499.97      | 18प्रतिशत | 13500        |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | प्लास्टर ऑफ पेरीस                                        | 679.88 वर्ग मीटर | 49.90        | 33926.01      | 5प्रतिशत  | 1616         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | वन कोर प्राइमर एण्ड टू ड्रू डिस्टेंपर पोलसिंग ऑन 35 वर्क | 48.64 वर्ग मीटर  | 101.37       | 4930.63       | 28प्रतिशत | 1079         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | वाटर टैंक 2x500 ली.                                      | 1000 ली.         | 6.90         | 6900          | 18प्रतिशत | 1053         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | <b>योग</b>                                               | --               | --           | <b>294527</b> | --        | <b>39943</b> | <b>5890</b> | <b>6674</b> |
| 12 | विकास खण्ड भटनी मुख्यालय पर आर.ओ.की स्थापना कार्यप्रभारी श्री मनोज शर्मा पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | (I) अमन ट्रेडर्स ग्राम-बेलपार पंडित पी.ओ. भाटपार रानी, देवरिया टैक्स इनवायस सं0-28 दिनांक अंकित नहीं। | वाटर कूलर (20/40)                                        | 1 न0             | 55500 न0     | 55500         | 18प्रतिशत | 8466         | 3532        | 3955        |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | आर.ओ. 30 पी एन                                           | 1 न0             | 48500 न0     | 48500         | 18प्रतिशत | 7398         |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | स्टैंपलाइजर 2 के बी                                      | 1 न0             | 5500 न0      | 5500          | 18प्रतिशत | 839          |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | वाटर टैंक                                                | 1 न0             | 3500 न0      | 3500          | 18प्रतिशत | 534          |             |             |
|    |                                                                                                            |                                                                                                       | पाइप 1" (100 फुट)                                        | 1 पीस            | 2800 पीस     | 2800          | 18प्रतिशत | 427          |             |             |

|  |  |                                                                                                        |                                            |         |          |               |           |              |             |             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|  |  |                                                                                                        | पाइप 0.5" (100 फुट)                        | 1 पीस   | 2700 पीस | 2700          | 18प्रतिशत | 412          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | लोहा जाली                                  | 1 न0    | 1800 न0  | 18000         | 18प्रतिशत | 2746         |             |             |
|  |  |                                                                                                        | बोर्ड, तार, स्वीय                          | 1 न0    | 2000     | 2000          | 18प्रतिशत | 305          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | मीटर 1एच पी                                |         | 5000 न0  | 5000          | 18प्रतिशत | 763          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | फाइबर 125 फीट                              |         | 4375     | 4375          | 18प्रतिशत | 667          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | आर.सी. चैबर                                |         | 15000    | 15000         | 28प्रतिशत | 3281         |             |             |
|  |  |                                                                                                        | आर.ओ. अवस्थापन चार्ज प्लंबर अवस्थापन चार्ज |         | 2000     | 2000          | 12प्रतिशत | 214          |             |             |
|  |  |                                                                                                        |                                            |         | 2000     | 2000          | 12प्रतिशत | 214          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | <b>योग</b>                                 | --      | --       | <b>166875</b> | --        | <b>26266</b> | <b>3532</b> | <b>3955</b> |
|  |  | (II) अमन ट्रेडर्स ग्राम-बेलपार पंडित पी.ओ. भाटपार रानी, देवरिया टैक्स इनवायस सं0-16 दिनांक अंकित नहीं। | ग्रीन पाइप                                 | 70 फीट  | 1190     | 1190          | 18प्रतिशत | 182          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | वोल्ट                                      | 2 पीस   | 4.00     | 8.00          | 18प्रतिशत | 1.00         |             |             |
|  |  |                                                                                                        | प्याली                                     | 10 फीट  | 375      | 375           | 18प्रतिशत | 57           |             |             |
|  |  |                                                                                                        | नेपन 112                                   | 80      | 240      | 240           | 18प्रतिशत | 37           |             |             |
|  |  |                                                                                                        | पर्दा                                      | 10 मीटर | 12/पी.   | 120           | 12प्रतिशत | 13           |             |             |
|  |  |                                                                                                        | रस्सी                                      |         | 15       | 15.00         | 12प्रतिशत | 2            |             |             |
|  |  |                                                                                                        | धागा                                       |         | 15       | 15.00         | 5प्रतिशत  | 1            |             |             |
|  |  |                                                                                                        | सफेदा                                      | 4 न0    |          | 15.00         | 18प्रतिशत | 2            |             |             |
|  |  |                                                                                                        | 1¼ नेपल                                    |         |          | 36.00         | 18प्रतिशत | 5.00         |             |             |
|  |  |                                                                                                        | साकेट (1/14x1 1/2)                         |         |          | 60.00         | 18प्रतिशत | 9.00         |             |             |
|  |  |                                                                                                        | क्लैम्प                                    |         |          | 70.00         | 18प्रतिशत | 11.00        |             |             |
|  |  |                                                                                                        | 3" पाइप 5 फीट                              | 1 सेट   | 70 सेट   | 90.00         | 18प्रतिशत | 14.00        |             |             |
|  |  |                                                                                                        | <b>योग</b>                                 | --      | --       | <b>2244</b>   | --        | <b>334</b>   |             |             |
|  |  | (III) अमन ट्रेडर्स ग्राम-बेलपार पंडित पी.ओ. भाटपार रानी,                                               | हैड पाइप मिस्त्री चार्ज                    | --      | --       | 4000          | 12प्रतिशत | 429          |             |             |
|  |  |                                                                                                        | राजमिस्त्री चार्ज                          | --      | --       | 1350          | 18प्रतिशत | 206.00       |             |             |

|  |                                                |                                                                                                        |                        |         |       |                          |           |           |          |          |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|  |                                                | देवरिया टैक्स इनवायस सं0-17 दिनांक अंकित नहीं।                                                         | हैंड पाइप              |         | 843   | 843                      | 5प्रतिशत  | 40.00     |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | बालू                   |         |       | 600                      | 5प्रतिशत  | 29.00     |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | पाइप भाड़ा             | --      | --    | 500                      | --        | --        |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | <b>योग</b>             | --      | --    | 7458                     | --        | 704       |          |          |
|  |                                                | (IV) अमन ट्रेडर्स ग्राम-बेलपार पंडित पी.ओ. भाटपार रानी, देवरिया टैक्स इनवायस सं0-29 दिनांक अंकित नहीं। | वाटर कूलर (40/80)      | 1 न0    | 65000 | 65000                    | 18प्रतिशत | 9915      | 4320     | 4838     |
|  |                                                |                                                                                                        | आर.ओ. 100 लीं.         | 1 न0    | 85000 | 85000                    | 18प्रतिशत | 12966     |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | मोटर।एचपी              | 1 न0    | 500   |                          |           |           |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | वाटर टैंक पाइप 1"      | 1 न0    | 3500  | 3500                     | 18प्रतिशत | 534       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        |                        | 100फीट  | 3200  | 3200                     | 18प्रतिशत | 488       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | पाइप ½"                | 100फीट  | 2800  | 2800                     | 18प्रतिशत | 427       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | बोर्ड सॉकेट            | 1 न0    | 3000  | 3000                     | 18प्रतिशत | 458       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | 91भार आई.एस.           | 50 मी.  | 500   | 500                      | 18प्रतिशत | 76        |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | लोहा जाली              | 294 कि. | 2200  | 22000                    | 18प्रतिशत | 3356      |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | स्टैबलाइजर 3केवी       | 1 न0    | 6500  | 6500                     | 18प्रतिशत | 992       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | <b>योग</b>             | --      | --    | 196500                   | --        | 29975     | 4320     | 4838     |
|  |                                                | (V) अमन ट्रेडर्स ग्राम-बेलपार पंडित पी.ओ. भाटपार रानी, देवरिया टैक्स इनवायस सं0-30 दिनांक अंकित नहीं।  | आर.सी.सी. चैंबर        |         | 15000 | 15000                    | 28प्रतिशत | 3281      |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | आर.ओ. अवस्थापना चार्ज  |         | 2000  | 2000                     | 12प्रतिशत | 214       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | प्लंबर अवस्थापना चार्ज |         | 2500  | 2500                     | 12प्रतिशत | 268       |          |          |
|  |                                                |                                                                                                        | <b>योग</b>             | --      | --    | 14500                    | --        | 3763      | --       | --       |
|  | क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 12 तक का कुल योग |                                                                                                        |                        |         |       | 4024526.87 या 4024527.00 |           | 355980.00 | 80858.00 | 75367.00 |

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भटनी, जनपद-देवरिया के पत्रांक 544/2/ लेखा/ स.ल./क्षे.प. टेण्डर/2018-2019 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा क्षेत्र पंचायत भटनी द्वारा राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले स्वीकृत कार्यों के लिए प्रथम श्रेणी ईट, इण्टरलाकिंग ईट/टाइल्स, सीमेंट, मोरंग बालू, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, सरिया, साईनबोर्ड, एवं अन्य सामग्री वित्तीय वर्ष 2019-2020 तक में आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित किया गया। निविदा प्रपत्र प्राप्ति तिथि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भटनी ने दिनांक 25.03.2019 से दिनांक 28.03.2019 तक समय पूर्वाह्न 10

बजे अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित किया गया। टेण्डर जमा करने की तिथि दिनांक 28.03.2019 को अपराह्न 4 बजे तथा निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने की तिथि दिनांक 28.03.2019 को अपराह्न 4.30 बजे निर्धारित किया गया। समाचार पत्र स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर में दिनांक 08.03.2019 को निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया।

खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भटनी के पत्रांक संख्या अंकित नहीं। लेखा टेण्डर/दिनांक अंकित नहीं द्वारा खण्ड विकास अधिकारी आ.पी.सिंह द्वारा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भटनी के पत्र संख्या 544/2/ लेखा/ स.ल./क्षे.प. टेण्डर/2018-2019 दिनांक 07.03.2019 द्वारा निर्गत सूचना 3 क्रम में टेण्डर स्वीकृति हेतु गठित समिति के निम्न सदस्यों को नामित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1) श्री भारत भूषण मिश्रा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता विभाग
- 2) श्री नन्द किशोर सिंह, सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) भटनी।
- 3) श्री रवीन्द्र नाथ सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

सामग्री आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है

- 1) मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, देवरिया
- 2) मेसर्स राजदेव, ग्राम छठिया, पोस्ट-बैकुण्ठपुर, देवरिया।
- 3) मेसर्स लारी टाइल्स, देवरिया।

मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, पैन नम्बर अर्नेस्ट मनी। जमानत धनराशि का विवरण अंकित नहीं किया गया है। इनके द्वारा स्टैंप पेपर (भारतीय गैर न्यायिक) यू पी क्रमांक ई एम 433343, स्टैंप विक्रय तिथि 28.03.2019 100/ नं. 436, कोषगार स्टैंप तिथि 21.02.2019 धनराशि रुपये 100.00 का अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है। इस स्टैंप पेपर पर किसी प्रकार का शपथ नहीं लिया गया है अथवा इस पर किसी प्रकार एग्रीमेंट नहीं किया गया है। यह स्टैंप पेपर रिक्त है। इनके द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के पास जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 आई एन बीयूजीपीआर 596712जेडक्यू) की छायाप्रति, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का आधार क्रमांक 860859217982 की छायाप्रति, आयकर विवरण असेसमेंट वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। आयकर विवरण का विभाग निम्न प्रकार है:-

| मूल्यांकन वर्ष | ई फिलिंग एकनॉलेज डाटा                | कुल समूह आय | कुल आयकर | पैनन0          |
|----------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 2015-2016      | 119524590280316<br>दिनांक 28.03.16   | 141570/-    | निल      | बी यू जी पी आर |
| 2016-2017      | 4852822770071016<br>दिनांक 07.10.16  | 395567/-    | 6630/-   | बी यू जी पी आर |
| 2018-2019      | 956770850300718<br>दिनांक 30.07.2018 | 332199/-    | निल      | बी यू जी पी आर |

इस फर्म के द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 भुगतान निवाणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, जमानत धनराशि जमा रसीद संलग्न नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत दर से कम पर अथवा कतिपय सामग्रियों पर पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक पर किये जाने का उल्लेख किया गया है। इनके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/ आयकर विवरण, जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद/ जमानत धनराशि जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

मे0 लारी टाइल्स ने अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (नम्बर 09ए वी एम पी ए 7161के 228) की छायाप्रति, मु0 मंसूर आलम का आधार क्रमांक 951219562565 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत दर पर अथवा कतिपय सामग्रियों पर पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत दर से कम पर अथवा कतिपय सामग्रियों पर पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक पर किये जाने का उल्लेख किया गया है। इनके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक सामग्री का आपूर्ति दर का धनराशि सहित अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इनके द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ भारतीय गैर न्यायिक स्टैंप पेपर क्रमांक यू पी ई.के.252646 उपकोषगार सलेमपुर देवरिया का स्टैंप तिथि 11.03.2019 क्रमांक 3504 तथा स्टैंप बिक्री तिथि दिनांक 27.03.2019 नम्बर 609, क्रेता का नाम-विकास खण्ड अधिकारी भटनी, देवरिया संलग्न किया गया है। इस स्टैंप पेपर पर इनके द्वारा किसी प्रकार का शपथ नहीं लिया गया है अथवा इस स्टैंप पेपर पर किसी प्रकार का शपथ नहीं लिया गया है अथवा इस स्टैंप पेपर पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट (इकरारनामा) नहीं किया गया है। यह स्टैंप पेपर रिक्त/कोटा है। नीचे में (मंसूर आलम) के हस्ताक्षर है। जमानत धनराशि रुपये 10000.00 की पुष्टि में इनके द्वारा बंधन बैंक लि0 शाखा सलेमपुर अकाउंट 10180007002948 का एफ डी एडवांटेज संचयी जमा रसीद जमा की तिथि 12.12.2018 जमाकर्ता मिस सबरिन फातिमा पुत्री मु0 शारीन फतेह संलग्न किया गया। जिसकी परिपक्वता तिथि 13.12.2019 है। फर्म लारी टाइल्स के प्रोपाइटर मु. मंसूर आलम है, जबकि जमानत धनराशि के रूप में मिस सबरीन फातिमा का साव जमा धनराशि रुपये 10000.00 का उल्लेख किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी भटनी द्वारा इण्टरलाकिंग टाइल्स की आपूर्ति हेतु मे0 लारी टाइल्स, देवरिया ईट गिट्टी (40 मिमी0) की आपूर्ति हेतु मे. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, बनकटा शिव, देवरिया तथा प्रथम श्रेणी ईट, सीमेंट, कोर सैंड, फाइन सैंड, पत्थर गिट्टी, माइल्ड स्टील, कार्टेज की मिट्टी, माइकान पिंक प्लास्टिक सीट की आपूर्ति हेतु मे0 राजदेव हेतु निविदा को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत 2019-2020 में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है लेकिन टेण्डर फर्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा।

टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अंतर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फर्म/नोटिस पर टेण्डर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) निविदा प्रतिभागियों से जमा नहीं कराया गया है, निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पुल संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत स्वीकृत टेण्डर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है लेकिन टेण्डर स्वीकृति के पश्चात सामग्री मूल्य/ निविदा मूल्य 4024527.00 के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि मात्र दस हजार रुपये प्रत्येक स्वीकृत निविदा वाले आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी गयी है। जो कि वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है कि आपूर्ति फर्म से अनुचित सुरक्षा जमा ली गयी है। टेण्डर दाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरण, बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 भुगतान विवरण, शपथ पत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेण्डर दाताओं की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। क्रयादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) संस्था द्वारा नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं किया गया है। निविदादाता फर्मों द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए शपथ पत्र भी नहीं लगाया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर / अधिक मूल्य पर किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2019-2020 में उक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रुपये 4024527.00 में टेण्डर नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय रुपये 4024527.00 में टेण्डर प्रक्रियाओं के कारण अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री जितेन्द्र कुमार भारती, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती रनिया देवी उत्तरदायी रहे।

टेण्डर हेतु गठित समिति सदस्य यथा-

श्री भारत भूषण मिश्र, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, श्री नन्द किशोर सिंह, सहायक विकास अधिकारी (आई एस वी), श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत उत्तरदायी है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यों के लिए संस्था को सामग्री की आपूर्ति कब की गयी। इससे संबंधित विवरण यथा-सामग्री आपूर्ति तिथि, स्थान एवं समय सहित उपलब्ध नहीं रहा। क्रय की गयी सामग्री किस वाहन से संस्था पर अथवा कार्यस्थल पर लाया गया, इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री ढुलान करने वाले वाहन के मालिक का नाम, पता, वाहन चालक का नाम, पता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का नाम, पता इत्यादि का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वाहन के आगमन का समय, दिनांक स्थान का विवरण तथा सामग्री उतारने के पश्चात वाहन के प्रस्थान का दिनांक समय का विवरण सामग्री ढोने वाले वाहन का प्रकार वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, टोल टैक्स पेमेंट रसीद इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गयी सामग्री का आमद, उपभोग एवं अवशेष की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अतः उक्त अनियमितता धनराशि रूपया 4024527 रुपये की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-19 अ)

**प्रस्तर संख्या-57(ब) :-** क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय कीमत रुपये 4024527.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना दर्शित किया गया है, जिससे जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 355980.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में सामग्रियों के रेट ऑफ़ एनालिसिस शीर्ष में भी सामग्री क्रय कीमत जी0एस0टी0 सहित आकलित किया गया है। लेकिन फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिलों पर सामग्री कीमत के साथ जी0एस0टी0 का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान का विवरण भी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे फर्म द्वारा किये गये जी0एस0टी0 भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिल के साथ-साथ जी0एस0टी0 भुगतान विवरण भी संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को जी0एस0टी0 भुगतान रुपये 355980.00 अनियमित रहा। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान विवरण क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थ रहने की स्थिति में उन फर्मों से सामग्री क्रय संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय एवं सामग्री क्रय कीमत भुगतान की उच्च स्तरीय जांच अपेक्षित है। अनियमित जी0एस0टी0 भुगतान रूपया 355980.00 के प्रति श्री अशोक कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-19 ब)

उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल से आयकर रुपये 75367.00 तथा जी0एस0टी0 रुपये 80858.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन आयकर कटौती की धनराशि रुपये 75367.00 तथा जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रुपये 80858.00 को राजकीय कोषगार में जमा किये जाने संबंधी चालान/धनराशि प्राप्ति रसीद, दाखिल आयकर रिटर्न, दाखिल जी0एस0टी0 रिटर्न/ जी0एस0टी0 भुगतान विवरण इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा अपुष्टि रहने की स्थिति में इनकी वसूली तात्कालिक लेखाकार एवं तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-57(स) :-** क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों (क्र.सं.-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) में मिट्टी क्रय रुपये 111069.00 का किया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता से क्रय बिल पर जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती नहीं किया गया है। मिट्टी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान विवरण भी क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत मिट्टी क्रय कीमत रुपये 111069.00 में जी0एस0टी0 रुपये 5290.00 का भुगतान भी किया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी ढोनेवाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। किन

भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/खेतों से मिट्टी खननकर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है, इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय बिल भी उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सारे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है, जिन पर दिनांक/भुगतान तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है जिसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के प्रति श्री अशोक कुमार पाण्डेय (ख.वि.अ.), श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार क्रय संबंधित, कार्य प्रभारी श्री मनोज शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी), श्री रवीन्द्र नाथ सिंह ए.डी.ओ पंचायत से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति सं0-19 सी)**

**प्रस्तर संख्या-58-** क्षेत्र पंचायत भटनी में निम्न निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान रुपये 709980.00 का किया गया, जिसमें राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष (2019-2020) मजदूरी भुगतान रुपये 623520.00 तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत (ग्राम पंचायत सठियाव में आंगनवाड़ी निर्माण कार्य में वर्ष 2017-2018 में मजदूरी भुगतान रुपये 86460.00 का किया गया) विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0<br>सं0 | कार्य का नाम                                                                                                                                                                               | मस्टररोल अवधि                  | श्रमिकों<br>की<br>श्रेणी | श्रमिकों<br>की<br>संख्या | कुल<br>श्रम<br>दिवस | मजदूरी<br>दर<br>प्रतिदिन | मजदूरी<br>धनराशि<br>रूपये में | मजदूरी<br>भुगतान<br>रूपये में | चेक संख्या<br>एवं तिथि | चेक प्राप्तकर्ता<br>भुगतान प्राप्तकर्ता              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.          | ग्राम पंचायत सवरेजी में गामा विश्वकर्मा के घर से रामप्यारे तिवारी के घर तक खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                             | 01.03.2020 से<br>19.03.2020    | मिस्त्री                 | 03                       | 48                  | 350                      | 16800                         | 42462.00                      | 464606                 | श्री मनोज कुमार शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी) कार्यप्रभारी |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मजदूर                    | 08                       | 128                 | 128                      | 23296                         |                               | 23.03.20               |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मजदूर                    | 01                       | 13                  | 182                      | 2366                          |                               |                        |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            | योग                            | --                       | --                       | --                  | --                       | 42462                         | 42462                         | --                     | --                                                   |
| 2.          | ग्राम पंचायत भरहेचौरा पिच मार्ग से शारदा के घर होते हुए मुकेश मौर्य के खेत से दक्षिण सड़क तक मिट्टी/खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी-श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)    | 20.02.2020 से<br>03.03.2020    | मिस्त्री                 | 03                       | 37                  | 350                      | 12950                         | 32606                         | 464597                 | श्री मनोज कुमार शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी) कार्यप्रभारी |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मजदूर                    | 10                       | 108                 | 182                      | 19656                         |                               | 19.03.20               |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            | योग                            | -                        | -                        | -                   | -                        | 32606                         | 32606                         | --                     | --                                                   |
| 3.          | ग्राम पंचायत बनकटा तिवारी में सिंगासन यादव के दुकान से बीरबल प्रजापति के घर होते हुए मंदरसा तक खण्डजा निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 16.02.2020 से<br>14.03.2020 तक | मिस्त्री                 | 01                       | 16                  | 350                      | 5600                          | 54110                         | 464600                 | श्री मनोज कुमार शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी) कार्यप्रभारी |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मिस्त्री                 | 03                       | 45                  | 350                      | 15750                         |                               | 19.03.20               |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मजदूर                    | 04                       | 68                  | 182                      | 12376                         |                               |                        |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            |                                | मजदूर                    | 07                       | 112                 | 182                      | 20384                         |                               |                        |                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                            | योग                            | --                       | --                       | --                  | --                       | 54110                         | 54110                         | --                     | --                                                   |

|    |                                    |                               |          |    |    |     |      |          |          |                              |
|----|------------------------------------|-------------------------------|----------|----|----|-----|------|----------|----------|------------------------------|
| 4. | ग्राम पंचायत घाटी मेन रोड घाटी पिच | 1) 06.11.19 से<br>12.11.19 तक | मिस्त्री | 02 | 14 | 350 | 4900 | 33320.00 | 464591   | श्री मनोज कुमार शर्मा ए.डी.ओ |
|    |                                    |                               | मजदूर    | 06 | 42 | 182 | 7644 |          | 26.11.20 |                              |



|                            |                                                                                                                                                                     |                                          |          |     |       |     |       |        |                                                                           |                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            | मार्ग से हरिशरण यादव के घर तक मिट्टी/खण्डजा निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी-श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                                    |                                          | मजदूर    | 04  | 68    | 182 | 12376 |        | (आई एस बी) (कार्यप्रभारी)                                                 |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 2) 13.11.19 से 19.11.19 तक               | मिस्त्री | 02  | 14    | 350 | 4900  |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          | मजदूर    | 06  | 42    | 182 | 7644  |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          |          |     |       |     |       |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 3) 20.11.19 से 24.11.19 तक               | मिस्त्री | 02  | 10    | 350 | 3500  |        |                                                                           |                                                        |
| मजदूर                      | 04                                                                                                                                                                  |                                          | 42       | 182 | 7644  |     |       |        |                                                                           |                                                        |
| मजदूर                      | 02                                                                                                                                                                  |                                          | 02       | 182 | 364   |     |       |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          |          |     |       |     |       |        |                                                                           |                                                        |
| 5.                         | धर्मखोर दूबे में उमा यादव के घर के सामने से खैराट में महेश के खेत तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 1) 19.10.19 से 25.10.19 तक               | मिस्त्री | 06  | 42    | 350 | 14700 | 179242 | 464587                                                                    | श्री मनोज कुमार शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी) (कार्यप्रभारी) |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          | मजदूर    | 17  | 119   | 182 | 21658 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 2) 26.10.19 से 01.11.19 तक               | मिस्त्री | 06  | 42    | 350 | 14700 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          | मजदूर    | 17  | 118   | 182 | 21294 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 3) 02.11.19 से 08.11.19 तक               | मिस्त्री | 06  | 42    | 350 | 14700 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          | मजदूर    | 17  | 118   | 182 | 21476 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 4) 09.11.19 से 15.11.19 तक               | मिस्त्री | 06  | 42    | 350 | 14700 |        |                                                                           |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     |                                          | मजदूर    | 17  | 115   | 182 | 20930 |        |                                                                           |                                                        |
| 5) 16.11.19 से 22.11.19 तक | मिस्त्री                                                                                                                                                            | 06                                       | 42       | 350 | 14700 |     |       |        |                                                                           |                                                        |
|                            | मजदूर                                                                                                                                                               | 17                                       | 114      | 182 | 20748 |     |       |        |                                                                           |                                                        |
| 6.                         | ग्राम पंचायत सठियाव में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)                                            | 1) एम आर न0 2721 26.02.18 से 26.02.18    | मजदूर    | 03  | 42    | 175 | 7350  | 7350   | संबंधित श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान किया गया। मनारेगा योजना अन्तर्गत |                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                     | 1) एम आर न0 2720 13.02.18 से 26.02.18 तक | मजदूर    | 10  | 140   | 175 | 24500 | 24500  |                                                                           |                                                        |

|    |                                                                                                                                       |                                          |          |    |     |     |                |                |        |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----|-----|-----|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                       | 3) एम आर न0 3040 28.02.18 से 13.03.18    | मिस्त्री | 05 | 65  | 350 | 22760          | 22760          |        |                                                                     |
|    |                                                                                                                                       | 4) एम आर न0 3039 28.02.18 से 13.03.18 तक | मजदूर    | 03 | 42  | 175 | 7350           | 7350           |        |                                                                     |
|    |                                                                                                                                       | 5) एम आर न0 3039 28.02.18 से 13.03.18 तक | मजदूर    | 10 | 140 | 175 | 24500          | 24500<br>86460 |        |                                                                     |
| 7. | खैराट में पुल के पास सिंचाई बन्दे तक सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री नन्द किशोर सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) | 1) 26.02.19 से 09.03.19 तक               | मिस्त्री | 08 | 94  | 350 | 32900          | 85400          |        | कार्यप्रभारी श्रीनन्द किशोर सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) |
|    |                                                                                                                                       |                                          | मजदूर    | 12 | 144 | 175 | 25200<br>58100 |                |        |                                                                     |
|    |                                                                                                                                       | 2) 26.02.19 से 09.03.19 तक               | मजदूर    | 13 | 156 | 175 | 27300<br>27300 |                |        |                                                                     |
|    |                                                                                                                                       |                                          |          |    |     |     |                |                |        |                                                                     |
| 8. | खैराट में गोरख के                                                                                                                     | 08.03.19 से                              | मिस्त्री | 03 | 54  | 350 | 18900          | 49175          | 469564 | कार्यप्रभारी श्री                                                   |

|  |                                                                                                                                     |             |       |    |     |     |       |          |                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|-----|-------|----------|----------------------------------------------------|
|  | दुकान/ ट्रान्सफार्मर से रमेश यादव के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | 28.03.19 तक |       |    |     |     |       | 05.04.19 | रवीन्द्र नाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) |
|  |                                                                                                                                     |             | मजदूर | 10 | 173 | 175 | 30275 |          |                                                    |
|  |                                                                                                                                     |             |       |    |     |     | 4975  |          |                                                    |

|     |                                                                                                                                                        |                            |          |    |     |        |        |       |                    |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----|-----|--------|--------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9.  | खैराट में भरत प्रसाद के घर से बच्चन प्रसाद के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण। कार्यप्रभारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)   | 08.03.19 से 17.04.19 तक    | मिस्त्री | 02 | 28  | 350    | 9800   | 23975 | 464569<br>30.05.19 | कार्यप्रभारी श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) |
|     |                                                                                                                                                        |                            | मजदूर    | 09 | 81  | 175    | 14175  |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        |                            |          |    |     |        |        |       |                    |                                                                      |
| 10. | खैराट में रामपति शाह के घर के सामने से सूरज मधेशिया के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्यप्रभारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | 08.03.19 से 30.05.19       | मिस्त्री | 02 | 62  | 350    | 21700  | 64750 |                    | कार्यप्रभारी श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) |
|     |                                                                                                                                                        |                            | मजदूर    | 08 | 246 | 175    | 43050  |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        |                            |          |    |     |        |        |       |                    |                                                                      |
| 11. | खण्ड विकास अधिकारी आवास/ कार्यालय का मरम्मत/ नवीनीकरण। कार्यप्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार, भण्डार लिपि                                                  | 1) 08.03.19 से 31.03.19 तक | मिस्त्री | 02 | 22  | 350    | 15400  | 58450 | 464565<br>05.04.19 | कार्यप्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार, भण्डार लिपि                       |
|     |                                                                                                                                                        |                            | मजदूर    | 09 | 22  | 175    | 34650  |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        | 2) 01.04.19 से 04.04.19 तक |          |    |     |        | 50050  |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        |                            | मिस्त्री | 02 | 04  | 350    | 2800   |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        |                            | मजदूर    | 08 | 04  | 175    | 5600   |       |                    |                                                                      |
|     |                                                                                                                                                        |                            |          |    |     |        | 8400   |       |                    |                                                                      |
|     | क्र.सं. 01 से क्र.सं. 11 तक का कुल योग                                                                                                                 | -                          | -        | -  | -   | 709950 | 709950 | --    | --                 |                                                                      |

क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त योजना अन्तर्गत मजदूरी भुगतान रूपये 623520.00 का उपरोक्त निर्माण कार्यों पर किया गया। उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्यप्रभारी को किया गया है तो कि अनियमित है। मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलों पर क्रमांक / प्रिंटेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत जारी किया जाना चाहिए था। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सप्ताह के अंत में नहीं किया गया है। मस्टररोलों पर प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसके नीचे श्रमिकों के उपस्थिति लेनेवाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टररोलों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य जाति/ महिला इत्यादि का विवरण, कुलसृजित श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलो पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न मजदूरों का अंगूठा निशान लगाया गया है। कतिपय मस्टररोलों पर एक ही व्यक्ति के अलग-अलग अंगूलियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अंगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अंगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये। मजदूरों के अंगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यों में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रति कार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अंगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उपस्थिति लेने वाले

कर्मचारी/कार्यप्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों की उपस्थिति एवं उपस्थिति रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/ उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटो ग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्यसमिति पर निर्माण कार्य के कार्य प्रारम्भ के समय साइन बोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है। जिन्होंने निर्माण कार्य पर कार्य किया गया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त मजदूरी भुगतान में अनियमितता के प्रति श्री अशोक कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार संबंधिक कार्य प्रभारी श्री मनोज शर्मा ए.डी.ओ (आई एस बी), श्री नन्द किशोर सिंह ए.डी.ओ (आई एस बी) कार्य प्रभारी, श्री रवीन्द्र नाथ सिंह ए.डी.ओ पंचायत से बराबर-बराबर व्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-20)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 623520.00 |

**प्रस्तर संख्या-59-**

क्षेत्र पंचायत भटनी को वर्ष (2019-2020) में स्वच्छ भारत मिशन योजना के के अन्तर्गत राजकीय अनुदान धनराशि रुपये 312181.00 प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष वर्ष में रुपये 364493.00 व्यय दर्शित किया संस्था की अनुदान पंजिका के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | मद का नाम                 | वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष 01.04.19 को ओ बी | वर्षा में प्राप्त राजकीय अनुदान | वर्ष में व्यय | वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.20 सी बी |
|----------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1.       | 2019-2020    | स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) | 544726                                        | 312181                          | 364493        | 492414                                   |
|          |              | कुल योग                   | 544726                                        | 312181                          | 364493        | 492414                                   |

क्षेत्र पंचायत भटनी वर्ष 2019-2020 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये व्यय रुपये 364493.00 का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2019-2020 में स्वच्छ भारत मिशन (जी ) राजकीय अनुदान से किये गये व्यय का विवरण (क्षेत्र पंचायत अनुदान पंजिका के अनुसार)

| क्र. सं. | दिनांक   | चेक प्राप्तकर्ता / भुगतान प्राप्तकर्ता एवं व्यय का विवरण | चेक संख्या दिनांक  | व्यय की धनराशि |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1        | 30.05.19 | श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)   | 611141<br>30.05.19 | 44193.00       |
| 2        | 30.05.19 | श्री जितेन्द्र कुमार भण्डारी लि.पि                       | 61142<br>30.05.19  | 11500.00       |
| 3        | 07.06.19 | एस.डी. इन्टर प्राइजेज (वाहन किराया)                      | 61143<br>07.06.19  | 219618.00      |
| 4        | 07.06.19 | टी.पी. ट्रेडर्स एवं कन्ट्रक्शन                           | 611144<br>07.06.19 | 50875.00       |
| 5        | 24.12.19 | श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)   | 611145<br>24.12.19 | 38307.001      |
|          |          | कुल योग                                                  |                    | 364493.00      |

स्वच्छ भारत मिशन (जी) मद में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधिक व्यय रुपये 364493.00 अपुष्टि रहा। स्वच्छ भारत मिशन (जी ) मद से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री रवीन्द्र नाथ सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), श्री अशोक कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार से बराबर-बराबर व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-22)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 364493.00 |

**प्रस्तर संख्या-60-**

क्षेत्र पंचायत भटनी को वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी/ मनरेगा प्रशासनिक मद में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार प्राप्त राजकीय अनुदान एवं वर्ष में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | मद का नाम          | वर्षारम्भ प्रारम्भिक 01.04.19 ओबी | में शेष को | वर्षा में प्राप्त राजकीय अनुदान | वर्ष में व्यय | वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.20 को सी बी |
|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1.       | 2019-2020    | मनरेगा कन्टीजेन्सी | 1132381                           |            | 1467219                         | 2138702       | 460898                                      |
|          |              | कुल योग            | 1132381                           |            | 1467219                         | 2138702       | 460898                                      |

क्षेत्र पंचायत भटनी को वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार विभिन्न तिथियों में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी बैंक खाते पर अर्जित व्याज का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र. सं. | दिनांक   | वित्तीय वर्ष | अनुदानदाता का नाम एवं मद का विवरण                                                            | धनराशि   |
|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | 12.08.19 |              | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त (31550241 एफ टी ओ 0678163) | 56900.00 |

|   |                      |         |                                                                                               |                   |
|---|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | 12.08.20             |         | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त (31550241 एफ टी ओ 00678166) | 199000.00         |
| 3 | 25.11.20<br>30.11.20 | 2019-20 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त ( एफ टी ओ प्राप्त)          | 360960.00         |
| 4 | 25.11.20<br>30.11.20 | 2019-20 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त ( एफ टी ओ प्राप्त)          | 115000.00         |
| 5 | 21.01.20<br>28.03.20 | 2019-20 | उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त ( एफ टी ओ प्राप्त)          | 696500.00         |
| 6 |                      |         | मनरेगा कन्टीजेन्सी खाते पर अर्जित व्याज                                                       | 3582.00           |
| 7 |                      |         | मनरेगा कन्टीजेन्सी खाते पर अर्जित व्याज                                                       | 1027.00           |
| 8 |                      |         | मनरेगा कन्टीजेन्सी खाते पर विभिन्न तिथियों में अर्जित व्याज                                   | 34250.00          |
|   |                      |         | <b>योग</b>                                                                                    | <b>1467219.00</b> |

क्षेत्र पंचायत भटनी को वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र. सं. | दिनांक   | चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण                                         | चेक संख्या दिनांक  | व्यय की धनराशि |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1        | 23.04.19 | जीआरएस एवं डाटा इन्ट्री का मानदेय (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल बैंक, भटनी) | 089682<br>23.04.19 | 749200.00      |
| 2        | 15.07.19 | आनन्द इन्फोसिस देवरिया सी सी टी वी एवं बायोमेट्रिक                     | 089685<br>15.07.19 | 33800.00       |

|   |          |                                                                                                               |                     |           |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 3 | 15.07.19 | पूर्वांचल स्टेशनर्स, शाखा प्रबंधक पूर्वांचल बैंक, भटनी                                                        | 089686<br>15.07.19  | 23075.00  |
| 4 | 16.07.19 | श्री विधाभूषण तिवारी कम्प्यूटर आपरेटर (दैनिक मजदूरी भुगतान)                                                   | 089687<br>16.07.19  | 7000.00   |
| 5 | 26.08.19 | शाखा प्रबंधक पूर्वांचल बैंक, भटनी (जीआरएस)                                                                    | 089688<br>26.08.190 | 108000.00 |
| 6 | 09.09.19 | जीआरएस अप्रैल 19 कम्प्यूटर आपरेटर 5 माहों का मानदेय (माह अप्रैल 19 से अगस्त 19 तक)                            | 089689<br>09.09.19  | 146000.00 |
| 7 | 09.08.19 | एकाउण्ट आफिसर बीएसएनएल सलेमपुर (ब्राडबैंक का भुगतान)                                                          | 089691<br>08.09.19  | 5492.00   |
| 8 | 30.11.19 | जीआरएस मानदेय मई 19 एवं जून 19 आपरेटर सितम्बर 19, अक्टूबर 19 नवम्बर 19 (शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, | 089694<br>30.11.19  | 399600.00 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|    |          | भटनी)                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |
| 9  | 21.12.19 | जितेन्द्र कुमार लेखाकार को पोल एवं कार्यालय व्यय का भुगतान। शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भटनी। (निरस्त चेक संख्या-089693/ 14.10.19), धनराशि-15290.00 के स्थान पर पुनः चेक सं-089695/ 21.12.19 निर्गत कर धनराशि-15290 का भुगतान | 089695<br>21.12.19 | 15290.00  |
| 10 | 21.01.20 | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भटनी                                                                                                                                                                                              | 089696<br>21.01.20 | 30989.00  |
| 11 | 06.02.20 | संजीतधर द्विवेदी को ऑडिनेटर को भुगतान                                                                                                                                                                                                   | 089697<br>06.02.20 | 4800.00   |
| 12 | 05.03.20 | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भटनी                                                                                                                                                                                              | 089698<br>05.03.20 | 178256.00 |

|    |          |                                            |                    |                   |
|----|----------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 13 | 07.03.20 | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भटनी | 089699<br>07.03.20 | 11200.00          |
| 14 | 28.03.20 | शाखा प्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भटनी | 089700<br>28.03.20 | 426000.00         |
|    |          | <b>योग</b>                                 |                    | <b>2138702.00</b> |

क्षेत्र पंचायत भटनी में वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका (नया) के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि रूपये 2138702.00 तथा मनरेगा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन (2019-2020)/ वित्तीय समरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत में मनरेगा प्रशासनिक मद (पीओ स्तर) पर व्यय रूपये 14.28 लाख दर्शित है। इस प्रकार वर्ष (2019-2020) में मनरेगा कन्टीजेन्सी / प्रशासनिक मद में किये गये व्यय में रूपये 710702.00 का अंतर है। वर्ष 2019-2020 में मनरेगा प्रशासनिक मद / मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय में अन्तर 710702.00 का समाधान /निराकरण अपेक्षित है।

मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार

क्षेत्र पंचायत भटनी में वर्ष 2019-2020 में मनरेगा कन्टीजेन्सी/ प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय रूपये 2138702.00 से संबंधित दस्तावेज/ पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मानदेय पंजिका / मानदेय भुगतान पंजिका, वेतन पंजिका / वेतन भुगतान पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, मनरेगा श्रमिक उपस्थिति पंजिका, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी से संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः उक्त के अभाव में मनरेगा कन्टीजेन्सी/ मनरेगा प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय अपुष्टि रहे। मनरेगा कन्टीजेन्सी/ प्रशासनिक मद में संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत भटनी की वर्ष 2019-2020 की मनरेगा कन्टीजेन्सी/ प्रशासनिक मद संबंधित अनुदान पंजिका भाग एक

बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट / स्टेटमेंट आफ एकाउंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मनरेगा कैशबुक इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त मद में राजकीय अनुदान का वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में प्राप्त, वर्षान्त में अन्तिम अवशेष इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री अशोक कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार, तत्कालीन ए.पी.ओ. से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-23)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 2138702   |

**प्रस्तर संख्या-61-**

क्षेत्र पंचायत भटनी को वर्ष (2019-2020) में अनुदान पंजिका भाग दो में निम्न मदों में दर्शित व्यय के प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर एवं संबंधित अन्य दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | मद का विवरण      | चेकप प्राप्तकर्ता/ भुगतान प्राप्तकर्ता                 | चेक संख्या एवं दिनांक | व्यय की धनराशि |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | राज्य वित्त आयोग | मेसर्स लारी टाइल्स                                     | 464570 दि0 31.05.19   | 240820.00      |
| 2        | राज्य वित्त आयोग | मेसर्स राजदेव                                          | 464571 दि0 31.05.19   | 71675.00       |
| 3        | राज्य वित्त आयोग | मे0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स | 464572 दि0 31.05.19   | 100150.00      |
| 4        | राज्य वित्त आयोग | रविन्द्र नाथ सिंह ए.डी.ओ (पंचायत)                      | 464573 दि0 31.05.19   | 58625.00       |
| 5        | राज्य वित्त आयोग | मेसर्स लारी टाइल्स बी एम , पी एन बी नोनापार            | 464574 दि0 01.07.19   | 240820.00      |

|    |                  |                                                    |                                               |                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 6  | राज्य वित्त आयोग | बी एम , पी एन बी नोनापार                           | 464566 दि0 29.05.19                           | 73610.00            |
| 7  | राज्य वित्त आयोग | श्रीमती रनिया देवी                                 | 464575 दि0 01.07.19                           | 78850.00            |
| 8  | राज्य वित्त आयोग | क्षे.पं. प्रमुख (मानेदय मार्च 19 से दिसम्बर 19 तक) | 464595 दि0 09.01.20                           | 98000.00            |
| 9  | राज्य वित्त आयोग | श्री मनोज यादव, कनिष्ठ लिपिक (बैठक मानेदय)         | 464596 दि0 11.02.20                           | 82000.00            |
| 10 | जे.ई./ए.ई.एस.    | ----                                               |                                               | 15000.00            |
| 11 | योग दिवस         | ----                                               |                                               | 3000.00             |
| 12 | विविध व्यय       | ----                                               |                                               | 175.00              |
| 13 | आवास कन्टीजेन्सी | ----                                               |                                               | 100131.00           |
| 14 | राज्य वित्त आयोग | विवरणहित व्यय (अनुदान पंजिका तीन में दर्शित)       | माहअप्रैल 2019 (832507-631800) माह जनवरी 2020 | 200707.00<br>371.00 |
|    |                  | <b>कुल योग</b>                                     |                                               | <b>1363934.00</b>   |

उक्त मदों में दर्शित उपरोक्त व्यय के प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, संबंधित पत्रावली एवं संबंधित अन्य दस्तावेज के उपलब्ध नहीं रहने के कारण उपरोक्त दर्शित व्यय अपुष्टि रहा। व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, पत्रावली एवं संबंधित दस्तावेज इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा इसके प्रति श्री अशोक कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार भारती लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-24)

| अपहरण | दुरुपयोग | अनियमितता |
|-------|----------|-----------|
|       | 1363934  |           |

#### प्रस्तर संख्या-62-

### क्षेत्र पंचायत देसही देवरिया

आलोच्य वर्ष 2019.20 में कराए गए कार्यों पर सामग्री मूल्य रु0 3103006.00 का टेण्डर संबंधित ठेकेदार फर्म को किया गया। उक्त टेण्डर धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि 310300.00 ठेकेदार/फर्म से जमा कराया जाना चाहिए था या उनके बिलों से भुगतान के समय जमानत की धनराशि काटी जानी चाहिए थी; जिसका पालन नहीं कराया गया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं लेखाकार श्री झींगुर प्रसाद उत्तरदायी रहे। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

### जनपद का नाम - गोरखपुर

### मण्डल का नाम- गोरखपुर

### प्रारूप - 3

### क्षेत्र पंचायत - उरूवां

### जनपद - गोरखपुर

#### प्रस्तर सं०-01

लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की पत्रावली जांच में पाया गया कि विकास खण्ड की चाहरदीवारी मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य तथा पशु चिकित्सालय उरूवां का मरम्मत कार्य दिनांक 29-08-2018 से 11-09-2018 तक सम्पन्न किया गया। इन दोनों कार्यों के मस्टररोल जांच में निम्न विवरणानुसार मजदूरों को दोनों कार्य हेतु भुगतान किया गया:-

| नाम श्रमिक             | विकास खण्ड की चाहरदीवारी मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य |                | पशु चिकित्सालय उरूवां का मरम्मत कार्य |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|                        | 29-08-2018 से 11-09-2018 तक                       |                | 29-08-2018 से 11-09-2018 तक           |                 |
|                        | कुशल                                              | अकुशल          | कुशल                                  | अकुशल           |
| विनोद पुत्र भिखारी     | 5200-00                                           | -              | -                                     | 3640-00         |
| राजेश पुत्र रामबृक्ष   | 5200-00                                           | -              | -                                     | 3640-00         |
| रामउजागिर पुत्र रामजीत | -                                                 | 3640-00        | -                                     | 3640-00         |
| प्रहलाद पुत्र नरसिंह   | -                                                 | 3640-00        | -                                     | 3640-00         |
| <b>योग</b>             | <b>10400-00</b>                                   | <b>7280-00</b> | <b>-</b>                              | <b>14560-00</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही समयावधि में दोनों कार्यों के लिए उक्त श्रमिकों को दो बार भुगतान कर कुल रु0 14560-00 की दुरुपयोग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत

रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री भइयन लाल पटेल एवं लेखाकार श्री विश्वनारायण शुक्ला से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### क्षेत्र पंचायत . उरूवां

**प्रस्तर सं०-02** जनपद लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की पत्रावली जांच में पाया गया कि विकास खण्ड मुख्यालय में आवास टाइप 3 का मरम्मत कार्य दो अदद तथा विकास खण्ड मुख्यालय में आवास टाइप 3 का मरम्मत कार्य तीन अदद दिनांक 18.10.2018 से 04.11.2018 तक सम्पन्न किया गया। इन दोनों कार्यों के मस्टररोल जांच में निम्न विवरणानुसार मजदूरों को दोनों कार्य हेतु भुगतान किया गया:-

| म श्रमिक             | विकास खण्ड मुख्यालय में आवास टाइप 3 का मरम्मत कार्य दो अदद |                 | विकास खण्ड मुख्यालय में आवास टाइप 3 का मरम्मत कार्य तीन अदद |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                      | 18.10.2018 से 30.10.2018 तक                                |                 | 22.10.2018 से 04.11.2018 तक                                 |                |
|                      | कुशल                                                       | अकुशल           | कुशल                                                        | अकुशल          |
| राजन पुत्र मोती      | 3200.00                                                    | -               | 2800.00                                                     | -              |
| सुरेन्द्र पुत्र चौथी | 3200.00                                                    | -               | 2800.00                                                     | -              |
| रामकेवल पुत्र सोलई   | 3200.00                                                    | -               | 2800.0                                                      | -              |
| लालमोहन पुत्र रामभजन | 3200.00                                                    | -               | 2800.00                                                     | -              |
| लालचन्द पुत्र रेखई   | 3200.00                                                    | -               | 2800.00                                                     | -              |
| बेचन पुत्र सवारे     | 3200.00                                                    | -               | 2800.00                                                     | -              |
| अखिलेश पुत्र लालचन्द | -                                                          | 2240.00         | 2800.00                                                     | -              |
| रमई पुत्र कालू       | -                                                          | 2240.00         | 2800.00                                                     | -              |
| धीरज पुत्र तीयर      | -                                                          | 2240.00         | 2800.00                                                     | -              |
| रामसकल पुत्र गोलई    | -                                                          | 2240.00         | -                                                           | 2240.00        |
| रामबृक्ष पुत्र चैतू  | -                                                          | 2240.00         | -                                                           | 2240.00        |
| <b>योग</b>           | <b>19200.00</b>                                            | <b>11200.00</b> | <b>25200.00</b>                                             | <b>4480.00</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही समयावधि में दोनों कार्यों के लिए उक्त श्रमिकों को दो बार भुगतान कर कुल ₹0 29680.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री भइयन लाल पटेल एवं लेखाकार श्री विश्वनारायण शुक्ला से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### क्षेत्र पंचायत उरूवां

#### जनपद -गोरखपुर

#### प्रस्तर सं०.03

लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की पत्रावली जांच में पाया गया कि छेदी डडवा नहर पुलिया से रामकरन के घर तक मि0/ख0 कार्य तथा उसरी से साउडीह वाया वनदेवी तक मि0/ख0 कार्य दिनांक 27.01.2019 से 09.02.2019 तक सम्पन्न किया गया। इन दोनों कार्यों के मस्टररोल जांच में निम्न विवरणानुसार मजदूरों को दोनों कार्य हेतु भुगतान किया गया:-

| नाम श्रमिक               | छेदी डडवा नहर पुलिया से रामकरन के घर तक मि0/ख0 कार्य |         | उसरी से साउडीह वाया वनदेवी तक मि0/ख0 कार्य |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
|                          | 27.01.2019 से 09.02.2019 तक                          |         | 27.01.2019 से 09.02.2019 तक                |         |
|                          | कुशल                                                 | अकुशल   | कुशल                                       | अकुशल   |
| सुरेन्द्र पुत्र चौथी     | 5200.00                                              | -       | 5200.00                                    | -       |
| रामकेवल पुत्र सोलई       | 5200.00                                              | -       | 5200.00                                    | -       |
| लालमोहन पुत्र रामभजन     | 5200.00                                              | -       | 5200.00                                    | -       |
| लालचन्द पुत्र रेखई       | 5200.00                                              | -       | 5200.00                                    | -       |
| बेचन पुत्र सवारे         | 800.00                                               | -       | 5200.00                                    | -       |
| विनोद पुत्र भिखारी       | -                                                    | 2600.00 | -                                          | 2600.00 |
| सुधीर पुत्र सिपाही       | -                                                    | 2600.00 | -                                          | 2600.00 |
| रमेश पुत्र गजराज         | -                                                    | 2600.00 | -                                          | 2600.00 |
| सुधाकर पुत्र श्यामसुन्दर | -                                                    | 2600.00 | -                                          | 2600.00 |

|                          |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| रामअवतार पुत्र           | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| रामपरीखन                 | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| सोनू पुत्र रूपचन्द       | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| अमरजीत पुत्र भोला        | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| रामदरश पुत्र श्यामसुन्दर | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| रुदल पुत्र मन्ता         | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| विकास पुत्र सुधाकर       | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| राजन पुत्र अशोक          | -               | 2600.00         | -               | 2600.00         |
| <b>योग</b>               | <b>21600.00</b> | <b>28600.00</b> | <b>26000.00</b> | <b>28600.00</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही समयावधि में दोनों कार्यों के लिए उक्त श्रमिकों को दो बार भुगतान कर कुल ₹0 54600.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री भइयन लाल पटेल एवं लेखाकार श्री विश्वनारायण शुक्ला से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत - उरुवां

## जनपद - गोरखपुर

### प्रस्तर सं०.04

लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की पत्रावली जांच में पाया गया कि छेदी डडवा नहर पुलिया से रामकरन के घर तक मि०/ख० कार्य तथा उसरी से साउडीह वाया वनदेवी तक मि०/ख० कार्य दिनांक 24.02.2019 से 10.03.2019 तक सम्पन्न किया गया। इन दोनों कार्यों के मस्टररोल जांच में निम्न विवरणानुसार मजदूरों को दोनों कार्य हेतु भुगतान किया गया:-

| नाम श्रमिक         | छेदी डडवा नहर पुलिया से रामकरन के घर तक मि०/ख० कार्य |                 | उसरी से साउडीह वाया वनदेवी तक मि०/ख० कार्य |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                    | 02.03.2019.2019 से 10.03.2019 तक                     |                 | 24.02.2019 से 09.03.2019 तक                |                 |
|                    | कुशल                                                 | अकुशल           | कुशल                                       | अकुशल           |
| बेचन पुत्र सवारे   | -                                                    | 2600.00         | 5200.00                                    | -               |
| लालचन्द पुत्र रेखई | -                                                    | 2600.00         | 5200.00                                    | -               |
| राजन पुत्र मोती    | -                                                    | 2600.00         | 5200.00                                    | -               |
| रामकेवल पुत्र सोलई | -                                                    | 2600.00         | 5200.00                                    | -               |
| परदेशी पुत्र पांचू | -                                                    | 2600.00         | -                                          | 2600.00.        |
| <b>योग</b>         | -                                                    | <b>13000.00</b> | <b>20800.00</b>                            | <b>2600.00.</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही समयावधि में दोनों कार्यों के लिए उक्त श्रमिकों को दो बार भुगतान कर कुल ₹0 23400.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री भइयन लाल पटेल एवं लेखाकार श्री विश्वनारायण शुक्ला से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत - बेलघाट

## जनपद - गोरखपुर

### प्रस्तर सं०.05

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में दिनांक 19.07.2017 को चेक संख्या 061417 द्वारा ₹0 99500.00 का भुगतान फर्नीचर मार्ट को फर्नीचर क्रय हेतु किया गया है, जिसकी पत्रावली जांच में पाया गया कि क्रय प्रस्ताव व आदेश, कोटेशन संलग्न नहीं है तथा बिल के स्थान पर स्टीमेट संलग्न किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त क्रय में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेश चन्द एवं लेखाकार श्री राम नवल यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत . बेलघाट

## जनपद - गोरखपुर

### प्रस्तर सं०.06



लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की पत्रावली जांच में पाया गया कि टेण्डर खुलने का दिनांक 03.07.2018 निर्धारित किया गया। परन्तु वर्ष में कराये जाने वाले कार्यों में (1) गौर गंज सोपाई बन्धे से गुआरी टोला सिधौरा होते हुए सिकरीगंज पी0डब्लू0डी0 रोड को जोड़ने हेतु मि0/ख0 कार्य एवं (2) शंकरपुर एकौना फोरलेन से रामपुर प्रा0 वि0 को जोड़ने हेतु मि0/ख0 कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति व भुगतान सम्बन्धी बिल दिनांक 02.07.2018 को ही प्राप्त कर लिया गया है जो टेण्डर प्रक्रिया के विपरीत है। उक्त सामग्री मद में भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

| क्रम | बिल संख्या/दिनांक | चेक संख्या/दिनांक  | धनराशि           | भुगतान प्राप्तकर्ता  |
|------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 02/02.07.2018     | 387168 /06.08.2018 | 184868.00        | प्रताप इण्टरप्राइजेज |
| 2    | 01/02.07.2018     | 387166 /06.08.2018 | 167980.00        | प्रताप इण्टरप्राइजेज |
|      |                   | <b>योग</b>         | <b>352848.00</b> | -                    |

इससे स्पष्ट है कि उक्त क्रय में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 66 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री बेचन राम एवं लेखाकार श्री राम नवल यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत . बेलघाट

## जनपद - गोरखपुर

### प्रस्तर सं०.07

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार दिनांक 26.04.2018 को चेक संख्या 387153 द्वारा ₹0 311428.00 तथा दिनांक 09.10.2018 का चेक संख्या 387186 द्वारा ₹0 120353.00 कुल ₹0 431781.00 की निकासी दर्शित है, जिसके सापेक्ष मांगोपरान्त विवरण/पत्रावली अप्रस्तुत रही। उक्त धनराशि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजि0 भाग 2 में भी दर्शित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिस हेतु उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 174 एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री बेचन राम एवं लेखाकार श्री राम नवल यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत . बेलघाट

## जनपद - गोरखपुर

### प्रस्तर सं०.08

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में अनुदान रजि0/बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार कृत कार्य के सापेक्ष भुगतान का विवरण दर्शित है। विवरण निम्नलिखित है:-

| क्रम | कृत कार्य का विवरण                                                      | चेक संख्या/दिनांक                  | धनराशि                 | बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | फरेन्दिया छतियारी मार्ग से पुलिया तक मि0/ख0 कार्य                       | 387170/07.08.18<br>387171/07.08.18 | 571245.00<br>153475.00 | प्रताप इण्टरप्राइजेज<br>चन्द्रभान मौर्या      |
| 2    | कुंवरपार में कब्रिस्तान से पी0डब्लू0डी0 रोड को जोड़ने हेतु मि0/ख0 कार्य | 387172/07.08.18<br>387173/07.08.18 | 755449.00<br>210000.00 | प्रताप इण्टरप्राइजेज<br>चन्द्रभान मौर्या      |
| 3    | न्याय पंचायत लालपुर में विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत                   | 387181/05.10.18                    | 219253.00              | प्रताप इण्टरप्राइजेज                          |
| 4    | खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत                                          | 387200/19.03.19                    | 53534.00               | प्रताप इण्टरप्राइजेज                          |
| 5    | विकास खण्ड परिसर की चहारदीवारी मरम्मत                                   | 719041/19.03.19                    | 225782.00              | प्रताप इण्टरप्राइजेज                          |
|      |                                                                         | <b>योग</b>                         | <b>2188738.00</b>      |                                               |

उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली, बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे दुर्विनियोग/गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना प्रतीत होती है। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम एवं नियम 177 के विपरीत रहा, एवं नियम 179 के अधीन स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री बेचन राम, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह तथा श्री अमित सिंह एवं लेखाकार श्री राम नवल यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रारूप-3

## क्षेत्र पंचायत

जनपद का नाम - कुशीनगर

मण्डल का नाम- गोरखपुर

क्षेत्र पंचायत- नेबुआ नौरंगिया

जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर सं०-01

प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में सन्दर्भित शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14-06-2015 शासनादेश 866/33-2-10-93 जी/2014 टी० सी० दिनांक 26-06-2014 एवं शासनादेश सं० 8307/33-3-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभाविन्त करने वाले कार्य कराये जाय तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हे स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज्य अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्य ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए रु०- 989847=00 की अनियमितता/दुरुपयोग किया गया जिसके लिए श्री विनय कुमार द्विवेदी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राजेश्वर गुप्ता उत्तर दायी है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्रम० सं० | कार्य का नाम                                                                         | सामग्री पर व्यय | मजदूरी पर व्यय | योग       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 1.        | ग्राम गुलरिया में गजाधर तिवारी के दरवाजे से जउवार के दरवाजे तक इण्टर लार्किंग कार्य। | 322169=00       | 45474=00       | 367643=00 |
| 2.        | ग्राम नरायनपुर में हरिवंश के घर से रामनरेश तिवारी के घर तक इण्टर लार्किंग कार्य।     | 368198=00       | 55814=00       | 424012=00 |
| 3.        | ग्राम विशुनपुरा में रामजी के घर से रफीक के घर तक नाली निर्माण                        | 154200=00       | 43992=00       | 198192=00 |
|           | योग                                                                                  | 844567=00       | 145280=00      | 989847=00 |

क्षेत्र पंचायत- फाजिलनगर

जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर सं०-02

प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में सन्दर्भित शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14-06-2015 शासनादेश 866/33-2-10-93 जी/2014 टी० सी० दिनांक 26-06-2014 एवं शासनादेश सं० 8307/33-3-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभाविन्त करने वाले कार्य कराये जाय तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हे स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज्य अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्य ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए रु०- 763113=00 की अनियमितता/दुरुपयोग किया गया जिसके लिए श्री शेषनाथ चौहान खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री मनोज कुमार चौबे लेखाकार उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्रम० सं० | कार्य का नाम                                                                                          | सामग्री पर व्यय | मजदूरी पर व्यय | योग       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
|           | ग्राम मधुरिया में महात्तम तिवारी के घर से सुरेन्द्र चौहान के घर तक इण्टर लार्किंग कार्य।              | 313670=00       | 52425=00       | 366095=00 |
|           | ग्राम कोइलसवा बुजुर्ग में रविन्द्र के घर से सुभाष के घर होते हुए संतोष के घर तक इण्टर लार्किंग कार्य। | 331902=00       | 65116=00       | 397018=00 |
|           | योग                                                                                                   | 645572=00       | 117541=00      | 763113=00 |

**क्षेत्र पंचायत- कसानगंज****जनपद- कुशीनगर****प्रस्तर सं०-03**

शा०सं० ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शा० सं०0/201/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29-05-2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित व्याज को निर्धारित लेखा शीर्षक अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 2019-20 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु.1872697.56 व्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्ति जनक है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत- कसानगंज****जनपद- कुशीनगर****प्रस्तर सं०-04**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 3 के अनुसार स्रोत पर आयकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.175905.00 तथा 2019-20 में रु.147023.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। ले०प० में काटे गए आयकर को नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य ले० प० में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अधिभार के अंतर्गत वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत- कसानगंज****जनपद- कुशीनगर****प्रस्तर सं०-05**

उ० प्र० वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2008 के तथा उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० के.ए.एन.आई.-2-1315/सी०-4-10/08 यू०पी० वेट एक्ट 2008 आईर (101)/2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के द्वारा सामग्री आपूर्ति कर्ता को भुगतानित धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वेट काटना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा इस शासनादेश का पालन न कर वेट की कटौती नहीं की गई है। शासनादेश के अनुसार भुगतान की गई धनराशि रु.2508861.00 पर सीधे वेट कर की कटौती किए जाने का प्राविधान है। परन्तु फर्मों से वांछित टैक्स की कटौती न कर लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में रु.100354.44 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। वेट कर की धनराशि पेनाल्टी सहित सम्बंधित से वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में हुए राजकीय राजस्व की क्षति हेतु सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी होंगे, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | वर्ष    | सामग्री       | वैट          |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 1.       | 2018-19 | रु.2508861.00 | रु.100354.44 |

**क्षेत्र पंचायत- कसानगंज****जनपद- कुशीनगर****प्रस्तर सं०-06**

पत्र० सं०/एडी०कमि०जी०एस०टी० अनु०/2018-19/1819049 /105 वाणिज्य कर दिनांक 26 सितम्बर 2018 कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० के अनुसार समस्त सरकारी विभागों, समस्त एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रु.2.50 लाख से अधिक के क्रय आदेश के विरुद्ध किये गए भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से एस.जी.एस.टी. तथा एक प्रतिशत की दर से सी.जी.एस.टी. की कटौती किया जाना अपेक्षित है, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गए क्रय भुगतान पर किसी जी.एस.टी. की कटौती न कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाया गया है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार का है, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है -

| क्र०सं० | वर्ष    | सामग्री       | एस. जी. एस. टी. | सी. जी. एस. टी. | कुल       |
|---------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1.      | 2018-19 | रु.4773509.00 | 47735.09        | 47735.09        | 95470.18  |
| 2.      | 2019-20 | रु.7080071.00 | 70800.71        | 70800.71        | 141601.42 |

**क्षेत्र पंचायत- कसानगंज****जनपद- कुशीनगर****प्रस्तर सं०-07**

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किये गये हैं, तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत सदस्यो/सक्षम व्यक्ति से प्रमाणित नहीं कराये गये हैं कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा डी0 बी0 टी0 के माध्यम से उनके खातों में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। भुगतान का विवरण निम्न है -

| वर्ष    | कार्यप्रभारी                    | धनराशि              |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| 2018-19 | श्री योगेन्द्र प्रताप सिंघानिया | रु.263050.00        |
| 2018-19 | श्री रमाश्रय सिंह               | रु.131470.00        |
| 2018-19 | श्री नितिन चौधरी                | रु.328100.00        |
| 2018-19 | श्री रामनगीना सिंह              | रु.328950.00        |
| 2018-19 | श्री संजीव कुमार गौड़           | रु.125850.00        |
| 2018-19 | श्री ओमप्रकाश सिंह              | रु.27850.00         |
| 2018-19 | श्री जय सिंह                    | रु.388550.00        |
|         | <b>योग</b>                      | रु. 15,93,820       |
| 2019-20 | श्री रामनगीना सिंह              | रु.512507.00        |
| 2019-20 | श्री योगेन्द्र प्रताप सिंघानिया | रु 172467.00        |
| 2019-20 | श्री रामानंद                    | रु.593256.00        |
|         | <b>योग</b>                      | <b>12,78,230.00</b> |

## क्षेत्र पंचायत- कसानगंज

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-08

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कुल रुपये 195250.00 तथा 2019-20 में कुल रुपये 123367.00 की सामग्री खरीद पर आयकर की कटौती न करके रुपये 6372.34 के राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाने की अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

|         |                                      |            |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 2018-19 | रु.41350.00 (चे०सं०-01602/2.8.18)    | रु.827.00  |
| 2018-19 | रु.85900.00 (चे०सं०-11148/20.7.18)   | रु.1718.00 |
| 2018-19 | रु.68000.00 (चे०सं०-22916/28.7.18)   | रु.1360.00 |
| 2019-20 | रु.28308.00 (चे०सं०-25212/7.2.20)    | रु.566.16  |
| 2019-20 | रु.95059.00 (चे०सं०-6816712/31.8.20) | रु.1901.18 |

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-09

शा०सं० ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शा० सं० 10/201/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29-05-2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्षक अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 2017-18, 18-19 व 19-20 में विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० क्रमशः 244818.25, 282183.25 तथा 1633.25 ब्याज रहा जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्ति जनक है। जमा कराये गए ब्याज की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-10

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 3 के अनुसार स्रोत पर आयकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.141769.00 तथा 2019-20 में रु.68313.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। ले०प० में काटे गए आयकर को नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साध्य ले० प० में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अधिभार के अंतर्गत ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-11

उ० प्र० वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2008 के तथा उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० के.ए.एन.आई.-2-1315/सी०-4-10/08 यू०पी० वेट एक्ट 2008 आईर (101)/2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के द्वारा सामग्री आपूर्ति कर्ता को भुगतानित धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वेट काटना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा इस शासनादेश का पालन न कर वेट की कटौती नहीं की गई है। शासनादेश के अनुसार भुगतान की गई धनराशि पर सीधे वेट कर की कटौती किए जाने का प्राविधान है।

परन्तु फर्मों से वांछित टैक्स की कटौती न कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.126098.36 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। बैट कर की धनराशि पेनाल्टी सहित सम्बंधित से वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में हुए राजकीय राजस्व की क्षति हेतु सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी होंगे, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | वर्ष    | सामग्री    | बैट          |
|----------|---------|------------|--------------|
| 1.       | 2018-19 | 3152458.00 | 4%=126098.32 |

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-12

पत्र० सं०/एडी०कमि०जी०एस०टी० अनु०/2018-19/1819049 /105 वाणिज्य कर कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० के अनुसार समस्त सरकारी विभागों, समस्त एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रु.2.50 लाख से अधिक के क्रय आदेय के विरुद्ध किये गए भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से एस.जी.एस.टी. तथा एक प्रतिशत की दर से सी.जी.एस.टी. की कटौती किया जाना अपेक्षित है, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गए क्रय भुगतान पर किसी जी.एस.टी. की कटौती न कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाया गया है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार का है, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | वर्ष    | सामग्री       | एस. जी. एस. टी दर 1% | सी. जी. एस. टी. दर 1% | कुल              |
|---------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1.      | 2018-19 | रु.4119546.00 | 41195.46             | 41195.46              | 82390.92         |
| 2.      | 2019-20 | रु.3415635.98 | 34156.36             | 34156.36              | 68212.72         |
|         |         |               |                      |                       | <b>150603.64</b> |

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-13

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किये गये हैं, तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत सदस्यो/सक्षम व्यक्ति से प्रमाणित नहीं कराये गये हैं कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा डी0 बी0 टी0 के माध्यम से उनके खातों में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। भुगतान का विवरण निम्न है-

| वर्ष    | कार्यप्रभारी         | धनराशि            |
|---------|----------------------|-------------------|
| 2019-20 | श्री ओ0 पी0 सिंह     | रु.311654.00      |
| 2019-20 | श्री पुरुषोत्तम चौबे | रु.132458.00      |
| 2019-20 | श्री योगेश्वर सिंह   | रु.114426.00      |
|         | <b>योग</b>           | <b>558,338.00</b> |
| 2018-19 | श्री योगेश्वर सिंह   | रु.346500.00      |
| 2018-19 | श्री राकेश पाण्डे    | रु.643865.00      |
| 2018-19 | श्री ओ0 पी0 सिंह     | रु.329350.00      |
|         | <b>योग</b>           | <b>13,19,715</b>  |

## क्षेत्र पंचायत- सुकरौली

## जनपद- कुशीनगर

### प्रस्तर सं०-14

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीप मरम्मत हेतु मेसर्स चण्डीगढ़ मोटर्स वर्क्स को रु0 22760.00 का भुगतान किया गया परन्तु यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्तमान समय में विकास खण्ड में कोई भी जीप कार्यरत स्थिति में नहीं है तथा जीप मरम्मत हेतु भुगतान की पुष्टि के संदर्भ में भी कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया इससे रु022760.00 के दुरुपयोग की संभावना दिखाई देती है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार का है। जिनसे क्षति की धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## प्रारूप - 3

## जनपद - महाराजगंज

## विकास खण्ड :- मिठौरा

## लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

**क्षेत्र पंचायत:- मिठौरा** की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

**प्रस्तर संख्या-01:-** राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से वर्ष 2019-20 में कराए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                                         | कुल व्यय          | सामग्री पर व्यय   | श्रमांश पर व्यय  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1        | ग्रा०पं० हरदी में गोवर्धन के घर से प्रा०वि० तक इंटरलॉकिंग कार्य                                                      | 154709.94         | 139309.94         | 15400.00         |
| 2        | ग्रा०पं० पड़री कला में सी.सी. रोड़ के पास इंद्रजीत के घर से खड़जा मार्ग तक इंटरलॉकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य      | 444788.00         | 396838.00         | 47950.00         |
| 3        | विकास खण्ड परिसर में बेंच निर्माण कार्य                                                                              | 131906.00         | 130000.00         | 1906.00          |
| 4        | ग्रा०पं० नदुआ में मंदरसा से ग्राम सचिवालय होते हुए बाजार परिसर में आंगनबाड़ी IV से आंगनबाड़ी III तक इंटरलॉकिंग कार्य | 707608.00         | 638108.00         | 69500.00         |
| 5        | ग्रा०पं० मिठौरा में महाविद्यालय गेट से नथुनी गिरी के जमीन तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य                               | 168856.00         | 133581.00         | 35275.00         |
| 6        | ग्रा०पं० पिपरिया गुरू० गोविंद राय में काली मंदिर छठ घाट पर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य                                 | 202142.00         | 160842.00         | 41300.00         |
| 7        | ग्रा०पं० सेखुई में राजेश के घर से बृजेश चौधरी के खेत तक नाली मरम्मत कार्य                                            | 352150.00         | 315525.00         | 36625.00         |
| 8        | ग्रा०पं० रामपुरमीर में राहुल सिंह के घर से पोखरी तक नाली मरम्मत कार्य                                                | 78125.00          | 40675.00          | 37450.00         |
| 9        | ग्रा०पं० नरायनपुर में हीरा जायसवाल के घर से रामप्रसाद हरिजन के घर तक सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य              | 168970.00         | 148470.00         | 20500.00         |
|          | <b>योग</b>                                                                                                           | <b>2409254.94</b> | <b>2103348.94</b> | <b>305906.00</b> |

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग से कुल धनराशि ₹ 24,09,254.94 या ₹ 24,09,255.00 का व्यय किया गया है। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (ए) - किसी भी कार्य में मस्टर रोल पर अवधि अंकित नहीं है जो आपत्तिजनक है। जैसे- विकास खण्ड परिसर में बेंच निर्माण कार्य आदि।  
 (बी) - विकास खण्ड द्वारा निर्माण कार्य में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले कार्य किए जाने का प्रावधान है, किंतु आलोच्य वर्ष में विकास खण्ड द्वारा समस्त कार्य एकल ग्राम पंचायत में ही करवाए गए हैं, किंतु संबंधित ग्राम पंचायत से उस हेतु न तो प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और न ही कार्य पूर्ण होने पर प्रधान/निर्माण समिति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र लिया गया है।  
 (सी) - अधिकांश कार्य पत्रावली में कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।  
 (डी) - किसी भी कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया है।  
 (ई) - कार्य पूर्ण होने के पश्चात सृजित परिसंपत्ति संबंधित ग्राम सभा को हस्तांतरित नहीं किया गया है। (पत्रावली में हस्तारण संबंधी प्रपत्र नहीं है।)  
 (एफ) - मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जैसे - ग्रा०पं० हरदी में गोवर्धन के घर से प्रा०वि० तक इंटरलॉकिंग कार्य आदि।  
 (जी) - निर्माण सामग्री क्रय प्रक्रिया रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः निविदा के पश्चात कार्यवाही व क्रय प्रक्रिया अज्ञात रही।  
 (एच) - लेखा परीक्षा के समय निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹ 24,09,254.94 के व्यय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके अनियमितता की गई है। व्यय की पुष्टि नहीं करायी गयी है। सब्याज वसूली अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं० 02)**

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग                 |
|-------|-----------------|---------------------|
| 0.00  | 24,09,254.94    | <b>24,09,254.94</b> |

**प्रस्तर संख्या-02:-** ग्रा०पं० लेदवा में पिच रोड से रामबचन यादव के घर तक सी.सी. रोड़ निर्माण सामग्री हेतु दिनांक - 02.05.2019 की ₹ 2,58,588.00 का भुगतान सामग्री हेतु दर्शाया गया है जिसमें से ₹ 5,792.00 टी०डी०एस० काटकर ₹ 2,52,796.00 चेक सं० - 7625 द्वारा भुगतान किया गया है जिस पर लेखा परीक्षा तिथि तक कोई मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि ₹ 2,58,588.00 की दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार कार्य प्रभारी श्री नागेन्द्र पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं० 06)**

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग                |
|-------|-----------------|--------------------|
| 0.00  | 2,58,588.00     | <b>2,58,588.00</b> |

## विकास खण्ड :- फरेन्दा

## लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

क्षेत्र पंचायत:- फरेन्दा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

प्रस्तर संख्या-03:- राज्य वित्त / 14वाँ वित्त के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से वर्ष 2019-20 में कराए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                              | कुल व्यय           | सामग्री पर व्यय    | श्रमांश पर व्यय    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | विकास खण्ड परिसर में कार्यालय भवन व खण्ड विकास अधिकारी आवास का मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य | 357776.00          | 199516.00          | 158260.00          |
| 2        | फारेस्ट रोड से निरनाम पूर्वी जाने वाले मार्ग पर स्थानाx2 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य | 534005.00          | 467281.00          | 66724.00           |
| 3        | ग्रांपं० निरनाम पूर्वी में फारेस्ट से मस्जिद तक कार्य                                     | 830787.00          | 830787.00          | 0.00               |
| 4        | ग्रांपं० फरेन्दा बुजुर्ग में राममिलन के घर से तिलक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य              | 535489.00          | 535489.00          | 0.00               |
| 5        | ग्रांपं० करमहवा खुर्द में सीसी रोड से जगदीश गौड़ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य                | 228126.00          | 228126.00          | 0.00               |
| 6        | ग्रांपं० अलहदिया महादेवा में रामहरि के घर से श्याम सुंदर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य        | 536228.00          | 536228.00          | 0.00               |
| 7        | ग्रांपं० में के घर से तक स्थानाx2 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य                        | 522441.00          | 522441.00          | 0.00               |
|          | <b>योग</b>                                                                                | <b>35,44,852.0</b> | <b>33,19,868.0</b> | <b>2,24,984.00</b> |

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल धनराशि ₹ 35,44,852.00 व्यय किया गया है। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

(ए) - विकास खण्ड द्वारा निर्माण कार्य में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले कार्य किए जाने का प्रावधान है, किंतु आलोच्य वर्ष में विकास खण्ड द्वारा समस्त कार्य एकल ग्राम पंचायत में ही करवाए गए हैं, किंतु संबंधित ग्राम पंचायत से उस हेतु न तो प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और न ही कार्य पूर्ण होने पर प्रधान/निर्माण समिति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र लिया गया है।

(बी) - किसी भी कार्य पत्रावली में कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

(सी) - किसी भी कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया है।

(डी) - कार्य पूर्ण होने के पश्चात सृजित परिसंपत्ति संबंधित ग्रामसभा को हस्तांतरित नहीं किया गया है। (पत्रावली में हस्तारण संबंधी प्रपत्र नहीं है।)

(इ) - आलोच्य वर्ष में शासनादेश संख्या - ए-1-864/दस-08-15(1)86 लखनऊ दिनांक - 23.09.2008 के अनुसार निविदा नियमों का पालन नहीं किया गया है और न ही क्रय प्रक्रिया रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा।

(एफ) - लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में धनराशि ₹ 35,44,852.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके अनियमितता की गई है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 02)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग          |
|-------|-----------------|--------------|
| 0.00  | 35,44,852.00    | 35,44,852.00 |

## विकास खण्ड :- नौतनवा

## लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

क्षेत्र पंचायत:- नौतनवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

प्रस्तर संख्या-04:- आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2.24 % की कटौती (टीडीएस) कर ₹ 16,003.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर के नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 16 )

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 16,003.00       | 16,003.00 |

प्रस्तर संख्या-05:- क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार जीएसटी की कटौती नहीं की गयी है। जो कि गंभीर अनियमितता है। लेखा परीक्षा में कुल ₹ 4,743.00 जीएसटी की कटौती न किये जाने से गंभीर अनियमितता हुई है। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी पर जाता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान कटौतियाँ सुनिश्चित कराने की ओर आकृष्ट किया जाता है। संबंधित से सब्याज वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम सं० | आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम | बिल सं० | तिथि       | धनराशि      | जीएसटी जो नहीं काटी गई |
|----------|--------------------------|---------|------------|-------------|------------------------|
| 1        | जय दुर्गा ट्रेडर्स       | 7       | 20-09-2019 | 1,18,578.00 | 4,743                  |
|          |                          |         | योग        | 1,18,578.00 | 4,743                  |

(मूल आपत्ति सं० 17)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग      |
|-------|-----------------|----------|
| 0.00  | 4,743.00        | 4,743.00 |

**प्रस्तर संख्या-06:-** दिनांक:- 31-03-2020 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रू० 1,96,163.00 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार / सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार यादव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम सं० | मद का नाम                  | अनुपयुक्त धनराशि |
|----------|----------------------------|------------------|
| 1        | क्षेत्र निधि               | 1,81,016.00      |
| 2        | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | 15,147.00        |
|          | योग                        | 1,96,163.00      |

(मूल आपत्ति सं० 19)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग         |
|-------|-----------------|-------------|
| 0.00  | 1,96,163.00     | 1,96,163.00 |

**प्रस्तर संख्या-07:-** आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार निम्न मदों पर रू० 99,73,465.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अग्रस्तुत रही।

| क्रम सं० | मद का नाम                      | व्यय की गई धनराशि |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 1        | मनरेगा (प्र.म.)                | 52,82,135.00      |
| 2        | आंगनवाड़ी के०भ०नि०             | 4,00,020.00       |
| 3        | मा० मु०मं० सामूहिक विवाह योजना | 36,14,642.00      |
| 4        | प्र०मं०आ०प्रशासनिक मद          | 6,76,668.00       |
|          | योग                            | 99,73,465.00      |

इस प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में रू० 99,73,465.00 का व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहने के कारण उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार यादव एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 20 )

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग          |
|-------|-----------------|--------------|
| 0.00  | 99,73,465.00    | 99,73,465.00 |

**प्रस्तर संख्या-08:-** क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति अज्ञात रही, तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज को अपने पासरखा गया है, जबकि शासनादेश संख्या:- 10/2015/ए-1-502/ दस-2015-10(33)/ 2010 दिनांक:- 29-05-2015 में स्पष्टनिर्देश है कि ब्याज की राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाये। किन्तु बैंक विवरण पत्रों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राज्य वित्त आयोग खाते में रू० 75,893.00 ब्याज दर्शित है। ब्याज की राशि राजकोष में जमा न कराकर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग/ गंभीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०16)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 75,893.00       | 75,893.00 |



## विकास खण्ड :- निचलौल

## लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

**क्षेत्र पंचायत:-** निचलौल की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

**प्रस्तर संख्या-09:-** आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2.24% की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप-3 के अनुसार स्रोत पर आयकरकी कटौती (टीडीएस) कर रू० 45,358.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 274 (बी)के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर के नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 17)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 45,358.00       | 45,358.00 |

**प्रस्तर संख्या-10:-** क्षेत्र पंचायत निचलौल द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय किसी बिल पर नियमानुसार जीएसटी की कटौती नहीं की गयी है। जो कि गंभीर अनियमितता है। लेखा परीक्षा में कुल रू० 40,498.00 जीएसटी की कटौती न कर अनियमितता की गई है। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी पर जाता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान कटौतियाँ सुनिश्चित कराने की ओर आकृष्ट किया जाता है। संबंधित से जीएसटी की दंड सहित वसूली कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम सं० | आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम  | बिल सं० | तिथि       | धनराशि              | जीएसटी जो नहीं काटी गई |
|----------|---------------------------|---------|------------|---------------------|------------------------|
| 1        | में. शिवम ट्रेडर्स        | 36      | 01-11-2019 | 1,39,854.89         | 2,797                  |
| 2        | में. शिवम ट्रेडर्स        | 32      | 01-11-2019 | 1,74,881.65         | 3,498                  |
| 3        | बाबा ब्रिक फील्ड्स        | 176     | 01-11-2019 | 18,739.46           | 375                    |
| 4        | में. लक्ष्मी इंटरप्राइजेज | 375     | 01-11-2019 | 1,48,377.60         | 2,968                  |
| 5        | में. शिवम ट्रेडर्स        | 29      | 01-11-2019 | 70,608.00           | 1,412                  |
| 6        | बाबा ब्रिक फील्ड्स        | 174     | 01-11-2019 | 1,11,946.90         | 2,239                  |
| 7        | में. लक्ष्मी इंटरप्राइजेज | 378     | 05-11-2019 | 1,47,011.20         | 2,940                  |
| 8        | बाबा ब्रिक फील्ड्स        | 175     | 05-11-2019 | 1,11,705.85         | 2,234                  |
| 9        | में. शिवम ट्रेडर्स        | 30      | 05-11-2019 | 70,439.00           | 1,409                  |
| 10       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 24      | 02-11-2019 | 54,000.00           | 1,080                  |
| 11       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 28      | 06-11-2019 | 1,27,942.00         | 2,559                  |
| 12       | बाबा ब्रिक फील्ड्स        | 173     | 06-11-2019 | 70,675.50           | 1,414                  |
| 13       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 35      | 10-12-2019 | 2,04,000.00         | 4,080                  |
| 14       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 25      | 04-09-2019 | 2,04,000.00         | 4,080                  |
| 15       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 23      | 30-08-2019 | 1,46,800.00         | 2,936                  |
| 16       | बाबा ब्रिक फील्ड्स        | 172     | 17-08-2019 | 31,316.00           | 626                    |
| 17       | में. शिवम ट्रेडर्स        | 22      | 17-08-2019 | 1,92,525.78         | 3,851                  |
|          |                           |         | <b>योग</b> | <b>20,24,823.83</b> | <b>40,498.00</b>       |

(मूल आपत्ति सं० 18)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 40,498.00       | 40,498.00 |

**प्रस्तर संख्या-11:-** दिनांक:- 31-03-2020 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रू० 20,205.00 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार / सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री प्रमेन्द्र कुमार पाण्डेय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम सं० | मद का नाम        | अनुपयुक्त धनराशि |
|----------|------------------|------------------|
| 1        | रैपिड सर्वे      | 20,000.00        |
| 2        | मनरेगा कंटीजेंसी | 205.00           |
|          | <b>योग</b>       | <b>20,205.00</b> |

**(मूल आपत्ति सं० 19)**

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 20,205.00       | 20,205.00 |

**प्रस्तर संख्या-12:-**

पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं०- 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक:- 31-07-2015 में संदर्भित शासनादेश सं० - 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक:- 19-06-2015, के बिन्दु (2) के अनुसार - क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रू० 7,44,698.00 के कार्य एक ही ग्रामसभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। इसके लिये ख०वि०अधि० श्री प्रमेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्र.सं.     | कार्य का नाम                                                                 | व्यय सामग्री       | व्यय श्रमांश     | योग                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1           | ग्राम कड़जा में छोचेलाल के घर से थरमस यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य         | 3,30,932.50        | 42,280.00        | 3,73,212.50        |
| 2           | ग्राम कड़जा में गिरीश तिवारी के घर से घरभरन तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य | 3,29,156.05        | 42,330.00        | 3,71,486.05        |
| <b>योग-</b> |                                                                              | <b>6,60,088.55</b> | <b>84,610.00</b> | <b>7,44,698.55</b> |

**(मूल आपत्ति सं० 20)**

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग         |
|-------|-----------------|-------------|
| 0.00  | 7,44,698.55     | 7,44,698.55 |

**प्रस्तर संख्या-13:-**

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार निम्न मदों पर रू० 1,57,48,027.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अप्रस्तुत रही।

| क्रम सं०   | मद का नाम                | व्यय की गई धनराशि     |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 1          | बायोगैस                  | 10,400.00             |
| 2          | प्र०म० आवास प्रशासनिक मद | 3,83,716.00           |
| 3          | मनरेगा (प्र.म.)          | 1,05,83,696.00        |
| <b>योग</b> |                          | <b>1,57,48,027.00</b> |

इस प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में रू० 1,57,48,027.00 का व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहने के कारण उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री प्रमेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं० 21)**

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग            |
|-------|-----------------|----------------|
| 0.00  | 1,57,48,027.00  | 1,57,48,027.00 |

**विकास खण्ड :- लक्ष्मीपुर****लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20**

**क्षेत्र पंचायत:-** लक्ष्मीपुर की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

**प्रस्तर संख्या-14:-** राज्य वित्त/14वाँ वित्त के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कराए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                            | सामग्री पर व्यय | श्रमांश पर व्यय | कुल व्यय    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1        | ग्रा०पं० लालपुर कल्याणपुर में अर्जुन पुत्र अयोध्या के खेत के पास 2मी० स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य | 2,99,099.00     | 80,975.00       | 3,80,074.00 |
| 2        | ग्रा०पं० सुकरीली ऊर्फ सूर्यपुरा में पीडब्ल्यूडी सड़क से कोदू के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य          | 3,34,426.00     | 29,400.00       | 3,63,826.00 |
| 3        | ग्रा०पं० बैरवा बनकटवा में काली स्थान से सावर के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                          | 2,91,740.00     | 31,500.00       | 3,23,240.00 |
| 4        | ग्रा०पं० सिसवा तौफीर में सावीर के घर से सलीम के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                          | 2,96,461.00     | 32,025.00       | 3,28,486.00 |
| 5        | ग्रा०पं० भैसहिया पाठक में पीडब्ल्यूडी सड़क से समय माँ के स्थान तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य              | 2,76,938.00     | 29,575.00       | 3,06,513.00 |

|    |                                                                                                                             |                     |                     |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6  | ग्रा०पं० बहोरपुर में मुस्तफा के घर से सुखु के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                                | 3,14,225.00         | 34,300.00           | 3,48,525.00           |
| 7  | ग्रा०पं० राजधानी में दिनेश चौधरी के खेत के पास 3 मी० स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य                                      | 3,68,479.00         | 76,425.00           | 4,44,904.00           |
| 8  | ग्रा०पं० जंगल गुलरिहा में सीसी रोड़ से मासिका चौबे के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                        | 7,26,905.00         | 1,00,275.00         | 8,27,180.00           |
| 9  | ग्रा०पं० सिंहपुर थरोली में बंशी के घर से मालिक के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                            | 3,93,881.00         | 43,000.00           | 4,36,881.00           |
| 10 | ग्रा०पं० पुरन्दरपुर सोनबरसा में सब्बीर के घर से मौला के घर व रबी के दुकान से नूर मुहम्मद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य          | 3,60,240.00         | 39,425.00           | 3,99,665.00           |
| 11 | ग्रा०पं० बरगदवा मधुबनी में मुस्तकीम के खेत के पास में स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य                                     | 5,97,549.00         | 93,275.00           | 6,90,824.00           |
| 12 | ग्रा०पं० कोट कम्हरिया में सम्भल के घर से मंगरू के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                            | 3,93,713.00         | 43,000.00           | 4,36,713.00           |
| 13 | ग्रा०पं० हथियागढ़ में पीडब्ल्यूडी सड़क से विशम्भर के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                         | 3,93,713.00         | 43,000.00           | 4,36,713.00           |
| 14 | ग्रा०पं० बहाउद्दीन के घर से ऊर्दू स्कूल तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                                         | 3,10,056.00         | 34,450.00           | 3,44,506.00           |
| 15 | ग्रा०पं० सूरपार में छट्टेदिन के घर से मुक्तिनान के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                           | 3,32,175.00         | 36,450.00           | 3,68,625.00           |
| 16 | ग्रा०पं० सेमरहवा में टोला भट्टवा में दयाशंकर के घर से हीरा के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                | 2,69,301.00         | 29,050.00           | 2,98,351.00           |
| 17 | ग्रा०पं० बैरवा बनकटवा में से के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                                              | 3,84,738.00         | 64,550.00           | 4,49,288.00           |
| 18 | ग्रा०पं० महुअवा अड्डा में गामा के घर से चन्द्रिका के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                         | 2,81,744.00         | 27,300.00           | 3,09,044.00           |
| 19 | ग्रा०पं० लक्ष्मीपुर केथवलिया में पीडब्ल्यूडी सड़क से संजय पाण्डेय के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                        | 3,88,197.00         | 40,375.00           | 4,28,572.00           |
| 20 | ग्रा०पं० सिंहपुर कला में रामकिशुन के घर से उदयराज के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                         | 3,32,562.00         | 75,600.00           | 4,08,162.00           |
| 21 | ग्रा०पं० पैसिया ललाईन के महेन्द्र के घर से राजेश के घर तक तथा अब्बास बाबा के घर से अखिलेश के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 2,90,878.00         | 42,623.00           | 3,33,501.00           |
| 22 | ग्रा०पं० राजमंदिर में खुर्द के पंचम के घर से रामकेवल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                      | 4,16,422.00         | 35,500.00           | 4,51,922.00           |
| 23 | ग्रा०पं० करैलिया में दिलीप के घर से मुकुल घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                                    | 7,23,455.00         | 28,275.00           | 7,51,730.00           |
| 24 | ग्रा०पं० एकसड़वा में पीडब्ल्यूडी सड़क से साधन सह. समिति तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                         | 3,21,901.00         | 31,000.00           | 3,52,901.00           |
| 25 | ग्रा०पं० बरवा चन्दनपुर के सकरून्वी के घर से आगे आरसीसी पुलिया तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य                                   | 2,89,785.00         | 28,100.00           | 3,17,885.00           |
| 26 | ग्रा०पं० देवपुर में रामजीत के खेत के पास से 3मी. स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य                                          | 3,57,478.00         | 77,875.00           | 4,35,353.00           |
|    | <b>योग</b>                                                                                                                  | <b>97,46,061.00</b> | <b>12,27,323.00</b> | <b>1,09,73,384.00</b> |

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कुल धनराशि ₹ 1,09,73,384.00 व्यय किया गया है। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

(ए) - विकास खण्ड द्वारा निर्माण कार्य में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले कार्य किए जाने का प्रावधान है, किंतु आलोच्य वर्ष में विकास खण्ड द्वारा समस्त कार्य एकल ग्राम पंचायत में ही करवाए गए हैं, किंतु संबंधित ग्राम पंचायत से उस हेतु न तो प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और न ही कार्य पूर्ण होने पर प्रधान/निर्माण समिति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र लिया गया है।

(बी) - अधिकांश कार्य पत्रावली में कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

(सी) - किसी भी कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया है।

(डी) - कार्य पूर्ण होने के पश्चात सृजित परिसंपत्ति संबंधित ग्राम सभा को हस्तांतरित नहीं किया गया है। (पत्रावली में हस्तांतरण संबंधी प्रपत्र नहीं है।)

(इ) - निर्माण सामग्री क्रय प्रक्रिया रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा अतः निविदा के पश्चात कार्यवाही व प्रक्रिया अज्ञात रही।

(एफ) - लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 0.00 | 1,09,73,384.00 | 1,09,73,384.00 |
|------|----------------|----------------|

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में धनराशि ₹ 1,09,73,384.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके अनियमितता की गई है। अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 01 )

## विकास खण्ड :- सिसवा लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

**क्षेत्र पंचायत:-** सिसवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

**प्रस्तर संख्या-15:-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य सामग्री भुगतान के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा 2% की दर से आयकर अंकित कर फर्मों से कटौती करके भुगतान किया गया है। आलोच्य वर्ष में ₹ 63,123.00 की आयकर की कटौती की गई है। किंतु लेखा परीक्षा में काटे गए आयकर को नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। काटे गए आयकर को राजकोष में जमा न करके गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार यादव व लेखाकार श्री मार्कण्डेय पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आयकर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 02)

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 63,123.00       | 63,123.00 |

**प्रस्तर संख्या-16:-** क्षेत्र पंचायत सिसवा लेखा परीक्षावर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य सामग्री भुगतान के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा 2% की दर से वैट अंकित कर फर्मों से कटौती न करके भुगतान किया गया है। इस तरह आलोच्य वर्ष में ₹ 63,123.00 की वैट की कटौती न करके राजस्व की हानि की गई है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार यादव व लेखाकार श्री मार्कण्डेय पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि के प्रकरण को विभागीय उच्चाधिकारियों से संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 03 )

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग       |
|-------|-----------------|-----------|
| 0.00  | 63,123.00       | 63,123.00 |

**प्रस्तर संख्या-17:-** लेखा परीक्षा के समय निम्न विवरण से संबंधित व्ययों के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं होने के कारण अनुदान पंजी पर अंकित व्ययों की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं० | योजना का नाम                  | वर्ष में व्यय धनराशि |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| 1        | बी.आर.जी.एफ                   | 9,35,307.00          |
| 2        | बी.आर.जी.एफ                   | 9,576.00             |
| 3        | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना | 6,945.00             |
| 4        | रैपिड सर्वे                   | 27,500.00            |
| 5        | पी.एम. आवास प्रशासनिक मद      | 73,806.00            |
|          | <b>योग</b>                    | <b>10,53,134.00</b>  |

उपरोक्त मदों के व्ययों से संबंधित प्रमाणकों को प्रस्तुत न करने हेतु लेखाकार श्री मार्कण्डेय पटेल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 04 )

| अपहरण | गंभीर अनियमितता | योग          |
|-------|-----------------|--------------|
| 0.00  | 10,53,134.00    | 10,53,134.00 |

**प्रस्तर संख्या-18:-** लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर III में बी.आर.जी.एफ. के चार खाते दर्शित हैं वहीं आलोच्य वर्ष में एक नया ग्रांट रजि. III जो श्री मार्कण्डेय पटेल, लेखाकार द्वारा बनाया गया है भी प्रस्तुत रहा जिसमें पुराने ग्रांट रजि. के प्रारंभिक अवशेष के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्राप्ति, निकासी के बाद जो अंतिम शेष लिखा है उसमें अंतर है। अंतर से संबंधित विवरण यथा व्यय या ट्रांसफर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अंतर की धनराशि की समीक्षा व जाँच नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं० | योजना का नाम         | प्रा. शेष | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में व्यय | शेष  | अंतर      |
|----------|----------------------|-----------|------------------|---------------|------|-----------|
| 1        | बी.आर.जी.एफ (एनएसबी) | 673427.00 | 0.00             | 9576.00       | 0.00 | 663851.00 |
| 2        | बी.आर.जी.एफ (एसबीआई) | 958293.00 | 0.00             | 935307.00     | 0.00 | 22986.00  |

|   |                        |                  |             |                  |                  |                  |
|---|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | बी.आर.जी.एफ (एचडीएफसी) | 255573.00        | 0.00        | 0.00             | 117998.00        | 137575.00        |
|   | <b>योग</b>             | <b>1887293.0</b> | <b>0.00</b> | <b>944883.00</b> | <b>117998.00</b> | <b>824412.00</b> |

उपरोक्त अंतर से संबंधित विवरण यथा व्यय, ट्रांसफर या संबंधित खाते की बैंक पासबुक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री मार्कण्डेय पटेल उत्तरदायी हैं। समस्त विवरण प्रस्तुत कर अंतर की धनराशि का समाधान नहीं किया गया। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 05 )

| अपहरण       | गंभीर अनियमितता | योग         |
|-------------|-----------------|-------------|
| 8,24,412.00 | 0.00            | 8,24,412.00 |

### प्रारूप -3

### जनपद- झांसी

### क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ -

#### **क्षेत्र पंचायत मोंठ**

##### **प्रस्तर 1**

वर्ष दौरान कराये गये निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं। जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838 / 33-3-2015-03/ 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये। वर्ष दौरान कराये गये कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है।

| क्र | कार्य का विवरण                                                                       | धनराशि            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | ग्राम लोहगढ़ में श्री सुरेन्द्र सिंह के खेत से मंदिर तक डब्लू वी म रोड               | 792892-00         |
| 2   | ग्राम पंचायत रेव में बाबूराजा के खेत से राकेश राजपूत के खेत तक ऐपेक्स व नाली निर्माण | 646805-00         |
|     | <b>योग</b>                                                                           | <b>1439697-00</b> |

जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **क्षेत्र पंचायत चिरगांव**

##### **प्रस्तर 2**

आलोच्य वर्ष 2019-20 के दौरान कराये गए कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, जबकि पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं 18:38/33-3-2615--03/2015 दिनांक 31/07/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाने चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत-चिरगांव द्वारा कराए गए समा कार्य अनियमित रूप से व उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कराए गए हैं, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तत्कालीन लेखाकार - उत्तरदायी है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा दौरान कराए कार्य व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है-

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. चिरगांव देहात में मुला टहरौली के मकान से अंजनी माता मंदिर तक ऐपेक्स निर्माण                  | 529065-00         |
| 2. ग्राम ईवा खुर्द के ग्राम बकुसा खुदी में शमशानघाट में पिल्स/नाली निर्माण                      | 882295-00         |
| 3. चिद्गांव देहात में करईयनपुरा में संकटमोचन व्यायामशाला में ऐपेक्स / नाली निर्माण              | 281805-60         |
| 4- ग्राम जरयाई में ग्यासले विश्वकर्मा के मकान से बलवीर दात्री के मकान तक सी. सी. / नाली निर्माण | 481194-00         |
| <b>योग -</b>                                                                                    | <b>2174339-00</b> |

#### **क्षेत्र पंचायत बबीना**

##### **प्रस्तर 3**

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं। जिसके प्रस्तर 2 - के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाँ तथा शासनादेश संख्या 1639/33-3-201503/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रति धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व हुए विकास कार्यों / सृजित

संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यो किया जाएगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत रु० 4839960 व्यय किया गया है, जिसमें उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत मऊरानीपुर

### प्रस्तर 4

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं। जिसके प्रस्तर -2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाँए तथा शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले, पूर्व में हुए विकास कार्यो / सृजित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यो पर किया जाएगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत कुल रु० 3365214.80 व्यय किया गया, जिसमें रु० 770344.80 विविध/प्रशासनिक/मानदेय में व्यय किया गया एवं विकास कार्यो में कुल रु० 2594870.00 व्यय किये गए, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

- 1- ग्राम पंचायत मऊदेहात में नाला निर्माण
- 2- ग्राम पंचायत कुवरपुरा में सी.सी. रोड निर्माण
- 3- ग्राम पंचायत रौनी में मार्ग प्रकाश कार्य
- 4- ग्राम पंचायत धवाकर में मार्ग प्रकाश कार्य -

इन विकास कार्यो में उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम वर्मा एवं लेखाकार श्री नारायण दास उत्तरदायी हैं। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत बड़गांव

### प्रस्तर 5

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत अनुभाग -3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.7.2015 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यो में डुप्लिकेसी की संभावना को रोकने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि क्षेत्र पंचायत को प्राप्त अनुदान / धनराशि से एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें। परंतु क्षेत्र पंचायत बड़गांव द्वारा वर्ष 2019-20 में उक्त शासनादेश के विपरीत एक ही राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य करवा पर रु० 2325907.40 व्ययकर अनियमितता की है जिसके लिए उत्तरदायी श्री उग्रसेन सिंह यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री कैलाश नारायण यादव ब्लाक प्रमुख है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत बामौर

### प्रस्तर 6

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1838/133-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31-7-2015 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यो में डुप्लिकेसी की संभावना को रोकने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि क्षेत्र पंचायत को प्राप्त अनुदान/धनराशि से एक से अधिक राजस्वग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें। परन्तु क्षेत्र पंचायत बामौर द्वारा अधिक राजस्व ग्रामों को वर्ष 2019-20 में उक्त शासनादेश के विपरीत एक ही राजस्व ग्राम को लाभान्वित करने वाले कार्य करवा कर रु 3850038-52 व्यय कर अनियमितता की गयी जिसके लिए उत्तरदायी श्री सन्दीप कुमार खण्ड विकास अधिकारी श्री रामवत खण्ड विकास अधिकारी एवं श्रीमती शकुन्तला सिंह ब्लाक प्रमुख है। अतः सन्निहित धनराशि रु० 3850038-52 का ½ श्री सन्दीप कुमार खण्ड विकास अधिकारी श्री रामवत खण्ड विकास अधिकारी से एवं ½ श्रीमती शकुन्तला सिंह से की जानी अपेक्षित है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत बंगरा

### प्रस्तर 7

शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 की व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने चाहिए किन्तु निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये है। जो शासनादेश का उल्लंघन है एवं गम्भीर अनियमितता है इसके लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

| क्र | ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराए गए कार्य                          | उपभोग धनराशि      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | ग्राम देवरी सिंघपुर में रोड से लाल के हनुमान तक सीसी रोड                 | 213356-00         |
| 2   | ग्राम बंगरधाव में ऐपेक्स रोड निर्माण पर व्यय                             | 735756-00         |
| 3   | ग्राम पंचायत सिलगुवा में ऐपेक्स रोड निर्माण पर व्यय                      | 623495-00         |
| 4   | ग्राम दादपुर पीडब्ल्यूडी रोड से उत्तम अहिरवार तक ऐपेक्स निर्माण          | 683699-00         |
| 5   | ग्राम सकरर में गयादीन के मकान से सिद्धेश्वर मंदिर की ओर ऐपेक्स निर्माण   | 795584-00         |
| 6   | सुनोरा में हरिश्चंद्र के मकान का कुआघाट की आओर ऐपेक्स नाली निर्माण       | 447566-00         |
| 7   | ग्राम दादपुर में ऐपेक्स रोड निर्माण पर व्यय                              | 37364-00          |
| 8   | ग्राम खिसनिबुजुर्ग में मैं रोड से मंदिर तक ऐपेक्स रोड निर्माण            | 709807-00         |
| 9   | ग्राम देवरीसिंघपुर में मुकुंदी कुशवाहा से बेड़िया बाबा तक सीसी रोड       | 859674-00         |
| 10  | ग्राम टिकरी में ऐपेक्स रोड निर्माण पर व्यय                               | 679501-00         |
| 11  | ग्राम देवरीसिंघपुर में बेड़ियाबाबा से कबूतरा बस्ती तक ऐपेक्स रोड निर्माण | 620109-00         |
|     | <b>योग</b>                                                               | <b>6405911-00</b> |

## क्षेत्र पंचायत गुरसराये

### प्रस्तर 8

आलोच्य वर्ष 2019.20 के दौरान कराये गये कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है जबकि पंचायतीराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-32015=03/2015 दिनांक 31/07/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों के जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत चिरगांव द्वारा कराये गये समस्त कार्य अनियमित रूप से व उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये हैं जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा दौरान कराये गये कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है -

1. ग्राम केदारताई से चतुरताई मेवडी पीडब्ल्यूडी रोड से भराई नाले सी०सी० रोड व नाली तक - 1076749-00
2. ग्राम चतुरताई में गार्ड नाले पर रिपटा पुलिया व सी०सी० रोड निर्माण - 787260-00
3. ग्राम चतुरताई में डगर नाले पर रिपटा पुलिया व सुरक्षा दीवाल व सी०सी० रोड निर्माण - 714018-00
4. ग्राम चतुरताई में मेन रोड नाले पर रिपटा पुलिया व सुरक्षा दीवाल सी०सी० रोड निर्माण - 707108-00
5. ग्राम चतुरताई में भराई नाले पर सह पुलिया व रिपटा में प्रमोद अहिरवार सी०सी० रोड निर्माण - 518402-00
6. ग्राम गुढा में खडैरा पंचायत घर होते हुये माता मंदिर की ओर सी०सी० रोड / ऐजिंग / नाली निर्माण - 561156-00
7. ग्राम सहपुरा में सुरेन्द्र सिंह के मकान से ददवल सिंह के मकान के ओर सी०सी० रोड / ऐजिंग / नाली निर्माण - 434052-00
8. ग्राम सिमरधा में दुर्गचन्द्र तिवारी के मकान से जयप्रकाश के मकान की ओर सी०सी० रोड/नाली निर्माण - 425527-00

**योग - 5224272.00**

### प्रारूप- 3

## वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

**जनपद का नाम- ललितपुर**

**मण्डल का नाम- झाँसी**

### क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपितियाँ-

**क्षेत्र पंचायत- जखौरा**

**विकास खण्ड: जखौरा**

### प्रस्तर- 1

शासनादेश सं० 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.03.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्तरों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं० 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ राज वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि को आयोग को एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की

लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत जखौरा द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है जिसका विवरण निम्न है-

- 1) रसोई में कैलाश के घर से पुरषोत्तम के घर की ओर एपेक्स रोड का निर्माण।
- 2) सांकरवार में नहर से मंदिर तक 680 मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य।
- 3) ग्राम अंधियारी में गांव से नहर तक 700 मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य।
- 4) गंगा सागर से डामर रोड तक टपरियन रोड की ओर 550 मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य।
- 5) जखौरा में नवीन मुहल्ला में चितरा रोड से लखूरे तक 700 मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य।
- 6) जखौरा में बुढ़ेरा रोड से सिंह बाबा तक 500 मीटर मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य।
- 7) ग्राम मैनवार में भीकम के घर से हरसिंह के खेत तक 600 मीटर सॉलिंग गिट्टी कार्य।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत जखौरा द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये हैं एवं इन निर्माण कार्यों की कुल टी0डी0एस कटौती ₹0 1,27,653=00 थी एवं शुद्ध भुगतान ₹0 58,72,502=00 थी इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल मु0 60,00,155=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे।

शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित हैं। आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सुरेश चन्द्र जैन एवं ब्लाक प्रमुख श्री कैलाश यादव उत्तरदायी हैं। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है, साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत /ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह निश्चित नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न हो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्वविकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट करायी जानी अपेक्षित है। यह उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है। साथ ही आलोच्य वर्ष में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि रायल्टी से संबंधित कोई भी प्रकरण अधिभार योग्य नहीं पाया गया है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि स्वीकृत टेण्डरों में कार्य की गुणवत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र पत्रावली में पाया गया। इस ओर खण्ड विकास अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। साथ ही आलोच्य वर्ष की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि किसी भी नोडल विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया और न ही कोई पत्र इस हेतु जारी किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि एक ही कार्य को जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा तो नहीं करा दिया गया है। इस ओर भी खण्ड विकास अधिकारी के साथ-साथ उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**मूल आपत्ति संख्या- 21**

## **क्षेत्र पंचायत- मड़वरा**

## **विकास खण्ड: मड़वरा**

### **प्रस्तर- 2**

शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं0 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गई है कि चतुर्थ राज वित्त आयेग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिसका विवरण निम्न है-

- 1) ग्राम उल्दनाखुर्द से सौल्दा तक सम्पर्क मार्ग का कार्य।
- 2) ग्राम गिदवाहा से बम्होरी रोड तक सम्पर्क मार्ग पर मुरम कार्य।
- 3) मड़वरा में रनगाँव नाला पर पाई की पुलिया निर्माण।
- 4) विकास खण्ड मड़वरा में ग्राम पिपरिया में मंदिर के पास सी0सी0 रोड निर्माण।
- 5) विकास खण्ड मड़वरा में ग्राम गढ़ौली में हरसिंह के मकान से प्रा0वि0 तक सी0सी0रोड निर्माण।



इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये हैं जिसमें नियमानुसार कटौतियाँ की गयी हैं। इन निर्माण कार्यों में कुल कटौतियाँ ₹0 1,69,544=00 थी एवं शुद्ध भुगतान ₹0 30,29,348=00 था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल मु0 31,98,892=00 रुपया व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे।

शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित हैं। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री चन्ददीप रावत उत्तरदायी हैं। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है, साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्वविकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट करायी जानी अपेक्षित है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 12

## क्षेत्र पंचायत- बार विकास खण्ड: बार

### प्रस्तर- 3

शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं0 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में दी गई है कि चतुर्थ राज वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिसका विवरण निम्न है-

- 1) सूरिखुर्द में गुन्दे चढ़ार के खेत से पम्पा रजक के खेत तक सोलिंग कार्य।
- 2) सूरिखुर्द में मैनरोड़ से बल्देव के खेत तक सोलिंग कार्य।
- 3) सूरिखुर्द में बल्देव के खेत से गुन्दे के खेत तक सोलिंग कार्य।
- 4) कुआँगांव में गुलाब के खेत से सी0सी0 रोड़ तक सोलिंग कार्य।
- 5) कुआँगांव में छिल्ला के खेत से गुलाब के खेत तक सोलिंग कार्य।
- 6) सूरिखुर्द में पम्पा के खेत से खेमचन्द्र के मकान तक सोलिंग कार्य।
- 7) बुरागांव में सुरेश दीमर के मकान से फूलचन्द्र शर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड़ निर्माण।
- 8) अजनौरा में खिरिया खूँटी सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण।
- 9) बलवीर राजपूत के मकान से देशराज के मकान तक नाली निर्माण।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये हैं जिसमें नियमानुसार कटौतियाँ की गयी हैं। इन निर्माण कार्यों में टी0डी0एस0 कटौति ₹0 2,29,393=00 तथा शुद्ध भुगतान ₹0 40,96,835=00 था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल मु0 43,26,228=00 रुपया व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे।

शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित हैं। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरिता रजक तथा सहायक लेखाकार श्री विनोद पुरोहित इसके लिये उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्तियों पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्वविकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं

## क्षेत्र पंचायत- बिरधा

## विकास खण्ड: बिरधा

### प्रस्तर- 4

शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं0 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में दी गई है कि चतुर्थ राज वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिसका विवरण निम्न है-

- 1) ग्राम गिल्टोरा में पेवर ब्रिक्स सड़क निर्माण कार्य।
- 2) ग्राम कलोथरा में पाल मु0 वाली गली में पेवर ब्रिक्स/नाली निर्माण कार्य।
- 3) ग्राम मुझरी में शमशान घाट पर टीन शैड निर्माण।
- 4) ग्राम कचनोदाकला में कोमल अहिरवार के मकान से शोभाराम तक पेवर ब्रिक्स/नाली निर्माण कार्य।
- 5) ग्राम मैलवाराकला के मजरा मऊमाली में प्रमोद के मकान से वासदेव के मकान तक पेवर ब्रिक्स/नाली निर्माण कार्य।
- 6) ग्राम चढ़रऊ में रंकिशन से शिवनारायण तक पेवर ब्रिक्स/नाली निर्माण कार्य।
- 7) ग्राम उत्तमधाना में शकिर से तुलसी तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य।
- 8) समुदायिक केंद्र अनुरक्षण कार्य।
- 9) विकास खण्ड में पेयजल/बागवानी कार्य।
- 10) विकास खण्ड में विद्युत फिटिंग कार्य।
- 11) टीकरा तिवारी में खिरियाछतारा से गिदू अहिरवार के मकान तक पेवर ब्रिक्स व नाली निर्माण।
- 12) ग्राम तालगाँव में घटोरिया के पुल से प्रभु बड़ई के मकान तक पेवर ब्रिक्स एवं नाली निर्माण।
- 13) ग्राम चढ़रऊ में दंगल के घर से मनीराम के घर तक पेवर ब्रिक्स एवं नाली निर्माण कार्य।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये। जिसमें नियमानुसार कटौति की गई इन निर्माण कार्यों में कुल टी0डी0एस0 कटौती 3,71,785=00 थी एवं शुद्ध भुगतान ₹0 36,48,269=00 था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल ₹0 40,20,054=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित हैं। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, श्री बलिराम वर्मा एवं श्री डॉ0 अजय कुमार शर्मा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री जयराम सिंह निरंजन उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्तियों पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्विकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट करायी जानी अपेक्षित है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 16

## क्षेत्र पंचायत- महरौनी

## विकास खण्ड: महरौनी

### प्रस्तर- 5

शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में दी गई है कि चतुर्थ राज वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा

इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिसका विवरण निम्न है-

- 1) गढ़ौली कला में नाले पर पेवर ब्रिक्स का निर्माण कार्य।
- 2) मुडिया सैदपुर में मंदिर के सामने सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।
- 3) कुसमांड में दोहरे बाबा पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य।
- 4) बारौन में बड़े राजा मास्टर साहब से श्री हरिराम तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।
- 5) रमेशरा में पुल से दुर्गाजी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।
- 6) ब्लाक रिसोर्स सेक्टर की मरम्मत कार्य।
- 7) अमौरा में अनुसूचित बस्ती में पुलिया निर्माण कार्य।
- 8) सतवांसा में हरडिया में शमशान भूमि रास्ता पर पुलिया निर्माण कार्य।
- 9) छाजन में मेनरोड से डिमरौला तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य।
- 10) छाजन में सेक्टर रोड़ पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य।
- 11) लरगन में गढ़ाघाट पर रिपटा आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य।
- 12) रूकवाहा में अनुसूचित बस्ती में लार रोड़ तक सम्पर्क मार्ग।
- 13) कुरौरा में मेनरोड से दुर्गाजी मंदिर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।
- 14) पड़वा में बम्हौरी घाट की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।
- 15) पड़वा में मेनरोड से हरदौल बाबा तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये। जिसमें नियमानुसार कटौती की गई एवं कुल टी0डी0एस0 कटौती 1,44,759=00 थी एवं शुद्ध भुगतान ₹0 65,88,265=00 था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल ₹0 67,33,024=00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य अनियमित हैं। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा एवं सुनील कुमार तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह परमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्तियों पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्विकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट करायी जानी अपेक्षित है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 17

## क्षेत्र पंचायत- तालबेहट

## विकास खण्ड: तालबेहट

### प्रस्तर- 6

शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा शासनादेश सं0 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में दी गई है कि चतुर्थ राज वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमिक धनराशि की 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त के अनुदान द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिसका विवरण निम्न है-

- 1) खांदी के बरकरया में पेवर ब्रिक्स कार्य।
- 2) रजावन में पेवर ब्रिक्स का कार्य।
- 3) कडेसरा कला में पेवर ब्रिक्स का निर्माण।
- 4) वर्मा विहार के सरखडी में नाली निर्माण।
- 5) धमकना में नाली निर्माण।

- 6) खांदी के मजरा करीला में पेवर ब्रिक्स का निर्माण।
- 7) ग्राम उगरपुर के मजरा बिहारीपुरा में पेवर ब्रिक्स निर्माण।
- 8) ग्राम पुराकला के पठारी में पेवर ब्रिक्स निर्माण।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये हैं जिसमें नियमानुसार कटौतियाँ की गयी हैं। इन निर्माण कार्यों में टी0डी0एस0 कटौति ₹0 93046=00 तथा शुद्ध भुगतान ₹0 40,97,040=00 था। इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त द्वारा एक ही ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में कुल मु0 4190086=00 रुपया व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेशानुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे।

शासनादेशों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विपरीत कराये गये उक्त कार्यों को अनियमित माना जा सकता है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में कार्यों के दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है, शासनादेश की उक्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योतिरानी कौशिक व श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, लेखाकार श्री संतोष दुबे व श्री सुरेश कुमार जैन एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषारानी यादव आदि उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, तथा इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्तियों पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गई न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्विकता की पुष्टि संबंधित संस्था ( जिसके स्वामित्व में सम्पत्ति है) को हैण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट करायी जानी अपेक्षित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 17

### प्रारूप-3

### वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

जनपद का नाम : औरैया

मण्डल : कानपुर

क्षेत्र पंचायत - औरैया

क्षेत्र पंचायत- औरैया

वर्ष 2019-20

**प्रस्तर-01** जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 2प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-टी0डी0एस का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांक: 01.10.2018 से 30.09.20 में प्रभावी है, वित्त वर्ष 2019-20 में खुले टेण्डर के माध्यम से राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों ( कार्य प्रारूप-1 में क्रमांक 01 से 14 तक अंकित है) हेतु क्रय सामग्री के बिलों की कुल धनराशि ₹ 8787516.00 के सापेक्ष 02 प्रतिशत आयकर न काटकर संबंधित फर्मों को भुगतान किया गया है, जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार भुगतान से पूर्व 02 प्रतिशत जी0एस0टी0-टी.डी.एस. की भी धनराशि ₹ 175750.00 काटकर ही भुगतान किया जाना था. 02 प्रतिशत की टी0डी0एस0 कटौती कर के संस्था को स्वयं जमा करना है जिससे कि संबंधित फर्म जी0एस0टी0 की धनराशि को जी0एस0टी0 विभाग के खाते में जमा करने को बाध्य हो. नियमानुसार कटौती न कर के आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी- खण्ड विकास अधिकारी-श्रीमती सुप्रिया मिश्रा एवं श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं लेखाकार- श्री रामाश्रय गुप्ता के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-08

**प्रस्तर-02-** आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर में एन0आर0एल0एम0 से संबंधित सी0आर0पी0 ड्राइव मद में ₹ 234512.80 का व्यय दर्शित है. उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय सिर्फ ₹ 81940.00 की वाउचर पत्रावली प्रस्तुत की गयी है जिसमें समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण के दौरान भोजन, स्टेशनरी से संबंधित वाउचर संलग्न पाए गए हैं. इस प्रकार ₹ 152572.80 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी. अतः प्रमाणक विहीन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित व्यय की धनराशि ₹ 152572.80 की श्रीमती सुप्रिया मिश्रा तथा एन0आर0एल0एम0-ब्लॉक मिशन प्रबंधक- श्री मुशीर अहमद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-09

क्षेत्र पंचायत- एरवाकटरा

वर्ष 2018-19 से 2019-20

**प्रस्तर-03** वर्ष 2018-19 व 2019-20 में राज्य वित्त के कार्यों हेतु फर्मों से क्रय सामग्रियों के भुगतान पर संस्था द्वारा जी0एस0टी0- टी0डी0एस0 नहीं काटा गया बिल की धनराशि पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान ठेकेदार को इस हेतु किया गया है कि उक्त धनराशि को वाणिज्य कर विभाग के खाता में जमा कर दिया जाए. यह प्रक्रिया वृत्तिपूर्ण है प्रत्येक बिल के भुगतान पर 12 प्रतिशत की जी0एस0टी0 धनराशि में से 10 प्रतिशत ठेकेदार को जमा करने हेतु देना है तथा 02 प्रतिशत की धनराशि टी0डी0एस0 कटौती के रूप में संस्था को स्वयं रखकर जमा करना है ठेकेदार को 12 प्रतिशत-जी0एस0टी0 की धनराशि जो जमा करने हेतु दी गयी है उसकी पुष्टि में जमा चालान भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं इससे प्रतीत होता है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 02 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-टी0डी0एस0 का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांक 01.10.2018 से 30.09.20 में प्रभावी है आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया

गया है कि जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती न कर रु 135901.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जो कि गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी- खण्ड विकास अधिकारी- श्री जी0पी0गौतम, सौरभ श्रीवास्तव, राजेशकुरील, करुणापति मिश्र एवं लेखाकार-श्री वीरेन्द्र यादव व श्री राजेन्द्र प्रजापति के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-17**

## क्षेत्र पंचायत- भाग्यनगर वर्ष 2017-18 से 2019-20

**प्रस्तर-04** वर्ष 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः राज्य वित्त के कार्यों हेतु कुल रु 8746992.00 व 5835229.00 सामग्री क्रय पर व्यय किए गए फर्मों से क्रय सामग्रियों के भुगतान पर संस्था द्वारा जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 नहीं काटा गया है। जी0एस0टी0 एक्ट 217 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 02 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-टी0डी0एस0 का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांक: 01.10.2018 से उ0प्र0 में प्रभावी है अलेख्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती न कर वर्ष 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः रु 174940.00 व 116704.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जो कि गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी- खण्ड विकास अधिकारी-श्री शकील अहमद, श्रीमती शान्ति यादव एवं लेखाकार-श्री अजय मिश्र व श्री महेन्द्र कुरील के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-19**

## क्षेत्र पंचायत- अजीतमल वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 05-** शा0सं0:ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जबकि पंचायतीराज के अनुभाग 03 के आदेश संख्या 2044(1)/33-3-2019-03 ऑडिट/2019 दिनांक 06.09.2019 के बिन्दु 02 के उपबिन्दु 02 के अनुसार ब्याज से संबंधित धनराशि को संबंधित निधि में जमा रखते हुये कोषवही में ही अंकन के निर्देश दिए गए हैं। चूँकि ब्याज की धनराशि केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त की धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तथा ब्याज से संबंधित धनराशि को संबंधित निधि में ही व्यय किया जा सकता है। जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु 106232.00 अर्जित ब्याज की मद से संबंधित निधि में व्यय ना करके निधि से बाहर विभिन्न कार्य ( 15.04.2019 में ए0सी0 खरीद पर व्यय रु 79000.00 एवं अन्य कार्यों पर व्यय रु 27232.00) पर व्यय किया गया है जो कि उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन एवं अनियमितता है जिसके लिये लेखाकार श्री मोहम्मद सबबीर व खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-02**

**प्रस्तर 06-** क्षेत्र पंचायत अजीतमल की 2019-20 लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया की सांसद निधि के सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3327092901 में दिनांक 01.04.2019 को रु 723683.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदान शेष था जिसका उल्लेख ग्रांट रजिस्टर 03 के प्रारम्भिक शेष (अप्रैल 2019) में नहीं दर्शाया गया है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न दिनांकों में उक्त खाते से रु 155553.95 का आहरण/भुगतान किया गया है जिसका विवरण ग्रांट रजिस्टर (02 व 03) में अंकित नहीं है और न ही उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए गए अतः उक्त धनराशि का आहरण/भुगतान किस कार्य हेतु किसको किया गया है अज्ञात रहा। प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि रु 155553.95 को ग्रांट रजिस्टर में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मोहम्मद सबबीर व खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-03**

**प्रस्तर 07-** क्षेत्र पंचायत अजीतमल की 2019-20 लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया की ग्रांट रजिस्टर 03 के अनुसार मार्च 2020 को आंगनवाड़ी केंद्र के मद में (खाता संख्या 2157106731 में) (अनुदान 271405.00 व ब्याज 38773.00) रु 310178.00 अवशेष दर्शित है परन्तु उक्त खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को 7045.90 ही अवशेष दर्शित है अन्तर की धनराशि 303132.10 के बारे में मौखिक रूप से बताया गया की पूर्व के वर्षों में उक्त खाते से सांसद निधि खाते की धनराशि वापिस की गई है आंगनवाड़ी केन्द्र के खाते से सांसद निधि खाते की धनराशि वापिस करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है उक्त प्रकरण उच्च विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है उक्त प्रकरण के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मोहम्मद सबबीर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 07अ-** क्षेत्र पंचायत अजीतमल की 2019-20 लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया की ग्रांट रजिस्टर 03 के अनुसार मार्च 2020 को विधायक निधि मद में (खाता संख्या 2157106767 में) (अनुदान 49528.00 व ब्याज 44947.00) रु 94475.00 अवशेष दर्शित है परन्तु उक्त खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को 12363.10 ही अवशेष दर्शित है अन्तर की धनराशि 82111.90 के बारे में मौखिक रूप से बताया गया की पूर्व के वर्षों में उक्त खाते से सांसद निधि खाते की धनराशि वापिस की गई है विधायक निधि मद के खाते से सांसद निधि खाते की धनराशि वापिस करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है उक्त प्रकरण उच्च विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है उक्त प्रकरण के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मोहम्मद सबबीर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-05**

## क्षेत्र पंचायत-अछलदा वर्ष 2017-18 से 2019-20

**प्रस्तर 08-** वर्ष: 2017-18 के ग्रांट रजिस्टर में स्वच्छ भारत मिशन मद में रु0 222514.00 का व्यय दर्शित है, उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय वाउचर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः प्रमाणक विहीन ग्रांट रजिस्टर में दर्शित व्यय की धनराशि रु0 222514.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी-श्री अश्वनी कुमार सोनकर से तथा तत्कालीन लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-15**

## प्रारूप 03

### मण्डल- कानपुर मण्डल कानपुर

### जिला - इटावा।

### क्षेत्र पंचायत- सैफई 2014-15 से 2016-17 तक

### आपत्तियों का विवरण-

**प्रस्तर-1**      रु0 134156.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 8870=00 की टी0डी0एस0 कम कटौती कर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 134156=00 की टी0डी0एस0 कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से की गई है और आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणको के क्रय भुगतान रु0 443479.00 पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 8870.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 8870.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। कम कटौती का कारण कतिपय बिलों में आयकर की कटौती का न किया जाना रहा है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 134156.00 की धनराशि को वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-2**      आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रु0 6429447.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर( वैट) कुल रु0 257178-00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष में व्यापार कर की कोई भी कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु0 257178-00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-3**      निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है। किये गये भुगतान से सम्बन्धित संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः व्यय धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपुष्ट धनराशि रु0 246021-00 की वसूली श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है।

| क्र0 | चैक संख्या | दिनांक   | धनराशि    | बैंक के अनुसार प्राप्त कर्ता |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------|
| 1    | 626509     | 06.07.16 | 145500.00 | ट्रान्सफर फार नेफ्ट          |
| 2    | 626514     | 29.10.16 | 31850.00  | ट्रान्सफर                    |
| 3    | 626515     | 29.10.16 | 19874.00  | ट्रान्सफर                    |
| 4    | 626516     | 03.11.16 | 24119.00  | मे0 जमुना सीमेन्ट एजेन्सी    |
| 5    | 701171     | 29.09.14 | 16755.00  | टू सेल्फ                     |
| 6    | 702118     | 07.02.15 | 7923.00   | राकेश कुमार                  |
|      |            | योग-     | 246021-00 |                              |

**प्रस्तर-4-**      रु 103516=00 टी0डी0एस0 जमा न किये जाने एवं रु0 8199=00 की टी0डी0एस0 कम कटौती कर राजस्व की हानि

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 224846=00 की टी0डी0एस0 कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से की गई है और आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणको के भुगतान रु0 409951-00 पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 8199-00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 8199-00 की कटौती न कर राजस्व हानि की गई है। कम कटौती का कारण कतिपय बिलों में आयकर की कटौती का न किया जाना रहा है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 224846-00 में से मात्र रु0 121330-00 ही जमा किया गया है शेष 103516-00 की धनराशि को वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 दण्ड सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-5-**      आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु0 10444309.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर (वैट) कुल रु0 417772-00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष में मात्र रु0 3888.00 व्यापार कर की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 413884-00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर रु0 413884-00 एवं कटौती की गयी एवं जमा न की गयी धनराशि रु0 3888-00 कुल रु0 417772-00 की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से दण्ड सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-6-**      निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है। किये गये भुगतान से सम्बन्धित संगत अभिलेख / पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी । अतः व्यय धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपुष्ट

धनराशि रु0 53565-00 की ब्याज सहित वसूली श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

| क्र0 | चैक संख्या | दिनांक   | धनराशि   | बैंक के अनुसार प्राप्त कर्ता |
|------|------------|----------|----------|------------------------------|
| 1    | 702398     | 26.05.15 | 30000-00 | असलम                         |
| 2    | 702375     | 18.04.15 | 2612-00  | एस0के0ईट उद्योग              |
| 3    | 702376     | 18.04.15 | 13770-00 | रावेन्द्र सिंह यादव बिल्डिंग |
| 4    | 702377     | 18.04.15 | 1778-00  | सुमित आयरन                   |
| 5    | 702378     | 18.04.15 | 5405-00  | कृपाल सिंह                   |
|      |            | योग-     | 53565-00 |                              |

**प्रस्तर-7-** आलोच्य वर्ष 2015-16 में नगला मिया काशीपुर में आंगनवाडी केन्द्र निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया चैक सं0 128485 दिनांक 01.09.15 द्वारा रु0 6000-00 एवं चैक सं0 128510 दिनांक 03.11.15 द्वारा रु0 39600-00 का भुगतान श्री जय शंकर प्रसाद अवर अभियन्ता (कार्यप्रभारी) को किया गया है, जो श्रमांश का भुगतान है किन्तु पत्रावली में संलग्न मास्टर रोलो पर किसी भी मजदूर एवं मिस्त्री के भुगतान प्राप्तकर्ता में हस्ताक्षर नहीं पाये गये। बिना मजदूरों एवं मिस्त्री के हस्ताक्षर के मास्टर रोलो का भुगतान सीधे मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है जिससे भुगतान की गयी धनराशि मजदूरों को प्राप्त कराये जाने की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त भुगतान की गयी धनराशि रु0 45600-00 की वसूली श्री जयशंकर प्रसाद, अवर अभियन्ता, श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-8-** आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवों वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य में सैफई में तालाब खुदाई एवं सफाई का कार्य किया गया जाना दर्शाया गया है, जिस पर दिनांक 12.04.15 को विभिन्न चैकों से रु0 208312-00 का भुगतान किया गया है उक्त की पत्रावली की जांच में पाया गया कि भुगतान प्रमाणक बाद की दिनांक के है किन्तु उसका भुगतान पहले ही कर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है वास्तव में कार्य कराया ही नहीं गया है, भुगतान किये जाने के उपरान्त पत्रावली एवं प्रमाणक तैयार किये गये हैं। अतः भुगतान की गयी धनराशि की श्री प्रवीन कुमार माथुर, सहा0 विकास अधि0 ( कार्यप्रभारी), श्री जयशंकर प्रसाद, अवर अभियन्ता, श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है। व्यय प्रमाणकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| मास्टर रोल सं0/ व्यय प्रमाणक | अवधि मास्टर रोल         | मास्टर रोल की धनराशि | किये गये भुगतान का विवरण |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
|                              |                         |                      | चैक सं0 दिनांक धनराशि    |
| 99                           | 01.04.15 से 20.04.15 तक | 37440-00             | 703993 12.04.15 28080-00 |
| 100                          | 01.04.15 से 20.04.15 तक | 37440-00             | 703992 12.04.15 60840-00 |
| 101                          | 01.04.15 से 20.04.15 तक | 37440-00             | 703990 12.04.15 9360-00  |
| 102                          | 01.04.15 से 20.04.15 तक | 10920-00             | 703991 12.04.15 24960-00 |
| कार्टेज रसीद                 | -                       | 85072-00             | 703994 12.04.15 85072-00 |

**प्रस्तर-9-** आलोच्य वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के क्रय भुगतान रु0 111027-00 पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 2220-00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 2220-00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। कम कटौती का कारण कतिपय बिलों में आयकर की कटौती का न किया जाना रहा है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-10-** आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय रु0 2751113.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर( वैट) कुल रु0 110044-00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि आलोच्य वर्ष में मात्र रु0 103582.00 व्यापार कर की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 6462-00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर( वैट) अंकन रु0 103582.00 जिसकी जमा किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी, की धनराशि को वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-11-** निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है। किये गये भुगतान से सम्बन्धित संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः व्यय धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान धनराशि की वसूली श्री जी0पी0 कौशिक, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** जमा कराया जाना अपेक्षित है।

| क्र0 | चैक संख्या | दिनांक   | धनराशि    | बैंक के अनुसार प्राप्त कर्ता |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------|
| 1    | 626509     | 06.07.16 | 145500.00 | ट्रान्सफर फार नेफ्ट          |
| 2    | 626514     | 29.10.16 | 31850.00  | ट्रान्सफर                    |
| 3    | 626515     | 29.10.16 | 19874.00  | ट्रान्सफर                    |
| 4    | 626516     | 03.11.16 | 24119.00  | मे0 जमुना सीमेन्ट एजेन्सी    |
|      |            | योग-     | 221343-00 |                              |

## **क्षेत्र पंचायत- सैफई 2017-18 से 2018-19 तक**

**प्रस्तर-12-** आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणको के भुगतान रु0 43654-00 पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 873-00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 873-00 के टी0डी0एस0 की कटौती न कर राजस्व हानि की गई है। कम कटौती का कारण कतिपय बिलों में आयकर की कटौती का न किया जाना रहा है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री प्रदीप सक्सेना, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-13-** आलोच्य वर्ष 2017-18 में विधायक निधि के अन्तर्गत नगला बेनी में बारात घर का निर्माण कार्य सामग्री का भुगतान रु0 141326-00 का किया गया है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर( वैट) रु0 5653-00 की कटौती की जानी चाहिए थी। जिसकी कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 5653-00 की कटौती न कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री प्रदीप सक्सेना, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-14-** आलोच्य वर्ष 2017-18 में दिनांक 05.05.2017 को चैक सं0 910126 द्वारा रु0 108161-00 का भुगतान श्रीमती मृदुला यादव, ब्लाक प्रमुख को दिनांक 18.06.16 से अप्रैल 2017 तक का मानदेय दिया गया है जिसमें माह दिसम्बर 16 से अप्रैल 17 तक ( 05 माह )का मानदेय 9800-00 प्रतिमाह की दर से रु0 49000-00 का भुगतान किया गया है जबकि रु0 7000-00 प्रति माह की दर से रु0 35000-00 किया जाना चाहिए था इस प्रकार रु0 14000-00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान धनराशि रु0 14000-00 की वसूली श्रीमती मृदुला यादव, ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए वसूल न होने की दशा में श्री कुलदीप कुमार आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार भदौरिया, सहायक लेखाकार से **ब्याज सहित** की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-15-** निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है। किये गये भुगतान से सम्बन्धित संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः व्यय धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अनवर शेख, श्री प्रदीप सक्सेना, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

| क्र0 | चैक संख्या | दिनांक   | धनराशि   | बैंक के अनुसार प्राप्त कर्ता |
|------|------------|----------|----------|------------------------------|
| 1    | 910127     | 18.06.17 | 60000.00 | असलम                         |
| 2    | 772000     | 20.01.18 | 5000.00  | धर्मेन्द्र कुमार             |
|      |            | योग-     | 65000-00 |                              |

**प्रस्तर-16-** आलोच्य वर्ष 2017-18 में नगला बेनी में बारात घर का निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया चैक सं0 772012 दिनांक 28.03.18 द्वारा रु0 56922-00 एवं चैक सं0 772013 दिनांक 28.03.18 द्वारा रु0 29171-00 का भुगतान श्री इम्तियाज अतहर प्र0सहा0 विकास अधिकारी(कार्यप्रभारी) को किया गया है, जो श्रमांश का भुगतान है किन्तु पत्रावली में संलग्न मास्टर रोलो पर किसी भी मजदूर एवं मिस्त्री के भुगतान प्राप्तकर्ता में हस्ताक्षर नहीं पाये गये। बिना मजदूर एवं मिस्त्री के हस्ताक्षर के मास्टर रोलो का भुगतान सीधे मजदूर को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है जिससे भुगतान की गयी धनराशि मजदूरों को प्राप्त कराये जाने की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त



भुगतान की गयी धनराशि रु0 86093-00 की ब्याज सहित वसूली श्री इम्तियाज अतहर प्र0 सहा0 विकास अधिकारी(कार्यप्रभारी) , श्री प्रदीप कुमार , आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-17-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान रु0 21482-00 पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 430-00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 430-00 के टी0डी0एस0 की कटौती न कर राजस्व हानि की गई है। कम कटौती का कारण कतिपय बिलों में आयकर की कटौती का न किया जाना रहा है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्री हेम सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-18-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय भुगतान (01.04.2018 से 30.09.2018 तक) रु0 3218888=00 का किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 128755=00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी तथा सामग्री क्रय भुगतान (दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक) रु0 8915513=00 का किया गया है जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 178310=00 जी0एस0टी0 की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि रु0 78946-00 की कटौती की गयी है इस प्रकार रु0 99364-00 की कटौती कम की गयी है। जबकि आलोच्य वर्ष में व्यापार कर की कोई भी कटौती नहीं की गयी है। जबकि जी0एस0टी0 की कटौती दिनांक 01.10.2018 से की जानी है अतः 01.10.2018 के पूर्व पुरानी व्यवस्था के अनुसार व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। जिससे व्यापार कर रु 128755=00 एवं जी0एस0टी0 रु0 99364=00 कुल ( 128755 + 99364) रु0 228119=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 228119=00 की वसूली श्री राजेश कुमार मिश्रा, श्री हेम सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-19-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 05.07.2018 चैक सं0 772015 द्वारा रु0 15552-00 विज्ञापन अमर उजाला भुगतान श्री विश्वनाथ सिंह को किया गया है जबकि विज्ञापन का भुगतान सीधे अमर उजाला को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अमर उजाला को भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु 15552-00 की वसूली श्री राजेश कुमार मिश्रा, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, लेखाकार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-20-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से ब्लाक परिसर में किसान विश्राम गृह में मरम्मत कार्य हेतु रु0 164028-00 जिसमें टी0डी0एस0रु0 3281-00 की कटौती कर रु0 160747-00 चैक सं0 671151 दिनांक 20.09.18 द्वारा मै0 आर0ए0एस0 कान्स0 को भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त क्रय सामग्री का उपयोग किये जाने से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक ( मास्टर रोड, एम0बी0) पत्रावली में नहीं पाया गया। और न ही स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे क्रय की गयी सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार मरम्मत कार्य में सामग्री क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु0 160747-00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री विक्रम सिंह, अवर अभियन्ता ,श्री हेम सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, लेखाकार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-21-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत सैफई में राजवीर सिंह भौजी के घर से गोल चक्कर तक जो कि इटावा मैनुपुरी मार्ग तक सी0सी0कार्य कराये जाने हेतु श्री रामप्रसाद यादव, सहा0वि0अधि0 (सह0) को खण्ड विकास अधि0 के पत्रांक 701 दिनांक 08.08.18 के द्वारा कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। उक्त कार्य कराये जाने हेतु रु0 497000-00 का स्टीमेट (तकनीकी) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी आलोच्य वर्ष में मात्र रु0 343278-00 का व्यय किया गया है पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त कार्य अपूर्ण स्थिति में है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी सैफई के पत्रांक 147/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/2018-19/दिनांक 14 मई 2019 द्वारा कार्यप्रभारी को एक सप्ताह के अन्दर प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त कार्य अभी भी पूर्ण नहीं कराया गया है अतः अपूर्ण कार्य पर किये गये व्यय भुगतान की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राम प्रसाद यादव, सहायक विकास अधिकारी (सह0) एवं श्री विक्रान्त सिंह, अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-22-** आलोच्य वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खण्ड कार्यालय में मरम्मत कार्य पानी की आपूर्ति हेतु टंकी आदि का अनुरक्षण कार्य एवं सामूहिक शौचालय का निर्माण कार्य हेतु श्री विक्रान्त सिंह, अवर अभियन्ता, को खण्ड विकास अधि0 के पत्रांक 707 दिनांक 08.08.18 के द्वारा कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। उक्त कार्य कराये जाने हेतु रु0 630000-00 का स्टीमेट (तकनीकी) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी आलोच्य वर्ष में मात्र रु0 380575-00 का व्यय किया गया है पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त कार्य अपूर्ण स्थिति में है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी सैफई के पत्रांक 149/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/2018-19/दिनांक 14 मई 2019 द्वारा उक्त कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये थे अन्यथा उक्त कार्य के सापेक्ष किये गये भुगतान की एक मुश्त

वसूली किये जाने हेतु लिखा गया था। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त कार्य अभी भी पूर्ण नहीं कराया गया है अतः अपूर्ण कार्य पर किये गये व्यय भुगतान की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री विक्रान्त सिंह, अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- महेवा 2018-19

**प्रस्तर-23-** जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 कि अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के विलों पर 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पर कुल रु0 12331108.00 विभिन्न फर्मों को सामग्री आपूर्ति पर व्यय किया गया। निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म के विलों पर 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी कटौती नहीं की गयी। विलों पर जी0एस0टी0 की कटौती न कर संस्था द्वारा रु0 246622.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-24-** राज्य वित्त अनुदान से एन0एच02 से चंदपुरा सम्पर्क मार्ग से सोबरन सिंह महाविद्यालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण 145मीटर कराये जाने हेतु 7.72 लाख का प्राक्कलन लागत स्वीकृत किया गया। जिसके सापेक्ष पत्रावली के अनुसार रु0 753471.00 धन व्यय करते हुए कार्य पूर्ण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि एन0एच02 से चंदपुरा सम्पर्क मार्ग से सोबरन सिंह महाविद्यालय तक डामरीकृत सम्पर्क मार्ग पूर्व में बना हुआ है। अतः उपरोक्त कार्य को सोबरन सिंह महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर कराया गया है। जो नियम विरुद्ध है। साथ ही उपरोक्त कार्य जनहित न होकर व्यक्तिगत महाविद्यालय में कराया गया। उक्त कृत्य राजकीय धनराशि के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इस कार्य के स्वीकृत होने से पूर्व कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। और अभियन्ता द्वारा मौके पर जाकर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पर कुल व्यय धनराशि रु0 753471.00 का दुरुपयोग मानते हुए कार्य प्रभारी श्रीनवीन कुमार अवर अभियन्ता, श्री अब्दुल बहाव खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित समान रूप से वसूली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के अध्याय 18 कि नियम 179 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-25-** राज्य वित्त अनुदान से सराय मिट्टे में डोरी सिंह के खेत से दिनेश अवस्थी के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य 170 X 2.5 मीटर कार्य प्रभारी श्री यदुनाथ सिंह जैसवारा अवर अभियन्ता, द्वारा कार्यपूर्ण कराया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जांच के अनुसार-

| प्राक्कलन लागत                        | माप पुस्तिका के अनुसार वास्तविक व्यय  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. सामग्री आपूर्ति पर व्यय- 566848.00 | 1. सामग्री आपूर्ति पर व्यय- 538225.00 |
| 2. श्रमांश पर व्यय - 51762.00         | 2. श्रमांश पर व्यय- 79950.00          |
| 3. साइनबोर्ड - 5000.00                | 3. साइनबोर्ड- 0.00                    |
| 4. फोटोग्राफ- 500.00                  | 4. फोटोग्राफ- 0.00                    |

स्पष्ट है कि स्टीमेट में प्राक्कलन मजदूरी अनुमानित रु0 51762.00 के सापेक्ष मस्टररोल क्रमांक 384पर अंकित 34 श्रमिकों को रु0 79950.00 भुगतान किया गया। जो प्राक्कलन लागत से रु0 26188.00 अधिक भुगतान किया गया। स्पष्ट है, कि अवर अभियन्ता द्वारा काल्पनिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण भी नहीं किया गया। अतः प्राक्कलन लागत से अधिक श्रमिक भुगतान रु0 26188.00 पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-26-** राज्य वित्त अनुदान से सराय मिट्टे में जगदीश अवस्थी के खेत से मल्हूपुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य 1565 X 2.5 मीटर कार्य प्रभारी श्री सोबरन सिंह सहायक विकास अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया। उक्त कार्य पत्रावली की जांच के अनुसार-

| प्राक्कलन लागत                        | माप पुस्तिका के अनुसार वास्तविक व्यय  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. सामग्री आपूर्ति पर व्यय- 550226.00 | 1. सामग्री आपूर्ति पर व्यय- 522281.00 |
| 2. श्रमांश पर व्यय - 50415.00         | 2. श्रमांश पर व्यय- 75250.00          |
| 3. फोटोग्राफ- 500.00                  | 3. फोटोग्राफ- 0.00                    |

स्पष्ट है कि स्टीमेट में प्राक्कलन मजदूरी व्यय रु0 51762.00 के विपरीत मस्टररोल क्रमांक 451 पर अंकित 34 श्रमिकों को रु0 75250.00 भुगतान किया गया। जो प्राक्कलन लागत से रु0 24835.00 अधिक भुगतान किया गया स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी एवं अभियन्ता द्वारा काल्पनिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण भी नहीं किया गया। अतः प्राक्कलन लागत से अधिक श्रमिक भुगतान रु0 24835.00 पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही कार्य प्रभारी सोबरन सिंह सहायक विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत का नाम - जसवन्तनगर लेखा परीक्षा वर्ष - 2011-12 से 2013-14

**प्रस्तर-27-** श्रमांश मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान- वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 419319.00 वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 649282.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 193025.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं, जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे0ई0 को निम्नानुसार किया गया है।

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | मद का नाम     | धनराशि    | भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी जे.ई.   |
|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 1        | 2011-12      | विधायक निधि   | 205852.00 | श्री जयशंकर प्रसाद जे.ई.                 |
|          |              |               | 42564.00  | श्री वीरेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधि0   |
|          |              |               | 60300.00  | श्री सैय्यद साउद अख्तर स.वि.अ. (सह.)     |
|          |              | राज्य वित्त   | 20078.00  | श्री रामकुमार कैशियर                     |
|          |              |               | 90525.00  | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              | योग-          | 419319.00 |                                          |
| 2        | 2012-13      | विधायक निधि   | 112242.00 | श्री जीतेन्द्र बाबू ग्राम पंचायत अधिकारी |
|          |              |               | 291277.00 | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              |               | 56040.00  | श्री सैय्यद साउद अख्तर, स.वि.अ. (सह.)    |
|          |              | राज्य वित्त   | 35072.00  | श्री एम.पी. सिंह स0वि0अ0                 |
|          |              |               | 142851.00 | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              | तेहरवां वित्त | 8000.00   | श्री एम.पी. सिंह स0वि0अ0                 |
|          |              |               | 3800.00   | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              | योग-          | 649282.00 |                                          |
| 3        | 2013-14      | विधायक निधि   | 101911.00 | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              | राज्य वित्त   | 2000.00   | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई.                |
|          |              | तेहरवां वित्त | 55514.00  | श्री एम.पी. सिंह स0वि0अ0                 |
|          |              |               | 16700.00  | श्री एम.पी. सिंह स0वि0अ0                 |
|          |              |               | 16900.00  | श्री जयशंकर प्रसाद, जे.ई. त्मे           |
|          |              | योग-          | 193025.00 |                                          |

उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 नियम संख्या 49 में निहित व्यवस्थानुसार निम्न कमियां पायी गयी हैं-

(क) मस्टररोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य का प्रभारी अधिकारी अपने स्थायी अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टररोल होगा।

(ग) भुगतान के सम्बन्ध में रूपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण पत्र उस बिल पर अंकित करेगा "दिखाये गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।"

(घ) नियम संख्या 49 प्रपत्र संख्या 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खण्ड कार्यालय में मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किये गये हैं और न ही उस पर कोई क्रमांक अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 1261626.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी/जे0ई0 को किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि योजनाबद्ध तरीके से धनराशि रु0 1261626.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी, जे0ई0 खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

**प्रस्तर-28-** कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नहीं किया जाना- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार "ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।"

क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य कराये गये निम्न विवरणानुसार व्यय पर नियमानुसार 01 प्रतिशत की दर से धनराशि लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | मद | विधायक निधि  |        | राज्य वित्त  |         | तेरहवां वित्त |        | योग      |
|---------|--------------|----|--------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|----------|
|         |              |    | सामग्री क्रय | मजदूरी | सामग्री क्रय | मजदूरी  | सामग्री क्रय  | मजदूरी |          |
| 1.      | 2011-12      |    | 567921       | 308716 | -            | 110603  | -             | -      | 987240   |
| 2.      | 2012-13      |    | 1962805      | 459559 | 5150888      | 1006193 | 1806492       | 262960 | 10648897 |
| 3.      | 2013-14      |    | 623606       | 101911 | 2773459      | 313652  | 1715903       | 590754 | 6119285  |
|         | योग-         |    | 3154332      | 870186 | 7924347      | 1430448 | 3522395       | 853714 | 17755422 |

संस्था द्वारा उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल व्यय धनराशि रु0 17755422.00 के सापेक्ष 01 प्रतिशत की दर से रु0 177554.00 की राजकीय क्षति पहुंचाकर ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी आवश्यक है।

| क्र.सं. | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | नाम                | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.      | श्री अनवर सिंह           | ब्लाक प्रमुख       | 88777.00        |
| 2.      | श्री लाखन सिंह           | खण्ड विकास अधिकारी | 88777.00        |
|         |                          | योग-               | 177554.00       |

**प्रस्तर-29-** टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार “यदि कियी ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु0 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जायेगी। यह भुगतान की गयी राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकार सम्मिलित किये जायेंगे।” क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के टी0डी0एस0 कटौती का विवरण निम्नवत् रहा-

| क्र.सं. | वर्ष    | क्रय सामग्री मूल्य | देय आयकर 2.26 प्रतिशत | आयकर कटौती | अन्तर     |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 1.      | 2011-12 | 567921.00          | 12835.00              | -          | 12835.00  |
| 2.      | 2012-13 | 8920185.00         | 201596.00             | -          | 201596.00 |
| 3.      | 2013-14 | 5112968.00         | 115553.00             | 93650.00   | 21903.00  |
|         | योग-    | 14601074.00        | 329984.00             | 93650.00   | 236334.00 |

उक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 236334.00 आयकर कटौती कम कर/जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है, जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234(एफ) के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर से निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में काटे गये कुल टी0डी0एस0 अंकन रु0 93650.00 की जमा की पुष्टि में चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी निम्नानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है-

| क्रमांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद नाम             | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.      | श्री अनवर सिंह           | ब्लाक प्रमुख       | 118167.00       |
| 2.      | श्री लाखन सिंह           | खण्ड विकास अधिकारी | 118167.00       |
|         |                          | योग-               | 236334.00       |

**प्रस्तर-30-** वाणिज्यकर (वैट) नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना- किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की बिल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्यकर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य कराये गये कुल कार्यों में से किसी भी भुगतान के समय निर्धारित दर पर वाणिज्यकर की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाकर ठेकेदार को सीधा लाभ पहुंचाया गया है वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के देय वाणिज्यकर का विवरण निम्नवत् है- राजस्व कर की दण्ड सहित वसूली कर जमा कराया जाये।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | कुल क्रय सामग्री का मूल्य | देय वाणिज्यकर 4 प्रतिशत | वाणिज्य कर कटौती | अन्तर     |
|---------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| 1.      | 2011-12      | 567921.00                 | 22717.00                | निल              | 22717.00  |
| 2.      | 2012-13      | 8920185.00                | 356807.00               | निल              | 356807.00 |
| 3.      | 2013-14      | 5112968.00                | 204518.00               | निल              | 204518.00 |
| योग-    |              | 14601074.00               | 584042.00               | निल              | 584042.00 |

उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि रु0 584042.00 की वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

| क्रमांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद का नाम          | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.      | श्री अनवर सिंह           | ब्लाक प्रमुख       | 292021.00       |
| 2.      | श्री लाखन सिंह           | खण्ड विकास अधिकारी | 292021.00       |
| योग-    |                          |                    | 584042.00       |

**प्रस्तर-31-** बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्तित न करना-शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार "यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये।"

उपरोक्त शासनादेश की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है-

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष         | अर्जित ब्याज धनराशि | व्यय धनराशि | शेष धनराशि |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1       | 2011-12 एवं पूर्व के | 290882.00           | 5927.00     | 630396.00  |
| 2       | 2012-13              | 287075.00           | 18964.00    |            |
| 3       | 2013-14              | 204022.00           | 126692.00   |            |
| योग-    |                      | 781979.00           | 151583.00   |            |

अतः स्पष्ट है कि उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर के संचालित बैंक खातों से कुल रु0 781979.00 की ब्याज अर्जित हुई है एवं रु0 151583.00 अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसकी वसूली करते हुए कुल ब्याज की धनराशि रु0 781979.00 राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## **क्षेत्र पंचायत का नाम - जसवन्तनगर, लेखा परीक्षा वर्ष - 2014-15 से 2016-17**

**प्रस्तर-32-** कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नहीं किया जाना-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4(3) के अनुसार "ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकरण के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।"

क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में कराये गये निम्न विवरणानुसार व्यय पर नियमानुसार 01 प्रतिशत की दर से धनराशि लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | राज्य वित्त |         | तेरहवां वित्त |         | विधायक निधि |         | योग      |
|---------|--------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|----------|
|         |              | सामग्री     | मजदूरी  | सामग्री       | मजदूरी  | सामग्री     | मजदूरी  |          |
| 1       | 2014-15      | 3361143     | 1108957 | 3316641       | 745204  | 1174270     | 349692  | 10055907 |
| 2       | 2015-16      | 2473970     | 335092  | 1593845       | 518188  | 5238440     | 1035470 | 11195005 |
| 3       | 2016-17      | -           | -       | -             | -       | 3547822     | 811504  | 4359326  |
| योग-    |              | 5835113     | 1444049 | 4910486       | 1263392 | 9960532     | 2196666 | 25610238 |

संस्था द्वारा उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में कुल व्यय धनराशि रु0 25610238.00 के सापेक्ष 01 प्रतिशत की दर से रु0 256102.00 का राजकीय क्षति पहुंचाकर ठेकेदारों/सामग्री आपूर्ति कर्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी आवश्यक है-

| क्र.सं. | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद नाम             | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1       | श्री अनवर सिंह           | पूर्व ब्लाक प्रमुख | 70021.00        |
| 2       | श्री अनुज कुमार यादव     | ब्लाक प्रमुख       | 15348.00        |
| 3       | श्री लाखन सिंह           | तत्कालीन ख0वि0अ0   | 16289.00        |
| 4       | श्री अर्जुन सिंह         | तत्कालीन ख0वि0अ0   | 27113.00        |
| 5       | श्री विनोद यादव          | तत्कालीन ख0वि0अ0   | 42781.00        |
| 6       | श्री शैलेन्द्र सिंह      | लेखाकार            | 84550.00        |
|         |                          | योग-               | 256102.00       |

### प्रस्तर-33-

वाणिज्य कर (बैट) नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना-

किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी।

क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य कराये गये कुल कार्यों में से भुगतान के समय निर्धारित दर पर वाणिज्य कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाकर ठेकेदार को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक देय वाणिज्य कर का विवरण निम्नवत् है। राजस्व कर की वसूली कर जमा कराया जाये।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | कुल क्रय सामग्री का मूल्य | देय वाणिज्य कर 4 प्रतिशत | वाणिज्य कर कटौती | अन्तर  |
|---------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| 1       | 2014-15      | 7852054                   | 314082                   | -                | 314082 |
| 2       | 2015-16      | 9306255                   | 372250                   | -                | 372250 |
| 3       | 2016-17      | 3547822                   | 141913                   | 71451            | 70462  |
|         |              | योग-                      | 828245                   | 71451            | 756794 |

## क्षेत्र पंचायत का नाम - जसवन्तनगर, लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18

### प्रस्तर-34-

कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नहीं किया जाना-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4(3) के अनुसार "ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकरण के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।"

क्षेत्र पंचायत जसवन्तनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराये गये निम्न विवरणानुसार व्यय पर नियमानुसार 01 प्रतिशत की दर से धनराशि लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | चतुर्थ राज्य वित्त |        | विधायक निधि |        | आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण |        | योग     |
|---------|--------------|--------------------|--------|-------------|--------|---------------------------|--------|---------|
|         |              | सामग्री            | मजदूरी | सामग्री     | मजदूरी | सामग्री                   | मजदूरी |         |
| 1       | 2017-18      | 3772679            | 630446 | 1372185     | 361782 | 888311                    | -      | 7025403 |

संस्था द्वारा उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल व्यय धनराशि ₹0 7025403.00 के सापेक्ष 01 प्रतिशत की दर से ₹0 70254.00 का लेबर सेस की धनराशि की कटौती न कर ठेकेदारों/सामग्री आपूर्ति कर्ताओं को लाभ पहुंचाकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अवश्यक है- राजस्व कर की वसूली कर जमा कराया जाये।

| क्र.सं. | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद नाम             | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1       | श्री अनुज कुमार यादव     | ब्लाक प्रमुख       | 23418.00        |
| 2       | श्री लाखन सिंह           | खण्ड विकास अधिकारी | 23418.00        |
| 3       | श्री शैलेन्द्र सिंह      | लेखाकार            | 11155.00        |
| 4       | श्री मो0 हासिम           | लेखाकार            | 12263.00        |
|         |                          | योग-               | 70254.00        |

**प्रस्तर-35-** बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्तित न करना शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार “यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये।”

ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल रुपये 1891215.00 अर्जित ब्याज की धनराशि को संस्था में रोककर रखा गया है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार का है। अतः नियमानुसार ब्याज की धनराशि रु0 1891215.00 को शासन को वापस किया जाना आवश्यक है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

## **क्षेत्र पंचायत ताखा वर्ष 2011-12 से 2013-14**

**प्रस्तर-36-** आलोच्य वर्ष 2011-12 में प्रासंगिक मद के अंतर्गत रु० 16000.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई बिल/वाउचर /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-37-** आलोच्य वर्ष 2012-13 राज्य वित्त के अंतर्गत मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर सामग्री रु० 35825.00 श्रमांश पर रु०19940.00 एवं टंकी फिटिंग पर रु०7995.00 कुल रु० 63760.00 विकासखंड परिसर पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-38-** आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के अंतर्गत ब्लाक सुन्दरीकरण पर रु० 274670.00 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-39-** आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त के अंतर्गत ब्लाक सुन्दरीकरण पर रु० 161448.00 दिनांक 18-03-2013 को व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर-40-** आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु० 2430455.47 पर टेक्स टैक्स कटौती रु०280492.83 की गयी है। जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी की टेक्स प्राप्त कटौती संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा की गयी। टेक्स जमा अपुष्ट रहा अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-41-** आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से शिवरा मार्ग ग्राम शिवरा तक खडंजा व नाली निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान निम्नानुसार फार्मों व ठेकेदारों को किया गया –

|                         |                |               |                                |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| चेक सं० 711867          | दि० 01-10-2012 | रु० 51978.00  | मैसर्स मास्टर ट्रेडर्स उमरेन   |
| चेक सं० 611868          | दि० 01-10-2012 | रु० 147324.00 | मैसर्स एम०आई०आई०भट्टा उमरेन    |
| चेक सं० 711869          | दि० 01-10-2012 | रु० 46224.00  | श्रीमती फातिमा बेगम नि० कुदरैल |
| <b>योग -- 245526.00</b> |                |               |                                |

उक्त की पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर-42-** (1) आलोच्य वर्ष 2011-12 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 524088.50 व्यय किया गया। जिस पर रु० 2.26 % की दर से रु० 11844.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संता द्वारा नहीं की गयी।

जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्ड सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(2) आलोच्य वर्ष 2011-12 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों/ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 524088.50 व्यय किया गया। जिस पर रु० 4 % की दर से रु० 20924.00 की व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(3) आलोच्य वर्ष 2011-12 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों/ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 524088.50+लेबर 48000.00 = 572088.50 का लेबर सेस रु० 1 % की दर से रु० 5721.00 की लेबर सेस कटौती की जानी चाहिये थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गई। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-43-** (1) आलोच्य वर्ष 2012-13 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों/ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 2897388.00 व्यय किया गया। जिस पर रु० 2.26 % की दर से रु० 65481.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गई। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 2897388.00 व्यय किया गया। जिस पर रु० 2.26 % की दर से रु० 65481.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। (2) आलोच्य वर्ष 2012-13 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों / किया गया। जिस पर रु० 4 % की दर से रु० 115896.00 की व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(3) आलोच्य वर्ष 2012-13 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मों/ठेकेदारों के समस्त भुगतान रु० 2897388.00+लेबर 288200.00 = 3185588 का लेबर सेस रु० 1 % की दर से रु० 31856.00 की लेबर सेस कटौती की जानी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-44-** आलोच्य वर्ष 2011-12 में सांसद निधि रु० 84750.00 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-45-** आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से रु० 294288.00 विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-46-** आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से रु० 711413.00.00 विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री भाल चन्द्र त्रिपाठी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-47-** आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से रु० 1263251.00.00 विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी कोई बिल/वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री पी०एस०श्रीवास्तव एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

## प्रारूप 03

### मण्डल- कानपुर मण्डल कानपुर



## जिला - इटावा।

क्षेत्र पंचायत- बसरेहर 2018-19 से 2019-20 तक

### आपत्तियों का विवरण-

**प्रस्तर-48** आलोच्य वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय भुगतान (01.04.2018 से 30.09.2018 तक) ₹0 6543628=00 का किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 261745=00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी तथा सामग्री क्रय भुगतान (दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक) ₹0 10829119=00 का किया गया है जिस पर 2 प्रतिशत की दर से ₹0 216582=00 जी0एस0टी0 की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि आलोच्य वर्ष में व्यापार कर एवं जी0एस0टी0 की कोई भी कटौती नहीं की गयी है। जबकि जी0एस0टी0 की कटौती दिनांक 01.10.2018 से की जानी है अतः 01.10.2018 के पूर्व पुरानी व्यवस्था के अनुसार व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी। जिससे व्यापार कर ₹ 261745=00 एवं जी0एस0टी0 ₹0 216582=00 कुल ( 261745 + 216582 ) ₹0 478327=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 478327=00 की वसूली श्री अतुल कुमार, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-49** आलोच्य वर्ष 2018-19 में आंगनवाडी केन्द्र निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान पर व्यापार कर की कटौती ₹0 46877=00 की गयी है जबकि व्यापार कर चैक सं0 031657 दिनांक 04.05.2018 द्वारा ₹0 44204=00 ही जमा किया गया है इस प्रकार व्यापारकर ₹0 2673=00 कम जमा किया गया है जिससे व्यापारकर ₹0 2673=00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है, राजस्व क्षति अंकन ₹0 2673=00 की ब्याज सहित वसूली श्री उमा कान्त त्रिपाठी, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार दुवे, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-50** आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त मद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चितभवन में श्री जलालुद्दीन के घर से माँ कामाख्या मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य में मै0 प्रदीप कुमार कॉन्स्ट्रक्सन, शंकरपुर के बिल सं0 11 दिनांक 11.07.2018 ₹0 667013=00 का भुगतान 2 प्रतिशत आयकर ₹0 13340=00 की कटौती कर ₹0 655673=00 का भुगतान चैक सं0 125297 दिनांक 31.07.2018 द्वारा किया गया है। जबकि 653673.00 (667013-13340=653673.00) का भुगतान किया जाना चाहिए था इस प्रकार ₹0 2000.00 अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-51** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) स्वच्छता प्रहरियों को जागरूकता मानदेय/ प्रचार प्रसार सामग्री मद से चैक सं0 033596 दिनांक 12.03.2019 द्वारा ₹0 40120.00 का भुगतान मै0 रसीद पेंटर इटावा को इनवाइस 348 दिनांक 15.11.2018 का किया गया है। जो फ्लेक्स बैनर एवं बैनर सिलाई ( 32640+1360) ₹0 34000.00 जिस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (6120.00) जोड़ कर ₹0 40120.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त किये गये भुगतान पर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत ₹0 802.00 एवं आयकर कटौती 2 प्रतिशत ₹0 802.00 की कटौती नहीं की गयी है जिससे आयकर ₹ 802=00 एवं जी0एस0टी0 ₹0 802=00 कुल (802+802 ) ₹0 1604=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 1604=00 श्री अतुल कुमार, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-52** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) स्वच्छता प्रहरियों को जागरूकता मानदेय/ प्रचार प्रसार सामग्री मद से चैक सं0 033597 दिनांक 12.03.2019 के द्वारा ₹0 33363.00 का भुगतान मै0 जगदम्बा ट्रेडर्स को इनवाइस एमएनपी 08 दिनांक 30.11.2018 का किया गया है। जो महिला स्वच्छता प्रहरी किट 422 प्रति किट से 67 किटों का 28274.00 जिस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (5089.00) जोड़ कर ₹0 33363.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त किये गये भुगतान पर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत ₹0 667.00 एवं आयकर कटौती 2 प्रतिशत ₹0 667.00 की कटौती नहीं की गयी है जिससे आयकर ₹ 667=00 एवं जी0एस0टी0 ₹0 667=00 कुल ( 667+667 ) ₹0 1334=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 1334=00 श्री अतुल कुमार, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-53** प्रधान मन्त्री आवास प्रशासनिक मद से चैक सं0 466262 दिनांक 26.07.2018 के द्वारा ₹0 197650.00 का भुगतान अमित इण्टरप्राइजेज को इनवाइस 02 दिनांक 23.07.2018 का किया गया है। जो मनरेगा स्टेशनरी क्रय का भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त किये गये भुगतान पर आयकर कटौती 2 प्रतिशत ₹0 3953.00 एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत ₹0 7906.00 ( 01.10.2018 से पूर्व पुरानी

व्यवस्था के अनुसार व्यापार कर) की कटौती नहीं की गयी है जिससे आयकर रु 3953=00 एवं व्यापार कर रु0 7906=00 कुल (3953+7906) रु0 11859=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 11859=00 श्री अतुल कुमार, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार दुवे, लेखाकार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-54** आलोच्य वर्ष 2018-19 में विधायक निधि से ग्राम रुद्रपुर (रायपुर) में श्री मिजाजी के मकान से श्री नौबत सिंह यादव के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य में मास्टर रोल नं0 61 जो दिनांक 13.07.2018 से 22.07.2018 तक का भुगतान कार्यप्रभारी श्री हृदयेश नारायण को रु0 42160-00 का किया गया है उक्त मास्टर रोल में श्री शिवपाल पुत्र श्री शादीलाल, अयारा, जाति शाक्य को 10 दिन की मजदूरी रु0 2600.00 भुगतान दर्शाया गया है जबकि मास्टर रोल में उक्त मजदूर के भुगतान प्राप्त के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि रु0 2600.00 का अधिक भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित कार्यप्रभारी श्री हृदयेश नारायण ग्रा0पं0अधि0 ,श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-55** आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्रय सामग्री प्रमाणको एवं टेण्डर प्राप्तकर्ता ( ठेकेदार) को भुगतान रु0 14703003=00 का किया गया है जिस पर जी0एस0टी0 की कटौती रु0 167965=00 की गई है। जबकि भुगतान की गयी धनराशि पर 2.00 प्रतिशत की दर से रु0 294060=00 की कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार जी0एस0टी0 रु0 126095=00 की कम कटौती की गई है। जिससे जी0एस0टी0 रु0 126095=00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 126095=00 श्री उमाकान्त त्रिपाठी, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-56** आलोच्य वर्ष 2019-2020 में मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जिस पर आयकर कटौती एवं जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| कार्य का नाम                           | प्रमाणक सं0/दिनांक व धनराशि | आयकर कटौती जी0एस0टी0कटौती |          |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| 01.ग्राम पंचायत बहादुरपुर लुहिया में   | 20/24.01.2020 रु0 173809=00 | 3476=00                   | 3476=00  |
| में प्रा0विद्यालय लुहिया कला में       | 21/24.02.2020 रु0 41660=00  | 833=00                    | 833=00   |
| आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण            |                             |                           |          |
| 02.ग्राम पंचायत राहिन में आंगनवाडी     | 22/24.01.2020 रु0 173809=00 | 3476=00                   | 3476=00  |
| केन्द्र का निर्माण                     | 23/24.02.2020 रु0 41660=00  | 833=00                    | 833=00   |
| 03.ग्राम पंचायत मुहब्बतपुर लुधपुरा में | 18/24.01.2020 रु0 173809=00 | 3476=00                   | 3476=00  |
| आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण            | 19/24.02.2020 रु0 41660=00  | 833=00                    | 833=00   |
|                                        |                             | 12927=00                  | 12927=00 |

उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान किये गये बाउचरो पर आयकर रु0 12927=00 एवं जी0एस0टी0 रु0 12927=00 कुल रु0 25854=00 (12927+12927) के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 25854=00 की वसूली पेनाल्टी सहित श्री उमाकान्त त्रिपाठी, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार दुवे, लेखाकार से करायी जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-57** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्य कार्यालय मुख्य द्वारा से सभागार कक्ष तक इण्टरलाकिंग का कार्य के अन्तर्गत मास्टर रोल नं0 93 जो दिनांक 19.10.2018 से 02.11.2018 तक रु0 68560.00 जिसमें 18 मिस्त्री/मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है उक्त मास्टर रोल के क्रमांक 18 पर श्री राजाराम पुत्र अमर सिंह, ग्राम सरैया, जाति जाटव राज मिस्त्री द्वारा दिनांक 19.10.2018 से 24.10.2018 तक 06 दिन का रु0 340.00 की दर से रु0 2040.00 का भुगतान किया गया है। एवं विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम परौली रमाइन में स्थित गौशाला/चारागाह में वेटरनिटीकक्ष/ 02 शैडों का निर्माण कार्य के अन्तर्गत मास्टर रोल क्रमांक 19 में दिनांक 05.10.2018 से 23.10.2018 रु0 38760.00 जिसमें 06 मिस्त्री/मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है उक्त मास्टर रोल के क्रमांक 05 पर श्री राजाराम पुत्र अमर सिंह, ग्राम सरैया, जाति जाटव राज मिस्त्री द्वारा दिनांक 05.10.2018 से 23.10.2018 तक 19 दिन का रु0 340.00 की दर से रु0 6460.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यप्रभारी द्वारा फर्जी नाम अंकित कर, भुगतान दर्शाकर धनराशि रु0 6460=00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-58** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्य कार्यालय की मुख्य बाउण्ड्रीबाल की मरम्मत व ऊँचाईकरण कार्य के अन्तर्गत मास्टर रोल नं० 81 जो दिनांक 10.07.2018 से 19.07.2018 तक रु० 35320.00 जिसमें 14 मिस्त्री/मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है उक्त मास्टर रोल के क्रमांक 10 पर श्री शिवपाल पुत्र श्री शादीलाल, ग्राम अयारा, जाति शाक्य द्वारा 10 दिन का रु० 260.00 की दर से रु० 2600.00 का भुगतान किया गया है। एवं विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम चितभवन में श्री जलालुद्दीन के घर से माँ कामाख्या मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य के अन्तर्गत मास्टर रोल क्रमांक 58 (कटिंग कर लिखा गया) में दिनांक 13.07.2018 से 28.07.2018 रु० 75320.00 जिसमें 17 मिस्त्री/ मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है उक्त मास्टर रोल के क्रमांक 14 पर श्री शिवपाल पुत्र श्री शादीलाल, ग्राम अयारा, जाति काछी को 16 दिन का रु० 260.00 की दर से रु० 4160.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यप्रभारी द्वारा फर्जी नाम अंकित कर, भुगतान दर्शाकर धनराशि रु० 4160=00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-59** दिव्यांगजन कृतिम अंग शिविर परिवहन व्यय के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 2019-2020 में बैंक सं० 039308 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा रु० 15000.00 गौरव टूर एण्ड ट्रेवल्स इटावा को बिल 66 दिनांक 12.06.2018 का 03 बसों का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है उक्त के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

(1) दिव्यांगजन कृतिम अंग शिविर दिनांक 09.06.2018 दिन शनिवार को ब्लाक परिसर पंडाल सैफई व इटावा शहर में स्थित नुमाइश पंडाल में आयोजन हुआ था।

(2) बस के लगाये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई अग्रिम धनराशि भुगतान की गयी है जबकि अन्य सभी बस मालिकों को पत्र जारी करते हुए अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया था।

(3) उक्त शिविर दिनांक 09.06.2018 को आयोजित हुआ था किन्तु बिल 16 माह बाद प्रस्तुत किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि गौरव टूर एण्ड ट्रेवल्स इटावा से फर्जी बिल प्राप्त कर रु० 15000=00 भुगतान किया गया। अतः भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो० हाशिम, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-60** प्रधानमन्त्री आवास योजना प्रशासनिक मद में दिनांक 12.04.2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के 03 लाभार्थियों से 1,20,000-00 (प्रति लाभार्थी 40,000-00 की दर से बैंक खाते में नकद जमा हुआ है) प्राप्त हुआ है। उक्त धनराशि रु० 1,20,000-00 को आरटीजीएसके माध्यम से आयुक्त ग्राम्य विकास को वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्री सीडीओ एफएफ बिल पे टैली को धनराशि हस्तान्तरित की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि को प्रधानमन्त्री आवास योजना मद में आयुक्त ग्राम्य विकास को वापस न कर धनराशि को अन्य को हस्तान्तरित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 1,20,000=00 की ब्याज सहित वसूली श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार दुवे, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-61** मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के निरीक्षण आदेश सं० 890 दिनांक 08.03.2019 द्वारा गंगापुर राहिन मार्ग से संत सिंह बंजारा के घर तक इण्टरलाकिंग/ यू टाइप नाली निर्माण कार्य के स्थलीय निरीक्षण में कराये गये कार्य में जी०एस०वी० मात्रा कम पाये जाने पर रु० 142335=00 (49000+93335) की वसूली के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में दिनांक 01.07.2019 को रु० 142335-00 मै० शिखर कॉस्ट्रक्सन्स मऊ रोड आगरा से वसूल किये गये। किन्तु दिनांक 15.07.2019 को बैंक सं० 125360 द्वारा रु० 142335=00 का भुगतान पुनः मै० शिखर कॉस्ट्रक्सन्स मऊ रोड आगरा को मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के आदेश के विपरीत किया गया है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु० 142335=00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान कर्ता श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो० हाशिम, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-62** मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के निरीक्षण आदेश सं० 890 दिनांक 08.03.2019 द्वारा शेखपुर सरैया के ग्राम अड्डा बिहारी में डामर रोड से रविन्द्र के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य एवं शेखपुर सरैया के ग्राम में डामर रोड से धर्मनंद के खेत तक सी०सी० रोड कार्य के स्थलीय निरीक्षण में कराये गये कार्य में जी०एस०वी० मात्रा कम पाये जाने पर क्रमशः रु० 93000=00 एवं रु० 122716=00 की वसूली के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में दिनांक 01.07.2019 को रु० 215716-00 मै० एस०एस०इण्टरप्राइजेज शेखपुर सरैया से वसूल किये गये। किन्तु दिनांक 15.07.2019 को बैंक सं० 125359 द्वारा रु० 215716=00 का भुगतान पुनः मै० एस०एस०इण्टरप्राइजेज शेखपुर सरैया को मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के आदेश के विपरीत किया गया है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु० 215716=00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान कर्ता श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो० हाशिम, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-63** आलोच्य वर्ष 2019-2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निम्न कार्यों का मै०एस०एस०इण्टर प्राइजेज शेखपुर को किये गये भुगतानों पर आयकर की कटौती निर्धारित दर 2 प्रतिशत से कम की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

|              |                     |              |                   |
|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| कार्य का नाम | प्रमाणक सं०, दिनांक | आयकर कटौती   | कटौती जो कम कटौती |
|              | व धनराशि            | जो की गयी है | की जानी थी        |

|                                                            |       |        |        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 01.शेखपुर सरैया के ग्राम अड्डा बिहारी 18 दिनांक 20.11.2018 | 55=00 | 546=00 | 491=00 |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|

|                                                                |              |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--|
| में बीरेन्द्र के घर से श्याम बिहारी के                         | रु0 27307=00 |        |        |  |
| खेत तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण                                 |              |        |        |  |
| 02.ग्राम पंचायत मूँज के मौजा फर्दपुरा में 29 दिनांक 15.03.2019 | 35=00        | 355=00 | 320=00 |  |
| डामर रोड से विनय यादव के घर तक                                 | रु0 17745=00 |        |        |  |
| सी0सी0 निर्माण कार्य                                           |              |        | 811=00 |  |

उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान किये गये बाउचरो पर रु0 811=00 आयकर के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 811=00 की ब्याज सहित वसूली श्री उमाकांत त्रिपाठी, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मो0 हाशिम, लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

## **क्षेत्र पंचायत- बढपुरा 2011-12 से 2013-14 तक**

**प्रस्तर-64** वर्ष 2011-12 .में सामग्री प्रमाणको के भुगतान रु0 2145373.00 पर शून्य आयकर कटौती की गयी जबकि सामग्री क्रय पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी चाहिए इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में आयकर की कटौती न कर रु0 48056.00 की राजस्व हानि की गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री अशोक भदौरिया से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-65** वर्ष 2012-13 .में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 28946.00 .की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 1855012.00 की दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु0 41552.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 12606.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री अशोक भदौरिया से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 28946.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू बैंक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-66** आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु0 1855012.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 74200.00 की वैट कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। जिससे रु0 74200.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु 74200.00 की आपूर्ति तातारीख ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार अशोक भदौरिया से अपेक्षित है।

**प्रस्तर-67** वर्ष 2013-14 में राज वित्त आयोग से 16 निर्माण कार्यों के साइन बोर्ड की आपूर्ति हेतु मँ0 सुमित आयरन स्टोर को बैंक संख्या 981 दिनांक 17.02.2014 को रु0 44972.00 भुगतान किया गया। जो पूर्णतया अनियमित है। निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करते समय उसमें साइन बोर्ड व फोटोग्राफ का आकलन तैयार किया जाता है। अतः अलग से साइन बोर्ड आपूर्ति एवं भुगतान दर्शाकर रु0 44972.00 अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार अशोक भदौरिया पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-68** आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु0 4848218.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 193929.00 की वैट कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। जिससे रु0 193929.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 193929.00 की प्रतिपूर्ति तातारीख ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार अशोक भदौरिया से अपेक्षित है।

## **क्षेत्र पंचायत- बढपुरा 2014-15 से 2016-17 तक**

**प्रस्तर-69** वर्ष 2014-15 .में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 306586.00 .की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 13935943.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 की दर से रु0 312165.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 5579.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व श्री धर्मेन्द्र कुमार लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-70** आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रु0 13935943.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 557438.00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। जिससे रु0 557438.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 557438.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व श्री धर्मेन्द्र कुमार लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-71** पंचायती राज अनुभाग-2 पत्रांक संख्या-2/33-2-2014-34 जी/01टी0सी0-11 दिनांक 07 जनवरी 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय का भुगतान क्षेत्र निधि/राज्य वित्त से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से किया जायेगा। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में ब्लाक प्रमुख को रु0 14000.00 तेरहवें वित्त से किया गया। स्पष्ट है कि ब्लाक प्रमुख को अनियमित रूप से तेरहवें वित्त से मानदेय का भुगतान कर अनुदान का दुरुविनियोग किया गया। उक्त प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-72** राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2014-15 में दिनांक 05.01.2015 सैफई आयोजन पर व्यय रु0 11800.00 दर्शाया गया। उक्त भुगतान से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रही। उक्त गोष्ठी किस प्रयोजन से आयोजित की गयी इसकी जानकारी अज्ञात रही। गोष्ठी के नाम पर व्यय की गयी धनराशि रु0 11800.00 व्यय किये जाना अनुदान का दुरुपयोग है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-73** आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु0 5343657.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 213746.00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। जिससे रु0 213746.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 213746.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व श्री धर्मेन्द्र कुमार लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-74** आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय रु0 8048975.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 321959.00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु0 297778.00 कटौती की गई है। जिससे रु0 24181.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 24181.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व श्री धर्मेन्द्र कुमार लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-75** अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 135624.17 दर्शायी जा रही है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार सरकार द्वारा अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित होगा, तो वह ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी। और उसे राजकीय कोषागार में जमा करना होगा। अतः 31/03/2017 को क्षेत्र पंचायत के पास ब्याज के रूप में शेष धनराशि रु0 135624.17 को राजकीय कोषागार में जमा कराने हेतु लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

## **क्षेत्र पंचायत महेवा वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 76.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में आंगनवाडी केन्द्र मद के अंतर्गत रु० 977780.00 व्यय किया गया । जिसकी पुष्टि में कोई बिल/वाउचर /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता कीगयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शरद चन्द्र तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 77.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में मनरेगा मद के अंतर्गत रु० 4333741.00 व्यय किया गया । जिसकी पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता कीगयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शरद चन्द्र तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 78.** आलोच्य वर्ष 2019-20 में सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु फार्मी/ठेकेदारों को भुगतान (सामग्री) रु०4867000 व्यय किया गया । जिस पर रु०4 % की दर से रु० 194680.00 की व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शरद चन्द्र तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 79. आलोच्य वर्ष 2019-20 में सभी योजनाओं पर ठेकेदारों को भुगतान रु० 4867000.00 + लेबर 318126.00 = 5185126.00 का लेबर सेस रु० 1 प्रतिशत की दर से रु० 5.00 की लेबर सेस कटौती की जानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शरद चन्द्र तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

## क्षेत्र पंचायत ताखा वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर 80- कर्मकार कल्याण उपकार (लेबर सेस) की कटौती न किये जाना:-

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वालों कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 04 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार या उपठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग के लेखा शीर्ष में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 में राज्य वित्त, 13 वां वित्त सांसद निधि विधायक निधि एवं आँगनबाँड़ी केन्द्रों के निर्माण पर वर्ष 2014-15 में रु० 4480104.00 वर्ष 2015-16 में रु० 10354721.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु० 1773079.00 कुल धनराशि रु० 16607904.00 व्यय किया गया है। जिस पर 1 प्रतिशत की दर से रु० 166079.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार लेखानुसार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना आवश्यक है।

| क्र.सं. | वर्ष    | व्यय धनराशि | अवधारित लेबर सेस कर | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम एवं पद नाम                                                                                 | सन्निहित धनराशि                             |
|---------|---------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01      | 2014-15 | 4480104.00  | 44801.00            | 1. श्री लाल सिंह-लेखाकार<br>2. पी.एन. श्रीवास्तव-बी.डी.ओ.<br>3. रवीश कुमार-बी.डी.ओ.<br>4. ग्याप्रसाद कौशिक-बी.डी.ओ. | 22401.00<br>11200.00<br>7467.00<br>3733.00  |
| 02      | 2015-16 | 10354721.00 | 103547.00           | 1. श्री लाल सिंह-लेखाकार<br>2. ग्याप्रसाद कौशिक-बी.डी.ओ.<br>3. विजय चैरसिया-बी.डी.ओ.<br>4. लोकाश मिश्रा-बी.डी.ओ.    | 51774.00<br>6472.00<br>32358.00<br>12943.00 |
| 03      | 2016-17 | 1773079.00  | 17731.00            | 1. श्री लाल सिंह-लेखाकार<br>2. लोकाश मिश्रा-बी.डी.ओ.<br>3. अनवर शेख-बी.डी.ओ.                                        | 8865.00<br>2217.00<br>6649.00               |
|         | योग-    | 16607904.00 | 166079.00           |                                                                                                                     | 166079.00                                   |

## संस्थाक्षेत्र पंचायत सैफई - वर्ष 2019-20 जनपद इटावा -

प्रस्तर 81- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के परिपत्र सं०- 7399/एम०टी०/सामान्य वर्ग/60एम०टी०/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु 1) के अनुसार निर्माण कार्य का प्रारम्भ के आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डाइग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डाइग्राम संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि इस्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है।

(1) ग्राम चौबेपुर में रामबेस के घर से राम बिहारी के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

क शासनादेश संख्या .1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य करना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सकें। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत चौबेपुर के अन्तर्गत कराया गया। जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा। उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति का ठेका मेसर्स राज बिल्डर्स, गुलेपुर, परासना को दिया गया था।

1-आपूर्ति की गयी सीमेन्ट का विवरण -

| आमद की तिथि | मात्रा | दर | धनराशि |
|-------------|--------|----|--------|
|-------------|--------|----|--------|

|                          |          |            |               |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 450zबोरी | 285.00 रु0 | 128250.00 रु0 |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 52 बोरी  | 285.00 रु0 | 14820.00 रु0  |
| <b>योग</b>               | 502 बोरी |            | 143070.00 रु0 |

2. आपूर्ति की गयी कोर्स सैंड का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा       | दर          | धनराशि        |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 40-03 घनमीटर | 2400.00 रु0 | 96072.00 रु0  |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 4-20 घनमीटर  | 2400.00 रु0 | 10104.00 रु0  |
| <b>योग</b>               | 44-23 घनमीटर |             | 106176.00 रु0 |

3- आपूर्ति की गयी ईट क्रय का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा                     | दर        | धनराशि        |
|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 11000 एम-150 क्लासिक ब्रिक | 5610/1000 | 61710.00 रु0  |
| एसएन-<br>11/18.02.2019   | 14500 एम-150 क्लासिक ब्रिक | 5610/1000 | 81345.00 रु0  |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 5868 एम-150 क्लासिक ब्रिक  | 5610/1000 | 32919.48 रु0  |
| <b>योग</b>               | 31368 एम-150 क्लासिक ब्रिक |           | 175974.48 रु0 |

4- आपूर्ति की गयी पत्थर, गिट्टी (20मिमी) क्रय का विवरण -

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा       | दर          | धनराशि        |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 42 घनमीटर    | 2979.00 रु0 | 125118.00 रु0 |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 7.65 घनमीटर  | 2979.00 रु0 | 22789.35 रु0  |
| <b>योग</b>               | 49.65 घनमीटर |             | 147907.35 रु0 |

5 आपूर्ति की गयी पत्थर] गिट्टी )22.4 मिमी- 53 मिमी-क्रय का विवरण (

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा       | दर          | धनराशि       |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 19.95 घनमीटर | 2533.00 रु0 | 50533.35 रु0 |
| एसएन-<br>11/18.02.2019   | 7.32 घनमीटर  | 2533.00 रु0 | 18541.56 रु0 |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 2.92 घनमीटर  | 2533.00 रु0 | 7396.36 रु0  |
| <b>योग</b>               | 30.19 घनमीटर |             | 76471.27 रु0 |

6 आपूर्ति की गयी पत्थर, गिट्टी (9.5 मिमी-3.6 मिमी) क्रय का विवरण

| आपूर्ति की तिथि       | मात्रा      | दर          | धनराशि       |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019 | 7.98 घनमीटर | 2654.00 रु0 | 21178.92 रु0 |

|                          |              |             |              |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>11/18.02.2019   | 2.93 घनमीटर  | 2654.00 रु0 | 7776.22 रु0  |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 1.17 घनमीटर  | 2654.00 रु0 | 3105.18 रु0  |
| <b>योग</b>               | 12.08 घनमीटर |             | 32060.32 रु0 |

7. आपूर्ति की गयी स्टोन डस्ट ( 0.36 मिमी बिलॉ स्टोनडस्ट )- क्रय का विवरण

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा       | दर          | धनराशि       |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 11.97 घनमीटर | 2247.00 रु0 | 26896.59 रु0 |
| एसएन-<br>11/18.02.2019   | 4.39 घनमीटर  | 2247.00 रु0 | 9864.33 रु0  |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 1.75 घनमीटर  | 2247.00 रु0 | 3932.25 रु0  |
| <b>योग</b>               | 18.11 घनमीटर |             | 40693.17 रु0 |

8. आपूर्ति की गयी पालीथीन का विवरण -125 माइक्रोन पालीथीन

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा     | दर        | धनराशि      |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| एसएन-<br>8/08.02.2019    | 300 घनमीटर | 12.50 रु0 | 3750.00 रु0 |
| एसएन-<br>11/18.02.2019   | 200 घनमीटर | 12.50 रु0 | 2500.00 रु0 |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 79 घनमीटर  | 12.50 रु0 | 987.50 रु0  |
| <b>योग</b>               | 579 घनमीटर |           | 7237.50 रु0 |

9. मिट्टी की आपूर्ति का विवरण - (सॉइल कार्ट्रिज)

| आपूर्ति की तिथि      | मात्रा     | दर         | धनराशि       |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| एसएन-<br>8/08.2.2019 | 300 घनमीटर | 168.00 रु0 | 50400.00 रु0 |
| <b>योग</b>           | 300 घनमीटर |            | 50400.00 रु0 |

10. साइन बोर्ड की आपूर्ति का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि        | मात्रा | दर          | धनराशि      |
|------------------------|--------|-------------|-------------|
| एसएन-<br>14/18.08.2019 | 1      | 5000.00 रु0 | 5000.00 रु0 |
| <b>योग</b>             | 1      |             | 5000.00 रु0 |

11. जल आपूर्ति का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि          | मात्रा       | दर           | धनराशि       |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| एसएन-<br>11/18.08.2019   | 1.070 घनमीटर | 11300.00 रु0 | 11300.00 रु0 |
| इनवायस-<br>14/18.08.2019 | 1.00 घनमीटर  | 2000.00 रु0  | 2000.00 रु0  |
| <b>योग</b>               | 2.070 घनमीटर |              | 13300.00 रु0 |



ग सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फर्मों के वैध रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री की आपूर्ति संस्था को ही की गयी है।

घ उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती /माप नहीं की गयी और न ही सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज ही किया गया।

ड प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 5.8.2002 एवं शासनदेश सं० 3385/86-2015-292 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों (गिट्टी,साधारण बालू,मोरंग,इमारती पत्थर,मिट्टी आदि)की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। साथ ही रॉयल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाये तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी के भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी है उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाये। उक्त शासनादेश के बिंदु (3) में की गयी व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा खनिज की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)के करने के फलस्वरूप रॉयल्टी का 5 गुना आपूर्तिकर्ता के बिलों से कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा कराया गया। उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)में की गयी है। अतः इन उपखनिजों पर निम्नवत रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क कटौती की जानी चाहिये थी।

| क्रमांक | उपखनिज का नाम             | मात्रा (घनमीटर) | रॉयल्टी की दर (घनमीटर) | रॉयल्टी की धनराशि | दण्डात्मक शुल्क की धनराशि |
|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1       | कोर्स सैंड                | 44.23 घनमीटर    | 33.00 रु०              | 1459.59 रु०       | 7297.95 रु०               |
| 2       | स्टोन ग्रेड (20मिमी)      | 49.65 घनमीटर    | 150.00 रु०             | 7447.50 रु०       | 37237.50 रु०              |
| 3       | स्टोन ग्रेड (22.4-53मिमी) | 30.19 घनमीटर    | 150.00 रु०             | 4528.50 रु०       | 22642.50 रु०              |
| 4       | स्टोन डस्ट                | 18.11 घनमीटर    | 160.00 रु०             | 2897.60 रु०       | 14488.00 रु०              |
|         | <b>योग</b>                |                 |                        | 16333.19 रु०      | 81665.95 रु०              |

किन्तु सम्बन्धित जिलों का भुगतान करते समय उक्त रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। जबकि शासनादेश की भावना के अनुसार भुगतान कर्ता अधिकारी द्वारा उक्त रॉयल्टी की कटौती कर ही शेष भुगतान किया जाना चाहिये था। उक्त रॉयल्टी रु० 16333.19 एवं उस पर दण्डात्मक शुल्क रु० 81665.95 वसूल न करने के लिये तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अतः उनसे रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कुल धनराशि रु० 97999.14 वसूल कर लेखा शीर्ष " 0853"-अवैध खनन एवं धातु कार्य उद्योग -102 खनिज रियायत शुल्क किराया एवं स्वायत्त शुल्क जमा कराया जाना चाहिये। कार्यादेश पत्रांक -1336/लेखाकारसांसद / निधि2018-19 दिनांक 17.12.2018 कार्य को तीन माह में पूर्ण करना है। जबकि कार्य पूर्ण हुआ है 06.09.2019 कार्य विलम्ब से पूर्ण होने के बाद भी क्षेत्र पंचायत द्वारा विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया है और न तो पत्रावली में समय वृद्धि का कोई पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया। काल्पनिक खरीद प्रमाणकों एवं काल्पनिक मस्टररोलों के आधार पर भुगतान दर्शाकर रु० 893078.00 (सामग्रीरु -0 790308.00 व श्रमांशरु -0 102770.00) राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु० 893078.00 तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम प्रसाद यादव सहायक विकास अधिकारी एवं एम0बी0) परिमाण पुस्तिका बनाने वाले अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 82-** ग्राम विहारी भटपुरा में मथुरा प्रसाद की दुकान से पंचायत धर तक सी०सी०रोड एवं नाली निर्माण कार्य लम्बाई 407 मी०तथा 3.10 मी०चौड़ाई सांसद निधि से रु 1568255.00 व्यय कर कराया जाना दर्शाया गया है। इस निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियां हैं।

- 1.निर्माण कार्यस्थल का विस्तृत नजरी नक्शा पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 2.उक्त कार्य स्थल पर विगत पांच वर्षों में जनपद की किसी अन्य निर्माण कार्य इकाई द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया, इसका प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3.निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बिहारी भटपुरा के अन्दर कराया जाना दर्शित है किन्तु इस निर्माण कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र ही जारी किया गया है।-
- 4.कार्य स्थल की कार्य के प्रारम्भ, मध्य व समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 5.निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज संपदा (ईट,रोडी,मोरंग,बालू,सीमेंट) की आपूर्ति की पुष्टि में में संदर्भित फार्मों के सामग्री निकासी चालान व -प्रपत्रइ.एम.एम-11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 6.उक्त निर्माण कार्य में श्री विक्रान्त सिंह (अवर अभियन्ता) को कार्य प्रभारी बनाया गया है तथा उक्त कार्य की एम बी/परिमाण पुस्तिका भी श्री विक्रान्त सिंह के द्वारा बनाया गया है जबकि शासनादेश के अनुसार अगर अवर अभियन्ता को कार्य प्रभारी बनाया जाता है तो उक्त कार्य की एम बी/ परिमाण पुस्तिका उससे बड़े अधिकारी के द्वारा बनाया जाना चाहिए जबकि इस नियम का परिपालन नहीं किया गया है।
7. उक्त सी०सी० रोड का कोर टेस्ट नहीं कराया गया है जो कि कोर टेस्ट कराना अपेक्षित था। जिससे ज्ञात हो सके की मानक के अनुरूप कार्य किया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया अथवा किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा करायें गये कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया दर्शाकर सांसद निधि के अनुदान रु0 1568255.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की राशि रु0 1568255.00 कार्य प्रभारी श्री विक्रान्त सिंह से ब्याज सहित जमा कराया (अवर अभियन्ता) जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 83-** ग्राम नगला केहरी में मुख्य सड़क से श्री रामनाथ के धर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाना है कार्य की लम्बाई 300मी0 तथा चौड़ाई 3.45मी0 है उक्त कार्य की स्वीकृत स्टीमेट जिसकी लागत रु 1312802.00 तैयार कर स्वीकृत प्राप्त की गयी है उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. निर्माण कार्यस्थल का विस्तृत नजरी नक्शा पत्रावली में संलग्न नहीं है।
  2. उक्त कार्य स्थल पर विगत पांच वर्षों में जनपद की किसी अन्य निर्माण कार्य इकाई द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया, इसका प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
  3. निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नगला केहरी में कराया जाना दर्शित है किन्तु इस निर्माण कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र ही जारी किया गया है।-
  4. कार्य स्थल की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में-संलग्न नहीं है।
  5. निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज संपदा (मिट्टी, ईंट, रोडी, मोरग, बालू, सीमेंट) की आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फार्मों के सामग्री निकासी चालान व प्रपत्र- इ.एम.एम-11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।
  6. उक्त कार्य की कार्यदेश पत्रांक स01337/लेखाकार/सांसद /निधि 2018-19 दिनांक 17.12.2018, श्री विक्रान्त सिंह अवर ) अभियन्ता) को कार्य प्रभारी बनाया गया है तथा उक्त कार्य की एम बी/ परिमाण पुस्तिका भी श्री विक्रान्त सिंह के द्वारा बनाया गया है। जबकि उक्त कार्य की एम0बी0 किसी दुसरे अधिकारी के द्वारा बनाया जाना चाहिए था अर्थात उक्त कार्य की स्वम कार्य प्रभारी द्वारा बनाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है।
  7. शासनादेश स01838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सके किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नगला केहरी के अंतर्गत कराया गया है, जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा ।
  8. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती /माप नहीं की गई और न ही सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज ही किया गया।
  9. प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक 389/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05.08.2002 एवं शासनादेश स03385/86-2015-292- दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मोरग, इमारती पत्थर, मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अविवाहन प्रपत्र (इ.एम.एम-11 ) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है साथ ही रॉयल्टी का भुगतान ट्रेजरी चालान या इ.एम.एम-11 की प्राप्ति रसीद पत्रावली में रखा जाय तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी के भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी है उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाय।
- उक्त शासनादेश के बिंदु(3) में की गई व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा उपखनिज की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र (इ.एम. एम.-11) के करने के फलस्वरूप रॉयल्टी का 5 गुना आपूर्तिकर्ता के बिलों से कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय।
10. सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फार्मों के वैध रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री की आपूर्ति संस्था को ही की गई है।
  11. पत्रावली में सी0सी0रोड निर्माण की कोर टेस्टिंग नहीं कराया गया है जिससे यह ज्ञात न हो सका कि सी0सी0 रोड मानक के अनुरूप बना है कि नहीं।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया अथवा किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा करायें गये कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया दर्शाकर सांसद निधि के अनुदान रु0 1298721.00 का अपहरण किया गया है।

अतः काल्पनिक निर्माण कार्य में व्यय की गयी धनराशि रु0 1298721.00 , तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री विक्रान्त सिंह से ब्याज सहित जमा कराया (अवर अभियन्ता) जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 84-** ग्राम पंचायत झिगूपुर में शौकीन के धर से बम्बा की पुलिया वाया शिवराम सिंह के धर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य की लम्बाई 306मी0 तथा चौड़ाई 4.00 मी0 सांसद निधि से रु1432064.00 व्यय कर कराया जाना दर्शाया गया है इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. निर्माण कार्यस्थल का विस्तृत नजरी नक्शा पत्रावली में संलग्न नहीं है।
2. उक्त कार्य स्थल पर विगत पांच वर्षों में जनपद की किसी अन्य निर्माण कार्य इकाई द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया, इसका प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3.निर्माण कार्य ग्राम पंचायत झिगपुर के अन्दर कराया जाना दर्शित है किन्तु इस निर्माण कार्य का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र ही जारी किया गया है।-

4.कार्य स्थल की कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में-संलग्न नहीं है।

5.कार्यादेश पत्रांक स0-1455/लेखाकार/सांसद निधि/2018-19 दिनांक 14.01.2019,कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,सैफई द्वारा कार्य पूर्ण करने की समय 3 माह दिया गया है। कार्य प्रारंभ दिनांक 28.03.2019 को हुआ है अर्थात उक्त कार्य 11 माह 18 दिन विलम्ब से पूर्ण किया गया है। पत्रावली में समय वृद्धि की कोई पत्र संलग्न नहीं है।

6. सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फर्मों के वैध रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री की आपूर्ति संस्था को ही की गई है।

7. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती /माप नहीं की गई और न ही सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज ही किया गया।

8..शासनादेश स01838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सके किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत झिगपुर के अंतर्गत कराया गया है, जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा ।

9.निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज सम्पदा ( गिट्टी ,साधारण बालू, मौरग ,इमारती पत्थर, मिट्टी सीमेंट आदि) की आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फार्मों के सामग्री निकासी चालान व प्रपत्र- इ.एम.एम-11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया अथवा किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा करायें गये कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया दर्शाकर सांसद निधि के अनुदान रु 1432064.00 का अपहरण किया गया है।

अतः काल्पनिक निर्माण कार्य में व्यय की गयी धनराशि रु 1432064.00 ,तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री राम प्रसाद यादव स0वि0आ0 से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 85- रनवीर सिंह स्मृति विद्यापीठ बधुइया सैफई में थवन निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी।**

1.कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र सख्या-7399/एम1 /समान्य वर्ग/60एम1/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु1) के अनुसार निर्माण कार्य का प्रारंभ के आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की ,कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है।

उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति का आदेश मेसर्स के0 वी0 कान्सट्रक्शन रनवीर नगर, इटावा को दिया गया है जिनके द्वारा संस्था के सामग्री आपूर्ति की गयी है एवं आपूर्ति सामग्री के बिल दिनांक 30.05.2019 को रु133183.66 एवं दिनांक 16.10.2019, रु 85072.00 भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं एवं संस्था द्वारा इनका भुगतान भी किया गया है इन व्ययों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

2.सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट न हो सका कि बिलों में दर्शित सामग्री की आपूर्ति कितनी मात्रा में किन किन तिथियों में की गयी है।-

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत नियमावली के अनुसार कार्यप्रभारीअवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति तक / निर्माणसामग्री का तिथिवार लेखा तैयार किया जायेगा किन्तु उक्त निर्माण कार्य मे आपूर्ति तक सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं बनाया गया है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली के अनुसार कार्य की माप करने वाले अभियन्ताअवर अभियन्ता / द्वारा कार्य स्थलपर सामग्री की तिथि को उपस्थित होकर सामग्री की माप की जायेगी एवं उसको परिमाण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा किन्तु उक्त निर्माण कार्य मे ऐसा नहीं किया गया है।

5.आपूर्ति सामग्री से निर्माण कार्य करायें जाने वाले मस्टररोल( एमआर ) क्रमशः 30.05.2019 से 19.06.2019 एवं 20.09.2019 से 14.10.2019 तक है इस प्रकार निर्माण कार्य बीच में लगभग चार माह बाधित रहा जिसका कोई कारण पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सका।

6.उक्त निर्माण कार्य में दिनांक 30.05.2019 से 19.06.2019 एवं दिनांक 20.09.2019 से 14.10.2019 तक लगातार उन्ही श्रमिकों को कार्यरत दर्शाया गया है, जो श्रमिक नियमावली के विपरीत रहा नियमानुसार श्रमिकों को सप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए था।

7.पत्रावली में उक्त निर्माण कार्य के प्रारम्भ व मध्य की एवं कार्य पूर्ण होने की फोटो संलग्न नहीं है जिससे निर्माण कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

8. सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फर्मों के वैध रवन्ना (इ.एम.एम-11) पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री की आपूर्ति संस्था को ही की गई है।

9.मेसर्स के0वी0 कान्सट्रक्शन रनवीर, द्वारा सामग्री आपूर्ति का अन्तिम बिल बुक न0 1/11 दिनांक 16.10.2019 को रु85072.00 ) प्राप्त किया गया है। जबकि निर्माण कार्य दिनांक 14.10.2019 को ही पूर्ण हो चुका था।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति लेने में घोर अनियमितता की गयी है जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री विक्रान्त सिंह (अवर अभियन्ता)उत्तरदायी है।

अतः अपहरण की कुल धनराशि रु0 269426.00 कार्यप्रभारी श्री विक्रांत सिंह से ब्याज सहित जमा कराया (अवर अभियन्ता) जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 86-** नगला किशोरी पिडारी में बरात धर निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. उक्त कार्य स्थल पर विगत पांच वर्षों में जनपद की किसी अन्य निर्माण कार्य इकाई द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया, इसका प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
2. कार्य स्थल की कार्य के प्रारम्भ, मध्य व समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं हैं।
3. कार्य स्थल की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
4. शासनादेश स01838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सके किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नगला किशोरी पिडारी के अंतर्गत कराया गया है, जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा।
5. उक्त निर्माण कार्य हेतु समग्री की आपूर्ति का ठेका श्री रविन्द्र सिंह यादव विल्डिंग मैटीरियल को दिया गया है। जिनके द्वारा निम्न विवरणके अनुसार सामग्री आपूर्ति दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

1-क-आपूर्ति की गयी सीमेन्ट का विवरण .

| आमद की तिथि            | मात्रा   | दर         | धनराशि       |
|------------------------|----------|------------|--------------|
| एसएन-<br>85/01.08.2015 | 150 बोरी | 311.00 रु0 | 46650.00 रु0 |
| 2/86/01.12.2016        | 102 बोरी | 311.00 रु0 | 31722.00 रु0 |
| ;ksx                   | 252 बोरी |            | 78372.00 रु0 |

2-आपूर्ति की गयी कोर्स सैण्ड का विवरण -

| आपूर्ति की तिथि        | मात्रा                          | दर          | धनराशि       |
|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>85/01.08.2015 | 5.95 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 1347.00 रु0 | 8014.65 रु0  |
| 2/86/01.12.2016        | 4.04 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 1347.00 रु0 | 5441.88 रु0  |
| <b>योग</b>             | 9.99 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> |             | 13456.53 रु0 |

3. आपूर्ति की गयी फाईन सैण्ड का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि        | मात्रा                           | दर          | धनराशि       |
|------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>85/01.08.2015 | 12.75 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 1098.00 रु0 | 13999.00 रु0 |
| 2/86/01.12.2016        | 8.16 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup>  | 1098.00 रु0 | 8959.00 रु0  |
| <b>योग</b>             | 20.91 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> |             | 22958.00 रु0 |

4. आपूर्ति की गयी पत्थर, गिट्टी 20 मिमी क्रय का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि        | मात्रा       | दर          | धनराशि       |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>85/01.08.2015 | 10.00 घनमीटर | 2450.00 रु0 | 24500.00 रु0 |
| 2/86/01.12.2016        | 6.88 घनमीटर  | 2450.00 रु0 | 16856.00 रु0 |
| <b>योग</b>             | 16.88 घनमीटर |             | 41356.00 रु0 |

5. आपूर्ति की गयी ईट, गिट्टी 40 मिमी-क्रय का विवरण

| आपूर्ति की तिथि | मात्रा       | दर         | धनराशि       |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 1/33/02.08.2015 | 10.00 घनमीटर | 998.00 रु0 | 9980.00 रु0  |
| 1/77/01.12.2016 | 6.00 घनमीटर  | 998.00 रु0 | 5988.00 रु0  |
| <b>;ksx</b>     | 16.00 घनमीटर |            | 15968.00 रु0 |

6. आपूर्ति की गयी ईट क्रय का विवरण-

| आपूर्ति की तिथि | मात्रा                     | दर        | धनराशि        |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1/33/02.08.2015 | 10000 एम-150 क्लासिक ब्रिक | 6798/1000 | 67980.00 रु0  |
| 1/77/01.12.2016 | 7000 एम-150 क्लासिक ब्रिक  | 6798/1000 | 47586.00 रु0  |
| <b>योग</b>      | 17000 एम-150 क्लासिक ब्रिक |           | 115566.00 रु0 |

## 7. आपूर्ति की गयी सरिया क्रय का विवरण-

| आपूर्तिकी तिथि         | मात्रा       | दर          | धनराशि       |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| एसएन-<br>85/01.08.2015 | 3 कुन्तल     | 4795.00 रु0 | 14528.00 रु0 |
| 2/86/01.12.2016        | 11.63 कुन्तल | 4795.00 रु0 | 55765.00 रु0 |
| <b>योग</b>             | 14.63 कुन्तल |             | 70293.00 रु0 |

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य मास्टररोल क्रमांक.30, दिनांक 10.10.2015 से आरम्भ 28.10.2015 तक एवम् दुसरा मास्टररोल क्रमांक 24 में कार्य शुरू 27.08.2018 से 29.09.2018 को कार्य पूर्णरूप से समाप्त किया गया है।

उक्त निर्माण कार्य में सामग्री की प्रथम आमद 85/01/08/2015 द्वितीय आमद 33/02/08/2015, तृतीय आमद बुक न.02/86 दिनांक 01.12.2016 एवम् चतुर्थ आमद 1/77 दिनांक 01.12.2016 पांचवा आमद अन्या ट्रेडर्स 14/10.09.2018 एवं छठवाँ आमद 53/02.08.2018 को प्राप्त हुआ है। चुकी मास्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 10.10.2015 से 28.10.2015 एवम् 27.08.2018 से 29.09.2018 को हुआ है। पत्रावली के अनुसार बिल न0 2/86, दिनांक 01/12/2016 को 102 बोरी सीमेन्ट प्राप्त किया गया है चुकी कार्य 28.10.2015 से ही बन्द है। कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ है दिनांक 27.08.2018 को , पत्रावली मास्टररोल के अनुसार दिनांक 27.08.2018 से 29.09.2018 को कार्य पूर्ण किया गया है।

उक्त पत्रावली से स्पष्ट है कि तृतीय आमद प्राप्त होने के बाद 21 महीने के बाद काम कराया गया है। 90 दिनों की अवधि के बाद सीमेन्ट पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो जाती है अर्थात् निर्माण कार्य में निष्प्रयोज्य सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है।

6.30 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती माप नहीं की गयी और न ही/सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया।

7. प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3891/77.-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05.08.2002 एवं शासनादेश स03385/86-2015-292 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजो ( गिट्टी ,साधारण बालू, मौरग, इमारती पत्थर, मिट्टी आदि ) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। रॉयल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखे जाये तथा जिन मामलो में बिना रॉयल्टी के भुगतान किये उपखनिजो की आपूर्ति हो गयी है तो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाये। उक्त शासनादेशो के बिंदु(3) में की गई व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा उपखनिज की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11) करने के फलस्वरूप रॉयल्टी का 5 गुना आपूर्तिकर्ता के बिलों से कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजो की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11) में की गयी है अतः इन उपखनिजों पर निम्नवत रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कटौती की जानी चाहिए थी।

| क0स0 | उपखनिजा की नाम | उपखनिजा की मात्रा | रॉयल्टी की दर | रॉयल्टी की धनराशि | दण्डात्मक शुल्क की धनराशि |
|------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | कोर्स सैंड     | 9.99 घनमीटर       | 33/-          | 329.67 रु0        | 1648.35 रु0               |
| 2    | फाईन सैंड      | 20.91 घनमीटर      | 33/-          | 690.03 रु0        | 3450.15 रु0               |
| 3    | पत्थर गिट्टी   | 16.88 घनमीटर      | 150/-         | 2532.00 रु0       | 12660.00 रु0              |
|      | <b>योग</b>     |                   |               | 3551.70 रु0       | 17758.50 रु0              |

किन्तु सम्बन्धित बिलों का भुगतान करते समय उक्त रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है जबकि शासनादेश की भावना के अनुसार भुगतान कर्ता अधिकारी द्वारा उक्त रॉयल्टी की कटौती कर शेष भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त रॉयल्टी रु 3551.70 एवं उस पर दण्डात्मक शुल्क 17758.50 रु वसूल न करने के लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

अतः उनसे रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कुल धनराशि 21310.20 रु वसूल कर लेखाशीर्ष में "0853" अवैध खनन एवं धातु कार्य उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया एवं स्वत्व शुल्क जमा कराया जाना चाहिए।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया, अथवा किसी अन्य कार्यदायी सस्थ द्वारा कराये गए कार्य क्षेत्र को पंचायत द्वारा कराया गया दर्शाकर अनुदान रु0 522986.00 (सामग्री -432163.00 व श्रमांश रु 90823.00) अपहरण किया गया अर्थात् काल्पनिक खरीद प्रमाणको एवं काल्पनिक मास्टर रोलो के आधार पर भुगतान दर्शाकर कुल धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रु0 522986.00 तत्कालीन कार्य प्राभारी श्री विक्रान्त सिंह (अवर अभियन्ता) उत्तरदायी है जिनसे वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 87- अड्डा कछपुरा कथुआ में बारात धर निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ हैं।**

1. कार्यलय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र सख्या-7399/ एमT /समान्य वर्ग/ 60 एमT/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु)1) के अनुसार निर्माण कार्य का प्रारंभ के आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर

कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की ,कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम संलग्न नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है।

2.शासनादेश स01838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सके किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नगला किशोरी पिडारी के अंतर्गत कराया गया है, जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा है।

3.उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति का ठेका जयगुरुदेव ट्रेडर्स नगला बाबा,कुड़या, इटावा, को दिया गया है जिनके द्वारा निम्न विवरणके अनुसार सामग्री आपूर्ति दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

क. आपूर्ति की गयी सीमे नट का विवरण -

| आमद की तिथि    | मात्रा   | दर         | धनराशि       |
|----------------|----------|------------|--------------|
| 203/10.04.2017 | 200 बोरी | 293.00 रु0 | 58600.00 रु0 |
| 175/13.08.2018 | 40 बोरी  | 293.00 रु0 | 11720.00 रु0 |
|                | 13 बोरी  | 293.00 रु0 | 3809.00 रु0  |
| <b>योग</b>     | 253 बोरी |            | 74129.00 रु0 |

ख आपूर्ति की गयी .कोर्स -सैण्ड का विवरण

| आमद की तिथि    | मात्रा                        | दर          | धनराशि       |
|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 203/10.04.2017 | 6.02 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> | 1398.00 रु0 | 8415.96 रु0  |
| 175/13.08.2018 | 2.50 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> | 1398.00 रु0 | 3495.00 रु0  |
|                | 0.33 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> | 1398.00 रु0 | 461.34 रु0   |
| <b>योग</b>     | 8.85 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> |             | 12372.34 रु0 |

ग . आपूर्ति की गयी फाईन सैण्ड का विवरण -

| आमदकी तिथि     | मात्रा                         | दर          | धनराशि       |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 203/10.04.2017 | 15.00 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> | 1099.00 रु0 | 16485.00 रु0 |
| 175/13.08.2018 | 4.06 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>  | 1099.00 रु0 | 4461.94 रु0  |
|                | 4.21 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>  | 1099.00 रु0 | 4626.79 रु0  |
| <b>योग</b>     | 23.27 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> |             | 25573.94 रु0 |

घ. आपूर्ति की गयी पत्थर, गिट्टी (20मिमी) क्रय का विवरण -

| आमद की तिथि    | मात्रा                         | दर          | धनराशि       |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 203/10.04.2017 | 12.00घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>  | 2418.00 रु0 | 29016.00 रु0 |
| 175/13.08.2018 | 5.00घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>   | 2418.00 रु0 | 12090.00 रु0 |
|                | 0.35घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>   | 2418.00 रु0 | 846.30 रु0   |
| <b>योग</b>     | 17.35 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> |             | 41952.30 रु0 |

ङ आपूर्ति की गयी ईट, गिट्टी (40 मिमी) क्रय का विवरण -

| आमद की तिथि    | मात्रा                        | दर          | धनराशि       |
|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 01/12-04-2017  | 6.84 घनमीटर <sup>(घनमी)</sup> | 1048.00 रु0 | 7168.32 रु0  |
| 175/13-08-2018 | 2.50घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>  | 1048.00 रु0 | 2620.00 रु0  |
|                | 0.21घनमीटर <sup>(घनमी)</sup>  | 1048.00 रु0 | 220.08 रु0   |
| <b>योग</b>     |                               |             | 10008.04 रु0 |

च-आपूर्ति की गयी ईट क्रय का विवरण.

| आपूर्ति की तिथि | मात्रा                     | दर        | धनराशि        |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 01/12-04-2017   | 16000 एम-150 क्लासिक ब्रिक | 7138/1000 | 114208.00 रु0 |
| 175/13-08-2018  | 2100 एम-150 क्लासिक ब्रिक  | 7138/1000 | 14989.80 रु0  |
|                 | 65 एम-150 क्लासिक ब्रिक    |           | 463.97 रु0    |
| <b>योग</b>      | 18165 क्लासिक ब्रिक        |           | 129661.77 रु0 |

छ-आपूर्ति की गयी सरिया क्रय का विवरण.

| आपूर्ति की तिथि | मात्रा | दर | धनराशि |
|-----------------|--------|----|--------|
|-----------------|--------|----|--------|

|                |              |             |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 203/10.04.2017 | 5.60 कुन्तल  | 4798.00 रु0 | 26868.80 रु0 |
| 204/10.04.2017 | 5.60 कुन्तल  | 4798.00 रु0 | 26868.80 रु0 |
| 175/13-08-2018 | 1.00 कुन्तल  |             | 4798.00 रु0  |
| <b>योग</b>     | 12.20 कुन्तल |             | 58535.60 रु0 |

4.सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फार्मों के वैध रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री की आपूर्ति संस्था को ही की गई है।

5. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती माप नहीं की गयी और न ही/सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया।

6..प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3891/77.-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05.08.2002 एवं शासनादेश स03385/86-2015-292 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों ( गिट्टी ,साधारण बालू, मौरग, इमारती पत्थर, मिट्टी आदि ) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)द्वारा खनिज का परिवाहन किया गया है। रॉयल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखे जाये तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी के भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी है तो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाये। उक्त शासनादेशों के बिंदु(3) में की गई व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा उपखनिज की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)करने के फलस्वरूप रॉयल्टी का 5 गुना आपूर्तिकर्ता के बिलों से कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की आपूर्ति बिना वैध अविवाहन प्रपत्र ( इ.एम.एम.-11)में की गयी है अतः इन उपखनिजों पर निम्नवत रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कटौती की जानी चाहिए थी।

| क0स0 | उपखनिजा की नाम         | उपखनिजा की मात्रा               | रॉयल्टी की दर | रॉयल्टी की धनराशि  | दण्डात्मक शुल्क की धनराशि |
|------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | कोर्स सैंड             | 8.85 घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 33/-          | 292.05 रु0         | 1460.25 रु0               |
| 2    | फाईन सैंड              | 23.27घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 33/-          | 767.91 रु0         | 3839.55 रु0               |
| 3    | पत्थर गिट्टी (20 मिमी) | 17.35घनमीटर <sup>(घन मी0)</sup> | 150/-         | 2602.50 रु0        | 13012.50 रु0              |
|      | <b>योग</b>             |                                 |               | <b>3662.46 रु0</b> | <b>18312.30 रु0</b>       |

किन्तु सम्बन्धित बिलों का भुगतान करते समय उक्त रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है जबकि शासनादेश की भावना के अनुसार भुगतान कर्ता अधिकारी द्वारा उक्त रॉयल्टी की कटौती कर शेष भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त रॉयल्टी रु 3662.46 एवं उस पर दण्डात्मक शुल्क 18312.30रु वसूल न करने के लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री राम प्रसाद यादव सहायक विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

अतःउनसे रॉयल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कुल धनराशि 21974.76रु वसूल कर लेखाशीर्ष में "0853" अवैध खनन एवं धातु कार्य उधोग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया एवं स्वत्व शुल्क में जमा कराया जाना चाहिए।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया, काल्पनिक खरीद प्रमाणको एवं काल्पनिक मस्टररोलो के आधार पर भुगतान दर्शाकर रु0 554899.20 (सामग्री -463806.20रु व श्रमाश-91093रुविधायक निधि का अपहरण किया गया ( है । अतः अपहरण कीधनराशिरु 0 554899.20 तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम प्रसाद यादव सहायक विकास अधिकारी एवं तत्कालीन परिमाप पुस्तिका बनाने वाला अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अपहरण की धनराशि 554899.20रु0 उत्तरदायी कर्मचारियों श्री राम प्रसाद यादव सहायक विकास अधिकारी एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 88-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन्द्रा आवास प्रशासनिक मद के अंतर्गत रु 233946.00 ग्रांट रजि0में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है बिना व्यय प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रु0 233946.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली समानरूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 89-** वित्तीय वर्ष 2019-20 आयकर कटौती मद के अंतर्गत रु0 121396.00 एवं एस0जी0एस0टी एवम सी0जी0एस0टी कटौती मद के अंतर्गत रु0 59439.00 एवं रु0 59439.00 व्यय/ जमा के रूप में दर्शित किया गया है पत्रावली में इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ जमा रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गयेबिना प्रमाणक/ जमा रसीद के व्ययधनराशि गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली समानरूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत - राजेपुर**

**वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-1** आलोच्य वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर व्यय ₹0 2265000.00 दर्शित है किंतु तत्संबंधी पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। यह अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-16)

**प्रस्तर-2** आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.03.2020 को जी.एस.टी कटौती शीर्ष में अवशेष ₹0 204305.00 दर्शित है जिसमें से ₹0 135511.00 वर्ष 2019.20 की है तथा शेष ₹0 68794.00 विगत वर्षों की है। अतः धनराशि ₹0 68794.00 अनेक वर्षों के बाद भी वाणिज्य कर विभाग में जमा न कर आर्थिक अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री शिव कुमार एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। जी एस टी की धनराशि पेनाल्टी सहित वाणिज्य कर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-18)

**प्रस्तर-3** चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत ग्राम महमदगंज में प्रभुदयाल पंडित के मकान से बलराम की चौपाल तक मिट्टी खड़जा कार्य संबंधी मस्टर रोल पर कुल 18 व्यक्तियों के सापेक्ष 17 व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान थे। मजदूर शीशराम के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान न होने के बाद भी भुगतान रुपये 3120.00 दर्शित है जो अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रुपये 3120.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-20.2)

**प्रस्तर-4** चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2019.20 में ग्राम हरिहरपुर में बरात घर के पास तालाब से बड़े सिंह की झोपड़ी तक नाला निर्माण संबंधी कार्य के मस्टररोल के सापेक्ष दिनांक 18.11.2019 को चेक संख्या 020327 के द्वारा कार्यप्रभारी को ₹0 67040.00 का भुगतान किया गया परन्तु इस कार्य हेतु लगे 5 मिस्त्रियों व 14 मजदूरों के भुगतान में अनियमितता उजागर हुई। कुछ मिस्त्री/ मजदूर ऐसे थे जिन्होंने एक मस्टररोल पर हस्ताक्षर किया है और दूसरे मास्टररोल पर अंगूठे का निशान लगाया है। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक रूप से कार्य कारया ही नहीं गया और भुगतान की धनराशि ₹0 67040.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रुपये 67040.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-22)

**प्रस्तर-5** चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2019.20 में ग्राम रामपुर जोगराजपुर में फल्लन पाठक के खेत से गौटिया कुबेरपुर संपर्क मार्ग तक मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य संबंधी एस्टीमेट आदेश कार्यालय खंड विकास अधिकारी के पत्रांक 3558 दिनांक 03.09.2019 को स्वीकृत हुआ। निविदा सूचना संबंधी कार्यालय खंड विकास अधिकारी राजेपुर के पत्रांक .3675 दिनांक 17.09.2019 के द्वारा मेसर्स शिवराम कंस्ट्रक्शन महमूदापुर कन्नौज की निविदा स्वीकृत हुई। पत्रावली में संलग्न नियमों व शर्तों के अनुसार कार्य आदेश (आपूर्ति) के अधिकतम 15 दिन के अंदर सामग्री की आपूर्ति की जानी चाहिये अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। परंतु निर्माण कार्य पत्रावली में धरोहर धनराशि (कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) संबंधी बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. की मूल प्रति/छाया प्रति संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं है। अतः बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा खोलना अनियमित है। इस कार्य के सापेक्ष अनुमानित लागत ₹0 2.52 लाख थी अतः धरोहर धनराशि ₹0 5040.00 बनती है। इस प्रकार रुपये 5040.00 की आर्थिक अनियमितता की गई। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-23.2)

**प्रस्तर-6** दिनांक 31.03.2020 को जिला सहकारी बैंक खाता संख्या 5417 में गत वर्षों की भांति ही अवशेष ₹0 67516 दर्शित है किन्तु संबंधित पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-14)

**प्रस्तर-7** दिनांक 31.03.2020 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक संख्या 1998 में गत वर्षों की भांति ही अवशेष ₹0 10987 दर्शित है जिसकी पुष्टि अनुदान रजि० तृतीय से होती है, किन्तु संबंधित पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-15)

**क्षेत्र पंचायत - कायमगंज**

**वर्ष 2019-20**



**प्रस्तर-8** ग्राम पंचायत शिवरई बरियर अलीगंज वाईपास के लिंक रोड से संजीव बाजपेई के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी।

1-संलग्न प्रतिवेदन में उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में क्रमांक पर-स्वीकृत है अंकित है। इस प्रकार प्रतिवेदन में कार्ययोजना के प्रस्ताव का क्रमांक नहीं दर्शाया गया जो आपत्तिजनक है।

2-पत्रावली के साथ “की प्लान” भी संलग्न नहीं है।

3-टाइटल पेज पर अनुमानित कीमत ₹0-6.619 लाख दर्शित है जबकि समरी आफ एस्टीमेटेड कास्ट में ₹0-6.478 लाख है। दोनों ही पृष्ठों पर जे0ई0 राजीव गोयल एवं बी0डी0ओ0 लालजी यादव के हस्ताक्षर हैं। अतः ऐसी स्थिति में अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

4-संलग्न 2018-19 की अनुपूरक कार्ययोजना में क्रमांक 10 पर कार्य का नाम “ग्राम पंचायत शिवरई बरियर अलीगंज वाईपास के लिंक रोड से संजीव कटियार के घर तक” सी0सी0 निर्माण दर्शित है जबकि संलग्न स्टीमेट में कार्य का नाम “ग्राम पंचायत शिवरई बरियर अलीगंज वाईपास के लिंक रोड से संजीव बाजपेई के घर तक” सी0सी0 व नाली निर्माण दर्शित है। सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र (ठेकेदार नरेन्द्र सिंह से किया गया) में भी संजीव बाजपेई ही दर्शित है। उपरोक्त अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

5-जमानत की राशि के विवरण में एफ0डी0 सं0-38508300916 दिनांक 06.06.2019 ₹0-10000.00/42000.00 दर्शित है किन्तु इसकी जो छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है उसमें “प्लेज इन द फेवर आफ खण्ड विकास अधिकारी” दर्शित है। जबकि संलग्न शर्त के क्रमांक 13 में खण्ड विकास अधिकारी कायमगंज के नाम बन्धक रखने की बात कही गयी थी। सम्बन्धित जमानत रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

6-पत्रावली के साथ संलग्न नियम व शर्तों (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी) में क्रमांक02 पर स्पष्ट अंकित है कि निविदादाता का पंजीयन बाणिज्य विभाग में अवश्य होना चाहिए। किन्तु श्री नरेन्द्र सिंह कन्टेन्टर, जिनकी निविदा स्वीकार की गयी है, के निविदा प्रपत्र में बाणिज्य कर पंजीयन संख्या अंकित नहीं है।

7-श्री कपिलदेव त्रिपाठी कार्य प्रभारी द्वारा इनवाइस नं0-18 दिनांक 19.06.2019 पर मै0 नरेन्द्र कन्टेन्टर के) आपूर्ति की गयी सामग्री की पुष्टि में यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि सम्बन्धित सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है किन्तु सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

8-कार्य प्रभारी के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य के प्रारम्भ होने के पूर्व, मध्य एवं पूर्ण होने पर स्थल की फोटो बिल बाउचर्स के साथ कार्यालय में जमा की जायेगी एवं कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र भी कार्य प्रभारी द्वारा दिया जायेगा। किन्तु पत्रावली में मात्र एक ही फोटो संलग्न है एवं उस पर कार्य का नाम भी नहीं दर्शाया गया है। फोटो से यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कार्य के प्रारम्भ, मध्य अथवा बाद की फोटो है।

9-पत्रावली में संलग्न नियम एवं शर्तों अनुसार क्रमांक-16 पर स्पष्ट अंकित है, कि फर्म को पूर्व भुगतान की जी0एस0टी0 जमा कर प्रमाण पत्र देने पर ही अगला भुगतान किया जायेगा। किन्तु दिनांक 21.06.2019 को श्री नरेन्द्र सिंह ठेकेदार को भुगतान किये गये जी0एस0टी0 (₹0-32010.00) को जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र लिये बिना ही अगला भुगतान दिनांक 25.07.2019 को कर दिया गया।

10- संलग्न माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति, कार्य माप की तिथि एवं कार्य प्रभारी के नाम अंकित नहीं किये गये हैं।

11-निविदादाताओं के हैसियत प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

12-निविदादाताओं के आधार नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर, पैन नम्बर की पुष्टि में सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान ₹0-385732.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-01)

**प्रस्तर-9** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 नरेन्द्र सिंह कन्टेन्टर चिलौली कायमगंज को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                   | सामग्री की कीमत जी0एस0टी0 रहित) | जी0एस0टी0 सहित एवं टी0डी0एस0 की कटौती के बाद फर्म का किया गया भुगतान | 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी। | इनवाइस/ दिनांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1        | ग्राम पंचायत शिवरई बरियार में अलीगंज वाईपास के लिंक रोड से संजीव बाजपेई के घर तक सी0सी0 व नाली | 266748.00                       | 292730.00                                                            | 5335.00                                                                   | 18/19.06.2019  | तत्कालीन ख0वि0ओ0 श्री लालजी यादव |
|          |                                                                                                | 84749.00                        | 93002.00                                                             | 1694.00                                                                   | 22/15.07.2019  | तत्कालीन ख0वि0ओ0 श्री            |

|   |                                                                                                                                |           |           |          |               |                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------|
|   | निर्माण                                                                                                                        |           |           |          |               | श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय                             |
| 2 | ग्राम पंचायत सिनौली<br>मजरा चैखडिया में लिंक<br>रोड से भूमिराज यदवीर<br>के प्लाट से देवी स्थान<br>तक सी0सी0 व नाला<br>निर्माण  | 467902.00 | 513476.00 | 9358.00  | 19/19.06.2019 | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>लालजी यादव             |
|   |                                                                                                                                | 221204.00 | 242749.00 | 4424.00  | 24/अंकित नहीं | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय |
| 3 | ग्राम पंचायत सिनौली<br>में मजरा चैखडिया में<br>लिंक रोड से वीरपाल के<br>प्लाट से भूमिराज के<br>प्लाट तक सी0सी0 व<br>नाली कार्य | 515836.00 | 566078.00 | 10317.00 | 17/19.06.2019 | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>लालजी यादव             |
|   |                                                                                                                                | 158565.00 | 174009.00 | 3171.00  | 23/अंकित नहीं | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय |

योग - 34299.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹0-34299.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव एवं श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-02)

**प्रस्तर-10** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 हरेन्द्र सिंह कन्टेक्टर माझगाव कम्पिल को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                       | सामग्री की कीमत (जी0एस0टी0 रहित) | जी0एस0टी0 सहित एवं टी0डी0एस0 की कटौती के बाद फर्म का किया गया भुगतान | 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी। | इनवाइस/ दिनांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1        | ग्राम पंचायत सुभानपुर में कब्रिस्तान से अनवर खाँ के कोल्ड स्टोरेज तक सी0सी0 कार्य                  | 508528.00                        | 558058.00                                                            | 10171.00                                                                  | 29/20.06.2019  | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>लालजी यादव             |
|          |                                                                                                    | 124199.00                        | 136296.00                                                            | 2484.00                                                                   | 30/18.07.2019  | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय |
| 2        | ग्राम पंचायत चिलौली में लिंक रोड सुलाखी की जगह से भूवनेश सक्सेना के प्लाट तक सी0सी0 व नाली निर्माण | 485137.00                        | 532389.00                                                            | 9703.00                                                                   | 27/20.06.2019  | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>लालजी यादव             |
|          |                                                                                                    | 226855.00                        | 248950.00                                                            | 4537.00                                                                   | 35/28.07.2019  | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय |
| 3        | ग्राम पंचायत चिलौली में लिंक रोड से सुधीश के प्लाट से सुधीर बाथम के प्लाट तक सी0सी0 व नाली         | 523301.00                        | 574271.00                                                            | 10467.00                                                                  | 28/20.06.2019  | तत्कालीन<br>ख0वि0अ0 श्री<br>लालजी यादव             |
|          |                                                                                                    | 181426.00                        | 199097.00                                                            | 3628.00                                                                   | 32/            | तत्कालीन                                           |

|  |         |  |  |  |            |                                        |
|--|---------|--|--|--|------------|----------------------------------------|
|  | निर्माण |  |  |  | 24.07.2019 | ख0वि0अ0 श्री<br>श्रीप्रकाश<br>उपाध्याय |
|--|---------|--|--|--|------------|----------------------------------------|

योग

40990.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू0-40990.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव एवं श्री श्री प्रकाश उपाध्याय उत्तरदायी हैं।  
(मूल आपति सं०-03)

**प्रस्तर-11** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 3 अनुसार वर्षान्त में दर्शित अवशेष रू0-11774554.69 है जबकि सम्बन्धित पासबुक में दर्शित अवशेष रू0-12054179.19 है। इस प्रकार बैंक पासबुक अनुसार रू0-279624.50 का अवशेष अधिक है। जिसका कारण निम्न विवरणानुसार रू0-279330.00 की गैर भुनी चेके रही एवं रू0-294.50 की ब्याज की प्रविष्टि ग्रांट रजिस्टर तृतीय में पारित न करना रहा।

| चेक नम्बर | दिनांक     | धनराशि    |
|-----------|------------|-----------|
| 30626     | 24.05.2018 | 7000.00   |
| 033875    | 06.11.2018 | 4330.00   |
| 001684    | 08.02.2019 | 20000.00  |
| 001686    | 20.02.2019 | 20000.00  |
| 001687    | 20.02.2019 | 105000.00 |
| 33202     | 30.03.2019 | 20000.00  |
| 33204     | 31.05.2019 | 40000.00  |
| 30654     | 15.06.2019 | 35500.00  |
| 37660     | 31.08.2019 | 20000.00  |
| 37661     | 31.08.2019 | 7500.00   |
| योग       |            | 279330.00 |

इस सम्बन्ध में मुख्य आपति यह है कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार समस्त चेके वर्षान्त में कालातीत हो गयी है। अतः पुष्टि उपरान्त इनका रिवर्स लेखा पारित करते हुए सम्बन्धित पक्षों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-04)

**प्रस्तर-12** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों को किये गये भुगतानों से रू0-96400.00 की निम्न विवरणानुसार (माहवार) टी0डी0एस0व (इनकम टैक्स) की कटौती की गयी है-

| माह जिसमें कटौती की गयी | धनराशि   |
|-------------------------|----------|
| जून-2019                | 62345.00 |
| जुलाई-2019              | 4722.00  |
| अगस्त-2019              | 16680.00 |
| सितम्बर-2019            | 8582.00  |
| नवम्बर-2019             | 4071.00  |

योग- 96400.00

इनकम टैक्स के नियम 30 के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती कर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि जिस माह में कटौती की गयी है उसके अगले माह की 07 तारीख तक यह धनराशि चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा की जानी चाहिए किन्तु ऐसा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव एवं श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय उत्तरदायी हैं। नियमानुसार क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-05)

**प्रस्तर-13** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद में रू0-247288.00 का व्यय दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणकों के अभाव में दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री एस0के0 रावत एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं०-17)

**क्षेत्र पंचायत - शमसाबाद वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर-14** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 ब्रजमोहन सिंह (मा वैष्णो देवी कन्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स) नरसिंहपुर कायमगंज को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष रू0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वित्त रण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                                 | सामग्री की कीमत जी0एस0टी0 रहित) | जी0एस0टी0 सहित एवं टी0डी0एस0 की कटौती के बाद फर्म का किया गया भुगतान | 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी। | इनवाइस/ दिनांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ग्राम पंचायत मुरैठी में रामरहीस के फाटक से रणधीर यादव के बम्बा तक नाला निर्माण               | 85200.00                        | 93498.00                                                             | 1704.00                                                                   | 08/05.09.2019  | तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव लोचन मिश्रा एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार |
|          |                                                                                              | 45375.00                        | 49795.00                                                             | 908.00                                                                    | 09/09.09.2019  |                                                                                      |
|          |                                                                                              | 40150.00                        | 44061.00                                                             | 803.00                                                                    | 12/20.09.2019  |                                                                                      |
|          |                                                                                              | 27630.00                        | 30321.00                                                             | 553.00                                                                    | 13/20.09.2019  |                                                                                      |
| 2        | ग्राम पंचायत नगला दमू में जूनियर हाईस्कूल से नवाबगंज वाली पक्की सड़क तक मिट्टी व खडंजा कार्य | 135000.00                       | 148149.00                                                            | 2700.00                                                                   | 01/03.09.2019  |                                                                                      |
|          |                                                                                              | 108000.00                       | 118520.00                                                            | 2160.00                                                                   | 02/13.09.2019  |                                                                                      |
|          |                                                                                              | 102600.00                       | 112594.00                                                            | 2052.00                                                                   | 10/14.09.2019  |                                                                                      |
| 3        | विकास खण्ड की बाउन्ड्रीवाल, आवास मरम्मत तथा रंगाई पुताई एवं परिसर में सी0सी0 निर्माण         | 205750.00                       | 225790.00                                                            | 4115.00                                                                   | 04/08.10.2019  |                                                                                      |
|          |                                                                                              | 31600.00                        | 34678.00                                                             | 632.00                                                                    | 03/28.09.2019  |                                                                                      |

**योग-**

**15627.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू0-15627.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव लोचन मिश्रा एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

**(मूल आपति सं०-01)**

**प्रस्तर-15** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 अजीत सिंह कन्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष रू0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्सन 51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार यह आहरण एवं वित्त रण अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                                                                                              | सामग्री की कीमत जी0एस0टी0 रहित) | जी0एस0टी0 सहित एवं टी0डी0एस0 की कटौती के बाद फर्म का किया गया भुगतान | 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी। | इनवाइस/ दिनांक | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | चैकी के पास अजमतपुर की पक्की सड़क तक मिट्टी खडंजा व नाली निर्माण कार्य                                                                                    | 135000.00                       | 148149.00                                                            | 2700.00                                                                   | 07/05.10.2019  | तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार |
|          |                                                                                                                                                           | 23860.00                        | 26184.00                                                             | 477.00                                                                    | 14/10.10.2019  |                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                           | 20063.00                        | 22017.00                                                             | 401.00                                                                    | 15/15.10.2019  |                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                           | 108000.00                       | 118520.00                                                            | 2160.00                                                                   | 16/20.10.2019  |                                                                                                             |
| 2        | ग्राम पंचायत कुआखेडा बजीरआलम में गढ़िया ग्राम में सत्यापाल की दुकान से यादराम के घर तक व लक्ष्मी के घर से मुकेश शाक्य के घर तक मिट्टी, खडंजा व नाली कार्य | 54000.00                        | 59260.00                                                             | 1080.00                                                                   | 10/23.10.2019  |                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                           | 108000.00                       | 118520.00                                                            | 2160.00                                                                   | 09/13.10.2019  |                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                           | 108000.00                       | 118520.00                                                            | 2160.00                                                                   | 08/03.10.2019  |                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                           | 118800.00                       | 130371.00                                                            | 2376.00                                                                   | 17/24.10.2019  |                                                                                                             |

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹0-13514.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती सम्बन्धित भुगतानों से नहीं की गयी। जिसके लिए तालिका में दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-02)

**प्रस्तर-16** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय अनुसार वर्षान्त में दर्शित अवशेष ₹0-25508502.04 है जबकि लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पासबुकों के अनुसार दर्शित अवशेष ₹0-26069181.04 है। इस प्रकार बैंक पासबुक अनुसार ₹0-560679.00 का अवशेष अधिक है। जिसका कारण निम्न विवरणानुसार ₹0-392348.00 की गैर भुनी चेके रही एवं ₹0-168331.00 का विगत वर्षों का अन्तर है जिसका कोई समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जैसवाल, श्री नीरज देव, श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजमणि वर्मा एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। विवरण तैयार कर अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

| चेक नम्बर | दिनांक     | धनराशि   |
|-----------|------------|----------|
| 70125     | 06.01.2020 | 98087.00 |
| 70126     | 06.01.2020 | 98087.00 |
| 70127     | 06.01.2020 | 98087.00 |
| 70128     | 06.01.2020 | 98087.00 |

योग - 392348.00

(मूल आपति सं०-03)

**प्रस्तर-17** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों को किये गये भुगतानों से ₹0-55508.00 की निम्न विवरणानुसार (माहवार) टी0डी0एस0 (इनकम टैक्स) की कटौती की गयी है-

| माह जिसमें कटौती की गयी | धनराशि   |
|-------------------------|----------|
| मई-2019                 | 2287.00  |
| अगस्त-2019              | 3768.00  |
| नवम्बर-2019             | 49453.00 |

योग- 55508.00

उपरोक्त शीर्ष में वर्ष के प्रारम्भ में ₹0-156080.00 की देनदारी थी। वर्ष दौरान ₹0-55508.00 की टी0डी0एस0 की कटौती और की गयी इस प्रकार वर्षान्त में ₹0-211588.00 की देनदारी शेष रही। इनकम टैक्स के नियम 30 के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती कर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि जिस माह में कटौती की गयी है उसके अगले माह की 07 तारीख तक यह धनराशि चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा की जानी चाहिए किन्तु ऐसा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जैसवाल, श्री नीरज देव, श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजमणि वर्मा एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-04)

**प्रस्तर-18** विभिन्न प्राप्त मद में अंतर की पुष्टि न होना -

| क्र० सं० | विवरण                          | दिनांक 31.03.2019 को आडिटेड ग्रांट रजि० के अनुसार अवशेष | दिनांक 01.04.2019 को दर्शित प्रारम्भिक अवशेष | अन्तर             |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1        | विधायक निधि                    | 261635.00                                               | 51758.00                                     | 209877.00         |
| 2        | सांसद निधि                     | 958.00 0.00                                             | 958.00                                       | -                 |
| 3        | मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना | 680001.00                                               | 710001                                       | (-)30000.00       |
| 4        | ब्याज                          | 2375212.00                                              | 2374527.00                                   | 685.00            |
| 5        | प्रासंगिक मद (मनरेगा))         | 1600804.00                                              | 0.00                                         | 1600804.00        |
| 6        | कन्टीजेन्सी                    | 74898.10                                                | 0.00                                         | 74898.10          |
|          | <b>योग</b>                     | <b>4993508.10</b>                                       | <b>3136286.00</b>                            | <b>1857222.10</b> |

इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 के अन्तिम अवशेष एवं दिनांक 01.04.2019 के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर होना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जैसवाल, श्री नीरज देव, श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजमणि वर्मा उत्तरदायी हैं। अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-05)

**प्रस्तर-19** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रिटिकल गैस मद में ₹0-392348.00 का व्यय दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणको के अभाव में दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जैसवाल, श्री नीरज देव, श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजमणि वर्मा एवं तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-16)

**प्रस्तर-20** दिनांक 31.03.2020 को राज्य वित्त योजना में ₹0-20115447.00, विधायक निधि में ₹0-1023249.00, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान में ₹0-75001.00 एवं 13 वे वित्त आयोग में ₹0-646072.00 का अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्रपंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जैसवाल, श्री नीरज देव, श्री राजीव लोचन मिश्रा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजमणि वर्मा उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-17)

## क्षेत्र पंचायत -बढपुर वर्ष 2019-20

**प्रस्तर-21** दिनांक 31.03.2020 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया:-

| क्र०स० | योजना का नाम                       | 31.03.2020 को अवशेष धनराशि |
|--------|------------------------------------|----------------------------|
| 1      | राज्य वित्त योजना                  | 1,33,05,050=90             |
| 2      | 13 वे/14वे वित्त आयोग अनुदान योजना | 26,652=00                  |

**योग:- 1,33,31,702=90**

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं 13 वे/14वे वित्त आयोग अनुदान योजना की धनराशियों का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है। किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गा दत्त शुक्ला एवं श्रीमती भावना यादव तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वो का निर्वहन नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-15)

**प्रस्तर-22** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत लखीमपुर संपर्क मार्ग से क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर तक पेवर बिक्र व नाली निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-244051.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-37882.00 कुल ₹0-281933.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियां पाई गयी-

- (1) ग्राम पंचायत में पेवर बिक्र व नाली निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) उक्त निर्माण कार्य के मध्य एवं पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।
- (3) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-37882.00 दिनांक 22.4.2019 को चेक सं० 071720 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायत के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टाक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (5) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

अतः पेवर बिक्र व नाली निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0-244051.00 एवं श्रमांश पर ₹0-37882=00 कुल ₹0-281933.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गा दत्त शुक्ला एवं तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह एवं श्री राजेश बाबू रमन अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-16)

**प्रस्तर-23** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार मै० एम०डी० कन्स्ट्रक्शन रमपुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री के विरु० ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी०एस०टी० के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी०डी०एस० (जी०एस०टी०) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित भुगतान किया गया है।

| क्र०स० | कार्य का नाम                                                                                                              | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी०एस०टी० की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी०एस०टी० कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1      | लखीमपुर संपर्क मार्ग में क्षेत्र पंचायत सदस्य के मकान तक पेवर बिक्र व नाली निर्माण कार्य                                  | 222390.00       | 26687.00                                                    | 249077.00         | 4448.00                                                                        | मै० एम०डी० कन्सट्रक्शन रमपुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद |
| 2.     | सेन्ट्रल जेल याकुतगंज मुख्य मार्ग से ग्राम निनौआ के पास होते हुये डी०पी० कटियार के खेत तक पेवर बिक्र व सड़क निर्माण कार्य | 607425.00       | 75291.00                                                    | 682716.00         | 12149.00                                                                       | मै० एम०डी० कन्सट्रक्शन रमपुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद |
| 3      | जिला जेल से सेन्ट्रल जेल रोड से राम शंकर के खेत तक पेवर बिक्र व सड़क निर्माण कार्य                                        | 177135.00       | 21256.00                                                    | 198391.00         | 3543.00                                                                        | मै० एम०डी० कन्सट्रक्शन रमपुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद |

क्रमांक 01 से 03 तक का योग:- - - - 20140.00 -

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-20140.00 की जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गा दत्त शुक्ला व श्रीमती भावना यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री यशवीर सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०-17)

## क्षेत्र पंचायत - कमालगंज वर्ष-2019-20

**प्रस्तर-24** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत सर्फाबाद में भीखन नगला सड़क मार्ग पर (275 मी०) नाला निर्माण कार्य कराना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-876997.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-95296.00 कुल ₹0-972293.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

(1)- ग्राम पंचायत में नाला निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) (अ) पत्रावली में संलग्न अवर अभियन्ता (आर०ई०डी०) श्री राजीव गोयल द्वारा तैयार प्रथम स्टीमेट में सर्फाबाद भीखन नगला सम्पर्क मार्ग पर नाला निर्माण हेतु सामग्री कीमत ₹0-519680.00 एवं मजदूरी लागत ₹0-78650.00 एवं सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० ₹0-62361.60 कुल ₹0-660691.60 का स्टीमेट तैयार किया गया। स्टीमेट की धनराशि को सैंकडा में पूर्णकित करते हुये नाला निर्माण कार्य हेतु दिनांक 22.08.2019 को ₹0-660700.00 की वित्तीयप्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। स्टीमेट में अवर अभि/यन्ता आर०ई०डी०) अधिशाषी अभियन्ता आर०ई०डी०) एवं खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है।

(ब) उक्त कार्य हेतु पत्रावली में संलग्न संशोधित स्टीमेट अवर अभियन्ता (आर०ई०डी०) श्री राजीव गोयल द्वारा ₹0-796900.00 का तैयार किया गया, किन्तु संशोधित स्टीमेट में न तो अवर अभियन्ता आर०ई०डी०) के हस्ताक्षर है, और न ही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा उक्त नाला निर्माण कार्य हेतु ₹0-796900.00 की वित्तीयप्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं ली गयी। इस प्रकार अनियमित रूप से / नाला निर्माण के स्टीमेट में ₹0-136200.00 से बढ़ोतरी कर ली गयी है।

(3) नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होने पर निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति हेतु पुनः निविदा की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। जो नहीं किया गया।

(4) निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत कमालगंज के अन्तर्गत कराया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में लेखाकार कायमगंज, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) कायमगंज एवं खण्ड विकास अधिकारी कायमगंज के हस्ताक्षर है।

(5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 329 एवं 330 पर दो मिस्त्री एवं 24 श्रमिकों द्वारा दिनांक 04.12.2019 से 17.12.2019 तक कार्य करना दर्शाया गया है। जिनकी मजदूरी का कुल भुगतान ₹0-68520.00 दिनांक 01.01.2020 को चेक संख्या-514438 द्वारा कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जाब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(6) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 329 एवं 330 पर किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा नहीं है। जबकि कार्य प्रभारी / द्वारा हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्रमाणित का प्रमाण पत्र अंकित कर हस्ताक्षरित किया गया है, एवं उक्त दोनों मस्टर रोलों पर पेड एन्ड कैंशिल्ड की मुहर लगा कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 331 पर दिनांक 18.02.2020 से 26.02.2020 तक 03 मिस्त्री एवं 17 श्रमिकों मजदूरों/द्वारा कार्य किया जाना दर्शित है। जिनकी मजदूरी का कुल भुगतान ₹0-26776.00 कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) को दिनांक 21.04.2020 को पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस के माध्यम से ट्रांसफर किया गया।

(8) पत्रावली की जाँच में पाया गया कि नाला निर्माण कार्य दिनांक 26.02.2020 को समाप्त हो गया किन्तु सामग्री आपूर्तिकर्ता प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिद्धीदी की काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज बिल संख्या-41 द्वारा दिनांक 20.03.2020 को ₹0-303545.00 की सामग्री की आपूर्ति की गयी, जिसमें से ₹0-6125.00 का टी0डी0एस0 काट कर शेष ₹0-297420.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस के माध्यम से दिनांक 17.04.2020 को किया गया। इस प्रकार नाला निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद ₹0-303545.00 कीमत की सामग्री उक्त कार्य हेतु क्रय किया जाना अनौचित्यपूर्ण रहा।

(9)- नाला निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है।

(10)- नाला निर्माण कार्य की पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी।

(11)- नाला निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि दर्शित नाला निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया है, मात्र आधी-अधूरी कागजी औपचारिकता कर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की धनराशि ₹0-972293=00 की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) एवं श्री राजीव गोयल अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि जमा करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति सं०-03)**

**प्रस्तर-25** ग्राम पंचायत अभयपुर (दौलतपुर चिरा) में प्रशान्त के घर से नगरिया डामर रोड तक खडंजा निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 316, 317, 318 व 319 में दर्शित मजदूरों द्वारा कार्य कराया जाना दर्शित है। उक्त मस्टर रोल में क्रमशः ₹0-50802.00+39312.00+36400.00+21840.00=कुल ₹0-148354.00 का मजदूरी का भुगतान दिनांक 27.11.2019 को चेक संख्या-514420 द्वारा कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल, सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को किया गया। उक्त से सम्बन्धित निम्नांकित आपतियां हैं:-

(1)- पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 317 पर 16 श्रमिकों द्वारा दिनांक 31.10.2019 से 11.11.2019 तक कार्य किया जाना दर्शित है। मस्टर रोल पर दर्शित मजदूरों की उपस्थिति के अनुसार  $16 \times 12 = 192$  मानव दिवस  $\times 182 = ₹0-34944.00$  की मजदूरी होती है। किन्तु मस्टर रोल में ₹0-4368.00 से काल्पनिक रूप से मजदूरी बढ़ा कर ₹0-39312.00 की मजदूरी दर्शायी गयी है और इसी आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार अधिक दर्शित भुगतान ₹0-39312=00 का अपहरण कर लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त खण्डजा निर्माण कार्य की मजदूरी पर कुल ₹0-148354=00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपति सं०-04)**

**प्रस्तर-26** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत नरायनपुर में चन्द्र किशोर के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य कराना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-240357.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-28260.00 कुल ₹0-268617.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियां पाई गयीं-

(1) ग्राम पंचायत में नाला निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) (क) पत्रावली में संलग्न प्रथम स्टीमेट में ग्राम-पंचायत नरायनपुर में नन्द किशोर के घर से तालाब तक 80 मी0 लम्बाई के नाला निर्माण पर सामग्री कीमत ₹0-183030.00 मजदूरी लागत ₹0-28970.00 एवं सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 ₹0-21963.60 कुल ₹0-234863.60 को सैकड़ा में पूर्णकित करते हुये ₹0-234900.00 की प्रशासनिक/वित्त तीय स्वीकृति दी गयी। स्टीमेट में अवर अभियन्ता (आर)0ई0डी0, सहायक अभियन्ता (आर) 0ई0डी0 श्री बी0के0 मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता (आर)0ई0डी0, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार के हस्ताक्षर हैं।

(ख) उक्त कार्य हेतु पत्रावली में संलग्न संशोधित स्टीमेट में ग्राम पंचायत नरायनपुर में चन्द्र किशोर के घर से तालाब तक 85 मी0 लम्बाई के नाला निर्माण पर सामग्री कीमत ₹0-224640.00 सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 ₹0-26956.80 मजदूरी लागत ₹0-31660.00 एवं कुल ₹0-282756.80 को सैकड़ा में पूर्णकित करते हुये ₹0-282800.00 की प्रशासनिक/वित्त तीय स्वीकृति दी गयी। संशोधित स्टीमेट में अवर अभियन्ता (आर)0ई0डी0, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता (आर)0ई0डी0 के दिनांक 27.08.2019 को हस्ताक्षर हैं। अतः कार्य की लागत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की स्थिति में सामग्री आपूर्ति हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये। जो नहीं किया गया।

(3) ₹0-91904.00 एवं ₹0-28260.00 के भुगतान स्वीकृत आदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में दर्शित उपस्थिति के अनुसार नाला निर्माण कार्य में श्रमिकों द्वारा दिनांक 16.08.2019 से 25.08.2019 तक कार्य किया जाना दर्शित है। नाला निर्माण कार्य की मजदूरी का कुल भुगतान ₹0-28260.00 चेक संख्या-514402 द्वारा कार्य



प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(5)मस्टर रोल पर दर्शित उपस्थिति के अनुसार नाला निर्माण कार्य दिनांक 16.08.2019 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 25.08.2019 को समाप्त हुआ। पत्रावली संलग्न एम0बी0 में भी कार्य प्रारम्भ की तिथि 16.08.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2019 अंकित है। यदि दिनांक 25.08.2019 को कार्य समाप्त हो गया था, तो सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिद्धीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज द्वारा दिनांक 30.08.2019 को आपूर्ति की गयी सामग्री का उपभोग कहाँ किया गया तथा नाला निर्माण हेतु सामग्री क्रय कीमत रु0-93797.00 किस आधार पर किया गया है।

(6)नाला निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(7)नाला निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(8)नाला निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवर अभियन्ता की कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। जो अपेक्षित थी।

(9)नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी। जो अपेक्षित है।

(10)नियमानुसार वर्षाकाल में नाला निर्माण कार्य कराया जाना प्रतिबन्धित है। तो किस आधार पर वर्षा ऋतु में नाला निर्माण कार्य कराया गया।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि नाला निर्माण कार्य पर अनियमित रूप से रु0-268617=00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अनियमितता की धनराशि रु0-268617=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार,सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-05)

#### प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत लऊआ नगला पट्टी में कमाल गंज मार्ग से किशन लाल के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक-314 व 315 पर दर्शित मजदूरों की उपस्थिति के अनुसार कुल भुगतान रु0-78326.00 होना चाहिये। मस्टर रोल के पृष्ठ भाग में दर्शित विवरण के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा रु0-78326.00 मजदूरी के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है। किन्तु दिनांक 27.11.2019 को चेक संख्या-514422 द्वारा रु0-86569.00 का मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को किया गया है। इस प्रकार मजदूरी हेतु स्वीकृत धनराशि से रु0-8243.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजेश कुमार बघेल एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) संयुक्त रूप से उत्तर दायी है।

अतः अधिक भुगतान की गयी धनराशि रु0-8243=00 में से रु0-2748=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजेश कुमार बघेल से एवं रु0-2748=00 लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं रु0-2747=00 कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-06)

#### प्रस्तर-28

वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य योजना के धन से ग्राम पंचायत चैकी महमदपुर में गोवंश हेतु गौशाला में शेड का निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु0-273586.00 एवं मजदूरी पर रु0-26036.00 कुल रु0-299622.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच के निम्न आपतियां पायी गयी-

(1) चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से गोवंश हेतु गौशाला में शेड निर्माण कार्य हेतु कोई भी विभागीय आदेशशासनादेश पत्रावली में / संलग्न नहीं है। जिसे पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(2) गौशाला में शेड निर्माण कार्य से पूर्व की एवं शेड निर्माण कार्य पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी। जो अपेक्षित है।

(3) निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न क्रमांक रहित मस्टर रोल में दर्शित श्रमिकों की उपस्थिति के अनुसार शेड निर्माण कार्य दिनांक 01.12.2019 से दिनांक 11.12.2019 तक कराया गया।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार शेड निर्माण कार्य दिनांक 11.12.2019 को समाप्त हो गया, किन्तु पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिद्धीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज के कैश मेमो बिल क्रमांक/34 द्वारा दिनांक 25.12.2019 को शेड निर्माण कार्य हेतु रु0-55047.00 की सामग्री किस कार्य हेतु आपूर्ति की गयी।

(5) शेड निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दर्शित गौशाला में शेड निर्माण कार्य पर अनियमित रूप से रु0-244575=00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल, एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार पाल, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्रमांक-4 पर अंकित आपति के अनुसार सामग्री क्रय पर रु0-55047=00 का काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर रु0-55047=00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल, एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य

प्रभारी श्री सुरेश कुमार पाल, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-07)

**प्रस्तर-29** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य योजना के धन से ग्राम पंचायत सिरौज में कैलाश के घर से तालाब तक (155 मी0) नाला निर्माण कार्य कराना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-437379.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-57066.00 कुल ₹0-494445.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियां पाई गयी-

- (1) ग्राम पंचायत में नाला निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 314 पर दिनांक 11.09.2019 से 30.09.2019 तक कार्य करना दर्शाया गया है। जिनकी मजदूरी का भुगतान कुल ₹0-57066.00 दिनांक 10.10.2019 को चेक संख्या-514405 द्वारा कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अर्जित जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यमसे किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (3) मस्टर रोल पर क्रमांक 01 व 02 दर्शित मिस्त्री क्रमशः श्री नवारस पुत्र श्री शहमद खां एवं श्री नन्ने पुत्र श्री सददीक खां द्वारा ₹0-290/- प्रति दिन की दर से क्रमशः 19,19 दिवसों में कार्य करना दर्शित है। जिनका 290×19=5510.00 प्रत्येक मिस्त्री की मजदूरी होती है। किन्तु मस्टर रोल पर उक्त दोनों मिस्त्री की मजदूरी का भुगतान क्रमशः ₹0-5610.00 व ₹0-5610.00 दर्शित है, जो ₹0-200.00 से अधिक है।
- (4) मस्टर रोल में 02 मिस्त्री एवं 13 श्रमिक कुल 15 के नाम दर्शित हैं। किन्तु मस्टर रोल पर 19 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज है।
- (5) मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/ निशान अंगूठा नहीं है, जबकि कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा किस आधार पर श्रमिकों के निशान अंगूठा/हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हैं।
- (6) मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 11.09.2019 को प्रारम्भ हुआ किन्तु प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिद्धीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज के बिल संख्या-03 द्वारा 30.07.2019 को ₹0-213710.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी। जिसका भुगतान दिनांक 02.08.2019 को चेक संख्या-514379 द्वारा किया गया।
- (7) नाला निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- (8) नाला निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है।
- (9) पत्रावली में संलग्न तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के आदेश पत्रांक 5305 दिनांक 02.03.2019 में श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को उक्त कार्य का कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक दश में एक माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। किन्तु कार्य लगभग 06 माह बाद पूर्ण हुआ।

अतः बिना कार्यपूति प्रमाण पत्र के सम्पूर्ण भुगतान किया जाना अनियमित रहा नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-08)

**प्रस्तर-30** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य योजना के धन से ग्राम पंचायत नसरतपुर नौगवा में तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-737344.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-83744.00 कुल ₹0-821088.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपतियां पाई गयी-

- (1) ग्राम पंचायत में तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर दिनांक 01.02.2020 से 26.02.2020 तक कार्य करना दर्शाया गया है। जिनकी मजदूरी का भुगतान कुल ₹0-83744.00 दिनांक 21.04.2020 को पी0ए00एम0एस0 एडवाईस संख्या-सी-042041951148 के द्वारा कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) को किया गया है। जॉब अंतर्गत प्रत्येक मजदूर का मनरेगा जबकि कार्ड बना हुआ है।
- (3) निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत कमालगंज के अर्जित कराया गया हैं, किन्तु पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरणपत्र में लेखाकार कायमगंज सहायक विकास अधिकारी कायमगंज अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कायमगंज खण्ड विकास अधिकारी कायमगंज के हस्ताक्षर है।
- (4) पत्रावली में तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य कराने से पूर्व की मध्य की एवं रिटर्निंग वाल पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- (5) तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (6) तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है की मात्र आधी अर्धरी कागजी औपचारिकता कर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल सहायक वित्त अधिकारी (पंचायत ) एवं श्री राजीव गोयल अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-09)

**प्रस्तर-31** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य योजना के धन से ग्राम पंचायत ईसापुर में दिलशाद के घर से इस्त्यान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-335242.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-50156.00 कुल ₹0-385398.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयी-

- (1) ग्राम पंचायत के अन्दर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 21.03.2020 को समाप्त हो गया, तो दिनांक 21.03.2020 को सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिद्धीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज फर्रुखाबाद के बिल संख्या-44 द्वारा ₹0-51561.00 की सामग्री किस कार्य हेतु आपूर्ति की गयी।
- (3) सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- (4) सी0सी0 रोड व नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है।
- (5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 327 एवं 328 पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी की पेड एन्ड कैशिल्ड की मुहर मात्र लगी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी की पेड एन्ड कैशिल्ड की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं है।

अतः उक्त सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य पर ₹0-385398=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) एवं श्री राजीव गोयल अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं०-10)**

**प्रस्तर-32** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से विकास खण्ड कार्यालय कमालगंज के मीटिंग हाल का मरम्मत कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-391228.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-28856.00 कुल ₹0-420084.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयी-

- (1) उक्त कार्य की निविदा दिनांक 19.12.2018 को खोली गयी और सामग्री आपूर्ति हेतु मै0 एम0के0 बिल्डर्स कमालगंज को स्वीकृति दी गयी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल द्वारा कार्यालय पत्रांक 3966 दिनांक 19.12.2018 द्वारा एक पक्ष के अन्दर सामग्री आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु पत्रावली में संलग्न मै0 एम0के0 बिल्डर्स के बिल संख्या-101 के अनुसार दिनांक 28.08.2019 को ₹0-391228.00 कीमत की सामग्री आपूर्ति की गयी। इस प्रकार आदेश पर दर्शित शर्त से लगभग 08 माह बाद उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति की गयी है।
- (2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर दिनांक 10.08.2019 से 23.08.2019 तक कार्य करना दर्शाया गया है। जिनकी मजदूरी का भुगतान कुल ₹0-28856.00 कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के होते हैं। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।
- (3) उक्त कार्य दिनांक 10.08.2019 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 23.08.2019 को कार्य समाप्त हुआ किन्तु मै0 एम0 के0 बिल्डर्स द्वारा दिनांक 28.08.2019 को बिल संख्या-101 द्वारा ₹-391228.00 कीमत की सामग्री आपूर्ति की गयी इस प्रकार कार्य समाप्ति के 05 दिवस बाद ₹0-391228.00 कीमत की आपूर्ति की गयी सामग्री का उपभोग किस कार्य में किया गया। उक्त के सम्बन्ध में वास्तविक
- (4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य पर ₹0-420084=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं श्री राजीव गोयल अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं०-11)**

**प्रस्तर-33** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत बलीपुर में सीताराम के घर से लोकनाथ कठेरिया के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-584079.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-94898.00 कुल ₹0-678977.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गयी-

- (1)- ग्राम पंचायत में सी0सी0 व नाली निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) (अ) पत्रावली में संलग्न अवर अभियन्ता(आर0ई0डी0) श्री राजीव गोयल द्वारा तैयार प्रथम स्टीमेट में बलीपुर में सीताराम के घर से लोकनाथ कठेरिया के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण हेतु सामग्री कीमत ₹0-621200.00 की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक/18.02.2019 को दी गयी। स्टीमेट में सामग्री कीमत ₹0- 479000.00 दर्शित है और इसी आधार पर स्वीकृति स्टीमेट के अनुसार ₹0- 469000.00 की सामग्री आपूर्ति हेतु दिनांक 20.02.2019 को निविदा प्रकाशन की गयी। पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में दिनांक 02.03.2019 को मै0 प्रेरणा बिल्डर्स को आपूर्ति हेतु स्वीकृति दी गयी। तुलनात्मक विवरण में लेखाकार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) अवर अभियन्ता (आर)0ई0डी0) अधिशासी अभियन्ता (आर)0ई0डी0) एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

(ब)- उक्त कार्य हेतु पत्रावली में संलग्न संशोधित स्टीमेट अवर अभियन्ता आर)0ई0डी0) श्री राजीव गोयल द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें उक्त कार्य हेतु ₹0-725000.00 की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक/27.08.2019 को दी गयी है। दूसरे प्राक्कलन पर उक्त कार्य हेतु सामग्री कीमत ₹0-551505.48 दर्शित है। इस प्रकार अनियमित रूप से सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य के स्टीमेट में ₹0-82505.00 से बढ़ोतरी कर ली गयी है।

(3) नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होने पर निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति हेतु पुनःनिविदा की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये।

(4) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल द्वारा मै0 प्रेरणा बिल्डर्स शास्त्री नगर कमालगंज के नाम जारी आदेश पत्रांक 5322 दिनांक 02.03.2019 में सामग्री आपूर्तिकर्ता प्रेरणा बिल्डर्स को एक पक्ष के अन्दर सामग्री आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया था, और कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को सामग्री प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु दिनांक 30.07.2019 को उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति की गयी।

(5) निविदा की धनराशि का 2 प्रतिशत जमानत के रूप में सामग्री आपूर्तिकर्ता से जमा नहीं कराया गया। उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य पर ₹0-678977=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं श्री राजीव गोयल अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-12)

**प्रस्तर-34** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत शेखपुर रूस्तमपुर में तालाब से जाकिर के घर तक नाला निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर ₹0-821377.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर ₹0-94078.00 का भुगतान कुल ₹0-915455.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

- (1)- ग्राम पंचायत के अंदर नाला निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- (2) (अ) पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में निविदा खुलने का दिनांक 05.03.2019 अंकित है। किन्तु पत्रावली में संलग्न तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल द्वारा कार्य आदेश पत्रांक-5305 दिनांक 02.03.2019 का है। इस प्रकार निविदा खुलने से पूर्व कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।
- (3) पत्रावली में संलग्न कार्य आदेश में एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में नाला निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को निर्देशित किया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार नाला निर्माण कार्य दिनांक 05.09.2019 को प्रारम्भ तथा दिनांक 29.09.2019 को समाप्त हुआ है। नियमानुसार नाला निर्माण कार्य कराया जाना वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। फिर भी वर्षा ऋतु में नाला निर्माण कार्य कराया गया है जो नियम विरुद्ध रहा।
- (4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में 19 श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना दर्शित उपस्थिति के अनुसार दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान ₹0-94078.00 दिनांक 10.10.2019 को चेक सं० 514407 द्वारा कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया है। जबकि मजदूरों का मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- (5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 313 पर किसी भी श्रमिक/भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा नहीं है। जबकि कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्रमाणित अंकित कर हस्ताक्षरित किया गया है।
- (6) नाला निर्माण कार्य के मध्य एवं पूर्ण होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।
- (7) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
- (8) नाला निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि नाला निर्माण कार्य में ₹0-915455=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-13)

**प्रस्तर-35** क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2019-20 की निम्नांकित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति होना दर्शित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री का निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक लेखा भी तैयार नहीं किया गया है:-

| क्र०सं० | कार्य का नाम          | कार्य प्रभारी नाम व पदनाम | मस्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि | पत्रावली में संलग्न बिल के अनुसार सामग्री आपूर्ति की तिथि | बिल पर दर्शित भुगतान की धनराशि | सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम |
|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत महममदपुर | श्री सुरेश पाल            | 11.12.2019                                | 25.12.2019                                                | 53936.00                       | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन         |

|    |                                                                                                         |                                                     |            |            |           |                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | अचला में गौशाला में शेड का निर्माण कार्य                                                                | प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0)                 |            |            |           | रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद                          |
| 2. | ग्राम पंचायत सिंघौली में गौशाला में शेड का निर्माण कार्य                                                | श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0)  | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 53936.00  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 3  | ग्राम पंचायत भरतामऊ में गौशाला में शेड का निर्माण कार्य                                                 | श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0)  | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 53936.00  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 4  | ग्राम पंचायत महमदपुर अचला में गौशाला शेड में जाली लगाने का कार्य                                        | श्री विनोद कुमार प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (कृषि) | 08.12.2019 | 14.12.2019 | 590582.00 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 5  | ग्राम पंचायत राजेपुर सरायमेदा में निनौरा श्रंखलापुर रोड से समीम के घर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य | श्री विनोद कुमार प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (कृषि) | 22.02.2019 | 26.04.2019 | 90876.00  | एम0के0 बिल्डर्स कानपुर रोड कमालगंज, फर्रुखाबाद                                    |

**क्रमांक 01 से 05 तक का योग:-**

-

**843266.00**

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य हेतु कार्य समाप्ति के बाद सामग्री क्रय पर 14 वें वित्त आयोग अनुदान की धनराशि का काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर ₹0-843266.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कटियार एवं श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं०-14)**

**प्रस्तर-36**

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, कमालगंज को निर्माण सामग्री के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु नियमानुसार भुगतान से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                              | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि | जी0एस0टी0 की धनराशि सहित बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत सिरौज में कैलाश के घर से तालाब तक नाला निर्माण               | 390517          | 46862                                                       | 437379                                     | 7810                                                                           | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 2.      | ग्राम पंचायत नरायणपुर गढिया में नन्द किशोर के घर से तालाब तक नाला निर्माण | 214604          | 25753                                                       | 240357                                     | 4292                                                                           | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 3.      | ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर मे राम सेवक                                     | 554148          | 66498                                                       | 620646                                     | 11083                                                                          | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री                         |

|     |                                                                                                    |        |       |        |       |                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | के घर से उपेन्द्र के फार्म तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य                                       |        |       |        |       | नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद                                                           |
| 4.  | ग्राम पंचायत रठौरा नगला नीवं में राजीव प्रधान के घर से विष्णु के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य | 437142 | 52457 | 489599 | 8743  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 5.  | ग्राम पंचायत सर्फाबाद में भीखन नगला में संपर्क मार्ग पर नाला निर्माण कार्य                         | 783032 | 93965 | 876997 | 15661 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 6.  | ग्राम पंचायत भसौडा में पूर्व प्रधान के घर से नाला की ओर सी0सी0रोड व नाला निर्माण कार्य             | 747652 | 89718 | 837370 | 14953 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 7.  | ग्राम पंचायत अभयपुर (दौलतपुर) में प्रशान्त के घर से नगरिया डामर रोड तक खण्डजा निर्माण कार्य        | 483600 | 58032 | 541632 | 9672  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 8.  | ग्राम पंचायत झंसी में प्रा0वि0 में झंसी से कोरी खेडा तिराहे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य            | 449880 | 53986 | 503866 | 8998  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 9.  | ग्राम पंचायत लउआ नगला पटटी में कमालगंज मार्ग से किशुन लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 463911 | 55669 | 519580 | 9278  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 10. | ग्राम पंचायत चैकी महमदपुर में गौशाला शेड का निर्माण कार्य                                          | 244316 | 29270 | 273586 | 4886  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 11. | ग्राम पंचायत महमद अचला में गौशाला शेड का निर्माण कार्य                                             | 244316 | 29270 | 273586 | 4886  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 12. | ग्राम पंचायत सिंधौली में गौशाला शेड का निर्माण कार्य                                               | 244316 | 29270 | 273586 | 4886  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 13. | ग्राम बलीपुर में सीताराम के घर से लोकनाथ कठेरिया के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य              | 521499 | 62580 | 584079 | 10430 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 14. | ग्राम पंचायत गौसपुर में इमामबाडे से बाबूराम के घर से इजरार के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य    | 197322 | 23679 | 221001 | 3946  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |

|     |                                                                                                                       |        |       |        |       |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | ग्राम पंचायत कुन्दनपुर गनेशपुर के मजराकन्तकला में राजेश की चौपाल से प्रदीप के घर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य    | 233572 | 28029 | 261601 | 4671  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 16. | ग्राम पंचायत भरतामऊ में गौशाला निर्माण में शेड निर्माण कार्य                                                          | 244273 | 29313 | 273586 | 4886  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 17. | ग्राम पंचायत महमदपुर अचला में गौशाला के चारो ओर जाली लगाने का कार्य                                                   | 538165 | 64580 | 602745 | 10763 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 18. | ग्राम पंचायत बहोरन टप्पा हवेली के मजरा नगलामकू में डामररोड से हरिमान कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 310741 | 37289 | 348030 | 6215  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 19. | ग्राम पंचायत शेखपुर रूस्तमपुर में तालाब से जाकिर के घर तक नाला निर्माण कार्य                                          | 733373 | 88004 | 821377 | 14668 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 20  | ग्राम पंचायत ईशापुर में दिलाशद के घर से इश्याक के घर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य                                | 299324 | 35918 | 335242 | 5986  | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 21. | ग्राम पंचायत नसरत नौवगवां में तालाब के किनारे रिटर्निंग वाल व नाला निर्माण कार्य                                      | 658343 | 79001 | 737344 | 13167 | मै0 प्रेरणा बिल्डर्स मेन रोड सिददीकी काम्प्लेक्स शास्त्री नगर कमालगंज, फर्रुखाबाद |

**क्रमांक 01 से 21 तक का योग:**

**-179880**

इस प्रकार उपरोक्त

विवरण के अनुसार रु0-179880.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं०-15)**

### प्रस्तर-37

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार मै0 एम0के0 बिल्डर्स कानपुर रोड कमालगंज, फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री के विरु रु0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु नियमानुसार भुगतान से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम           | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम |
|---------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | विकास खण्ड कमालगंज में | 349311          | 41917                                                       | 391228            | 6986                                                                           | एम0के0 बिल्डर्स                  |

|    |                                                                                                                           |        |       |        |      |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------|
|    | सभागार की मरम्मत कार्य                                                                                                    |        |       |        |      | कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद                    |
| 2. | ग्राम पंचायत नगरिया गहलवान में कालाझाला में बृजेश के घर से शेर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य              | 40374  | 4835  | 45209  | 807  | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 3. | ग्राम जरारी में रजीपुर उधनपुर में चैराहे का सुन्दरीकरण कार्य                                                              | 181728 | 21807 | 203535 | 3635 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 4  | ग्राम झुझवी में हिसामपुर से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य                                                    | 81095  | 9731  | 90826  | 1622 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 5  | ग्राम पंचायत जरारी में नसीम के घर से भटटे की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य                                           | 115939 | 13913 | 129852 | 2319 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 6  | ग्राम पंचायत फतेहपुर कायस्थान के मजरा भोला नगला बाबाजी टीला रामसोर से जगदीश यादव के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 153130 | 18376 | 171506 | 3063 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 7  | ग्राम कतरौली पट्टी में मुख्य मार्ग से नेतराम के घर तक सी0सी0रोड नाली निर्माण कार्य                                        | 75265  | 9032  | 84297  | 1505 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 8  | ग्राम पंचायत ताजपुर में सिदद विनायक मंदिर से खडंजा की तरफ सी0सी0 रोड                                                      | 149645 | 17957 | 167602 | 2993 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 9  | ग्राम पंचायत भरतामऊ में मेन रोड से सुरेश नागर के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य                                    | 47519  | 5702  | 53221  | 950  | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 10 | ग्राम पंचायत लउआ नगला मान पट्टी में राम निवास के घरसे सन्जू के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य                      | 39931  | 4791  | 44722  | 799  | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 11 | ग्राम पंचायत राजेपुर सरायमेदा में निनौरा श्रंखलापुर रोड से शमीम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य                  | 83015  | 9962  | 92977  | 1660 | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |
| 12 | ग्राम पंचायत गदनपुर देवराजपुर में फूलपुर के घर से अंग्रेज के तालाब तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य                     | 30004  | 3601  | 33605  | 600  | एम0के0 बिल्डर्स<br>कानपुर रोड<br>कमालगंज,<br>फर्रुखाबाद |



|    |                                                                                          |        |       |        |      |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|------------------------------------------------|
| 13 | ग्राम पंचायत कोरीखेडा में कोठी से पंचायत घर से मेनरोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 183586 | 22030 | 205616 | 3672 | एम0के0 बिल्डर्स कानपुर रोड कमालगंज, फर्रुखाबाद |
| 14 | विकास खण्ड कमालगंज की चार दीवारी की मरम्मत कार्य                                         | 63042  | 7565  | 70607  | 1261 | एम0के0 बिल्डर्स कानपुर रोड कमालगंज, फर्रुखाबाद |

क्रमांक 01 से 14 तक का योग:-

31872

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-31872.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-16)

**प्रस्तर-38** वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से विकास खण्ड परिसर में वाटर कूलर प्लांट, टंकी फिटिंग सहित लगाने का भुगतान ₹0-71500.00 दिनांक 19.09.2019 को चेक संख्या-514403 द्वारा मैं0 कटियार गिफ्ट हाऊस अशोक नगर गुरुसहायगंज को किया गया, किन्तु ₹0-71500.00 के भुगतान पर ₹0-2.26 प्रतिशत की दर से ₹0-1616.00 की टी0डी0एस0 कटौती न कर ₹0-1616.00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।

अतः राजकीय राजस्व की हुयी क्षति ₹0-1616=00 के लिये उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजेश कुमार बघेल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय राजस्व की क्षति पूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-17)

## क्षेत्र पंचायत - नबाबगंज वर्ष-2019-20

**प्रस्तर-39** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मैं0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हौर फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                                | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | ग्राम पत्यौरा से बदकनी मार्ग तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य                              | 259881          | 31186                                                    | 291067            | 5198.00                                                                        | मैं0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हौर फर्रुखाबाद |
| 2.      | ग्राम पंचायत हईपुर में प्रा0 पाठशाला से मंदिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य                       | 138609          | 16633                                                    | 155242            | 2772.00                                                                        | मैं0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हौर फर्रुखाबाद |
| 3.      | ग्राम गठवाया के मजरा मगरई से संपर्क मार्ग सिलसण्डा से बलबीर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 198720          | 23847                                                    | 222567            | 3974.00                                                                        | मैं0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हौर फर्रुखाबाद |
| 4.      | अमरापुर नगला मकौडा में नरवीर सिंह के घर से देव स्थान तक सी0सी0 निर्माण                      | 251895          | 30228                                                    | 282123            | 5038.00                                                                        | मैं0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हौर            |

|    | कार्य                                                                                  |        |       |        |         | फर्रुखाबाद                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 5. | ग्राम नौली में राम सिंह मिश्रा के घर से देवसनी पुलिया तक मिट्टी खडंजा का निर्माण कार्य | 204180 | 24502 | 228682 | 4084.00 | मै० सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हार फर्रुखाबाद |
| 6. | ग्राम पंचायत बबना में मस्जिद से ग्राम हरदुआ मार्ग तक सी०सी० निर्माण कार्य              | 176578 | 21189 | 197767 | 3532.00 | मै० सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हार फर्रुखाबाद |
| 7. | ग्राम त्योंरी इस्माइलपुर में ट्रान्सफार्मर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य             | 34900  | 9120  | 44020  | 698.00  | मै० सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हार फर्रुखाबाद |
| 8. | ग्राम पिलखना में नगलापाल से बिराहिनपुर तक संपर्क मार्ग खडंजा कार्य                     | 35887  | 4306  | 40193  | 718.00  | मै० सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हार फर्रुखाबाद |

**क्रमांक 01 से 08 तक का योग:**

**-26014.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-26,014.00 की जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जायसवाल एवं श्री कमलेश कुमार कटियार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं०-14)**

**प्रस्तर-40**

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा मेंपाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० नृपेन्द्र सिंह पाण्डेय, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पाण्डेय 4/137 निवासी नुनुवाई फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी०एस०टी० के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी०डी०एस० (जी०एस०टी०) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित भुगतान किया गया है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                              | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी०एस०टी० की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी०एस०टी० कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | ग्राम उमरा में सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य                              | 671318          | 80558                                                       | 751876            | 13426.00                                                                       | मै० नृपेन्द्र सिंह पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पाण्डेय नि० नुनुवाई फर्रुखाबाद |
| 2.      | नगला मना में सुरेश के खेत से सतीश के घर तक सी०सी० रोडनाली / निर्माण कार्य | 183526          | 22023                                                       | 205549            | 3671.00                                                                        | मै० नृपेन्द्र सिंह पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पाण्डेय नि० नुनुवाई फर्रुखाबाद |

**क्रमांक 01 से 02 तक का योग:- -**

**17,097.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-17,097.00 की जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जायसवाल एवं श्री कमलेश कुमार कटियार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जीएसटी की पेनाल्टी सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं०-15)**

**प्रस्तर-41**

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा मेंपाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० राजवीर सिंह 6/19 आवास विकास फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु

जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है :-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                             | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत कुतुबुद्दीन में देवेन्द्र के खेत से महेन्द्र के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य | 278325          | 33399                                                       | 311724            | 5567.00                                                                        | मै0 राजवीर सिंह 6/19 आवास विकास फर्रुखाबाद |

**योग:-** **-5567.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-5567.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जायसवाल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जीएसटी की पेनाल्टी सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं०-16)**

**प्रस्तर-42** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा मेंपाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                  | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत नगलामना में उदयवीर के घर से सर्वेश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य | 242020          | 29042                                                       | 271062            | 4840.00                                                                        | मै0. श्रीमती रामादेवी ग्रा0 व पोस्ट भटासा कायमगंज |
| 2.      | ग्राम पंचायत भटासा में रजपालपुर रास्ते में पुलिया निर्माण कार्य               | 169489          | 20339                                                       | 189828            | 3390.00                                                                        | मै0. श्रीमती रामादेवी ग्रा0 व पोस्ट भटासा कायमगंज |

**क्रमांक 01 व 02 तक का योग:-** **-** **-** **-** **8230.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-8,230.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जायसवाल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूपसेउत्तरदायी है। जीएसटी की पेनाल्टी सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं०-17)**

**प्रस्तर-43** क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा मेंपाया गया कि वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 बन्दना कन्स्ट्रक्सन 2/108 दाऊदखान मऊ दरवाजा फर्रुखाबाद को निर्माण सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष ₹0-2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है, किन्तु जी0एस0टी0 के सेक्शन-51 के तहत सम्बन्धित भुगतानों से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नहीं की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा क्षेत्र पंचायत में प्रस्तुत बिल पर सामग्री की कीमत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया, और क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री कीमत पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया गया है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम | सामग्री की कीमत | सामग्री की कीमत पर 12 प्रतिशत जोड़ी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि | बिल की कुल धनराशि | 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि जो सामग्री कीमत पर भुगतान से नहीं काटी गयी | सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम |
|---------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|---------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|   |                                                                                       |        |       |        |         |                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | ग्राम पंचायत नगला धोबियान में सीताराम के घर से मान सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य | 435120 | 52214 | 487334 | 8703.00 | मै0 बन्दना इण्टर प्राइजेज,2/108 दाऊखान,मऊ दरवाजा फरूखाबाद |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|

योग:- - - 8,703.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹0-8,703.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जायसवाल एवं श्री राजमणि वर्मा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जीएसटी की पेनाल्टी सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-18)

**प्रस्तर-44** वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजी भाग तृतीय में विधायक निधि मद में कुल ₹0-17,42,857=00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसमें से माह अक्टूबर-2019 में ₹0-7,04,136=00 निर्माण कार्य पर व्यय एवं ₹0-10,38,721=00 माह जनवरी -2020 में दिनांक 13.01.2020 को चेक संख्या-012038 द्वारा परियोजना निदेशक फरूखाबाद को वापस किया गया। इस प्रकार वर्ष में विधायक निधि के धन से ₹0-7,04,136=00 का निर्माण कार्य पर व्यय किया गया, किन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किये गये। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय की पुष्टि न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है।

अतः उक्त दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-7,04,136=00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री रजनीश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से जमा करायी जानी अपेक्षित है। व्यय राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

(मूल आपति सं०-20)

**प्रस्तर-45** क्षेत्र पंचायत की निम्नांकित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति होना दर्शित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री का निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक लेखा भी तैयार नहीं किया गया है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                             | कार्य प्रभारी का नाम व पदनाम        | मस्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि | पत्रावली में संलग्न बिल के अनुसार सामग्री आपूर्ति की तिथि | बिल पर दर्शित भुगतान की धनराशि | भुगतान की तिथि           | सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत कुतुबुद्दीन में देवेन्द्र के खेत से महेन्द्र के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य | श्री गौरवेन्द्र सिंह पाल गा.वि.अ.   | 31.01.2019<br>31.01.2019                  | 12.02.2019<br>12.02.2019                                  | 2,48,974.00<br>56,460.00       | 08.05.2019<br>08.05.2019 | मै0 राजवीर सिंह 6/19 आवास विकास फरूखाबाद                |
| 2.      | ग्राम त्योंरी इस्माइलपुर में ट्रान्सफार्मर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य               | श्री नीरज यादव ग्राम पंचायत अधिकारी | 18.01.2019                                | 28.02.2019                                                | 43,113.00                      | 08.05.2019               | मै0 सन्तोष कुमार सिंह निवासी नगला पंचम कुम्हार फरूखाबाद |

क्रमांक 01 व 02 तक का योग:- - - 3,48,547.00

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य हेतु कार्य समाप्ति के बाद सामग्री क्रय पर राज्य वित्त एवं 14वे वित्त आयोग अनुदान की धनराशि का काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर ₹0-3,48,547.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जायसवाल तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव एवं कार्य प्रभारी श्री गौरवेन्द्र सिंह पाल एवं श्री नीरज यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-22)

## क्षेत्र पंचायत -मोहम्मदाबाद वर्ष- 2019-20

**प्रस्तर-46** ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार ब्याज मद में दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष ₹0-2086195.00 दर्शाया गया है जबकि 31.03.2019 को उपरोक्त शीर्ष में अवशेष ₹0-2550055.00 था इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 का अवशेष दिनांक 01.04.2019 को ₹0-463860.00

से बिना किसी कारण के कम दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। प्रारम्भिक अवशेष कम रुपया 463860 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-10)

**प्रस्तर-47** ग्रांट रजिस्टर तीन की जाँच में पाया गया कि क्रिटिकल गैस मद में दिनांक 01.08.2019 को ₹0-399924.00 प्रारम्भिक शेष था जिसे दिनांक 03.08.2019 को ग्राम पंचायत के नाम से पासबुक में निकासी दिखाई गयी है। इस प्रकार दिनांक 31.08.2019 को उक्त मद में अवशेष ₹0-0.00 हो गया किन्तु माह सितम्बर-2019 में उक्त मद में कोई आय न होने के बावजूद ₹0-399924.00 का पुनः व्यय दर्शाया गया है। पासबुक में भी दिनांक 18.09.2019 को चेक सं०-88514 द्वारा ग्राम पंचायत के नाम से ₹0-399924.00 निकाला गया है। इस प्रकार क्रिटिकल गैस मद में सितम्बर-2019 में प्रारम्भिक शेष शून्य, आय शून्य, कुल योग शून्य होने के बावजूद ₹0-399924.00 का व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-12)

**प्रस्तर-48 -** वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में ₹0-3576780.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। व्यय की धनराशि की पुष्टि में पत्रावली/प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने से व्यय की धनराशि ₹0-3576780.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि ₹0-3576780.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र यादव, श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-13)

**प्रस्तर-49** आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य में किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में श्रोत पर की गयी आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था आलोच्य वर्ष में कुल ₹0-268826.00 की कटौती की गयी एवं गतवर्ष की ₹0-103081.00 अवशेष थी इस प्रकार कुल ₹0-371907.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र यादव, श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-14)

**प्रस्तर-50** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त योजना की मद से निम्न विवरणानुसार कराए गए कार्यों में ठेकेदार मैसर्स बलराम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत सामग्री आपूर्ति के बिलों पर जी०एस०टी० की धारा 51 के अनुसार 2% की दर से टी०डी०एस० (जी०एस०टी०) की कटौती नहीं की गयी है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                                 | बिल की धनराशि          | बिल सं०/दिनांक                  | टी०डी०एस० जो नहीं काटा गया है |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1       | ग्राम पंचायत सितवनपुर पिथू में रोड निर्माण                                                   | 364505.00              | 37/02.09.2019                   | 7290.00                       |
| 2       | बरारिख में पुराने खंडजे से आगे इंटरलाकिंग ब्रिक कार्य                                        | 290819.00<br>310647.00 | 07/25.08.2019<br>28/30.08.2019  | 5816.00<br>6213.00            |
| 3       | कन्हैयाकूबपुर डामर रोड से लुखरियाई तक मिट्टी खंडजा कार्य                                     | 182520.00<br>400518.00 | 16/05.08.2019<br>34/17.09.2019  | 3650.00<br>8010.00            |
| 4       | दरौंदी रोड से भैयालाल के खेत तक मिट्टी खंडजा कार्य                                           | 362340.00              | 14/02.08.2019                   | 7247.00                       |
| 5       | पंचायत घर गैसिंगपुर से अतरसिंह के खेत तक मिट्टी खंडजा कार्य                                  | 466560.00              | 13/03.08.2019                   | 9331.00                       |
| 6       | ग्राम बनकटी से नगला नरायण रोड से पेबरब्रिक निर्माण कार्य                                     | 377274.00              | 31/12.08.2019                   | 7545.00                       |
| 7       | बनकटी में बाल्मीकि बस्ती से तालाब तक नाला निर्माण                                            | 455010.00              | 20/15.08.2019                   | 9100.00                       |
| 8       | गाजीपुर सी०सी० रोड से कुसज्जापुर तक इंटरलाकिंग ब्रिक निर्माण कार्य                           | 279090.00<br>397603.00 | 04./23.08.2019<br>21/26.08.2019 | 5582.00<br>7952.00            |
| 9       | ग्राम पंचायत नगला बाग रठौरा में गौवंश हेतु गौशाला में शेड का निर्माण                         | 376190.00              | 28/02.09.2019                   | 7524.00                       |
| 10      | ग्राम पंचायत जाजपुर गोवा में साधन सहकारी समिति से सामोद के नलकूप तक इंटरलाकिंग ब्रिक निर्माण | 266366.00<br>391806.00 | 19/06.08.2019<br>19/13.08.2019  | 5327.00<br>7836.00            |
| 11      | विकास खण्ड परिसर इंटरलाकिंग कार्य                                                            | 147597.00<br>194093.00 | 15/14.08.2019<br>29/20.08.2019  | 2952.00<br>3882.00            |
| 12      | गढ़ी से काली नदी पुल तक खंडजा कार्य                                                          | 181440.00<br>447498.00 | 11/26.08.2019<br>18/02.09.2019  | 3629.00<br>8950.00            |
| 13      | महेन्द्र सिंह के खेत से काली नदी तक नाला निर्माण कार्य                                       | 187336.00<br>265953.00 | 05/24.08.2019<br>36/02.09.2019  | 3747.00<br>5319.00            |

|    |                                                                                             |                        |                                |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 14 | धीरपुर में गिरन्द सिंह के घर से खंडजा तक नाला निर्माण कार्य                                 | 128498.00<br>128875.00 | 10/26.08.2019<br>25/29.08.2019 | 2570.00<br>2578.00 |
| 15 | बंसतपुर प्रा0पा0 से सुगीव सिंह यादव के मकान तक इंटरलाकिंग ब्रिक एवं पुलिया का निर्माण कार्य | 303085.00<br>359504.00 | 09/25.08.2019<br>27/05.09.2019 | 6061.00<br>7190.00 |
| 16 | मुकेश सिंह के खेत से विक्रम सिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य                               | 138127.00<br>235051.00 | 08/24.08.2019<br>23/27.08.2019 | 2763.00<br>4701.00 |
| 17 | डिग्री कालेज से सत्यपाल के खेत तक नाला निर्माण कार्य                                        | 180352.00<br>246173.00 | 06/24.08.2019<br>30/29.08.2019 | 3607.00<br>4923.00 |
| 18 | गढी नाला में शेरसिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य                                           | 182509.00<br>262566.00 | 01/23.08.2019<br>26/25.08.2019 | 3650.00<br>5251.00 |
| 19 | विक्रम सिंह के खेत से नन्हे लाल के खेत तक नाला निर्माण कार्य                                | 185154.00<br>291292.00 | 02/23.08.2019<br>24/25.08.2019 | 3703.00<br>5826.00 |
| 20 | सत्यपाल के खेत से रामबाबू के खेत होते हुए गढी नाला तक नाला एवं पुलिया निर्माण               | 143032.00<br>141791.00 | 03/23.08.2019<br>35/01.09.2019 | 2861.00<br>2836.00 |
| 21 | मेरापुर में अनिल मिश्रा के घर से ऊगरपुर गाव के मोड तक इंटरलाकिंग ब्रिक का निर्माण कार्य     | 268699.00<br>448449.00 | 12/27.08.2019<br>22/30.08.2019 | 5374.00<br>8969.00 |
|    | योग                                                                                         |                        |                                | 199765.00          |

अतः उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹0-199765.00 की टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) की कटौती नियमानुसार नहीं कर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र यादव, एवं श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। टीडीएस जीएसटी की पेनाल्टी सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-15)

**प्रस्तर-51** चतुर्थ राज्य वित्त योजना के धन से वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सितवनपुर पिथू में रोड निर्माण कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयी:-

1- कार्य की अनुमानित लागत ₹0-5.15 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार ₹0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारितबहुप्रचलित हो / में टेंडर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेंडर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेंडर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेंडर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

2- खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निविदा शर्तों में किसी भी निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि निविदादाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराये ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराये जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदाकर्ता आपूर्तिकर्ता द्वारा/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3- पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक ही अंकित हैं इस प्रकार श्री अनुपम बाजपेई को कार्य प्रभारी नियुक्त किया जाना संदिग्ध है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

4- पत्रावली में संलग्न टेंडरों के तुलनात्मक चार्ट में दिनांक अंकित नहीं है और न ही खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, अंाकिक के हस्ताक्षर पर ही दिनांक अंकित हैं फलतः टेंडर किस दिनांक को खोले गये अज्ञात रहा।

5- खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 30.08.2019 को जारी पत्र द्वारा मैसर्स श्री बलराम ंसिह यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया किन्तु उक्त आदेश पर पत्रांक अंकित नहीं है। जो कि आपत्तिजनक है।

6- सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स श्री बलराम सिंह यादव की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु संलग्न ₹0-100/- के स्टम्प पेपर सं0-एफ0बी0-595765 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित है और न ही अनुबन्धकर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही पाये। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

7- पत्रावली में संलग्न श्रीमती जलधारा देवी एवं महाराज जी कांस्ट्रक्शन की निविदा अस्वीकृत की गयी है किन्तु इस पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जो कि आपत्तिजनक हैं।

-8पत्रावली में संलग्न एम0बी0 सं0-051 जो कि सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित है, की जाँच करने पर पाया गया खण्ड विकास अधिकारी की पेड एण्ड कैसिल की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार अवर अभियन्ता आर0ई0डी0 के हस्ताक्षर तो हैं किन्तु उनकी मोहर नहीं लगी है। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि भी अंकित नहीं हैं स्पष्ट है कि एम0बी0 तैयार करने में अनियमितता बरती गयी है।

9-पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष दिनांक 01.12.2019 को चेक सं0-149614 के द्वारा कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेई या0वि0अ0 को रू0-49742.00 का भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं।

10- पत्रावली में कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं

11- पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) ज्ञात न हो सकी।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-414247.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-16)

**प्रस्तर-52** पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में दिनांक 30.08.2019 से 13.09.2019 तक कुल 40 श्रमिकों (7 कुशल एवं 33 श्रमिक) द्वारा कुल 15 दिनों में कार्य पूर्ण होना दर्शित है उक्त मस्टर रोल से सम्बन्धित एम0बी0 संख्या-35 में कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.08.2019 व कार्य पूर्ण होने की तिथि 12.09.2019 दर्शित है। इस प्रकार एम0बी0 के अनुसार कार्य 12.09.2019 को समाप्त हो गया। किन्तु मस्टर रोल के अनुसार कार्य 13.09.2019 को समाप्त हुआ। स्पष्ट है कि मस्टर रोल में एक दिन अधिक का काल्पनिक कार्य दर्शाकर निम्न विवरणानुसार धन का अपहरण किया गया-

| दिनांक     | श्रमिक          | दर      | देय धनराशि |
|------------|-----------------|---------|------------|
| 13.09.2019 | 6 (कुशल श्रमिक) | 350/दिन | 2100.00    |
| 13.09.2019 | 26 (श्रमिक)     | 182/दिन | 4732.00    |

उक्त धनराशि रू0-6832.00 का अपहरण कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-22.7)

## वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

**जनपद - कानपुर देहात**

**मण्डल - कानपुर**

**प्रारूप-3**

**क्षेत्र पंचायत:-रसूलाबाद**

**जनपद - कानपुर देहात**

## लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

**प्रस्तर सं0 1.** क्षेत्र पंचायत रसूलाबाद में वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0 6409132.00 का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य में व्यय किया गया है जिसका 1 प्रतिशत लेवर सेंस रू0 64091.00 संस्था द्वारा काटा गया, परन्तु उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मवार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया गया। शासनादेश सं0 752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार रू0 64091.00 उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मवार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना अपेक्षित है। उक्त नियम का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री बबबन राय एवं लेखाकार श्री मुकेश यादव उत्तरदायी रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

**क्षेत्र पंचायत:- संदलपुर**

**लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर सं0 2**

कार्य का नाम- डिलवल में मंगलपुर डेरापुर रोड से मंदर इंडिया तक इण्टरलॉकिंग कार्य।

योजना का नाम - चतुर्थ राज्य वित्त।

अनुमानित लागत - 5.59 लाख।

भुगतान की धनराशि - चेक सं0 दिनांक धनराशि

000365 15.06.2019 रू0 532857.00

उक्त कार्य की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी -

क) क्षेत्र पंचायत संदलपुर के वर्ष 2019-20 के इस्टीमेट के अनुसार ई/डब्ल्यू इन एक्सावेसन इन फाउन्डेशन में इस्टीमेट में लम्बाई 220 मी. स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक 3 के पेज संख्या 108 में 150 मी0 लम्बाई में ही कार्य कराया दर्शित है, इस प्रकार 70 मी. कम लम्बाई में कार्य कराया गया जो कि स्वीकृत लम्बाई से कम है।

ख).कंक्रीट वर्क 1:6:12 इस्टीमेट में 220 मी. लम्बाई में स्वीकृत है, जबकि एम0बी0 बुक 3 के पेज सं0 108 में 150 मी0 लम्बाई में ही कंकरीट कार्य किया गया। इस प्रकार स्वीकृत इस्टीमेट से 70 मी0 कम कार्य कराया गया।

ग). ई/डब्ल्यू इन कटिंग और फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल कार्य हेतु इस्टीमेट में 110 मी0 लम्बाई स्वीकृत है जो कि एम0 बी0 बुक 3 के पेज संख्या 109 में 66 मी0 में ही उक्त कार्य कराया गया इस प्रकार 44 मीटर कम कार्य कराया गया है।

घ). ब्रिक कार्य हेतु इस्टीमेट में 220 मी0 लम्बाई में कार्य स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक 3 पेज संख्या 110 में 150 मी0 ही ब्रिक कार्य कराया गया है जो कि स्वीकृत लम्बाई से 70 मी0 कम है।

ड). इस्टीमेट में इण्टरलॉकिंग कार्य 110 मी. लम्बाई में स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक 3 के पेज संख्या 110 में मात्र 59.5 मी0 में ही इण्टरलॉकिंग बिछाया गया दर्शित है इस प्रकार 50.50 में कम इण्टरलॉकिंग बिछाया गया है।

च). एम.बी. बुक में पेज संख्या 108 में बॉक्सिंग कार्य 75 मी. दर्शित है। जबकि एम.बी. बुक 3 में पेज संख्या 110 में इण्टरलॉकिंग कार्य 59.5 मी0 ही कराया गया दर्शित है। एम.बी. बुक 3 पेज संख्या 110 में ई/डब्ल्यू इन कटिंग और फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल 66 मी0 में दर्शित है। इस प्रकार इस्टीमेट एवं एम.बी. में भी अंतर पाया गया तथा एम.बी. में ही 75 मी. बॉक्सिंग कार्य किया गया तथा इण्टरलॉकिंग मात्र 59.50 में बिछाया गयी इस प्रकार अपनी एम0बी0 में अन्तर किया गया है।

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कल्पित एम0बी0 तैयार कर तथा कल्पित निर्माण फाईल तैयार करके भुगतान की गयी धनराशि रु0 532857.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0एस0 श्री कृष्णकांत, ख0वि0अधि0 श्री शिव कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

## क्षेत्र पंचायत:- सरवनखेड़ा

## जनपद - कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर सं0 3. क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा में वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.04.2019 को चेक सं0 502020 द्वारा रु0 2,09,349.00 से क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा के परिसर में पार्कों का सुन्दरीकरण के कार्य हेतु गत वर्ष का शेष भुगतान किया गया। परन्तु उक्त व्यय/भुगतान के सापेक्ष तत्सम्बन्धी कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिससे उक्त व्यय/भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।

अतः व्यय प्रमाणक/पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि रु0 209349.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन पटल प्रभारी एस0एन0 अवस्थी तथा तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री सुमित पटेल से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

प्रस्तर सं0 4 क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा में वर्ष 2019-20 में टेण्डर में पंजीयन की कार्यवाही विज्ञप्ति पत्रांक 588 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा दिनांक 21.08.2019 तक अल्पकालीन विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु पंजीकरण नवीनीकरण/नये शुल्क हेतु इच्छुक फर्म/ठेकेदार के आवेदन हेतु प्रति आवेदन रु0 1000.00 की दर से कुल पंजीयन शुल्क 4000.00 का संस्था की कैशबुक की आय के रूप अंकित न कर अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली तत्कालीन पटल प्रभारी संजय वर्मा तथा तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री दिनेश कुमार पाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

प्रस्तर सं0 5 दिनांक 30.03.2019 को चतुर्थ/राज्य वित्त योजना के कराये जाने वाले कार्यों हेतु टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि रु0 33000.00 को संस्था की कैशबुक में आय के रूप में अंकित न कर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली पटल प्रभारी श्री सुरेन्द्र नारायण अवस्थी तथा तत्कालीन बी0डी0ओ0 सुमित पटेल से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

## क्षेत्र पंचायत:- मैथा

## जनपद - कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर सं0 6 क्षेत्र पंचायत मैथा के वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्य में निम्न आपति रही-

कार्य का नाम- ग्राम पंचायत काशीपुर में पुराने इंटरलॉकिंग से हनुमान मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।

योजना का नाम - चतुर्थ राज्य वित्त।

अनुमानित लागत - 6.70 लाख।

| भुगतान की धनराशि - चेक सं0 | दिनांक     | धनराशि        |
|----------------------------|------------|---------------|
| 000193                     | 13.02.2020 | रु0 588445.00 |
| 000194                     | 13.02.2020 | रु0 77271.00  |
| योग                        |            | 665716.00     |

उक्त कार्य की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी हैं-

क) इस्टीमेट के अनुसार ई/डब्ल्यू इन एक्सवैसन इन फाउन्डेशन एट बॉक्सिंग की लम्बाई 100 मी. स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक नं0 5 के पेज संख्या 11 में उक्त कार्य की माप (राइट साइड 160.10 लेफ्ट साइड 130ण.20) 290.30 मी0 लम्बाई में की गयी है जो कि स्वीकृत लम्बाई



से अधिक है, जो कि इस्टीमेट के अनुसार होना चाहिए। 10 प्रतिशत से अधिक लम्बाई में परिवर्तन होने पर नियमानुसार संशोधित इस्टीमेट बनाया जाना चाहिए जो कि नहीं बनाया गया।

ख) बेस कंकरीट वर्क 1:6:12 का बॉक्सिंग कार्य हेतु 100 मीटर लम्बाई हेतु इस्टीमेट तैयार किया गया था जबकि एम0बी0 बुक संख्या 5 के पेज संख्या 11 में (राइट साइड 60+ लेफ्ट साइड 50) कुल 110 मीटर लम्बाई में उक्त कार्य कराया गया दर्शित है। इस प्रकार एम0बी0 में नींव खुदाई 290.3 मीटर लम्बाई में किया गया दर्ज है किन्तु बॉक्सिंग की नींव में बेस कंकरीट कार्य मात्र 110 मीटर लम्बाई में किया गया एम0बी0 में दर्ज है। इस प्रकार 180 मीटर नींव में बेस कंकरीट का कार्य नहीं कराया गया है।

ग) ब्रिक कार्य 100 मीटर लम्बाई हेतु इस्टीमेट में स्वीकृत है किन्तु उक्त के सापेक्ष 290.30 मी0 लम्बाई में बिना स्वीकृत के ही एम0बी0 बुक 5 के पेज संख्या 11 व 12 में ब्रिक कार्य दर्शाया गया है।

घ). उक्त कार्य के इस्टीमेट में 100 मी0 लम्बाई हेतु जी0एस0बी0 कार्य स्वीकृत किया गया था किन्तु एम0बी0 बुक सं0 5 पेज सं0 11 व 12 में 165.80 मी0 लम्बाई में कार्य दर्शाया गया है, जिसकी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ड). इस्टीमेट में इण्टरलॉकिंग कार्य 100 मी0 की लम्बाई में एवं 5 मी0 चौड़ाई में स्वीकृत है जबकि एम0बी0 बुक 5 पेज सं0 11 व 12 में 165.80 मी0 लम्बाई में तथा 2.88 मी0 की औसत चौड़ाई में इण्टरलॉकिंग कार्य दर्ज किया गया है इस प्रकार लम्बाई में 65.80 का एवं चौड़ाई में 2.12 औसत का वैरिएसन (विचलन) किया गया, जबकि 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन पर सक्षम अधिकारी से पुनः इस्टीमेट तैयार किया जाना अपेक्षित है, जिसे पुनः तैयार न कर अनियमितता की गयी है।

च). इण्टरलॉकिंग विछाई की दर प्रतिवर्ग मी0 रु0 846 दर्शाया गया है परन्तु रेट ऑफ एनालिसिस तैयार नहीं किया गया जिससे इस दर की पुष्टि नहीं की जा सकी।

छ). उक्त निर्माण पत्रावली में सक्षम अधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य स्थल की वास्तविक जानकारी नहीं हो सकी।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कल्पित एम0बी0 तैयार कर रु0 665716.00 (छः लाख पैंसठ हजार सात सौ सोलह) अनियमित भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार जे0ई0आर0ई0एस0 श्री मुहम्मद हलीम तथा लेखाकार श्री संजय वर्मा उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल

आपत्ति सं0 - 02

## क्षेत्र पंचायत:- झींझक

## जनपद - कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर सं0 7. क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के दिनांक 31.03.2019 बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष:-

|                                                                  |   |             |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1. बैंक ऑफ बडौदा, झींझक खाता सं0 3444010002521                   | - | 7210549.70  |
| 2. बी0यू0पी0जी0बी0 झींझक बी0यू0पी0जी0बी0 खाता सं0 51720100010893 | - | 7860971.50  |
| 3. बी0यू0पी0जी0बी0 झींझक खाता सं0 51720100008936                 | - | 2260742.00  |
| 4. बैंक ऑफ बडौदा, झींझक खाता सं0 34440100020562                  | - | 849.68      |
| 5. बैंक ऑफ बडौदा, झींझक खाता सं0 3444010004337                   | - | 844368.55   |
| 6. बी0यू0पी0जी0बी0 झींझक खाता सं0 51720123441                    | - | निल         |
|                                                                  |   | .....       |
| योग                                                              | - | 18177481.43 |

अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार दि0 31.03.2020 को अवशेष 18206115.43

अंतर की धनराशि 28634.00

यहां ये उल्लेखनीय है कि यदि अनकैशड चेक 000262 दिनांक 18.03.2020 रु0 39070.00 है जो मार्च 2020 में भुगतान हो गया होता एवं भुगतान होने के बाद पुनः खाते में जमा हो गया होता (क्योंकि यह जमानत की धनराशि थी तो बैंक का बैलेंस रु0 18177481.43 ही रहता, जबकि अनु0 रजि0 तृतीय के अनुसार 31.03.2020 का बैलेंस रु0 18206115.43 है। इस प्रकार 31.03.2020 को वास्तविक अंतर रु0 28634.00 का होता। अनु0 रजि0 तृतीय 01.04.2019 को अंतर भी रु 28634.00 का था। इस प्रकार दि0 31.03.2020 को गत वर्ष की भांति अंतर रु0 28634.00 रहा। यहा ये उल्लेखनीय है कि कि अनुदान रजि0 तृतीय से बैंक पासबुक का बैलेंस रु0 28634.00 से कम है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल एवं लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल उत्तरदायी रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

प्रस्तर सं0 8. क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत अनु0 रजि0 2 दि0 26.04.2019 को सेसकर शीर्ष के अन्तर्गत सेसकर की कटौती रु0 3317.00 एवं 2930.00 दर्शाया गया है, जबकि योग में शेषकर भुगतान रु0 18437.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 6247.00 के स्थान पर शेषकर भुगतान रु. 18437.00 करके अनावश्यक रूप से रु. 12190.00 शेषकर अधिक भुगतान करके राज्य वित्त मद अनुदान की धनराशि की क्षति की गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल एवं लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल उत्तरदायी

**प्रस्तर सं० 9.** क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के कार्य मंगलपुर असवी मार्ग से थाना परिसर मंगलपुर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण का क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2019 को प्रस्ताव सं० 15 द्वारा अनुमोदन किया गया, किन्तु अनियमित प्रक्रिया से अनुमोदन पूर्व ही दिनांक 08.04.2019 को चेक सं० 000287 द्वारा कान्ट्रेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी को संपूर्ण भुगतान ₹० 681613.00 कर दिया गया। इस गबन हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल एवं लेखाकार श्री रमेशचन्द्र कमल उत्तरदायी रहे। इनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूल आपति सं० - 27 अ**

**प्रस्तर सं० 10.** क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के पत्रांक 3313 दि० 10.03.2019 से कान्ट्रेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी को कार्यादेश दिया गया जिसमें जमानत राशि 10 प्रतिशत अर्थात् 7.76 लाख में ₹० 77600.00 जमा होनी चाहिए थी किन्तु बिना जमानत राशि जमा कराये ही कार्य कराया गया। अतः कार्य के भुगतान के बिल से कटौती करके ₹० 55086.00 तथा निविदा के समय जमा धरोहर राशि से ₹० 10000.00, इस प्रकार कुल ₹० 65086.00 ही लिया गया। इस प्रकार जमानत राशि ₹. 12514.00 कम जमा कराया गया। इस गंभीर अनियमितता के लिए लेखाकार श्री रमेश चन्द्रकमल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल प्रत्यक्षतः उत्तरदायी रहे। जिन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**मूल आपति सं०- 27 स**

**प्रस्तर सं० 11.** क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के पत्रांक 3215/लेखाकार/राज्यवित्त/मनरेगा-आंगनबाडी केन्द्र/2018-19 दिनांक 23.02.2019 द्वारा आमंत्रित निविदा में निम्नानुसार आपतियां हैं-

| क्रम सं | कार्य का नाम                                                               | प्राक्कलन के अनुसार (लाख में) | धरोहर धनराशि (रु.में) |               |               | निविदा प्रपत्र मूल्य (रु.में) |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                            |                               | जो अंकित है           | जो होना चाहिए | अंतर जो कम है | जो अंकित है                   | जो होना चाहिए | अंतर जो कम है |
| 1       | प्रा० पाठशाला उइछा मंजरा मुडेरा किन्नर सिंह में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण   | 6.63                          | 10000                 | 13260         | 3260          | 500                           | 1326          | 826           |
| 2       | प्रा० वि० खम्हैला द्वितीय में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण                     | 6.63                          | 10000                 | 13260         | 3260          | 500                           | 1326          | 826           |
| 3       | प्रा० पाठशाला बनीपारा महाराज में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण                  | 6.63                          | 10000                 | 13260         | 3260          | 500                           | 1326          | 826           |
| 4       | प्रा० पाठशाला बचीतजस्सू में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण                       | 6.63                          | 10000                 | 13260         | 3260          | 500                           | 1326          | 826           |
| 5       | प्रा० पाठशाला कछियनपुरवा बचीतपुरवा में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण            | 6.63                          | 10000                 | 13260         | 3260          | 500                           | 1326          | 826           |
| 6       | कटिका में सुमित पांडेय के मकान से मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण          | 2.85                          | 3000                  | 5700          | 2700          | 500                           | 570           | 70            |
| 7       | सहिरामऊ में मेनरोड से हॉयर सेकेन्ड्री स्कूल तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण      | 3.72                          | 5000                  | 7440          | 2440          | 500                           | 744           | 244           |
| 8       | सहिरामऊ में अवधेश सविता के मकान से राजपुर रोड तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण    | 4.10                          | 5000                  | 8200          | 3200          | 500                           | 820           | 320           |
| 9       | पशु अस्पताल विकासखंड परिसर में इंटरलॉकिंग रोड निर्माण                      | 3.40                          | 5000                  | 6800          | 1800          | 500                           | 680           | 180           |
| 10      | कमलाबाग में डामर रोड से कुलदीप बी.डी.सी. के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण | 4.94                          | 5000                  | 9896          | 4880          | 500                           | 988           | 488           |
| 11      | थवकासखण्ड परिसर में कृषि भवन की बाउंड्रीवाल निर्माण                        | 4.62                          | 10000                 | 17240         | 7240          | 500                           | 1500          | 1000          |
| 12      | मंगलपुर असवी मार्ग से थाना परिसर मंगलपुर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण         | 7.76                          | 10000                 | 15520         | 5520          | 500                           | 1500          | 1000          |

|    |                                                            |      |      |      |       |     |     |         |
|----|------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----|-----|---------|
| 13 | ग्राम मंगलपुर से चतुर्भुज मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण  | 1.74 | 2000 | 3480 | 1480  | 500 | 400 | (-)-100 |
| 14 | विकासखण्ड झींझक के ऑफिस में मरम्मत एवं पुताई/पेंटिंग कार्य | 1.43 | 2000 | 2860 | 860   | 500 | 400 | (-)-100 |
|    | योग                                                        |      |      |      | 46420 |     |     | 7232    |

इस प्रकार प्रत्येक कार्य हेतु 3 निविदा फार्मों की बिक्री की गयी है, अतः रु0 7232.00 फार्म की बिक्री मूल्य से कम किए जाने से राजस्व की क्षति हुई है। इसके लिए लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल उत्तरदायी हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों में धरोहर राशि रु0 46420.00 कम जमा कराई गयी, इस प्रतिकूल स्थिति के कारण राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल उत्तरदायी होंगे।

इस प्रकार कुल धनराशि 53652.00 की क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 28

**प्रस्तर सं0 12.** क्षेत्र पंचायत झींझक के वर्ष 2019-20 के धर्मपुर में महिपाल के मकान से पुलिया तक एवं सतीश के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य वर्ष 2019-20, के अवलोकन में पाया गया कि कार्य वर्ष 2019-20 में शुरू कराया गया किन्तु यह दिनांक 27.10.2020 को प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा पास हुआ। बताया गया कि पहले यह दि. 10.09.2018 को प्रस्ताव सं0 7 के द्वारा पास हुआ था। नियमानुसार उक्त कार्य को वर्ष 2019-20 में पुनः पास करना चाहिए था। यह गंभीर अनियमितता का प्रसंग है जो क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 86(1) का उल्लंघन करता है।

अतः उक्त कार्य के अनियमित भुगतान रु. 985915.00 के लिए लेखाकार श्री रमेश चन्द्र कमल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुमित पटेल उत्तरदायी रहे। इन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

## क्षेत्र पंचायत:- अमरौधा

## कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

**प्रस्तर सं0 13.** क्षेत्र पंचायत अमरौधा के वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा 2 प्रतिशत जीएसटी काटा गया है तथा शेष 10 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान संस्था को किया गया है। किन्तु शेष 10 प्रतिशत जीएसटी जमा के चालान संबन्धित धनराशि रु. 1088404.00 के लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके लिए पटल प्रभारी श्री पी0के0 बिश्नोई एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। इन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 13

**प्रस्तर सं0 14.** क्षेत्र पंचायत अमरौधा के वर्ष 2019-20 में विकासखंड कार्यालय में आवासीय भवन 4,5 एवं 6 की मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रु.702868.00 की पुष्टि में कार्य प्रारंभ से पूर्व के फोटोग्राफ्स तथा कार्य के मध्य/दौरान के फोटोग्राफ्स लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, साथ ही उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया गया, अतः व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए पटल प्रभारी श्री पी0के0 बिश्नोई एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। इन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 14

## क्षेत्र पंचायत:- अकबरपुर

## जनपद - कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

**प्रस्तर सं0 15.** क्षेत्र पंचायत अकबरपुर के वर्ष 2019-20 में ग्राम बुढ़िया में शिवनाथ के खेत से शिवप्रसाद के खेत तक खडंजा व हयूम पाइप पुलिया निर्माण एल-500 एम हेतु ठेकेदार मे0 सरोज को बिना अन्तिम बिल प्रस्तुत किए मात्र जे0ई0 की एम0बी0के आधार पर रु. 910601.00 का भुगतान किया गया इस अनियमितता के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अशोक कुमार, श्री वेद प्रकाश मौर्य, अजयवीर सिंह जिम्मेदार रहे। इन पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 04

**प्रस्तर सं0 16** क्षेत्र पंचायत अकबरपुर के वर्ष 2019-20 में सदस्यों की बैठक दिनांक 15.11.2019 का मानदेय क्रमश:-

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| क्षेत्र पंचायत सदस्य | - | 75/500=37000 |
| ग्राम पंचायत सदस्य   | - | 59/500=29500 |
| जिला पंचायत सदस्य    | - | 2/500=1000   |
| विधान परिषद सदस्य    | - | 1/500=500    |
| योग                  |   | 68000        |

उक्त भुगतान के सापेक्ष भुगतान प्राप्त हस्ताक्षर युक्त सूची/रसीद पंजिका अप्राप्त रही। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान को काल्पनिक दर्शाकर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी एवं कनिष्ठ सहायक प्रवेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 12

## क्षेत्र पंचायत:- मलासा

## जनपद - कानपुर देहात

### लेखा परीक्षा वर्ष - 2018-19 एवं 2019-20

**प्रस्तर सं0 17.** क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में दिनांक 04.04.2018 से 10.04.2018 तक विकासखण्ड परिसर में रंगाई पुताई का फिनिशिंग कार्य के लिए चेक सं0 00385/दिनांक 25.04.2018 से रु. 19302 के मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल अप्राप्त रहे। इसी प्रकार प्रमुख कार्यालय कक्ष निर्माण की मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 25.04.2018 को चेक सं0 387 दिनांक 25.04.2018 रु. 66632.00 के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार उपरोक्त कार्यो की मजदूरी पर व्यय कुल रु. 19302\$66632 = 85934 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री पी0एन0 दीक्षित व शशिकेश वाजपेयी से की जानी अपेक्षित है।

#### मूल आपति सं0 - 14

**प्रस्तर सं0 18.** क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2018-19 में विकासखण्ड मलासा परिसर में महिला व पुरुष के प्रथक प्रथक शौचालय व स्नानागार में लागत रु0 6.50 लाख के सापेक्ष में0 विदुर कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स पुखरायां के प्रथम रनिंग बिल से भुगतान रु0 597830.00 किया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका (एम0बी0), कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित, प्रारम्भ, चालू व समस्त के फोटोग्राफ अप्राप्त रहे। उक्त अभिलेखों के अभाव के लेखा परीक्षा की दृष्टि से काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त राशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री पी0एन0 दीक्षित व शशिकेश वाजपेयी से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपति सं0 - 15**

**प्रस्तर सं0 19.** क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सम्प्रेक्षक दल को लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निम्नलिखित पत्रावलियां अप्राप्त रहीं।

| क्रमांक | कार्य का नाम                                                        | फर्म का नाम                                            | चेक सं0/दिनांक                     | धनराशि    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1       | विकासखण्ड कार्यालय के सामने टीनशेड व बेस का निर्माण                 | लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात | 0394/20.06.2018                    | 183343.00 |
| 2       | जगम्हनपुर बम्बा से बिहार तक खडंजा निर्माण                           | अजय कुमार बाजपेई 128/286 एच ब्लाक किदवई नगर            | 0363/20.06.2018<br>0396/20.06.2018 | 725732.00 |
| 3       | बिदखुरी सरहद से हीशपुर तक खडंजा निर्माण                             | विदुर कान्ट्रेक्टर पुखरायां                            | 0398/20.6.2018                     | 888612.00 |
| 4       | जलालपुर से मुरलीपुर तक खडंजा निर्माण का अवशेष भुगतान                | विदुर कान्ट्रेक्टर पुखरायां                            | 0400/25.06.2018                    | 92846.00  |
| 5       | विकासखण्ड परिसर में पार्क सुन्दरीकरण                                | लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात | 0361/26.06.2018                    | 452585.00 |
| 6       | विकासखण्ड परिसर में पेडों व चबूतरा निर्माण                          | लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात | 0362/28.06.2018                    | 95856.00  |
| 7       | विकासखण्ड परिसर आवासीय भवनों में                                    | लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात | 0365/29.06.2018                    | 151646.00 |
| 8       | ठेकेदारों को पंजीकरण व कार्य हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु व्यय | अमर उजाला व दैनिक जागरण आदि                            | -                                  | 115096.00 |
| 9       | ए0डी0ओ0 पंचायत निर्माण हेतु सामग्री क्रय                            | विदुर कान्ट्रेक्टर पुखरायां                            | 0318/02.08.2018                    | 19148.00  |
| 10      | मलासा से धौकलपुर तक 500 मी0 खडंजा निर्माण                           | -                                                      | 0319/02.08.2018                    | 888303.00 |
| 11      | विकासखण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष निर्माण हेतु सामग्री क्रय           | विदुर कान्ट्रेक्टर पुखरायां                            | -                                  | 219247.00 |
| 12      | जी0एसी0टी0 आयकर शेष पत्रावलियां                                     | अजय कुमार बाजपेई 128/286 एच ब्लाक किदवई नगर            | -                                  | 53130.70  |
| 13      | -                                                                   | इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात         | 0414/26.06.2019                    | 446677.00 |
| 14      | हाल से जोड़कर शौचालय निर्माण                                        | इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात         | 0328/06.03.2020                    | 94153.00  |
| 15      | विकासखण्ड परिसर में सैपटी टैंक व पाइप फिटिंग                        | इण्टर प्राइजेज शारदा नगर पुखरायां कानपुर देहात         | 0329/25.04.2018                    | 39813.00  |
| 16      | 5 कार्यो का टेण्डर प्रकाशन हेतु                                     | अमर उजाला पुखरायां कानपुर देहात                        | 0327/22.01.2020                    | 38538.00  |

|  |  |  |     |            |
|--|--|--|-----|------------|
|  |  |  | योग | 4504725=00 |
|--|--|--|-----|------------|

उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः अभिलेखों/पत्रावलियां के अभाव में कुल व्यय रु० 4504725.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० शशिकेश बाजपेई, मंगल सिंह, एवं भगवान सिंह चौहान एवं लेखाकार जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 16

प्रस्तर सं० 20. क्षेत्र पंचायत मलासा के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में दिनांक 05.07.2019 को क्षेत्र पंचायत सदस्यों/प्रधानों का बोर्ड बैठक में सदस्यों का मानदेय भुगतान रु० 69000.00 चेक सं० 00325/26.06.2019 से किया गया। उक्त भुगतान के सापेक्ष सदस्यों से भुगतान प्राप्त हस्ताक्षर युक्त पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री सुनील पाल एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 17

### प्रारूप - 3

#### संस्था का नाम -क्षेत्र पंचायत

#### जनपद- कानपुर नगर

#### ले०प० वर्ष 2019-20

#### 1-क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-सरसौल

प्रस्तर संख्या 01 -

| क्र<br>सं | माह<br>मद                   |          | अप्रैल       | मई            | जून           | जुलाई | अगस्त         | सितंबर       | अक्टूबर       | नवंबर        | दिसंबर      | जनवरी        | फरवरी         | मार्च         | कुल<br>योग  |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|           |                             |          |              |               |               |       |               |              |               |              |             |              |               |               |             |
| 1.        | मनरेगा                      | आ<br>य   | 0.00         | 1480<br>00.00 | 0.00          | 0.00  | 2720<br>00.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 6000<br>0.00 | 5030<br>00.00 | 3697<br>50.00 | 1352<br>750 |
|           |                             | व्य<br>य | 5040<br>0.00 | 0.00          | 2684<br>00.00 | 0.00  | 0.00          | 7360<br>0.00 | 1729<br>00.00 | 1168<br>2.00 | 1350<br>.00 | 0.00         | 0.00          | 5630<br>00.00 | 1141<br>332 |
| 2.        | आंगनबाड़ी केंद्र<br>पूरनपुर | आ<br>य   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0         |
|           |                             | व्य<br>य | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0         |
| 3.        | अन्य<br>ब्याज               | आ<br>य   | 0.00         | 3734.<br>00   | 3573.<br>00   | 0.00  | 0.00          | 6141.<br>00  | 257.0<br>0    | 4188.<br>00  | 1420<br>.00 | 256.0<br>0   | 0.00          | 2940.<br>00   | 2250<br>9   |
|           |                             | व्य<br>य | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 7174<br>7.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 7174<br>7   |
| 4.        | वैट<br>/इनकम<br>टैक्स       | आ<br>य   | 1329<br>5.00 | 0.00          | 1402.<br>00   | 0.00  | 0.00          | 5676.<br>00  | 3777<br>6.00  | 3729.<br>00  | 0.00        | 0.00         | 4477.<br>00   | 0.00          | 6635<br>5   |
|           |                             | व्य<br>य | 0.00         | 0.00          | 1329<br>5.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 5306<br>0.00  | 0.00          | 6635<br>5   |
| 5.        | तेरहवाँ<br>वित्त            | आ<br>य   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0         |
|           |                             | व्य<br>य | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 6.        | आँगन<br>बाड़ी               | आ<br>य   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 8960<br>00.00 | 8960<br>00  |
|           |                             | व्य<br>य | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0           |

|     |                                     |          |               |               |              |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |
|-----|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.  | इंद्रा<br>आवास<br>प्रशा 0           | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0           |               |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 147.0<br>0    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 147           |
| 8.  | इंद्रा<br>आवास<br>ग्रा पं           | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0           |               |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5172.<br>00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5172          |
| 9.  | स्वच्छ<br>शौचाल<br>य                | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0           |               |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0           |               |
| 10. | प्रा म<br>आवास<br>प्रासंगि<br>क     | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.0           |               |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 776.0<br>0    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 776           |
| 11. | प्रा<br>माडल<br>हाउस                | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 5000<br>0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5000<br>0     |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 4300<br>0.00 | 5910<br>0.00  | 0.00          | 0.00          | 6651<br>5.00  | 1385.<br>00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1700<br>00    |
| 12. | ठेकेदार<br>पंजीकर<br>ण              | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1000<br>0.00 | 0.00          | 0.00          | 1000<br>0.00  | 2000<br>0     |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.0           |
| 13. | जी एस<br>टी                         | आ<br>य   | 1329<br>5.00  | 0.00          | 1402.<br>00  | 0.00          | 0.00          | 564.0<br>0    | 3777<br>6.00  | 3729.<br>00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5676<br>6     |
|     |                                     | व्य<br>य | 3130<br>6.00  | 1329<br>4.00  | 0.00         | 1402.<br>00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 4207<br>0.00  | 0.00          | 8807<br>2     |
| 14  | श्रमिक<br>उपकार                     | आ<br>य   | 6647.<br>00   | 0.00          | 701.0<br>0   | 0.00          | 0.00          | 1973.<br>00   | 1888<br>8.00  | 1865.<br>00   | 0.00         | 0.00          | 2239.<br>00   | 0.00          | 3231<br>3     |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.0           |
| 15  | किसान<br>सम्मान<br>कॅटीजे<br>न्सी   | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.0           |
|     |                                     | व्य<br>य | 1000<br>0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1000<br>0     |
| 16  | गोवंश<br>आश्रय<br>स्थल              | आ<br>य   | 2000<br>00.00 | 0.00          | 0.00         | 2000<br>00.00 | 5000<br>00.00 | 0.00          | 0.00          | 3000<br>00.00 | 0.00         | 0.00          | 5000<br>00.00 | 0.00          | 1700<br>000   |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 1002<br>65.50 | 0.00         | 9900<br>0.00  | 0.00          | 4990<br>00.00 | 1900<br>00.00 | 0.00          | 0.00         | 2000<br>00.00 | 0.00          | 4500<br>00.00 | 1538<br>265.5 |
| 17  | गोवंश<br>आश्रय<br>स्थल<br>ब्याज     | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 1222.<br>00  | 0.00          | 0.00          | 2054.<br>00   | 0.00          | 0.00          | 1524<br>.00  | 0.00          | 0.00          | 1756.<br>00   | 6556          |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.0           |
| 18  | राष्ट्रीय<br>ग्रामीण<br>आजीवि<br>का | आ<br>य   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1800<br>00.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 6300<br>0.00  | 2430<br>00    |
|     |                                     | व्य<br>य | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2910<br>2.00  | 5325<br>9.00 | 1523<br>5.00  | 0.00          | 0.00          | 9759<br>6     |

[illegible]

ग्रांट रजिस्टर 3 में उक्तानुसार आय व्यय का अंकन किया गया है। किन्तु उक्त दर्शित आय व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान आय - व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ, व्यय व लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देशक सिद्धांतों का संकलन, व्यय प्रमाणक, बैंक पासबुक व अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित आय ₹ 4446249.00 तथा उक्त दर्शित व्यय ₹ 3189462.50 की लेखा परीक्षा अनुसार पुष्टि न की जा सकी। उक्तानुसार बिना प्रमाणकों, पत्रावलियों के व्यय दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त दर्शित व्यय ₹ 3189462.50 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त से की जानी अपेक्षित है।

(मूल

आपत्ति संख्या -11)

**प्रस्तर संख्या 02-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम विपौसी मे डामर रोड से शमशान घाट तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच सेनिम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

1-कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ख - वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फ़ाइल के साथ संलग्न नहीं रही ।

ग - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओ से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

घ -उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी ; संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पृष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

च-कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

छ -पत्रावली कि जांच से जात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध मे कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट मे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा

जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

( ज ) टेंडर से संबंधित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

( झ ) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया -

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

2. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही।

3. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

( ट ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

( ठ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक, कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

( ड ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यदेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबंधित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

( ढ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु.879810 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या -12)

**प्रस्तर संख्या 03 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम सुनहैला में राम भरोसे के घर सेननकू भुरजी के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जांच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क - कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60 एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ख - वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही।

ग - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

घ - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी; संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।



1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।
  2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमितः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमितः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।
  3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
  4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
  5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
- च - कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
- छ - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
- ( ज ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्त के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
- (झ ) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया -
1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।
  - 2 . कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही ।
  - 3 . निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।
- ( ट ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।
- (ठ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक ,कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।
- ( ड ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या -13 )

**प्रस्तर संख्या 04 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम रायपुर नर्वल में रमेश कुरील के घर से ननकू मोती कुरील के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

**क -** कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

**ख -** वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही ।

**ग -** उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

**घ -** उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1 .उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी हैं जो अपेक्षित थी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

**च -** कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

**छ -** पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( ज ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( झ ) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया -

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

2 . कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही ।

3 . निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

( ट ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

( ठ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

( ड ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या - 14 )

**प्रस्तर संख्या 05 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम सरसौल में सरसौल बाजार से राम अवतार तिवारी के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

**क -** कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

**ख -** वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही ।

**ग -** उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

**घ -** उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1 .उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

च - कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

छ - पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( ज ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

(झ ) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया -

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

2 .कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही ।

3 .निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

( ट ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ठ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक ,कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

( ड ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -15)

**प्रस्तर संख्या 06 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम महाराजपुर के मजरा बदलुवापुर में डामर रोड से धनी राम के चक तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ख - वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही।

ग - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

घ - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी हैं जो अपेक्षित थी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

च -कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

छ -पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

( ज ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

(झ) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया -

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

2. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही।

3. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ट) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ठ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक, कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

(ड) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यदेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

(ढ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी हैं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -16 )

**प्रस्तर संख्या 07 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी सरसौल के आवास मरम्मत, बिजली, वाटर लाइन आदि मरम्मत कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जांच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क - कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ख - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी, संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39 लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

4.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत)द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ग - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०)2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यदेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

घ - वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही।

च - टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

छ - संस्था द्वारा परिसंपत्ति पंजिका न प्रस्तुत करने से खंड विकास अधिकारी का आवास (जहां मरम्मत कार्य कराया गया है) क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति है या नहीं यह अज्ञात रहा अतः कराया गए मरम्मत कार्य के नियमानुसार होने की पुष्टि न की जा सकी। संलग्न प्राक्कलन के अनुसार 'प्रस्तावित कार्य' से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या -सरकारी कर्मचारी/अधिकारी 'अंकित' है। राजकीय अनुदान का उद्देश्य व्यापक जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना होता है। मात्र एक व्यक्ति को लाभान्वित करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों व वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन न कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। ₹ 811192.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति

संख्या -17)

**प्रस्तर संख्या 08 -** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत विकास खंड सरसौल के मीटिंग हाल का सुन्दरीकरण/रीपेयरिंग कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क -कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

ख -उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है।

4.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है जो अपेक्षित थी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत)द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी तथा भुगतान कर दिया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

ग -उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे अनियमितता की गयी है ।

घ -वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ प्रोजेक्ट फाइल के साथ संलग्न नहीं रही ।

च -टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में कपटपूर्ण रूप से नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या -18 )

## **02-क्षेत्र पंचायत-कल्याणपुर**

**प्रस्तर संख्या 09-** आलोच्य वर्ष : 2019-20 के दौरान विभिन्न फर्मों के बिलों से काटी गयी जमानत धनराशि को ग्रांट रजिस्टर-3 में दर्शायी गयी जमानत राशि मद की प्राप्ति में अंकित नहीं किया गया है।ग्रांट रजिस्टर-3 में जमानत राशि मद में प्राप्त धनराशि शून्य अंकित है जबकि राज्य वित्त से कराए गए निर्माण/मरम्मत कार्य की पत्रावलियों में संलग्न बिलों व भुगतान आदेशों के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत बिलों से जमानत राशि के कुल ₹0 341361 की कटौती की गयी है।इससे जमानत धनराशि की देयता(लायबिलिटी) का खोजना दुष्कर हो जाता है तथा जमानत धनराशि के राज्य वित्त के कार्यों में व्यय होने की संभावना भी है।इस प्रकार काटी गयी जमानत धनराशि को ग्रांट रजिस्टर-3 में अंकित न कर के गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी-श्री अनुरुद्ध सिंह चौहान,ब्लाक प्रमुख-श्री अजय यादव व लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

**प्रस्तर संख्या 10-** जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों,सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-TDS का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांक: 01-10-2018 से 30 प्र0 में प्रभावी है।वित्त वर्ष 2019-20 में खुले टेण्डर/अनुबंध के माध्यम से राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों की कुल धनराशि ₹0 6772237.77 के सापेक्ष 2 प्रतिशत आयकर काटकर व 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़कर संबंधित फर्मों को भुगतान किया गया है,इस भुगतान में जी0एस0टी0 की 12 प्रतिशत धनराशि ₹0791666.28 भी सम्मिलित है।नियमानुसार भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत जी0एस0टी0-टी.डी.एस. की धनराशि काटकर ही भुगतान किया जाना था ।

लेखाकार के अनुसार प्रस्तुत बिल की धनराशि पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान ठेकेदार को इस हेतु किया गया है कि उक्त धनराशि को वाणिज्य कर/जी0एस0टी0 विभाग के खाता में जमा कर दिया जाए,लेकिन यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है,प्रत्येक बिल के भुगतान पर 12 प्रतिशत की जी0एस0टी0 धनराशि में से 10 प्रतिशत ठेकेदार को जमा करने हेतु देना है तथा 2 प्रतिशत की धनराशि संस्था को फर्म के बिलों से काटकर स्वयं जमा करना है जिससे कि संबंधित फर्म जी0एस0टी0 की धनराशि को जी0एस0टी0 विभाग के खाते में जमा करने को बाध्य हो.ठेकेदार को 12 प्रतिशत-जी0एस0टी0 की धनराशि जो जमा करने हेतु दी गयी है,उसकी पुष्टि में जमा चालान की प्रति पत्रावली में संरक्षित कर नहीं रखी गयी है जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि को संबंधित विभाग में जमा किया गया है या नहीं. इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री अनुरुद्ध सिंह चौहान , ब्लॉक प्रमुख-श्री अजय यादव एवं लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)



**प्रस्तर संख्या 11-** 30प्र0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली-2009(जो 30प्र0 में दिनांक: 04 फरवरी,2009 से लागू है) के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर/लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी.प्रमुख अभियंता ने अप्रैल,2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है.कटौती उपरांत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तिया उपशीर्षक-11 में जमा किया जाना है,लेकिन इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है.आलोच्य वर्ष में कराये गये निर्माण कार्योमें कुल लागत/व्यय रु0 6772237.77 है जिसके सापेक्ष 1 प्रतिशत की दर से आगणित लेबर सेस रु0 67722. है.नियमानुसार बिल भुगतान से पूर्व 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि रु0 67722 काटकर ही संबंधित ठेकेदारो/फर्म को भुगतान किया जाना था.उल्लेखनीय है कि लेबर सेस की धनराशि से भारत सरकार द्वारा मजदूरो के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं का वित्त पोषण होता है.लेबर सेस की कटौती न करना गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-श्री अनुरुद्व सिंह चौहान ,ब्लाक प्रमुख-श्री अजय यादव एवं लेखाकार-श्री देवेन्द्र शर्मा उत्तरदायी है। 1 प्रतिशत लेबर सेस की ब्याज सहित वसूली कर जमा किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति

संख्या-8)

### 3. क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर

**प्रस्तर संख्या 12 -** टेण्डर प्रपत्र का मूल्य 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेण्डर के लिये अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत (न्यूनतम रु0 400.00 अधिकतम रु0 1500.00) और 10 लाख से ऊपर के लिये 0.15 प्रतिशत (अधिकतम 25000.00)जी0एस0टी0 जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। संस्था द्वारा पत्रांक 681/लेखा/क्षे0पं0/च0रा0वि0आ0/ निविदा/2019-20,दिनांक 11.10.19 को निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रं0 | कार्य तथा कार्यस्थल का नाम                                                                                                    | प्राक्कलन की धनराशि (लाख में) | बिड सिक्योरिटी | निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित) | निविदा मूल्य जो होना चाहिए |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1     | ग्राम पंचायत काकूपुर रबबन में पीपल के पास से छतरपुर सम्पर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग की मरम्मत का कार्य।                           | 7.21                          | 14420.00       | 500.00                              | 1442.00                    |
| 2     | ग्राम पंचायत निशो न खण्ड जैतपुर में श्रीपाल के यहाँ से वीरसिंह के घर तक नाली निर्माण।                                         | 0.52                          | 1050.00        | 300.00                              | 400.00                     |
| 3     | ग्राम पंचायत छतरपुर में खरेष्वर चैराहे से अजीतराय निवादा तक नाला निर्माण।                                                     | 3.84                          | 7680.00        | 300.00                              | 768.00                     |
| 4     | ग्राम पंचायत सखरेज में शिवराजपुर गहरा सम्पर्क मार्ग (गुड्डु सिंह के घर ) से छिददू के घर के पास तिराहे तक इंटरलॉकिंग का कार्य। | 4.14                          | 8280.00        | 300.00                              | 828.00                     |
| 5     | विकास खण्ड परिसर में मूत्रालय का निर्माण।                                                                                     | 0.82                          | 1640.00        | 300.00                              | 400.00                     |
|       | योग-                                                                                                                          |                               |                | 1700.00                             | 3838.00                    |
|       | प्रत्येक कार्य के लिए तीन फर्मों को निविदा फार्म बेचे गये अतः निविदा फार्म बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि             |                               |                | 5100.00                             | 11514.00                   |

तथा संस्था द्वारा वर्ष 2019-20 में ही पुनः पत्रांक 1138/लेखा/क्षे0पं0/च0रा0वि0आ0/ निविदा/2019-20, दिनांक 26.02.2020 को निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रं0 | कार्य तथा कार्यस्थल का नाम                                                                                                    | प्राक्कलन की धनराशि (लाख में) | बिड सिक्योरिटी | निविदा मूल्य (टेण्डर में विज्ञापित) | निविदा मूल्य जो होना चाहिए |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1     | ग्राम पंचायत दुबियाना खण्डपुरवा में पंचायत घर से सुनील कोरी के दरवाजे होते हुए मनीराम के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण। | 5.08                          | 10200.00       | 500.00                              | 1016.00                    |
| 2     | ग्राम पंचायत पाठकपुर में जी0टी0रोड से जगदेव सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                                      | 1.49                          | 3000.00        | 300.00                              | 400.00                     |
| 3     | ग्राम पंचायत काकूपुर रबबन में राजेन्द्र बाजपेई के घर से बिन्दु बाजपेई के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                 | 2.26                          | 4500.00        | 300.00                              | 452.00                     |
| 4     | ग्राम पंचायत भैसऊ में राजू पाल के दरवाजे से मयंक पाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                              | 2.65                          | 5300.00        | 300.00                              | 530.00                     |
| 5     | ग्राम पंचायत दिनकरपुर खण्ड बषी निवादा हरनू मार्ग से गुरुकुल विधा मन्दिर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                     | 2.80                          | 5600.00        | 300.00                              | 560.00                     |
| 6     | ग्राम पंचायत पाठकपुर में जी0टी0रोड से प्याम बाबू के घर तक                                                                     | 4.07                          | 8200.00        | 300.00                              | 814.00                     |

|   |                                                                                                                   |      |          |         |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|
|   | इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                                                                                    |      |          |         |          |
| 7 | ग्राम पंचायत भीटी खण्ड सुज्जा निवादा रोड से षेरापाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                   | 8.68 | 13400.00 | 500.00  | 1500.00  |
| 8 | ग्राम पंचायत वा चीपुर में जोगिन डेरा (दीपूनाथ) से बाघीपुर में नन्हे राठौर के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण। | 6.03 | 12100.00 | 500.00  | 1206.00  |
|   | योग-                                                                                                              |      |          | 3000.00 | 6478.00  |
|   | प्रत्येक कार्य के लिए तीन फर्मों को निविदा फार्म बेचे गये अतः निविदा फार्म बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि |      |          | 9000.00 | 19434.00 |

उक्त कार्यों हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार तीन-तीन फर्मों ने निविदा फार्म क्रय किये थे। जिनसे रु0 कुल रु0 14100.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु आगणित धनराशि के अनुसार वास्तविक निविदा मूल्यों का योग रु0 30948.00 होता है। इस अनुसार कुल रु0 30948.00 का राजस्व निविदा फार्म बिक्री से आना था। जिसमें रु0 16848.00 के राजस्व की कमी हुई है, जिसके लिए लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः निविदा फार्म बिक्री में हुई राजस्व की क्षति रु0 16848.00 की क्षतिपूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार रजक, लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 23)

**प्रस्तर संख्या -13** वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01.4.19 से 31.3.2020 के बीच राज्य वित्त योजना से कराये गये निर्माण कार्यों में रु0 2621285.00 के सापेक्ष 02 प्रतिशत आयकर रु0 46823.00 तथा 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु 46823.00 काटकर रु0 2527639.00 का शुद्ध भुगतान किया गया है। नियमानुसार भुगतान से पूर्व 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि रु0 23412.50 काटकर ही भुगतान किया जाना था। जिससे कि लेबर सेस की धनराशि को सम्बन्धित डिपार्टमेंट में जमा कराया जा सकता। किन्तु लेबर सेस की 1 प्रतिशत धनराशि न काटे जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से रु0 23412.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी है जिसमें श्री आलोक पाण्डेय .वि.अधि. तथा श्री राजेन्द्र कुमार रजक, लेखाकार दोनों लोगों से ब्याज सहित वसूल करके सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -24)

**प्रस्तर संख्या 14-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकाली गई अल्पकालीन निविदा का कार्य वर्ष 2019-20 में हुआ है। अतः इन निर्माण कार्यों में हुई निविदा प्रपत्र के मूल्यों की कमी पर निम्न आपति हैं-

टेण्डर प्रपत्र का मूल्य 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेंडर के लिये अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत (न्यूनतम रु0 400.00 अधिकतम रु0 1500.00) और 10 लाख से ऊपर के लिये 0.15 प्रतिशत (अधिकतम 25000.00) जी0एस0टी0 जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। संस्था द्वारा पत्रांक 786/लेखा/क्षे0प0/च0रा0वि0आ0/ निविदा/2018-19, दिनांक 30.11.2018 को निविदा का प्रकाशन कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रं0 | कार्य तथा कार्यस्थल का नाम                                                                                           | प्राक्कलन की धनराशि (लाख में) | बिड सिक्योरिटी | निविदा मूल्य (टेण्डर मे विज्ञापित) | निविदा मूल्य जो होना चाहिए |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1     | गोडरा में छेदीलाल कश्यप के दरवाजे से पवन के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य।                                   | 6.048                         | 12096          | 500                                | 1210                       |
| 2     | जदेपुर घस्सा में बम्बा की पुलिया से प्राथमिक स्कूल तक इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड निर्माण।                                 | 6.760                         | 13520          | 500                                | 1352                       |
| 3     | शाहपुर कामा में अरविन्द के दरवाजे से दुल्ला के दरवाजे से होते हुए सिपाही के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य    | 5.274                         | 10548          | 500                                | 1055                       |
| 4     | हिन्दुपुर गुरैनी में महेश के दरवाजे से गुरुदेव के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य।                             | 0.750                         | 1500           | 300                                | 400                        |
| 5     | वीरामऊ गड़ियनपुरवा में नेकराम पाल के दरवाजे से ओमप्रकाश कश्यप के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग , टाइल्स रोड का निर्माण कार्य। | 3.590                         | 7180           | 300                                | 718                        |
| 6     | दिनकरपुर वंशी निवादा में रमेश कुषवाहा के घर से लक्ष्मीनारायण के घर तक नाली का निर्माण कार्य।                         | 3.768                         | 7536           | 300                                | 754                        |
| 7     | काकूपुर हलवल में रामधंकर राठौर के घर से चुन्नी लाल माली के घर तक इंटरलॉकिंग , टाइल्स रोड का निर्माण कार्य।           | 2.900                         | 5800           | 300                                | 580                        |
| 8     | निशो न जैतपुर में धीरसिंह के दरवाजे से जसवन्त सिंह के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य।                         | 3.694                         | 7388           | 300                                | 739                        |
| 9     | साधन सहकारी समिति दुबियाना का मरम्मत कार्य                                                                           | 9.978                         | 19956          | 500                                | 1500                       |
|       | योग-                                                                                                                 |                               |                | 3500                               | 8308                       |

|                                                                                                                   |  |  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|
| प्रत्येक कार्य के लिए तीन फर्मों को निविदा फार्म बेचे गये अतः निविदा फार्म बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि |  |  | 10500 | 24924 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|

उक्त कार्य हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार तीन-तीन फर्मों ने निविदा फार्म क्रय किये थे। जिनसे कुल ₹10500.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु आगणित धनराशि के अनुसार वास्तविक निविदा मूल्यों का योग ₹24924.00 होता है। इस अनुसार कुल ₹24924.00 का राजस्व निविदा फार्म बिक्री से आना था। किन्तु ₹10500.00 ही आया है। अतः ₹14424.00 के राजस्व की कमी हुई है, जिसके लिए लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः निविदा फार्म बिक्री में हुई राजस्व की क्षति ₹14424.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्म प्रकाश अग्निहोत्री, सहा0 लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 25)

**प्रस्तर संख्या -15** वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.19 से 31.3.2020 के बीच क्षेत्र पंचायत के द्वारा तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। इन निर्माण कार्यों में आईसी.डी.एस. योजना से प्राप्त अनुदान से निर्माण सामग्री क्रय करके ₹0 579373.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु इस भुगतान से विभिन्न प्रकार के टी0डी0एस0, आयकर 2 प्रतिशत की दर से ₹0 10346.00, जी0एस0टी 2 प्रतिशत की दर से ₹0 10346.00, तथा श्रमिक उपकर 1 प्रतिशत की दर से ₹0 5173.00 इस प्रकार कुल ₹0 25865.00 को भुगतान से पूर्व नहीं काटा गया। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्म प्रकाश अग्निहोत्री, सहा0 लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -26)

**प्रस्तर संख्या 16-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.19 से 31.3.2020 के बीच क्षेत्र पंचायत के द्वारा तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। इन निर्माण कार्यों में मनरेगा योजना से प्राप्त अनुदान से निर्माण सामग्री क्रय करके ₹0 1197777.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु इस भुगतान से विभिन्न प्रकार के टी0डी0एस0, आयकर 2 प्रतिशत की दर से ₹0 23956.00, जी.एस.टी. 2 प्रतिशत की दर से ₹0 23956.00, तथा श्रमिक उपकर 1 प्रतिशत की दर से ₹0 11978.00 इस प्रकार कुल ₹0 59890.00 को भुगतान से पूर्व नहीं काटा गया। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्म प्रकाश अग्निहोत्री, सहा0 लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -

27)

**प्रस्तर संख्या 17-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.19 से 31.3.2020 के बीच क्षेत्र पंचायत के द्वारा तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। इन निर्माण कार्यों में पंचायती राज योजना से प्राप्त अनुदान से निर्माण सामग्री क्रय करके दो आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष ₹0 134220.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु इस भुगतान से विभिन्न प्रकार के टी0डी0एस0, आयकर 2 प्रतिशत की दर से ₹0 2684.00, जी.एस.टी. 2 प्रतिशत की दर से ₹0 2684.00, तथा श्रमिक उपकर 1 प्रतिशत की दर से ₹0 1342.00 इस प्रकार कुल ₹0 6710.00 को भुगतान से पूर्व नहीं काटा गया। इसे सम्बन्धित फर्मों से काट कर सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाए। फर्मों से वसूल न हो पाने की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्म प्रकाश अग्निहोत्री, सहा0 लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 28)

**प्रस्तर संख्या 18-** प्रधानमंत्री आवास योजना की कन्टीजेन्सी से विकास खण्ड की सरकारी गाड़ी सं0- यू0पी0-77, 1998 पर निम्न विवरण के अनुसार डीजल , मरम्मत व सर्विसिंग इत्यादि पर ₹0 99585.00 व्यय किया गया है-

| डीजल पर व्यय की अवधि    | भुगतान का दिनांक | चेक सं0 | धनराशि          |
|-------------------------|------------------|---------|-----------------|
| 05.2.19 से 27.2.19      | 04.4.19          | 429169  | 12197           |
| 01.3.19 से 28.3.19      | 09.5.19          | 439953  | 11000           |
| 01.4.19 से 23.4.19      | 14.6.19          | 439954  | 9495            |
| 04.5.19 से 31.5.19      | 22.6.19          | 439955  | 9640            |
| 01.6.19 से 29.6.19      | 07.8.19          | 439956  | 12268           |
| जुलाई व अगस्त, 2019     | 02.11.19         | 445071  | 21500           |
| सितम्बर व अक्टूबर, 2019 | 02.11.19         | 445074  | 23485           |
|                         | <b>योग-</b>      |         | <b>99585.00</b> |

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष निम्न आपतियां हैं-

1 गाड़ी संख्या- यू0पी0-77/ 1998 पन्द्रह वर्ष से ज्यादा पुरानी है। इसे चलाये जाने के लिए आर0टी0ओ0 से गाड़ी का रि-रजिस्ट्रेशन व फिटनेस ली जानी थी। जिसे नहीं लिया गया। (अन्तरिम आपति में मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया)

2-गाड़ी संख्या-यू0पी0-77/1998 की लॉग बुक लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई। (अन्तरिम आपति में मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया)

अतः बिना रि-रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के गाड़ी पर अनियमित व्यय किया गया है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए श्री अमित बाजपेई, लेखाकार तथा श्री आलोक पाण्डेय, बी0डी0ओ0 उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 29)

**प्रस्तर संख्या 19-** मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹0 2406736.00 व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय मात्र 1347576.00 के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये, जिनका विवरण निम्नवत है-

|                                                                     |   |               |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. वित्तीय वर्ष में ए0पी0ओ0 व कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय भुगतान कुल | - | ₹0 389600.00  |
| 2. वित्तीय वर्ष में रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान कुल              | - | ₹0 935795.00  |
| 3. स्टेनरी क्रय 5.9.19 चेक सं0 435354 से                            | - | ₹0 9068.00    |
| 4. टोनर रिफिलिंग, जेनरेटर डीजल इत्यादि 5.9.19 चेक सं0 435355        | - | ₹0 7152.00    |
| 5. प्रिन्टर रिफिलिंग, डोंगल नवीनीकरण इत्यादि 28.2.20 चेक सं0 455062 | - | ₹0 5961.00    |
| योग                                                                 | - | ₹0 1347576.00 |

इस मद में कुल व्यय ₹0 2406736.00 के सापेक्ष शेष ₹0 1059160.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे ₹0 1059160.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हुई, अतः ₹0 1059160.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक पाण्डेय, तथा सहायक लेखाकार श्री ब्रह्म प्रकाश अग्निहोत्री से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 30)

**प्रस्तर संख्या 20-** मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बैंक खाते के अनुसार कुल 4076236.00 का व्यय दर्शित हैं। किन्तु क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजी संख्या 1 व अनुदान पंजी सं0-2 में इसके आय व व्यय को नहीं लिया गया है। अनुदान पंजी सं0 3 में दिनांक- 7.1.2020 के बाद जब बैंक खाते में ₹0 1394625.50 अवशेष थे तब से दिनांक 31.3.2020 तक इन्ट्री की गई है जिसमें ₹0 1365236.00 व्यय हुआ, जिसकी पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में दिखाई गई। अवशेष धनराशि 2711000.00 की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई। और न ही इसे अनुदान पंजी सं0-3 में शामिल किया गया। जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से अनियमित व आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार समस्त आय व व्यय की इन्ट्री तीनों अनुदान पंजी के विभिन्न कालों में करके व पत्रावलियां प्रस्तुत कर व्यय सत्यापित नहीं कराया गया। अतः ₹0 2711000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक पाण्डेय, तथा सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण श्रीमती पुष्पा बाजपेई से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 31)

**प्रस्तर संख्या 21-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान/ धनराशि के उपभोग के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग तीन शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03-2015 दिनांक 19 जून, 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संपन्न की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की तथा उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि तथा बीज विपणन गोदाम आदि (यथा संशोधित दिनांक 09.10.2015 संख्या 2796/33-3- 2015-03-2015 आगनवाडी केन्द्रों और बाल मैत्रिक शौचालय आदि के मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य व्यय किया जाय तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/ सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना का अनुमोदन (यथा संशोधित शासनादेश संख्या-97/2016/2811/33-3-2016/03/2015, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 ) ₹0 10 लाख तक क्षेत्र पंचायत द्वारा और इसके ऊपर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा, तथा कराये गये प्रत्येक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग करायी जायेगी। एक कार्य की फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा प्रथमतः सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय तथा ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिकोण एक अभिलेखागार का निर्माण क्षेत्र पंचायत परिसर में कराया जायेगा। इसके उपरान्त ही क्षेत्र पंचायत अन्य निर्माण करा सकेगी। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अभिलेखागार का निर्माण नहीं कराया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा साधन सहकारी समिति दुबियाना का एक मरम्मत कार्य कराया गया है तथा शेष कार्यो में एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं, जो ₹0 2079591.00 के हैं इस प्रकार शासनादेश के प्रतिकूल धनराशि व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जो कि घोर आपत्तिजनक रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री आलोक पाण्डेय तथा ब्लाक प्रमुख, श्री राजेश कोरी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्रमांक | धनराशि(₹0 में) | कार्य का नाम व स्थान-                                                                                             |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 383859.00      | नाला निर्माण, ग्राम पं0 छतरपुर में खरेष्वर चैराहे से अजित राय निवादा तक।                                          |
| 2       | 507216.00      | इन्टरलाकिंग कार्य, ग्राम पं0 काकूपुर रबबन में पीपल के पास से छतरपुर सम्पर्क मार्ग तक।                             |
| 3       | 413648.00      | इन्टरलाकिंग कार्य, ग्राम पं0 सखरेज में भिवराजपुर गहरा सम्पर्क मार्ग (गुड्डु सिंह के घर से) से छिददू के घर के पास। |
| 4       | 304689.00      | इन्टरलाकिंग कार्य, ग्राम पं0 निशोन जैतपुर में धीरसिंह के दरवाजे से जसवन्त सिंह के दरवाजे तक।                      |

|   |                |                                                                                                                        |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 470179.00      | इन्टरलॉकिंग कार्य, ग्राम पंचायत शाहपुर कामा में अरविन्द के दरवाजे से दुल्ला के दरवाजे से होते हुए सिपाही के दरवाजे तक। |
|   | योग-2079591.00 |                                                                                                                        |

(मूल आपति संख्या - 32)

#### 4-क्षेत्र पंचायत - विधनू

**प्रस्तर संख्या 22-** आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रयादेश जारी कर 5% राशि सिक्योरिटी मनी के रूप में मांग की गई। संस्था द्वारा 6301448.00 के क्रयादेश जारी किए गए थे जिसके सापेक्ष ₹ 315072.00 की जमानत राशि जमा कराई जानी चाहिए थी। परन्तु संस्था द्वारा ₹ 279450.00 की ही जमानत राशि ली गई। अतः ₹ 35622.00 की जमानत राशि कम जमा कराई गई। पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त धनराशि की वापसी, कब और कितनी व किन माध्यमों से की गई अथवा नहीं। उक्त की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। धनराशि रु.35622.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या -05)

**प्रस्तर संख्या 23-** आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थराज्य वित्त /चौदहवें वित्त के तहत कराये गए कार्यों में से कुल 10 निर्माण कार्य का परीक्षण किया गया। जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुईं। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹650/- से 850/- निर्धारित था। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 22200/-की आय होनी चाहिए थी। निविदा बिक्री आय की किसी की पुष्टि प्रमाणक से पुष्टि नहीं कराई गयी। निविदा प्रपत्र विक्रय की कुल धनराशि ₹500/- प्रपत्र विक्रेता लेखाकार द्वारा प्राप्त दर्शाया गया है। अतः अंतर धनराशि रु.21700/- की हानि हुई। धनराशि रु. 21700.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -09)

**प्रस्तर संख्या 24-** ग्राम पंचायत पिपरगवान के मजरा बरौली में कल्लू पासवान के दरवाजे से राम शंकर पासवान के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स से रोड निर्माण का कार्य- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में नियुक्ति पत्र संख्या 1239/लेखा /आईडी दिनांक 28/02/2019 द्वारा उक्त निर्माण कार्य, डी एन डी .12945948 से सम्पादित कराया गया। पत्रांक 1056/ नि.प्र./2018-19. दिनांक 18/01/2019 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य में गुप्ता ब्रदर्स को प्राक्कलन दर से 0.01 % कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया जिस कारण उक्त कार्य हेतु निविदा प्रबंधित प्रतीत हो रही है। निविदा प्रपत्र की शर्तों व शपथ पत्र के बिन्दु 14 के अनुपालन में गुप्ता ब्रदर्स को हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर के पत्रांक 563/ए आर ए प्रथम -2016-2017-है.प्र.प.दिनांक 24/05/16 द्वारा दो वर्ष हेतु निर्गत कि गयी थी जो टेंडर दि.से पूर्व 24/05/18 तक ही वैध थी। बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित किया जाना व भुगतान किया जाना गंभीर रूप से अनियमित है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। फर्म को चेक सं.810656 द्वारा रु.556554.00 में 12% जी एस टी रु.65477.00 व चेक सं.810674 द्वारा रु.150390.00 में 12% जी एस टी रु.17693.00 जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी एस टी जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली में जी एस टी जमा रसीद संलग्न नहीं है। ड्राइंग व साइट प्लान संलग्न नहीं है, एवं बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित कर भुगतान किए जाने कि गंभीर अनियमिता हेतु धनराशि रु.706944.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 17)

**प्रस्तर संख्या 25-** ग्राम पंचायत कुलहौली में छमी लाल कठेरिया के मकान से रिकू कठेरिया के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स से रोड निर्माण का कार्य- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में नियुक्ति पत्र संख्या 1241 /लेखा /आईडी दिनांक 28/02/2019 द्वारा उक्त निर्माण कार्य, डी एन डी 12945963 से सम्पादित कराया गया। पत्रांक 1056/नि.प्र./2018-19. दिनांक 18/01/2019 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य में गुप्ता ब्रदर्स को प्राक्कलन दर से 0.11 % कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया जिस कारण उक्त कार्य हेतु निविदा प्रबंधित प्रतीत हो रही है। निविदा प्रपत्र की शर्तों व शपथ पत्र के बिन्दु 14 के अनुपालन में गुप्ता ब्रदर्स को हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर के पत्रांक 563/ ए आर ए प्रथम -2016-2017-है.प्र.प.दिनांक 24/05/16 द्वारा दो वर्ष हेतु निर्गत कि गयी थी जो टेंडर दि.से पूर्व 24/05/18 तक ही वैध थी। बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित किया जाना व भुगतान किया जाना गंभीर रूप से अनियमित है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। फर्म को चेक सं.810663 द्वारा रु.186465.00 में 12% जी एस टी रु.21937.00 व चेक सं.810669 द्वारा रु.193658.00 में 12% जी एस टी रु.22784.00 जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी एस टी जमा कर जमा रसीद कार्यालय को

उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली में जी एस टी जमा रसीद संलग्न नहीं है। ड्राइंग व साइट प्लान संलग्न नहीं है, बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के मे. गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित कर भुगतान किए जाने कि गंभीर अनियमिता हेतु धनराशि रु.380123.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 18)

**प्रस्तर संख्या 26-**

**ग्राम पंचायत बाजपुर में सिया राम यादव के दरवाजे से कल्लू यादव के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स से रोड**

**निर्माण का कार्य-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में नियुक्ति पत्र संख्या 1234/लेखा /आईडी दिनांक 28/02/2019 द्वारा उक्त निर्माण कार्य,। डी एन डी 12945965 से सम्पादित कराया गया। पत्रांक 1056/नि.प्र./2018-19. दिनांक 18/01/2019 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे. गुप्ता ब्रदर्स को प्राक्कलन दर से 0.12 % कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया जिस कारण उक्त कार्य हेतु निविदा प्रबंधित प्रतीत हो रही है। निविदा प्रपत्र की शर्तों व शपथ पत्र के बिन्दु 14 के अनुपालन में मे. गुप्ता ब्रदर्स को हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर के पत्रांक 563/ ए आर ए प्रथम -2016-2017-है.प्र.प.दिनांक 24/05/16 द्वारा दो वर्ष हेतु निर्गत कि गयी थी जो टेंडर दि.से पूर्व 24/05/18 तक ही वैध थी। बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के मे. गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित किया जाना व भुगतान किया जाना गंभीर रूप से अनियमित है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। फर्म को चेक सं.810664 द्वारा रु.454044.00 में 12% जी एस टी रु.53417.00 व चेक सं.810670 द्वारा रु.355082.00 में 12% जी एस टी रु.41775.00 जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी एस टी जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली में जी एस टी जमा रसीद संलग्न नहीं है। ड्राइंग व साइट प्लान संलग्न नहीं है, बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के मे. गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित कर भुगतान किए जाने कि गंभीर अनियमिता हेतु धनराशि रु.809126.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति

संख्या - 19)

**प्रस्तर संख्या 27-**

**ग्राम पंचायत भैरम पुर में शबबीर कुरेशी के दरवाजे से नन्द किशोर के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स से**

**रोड निर्माण का कार्य** -लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में नियुक्ति पत्र संख्या 1240/लेखा /आईडी दिनांक 28/02/2019 द्वारा उक्त निर्माण कार्य,। डी एन डी 12945956 से सम्पादित कराया गया। पत्रांक 1056/नि.प्र./2018-19. दिनांक 18/01/2019 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे. गुप्ता ब्रदर्स को प्राक्कलन दर से 0.01 % कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया जिस कारण उक्त कार्य हेतु निविदा प्रबंधित प्रतीत हो रही है। निविदा प्रपत्र की शर्तों व शपथ पत्र के बिन्दु 14 के अनुपालन में मे. गुप्ता ब्रदर्स को हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर के पत्रांक 563/ ए आर ए -प्रथम -2016-2017-है.प्र.प.दिनांक 24/05/16 द्वारा दो वर्ष हेतु निर्गत कि गयी थी जो टेंडर दि.से पूर्व 24/05/18 तक ही वैध थी। बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के मे. गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित किया जाना व भुगतान किया जाना गंभीर रूप से अनियमित है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। फर्म को चेक सं.813274 द्वारा रु.51787.00 में 12% जी एस टी रु.6162.00 व चेक सं.813281 द्वारा रु.518240.00 में 12% जी एस टी रु.60969 .00 जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी एस टी जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली में जी एस टी जमा रसीद संलग्न नहीं है। ड्राइंग व साइट प्लान संलग्न नहीं है, बिना वैध हैसियत प्रमाण पत्र के मे. गुप्ता ब्रदर्स को कार्य आवंटित कर भुगतान किए जाने कि गंभीर अनियमिता हेतु धनराशि रु.570027.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि यादव, खंड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह व श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान व लेखाकार श्री सुनील यादव व श्री अरविंद त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या - 20)

## **05- क्षेत्र पंचायत घाटमपुर**

**प्रस्तर संख्या 28-**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम कोरो में राजबरन सिंह के दरवाजे से लव कुश सिंह के दरवाजे तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

( क ) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ख) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते

समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ग) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

(घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

(च) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी । संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय -

( । ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ज) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(झ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा ,क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005,जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ट) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ठ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली की जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई

टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

2.कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

3.कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4.निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ड) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ढ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक, कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(त)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०)2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यदेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(थ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(द)संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 431929.00को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा व श्री श्याम नारायण सिंह, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः ₹.431929.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 29)

**प्रस्तर संख्या 29-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम बक्सरा पक्की सड़क से प्रा० पा० तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क-)वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ख-)कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।



ग-लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

घ -) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

च-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी । संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(छ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय -

(I) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ज) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(झ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ट) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ठ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली की जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2.कार्य का 80%भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3.कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4.निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ड)पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ढ )पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(त )उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०)2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(थ )लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द )संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है । उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 597995.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा व श्री श्याम नारायण सिंह,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः ₹.597995.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं०30)

**प्रस्तर संख्या 30-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम कोहरा रविभान के दरवाजे से चतुर सिंह के दरवाजे तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जांच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क-)वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य,क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

ख-)कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट,नजरी नक्शा,लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

ग-)लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय,वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

घ -)उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

च-)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी ।संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम-36 के बिंदु-3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी।

4.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय (I)कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ज) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(झ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ट) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ठ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1.माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

2.कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

3.कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी प्रतीत है।

4.निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड )पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ढ )पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक ,कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(त)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०)2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(थ)लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹193985.00 को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतःरु.193985.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० स०31)

**प्रस्तर संख्या 31-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम शेखपुर में मेहर अलीपुर रोड से प्रा० पा० तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क )वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य,क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं ।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ख)कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट,नजरी नक्शा,लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इसमें दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ग)लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय,वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

(घ )उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

(च)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी ।संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी ।पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा

अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इसमें दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय -

( I ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ज ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( झ ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली की जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार की कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

ड) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(त) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यादेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबंधित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(थ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व, लंबाई, निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका। सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने/मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी।

(द) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 240794.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः ₹.240794.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 32)

**प्रस्तर संख्या 32-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम टड़याँपुर में लालजी पाल के दरवाजे से छोटा पाल के दरवाजे तक सी सी रोड की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :-

क) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ख) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60 एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ग) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी।

घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

च) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी। संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई -

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में

इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय -

( । ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ज) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(झ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक ,कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश

,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ ) लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 403209.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः₹.403209.00की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल

आ० सो33)

**प्रस्तर संख्या 33-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत **ग्राम सिधौल में राजेश परिहार के दरवाजे से शंकर प्रजापति के दरवाजे तक नाला निर्माण** की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

- क) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।
- ख) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।
- ग) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।
- घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण- पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

च )उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी । संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे ।माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी ।पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है ।पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।



4.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय -

( । ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ज)पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(झ)पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ट)टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्त के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ठ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1.माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25% जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2.कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यदेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 288730.00 को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गयीं परिलक्षित हुयीं जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः ₹ 288730.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

( मू० आ० सं० 34 )

**प्रस्तर संख्या 34-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम शेरपुर बेंदा में रघुवीर के मकान से नरेन्द्र दुधिया के मकान तक सी सी रोड निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क- वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ख- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं. 7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60 एम्.टी./2008 दिनांक- 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ग- लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी।

घ - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

च- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी। संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा ) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39 ) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय ( I ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की ( II ) कार्य के दौरान की ( III ) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है।

( ज ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( झ ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 581964.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।अतः रु. 581964.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

( मू० आ० स०35)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम जरैलापुर मे वीरेंद्र निषाद के खेत से शिवपाल बाबा के खेत तक खरंजा निर्माण कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपतियाँ प्रकाश में आयी : -

क- वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ख- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ग- लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी।

घ - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

च- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी। संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय (।) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ज ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(झ ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई

टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है ।

(ट) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पत्रावली के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 203722.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार,सहायक अभियंता ,कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु. 203722.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

( मू० आ० सं०36)

**प्रस्तर संख्या 36-**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम कटरी में राम विशाल सिंह के दरवाजे से रवींद्र बाबू के दरवाजे तक सी सी रोड कार्य की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

क- वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ख- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

ग- लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी।

घ - उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

च- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी। संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय ( I ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ज ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(झ ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्त के रा.ब.प./एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25%जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 394097.00 को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु. 394097.00की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं०37)

**प्रस्तर संख्या 37- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम अकबरपुर बीरबल में रघुनाथ के दरवाजे से रास्ते के ढलान तक नाला निर्माण कार्य** की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

( क ) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ख ) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक- 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते

समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ग )लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

(घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

( च )उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी । संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा)नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39)लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय ( । ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ज ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(झ ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लीकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई



टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ड) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ढ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक, कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(त) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13 अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन, मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा स्वीकार करने, निविदा दरों, कार्यदेश, अनुबंध करने, जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 212113.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता, कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः रु. 212113.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

( मू० आ० सं०३८)

**प्रस्तर संख्या 38 - आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम मकरंदपुर में कल्लू सिंह गौर के खेत से तिकारी गौरवा तक खरंजा निर्माण कार्य** की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जांच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

(क) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ख) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं. 7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60 एम्.टी./2008 दिनांक- 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

(ग) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी।

(घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है।

(च) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी। संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे। माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी।

3.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

5.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय ( I ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( ज ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( झ ) पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली की जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा। इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 13अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ ) लेखा परीक्षा में पाया गया की पत्रावली में सड़कों का नक्शा संलग्न नहीं है जिस कारण सड़कों के अस्तित्व ,लंबाई,निर्माण/मरम्मत को सत्यापित नहीं किया जा सका । सड़क पंजिका तथा परिसंपत्ति पंजिका अप्राप्त रहने से सड़क के बनाए जाने /मरम्मत की तिथि अज्ञात रही तथा 8 वर्षों की चक्रीय मरम्मत नीति की जांच न की जा सकी ।

( द ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 867593.00 को व्यय करने में गंभीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु. 867593.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

( मू० आ० स०39)

**प्रस्तर संख्या 39-** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत **अमौली मे मेन रोड से पंचायत घर तक नाला मरम्मत व निर्माण कार्य** की प्रोजेक्ट फाइल व अन्य अभिलेख अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे जिनकी जाँच से निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :

(क) वार्षिक कार्ययोजना पत्रावली के साथ संलग्न न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था या नहीं । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

(ख) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम्.टी./मूल वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया। जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ग ) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण उक्त कार्य के संबंध में वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि न हो सकी ।

(घ) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की गहन संभावना विद्यमान है ।

( च ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुस्तक नियमानुसार नहीं बनाई गयी । संलग्न माप पुस्तिका की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आई ।

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे । माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा

अनियमितता की गयी है । उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ( बजट तथा मूल लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 के अधीन रखी जाने स्कन्ध बही ( प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप में हाथ से बनाई गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु- 5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है । पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई। पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( छ ) उक्त निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी के नियुक्ति की पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य प्रभारी के नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि कार्य के भुगतान के समय ( I ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (II) कार्य के दौरान की (III) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की फोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जाय किन्तु उक्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ज ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्री के पहुंचने का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( झ ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 में जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है । अनुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ट ) टेंडर से संबन्धित धरोहर राशि प्राप्ति के रा. ब. प. /एफ डी आर पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ठ ) तकनीकी स्वीकृति संबंधी पत्रावली कि जांचोपरांत प्रकाश में आया कि संलग्न तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी गयी :-

1. माप पुस्तिका में दर्ज मापों कि 25 % जांच अनिवार्यतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कि जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका के 25% जांच का मापांकन/सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

2. कार्य का 80% भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार का कोई सत्यापन सत्यापन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

3. कार्य का शेष 20% भुगतान अनिवार्यतः सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कि संस्तुति के उपरांत किया जाएगा । इस प्रकार कि कोई संस्तुति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

4. निर्माण कार्य स्थल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुसार ही रहेगा । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ड ) पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य कि मापोपरांत निर्गत किया जाने वाला कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( ढ) पत्रावलियों से कार्य के प्रारम्भ व कार्य के समाप्त का दिनांक , कार्य पर किया सम्पूर्ण व्यय इत्यादि का प्रोजेक्ट फाइल व पत्रावलियों में समस्त अपेक्षित स्थानों पर अंकन नहीं किया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( त) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 से 23 तक में उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । निविदा प्रक्रिया की जांच में कार्य के प्राक्कलन ,मूल निविदा की जगह अतिअल्पकालीन निविदा जारी करके ,निविदा सूचना ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश ,अनुबंध करने ,जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन के बिना समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

( थ) संलग्न मस्टर रोल पर निर्गत क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं प्राप्त रहा तथा इस पर समस्त सूचनाएं अंकित न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीट में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया । जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है और इससे दुरभिसंधि द्वारा अनियमितता की गयी है ।

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर अधोमानक कार्य का भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि ₹ 587180.00 को व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गयी परिलक्षित हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता , कार्यप्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा विभिन्न प्रावधानों एवं निर्गत आदेशों का उल्लंघन कर भुगतान किए जाने पर लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु. 587180.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

( मू० आ० सं० 40 )

**प्रस्तर संख्या 40-** ग्रांट रजिस्ट्रारों में गोवंश आश्रय स्थल का लेखा रखा गया है किंतु उक्त मद की प्राप्ति ,व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर संस्था पर अनुरक्षित नहीं किया गया और ना ही उक्त आय-व्यय के संबंध में पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी ।उक्त से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का संस्था द्वारा उत्तर नहीं दिया गया ।इस प्रकार से प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं अतः दर्शित व्यय ₹ 3292100.00 की ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है ।

( मू० आ०

स०7)

**प्रस्तर संख्या 41-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान ग्रांट रजिस्ट्रार की जांच में पाया गया कि चेक संख्या 292899, 974951, 974953, 974954, 974955 के द्वारा कुल ₹16799.00 का भुगतान सार्क कंसल्टेंट्स को कंप्यूटर ऑपरेटर मानदेय भुगतान के रूप में दर्शाया गया है इसी प्रकार चेक संख्या 974952 द्वारा ₹ 4180.00 का भुगतान श्री हरि स्वरूप कैशियर को कार्यालय व्यय हेतु दर्शाया गया है संबंधित अभिलेखों की जांच में उक्त समस्त से संबंधित प्रमाणक और पत्रावलियाँ संलग्न नहीं पाए गए । उक्त न्यूनताओं से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । इस प्रकार से प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। दर्शित व्यय ₹ 20979.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

( मू० आ० सं०8)

**प्रस्तर संख्या 42-** वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रासंगिक मद के बैंक खाता संख्या 30640100003875 की जांच ग्रांट रजिस्ट्रार 2 से किए जाने पर संज्ञान में आया कि चेक संख्या 377, चेक संख्या 379 व चेक संख्या 389 के द्वारा हेतु कुल ₹45709.00 का आहरण श्री अंकुर कुमार व श्री हरि स्वरूप सचान द्वारा स्वयं किया गया किंतु ग्रांट रजिस्ट्रार में वाहन डीजल हेतु व्यय दर्शाया गया है लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक ,डीजल क्रय रसीदें,डीजल को प्रयुक्त किए वाहन से संबंधित पत्रावलीयां व लॉग बुक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे । इस संबंध में लेखा परीक्षा आपत्ति का संस्था द्वारा कोई उत्तर दिया गया । उक्त से प्रतीत होता है कि ग्रांट रजिस्ट्रार में काल्पनिक व्यय दर्शित कर संबंधित धनराशि का स्वयं आहरण कर लिया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है ।जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं अतः ₹ 45709.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही श्री अंकुर कुमार व श्री हरि स्वरूप सचान,तत्कालीन लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है ।

( मू०

आ० सं०10-क)

**प्रस्तर संख्या 43-** मनरेगा प्रासंगिक मद के उक्त खाते की अग्रेतर जांच ग्रांट रजिस्ट्रार 2 से किए जाने पर प्रकाश में आया कि चेक संख्या 372,चेक संख्या 390 व चेक संख्या 397 के द्वारा श्री हरि स्वरूप सचान द्वारा कुल धनराशि ₹17022.00का आहरण कार्यालय व्यय के सापेक्ष दर्शा कर किया गया है किंतु अभिलेखों के साथ उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक व व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में लेखा परीक्षा आपति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार से पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः ₹ 17022.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही श्री हरि स्वरूप सचान, तत्कालीन लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 10 ख)

**प्रस्तर संख्या 44-** मनरेगा प्रासंगिक मद के उक्त खाते की अग्रेतर जांच ग्रांट रजिस्टर 2 से किए जाने पर प्रकाश में आया कि चेक संख्या 366, चेक संख्या 378 तथा चेक संख्या 396 के माध्यम से श्री हरि स्वरूप सचान और रिशु प्रिंटिंग प्रेस द्वारा कुल ₹28390.00 का आहरण स्टेशनरी/लेखन सामग्री/स्टे० वर्क हेतु दर्शाया गया है किन्तु अभिलेखों के साथ इससे संबंधित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में लेखा परीक्षा आपति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी है अतः ₹28390.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 10 ग)

**प्रस्तर संख्या 45-** मनरेगा प्रासंगिक में उक्त खाते के जांच ग्रांट रजिस्टर 2 से किए जाने पर प्रकाश में आया कि संख्या 380 के माध्यम से इनवर्टर बैटरी क्रय हेतु ₹26000.00 तथा चेक संख्या 403 के माध्यम से कंप्यूटर प्रिंटर हेतु ₹14300.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु अभिलेखों के साथ इससे संबंधित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में लेखा परीक्षा आपति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है अतः कुल ₹40300.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 10 घ)

**प्रस्तर संख्या 46-** मनरेगा प्रासंगिक मद के उक्त खाते की अग्रेतर जांच ग्रांट रजिस्टर 2 से किए जाने पर निम्न भुगतान विवरण दर्शित है -

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| सर्वेश कुमार (अपी ०) - | ₹252000.00         |
| रोजगार सेवक को भुगतान  | ₹1645385.00        |
| निलेश कुमार को भुगतान  | ₹136000.00         |
| अंकुर कुमार को भुगतान  | ₹151600.00         |
| योगेंद्र कुमार गुप्ता  | ₹12000.00          |
| <b>योग =</b>           | <b>₹2196985.00</b> |

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से संबंधित अभिलेख व पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराई गयी। अतः पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं अतः ₹2196985.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मू० आ० सो 10 च)

**प्रस्तर संख्या 47-** वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर 3 की जांच में प्रकाश में आया कि किसान सम्मेलन मद ( बैंक खाता संख्या 830401) से किसान सम्मेलन पर ₹10000.00 का व्यय दर्शित है किन्तु अभिलेखों के साथ उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य पत्रावलीयां संलग्न नहीं पाए गए तथा उक्त समस्त को प्रस्तुत किए जाने की लेखा परीक्षा आपति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं अतः ₹ 10000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 11)

**प्रस्तर संख्या 48-** क्षेत्र पंचायत घाटमपुर के वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर 3 की जांच में प्रकाश में आया कि मनरेगा ब्याज सहित वसूली मद ( बैंक खाता संख्या 830401 ) से ₹10503.00 का व्यय दर्शित है किन्तु अभिलेखों के साथ उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य पत्रावलीयां संलग्न नहीं पाए गए तथा उक्त समस्त को प्रस्तुत किए जाने की लेखा परीक्षा आपति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं अतः ₹10503.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 12)

**प्रस्तर संख्या 49-** संस्था की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान संज्ञान में आया कि ग्रांट रजिस्टर 2 तथा बैंक खाता संख्या 9836 के अनुसार दिनांक 9-12-19 को चेक संख्या 311 के माध्यम से ₹205800.00 का भुगतान क्षेत्र प्रमुख श्रीमती देविका सिंह को मानदेय के रूप में किया गया दर्शित है उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई पत्रावली यथा व्यय प्रमाणक, मानदेय पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी। शासनादेश संख्या 11/ 2016/ 3880/ 33- 2-16-11 सीएम/ 2016 दिनांक 27 दिसंबर 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9800.00 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है। उक्तानुसार भुगतानित धनराशि ₹205800.00 उक्त दर से 21 माह का

मानदेय होता है। 21 माह तक मानदेय रोकना तथा एक मुश्त रूप से 21 माह का मानदेय देना लेखा परीक्षा अनुसार आपत्तिपूर्ण रहा। 21 माह के भुगतान से संबंधित मानदेय पंजिका अनुपलब्ध रहने से भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। बिना पत्रावली एवं प्रमाणको के धनराशि का भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी अतः ₹205800.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो18)

**प्रस्तर संख्या 50-** वर्ष 2019 के दौरान जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी निर्माण (गोपालपुर) मद से दिनांक 20.03. 2020 को परमार कंस्ट्रक्शन को चेक संख्या 12 से ₹228490.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु उक्त भुगतान से संबंधित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। इससे संबंधित लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं उपलब्ध कराया गया। बिना पत्रावली एवं प्रमाणको के धनराशि का भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी है अतः ₹228490.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो 25)

**प्रस्तर संख्या 51-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में गांट रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि दिनांक 15-6- 2019 को आरटीजीएस द्वारा रुपए 10000.00 का आहरण/भुगतान दर्शित है किन्तु भुगतान से संबंधित पत्रावली या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। इससे संबंधित लेखा परीक्षा दल की आपत्ति का संस्था द्वारा कोई उत्तर नहीं उपलब्ध कराया गया। बिना पत्रावली एवं प्रमाणको के धनराशि का भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी है अतः ₹10000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ( मू० आ० सो26)

**प्रस्तर संख्या 52-** आलोच्य वर्ष में निर्माण /मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री आपूर्ति के लिए अति अल्पकालीन निविदा/टेंडर जारी कर रुपए 5410223.00 का सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त निविदा/टेंडर हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में वर्णित निविदा प्रक्रिया की तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 के अनुसार संपूर्ण कार्य का टेंडर जारी करने के उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प की उपेक्षा की गई। उक्त प्रावधानों के अनुसार टेंडर न जारी करने तथा प्राक्कलन में प्रावधान न करने से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार मजदूरों के कल्याणार्थ श्रम विभाग को प्राप्त होने वाली धनराशि (1% लेबर सेस ) 54102.00 की हानि सरकार को हुई। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री हरि स्वरूप सचान समान रूप से उत्तरदायी है ₹ 54102.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मू० आ० सो27)

## **06-क्षेत्र पंचायत- बिल्हौर**

**प्रस्तर संख्या 53-** प्रा0वि0 चैबिगही पूर्व निर्मित नाला से (हीरालाल के खेत) से कैलाश नाथ कटियार के बाग तक पक्के नाले का निर्माण (च0रा0वि0) आई0डी0 सं0 1929228 पर कुल लागत रु. 9.55 लाख की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई -

(क) उपरोक्त कार्य हेतु निविदाएं मूल लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस संबंध में पत्रावली में किसी भी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी दरो पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने एवं रु. 539405.00 का व्यय किया गया जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ख) कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात वर्षान्त में हस्तगत रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -04 )

**प्रस्तर संख्या 54-** सुभानपुर में मुख्य मार्ग से एस0एन0एजुकेशन सेण्टर तक मिट्टी व खडंजा निर्माण। आई डी सं0 19290218 की पत्रावली की लेखा परीक्षा में भी निम्नांकित कमियां पायी गयीं -

(क)निविदाएं मूल रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरो पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने एवं रु.107614.00 के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ख)कार्य दिनांक31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात वर्षान्त में हस्तगत रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -06)

**प्रस्तर संख्या 55-** मकनपुर में आरा मशीन (इदरत हुसनैन) के मकान से प्यारे मियां के चैक तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण आई डी नं. 19290205 की पत्रावली लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयीं-

(क) फर्म को टेण्डर फार्म निर्गत किये जाने की सूचना टेण्डर देने वाले ठेकेदारों के लिये मूल अनुदेश तो प्रपत्र में अंकित है परन्तु फार्म संख्या अंकित नहीं है जिसे अंकित किया जाना आवश्यक था।

(ख) उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का एवं कार्य के मध्य का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। जबकि कार्य पूर्ण का फोटो एवं पत्थर का लगा है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, बिल्हौर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी बिना दोनो फोटो प्राप्त किये ही मात्र अंतिम/कार्य पूर्णता के फोटो के आधार पर ही फर्म को चेक सं0 022465, दिनांक 10.06.2020 से रु. 873123.00 का भुगतान कर दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में कार्य प्रारम्भ के समय क्या वस्तुस्थिति थी एवं कार्य प्रारम्भ होने के बाद प्रगति संबंधी कार्य के मध्य के फोटो ग्राफ को भी नजर अंदाज किया गया है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -07)

**प्रस्तर संख्या 56-** कुदौरा में शिवमंदिर से राम रूप के बाग तक मिट्टी व खडंजा निर्माण आई0 संख्या 19290220 की पत्रावली लेखा परीक्षा में निम्नांकित कमियां पाई गई -

(क)निविदाएं मूल रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी।

(ख)फर्म को टेण्डर फार्म निर्गत किये जाने की सूचना टेण्डर देने वाले ठेकेदारों के लिये मूल अनुदेश तो प्रपत्र में अंकित है परन्तु फार्म संख्या अंकित नहीं है जिसे अंकित किया जाना आवश्यक था।

(ग)उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में पाया गया कि टेण्डर हेतु मै0 अल्ट्रा कन्सट्रक्शन एवं मै0 राज कन्सट्रक्शन कं0 द्वारा टेण्डर डाले गये हैं परन्तु दोनो ही फर्मों के प्रस्तावित दरों के विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं हैं ना ही कहीं उल्लेख है। तुलनात्मक विवरण पत्र में भी कहीं भी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है। बिना दरों के प्रस्ताव प्राप्त किये ही मै0 अल्ट्रा कन्स0 कं0 का टेण्डर स्वीकृत किया जाना किस प्रकार संभव हुआ। बिना दरें प्राप्त किये ही किसी एक फर्म को स्वीकृति देना कहीं ना कहीं मनमाने ढंग से चहेती फर्म का टेण्डर स्वीकृत किये जाने की ओर इशारा करती है। इस कार्य से संबंधित व्यय की धनराशि रु. 833902.00 के संबंध में की गई इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -

08 )

**प्रस्तर संख्या 57-** विकास खण्ड कार्यालय परिसर एवं मा0 प्रमुख कक्ष की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य, आई0डी0 संख्या 19290 की पत्रावली की लेखा परीक्षा में निम्नांकित कमियां पायी गयीं -

(क) पत्रावली में कार्य से संबंधित कोई भी फोटो नहीं लगाये गये हैं। जबकि यह आवश्यक था। बिना कार्य प्रारम्भ से पूर्व का, मध्य का एवं कार्य समाप्ति/पूर्णता से संबंधित फोटो प्राप्त कर पत्रावली में सहेजे जाने आवश्यक थे। बिना फोटो के ही संबंधित फर्म का बिल रु. 421440.00 के सापेक्ष प्रथम भुगतान चेक सं0 018254, दिनांक 17.03.2020 रु. 372522.00 एवं अंतिम बिल का भुगतान चेक सं0 018242, दिनांक 23.12.2019 अंकन रु. 63977.00 कुल रु. 436499.00 कर दिया गया। स्पष्ट है कि भुगतान किये जाने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियां नहीं बरती जा रही है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ख) कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात वर्षान्त में हस्तगत रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 09)

**प्रस्तर संख्या 58-** दरियपुर में ए.एन.एम. सेण्टर की मरम्मत का कार्य, आई0डी0 सं0 19290224 की पत्रावली की लेखा परीक्षा में निम्नांकित कमियां पाई गई -

(क)पत्रावली में संलग्न एम0 बी0 बुक पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जबकि रनिंग बिल पर उक्त के हस्ताक्षर हैं। एम0बी0 बुक पर हस्ताक्षर न किये जाने हेतु लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, बिल्हौर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ख)उपरोक्त कार्य की पत्रावली में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का, कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है। लेखाकार, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी, बिल्हौर द्वारा भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति के समय भी तीनो फोटो प्राप्त किये बिना ही संबंधित फर्म मै0 राज कन्स0 द्वारा प्रस्तुत बिल रु. 321307.00 के आधार पर चेक सं0 018260, दिनांक 20.05.2020 रु. 292618.00 का भुगतान कर दिया गया। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।



(ग)कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न कराया जा सका अर्थात वर्षान्त में हस्तगत रहा। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या -10 )

**प्रस्तर संख्या 59-** हसौली काजीगंज (गागूपुर) में रामजी तालाब से नई बस्ती तक मिट्टी व खडंजा निर्माण में 31.03.2020 तक रु. 547845.00 का व्यय किया गया, (आई डी0 सं.19290227) की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्नांकित कमियां पायी गयीं - निविदाएं मूल रूप से बंद लिफाफे में प्राप्त हुई हैं जबकि मुहरबंद निविदाएं ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु पत्रावली में भी किसी प्रकार की टिप्पणी भी अंकित नहीं पायी गयी। बिना मुहरबंद निविदाएं प्राप्त होने एवं उनकी प्रस्तुत दरों पर विचार करते हुए निविदायें स्वीकृत किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पूरी कमेटी जिम्मेदार है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या -

12 )

**प्रस्तर संख्या 60-** क्षेत्र पंचायत बिल्हौर द्वारा आलोच्य वर्ष में मनरेगा कंटीजेंसी मद में रु. 2406964.00 का व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव द्वारा इससे संबंधित अभिलेख यह कहते हुए देने से मना किया गया कि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन विभाग को मात्र क्षेत्र पंचायत निधि के पक्ष में प्राप्त धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय धनराशि की ही लेखा परीक्षा की जानी है। इसी क्रम में उनके द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के आदेश सं0 1257/सम्प्रेक्षा अनु0/आडिट/सह0समि0 एवं पंचा0/2017-18, दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया। मनरेगा कंटीजेंसी सम्बन्धी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने हेतु पुनः प्रयास किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी, बिल्हौर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय को भी उपरोक्त संदर्भित आयुक्त ग्राम्य विकास महोदय के पत्र का हवाला देते हुए पत्र लिख दिया गया। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 2406964.00को गबन/अपहरण मानते हुए रु.2406964.00की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री दिनकर विद्यार्थी एवं पटल प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या -

13 )

**प्रस्तर संख्या 61-** प्रधान मंत्री माडल हाउस मद में क्षेत्र पंचायत बिल्हौर द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 60000.00 का व्यय किया गया है परन्तु इससे संबंधित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में भी लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के आदेश सं0 1257/सम्प्रेक्षा अनु0/आडिट/सह0समि0 एवं पंचा0/2017-18, दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 60000.00 का प्रमाणन न किया जा सका। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 60000.00 को गबन/अपहरण मानते हुए रु. 60000.00 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री दिनकर विद्यार्थी एवं पटल प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या -14 )

**प्रस्तर संख्या 62-** आंगनबाड़ी क्षेत्र पंचायत निर्माण पर आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा रु. 1229614.00 का व्यय किया गया है। इस व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराये गये जिससे उक्त व्यय का प्रमाणन न किया जा सका। इस संबंध में भी लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के आदेश सं0 1257/सम्प्रेक्षा अनु0/आडिट/सह0समि0 एवं पंचा0/2017-18, दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 1229614.00 को गबन/अपहरण मानते हुए रु. 1229614.00 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री दिनकर विद्यार्थी एवं पटल प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव से की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या -15 )

**प्रस्तर संख्या 63-** गोवंश आश्रय संचालन निधि पर क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 6505182.00 का व्यय किया गया है परन्तु इससे संबंधित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में भी लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के आदेश सं0 1257/सम्प्रेक्षा अनु0/आडिट/सह0समि0 एवं पंचा0/2017-18, दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 6505182.00 का प्रमाणन न किया जा सका। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 6505182.00 को गबन/अपहरण मानते हुए रु. 6505182.00 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री दिनकर विद्यार्थी एवं पटल प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार से की जानी चाहिए।

(मूल आपति

संख्या -16)

**प्रस्तर संख्या 64-** मुख्य मंत्री सामू. विवाह योजना मद के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत बिल्हौर द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 4347850.00 का व्यय किया गया है। परन्तु इससे संबंधित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में भी लेखाकार श्री सुनील कुमार यादव द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के आदेश सं0 1257/सम्प्रेक्षा अनु0/आडिट/सह0समि0 एवं पंचा0/2017-18, दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 4347850.00 का प्रमाणन न किया जा सका।

प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय रु. 4347850.00 को गबन/अपहरण मानते हुए रु. 4347850.00 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री दिनकर विद्यार्थी एवं पटल प्रभारी श्री सुनील कुमार यादव से की जानी चाहिए। (मूल आपति संख्या -

17 )

**प्रस्तर संख्या 65-** क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं हेतु निम्न प्रकार निविदा प्रपत्रों की बिक्री की गई है जबकि सम्मुख अंकित धनराशि प्राप्त की जानी चाहिए थी -

| क्र.सं. | कार्य का विवरण                                                | अनुमानित लागत (लाख में) | अपेक्षित बिक्री मूल्य | वास्तविक मूल्य | अंतर की राशि   |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1       | विकास खण्ड कार्यालय परिसर एवं मा0 प्रमुख कक्ष की मरम्मत       | 9.18                    | 1500.0                | 1000.00        | 500.00         |
| 2       | दरियपुर में ए.एन.एम. सेण्टर की मरम्मत का कार्य                | 6.05                    | 1210.                 | 1000.00        | 210.00         |
| 3       | रौगांव में मडिया सम्पर्क मार्ग से नाले पुरवा सम्पर्क मार्ग की | 8.80                    | 1500.00               | 1000.00        | 500.00         |
| 4       | हसौली काजीगंज (गागूपुर) में रामजी तालाब से नई बस्ती तक        | 7.30                    | 1460.00               | 1000.00        | 460.00         |
| 5       | प्रा0वि0 चैबिगही पूर्व निर्मित नाला से (हीरालाल के खेत) से    | 9.55                    | 1500.00               | 1000.00        | 500.00         |
| 6       | मकनपुर में आरा मशीन (इदरत हुसैन) के मकान से प्यारेमियां       | 9.89                    | 1500.00               | 1000.00        | 500.00         |
| 7       | सुभानपुर में मुख्य मार्ग से एस0एन0एजुकेशन सेण्टर तक मिट्टी    | 1.15                    | 400.00                | 500.00         | 100.00         |
| 8       | कुदौरा में शिवमंदिर से राम रूवरूप के बाग तक मिट्टी व          | 8.35                    | 1500.00               | 1000.00        | 500.00         |
|         |                                                               |                         | <b>10570.00</b>       | <b>7500.00</b> | <b>3070.00</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा टेण्डर फार्म की बिक्री कम मूल्य पर करके क्षेत्र पंचायत की आय रु. 3070.00 से कम की गई है। टेण्डर की धनराशि हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत नियमावली 1984 के नियम 24(1) का पालन नहीं किया जा रहा है। इस गंभीर अनियमितता हेतु श्री दिनकर विद्यार्थी, खण्ड वि0 अधि0, श्री अनिल कु0 कटियार, ब्लाक प्रमुख एवं श्री सुनील कुमार यादव लेखाकार उत्तरदायी हैं व इनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या -

24)

## 07-क्षेत्र पंचायत- ककवन

**प्रस्तर संख्या 66-** दिनांक 31.3.2020 तक निर्माण कार्य में निर्माण कार्य करने वाली फर्मों से एक प्रतिशत की दर से कुल रु0 4571.00 लेबर सेस की कटौती की गई है। कटौती करने के बावजूद भी इस धनराशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति या उपशीर्षक-11 में अद्यतन जमा नहीं किया गया है। लेबर सेस की धनराशि से भारत सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं का वित्त पोषण होता है। अतः धनराशि काटकर सम्बन्धित विभाग को नहीं भेजकर उक्त धनराशि अनियमित तरीके से राज्य वित्त के खाते में रखकर वित्तीय अनियमितता की गई है। श्री दिनकर विद्यार्थी ,ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। लेबर सेस की धनराशि ब्याज सहित आकलन कर लेबर डिपार्टमेंट के उक्त खाते में भेजा जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-11)

**प्रस्तर संख्या 67-** ग्रांट रजिस्टर के अनुसार आयकर कटौती रु09143.00, जी0एस0टी0 रु09144.00, कुल कटौती रु018287.00 वर्ष दौरान किया गया है। कटौती करने के बावजूद उक्त धनराशि राज्य वित्त के खाते में ही शेष दर्शाई जा रही है जिसका तात्पर्य है कि यह धनराशि जी0एस0टी0 डिपार्टमेंट एवं आयकर विभाग के खाते में नहीं प्रेषित किया गया है। अतः कुल काटी गई धनराशि रु018287.00 अनियमित तरीके से राज्य वित्त के खाते में रखकर वित्तीय अनियमितता की गई है। श्री दिनकर विद्यार्थी ,ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। धनराशि ब्याज सहित आकलन कर उक्त डिपार्टमेंट के उक्त खाते में भेजा जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-12)

**प्रस्तर संख्या 68-** आगनवाड़ी निर्माण में अनुदान पंजी-3 के अनुसार एवं बैंक खाते के अनुसार आय व्यय में निम्न अन्तर पाया गया-

| प्रारम्भिक अवशेष          | आय        | व्यय       | अन्तिम अवशेष        |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------|
| अनुदान पंजी के अनुसार-    | 660558.00 | 1142124.00 | 295.00 1802387.00   |
| बैंक स्टेटमेंट के अनुसार- | 660558.00 | 1142124.00 | 14398.00 1788284.00 |
| अन्तर-                    | 0         | 0          | 14103.00 14103.00   |

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 14103.00 का व्यय किया गया है, लेकिन अनुदान पंजीका में यह धनराशि व्यय पक्ष में न तो खारिज किया गया है, एवं न ही इसके व्यय प्रमाणक जांच में प्रस्तुत किये गये। अतः व्यय धनराशि ₹0 14103.00 अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री दिनकर विद्यार्थी ,खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

#### (मूल आपति सं0-14)

**प्रस्तर संख्या 69-** मनरेगा कन्टीजेंसी खाता सं052100100010604 से आलोच्य वर्ष दौरान ₹0 979754.70 का व्यय किया गया है। अनुदान पंजी में व्यय के रूप में 932979.80 का लेखांकन ही किया गया है। ₹0 46774.90 का अन्तर दोनों के लेखांकन में है। बैंक स्टेटमेंट अनुसार व्यय धनराशि ₹0 979754.70 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय धनराशि ₹0 979754.70 अपुष्ट एवं अनियमित रहा। अपुष्ट धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। श्री दिनकर विद्यार्थी , ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार से ₹0 979754.70 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### (मूल आपति सं0-15)

**प्रस्तर संख्या 70-** प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेंसी मद से अनुदान पंजीका के अनुसार ₹0 155749.00 व्यय किया गया है। उक्त मद का ग्रांट रजिस्टर में अंकन है, परन्तु लेखा परीक्षा में इस मद का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मद के अनुदान पंजी में दर्ज आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान बैंक स्टेटमेंट से नहीं किया जा सका। अनुदान पंजी में दर्ज विवरण अनुसार ₹0 155749.00 का व्यय आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया है। किये गये व्यय के व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय धनराशि अनियमित एवं अपुष्ट है। अपुष्ट धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अनियमित तरीके से व्यय की गई धनराशि ₹0 155749.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनकर विद्यार्थी , ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

#### (मूल आपति सं0-16)

**प्रस्तर संख्या 71-** आलोच्य वर्ष दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से मात्र एक कार्य 'विकास खण्ड ककवन कार्यालय में टाइप-1 में 02 नग, मुख्य द्वार व बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य' पर धनराशि व्यय किया गया है। उक्त कार्य के कार्यदेश सं0- 507/लेखा/च0 रा0वि0आ0/2016-17/ दिनांक 24.3.18 में श्री सतीश कुमार ,अवर अभियन्ता(गार0अभि0वि0)को बी0डी0ओ0 द्वारा उक्त कार्यदेश में यह निर्देशित किया था कि कार्य की एम0बी0 करने के बाद ही अन्तिम रूप से भुगतान किया जायेगा। परन्तु उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न एम0बी0 में किसी भी अवर अभियन्ता का नाम, हस्ताक्षर, कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्ति एवं एम0बी0 किये जाने की तिथि इत्यादि नहीं दर्ज है। इसके अतिरिक्त कार्यपूति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया माँगे जाने पर भी सहायक लेखाकार द्वारा ये प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बिना एम0बी0 किये हुए ₹0 103301.00 (कटौती की बाद की शुद्ध धनराशि) का भुगतान फर्म को कर दिया गया, जो कि अनियमित है। अतः वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है। अनियमित धनराशि ₹0.103301.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनकर विद्यार्थी , ख0वि0अधि0 एवं श्री प्रेम प्रकाश, सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है

#### (मूल आपति सं0-17)

#### 08-क्षेत्र पंचायत- पतारा

**प्रस्तर संख्या 72-** कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पतारा कानपुर नगर द्वारा पत्रांक 938/लेखाकार/क्ष0पं0/चतुर्थ रा0वि/ निविदा/विजप्ति/18-19, दिनांक 08.2.2019 को अल्पकालीन निविदा सूचना हेतु विज्ञापन दिया गया, जिसमें कार्य का विवरण निम्नानुसार अंकित पाया गया। आलोच्य वर्ष दौरान क्रमांक 15 पर अंकित कार्य हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है। शेष कार्य हेतु धनराशि व्यय की गई है।

| कार्य सं0 | कार्य का नाम                                                                                              | फर्म को भुगतान की गई धनराशि |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1         | प्रमुख कक्ष सहायक विकास अधिकारी/ कार्यालय / रिकार्ड रूम/ फर्नीचर एवं सुन्दरीकरण अनुरक्षण कार्य।           | 214713                      |
| 2         | क्षेत्र पंचायत के बाउन्ड्रीवाल में दुकानों के निर्माण।                                                    | 645475                      |
| 3         | क्षेत्र पंचायत सभागार की साज-सज्जा एवं अनुरक्षण, मरम्मत कार्य।                                            | 131241                      |
| 4         | ग्राम केवड़िया में जय नारायण तिवारी के घर से लाल जी के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड निर्माण।                | 136693                      |
| 5         | ग्राम पहेवा में नौरंगा मुख्य मार्ग से सुखलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                               | 355911                      |
| 6         | ग्राम पहेवा में नौरंगा मुख्य मार्ग से सुखलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                               | 355911                      |
| 7         | ग्राम रामसारी के मजरा चन्दनपुर में रामबली के दरवाजे संदल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।              | 346548                      |
| 8         | ग्राम तेजपुर कुंवरपुर सम्पर्क मार्ग श्री सुन्दर गुप्ता के घर से राम बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड। | 363672                      |
| 9         | ग्राम कंठीपुर में कृष्ण गोपाल वर्मा के घर से पहेवा मेन रोड तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                       | 440945                      |
| 10        | ग्राम भदेवना मार्ग से धौकल पुर मन्दिर से सिरोह की ओर कुआं तक इंटरलॉकिंग सी0सी0 रोड।                       | 428655                      |
| 11        | ग्राम पड़री में सुल्तानीदेवी मन्दिर से चिरैया की ओर इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                                 | 481970                      |

|    |                                                                                                      |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | ग्राम हिरनी मुख्य मार्ग से बड़ी हिरनी ग्राम के खण्डनजा तक सी0सी0रोड।                                 | 346744            |
| 13 | ग्राम रठिगाव में जनसेवा केन्द्र से मुख्य मार्ग की ओर इन्टरलाकिंग सी0सी0रोड।                          | 422483            |
| 14 | ग्राम पतारा को मजरा जगदीशपुर में ओंकारनाथ पाण्डेय के घर से मुख्य मार्ग सी0सी0रोड।                    | 466106            |
| 15 | गजनेर आगापुर मार्ग पर जूनियर हाई स्कूल से धर्मेन्द्र सिंह की घर की ओर इन्टरलाकिंग सी0सी0रोड।         | ---               |
| 16 | घाटमपुर गजनेर मुख्य मार्ग से ग्राम रतनपुर में भारतसिंह कुशवाहा के घर तक इन्टरलाकिंग सी0सी0रोड।       | 438570            |
| 17 | ग्राम पंचायत ककरहिया में पुलिया से संचितपुर मुख्य मार्ग की ओर खण्डजा /मिटटी कार्य रोड                | 166714            |
| 18 | ग्राम अवसाकपुर में श्री शिवशंकर शर्मा के घर की ओर पिन्टू सिंह भदौरिया के घर तक इंटरलाकिंग सी0सी0रोड। | 175422            |
| 19 | ग्राम नगेलिनपुर पुरवा मन्दिर मुख्य मार्ग से जंगलेश्वर धाम की ओर खण्डनजा कार्य।                       | 154198            |
|    | <b>योग</b>                                                                                           | <b>5875629.00</b> |

उक्त कार्यों की निर्माण पत्रावलियों की जांच के दौरान निम्न कमियां पाई गई जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है-

क. कार्य सं0-04, 05, 07, 10, 13, 17, 18 पर श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी के निविदा तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर है। निविदा विज्ञापन में यह साफ-साफ अंकित है कि दिनांक 23.02.2019 को निविदा समिति के समक्ष निविदा खोले जायेंगे। सम्बन्धित द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी पतारा पद पर दिनांक 25.02.19 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। निविदा स्वीकृति के तुलनात्मक पत्र पर उनसे पूर्व बी0डी0ओ0 श्री एस0एन0 सिंह के हस्ताक्षर भी अंकित है। आडिट दौरान दिये गये अन्तरिम आपत्ति पत्र दिनांक 17.10.2020 द्वारा इस सम्बन्ध में यह उत्तर माँगा गया कि क्या बिना कार्यभार ग्रहण किये श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, बी0डी0ओ0 टेण्डर समिति में शामिल थे। यदि टेण्डर समिति में शामिल थे तो किस उच्चाधिकारी के आदेश से। आदेश की कापी भी प्रस्तुत करें। परन्तु उनके द्वारा किसी भी बिन्दु का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया न ही इस सम्बन्ध में कोई मौखिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

ख. अल्पकालीन निविदा दिनांक 8.2.19 को की गई थी जिसमें निविदा की प्राक्कलित धनराशि का प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग अंकन है। प्राक्कलन की जांच दौरान पाया गया कि कार्य सं0 04,06,17,18,19 के प्राक्कलन श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0आर0ई0डी0 द्वारा दिनांक 22.2.2019 को तकनीकी स्वीकृति किया गया है। बिना तकनीकी स्वीकृति/ प्राक्कलित धनराशि के निविदा आमन्त्रण कर दिया गया।

ग. उक्त अंकित किसी भी कार्य के निविदा स्वीकृति तुलनात्मक विवरण पर निविदा समिति के सदस्य, श्रीमती मीना संखवार, ब्लॉक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।

घ. तुलनात्मक विवरण पर दो फर्मों का नाम अंकित है जो क्रमशः है- 1. मेसर्स सर्वेश कुमार, 3 ए/413, आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता कानपुर 2. मेसर्स माँ कात्यायनी डेवलपर्स, बी-123, आवास विकास हंसपुरम, नौबस्ता कानपुर। आलोच्य वर्ष दौरान उक्त कराये गये सभी कार्यों के लिए माँ कात्यायनी डेवलपर्स को कार्य करवाने का ठेका दिया गया है। दोनों फर्मों के टेण्डर फार्म तथा तुलनात्मक विवरण की जांच में पाया गया कि किसी भी कार्य के सापेक्ष सामग्री, लेबर मजदूरी पर व्यय का कोई चार्ट या विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न नहीं है तथा टेण्डर फार्म भी भरा हुआ नहीं है। टेण्डर फार्म के बिल ऑफ क्वान्टिटी में केवल टेण्डर की धनराशि के सापेक्ष कम (बिलो) एवं अधिक (एबव) के आधार पर टेण्डर स्वीकृत किया गया है। टेण्डर फार्म पर साक्षी के विवरण/हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।

ड. किसी भी कार्य का कार्यपूति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

च. कार्य सं0-01,03,11,12 की एम0बी0 पर श्री आर0के0 कुशवाहा, जे0ई0आर0ई0डी0 एवं कार्य सं0-04, 02 06,08,09,13,16,17,18,19 श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0आर0ई0डी0 द्वारा एम0 बी0 पर कार्य प्रारम्भ की प्रथम एवं अंतिम तिथि अंकित नहीं किया गया है।

छ. कार्य सं0-01,02,11 के कार्य के प्रारम्भ, एवं समाप्त की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

ज. कार्य सं0-08 के निर्माण पत्रावली में द्वितीय किश्त की भुगतान हेतु सहायक लेखाकार द्वारा लगाये गये नोटशीट तथा फर्म के भुगतान बिल पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है।

झ. कार्य सं0 09 के भुगतान नोट शीट, फर्म का भुगतान बिल, एम0बी0, कार्यादेश, अनुबन्ध पत्र पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली में संलग्न कार्यादेश पर पत्रांक अंकित नहीं है, केवल दिनांक 04.6.2019 ही अंकित है। बिना कार्यादेश और अनुबन्ध पत्र के फर्म मा कात्यायनी डेवलपर्स द्वारा कार्य किन आदेशों के अधीन किया गया एवं किस आधार पर बिना नोटशीट और भुगतान बिल पर आप द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद सीधे चेक से भुगतान हो गया। रु0 440945.00 सीधे भुगतान करने से यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा न तो कार्य हेतु कार्यादेश किया गया, न ही कोई एग्रीमेन्ट किया गया और न ही पत्रावली की नोटशीट और बिल इत्यादि का अवलोकन किया गया।

ञ. कार्य सं0- 10 के कार्यादेश, अनुबन्ध पर पत्रांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि इस कार्य को करवाने से पहले फर्म के साथ अनुबन्ध नहीं किया गया है तथा बिना कार्यादेश करवाये अनियमित तरीके से कार्य करवाया गया है।

ट. खण्ड विकास अधिकारी, के किसी भी कार्य के पत्रावली के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं है।

ठ. कार्य सं0- 12 के अनुबन्ध पर पत्रांक और दिनांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि इस कार्य को करवाने से पहले फर्म के साथ अनुबन्ध नहीं किया गया है।

ड . कार्य सं0 17 की पत्रावली में संलग्न कार्यादेश की जांच में पाया गया कि इसमें अनुबन्ध सं0-09 दिनांक 04.6.19 अंकित है। जबकि पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध पत्र पर दिनांक 8.3.19 अंकित है। एक ही कार्य के लिए दो अनुबन्ध क्यों किये गये । एक अनुबन्ध मार्च में तथा दूसरा जून 2019 का है । दोनों में से किस अनुबन्ध के द्वारा कार्य करवाया गया एवं कार्य कब प्रारम्भ हुआ यह स्पष्ट नहीं किया गया।

ढ . कार्य सं0 19 के अनुबन्ध पत्र पर ठेकेदार के हस्ताक्षर और साक्षी का नाम हस्ताक्षर तथा दिनांक अंकित नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना अनुबन्ध प्रक्रिया का पालन किये कार्य करवाया गया।

उक्त समस्त बिन्दुओं(क से ढ) पर अन्तरिम आपति पत्र के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी से उत्तर की अपेक्षा की गई परन्तु उनके द्वारा कोई लिखित/मौखिक उत्तर उक्त किसी भी बिन्दु पर नहीं दिया गया।

अतः उक्त बिन्दुओं तथा अन्तरिम पत्र दिनांक-17.10.2020 के आलोक में स्पष्ट होता है कि वर्ष दौरान निर्माण कार्य पर दिये गये ठेके उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार दिये गये निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए माँ कात्यायनी फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया तथा समस्त कार्य का ठेका अनियमित तरीके से एक ही फर्म को दे दिया गया। उक्त कई कार्यों में प्राक्कलन स्वीकृत कराये बिना टेण्डर में कार्य को शामिल भी कर लिया गया तथा उक्त फर्म को टेण्डर दे दिया गया। उक्त निर्माण कार्यों पर वर्ष दौरान ₹0 5875629.00(₹0 अट्ठावन लाख पचहत्तर हजार छः सौ उन्तीस )व्यय करने तथा उक्त फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वित्तीय अनियमितता की गई है। इसके लिए श्री जानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती मीना संखवार, ब्लाक प्रमुख, श्री रामप्रकाश सचान, लेखाकार उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त श्री राजकुमार कुशवाहा, जेई आर0ई0डी0 ने काल्पनिक माप पुस्तिका बनाकर तथा श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0आर0ई0डी0 ने काल्पनिक माप पुस्तिका तथा काल्पनिक तकनीकी स्वीकृति व काल्पनिक प्राक्कलन बनाकर वित्तीय अनियमितता में सहयोग किया है। अतः ₹0 5875629.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### (मूल आपति संख्या-19)

**प्रस्तर संख्या 73-**मनरेगा प्रशासनिक व्यय से जेनरेटर चलाये जाने हेतु दिनांक 26.7.19 से 8.1.19 तक कुल 3499.00 डीजल पर निम्नानुसार धनराशि व्यय किया गया है । लॉग बुक में जेनरेटर आपरेटर के हस्ताक्षर नहीं है तथा सहायक लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 द्वारा यह प्रमाणित भी नहीं है। लॉग बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि जेनरेटर में यह डीजल प्रयोग नहीं हुआ है। डीजल क्रय दर्शाकर उक्त धनराशि ₹0 3499.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रामप्रकाश सचान, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

#### (मूल आपति संख्या-20)

**प्रस्तर संख्या 74-**विज्ञापन सं0-938/लेखाकार/क्षे0पं0/च0रा0वि0/निविदा/विज्ञापित/18-19, दिनांक 08.2.19 को 19 कार्यों हेतु विज्ञापन दिया गया था। जिसका विवरण एवं निविदा का मूल्य निम्नवत है-

| कार्य सं0 | कार्य का नाम                                                                                              | निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | प्रमुख कक्ष सहायक विकास अधिकारी/ कार्यालय / रिकार्ड रूम/ फर्नीचर एवं सुन्दरीकरण अनुरक्षण कार्य।           | 650                           |
| 2         | क्षेत्र पंचायत के बाउन्ड्रीवा ल में दुकानों के निर्माण।                                                   | 725                           |
| 3         | क्षेत्र पंचायत सभागार की साज-सज्जा एवं अनुरक्षण, मरम्मत कार्य।                                            | 650                           |
| 4         | ग्राम केवड़िया में जय नारायण तिवारी के घर से लाल जी के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड निर्माण।                | 650                           |
| 5         | ग्राम पहेवा में नौरंगा मुख्य मार्ग से सुखलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                               | 650                           |
| 6         | ग्राम तेनापुर सिरोमनपुर मार्ग में सोनेलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                                  | 650                           |
| 7         | ग्राम रामसारी के मजरा चन्दनपुर में रामबली के दरवाजे संदल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।              | 650                           |
| 8         | ग्राम तेजपुर कुंवरपुर सम्पर्क मार्ग श्री सुन्दर गुप्ता के घर से राम बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड। | 650                           |
| 9         | ग्राम कंठीपुर में कृष्ण गोपाल वर्मा के घर से पहेवा मेन रोड तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                       | 650                           |
| 10        | ग्राम भदेवना मार्ग से धौकल पुर मन्दिर से सिरोह की ओर कुआं तक इंटरलॉकिंग सी0सी0 रोड।                       | 650                           |
| 11        | ग्राम पड़री में सुल्तानीदेवी मन्दिर से चिरैया की ओर इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                                 | 725                           |
| 12        | ग्राम हिरनी मुख्य मार्ग से बड़ी हिरनी ग्राम के खण्डनजा तक सी0सी0रोड।                                      | 650                           |
| 13        | ग्राम रठिगाँव में जनसेवा केन्द्र से मुख्य मार्ग की ओर इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।                               | 650                           |

|       |                                                                                                      |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14    | ग्राम पतारा को मजरा जगदीशपुर में ओंकारनाथ पाण्डेय के घर से मुख्य मार्ग सी0सी0रोड।                    | 725      |
| 15    | गजनेर आगापुर मार्ग पर जूनियर हाई स्कूल से धर्मेन्द्र सिंह की घर की ओर इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।          | 650      |
| 16    | घाटमपुर गजनेर मुख्य मार्ग से ग्राम रतनपुर में भारतसिंह कुशवाहा के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड।        | 650      |
| 17    | ग्राम पंचायत ककरहिया में पुलिया से संचितपुर मुख्य मार्ग की ओर खण्डजा /मिटटी कार्य रोड                | 650      |
| 18    | ग्राम अवसाकपुर में श्री शिवशंकर शर्मा के घर की ओर पिन्दू सिंह भदौरिया के घर तक इंटरलॉकिंग सी0सी0रोड। | 650      |
| 19    | ग्राम नगेलिनपुर पुरवा मन्दिर मुख्य मार्ग से जंगलेश्वर धाम की ओर खण्डन्जा कार्य।                      | 650      |
| योग:- |                                                                                                      | 12575-00 |

उक्त विवरण के अनुसार उक्त धनराशि के साथ 12 प्रतिशत जी0एस0टी के अनुसार धनराशि ₹0 12575.00 +1509.00 कुल ₹0 14084.00 की धनराशि तब होती है जब कि केवल एक फार्म की बिक्री हो। टेण्डर अनुसार दो फर्मों ने टेण्डर प्रक्रिया में भाग लिया था जिसके अनुसार यह धनराशि दुगुनी हो जायेगी जो ₹0 28168.00 है। यह धनराशि न तो ग्रांट रजिस्टर-02 के आय पक्ष में टेण्डर बिक्री की दिनांक को शामिल किया गया एवं न ही यह धनराशि कैशबुक में शामिल की गई। दिनांक 17.10.2020 को दिये गये अन्तरिम आपति पत्र में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण का सम्बन्धित के द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । ₹0 28168.00 को आय पक्ष में शामिल न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः ₹0 28168.00 की श्री जानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रामप्रकाश सचान, लेखाकार से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-21)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 विस्तरीय पंचायती राज

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

प्रारूप - 03

टोडरपुर - क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

जनपद-हरदोई , मण्डल- लखनऊ

₹0 796154.50

**प्रस्तर 1.** लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये पत्रावलियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कतिपय फर्मों को कराये गये कार्यों के सापेक्ष केवल सामग्री का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल अथवा श्रमांश पर किया गया भुगतान से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ।

| क्र.सं. | कार्य का नाम व पता                | फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम                                                    | चेक संख्या       | दिनांक                   | सामग्री पर किया गया भुगतान | वर्ष 2019-20 में श्रम पर किया गया भुगतान |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1       | 2                                 | 3                                                                           | 4                | 5                        | 6                          | 7                                        |
| 1       | कार्यालय बाउण्ड्रीवाल मरम्मत      | मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                              | 609730           | 11.7.2019                | 100210.00                  | शून्य                                    |
| 2       | बाउण्ड्रीवाल निर्माण              | 1. मे0 जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>2. मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर, | 609731<br>609730 | 11.7.2019<br>11.7.2019   | 24760.00<br>113426.50      | शून्य                                    |
| 3       | कार्यालय परिसर में सी0सी0 निर्माण | 1. मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>2. मे0 जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर  | 609738<br>609739 | 20.08.2019<br>20.08.2019 | 43811.00<br>5775.00        | शून्य                                    |
| 4       | कार्यालय परिसर में सी0सी0 निर्माण | 1. मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>2. मे0 जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर  | 609738<br>609739 | 20.08.2019<br>20.08.2019 | 88604.00<br>17325.00       | "                                        |
| 5       | पानी लाइन लगवाई                   | 1. मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                           | 609740           | 03.08.2019               | 115424.00                  | "                                        |
| 6       | शहीद पार्क निर्माण                | 1. मे0 पावर वर्क्स हरदोई                                                    | 609736           | 19.07.2019               | 70054.00                   | "                                        |

|   |             |                                                                            |                  |                          |                       |   |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 7 | हाल निर्माण | 1. मे0 जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>2. मे0 जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर | 609756<br>609751 | 28.11.2019<br>28.11.2019 | 75681.00<br>141084.00 | " |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---|

अतः उक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि संस्था के विभिन्न कार्यों हेतु मात्र सामग्री क्रय किया गया है। श्रमांश पर व्यय शून्य है। कुल सात कार्यों पर रूपया 796154.50 के सामग्री क्रय किया गया है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवम् लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, सम्पत्ति पंजिका, क्रमादेश, चालान, सामग्री भण्डारण का स्थान .. आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार राजकीय अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय-18 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए श्री ऋषिपाल सिंह खण्ड विकास अधिकारी , व श्री अनूप कुमार दीक्षित ज्येष्ठ लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है

रु0 40945.00

**प्रस्तर 2.** लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के अनुसार कतिपय फर्मों को भुगतान किये गये धनराशि में से आयकर व जी0एस0टी0 कटौती नहीं किया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। विवरण निम्नवत् है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम व पता                | फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम                                                                             | भुगतान की गई धनराशि              | चेक सं0                    | दिनांक                                 | कटौती नहीं किया गया आयकर (रु0) | राजकीय कर GST(रु0)           |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                    | 4                                | 5                          | 6                                      | 7                              | 8                            |
| 1       | कार्यालय बाउण्ड्रीवाल मरम्मत      | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर                                 | 100210.00<br>24760.00            | 609730<br>609731           | 11.07.2019<br>11.07.2019               | -<br>495.20                    | 2004.20<br>495.20            |
| 2       | बाउण्ड्रीवाल निर्माण              | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                                                       | 113426.50                        | 609730                     | 11.07.2019                             | -                              | 2268.53                      |
| 3       | कार्यालय परिसर में सी0सी0निर्माण  | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर                                 | 88604.00<br>17325.00             | 609738<br>609739           | 20.08.2019<br>20.08.2019               | 1772.08<br>346.50              | 1772.08<br>346.50            |
| 4       | कार्यालय परिसर में सी0सी0निर्माण  | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर                                 | 43811.00<br>5775.00              | 609738<br>609739           | 20.08.2019<br>20.08.2019               | 876.22<br>115.50               | 876.22<br>115.50             |
| 5       | कार्यालय परिसर में शौचालय निर्माण | मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                 | 29199.00<br>68215.00             | 609734<br>609733           | 16.07.2019<br>16.07.2019               | 583.98<br>-                    | 583.98<br>1364.30            |
| 6       | कार्यालय परिसर में छत की मरम्मत   |                                                                                                      | 71716.75<br>40391.50<br>70806.50 | 609746<br>609746<br>609746 | 16.10.2019<br>16.10.2019<br>16.10.2019 | 1434.33<br>807.83<br>1416.13   | 1434.33<br>807.83<br>1416.13 |
| 7       | जल संरक्षण                        | मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                 | 9487.00<br>83251.00              | 609749<br>609748           | 16.10.2019<br>16.10.2019               | 189.74<br>1665.02              | 189.74<br>1665.02            |
| 8       | मीटिंग हाल चबूतरा                 | मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                 | 8730.00<br>52886.00              | 609741<br>609740           | 30.08.2019<br>30.08.2019               | 174.60<br>1057.72              | 174.60<br>1057.72            |
| 9       | समरसेबल लगवाई                     | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                                                       | 45211.00                         | 609740                     | 30.08.2019                             | 904.22                         | 904.22                       |
| 10      | पानी लाइन लगवाई                   | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                                                       | 115424.00                        | 609740                     | 30.08.2019                             | -                              | 2308.48                      |
| 11      | कार्यालय मीटिंग हाल               | मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर<br>मे० पावर वर्क्स धर्मशाला रोड | 1752.75<br>35576.80              | 609749<br>609748           | 16.10.2019<br>16.10.2019               | 35.05<br>711.54                | 35.05<br>711.54              |

|    |                    |                                                                      |                       |                  |                          |          |                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------|
|    |                    | हरदोई                                                                | 17276.00              | 609749           | 16.10.2019               | 345.52   | 345.52             |
| 12 | शहीद पार्क निर्माण | मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर                                       | 70054.00              | 609736           | 19.07.2019               | 1401.08  | 1401.08            |
| 13 | हाल निर्माण        | मे० जय बालाजी ब्रिक फील्ड, टोडरपुर<br>मे० जय बालाजी ट्रेडर्स टोडरपुर | 75680.00<br>141084.00 | 609756<br>609751 | 28.11.2019<br>28.11.2019 | -<br>-   | 1513.62<br>2821.68 |
|    |                    |                                                                      |                       |                  | रु०-                     | 14337.23 | रु०<br>26613.07    |

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० (एडीशनल कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग) लखनऊ के पत्रांक/ए डी० कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग/2018-19/181949/705 के अनुसार 1 प्रतिशत एस०जी०एस०टी० एवम् 1 प्रतिशत सी०जी०एस०टी०की कटौती किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 14332.23 आयकर एवम् रूपए 26613.07 जी०एस०टी० की कटौती न करके राजकीय धन की क्षति की गई है। सम्बन्धित फर्मों से उक्त राजकीय कर की वसूली किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है

#### रु० 2743169.00

**प्रस्तर 3.** क्षेत्र पंचायत टोडरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य कराया गया, जिसके सापेक्ष कुल रु० 2743169.00 का भुगतान किया गया गया है।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी कार्यों से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। जबकि चतुर्थ/राज्य वित्त आयोग के उपभोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1839/33.03.2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 25 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर किया जायेगा। कराये गये कार्य की कार्यपूर्ति व उपभोग की पत्रावली में संलग्न नहीं था। अतः क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 2743169.00 से सापेक्ष किया गया निर्माण कार्य उक्त शासनादेश (मार्गदर्शन सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है। इस हेतु लेखाकार श्री अनूप कुमार दीक्षित व खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

| क्र.सं. | कार्य का नाम                            | फर्म का नाम/कार्य प्रभारी        | आच्छादित ग्राम पंचायत | धनराशि     |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 1       | फतेहपुर गयन्द से राजू के खेत तक खड़न्जा | श्री बृजेश मिश्रा। एडीओ [एस.बी.] | -                     | 817242.00  |
| 2       | राजू के खेत से करीमपुर तक खड़न्जा       | श्री राणा प्रताप मनोज एडीओ [पी]  | -                     | 854188.00  |
| 3       | सुन्दरपुर से तारा गाँव अवशेष खड़न्जा    | श्री बृजेश मिश्रा एडीओ [एस.बी.]  | -                     | 367458.00  |
| 4       | बबलू के खेत से हरपाल के खेत तक खड़न्जा  | श्री बृजेश मिश्रा एडीओ [एस.बी.]  | -                     | 704281.00  |
|         |                                         |                                  | योग -रु०              | 2743169.00 |

#### रु० 195296.00

**प्रस्तर 4.** क्षेत्र पंचायत टोडरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया (अभिलेखों की जाँच) कि प्रधानमंत्री आवास मद में रु० 195296.00 का व्यय किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समय जांच में नहीं प्रस्तुत किये गये, जिन्हें प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उवप्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 तथा नियम 66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल तथा अन्य प्रमाणक के प्राप्त किये तथा परीक्षण किये भुगतान काना धन के अपहरण/दुरुपयोग को दर्शाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179/(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है इस अपहरण एवं दुरुपयोग हेतु श्री ऋषिपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, टोडरपुर तथा श्री अनूप कुमार दीक्षित, ज्येष्ठ लेखाकार, उत्तरदायी हैं , उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है

#### रु० 2083195.00

**प्रस्तर 5.** क्षेत्र पंचायत टोडरपुर की वर्ष 2019-20 की मनरेगा के मद में कराये गये कार्यों की जो पत्रावलियाँ उपलब्ध करायी गयी उन पर केवल श्रमांश के मद में भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र.सं. | कार्य का नाम | कार्य प्रारम्भ तिथि | कार्य समाप्त तिथि | नियुक्ति/आदेश सं० | कार्य प्रभारी का नाम | प्राँकलित धनराशि | व्यय की गयी धनराशि |
|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|



|   |                                                       |                                   |                                   | तिथि        |                                             |           |           |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | रूपापुर से हूँसेपुर करमथा तक मिट्टी कार्य             | अंकित नहीं पत्रावली/ एम बी बुक पर | अंकित नहीं पत्रावली/ एम बी बुक पर | 351/18.6.19 | श्री धीरज पाण्डेय ग्रा0पं0वि0 अधिकारी       | 393023.00 | 267381.00 |
| 2 | कैमी से चकदकिया तक मिट्टी कार्य                       | -"-                               | -"-                               | 521/26.7.19 | श्री दिनेश कुमार यादव ग्रा0पं0वि0 अधिकारी   | 396013.00 | 366912.00 |
| 3 | सिकन्दरपुर संपर्क मार्ग से बम्बा पटरी कार्य           | -"-                               | -"-                               | 565/31.7.19 | श्री आशीष कुमार बाजपेयी ग्रा0पं0वि0 अधिकारी | 398313.00 | 380926.00 |
| 4 | सेमरापुरवा में रामलाल के घर से नगरिया तक मिट्टी कार्य | -"-                               | -"-                               | 351/18.6.19 | श्री शत्रुघ्न सिंह ग्रा0पं0वि0 अधिकारी      | 398873.00 | 376922.00 |
| 5 | याशीनपुर मार्ग से हुमांयपुर तक मिट्टी कार्य           | -"-                               | -"-                               | 521/26.7.19 | श्री आशीष कुमार बाजपेयी ग्रा0पं0वि0 अधिकारी | 399264.00 | 313404.00 |
| 6 | सहादत नगर से सलेमपुर तक रम्मा पुरवा तक मिट्टी कार्य   | -"-                               | -"-                               | 565/31.7.19 | श्री आशीष कुमार बाजपेयी ग्रा0पं0वि0 अधिकारी | 397671.00 | 377650.00 |

क्षेत्र पंचायत टोडरपुर की वर्ष 2019-20 की मनरेगा में कराये गये उपरोक्त कार्यों पर रु0 2083195.00 का व्यय किया गया है। सम्बन्धित कार्य कराये जाने से पहले सचिव तथा खण्ड विकास अधिकारी टोडरपुर द्वारा शासनादेश संख्या-6512/38-7/2010-10 एन आर ई जी ए/05टी0सी0/लखनऊ/दिनांक 25 अगस्त 2010 का संज्ञान नहीं लिया गया है, और न ही उसका पालन किया गया है। शासनादेश के बिन्दु-2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये या कराये जाने वाले कार्यों का कार्य प्रभारी क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाय। जहाँ क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है और यदि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी के रूप में उक्त योजना पर कार्य करे हैं तो वह स्वयं तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। ऐसी परियोजनाओं की आगणन की धनराशि की वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जायेगी। साथ कराये गये कार्यों की जो एम बी पत्रावली में संलग्न पायी गयी वह भी अधूरी थी जिस पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ कब समाप्त हुआ इसकी प्रविष्टि अंकित नहीं थी। अतः इस अनियमितता हेतु श्री धीरज पाण्डेय श्री शत्रुघ्न सिंह, श्री दिनेश कुमार यादव श्री आशीष बाजपेयी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा श्री ऋषिपाल सिंह खण्ड विकास अधिकारी, टोडरपुर पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

### प्रारूप-3

#### क्षेत्र पंचायत - लखीमपुर

#### वर्ष 2014-15 से 2016-17

#### जनपद - लखीमपुर-खीरी

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग से विकास खण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है -

| क्र० सं० | दिनांक     | चेक संख्या | दर    | बिल की धनराशि | आयकर कटौती के उपरान्त शुद्ध भुगतान | भुगतान प्राप्तकर्ता    |
|----------|------------|------------|-------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 1-       | 11-07-2014 | 028009     | 20500 | 82000.00      | 80147.00                           | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |

|    |              |        |       |           |                   |                        |
|----|--------------|--------|-------|-----------|-------------------|------------------------|
| 2- | 15-07-2014   | 028010 | 20500 | 82000.00  | 80147.00          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 3- | 21-07-2014   | 028011 | 20500 | 82000.00  | 80147.00          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 4- | 23-07-2014   | 028012 | 20500 | 82000.00  | 80147.00          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 5- | 01-10-2014   | 028026 | 19800 | 594000.00 | 580576.00         | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 6- | 13-10-2014   | 028032 | 19800 | 594000.00 | 580576.00         | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
|    | <b>योग -</b> |        |       |           | <b>1481740.00</b> |                        |

उपरोक्त क्रय नेडा से न करके बाजार की प्राइवेट फर्म से डी०पी०आर०ओ० खीरी के पत्रांक 4482 दिनांक 15-12-2013 के क्रम में किया गया जिसमें यह कहा गया था कि क्रय नेडा विभाग से किया जाय। विभाग द्वारा ससमय आपूर्ति न किये जाने पर किसी अन्य रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्म (पैन नम्बर युक्त) से नेडा के मानक एवं दर के अनुसार ही किया जाय।

उपरोक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायीं गयीं -

1- नेडा के परि०अधि० 254/नेडा-खीरी स्ट्रीट लाइट/एलईडी/13-14/दिनांक 14-12-2013 में सोलर स्ट्रीट लाइट की दर का निर्धारण निम्नवत् किया गया था।

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| सोलर स्ट्रीट लाइट      | - | 17800.00        |
| स्थापना व कमीशनिंग     | - | 500.00          |
| मेन्टीनेन्स 5 वर्ष     | - | 1500.00         |
| विभागीय अनुषांगिक व्यय | - | 1000.00         |
| अनुषांगिक व्यय पर वैट  | - | 50.00           |
| <b>योग -</b>           | - | <b>20850.00</b> |

नेडा ने उक्त पत्र में दर के पश्चात लिखा है कि संयंत्र स्थापित कराए जाने हेतु निर्धारित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नेडा प्रोजेक्ट प्लान लखीमपुर पर निर्गत हो, को उपलब्ध कराने का कष्ट करें किन्तु संस्था द्वारा को डी०डी० न देकर सीधे बाजार से कोटेशन/टेण्डर के माध्यम से लाइटें क्रय की गयीं जबकि डी०पी०आर०ओ० के पत्र में भी यह स्पष्ट निर्देश था कि नेडा द्वारा ससमय आपूर्ति न किये जाने पर ही अन्य रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्म से क्रय किया जाय।

2- क्रय पूर्व जारी टेण्डर कोटेशन नोटिस में नेडा की वर्षों तक देखरेख जैसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया और 5 वर्षों तक देखरेख जैसी शर्तों 5 टेण्डर स्वीकृत फर्म से कोई अनुबन्ध ही किया गया जिसमें लाइटों की/न ही कोटेशन अनुरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है/आपूर्ति आदेश में भी उक्त देखरेख का उल्लेख होता स्पष्ट है कि बिना देखरेख अनुबन्ध किये फर्म से लाइटें क्र की गयीं/मेन्टीनेन्स की शर्त आरोपित/और भुगतान भी किया गया।

अतः स्पष्ट है कि रखरखाव/मेन्टीनेन्स जैसी महत्वपूर्ण शर्त आरोपित किये बिना फर्म को रु० 1500.00 प्रति नग की दर से कुल रु० 1500x76=114000.00 का अधिक भुगतान करके धनराशि का अपव्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०पी० चौबे एवं लेखाकार श्री अवधेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-2** आलोच्य वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग से विकास खण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है -

| क्र० सं० | दिनांक       | चेक संख्या | दर    | बिल धनराशि | आयकर कटौती के उपरान्त शुद्ध भुगतान | भुगतान प्राप्तकर्ता    |
|----------|--------------|------------|-------|------------|------------------------------------|------------------------|
| 1-       | 16-09-2015   | 038273     | 22300 | 223000.00  | 217960.00                          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 2-       | 05-01-2016   | 038289     | 22300 | 1115000.00 | 1089801.00                         | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 3-       | 18-01-2016   | 038291     | 22300 | 669000.00  | 653881.00                          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
| 4-       | 23-01-2016   | 038293     | 22300 | 669000.00  | 653881.00                          | श्री साई इलेक्ट्रिकल्स |
|          | <b>योग -</b> |            |       |            | <b>2615523.00</b>                  |                        |

उपरोक्त क्रय नेडा से न करके बाजार की प्राइवेट फर्म श्री साई इलेक्ट्रिकल्स से किया गया है। क्रय पूर्व जारी टेण्डर/कोटेशन नोटिस में नेडा की 5 वर्षों तक देखरेख जैसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया और न ही कोटेशन/टेण्डर स्वीकृत फर्म से कोई अनुबन्ध ही किया गया जिसमें लाइटों की 5 वर्षों तक देखरेख जैसी शर्तों का उल्लेख होता। आपूर्ति आदेश में उक्त देखरेख/अनुरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि बिना देखरेख/मेन्टीनेन्स की शर्त आरोपित/अनुबन्ध किए फर्म से लाइटें क्रय की गयीं। यदि लाइटें नेडा से क्रय की गयीं होती तो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में संस्था को मिलने वाले अनुदान रु० 11900.00 प्रति संयन्त्र का लाभ होता। इस प्रकार नेडा से क्रय न करके बाजार से क्रय करने के कारण संस्था को रु० 11900.00 की दर से कुल 120x11900=1428000.00 का अनुदान प्राप्त न होने से संस्था को क्षति हुई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अवधेश तिवारी उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-3** आलोच्य वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग से विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है -

| क्र. सं. | दिनांक       | चेक संख्या | भुगतानित धनराशि   | कार्य का नाम                                                  | भुगतान प्राप्तकर्ता    |
|----------|--------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-       | 13-10-2014   | 28031      | 499059.00         | भल्लियाबुजुर्ग में खेतौसा सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा             | मे० आदित्य कुमार वर्मा |
| 2-       | 20-09-2014   | 28020      | 268901.00         | मूड़ाधामू में मुख्य मार्ग से इन्सान अली के घर तक नाली         | मे० आदित्य कुमार वर्मा |
| 3-       | 13-10-2014   | 28036      | 527101.00         | सैधरी में उर्मिला के मकान से सुन्दर लाल की बाग तक नाली/खडन्जा | मे० आदित्य कुमार वर्मा |
|          | <b>योग -</b> |            | <b>1295061.00</b> |                                                               |                        |

उपरोक्त कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए मे० आदित्य कुमार वर्मा, मे० बृजेन्द्र कुमार वर्मा तथा शिवा ट्रेडर्स की निविदायें प्राप्त हुईं। उक्त निविदा प्रपत्र सं० नि०का० 3 (नियम 23 देखिए) पर टेण्डर डालने वाले फर्म के प्रोपराइटर/ठेकेदार का हस्ताक्षर नहीं है और न ही किसी साक्षी के हस्ताक्षर हैं। जबकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण चार्ट अपूर्ण/सादा पाया गया।

शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु० 1.00 लाख से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा। उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्रों पर किसी भी ठेकेदार/फर्म प्रोपराइटर का हस्ताक्षर न होना यह सिद्ध करता है कि निविदा प्रक्रिया की मात्र खानापूर्ति की गयी है वास्तव में निविदायें आमंत्रित ही नहीं की गयीं। इस प्रकार बिना निविदा के रु० 1295061.00 का भुगतान किया जाना अनियमित और वित्तीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम० पी० चौबे एवं लेखाकार श्री अवधेश तिवारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

### क्षेत्र पंचायत - कुम्भी(गोला)

**वर्ष 2017-18 से 2019-20**

**जनपद - लखीमपुर-खीरी**

**प्रस्तर-4** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20 हजार से अधिक से रु० 1 लाख तक) एवं टेण्डर (रु० 1 लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर सामग्री क्रय करने के पूर्व निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है। ठेकेदार के नाम जारी कार्यादेश जिसमें उसकी निविदा दर न्यूनतम होने से स्वीकृत होने का उल्लेख करते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किन्तु पत्रावली में निविदा सम्बन्धी अन्य कोई भी प्रपत्र नहीं लगा है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किससे-किससे और किन-किन दरों पर निविदा प्राप्त हुई -

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                       | बिना टेण्डर के भुगतान की गयी धनराशि/दिनांक                          | प्राप्तकर्ता ठेकेदार का नाम |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-       | विकास खण्ड परिसर में अभिलेखागार निर्माण कार्य                      | 167712.00/01-02-2018<br>160586.00/23-10-2018                        | अजीत कुमार वर्मा            |
| 2-       | खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत, मिट्टी पटाई एवं इण्टर लॉकिंग कार्य | 127799.00/25-05-2017<br>64192.00/04-06-2018<br>179468.00/01-02-2018 | सतीश चन्द्र                 |
|          | <b>योग:-</b>                                                       | <b>699757.00</b>                                                    |                             |

इस प्रकार बिना टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये रु० 699757.00 का अनियमित भुगतान किया गया इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अजय शुक्ला तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री बालक राम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-5** आलोच्य वर्ष 2018-19 में धौरहराटिहड़ा से खोखाय मार्ग तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर फार्म-27 पर दो रनिंग बिल के आधार पर कुल रु० 666351.00 का भुगतान सुनील कुमार वर्मा को किया गया। प्रथम बिल रु० 438375.00 पर 1% लेबर सेस रु० 4384.00 की कटौती नहीं की गयी जबकि दूसरे बिल की धनराशि के सापेक्ष 1% की कटौती की गई। प्रथम बिल पर लेबर सेस न काटे जाने का औचित्य सिद्ध किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन लेखाकार श्री अजय शुक्ला तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री बालकराम को उत्तरदायी मानते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-6** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 1 लाख तक) एवं टेण्डर (रु० 1 लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर सामग्री क्रय करने के पूर्व निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है। ठेकेदार के नाम जारी कार्यादेश जिसमें उसकी निविदा दर न्यूनतम होने से

स्वीकृत होने का उल्लेख करते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किन्तु पत्रावली में निविदा सम्बन्धी अन्य कोई भी प्रपत्र नहीं लगा है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किससे-किससे और किन-किन दरों पर निविदा प्राप्त हुई -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                    | बिना टेण्डर के भुगतान की गयी धनराशि/दिनांक  | प्राप्तकर्ता ठेकेदार का नाम |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-       | विकास खण्ड परिसर में शहीद स्थल की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 146715.00/28-08-2018<br>25676.00/23-10-2018 | सतीश चन्द्र                 |
|          | <b>योग:-</b>                                                    | <b>172391.00</b>                            |                             |

इस प्रकार बिना टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये रु० 172391.00 का अनियमित भुगतान किया गया इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अजय शुक्ला तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री बालकराम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-7** आलोच्य वर्ष 2018-19 की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के इस्टीमेट में ई/डब्ल्यू की दर का आकलन निम्नवत् किया गया है -

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| कार्ट 1 किमी. | - | रु० 95.00  |
| कॉस्ट ऑफ अर्थ | - | रु० 90.00  |
| रॉयल्टी       | - | रु० 30.00  |
| योग           | - | रु० 215.00 |
| (-) लोडिंग    | - | रु० 33.00  |
| नेट           | - | रु० 182.00 |

कुछ कार्यों की एम०बी० में रायल्टी घटाते हुए रु० 152.00 की दर से आकलन करते हुए ठेकेदार को भुगतान किया गया है किन्तु निम्नलिखित कार्यों पर रायल्टी की धनराशि को शामिल करते हुए रु० 182.00 की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                             | ई/डब्ल्यू की मात्रा जिलसका 182.00 की दर से भुगतान किया गया सेंमी | भुगतान में शामिल रायल्टी की धनराशि दर 30.00/सेंमी |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1-       | ककलापुर में राजेश के खेत से रामचन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग            | 32.98                                                            | 989.40                                            |
| 2-       | ममरी में रामऔतार के मकान से जाबिर के मकान तक इण्टर लॉकिंग                | 46.15                                                            | 1384.50                                           |
| 3-       | ममरी में वाल्मीकी के मकान से बंशी राठौर के मकान तक इण्टर लॉकिंग          | 1.78                                                             | 53.40                                             |
| 4-       | कुम्भी में चीनी मिल मार्ग से गौड़ेपुर गाँव तक खडन्जा मरम्मत              | 206.00<br>53.00                                                  | 6180.00<br>1590.00                                |
| 5-       | लाल्हापुर में पक्की सड़क से रोहित के मकान तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण | 45.68<br>2.76                                                    | 1370.40<br>82.80                                  |
| 6-       | हजरतपुर में टेढ़नाथ बाबा की रोड तक खडन्जा मरम्मत                         | 588.00<br>413.00                                                 | 17640.00<br>12390.00                              |
| 7-       | गोला देहात में खुटार रोड से इस्लामिया मदरसा तक खडन्जा निर्माण            | 101.32<br>15.40                                                  | 3039.60<br>462.00                                 |
| 8-       | अमीरनगर में श्याम किशोर गुप्ता के मकान से पक्की सड़क तक इण्टर लॉकिंग     | 42.57                                                            | 1277.00                                           |
| 9-       | हरिनगर में राजेन्द्र पाल के घर से पक्की सड़क तक इण्टर लॉकिंग             | 32.00<br>4.32                                                    | 960.00<br>129.00                                  |
| 10-      | अहमदनगर में श्रीकेशन के खेत से चन्दा के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य        | 94.51                                                            | 2835.30                                           |
| 11-      | गोला देहात में खुटार रोड से नई बाईपास मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य       | 394.43                                                           | 11832.90                                          |
| 12-      | अहमदनगर में पक्की सड़क से मुक्ति धाम तक                                  | 60.90                                                            | 1827.00                                           |

|     |                                                                       |                  |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|     | मिट्टी खडन्जा कार्य                                                   |                  |                      |
| 13- | उमरिया में यादव के मकान से सरनाम के मकान तक इण्टर लॉकिंग              | 34.78            | 1043.40              |
| 14- | लाल्हापुर में लाल ऋषि के मकान से राम भजन के मकान तक इण्टर लॉकिंग      | 20.10<br>49.12   | 603.00<br>1473.60    |
| 15- | परसपुर पक्की सड़क से कुम्भी मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य              | 400.46<br>577.00 | 12013.80<br>17310.00 |
| 16- | धौरहरा टिहड़डा से खोखाय मार्ग तक खडन्जा मरम्मत                        | 213.00<br>425.00 | 6390.00<br>12750.00  |
| 17- | बस्तौली-मगदापुर मार्ग टेढ़ेनाथ बाबा से रामशंकर के घर तक खडन्जा मरम्मत | 591.25<br>161.50 | 5737.50<br>4845.00   |
|     | <b>योग:-</b>                                                          |                  | <b>126208.30</b>     |

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0 641(2)/86-2018-153(सामान्य)/2017 दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा विकास कार्यों में मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर रु० 30/घनमीटर से घटाकर शून्य कर दी गयी थी। स्पष्ट है कि ठेकेदार को रायल्टी की धनराशि का भुगतान किया गया जबकि रायल्टी की धनराशि काटकर भुगतान किया जाना चाहिए था इस प्रकार रु० 126208.30 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री मनीष गिरि, लेखाकार श्री अजय शुक्ला तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री बालकराम उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

### क्षेत्र पंचायत - फूलबेहड़

वर्ष 2011-12 से 2013-14

### जनपद - लखीमपुर-खीरी

प्रस्तर-8

वर्ष 2013-14 के दौरान रु० 1703528.00 की सोलर लाईट निम्न विवरणानुसार मेसर्स हरदेव कलेक्शन गोलागोकर्णनाथ से

क्रय की गयी -

| क्र०सं० | चेक संख्या   | दिनांक     | धनराशि            |
|---------|--------------|------------|-------------------|
| 1-      | 012198       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 2-      | 012199       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 3-      | 012200       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 4-      | 012201       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 5-      | 012202       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 6-      | 012203       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 7-      | 012204       | 13-02-2014 | 76885.00          |
| 8-      | 012205       | 14-02-2014 | 76885.00          |
| 9-      | 012206       | 14-02-2014 | 76885.00          |
| 10-     | 012207       | 15-02-2014 | 76885.00          |
| 11-     | 012208       | 16-02-2014 | 76885.00          |
| 12-     | 012209       | 17-02-2014 | 76885.00          |
| 13-     | 012210       | 18-02-2014 | 38443.00          |
| 14-     | 012217       | 20-02-2014 | 41012.00          |
| 15-     | 909425       | 20-02-2014 | 80166.00          |
| 16-     | 909426       | 21-02-2014 | 80166.00          |
| 17-     | 909427       | 22-02-2014 | 80166.00          |
| 18-     | 909428       | 23-02-2014 | 80166.00          |
| 19-     | 909429       | 24-02-2014 | 80166.00          |
| 20-     | 909430       | 25-02-2014 | 80166.00          |
| 21-     | 526621       | 25-02-2014 | 80166.00          |
| 22-     | 526622       | 26-02-2014 | 80166.00          |
| 23-     | 526623       | 27-02-2014 | 60125.00          |
|         | <b>योग:-</b> |            | <b>1703528.00</b> |

उपर्युक्त क्रय से सम्बन्धित निम्नलिखित तथ्य आपत्तिपूर्ण अज्ञात रहे -

क- सोलर लाईटों का क्रय यू०पी० नेडा से किया जाना चाहिये था, जबकि इसे मेसर्स हरदेव कलेक्शन गोलागोकर्णनाथ से क्रय किया गया है।

ख- सोलर लाईटों की स्थापना एक कार्य है, जबकि सोलर लाईटों का क्रय टुकड़ों में किया गया है। यहाँ तक कि एक ही दिवस में विभिन्न चेकों द्वारा भुगतान किया गया है। जब किसी कार्य पर रु० एक लाख से अधिक व्यय होता है तो निविदा निकाली जाती है। लेकिन उक्त कार्य से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

ग- टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य विषयक शर्तों की जानकारी नहीं हो सकी।

घ- यू०पी० नेडा द्वारा प्रति सोलर लाईट क्या दर थी? मेसर्स हरदेव कलेक्शन गोलागोकर्णनाथ से क्रय की गयी प्रति सोलर लाईट की दर नेडा द्वारा निर्धारित दर से कम थी, समान थी या अधिक थी, लेखा परीक्षा में इस सम्बन्ध में तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी।

ड. - क्या नेडा द्वारा सोलर लाईटों की स्थापना के पश्चात पाँच वर्षों तक वहन की जाने वाली मेन्टेनेन्स चार्ज की सुविधा मेसर्स हरदेव कलेक्शन द्वारा भी वहन किया गया/जायेगा ऐसा अनुबन्ध पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

च- सोलर लाईट की गुणवत्ता क्या है और गारन्टी/वारन्टी पीरियड क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

छ- कार्य से सम्बन्धित बिल-बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, सोलर लाईट स्थापना, स्थल आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये जिससे सम्भव है सोलर लाईट स्थापना कार्य में अनियमितता की गई हो। समयान्तर्गत समुचित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा तत्कालीन लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-9** वर्ष 2013-14 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से व्यय किये गये रु० 580555.00 के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, मस्टररोल, कार्य पूति प्रमाण-पत्र, स्टीमेट/एम०बी०, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल, कार्य योजना, बजट आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त के अभाव में व्यय रु० 580555.00 को गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत अपेक्षित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत - फूलबेहड़ वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद - लखीमपुर-खीरी**

**प्रस्तर-10** वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से चेक संख्या 045640 दिनांक 19-09-2014 को रु० 765744.00 का भुगतान चन्द्रिका प्रसाद को सी०सी० रोड निर्माण हेतु किया गया है। इसी कार्य हेतु राज्य वित्त से रु० 172660.00 से व्यय किया गया। इस प्रकार कुल रु० 938404.00 सी०सी० रोड निर्माण पर व्यय किया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी०, कार्य पूति प्रमाण-पत्र, ठेकेदारों के बिल, कार्य योजना, बजट आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उपर्युक्त के अभाव में बी०आर०जी०एफ० राज्य वित्त से व्यय रु० 938404.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने से उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-11** वर्ष 2015-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रु० 248404.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी०, कार्य पूति प्रमाण-पत्र, ठेकेदारों के बिल, कार्य योजना, बजट आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उपर्युक्त के अभाव में बी०आर०जी०एफ० से व्यय रु० 248404.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने से उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत - बिजुआ वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद - लखीमपुर-खीरी**

**प्रस्तर-12** वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि रु० 4684027.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु० 4684027.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।



12758761.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-20** वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यो पर व्यय की गयी धनराशि रु० 1183644.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु० 1183644.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-21** वर्ष 2014-15 में मनरेगा में व्यय की गयी धनराशि रु० 5040736.71 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु० 5040736.71 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-22** वर्ष 2015-16 में मनरेगा में व्यय की गयी धनराशि रु० 4802112.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु० 4802112.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-23** वर्ष 2016-17 में मनरेगा में व्यय की गयी धनराशि रु० 2788215.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु० 2788215.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - निघासन

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद - लखीमपुर-खीरी

**प्रस्तर-24** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2011-12 में कराये गए निर्माण कार्यो की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था वहाँ भी मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                              | फर्म का नाम                                    | क्रय सामग्री का मूल्य  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1-       | बगलहाकुटी में रोजे अली के घर से सलीम के घर तक नाली खडन्जा | विकास ब्रिक फील्ड                              | 103685.00              |
| 2-       | बेलापरसुआ से मुर्गीपुरवा तक खडन्जा निर्माण                | भारत ब्रिक फील्ड                               | 295260.00              |
| 3-       | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट स्थापना     | नवभारत इण्टर प्राइजेज गोण्डा                   | 696000.00              |
| 4-       | ब्लाक कार्यालय मरम्मत टाइल्स कार्य                        | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी<br>आस्था ट्रेडिंग कम्पनी | 257853.00<br>168610.00 |
| 5-       | सभागार कक्ष व प्रमुख कक्ष की मरम्मत कार्य                 | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी                          | 375576.00              |
| 6-       | विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाइट स्थापना                  | नवभारत इण्टर प्राइजेज गोण्डा                   | 472000.00              |



|    |                                                 |                              |                   |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                                 | नवभारत इण्टर प्राइजेज गोण्डा | 630500.00         |
| 7- | वी०आर०सी०एफ० कक्ष की मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी        | 126666.00         |
|    | <b>योग:-</b>                                    |                              | <b>3126150.00</b> |

उपरोक्त रु० 3126150.00 की सामग्री आपूर्ति बिना निविदा आमंत्रित किए की गयी है जो नियमों के विपरीत एवं अनियमित है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बाबू सोनकर व साहित्य प्रकाश मिश्र तथा लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-25** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से वर्ष 2011-12 में कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 34 के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                       | फर्म का नाम                             | क्रय सामग्री का मूल्य  | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | बगलहाकुटी में रोजे अली के घर से शरीफ के घर तक नाली | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी विकास ब्रिक फील्ड | 41236.00<br>103685.00  | 824.00<br>2074.00                       | 1649.00<br>4147.00                     |
| 2-       | सभागार में अटैच शौचालय निर्माण                     | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी विकास ब्रिक फील्ड | 25265.00<br>25511.00   | 505.00<br>510.00                        | 1011.00<br>1020.00                     |
| 3-       | बेलापरसुआ में मुर्गीपुरवा तक खडन्जा कार्य          | भारत ब्रिक फील्ड                        | 295260.00              | 5905.00                                 | 11810.00                               |
| 4-       | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट      | नवभारत इण्टर प्राइजेज                   | 696000.00              | 13920.00                                | 27840.00                               |
| 5-       | ब्लाक कार्यालय मरम्मत/टाइल्स निर्माण               | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी                   | 257853.00<br>168610.00 | 5157.00<br>3372.00                      | 10314.00<br>6744.00                    |
| 6-       | बी०जी०आर०एफ० कक्ष की रंगाई पुताई                   | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी                   | 126666.00              | 2533.00                                 | 5067.00                                |
| 7-       | सभागार कक्ष व प्रमुख कक्ष की मरम्मत                | आस्था ट्रेडिंग कम्पनी                   | 375576.00              | 7512.00                                 | 15023.00                               |
| 8-       | विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाइट स्थापना           | नवभारत इण्टर प्राइजेज                   | 472000.00<br>630500.00 | 9440.00<br>12610.00                     | 18880.00<br>25220.00                   |
|          | <b>योग:-</b>                                       |                                         | <b>3218162.00</b>      | <b>64362.00</b>                         | <b>128725.00</b>                       |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 64362.00 आयकर एवं रु० 128725.00 वैट कुल रु० 193087.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बाबू सोनकर, श्री साहित्य प्रकाश मिश्र तथा लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-26** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2012-13 के निम्नलिखित निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु कतिपय फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु क्रय करने से पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत् -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                 | फर्म का नाम                               | क्रय सामग्री का मूल्य  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1-       | निघासन सिंगाही मार्ग से सी०ओ० कार्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी                     | 229674.00              |
| 2-       | बगलहाकुटी से चखरा मार्ग तक रपटा निर्माण                      | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी<br>भारत ब्रिक फील्ड | 295000.00<br>326000.00 |

|    |                                                                       |                       |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|    |                                                                       | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी | 156487.00         |
|    |                                                                       | भारत ब्रिक फील्ड      | 268037.00         |
|    |                                                                       | सिंह स्पन पाइप        | 189576.00         |
| 3- | सुथनाबरसोला में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से इलाहाबाद बैंक तक खडन्जा निर्माण | साई ब्रिक फील्ड       | 376656.00         |
| 4- | इरफान चौराहे से भोले महतिया के घर तक खडन्जा निर्माण                   | साई ब्रिक फील्ड       | 121464.00         |
| 5- | कन्हईलाल पुरवा में माताजी के स्थान से खैरहनी तक खडन्जा नि०            | स्वदेशी ब्रिक फील्ड   | 420147.00         |
| 6- | बी०आर०जी०एफ० कक्ष के चारों तरफ आर०सी०सी० कार्य                        | मे० जितेन्द्र कुमार   | 114666.00         |
| 7- | बी०डी०ओ० निवास/कार्यालय व सभागार में मरम्मत कार्य                     | मे० जितेन्द्र कुमार   | 153000.00         |
| 8- | प्रमुख, बी०डी०ओ० कक्ष निवास मरम्मत सौन्दर्यीकरण                       | मे० जितेन्द्र कुमार   | 104148.00         |
|    | <b>योग:-</b>                                                          |                       | <b>2754855.00</b> |

इस प्रकार रु० 2754855.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहित्य प्रकाश मिश्र एवं श्री शिव कुमार पाण्डेय व श्री तेजवन्त सिंह, लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-27** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अन्तिम तिथि को लेखा शीर्षक 21में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किए जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 34 के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                          | फर्म का नाम                                                 | क्रय सामग्री का मूल्य               | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | निघासन सिंगाही मार्ग से सी०ओ० कार्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण          | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी<br>भारत ब्रिक फील्ड                   | 229674.00<br>56404.00               | 4593.00<br>1128.00                      | 9187.00<br>2256.00                     |
| 2-       | बगलहाकुटी से चखरा मार्ग तक रपटा निर्माण                               | खालसा सीमेन्ट एजेन्सी<br>भारत ब्रिक फील्ड<br>सिंह स्पन पाइप | 451487.00<br>594037.00<br>189576.00 | 9030.00<br>11880.00<br>3792.00          | 18059.00<br>23761.00<br>7583.00        |
| 3-       | प्रीतमपुरवा में घटलू के घर के पास पुलिया निर्माण                      | भारत ब्रिक फील्ड<br>खान ट्रेडर्स<br>शिवम स्पन पाइप          | 86937.00<br>27070.00<br>56883.00    | 1739.00<br>514.00<br>1138.00            | 3477.00<br>1083.00<br>2275.00          |
| 4-       | सुथनाबरसोला में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से इलाहाबाद बैंक तक खडन्जा निर्माण | साई ब्रिक फील्ड                                             | 376656.00                           |                                         | 15066.00                               |
| 5-       | इरफान चौराहे से भोले महतिया के घर तक खडन्जा निर्माण                   | साई ब्रिक फील्ड                                             | 121467.00                           |                                         | 4859.00                                |
| 6-       | कन्हईलाल पुरवा में माताजी के स्थान से खैरहनी तक खडन्जा नि०            | स्वदेशी ब्रिक फील्ड                                         | 420147.00                           |                                         | 16806.00                               |
| 7-       | बी०आर०जी०एफ० कक्ष के चारों तरफ                                        | मे० जितेन्द्र कुमार                                         | 114666.00                           |                                         | 4587.00                                |

|     |                                                     |                                |                      |                 |                    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|     | आर०सी०सी० कार्य                                     |                                |                      |                 |                    |
| 8-  | बी०डी०ओ० निवास/कार्यालय व सभागार में मरम्मत कार्य   | मे० जितेन्द्र कुमार            | 153000.00            |                 | 6120.00            |
| 9-  | प्रमुख, बी०डी०ओ० कक्ष निवास मरम्मत सौन्दर्यीकरण     | मे० जितेन्द्र कुमार            | 43518.00<br>60630.00 | 870.00          | 1741.00<br>2425.00 |
| 10- | भोजन लाल के घर से जोड़ी के घर तक खडन्जा निर्माण     | भारत ईट उद्योग                 | 73952.00             |                 | 2958.00            |
| 11- | भल्लार शाह के घर से खाल शाह के घर तक खडन्जा निर्माण | भारत ईट उद्योग                 | 79261.00             |                 | 3171.00            |
| 12- | नवालु शाह के घर से मलाज शाह के घर तक खडन्जा निर्माण | खान ट्रेडर्स<br>भारत ईट उद्योग | 33787.00<br>66088.00 |                 | 1351.00<br>2643.00 |
|     | <b>योग:-</b>                                        |                                | <b>3235240.00</b>    | <b>34711.00</b> | <b>129208.00</b>   |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 34711.00 आयकर एवं रु० 129208.00 वैट कुल रु० 163919.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहित्य प्रकाश मिश्र, श्री शिव कुमार पाण्डेय व श्री तेजवन्त सिंह तथा लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-28** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2013-14 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                        | फर्म का नाम         | क्रय सामग्री का मूल्य |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1-       | गंगाबेहड़ में जयपाल के घर से नन्दलाल के खेत तक खडन्जा निर्माण       | मे० जितेन्द्र कुमार | 102238.00             |
| 2-       | दुबहा में रामचन्द्र दुबे के घर से रामकुमार के खेत तक खडन्जा निर्माण | मे० जितेन्द्र कुमार | 253470.00             |
| 3-       | ब्लाक परिसर में टाइप-1आवास मरम्मत                                   | मे० जितेन्द्र कुमार | 115339.00             |
| 4-       | पी डब्लू डी रोड से जोखीपुरवा में खडन्जा निर्माण                     | मे० जितेन्द्र कुमार | 102480.00             |
|          | <b>योग:-</b>                                                        |                     | <b>573527.00</b>      |

उक्त रु० 573527.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह एवम् लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-29** उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धन कर अधिनियम 2008 की धारा 34 के अनुसार सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर 4% की दर से वैट की कटौती की जानी होती है परन्तु निम्नलिखित कार्यों पर क्रय सामग्रियों के बिलों पर वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                               | फर्म का नाम                                | क्रय सामग्री का मूल्य | राजस्व की कटौती नहीं की गई |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1-       | अदलाबाद में लाला वाले खडन्जा से हरीशपुरवा खडन्जा निर्माण   | मे० जितेन्द्र कुमार                        | 66708.00              | 2668.00                    |
| 2-       | बनवीरपुर में कल्लू के घर से अनन्तदास के घर तक नाली निर्माण | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>राहुल इण्टर प्राइजेज | 61107.00<br>38341.00  | 2444.00<br>1534.00         |
| 3-       | खैरीगढ़ मणि से दीदारूटांडा मार्ग पर खडन्जा कार्य           | मे० जितेन्द्र कुमार                        | 245320.00             | 9813.00                    |
| 4-       | सुखविन्दर के घर से हरमिन्दर के खेत तक खडन्जा निर्माण       | भारत ब्रिक फील्ड                           | 99960.00              | 3998.00                    |
| 5-       | पी डब्लू डी रोड से हरमिन्दर के खेत तक खडन्जा निर्माण       | भारत ब्रिक फील्ड                           | 99960.00              | 3998.00                    |
| 6-       | बगलहाकुटी में भगवानदीन के घर से नदी                        | मे० जितेन्द्र कुमार                        | 86336.00              | 3453.00                    |

|     |                                                                      |                                                                      |                                  |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|     | तक नाली निर्माण                                                      |                                                                      |                                  |                              |
| 7-  | इन्दसगर में पुराने खडन्जा से होशियार सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण   | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 98940.00                         | 3958.00                      |
| 8-  | खमरियाकोइलार में रपटा पुल से प्रधान के खेत तक खडन्जा निर्माण         | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 85308.00                         | 3412.00                      |
| 9-  | खमरियाकोइलार में मौसूद के घर से चुन्नेशाह के घर तक नाली निर्माण      | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 47560.00                         | 1902.00                      |
| 10- | गंगाबेहड़ में लोकराम के से पुतू के घर तक खडन्जा निर्माण              | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 42830.00                         | 1713.00                      |
| 11- | सुथनाबरसोला में सकटू के घर से गुरुदेश सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण   | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 88780.00                         | 3551.00                      |
| 12- | गंगाबेहड़ में जयपाल के घर से मन्दलाल के खेत तक खडन्जा निर्माण        | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 102238.00                        | 4089.00                      |
| 13- | तकियापुरवा में नाली निर्माण                                          | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 450259.00                        | 18010.00                     |
| 14- | रामपुर में कैलाश के घर से सज्जन के घर तक नाली निर्माण                | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>राहुल इण्टर प्राइजेज                           | 54975.00<br>34690.00             | 2199.00<br>1388.00           |
| 15- | नौबना में चम्पू के घर के पास नाली खडन्जा निर्माण                     | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 62780.00                         | 2511.00                      |
| 16- | गंगानगर में गुरुदीप सिंह के खेत से पी डब्लू डी रोड तक खडन्जा निर्माण | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 93120.00                         | 3725.00                      |
| 17- | हरदवाही में रामविलास के खेत से रामू के खेत तक खडन्जा निर्माण         | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 93120.00                         | 3725.00                      |
| 18- | बापू के खेत से भजनपुरवा तक खडन्जा कार्य                              | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 85668.00                         | 3427.00                      |
| 19- | हरदवाही में पुराने खडन्जा से लालवा के खेत तक                         | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 89240.00                         | 3570.00                      |
| 20- | दुबहा में पी डब्लू डी रोड से नहर तक खडन्जा कार्य                     | काव्या कान्सट्रक्शन                                                  | 236072.00                        | 9443.00                      |
| 21- | ढखेरवाखालसा में घनश्यामपुरवा से धरमपुरा तक खडन्जा कार्य              | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 515368.00                        | 20615.00                     |
| 22- | बदाली के घर से अलीम के घर तक नाला निर्माण                            | खान ट्रेडर्स<br>बालाजी ब्रिक फील्ड                                   | 31175.00<br>57409.00             | 1247.00<br>2296.00           |
| 23- | ब्लाक हाल में एल्यूमिनियम फ्रेमिंग                                   | ओम एल्यूमिनियम ट्रेडर्स                                              | 104082.00                        | 4163.00                      |
| 24- | दुबहा में रामचन्द्र के घर से रामकुमार के खेत तक खडन्जा कार्य         | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 253470.00                        | 10139.00                     |
| 25- | बनवीरपुर में भगौती के घर से श्रीराम के घर तक नाला निर्माण            | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>राहुल इण्टर प्राइजेज                           | 61020.00<br>38341.00             | 2440.00<br>1534.00           |
| 26- | ब्लाक परिसर में टाइप-1 आवास मरम्मत                                   | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 115339.00                        | 4613.00                      |
| 27- | बगलहाकुटी में छोटे के घर से विधायक के घर तक नाली निर्माण             | मे० जितेन्द्र कुमार                                                  | 57210.00                         | 2288.00                      |
| 28- | खमरियाकोइलार में रफीक के खेत से छोट्टन के खेत तक खडन्जा निर्माण      | बालाजी ब्रिक फील्ड                                                   | 83272.00                         | 3331.00                      |
| 29- | रामपुर में डामर रोड से रामू के घर तक नाली निर्माण                    | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>राहुल इण्टर प्राइजेज                           | 50345.00<br>32090.00             | 2014.00<br>1284.00           |
| 30- | बरसोलाकलां में रज्जाक की बाग के पास पुलिया निर्माण                   | मे० सुरेश ब्रिक फील्ड<br>श्रीराम गोमती ट्रेडर्स<br>नवीन सीमेन्ट पाइप | 37303.00<br>24436.00<br>32022.00 | 1492.00<br>977.00<br>1281.00 |
| 31- | बनवीरपुर में गुरुद्वारे के पास पुलिया निर्माण                        | नवीन सीमेन्ट पाइप<br>बालाजी ब्रिक फील्ड                              | 32022.00<br>37303.00             | 1281.00<br>1492.00           |

|     |                                                                            |                                                               |                                  |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                            | खान ट्रेडर्स                                                  | 22216.00                         | 889.00                       |
| 32- | पी डब्लू डी रोड से जोखीपुरवा तक खडन्जा निर्माण                             | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 102480.00                        | 4099.00                      |
| 33- | अदलाबाद में मैकू के घर से पुततू के घर तक खडन्जा निर्माण                    | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 83232.00                         | 3329.00                      |
| 34- | मोझा में सोना के घर से गुरुमुख के घर तक खडन्जा निर्माण                     | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 64130.00                         | 2565.00                      |
| 35- | गंगानगर में पी डब्लू डी रोड से सोनू के खेत तक खडन्जा निर्माण               | बालाजी ट्रेडर्स                                               | 85680.00                         | 3427.00                      |
| 36- | नौरंगाबाद में सन्तोष सिंह के खेत से लेखराम के खेत तक खडन्जा निर्माण        | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 524888.00                        | 20995.00                     |
| 37- | गंगाबेहड़ में मोहन सिंह के खेत से लेखराम के खेत तक खडन्जा निर्माण          | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 586089.00                        | 23444.00                     |
| 38- | बरसोलाकलां में रमजान के कोल्हू के पास पुलिया निर्माण                       | श्रीराम गोमती ट्रेडर्स<br>सुरेश ब्रिक फील्ड<br>शिवम स्पन पाइप | 14802.00<br>23379.00<br>18231.00 | 592.00<br>935.00<br>729.00   |
| 39- | खमरियाकोइलार में मैकू के घर से सोहन लाल के घर तक नाली निर्माण              | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>ओम साईं ट्रेडर्स                        | 58503.00<br>26400.00             | 2340.00<br>1056.00           |
| 40- | बरसोलाकलां में होली माता स्थान पर खडन्जा कार्य                             | सुरेश ब्रिक फील्ड                                             | 80960.00                         | 3238.00                      |
| 41- | झण्डी पी डब्लू डी रोड से केदारी के खेत तक खडन्जा निर्माण                   | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 64130.00                         | 2565.00                      |
| 42- | गंगानगर में इन्द्रजीत के घर सके पास महेन्द्र सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण | बालाजी ब्रिक फील्ड                                            | 93120.00                         | 3725.00                      |
| 43- | बनकेपुर में भोजलाल के घर से मोहन के घर तक                                  | बालाजी ब्रिक फील्ड<br>खान ट्रेडर्स                            | 46925.00<br>27125.00             | 1877.00<br>1085.00           |
| 44- | माझा में बिट्टू के खेत से सोना सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण               | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 88461.00                         | 3538.00                      |
| 45- | जगदीश सिंह के खेत से मायाराम के खेत तक खडन्जा निर्माण                      | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 90992.00                         | 3640.00                      |
| 46- | माझा में कुलवन्दिर के खेत से आला सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण             | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 77624.00                         | 3105.00                      |
| 47- | माझा में कल्लू के खेत से सरवन के खेत तक खडन्जा निर्माण                     | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 99784.00                         | 3391.00                      |
| 48- | माझा में चरण सिंह के खेत से सरवन के खेत तक खडन्जा निर्माण                  | मे० जितेन्द्र कुमार                                           | 94150.00                         | 3766.00                      |
| 49- | सहनखेड़ा में रियासत के घर के पास दो दर की पुलिया निर्माण                   | नवीन सीमेन्ट पाइप<br>बालाजी ब्रिक फील्ड<br>सुखीराम एण्ड सन्स  | 33416.00<br>37834.00<br>20885.00 | 1337.00<br>1513.00<br>835.00 |
|     | <b>योग:-</b>                                                               |                                                               |                                  | <b>255633.00</b>             |

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ₹ 255633.00 वैंट की राजकीय राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह तथा लेखाकार श्री राम रमेश बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

### क्षेत्र पंचायत - निघासन वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद - लखीमपुर-खीरी

प्रस्तर-30 शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी/01 टी०सी०-11 दिनांक 07-01-2014 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय ₹ 500.00 प्रति बैठक निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। आलोच्य वर्ष 2014-15 में दिनांक 24-12-2014 को ₹ 84500.00 का भुगतान तेरहवें वित्त आयोग से कैशियर श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना को

क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मानदेय हेतु किया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह, लेखाकार श्री रामरमेश उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-31** शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी/01 टी०सी०-11 दिनांक 07-01-2014 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय रु० 500.00 प्रति बैठक निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। आलोच्य वर्ष 2015-16 में दिनांक 28-05-2015 को रु० 21000.00 ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजकुमारी को मानदेय भुगतान तथा दिनांक 10-06-2015 को रु० 84500.00 क्षेत्र पंचायत सदस्य मानदेय हेतु श्री उस्मान खॉ कैशियर को तेरहवें वित्त आयोग से किया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह, लेखाकार श्री रामरमेश उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

## क्षेत्र पंचायत - ईसानगर वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद - लखीमपुर-खीरी

**प्रस्तर-32** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2011-12 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                          | फर्म का नाम                                                 | क्रय सामग्री का मूल्य               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1-       | विकास खण्ड परिसर में बाउण्ड्री वॉल उच्चीकरण, कार्यालय व रिसोर्स सेन्टर की रंगाई पुताई | बालाजी स्टील वर्क्स                                         | 236880.00<br>227920.00              |
| 2-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                           | 555120.00<br>5304.00                |
| 3-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                           | 560424.00                           |
| 4-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                           | 377132.00                           |
| 5-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                     | 308235.00                           |
| 6-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                     | 308235.00                           |
| 7-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                     | 280212.00                           |
| 8-       | एल०आर०पी० रोड से मोहम्मदापुर सी०सी० रोड तक रपटा पुल निर्माण                           | एम०एस० मनोज बरनवाल<br>लखीमपुर ब्रिक फील्ड<br>सिंह स्पन पाइप | 729878.00<br>603424.00<br>406201.00 |
| 9-       | चपकहा में त्रिवेणी के खेत से पुलिया तक खडन्जा निर्माण                                 | साई ब्रिक फील्ड                                             | 405000.00<br>135000.00              |
| 10-      | मुखलिसपुर में पेन्टेड रोड से पुरुषोत्तमपुर मितौला तक खडन्जा निर्माण                   | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                     | 405000.00<br>135000.00              |
| 11-      | मुखलिसपुर में पेन्टेड रोड से हनुमानगढ़ी तक खडन्जा निर्माण                             | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                   | 225000.00                           |
| 12-      | जालिमनगर से गोडवा तक खडन्जा निर्माण                                                   | मीनू ब्रिक फील्ड                                            | 405000.00<br>135000.00              |
| 13-      | चौरा से रवानिया तालाब तक खडन्जा निर्माण                                               | मीनू ब्रिक फील्ड                                            | 391500.00<br>130500.00              |
| 14-      | मलखान सिंह के खेत से राजकुमारी के खेत तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                       | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                   | 240182.00                           |
| 15-      | मलखान सिंह के खेत से राजकुमारी के खेत तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                       | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                   | 160121.00                           |

|     |                                                             |                          |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 16- | गनापुर बार्डर से विरसिंहपुर मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य    | श्री गौरी जी ब्रिक फील्ड | 243394.00         |
| 17- | गनापुर बार्डर से विरसिंहपुर मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य    | श्री गौरी जी ब्रिक फील्ड | 208508.00         |
| 18- | नन्दकिशोर के खेत से राधेश्याम के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य | बजरंग ब्रिक फील्ड        | 255392.00         |
| 19- | रामदुलारे के खेत से लाखन सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा निर्माण    | बजरंग ब्रिक फील्ड        | 406710.00         |
| 20- | रायपुर पुलिया से खमरिया ईसानगर डामर रोड तक मिट्टी खडन्जा    | साई ब्रिक फील्ड          | 353400.00         |
| 21- | बेहड़ से बिलौली तक मिट्टी खडन्जा कार्य पार्ट-1              | मीनू ब्रिक फील्ड         | 315261.00         |
| 22- | बेहड़ से बिलौली तक मिट्टी खडन्जा कार्य पार्ट-2              | मीनू ब्रिक फील्ड         | 274854.00         |
|     | <b>योग:-</b>                                                |                          | <b>8575552.00</b> |

इस प्रकार ₹ 8575552.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री उमाकान्त त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अवधेश कुमार तिवारी बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-33** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                          | फर्म का नाम                                                                                          | क्रय सामग्री का मूल्य                                                                          | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई                                          | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1-       | विकास खण्ड परिसर में बाउण्ड्री वॉल उच्चीकरण, कार्यालय व रिसोर्स सेन्टर की रंगाई पुताई | बालाजी स्टील वर्क्स<br>अग्रवाल मार्बल<br>दया हार्डवेयर<br>लखीमपुर ब्रिक फील्ड<br>शिव ट्रेडिंग कम्पनी | 236880.00<br>227920.00<br>10590.00<br>25200.00<br>18360.00<br>17140.00<br>73120.00<br>77612.00 | 4737.60<br>4558.40<br>211.80<br>504.00<br>367.20<br>342.80<br>1462.40<br>1552.24 | 9475.20<br>9116.80<br>423.60<br>1008.00<br>734.40<br>685.60<br>2924.80<br>3104.48 |
| 2-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                                                                    | 555120.00<br>5304.00                                                                           | 11208.48                                                                         | 22416.96                                                                          |
| 3-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                                                                    | 560424.00                                                                                      | 11208.48                                                                         | 22416.96                                                                          |
| 4-       | मुखलिसपुर जिन्द बाबा स्थान से बगाही तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                         | बजरंग ब्रिक फील्ड                                                                                    | 377132.00                                                                                      | 7542.64                                                                          | 15085.28                                                                          |
| 5-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                                                              | 308235.00                                                                                      | 6164.70                                                                          | 12329.40                                                                          |
| 6-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                                                              | 308235.00                                                                                      | 6164.70                                                                          | 12329.40                                                                          |
| 7-       | ईसानगर कटौली पक्की सड़क से पिपरिया तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                                                              | 280212.00                                                                                      | 5604.24                                                                          | 11208.48                                                                          |
| 8-       | एल०आर०पी० रोड से मोहम्मदापुर सी०सी० रोड तक रपटा पुल निर्माण                           | एम०एस० मनोज बरनवाल<br>लखीमपुर ब्रिक फील्ड<br>सिंह स्पन पाइप                                          | 729878.00<br>603424.00<br>406201.00                                                            | 14597.56<br>12068.48<br>8124.02                                                  | 29195.12<br>24136.96<br>16248.04                                                  |
| 9-       | चपकहा में त्रिवेणी के खेत से पुलिया तक खडन्जा निर्माण                                 | साई ब्रिक फील्ड                                                                                      | 405000.00<br>135000.00                                                                         | 8100.00<br>2700.00                                                               | 16200.00<br>5400.00                                                               |
| 10-      | मुखलिसपुर में पेन्टेड रोड से                                                          | माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड                                                                              | 405000.00                                                                                      | 8100.00                                                                          | 16200.00                                                                          |

|     |                                                             |                           |                        |                    |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|     | पुरुषोत्तमपुर मितौला तक खडन्जा नि०                          |                           | 135000.00              | 2700.00            | 5400.00             |
| 11- | मुखलिसपुर में पेन्टेड रोड से हनुमानगढ़ी तक खडन्जा निर्माण   | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 225000.00              | 4500.00            | 9000.00             |
| 12- | जालिमनगर से गोडवा तक खडन्जा निर्माण                         | मीनू ब्रिक फील्ड          | 405000.00<br>135000.00 | 8100.00<br>2700.00 | 16200.00<br>5400.00 |
| 13- | चौरा से रवानिया तालाब तक खडन्जा निर्माण                     | मीनू ब्रिक फील्ड          | 391500.00<br>130500.00 | 7830.00<br>2610.00 | 15660.00<br>5220.00 |
| 14- | मलखान सिंह के खेत से राजकुमारी के खेत तक खडन्जा नि० पार्ट-1 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 240182.00              | 4908.04            | 9816.08             |
| 15- | मलखान सिंह के खेत से राजकुमारी के खेत तक खडन्जा नि० पार्ट-2 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 160121.00              | 3398.74            | 6797.48             |
| 16- | गनापुर बार्डर से विरसिंहपुर मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य    | श्री गौरी जी ब्रिक फील्ड  | 243394.00              | 4867.88            | 9735.76             |
| 17- | गनापुर बार्डर से विरसिंहपुर मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य    | श्री गौरी जी ब्रिक फील्ड  | 208508.00              | 4364.87            | 8729.75             |
| 18- | नन्दकिशोर के खेत से राधेश्याम के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य | बजरंग ब्रिक फील्ड         | 255392.00              | 5282.43            | 10564.87            |
| 19- | रामदुलारे के खेत से लाखुन सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा निर्माण   | बजरंग ब्रिक फील्ड         | 406710.00              | 8134.20            | 16268.40            |
| 20- | रायपुर पुलिया से खमरिया ईसानगर डामर रोड तक मिट्टी खडन्जा    | साई ब्रिक फील्ड           | 353400.00              | 7068.00            | 14136.00            |
| 21- | बेहड़ से बिलौली तक मिट्टी खडन्जा कार्य पार्ट-1              | मीनू ब्रिक फील्ड          | 315261.00              | 6305.22            | 12610.44            |
| 22- | बेहड़ से बिलौली तक मिट्टी खडन्जा कार्य पार्ट-2              | मीनू ब्रिक फील्ड          | 274854.00              | 5497.08            | 10994.16            |
|     | <b>योग:-</b>                                                |                           |                        | <b>187421.50</b>   | <b>374843.00</b>    |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 187421.50 आयकर एवं रु० 374843.00 वैट कुल रु० 562264.00 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उमाकान्त त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अवधेश कुमार तिवारी बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-34** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद में एल०आर०पी० रोड से मोहम्मदापुर सम्पर्क मार्ग पर रपटा पुल निर्माण रु० 1741503.00 का व्यय दर्शित है। उक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु० 32.50 लाख थी। प्राप्त प्रथम किश्त से रु० 729870.00 एम०एस० मनोज बरनवाल को रु० 603424.00 लखीमपुर ब्रिक फील्ड को तथा रु० 408201.00 सिंह स्पन पाइप को भुगतान किया गया दर्शित है। एम०बी० में रु० 408201.00 की ह्यूम पाइप रु० 603424.00 की ईट तथा रु० 729870.00 की अन्य सामग्री की माप अंकित है। किन्तु उक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है जबकि स्वीकृति में स्पष्ट लिखा है कि उक्त कार्य टेण्डर की प्रक्रिया के आधार पर कराया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर न होने से भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त सामग्री भी सत्यापित नहीं रही। पत्रावली में कोई भी मस्टररोल नहीं पाया गया और न ही एम०बी० में मजदूरी की माप अंकित है पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी नहीं पाया गया।

स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना कार्य कराये रु० 1741503.00 की निरर्थक सामग्री क्रय करके शासकीय धन की क्षति की गई इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उमाकान्त त्रिपाठी, लेखाकार श्री अवधेश कुमार तिवारी, कार्य प्रभारी श्री रामजीवन मिश्रा एवं जे०ई० श्री टी०एन० रस्तोगी बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-35** रायपुर पुलिया से खमरिया ईसानगर डामर रोड तक मिट्टी खडन्जा कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है केवल ईट का रु० 353500.00 का भुगतान श्री साई ब्रिक फील्ड को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य कराया ही नहीं गया और केवल ईट की एम०बी० कराके भुगतान करा लिया गया है उक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर की प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर न होने से भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त सामग्री भी सत्यापित नहीं रही। पत्रावली में कोई भी मस्टररोल नहीं पाया गया और न ही एम०बी० में मजदूरी की माप अंकित है, पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं पाया गया।



स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना कार्य कराये निरर्थक सामग्री क्रय करके रु० 353500.00 की शासकीय धन की क्षति की गई इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उमाकान्त त्रिपाठी, लेखाकार श्री अवधेश कुमार तिवारी, कार्य प्रभारी श्री निर्भय कुमार झा एवं जे०ई० श्री टी०एन० रस्तोगी बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-36** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2012-13 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                           | फर्म का नाम               | क्रय सामग्री का मूल्य |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1-       | विकास खण्ड आवासीय परिसर में पानी आपूर्ति एवं फिटिंग                    | एन०एस० ट्रेडर्स           | 172191.00             |
| 2-       | बेती में पक्की सड़क से गोपालपुर में उमेश सिंह के खेत तक खडन्जा         | गौरी जी ब्रिक फील्ड       | 278179.00             |
| 3-       | कदईपुरवा से गनापुर तक खडन्जा                                           | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 172942.00             |
| 4-       | गौरा में केतकी देवी के घर से रूद्रपुर बार्डर तक खडन्जा                 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 275412.00             |
| 5-       | सोबरन के घर से मुरली के घर तक खडन्जा                                   | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 238826.00             |
| 6-       | चपकहा से लौकाही मल्लापुर तक खडन्जा                                     | गौरी जी ब्रिक फील्ड       | 275781.00             |
| 7-       | लोहारनपुरवा से मनोहर के घर तक खडन्जा                                   | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 143534.00             |
| 8-       | मण्डी समिति से जिन्दबाबा तक खडन्जा                                     | गौरी जी ब्रिक फील्ड       | 315047.00             |
| 9-       | बेती में आशुतोष सिंह के खेत से विवेक सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण     | गौरी जी ब्रिक फील्ड       | 219663.00             |
| 10-      | रूद्रपुर पेन्टेड रोड से नारीबेहड़ तक खडन्जा पार्ट-1                    | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 106916.00             |
| 11-      | रूद्रपुर पेन्टेड रोड से नारीबेहड़ तक खडन्जा पार्ट-2                    | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 129450.00             |
| 12-      | ईसानगर से गन्ना काँटा से विकास खण्ड मुख्यालय तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 169347.00             |
| 13-      | ईसानगर से गन्ना काँटा से विकास खण्ड मुख्यालय तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड | 147496.00             |
|          | <b>योग:-</b>                                                           |                           | <b>2644784.00</b>     |

इस प्रकार रु० 2644784.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मोहन लाल पटेल एवं श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री हरदास बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-37** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                        | फर्म का नाम                         | क्रय सामग्री का मूल्य                        | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | वि०ख० ईसानगर में बोरिंग कार्य                       | एन०एस० ट्रेडर्स                     | 28539.00<br>26792.00                         | 570.78<br>535.84                        | 1141.56<br>1071.68                     |
| 2-       | विकास खण्ड आवासीय परिसर में पानी आपूर्ति एवं फिटिंग | एन०एन० ट्रेडर्स<br><br>हरिओम बरनवाल | 39464.00<br>110798.00<br>21929.00<br>9660.00 | 783.28<br>2215.96<br>438.58<br>193.20   | 1566.56<br>4431.92<br>877.16<br>386.40 |

|     |                                                                 |                                                                                            |                                              |                                        |                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                            | 2442.00                                      | 488.40                                 | 976.80                                   |
| 3-  | लौकाही के पास पुलिया निर्माण                                    | शिवम् स्पन पाइप<br>वर्मा सीमेन्ट<br>गौरी जी ब्रिक फील्ड                                    | 86205.00<br>37000.00<br>97950.00             | 1724.10<br>740.00<br>1959.00           | 3448.20<br>1480.00<br>3918.00            |
| 4-  | जमदरी के पास पुलिया निर्माण                                     | शिवम् स्पन पाइप<br>श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड<br>शिव ट्रेडिंग कम्पनी<br>गौरी जी ब्रिक फील्ड | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00<br>41720.00 | 1724.10<br>1959.00<br>740.00<br>834.40 | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00<br>1668.80 |
| 5-  | पक्की सड़क से रायपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण                    | शिवम् स्पन पाइप<br>गौरी जी ब्रिक फील्ड<br>वर्मा सीमेन्ट                                    | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00             | 1724.10<br>1959.00<br>740.00           | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00            |
| 6-  | पक्की सड़क से विरसिंहपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण                | शिवम् स्पन पाइप<br>गौरी जी ब्रिक फील्ड<br>वर्मा सीमेन्ट                                    | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00             | 1724.10<br>1959.00<br>740.00           | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00            |
| 7-  | प्रा०वि० बेतीसहदेव के पास पुलिया निर्माण                        | शिवम् स्पन पाइप<br>श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड<br>शिवा ट्रेडिंग कम्पनी                       | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00             | 1724.10<br>1959.00<br>740.00           | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00            |
| 8-  | मिलिक में खुशी के खेत के पास पुलिया निर्माण                     | शिवम् स्पन पाइप<br>श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड<br>शिवा ट्रेडिंग कम्पनी                       | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00             | 1724.10<br>1959.00<br>740.00           | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00            |
| 9-  | वि०ख० कार्यालय में आर०ओ० स्थापना                                | मिश्रा बैटरी सर्विस                                                                        | 37000.00                                     | 740.00                                 | 1480.00                                  |
| 10- | पक्की सड़क से लालजीपुरवा मार्ग पर पुलिया निर्माण                | शिवम् स्पन पाइप<br>गौरी जी ब्रिक फील्ड<br>वर्मा सीमेन्ट                                    | 86205.00<br>97950.00<br>37000.00             | 1724.10<br>1959.00<br>740.00           | 3448.20<br>3918.00<br>1480.00            |
| 11- | वि०ख० में ख०वि०अ० आवास 1 एवं 2 कार्यालय मरम्मत                  | एन०एस० ट्रेडर्स                                                                            | 47643.00<br>27654.00                         | 952.86<br>553.08                       | 1905.72<br>1106.16                       |
| 12- | ख०वि०अ० आवास शौचालय मरम्मत                                      | हिन्दुस्तान सेनेटरी स्टोर                                                                  | 15300.00                                     | 306.00                                 | 612.00                                   |
| 13- | वि०ख० में आवासीय परिसर में चैनल गेट निर्माण                     | बालाजी स्टील वर्क्स                                                                        | 89516.00                                     | 1790.32                                | 3580.64                                  |
| 14- | बेती में पक्की सड़क से गोपालापुर में उमेश सिंह के खेत तक खडन्जा | गौरी जी ब्रिक फील्ड                                                                        | 98800.00<br>98800.00<br>82179.00             | 1976.00<br>1976.00<br>1643.58          | 3952.00<br>3952.00<br>3287.16            |
| 15- | कदईपुरवा से गनापुर तक खडन्जा                                    | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                                                  | 98800.00<br>74142.00                         | 1976.00<br>1482.84                     | 3952.00<br>2965.68                       |
| 16- | गोरा में केतकी देवी के घर से रुद्रपुर बार्डर तक खडन्जा          | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                                                  | 98800.00<br>91200.00<br>85412.00             | 1976.00<br>1824.00<br>1708.00          | 3952.00<br>3648.00<br>3416.00            |
| 17- | सोबरन के घर से मुरली के घर तक खडन्जा                            | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                                                  | 98800.00<br>83600.00<br>56426.00             | 1976.00<br>1672.00<br>1128.00          | 3952.00<br>3344.00<br>2257.00            |
| 18- | चपकहा से लौकाही मल्लापुर तक खडन्जा                              | गौरी जी ब्रिक फील्ड                                                                        | 98800.00<br>91200.00<br>85781.00             | 1976.00<br>1824.00<br>1715.00          | 3952.00<br>3648.00<br>3431.00            |
| 19- | लोहारपुरवा से मनोहर के घर तक खडन्जा निर्माण                     | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                                                                  | 76000.00<br>67534.00<br>91200.00             | 1520.00<br>1350.00<br>1824.00          | 3040.00<br>2701.00<br>3648.00            |
| 20- | मण्डी समिति से जिन्दबाबा तक                                     | गौरी जी ब्रिक फील्ड                                                                        | 91200.00                                     | 1824.00                                | 3648.00                                  |

|     |                                                                |                                                     |                                  |                               |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     | खडन्जा निर्माण                                                 |                                                     | 76000.00<br>56647.00             | 1520.00<br>1132.00            | 3040.00<br>2265.00            |
| 21- | बेती में आशुतोष सिंह के खेत से विवेक सिंह के खेत तक खडन्जा     | गौरी जी ब्रिक फील्ड                                 | 83600.00<br>76000.00<br>60063.00 | 1672.00<br>1520.00<br>1201.00 | 3344.00<br>3040.00<br>2401.00 |
| 22- | रुद्रपुर पेन्टेड रोड से नारीबेहड़ तक खडन्जा पार्ट-1            | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                           | 60800.00<br>46116.00             | 1216.00<br>922.32             | 2432.00<br>1844.64            |
| 23- | रुद्रपुर पेन्टेड रोड से नारीबेहड़ तक खडन्जा पार्ट-2            | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                           | 68400.00<br>61050.00             | 1368.00<br>1275.72            | 2736.00<br>2551.44            |
| 24- | विकास खण्ड परिसर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण                     | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड<br>शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी | 43731.00<br>48191.00             | 874.62<br>963.82              | 1749.24<br>1927.64            |
| 25- | ईसानगर से गन्ना काँटा से विकास खण्ड मुख्यालय तक खडन्जा पार्ट-1 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                           | 91200.00<br>78147.00             | 1824.00<br>1562.94            | 3648.00<br>3124.88            |
| 26- | ईसानगर से गन्ना काँटा से विकास खण्ड मुख्यालय तक खडन्जा पार्ट-2 | श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड                           | 63600.00<br>83896.00             | 1727.00<br>1677.92            | 2544.00<br>3355.84            |
|     | <b>योग:-</b>                                                   |                                                     |                                  | <b>92631.42</b>               | <b>185262.84</b>              |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 92631.00 आयकर एवं रु० 185262.00 वैट कुल रु० 277893.00 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मोहन लाल पटेल एवं श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री हरदास बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-38** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2012-13 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                               | फर्म का नाम                      | क्रय सामग्री का मूल्य  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1-       | चन्द्रासा पेन्टेड रोड से सधुआपुर तक खडन्जा मरम्मत                          | वर्मा ट्रेडर्स                   | 470433.00              |
| 2-       | शाखावेहड़ में सन्तोष कुमार यादव के घर से पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स                   | 1067898.00             |
| 3-       | मचनापुर में पेन्टेड रोड से खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग कार्य                    | वर्मा ट्रेडर्स                   | 455299.00              |
| 4-       | ईसानगर ब्लाक परिसर में सी०सी० रोड व नाली निर्माण                           | वर्मा ट्रेडर्स                   | 726421.00              |
| 5-       | ब्लाक परिसर में गेट नं० 1 से 2 तक नाली निर्माण                             | वर्मा ट्रेडर्स                   | 864359.00              |
| 6-       | ब्लाक परिसर में गेट निर्माण                                                | वर्मा ट्रेडर्स                   | 222303.00              |
| 7-       | ब्लाक परिसर में आवासों के सामने सी०सी० रोड निर्माण                         | वर्मा ट्रेडर्स                   | 401609.00              |
| 8-       | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                          | वर्मा ट्रेडर्स                   | 526927.00              |
| 9-       | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                          | वर्मा ट्रेडर्स                   | 525865.00              |
| 10-      | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                          | वर्मा ट्रेडर्स                   | 467436.00              |
| 11-      | बेतीसहदेव में पुलिया निर्माण                                               | वर्मा ट्रेडर्स                   | 210245.00              |
| 12-      | दुर्गापुर में अहिरनपुरवा मार्ग पर पुलियया निर्माण                          | वर्मा ट्रेडर्स                   | 225970.00              |
| 13-      | विरसिंह सरैया मार्ग पर पुलिया निर्माण                                      | सिंह स्पन पाइप<br>वर्मा ट्रेडर्स | 118642.00<br>254723.00 |
| 14-      | विरसिंह सरैया वाया टेढ़ी या मार्ग पर पुलिया निर्माण                        | सिंह स्पन पाइप<br>वर्मा ट्रेडर्स | 118642.00<br>254733.00 |
| 15-      | सियाराम के घर से पंचम यादव के घर तक खडन्जा                                 | वर्मा ट्रेडर्स                   | 221804.00              |
| 16-      | पुराना माडल टाइप-3 ख०वि०अ० आवास मरम्मत                                     | लोक ट्रेडर्स                     | 115344.00              |
| 17-      | भिठौली में प्यारेलाल के घर से परमेश्वर के घर के पास पुलिया निर्माण         | वर्मा ट्रेडर्स                   | 107132.00              |
| 18-      | गोडवा पेन्टेड रोड से गाँव बाहर तक सी०सी० रोड                               | वर्मा ट्रेडर्स                   | 549432.00              |
| 19-      | मूडी मेन चौराहा से सहावां तक सी०सी० रोड                                    | वर्मा ट्रेडर्स                   | 606985.00              |

|     |                                                             |                |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 20- | लाखन होलिका दहन स्थल से ब्रिजेन्द्र की बाग तक सी०सी० रोड    | वर्मा ट्रेडर्स | 585188.00          |
| 21- | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण तक सी०सी० रोड          | वर्मा ट्रेडर्स | 500976.00          |
| 22- | ब्लाक परिसर में मुख्य गेट से ख०वि०अ० कार्यालय तक सी०सी० रोड | वर्मा ट्रेडर्स | 314357.00          |
| 23- | कबीरपुर में पुलिया निर्माण                                  | वर्मा ट्रेडर्स | 203728.00          |
| 24- | ओझापुरवा में पुलिया निर्माण                                 | वर्मा ट्रेडर्स | 203748.00          |
| 25- | गोडवा खडन्जा से गणेशपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण             | वर्मा ट्रेडर्स | 139431.00          |
|     | <b>योग:-</b>                                                |                | <b>10459630.00</b> |

इस प्रकार रु० 10459630.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव एवं श्री रामसमुझ एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-39** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                               | फर्म का नाम                   | क्रय सामग्री का मूल्य  | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | चन्द्रासा पेन्टेड रोड से सधुआपुर तक खडन्जा मरम्मत                          | वर्मा ट्रेडर्स                | 470433.00              | 9408.66                                 | 18817.00                               |
| 2-       | शाखावेहड़ में सन्तोष कुमार यादव के घर से पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स                | 1067898.00             | 21537.00                                | 42715.00                               |
| 3-       | मचनपुर में पेन्टेड रोड से खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग कार्य                     | वर्मा ट्रेडर्स                | 455299.00              | 9105.98                                 | 18211.00                               |
| 4-       | ईसानगर ब्लाक परिसर में सी०सी० रोड व नाली निर्माण                           | वर्मा ट्रेडर्स                | 726421.00              | 14528.00                                | 29056.00                               |
| 5-       | ब्लाक परिसर में गेट नं० 1 से 2 तक नाली निर्माण                             | वर्मा ट्रेडर्स                | 864359.00              | 17287.18                                | 34574.00                               |
| 6-       | ब्लाक परिसर में गेट निर्माण                                                | वर्मा ट्रेडर्स                | 222303.00              | 4446.06                                 | 8892.12                                |
| 7-       | ब्लाक परिसर में आवासों के सामने सी०सी० रोड निर्माण                         | वर्मा ट्रेडर्स                | 401609.00              | 8032.00                                 | 16064.00                               |
| 8-       | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-1                          | वर्मा ट्रेडर्स                | 526927.00              | 10538.00                                | 21077.00                               |
| 9-       | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-2                          | वर्मा ट्रेडर्स                | 525865.00              | 10517.00                                | 21034.00                               |
| 10-      | गोडवा खडन्जे से गणेशपुर तक खडन्जा निर्माण पार्ट-3                          | वर्मा ट्रेडर्स                | 467436.00              | 9348.72                                 | 18697.44                               |
| 11-      | बेतीसहदेव में पुलिया निर्माण                                               | वर्मा ट्रेडर्स                | 210245.00              | 4578.84                                 | 9157.69                                |
| 12-      | दुर्गापुर में अहिरनपुरवा मार्ग पर पुलिया निर्माण                           | वर्मा ट्रेडर्स                | 225970.00              | 4519.40                                 | 9038.80                                |
| 13-      | विरसिंह सरैया मार्ग पर पुलिया निर्माण                                      | सिंह स्पन पाइप वर्मा ट्रेडर्स | 118642.00<br>254723.00 | 2372.84<br>5094.46                      | 4745.68<br>10188.92                    |
| 14-      | विरसिंह सरैया बाया टेढ़ी या मार्ग पर पुलिया निर्माण                        | सिंह स्पन पाइप वर्मा ट्रेडर्स | 118642.00<br>254733.00 | 2372.84<br>5094.66                      | 4745.68<br>10189.32                    |
| 15-      | सियाराम के घर से पंचम यादव के घर तक खडन्जा                                 | वर्मा ट्रेडर्स                | 221804.00              | 4639.86                                 | 9279.73                                |
| 16-      | पुराना माडल टाइप-3 ख०वि०अ० आवास मरम्मत                                     | लोक ट्रेडर्स                  | 115344.00              | 2306.88                                 | 4613.76                                |
| 17-      | भिठीली में प्यारेलाल के घर से परमेश्वर के घर के पास पुलिया निर्माण         | वर्मा ट्रेडर्स                | 107132.00              | 2142.64                                 | 4285.28                                |
| 18-      | गोडवा पेन्टेड रोड से गाँव बाहर तक सी०सी० रोड                               | वर्मा ट्रेडर्स                | 549432.00              | 10988.64                                | 21977.28                               |

|     |                                                                     |                   |           |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| 19- | मूडी मेन चौराहा से सहावां तक सी०सी० रोड                             | वर्मा ट्रेडर्स    | 606985.00 | 12139.70         | 24279.40         |
| 20- | लाखुन होलिका दहन स्थल से त्रिजेन्द्र की बाग तक सी०सी० रोड           | वर्मा ट्रेडर्स    | 585188.00 | 11703.76         | 23407.52         |
| 21- | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण तक सी०सी० रोड                  | वर्मा ट्रेडर्स    | 500976.00 | 10019.52         | 20039.04         |
| 22- | लखीमपुर-बहराइच मार्ग से जंगलीनाथ मन्दिर तक ख०नि०                    | मे० श्री राम सिंह | 162700.00 | 3254.00          | 6508.00          |
| 23- | ग्राम मुडिया में पक्की सड़क से चन्द्रकिशोर के घर तक ख०नि०           | मे० श्री राम सिंह | 345298.00 | 6905.00          | 13811.92         |
| 24- | ब्लाक परिसर में मुख्य गेट से ख०वि०अ० कार्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स    | 314357.00 | 6287.14          | 12574.28         |
| 25- | कबीरपुर में पुलिया निर्माण                                          | वर्मा ट्रेडर्स    | 203728.00 | 4074.56          | 8149.00          |
| 26- | ओझापुरवा में पुलिया निर्माण                                         | वर्मा ट्रेडर्स    | 203748.00 | 4074.96          | 8149.92          |
| 27- | गोडवा खडन्जा से गणेशपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण                     | वर्मा ट्रेडर्स    | 139431.00 | 2788.62          | 5577.24          |
|     | <b>योग:-</b>                                                        |                   |           | <b>219927.12</b> | <b>439854.24</b> |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रू० 219927.12 आकर एवं रू० 439854.24 बैट कुल रू० 659781.36 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव एवं श्री रामसमुझ एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

#### प्रस्तर-40

आलोच्य वर्ष 2013-14 सरावल में रमेश के घर के पास पुलिया निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है रू० 29661.00 का भुगतान सिंह स्पन पाइप को तथा रू० 71865.00 का भुगतान अन्य सामग्री हेतु वर्मा ट्रेडर्स को किया गया है। मजदूरी का भुगतान न होना दर्शाता है कि उक्त कार्य कराया ही नहीं गया और केवल सामग्री की एम०बी० करके भुगतान करा लिया गया है। स्टॉक रजिस्टर न होने से भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त सामग्री भी सत्यापित नहीं रही। पत्रावली में कोई भी मस्टर रोल नहीं पाया गया और न ही एम०बी० में मजदूरी की माप अंकित है पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं पाया गया।

स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना कार्य कराये रू० 101517.00 की निरर्थक सामग्री क्रय करके शासकीय धन की क्षति की गई इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ, लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा, कार्य प्रभारी श्री दिनेश चन्द्र दिवेदी एवं जे०ई० श्री टी०एन० रस्तोगी बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

### क्षेत्र पंचायत – ईसानगर

### वर्ष 2014-15 से 2016-17

### जनपद – लखीमपुर-खीरी

#### प्रस्तर-41

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रू० 20000 से अधिक से रू० 100000 तक) एवं टेण्डर (रू० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2014-15 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है –

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                              | फर्म का नाम     | क्रय सामग्री का मूल्य |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1-       | ग्राम छतवापुर रूद्रपुर डामर रोड पर लालता प्रसाद मौर्य के घर से निहालपुरवा में टीकाराम के घर तक खडन्जा नि० | वर्मा ट्रेडर्स  | 572763.00             |
| 2-       | ग्राम बदालीपुर डामर रोड से जूनियर हाईस्कूल तक मिट्टी व खडन्जा कार्य                                       | वर्मा ट्रेडर्स  | 515788.00             |
| 3-       | मोहम्मदपुर कुटी से रामू कटियार के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-I                                                | वर्मा ट्रेडर्स  | 446059.00             |
| 4-       | मोहम्मदपुर कुटी से रामू कटियार के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                                               | वर्मा ट्रेडर्स  | 452235.00             |
| 5-       | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड पार्ट-II                                   | वर्मा ट्रेडर्स  | 504845.00             |
| 6-       | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड पार्ट-III                                  | वर्मा ट्रेडर्स  | 331052.00             |
| 7-       | मूडी मेन चौराहा सी०सी० रोड से सहावा सी०सी० रोड तक नाली निर्माण                                            | वर्मा ट्रेडर्स  | 351904.00             |
| 8-       | लाखुन पेन्टेड रोड से होलिका दहन स्थल से त्रिजेन्द्र वर्मा की बाग तक सी०सी० रोड निर्माण                    | वर्मा ट्रेडर्स  | 209332.00             |
| 9-       | विकास खण्ड परिसर में सोलर लाईट                                                                            | पंकज आटो सर्विस | 208725.00             |
| 10-      | चन्दावापुर से अन्धपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण                                                     | वर्मा ट्रेडर्स  | 210099.00             |
| 11-      | रायपुर मेन रोड से पुलिया तक सी०सी० रोड पार्ट-I                                                            | वर्मा ट्रेडर्स  | 546276.00             |
| 12-      | रायपुर मेन रोड से पुलिया तक सी०सी० रोड पार्ट-II                                                           | वर्मा ट्रेडर्स  | 347226.00             |
| 13-      | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से चिटकूबावा स्थान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण                                 | वर्मा ट्रेडर्स  | 541704.00             |

|     | कार्य                                                                              |                                  |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 14- | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से राजकुमार सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग              | वर्मा ट्रेडर्स                   | 305164.00              |
| 15- | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से दुर्गा मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य      | वर्मा ट्रेडर्स                   | 174079.00              |
| 16- | दिलावलपुर में लालपुर पेन्टेड रोड से राजेन्द्र पाल सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स                   | 174060.00              |
| 17- | गोडवा पेन्टेड रोड से गाँव बाहर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                              | वर्मा ट्रेडर्स                   | 582516.00              |
| 18- | नागेश्वर सिंह के घर से तीरथराज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण                       | वर्मा ट्रेडर्स                   | 287196.00              |
| 19- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-I                  | वर्मा ट्रेडर्स                   | 605104.00              |
| 20- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                 | वर्मा ट्रेडर्स                   | 579662.00              |
| 21- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-III                | वर्मा ट्रेडर्स                   | 570140.00              |
| 22- | खमरिया मिल रोड से मंगूलाल के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-I                              | वर्मा ट्रेडर्स                   | 573489.00              |
| 23- | खमरिया मिल रोड से मंगूलाल के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                             | वर्मा ट्रेडर्स                   | 596429.00              |
| 24- | रायपुर में खिलाड़ी सिंह के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-I                                | वर्मा ट्रेडर्स                   | 582292.00              |
| 25- | रायपुर में खिलाड़ी सिंह के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                               | वर्मा ट्रेडर्स                   | 172702.00              |
| 26- | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग की ओर इण्टर लॉकिंग                                 | वर्मा ट्रेडर्स                   | 603980.00              |
| 27- | चेतईपुरवा में अवधराम के घर के पास पुलिया निर्माण                                   | वर्मा ट्रेडर्स<br>सिंह स्पन पाइप | 235434.00<br>136228.00 |
| 28- | ठकुरनपुरवा में पुलिया निर्माण                                                      | सिंह स्पन पाइप<br>वर्मा ट्रेडर्स | 102171.00<br>176721.00 |
|     | <b>योग:-</b>                                                                       |                                  | <b>11695375.00</b>     |

इस प्रकार ₹ 11695375.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-42** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                           | फर्म का नाम    | क्रय सामग्री का मूल्य | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | विकास खण्ड बाउण्ड्री वॉल एवं मीटिंग हाल की रंगाई पुताई                                 | लोक ट्रेडर्स   | 278349.00             | 5567.00                                 | 11134.00                               |
| 2-       | खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत एवं रंगाई पुताई                                         | लोक ट्रेडर्स   | 167037.00             | 3340.00                                 | 6682.00                                |
| 3-       | मोहम्मदपुर कुटी से रामू कटियार के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-I                             | वर्मा ट्रेडर्स | 368604.00<br>77455.00 | 7372.00<br>1549.00                      | 14744.00<br>3098.00                    |
| 4-       | मोहम्मदपुर कुटी से रामू कटियार के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-II                            | वर्मा ट्रेडर्स | 370313.00<br>81922.00 | 7406.00<br>1638.00                      | 14812.00<br>3277.00                    |
| 5-       | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड पार्ट-II                | वर्मा ट्रेडर्स | 431790.00<br>73055.00 | 8636.00<br>1461.00                      | 17272.00<br>2922.00                    |
| 6-       | दुलही के उत्तर पेन्टेड रोड से दक्षिण पेन्टेड रोड तक सी०सी० रोड पार्ट-III               | वर्मा ट्रेडर्स | 331052.00             | 6621.00                                 | 13242.00                               |
| 7-       | मूड़ी मेन चौराहा सी०सी० रोड से सहावा सी०सी० रोड तक नाली निर्माण                        | वर्मा ट्रेडर्स | 332404.00<br>19500.00 | 6648.00<br>390.00                       | 13296.00<br>780.00                     |
| 8-       | लाखुन पेन्टेड रोड से होलिका दहन स्थल से ब्रिजेन्द्र वर्मा की बाग तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स | 170854.00<br>38478.00 | 3417.00<br>770.00                       | 6834.00<br>1540.00                     |

|     |                                                                                    |                                                    |           |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 9-  | विकास खण्ड परिसर में सोलर लाईट                                                     | पंकज आटो सर्विस                                    | 99000.00  | 1980.00  | 3960.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 79200.00  | 1584.00  | 3168.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 30525.00  | 610.00   | 1220.00  |
| 10- | चन्दावापुर से अन्धपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण                              | सिंह स्पन पाइप<br>वर्मा ट्रेडर्स<br>वर्मा ट्रेडर्स | 68114.00  | 1362.00  | 2724.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 79195.00  | 1584.00  | 3168.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 62790.00  | 1256.00  | 2512.00  |
| 11- | रायपुर मेन रोड से पुलिया तक सी०सी० रोड पार्ट-।                                     | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 474750.00 | 9495.00  | 18990.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 71526.00  | 1431.00  | 2861.00  |
| 12- | रायपुर मेन रोड से पुलिया तक सी०सी० रोड पार्ट-।।                                    | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 273449.00 | 5469.00  | 10938.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 73777.00  | 1476.00  | 2952.00  |
| 13- | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से चिटकूवावा स्थान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य    | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 533604.00 | 10672.00 | 21344.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 8100.00   | 162.00   | 324.00   |
| 14- | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से राजकुमार सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग              | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 300664.00 | 6013.00  | 12026.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 4500.00   | 90.00    | 180.00   |
| 15- | दुर्गापुरपड़री में पेन्टेड रोड से दुर्गा मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य      | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 174079.00 | 3482.00  | 6963.00  |
| 16- | दिलावलपुर में लालपुर पेन्टेड रोड से राजेन्द्र पाल सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 174060.00 | 3481.00  | 6962.00  |
| 17- | गोडवा पेन्टेड रोड से गाँव बाहर तक सी०सी० रोड पार्ट-।।                              | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 99906.00  | 1998.00  | 3996.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 482610.00 | 9652.00  | 19304.00 |
| 18- | खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की छत मरम्मत एवं रंगाई पुताई                           | लोक ट्रेडर्स                                       | 174864.00 | 3497.00  | 6994.00  |
| 19- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।                  | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 529394.00 | 10587.00 | 21176.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 75710.00  | 1514.00  | 3028.00  |
| 20- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।।                 | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 542412.00 | 10848.00 | 21696.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 37250.00  | 745.00   | 1490.00  |
| 21- | राजकिशोर सिंह के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।।।                | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 481798.00 | 9636.00  | 19272.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 88342.00  | 1767.00  | 3534.00  |
| 22- | खमरिया मिल रोड से मंगूलाल के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।                              | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 439368.00 | 8787.00  | 17574.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 134121.00 | 2682.00  | 5364.00  |
| 23- | खमरिया मिल रोड से मंगूलाल के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।।                             | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 451958.00 | 9039.00  | 18078.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 144471.00 | 2889.00  | 5778.00  |
| 24- | खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत एवं रंगाई पुताई                                     | लोक ट्रेडर्स                                       | 167037.00 | 3341.00  | 6682.00  |
| 25- | नागेश्वर सिंह के घर से तीरथराज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण                       | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 218832.00 | 4377.00  | 8753.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 68364.00  | 1367.00  | 2734.00  |
| 26- | रायपुर में खिलाड़ी सिंह के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।                                | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 414047.00 | 8280.00  | 16560.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 168245.00 | 3365.00  | 6730.00  |
| 27- | रायपुर में खिलाड़ी सिंह के घर तक सी०सी० रोड पार्ट-।।                               | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 172702.00 | 3454.00  | 6908.00  |
| 28- | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग की ओर इण्टर लॉकिंग                                 | वर्मा ट्रेडर्स                                     | 593967.00 | 11879.00 | 23758.00 |
|     |                                                                                    |                                                    | 10013.00  | 200.00   | 400.00   |
| 29- | चेतईपुरवा में अवधराम के घर के पास पुलिया निर्माण                                   | वर्मा ट्रेडर्स<br>सिंह स्पन पाइप                   | 136228.00 | 2725.00  | 5450.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 168907.00 | 3378.00  | 6756.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 66527.00  | 1331.00  | 2661.00  |
| 30- | ठकुरनपुरवा में पुलिया निर्माण                                                      | सिंह स्पन पाइप<br>वर्मा ट्रेडर्स                   | 141014.00 | 2820.00  | 5640.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 35707.00  | 714.00   | 1428.00  |
|     |                                                                                    |                                                    | 102171.00 | 2043.00  | 4086.00  |

|     |                                                                                                           |                |                        |                    |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 31- | ग्राम बदालीपुर डामर रोड से जूनियर हाईस्कूल तक मिट्टी व खडन्जा कार्य                                       | वर्मा ट्रेडर्स | 307673.00<br>208115.00 | 6153.00<br>4162.00 | 12306.00<br>8324.00 |
| 32- | ग्राम छतवापुर रूद्रपुर डामर रोड पर लालता प्रसाद मौर्य के घर से निहालपुरवा में टीकाराम के घर तक खडन्जा नि0 | वर्मा ट्रेडर्स | 344137.00<br>228626.00 | 6883.00<br>4572.00 | 13766.00<br>9145.00 |
|     | <b>योग:-</b>                                                                                              |                |                        | <b>249652.00</b>   | <b>499296.00</b>    |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 249652.00 आयकर एवं रु० 499296.00 वैट कुल रु० 748948.00 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-43** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2015-16 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                           | फर्म का नाम         | क्रय सामग्री का मूल्य |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1-       | विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट स्थापना                   | रीता इण्टर प्राइजेज | 621600.00             |
| 2-       | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग की ओर इण्टर लॉकिंग     | वर्मा ट्रेडर्स      | 587396.00             |
| 3-       | बदलू राम मौर्या के घर से गाँव बार्डर तक खडन्जा निर्माण | वर्मा ट्रेडर्स      | 548160.00             |
|          | <b>योग:-</b>                                           |                     | <b>1757156.00</b>     |

इस प्रकार रु० 1757156.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ व श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-44** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                          | फर्म का नाम         | क्रय सामग्री का मूल्य                                                            | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई                                   | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1-       | विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट स्थापना                                  | रीता इण्टर प्राइजेज | 88800.00<br>88800.00<br>88800.00<br>88800.00<br>88800.00<br>88800.00<br>88800.00 | 1776.00<br>1776.00<br>1776.00<br>1776.00<br>1776.00<br>1776.00<br>1776.00 | 3552.00<br>3552.00<br>3552.00<br>3552.00<br>3552.00<br>3552.00<br>3552.00 |
| 2-       | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग की ओर इण्टर लॉकिंग                    | वर्मा ट्रेडर्स      | 477168.00<br>110228.00                                                           | 9543.00<br>2205.00                                                        | 19086.00<br>4409.00                                                       |
| 3-       | मुखलिसपुर में पुलिया निर्माण                                          | सिंह स्पन पाइप      | 68114.00                                                                         | 1362.00                                                                   | 2725.00                                                                   |
| 4-       | बदलू राम मौर्या के घर से गाँव बार्डर तक खडन्जा निर्माण                | वर्मा ट्रेडर्स      | 327096.00<br>218064.00<br>3000.00                                                | 6542.00<br>4361.00                                                        | 13084.00<br>8723.00                                                       |
| 5-       | अख्तियारपुर में हनुमान गढ़ी खडन्जा पर पुलिया निर्माण                  | रमाकान्त ठेकेदार    | 164359.00                                                                        | 3287.00                                                                   | 6574.00                                                                   |
| 6-       | अख्तियारपुर में बंशीलाल मौर्या के घर से जोगिन्दर मौर्य के घर तक इ०ला० | रमाकान्त ठेकेदार    | 221530.00<br>170170.00                                                           | 4431.00<br>3403.00                                                        | 8861.00<br>6807.00                                                        |
|          | <b>योग:-</b>                                                          |                     |                                                                                  | <b>47566.00</b>                                                           | <b>95133.00</b>                                                           |



उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 47566.00 आयकर एवं रु० 95133.00 वैट कुल रु० 142699.00 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ व श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर-45** आलोच्य वर्ष 2015-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद में मुखलिसपुर में पुलिया निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, रु० 68114.00 का भुगतान सिंह स्पन पाइप को किया गया है। स्टाक रजिस्टर न होने से भुगतानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त सामग्री भी सत्यापित नहीं रही। पत्रावली में कोई भी मस्टररोल नहीं पाया गया है और न ही एम०बी० में मजदूरी की माप अंकित है पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं पाया गया।

स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना कार्य कराये रु० 68114.00 की निरर्थक सामग्री क्रय करके शासकीय धन की क्षति की गई इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार चौबे, लेखाकार श्री रामकृष्ण, कार्य प्रभारी श्री राम प्रकाश शुक्ल एवं जे०ई० श्री टी०एन० शुक्ल बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है +

**प्रस्तर-46** वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1 864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रु० 20000 से अधिक से रु० 100000 तक) एवं टेण्डर (रु० 100000 से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2016-17 में कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व जहाँ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ भी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न करके मात्र कोटेशन मंगाकर औपचारिकता पूरी की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                       | फर्म का नाम    | क्रय सामग्री का मूल्य |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1-       | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग पर इ०ला० पार्ट-III | वर्मा ट्रेडर्स | 610800.00             |
|          | <b>योग:-</b>                                       |                | <b>610800.00</b>      |

इस प्रकार रु० 610800.00 की सामग्री टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय की गई जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर लिया जाना आवश्यक था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ व श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-47** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। इसी प्रकार उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3सी के अन्तर्गत 4% की दर से वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्ष 2016-17 में सामग्री आपूर्ति के बिलों पर आयकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                          | फर्म का नाम    | क्रय सामग्री का मूल्य | राजस्व (आयकर 2%) की कटौती जो नहीं की गई | राजस्व (वैट 4%) की कटौती जो नहीं की गई |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-       | नारीवेहड़ में ग्राम के पश्चिम पुलिया से जनार्दन प्रसाद के घर तक इ०ला० | पारसनाथ वर्मा  | 893801.00             | 17876.00                                | 35752.00                               |
| 2-       | ब्लाक गेट से ईसानगर कटौली मार्ग पर इण्टर लॉकिंग पार्ट-III             | वर्मा ट्रेडर्स | 610800.00             | 12216.00                                | 24432.00                               |
| 3-       | बसडिया में एल०आर०पी० रोड से लालजी गौतम के घर तक इ०ला० पार्ट-I         | पारसनाथ वर्मा  | 644580.00             | 12892.00                                | 25783.00                               |
| 4-       | बसडिया में एल०आर०पी० रोड से लालजी गौतम के घर तक इ०ला० पार्ट-II        | पारसनाथ वर्मा  | 566966.00             | 11339.00                                | 22678.00                               |
| 5-       | दरिगापुर में मुन्नीलाल के घर से सद्दीक के घर तक इ०ला०                 | नीरज कुमार     | 487799.00             | 9756.00                                 | 19512.00                               |
| 6-       | अल्लीपुर में संतोष के घर से बबू कोरी के घर तक इ०ला०                   | नीरज कुमार     | 426383.00             | 8528.00                                 | 17055.00                               |
| 7-       | रूद्रपुर में राममूर्ति भार्गव के घर से विजय सिंह के घर तक इ०ला०       | नीरज कुमार     | 1670978.00            | 33420.00                                | 66839.00                               |
| 8-       | ग्रा०पं० खमरिया में चहलार में शिवाजी अवस्थी के घर तक इ०ला०            | नीरज कुमार     | 206505.00             | 4130.00                                 | 8260.00                                |
| 9-       | ग्रा० पोखरा में मेन रोड से वीरेन्द्र पाठक के घर तक इ०ला०              | नीरज कुमार     | 258708.00             | 5174.00                                 | 10438.00                               |
| 10-      | रायपुर सी०सी० रोड से कृष्ण कुमार सिंह के घर तक इ०ला०                  | नीरज कुमार     | 373788.00             | 7476.00                                 | 14952.00                               |
| 11-      | नारीवेहड़ में खडन्जा से गणेश वर्मा के घर तक इ०ला०                     | नीरज कुमार     | 244550.00             | 4891.00                                 | 9782.00                                |

|     |                                                                    |                  |           |                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 12- | गुरुद्वारा से कमालुद्दीन के घर तक इण्टर लॉकिंग                     | नीरज कुमार       | 157034.00 | 3141.00          | 6281.00          |
| 13- | मुखलिसपुर में शमशेर वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग                    | नीरज कुमार       | 315981.00 | 6320.00          | 12639.00         |
| 14- | पकरिया में दिनेश मिश्र के घर से मिश्र के घर तक इण्टर लॉकिंग        | नीरज कुमार       | 587617.00 | 11752.00         | 23504.00         |
| 15- | बदालीपुर में राजकुमार मौर्य के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग        | नीरज कुमार       | 619021.00 | 12380.00         | 24760.00         |
| 16- | अख्तियारपुर में राजाराम पाल के घर से परशुराम मौर्या के घर तक इ०ला० | रमाकान्त ठेकेदार | 801688.00 | 16034.00         | 32068.00         |
|     | <b>योग:-</b>                                                       |                  |           | <b>177325.00</b> | <b>354733.00</b> |

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ₹ 177325.00 आयकर एवं ₹ 354733.00 वैट कुल ₹ 532058.00 की राजस्व क्षति हुयी इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसमुझ व श्री अखिलेश कुमार चौबे एवं लेखाकार श्री रामकृष्ण वर्मा बराबर-बराबर उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

## क्षेत्र पंचायत – रमियाबेहड़

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जनपद – लखीमपुर-खीरी

प्रस्तर-48

आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि        |
|---------|--------------|--------------------|
| 1-      | 2011-12      | 3466353.00         |
| 2-      | 2012-13      | 1832655.00         |
| 3-      | 2013-14      | 7280864.00         |
|         | <b>योग:-</b> | <b>12579872.00</b> |

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 12579872.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 12579872.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49

आलोच्य वर्षों में बारहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है –

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि       |
|---------|--------------|-------------------|
| 1-      | 2011-12      | 0.00              |
| 2-      | 2012-13      | 3232753.00        |
| 3-      | 2013-14      | 2029408.00        |
|         | <b>योग:-</b> | <b>5262161.00</b> |

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में बारहवाँ वित्त एवं 13 वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 5262161.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 5262161.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत – रमियाबेहड़

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जनपद – लखीमपुर-खीरी

प्रस्तर-50

आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि        |
|---------|--------------|--------------------|
| 1-      | 2014-15      | 7754946.00         |
| 2-      | 2015-16      | 3768110.00         |
| 3-      | 2016-17      | 2002990.00         |
|         | <b>योग:-</b> | <b>13526046.00</b> |

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 13526046.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 13526046.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-51**

आलोच्य वर्षों में बारहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि       |
|---------|--------------|-------------------|
| 1-      | 2014-15      | 6496914.00        |
| 2-      | 2015-16      | 1403000.00        |
| 3-      | 2016-17      | 0.00              |
|         | <b>योग:-</b> | <b>7899914.00</b> |

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में बारहवाँ वित्त एवं 13 वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 7899914.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 7899914.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत - धौरहरा****वर्ष 2011-12 से 2013-14****जनपद - लखीमपुर-खीरी****प्रस्तर-52**

आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि       |
|---------|--------------|-------------------|
| 1-      | 2011-12      | 2027767.00        |
| 2-      | 2012-13      | 3914313.00        |
| 3-      | 2013-14      | 1708253.00        |
|         | <b>योग:-</b> | <b>7650333.00</b> |

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 7650333.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 7650333.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत - धौरहरा****वर्ष 2014-15 से 2016-17****जनपद - लखीमपुर-खीरी****प्रस्तर-53**

आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | वर्ष         | व्यय धनराशि       |
|---------|--------------|-------------------|
| 1-      | 2014-15      | 3708412.00        |
| 2-      | 2015-16      | 2696230.00        |
| 3-      | 2016-17      | 1965828.00        |
|         | <b>योग:-</b> | <b>8370470.00</b> |

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 8370470.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹ 8370470.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**प्रारूप-03****जनपद- लखनऊ****मण्डल- लखनऊ****क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ****क्षेत्र पंचायत- बखशी का तालाब****वर्ष-2019-20****जनपद- लखनऊ**

**प्रस्तर संख्या-01** क्षेत्र पंचायत- बखशी का तालाब की वित्तीय वर्ष 2019-20 की पत्रावलियों में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराए गए कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | कार्य का विवरण                                 | आच्छादित ग्राम पंचायत | व्यय धनराशि |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1       | उमेश सिंह के घर से सरकारी स्कूल तक इन्टरलॉकिंग | बीकामऊ                | 657641.00   |

|   | का कार्य]                                                     |                 |            |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2 | खेसरावाँ मे डामर रोड से बैजनाथ के घर तक इन्टरलॉकिंग का कार्य] | खेसरावाँ        | 901537.00  |
| 3 | सी0सी0 रोड से कुनौरा बार्डर तक इन्टरलॉकिंग कार्य]             | मुसपिपरी-उमरिया | 2602144.00 |
|   | योग                                                           |                 | 4161322.00 |

उक्त व्यय की गई धनराशि के विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इन सभी कार्यों से मात्र एक ही गाँव आच्छादित हो रहे हैं। जबकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1838/33.03.2015/03/2015, दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग/व्यय एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर किया जाएगा। अतः धनराशि रुपए 4161322.00 का उक्त व्यय, उपर्युक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन करके किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ० अरुण कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्री मोहित सिंह एवं लेखाकार श्री संजय कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती रमा जायसवाल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

## क्षेत्र पंचायत- गोसाईगंज

वर्ष-2019-20

जनपद- लखनऊ

### प्रस्तर संख्या-02

क्षेत्र पंचायत गोसाई गंज जनपद लखनऊ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत गोसाई गंज द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य किया गया जिसके सापेक्ष रु० 1624163-00 का भुगतान किया गया है विवरण निम्न है -

| क्रमांक | क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य           | आच्छादित ग्राम पंचायत | व्यय धनराशि |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1       | बहरोली में नेहरू नगर खड़जा से नाली पटरी तक खड़जा 2018-19 | बहरोली                | 254498-00   |
| 2       | बहरोली में अमरीक की बाग से प्रीतम नगर तक खड़जा 2018-19   | बहरोली                | 88119-00    |
| 3       | बाघोली में नटवीर बाबा तक खड़जा                           | बाघोली                | 22991-00    |
| 4       | सलेमपुर से लोधपुरवा संपर्क मार्ग पर खड़जा                | सलेमपुर               | 61345-00    |
| 5       | बसरहिया डामर रोड से राजकुमार के खेत तक खड़जा             | बसरहिया               | 20702-00    |
| 6       | मगहुआ कला से नबाब अली का पुरवा संपर्क मार्ग पर खड़जा     | मगहुआ कला             | 12584-00    |
| 7       | दहरामऊ रेड से रामपुर तक खड़जा                            | दहरामऊ                | 149515-00   |
| 8       | सरई गुदौली में गुदौली रोड से राजकुमार के हाता तक खड़जा   | सरई गुदौली            | 193845.00   |
| 9       | महमूदपुर सहजादपुर पुलिया से हजरतपुर पुलिया तक खड़जा      | महमूदपुर              | 28333.00    |
| 10      | चकरोड से आदित्य के टुयूबेल तक खड़जा                      | घुसकर                 | 483844.00   |
| 11      | भट्टीबरकतनगर नगराम रोड से बरकत नगर में खड़जा             | भट्टीबरकतनगर          | 14610.00    |
| 12      | गोमीखेड़ा में डामर रोड से बाबा तक खड़जा                  | गोमीखेड़ा             | 14095.00    |
| 13      | फूलचंद यादव के घर से चौरासी रानी मंदिर तक खड़जा          | चुरहिया               | 156481.00   |
| 14      | मौराखुर्द से साहनखेड़ा तक खड़जा                          | मौराखुर्द             | 123201.00   |
|         | योग                                                      |                       | 1624163-00  |

उक्त भुगतान के संबंध में लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य /आपत्तियाँ पाई गई :-

1-क्रम संख्या 1 से 14 तक क्षेत्र पंचायत गोसाई गंज द्वारा कराए गए कार्य के विवरण से स्पष्ट हिट है की सभी कार्य में एक एक ग्राम पंचायत ही आच्छादित हो रही है जबकि शासनदेश सं 1838/33-03-2015-03/2015 दि 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराय जाए तथा शासनदेश सं 1839/33-03-2015-03/2015 दि 19.06.2015के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गई है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले की 50 प्रतिशत धनराशि पूर्व में हुए विकास कार्यों में सृजित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। परंतु उक्त शासनदेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत क्षेत्र पंचायतगोसाई गंज द्वारा रु० 1624163-00की धनराशि से निर्माण कार्य करवाए गए हैं जो कि शासनादेश(मार्ग दर्शक सिद्धांतों)से स्पष्ट विचलन है। अतः उक्त कराए गए निर्माण कार्य अनियमित है। जिस हेतु क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष /ब्लाक प्रमुख तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री नरेंद्र कुमार रावत तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी, श्री महेंद्र नाथ पांडे व श्री भोला नाथ कनोजिया उत्तरदाई हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

2-उक्त निर्माण कार्य की पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्यों की डुप्लिकेसी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- काकोरी

वर्ष-2019-20

जनपद- लखनऊ

**प्रस्तर संख्या- 3** क्षेत्र पंचायत काकोरी जनपद लखनऊ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत काकोरी द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य किया गया जिसके सापेक्ष रु0 9325236.00 का भुगतान किया गया है विवरण निम्न है -

| क्रमांक | क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य                                 | आच्छादित ग्राम पंचायत | व्यय धनराशि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1       | ग्वाल पुर में रज्जान के घर से प्रा0वि0 ग्वालपुर मार्ग तक सी सी रोड निर्माण     | टेडवा                 | 670711.00   |
| 2       | नाज़िम के घर से मस्जिद तक सी सी रोड निर्माण                                    | खुशहालगंज             | 271778.00   |
| 3       | खड़जा से हनुमान मंदिर तक सी सी रोड निर्माण                                     | हरदोइया लालनगर        | 488640.00   |
| 4       | बदबदाखेड़ा डामर रोड से हनुमान मंदिर तक सी सी रोड निर्माण                       | दोना                  | 294392.00   |
| 5       | हुसेनी के घर से जैती खेड़ा डामर रोड संपर्क मार्ग पर सीसी रोड निर्माण           | शेरपुरमऊ              | 646855.00   |
| 6       | डामर रोड से नटवीर बाबा तक खड़जा निर्माण                                        | बरकताबाद              | 900054.00   |
| 7       | श्रीराम के घर से महादेव मंदिर तक खड़जा निर्माण                                 | कुढ़ाईटगाव            | 406933.00   |
| 8       | बजरंग बली बाबा मंदिर से चंदी लोधी के खेत तक खड़जा निर्माण                      | जलियामऊ               | 940449.00   |
| 9       | दशदोई में राम स्वरूप के घर से धनी दास मंदिर तक खड़जा निर्माण                   | दसदोई                 | 828623.00   |
| 10      | मलिहाबाद मोहान रोड से मुन्ना रावत की बाग तक खड़जा कार्य                        | सैफल पुर              | 480551.00   |
| 11      | मोहान रोड से शिव जी के मंदिर तक सीसी रोड निर्माण                               | खुशहालगंज             | 799095.00   |
| 12      | सकरा दोना डामर रोड से मुसीबत खेड़ा में श्री केशन के घर तक खड़जा निर्माण कार्य। | दोना                  | 488432.00   |
| 13      | गुलहरियनखेड़ा डामर रोड से भुलभुलाखेड़ा तक सीसी रोड निर्माण                     | भटऊ जमालपुर           | 799954.00   |
| 14      | डामर रोड से बजरंग बली बाबा मंदिर तक सीसी रोड निर्माण                           | जलिया मऊ              | 272254.00   |
| 15      | शाहपुर में हनुमान मंदिर के पास मेला मैदान में इन्टरलाकिंग कार्य                | शाहपुर                | 177634.00   |
| 16      | असर खेड़ा खड़जा से डामर रोड तक खड़जा निर्माण                                   | कुढ़ाईटगाव            | 272555.00   |
| 17      | बाबूलाल उर्फ लाला पासी के घर से शारदा नहर तक खड़जा निर्माण                     | भलिया                 | 438851.00   |
| 18      | सकरा दोना डामर रोड से रमेश रावत के घर के आगे खड़जा निर्माण                     | दोना                  | 147475.00   |
|         | योग                                                                            |                       | 9325236.00  |
|         |                                                                                |                       |             |

उक्त भुगतान के संबंध में लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य /आपत्तियाँ पाई गई :-

1-क्रम संख्या 1 से 18 तक क्षेत्र पंचायत काकोरी द्वारा कराए गए कार्य के विवरण से स्पष्ट हिट है की सभी कार्य में एक एक ग्राम पंचायत ही आच्छादित हो रही है जबकि शासनदेश सं 1838/33-03-2015-03/2015 दि 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराय जाए तथा शासनदेश सं 1839/33-03-2015-03/2015 दि 19.06.2015के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गई है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले की 50 प्रतिशत धनराशि पूर्व में हुए विकास कार्यों में सृजित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। परंतु उक्त शासनदेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत क्षेत्र पंचायत काकोरी द्वारा रु0 9325236.00 की धनराशि से निर्माण कार्य करवाए गए हैं जो कि शासनदेश(मार्ग दर्शक सिद्धांतों)से स्पष्ट विचलन है। अतः उक्त कराए गए निर्माण कार्य अनियमित है जिस हेतु क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष /ब्लाक प्रमुख तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री कुँवर राम बिलास तत्कालीन खंड विकास अधिकारी -सुश्री संस्कृता मिश्रा उत्तरदाई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2-उक्त निर्माण कार्य की पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्यों की डुप्लिकेसी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### क्षेत्र पंचायत- सरोजिनी नगर

### जनपद- लखनऊ

वर्ष-2019-20

**प्रस्तर संख्या- 04** क्षेत्र पंचायत सरोजिनी नगर की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरण के अनुसार कुछ ऐसे कार्य कराए गए हैं जो एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष कुल रूपए 6711139.00 भुगतान किया गया है।

| क्रमांक | कार्य का विवरण                                                                            | फर्म का नाम    | आच्छादित ग्राम पंचायत | व्यय धनराशि |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1       | हिमानीखेड़ा से भैरोंबाबा तक इन्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।                             | वान्या एसोसिएट | पहाड़पुर              | 999710.00   |
| 2       | गुरुदेव के घर से सोहन के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।                            | वान्या एसोसिएट | नानमऊ                 | 659518.00   |
| 3       | जागेश्वर यादव के घर के दरवाजे से अवधेश द्विवेदी के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।               | वान्या एसोसिएट | लतीफनगर               | 199868.00   |
| 4       | नबाव चौराहा से अवधेश सूर्याश पब्लिक स्कूल तक इन्टरलॉकिंग कार्य।                           | सिंह ब्रदर्स   | कल्ली पश्चिम          | 461285.00   |
| 5       | हरिहरपुर गाँव से शिव मंदिर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।                                | सिंह ब्रदर्स   | हरिहरपुर              | 311986.00   |
| 6       | देवामऊ में हरदोई लाल बाबा के स्थान से राम आधार के घर तक नाली निर्माण कार्य।               | वान्या एसोसिएट | घुसवल कलाँ            | 356252.00   |
| 7       | माती रोड से महेश के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।                               | वान्या एसोसिएट | कल्ली पश्चिम          | 586388.00   |
| 8       | शारदा नहर से विजय शंकर यादव के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।                      | उत्तम ट्रेडर्स | कल्ली पश्चिम          | 988437.00   |
| 9       | संपर्क मार्ग से मुन्नीलाल के घर होते हुए पुलिया तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।        | सिंह ब्रदर्स   | गढ़ी चुनौटी           | 884109.00   |
| 10      | गजराज गौतम के घर से सनेही के ट्यूबवेल तक खंडजा निर्माण                                    | सिंह ब्रदर्स   | गढ़ी चुनौटी           | 279976.00   |
| 11      | रायबरेली संपर्क मार्ग से विनोद यादव (यादव स्टोर) के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | उत्तम ट्रेडर्स | कल्ली पश्चिम          | 983610.00   |
|         | योग                                                                                       |                |                       | 6711139.00  |

उपरोक्त कराए गए निर्माण कार्यों से स्पष्ट है कि मात्र एक एक गाँव ही आच्छादित हो रहे रहे हैं जबकि चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1838/33.03.2015/03/2015, दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। इस प्रकार रुपये 6711139.00 का व्यय उक्त शासनादेश से स्पष्ट विचलन करके किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निशा सिंह यादव तथा लेखाकार श्री अजीत कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### क्षेत्र पंचायत - मोहनलालगंज

### वि0ख0- मोहनलालगंज

वर्ष - 2019-20

**प्रस्तर संख्या - 05**

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। क्षेत्र पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था तथा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था। परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराये हैं जैसे सी. सी. रोड, खंडजा मार्ग, इंटर लॉकिंग आदि कार्य कराये गए हैं, जिन पर रु. **6853318.00** व्यय हुआ। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं, जिसके लिए तत्कालीन खंड

विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कन्नौजिया , ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विजय लक्ष्मी उत्तरदायी हैं | उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

### प्रारूप-3 जनपद राय बरेली

#### प्रस्तर-1 क्षेत्र पंचायत-रोहनियां विकास खण्ड-रोहनियां

1. दिनांक 16/11/19 में अजन्ता एण्ड कम्पनी जोशियाना रायबरेली से 6X3 2-2 की दो मेजें क्रय की गई जिसका नेट भुगतान 112029=0 जरिये चेक सं0 000009 दिनांक 16.11.2019 को किया गया। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं- दो मेजों की डिमांड दिनांक 14.11.2019 को श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर कक्ष हेतु की गई जिसे सहायक विका अधि० पंचायत की संस्तुति के उपरान्त खण्ड विकास अधि० की स्वीकृत पर दिनांक 14.11.2019 को ही सामान्य कोटेशन पर प्रदाता के रु में चयनित भी कर लिया गया जबकि नेट पेयबल धनराशि रु0 112029 रु० थी जो रु० एक लाख से अधिक होने के कारण टेन्डर आमंत्रित करके की जानी चाहिए थी जिसमें शासनादेश सं० - ए-1-864 / दस-08-15 (1) 86 दिनांक - 23.09.2008 का उल्लंघन किया ग है, क्रित मेजें सामान्य बाजार भाव से काफी अधिक कीमत पर खरीदी गई हैं, तथा क्रय स्टॉक के स्टॉक पंजिका में अंकन की स्थिति स्टॉ पंजिका के अनुपलब्ध रहने के कारण न की जा सकी। क्रय नियमों के उल्लंघन और सामान्य बाजार भाव से काफी अधिक कीमत पर क्र. कर के रु0 112029=00 के अनियमित भुगतान के उत्तरदायी तत्कालीन हस्ताक्षरी अधिकारियों श्री जयशंकर तिवारी सहा०वि०अ०(पं) एवं सु: ऋचा सिंह खण्ड विकास अधि० के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

#### प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत-खीरों विकास खण्ड-खीरों

आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजिका-2 के अनुसार- विधायक निधि मद से विभिन्न तिथियों में इकाई द्वारा क्षेत्र पंचायत की ग्राम पंचायतों में प्रकाश - व्यवस्था में एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रु. 11,64,698-00 में बी. ए. एफ. इनर्जी इन्हौना को व्यय - भुगतान किया जाना दर्शाया गया है :-

| क्र. | चेक सं./दिनांक    | भुगतान की गयी धनराशि | फर्म का नाम            | अभ्युक्ति                  |
|------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | 679114/19-12-2019 | 370656.00            | बी.ए.एफ.इनर्जी-इन्हौना | नि.कार्य पत्रावली अनुपलब्ध |
| 2    | 679115/31-12-2019 | 380583.00            | „                      | „                          |
| 3    | 679117/10-01-2020 | 380583.00            | „                      | „                          |
| 4    | 679120/12-02-2020 | 32876.00             | „                      | „                          |
|      | सम्पूर्ण योग -    | 1164698.00           |                        |                            |

कन्तु उक्त के सम्बंध में निर्माण कार्य पत्रावली- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, अनुमानित व्यय - प्राक्कलन, विद्युत संयोजन व टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना एम.बी., व फोटो. ग्राफी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि उक्त की पुष्टि हेतु आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में वित्तीय एवं लेखा - मैनुअल में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. व लेखाकार, अवर अभि. व प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये गये, जिसका विवरण निम्नवत् है-

| क्रम सं० | कार्य का नाम                                                                                   | लागत धनराशि (रु० में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | उत्तरागौरी ग्राम पंचायत में पूरे धुनू में सी०सी० रोड से रामबख्शपाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य। | 422689.00             |
| 2        | उत्तरागौरी ग्राम पंचायत में मोहन पोस्टमैन के घर से पीताम्बर पेंटर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।  | 433458.00             |
| 3        | बरहा ग्राम पंचायत में निहस्था बरहा रोड से सूरज सिंह के पुरवा नाले तक इन्टरलॉकिंग कार्य।        | 436589.00             |
| 4        | जनेवा कटरा ग्राम पंचायत में मंगल के दरवाजे से बाबूलाल के दरवाजे तक                             | 444919.00             |

|    |                                                                                                         |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | इन्टरलॉकिंग कार्य।                                                                                      |            |
| 5  | मटेहना ग्राम पंचायत में नया पुरवा में सोनू के दरवाजे से नरेन्द्र प्रधान के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य। | 422682.00  |
| 6  | ग्राम पंचायत सरॉय कुर्मी के राधे के पुरवा में रन्नु के घर से उमानाथ के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।         | 448991.00  |
| 7  | सेमरपहा ग्राम पंचायत के पूरे तोडी में तिराहा मोड से सोनू सिंह के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।           | 454088.00  |
| 8  | खजूरगांव ग्राम पंचायत में पूरे गुरु में पक्की सड़क से विजय पाल की बाग तक इन्टरलॉकिंग कार्य।             | 869376.00  |
| 9  | गौरा रूपई ग्राम पंचायत में चक देवीदीन में डामर रोड से अर्जुन के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।            | 443175.00  |
| 10 | मीठापुर ग्राम पंचायत में सी0सी0 रोड से रमेश पासी के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।                        | 451942.00  |
|    | योग -                                                                                                   | 4827909.00 |

उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं -

(अ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था, दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में इंटर लॉकिंग कार्य कराये गए हैं, जिन पर रु. 4827909.00 लाख व्यय हुआ।

जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1639 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं, जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी उत्तरदायी हैं।

(ब) वित्तीय हस्त पुस्तिका 1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864 / दस-08-15 (1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन ( 20 हजार से अधिक एवं 1 लाख तक ) तथा टेण्डर ( रु0 1 लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा खजूर गाँव ग्राम पंचायत में पक्की सड़क से विजय पाल की बाग तक इन्टरलॉकिंग कार्य में उक्त शासनादेश का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है -

संस्था द्वारा उक्त कार्य में पत्रांक 2332 /आंकिक / 2019-20 दिनांक- 10.10.2019 द्वारा सीमेंट, कोर्स सैंड, लोकल सैंड, फाइन सैंड, 20 एमएम स्टोन गिट ( अनुमानित लागत 160686.00) एवं एम 150 ब्रिक एवं ब्रिक ब्लास्ट 40 एमएम (अनुमानित लागत 138041.00) के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया है जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार 1 लाख से अधिक सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य था। ऐसा न करके कूटरचित तरीके से एस० डी० एस० ट्रेडर्स, नेहरू नगर, रायबरेली (सीमेंट, सैंड, स्टोन गिट आदि क्रय हेतु ) एवं श्री दिगम्बर स्वामी इण्टरप्राइजेज एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर, शान्ति नगर, लालगंज, रायबरेली (एम 150 ब्रिक एण्ड ब्रिक ब्लास्ट 40 एमएम क्रय हेतु ) की फर्म को स्वीकृत कर लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया तथा शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता की गई, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह लेखाकार एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(स) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त सभी कार्यों में मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान उनके बैंक खातों में न करके तत्कालीन कार्य प्रभारी को उनके नाम से चेक द्वारा भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् मजदूरों को नकद भुगतान करना बताया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।

वर्तमान समय में मनरेगा योजना एवं जनधन योजना के अन्तर्गत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन कार्य



प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह लेखाकार एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।

- (द) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त सभी कार्यों में पत्रावलियों के साथ किसी भी स्तर की फोटो पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है, जो कि कार्य की सुविधा पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ी करती है, जिसे अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

सा०आ० संख्या - 03

#### प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 2330/आंकिक /2019-20 दिनांक 10.10.2019 द्वारा इण्टरलॉकिंग ब्रिक जिक जैक 80 एमएम मयभाड़ा समस्त करों सहित विभिन्न कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

अ) उक्त निविदा में टेण्डर प्रपत्र शुल्क ₹0 100 एवं जमानत धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत वसूल किया गया है, जबकि शेष 5 प्रतिशत जमानत राशि स्वीकृत फर्म के बिलों से कटौती किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5 -2016/ 253 / 18-2-2016-3 (एस0पी0 ) 2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के अनुसार टेण्डर प्रपत्र का मूल्य ₹0 1 लाख से ₹0 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेण्डर के लिए अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत (न्यूनतम ₹0 400 और अधिकतम ₹0 1500 ) जी०एस०टी० जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली - 1984 के नियम 23 के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी ठेकेदार को प्रारम्भ में उतनी धनराशि प्रतिभूति / जमानत के रूप में जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है जो बयाने की धनराशि सहित ठेके के धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर हो । शेष 5 प्रतिशत जमानत की धनराशि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए उसके चालू लेखा बिलों से 10 प्रतिशत की दर से तबतक काटी जायेगी जबतक जमानत की धनराशि पूरी न हो जाये । कोई भी ठेका तब तक वैध नहीं होगा जबतक ऊपर नियत की गयी अपेक्षित प्रतिभूति / जमानत धनराशि की जाये। किन्तु उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है।

| क्रम सं० | कार्य का नाम                                                                                            | वसूल की गई धनराशि (₹0 में) |                              | वसूल किया जाना चाहिए था (₹0 में) |                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                         | टेण्डर प्रपत्र शुल्क/फर्म  | स्वीकृत फर्म की जमानत धनराशि | टेण्डर प्रपत्र शुल्क/फर्म        | स्वीकृत फर्म की जमानत धनराशि |
| 1        | उत्तरागौरी ग्राम पंचायत में पूरे धुनू में सी0सी0 रोड से रामबख्शपाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।          | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 2        | उत्तरागौरी ग्राम पंचायत में मोहन पोस्टमैन के घर से पीताम्बर पेंटर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।           | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 3        | बरहा ग्राम पंचायत में निहस्था बरहा रोड से सूरज सिंह के पुरवा नाले तक इन्टरलॉकिंग कार्य।                 | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 4        | जनेवा कटरा ग्राम पंचायत में मंगल के दरवाजे से बाबूलाल के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।                   | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 5        | मटेहना ग्राम पंचायत में नया पुरवा में सोनू के दरवाजे से नरेन्द्र प्रधान के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य। | 100x3=300                  | 11100.00                     | 400x3=1200                       | 22178.00                     |
| 6        | ग्राम पंचायत सराँव कुर्मी के राधे के पुरवा में रन्नू के घर से उमानाथ के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।        | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 7        | सेमरपहा ग्राम पंचायत के पूरे तोडी में तिराहा मोड से सोनू सिंह के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।           | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 8        | खजूरगांव ग्राम पंचायत में पूरे गुरु में पक्की सड़क से विजय पाल की बाग तक इन्टरलॉकिंग कार्य।             | 100x3=300                  | 23000.00                     | 400x3=1200                       | 45912.00                     |
| 9        | गौरा रूपई ग्राम पंचायत में चक देवीदीन में डामर रोड से अर्जुन के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।            | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
| 10       | मीठापुर ग्राम पंचायत में सी0सी0 रोड से रमेश पासी के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग कार्य।                        | 100x3=300                  | 11500.00                     | 400x3=1200                       | 22996.00                     |
|          | योग -                                                                                                   | 3000.00                    | 126100.00                    | 12000.00                         | 252058.00                    |

इस प्रकार वसूल की गई कुल धनराशि ₹0 1,29,100.00 है जबकि वसूल की जाने वाली धनराशि ₹0 2,64,058.00 है। अन्तर धनराशि ₹0 1,34,958.00 की ब्याज सहित वसूली कम करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

- ब) टेण्डर प्रपत्र शुल्क एवं जमानत धनराशि की ब्याज सहित वसूली ट्रेजरी रसीद - 385 के द्वारा नकद रु० 1,29,100.00 की गई है किन्तु वसूल की गई धनराशि को कहाँ और कब जमा किया गया है, संदर्भ में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की द्योतक है।
- स) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा भरे जाने वाले टेण्डर फार्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शपथ पत्र आदि पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं हैं, जिससे स्पष्ट है कि टेण्डर मानकों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए कुछ पंसदीदा फर्मों को जानबूझ कर लाभ पहुँचाया गया जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।
- द) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के टेण्डर हेतु केवल एक समाचार पत्र में टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किया गया जबकि कम से कम दो समाचार पत्रों में टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- इस प्रकार उक्त टेण्डर में कुल रु० 2,64,058.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी उत्तरदायी हैं। सा०आ० संख्या -

3. (अ) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि माननीयों के उठने-बैठने हेतु फर्नीचर, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु मे० आन्या ट्रेडिंग कम्पनी को स्टील कुशन चेयर, वी०आई०पी० चेयर, मच्छरजाली विध फिटिंग, वाटर टैंक एवं प्लम्बरिंग कार्य हेतु दिनांक 09.03.2019 को कोटेशन स्वीकृत किया गया। ० आन्या ट्रेडिंग कम्पनी, गौरा रूपई, लालूमऊ, रायबरेली द्वारा रु० 106142.00 ( प्रमाणक संख्या 53 दिनांक 02.05.2019 ) का बिल प्रस्तुत किया गया तथा आयकर की कटौती रु० 2123.00 के उपरान्त रु० 104019.00 का भुगतान चेक संख्या 781481 दिनांक 20.05.2019 द्वारा उक्त फर्म को किया गया जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका 1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 ( 1 ) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (20 हजार से अधिक एवं 1 लाख तक ) तथा टेण्डर ( रु० 1 लाख से अधिक ) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त शासनादेश का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए अपनी पसंद के फर्म को लाभ पहुँचाया गया, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

इसी प्रकार उक्त कार्य में ग्लोबल इण्टरप्राइजेज, गौरा रूपई, रायबरेली का इन्वर्टर, स्टैबलाइजर, मोटर एवं इलेक्ट्रिक वायरिंग एवं कनेक्शन हेतु कोटेशन स्वीकृत किया गया। उक्त फर्म द्वारा रु० 77,000.00 ( प्रमाणक संख्या 109 दिनांक 02.05.2019 ) का बिल प्रस्तुत किया गया तथा आयकर की कटौती रु० 1540.00 के उपरान्त रु० 75460.00 का भुगतान चेक संख्या 781483 दिनांक 20.05.2019 द्वारा उक्त फर्म को किया गया।

किन्तु उक्त दोनों फर्म (ग्लोबल इण्टरप्राइजेज एवं आन्या ट्रेडिंग कम्पनी) उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत नहीं हैं क्योंकि सामग्री क्रय अधिकृत विक्रेता अथवा निर्माता से होना चाहिए।

इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों फर्मों को जानबूझकर लाभ पहुँचाया गया, जो कि गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

(ब) उक्त क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया गया अथवा नहीं, के संदर्भ में कोई भी ' विवरण लेखा परीक्षा के दौरान नहीं प्रस्तुत किया गया। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रकार उक्त कार्य में कुल रु० 179479.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

सा०आ० संख्या

- 05

## प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड की बाउण्ड्री वाल मरम्मत में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज, रायबरेली के पत्रांक 2319 दिनांक 03.10.2019 द्वारा सीमेंट, कोर्स सैंड, स्नोसेम क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया, जिसके क्रम में एस०डी० एस० ट्रेडर्स, नेहरूनगर, रायबरेली के कोटेशन को स्वीकृत करते हुए कुल रु० 122946.00 ( प्रमाणक संख्या 67 दिनांक 14.10.2019 ) की सामग्री क्रय की गई तथा आयकर की कटौती रु० 2459.00 के उपरान्त रु० 120487.00 का भुगतान चेक संख्या 967840 दिनांक 18.11.2019 द्वारा उक्त फर्म को किया गया। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका 1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08- - 15 ( 1 ) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (20 हजार से अधिक एवं 1 लाख तक ) तथा टेण्डर ( रु० 1 लाख से अधिक ) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त शासनादेश का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए अपनी पसंद के फर्म को लाभ पहुँचाया गया, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(ब) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान रु० 63126.00 उनके बैंक खातों में न करके तत्कालीन कार्य प्रभारी को उनके नाम से चेक द्वारा भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् मजदूरों को नकद भुगतान करना बताया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।

वर्तमान समय में मनरेगा योजना एवं जनधन योजना के अन्तर्गत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(स) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त सभी कार्यों में पत्रावलियों के साथ किसी भी स्तर की फोटो पत्रावली के साथ संलग्न नहीं हैं, जो कि कार्य की सुविधा पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ी करती है, जिसे अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उक्त कार्य में कुल रु0 183613.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

सा०आ० संख्या - 06

## प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा प्रासंगिक व्यय मद के अन्तर्गत इण्टरनेट इंस्टालेशन सिस्टम हेतु अन्या ट्रेनिंग कम्पनी, गौरा रूपई को रु0 9730.00 (प्रमाणक संख्या 42 दिनांक 10.03.2019) का भुगतान दिनांक 06.04.2019 को चेक संख्या 000313 द्वारा किया गया। किन्तु उक्त फर्म उक्त कार्य हेतु अधिकृत नहीं है। अतः उक्त फर्म का फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु० 9730.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी, लेखाकार शैलेन्द्र कुमार सोनी एवं कार्यक्रम अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव (मनरेगा), लालगंज से समान मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

सा०आ० संख्या - 07

## प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर-2 की ब्याज खाते में पेज संख्या - 59 पर दिनांक 23.04.2019 को चेक संख्या 100314 द्वारा रु० 28746.00 मनरेगा मानदेय मद में एवं चेक संख्या 100275 द्वारा रु0 4383.00 प्रधान मन्त्री आवास योजना मद में अर्जित ब्याज को जमा करने हेतु श्री निर्मल कुमार अवस्था, कैशियर को दिया जाना दर्शित है। किन्तु उक्त भुगतान के संदर्भ में न तो कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त धनराशि सम्बन्धित मद में (ग्रांट रजिस्टर - 2 ) प्राप्ति के रूप में दर्शित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि कुल रु0 33129.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री निर्मल कुमार अवस्थी (कैशियर) से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ० संख्या

- 08

## प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर-2 की ब्याज खाते में पेज संख्या - 59 पर दिनांक 23.04.2019 को चेक संख्या 781456 द्वारा रु0 354281.50 राज0वि०आ० मद में अर्जित ब्याज को जमा करने हेतु दर्शित है तथा बैंक स्टेटमेन्ट (एस0बी0आई0 खाता संख्या 11007818575) के अनुसार उक्त धनराशि दिनांक 25.04.2019 को खाता संख्या 0011007988795 में स्थानान्तरित किया जाना दर्शित है। इसी प्रकार ब्याज खाते से (पेज संख्या - 201 ) दिनांक 03.12.2019 को चेक संख्या 967891 द्वारा रु0 156005.00 खाता संख्या 0011007988795 में जमा किया जाना दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त खाते से सम्बन्धित कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रु0 510286.50 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की गई। उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

सा० आ० संख्या - 09

## प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत-लालगंज विकास खण्ड-लालगंज

क्षेत्र पंचायत कि वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रधान मंत्री आवास योजना कंटीजेंसी में रु 207047.00 से संबन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार बार माँगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु 207047.00 को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका व संस्था द्वारा किए गए उक्त व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त व्यय अनियमित रहा, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख श्री अनन्तेश सिंह एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

सा०आ० संख्या-10

## प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत गोविन्दपुर में सिद्धा के पुरवा से बंदरामउ तक खडंजा मरम्मत एवम् नाली निर्माण :-

| क्रम सं. | दिनांक | धनराशि    | फर्म का नाम            |
|----------|--------|-----------|------------------------|
| 1        | --     | 271967.00 | मे0 दुलारी ब्रिक फील्ड |
| 2        | --     | 52400.00  | मे0 दुलारी ब्रिक फील्ड |
| 3        | --     | 207190.00 | मे0 गुरु इंटरप्राइसेस  |
| 4        | --     | 74550.00  | कु0 शैलपाल             |
| 5        | --     | 212086.00 | कु0 शैलपाल             |

|       |           |
|-------|-----------|
| योग - | 818193.00 |
|-------|-----------|

आपति (ए ) उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा । जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया ।

आपति (बी) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में टेण्डर a प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है। आपति

(सी ) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(डी ) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु० 286636.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(ई) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(एफ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

( जी ) उक्त कार्य खंडजा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/ 2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति ।

(एच) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमे मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(1) उक्त खंडजा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं किया गया। जबकि शासनादेश -1719/33-32010-48,2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त प्रस्तुत आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये ।

(i) उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय -1 खंड 8 के अनुसार जब कभी किसी अनुमान की लागत 10% से अधिक बढ़ने या घटने की संभावना हो तो एक पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जाएगा और उसे उसी रूप से अनुमोदित कराया जाएगा। पुनरीक्षित अनुमान केवल उसी वर्ष के लिए कार्य में लाया जाएगा जिस वर्ष के लिए वह तैयार किया गया है।

(के) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है । कार्य के दुहराव की संभावना है।

(1) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा.आ.सं 18 )

## प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत बेलाभेला मे जम्मू मौर्या के घर से गोबर्धन के घर तक खड़जा निर्माण

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम             |
|----------|----------|-----------|-------------------------|
| 1        | 20/06/19 | 20663.00  | शिवम इंटरप्राइसेस       |
| 2        | 20/06/19 | 70966.00  | मंगलम ब्रिक फील्ड       |
| 3        | 20/08/19 | 15420.00  | मंगलम ब्रिक फील्ड       |
| 4        | 16/08/19 | 20972.00  | सत्येन्द्र कुमार मिश्रा |
| 5        | 16/08/19 | 24780.00  | सत्येन्द्र कुमार मिश्रा |
| 6        | 08/11/19 | 9002.00   | सत्येन्द्र कुमार मिश्रा |
|          | योग -    | 161803.00 |                         |

आपति (ए ) 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (21) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए।

उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया । उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (बी) 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए। उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

आपति (सी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(डी) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु54754.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(ई) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते ह 'फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(जी) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(एच) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/ 2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति ।

(i)30 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19(ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(i) उक्त खंडजा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश - 1719/33-32010-48,2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(के) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(l) ग्राम पंचायत में इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 10)

## प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत सरायदामू में दशरथ के घर से भांव तक खंडजा मरम्मत

अनुमानित लागत-9.96 लाख

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम           |
|----------|----------|-----------|-----------------------|
| 1        | 12/04/19 | 246720.00 | मे0 श्याम ब्रिक फील्ड |
| 2        | 07/06/19 | 345408.00 | मे0 श्याम ब्रिक फील्ड |
| 3        | 27/04/19 | 207375.00 | मोहम्मद साद           |
| 4        | 07/06/19 | 156436.00 | मोहम्मद साद           |
|          | योग -    | 955939.00 |                       |

आपति (ए) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (बी) उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

आपति (सी ) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33- 2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03- 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(डी) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु 363811.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी और मजदूरों को नकद दिया गया है । यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(ई) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(एफ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(जी) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति।

(एच) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 ( ग ) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी (ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(i) उक्त खड़जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश -1719/33-32010-48,2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(i) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है।

(के) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ.सं 20)

### प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत बेलाभेला में गणेश सिंह के घर से अवसान के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम             |
|----------|----------|-----------|-------------------------|
| 1        | 20/06/19 | 80091.00  | मंगलम ब्रिक फील्ड       |
| 2        | 16/08/19 | 67088.00  | सत्येन्द्र कुमार मिश्रा |
|          | योग -    | 147179.00 |                         |

आपति (ए) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए।

उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (बी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए। उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

आपति (सी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(डी) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु 67080.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(ई) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(एफ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(जी) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/ 2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति।

(एच) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 ( ग ) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व (क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिसचिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी (ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(i) उक्त खड़जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश -1719/33-32010-48, 2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(j) - उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(के) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 21 )

## प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत रुस्तमपुर मे नहर पल से पिलनीहार तक खड़जा मरम्मत कार्य :-

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम      |
|----------|----------|-----------|------------------|
| 1        | 17/05/19 | 237320.00 | पूजा ब्रिक फील्ड |
| 2        | 17/05/19 | 52500.00  | शिव बरन यादव     |
| 3        | 20/05/19 | 90888.00  | शिव बरन यादव     |
|          | योग -    | 380708.00 |                  |

आपत्ति (ए) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय 1 खंड 8 के अनुसार जब कभी किसी अनुमान की लागत 10% से अधिक बढ़ने या घटने की संभावना हो तो एक पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जाएगा और उसे उसी रूप से अनुमोदित कराया जाएगा। पुनरीक्षित अनुमान केवल उसी वर्ष के लिए कार्य में लाया जाएगा जिस वर्ष के लिए वह तैयार किया गया है।

लेकिन उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु 0514960.00 थी जबकि वास्तविक व्यय रु 380708.00 है। यह अंतर 10% से अधिक है। इस प्रकार नियमावली के नियमों का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। उक्त कार्य के अनुमानित लागत 514960.00 है जबकि वास्तविक व्यय 380708.00 है। इतना अधिक अंतर नियम विरुद्ध है। इसका आशय यह या तो कार्य पूरा नहीं कराया गया है या गुणवत्ता के साथ नहीं कराया गया है

आपत्ति (बी) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए।

उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस



लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (सी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है।

आपति (डी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(ई) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु० 143388.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(एफ) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(जी) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(एच) उक्त कार्य खंडजा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फि हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टता ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति।

(i) 30 प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(j) उक्त खंडजा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश - 1719/33-32010-48,2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका/रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(के) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(I) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 22 )

## प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत शराय मोह शरीफ मे इलाहाबाद रोड से विजय बहादुर के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम           |
|----------|----------|-----------|-----------------------|
| 1        | 16/08/19 | 141042.00 | मे० मंगलम ब्रिक फील्ड |
| 2        | 16/08/19 | 122276.00 | कु० अंजली पॉडैय       |

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| योग - | 263318.00 |  |
|-------|-----------|--|

आपति (ए )

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय -1 खंड 8 के अनुसार जब कभी किसी अनुमान की लागत 10% से अधिक बढ़ने या घटने की संभावना हो तो एक पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जाएगा और उसे उसी रूप से अनुमोदित कराया जाएगा। पुनरीक्षित अनुमान केवल उसी वर्ष के लिए कार्य में लाया जाएगा जिस वर्ष के लिए वह तैयार किया गया है।

लेकिन उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु० 462959.00 थी जबकि वास्तविक व्यय रु० 263318.00 है। यह अंतर 10% से अधिक है। इस प्रकार नियमावली के नियमों का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। अनुमानित लागत रु. 452959.00 जबकि वास्तविक व्यय रु. 263318.00 है । इतना अधिक अंतर नियम विरुद्ध है । इसका आशय यह है या तो कार्य पूरा नहीं कराया गया है या गुणवत्ता के साथ नहीं कराया गया है

आपति (बी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार • टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा । जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई।

आपति (सी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है । कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (डी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

आपति (ई) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु० 122276.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(एफ) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(जी) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(एच) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति । किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति ।

(i) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(j) उक्त खड़जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश - 1719/33-32010-48,2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(के) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(I) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 23 )

## प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

ग्राम पंचायत दोहरी रायपुर बघेल में राजकिशोर के दरवाजे से नदी तक खंडजा मरम्मत

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम                |
|----------|----------|-----------|----------------------------|
| 1        | 07/06/19 | 153635.00 | दुलारी ब्रिक फील्ड बंदरामउ |
| 2        | 07/06/19 | 55062.00  | शिवकान्त                   |
|          | योग -    | 208697.00 |                            |

उपरोक्त व्यय से संबंधित आपत्तिया निम्न लिखित है

आपत्ति (ए) उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया अनुसार 'टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय, जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह के नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए।

उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई।

आपत्ति (बी). उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपत्ति (सी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई हैं।

(डी) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा रु 55062.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(ई) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(एफ) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(जी) उक्त कार्य खंडजा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/ 2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति (एच) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19( ग ) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(i) उक्त खंडजा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश - 1719/33-32010-48, 2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(ii) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

( k ) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 24 )

## प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

विकास खंड परिसर राही मे कार्यालय भवन के समीप शौचालय का निर्माण

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम        |
|----------|----------|-----------|--------------------|
| 1        | 03/03/19 | 78899.00  | प्रजा इंटरप्राइसेस |
| 2        | 14/03/19 | 31357.00  | प्रजा इंटरप्राइसेस |
| 3        | 03/07/19 | 91409.00  | सुरेश कुमार सिंह   |
| 4        | 03/07/19 | 21175.00  | सुरेश कुमार सिंह   |
|          | योग -    | 222840.00 |                    |

उपरोक्त व्यय से संबंधित आपतिया निम्न लिखित है

आपति (ए )-सुरेश सिंह (ado आईएसबी ) को चेक संख्या 24500 से रु 91409.00 का भुगतान किया गया। इनके द्वारा सामग्री की खरीद करके प्रजा इंटरप्राइसेस का बिल लगाया गया है। सामग्री का भुगतान फर्म को किया जा सकता है व्यक्ति विशेष को नहीं। कूटचित तरीके से बिल प्रस्तुत कर रु 91409.00 का अपहरण किया गया है। इनके इस कार्य से संस्था के धन का दुरुपयोग निजी हित किया गया है। रु 91409.00 की ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में खंड विकास अधिकारी श्री जेनिथ कान्त 'से एवमश्रीमती लक्ष्मी क्षेत्र पंचायत प्रमुख - एवं. सुरेश कुमार सहायक विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपति (बी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली ( 21 ) टेंडरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया के अनुसार टेन्डर देने वालों को युक्तियुक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से 3 सप्ताह से कम ना होगा, दिया जाएगा। जिस से की वह नियत दिनांक के भीतर अपना टेन्डर प्रस्तुत कर सकें। टेन्डर के महत्व के अनुसार व्यापक रूप से प्रचार करना एवम उचित समय दिया जाना चाहिए।

उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई। अल्पकालीन निविदा की जरूरत बताकर ज्यादा से ज्यादा निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने से बाधित किया गया। ज्यादा टेन्डर आमंत्रित होने से काम कीमत में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस लाभ से संस्था को वंचित किया गया और नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई।

आपति (सी) उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (19) के अनुसार किसी निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो ऐसे एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में देकर प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसे यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी उचित समझे, और उसकी प्रतिलिपियाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय, जिला न्यायाधीश के कार्यालय या प्रत्येक अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ के न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन और सड़क), सिंचाई विभाग और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालयों में सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

उक्त कार्य के संबंध में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करके एक से अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं कराया गया है। टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया

आपति (डी) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01-09-2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं० 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किए गए कार्य का मरम्मत एवं नए कार्य कराए जाएंगे। लेकिन उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है। इस प्रकार इस कार्य में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(ई) क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जॉब कार्ड धारकों से लिया जाएगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खातों में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा ₹ 21175.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है और मजदूरों को नकद दिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ाता है।

(एफ) कार्य की तीनों स्तर की फोटो नहीं लगी है। राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार तीनों स्तर की फोटो कार्य में योजना के मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

(जी) टेन्डर की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि से संबंधित विवरण पत्रावली की जांच में प्रस्तुत न कर तथ्य एवं सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया गया है।

(एच) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति।

(i) 30 प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(ii) उक्त खड़जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश -1719/33-32010-48, 2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका / रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(j) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(के) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है। (सा.आ.सं 25 )

## प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

कार्यालय भवन विकास खंड राही की मरम्मत कार्य

| क्रम सं. | दिनांक   | धनराशि    | फर्म का नाम       |
|----------|----------|-----------|-------------------|
| 1        | 02/04/19 | 144955.00 | गुरु इंटरप्राइसेस |
| 2        | 17/05/19 | 20000.00  | गुरु इंटरप्राइसेस |
| 3        | 05/05/19 | 337612.00 | गुरु इंटरप्राइसेस |
|          | योग -    | 502567.00 |                   |

आपत्ति-उपरोक्त व्यय से संबंधित आपत्तियां निम्न लिखित हैं-

(जी) उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है जबकि शासनादेश संख्या -97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्ही परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसंपत्ति हो या फिर हस्तांतरित परिसंपत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसंपत्ति है या फिर हस्तांतरण द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति।

(एच) 30प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खंड 19 (ग) के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व

(क) निर्माण कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित होंगी

(ख) उस नोटिस की एक प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा

(ii) उक्त खड़जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तांतरित किया गया है इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश -1719/33-32010-48, 2007 दिनांक 01 सितंबर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा

पर मिलने वाली धनराशि के उपयोग से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उस से हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसंपत्ति पंजिका/रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरंतर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन से विचलन ना हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाये।

(j) उक्त कार्य को करने में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जेनिथकान्त एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी एवं तत्कालीन लेखाकार एवं कार्य प्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सा.आ.सं 26

(के) ग्राम पंचायत ने इस कार्य को कराया है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र नहीं संलग्न है। कार्य के दुहराव की संभावना है।

## प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत-राही विकास खण्ड-राही

| क्रम सं० | मद का नाम                           | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 1        | मनरेगा कंटीजेंसी                    | 4890770.00 |
| 2        | प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी       | 303986.00  |
| 3        | ब्याज                               | 801333.69  |
| 4        | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम | 2993138.18 |
| 5        | जमानत धरोहर निविदा धनराशि           | 230920.00  |
| 6        | आंगनवाडी केन्द्र निर्माण            | 1600000.00 |

क्षेत्र पंचायत कि वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा आवासकन्टीजेन्सीमें रु० 4890770.00 मनरेगाकंटीजेंसीमें रु० 303986.00 ब्याजमें धरोहर निविदा धनराशि 801333.69 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 2993138.18 रूपये जमानत रु० 230920.00 आंगनवाडीकेन्द्र निर्माणरु०. 1600000.00 में संबन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावलीआदिबार-बारमांगे जाने के बावजूदलेखा परीक्षा भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में उक्त कुल धनराशि 50 10820147.87 कोलेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं कियाजासका व संस्थाद्वाराकिए गए उक्त व्यय की पुष्टिनहीं की जासकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों शीर्षों का व्यय अनियमितरहा, जिसके लिए तत्कालीन खंडविकास अधिकारी जेनिथ कान्त एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी तथा लेखाकार तत्कालीन उत्तरदायी हैं।

सा.आ.सं 27

**प्रस्तर संख्या 20** इंदिरा आवास कॉन्टीजेन्सी रु0736.00 जो की राजकोष में वापस जमा करना था क्योंकि यह योजना अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस मद के धनराशि का हस्तांतरण प्रधानमंत्री आवास कॉन्टिन्जेंसी में करके नियमों का उल्लंघन करते हुए खर्च कर दिया गया। इंदिरा आवास कॉन्टिन्जेंसी के मद के खर्च की गाइडलाइन अलग है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के खर्च की गाइडलाइन अलग। इस प्रकार गंभीर लापरवाही करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है और धन का अपहरण कर लिया गया है। इस खर्च से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धार 64 का उल्लंघन किया गया है और इंदिरा आवास कॉन्टिन्जेंसी योजना के खर्च की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार, उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

## जनपद सीतापुर

### प्रारूप- 03

### क्षेत्र पंचायत परसेण्डी,

#### क्षेत्र पंचायत- परसेण्डी वर्ष 2014- 15 से 2016-17

**प्रस्तर संख्या-01-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2014-15 तेरहवां वित्त के कार्य की लेखा परीक्षा में कार्य पुस्तिका से ज्ञात हुआ उल्जापुर डीहपुरवा से भादीपुर नाले पर पुलिया की स्वीकृति टी०एस० संख्या 21 दिनांक 22.09.2014 को प्राप्त की गयी, जो कि कार्य पुष्टी का से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्गत की जा रही हैं। परन्तु लेखा परीक्षा पूर्ण फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राप्त तकनीकी स्वीकृत से ज्ञात हुआ कि कार्य की लागत रु० 5310000.00 स्वीकृत की गयी। कार्य पुस्तिका में धीरज ब्रिक फिल्ड को रु० 89532.00 का भुगतान दिनांक 17.10.2014 को दर्शित हैं। परन्तु ग्रांट रजिस्टर के पार्ट में यह भुगतान उक्त तिथि को न दिखाकर वित्तिय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को चेक संख्या 035692 को फरवरी-2015 में दर्शित हैं। जिससे कार्य के शुरू एवं पूर्ण होने पर संन्देह प्रतीत होता हैं। स्वीकृत धनराशि रु० 531000.00के पूर्ण व्यय पर प्रश्न चित हैं। जांच में इस कार्य से सबन्धित और विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः धनराशि 89532.00 की

ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल व लेखाकार श्री अब्दुल हक से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-02-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर के भाग से ज्ञात हुआ कि इन्दिरा आवास कैन्टीजेंसी के खातों से प्रत्येक माह दिनांक 13.04.2015 से प्रारम्भ कर दिनांक 11.03.2016 तक रु0 135300.00 की धनराशि जनरेट डीज एक जीप डीज के नाम पर व्यय की गयी। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में डीजल रजिस्टर एवं जीप की पास बुक प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में डीजल व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय धनराशि रु0 135300.00 को गबन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-03-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर के पार्टदृप् के विवरण ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान जीप किराये एवं पेंटिंग कार्य हेतु निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी।

| क्रमांक | कार्य का नाम  | धनराशि   | चेक संख्या व दिनांक | प्राप्तकर्ता/भुगतान कर्ता |
|---------|---------------|----------|---------------------|---------------------------|
| 01      | जीप किराया    | 24000.00 | 038940/26.11.20215  | श्रीमती सरबदद बानों       |
| 02      | जीप किराया    | 24000.00 | 040051/13.01.2016   | श्रीमती सरबदद बानों       |
| 03      | जीप किराया    | 24000.00 | 043466/11.03.2016   | श्रीमती सरबदद बानों       |
| 05      | पेंटिंग कार्य | 15134.00 | 043471/14.03.2016   | धनन्जय कुमार              |
|         | योग           | 89374.00 |                     |                           |

उपरोक्त व्यय धनराशि 89374.00 में जीप किराये हेतु व्यय धनराशि रु0 74240.00 जिसके सापेक्ष जीप के अनुबन्ध एवं जीप किस कार्य हेतु किराये पर ली गयी सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पेंटिंग कार्य से सम्बन्धित विवरण भी लेखा परीक्षा एवं अप्राप्त रहा। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा परीक्षा नियमावली-1965 के नियम 179(2)के ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्य एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-04-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2016-17 के ग्रांट के रजिस्टर के पार्ट दृप् के विवरण से ज्ञात हुआ कि दिनांक 12.05.2016 को चेक संख्या 043974 द्वारा रु0 55000.00 का भुगतान सुभाष मिल स्टोर सीतापुर को जनरेटर कर दिया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः धनराशि का गबन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव व सहायक लेखाकार अब्दुल हक समान रूप से की जानी अपेक्षित।

**प्रस्तर संख्या-05-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2014-15 में कार्य पुस्तिका से ज्ञात हुआ कि विकास खण्ड परसेण्डी में विभिन्न स्थानों पर पुलिया निर्माण हेतु दिनांक 22.09.2014 को तेरहवें वित्त से तकनीकी स्वीकृत संख्या -19 द्वारा रु0 1104000.00 स्वीकृत किये गये एवं जिसके सापेक्ष रु0 964547.00 व्यय किये गये, परन्तु लेखा परीक्षा में इस व्यय सम्बन्धित फाइल बिल बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम/1961 के नियम-66 के तहत क्षेत्र निधि से सम्बन्धित भुगतान के दावे बिल रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे जोकि नहीं किया गया। उ0प्र0 जिला पंचायत (बजट सामान्य लेखा ) नियमावली-1965 के नियम-179 (2) नियम 174 के तहत व्यय धनराशि को गबन मानते हुये रु0 964574.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक तथा कार्य प्रभारी व अवर अभियन्ता से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-06-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2014-15 के कार्य पुस्तिका से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर चबूतरो के निर्माण हेतु चतुर्थ राज्य वित्त से तकनीकी स्वीकृत संख्या 17/15/09/04 एवं 18/15/09/04 द्वारा एक ही दिवसों में दो तकनीकी की स्वीकृत संख्यात 17 एवं 18 द्वारा धनराशि क्रमशः रु0 819000.00 तथा रु0 523600.00 स्वीकृत किये गये एवं जिसके सापेक्ष धनराशि रु0 771361.00 तथा रु0 133211.00 व्यय किये गये। परन्तु लेखा परीक्षा में इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर्स फाइल इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत (बजट सामान्य लेखा ) नियमावली-1965 के नियम-179(2) नियम 174 के तहत व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि रु0 1103473.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक तथा कार्य प्रभारी व अवर अभियन्ता से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-07-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2014-15 के कार्य पुस्तिका से ज्ञात हुआ दिनांक 07.09.2015 को तकनीकी स्वीकृत संख्या 06 द्वारा हरिहरपुर सोनारी में सामुदायिक भवन हेतु रु0 991000.00 राज्य वित्त से स्वीकृत किये गये। जिसके सापेक्ष रु 937440.00 व्यय किये गये जिसके कार्य प्रभारी श्री राम लखन मिश्रा सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी थे। परन्तु लेखा परीक्षा में इस कार्य से सम्बन्धित कोई फाइल, बाउचर्स इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत (बजट सामान्य लेखा ) नियमावली-1965 के नियम-179(2) नियम 174 के तहत व्यय धनराशि 937440.00 को गबन मानते हुये, उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक तथा कार्य प्रभारी व अवर अभियन्ता से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

अधिकारी श्री आलोक आर्य, कार्य प्रभारी श्री रामलखन मिश्रा सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-08-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2015-16 के कार्य पुस्तिका से ज्ञात हुआ कि तकनीकी स्वीकृत संख्या 22 दिनांक 22.10.2014 द्ववारा मद से ₹0 395400.00 नौवा महमूदपुर में रंग मोहन के मकान से रणवीर सिंह के मकान एवं शकर के मकान होते प्रा0 स्कूल तक सी0सी0 रोड हेतु स्वीकृत किये गये, स्वीकृत वर्ष 2014-15 में की गयी एवं व्यय वर्ष 2015-16 में दर्शित हैं। चूकि व्यय धनराशि ₹0 363025.00 किन तिथियों में व्यय किये गये सें सबन्धित विवरण अप्राप्त रहा तथा इस कार्य सें सबन्धित फाइल प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम-179(2) व नियम 174 के तहत धनराशि का गबन मानतें हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्य, एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-09-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2016-17 के कार्य पुस्तिका के विवरण से ज्ञात हुआ कि तकनीकी स्वीकृत संख्या 04 दिनांक 21.07.2016 द्ववारा ₹0 948000.00 चतुर्थ राज्य वित से रसूलपुर कोटा से उदयभान पुर से मोती लाल के मकान तक खडंजा मरम्मत, हेतु स्वीकृत किये गये। जिसके सापेक्ष कार्य पुस्तिका में ₹0 878883.00 व्यय दर्शित है। परन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई फाइल, प्रमाणक एवं अन्य प्रापत्र एक भी इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम-179(2) व नियम 174 के तहत व्यय धनराशि का गबन मानतें हुये ₹0 878883.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्य, एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-10-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2016-17 के कार्य पुस्तिका के विवरण से ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.10.2016 को तकनीकी संख्या 06 चतुर्थ राज्य वित से ₹0 1251000.00 ग्राम गौरिया झाल से कार्य स्थान सरैया सेमरी मार्ग तक खडंजा मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष ₹0 1091898.00 किया जाना दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में इस कार्य से सबन्धित कोई फाइल, प्रमाणक अन्य प्रापत्र एक भी इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः व्यय धनराशि को गबन मानतें हुये इसकी ब्याज सहित वसूली अतः उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम-179(2) व नियम 174 के तहत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव एवं सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या-11-** क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2016-17 के कार्य पुस्तिका के विवरण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित से तकनीकी संख्या 05 दिनांक 28.12.2016 द्ववारा ₹0 1767000.00 पकरिया धमूपुर के उत्तर नाले पर पुलिया हेतु स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष ₹0 1686509.00 दर्शित है। इस व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में इससे सबन्धित फाइल प्रमाणक तथा अन्य प्रापत्र प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती हैं। अतः उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम-179(2) व नियम 174 के तहत व्यय धनराशि ₹0 1686509.00 को गबन मानतें हुये ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव तथा सहायक लेखाकार श्री अब्दुल हक कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

### प्रारूप 03

**संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत  
जनपद-गाजियाबाद**

**वर्ष 2019-20  
मण्डल का नाम-मेरठ।**

### क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

**प्रस्तर 01-** क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में ₹0 85514.00 बिक्री कर, मद में देय थे परन्तु उक्त धनराशि जमा नहीं की गयी। जो कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर जमा किया जाना अपेक्षित था। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी व लेखाकार श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 02-** क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में शासन से प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग नहीं किया गया है तथा अवशेष धनराशि ₹0 12381491.50 को शासन को वापस न किया जाना अनियमितता है। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 में भी प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग नहीं किया गया और अवशेष धनराशि ₹0 22657818.50 को शासन को वापस नहीं किया जाना गम्भीर अनियमितता है तथा उक्त के लिये बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी व लेखाकार श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है



**प्रस्तर 03-** क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2018-19, 2019-20 में अनेक कार्य दस लाख से अधिक धनराशि में कराये गये तथा उक्त कार्यों पर कुल ₹ 25269392.00 देय हुये। परन्तु उक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति की पुष्टि में सक्षम अधिकारी के अभिलेख अप्राप्त रहे। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण पत्रावली 1965 क नियम संख्या 16 के अनुसार 10 लाख से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति सरकार से ली जानी आवश्यक है। जो कि गम्भीर अनियमितता है तथा उक्त के हेतु बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी व लेखाकार श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 04-** क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कराये गये कतिपय निर्माण कार्यों पर कुल ₹ 135204.00 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी जो कि अनियमित रहा। बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी व लेखाकार प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है सम्बन्धित उत्तरदायी से जी0 एस0 टी0 की वसूली की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 05-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर की गयी राजस्व कटौतियां ₹ 500017.00 को जमा करने सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त रहे। जो कि अनियमितता है और इसके लिये बी0डी0ओ0 श्री हुसैन आरजू व श्री आत्मप्रकाश रस्तोगी तथा लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 06-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19 में प्रदर्शनी मद में प्राप्त धनराशि ₹ 83295.00 को व्यय करने सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त रहे। जो कि प्रत्यक्षतः अपहरण है। इसके लिये बी0डी0ओ0 श्री हुसैन आरजू व श्री आत्मप्रकाश रस्तोगी तथा लेखाकार ललित कुमार पूर्णतः उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 07-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19 में शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया। जिसके कारण वर्ष 2017-18 व 2018-19 में क्रमशः ₹ 17194762 व ₹ 31195967 अवशेष रहे। उक्त हेतु बी0डी0ओ0 श्री हुसैन आरजू व श्री आत्मप्रकाश रस्तोगी तथा लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 08-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19 में 14वे वित्त आयोग की कन्टीजेन्सी मद से ₹ 37818 व्यय किये गये। परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख/बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में उक्त धनराशि अपहरण प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त कन्टीजेन्सी मद में ₹ 3199092.00 अवशेष रहे। इस अवशेष धनराशि को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त हेतु बी0डी0ओ0 श्री हुसैन आरजू व आत्मप्रकाश रस्तोगी तथा लेखाकार ललित कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 09-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 में कतिपय निर्माण कार्यों पर ₹ 36877.90 की जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी। जो कि अनियमितता है। उक्त हेतु बी0डी0ओ0 श्री आत्मप्रकाश रस्तोगी व लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। पेनाल्टी सहित जी एस टी वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 10-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया तथा अवशेष धनराशि ₹ 430.60 लाख को वापस नहीं किया गया जो कि शासनादेश का उलंघन व अनियमितता है व इसके लिये बी0डी0ओ0 श्री फैसल अहमद व लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 11-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों में से कतिपय कार्य ₹ 10 लाख से अधिक धनराशि के है तथा कुल ₹ 42.48 लाख के कार्य 10 लाख से अधिक धनराशि के कराये गये जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण पत्रावली 1965 क नियम संख्या 16 के अनुसार 10 लाख से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति सरकार से ली जानी आवश्यक है परन्तु नियमानुसार इन कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति शासन से नहीं ली गयी जो कि गम्भीर अनियमितता है तथा इसके लिये बी0डी0ओ0 श्री फैसल अहमद व लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर 12-** क्षेत्र पंचायत भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों में से तीन कार्यों पर टी0डी0एस0, बैट, सेस की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार कुल ₹ 62677.00 की राजस्व कटौती नहीं की गयी। जो कि अनियमित रहा तथा इस हेतु बी0डी0ओ0 श्री फैसल अहमद व लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी है। ₹ 62677.00 की राजस्व वसूली पेनाल्टी सहित करके जमा किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 13-** क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आहरित की गयी धनराशि ₹ 20657070.80 के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्यवाही पंजिका आदि सभी आवश्यक अभिलेख पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं हुये जो कि गंभीर अनियमितता है। अतः इसके लिये लेखाकार श्री अरूण कुमार व बी0डी0ओ0 श्री अमित कुमार परिहार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 14-** क्षेत्र पंचायत मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2017-18 में ₹ 1317956.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार धनराशि आहरित की गई। जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। यह गम्भीर अनियमितता है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री आत्मप्रकाश रस्तोगी, लेखाकार श्री मदनपाल व अभियंता उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

**प्रस्तर 15-** क्षेत्र पंचायत मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2018-19 में ₹ 6298359.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किये गये। जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। यह गम्भीर अनियमितता प्रतीत होती है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री भालचन्द्र त्रिपाठी, लेखाकार श्री मदनपाल व अभियंता उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

**प्रस्तर 16-** क्षेत्र पंचायत मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2019-20 में ₹ 34883419.00 धनराशि ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार आहरित की गई। उक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण पत्रावलियां, निर्माण कार्य पंजिका, निर्माण कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही पंजिका, बैंक इश्यू रजिस्टर आदि लेखा

परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह गम्भीर अनियमितता है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजितेश कुमार लेखाकार श्री मदनपाल व अभियंता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### प्रारूप-3

#### जनपद का नाम-मेरठ

#### मण्डल का नाम-मेरठ।

#### क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ-

**प्रस्तर-01:-** क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2018-19 में विभिन्न मदों में विगत वर्षों में धनराशि रु0 104658.50 देय दर्शित, जिनका समय से निस्तारण नहीं किया गया, जिस हेतु श्री प्रमोद सिरोही, खण्ड विकास अधिकारी एवं अमरनाथ त्यागी, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।  
(आपति सं0-12)

**प्रस्तर-02:-** क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2018-19 में ग्रांट रजिस्टर में दर्शित अनुदान राशी एवं बैंक खातों में जमा अवशेष में रु0 46302.00 का अन्तर पाया गया, जिसका कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया, जिस हेतु श्री प्रमोद सिरोही, खण्ड विकास अधिकारी एवं अमरनाथ त्यागी, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।  
(आपति सं0-13)

**प्रस्तर-03:-** क्षेत्र पंचायत रजपुरा वर्ष 2018-19 में शासन से प्राप्त अनुदान राशी पर ब्याज रु0 52343.43 अर्जित किया जिसे नियमानुसार राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया है, जिस हेतु प्रमोद सिरोही, खण्ड विकास अधिकारी एवं अमरनाथ त्यागी, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।  
(आपति सं0-15)

**प्रस्तर-04:-** क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2016-17 से 2017-18 में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी में कुल रु0 48092402.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। लेकिन शासनादेश का मनमाने ढंग से उल्लंघन कर इस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस अवधारण योग्य धनराशि रु0 480924.00 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है, इस धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री रवि प्रकाश, लेखाकार श्री राधेश्याम तथा जे0ई0 श्री फतेहचन्द से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आपति सं0-09)

**प्रस्तर-05:-** क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2016-17 से 2017-18 ब्याज की धनराशि शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33) /2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ब्याज की धनराशि रोक कर रखी गयी है। आलोच्य वर्ष में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रु0 36937.93 को मनमाने तरीके से रोककर रखी गयी है, जबकि उक्त को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री रवि प्रकाश तथा लेखाकार श्री राधेश्याम उत्तरदायी हैं।  
(आपति सं0-10)

10)

**प्रस्तर-06:-** क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ में लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न मदों में व्यय किया गया है:-

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| बारहवां वित्त    | - | 176897.00         |
| तेरहवां वित्त    | - | 134508.00         |
| राज्य वित्त      | - | 2574860.00        |
| मनरेगा कंटीजेंसी | - | 60354.00          |
| <b>योग</b>       |   | <b>4206619.00</b> |

अंकन रु0 4206619.00 के बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अखिल कुमार भटनागर (बी0डी0ओ0) श्री जयकृत सिंह (बी0डी0ओ0) एवं श्री अनिल किशोर शर्मा (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।  
(आपति सं0-10)

**प्रस्तर-07:-** क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ में लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न मदों में व्यय किया गया है:-

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| बारहवां वित्त | - | 106618.00   |
| तेरहवां वित्त | - | 62265666.00 |
| राज्य वित्त   | - | 1296781.00  |

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| मनरेगा कंटीजेंसी | - | 1298186.00        |
| <b>योग</b>       |   | <b>8928151.00</b> |

अंकन रु0 8928151.00 के बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री जयकृत सिंह (बी0डी0ओ0) एवं श्री अनिल किशोर शर्मा (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-11)

**प्रस्तर-08:-** क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न मदों में व्यय किया गया है:-

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| बारहवां वित्त    | - | 00.00             |
| तेरहवां वित्त    | - | 6034694.00        |
| राज्य वित्त      | - | 2993034.00        |
| मनरेगा कंटीजेंसी | - | 298382.81         |
| <b>योग</b>       |   | <b>9326110.00</b> |

अंकन रु0 9326110.00 के बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अखिल कुमार भटनागर (बी0डी0ओ0) श्री जयकृत सिंह (बी0डी0ओ0), श्री विजयशंकर शुक्ला (बी0डी0ओ0) एवं श्री मुकेश त्यागी (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-12)

**प्रस्तर-09:-** क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ में लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न मदों में व्यय किया गया है:-

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| तेरहवां वित्त    | - | 433076.00         |
| राज्य वित्त      | - | 5681245.00        |
| मनरेगा कंटीजेंसी | - | 143258.00         |
| <b>योग</b>       |   | <b>6257579.00</b> |

अंकन रु0 6257579.00 के बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विजयशंकर शुक्ला (बी0डी0ओ0) श्री अमित कुमार (बी0डी0ओ0) श्री विनोद कुमार राठी (बी0डी0ओ0) श्री अनिल किशोर शर्मा (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-10)

**प्रस्तर-10:-** क्षेत्र पंचायत परीक्षितगढ में लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न मदों में व्यय किया गया है:-

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| राज्य वित्त      | - | 4120955.00        |
| मनरेगा कंटीजेंसी | - | 246486.00         |
| <b>योग</b>       |   | <b>4367441.00</b> |

अंकन रु0 4367441.00 के बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विजयशंकर शुक्ला (बी0डी0ओ0) श्री अमित कुमार (बी0डी0ओ0) श्री विनोद कुमार राठी (बी0डी0ओ0) श्री अनिल किशोर शर्मा (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-11)

**प्रस्तर-11:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2011-12 से 2013-14 में दिनांक 31.07.2012 को चैक सं0 858710 द्वारा बी0डी0ओ0 की बैठक में सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु रु0 10000.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उपलब्ध प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये और न ही कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध कराया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमार, बी0डी0ओ0 तथा श्री सतीश कुमार गोयल आंकिक से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-05)

**प्रस्तर-12:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी में कुल रु0 15266300.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। लेकिन शासनादेश का मनमाने ढंग से उल्लंघन कर इस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस अवधारण योग्य धनराशि रु0 152663.00 की कटौती नहीं की गयी। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री ज्ञान सिंह तथा लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है तथा श्रम विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-13)

**प्रस्तर-13:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2014-15 से 2017-18 में दिनांक 19.09.2014 को चैक सं0 167779 द्वारा बी0डी0ओ0 की बैठक में सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु रु0 19500.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उपलब्ध प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये और न ही कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध कराया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 19500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ए0के0 भटनागर, बी0डी0ओ0 तथा श्री सतीश कुमार गोयल आंकिक से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

**प्रस्तर-14:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2014-15 से 2017-18 में दिनांक 14.07.2014 को चैक सं0 167756 के द्वारा एशियन एजेंसीज को भुगतान रु0 56000.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष मांग पत्र, अनुमति एवं भुगतान आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं है। उक्त व्यय संदिग्ध, अपुष्ट एवं अनियमित है, जिसके लिए श्री ए0के0 भटनागर, बी0डी0ओ0 तथा श्री सतीश कुमार गोयल आंकिक उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है  
(आपति सं0-03)

**प्रस्तर-15:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2014-15 से 2017-18 में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी में कुल रु0 20177721.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। लेकिन शासनादेश का मनमाने ढंग से उल्लंघन कर इस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस अवधारण योग्य धनराशि रु0 201777.00 की कटौती के विरुद्ध रु0 93908.00 की ही कटौती की गयी है। अर्थात् रु0 107869.00 की कटौती कम की गयी है। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अमित कुमार तथा लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है तथा श्रम विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(आपति सं0-11)

**प्रस्तर-16:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2014-15 से 2017-18 में क्षेत्र पंचायत स्तर से किराये के वाहन के विविध भुगतान किये गये हैं, जैसे-

| दिनांक     | चैक सं0 | धनराशि रु0       |
|------------|---------|------------------|
| 23.11.2016 | 137141  | 15000.00         |
| 16.12.2016 | 137142  | 10000.00         |
| 25.02.2017 | 137145  | 25000.00         |
| 23.10.2017 | 137148  | 25000.00         |
| 07.12.2017 | 137149  | 25000.00         |
| <b>योग</b> |         | <b>100000.00</b> |

क्षेत्र पंचायत निधि से वाहनों का भुगतान किस शासनादेश के अंतर्गत किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही गाडी की लाॅग बुक, पत्रावली एवं विभागीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार फर्जी एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रु0 100000.00 का गबन किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अमित कुमार तथा लेखाकार श्री सतीश कुमार गोयल से की जानी अपेक्षित है।  
(आपति सं0-13)

**प्रस्तर-17:-** क्षेत्र पंचायत रोहता वर्ष 2017-18 आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 04 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटा जायेगा। कटौती पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। क्षेत्र पंचायत रोहता में हुए समस्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में ही 01 प्रतिशत सेस जोड़कर बनाया गया है। इस प्रकार सरकारी/क्षेत्र निधि के धन को ही 01 प्रतिशत सेस को ठेकेदार के बिल से काटा गया। इससे क्षेत्र निधि के धन को हानि हुई तथा राजकीय धन का अनियमित उपयोग किया गया। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कुल 2903203.00 का निर्माण कार्य कराया गया, जिस पर 01 प्रतिशत की दर से रु0 29032.03 सेस बनता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-08)

**प्रस्तर-18:-** क्षेत्र पंचायत रोहता वर्ष 2017-18 आलोच्य वर्ष में 30प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39 वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भरायी आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापन खन्ना एम एम 11 एवं रायल्टी (19 जनवरी 2016 से 14 रुपये से बढ़ाकर 30 रु0 प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रकार कुल रु0 3962.11 घन मीटर पर रु0 30 प्रति घन मीटर की दर से कुल रु0 118863.30 राॅयल्टी कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी, जिससे राजस्व की क्षति हुई है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-10क)

**प्रस्तर-19:-** क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पायी गयी:-  
वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

**क्र0 सं0 कार्य का नाम व पता**

**धनराशि**

|            |                                                                                             |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | ग्राम शहजादपुर में उदयवीर से आजादनीर सड़क खण्डजा कार्य।                                     | 213842.00         |
| 2          | भगवानपुर बांगर में प्रेमचन्द के मकान से सुखवीर के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                     | 100635.00         |
| 3          | रार्धना में भूरे के मकान से सड़क तक सी0सी0 टाईल्स                                           | 299260.00         |
| 4          | मुबाजिकपुर में सरकारी ट्यूबवैल तक मिटटी खण्डजा कार्य                                        | 406988.00         |
| 5          | सादुल्लापुर में हरीशचन्द के मकान से मास्टर करनाम एवं अमर सिंह के मकान तक मिटटी खण्डजा कार्य | 358116.00         |
| 6          | भडौली में बाईपास खण्डजे की मरम्मत एवं पुनः निर्माण                                          | 247057.00         |
| 7          | शहजादपुर में मास्टर सतपाल एवं कुआँ चैक तक सी0सी0 टाईल्स                                     | 361722.00         |
| <b>योग</b> |                                                                                             | <b>1987620.00</b> |

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                                                       |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | नंगला साहू में साहब मकान, हनीफ तक खण्डजा एवं नाली                                     | 220887.00         |
| 2          | कैलीरामपुर में रितु के मकान से सेवाराम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                       | 482884.00         |
| 3          | इन्द्रपुरा में रेग सिंह के मकान से मदन सिंह के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                  | 577432.00         |
| 4          | अल्लीपुर में सतेन्द्र गिरी से तेजकुमार से सेवाराम तक सी0सी0 टाईल्स                    | 305633.00         |
| 5          | कायस्थ बडडा में साबू अजीज से मौमीन टेलर के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                      | 319490.00         |
| 6          | अल्लीपुर में सतेन्द्र गिरी से रज्जो गिरी तेजकुमार से सेवाराम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स | 364542.00         |
| 7          | ग्राम बहरोडा में जाहिद मीर से तरीकत तक सी0सी0 टाईल्स                                  | 423657.00         |
| 8          | कैलीरामपुर से लख्मी के मकान से विरेन्द्र के कोने तक सी0सी0 टाईल्स                     | 174015.00         |
| 9          | रार्धना में मुख्य मार्ग से हाजीमुजार तक एवं मुस्तर के मकान तक सी0सी0 टाईल्स           | 361645.00         |
| 10         | नंगला साहू में यासीन के मकान से फारूक के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                        | 318310.00         |
| <b>योग</b> |                                                                                       | <b>3548495.00</b> |

वर्ष 2013-14 में 13वे वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                                                               |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | शाहजहांपुर में डा0 अन्सार खान से तारीक अहमद तक सी0सी0 टाईल्स                                  | 434591.00         |
| 2          | कायस्थ बडडा में सरजीत गुलजार से युसूफ इरफान तक सी0सी0 टाईल्स                                  | 123483.00         |
| 3          | नबीपुर में राजपाल के कोने से अनिल के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                                    | 532217.00         |
| 4          | शहजादपुर में ओमपाल के मकान से आश्रम की ओर तक सी0सी0 टाईल्स                                    | 800982.00         |
| 5          | नबीपुर में अनिल के मकान से सतीश प्रधान की ओर तक सी0सी0 टाईल्स                                 | 74078.00          |
| 6          | बहरोडा में मांगेराम प्रधान से राजकुमार के मकान से भूलेराम तक सी0सी0 टाईल्स एवं मिटटी का कार्य | 448978.00         |
| 7          | मुबारिकपुर में जेई रोड व धनकेरा से दर्शन तक सी0सी0 टाईल्स                                     | 550977.00         |
| 8          | बहलोलपुर में जसविन्दर के मकान से धीरसिंह के मकान तक सी0सी0 टाईल्स                             | 528786.00         |
| 9          | लालपुर में राजेन्द्र से दिनेश तक सी0सी0 टाईल्स                                                | 692811.00         |
| 10         | शहजादपुर में अजयपाल के मकान से वीरपाल के कोने तक सी0सी0 टाईल्स                                | 821398.00         |
| 11         | शहजादपुर में वीरपाल से यू टाईप नाली निर्माण                                                   | 350604.00         |
| <b>योग</b> |                                                                                               | <b>5358905.00</b> |

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां पायी गई-

- 1- यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
- 2- उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
- 3- उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
- 4- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षोत्तरे में कराये गये समस्त कार्य चुनिन्दा ठेकेदारों से ही दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।
- 5- कार्यों की निविदा (टेंडर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।
- 6- गांव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है।

7- वर्ष 2012-13 में क्रमांक 04 एवं 06 पर एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर भुगतान किया गया है। अल्लीपुर में सतेन्द्र गिरी से तेजकुमार से सेवाराम तक सी0सी0 टाईल्स पर एक बार 305633.00 तथा पुनः इसी कार्य पर 364542.00 का व्यय दर्शाया गया है, जो गंभीर आपत्तिजनक है। इसके प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2011-12, में अंकन रु0 1987620.00, वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 3548495.00 तथा वर्ष 2013-14 में अंकन रु0 5358905.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामकिशोर राना, जयपाल सिंह, मुरारीलाल, ज्ञान सिंह, मुनीश्वर सिंह, सत्यप्रकाश आर्य एवं अतुल मिश्र एवं लेखाकार-श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं अमरनाथ तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल

आपत्ति सं0-30)

**प्रस्तर-20:-** वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड कार्यालय परिसर में शौचालय निर्माण एवं पुताई पर रु0 121750.00 का व्यय, वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कार्यालय परिसर में सी0सी0 रोड पर रु0 499358.00 का व्यय तथा वर्ष 2013-14 में 302711.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसकी कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त अनुदान इस कार्य हेतु आवंटित नहीं किया गया था। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं श्री अमरनाथ ने अपने पद का अपने स्वार्थवश अधिकतम दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देशों एवं गाईडलाइन्स का अतिक्रमण करते हुए उक्त धनराशि का गबन किया है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी सुलभ नहीं कराये गये। उक्त से सम्बन्धित पत्रावली भी अप्राप्त रही। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर एवं गलत मद में व्यय दर्शाकर कुल रु0 923819.00 का गबन किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जयपाल सिंह, मुरारीलाल, मुनीश्वर सिंह, सत्यप्रकाश आर्य, तत्कालीन सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं श्री अमरनाथ उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति

सं0-31)

**प्रस्तर-21:-** कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी माछरा द्वारा वर्ष 2011-12 में टेण्डर आमन्त्रित करके 09 कार्यों के लिए रु0 2649657.00.00 के ठेके दिये गये तथा वर्ष 2012-13 में टेण्डर आमन्त्रित करके 12 कार्यों के लिए रु0 4138017 के ठेके दिये गये, तथा वर्ष 2013-14 में 14 कार्यों के लिए रु0 7001225.00 के ठेके दिये गये। नियमानुसार (इन्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एज एप्लीकेबल इन यूपी इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन्डियन कान्ट्रेक्ट एक्ट 1872) 02 प्रतिशत की दर पर वर्ष 2011-12 में रु0 25993.00 तथा वर्ष 2012-13 में रु0 82760.00 एवं वर्ष 2013-14 में रु0 140025.00 के कुल रु0 275778.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध विलेख लिखा जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की क्षति कारित करायी गई, जिसकी दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

दोषी व्यक्ति:-

खण्ड विकास अधिकारी

-

1-रामकिशोर राना (बी0डी0ओ0)

2-जयपाल सिंह (बी0डी0ओ0)

3-मुरारीलाल (बी0डी0ओ0)

4-मुनीश्वर सिंह, (बी0डी0ओ0)

5-सत्यप्रकाश आर्य (बी0डी0ओ0)

नाम लेखाकार-1-श्री वीरेन्द्र गुप्ता 2-श्री अमरनाथ

(मूल आपत्ति सं0-32)

**प्रस्तर-22%:-** क्षेत्र पंचायत माछरा में शा0सं0-1-122/दस-2012-1033/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न किया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जो गंभीर आपत्तिजनक है। क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष 2012-13 में 80697.00 तथा वर्ष 2013-14 में रु0 118057.00 कुल ब्याज रु0 198754.00 ब्याज अर्जित किया गया, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था जो जमा न कराकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञान सिंह, मुनीश्वर सिंह एवं सत्यप्रकाश तथा लेखाकार श्री अमरनाथ उत्तरदायी है। उक्त धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति

सं0-33)

**प्रस्तर-23:-** क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

| क्र० स०    | कार्य का नाम व पता                                                                            | धनराशि            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | ग्राम महलवाला में ब्रजपाल नागर के मकान से धर्मवीर तक सी०सी० टाईल्स व नाली                     | 241887.00         |
| 2          | ग्राम नवीपुर में राजपाल के मकान से अतरसिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स व नाल                     | 745039.00         |
| 3          | गोविन्दपुर सकरपुर में बारात घर से राकेश घटानिया के मकान तक सी०सी० टाईल्स                      | 671187.00         |
| 4          | शाहजहापुर में अहेडिया वाली गलियों तथा वाल्मीकी चौक में सी०सी० टाईल्स                          | 523952.00         |
| 5          | जडौदा में अतीक के मकान से सब्बीर के मकान तक एवं अययूब के मकान से महाराज फकीर तक सी०सी० टाईल्स | 501500.00         |
| 6          | गोविन्दपुरी में रामनारायण से प्रेम वालीर गलरी में सी०सी० टाईल्स                               | 585654.00         |
| 7          | शाहजादपुर में अजयपाल के मकान से अनिल के मकान तक सी०सी० टाईल्स                                 | 596172.00         |
| 8          | भडौली में मस्तराम के मकान से महावीर तक सी०सी० टाईल्स                                          | 596172.00         |
| 9          | विकास खण्ड माछरा का मुख्य द्वारा का निर्माण                                                   | 181042.00         |
| <b>योग</b> |                                                                                               | <b>5116412.00</b> |

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                                                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | शहजादपुर में चमन सिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स                                 | 658319.00         |
| 2          | रछौती में अम्बेडकर विधालय परिसर में अवशेष भाग सी०सी० टाईल्स                    | 333899.00         |
| 3          | पसवाडा में राजेन्द्र सैनी के मकान से धर्मपाल सैनी तक मिटटी खंडजा निर्माण कार्य | 363820.00         |
| 4          | रार्धना में राम मनोहर लोहिया हाईस्कूल परिसर में सी०सी० टाईल्स                  | 867870.00         |
| 5          | डेयरियों में बाबू कसाना के मकान से शोमी की ओर सी०सी० टाईल्स                    | 517094.00         |
| 6          | फतेहपुर नारायण में मुनेश त्यागी से जगवीर त्यागी के मकान तक सी०सी० टाईल्स       | 272871.00         |
| 7          | भडौली में धूमसिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स                                     | 296338.00         |
| 8          | रछौती में इस्लामिया मदरसे के प्रांगण में सी०सी० टाईल्स                         | 214714.00         |
| 9          | माछरा में मदन धीवर से जयपाल सैनी के मकान तक सी०सी० टाईल्स                      | 250686.00         |
| 10         | गोविन्दपुरी में नरेशपाल की दुकान से सतीश सगवा के मकान की ओर सी०सी० टाईल्स      | 238029.00         |
| 11         | रार्धना में राम मनोहर लोहिया हाईस्कूल परिसर में सी०सी० टाईल्स                  | 429518.00         |
| <b>योग</b> |                                                                                | <b>4443158.00</b> |

वर्ष 2016-17 में 13वे वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                                          |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | अमरपुर में भवर सिंह के मकान से गजराज के मकान तक सी०सी० टाईल्स            | 149235.00         |
| 2          | इन्द्रपुरा रार्धना में शौराज के मकान से राजबाला के मकान तक सी०सी० टाईल्स | 137578.00         |
| 3          | नबीपुर अमानतनगर में नेपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक सी०सी० टाईल्स  | 171738.00         |
| 4          | भडौली में कंवरपाल के सामने चौक से धर्मपाल के मकान तक सी०सी० टाईल्स       | 580877.00         |
| 5          | रछौती में तिलकराम की दुकान से कवरपाल के मकान तक सी०सी० टाईल्स            | 145204.00         |
| 6          | मदरसा मंजूर उल उलूम मदरसा के प्रांगण में सी०सी० टाईल्स                   | 411229.00         |
| 7          | अलीपुर में वेदपाल के मकान से लाला शरण के मकान की ओर सी०सी० टाईल्स        | 738794.00         |
| <b>योग</b> |                                                                          | <b>2334655.00</b> |

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां पायी गई-

- 1 यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
- 2 उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
- 3 उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
- 4 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षोच्चय में कराये गये समस्त कार्य चुनिन्दा ठेकेदारों से ही दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।

5 कार्यों की निविदा (टेंडर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।

6 गाँव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है।

ट2 वर्ष 2015-16 में क्रमांक 4 एवं 11 पर एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर भुगतान किया गया है। राधना में राम मनोहर लोहिया हाईस्कूल परिसर में सी0सी0 टाईल्स पर एक बार 867870.00 तथा पुनः इसी कार्य पर 429518.00 का व्यय दर्शाया गया है, जो गंभीर आपत्तिजनक है। इसके प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2014-15, में अंकन ₹0 5116412.00, वर्ष 2015-16 में अंकन ₹0 4443158.00 तथा वर्ष 2016-17 में अंकन ₹0 2334655.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल मिश्र, आर0पी0 सिंह, राजीव बरतरिया, लेखाकार श्री अमरनाथ तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-24:-**क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त की धनराशि से भडौली में विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट पर ₹0 406250.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त अनुदान इस कार्य हेतु आवंटित नहीं किया गया था। उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है इसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत/प्रधान का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त लाईट किस-किस स्थान पर लगायी, इसकी सूची एवं पूर्ण पता भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त लाईट बहुत अधिक कीमतों पर क्रय करना दर्शित है, जिसकी गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की नहीं थी। उक्त लाइटों की मांग किसके द्वारा की गयी थी, यह भी अस्पष्ट रहा। इस प्रकार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, आर0पी0 सिंह सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार अमरनाथ ने अपने पद का अपने स्वार्थवश अधिकतम दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देशों एवं गाईडलाइन्स का अतिक्रमण करते हुए उक्त धनराशि का गंभीर दुर्विनियोग किया गया, जो गंभीर आपत्तिजनक है। उक्त लाइट वास्तव में लगी भी है, इसकी पुष्टि भी संभव नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर लाइट लगवाना भी क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर था। राजकीय अनुदान के उक्त गंभीर दुर्विनियोग के लिए खण्ड विकास अधिकारी आर0पी0 सिंह सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार अमरनाथ उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति

सं0-31)

**प्रस्तर-25:-** क्षेत्र पंचायत माछरा में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी माछरा द्वारा वर्ष 2014-15 में टेंडर आमन्त्रित करके 11 कार्यों के लिए ₹0 6423314.00 के ठेके दिये गये तथा वर्ष 2015-16 में टेंडर आमन्त्रित करके 13 कार्यों के लिए ₹0 5016188.00 के ठेके दिये गये, तथा वर्ष 2016-17 में 11 कार्यों के लिए ₹0 3683580.00 के ठेके दिये गये। नियमानुसार (इन्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एज एप्लीकेबल इन यूपी इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन्डियन कान्ट्रैक्ट एक्ट 1872) 02 प्रतिशत की दर पर वर्ष 2014-15 में ₹0 128466.00 तथा वर्ष 2015-16 में ₹0 100324.00 एवं वर्ष 2016-17 में ₹0 73672.00 के कुल ₹0 302462.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध विलेख लिखा जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की क्षति कारित करायी गई, जिसकी दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

दोषी व्यक्ति:-

खण्ड विकास अधिकारी

- 1-अतुल मिश्र (बी0डी0ओ0)
- 2-आर0पी0 सिंह(बी0डी0ओ0)
- 3-राजीव बरतरिया (बी0डी0ओ0)

नाम लेखाकार-

- 4-अमरनाथ (लेखाकार)
- 5-तत्कालीन जे0ई0

(मूल आपत्ति सं0-32)

**प्रस्तर-26:-** क्षेत्र पंचायत माछरा में शा0सं0-1-122/दस-2012-1033/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न किया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जो गंभीर आपत्तिजनक है। क्षेत्र पंचायत माछरा द्वारा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त एवं 13वे वित्त की धनराशि पर 87649.00 वर्ष 2015-16 में 63887.00 तथा वर्ष 2016-17 में ₹0 214101.00 ब्याज अर्जित किया गया जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था जो जमा न कराकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, आर0पी0 सिंह, राजीव बरतरिया तथा लेखाकार अमरनाथ उत्तरदायी है। उक्त धनराशि तत्काल राजकोष में ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति

सं0-33)



**प्रस्तर-27:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.03.2019 को पी0एन0बी0 जानी खुर्द खाता सं0 149349 में जमा अंकन रु0 5383844.64 दर्शित है, जबकि राज्य वित्त आयोग रु0 4738502.64 जमानत ठेकेदार रु0 643099.00 तेरहवां वित्त रु0 4288.00 कुल रु0 5385889.00 जमा होना चाहिए अन्तर रु0 2045.00 का रहा अन्तर विगत वर्षों से सम्बन्धित है। उक्त अन्तर खोजकर तदानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-02)

**प्रस्तर-28:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2018-19 में दिनांक 08.02.2018 को ब्याज बैंक पास बुक में बचत खाता संख्या 149349 पी0एन0बी0 जानी खुर्द में रु0 47763.00 प्राप्त हुआ किन्तु ग्रांट रजिस्टर 3 में रु0 47763.00 दर्शाया गया है अन्तर रु0 1000.00 से आय अधिक दर्शायी गई है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-03)

**प्रस्तर-29:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.09.2019 के पी0एन0बी0 जानी खाता सं0 149349 में रु0 5383844.64 दर्शित है जबकि ग्रांट रजिस्टर में अंकन रु0 5348844.64 दर्शित है, अन्तर का कारण अंकन रु0 35000.00 का चैक जारी किया गया किन्तु बैंक में 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चालू वर्ष में भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है  
(मूल आपति सं0-05)

**प्रस्तर-30:-** क्षेत्र पंचायत जानी वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य महम पुत्र महावीर में खेत से नहर के पुल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर अंकन रु0 477891.00 दर्शायी गयी है। जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार रु0 982673.00 इस प्रकार अन्तर अंकन रु0 504782.00 का रहा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भुगतान कम किया गया है। ज्यादा नहीं।  
(मूल आपति सं0-20)

**प्रस्तर-31:-** क्षेत्र पंचायत सरूरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपतियाँ पायी गयी:-  
वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम व पता                                                     | धनराशि            | ठेकेदार का नाम |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1        | गोटका में रामस्वरूप से मैन खंडजे तक खंडजा                              | 344500.00         | सुबोध त्यागी   |
| 2        | भूनी से ईलम सिंह/धार के मकान से बिजेन्द्र गोस्वामी तक इंटरलाकिंग कार्य | 610000.00         | सुबोध त्यागी   |
| 3        | हर्रा में जयकुमार से मुकेश तक खंडजा कार्य                              | 488900.00         | सुबोध त्यागी   |
|          | मैना पूठी में नाला निर्माण पूर्व प्रधान के सामने पीर से रघुवीर तक      | 546300.00         | सुबोध त्यागी   |
|          | ईकडी में बिन्दा वाले तालाब की दीवार कार्य                              | 154100.00         | सुबोध त्यागी   |
|          | मैना पूठी में श्रीपाल के मकान से रघुराज तक                             | 259600.00         | सुबोध त्यागी   |
|          | <b>योग</b>                                                             | <b>2403400.00</b> |                |

वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|   |                                                                          |           |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | कालन्दी में रामपाल से तालाब की तरफ की तरफ सी0सी0 टाईल्स कार्य।           | 913900.00 | अनिल पुण्डेर  |
| 2 | बहादुरपुर में अभैराम से लेकर धार्मिक स्थल की ओर खंडजा कार्य।             | 655900.00 | अनिल पुण्डेर  |
| 3 | खिवाई में मंगल/कलवा तक खंडजा कार्य।                                      | 604000.00 | रमन सिंह तोमर |
| 4 | रिठाली में अवशेष खंडजा राजाराम से रामनिवास तक                            | 86500.00  | रमन सिंह तोमर |
| 5 | बहादुरपुर में दिनेश से धार्मिक स्थल की ओर खंडजा कार्य                    | 80100.00  | रमन सिंह तोमर |
| 6 | कालन्दी में राजपाल से चैराहे तक खंडजा                                    | 218000.00 | रमन सिंह तोमर |
| 7 | छुर में सर्वेश के मकान से रणजीत तक इंटरलाकिंग                            | 116800.00 | रमन सिंह तोमर |
| 8 | मुल्हैडा में विजयपाल के पास पुलिया से बाल्मीकी बस्ती तक इंटरलाकिंग कार्य | 609000.00 | रमन सिंह तोमर |

वर्ष 2013-14 में 13वे वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|   |                                                          |           |               |
|---|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | सरूरपुर में अनु0बस्ती एवं बाल्मीकी बस्ती में दीवार कार्य | 107700.00 | अनिल पुंडेर   |
| 2 | छुर में नरेन्द्र/हरपाल से ट्रांसफार्मर तक नाली           | 264900.00 | रमन सिंह तोमर |
| 3 | खेडा में खंडजा कार्य                                     | 334000.00 | रमन सिंह तोमर |
| 4 | भूनी में नाली निर्माण कार्य                              | 304000.00 | रमन सिंह तोमर |
| 8 | गौटका में नाली निर्माण                                   | 274700.00 | रमन सिंह तोमर |

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां पायी गई-

- 1 यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
  - 2 उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
  - 3 उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
  - 4 क्षेत्र पंचायत वर्ष 2012-13 में कराये गये समस्त कार्य सुबोध त्यागी तथा अरुण सोम केवल दो ठेकेदारों से ही कराये गये हैं। इसी प्रकार 2013-14 में कराये गये समस्त कार्य अनिल पुण्डरी एवं रमन सिंह तोमर को ठेके देकर कराये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।
  - 5 कार्यों की निविदा (टेण्डर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।
  - 6 गाँव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है।
- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में अंकन ₹0 24,03,400.00, तथा वर्ष 2013-14 में अंकन ₹0 50,87,000.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार, सत्यवीर सिंह, अखिल कुमार (बी0डी0ओ0), अवधेश कुमार, लेखाकार तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। । उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-29)

**प्रस्तर-32%-** क्षेत्र पंचायत सरूरपुर के वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड परिसर में ₹0 44500.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। यह शासन के निर्देशों एवं गाईडलाइन्स के प्रतिकूल है। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी सुलभ नहीं कराये गये। उक्त से सम्बन्धित पत्रावली भी अप्राप्त रही। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 44500.00 का गबन किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार, सत्यवीर सिंह, अवधेश कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है।। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-30)

**प्रस्तर-33:-** क्षेत्र पंचायत सरूरपुर के कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सरूरपुर खुर्द द्वारा वर्ष 2012-13 में टेण्डर आमन्त्रित करके 09 कार्यों के लिए ₹0 2971800.00 के ठेके दिये गये तथा वर्ष 2013-14 में टेण्डर आमन्त्रित करके 25 कार्यों के लिए ₹0 9745280.00 के ठेके दिये गये। नियमानुसार (इन्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एज एप्लीकेबल इन यूपी इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन्डियन कान्ट्रैक्ट एक्ट 1872) 02 प्रतिशत की दर पर वर्ष 2012-13 में ₹0 59436.00 तथा वर्ष 2013-14 में ₹0 194906.00 कुल ₹0 2,54,342.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध विलेख लिखा जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की क्षति कारित करायी गई, जिसकी दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

दोषी व्यक्ति:-

खण्ड विकास अधिकारी -

1-जितेन्द्र कुमार (बी0डी0ओ0)

2-सत्यवीर सिंह (बी0डी0ओ0)

3-अखिल कुमार भटनागर (बी0डी0ओ0)

नाम लेखाकार-

4-अवधेश कुमार (लेखाकार)

(मूल आपत्ति सं0-31)

**प्रस्तर-34:-** क्षेत्र पंचायत सरूरपुर द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-  
वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

| क्र० सं०   | कार्य का नाम व पता                                               | धनराशि            | ठेकेदार का नाम |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | कालन्द में महेश त्यागी के मकान से वीरेन्द्र तक सी०सी० रोड कार्य। | 562200.00         | रमन सिंह तोमर  |
| 2          | जसड में खंडजा                                                    | 368100.00         | रमन सिंह तोमर  |
| 3          | भूनी में राजेन्द्र से अम्बेडकर भवन तक इण्टरलाकिंग कार्य          | 453200.00         | शिखा बिल्डर्स  |
| 4          | पिठलोकर में गुलजार की दुकान से हुकम सिंह तक इण्टरलाकिंग कार्य    | 304700.00         | शिखा बिल्डर्स  |
| 5          | नानू में असलम के मकान से नाले तक नाली                            | 517500.00         | शिखा बिल्डर्स  |
| <b>योग</b> |                                                                  | <b>2205700.00</b> |                |

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                                |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | पिठलोकर में युसूफ के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य                 | 134300.00         | रमन सिंह तोमर |
| 2          | सरूरपुर में राजेन्द्र एवं अमरवीर के घर के पास सी०सी० सडक कार्य | 99400.00          | रमन सिंह तोमर |
| 3          | भूनी में ब्रह्मसिंह से अम्बेडकर भवन तक इण्टर लाकिंग कार्य      | 113700.00         | आदर्श कान्टै० |
| 4          | भूनी में करनाल हाइवे से मा० सुधीर तक खंडजा                     | 463900.00         | आदर्श कान्टै० |
| 5          | छुर में सतवीर के मकान से अनिल तक इण्टरलाकिंग कार्य             | 194700.00         | आदर्श कान्टै० |
| 6          | पांचली में इलियास के घर के पास सी०सी० सडक                      | 120800.00         | आदर्श कान्टै० |
| 7          | खिर्वा में नन्दकिशोर से सलीम तक सी०सी० टाईल्स एवं नाली कार्य।  | 668800.00         | आदर्श कान्टै० |
| <b>योग</b> |                                                                | <b>1795600.00</b> |               |

वर्ष 2016-17 में 13वे वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

|            |                                                          |                   |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | पाँचली में पदमसिंह के घर के पास खंडजा कार्य              | 582000.00         | अरूण सोम             |
| 2          | पाँचली में मन्दिर से इकबाल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 356600.00         | मै० लक्ष्मी बिल्डर्स |
| 3          | इकडी में नीरज त्यागी तक खडण्जा कार्य।                    | 259900.00         | अरूण सोम             |
| <b>योग</b> |                                                          | <b>1198500.00</b> |                      |

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां पायी गई-

- यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
  - उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
  - उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
  - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षोच्चय में कराये गये समस्त कार्य चुनिन्दा ठेकेदारों से ही दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।
  - कार्यों की निविदा (टेण्डर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।
  - गाँव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है।
- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2014-15, में अंकन रु० 2205700.00, वर्ष 2015-16 में अंकन रु० 1795600.00 तथा वर्ष 2016-17 में अंकन रु० 1198500.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी अखिल कुमार भटनागर, जयकृत सिंह, विनोद कुमार राठी, रामकिशन (बी०डी०ओ०) लेखाकार श्री अवधेश कुमार तथा तत्कालीन जे०ई० उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-29)

**प्रस्तर-35:-** वर्ष 2014-15 में विकास खण्ड परिसर में रु० 284900.00 रंगाई, पुताई एवं मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त अनुदान इस कार्य हेतु आवंटित नहीं किया गया था। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित जे०ई० तथा लेखाकार अवधेश कुमार ने अपने पद का अपने स्वार्थवश अधिकतम दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देशों एवं गाईडलाइन्स का अतिक्रमण करते हुए उक्त धनराशि का गबन किया गया है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी सुलभ नहीं कराये गये। उक्त से सम्बन्धित पत्रावली भी अप्राप्त रही। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर एवं गलत मद में व्यय दर्शाकर अंकन रु० 284900.00 का गबन किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास

अधिकारी अखिल कुमार भटनागर, अतुल मिश्र (बी0डी0ओ0), लेखाकार श्री अवधेश कुमार तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति

सं0-30)

**प्रस्तर-36:-** कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सरूरपुर खुर्द द्वारा वर्ष 2014-15 में टेण्डर आमन्त्रित करके 16 कार्यों के लिए ₹0 7129800.00 के ठेके दिये गये तथा वर्ष 2015-16 में टेण्डर आमन्त्रित करके 14 कार्यों के लिए ₹0 5023000.00 के ठेके दिये गये। नियमानुसार (इन्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एज एप्लीकेबल इन यूपी इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन्डियन कान्ट्रेक्ट एक्ट 1872) 02 प्रतिशत की दर पर वर्ष 2014-15 में ₹0 142596.00 तथा वर्ष 2015-16 में ₹0 100460.00 कुल ₹0 243056 के स्टाम्प पर अनुबन्ध विलेख लिखा जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की क्षति कारित करायी गई, जिसकी दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

दोषी व्यक्ति:-

- खण्ड विकास अधिकारी -
- 1-अखिल कुमार भटनागर (बी0डी0ओ0)
  - 2-अतुल मिश्र (बी0डी0ओ0)
  - 3-जयकृत सिंह (बी0डी0ओ0)
  - 4- विनोद कुमार राठी।

नाम लेखाकार- 4-अवधेश कुमार (लेखाकार)

(मूल आपति सं0-31)

**प्रस्तर-37:-** क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

| क्र0 सं0   | कार्य का नाम व पता                                              | धनराशि            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | खेडा में शहीद गेट तक नाला निर्माण                               | 281725.00         |
| 2          | बलवीर से कृष्ण के घर तक नाली निर्माण                            | 513197.00         |
| 3          | दौलतपुर में बी0एड0 कालेज तक खण्डजा निर्माण                      | 269254.00         |
| 4          | झिटकरी में नाला निर्माण                                         | 328609.00         |
| 5          | महादेव में पुलिया से रमेश के घर तक                              | 434711.00         |
| 6          | महादेव में पुलिया से रमेश के घर तक सी0सी0 इन्टरलाॅकिंग का कार्य | 176648.00         |
| <b>योग</b> |                                                                 | <b>2004144.00</b> |

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त एवं 13 वे वित्त के अनुदान से कराये गये कार्यों में 2650500.00 के कार्य कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जो गंभीर आपत्तिजनक है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं 13 वे वित्त के अनुदान से कराये गये कार्यों में 4425800.00 के कार्य कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जो गंभीर आपत्तिजनक है।

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गई-

- 1 यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
- 2 उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
- 3 उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
- 4 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षालोच्य में कराये गये समस्त कार्य चुनिन्दा ठेकेदारों से ही दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।
- 5 कार्यों की निविदा (टेण्डर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।
- 6 गाँव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2011-12, में अंकन ₹0 2004144.00, वर्ष 2012-13 में अंकन ₹0 2650500.00 तथा वर्ष 2013-14 में अंकन ₹0 442580.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार, श्रीमती सुधा कुमारी, सुश्री रेणु कुमारी, लेखाकार श्री सतवीर सिंह एवं श्री उमेश कुमार तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। । उक्त से

**प्रस्तर-38:-** क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त की धनराशि से ग्राम शाहपुर जदीद में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट पर ₹0 79542.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त अनुदान इस कार्य हेतु आवंटित नहीं किया गया था। उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है इसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत/प्रधान का अनापति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया। उक्त लाईट किस-किस स्थान पर लगायी, इसकी सूची एवं पूर्ण पता भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त लाईट बहुत अधिक कीमतों पर क्रय करना दर्शित है, जिसकी गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की नहीं थी। इस प्रकार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जितेन्द्र कुमार, सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार श्री सतवीर सिंह ने अपने पद का अपने स्वार्थवश अधिकतम दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देशों एवं गाईडलाइन्स का अतिक्रमण करते हुए उक्त धनराशि का गंभीर दुर्विनियोग किया गया, जो गंभीर आपत्तिजनक है। उक्त लाईट वास्तव में लगी भी है, इसकी पुष्टि भी संभव नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर लाईट लगवाना भी क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर था। राजकीय अनुदान के उक्त गंभीर दुर्विनियोग के लिए खण्ड विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार, सम्बन्धित जे0ई0 तथा लेखाकार श्री सतवीर सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-31)

**प्रस्तर-39:-** कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सरधना द्वारा वर्ष 2011-12 में टेण्डर आमन्त्रित करके ₹0 2190851.00 के ठेके दिये गये तथा वर्ष 2012-13 में टेण्डर आमन्त्रित करके ₹0 40503.00.00 के ठेके दिये गये, तथा वर्ष 2013-14 में ₹0 6245800.00 के ठेके दिये गये। नियमानुसार (इन्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एज एप्लीकेबल इन यूपी इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन्डियन कान्ट्रेक्ट एक्ट 1872) 02 प्रतिशत की दर पर वर्ष 2011-12 में ₹0 43817.00 तथा वर्ष 2012-13 में ₹0 81006 एवं वर्ष 2013-14 में ₹0 124916 के कुल ₹0 249739.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध विलेख लिखा जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की क्षति कारित करायी गई, जिसकी दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

दोषी व्यक्ति:-

खण्ड विकास अधिकारी -

- श्री जितेन्द्र कुमार
- श्रीमती सुधा कुमारी
- सुश्री रेणु कुमारी

लेखाकार:-

- श्री सतवीर सिंह एवं श्री उमेश कुमार-तत्कालीन जे0ई0

(मूल आपति सं0-30)

**प्रस्तर-40:-** क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2011-12 में शासनादेश सं0-1-122/दस-2012- 1033/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न किया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि गंभीर आपत्तिजनक है। क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2011-12 में ₹0 28013.00, वर्ष 2012-13 में ₹0 28137.00 तथा वर्ष 2013-14 में ₹0 61030.00 ब्याज, राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से प्राप्त अनुदान पर प्राप्त किया गया है। इस प्रकार 2011-12 से 2013-14 तक कुल ₹0 117180.00 ब्याज अर्जित किया गया, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था जो जमा न कराकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री जितेन्द्र कुमार, श्रीमती सुधा कुमारी, सुश्री रेणु कुमारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा श्री उमेश कुमार एवं श्री सतवीर सिंह, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-32)

**प्रस्तर-41:-** क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नांकित गांवों में दर्शित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य:-

**क्र0 स0 कार्य का नाम व पता**

**धनराशि**

|   |                                                                                 |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | ग्राम भामोरी में रिषीपाल के मकान से सतीश/दफेदार के मकान तक इन्टर लॉकिंग कार्य   | 432657.00 |
| 2 | ग्राम नंगला राठी में महावीर पंडित के मकान से सन्ते के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य। | 468425.00 |
| 3 | ग्राम टान्डा में ओमी के मकान तक खंडजा कार्य                                     | 225607.00 |
| 4 | ग्राम महादेव में नरेन्द्र पुत्र रमेश के घर सी0सी0 रोड                           | 601158.00 |
| 5 | ग्राम नाहली में दुष्यन्त के मकान से सी0सी0 रोड                                  | 338164.00 |
| 6 | सरधना देहात में इकडी मार्ग से सुशील जगपाल के मकान तक इंटर लाकिंग                | 99651.00  |
| 7 | ग्राम कुलजंन में सैनियों के मौहल्ले में नाली निर्माण                            | 435202.00 |

|            |                                                                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8          | ग्राम पीरपुर में प्रवीण के मकान से मेघनाथ के मकान तक नाली निर्माण | 113471.00         |
| 9          | ग्राम राधना में तालाब पर पशुघाट निर्माण                           | 250793.00         |
| <b>योग</b> |                                                                   | <b>2965128.00</b> |

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां पायी गई-

- 1 यह स्पष्ट नहीं है कि कार्य की मांग किसके द्वारा की गई।
- 2 उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उक्त कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया हो।
- 3 उक्त कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराये गये हैं। इसकी पुष्टि में जिला पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राप्त करके रखा जाना चाहिए था, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।
- 4 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षोल्च्य में कराये गये समस्त कार्य चुनिन्दा ठेकेदारों से ही दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार से 'दुरभि सन्धि'करके तथा नियमों की घोर अवहेलना करके समस्त कार्यों के ठेके उक्त ठेकेदारों को ही दिये गये जो गंभीर आपत्तिजनक है तथा क्षेत्र पंचायत के हितों के विपरीत है।
- 5 कार्यों की निविदा (टेंडर नोटिस) राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी गयी जबकि निविदा सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी।
- 6 गाँव के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गांव में कार्य दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जो गंभीर आपत्तिजनक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कार्य करना दर्शाया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में अंकन ₹0 2965128.00 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी अतुल मिश्र, अखिल कुमार भटनागर, बी0डी0ओ0 तथा चन्दनदेव पाण्डेय, बी0डी0ओ0 लेखाकार, उमेश कुमार तथा तत्कालीन जे0ई0 पूर्णतः उत्तरदायी हैं। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-29)**

**प्रस्तर-42%-** क्षेत्र पंचायत सरधना द्वारा वर्ष 2014-15 में विकास खण्ड सरधना के परिसर में मरम्मत कार्य हेतु मै0 वीरेन्द्र कन्स0, मेरठ को 25.03.2015 को चैक नं0 10387 के द्वारा अंकन ₹0 97392.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्य की पुष्टि में वार्षिक कार्ययोजना भी सुलभ नहीं करायी गयी। उक्त अनुदान का व्यय विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। उक्त अनुदान इस कार्य हेतु आवंटित नहीं किया गया था। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित जेई तथा लेखाकार उमेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देशों एवं गोड्डलाईन का अतिक्रमण करते हुए धनराशि का गबन किया गया है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी सुलभ नहीं कराये गये। उक्त से सम्बन्धित पत्रावली भी अप्राप्त रही। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर एवं गलत मद में व्यय दर्शाकर अंकन ₹0 97392.00 का गबन किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित जेई तथा लेखाकार उमेश कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं लेखाकार उमेश कुमार तथा सम्बन्धित जेई से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-30)**

**प्रस्तर-43:-** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत निधि से कितना व्यय खण्ड विकास कार्यालय प्राणों के अन्दर के कार्यों से किया तथा यह कुल व्यय का कितना प्रतिशत हो सकता है। इस सम्बन्ध में वर्तमान लेखाकार श्री रमेश पाल सिंह ने अवगत कराया है कि यह 40 प्रतिशत तक हो सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भवन रखरखाव के मद में किये गये वार्षिक व्यय को कई भाग में बाँटकर ₹0 100000.00 की अनिवार्य टेंडर सीमा के अन्तर्गत रखकर बिना टेंडर के ही कार्य कराये गये हैं। उदाहरणतः दिनांक 16.09.2013 सं0 91972 द्वारा मैसर्स आदर्श कान्ट्रेक्टर को विकास खण्ड कार्यालय में मरम्मत सम्बन्धी ₹0 94144.00 (रूपया चैरानवें हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-05)**

**प्रस्तर-44:-** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में दिनांक 06.07.2011 को चैक सं0 326925 तथा दिनांक 16.07.2011 को चैक सं0 017726 द्वारा दो भुगतान क्रमशः ₹0 65669.00 तथा ₹0 80598.00 कुल ₹0 146267.00 मैसर्स शील सेफ इन्डस्ट्रीज मेरठ को विकास खण्ड कार्यालय में फर्नीचर आपूर्ति के विरुद्ध किया गया है। ₹0 100000.00 से ऊपर के सभी निर्माण/आपूर्ति व्ययों को टेंडर के माध्यम से ही किया जा सकता है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार ने जो वित्तीय नियमों के जानकार थे, जानबूझकर उक्त खरीद मनमाने ढंग से गैर स्पर्धा दरों पर की है, जिसमें अनियमितता की गई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार सीधेतौर पर दोषी है, जिनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-08)**

**प्रस्तर-45ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में दिनांक 23.01.2013 को चैक सं0 679606 श्री विशवम्भर सिंह सहायक लेखाकार ने टिन नम्बर प्राप्त करने में हुए व्यय के सापेक्ष रु0 700.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया है, जिसके विरुद्ध कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के प्रति तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-09)**

**प्रस्तर-46ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी पर रायल्टी की कटौती निर्माण के बिलों से की जा रही है। रोडी, रेत, स्टोन डस्ट के विरुद्ध रायल्टी की कटौती से सम्बन्धित प्रपत्र एम0एम0-11 जो कि ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे रोडी, रेत, स्टोन डस्ट की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में खनन विभाग को सूचना दिया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 खनिज एवं उप खनिज नियमावली वर्ष 1965 के विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों तथा शासनादेश सं0-564/77-2001 - 200/747-टीसी0 दिनांक 05.08.2002 तथा शासनादेश सं0 4020/77-5-2003-1(216)/93 दिनांक 12.08.2003 एवं शासनादेश सं0-4951(11)-77-5-06-506/06 दिनांक 05.10.2016 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध खनन (प्रपत्र एमएम-11) के आधार पर ही परिवहन किया जाये यानि प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये। बिना रायल्टी की कटौति किये बिल का भुगतान करने वाली कार्यदायी संस्था के अधिकारी सरकारी राजस्व की क्षति हेतु उत्तरदायी होंगे। अतः लेखा परीक्षा दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि खण्ड विकास अधिकारी (क) श्री सुरेश कुमार शर्मा 01.01.2011 से 06.01.2012 तक (ख) श्री रेशम पाल सिंह 16.01.2012 से 09.05.2012 तक (ग) श्री रवीश चन्द 09.05.2012 से 22.08.2012 तक (घ) श्री ज्ञान सिंह 23.08.2012 से 05.10.2012 तक (ङ) अखिल कुमार भटनागर 06.10.2012 से 31.12.2014 तक तथा लेखाकार श्री विशम्भर सिंह एवं श्री राजीव कुमार शर्मा से विभिन्न वर्षों की तत्कालीन दरों के अनुसार रायल्टी से प्राप्त राजस्व की क्षति की भरपाई किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-10)**

**प्रस्तर-47ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में लेबर सेस विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निमार्ण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों विनियमित करने और कल्याणकारी योजानाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से "कर्मकार-उपकर" (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियन्ता ने अप्रैल 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है, लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी में कुल रु0 21625274.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है, लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर इस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0 216252.74 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस धनराशि को संस्था के अधिकारियों से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में सुनिश्चित जमा किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-15)**

**प्रस्तर-48ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2017-18 में दिनांक 26.04.2017 को चैक सं0 223340 के द्वारा बी0डी0सी0 की बैठक में सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु रु0 35000.00 का व्यय दर्शाया गया है, किन्तु उपलब्ध प्रमाणक पर बी0डी0सी0 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये और न ही कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः या तो भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-03)**

**प्रस्तर-49ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2017-18 में दिनांक 03.05.2017 को श्री राकेश कुमार कैशियर ने क्षेत्र पंचायत से अग्रिम धन प्राप्ति के विरुद्ध रु0 16500.00 वापस करना दर्शाया गया है। जबकि राज्य वित्त से निर्माण एवं रखरखाव के अतिरिक्त व्यय के दिशा निर्देश नहीं है। उक्त अग्रिम धनराशि स्पष्टतः वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग है जिसके प्रति लेखाकार श्री रमेश पाल सिंह जिम्मेदार है। श्रीपाल के विरुद्ध नियम संगत नियमों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है। अतः या तो भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-04)**

**प्रस्तर-50ः--** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2017-18 में क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी पर रायल्टी की कटौती निर्माण के बिलों से की जा रही है। रोडी, रेत, स्टोन डस्ट के विरुद्ध रायल्टी की कटौती से सम्बन्धित प्रपत्र एम0एम0-11 जो कि ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे रोडी, रेत, स्टोन डस्ट की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में खनन विभाग को सूचना दिया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 खनिज एवं उप खनिज नियमावली वर्ष 1965 के विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों तथा शासनादेश सं0-564/77-2001 - 200/747-टीसी0 दिनांक 05.08.2002 तथा शासनादेश सं0 4020/77-5-2003-1(216)/93 दिनांक 12.08.2003 एवं शासनादेश सं0-4951(11)-

77-5-06-506/06 दिनांक 05.10.2016 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध खनन (प्रपत्र एमएम-11) के आधार पर ही परिवहन किया जाये यानि प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये। बिना रायल्टी की कटौती किये बिल का भुगतान करने वाली कार्यदायी संस्था के अधिकारी सरकारी राजस्व की क्षति हेतु उत्तरदायी होंगे। अतः लेखा परीक्षा दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से विभिन्न वर्षों की तत्कालीन दरों के अनुसार रायल्टी से प्राप्त राजस्व की क्षति की भरपाई किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-06)

**प्रस्तर-51:-** क्षेत्र पंचायत दौराला में आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2017-18 में लेबर सेस विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निमार्ण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से "कर्मकार-उपकर" (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियन्ता ने अप्रैल 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है, लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी में कुल ₹0 21625274.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है, लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर इस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस ₹0 216252.74 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस धनराशि को संस्था के अधिकारियों से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में सुनिश्चित जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-12)

**प्रस्तर-52%-** क्षेत्र पंचायत मेरठ द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 राज्यवित्त, 12 वा वित्त, 13 वा वित्त आयोग के अनुदान से कराए गए कार्यों में शासन के मार्गदर्शन सिद्धान्तों का पालन न करके अनुदान का अपहरण/दुर्विनियोग/ग0अनि0 की गयी है। शासन की गाइडलाइन अनुसार उक्त अनुदान विकास खण्ड के कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था, जबकि निम्नलिखित व्यय एक की गांव के भीतर बिना एन0ओ0सी0 के कराया जाना गम्भीर अनियमितता है-

वर्ष 2011-12

| क्र0 स0 कार्य का नाम व पता                                              | ग0 अनि0 की धनराशि | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ग्रा0 गोहरा में राजपाल की ट्यूबवैल से अतर सिंह के खेत तक खण्डजा निर्माण | 2.12              | तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री ज्ञान सिंह,<br>तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह |

वर्ष 2012-13

|   |                                                                |       |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | ग्राम गंगोल में खण्डजा निर्माण                                 | 3.59  |
| 2 | ग्राम इटायरा में खण्डन्जा निर्माण                              | 2.27  |
| 3 | ग्राम गंगोल में खण्डन्जा निर्माण                               | 0.88  |
| 4 | लच्छू की ट्यूबवैल से खडन्जा निर्माण                            | 0.99  |
| 5 | ग्राम गोठरा में रघुवर के खेत बेगराज के खेत तक खण्डन्जा निर्माण | 1.25  |
| 6 | रेलवे बाडर से अजय कुमार के खेत तक खडन्जा निर्माण               | 0.93  |
| 7 | कायस्थ गावडी में प्रवीन के खेत से कुसुम के खेत तक खडन्जा       | 1.01  |
|   | योग                                                            | 10.92 |

वर्ष 2012-13

|   |                                                                                    |      |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ग्राम अलीपुर जिजमाना में फारूख के मकान से जफरुद्दीन के मकान तक सी0सी0 टाइल्स कार्य | 0.94 | तत्कालीन ख0वि0 अधि0 रेणु कुमार,<br>तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह |
| 2 | ग्राम जुरानपुर में ओमप्रकाश के मकान से चरण सिंह के प्लाट तक इन्टरलाकिंग            | 1.13 |                                                                        |
| 3 | ग्राम गूनी में वीरपाल के प्लाट से सतीश के खेत तक नाली खडन्जा निर्माण               | 0.47 |                                                                        |
| 4 | ग्राम गूनी में वीरपाल के प्लाट से सतीश के खेत तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग               | 1.04 |                                                                        |
| 5 | ग्राम जुरानपुर में रामचन्द्र के मकान से राजू के मकान तक इन्टरलाकिंग सडक कार्य      | 0.98 |                                                                        |

तत्कालीन ख0वि0 अधि0 ज्ञान सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह

|   |                                                                             |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 6 | ग्राम जुरानपुर में राजू के मकान से भूले लोकेश के मकान तक इन्टर लाकिंग कार्य | 0.97 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|



|    |                                                                                 |       |                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7  | ग्राम जुरानपुर में लोकेश के मकान से भूले के मान तक इन्टरलाकिंग कार्य            | 0.91  |                                                                          |
| 8  | ग्राम बजोट में रिंकू के मकान से धर्मवीर के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग          | 0.93  |                                                                          |
| 9  | ग्राम बजोट में बालकिशोर के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग                          | 0.91  |                                                                          |
| 10 | ग्राम बजोट में राकेश से योगेश के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग                    | 0.95  |                                                                          |
| 11 | ग्राम बजोट में हुकम सिंह के मकान से राजेन्द्र तक के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग | 0.95  |                                                                          |
| 12 | ग्राम बजोट में धर्मवीर के मकान से सुरेश के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग          | 0.96  |                                                                          |
| 13 | ग्राम बजोट में ओमदत्त के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग        | 0.69  |                                                                          |
| 14 | ग्राम बजोट में सराजू के मकान से सुभाष के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग            | 1.40  |                                                                          |
| 15 | ग्राम जुरानपुर में मदन के मकान से महीपाल के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग         | 0.67  | तत्कालीन ख0वि0अधि0<br>रेणु कुमार, तत्कालीन<br>लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह |
| 16 | ग्राम जुरानपुर में मदन के मकान से महीपाल के मकान तक सी0सी0 इन्टर लाकिंग         | 1.19  |                                                                          |
| 17 | ग्राम भूनी में नरेन्द्र के खेत से यशपाल के खेत तक नाली निर्माण                  | 0.94  |                                                                          |
| 18 | ग्राम जुरानपुर में दारा सिंह के मकान के सामने इन्टरलाकिंग                       | 0.57  |                                                                          |
| 19 | ग्राम गुमी में महेन्द्र सिंह के खेत के पास सी0सी0टाईल्स                         | 0.62  |                                                                          |
|    | योग                                                                             | 17.22 |                                                                          |

योग वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 30.27

शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 के शासन के मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार राज्य वित्त व अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान विकास खण्ड के कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना चाहिए जबकि क्षेत्र पंचायत रोहटा द्वारा वर्ष वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उल्लिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के भीतर कराया गया है जो शासकीय गाइडलाइन के विपरीत होने के कारण गम्भीर अनियमितता है जिसका उत्तरदायित्व तालिका में कार्य के सम्मुख लिखित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार नाम सहित अंकित है का है उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-02)

**प्रस्तर-53:-** क्षेत्र पंचायत मेरठ द्वारा वर्ष 2013-14 के कराए गए कार्यों में ठेकेदार/फर्म के बिल पर 4 प्रतिशत वैट कटौती नहीं की गयी है और न ही चालान जमा की प्रति व कर कटौती पंजी ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी यथानिर्माण कार्य का विवरण निम्नलिखित है-

| क्र0 | सं0 कार्य का नाम व पता                                                                                                                     | दुर्विनियोग की धनराशि | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ग्राम मौ0पुर गुमी में मेनरोड से प्रा0पा0 तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय रु0 643480 का 4 प्रतिशत वैट कटौती न करके दुर्विनियोग किया गया | 25739                 | तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री रेणु कुमार, तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह |
| 2    | वि0ख0 कार्यालय के मुख्य रास्ते पर सी0सी0 इन्टरलाकिंग व्यय रु0 38875 का 4 प्रतिशत वैट कटौती नहीं                                            | 1555                  |                                                                         |
| 3    | ग्रा0 अलीपुर जिजमाना में फारूख के मकान से जफरुद्दीन के मकान तक सी0सी0 टाईल्स कार्य                                                         | 94351                 | 3774                                                                    |
| 4    | ग्रा0 जुरानपुर में ओमप्रकाश के मकान से चरण सिंह के प्लाट तक इन्टरलाकिंग पर व्यय                                                            | 113070                | 4523                                                                    |
| 5    | ग्राम गूनी में वीरपाल के प्लाट से सतीश के खेत तक नाली खण्डजा निर्माण पर व्यय                                                               | 47512                 | 1900                                                                    |
| 6    | ग्रा0 भूनी में वीरपाल के प्लाट से सतीश के खेत तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय                                                                | 104416                | 4177                                                                    |
| 7    | ग्राम जुरानपुर में रामचन्द्र के मकान से राजू के मकान तक इन्टरलाकिंग सड़क पर व्यय                                                           | 98662                 | 3946                                                                    |
|      | तत्कालीन ख0वि0 अधि0 ज्ञान सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह                                                                        |                       |                                                                         |
| 8    | ग्राम जुरानपुर में राजू के मकान से भूले लोकेश के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय                                                         | 97564                 | 3903                                                                    |
| 9    | ग्राम जुरानपुर में लोकेश के मकान से भूले के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय                                                       | 91137                 | 3645                                                                    |
| 10   | ग्राम बजोट में रिंकू के मकान से धर्मवीर के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग                                                                      |                       | 2066                                                                    |
| 11   | ग्राम गुमी में मन्दिर से बलबीर के प्लाट तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग टाईल्स पर व्यय रु0                                                           | 51642                 | 3427                                                                    |
| 12   | ग्राम गुमी में प्रा0 स्कूल से लीलू के मकान तक खडन्जा निर्माण पर व्यय रु0                                                                   | 85681                 | 3132                                                                    |
| 13   | वि0ख0 कार्यालय में जीप गैराज के सामने इन्टरलाकिंग कार्य                                                                                    | 78280                 | 3313                                                                    |
| 14   | चतुर्थ आवासीय कालोनी के सामने सी0 सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय                                                                                  | 82817                 | 3745                                                                    |
| 15   | ग्रा0 बजोट में बालकिशोर के मकान से विजय के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                          | 91969                 | 3679                                                                    |
| 16   | ग्रा0 बजोट में राकेश से योगेश के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                                    | 95689                 | 3828                                                                    |
| 17   | ग्रा0 बजोट में हुकम सिंह के मकान से राजेन्द्र के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                    | 95124                 | 3805                                                                    |
| 18   | ग्रा0 बजोट में धर्मवीर के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                       | 96973                 | 3879                                                                    |
| 19   | ग्रा0 बजोट में ओमदत्त के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                        | 69711                 | 2788                                                                    |

|    |                                                                                                                                                          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20 | ग्रा0 बजोट में सराजू के मकान से सुभाष के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                                          | 140546 5622 |
| 21 | ग्रा0 जुरानपुर में मदन के मकान से महीपाल के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0<br>तत्कालीन ख0वि0 अधि0 रेणु कुमार, तत्कालीन लेखाकार श्री अमरपाल शर्मा | 67042 2682  |
| 22 | ग्रा0 जुरानपुर में मदन के मकान से महीपाल के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                                       | 119145 4766 |
| 23 | ग्रा0 भूनी में नरेन्द्र के खेत से यशपाल के खेत तक नाली निर्माण पर व्यय रु0                                                                               | 94772 3791  |
| 24 | वि0ख0 कार्यालय परिसर में सीसी रोड निर्माण पर व्यय                                                                                                        | 129022 5161 |
| 25 | ग्रा0 जुरानपुर में दारा सिंह के मकान के सामने इन्टरलाकिंग पर व्यय रु0                                                                                    | 57348 2294  |
| 26 | ग्रा0 गुमी में महेन्द्र सिंह के खेत के पास सी0सी0 टाईल्स पर व्यय रु0                                                                                     | 62123 2485  |
|    | योग                                                                                                                                                      | 113594      |

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्य पर ठेकेदार/फर्म के बिल का भुगतान करते समय 4 प्रतिशत वैट की कटौती न करके शासकीय निर्देशों की अवहेलना की गयी है साथ ही चालान जमा कर कटौती पंजी भी प्रस्तुत नहीं की है जो वैट योग्य धनराशि का दुर्विनियोग है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तालिका में कार्य पर दुर्विनियोग धनराशि के सम्मुख अंकित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना व सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-03)

**प्रस्तर-54:-** क्षेत्र पंचायत मेरठ द्वारा कार्य के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आपतियाँ निम्नलिखित हैं-

1. राज्य वित्त एवं 13 वा वित्त की प्राक्कलन की कुल स्वीकृत राशि को इन्टरलाकिंग टाईल्स, नाली खण्डजा निर्माण कच्ची सड़क सी0सी0 रोड पर व्यय किया गया है। जबकि शासनादेश अनुसार अन्य मदों पर भी व्यय किया जाना अपेक्षित है।
2. लेबर सेस जोड़कर एस्टीमेट तैयार किया गया व भुगतान बिल से 1 प्रतिशत कटौती की गयी जो नियमों के विपरीत है। लेबर सेस एस्टीमेट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
3. बिल के साथ फार्म 11 संलग्न न होने से बालू मोरग मिटटी आदि पर रायल्टी अदा करने की पुष्टि नहीं हो सकी। जो अपेक्षित है।
4. सड़क का नक्शा पत्रावली अधिकांशतः नहीं पाये गये जिसके कारण सड़क कार्य के यथोचित क्रियान्वयन की समरूपता नहीं स्थापित हो सकी।

उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति सं0-15)

**प्रस्तर-55:-** क्षेत्र पंचायत दौराला में वर्ष 2011-12 से 2013-14 में आलोच्य वर्ष में टेण्डर द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) नहीं लिया गया है, जो राजकीय क्रय एवं निर्माण नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है। इससे कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश (अवर अभियन्ता) लेखाकार श्री विशम्बर सिंह एवं लेखाकार श्री राजीव कुमार शर्मा की संबंधित ठेकेदारों से मिलीभगत प्रतीत होती है। उक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।  
(मूल आपति सं0-03)

## प्रारूप 03

### वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

#### जनपद हापुड़

#### मण्डल मेरठ

#### क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपतियाँ

**प्रस्तर संख्या-01** विकास खण्ड-सिम्भावली वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों की जाच में रु0 42.21 लाख की गम्भीर अनियमितता पायी गयी जिसके सापेक्ष जांच पत्रावलियों पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय अनुमान पर इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं अंकित किया गया है कि संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत के बाहर एवं एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने का कार्य किया है। अतः निर्माण कार्यों का ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर ही सीमित होना। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-02** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 में रु0 5,03,898.00 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों का न पाया जाना। इसके अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। प्रमाणकों सहित व्यय का विवरण दिया जाए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-03** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 में शासन से प्राप्त राज्य वित्त आयोग का अनुदान रु0 1,83,85,996.00 वर्ष में उपभोग नहीं और न ही शासन को वापस किया गया। गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-04** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में गत वर्षों से अप्रयुक्त अनुदान योजना बन्द होने पर भी रु0 1,83,179.00 सरकार को वापस न कर गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-05** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्राप्त इन्दिरा आवास योजना का रु0 1634.00 बायो गैस का रु0 4000.00 व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का रु0 10,10,108.00 कुल रु0 10,15,742.00 समयान्तर्गत उपयोग न किया जाना और न ही सरकार को वापस किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-06** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0,वैट/जी0एस0टी0,रायल्टी रु0 61,000.00, 1,18,971.00 व 1,42,983.00 के भुगतान के जमा का चालान न पाया जाना। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-07** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 में लेबर सैस कुल रु0 30,489.00 ठेकेदारों के भुगतान से काटा गया है। इस राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उ0प्र0 सन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि में बैंक की पे इन स्लिप नहीं पाई गयी। अतः इसके बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-08** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान अप्रयुक्त अवशेष रु0 1,51,74,627.00 का न तो ससमय उपभोग किया गया, न ही सरकार को वापस किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-09** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रु0 1,65,000.00 का न तो उपभोग किया गया न ही सरकार को वापस किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-10** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का रु0 20,000.00 व 9,79,508.00 का प्रमाणक न पाया जाना। उक्त धनराशियों के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-11** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रु 3,50,000.00 था जिसे अनुदान रजिस्टर-3 में रु0 1,75,000.00 ही दिखाया गया है। ग्राण्ड रजिस्टर में कम दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से बैंक दर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-12** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर 2018 में बायों गैस में रु 8,000.00 था जिसे अनुदान रजिस्टर-3 में रु0 4,000.00 ही दिखाया गया है। ग्राण्ड रजिस्टर में कम दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-13** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट रजिस्टर 3 में माह दिसम्बर 2018 में बायों गैस में रु 4,000.00 प्रा0शेष था तथा रु0 4000.00 प्राप्त दिखाया है, टोटल 8000.00 होता है जबकि रु0 4,000.00 ही दिखाया गया है। ग्राण्ड रजिस्टर में कम दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 4000.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-14** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2019 को तीन चेक पुराना बिना भुने होना रु0 7377.00, 1300.00 व 4000.00 गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-15** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश के विरुद्ध प्राइवेट संस्था में रु0 5,98,273.00 अनुदान खर्च कर अम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-16** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में काटे गये जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 88391.00 के जमा का चालान आदि न पाया जाना। गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-17** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में काटे गये रायल्टी की धनराशि रु0 5,04,880.00 के जमा का चालान आदि न पाया जाना। गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-18** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पर हुए खर्च के बिल्स से रु0 2,91,308.00 जी0एस0टी0 न काट कर गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-19** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में रु0 10 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु सरकार की तकनीकी स्वीकृति नहीं पायी गयी। जो गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-20** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में एक ही कार्य को तीन बार दिखाकर रु0 2,74,005.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाये।

**प्रस्तर संख्या-21** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में एक ही कार्य को दो बार दिखाकर रु0 7,19,178.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या-22** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में विधायक निधि में प्राप्त धनराशि रु0 2,63,500.00 को ग्राण्ट रजिस्टर-3 में न दर्ज कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-23** विकास खण्ड-धौलाना वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में वर्षान्त में दिनांक 31.03.2019 को अवशेष ब्याज रु0 1,50,294.44 सरकार को न भेज कर गम्भीर अनियमितता। तथा रु0 5,61,480.55 व्यय सरकार को दिखाया गया है, परन्तु व्यय की पुष्टि में/सरकार को भेजे जाने की पुष्टि में प्रमाणक न पाया जाना धनराशि के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-24** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु0 22,40,347.00 बैंक से आहरण कर उपभोग किया गया था। जिसके सापेक्ष रु0 20,32,487.00 का व्यय तीन निर्माण कार्यों पर तथा रु0 1,09,000.00 ब्लाक प्रमुख व बी0डी0सी0 सदस्यों के मानदेय पर कुल रु0 21,41,487.00 खर्च हाने के पश्चात शेष अनुदान रु0 98,860.00 से संबंधित न तो कोई विवरण पाया गया और न ही खर्च की पुष्टि हुई। इसके अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुष्यन्त कुमार व लेखाकार श्री सुधीर कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-25** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्य से ठेकेदार से रु0 41,907.00 की जी0एस0टी0 न काटकर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुष्यन्त कुमार व लेखाकार श्री सुधीर कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

- प्रस्तर संख्या-26** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्य से काटा गया टी0डी0एस0 रु0 41,907.00 के जमा की पुष्टि न होना गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुष्यन्त कुमार व लेखाकार श्री सुधीर कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-27** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्य से काटा गया लेबर सैस रु0 20,953.00 के जमा की पुष्टि न होना गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुष्यन्त कुमार व लेखाकार श्री सुधीर कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-28** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदार बैंक से आहरण कर खर्च किये जाने के बाद शेष बचे अनुदान की धनराशि 5,12,048.00 का प्रमाणको सहित विवरण न होना। इसके अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी कु0 ज्योति बाला व लेखाकार श्री सुधीर कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-29** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में एक ही स्थान समान प्रकृति के कार्य टुकड़ों टुकड़ों में दिखाकर रु0 27,99,511.00 व्यय किया गया है सभी कार्य विकास खण्ड परिसर में किया गया है। दस लाख से अधिक के कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार से लिया जाना आवश्यक है। जिसमें से रु0 10,32,008.00 दुबारा कार्य दिखाकर अपहरण तथा रु0 17,67,503.00 गम्भीर अनियमितता। अपहरण की धनराशि रु0 10,32,008.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है वसूली श्री निशांत पाण्डेय से रु0 9,02,739.00 व 1,29,269.00 कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
- प्रस्तर संख्या-30** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में एक ही स्थान (कार्यालय परिसर) में समान प्रकृति के कार्य टुकड़ों टुकड़ों (भवन मरम्मत)में ठेका न देकर खर्च दिखाकर रु0 12,24,778.00 का गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-31** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में कालेज में इण्टरलैकिंग के एक ही प्रकार के कार्य को 3 अलग-अलग कार्य दिखाकर रु0 1,87,389.00 का अपहरण। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। जिसके लिये विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-32** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में इण्टरलैकिंग के कार्य को इण्टरलैकिंग व पटरी पर इण्टरलैकिंग नाम से दो कार्य दर्शाकर रु0 33,114.00 का अपहरण। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। जिसके लिये विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-33** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में तीन कार्यों का टी0डी0एस0 रु0 15,996.00 न काट कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-34** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में तीन कार्यों का जी0एस0टी0 रु0 15,996.00 न काट कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-35** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में तीन कार्यों का लेबर सैस रु0 7,998.00 न काट कर गम्भीर अनियमितता। जिसके लिये कु0 ज्योति बाला तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुधीर कुमार, लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
- प्रस्तर संख्या-36** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों का जी0एस0टी0 रु0 1,62,978.00 न काट कर गम्भीर अनियमितता। जिसकी वसूली रु0 95,418.00 श्री दुष्यन्त कुमार व रु0 66,560.00 श्री निशांत पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-37** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों का टी0डी0एस0 रु0 3,37,626.00 जी0एस0टी0 रु0 1,69,609.00 के जमा का प्रमाण न होना गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-38** विकास खण्ड-गढमुक्तेश्वर वर्ष 2017-18 व 2018-19 में वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों का लेबर सैस रु0 1,68,813.00 के जमा का प्रमाण न होना गम्भीर अनियमितता जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-39** क्षेत्र पंचायत धौलाना वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों से आलोच्य वर्ष में 2807.00 स्टेशनरी चार्ज प्राप्त किया गया तथा रुपए 12483.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि अनुदान रजिस्टर 3 से होती है उक्त धनराशि कहां व्यय की गई प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रही पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है यह गंभीर अनियमितता है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-40** क्षेत्र पंचायत धौलाना वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों से आलोच्य वर्ष में 2807.00 का नामांकन शुल्क प्राप्त किया गया है तथा रुपए 400.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि अनुदान रजिस्टर 3 से होती है उक्त धनराशि कहां व्यय की गई है प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रही पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है गंभीर अनियमितता है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-41** क्षेत्र पंचायत धौलाना वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रुपए 4775000.00 प्राप्त हुआ है तथा रुपए 3850967.00 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि अनुदान पंजिका 3 से होती है उक्त योजना पर व्यय की गई धनराशि रुपए 3850967.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जैसे व्यय वाउचर्स, पत्रावली व व्यय किए जाने से संबंधित शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए इसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी । उक्त धनराशि के अपहरण/ गंभीर अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता इसके लिए संबंधित सचिव व लेखाकार उत्तरदाई है व्यय की गई धनराशि 3850967.00 की ब्याज सहित वसूली क्षेत्र पंचायत सचिव व संबंधित लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-42** उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)दस-2015-10(33) 2010 दिनांक 29 .05. 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कर दिया जाए परंतु वर्ष 2019-20 वर्ष दौरान अर्जित ब्याज रुपए 355455.63 है यह धनराशि राजकोष में जमा ना करके शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया इसे राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है वर्ष दौरान अर्जित ब्याज का उपयोग किया जाना गंभीर अनियमितता है आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-43** क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्न कार्यों को अपने कार्य क्षेत्र से इतर हटकर निर्माण कार्य किया गया है जबकि शासनादेश संख्या 8307/33-02- 2004- 93 सी/ 2004 दिनांक 17.01. 2005 के अनुसार ग्राम पंचायत के अंदर कार्य करना ग्राम पंचायत का कार्य है क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत को जोड़ने का है परंतु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा ना कर गंभीर अनियमितता की गई आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

| क्रम | योजना का नाम | कराये गये कार्य का नाम                                              | शुद्ध भुगतान की धनराशि |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | राज्य वित्त  | अचपल गढ़ी में नरेश के घर से गेट नंबर 2 तक इंटरलॉकिंग कार्य          | 22466.00               |
| 2    | राज्य वित्त  | आजमपुर में प्रधान रऊफ के घर से प्रधान अब्बास तक खरंजा निर्माण       | 345761.00              |
| 3    | राज्य वित्त  | देहरा में मस्जिद से फैज मोहम्मद तक इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य          | 663785.00              |
| 4    | राज्य वित्त  | सपनावत में राम भरोसे रावत के यहां से विजयपाल के मकान तक खरंजा कार्य | 241760.00              |
| 5    | राज्य वित्त  | उदय रामपुर नगला में वीरपाल के घर से प्रदीप नागर के घर तक सीसी कार्य | 539766.00              |
| 6    | राज्य वित्त  | मदापुर में तकि प्रधान से रजवाहे तक खरंजा कार्य                      | 370275.00              |
| 7    | राज्य वित्त  | वीरपाल के मकान से प्रदीप के मकान तक सीसी रोड कार्य                  | 162596.00              |
|      | योग          |                                                                     | 2346409.00             |

### प्रारूप - 3

## क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियां

### जनपद -अमरोहा मंडल- मुरादाबाद

#### (1) क्षेत्र पंचायत का नाम- जोया

वर्ष 2019-20

**आपत्ति संख्या-01** लेखा परीक्षा वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च की गयी धनराशि जिसका भुगतान स्टेटमेंट के अनुसार मैसर्स ए.एस.ट्रेडर्स को ₹0- 6986.00 का किया गया है जिससे सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में भुगतान की गयी धनराशि के व्यय की पुष्टि न हो सकी। भुगतान की गयी धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा तथा नियम 177 के अनुसार श्री विजेन्द्र लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार व सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ ही दोषियों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या-02** लेखा परीक्षा वर्ष में गौवंश आश्रय स्थल से प्राप्त धनराशि से विभिन्न विभिन्न तिथियों में ₹0- 409660.00 का भुगतान किया गया है परन्तु भुगतान से सम्बन्धित कोई भी फाईल/ पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त व्यय की गयी धनराशि के व्यय की पुष्टि न हो सकी। भुगतान की गयी धनराशि ₹0- 409660.00 का गम्भीर अनियमितता किया गया। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा तथा नियम 177 के अनुसार श्री विजेन्द्र लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार व सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ ही दोषियों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या-03** लेखा परीक्षा वर्ष में विधायक निधि योजना से ₹0- 6673035.98 का आहरण कर व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणकों की मांग बार बार की जाती रही परन्तु लेखा परीक्षी में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी। शासनादेश संख्या - 2305/38-3-2001-500(9)/99 टी.सी./ लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में मार्गदर्शन नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी तथा ग्राम विकास अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-91 वि.नि.(1) 38.03.2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा किये गये विधायक निधि मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी जिससे गम्भीर अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा तथा नियम 177 के अनुसार श्री विजेन्द्र लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार व सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ ही दोषियों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या-04** लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त योजना से कुल ₹0- 6094202.00 का आहरण कर व्यय किया गया है किन्तु प्रस्तुत योजना से सिर्फ ₹0- 5097383.00 धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिसकी पुष्टि भी की गयी। शेष धनराशि ₹0- 996819.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (व्यय प्रमाणक व पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण ₹0- 996819.00 के व्यय की पुष्टि न हो सकी। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा तथा नियम 177 के अनुसार श्री विजेन्द्र लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार व सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ ही दोषियों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या-05** लेखा परीक्षा वर्ष में आंगनबाड़ी निर्माण योजना में ₹0- 1500000.00 का भुगतान समाज कल्याण विभाग को किया गया है। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इसमें गम्भीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा तथा नियम 177 के अनुसार श्री विजेन्द्र लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार व सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ ही दोषियों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या-06** लेखा परीक्षा में दिनांक 10.05.2019 को मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना खाता से ₹0- 336875.00 का भुगतान मैसर्स एम.डी. कान्स्ट्रक्टर एवं बिल्डर्स को किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि यह भुगतान क्यों किया गया। ऐसी स्थिति में यह भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये सम्बन्धित सचिव व लेखाकार दोषी है। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- बुढनपुर(स्योहारा)

वर्ष:- 2019-20

**क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपतियां:-**

**प्रस्तर संख्या-1-** लेखा परीक्षा वर्ष में 2019-20 में ₹0 75811.00 लेबर सैस मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेबर सैस के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः ₹075811.00 की ब्याज सहित ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-2-** लेखा परीक्षा वर्ष में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में ₹0 151682.00 जी0एस0टी0 मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः ₹0 151682.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-3-** लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2019-20 में 156110.00 आयकर जमा मद में दर्शित है। जिसके जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः ₹0 156110.00 की ब्याज सहित ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-4-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ₹0 2200503.00 विधान मंडल विकास निधि मद में व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-5-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ₹0 1773040.00 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में व्यय दर्शित है। जिसके लाभार्थियों की सूची एवं स्वीकृत पत्रावली व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-6-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ₹0 64014.00 राष्ट्रीय आजीविका मिशन मद में व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-7-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ₹0 2024820.00 निराश्रय गौवंश चारा योजना मद में व्यय दर्शित है। जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-8-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ₹0 49000.00 मानदेय ब्लाक प्रमुख को देय दर्शित है। जिसके प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जिसके कारण मानदेय दिये जाने की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-9-** लेखा परीक्षा वर्ष में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में ₹0 139054.00 जमानत कटौती मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जमानत से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः ₹0 139054.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-10-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में खण्ड विकास अधिकारी कक्ष मरम्मत कार्य के अन्तर्गत ₹0 35000.00 साउन्ड सिस्टम क्रय, ₹0 9500.00 आफिस टेबुल, ₹032000.00 विद्युत मरम्मत कार्य तथा ₹0 76000.00 के अन्य मरम्मत कार्य सहित कुल ₹0 152500.00 व्यय दर्शित है। जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।





- प्रस्तर संख्या-20-** लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में ₹0 39114.00 तथा 2018-19 में ₹0 57151.00 कुल ₹0 96305.00 लेबर सैस मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेबर सैस के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः ₹0 96305.00 की ब्याज सहित ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर संख्या-21-** लेखा परीक्षा वर्ष में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में ₹0 46457.00 तथा 2018-19 में ₹0 686334.00 कुल ₹0 732791.00 जी0एस0टी0 मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः ₹0 732791.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-22-** लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में ₹0 104524.00 तथा 2018-19 में ₹0 209914.00 कुल ₹0 314438.00 आयकर जमा मद में दर्शित है। जिसके जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे साथ ही अवशेष ₹0 29566.00 वर्ष में जमा दर्शित है। जिसे आयकर विभाग को दिनांक 31.03.18 तक जमा करा दिया जाना चाहिए था जो नहीं जमा किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर संख्या-23** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ₹0 2335200.00 सांसद निधि मद में व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-24-** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 245000.00 2018-19 में ₹0 8063140.00 कुल ₹0 8308140.00 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में व्यय दर्शित है। जिसके लाभार्थियों की सूची एवं स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-25-** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 333876.00 पंचायत बूथ निर्माण मद में व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-26-** लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2017-18 में ₹0 31233.00 तथा 2018-19 में ₹0 42652.00 कुल ₹0 73885.00 रॉयल्टी मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद रॉयल्टी के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः ₹0 73885.00 की ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर संख्या-27-** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 1300.00 तथा 2018-19 में ₹0 20000.00 कुल ₹0 21300.00 राष्ट्रीय आजीविका मिशन मद में व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-28-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ₹0 210700.00 गौवंश आश्रय मद में व्यय दर्शित है। जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-29-** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 333876.00 तथा 2018-19 में ₹0 2006279.00 कुल ₹0 2340155.00 आंगनबाड़ी केन्द्र व्यय दर्शित है। जिसकी स्वीकृत पत्रावली अनुपलब्ध रही, जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।
- प्रस्तर संख्या-30-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ₹0 84000.00 मानदेय ब्लाक प्रमुख को देय दर्शित है। जिसके प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, जिसके कारण मानदेय दिये जाने की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-31-** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ₹0 62200.00 तथा 2018-19 में ₹0 169813.00 कुल ₹0 232013.200 प्रशासनिक आयोजन मद में व्यय दर्शित है। जिसके व्यय प्रमाणक लेखा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। धनराशि वसूली योग्य है। अतः इसकी वसूली ब्याज सहित भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर संख्या-32-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम सिकोडा में हनुमान मन्दिर से शिव मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ₹0 695668.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सी0सी0 रोड निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-33-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम रामनगर में धीरज के मकान से कामेश के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ₹0 335397.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सी0सी0 रोड निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-34-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम श्रवणपुर में रविदास मन्दिर से रामभरोसे के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ₹0 635542.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सी0सी0 रोड निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-35-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम मानपुर में हरीश के घर से घनश्याम के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ₹0 299312.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सी0सी0 रोड निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-36-** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम जसपुर में राकेश के घर से शिव मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ₹0 621388.00 व्यय किया गया है। परन्तु कार्यदायी संस्था से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था द्वारा अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे उक्त कार्य के किसी अन्य संस्था किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सी0सी0 रोड निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत:- मौ0पुर देवमल**

**वर्ष:- 2017-18 व 2019-20**

**प्रस्तर संख्या-37-** लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2017-2018 से संबन्धित ग्रांट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करे इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक,व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलिया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2017-18 में रुपये 2714918.05 की जांच एवं पुष्टि अपेक्षित है।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 का उल्लंघन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा अधिनियम/नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रुपये 2714918.05 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती रेखा चौधरी ,ब्लाक प्रमुख तथा श्री बलवन्त सिंह,श्री संतोष कुमार,श्री इन्द्रजीत सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री प्रकाशवीर रस्तौगी, अवर अभियन्ता एवं श्री मौ0 तारिक, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रुपये 2714918.05की धनराशि अविलम्ब ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर संख्या-38-** लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2018-2019 से संबन्धित ग्रांट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करे इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक,व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोलकी गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलिया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2018-19 में रुपये 13286019.40 की जांच एवं पुष्टि अपेक्षित है।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 का उल्लंघन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा अधिनियम/नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रुपये 13286019.40 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती रिचा राणा,ब्लाक प्रमुख तथा श्रीसंतोष कुमार,श्री अनवर शेख,श्री विजय प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री प्रकाशवीर रस्तौगी, अवर अभियन्ता एवं श्री मौ0 तारिक, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रुपये 13286019.40 की धनराशि अविलम्ब वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-39-** लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2019-2020 से संबन्धित ग्रांट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करे इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक,व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोलकी गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलिया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2019-2020 में रुपये 26652194.29 की जांच एवं पुष्टि अपेक्षित है।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 का उल्लंघन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा अधिनियम/नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रुपये 26652194.29 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती रिचा राणा,ब्लाक प्रमुख तथा श्रीसंतोष कुमार,श्री अनवर शेख,श्री विजय प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री प्रकाशवीर रस्तौगी, अवर अभियन्ता एवं श्री मौ0 तारिक, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रुपये 26652194.29 की धनराशि अविलम्ब वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### क्षेत्र पंचायत:- कोतवाली

### वर्ष:- 2017-18 व 2018-19

**प्रस्तर संख्या-40-** लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2017-18 से संबन्धित ग्रांट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करे इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक,व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोलकी गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलिया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2017-18 में रुपये 6785935.10 की जांच एवं पुष्टि अपेक्षित है।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 का उल्लंघन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा अधिनियम/नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रुपये 6785935.10 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती पूनम चौधरी ,ब्लाक प्रमुख तथा श्रीप्रदीप कुमार,श्री राकेश कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्रीअजय कुमार,श्री अरूण कुमार लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रुपये 26652194.29 की धनराशि अविलम्ब वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-41-** लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2018-19से संबन्धित ग्रांट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करे इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक,व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोलकी गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलिया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2018-19में रुपये 2717731.66 की जांच एवं पुष्टि अपेक्षित है।उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 का उल्लंघन किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा अधिनियम/नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रुपये 2717731.66 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती पूनम चौधरी ,2.श्री मती राखी अग्रवाल ब्लाक प्रमुख तथा श्री राकेश कुमार,श्री रोहताश कुमार,श्री अमरीश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अरूण कुमार, श्री अनिल कुमार लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रुपये 2717731.66 की धनराशि अविलम्ब वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-42-** अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य 2017-18 व 2018-19 में निम्नलिखित व्यय/भुगतान भी दर्शित है:-

| क्र० | विवरण          | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | योग       |
|------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 1    | आयकर टी0डी0एस0 | 128371.00    | 84756.00     | 213127.00 |

|   |                |                  |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | वणिज्य कर,वैट  | 227954.00        | 38049.00         | 266003.00        |
| 3 | लेवर सैन्स     | 56990.00         | 11488.00         | 68478.00         |
| 4 | रायल्टी        | 144643.00        | --               | 144643.00        |
|   | <b>कुल योग</b> | <b>557958.00</b> | <b>134293.00</b> | <b>692251.00</b> |

उपरोक्त मदों की जांच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावलियां, पंजिकाएँ, शासकीय कोष में धन जमा कराये जानेकी पुष्टि में जमा राशियों के चालान या अन्य प्रपत्र/प्रमाणक आदि अप्राप्त रहें। अतः उक्त मदों में कुल भुगतान राशि रुपये 692251.00 शासकीय कोष में जमा की पुष्टि नहीं होती है। उपरोक्त मदों में अंकित राशियां सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा लेखाकार आदि से अविलम्ब वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-43-** दिनांक 31.03.19 को जी0एस0टी0 का शेष रुपये 22830.00 अनुदान पंजिका तृतीय में दर्शित है। उक्तको शासकीय कोष में जमा कराये जाने की पुष्टि करायी जाय, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों में यह राशि ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

**प्रस्तर संख्या-44-** मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष आलोच्य 2017-18 में रुपये 350000.00 तथा 2018-19 में रुपये 910000.00 इस प्रकार कुल रुपये 1260000.00 व्यय/भुगतान अनुदान पंजिका वृत्तीय अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय भुगतान राशियों की जांच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय पात्र लाभार्थियों की स्वीकृत सूची व पत्रावली, पंजिका व्ययों के बिल/प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, आदि अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त राशियों की पूर्ण विवरण/साक्ष्यों/प्रमाणकों आदि से जांच व पुष्टि नहीं कराई गई सम्बन्धित भुगतानकर्ताओं यथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार आदि से रुपये 1260000.00 की धनराशियां ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-45** अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार आंगनवाडी मद में वर्ष 2018-19 में रुपये 1435179.00 के व्यय भुगतान दर्शित है। उक्त राशि के भुगतानों की जांच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय स्वीकृत कार्य योजनाएँ, व्यय अनुमान पत्र, टैण्डर पत्रावली, कार्यों के कार्यपूति प्रमाणपत्र, बिल/वाउचर/प्रमाणक, माप पुस्तिकाएँ, स्वीकृति, सम्बन्धित व्यय राशियों की पत्रावलियां आदि अप्राप्त रहे। उत्तरदायी भुगतानकर्ताओं तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार आदि से रुपये 1435179.00 की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर संख्या-46** अनुदान पंजिका वृत्तीय के अनुसार वर्ष 2018-19 में एन0आर0एल0एम0 योजना में रुपये 34295.00 प्राप्त तथा रुपये 21995.00 ही व्यय दर्शित है। उक्त व्यय भुगतानों की जांच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावली, पंजिका, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उत्तरदायी भुगतान कर्ताओं तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार से रुपये 21995.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-47** अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2017-18 में बायोगैस अनुदान मद में रुपये 750.00 गतवर्षों का शेष रुपये 750.00 व्यय दर्शित है। इसी प्रकार पेयजल योजना में रुपये 260.00 गतवर्षों का रुपये 260.00 व्यय भुगतान दर्शित है। तथा वर्ष 2015 से सम्बन्धित पंचायत चुनाव का शेष रुपये 23520.00 का व्यय वर्ष आलोच्य 2017-18 में रुपये 23520.00 व्यय भुगतान दर्शित है। उपरोक्त भुगतानों की जांच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावली, पंजिका, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उत्तरदायी भुगतान कर्ताओं तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार से कुल रुपये 24530.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-48** अनुदान पंजिका वृत्तीय के अनुसार वर्ष 2018-2019 में जनसूचना मद में प्राप्त हुई आय का व्यय भुगतान रुपये 820.00 दर्शित है। इसी प्रकार गोवंश भरण पोषण योजना में रुपये 16200.00 व्यय भुगतान दर्शित है। उपरोक्त भुगतानों की जांच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावली, पंजिका, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उत्तरदायी भुगतान कर्ताओं तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार से कुल रुपये 17020.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### प्रारूप-3

**जनपद का नाम:- मुरादाबाद**

**मण्डल का नाम:- मुरादाबाद**

**लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20**

**क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण -**

## 1. क्षेत्र पंचायत-मुरादाबाद वर्ष 2019-20, जनपद मुरादाबाद।

### प्रस्तर-01

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजिका 3 के अनुसार राज्य वित्त अनुदान से ₹0 11799404.74 व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 07 निर्माण कार्य पत्रावली पर कुल ₹0 3307874.00 ही उपलब्ध रहा। शेष रूपया 8491531.00 के व्यय सम्बन्धित कोई भी निर्माण पत्रावली व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव, अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि ₹0 8491531.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव एवं अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर -02

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य पर काटा गया टी.डी.एस. ₹0 41422.00 जी.एस.टी. ₹0 188301.00 रायल्टी ₹0 शून्य सेस चार्ज ₹0 16525.00 कुल ₹0 246248.00 के राजकोष में जमा सम्बन्धी प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव, अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि ₹0 246248.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव एवं अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर -03

अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2019-20 में निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 6024416.16 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव, अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि ₹0 6024416.16.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख श्री मनीष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्रीमती अनीता यादव एवं अवर अभियन्ता श्री सतवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

| क्रम सं० | मद का नाम                                  | वर्ष में व्यय |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| 01       | मनरेगा प्रशासनिक मद                        | 1747844.00    |
| 02       | क्षेत्र निधि ब्याज                         | 14.16         |
| 03       | इन्दिरा आवास योजना                         | 42564.00      |
| 04       | अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल                    | 141880.00     |
| 05       | पोस्टल टिकट क्रय                           | 2000.00       |
| 06       | मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना           | 2910040.00    |
| 07       | खण्ड विकास अधिकारी ठेकेदारों की धरोहर राशि | 971810.00     |
| 08       | प्रधानमंत्री आवास योजना                    | 208264.00     |
|          | योग                                        | 6024416.16    |
|          | कुल योग -                                  | 14762195.16   |

## 2. क्षेत्र पंचायत-छजलैट वर्ष 2019-20, जनपद मुरादाबाद।

### प्रस्तर-04

लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2019-20 की मात्र 11 निर्माण पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध करायी गयीं। वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से करायें गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम सं० | कार्य का नाम                                                            | प्रस्ताव सं० व दिनांक | कुल लागत  | टी०डी०                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| एस०      | जी०एस०टी०                                                               | सेस ठेकेदार का नाम    |           |                                           |
| 1        | ग्राम बिचपुरी में मेनरोड से वीरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य। | -----                 | 458316.00 | 8824.00 51400.00                          |
|          | 4283.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                             |                       |           |                                           |
| 2        | ग्राम सुन्दरपुर चाउपुरा में बिचपुरी से पीर मनकुआ तक खंडजा कार्य।        | -----                 | 183704.00 | 3517.00 20490.00                          |
|          | 1708.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                             |                       |           |                                           |
| 3        | ग्राम ढाकी में नाली निर्माण कार्य।                                      | -----                 | 45785.00  | 881.00 5135.00 428.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |

|          |                                                                                      |       |            |           |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------------------|
| 4        | ग्राम भिकनपुर मे पी0डब्लू0डी रोड से वंशीघर स्कूल तक इण्टर लाकिंग कार्य               | ----- | 345894.00  | 677.00    | 39476.00            |
|          | 3290.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                                          |       |            |           |                     |
| 5        | ग्राम देहरी मे हरपाल सैनी के घर से अमर सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।             | ----- | 447088.00  | 8948.00   |                     |
|          | 52121.00 4343.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                                 |       |            |           |                     |
| 6        | ग्राम संजयपुर मे मेन रोड से नंगला जोगराज तक खंडजा कार्य।                             | ----- | 499041.00  | 9935.00   | 57874.00            |
|          | 4823.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                                          |       |            |           |                     |
| 7        | ग्राम पोटा मे अखिलेश सिंह के घर से रोड तक सी0सी0 टाइल्स कार्य।                       | ----- | 242804.00  | 4336.00   | 26015.00            |
|          | 2168.00 बालाजी कॉन्ट्रैक्टर                                                          |       |            |           |                     |
| 8        | ग्राम आबी हफीजपुर मे टीकाराम के घर से नहर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य। 04/              |       |            |           |                     |
| 01.03.19 | 526534.00 10405.00 60611.00 5051.00                                                  |       |            |           | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 9        | ग्राम कुचावली मे तालाब से रतन सिंह के घर की ओर इण्टर लाकिंग टाइल्स कार्य। 24/        |       |            |           |                     |
| 02.03.19 | 859269.00 16980.00 98914.00 8243.00                                                  |       |            |           | राजपाल सिंह         |
| 10       | ग्राम भीकनपुर मे बी0डी0सी मेम्बर मे घर के पास इण्टर लाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य। 10/ |       |            |           |                     |
| 02.03.19 | 546477.00 38549.00 59648.00 4971.00                                                  |       |            |           | राजपाल सिंह         |
| 11       | कांठ-अमरोहा रोड से नवादा गांव के अन्दर इण्टर लाकिंग टाइल्स नाली निर्माण कार्य। 11/   |       |            |           |                     |
| 02.03.19 | 767552.00 15203.00 88564.00 7380.00                                                  |       |            |           | राजपाल सिंह         |
|          | योग                                                                                  |       | 4922464.00 | 118255.00 | 560248.00 46688.00  |

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजिका 3 के अनुसार राज्य वित्त अनुदान से रु0 5467446.80 व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 11 निर्माण कार्य पत्रावली पर कुल रु0 4922464.00 ही उपलब्ध रहा। शेष रूपया 544982.80 के व्यय सम्बन्धित कोई भी निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके प्रति लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र, मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रु0 544982.80 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र, से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-05

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य पर काटा गया टी.डी.एस. रु0 118255.00 जी.एस.टी. रु0 560248.00 रायल्टी रु0 शून्य सेस चार्ज रु0 46688.00 कुल रु0 725191.00 के राजकोष में जमा सम्बन्धी प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके प्रति लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र, मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रु0 725191.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र, से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-06

शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक 19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित संपत्तियों यथास्थिति स्वस्थ केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाये। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य पर अधिकतम 50 प्रतिशत ही खर्च किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान रु0 8741205.00 है। जिसका 50 प्रतिशत रु0 4370602.00 होता है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 निर्माण कार्य पर कुल रु0 4922464.00 किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्य पर रु0 551861.00 अधिक व्यय कर उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश, विकासखण्ड अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश, खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आपेक्षित है।

#### प्रस्तर-07

शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक 19 जून 2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्गों का निर्माण कराया जाना चाहिए। परन्तु निम्नांकित निर्माण कार्य एक ही गांव के अन्दर करा कर उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतः इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय की गई कुल धनराशि रु0 2173298.00 की वसूली तातारिख ब्याज सहित ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश, खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है-

| क्र0 | निर्माण कार्य का नाम                                                             | प्रस्ताव संख्या | कुल लागत   | ठेकेदार का नाम |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|--|--|
| 1    | ग्राम कुचावली में तालाब से रतन सिंह के घर की ओर इण्टर लाकिंग टाइल्स कार्य        | 24/02.03.19     | 859269.00  |                |  |  |
| 2    | ग्राम भीकनपुर में बी.डी.सी. मेंबर के घर के पास इण्टर लाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य | 10/02.03.19     | 546477.00  |                |  |  |
| 3    | कांठ-अमरोहा रोड से नवादाबाद गांव के अन्दर इण्टर लाकिंग टाइल्स नाली निर्माण कार्य | 11/02.03.19     | 767552.00  |                |  |  |
|      |                                                                                  | योग             | 2173298.00 |                |  |  |

#### प्रस्तर-08

कार्यवाही पंजिका के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित किये गये कार्यों में निम्नांकित निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं पाये गये। इस प्रकार कुल ₹0 2222632.00 को पूर्णतया अनियमित रूप से व्यय किया गया है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश, खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश, खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0के0 उपाध्याय, अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र से तात्परि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है -

| क्र0 | कार्य का नाम                                                             | कुल लागत   | ठेकेदार का नाम      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1    | ग्राम बिचपुरी में मेनरोड से वीरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।  | 458316.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 2    | ग्राम सुन्दरपुरा चाउपुरा में बिचपुरी से पीर मनकुआं तक खण्डजा कार्य।      | 183704.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 3    | ग्राम ढाकी में नाली निर्माण कार्य।                                       | 45785.00   | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 4    | ग्राम भीकनपुर में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से वंशीधर स्कूल तक इण्टर लाकिंग काय | 345894.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 5    | ग्राम देहरी में हरपाल सैनी के घर से अमर सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग काय   | 447088.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 6    | ग्राम संजरपुर में मेन रोड से नंगला जोगराज तक खण्डजा कार्य।               | 499041.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
| 7    | ग्राम पोटा में अखिलेश सिंह के घर से रोड तक सी.सी. टाइल्स कार्य।          | 242804.00  | बालाजी कॉन्ट्रैक्टर |
|      | योग                                                                      | 2222632.00 |                     |

#### प्रस्तर-09

अनुदान पंजिका के अनुसार निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 6139763.66 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके प्रति लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| मद का नाम                       | व्यय धनराशि |
|---------------------------------|-------------|
| मनरेगा प्रशासनिक मद             | 1300508.66  |
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | 3519000.00  |
| जमानत वापस                      | 222989.00   |
| पी.एम.ए.वाई. कन्टीजेन्सी        | 185210.00   |
| गोवंश आश्रय स्थल                | 408143.00   |
| योग                             | 5635850.66  |

#### प्रस्तर-10

बैंक खाता संख्या 30380001000034921 के स्टेटमेंट के अनुसार निम्नांकित कुल ₹0 268747.00 आहरित धनराशियों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। जिसके प्रति लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| दिनांक     | चेक संख्या | धनराशि    | आहरित करने वाले का नाम |
|------------|------------|-----------|------------------------|
| 24.05.2019 | 353418     | 97084.00  | मै0 बालाजी             |
| 10.06.2019 | 353426     | 91663.00  | बालाजी                 |
| 17.03.2020 | 353449     | 80000.00  | अविनाश चन्द्र          |
|            | योग        | 268747.00 |                        |



### प्रस्तर-11

चयनित टेण्डर के ठेकेदार के कम से कम रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट कराया जाना चाहिए। जबकि किसी भी कार्य का एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर नहीं कराया गया है। सिसे कुल रु0 1100.00 के राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। जिसके प्रति लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल योग - 12123662.46

### 3. क्षेत्र पंचायत-बिलारी वर्ष 2019-20, जनपद मुरादाबाद।

#### प्रस्तर-12

ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु-4560591.36 बैंक से आहरण करके व्यय किया गया था। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए 5 कार्यों पर कुल रु - 4316070.26 व्यय या गया था। इस प्रकार अन्तर की राशि रु -244521.10 की पुष्टि में कोई विवरणध्रमाणक नहीं पायी गयी। अतः दर्शित अन्तर की राशि के अपहरण किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता. इस प्रति आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस अन्तर की राशि का सम्बन्धित ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता से इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2019.20 में निम्नलिखित 5 कार्य कराये गए थे जिनका विवरण निम्नलिखित है.

| क्रमांक | कार्य का नाम                                                                                 | एस्टीमेट  | कुल जी0एस0टी12 प्रतिशत | क्लाईट जी0एस0टी 2 प्रतिशत | आयकर 2 प्रतिशत | उपकर 1 प्रतिशत | जमानत राशि 5प्रतिशत | नेट भुगतान | कुल भुगतान                 | नाम ठेकेदार                |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1       | ग्राम चैधरपुर में बिलारी स्योडारा रोड से लखपत सिंह के मकान तक सी.सी. टाइल्स का निर्माण कार्य | 855397.40 |                        |                           |                |                | 102596.36           | 17100.00   | 27100.00                   | 8550.00 85500.00 872066.00 | 957566.06 मो0        |
| मुस्लिम |                                                                                              |           |                        |                           |                |                |                     |            |                            |                            |                      |
| 2       | ग्राम बीरमपुर से सम्पर्क मार्ग से शमशान घाट की ओर सी.सी. टाइल्स निर्माण कार्य।               | 814679.30 |                        |                           |                |                | 16288.00            | 16288.00   | 8144.00 40720.00 830636.00 | 912075.84                  | तदैव                 |
| 3       | ग्राम रोजा में सी.सी. टाइल्ल रोड से देवी मन्दिर की ओर सी.सी. टाइल्स निर्माण।                 | 689686.90 |                        |                           |                |                | 13784.00            | 13784.00   | 6892.00 34500.00 702871.00 | 771831.37                  | तदैव                 |
| 4       | ग्राम पीपली चक में आनन्दी प्रसाद के मकान से शिव मन्दिर तक सी.सी. टाइल्स निर्माण।             | 844048.50 |                        |                           |                |                | 16874.00            | 16874.00   | 8437.00 42190.00 860581.00 | 944956.08                  | मै0 गजेन्द्र सिंह    |
| 5       | ग्राम झकड़ा में मुकुट सिंह यादव के मकान से शमशान घाट तक खड्जा का निर्माण।                    | 651791.00 |                        |                           |                |                | 13030.00            | 13030.00   | 6515.00 32575.00 664491.00 | 729640.91                  | तदैव                 |
|         | योग                                                                                          |           |                        |                           |                |                | 461936.00           | 77076.00   | 77076.00                   | 38538.00                   | 235485.00 3930645.00 |
|         |                                                                                              |           |                        |                           |                |                | 4316070.26          | .....      |                            |                            |                      |

1-क्रमांक-1 पर दर्शित कार्य की पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कराए गए कार्य के कम से कम 3 फोटोग्राफ होने चाहिए थे जिसमें से एक कार्य प्रारम्भ दूसरा कार्य प्रगति के समय व तीसरा कार्य पूर्ण होने के समय का होना चाहिए। किन्तु लेखा परीक्षा के समय पत्रावली में कोई फोटोग्राफ नहीं पाया गया। क्रमांक-1 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी पत्रावली में नहीं है। कराया गया कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर ही केवल चैधरपुर ग्राम वासियों के लिए ही सी.सी. टाइल्स कार्य कराया दिखाया है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त तथ्यों को भी दृष्टिगत करते हुए कराया दिखाया कार्य संदिग्ध है। अतः कार्य पर हुए शुद्ध भुगतान रु- 872066.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

2-क्रमांक-1 4 व 5 पर दर्शित निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराए गए थे। जबकि शासनादेश स0- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जा धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाने चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत बिलारी द्वारा शासनादेश में दिए मार्गदर्शन के विरुद्ध कार्य करा करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-14

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खंवि०अधि० बिलारी के मध्य संयुक्त रूप से संचालित खाता सं से वर्ष 2019-20 दिनांक 13.01.2020 तक उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्न विवरण के मुताबिक धन का आहरण किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और न ही न्याय पंचायत स्तर पर की कल्स्टर ही बना है और न ही उक्त खातों का लेखा क्षेत्र पंचायत के अनुदार रजिस्टर तृतीय में किया गया है। आहरित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए श्री राजीव सक्सेना सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खंवि०अधि० संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसे संयुक्त रूप से ₹0. 108660.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। आहरण की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है।

| क्रम | स0 | चेक संख्या | तिथि      | धनराशि             | विवरण |
|------|----|------------|-----------|--------------------|-------|
| 1    | 68 | 01.05.2019 | 12600.00  | श्री अरूण कुमार    |       |
| 2    | 67 | 13.05.2019 | 18000.00  | श्री नवल किशोर     |       |
| 3    | 69 | 22.10.2019 | 48910.00  | श्री राजीव सक्सेना |       |
| 4    | 70 | 10.12.2019 | 14000.00  | श्री अरूण कुमार    |       |
| 5    | 71 | 30.12.2019 | 6000.00   | श्री सचिन          |       |
| 6    | 72 | 13.01.2019 | 9150.00   | श्री रिकू          |       |
|      |    | योग        | 108660.00 |                    |       |

#### प्रस्तर-15

. आलोच्य वर्ष में जी०एस०टी दर 12 प्रतिशत से ₹0- 461936.00 काटी गयी थी। जिसमें 2 प्रतिशत जी.एस.टी. ₹0. 77076.00 स्वयं क्षेत्र पंचायत द्वारा कोषागार में जमा किया गया था। शेष 10 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा जमा किया जाना था। ऑडिट में ₹0. 77076.00 जीएसटी कोषागार में जमा की पुष्टि में चालान आदि नहीं देखने को मिला और न ही ठेकेदार द्वारा शेष 10 प्रतिशत जीएसटी कोषागार में जमा किए जाने का प्रमाण क्षेत्र पंचायत में पाया गया। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर 16.

लेबर सैस वर्ष 2019-20 में 1 प्रतिशत की दर से ₹0- 38538.00 काटा तो गया था किन्तु इसे उत्तर प्रदेश सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष में जमा किया जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। जमा न किए जाने की स्थिति में तत्कालीन ख. वि .अ इसके लिए उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

### 4. क्षेत्र पंचायत-कुन्दरकी वर्ष 2019-20, जनपद मुरादाबाद।

#### प्रस्तर-17

गत वर्ष का अवशेष अनुदार विभिन्न मदों का ₹0. 12367433.46 था जिसे वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में अवशेष ₹0. 12366083/46 दिखाया है इस प्रकार अन्तर की राशि ₹0. 1350.00 से अवशेष अनुदान कम दिखाया गया है इस अन्तर से स्पष्ट करते हुए कम दर्शित राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रकट होता है। इस प्रति उत्तरदायी ख. वि .अ व लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-18

मनरेगा कन्टीजेन्सी योजना के अन्तर्गत ₹0. 4889436.00 प्राप्त हुए थे। गत वर्ष का अवशेष ₹0. 2982211/50 था। उक्त के सापेक्ष ₹0. 5267701.16 व्यय किया गया था। इस प्रकार ₹0. 2603946.34 पैसे से मद में अप्रयुक्त शेष थे। इस व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय का विवरण तथा पुष्टि में प्रमाणकध/ पत्रावलियां न उपलब्ध होने के कारण धनराशि के दुरुपयोग किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रति उत्तरदायी ख. वि .अ व लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-19

इन्दिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना में आलोच्य वर्ष का गतशेष ₹0. 625528.46 था जिसमें ऑडिट वर्ष में ₹0. 78638.00 प्राप्त हुआ। इसमें बैंक से प्राप्त ब्याज भी सम्मिलित है। इस प्रकार कुल ₹0. 704166.46 को साल भीतर व्यय किया दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया है। व्यय दर्शित राशि की पुष्टि में मौखिक व लिखित मांग के पश्चात भी सम्बन्धित प्रमाणक /पत्रावलियां लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमाणक / पत्रावलियां उपलब्ध न कराया जाना उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया जाना प्रकट करता है। अतः ₹0.704166.46 की तत्कालीन ख. वि .अ एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-20

शासनादेश संख्या 2161/33.3.2016.02/2016 दिनांक 09 अगस्त 2016 के द्वारा शासनादेश संख्या 234/33.3.2016.2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के प्रस्तर दृ ग (तृतीय) एवं (चतुर्थ) में व्यवस्था दी गयी है कि कन्टीजेन्सी हेतु ख०वि०अधि० एवं सहायक विकास अधिकारी का संयुक्त बैंक खाता उनके पद नाम से क्षेत्र पंचायत स्तर पर 14वें वित्त आयोग के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा और संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि व्यय की जाएगी। किन्तु तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की जांच में पाया गया कि वर्तमान तक ख०वि०अधि० एवं सहायक विकास अधिकारी का संयुक्त बैंक खाता नहीं खोला गया है। संयुक्त खाता न खोले जाने का कोई उचित कारण भी नहीं था। इस सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार शीघ्र संयुक्त खाता खोला जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-21

शासनादेश संख्या 234/33.3.2016.2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण में प्रस्तर - 1 तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त होने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता के रूप में व्यय किया जाना है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1 (क) में उल्लेख है कि 18 गतिविधियों में ही ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि को खर्च किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर और क्षेत्र पंचायत स्तर पर कोई ढांचा स्थापित ही नहीं हुआ है। इसके बावजूद विगत वर्षों से सहायक विकास अधिकारी के द्वारा उक्त शासनादेश के 18 अनुमन्य गतिविधियों के इतर मदों पर मनमाने ढंग से बिना किसी उच्चधिकारी की स्वीकृति के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि से व्यय किया जा रहा है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष 2016-17

| क्र०सं० | दिनांक     | चैक संख्या | धनराशि   | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---------|------------|------------|----------|---------------------|
| 1       | 06.09.2016 | स्वयं      | 7135.00  | स्वयं               |
| 2       | 17.10.2016 | 840911     | 2664.00  | संजय सिंह           |
| 3       | 20.10.2016 | 840912     | 9750.00  | ऋषिपाल सिंह         |
| 4       | 28.10.2016 | 840913     | 16000.00 | खेम सिंह            |
| 5       | 03.12.2016 | 840915     | 4000.00  | संजय                |
| 6       | 02.01.2017 | 840917     | 4000.00  | ऋषिपाल सिंह         |
| 7       | 02.02.2017 | 840918     | 4000.00  | ऋषिपाल सिंह         |
| 8       | 28.02.2017 | 840919     | 3850.00  | रिंकू कुमार         |
| 9       | 03.03.2017 | 840920     | 4000.00  | ऋषिपाल सिंह         |
| 10      | 28.03.2017 | 840921     | 1827.00  | ए० ओ० कैश           |
|         |            | योग        | 57226.00 |                     |

वर्ष 2017-18

| क्र०सं० | दिनांक     | चैक संख्या | धनराशि   | भुगतान प्राप्तकर्ता     |
|---------|------------|------------|----------|-------------------------|
| 1       | 03.04.2017 | 840923     | 4000.00  | संजय सिंह               |
| 2       | 12.04.2017 | 840924     | 10000.00 | इमरान खान               |
| 3       | 01.06.2017 | 840925     | 3000.00  | लेखाधिकारी बी०एस०एन०एल० |
| 4       | 13.07.2017 | 840927     | 12000.00 | संजय                    |
| 5       | 28.07.2017 | 840930     | 28700.00 | योसुफ अहमद              |
| 6       | 29.07.2017 | 767883     | 9900.00  | कौसर अली                |
| 7       | 01.06.2017 | 767881     | 2500.00  | लेखाधिकारी बी०एस०एन०एल० |
| 8       | 02.08.2017 | 767884     | 5000.00  | संजय                    |
| 9       | 05.09.2017 | 767885     | 4000.00  | संजय                    |
| 10      | 16.09.2017 | 767886     | 2000.00  | लेखाधिकारी बी०एस०एन०एल० |
| 11      | 03.10.2017 | 767887     | 4000.00  | संजय                    |
| 12      | 27.10.2017 | 767888     | 2500.00  | लेखाधिकारी बी०एस०एन०एल० |
| 13      | 30.10.2017 | 767889     | 10000.00 | संजय सिंह               |
| 14      | 31.10.2017 | 767890     | 4000.00  | संजय                    |
| 15      | 30.11.2017 | 767891     | 5000.00  | ऋषि पाल सिंह            |

|     |            |        |           |                       |
|-----|------------|--------|-----------|-----------------------|
| 16  | 01.01.2018 | 767892 | 4000.00   | संजय सिंह             |
| 17  | 12.01.2018 | 767893 | 5350.00   | बाबू अली              |
| 18  | 24.01.2018 | 767895 | 87000.00  | यू0के0 इन्टर प्राइजेज |
| 19  | 02.02.2018 | 767896 | 4000.00   | अकबर हुसैन            |
| 20  | 26.02.2018 | 767897 | 9000.00   | बाबू अली              |
| 21  | 07.03.2018 | 767899 | 4000.00   | बाबू अली              |
| 22  | 14.03.2018 | 767898 | 2624.00   | बी0एस0एन0एल           |
| योग |            |        | 222574.00 |                       |

वर्ष 2018-19

| क्र0सं0 | दिनांक      | चैक संख्या | धनराशि    | भुगतान प्राप्तकर्ता   |
|---------|-------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1       | 06.04.2018  | 767900     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 2       | 04.05.2018  | 767901     | 6000.00   | संजय                  |
| 3       | 07.05.2018  | 767902     | 4000.00   | संजय                  |
| 4       | 24.05.2018  | 767904     | 7500.00   | ओमपाल सिंह            |
| 5       | 01.06.2018  | 767905     | 4000.00   | संजय                  |
| 6       | 10.07.2018  | 767906     | 4500.00   | ंरिंकु कुमार          |
| 7       | 24.07.2018  | 767908     | 5000.00   | बाबू अली              |
| 8       | 27.07.2018  | 767909     | 2000.00   | बाबू अली              |
| 9       | 09.08.2018  | 767910     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 10      | 09.08.2018  | 767911     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 11      | 13.08.2018  | 767913     | 17800.00  | जिम्मी कम्प्यूटर्स    |
| 12      | 10.09.2018  | 767916     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 13      | 05.09.2018  | 767919     | 38000.00  | मुदित कुमार           |
| 14      | 03.10.2018  | 767920     | 5000.00   | बाबू अली              |
| 15      | 12.10.2018  | 767921     | 5000.00   | बाबू अली              |
| 16      | 31.10.2018  | 767922     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 17      | 02.11.2018  | 767924     | 5000.00   | रिंकु कुमार           |
| 18      | 30.11.2018  | 767926     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 19      | 05.12..2018 | 767925     | 10620.00  | न्यू भाटिया पब्लिसीटी |
| 20      | 07.12.2018  | 767928     | 6000.00   | रमेश कमल              |
| 21      | 15.12.2018  | 767929     | 32000.00  | ए0आई0निफटी            |
| 22      | 19.12.2018  | 767927     | 5000.00   | रिंकु कुमार           |
| 23      | 07.01.2019  | 767930     | 9700.00   | ए0आई0निफटी            |
| 24      | 10.01.2019  | 767931     | 21000.00  | रमेश कमल              |
| 25      | 02.02.2019  | 767933     | 2000.00   | संजय                  |
| 26      | 02.02.2019  | 767932     | 8000.00   | संजय                  |
| 27      | 08.03.2019  | 767934     | 4000.00   | बाबू अली              |
| 28      | 08.03.2019  | 767935     | 6000.00   | बाबू अली              |
| 29      | 13.03.2019  | 767936     | 80000.00  | सुहेल खान             |
| 30      | 19.03.2019  | 767938     | 5000.00   | बाबू अली              |
| 31      | 22.03.2019  | 767937     | 2720.00   | संजय                  |
| 32      | 27.03.2019  | 767940     | 4090.00   | नरपत सिंह             |
| योग     |             |            | 323930.00 |                       |

वर्ष 2019-20

| क्र0सं0 | दिनांक     | चैक संख्या | धनराशि   | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---------|------------|------------|----------|---------------------|
| 1       | 02.04.2019 | 767939     | 2655.00  | जमान ग्लास          |
| 2       | 09.04.2019 | 767941     | 10100.00 | रमेश कमल            |

|     |            |           |           |                           |
|-----|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 3   | 09.04.2019 | 767942    | 4000.00   | सुहेल खान                 |
| 4   | 29.04.19   | 767943    | 20000.00  | सुहेल खान                 |
| 5   | 07.05.19   | 767944    | 10000.00  | राहत अली                  |
| 6   | 07.05.19   | 767946    | 14480.00  | चमन सिंह                  |
| 7   | 08.05.19   | 767945    | 33128.00  | मै0 हारून ट्रेडिंग कम्पनी |
| 8   | 10.05.19   | 767947    | 16800.00  | बाबू अली                  |
| 9   | 15.05.19   | 767949    | 7890.00   | बाबू अली                  |
| 10  | 16.05.19   | 767948    | 18100.00  | ए0आई0निफटी                |
| 11  | 01.06.19   | 767951    | 8000.00   | बाबू अली                  |
| 12  | 03.06.19   | 767950    | 40000.00  | सुहेल खान                 |
| 13  | 19.06.19   | 767952    | 13182.00  | बाबू अली                  |
| 14  | 19.06.19   | 767953    | 1900.00   | बाबू अली                  |
| 15  | 30.07.19   | 767955    | 177000.00 | ए0आई0निफटी                |
| 16  | 31.07.19   | 767956    | 8000.00   | बाबू अली                  |
| 17  | 31.07.19   | 767954    | 20000.00  | सुहेल खान                 |
| 18  | 14.08.19   | 767957    | 20000.00  | सुहेल खान                 |
| 19  | 26.08.19   | 767958    | 10000.00  | बाबू अली                  |
| 20  | 23.09.19   | 767959    | 5300.00   | माईकरो सन इंडिया          |
| 21  | 03.10.19   | 767961    | 10000.00  | बाबू अली                  |
| 22  | 03.10.19   | 767960    | 8000.00   | बाबू अली                  |
| 23  | 13.11.19   | 767963    | 4000.00   | बाबू अली                  |
| 24  | 11.11.19   | 767964    | 97900.00  | सुहेल खान                 |
| 25  | 21.11.19   | 767965    | 10000.00  | बाबू अली                  |
| 26  | 20.01.20   | 767966    | 8000.00   | बाबू अली                  |
| 27  | 20.01.20   | 767967    | 8000.00   | बाबू अली                  |
| 28  | 24.02.20   | 767968    | 15000.00  | बाबू अली                  |
| 29  | 03.03.20   | 767978    | 5600.00   | अखिलेश                    |
| 30  | 03.03.20   | 767976    | 8000.00   | अखिलेश                    |
| 31  | 20.03.20   | 767977    | 4500.00   | रिंकु कुमार               |
| योग |            | 619535.00 |           |                           |

इस प्रकार वर्ष 2016.17 में ₹0. 57226.00 वर्ष 2017.18 में ₹0.222574.00 वर्ष 2018.19 में ₹0. 323930.00 तथा वर्ष 2019.20 में ₹0. 619535.00 कुल ₹0. 1223265.00 का व्यय तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के खाते से ए.डी .ओ के द्वारा अपने सहयोगियों के माध्यम से किया गया है। ₹0. 1223265.00 का व्यय शासनादेश के विपरीत करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-22

तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त ₹0. 54621.00 को उपभोग आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है जिसमें 860.00 रुपये ब्याज भी शामिल है। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### प्रारूप-3

### मण्डल - प्रयागराज

#### क्षेत्र पंचायत- मूरतगंज, वर्ष 2019-20, वि0ख0- मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 1 -** क्षेत्र पंचायत मूरतगंज वर्ष 2019-20 द्वारा ग्राम लोहरा सहरद से ग्राम सोखंदा में शेरसिंह के घर तक अवशेष भाग में खड़जा निर्माण कार्य में मस्टर रोल दिनांक 27.04.2020 से 27.05.2020 तक 19 मजदूरों से 327 मानव दिवस दर 275 रुपये प्रति मानव दिवस से कार्य कराये जाने का मस्टर रोल धनराशि रुपये 1,06,424=00 पत्रावली में उपलब्ध रहा किन्तु मजदूरों की धनराशि प्राप्ति के फलस्वरूप किये जाने वाले हस्ताक्षर । निशान अंगूठा एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मस्टर रोल प्रमाणित भी नहीं और भुगतान पारित की मोहर भी अंकित नहीं पायी गयी जिससे स्पष्ट है कि धनराशि 1,06,424=00 रुपये का वास्तव में भुगतान किया ही नहीं गया। अतः

1,06,424=00 रुपये का अपहरण हुआ है। जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री आलोक कुमार सिंह , ए0डी0ओ0(सी0) एवं ख0वि0अ0 श्री शैलेश राय एवं क्षे0पं0प्रमुख श्री मो0 साऊद से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 2 -** क्षे0पं0- मूरतगंज वर्ष 2019-20 द्वारा निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराये गये हैं। जिसमें सामग्री का भुगतान करते समय बिलों की धनराशि में 12% जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़कर कुल में से आयकर की धनराशि काटकर शेष का भुगतान फर्मों को कर दिया गया है। जबकि फर्मों के बिलों में 12% जी0एस0टी0 की धनराशि में से 2% की धनराशि रोककर शेष 10% जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़कर बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया।

12% जी0एस0टी0 फर्मों को भुगतान करने के उपरान्त फर्मों से जी0एस0टी0 विभाग में जमा धनराशि का प्रमाण- पुत्र भी माँगकर नहीं रखा गया है, जिससे राजस्व की क्षति हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0 सं0 | परियोजना का नाम                                                                         | फर्म का नाम                  | फर्म के बिल की धनराशि      | बिल की धनराशि का 12% | इनकम टी0डी0एस0      | टैक्स शुद्ध भुगतान    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | ग्राम सभा दुर्गापुर सैयद सरावां से ग्राम सभा चिल्ला शहबाजी लिंक मार्ग पर खड़जा निर्माण। | 12% की एस0के0एस0 कन्सट्रक्शन | 7,22,030=00<br>2,77,468=00 | 86643=00<br>33296=00 | 18144=00<br>6215=00 | 79056=00<br>304550=00 |
| योग      |                                                                                         |                              | -                          | 1,19,939=00          |                     |                       |

अतः धनराशि रु0 1,19,939=00 के राजस्व की क्षति संस्था द्वारा पहुँचाई गई जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेश राय एवं प्रमुख श्री मो0 साऊद उत्तरदायी है जिससे उक्त राजस्व की वसूली कर ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- सिराथू , वर्ष 2019-20, वि0ख0- सिराथू जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 3-** निम्नलिखित तिथियों को जय माँ शीतलाट्रेडर्स कुंदरावीसिराथू कौशाम्बी के फ़र्जी बिल परक्रमांक भी अंकित नहीं है तथा जीएसटी संस्था द्वारा ही 12 प्रतिशत के दर से काटा गया है जिसका चालान ऑनलाइन। ऑफलाइन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उक्त सप्लायर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है कार्य प्रारम्भ मध्य और समाप्ति का फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। जिसे स्पष्ट है की उक्त सप्लायर का फर्जी बिल लगा कर राजकीय धनराशि रु-2148634.०० का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार धुरिया और श्री स्वेता सिंह ख०वी०अ० तथा श्री अवनीश चंद्र श्रीवास्तव लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 4 -** बिना तिथि के सादे कागज पर २७० धनमीटर मिट्टी का रूपए 41850.00 भुगतान किया गया है जिस पर मिट्टी सप्लायर का हस्ताक्षर नहीं है जिसे प्रतिहस्ताक्षरीत कर दिया गया। इससे स्पष्ट है की उक्त फर्जी बिल लगाकर अनुदान का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार धुरिया और श्री स्वेता सिंह ख०वी०अ० तथा श्री अवनीश चंद्र श्रीवास्तव लेखाकार से वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 5 -** निम्नांकित तिथियों को मस्टर रोल पर श्रमिकों को नगद रु० 310911.00 भुगतान दर्शाया गया है जिस पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा नहीं पाया गया है। जिसे स्पष्ट है की फर्जी मस्टर रोल लगाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नलिखित है-

| क्र० | मस्टर रोल की अवधि        | श्रमिकों के संख्या | कार्य का नाम | धनराशि    |
|------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1    | 02.05.2018 से 14.05.2018 | 37                 | अज्ञात       | 92225.00  |
| 2    | 09.11.2019 से 15.11.2019 | 06                 | अज्ञात       | 16198.00  |
| 3    | 18.11.2019 से 12.12.2019 | 35                 | अज्ञात       | 202488.00 |
| योग  |                          |                    |              | 310911.00 |

जिसकी वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित श्री राकेश कुमार धुरिया और श्री स्वेता सिंह तथा श्री लक्ष्मण प्रशाद खा०वी०अ० तथा अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार से ब्याज सहित रु० 310911.०० वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 6 -** जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशाम्बी सप्लायर के फर्जी बिल पर क्रमांक भी नहीं छापा है तथा सप्लायर द्वारा फर्जी जीएसटी की कटौती की गयी है किन्तु ऑफलाइन/ ऑनलाइन जीएसटी जमा कराने का चालान अनुपलब्ध रहा। विवरण निम्नलिखित है-

| क्र० | तिथी       | सप्लायर नाम                                   | धनराशि जिस जी०एस०टी० पर जीएसलेबर सेसयोग जीएसटी व लेबरसे की कटौती नहीं की गयी है | लेबर सेस  | योग      |           |
|------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1    | 10.02.2019 | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 597600.00                                                                       | 108000.00 | 5976.00  | 113976.00 |
| 2    | तिथि रहित  | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 717120.00                                                                       | 129600.00 | 2463.00  | 132063.00 |
| 3    | 31.07.2019 | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 103154.58                                                                       | 15995.00  | 1032.00  | 17027.00  |
| 4    | तिथि रहित  | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 124038.00                                                                       | 14758.00  | 1240.00  | 15998.00  |
| 5    | 17.11.19   | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 348048.00                                                                       | 31581.00  | 3480.00  | 35061.00  |
| 6    | 18.02.2019 | जय माँ शीतला ट्रेडर्स कुन्डावी सिराथू कौशांबी | 246295.00                                                                       | -         | 2463.00  | 2463.00   |
|      |            |                                               | 2136255.58                                                                      | 299934.00 | 16654.00 | 316588.00 |

उपरोक्त विवरण के अनुसार जीएसटी के धनराशि रु० 209934.00 के स्थान पर मात्र रु० 23836.00 की कटौती सप्लायर से की गयी है। शेष रूपए 276098.०० की कटौती नहीं की गयी है तथा लेबर सेस रु० 16654.00 कुल योग रूपए 292752.00 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार धुरिया और श्रीमती स्वेता सिंह तथा श्री लक्ष्मण प्रशाद खा०बी०अ० तथा अवनीशचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार से ब्याज सहित रु० 292752.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### क्षेत्र पंचायत- नेवादा, वर्ष 2019-20, वि०ख०- नेवादा जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 7 -** शासनादेश संख्या 1639। 33-3-2015-03। 2015 दिनांक 19 जून 2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। जिसके प्रस्तर 2.5 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों। सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार से नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। किन्तु क्षेत्र पंचायत नेवादा द्वारा वर्ष 2019-20 में निम्न निर्माण कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत की परिधि में आते हैं।

| क्र०स० | कार्य का नाम                                                                                                | व्यय धनराशि |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01     | ग्राम पंचायत नेवादा में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र में जे०एस०वाई० भवन वार्ड ए०आर०ओ० कक्ष के सामने इण्टर लॉकिंग | 469771.00   |
| 02     | ग्राम पंचायत नेवादा में सहकारी समिति में इण्टर लॉकिंग                                                       | 646536.00   |
| 03     | ग्राम पंचायत नेवादा में मुख्य मार्ग से शारदा माता मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य                              | 501889.00   |
| 04     | ग्राम पंचायत नसीरपुर में मेन रोड की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कार्य।                                     | 106881.00   |
| 05     | ग्राम पंचायत फरीदपुर में (राजस्व ग्राम औधन) स्मारक तक इण्टर लॉकिंग कार्य                                    | 81751.00    |
|        | योग                                                                                                         | 1806828.00  |

इस प्रकार धनराशि रूपया 1806828.00 का व्यय उक्त शासनादेश के अनुसार अनियमित रहा, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती राधा देवी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- चायल , वर्ष 2019-20, वि0ख0- चायल जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 8 -** ग्राम पंचायत चरवा में हरीलाल के घर से मुन्नू कोरी के घर तक नाला निर्माण कार्य में कुल रूपया 347060.00 का व्यय रहा, जिसमें रूपया 260921.00 सामग्री में, रूपया 5979.00 आयकर भुगतान एवं शेष रूपया 80160.00 की धनराशि मजदूरी पर नकद भुगतान की गई है। इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ हैं-

(i) शासनादेश संख्या 1639। 33-3-2015-03। 2015 दिनांक 19 जून 2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, जिसके प्रस्तर 2.5 के अनुसार धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों का आच्छादित करने वाले कार्य कराए जाने की व्यवस्था है, किन्तु इस प्रोजेक्ट में केवल ग्राम पंचायत चरवा में ही कार्य कराया गया है, जिससे इस प्रोजेक्ट में व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि रूपया 347060.00 का अनियमित व्यय रहा। रूपया 347060.00 में रूपया 49635.00 वसूली की आपति संख्या(ii) है। अतः रूपया 297425.00 अनियमितता एवं रूपया 49635.00 अनियमितता के साथ-साथ वसूली की धनराशि है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं प्रमुख श्री सोनू कुमार उत्तरदायी हैं।

(ii) रूपया 80160.00 की नकद मजदूरी भुगतान की गई है। इसके लिए कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) को चेक संख्या 136370.00 दि0 28-02-2020 धनराशि रूपया 80160.00 बैंक द्वारा नकद उपलब्ध रही। जिसके लिए दो मस्टर रोल बिना मस्टर रोल क्रमांक के श्री गुप्ता द्वारा बनाए गए। दोनों मस्टर रोलों में उन्ही मजदूरों एवं मिस्त्रियों से अलग-अलग अवधियों में कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। दोनों मस्टर रोलों की अलग-अलग धनराशि क्रमशः रूपया 49635.00 एवं रूपया 30525.00 कुल रूपया 80160.00 का भुगतान मजदूरों को नकद किया जाना दर्शाया गया है। प्रथम मस्टर रोल में उन्ही मजदूरों के निशान अंगूठा दूसरे मस्टर रोल में उन्ही मजदूरों के निशान अंगूठा से आकार और बनावट में छोटे-बड़े पाये गये एवं मेल नहीं खाते हैं। स्पष्ट है कि कम से कम एक या दोनों मस्टर रोल काल्पनिक रूप से तैयार किए गए हैं। इसके लिए कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) उत्तरदायी है। अतः कम से कम एक मस्टर रोल की धनराशि रूपया 49635.00 श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। साथ में फर्जी मस्टर रोल तैयार किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(iii) मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रा0तिथि 02-11-2019 एवं कार्य समाप्ति तिथि 05-12-19 है। मजदूरी का भुगतान दिनांक 28-02-2020 को रहा एवं सामग्री का भुगतान दिनांक 27-02-2020 को रहा। कार्य पूर्ण होने के बाद लगभग 03 माह बाद भुगतान (श्रमांश एवं सामग्री) से कार्य कराया जाना संदेहास्पद है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 9 (अ) -** ग्राम पंचायत कोइलहा से गोलकड़यापुर जाने वाले मार्ग से लेकर पूनी पासी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य में क्षेत्र पंचायत चायल द्वारा मिट्टी ढुलाई का धनराशि रूपया 17850.00 का चेक संख्या 136374 दि0 22-04-2020 को भुगतान श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) कार्य प्रभारी को बियरर चेक से किया गया है। मिट्टी ढुलाई के नकद प्राप्ति को श्री नरेन्द्र कुमारग्राम बरम्बारी पो0 बिरौचा की कच्ची रसीद संलग्न पाई गई। मिट्टी ढुलाई के भुगतान को सीधे नरेन्द्र कुमार को न कर कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) को किया गया है। मिट्टी ढुलाई की धनराशि रूपया 17850.00 का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से सीधे श्री नरेन्द्र कुमार किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

इस प्रकार रूपया 17850.00 का भुगतान अनियमित रहा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं प्रमुख श्री सोनू कुमार के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (कार्य प्रभारी) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 9 (ब)** ग्राम पंचायत कोइलहा से गोलकड़यापुर जाने वाले मार्ग से लेकर पूनी पासी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य में कुल मजदूरी रूपया 149780.00 का भुगतान किया गया है।

मजदूरी भुगतान के दो मस्टर रोल (क्रमांक रहित) प्रस्तुत हैं। प्रथम मस्टर रोल में दिनांक 03-11-2019 से दिनांक 22-11-2019 तक धनराशि रूपया 88680.00 का कार्य कराया जाना दर्शित रहा। दूसरे मस्टर रोल में दिनांक 23-11-2019 से 07-12-2019 तक धनराशि रूपया 61100.00 का कार्य कराया जाना दर्शित रहा। दोनों मस्टर रोलों की धनराशि रूपया 88680.00 + 61100.00 = 149780.00 रहीं रूपया 149780.00 में से प्रथम बार भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) को दिनांक 27-02-2020 को रूपया 140498.00 रही। दूसरी बार भुगतान दिनांक 06-04-2020 को रूपया 9282.00 की धनराशि कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) की रही। दोनों भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0) को बियरर चेक संख्या क्रमशः 136369 एवं 136373 से किए गए।



कार्य समाप्ति के लगभग 03 माह बाद पहला भुगतान रूपया 140498.00 का किया गया और दूसरा भुगतान रूपया 9282.00 का कार्य समाप्ति के लगभग 04 माह बाद किया गया, जबकि दोनों भुगतान एक बार में किए जा सकते थे, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो कि संदेह का आधार बनता है।

इस प्रकार का भुगतान कर अनियमितता की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं प्रमुख श्री सोनू कुमार के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता ए0डी0ओ0(एस0टी0)उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत- कड़ा , वर्ष 2019-20, वि0ख0- कड़ा जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 10 -** आलोच्य वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार नियम 2009 जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश मे लागू है के नियम 13 के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकार लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी। भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत उपकार की प्राप्ति को शासनदेश संख्या 521। 26-2-2010.25। एस. एस.। 95 दिनांक 26 मार्च 2010 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी. एस. टी. की कटौती की गई है किन्तु लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है जिसका विवरण निम्न है।

| क्रम सं | कार्य का नाम                                                                                          | सामग्री का मूल्य | जी. य.स. टी . | आयकर     | लेबर सेस 1 प्रतिशत |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1       | गां० पं० नूरपुर परसा मे राम चंद्र के घर से काजीपुर पथरावा लिंक मार्ग पर ई० लाकीग                      | 957540.00        | 114904.00     | 23975.00 | 9575.00            |
| 2       | ग्राम० पं० गनपा मे श्यामसुंदर के घर से नांसई कर्बला तक                                                | 904900.00        | 107578.00     | 22405.00 | 9049.00            |
| 3       | गां० पं० गरई से गां० पं० सैनी में वासदेव के ट्यूबेल तक से आगे इंटरलॉकिंग                              | 966368.00        | 115964.00     | 24200.00 | 9664.00            |
| 4       | गां० पं० जोरावर कनवार लिंक मार्ग से स्व० शारदा प्रा० उच्च मा० वि० होते हुए फतेहपुर सीमा तक इंटरलॉकिंग | 1113336.00       | 133599.00     | 27890.00 | 11133.00           |
|         | योग                                                                                                   |                  |               |          | 39421.00           |

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर लेबर सेस रु 39421 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति कर दिया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार मौर्य एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता सिंह उत्तरदायी रहे। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमार लेखाकार तथा खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## प्रारूप 3 - क्षेत्र पंचायत

## क्षेत्र पंचायत - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 आपतियों का विवरण

### प्रस्तर संख्या - 1-

शा० सं.ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित

किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्नांकित प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है-

| क्र० वर्ष | विविध खातो से अर्जित ब्याज      | ब्याज की धनराशि | व्यय धन० | शेष धन०   |
|-----------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1.        | 11-12 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित | 159095.00       | 5644.00  | 153451.00 |
|           | 11-12 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित | 395900.00       | 49857.00 | 346043.00 |
| 2.        | 12-13 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित | 9696.00         | 506.00   | 9190.00   |

|    |                                   |                   |                 |                  |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|    | 12-13 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित्त | 177190.00         | --              | 177190.00        |
| 3. | 13-14 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित्त | 13138.00          | 216.00          | 12922.00         |
|    | 13-14 ब्याज मद राज्य/तेरहवांवित्त | 272410.00         | 851.00          | 271559.00        |
|    | <b>योग</b>                        | <b>1027429.00</b> | <b>57074.00</b> | <b>970355.00</b> |

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उलंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रु0 1027429.00 में से रु0 57074.00 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है। एवं शेष धनराशि रु0 970355.00 संस्था में रोकर कर रखा गया है। जबकि नियमानुसार सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि रु0 1027429.00 को शासन को वापस किया जाना आवश्यक है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 2-

आलोच्य वर्ष में पत्रावलियों की जाँच में निम्नांकित विवरणानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की गई है। जिसे राजकीय कोषगार में जमा की पुष्टि में प्रमाणक / चालान लेखा परीक्षा के द्वारा बार-बार माँग के बावजूद भी लेखा परीक्षा पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि निम्नांकित विवरणानुसार आयकर एवं व्यापार कर कटौती की धनराशि का अपहरण किया गया है-क० आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि

|            |                  | चेक संख्या | तिथि      | आहरण करने वाले अधि०/कर्मि का नाम |
|------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 1.         | 51533-00         | 517959     | 21.05.13  | ख० वि० अ०                        |
| 2.         | 28493            | 523404     | 07.06.13  | ख० वि० अ०                        |
| 3.         | 42250.00         | 523406     | 19.06.13  | ख० वि० अ०                        |
| 4.         | 20044.00         | 850600     | 18.09.13  | ख० वि० अ०                        |
| 5.         | 13159.00         | 517956     | 27.04.13  | ख० वि० अ०                        |
| 6.         | 10001.00         | 523401     | 05.06.13  | ख० वि० अ०                        |
| 7.         | 11845.00         | 517947     | 06.03.13  | ख० वि० अ०                        |
| 8.         | 4009.00          | 517951     | 01.04.13  | ख० वि० अ०                        |
| 9.         | 69218.00         | 519085     | 19.11.13  | ख० वि० अ०                        |
| 10.        | 47041.00         | 519092     | 26.11.13  | ख० वि० अ०                        |
| 11.        | 13872.00         | 519095     | 14.02.14  | ख० वि० अ०                        |
| 12.        | 43852.00         | 519100     | 28.02.14  | ख० वि० अ०                        |
| 13.        | 55279.00         | 519082     | 27.09.13  | ख० वि० अ०                        |
| 14.        | 39708.00         | 519090     | 26.11.13  | ख० वि० अ०                        |
| 15.        | 8974.00          | 519095     | 24.02.14  | ख० वि० अ०                        |
| 16.        | 24440.00         | 850600     | 18.09.13  | ख० वि० अ०                        |
| 17.        | 24789.00         | 519090     | 26.11.13. | ख० वि० अ०                        |
| 18.        | 22555.00         | 000005     | 11.03.14  | ख० वि० अ०                        |
| 19.        | 37204.00         | 000007     | 05.04.14  | ख० वि० अ०                        |
| 20.        | 121614.00        | 519100     | 28.02.14  | ख० वि० अ०                        |
| 21.        | 24938.00         | 508174     | 24.09.12  | ख० वि० अ०                        |
| 22.        | 15829.00         | 508176     | 05.11.12  | ख० वि० अ०                        |
| 23.        | 25942.00         | 991408     | 28.02.14  | ख० वि० अ०                        |
| 24.        | 38912.00         | 000005     | 11.03.14  | ख० वि० अ०                        |
| 25.        | 15875.00         | 5157011    | 22.04.13  | ख० वि० अ०                        |
| 26.        | 2540.00          | 515716     | 24.06.13  | ख० वि० अ०                        |
| 27.        | 11936.00         | 51511      | 22.04.13  | ख० वि० अ०                        |
| 28.        | 1924.00          | 515714     | 24.06.13  | ख० वि० अ०                        |
| 29.        | 7201.00          | 517942     | 24.12.12  | ख० वि० अ०                        |
| <b>योग</b> | <b>834977.00</b> |            |           |                                  |

अतः उपरोक्तानुसार आयकर एवं व्यापारकर की धनराशि रूप 834977.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधि० श्री कृष्ण कान्त शुक्ल एवं लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी से बराबर-बराबर भाग में किये जाने के बाद राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या - 3 -

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के विल से कार्य की कुल लागत का 1% कि दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदुरी पर कुल ₹0 23420345.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उलंघन कर इस पर 1% की दर से लेबर सेस ₹0 234203.00 की कटौती कर श्रम विभाग में नहीं जमा किया गया है। अतः इस धनराशि को सम्बन्धित ख० वि० अधिकारी एवं लेखाकार श्री कृष्ण कान्त शुक्ल, श्री तिर्थराज तिवारी से बराबर बराबर भाग में किए जाने के बाद राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या - 4

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय योजनाओं पर - सामग्री खरीद का प्रमाणक एवं मजदुरी (मस्टररौल) बिना लगाए प्रस्तुत किये वाउचर बिहीन धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित ख० वि० अधि०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार, श्री कृष्ण कान्त शुक्ल, श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री मारकण्डेय सिंह जे० ई० उत्तरदायी है। विवरण निम्न है-

| क्र० | वर्ष    | धनराशि     | कार्य का नाम                                                                                       |
|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 2012-13 | 2128852.00 | करूवाडीह में गिरधारी लाल के घर से दिनेश के मशीन तक इण्टर लाकिंग कार्य (राज्य वित्त)                |
| 2    | 2013-14 | 2602640.00 | रस्तीपुर विजय शंकर के घर से हसनपुर वार्डर एवं ठेकुराइन बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य। (राज्य वित्त) |
|      | योग     | 4731492.00 |                                                                                                    |

अतः उपरोक्तानुसार कुल ₹0 4731492.00 का भुगतान प्रमाणक विहीन में० नरेन्द्र कुमार मिश्र बाबूपुर सतहर सिरसा चौराहा हण्डिया, इलाहाबाद को किया गया है।

टेण्डर नियमों का भी पालन नहीं किया गया है, जैसे-

1. पत्रावलियों में एक हस्तलिपि में भरे गये तीन-तीन टेण्डर फार्म लगा दिए गये हैं और एक टेण्डर स्वीकृत करा लिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में है कार्य किसको देना है यह पूर्व निर्धारित होता है।
2. टेण्डर नोटिस का प्रकाशन कम से कम 2 समाचार पत्र में नहीं किया गया है।
3. टेण्डर जमा करने का समय कम से कम 3 सप्ताह प्रकाशन तिथि से दिया जाएगा। इसका पालन नहीं किया गया है।
4. टेण्डर के लिफाफे मूहर बन्द / सील किये हुए नहीं रहे।
5. टेण्डर इन्जिनियर / एकाउन्टेन्ट की उपस्थिति में ख० वि० अ० द्वारा नहीं खोले गये हैं। और न ही टेण्डर खोलने वाले कमेटी के लिफाफों पर हस्ताक्षर पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन एवं टेण्डर नियमों का पालन न कर ₹0 4731492- का भुगतान में० नरेन्द्र कुमार मिश्र को ख० वि० अ०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री मारकण्डेय सिंह जे० ई० की मिली भगत से भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख० वि० अ०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार, श्री कृष्ण कान्त शुक्ल, श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री मारकण्डेय सिंह से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या - 5 -

वर्ष 2012-13 राज्य वित्त योजनान्तर्गत सामुदायिक मिलन केन्द्र मरम्मत कार्य विकास खण्ड परिसर में ₹0 406612.00 में किया गया है। जिस हेतु सामग्री आपूर्ति का टेण्डर मे० आर० पी० ट्रेडर्स रामपुर प्रतापपुर का स्वीकृत है। उक्त मिलन केन्द्र मरम्मत कार्य हेतु श्री होसिला प्रसाद मिश्र ब T कार्यप्रभारी बनाए गये हैं। जिनके नाम से दिनांक 01.04. 13 को चेक संख्या 517950 द्वारा ₹0 168400. का चेक काटकर धनराशि निकाला गया है। जिसमें से ₹0 82300.00 का मजदुरी (मस्टररौल) हेतु एवं शेष ₹0 86100.00 सामग्री क्रय हेतु है। अतः नियमानुसार जब सामग्री आपूर्ति का टेण्डर मे० आर० पी० ट्रेडर्स रामपुर प्रतापपुर का स्वीकृत है तब कार्यप्रभारी श्री होसिला प्रसाद मिश्र ब T के नाम चेक निर्गत कर सामग्री क्रय का औचित्य उचित नहीं जान पड़ता। अतः स्पष्ट है कि ख० वि० अ०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार के मिली भगत

स धनराशि ₹0 86100.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख० वि० अ०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकर, श्री कृष्ण कान्त शुक्ल एवं कार्य प्रभारी श्री हौसिला प्रसाद मिश्र ब T से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 6 -

वर्ष 13-14 राज्य वित्त योजनान्तर्गत विकास खण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा वाउण्ट्रीवाल मरम्मत एवं रंगाई पोताई का कार्य कराया गया है। जिसमें ₹0 535048. 00 की सामग्री क्रय की गई है। एवं ₹0 197168.00 मजदुरी पर व्यय कुल ₹0 732216.00 व्यय किया गया है। सामग्री आपूर्ति हेतु श्री मूलचन्द खखैचा का टेण्डर स्वीकृत है। किन्तु कुल सामग्री की धनराशि में से निम्नांकित धनराशि की सामग्री टेण्डर दाता मूलचन्द खखैचा से न क्रय कर कार्यप्रभारी श्री हौसिला प्रसाद मिश्र ब T के नाम से चेक निर्गत कर सामग्री क्रय किया गया है। टी०डी०एस० एवं बैटकर भी नहीं काटा गया है।

| क्र० | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि    | जिस नाम चे चेक निर्गत है |
|------|---------------------|-----------|--------------------------|
| 1    | 000011/15.05.14     | 75745.00  | हौसिला प्रसाद मिश्र      |
| 2    | 000020/04.09.14     | 38924.00  | हौसिला प्रसाद मिश्र      |
|      | योग                 | 114669.00 |                          |

अतः स्पष्ट है कि जब टेण्डर श्री मूलचन्द खखैचा का स्वीकृत है तो कार्यप्रभारी श्री हौसिला प्रसाद मिश्र ब T द्वारा सामग्री क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। द्वारा सामग्री क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। उक्तानुसार ₹0 114669.00 पर आयकर एवं बैटकर की धनराशि ₹0 7185.00 की कटौती कर राजकोष में नहीं जमा किया गया है। अतः स्पष्ट है कि ₹0 114669.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख० वि० अ०, ब्लाक प्रमुख, लेखाकर, श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री हौसिला प्रसाद मिश्र ब T से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर जिला इलाहाबाद का वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के अभिलेखों की जाँच में निम्नांकित अपहरण दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-

## क्षेत्र पंचायत - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष - 2014-15 से 2016-17 आपत्तियों का विवरण आपत्ति का विवरण

#### प्रस्तर संख्या - 07

आलोच्य वर्ष में पत्रावलियों की जाँच में निम्नांकित विवरणानुसार आयकर एवं व्यापारकर की कटौती की गई है। जिसे राजकीय कोषागार में जमा की पुष्टि में प्रमाणक चलान लेखा परीक्षा के द्वारा बार-बार माँग के बावजूद भी लेखा परीक्षा पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है, कि निम्नांकित विवरणानुसार आयकर एवं व्यापारकर कटौती की धनराशि का अपहरण किया गया है

| क्र | आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि | चेक संख्या | तिथि     |
|-----|-------------------------------|------------|----------|
| 1   | 30084.00                      | 000062     | 27.03.15 |
| 2   | 43708.00                      | 000077     | 21.05.14 |
| 3   | 20524 00                      | 000083     | 01.07.15 |
| 4.  | 21323.00                      | 000019     | 27.08.14 |
| 5.  | 39801 00                      | 000037     | 01.01.15 |
| 6.  | 10270.00                      | 000049     | 03.03.15 |
| 7.  | 17222 00                      | 000058     | 16.03.15 |
| 8.  | 21323.00                      | 000019     | 27.08.14 |
| 9.  | 9048.00                       | 000026     | 12.09.14 |
| 10. | 312.00                        | 000034     | 01.01.15 |
| 11. | 23521.00                      | 000075     | 21.05.15 |
| 12. | 13961.00                      | 000089     | 20.07.15 |
| 13. | 36368.00                      | 000081     | 10.06.15 |
| 14. | 34418.00                      | 000095     | 23.07.15 |

|     |          |           |          |
|-----|----------|-----------|----------|
| 15. | 7783.00  | 000099    | 21.08.15 |
| 16. | 19139.00 | 000110    | 26.10.15 |
| 17. | 17954.00 | 000081    | 10.06.15 |
| 18. | 31097.00 | 000097    | 13.08.15 |
| 19. | 8252.00  | 000113    | 26.10.15 |
| 20. | 21550.00 | 000014    | 15.05.14 |
| 21. | 10823.00 | 000014    | 15.05.14 |
| 22. | 4018.00  | 000031    | 21.10.14 |
| 23. | 22050.00 | 000017    | 13.08.14 |
| 24. | 1936.00  | 000014    | 15.05.14 |
| 25. | 7131.00  | 000014    | 15.05.14 |
| 26. | 3579.00  | 515719    | 08.06.15 |
| 27. | 1056.00  | 519111    | 01.11.16 |
| 28. | 17206.00 | 000068-69 | 21.04.15 |
| 29. | 24215.00 | 000107    | 14.09.15 |
| 30. | 17744.00 | 000092    | 20.07.15 |
| 31. | 000118   | 12087.00  | 21.12.15 |
| 32. | 24453.00 | 000103    | 02.09.15 |
| 33. | 3877.00  | 000018    | 21.12.15 |
| 34. | 38225.00 | 000060    | 13.03.15 |
| 35. | 24629.00 | 000071    | 21.05.15 |
| 36. | 18471.00 | 000103    | 02.08.15 |
| 37. | 10577.00 | 000065    | 30.03.15 |
| 38. | 7060.00  | 000086    | 01.07.15 |
| 39. | 17191.00 | 000046    | 10.02.15 |
| 40. | 11329.00 | 000055    | 13.03.15 |
| 41. | 14528.00 | 000029    | 12.09.14 |
| 42. | 9095.00  | 000040    | 01.01.15 |
| 43. | 16145.00 | 000046    | 10.02.15 |
| 44. | 15048.00 | 000052    | 03.03.15 |
| 45. | 5751.00  | 1906772   | 17.08.15 |
| 46. | 6415.00  | 123819    | 10.02.16 |
| 47. | 4046.00  | 126324    | 24.02.16 |
| 48. | 3470.00  | 126762    | 05.05.16 |
| 49. | 5946.00  | 126764    | 13.06.16 |
| 50. | 2626.00  | 127580    | 22.08.16 |
| 51. | 4986.00  | 1906760   | 01.07.15 |
| 52. | 7973.00  | 1906767   | 22.07.15 |
| 53. | 4396.00  | 123024    | 01.09.15 |
| 54. | 1006.00  | 123028    | 04.11.15 |
| 55. | 4902.00  | 126327    | 21.03.16 |
| 56. | 1070.00  | 126330    | 25.08.16 |

|            |                   |        |          |
|------------|-------------------|--------|----------|
| 57.        | 467.00            | 126769 | 15.07.16 |
| 58.        | 13336.00          | 000127 | 30.05.16 |
| 59.        | 7502.00           | 000129 | 20.06.16 |
| 60.        | 3334.00           | 000127 | 30.05.16 |
| 61.        | 1111.00           | 000129 | 20.06.16 |
| 62.        | 27784.00          | 000127 | 30.05.16 |
| 63.        | 13892.00          | 000129 | 20.06.16 |
| 64.        | 14412.00          | 000135 | 27.07.16 |
| 65.        | 3390.00           | 850605 | 25.04.17 |
| 66.        | 1139.00           | 850608 | 08.06.17 |
| 67.        | 18478.00          | 850603 | 06.03.17 |
| 68.        | 1986.00           | 850605 | 25.04.17 |
| 69.        | 2644.00           | 850608 | 08.06.17 |
| 70.        | 17637.00          | 850604 | 21.04.17 |
| 71.        | 4866.00           | 850608 | 08.06.17 |
| 72.        | 37134.00          | 000138 | 11.08.16 |
| 73.        | 42236.00          | 000142 | 14.09.16 |
| 74.        | 53543.00          | 000131 | 15.07.16 |
| 75.        | 27462.00          | 000133 | 27.07.16 |
| 76.        | 8993.00           | 000140 | 31.08.16 |
| 77.        | 18340.00          | 000121 | 14.01.16 |
| <b>योग</b> | <b>1132404.00</b> |        |          |

अतः उपरोक्तानुसार आयकर एवं व्यापारकर की धनराशि रु० 1132404.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड वि.अ. एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है। एवं कोषागार में जमा कर पुष्टि कराया जाना आवश्यक है

#### प्रस्तर संख्या -08

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकार नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के विल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मकार उपकर (लेबरसेस) नियोजित द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त आदि के कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी पर कुल रु 22879487.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है, लेकिन शासनादेश का मनमाने तरीके से उलंघन कर इस पर 1% की दर से रु0 228795.00 लेबरसेस की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। अतः इस धनराशि को सम्बन्धित ख.वि.अ. एवं लेखाकार से पेनाल्टी सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना आवश्यक है।

#### प्रस्तर संख्या -09

शा०सं०ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्थाकी आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश का उलंघन है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है।

| क्र० | वर्ष  | खातो से अर्जित ब्याज | ब्याज की धन० | व्यय धन० |
|------|-------|----------------------|--------------|----------|
| 1    | 14-15 | ब्याज मद             | 199668.00    |          |
|      | 14-15 | राज्य/तेरहवाँ        | 1077050.00   | 1011.00  |
| 2    | 15-16 | ब्याज मद             | 44275.00     | 462.00   |
|      | 15-16 | राज्य/तेरहवाँ        | 274342.00    | 185.00   |
| 3    | 16-17 | ब्याज मद             | 41132.00     | 747.00   |

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उलंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रु0 1873102.00 में से रु0 656552.00 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है। एवं शेष धनराशि रु0 1216550.00 संस्था में रोक कर रखा गया है। अतः व्यय की धनराशि सम्बन्धित ख.वि.अ. एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित वसूली कर सम्पूर्ण अर्जित ब्याज की धनराशि रु० 1873102.00 राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है।

#### प्रस्तर संख्या - 10

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय परियोजनाओं पर सामग्री खरीद का प्रमाणक एवं मजदुरी मस्टररौल बिना लगाए / प्रस्तुत किये, वाउचर विहीन धनराशि कार्यगतान ठेकेदार को किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित ख.वि.अ. ब्लाक अ. ब्लाक प्रमुख, लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री विमल कुमार यादव० जे.ई. उत्तरदायी है। विवरण निम्न लिखित है-

| क्र० | वर्ष    | धनराशि     | कार्य का नाम                                                                                                                                                        |
|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2015-16 | 462020.00  | ग्राम पंचायत अनुवाँ ब्राम्हण बस्ती (मध्य गाँव) में नाली निर्माण कार्य।(13वाँ वित्त)                                                                                 |
| 2    | 2015-16 | 104569.00  | ग्राम पंचायत जंघई में राधेश्याम दूबे के मकान से नाले तक नाली निर्माण कार्य                                                                                          |
| 3    | 2015-16 | 920828.00  | ग्राम पंचायत जंघई में धर्मेन्द्र कुमार उप जयसवाल के घर से सालिक राम मौर्य, के घर तक नाली निर्माण कार्य।(13वाँ वित्त)                                                |
| 4    | 2015-16 | 380807.00  | ग्राम पंचायत खखैचा पड़न बस्ती में रामचन्द्र के घर से होकर लल्लू लाला के गड़हे तक पक्की नाली निर्माण कार्य ।(13वाँ वित्त)                                            |
| 5    | 2015-16 | 368435.00  | ग्राम पंचायत मीरपुर नन्हकू विश्वकर्मा के घर से नहर तक पक्की नाली निर्माण कार्य। (13वाँ वित्त)                                                                       |
| 6    | 2015-16 | 359144.00  | ग्राम पंचायत ठठा वीरेन्द्र मौर्य के घर से प्रा०पाठ० ठाढा तक पक्की नाली निर्माण कार्य। (13वाँ वित्त)                                                                 |
| 7    | 2016-17 | 548404.00  | वि०ख० कार्यालय में बने सहायक लेखाकार वरिष्ठ सहायक कक्ष का विस्तारीकरण शौचालय निर्माण तथा कार्यालय व प्रमुख कक्ष का सुन्दरीकरण व सुदृढीकरण का कार्य । (राज्य वित्त ) |
| 8    | 2016-17 | 1378263.00 | ग्रा०प० बरियांवां में वारी दुर्गागंज मार्ग से प्रा०पाठ० नीवी होते हुए अशोक दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। (राज्य वित्त)                                           |
| 9    | 2016-17 | 869812.00  | ग्रा०प० महरक्षा में सड़क से शेरपुर वार्डर तक इण्टरलाकिंग कार्य। (राज्य पित्त)                                                                                       |
| 10   | 2016-17 | 581811.00  | ग्रा०प० प्रतापपुर कला में जगदम्बा प्रसाद मिश्र के घर के पास से उमाशंकर मिश्र के घर तक वाया पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग कार्य। (राज्य वित्त)                           |
| 11   | 2016-17 | 415646.00  | ग्रा०प० सरायहरिराम में पिड़ौना मार्ग से रामआसरे पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। (राज्य वित्त)                                                                   |
| 12   | 2016-17 | 1929440.00 | ग्राम भदारी में ताहिर के मकान से इमामबाड़ा होते हुए मस्जिद तक व इमाम चौक होते हुए बसीर खाँ के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य। (सांसद निधि)                               |
| योग  |         | 8319179.00 |                                                                                                                                                                     |

अतः उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से लगायत 11 तक रूपया 6389739.00 शिवम् इण्टर प्राइजेज ब -1310 इन्दिरानगर लखनऊ को एवं क्रमांक 12 पर दर्शित रु0 1929440.00 नरेन्द्र कुमार मिश्र ग्राम बाबूपुर सतहर इलाहाबाद को कुल रु 8319179.00 का भुगतान प्रमाणक / वाउचर विहीन किया गया है।(8)

टेण्डर नियमों का भी बालन नहीं किया गया है जैसे-

- पत्रावलियों में एक हस्तलिपि में भरे गये तीन-तीन टेण्डर फार्म लगा दिए गये हैं। और एक टेण्डर स्वीकृत करा लिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में है। कार्य किसको देना है यह पूर्व निर्धारित होता है।
- टेण्डर नोटिस का प्रकाशन कम से कम 2 समाचर पत्र में नहीं किया गया है।
- टेण्डर जमा करने का समय कम से कम 3 सप्ताह प्रकाशन तिथि से दिया जाएगा। इसका पालन नहीं किया गया है।
- टेण्डर के लिफाफे मूहर बन्द /सील किये हुए नहीं हैं। टेण्डर एकाउन्टेन्ट/ इन्जिनियर की उपस्थिति में ख.वि.अ. द्वारा नहीं खेले गये हैं। और न ही टेण्डर खोलने वाले (v) 33

कमेटी के लिफाफों पर हस्ताक्षर पाये गये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन एवं टेण्डर नियमों का पालन न कर रूपया 8319179.00 का भुगतान ठेकेदारों को कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी एवं कार्यप्रभारी श्री विमल कुमार यादव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर संख्या - 11**

वर्ष 14-15 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत रामनाथ डिग्री कालेज से उदगी नहर की पुलिया एवं पुलिया से रामधन यादव के घर तक खड़न्जा निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.09.14 को ₹0 145190.00 में विनय कुमार को सामग्री आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया है। जिस पर आयकर एवं व्यापारकर नियमानुसार 9098.00 होता है। किन्तु लेखाकार द्वारा चेक सं० 000026 दिनांक 12.01.14 द्वारा सिर्फ ₹0 9048.00 की ही कटौती की गई है। जिसे लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना आवश्यक है।

**प्रस्तर संख्या - 12**

वर्ष 14-15 में तेरहवाँ वित्त योजनान्तर्गत विखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में 67 नग सोलर लाइट स्थापना कार्य हेतु ₹0 1400300.00 प्राप्त हुआ है।

उ०प्र० नवीन एवं नवीकरण उर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या 332 नेडा इलाहाबाद। कि गैप-एस० एस० एल०/13-14 दिनांक 22. 01.13 के अनुसार जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी इलाहाबाद को प्रेषित है, के क्रम में खोलर लाइट क्रय हेतु आदेश नेडा से है। किन्तु खण्ड वि.अ. एवं ब्लाक प्रमुख मिलकर मनमाने ढंग से निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्राइवेट कम्पनियों से निविदा आमंत्रित कर में जय बजरंग भदोही का टेण्डर स्वीकृत कर 67 नग सोलर लाइट ₹0 1386900.00 का भुगतान में जय बजरंग भदोही को किया गया है।

सोलर लाइट लगाने का प्रमाण-पत्र लाभार्थियों से नहीं लिया गया है। स्पष्ट है, कि ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी के मिलीभगत से ₹0 1386900.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है। पत्रावली में एक हस्तलिपि में भरे गये तीन-तीन टेण्डर फार्म लगाए गये हैं। और एक टेण्डर स्वीकृत करा लिया गया है। टेण्डर प्रक्रिया एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में है। कार्य किसको देना है। यह पूर्व निर्धारित है।

**प्रस्तर संख्या - 13**

वर्ष 16-17 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार फर्नीचर एवं ए०सी० खरीद दर्शित है।

| क्र०       | नाम सामग्री | धनराशि           |
|------------|-------------|------------------|
| 1.         | 2 नग ए०सी०  | 98400.00         |
| 2.         | 1 नग कुर्सी | 26000.00         |
| 3.         | 1 नग सोफा   | 53000.00         |
| 4.         | 1 नग दिवान  | 20000.00         |
| <b>योग</b> |             | <b>197400.00</b> |

प्राक्कलन विकास खण्ड कार्यालय में बने सहायक / वरिष्ठ सहायक कक्ष का विस्तारीकरण, शौचालय निर्माण कार्यालय व प्रमुख कक्ष का सुनदरीकरण / सुदृढीकरण हेतु बनाया गया है। किन्तु पत्रावली के साथ सिर्फ ₹ 197400.00 का फर्नीचर एवं ए०सी० का वाउचर संलग्न रहा। जो कि प्राक्कलन के विपरीत प्रशासनिक मद का खर्च है। स्पष्ट है कि ₹0 197400.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार श्री तिर्थराज तिवारी से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

**क्षेत्र पंचायत - प्रतापपुर वर्ष - 2017-18 से 2019-20**

**प्रस्तर-14** वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त मद से निम्नलिखित भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किये गये हैं किन्तु भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया:-

| क्र०        | पैस/ फनक                                | /कुजेकफ"क        |                |                 |                  | एचकqxतकु जेडकितकर्ता          |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
|             |                                         | सामग्री पर व्यय  | vk;कजे         | वैट             | कुy              |                               |
| 1           | 211/ 11-05-2018<br>214, 215/ 14-05-2018 | 287767-00        | 6957-00        | 12281-00        | 307005-00        | मे0 मां दुर्गा ट्रेडर्स कंपनी |
| 2           | 216/ 14-05-2018                         | 260050-00        | &&             | &&              | 260050-00        | जेएच रमेस"क पीUnजेड कq"kokहा  |
| <b>वर्ष</b> |                                         | <b>547817-00</b> | <b>6957-00</b> | <b>12281-00</b> | <b>567055-00</b> |                               |

स्पष्ट है कि उक्त धनराशि ₹0 567055-00 का फर्जी भुगतान बिना कोई कार्य कराये ही किया गया है जिसमें से ₹0 260050-00 का भुगतान किसी फर्म को न करके व्यक्तिगत नाम को किया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹0 567055-00 के अपहरण की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन वरिष्ठ लेखाकार और संबंधित अवधि के विकास खण्ड अधिकारी से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। तत्कालीन कार्यरत लेखाकार श्री तीर्थराज तिवारी एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से समानुपातिक रूप में ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिये।



**प्रस्तर-15** क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर के सोरों में इण्टरलाकिंग कार्य में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किया गया है

| क्र0        | चेक/ दिनांक                            | /कुजेकफ"क       |           |          |         |            | भुगतान प्राप्तकर्ता                                                  |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                                        | सामग्री पर व्यय | मजदूरी    | आयकर     | वैट     | कुल        |                                                                      |
| 1           | 178,179,180,181,182,183/<br>30-10-2017 | 55252-00        | &&        | 1336-00  | 2358-00 |            | मे0 मां दुर्गा ट्रेडर्स कंपनी 2018&19                                |
| 2           | 222/01-04-2018<br>223/01-11-2018       | 295719-00       |           | 6856-00  |         |            | मे0 टण्डन एसो0 एस0बी0आइ0 शाखा प्रबंधक 2018&19                        |
| 3           | 248,249,250/11-12-2018                 | 331178-00       | 117057-00 | 6983-00  |         |            | मे0 टण्डन एसो0 मनोज कुमार मिश्र एस0बी0आइ0 शाखा प्रबंधक 2018&19       |
| 4           | 258,259,260/19-01-2019                 | 313278-00       | 70939-00  | 7263-00  |         |            | मे0 ओम साई सोलर लाइट अनुराग श्रीवास्तवएस0बी0आइ0 शाखा प्रबंधक 2018&19 |
| <b>वर्ष</b> |                                        | 965427-00       | 187996-00 | 22438-00 | 2358-00 | 1178219-00 |                                                                      |

स्पष्ट है कि सोरों में इण्टरलाकिंग कार्य पर कुल व्यय रु0 1178219-00 किया गया किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की एम0बी0 कार्यवाही प्रस्ताव संख्या निर्माण में पत्रावली उचित माध्यम से प्रशासनिक और वित्तीय तकनीकी स्वीकृति प्रमाण पत्र इस्टीमेट बुक मस्टर रोल तथा टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। उक्त कार्य की क्या लागत थी तथा समय समय पर फर्म क्या बदले गये। कार्य कब पूरा किया जाना था इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः उक्त अनियमित व्यय की (रु0 1178219.00) ब्याज सहित वसूली संबंधित वर्षों में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों एवं वरिष्ठ लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

1& वर्ष 2017-18 के कार्यकाल में आहरित धनराशि रु0 55252-00 1336-00 2358-00 कुल योग 58946-00 लेखाकार श्री तीरथ राज तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्योधन से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

2 - वर्ष 2017-18 के कार्यकाल में आहरितधनराशि रु0 301178-00 11705-00 6983-00 कुल योग रु0 425218-00 की ब्याज सहित वसूली श्री तीरथराज तिवारी (लेखाकार) एवं श्री राजबहादुर यादव बी0डी0ओ0 से वसूल किया जाय।

3- रु0 313278-00 70939-00 295719-00 6556-00 कुल योग 694055-00 की ब्याज सहित वसूली राजबहादुर यादव बी0डी0ओ0 से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

**प्रस्तर-16** लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार क्षेत्र पंचायत बैठक प्रधान सदस्य मानदेय राज्य वित्त मद से निकाला गया है:-

| क्र0        | चेक/ दिनांक    | /कुजेकफ"क        | भुगतान प्राप्तकर्ता                | वर्ष    |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------|
| 1           | 196/29-01-2018 | 97500-00         | श्री राजेश कुमार मिश्र (सहा0लिपिक) | 2017&18 |
| 2           | 206/23-04-2018 | 97500-00         | श्री राजेश कुमार मिश्र (सहा0लिपिक) | 2018&19 |
| 3           | 346/01-02-2020 | 97500-00         | श्री लाल साहब                      | 2019&20 |
| <b>वर्ष</b> |                | <b>292500-00</b> |                                    |         |

दौरान लेखा परीक्षा क्षेत्र पंचायत की बैठक की पंजी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों और बैठक में भागीदारी करने वाले सदस्यों की प्रमाणित सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः उक्त व्यय रु0 292500-00 की अनियमित मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित वर्षों में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों एवं वरिष्ठ लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में उक्त बैठकों का विवरण भाग लेने वालों के सूची को सम्बन्धित सदस्यों से पुष्टि कराकर सूची को प्रस्तुत किया अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित रहा।

1& 29-01-2018 की आहरित धनराशि रु0 97500-00 लेखाकार श्री राजेश कुमार मिश्र (सहा0लिपिक) एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्योधन से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

2& 23-04-2018 की आहरित धनराशि रु0 97500-00 लेखाकार श्री राजेश कुमार मिश्र (सहा0लिपिक) एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कल्पना मिश्र से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

3& 29-01-2018 की आहरित धनराशि रु0 97500-00 लेखाकार श्री लाल साहब एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिये।

**प्रस्तर -17** लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्लाक प्रमुख द्वारा मानदेय लिया गया है:-

| क्र0        | चेक/ दिनांक    | /kujeKfk         | vof/k                                                         | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 166/29-05-2017 | 21000-00         | फरवरी से अप्रैल 2017                                          | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 2           | 171/18-08-2017 | 28000-00         | अप्रैल 2017 से जुलाई 2017                                     | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 3           | 137/07-10-2017 | 29400-00         | अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017                                    | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 4           | 193/11-01-2018 | 42000-00         | नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2017<br>एरियर 01-12-2016 से 31-07-2017 | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 5           | 217/18-07-2018 | 58800-00         | जनवरी 2018 से जून 2018                                        | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 6           | 218/25-09-2018 | 19600-00         | जुलाई 2018 से अगस्त 2018                                      | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 7           | 221/01-11-2018 | 19600-00         | सितम्बर 2018 से अक्टूबर 2018                                  | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 8           | 210/19-01-2019 | 19600-00         | नवम्बर 2018 से दिसम्बर 2018                                   | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 9           | 290/03-04-2019 | 29400-00         | जनवरी 2019 से मार्च 2019                                      | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 10          | 304/11-06-2019 | 19600-00         | अप्रैल 2019 से मई 2019                                        | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 11          | 320/04-09-2019 | 29400-00         | जून 2019 से अगस्त 2019                                        | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| 12          | 330/01-01-2020 | 39800-00         | सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2019                                  | पुनीत कुमार पाण्डेय |
| <b>वर्ष</b> |                | <b>356200.00</b> |                                                               |                     |

उक्त मानदेय भुगतान के संबंध में आपत्तिजनक यह पाया गया कि क्रमांक 02 पर दर्ज विवरण में अप्रैल 2017 का मानदेय भुगतान दोबारा किया गया है। इस प्रकार रु0 7000.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया है।

पुनः क्रमांक 04 पर दर्ज भुगतान रु0 42000-00 में दिनांक 01-12-2016 से 31-07-2017 तक का एरियर भुगतान आर नवम्बर 2017 तथा दिसम्बर 2017 तक का भुगतान शामिल है किन्तु लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हुआ कि यह किस दर से, किस शासनादेश के तहत निर्णय लेकर भुगतान किया गया।

पुनः क्रमांक 12 पर दर्ज विवरण के अनुसार रु0 39800-00 मानदेय भुगतान प्रतिमाह रु0 9800-00 की दर से यदि किया जाए तो 04 माह (सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2019 तक) का रु0 39200-00 होता है किन्तु भुगतान रु0 39800-00 किया गया। जो रु0 600-00 से अधिक रहा।

उक्त के सम्बन्ध में मानदेय पंजी भी अप्रस्तुत रही। अतः अप्रैल 2017 का भुगतान रु0 7000-00 एरियर भुगतान रु0 28000-00 और अतिरिक्त मानदेय भुगतान रु0 600-00 कुल 35600-00 की ब्याज सहित वसूली क्षेत्र पंचायत प्रमुख और वरिष्ठ लेखाकार से मय ब्याज अपेक्षित रहा। उसकी ब्याज सहित वसूली श्री पुनीत कुमार पाण्डेय क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं श्री तीरथराज तिवारी (लेखाकार) 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-18** आलोच्य वर्षों में (वर्ष 2017-18 से 2019-20 निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रतिभूति की धनराशि की आय और व्यय तथा अवशेष अनुदान पंजी भाग 03 में दर्शाया गया है:-

| क्र0        | वर्ष    | प्रारंभिक अवशेष | आय        | व्यय             | अंतिम अवशेष 31 मार्च |
|-------------|---------|-----------------|-----------|------------------|----------------------|
| 1           | 2017&18 | 74890-00        | 169692-00 | 64370-00         | 180212-00            |
| 2           | 2018&19 | 180212-00       | &         | 180212-00        | &                    |
| 3           | 2019&20 | 37600-00        | 37600-00  | 37600-00         | &                    |
| <b>वर्ष</b> |         |                 |           | <b>282182-00</b> |                      |

उक्त जमानत धनराशि किस फर्म से प्राप्त की गयी किस कार्य के लिए प्राप्त की गयी किस दर से प्राप्त की गयी। लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया नही जमानत पंजी प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार उक्त धनराशि किसे वापस की गयी इसकी प्रमाणित जामनत पंजी से पुष्टि

नहीं करायी गयी है। उतः उक्त व्यय धनराशि रु0 282182-00 के अनियमितता की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति पंजी और हस्तगत कार्यों की सूची भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे जमानत धनराशि की वापसी को आचित्य पूर्ण कहा जा सके। अतः उक्त के संबंध में उचित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर धनराशि की पुष्टि कराना अपेक्षित रहा। इस प्रकार रु0 282182-00 से अनियमित रूप से किये गये खर्च तत्कालीन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री तीरथराज तिवारी से समानुपातिक रूप से ब्याज के साथ वसूल किया जाय।

**प्रस्तर-19** लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयकर प्राप्ति/व्यय अनुदान पंजी भाग 02 में प्रस्तुत की गयी है:-

| क्र0    | वर्ष    | आयकर      | वैट       |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 1       | 2017&18 | 71783-00  | 126711-00 |
| 2       | 2018&19 | 129602-00 | 12281-00  |
| 3       | 2019&20 | 111633-00 | &         |
| वर्ष    |         | 313018-00 | 138992-00 |
| कुल योग |         |           | 452010-00 |

उक्त कटौती को अनुदान पंजी भाग 03 में नहीं दर्शाया गया है। अनुदान पंजी 02 के अनुसार संबंधित धनराशि के चेक एस0बी0आई0 शाखा प्रबंधक के नाम से काटे जाने दिखाये गये हैं। किन्तु लेखा परीक्षा में चेक प्रतिपणक और चालान की कापी नहीं प्रस्तुत की गयी। अतः उक्त अनियमितता की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ताकि उक्त प्रविष्टि अनुदान पंजी भाग 03 में दर्ज की जा सके। इस प्रकार आयकर के कुल भुगतान रु0 313018-00 एवं वैट कर भुगतान रु0 138992-00 कुल 452010-00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार तीरथराज तिवारी से ब्याज सहित वसूल किया जाये।

## क्षेत्र पंचायत - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14

### प्रस्तर संख्या - 20-

(अ ) सिकन्दर पुर माइनर से बराडिह तक मिट्टी (550एम x 6एम) एवं खडंजा (550x3) निर्माण कार्य में बी डी ओ द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में दिनांक 02.05.2011 से 18.05. 2011 तक है। यानी 18.05.2011 के पश्चात् 23.05.2011 तथा 14.06.2011 को आपूर्तिकर्ता मै० विनय कुमार द्वारा 92000 नग ईट तथा 20 नग ह्यूम पाईप पर सम्मिलित कटौती के पश्चात् भुगतान रु0 310890 एवं पुनः 5350 नग ईट एवं एक साइन बोर्ड का सम्मिलित भुगतान रु 22216-00 श्री मै० विनय कुमार को किया गया है। उक्त सामग्री के उपभोग से सम्बंधित स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गई है। इससे उक्तसमस्त धनराशि की अपहरण की पुष्टि होती है। चेक स 821043/25-5-2011 तथा 821045/15-7-2011 क भुगतान।

(ब ) उक्त दोनों राशियों (329940+22725) पर 4% वैट की कटौती नहीं की गई जो क्रमशः रु0 13198-00 तथा रु 909-00 हुआ जिसकी ब्याज सहित वसूली आंकिकी से अपेक्षित है।

(स ) मै० विजय कुमार को पुनः रु0 7000-00 छमाह बाद रायल्टी वापिस की नहीं है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आंकिकी से अपेक्षित है। (समस्त कटौतियों एवं उचित संस्था को जमा करने की जिम्मेदारी आंकिकी की होती है।)

(द ) एमआर सम्बंधित आपति-दिनांक 18.05.2011 के कार्य समाप्त के पश्चात् चार एम आर का विवरण निम्न है रु० 10960-0 (15/06/2011 to 18/06/2011 रु० 22680-0 (24/05/2011 to 02/06/2011 रु० 14640-0 (24/05/2011 to 02/06/2011 48280-0 जो अपहरण की गई धनराशि है। जिसका भुगतान 15.07.2011 को 10960-चेक न० . 821048 तथा 37320 चेक न० 821046 को हुआ है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(य) दिनांक 02.05.2011 से 21.05.2011 तक के एम आर 90720-00 में तीनों एम आर के भुगतान 90720-00 अपहरण किया गया है। जो कार्य समाप्ति के बाद की तिथि का है।(द ) दिनांक 02.05.2011 से 18.05.2011 तक मिट्टी कार्य 550एम x 6 एम पर 3706.3एम<sup>3</sup> मिट्टी की रायल्टी जमा न करके राजकीयकोष को क्षति पहुँचाई गई जो वर्ष 2011-12 में दर 9-00 प्रति एम<sup>3</sup> के दर से रु0 33357-0 की ब्याज सहित वसूली बी डी ओ एवं आंकिकी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इस कार्य में 16.05.2011 टेण्डर जमा एवं खुला तथा 18.05. 2011 को कार्य समाप्त होता है बी डी ओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार) टेण्डर लोकल पेपर सुपर फास्ट टाईम्स में प्रकाशित तथा टेण्डर खोलने वाले तीन सदस्यीय टीम का हस्ताक्षर अपठनीय है।)

### प्रस्तर संख्या - 21 -

विकासखण्ड में सबमर्सिबल पम्प एवं वाटर सप्लाई कार्य-193एम वोरिंग पर कुल व्यय (सामग्री + लेबर)- रु० 151544/- हुआ है। कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कु० तिवारी ए. डी.ओ. (सी ओ ) अवर अभियंता श्री शशिभूषण सिंह उक्त कार्य का प्रक्विलत व्यय 212681-75 (20750 लेबर पर तथा 191931-75 सामग्री पर) पर टेण्डर नहीं निकाला गया है। जो नियमतः एक लाख से उपर के कार्यों पर टेण्डर जारी करके कार्य कराने की

प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया पंजिका नहीं बनायी गयी जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री जो आपूर्ति की गई उसका उपभोग हुआ ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है (सी.ए.जी. के अद्यतन नियमानुसार) कि ₹0 151447.0 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज के साथ उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप व अपेक्षित है। भुगतान का विवरण

सामग्री-रु95098.0 चेक नं० 008936/07-05-12 33265.00 चेक नं० 008938/ 02-07-12

लेवर-रु०23181.00 चेक नं० 008939/02-7-12 33265-00

रु0151544/

सामग्री भुगतान रु 134046 पर वैट कटौती 4% नहीं की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है रु0 5362.0 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

उक्त कार्य की क्षेत्रपंचायत की जल प्रबन्धन समिति द्वारा एपुवल नहीं ली गई है। जल निगम द्वारा एपुपुवल नहीं ली

## **प्रस्तर संख्या -22 -**

पंचायत भवन (उद्योग) मरम्मत कार्य प्राक्कलित व्यय- 75110 लेवर तथा 284477-00 सामग्री पर कुल वास्तविक भुगतान 174848-0 हुआ है। कार्यप्रभारी द्वारा उक्त कार्य हेतु टेण्डर प्राप्त कर्ता सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी (सामग्री हेतु) का सामग्री व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक मौर्या इलेक्ट्रिकल्स का लगाया गया है जिस पर व्यापार कर विभाग द्वारा रजि० नं० अंकित नहीं है (वाउचर संख्या 899,897, 895,894,893,891 तथा 889 है) जिसका सम्मिलित भुगतान रु० 39399-00 चेक सं० 001811/05-09- 2011 से स्वयं के नाम कार्यप्रभारी श्री नरेश चन्द्र कटियार (ग्रा० वि० अधि०) द्वारा लिया गया है। इसी चेक से 3000+33200 एम आर तथा 4798 पेंट का भी भुगतान सहित कुल 75599 हुआ है। इस प्रकार सामग्री भुगतान 34601+4798-39399 का भुगतान स्वयं लेकर सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। क्योंकि यह धनराशि पृथक रूप से चेक द्वारा सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी की होनी चाहिए थी।

इसी प्रकार चेक सं० 001819/24/10/2011 से रु0 39605.00 का भुगतान स्वयं कटियार द्वारा लिया गया है जिसमें 20245 का सामग्री का भुगतान है-

19360-एम आर

3000-साइन बोर्ड

20245

3795-प्राइमर

12650-बिजली का सामान

800-दर वाजा की सामग्री

**39605.00**

यहाँ 20245 का भुगतान पार्टी के नाम करके कटियार के नाम करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सामग्री के व्यय प्रमाणक पर रजि० अंकित नहीं है।

इसी प्रकार 39399/20245-59644 की धनराशि सामग्री का भुगतान सम्मिलित चेकों में कार्य प्रभारी के नाम करके, पार्टी के नाम भुगतान न करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है।

इस कार्य का टेण्डर 395/201एच2/18/07/2011 जारी किया गया है तथा 8 अगस्त 2011 को टेंडर खोल एवं स्वीकृति दी गई है। टेण्डर प्राप्तकर्ता सौरभ ट्रेडिंग। कम्पनी द्वारा टेण्डर फार्म में कर व्यापार कर विभाग का रजि० नं० 09912713333 दिनांक 05/07/2011 भी लिखा है। इस प्रकार यह टेण्डर संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार रु0-59644 का फर्जी व्यय प्रमाणक लगाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज के साथ उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से अपेक्षित है। संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले०५० में अप्राप्त रहा।

समस्त सामग्री भुगतान रु0 2878664 पद 4% 11515.00 वैट कटौती नहीं की गई जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार से अपेक्षित है।

## **प्रस्तर संख्या - 23 -**

साधन सह० समिति ग्रा० चम्पा में मरम्मत कार्य (राज वि० आयोग) पर कुल वास्तविक भुगतान रु 455202- (386282-सामग्री पर तथा 58920-एम आर पर) को टेण्डर द्वारा सौरभ ट्रेडिंग कं० द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है जिसमें 9765 सरिया कटाई की मजदूरी 8500 सटरिंग पर व्यय पटरा बल्ली आदि, 3630 दर वाजा फ्रेम खिड़की ग्रिल बिल्डिंग 21895 कार्य पर व्यय पर सम्मिलित व्यय 21895 जो लेबर श्रेणी में आता है का भुगतान कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुं० तिवारी ए डी ओ (सी ओ )के नाम है। उक्त तीनों श्रेणी के लेबरों द्वारा पृथक पृथक लिखित रूप से रसीदी टिकट लगाकर प्रमाण के प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे 21895 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है।

इसी प्रकार मस्टर रोल रु0 21600-पर (दिनांक 10.8. 2011 से 25.08.2011) में कार्य नाम नहीं लिखा होने से कार्य प्रतीत होता है। जिसका अन्तरिम आपति में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई थी परन्तु पुष्टि नहीं कराये जाने से 21600 की धनराशि अपहरण की पुष्टि होती है। (चेक सं० 0018091308/11 में सम्मिलित भुगतान 43495 में 21600एमआर तथा 21895 सामग्री)

इसी प्रकार 2600-तथा 3000 का सामग्री भुगतान स्वयं कार्य प्रभारी श्री तिवारी द्वारा अपने नाम लिया गया है जो चेक सं० 001815/26/9/2011 से ₹0 42920-में सम्मिलित भुगतान है जिसमें 37320 का एमआर भुगतान है।

इस प्रकार  $43495 + 5600 = 49095$  की ब्याज सहित वसूली 187070 ब्याज के साथ उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से अपेक्षित है।

सामग्री पर कुल भुगतान ₹0 386282 पर 4% वैट कटौती नहीं करके सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली ₹0 15451 की ब्याज सहित वसूली से श्री दिनेश कुं पाण्डेय से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 24

#### पशु चिकित्सालय मरम्मत कार्य

कार्य प्रा० 05.09.2011 समाप्त 18.12.2011 प्रा० व्यय 171000.00 (लेबर पर 18292 तथा सामग्री पर 152897), वास्तविक व्यय 147300 (19200 लेबर तथा 128100 सामग्री पर): कार्य प्रभारी श्री गंगा विष्णु दोहरे ए डी ओ (आई एस बी )/टेण्डर प्राप्त कर्ता राजेन्द्र ट्रेडर्स चेक सं० 001817/26.09.2011 से ₹0 84524 भुगतान में 15720 एमआर पर है तथा शेष 68804 सामग्री पर भुगतान है जो राजेन्द्र ट्रेडर्स को न करके कार्य प्रभारी श्री गंगा दोहरे विष्णु को भुगतान किया गया है। इसके सम्बंध में पावती या व्यय प्रमाणक पुष्टि हेतु नहीं लगाई है। इसमें 2880 सेटरिंग व्यय, 14135 हार्ड वेयर पर व्यय, 27750 फैब्रिकेटिंग पर व्यय तथा 24039 दर वाजा खड़की पर व्यय है।

इसी प्रकार एम आर 18292 के प्राक्कलन के सापेक्ष 19200 व्यय किया गया है। यहाँ 908 अधिक व्यय किया गया है। इस प्रकार अधिक एम आर भुगतान हेतु इस्टीमेट रिवाइज्ड नहीं कराया गया है। इस प्रकार  $68804 + 908 69712$  का फर्जी भुगतान करके अपहरण की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज के साथ अपेक्षित है।

समस्त सामग्री भुगतान ₹0 128900 पर 4% वैट कटौती नहीं करके सरकारी राजस्व की हानि की गई है। जो ₹0 5156 की ब्याज सहित वसूली लेखाकर से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 25 -

हिंछलाल गीर्य के घर से होकर गुलामीपुर काली माँ के थाने होते हुए चालाब तक नाली निर्माण कार्य (13वें वित्त आयोग) प्राक्कलित व्यय 6.30 लाख शुद्ध व्यय 561816 (लेबर पर 142560 तथा सामग्री पर 409256)। कार्य की प्रस्तावित माप  $(300\text{एम} \times 0.75 \times 0.60\text{एम}) 135\text{एम}^2$  परन्तु कार्य पूर्ति प्रमाणक (बी डी ओ द्वारा जारी) पर कार्य पूर्ण होने की कुल माप  $(292 \text{ एम} \times 0.45\text{एम} \times 0.45 \text{ एम}) 59.13\text{एम}^2$  81 इस प्रकार ऐकिक नियमानुसार 50.1' कार्य की कुल सामग्री लागत का आगणन  $179254 409256 \times 59.13 / 135 = 179254$

शेष धनराशि 409256 179254 230002 अधिक व्यय करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। ( जिसमें  $49670 = 0$  का व्यय प्रमाणक भी सम्मिलित है जिसपर टेण्डर प्राप्तकर्ता सौरभ ट्रेडिंग कं० का दिनांक अंकित नहीं है इसी प्रकार व्यय प्रमाणक 16444 पर भी दिनांक अंकित नहीं है)

एम आर सम्बंधित आपतियां पर देखे तो कुल शुद्ध व्यय में 142560 एम आर पर भुगतान कार्यपूर्ति में दर्शित है। परन्तु ले० प० में 84800 एम आर चेक सं० 005084/08/11/2011 को कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार (ग्रा० वि०अधि०) को भुगतान है ले०प० में 9760 का एम आर ले०प० में प्राप्त हुआ) शेष 142560  $(84800 9760) = 48000$  का एम आर ले०प० में अप्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल अपहरित धनराशि 55181600 की गणना

घटाया (-) 179254 सामग्री

घटाया (-) 9760 = एम आर

**362802**

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से अपेक्षित है।

इस कार्य में सामग्री पर समस्त भुगतान ₹0 409256 हुआ है परन्तु वैट 4% 16370.00 की कटौती नहीं की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री दिनेश कुं पाण्डेय से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 26 -

प्रमुख कक्ष सामुदायिक भवन का (सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य)

इस कार्य पर सामग्री का भुगतान ₹0 76488 हुआ है परन्तु लेखाकार द्वारा 4% 16370.00 वैट कटौती नहीं करके सरकारी राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली 3060 अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 27 -

प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र मऊआइमा के सामने इण्टरलाकिंग सॉलिंग कार्य कार्य प्रा० 02/11/2011 तथा कार्य समाप्त-25/01/2012 (II राज्यवित्त) प्राक्कलित धनराशि = 6.34 लाख (लेबर (एम आर ) = 82781 सामग्री = 551660) एरिया = 657.एम<sup>2</sup> (टेण्डर में)

शुद्ध व्यय 545449 619049 एम आर 73600-सामग्री = कार्य समाप्ति पर कार्य की माँप 145.02एम<sup>2</sup> (बी डी ओ द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र)

जबकि कार्य प्रस्ताव में 211.89एम<sup>3</sup> लिखा है जो समझ से परे है क्योंकि क्षेत्रफल की मात्रा एम<sup>2</sup> में होती है। नाली कार्य प्रस्ताव में है परन्तु नाली नहीं बनायी गई है। जिसकी पुष्टि बी डी ओ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में होती है।

टेण्डर प्राप्त कर्ता में सौरभ ट्रेडिंग कं० से 657.50एम<sup>2</sup> क्षेत्र के हिसाब से इण्टरलाकिंग हेतु सामग्री मंगाई एवं आपूर्ति की गई है। जिस पर कुल व्यय रुपये 619049-00 (पारिश्रमिकी सहित) कार्य हुआ 145.02एम<sup>2</sup> क्षेत्रफल पर। इस प्रकार 657.5 145-512.5एम<sup>2</sup> क्षेत्रफल पर कार्य नहीं हुआ और इस पर व्यय सामग्री एवं पारिश्रमिकी के धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका आकलन निम्न प्रकार है - ऐकिक नियम से -

$$657.5\text{एम}^2 \text{ पर व्यय} = 619049.00$$

$$1 \text{ एम}^2 \text{ पर व्यय} = 512.5\text{एम}^2 - 619049 / 657.5$$

$$619049 \times 512.5 / 657.5 = 482529.00$$

(आकलन की यह विधि अधिक सटिक है देखे मूल आपति) सामग्री पर कुल व्यय 545449-00

(विवरण 462450- चेक नंबर 005081/20/11/1134999-0 चेक नंबर 007854/08/02/12)

उक्त सामग्री भुगतान पर वैट 4% की कटौती नहीं की गई है। जिससे 21818-00 की राजकोषीय क्षेति हुई। इसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं बी०डी०ओ० से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 28 -

गधिना में गोवालाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। कार्य की गाप (बी डी ओ के प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार) = 128एम x 0.3एम x 0.3एम = 11.52 एम<sup>3</sup>

परन्तु टेण्डर में 150एम x 35एम x 30एम के हिसाब से टेण्डर मंगवाई गई तथा टेण्डर प्राप्त कर्ता में विजय कुमार सिंह ने सामग्री की आपूर्ति और कार्यप्रभारी द्वारा कराया। इसका क्षेत्रफल = 150एम x 0.35एम x 30एम = 15.75एम<sup>3</sup> इस प्रकार 15.75-11.52 4.23एम<sup>3</sup> में कार्य न कराके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका आकलन ऐकिक नियम से निम्न प्रकार है = नाली पर कुल व्यय x 4.23 कुल आयतन = 134630 x 4.23/15.75 = 36158-0

इस प्रकार 4.23एम<sup>3</sup> के आयतन का कार्य नहीं हुआ जिसकी लागत 36158 है कि अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (उक्त कार्य पर 105670 सामग्री पर तथा 28960 लेबर पर व्यय किया गया 15.75एम<sup>3</sup> के लिये) सी एन 001806/25.07.2011 तथा सी एन 001805/25.07.2011

उक्त कार्य पर 4% वैट सामग्री पर कटौती नहीं की गई है। जिसे राजकीय राजकोष की क्षति पहुँचाई गई है इस प्रकार रु0 5385-00की ब्याज सहित वसूली लेखाकार व बी डी ओ से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 29 -

वर्ष 2012-13 में वि०खण्ड मऊआइमा में द्वितीय राजवित्त से रु0 195065 = 0 व्यय है तथा तेरहवाँ वित्त से, 157227-00 व्यय है। इससे फाइल/वाउचर/व्यय प्रमाणक/कार्यपूर्ति प्रमाणक ले०प० मे अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हुई इस प्रकार उक्त योग धनराशि रु0 352292 का अपहरण किया गया है। इसके लिए अंतरिम आपति में लिखा गया है परन्तु जवाब नहीं देने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 30 -

सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य- (अब्दालपुर खास में)- प्राक्कलित व्यय

रु0 390000-00

शुद्ध व्यय रु0 381730-00

रु0 330170 = सामग्री।

उक्त समस्त व्यय सामग्री का भुगतान सौरभ ट्रेडिंग कं० से विभिन्न चेकों से किया गया है जिसका विवरण निम्न है-

रु.91616.00 चेक नंबर . 007853/08/02/12

रु.80767 चेक नंबर .007860/21/03/12

रु.86408-चेक नंबर . 008933/25/12/12

रु.34015-02227/18/07/13

रु.5978- जमानत कटौती (छः माह बाद वापस)

रु. 4500 वाउचर

रु, 4500 वाउचर

रु. 1485 रसीद (सरिया कटाई)

रु. 4340 रसीद (पट्टी बल्ली सामग्री का किराया)  
रु. 3558- सामग्री का वाउचर  
रु. 5000 रसीद साइन बोर्ड  
रु. 921 गील, दर वाजा आदि पेंटिंग (रसीद)  
रु.323088- भुगतान ले० ५० में प्राप्त वाउचर -रु.330170 कुल भुगतान  
रु.7082 का वाउचर अप्राप्त

इसी प्रकार इस्टीमेट में डाला गिट्टी 17एम<sup>3</sup> प्रस्तावित है परन्तु बिना इस्टीमेट रिवाइज्ड किये 23.70एम<sup>3</sup> गिट्टी क्रय की गई इस प्रकार 6.70एम<sup>3</sup> अधिक गिट्टी क्रय का मूल्य 6.70x1788 (दर वाउचर में उपलब्ध है) = 11980 का फर्जी तरीके से व्यय की गयी।

इसी प्रकार एम आर में 9120 का एम आर फर्जी है क्योंकि एम आर पर द अ य स का विवरण 11 x 5 + 8 = 63 मैनेज है परन्तु कार्यप्रभारी श्री राजेन्द्र तिवारी ने 57 मैनेज का भुगतान किया है। इसका मतलब फर्जी एम आर बनाया गया है जो प्रथम दृष्टया अपहरण की पुष्टि करता है। इस प्रकार 7082 + 11980 + 9120 28182- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या -31

(i) सिसवाँ में प्रमुख सड़क से खडंजा निर्माण- माप 645एमx3एम-1935 एम<sup>2</sup> प्राक्कलित व्यय 8.10 लाख वास्तविक व्यय-743921 क्षेत्रफल 1935एम<sup>2</sup> खडंजा 58 ईट/एम<sup>2</sup> के दर से 1935x58-112230 नग ईट लगेगा परन्तु आपूर्तिकर्ता में केशव प्रसाद द्वारा आपूर्ति की गई ईंटों की सं०- 54810+49938-104748 नग। परन्तु यह ईट 1806एम<sup>2</sup> क्षेत्रफल के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार 112230-104748-7482 ईट कम आपूर्ति की गई है। परन्तु बी डी ओ द्वारा अपने कार्य पूर्ति प्रमाणक में 1935 एम<sup>2</sup> एरिया में खडंजा लगाने का प्रमाण देता है तब स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कम ईट उपयोग करके अधिक एरिया कार्य का प्रमाण देकर 7482 नग ईट दर 5500/हजार की धनराशि 7482x5.5=41151 की अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से अपेक्षित है।

### एम आर सम्बन्धित आपतियाँ

(ii) एम आर रुपये 53730-0 जिसका भुगतान चेक सं०-001865 06-01-2014 को विनोद कुमार भारतीय (ग्राम पंचायत अधि०) को हुआ है पर कार्य करने की तिथि का विवरण नहीं है। इससे यह फर्जी एम आर दर्शाकर सरकारी धनराशि को अपहरण की पुष्टि होती है।

(iii) ऊपर की कम एरिया 1935-1806 = 129एम<sup>2</sup> कम एरिया का एम आर की गणना-129x31 (इस्टीमेट में दर्ज मजदूरी के अनुसार) =3999=01 कम एरिया में कार्य करने पर सामग्री के साथ मजदूरी भी कम लगेगी। इस प्रकार आपति (i) के लिए 3999 की एम आर का अपहरण किया गया है।

(iv) दो एम आर पर 30-03-14 से 17.04. 14 तक के है-21300=0 तथा 4352-00 परन्तु 32992=0 वाला एम आर की तिथि 31.04.14 से 31.01.214 तक की है जबकि कार्य प्रा० 11.12.2013 से 23.04. 2014 तक समाप्त हो गया परन्तु यह एम आर 31.04.14 तक बनाया गया है जिसे बी डी ओ एवं लेखाकार द्वारा पेड एण्ड केन्सेल्ड है। अप्रैल माह 31 का दिवस का नहीं होता तथा दूसरी बात 23.04. 2014 के बाद एम आर बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। इस प्रकार यह धनराशि अपहरण की पुष्टि होती है। यहाँ बी डी ओ एवं लेखाकार की बहुत बड़ी लापरवाही है।

(v) इसी प्रकार 30.03.14 तथा 31.3.14 का एम आर में दो मजदूर एवं दो मिस्त्री का दो दिन की कुल परिश्रमिकी = 2 x 2 x 250+2x2x142-1568 हुआ परन्तु रु० 4352-पेड एण्ड केन्सेल्ड है। इस प्रकार 4352-1568-2784 के अपहरण की पुष्टि होती है।

(vi) 441एम गिट्टी डलवाई की रायल्टी वर्ष 2013-14 से 14 रुपये /एम<sup>2</sup> के दर से 6174 जो सरकारी कोष में जमा न करके क्षति पहुँचाई गई की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। शासनादेश सं० 1615/177-5-200-77/लखनऊ/28 मार्च 2001, 3891/775 2002-1 (216)/1293 दिनांक 05.08.2002 व 6714/775-2004-200-77/लखनऊ /15.12.2004 द्वारा उपखनिनों यथा-मिट्टी, पटिया, बोल्टर, बालू मोरंग व गिट्टी आदि पर संस्था द्वारा निर्धारित दर पर रायल्टी की कटौती किये जाने के प्रावधान के तहत नियमावली 2012 दिनांक 23.12.2012 के पूर्व रु 9/ घ०मी० तथा दिनांक 23.12.2012 से रु 14/घ०मी० एवं दि० 10 अप्रैल 2016 से रु० 30/घ०मी० मिट्टी खुदाई पर रायल्टी काटकर संबंधित विभाग (खनन) में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर संबंधित कार्यालय से प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या - 32 -

राम नगर उमरी में हरिमंगल के खेत से लालता प्रसाद के मशीन तक खडंजा कार्य- टेण्डर 764/03.11.2013 प्राप्तकर्ता- मे० केशव प्रसाद कार्य प्रा० 11-12-2013, समाप्त=29.12.13 माप -157.5एमx3एम-472.5एम<sup>2</sup> लेकिन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (बी डी ओ ) द्वारा देय) पर 157x3-47एम<sup>2</sup> लिखा है। प्राक्कलित लागत 2.2 Lअ स

शुद्ध व्यय = 214587

इस्टीमेट में मिट्टी कार्टेज का आयतन 426एम<sup>3</sup> लिखा है दर 66.90/एम<sup>3</sup> लिखा है परन्तु फर्जी एम आर पर पीछे 345. 19एम<sup>3</sup> मिट्टी कार्य का विवरण दिया गया है जिसकी कीमत रु० 23093-0 हुआ और ईट बिछवाई 157x3=47एम<sup>2</sup> पर 31 आर s/एम<sup>2</sup> के दर से

1460/- हुआ। सम्बन्धित भुगतान मजदूरी (मिट्टी कार्टेज + ईट बिछवाई) सोलिंग सहित 37696-00 स 1x001878/16.02.14 को भुगतान हुआ है। सम्मिलित भुगतान पंचायत एक्ट नियमावली के अनुसार गलत है। इसमें मिट्टी कार्टेज, सोलिंग आदि का भुगतान फर्जी है क्योंकि इसके सन्दर्भ में निम्न तथ्य हैं-

(i) खड़जा हेतु ईट 18.12.13 को क्रय किया गया है (वाउचर पर अंकित तिथि) और बिछवाई 19.12.13 तक हुआ बी डी ओ के अनुसार 11.12.13 से प्रारम्भ होकर 29.12.13 तक चला परन्तु मिट्टी कटाई सोलिंग आदि का एम आर 11.12.13 से 18.12.13 तक का होना चाहिए जिसका एम आर ले०प० में अप्राप्त रहा और 19.12.13 से ईट बिछवाई करके 29.12.13 तक पूर्ण करके मिट्टी कटाई सोलिंग ड्रेसिंग तथा खड़जा बिछवाई दोनों का सम्मिलित एम आर का भुगतान कर दिया गया है।

(ii) यदि उक्त कार्य (मिट्टी+खड़जा) 19.12.13 से प्रारंभ हुआ तो फिर 11.12.13 से कार्य प्रारंभ करके लिखने की क्या आवश्यकता थी इसका तात्पर्य हुआ कि मिट्टी कार्य स्पष्ट तौर पर 11.12.13 से शुरू कराके 18.12.13 तक करना था, और फिर आगे 19.12.13 तक खड़जा बिछाना था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ

(iii) पृथक एम आर बनाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया है

इस प्रकार उक्त एम आर की गणना निम्न प्रकार है-

$$345.19\text{एम}^3 \times 66.90 = 23093 \text{ खड़जा बिछवाई} - 471 \times 31 = 14601$$

(इस्टीमेट में दर -31/एम<sup>2</sup>) 37694- जो भुगतान 37696 के अधिक करीब है। इस प्रकार 37696-14601 = 23095 जो 23093 के करीब है यह 23095-0 ही एम आर को पृथक बनाकर पृथक चेक से भुगतान करना चाहिए जो न करके अनियमित भुगतान किया गया है।

मिट्टी 345.19एम<sup>3</sup> की रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14/एम<sup>3</sup> के हिसाब से 4833 की सरकारी धनराशि जमा न करके राजकोषीय क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। पूर्व में उल्लिखित शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

### प्रस्तर संख्या -33

अलीपुर गढ़चम्पा मार्ग से बिजली खम्भा होते हुए बनवारी यादव के घर तक खड़जा कार्य- 300 एम<sup>3</sup>×3एम = 900 एम<sup>2</sup> कार्य प्रा० 16.12.13 समाप्त 31.12.13 सामग्री की अपूर्ति 19.12.13 एम आर भुगतान 52784-चेक नंबर 001880/06.02.14 (कार्यप्रभारी कालिका प्रसाद को) टेण्डर (प्राप्तकर्ता) मे० केशव प्रसाद मिट्टी कार्टेज एम आर के पीछे लिखा है- 259 एम<sup>2</sup> (परन्तु इस्टीमेट में 420एम<sup>3</sup> लिखा है

251एम<sup>3</sup> का 66.90/एम<sup>3</sup> के दर करवाई, ट्रेसिंग, सेलिंग मिट्टी का मजदूरी = 17327.00 का भुगतान पृथक एम आर न बनाकर बिछवाई के साथ सम्मिलित भुगतान हुआ है जो नियमतः गलत है।

बिछवाई की मजदूरी = 300×3900×31-27908.00

शेष अधिक भुगतान (17327+27900)-6673 52784

इस प्रकार 6673 की अधिक भुगतान करके सरकारी धनराशि को अपहरण की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 में 259एम<sup>3</sup> मिट्टी की 14आर /एम<sup>3</sup> के दर से रायल्टी 3626 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है को सरकारी राजकोष में करके प्रभावित किया गया है इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है। पूर्व में उल्लिखित शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

### प्रस्तर संख्या 34 -

कठवर परवेजपुर में श्री रामलखन यादव के घर से श्री रामनिधि यादव के घर तक खड़जा कार्य- (850×3एम)

उक्त कार्य के मिट्टी कार्य हेतु 841.09एम<sup>3</sup> मिट्टी उपयोग में लायी गई है परन्तु उक्त कार्टेज मिट्टी की रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14/एम<sup>3</sup> के हिसाब से 11775 राजकीय कोषागार में जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री कालिका। प्रसाद (ग्रा०पंचा० अधि०) से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। इस कार्य के लिए चूँकि प्रशासन देखता है भी उत्तरदायी है। चेक भुगतान देने वाले लेखाकार श्री अशोक जी उत्तरदायी है चूँकि लेखाकार ही राजकोष में जमा करके रसीद एवं रिकार्ड रखता है। कार्य के दौरान एवं भुगतान के समय लेखाकार श्री अशोक कुमार थे।

### प्रस्तर संख्या -35 -

गढ़चम्पा में साधू के दर वाजे से हरिजनो के दर वाजे होते हुए पक्की सड़क तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य (640एम<sup>3</sup>×3एम)

उक्त कार्य पर एम आर 55812 के बजाय 55872.00 चेक सं० 001834 20.11.13 से श्री संजय कुमार (ग्रा०पंचा० अधि०) को 60 अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्ति से अपेक्षित है।

उक्त कार्य पर रु० 470.66एम<sup>3</sup> मिट्टी उपभोग की गई है वर्ष 2013-14 में दर 14=0/एम<sup>3</sup> के दर से रु० 6589.00 को राजकोष में जमा न करके राजकोष की क्षति पहुँचाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या -36



धीनपुर तिलई में कुआँ से पक्की नाली निर्माण (150x45x0.45) में सरिया क्रय फर्म वाउचर 83/24.12.2013 के क्रमांक 5 06 पर दर्ज सरिया 36.89 कि.ग्रा. दर 4500-1660-00 ही होना चाहिए जबकि इसके लागत रु0 6750.00 धनराशि फर्म के वाउचर में अंकित है और सबयोग। करके (बिना सुधारे) भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार 6750-1660-5090 अधिक भुगतान करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी श्री कालिका प्रसाद (ग्रा०पंच० अधि०) एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र के द्वारा भुगतान किया गया है। (फर्म मे० केशव प्रसाद) अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -37**

सामुदायिक भवन (प्रमुख कक्ष) रंगाई पुताई एवं बाउण्ड्रीवाल पुताई

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी श्री संगम कुमार शर्मा द्वारा बिना मस्टर रोल (एम आर ) प्रस्तुत किए ही रु0 44000.00 एवं रु0 3000.00 का भुगतान श्रमिकी एवं रु० 12000.00 का दर वाजा क्रय का भुगतान बिना वाउचर प्रस्तुत किए ही चेक सं0 0012240/02.9.13 से 44000. 00 तथा (12000+3000-15000) का चेक सं0 001845/28.11.13 से भुगतान श्री संजय कुमार शर्मा (ग्रा०पंच० अधि०) को किया गया है जो कार्यप्रभारी थे। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रुप से की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -38**

सरायलाल में शकील अहमद के घर के सामने मस्जिद के पास से साबिर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (40एमx3एम) उक्त कार्य में कार्य प्रभारी श्री कालिका प्रसाद द्वारा प्रस्तुत एम आर में कार्यरत 12 लोगों में मात्र 11 लोगों के अंगूठा/हस्ताक्षर पाए गये। एम आर के क्रमांक 4 पर अंकित बुधई पुत्र गप्फार के निशानी अंगूठा / हस्ताक्षर नहीं पाये गए। कार्यअवधि 27. 10.13 से 31.10.13 तक कुल 05 दिन दर 142/दिन के हिसाब से रु0 710.00 अधिक की गई है। कुल भुगतान 19030. 00 चेक सं0 001829 / 01.11.13 को श्री कालिका प्रसाद को की गई है।

उक्त कार्य में 63एम<sup>3</sup> मिट्टी कार्य का उपयोग हुआ है जिसकी रायल्टी जमा नहीं करायी गई है जो वर्ष 2013-14 में दर 14/एम<sup>3</sup> की दर से 882 राजकोष में जमा न करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 39 -**

नौगिरा में विद्यालय से तालाब (आलोपी पटेल) के घर तक पक्की नाली निर्माण (140एमx0.45एमx0.45एम)

फर्म मे० मोहन लाल यादव इण्टर प्राइजेज 01/08-3-14 रु0 189880 भुगतान चेक सं0 001889 /05.04.14के प्रस्तुत व्यय प्रमाणक में कुल 08 सामग्रियों में क्रम सं० 2 पर मझली बालू 20एम<sup>3</sup> दर 650.00 से 13000.00 ही हुआ परन्तु उक्त वाउचर पर 14300.00 दर्ज है। जिसको बिना सुधारे सम्मिलित भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार 1300.00 अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इसी प्रकार क्रमांक 6 पर सरिया 2.15 कुन्तल दर 4600.00 की दर से 9890.00 को रु0 9950.00 दर्ज करके रु0 60 अधिक भुगतान की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

निम्न कार्यों पर मिट्टी उपयोग की रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14/एम<sup>3</sup> की दर से जमा न करके राजकोषीय धनराशि की क्षति पहुँचाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर व्यक्तियों से अपेक्षित है

#### **प्रस्तर संख्या - 40 -**

राम नगर गंसियारी में खड़जा निर्माण (118एमx3एम) में 111.90एम<sup>3</sup> की रायल्टी दर 14 रु0 1567.00 हुई, जिसे राजकीय कोष में जमा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 41 -**

अमृतलाल के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य (233एमx3एम) में 91.0एम<sup>3</sup> मिट्टी उपयोग की गई है वर्ष 2013-14 में दर 14-00/एम<sup>3</sup> की दर से 1274-00 हुई। जिसे राजकोष में जमा नहीं किया गया है। राजकोष मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 42-**

टी.टी. अब्दालपुर के मजरा बड़ी टिकरी में अमृतलाल के घर से रमईपुर सम्पर्क मार्ग तक खड़जा कार्य (500एमx2.5एम) पर 223.12एम<sup>3</sup> मिट्टी कार्य उपभोग की रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14=0/एम<sup>3</sup> के दर से रु0 3124.00 हुई। राजकोष मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -43 -**

नौगिरा में मऊआइमा से विश्वनाथ के घर के बगल राजकुमार के घर होते हुए पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य पर 254.2एम<sup>3</sup> मिट्टी उपभोग हुआ है जिसकी 2013-14 में दर 14/एम<sup>3</sup> के दर से रायल्टी रु0 3559.00 हुई। राजकोष मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 44-

धीनपुर मार्ग से विश्वनाथ के घर से राजकुमार के घर होते हुए इण्टरलाकिंग कार्य- (125एम x4.7एम) पर 146.6एम<sup>3</sup> मिट्टी का उपयोग हुआ है जिसकी रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14=0/एम<sup>3</sup> के दर से 2046 हुई। जिसे राजकोष में जमा नहीं किया गया है। राजकोष में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 45 -

कटरा जलालपुर पक्की सड़क से कटरा दयाराम बृजलाल पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (600एमx3एम) पर 1026.78एम<sup>3</sup> मिट्टी उपयोग की गई है जिसकी रायल्टी वर्ष 2013-14 में दर 14=0/एम<sup>3</sup> के दर से 14375=00 हुई। उल्लिखित शासनादेश का उल्लंघन किया गया है राजकोष में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### क्षेत्र पंचायत - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17

#### प्रस्तर संख्या - 46

मरखामऊ में प्रेमचन्द्र के घर से बुढ़वा तालाब के दोनों ओर नाली निर्माण

कार्य कार्य प्रा० की तिथि 25.02.2014 कार्य समाप्त की तिथि - 12.11.2014 टेण्डर प्राप्तकर्ता मो० रवि कन्सल्टेशन रजि० नं० 098127198985 टेण्डर विज्ञापन की तिथि - 20.02.2014 टेण्डर खुलने की तिथि - 25.02.2014 पेपर सुपरफास्ट टाइम्स (लोकल पेपर)। उक्त कार्य की फाईल अवलोकन करने पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं:-

1- उक्त टेण्डर के विज्ञापन तथा खुलने की तिथि में 6 दिन का अंतर है जबकि शार्ट टाइम्स टेण्डर के लिए नियमानुसार 11 दिन का समय होता है (छुट्टियों को छोड़कर)। इसी प्रकार टेण्डर खुलते समय तीन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम एवं पद सहित स्पष्ट पठनीय हस्ताक्षर होता है परन्तु खोलने वाले तीन व्यक्तियों का नाम एवं पद का नाम स्पष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया का नियमतः पालन नहीं किया गया है।

2- टेण्डर प्राप्तकर्ता के व्यय प्रमाणक पर उसके फर्म का वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन की तिथि नहीं लिखी गई है तथा उसके रजि० नं० ग्यारह अंकों से अधिक का है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी व्यय-प्रमाणक लगाकर सरकारी धनराशि का उपभोग किया गया है।

3- सामग्री पर समस्त व्यय धनराशि रु0 357209.00 में 4 प्रतिशत वैट तथा 2.30 टी०डी०एस० कटौती के बाद रु० 323715.00 का भुगतान की गई है। इस प्रकार आपत्ति के अनुसार रु०323715.00 ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उर्मिला देवी बी डी ओ श्री अशोक कुमार, लेखाकार, श्री अशोक कुमार, कार्य323715.00 अपहरण की श्रेणी में जाता है।

4 तथा 5

इसी प्रकार मस्टर रोल रु0 56164.00 तथा रु0 23040.00 का भुगतान एक ही चेक से किया गया है जिनकी कार्य की तिथियाँ 16.06.2014 से 15.07.2014 तथा 16.07.2014 से 02.00. 2014 अंकित है। इस प्रकार पृथक-पृथक तिथियों का पृथक-पृथक चेक जारी न करके सम्मिलित भुगतान उ०प्र० पंचा० लेखा मैनुअल नियमावली का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार उन दोनों मस्टर रोलों पर लेबर, मिस्त्रियों का अंगूठा, हस्ताक्षर नहीं है जिस पर ऑडिट दल द्वारा सिग्नचर/ थंबड नॉट फॉर्मड लाल पेन से लिखा गया है जिससे भविष्य में कोई दुबारा इस एम आर का दुरुपयोग नहीं कर सके। इस प्रकार धनराशि रु0 56164.00 + रु0 23040.00 = 79204 का फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है।

उक्त समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों (कॉलम-7) से ब्याज ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 47

इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग के ब्लॉक बाजार से राम औतार के घर होते हुए ब्लॉक बाजार के बीच संजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य :- प्राक्कलित धनराशि रु० 8.36 लाख, कुल भुगतान रु0 743835.00 कार्य प्रभारी - ठेकेदार श्री मे० मो० आलमीन (चक स्याम उर्फ किराँव) अवर अभि० - श्री मान सिंह जे ई/ आरईएस गम्भीर आपत्तियाँ

1- उक्त कार्य सामूहिक रूप (सामग्री+लेबर) ठेकेदारी प्रथा से करायी गई है जबकि क्षेत्र पंचायत में ठेकेदारी से कार्य कराने का जी.ओ. नहीं है कि मजदूरी सहित सामग्री कार्य ठेकेदारी प्रथा से करायी जाय। इस पर उ०प्र० पंचा० लेखा मैनुअल नियमावली को ताख पर रख करके कार्य एवं भुगतान किया गया है।

2 टेण्डर शार्ट टाइम्स के लिए कम से कम ग्यारह दिन (छुट्टियाँ छोड़कर के) के अंतर (टेण्डर निकालने एवं खोलने के समयावधि) होना चाहिए लेकिन टेण्डर प्रकाशित की तिथि 20.05.2014 तथा खोलने की तिथि 30.05.2014 है ! इस प्रकार छुट्टियों को छोड़कर (ग्यारह दिन का अंतर) नहीं है।

टेण्डर पर तीन कर्मचारियों/अधि० का हस्ताक्षर पठनीय एवं पदनाम अंकित लिफाफा पर नहीं है। इसी प्रकार यह टेण्डर सुपर फास्ट टाइम्स नामक लोकल पेपर (जो केवल मऊआईमा बाजार में चलता है) में निकाला गया है जबकि कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्र में निकाला जाना चाहिए।

3-इसी प्रकार टेण्डर मो० आलमीन को दिया गया है जिसका ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन जून 2014 में समाप्त हो रहा था और 01 सितम्बर 2014 को ठेका दिया गया है जो सरकारी नियमों का सरासर अनदेखी है। ठेकेदार मो० आलमीन का ठेकेदारी के रजि० की अवधि 10 लाख क्षमता के साथ 20.07.2011 से 30.06.2014 तक है जबकि अन्य दो टेण्डर डालने वालों की श्री राजकुमार द्विवेदी तथा अतुल कु० सिंह का भी ठेकेदारी का रजि० जून 2014 में समाप्त हो रहा था। इसी प्रकार तीनों टेण्डर के दावेदार नियमानुसार योग्य नहीं थे परन्तु फिर भी अयोग्य को टेण्डर दिया गया।

(iv) तथा (vi)- ठेकेदार आलमीन द्वारा ₹0 743835.00 का बिल ऑफ क्वांटिटी प्रस्तुत की गई है जिसमें सामग्री का व्यय-प्रमाणक नहीं लगाया गया है। व्यय-प्रमाणक नहीं होने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी कि किस दुकान / प्रतिष्ठान से क्रय की गई है। इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि वैट कटौती ₹0 29754.00, टी०डी०एस० कटौती ₹0 16508.00 किस प्रतिष्ठान/दुकान के नाम जमा एवं बाद में समायोजित की गई। इसी प्रकार 10 प्रतिशत सामग्री भुगतान की राशि से कटौती करके जमानत रखी गई है जबकि टेण्डर स्वीकार होने एवं कार्य प्रा० होने के बीच अवधि में 10 प्रतिशत पूरे राशि का जमानत छः माह के लिए बाण्ड / एन०एस०सी० अण्डरटेकिंग पर रखा जाता है जिससे फर्म की गुणवत्ता की गारंटी ली जाती है जो नहीं किया गया है।

नियमतः श्रम पर व्यय का 1 प्रतिशत श्रम विभाग में ₹0 7500.00 जमा होना चाहिए और ठेकेदार का रजि० श्रम विभाग से होना चाहिए परन्तु ऐसा न होकर बाणसागर परियोजना के मुख्य अभियंता से रजिस्ट्रेशन कराया है और वह भी जून 2014 में समाप्त हो गयी परन्तु 01 सितम्बर 2014 को ठेका दे दिया गया। ₹0 7500.00 श्रम विभाग में जमा की पुष्टि नहीं हुई है।

भुगतान का विवरण :-

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| वैट कटौतियाँ =    | 29754.00  |
| टीडीएस कटौतियाँ = | 16508.00  |
| जमानत 10%         | 74984.00  |
| बांड 1%           | 7513.00   |
|                   | 128759.00 |

चेक सं० एवं धनराशि - चेक न०

199384.00 - 09.06.2014/001909 मो० आलमीन को

251647.00 - 29.08.2014/001923 मो० आलमीन को

171558.00 - 16.09.2014/001925 मो० आलमीन को

622589.00 कटौतियाँ

128159.00 कटौतियाँ

751348.00

जबकि फाईल में कुल व्यय = 743835.00 लिखा है अशुद्ध है। कुल वास्तविक व्यय 751348.00 ही माना जायेगा।

(ix) उक्त फर्म पर 221.04 मी० मिट्टी उपभोग पर दर 14/मी० की दर से ₹0 3095.00 जमा नहीं की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(viii) बीडीओ द्वारा कमीपूर्ति प्रमाण पत्र पर 2 कार्य की माप 190मी० x 4मी० = 760मी० दिया गया है जबकि इस्टीमेट एवं एम.बी पर 190मी० x 3मी० = 570 मी० दर्ज है। इस प्रकार 760 = 570 = 190मी० फर्जी दर्शाकर उससे सम्बन्धित धनराशि फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण की गई है जिसका विवरण निम्न है :-

$$751348 \times 190/570 = 250449.00$$

उक्त समस्त व्यय धनराशि ₹0 751348.00 का अनियमित तरीके से व्यय करने के कारण ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 48

ग्राम अब्दालपुर खास में फुलई पासी के घर से इलाहाबाद प्रतापगढ़ मार्ग तक पक्की नाली निर्माण कार्य :-

कार्य माप = 450मी०x0.45मी०x30मी०

प्रा० धनराशि = 8.480 लाख

कुल वास्तविक भुगतान = 846459.00

कार्य की स्वीकृति दिनांक 05.02.2014

कार्य प्रारम्भ दिनांक 02.06.2014

कार्य समाप्त दिनांक 01.09.2014

टेण्डर जारी = 20.05.2014

टेण्डर खुला = 30.05.2014

टेण्डर प्राप्तकर्ता = धर्मेन्द्र कुमार यादव परन्तु भुगतान रुपये ज्यादा। 846461.00 यानी दो

भुगतान का विवरण :-

कटौती के पश्चात सी एन / डेट

227876-189780=001908/09.06.14

257742-214651=001916/02.07.14

201611-167908=001919/08.07.14

159232-132611=001937/01.04.15

846461=704950

(यहाँ पर वैट 4%, 0.5%, बॉण्ड कटौती अधिशेष 0.5% टीडीएस = 2.3% जमानत -10%)

उक्त कार्य पूर्णरूपेण ठेकेदारी प्रथा से करायी गई है इसके लिए उ०प्र० सरकार का आदेश या जी ओ नहीं है। यह मनमानी यानी नियम के विपरीत कार्य कराके अनियमित भुगतान किया गया है। इसके लिए 10% दण्ड स्वरूप ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

पूरे व्यय का 1% यानी रु0 8465.00 को श्रम विभाग में जमा नहीं कराया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली करके उक्त संस्था में जमा अपेक्षित है। टेण्डर प्राप्त कर्ता श्री धर्मेन्द्र कु० यादव की हैसियत प्रमाण पत्र श्री राजेश्वर रेड्डी (डी एम इलाहाबाद) द्वारा बाइस लाख दिनांक 05.02.13 को जारी किया गया है जबकि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 75 लाख हैसियत प्रमाण पत्र दिया गया है (श्री हरिहर प्रसाद द्वारा) परन्तु अधीक्षण अभियन्ता श्री हरिहर प्रसाद का हस्ताक्षर एवं मुहर ठेकेदार के प्रमाण पत्र में अंकित नहीं है। इसी प्रकार 01 जून 2014 में उसका रजि० समाप्त हो गया है परन्तु, ब्लॉक के अधिकारी बी डी ओ श्री अशोक कुमार द्वारा 30.05.2014 को टेण्डर दे दिया गया और सितम्बर 2014 तक के लिए।

उक्त ठेकेदार से 10% जमानत धनराशि के रूप में एनएससी /बॉण्ड अण्डरटेकिंग द्वारा नहीं की गई है। इसकी कटौती उसके बिल ऑफ क्वांटिटी से की गई है जो नियमतः त्रुटिपूर्ण है।

इसी प्रकार अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में सामग्री क्रय की दुकान या प्रतिष्ठान व्यय प्रमाणक न लगाने से वैट की कटौती या टीडीएस की कटौती का समायोजन किस प्रकार की जायेगी स्पष्ट नहीं हो सका?

उक्त कार्य में अवर अभियन्ता श्री मान सिंह जे ई/ आरईडी द्वारा अपने बनाये इस्टीमेट में मिट्टी तथा बालू का जिक्र नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड अधिकारी तथा जिले के सीडीओ/डीडीओ द्वारा बिना भय के समस्त धनराशि अपहरण कराने में सम्मिलित है क्योंकि ठेकेदार श्री धर्मेन्द्र कु० यादव द्वारा अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में बालू या मिट्टी के उपभोग का जिक्र नहीं है। इसी प्रकार बी डी ओ 8- द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न दिये जाने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार समस्त धनराशि को विकास खण्ड बी डी ओ तथा जे ई/ आरईडी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण की गई जिले के अधिकारी अपने निरीक्षण वाले कर्तव्य नहीं किये हैं। फाईल पर या विजिट पंजिका में फाईल निरीक्षण का विवरण नहीं होने से स्पष्ट होता है कि सरकारी धनराशि की बंदर बांट की गई है। (विवरण ऊपर प्रारम्भ में है) अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 49

ग्राम परवेजपुर में रामखेलावन यादव के घर से जमुना यादव के घर तक पक्का नाली निर्माण कार्य:-

ठेकेदार श्री मो० आलमीन रजि० की समाप्ति 01 जून 2014 परन्तु सितम्बर 2014 तक का कार्य 30 मई 2014 में बी डी ओ श्री अशोक कुमार द्वारा दिया गया है।

कुल व्यय = 758050.00 05 फरवरी 2014 को कार्य की स्वीकृति मिली परन्तु देर में अपंजीकृत ठेकेदार से कार्य जल्दीबाजी में करायी गई है जिसका टेण्डर शार्ट टाइम अवधि का पालन करते हुए लोकल पेपर में निकाल करके (20.05.2014 30.05.2014 तक) कराया गया है, ठेकेदार का श्रम विभाग से पंजीकरण नहीं है। उसका पुराना पंजीकरण 014.जून 2014 में समाप्त हो गया है। पुनः पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे में ठेकेदार के बिल ऑफ क्वांटिटी का 1% श्रम विभाग में जमा नहीं करायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है। (758050 का 1% = 7580.00)

टेण्डर खोलने वाले तीन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम हस्ताक्षर एवं पद लिफाफे पर पूर्णरूपेण एवं पठनीय भाषा में नहीं लिखा गया है तथा बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और ठेकेदार का रजि० 20.07.2011 से 30.06.2014 तक ही है परन्तु उसके बिना नवीनीकरण के आगे तीन माह का कार्य देकर समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 50

विकास खण्ड परिसर में मोटर गैरेज व आवासीय भवनों के सामने इण्टरलॉकिंग कार्य :-

माप = 736.22 मी०

प्राक्कलित ब्याज = 9.38 लाख

शुद्ध व्यय = 857133.00

टेण्डर निकालने की तिथि 21.12.15

टेण्डर खुलने एवं स्वीकार की तिथि 05.01.2016

ठेकेदार श्री अतुल कुमार सिंह के रजि० की तिथि 01/2012 से 30 जून 2014 तक हैसियत प्रमाण पत्र = 6 लाख श्री राजशेखर रेड्डी (डी एम इलाहाबाद) द्वारा 16.11.2011 को दिया गया। लेखा परीक्षा दल निम्न गम्भीर आपत्तियों दर्ज है:-

- i. ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराने का जी ओ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- ii. हैसियत प्रमाण पत्र से अधिक धनराशि का ठेका दिया गया है।
- iii. रजि० दिनांक जून 2014 को समाप्त हो गया परन्तु टेण्डर स्वीकार करके 5 जनवरी 2016 को ठेका दिया गया। बी डी ओ द्वारा रिन्यूवल सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है।
- iv. टेण्डर लोकल पेपर सुपर फास्ट टाइम्स में निकाला गया है जो केवल मऊआइमा बाजार तथा आस-पास क्षेत्रों तक सीमित है जबकि टेण्डर शार्ट टाइम्स दो या तीन राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पेपरों में निकाला जाता है और महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से राजकीय कार्य कराने की भावना अन्तर्निहित रहती है जिसका पालन नहीं किया गया है।
- v. टेण्डर खोलने वाले लिफाफे पर तीन कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, हस्ताक्षर एवं पदनाम स्पष्ट नहीं है जो कि स्पष्ट होना चाहिए।
- vi. बिना रजि० के रिन्यूवल के ही तथा बिना जमानत बतौर एनएससी/बॉन्ड /अन्डर्टैकिंग के ही कार्य कराने की स्वीकृति दी गई।
- vii. ठेकेदार द्वारा बिल ऑफ क्वांटिटी में न व्यय-प्रमाणक का और न ही 162.5 मी 03 मिटटी उपभोग की रॉयल्टी जमा की रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
- viii. पूरे व्यय का 1% (जो रु० 8614.00 हुआ) श्रम कमिशनर के यहाँ जमा करानी चाहिए जिसकी जमा रसीद ले० ५० में अप्राप्त रहने से जमा की पुष्टि नहीं हुई। (चूँकि यहाँ पर बिल ऑफ क्वांटिटी में सामग्री एवं श्रम का पृथक-पृथक ब्योरा नहीं दिया गया है) इसलिए पूरे धनराशि बजाय श्रमिकी व्यय पर 1% अधिशेष यहाँ पर एसेस है।

चेक सं० 002005/09.02.2016 को 439288 (527474 में 12071.00 2.3टीडीएस , 20993-0 वैट 490, 52484 10% जमानत राशि तथा 0.5% अधिशेष 2638)। इसी प्रकार चेक सं० 002018/09.3.2016 को 278107 (333937 में 4%, 2.3%, 0.5% अधिशेष तथा 10% जमानत कटौती के बाद) उक्त समस्त कुल भुगतान 857133.00 को दुरुपयोग की श्रेणी में रखते हुए विधिक कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों पर अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 51

सुल्तानपुर खास में मऊआइमा धीनप्र मार्ग से शीला हॉस्पिटल तक इण्टरलॉकिंग कार्य:-

कार्य की साप = 135मी० x 3मी० = 405मी०

कार्य की प्रस्तावना जे ई/ आरईडी द्वारा बनाया गया है और उसमें 405मी० कार्य का क्षेत्रफल लिखा है और इस्टीमेट 45मी० का बनाया गया है और इस पर जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह द्वारा कुल 544952.00 का भुगतान हेतु किया। इसी प्रकार बी डी ओ द्वारा 405410 का प्रमाण पत्र (कार्यपूति प्रमाण) प्रस्तुत है। इस प्रकार 10मी का अधिक भुगतान का आंकलन निम्न प्रकार है :-

$10 \times 544952/415 = 13130.00$

इस प्रकार रु० 13130.00 अधिक भुगतान करके अपहरण की गई है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इस कार्य पर 16.6मी० मिटटी उपभोग की गई है। इसकी रॉयल्टी दर 14/मी० वर्ष 2015-16 की दर से रु० 233.00 की ब्याज सहित वसूली रॉयल्टी राजकोष में जमा न करके राजकीय शेष की क्षति की गई है इसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

भुगतान का विवरण (कटौतियों के बाद)

सामग्री पर 482903 चेक नं० मे० कथव प्रसाद

मस्टररोल 404190 001989/18.08.2015 62049.00 चेक नं० 001992/18.08.15 श्री संदीप वर्मा (15 - 15 तक)

#### प्रस्तर संख्या - 52

महमूदपुर (धीनपुर) में पक्की सड़क से राधेश्याम भारतीया के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :-

माप = 155 x 2.05 = 375.75 मी०

कुल व्यय = 557671.00

उक्त कार्य पर ले० परीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र बी डी ओ द्वारा तथा जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं। अन्तरिम आपति के बावजूद भी प्रमाणक पर हस्ताक्षर नहीं होने से कराये गये कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है। समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत है तथा चेक सं० 001993/07.09.2015 को रु० 483180.00 में केशव प्रसाद के नाम भुगतान हुआ है और श्रमिकी भुगतान रु० 74491.00 चेक नं० 001996/ 07.09.2015 को कार्य प्रभारी श्री मुनीराम (जेई /एमय) के नाम हुआ है। परन्तु कार्यपूति प्रमाण अप्रमाणिक होने के कारण उक्त कार्य की पूर्ति की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार समस्त धनराशि रु० 557671.00 के दुरुपयोग होनी प्रतीत होती है। अन्तरिम आपति का जवाब संस्था द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में उत्तरदायी व्यक्तियों पर विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के पीछे 143मी० मिटटी उपभोग का विवरण है जिसकी रॉयल्टी जमा नहीं की गई है। इस प्रकार 14/मी० की दर से रु० 2002.00 की राजकीय धनराशि को राजकोष में जमा न करके क्षति पहुँचाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित हैं।

#### प्रस्तर संख्या - 53

बाँका जलालपुर के झाऊमियाँ के पूरा पक्की सड़क से सिबलू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :- (30.05.2015 से 20.06.2015 तक)

कुल लागत = ₹222730.00

इस कार्य हेतु द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र 60मी0x3.5 मी0-210मी0 दर्ज है परन्तु इस्टीमेट 225मी0 के हिसाब बनाकर पूरी धनराशि 222730.00 व्यय की गई है। इस प्रकार 15मी02 अधिक पर व्यय धनराशि का आंकलन 14849.00

$222730 \times 15/225 = 14849.00$  की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

इस कार्य में 63.75मी0 मिट्टी उपभोग की रॉयल्टी 14/मी0 की दर से 893.00 की धनराशि राजकीय कोष में जमा न करके राजकीय क्षति की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

कटौतियों के बाद 28.02.2018- 235379.00

चेक नं0 001973/17.06.2015 मे0 केशव प्रसाद को

एम आर 41512.00 चेक नं0 001978/ 26.06.2015 श्री संदीप वर्मा (कार्य प्रभारी) (06.06.2015 से 20.06.2015)

#### प्रस्तर संख्या - 54

कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष एवं बगल गैलरी में टाइल्स एवं रंगाई-पुताई कार्य :-

कुल व्यय ₹ 41980.00 (सामग्री पर ₹ 31475.00 तथा पारिश्रमिकी पर ₹ 10513) परन्तु इस पर व्यय प्रमाणको पर 4% वैट = 1259 तथा 23 टीडीएस = 724 की कटौती नहीं की गई जिसकी ब्याज सहित वसूली सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 केशव प्रसाद से की जाने की अपेक्षा की जाती है। इसका उत्तरदायित्व लेखाकार का है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 55

सराय केशव में श्याम सुन्दर शुक्ला के घर से भैयाराम पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :-

माप = 95मी0 x 2.5मी0 = 237.5मी0

इस्टीमेट = 252मी0 का बना है।

भुगतान = 420948.00

366040.00 चेक नं0 001998/18.09.15 54944.00 एम आर 001999/18.09.15

उक्त कार्य में जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह द्वारा एमबी ले०५० में प्रस्तुत नहीं करने एवं अंतरिम आपति का जवाब वि०खण्ड द्वारा नहीं दिये जाने से स्पष्ट होता है कि 14.5मी0 का अधिक भुगतान करके धनराशि 420948 x14.5/252

= 24221.00 ₹ 24221.00 का अपहरण कर लिया गया है। कार्य की माप जे ई/ आरईडी द्वारा 237.5मी0 किया गया है परन्तु इस्टीमेट 2.52 मी02 का बना है। दूसरी बात बी डी ओ द्वारा कार्यपूति प्रमाण नहीं दिया गया है (कार्यपूति प्रमाण पर बी डी ओ तथा जे ई/ आरईडी तथा द्वारा हस्ताक्षर नाम सहित नहीं है) ऐसे में कार्यपूति होने की पुष्टि नहीं होती है परन्तु सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 केशव प्रसाद के समस्त व्यय प्रमाणक लगा है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय न करके शेष धनराशि 396727.00 का (420948-24221) अनियमित व्यय करके राजकीय धनराशि की क्षति की गई है। इसकी विधिक कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों पर करते हुए तथा 24221.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इस कार्य पर 85.5मी0 मिट्टी उपभोग की रॉयल्टी 14/मी0 की दर से 2015-16 में 1197.00 राजकीय कोषगार में जमा नहीं करायी गयी है जिसकी क्षतिपूति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 56 -

मलखान में खड़जा से कश्यप के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :-

कार्य की माप = 387.5मी0 परन्तु इस्टीमेट एवं भुगतान = 402 मी० का है।

कुल व्यय 668139.00 ही सामग्री पर भुगतान = 520380.00

चेक नं0 001979/27.07.15 (मे० केशव प्रसाद को)

72290.00 चेक नं0 001985/ 18.08.15

लेबर पर = 67711.00 चेक नं0 001982/18.08.15

कार्य प्रभारी ननकूराम पटेल को एडीओ(आईएसबी)7758.00 चेक नं0 001988/18.08.15

शेष कटौतियाँ

उक्त कार्य की माप जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह द्वारा 387.5मी0 का बनाया गया है और इस्टीमेट एवं भुगतान 402मी0 का है। इस प्रकार 14.5मी0 अधिक माप दर्ज करके अतिरिक्त धनराशि को अपहरण किया गया है क्योंकि बी डी ओ श्री एस०पी० चौंसिया द्वारा कार्यपूति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। श्री एस०पी० चौंसिया एवं जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह की जोड़ी ने प्रत्येक कार्य में यही सूत्र अपनाकर यानी अधिक इस्टीमेट तथा भुगतान करके बड़ी सरलता से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि लेखाकार द्वारा प्रस्तुत कार्यपूति प्रमाणक पर बी डी ओ का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अतिरिक्त धनराशि  $668139 \times 14.5/402 = 24100.00$

रु0 24100.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है। धनराशि 398.00 की रॉयल्टी राजकोषीय क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है क्योंकि उक्त राशि में 27.12मी0 मिट्टी उपभोग की रॉयल्टी जमा न करके राजकोषीय क्षति पहुँचायी गई है 14/मी0/2015-16 की दर से उक्त धनराशि रु0 398.00 ब्याज सहित वसूली का अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 57 -

विकास खण्ड परिसर में कार्यालय के सामने एवं पीछे की ओर अवशेष भाग में इण्टरलॉकिंग कार्य:-

प्राक्कलित धनराशि = 1182500.00 शुद्ध लागत = 1161278.00

समय 28.04.15 से 27.05.15

जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह कार्य प्रभारी श्री ननकूराम पटेल एडीओ(आईएसबी) बीडीओ श्री एस०पी० चौरसिया

उक्त कार्य 2014-15 और 2013-14 में विभिन्न नामों से कराया जा चुका है। जैसे एडीओ/बीडीओ आवासों के सामने खुले भाग में इण्टरलॉकिंग कार्य या मोटर गैरेज के सामने इण्टरलॉकिंग कार्य या प्रमुख कक्ष के सामने इण्टरलॉकिंग कार्य आदि। परन्तु इस बार नाम बदलकर उसी स्थान / एरिया का पुनः कार्य कराया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले० प० में अप्राप्त रहा। समस्त भुगतान 4% वैट, 1% जमानत तथा टीडीएस कटौती करके श्री अतुल सिंह (ठेकेदार को एक ही चेक में भुगतान कर दिया गया है) चेक सं० 001158/06.06.15 = 864870.00 जबकि अतुल सिंह का ठेके का रजि० जून 2014 में ही समाप्त हो गया है तथा पुनः नवीनीकरण रजि० कराके ले० परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतरिम आपति के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार एक ही बार में श्रमिक भुगतान एक दो चेक में 127980.00 चेक सं० 001959/06.06.15 को कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि 1161278.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से 18% ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

उक्त व्यय पूरी धनराशि की व्यय-प्रमाणकों पर (अतुल सिंह द्वारा पस्तुत) वाउचर क्रम सं० अंकित नहीं होने से नियमतः वैट तथा टीडीएस की कटौतियाँ सम्बन्धित विभागीय स्तर पर नहीं की जा सकेंगी। इससे सरकारी राजस्व की क्षतिपूर्ति होगी। चूँकि अतुल सिंह का रजि० जून 2014 में समाप्त हो चुका है तो नवीनीकरण कराया जाना चाहिए जो नहीं कराया गया है। ऐसे में उनका पुराना पंजीकरण मान्य नहीं होगा। इस प्रकार समस्त धनराशि अपहरण की गई है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 58-

वि०खण्ड परिसर में सहा० वि० अधिकारी (पंचा०) कार्यालय की ओर एवं सभा कक्ष के चारों ओर इण्टरलॉकिंग कार्य:-

कार्य प्रभारी श्री मुनीराम जेई /एम।(30.05.15 से 14.06.15 तक कार्य)

कुल व्यय = 260045.00

सामग्री पर = 232570.00 अतुल सिंह को 4% वैट , 2.3% टीडीएस तथा 10% जमानत के बाद 194661.00 चेक सं० 001968/17.06.15 से भुगतान, लेबर भुगतान 27475.00 चेक सं० 001969/17.06.15 श्री मुनीराम (जेई /एम।) को उक्त कार्य के सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री व्यय प्रमाणक पर क्रम सं० ले०प० में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार रु० 232570.00 का अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय प्रमाणक पर क्रम सं० नहीं होने फर्जी व्यय प्रमाणक की पुष्टि होती है। इसलिए सामग्री की समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

#### प्रस्तर संख्या - 59 - वि०खण्ड परिसर में नाली निर्माणकार्य :- (25.02.15 से 27.04.15)

प्रा० लागत = 286500.00

शुद्ध लागत = 283983.00

जे ई/ आरईडी श्री मान सिंह, ननकूराम पटेल एडीओ(आईएसबी)कार्य प्रभारी बी डी ओ श्री एस०पी० चौरसिया उक्त कार्य का इस्टीमेट 245x0.45मी0x0.30मी0 है। तथा कहीं पर 190मी0x0.45मी0x0.30मी0 है। जबकि बी डी ओ द्वारा देय प्रमाणपत्र पर 190मी0x0.45मी0x0.30मी0 लिखा है। लेखा परीक्षक द्वारा मापने पर 145मी0x0.45 मी 0x0.30मी0 बना पाया गया। शेष 45मी0x0.45मी00.30मी0 का अधिक भुगतान हुआ है। अन्तरिम आपति देने के बावजूद स्पष्टीकरण संस्था द्वारा नहीं दिया गया। इस प्रकार अतिरिक्त कार्य 45मी0x0.45मी0x0.30मी0 पर लागत धनराशि की अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

283983 x 55मी0 x 0.45मी0 x 0.30मी0

190मी0 x 0.45मी0 x 0.30मी0

=82205.00

उपरोक्त समस्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि विकास खण्ड परिसर में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में ब्लॉक प्रमुख तथा बी डी ओ ऑफिस चारों ओर इण्टरलॉकिंग कार्य एडीओ/बीडीओ के आवासों के चारों ओर इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया है तब नाली निर्माण कैसे बच सकता है। जब पूरे एरिया में इण्टरलॉकिंग कार्य होता है तब बीच की नाली साथ में बनती रहती है या यूँ कहें कि स्वयं ही बन जाती है। इस प्रकार जनता के हित के लिए आयी धनराशि को बी डी ओ ब्लॉक प्रमुख अपने हित में मनमानी व्यय की गई है जिले के अधिकारियों की लापरवाही दर्शाता है।

जे ई/ आरईडी के इस्टीमेट में कई जगहों पर काटपीट या ओवरलैपिंग की गई है इससे स्पष्ट होता है कि अधिक व्यय दर्शाया गया है। कटौती के बाद 199869.00 चेक सं० 001942/ 01.04.15 तथा 38172.00 चेक सं० 001951/18.05.15 को सामग्री भुगतान तथा 39146.00 तथा 6526.00 क्रमशः चेक सं० 001943/01.04.15 तथा 001952/18.05.15 को लेबर भुगतान हुआ है। इस समय बी डी ओ श्री एस०पी०चौरसिया थे।

**प्रस्तर संख्या - 60** - विकास खण्ड परिसर बाउंड्री वॉल के बाहर पक्की नाली निर्माण कार्य :- (30.05.15 से 14.06.15 तक) कार्य प्रभारी श्री मुनीराम (जेई /एम।) अवर अभियन्ता श्री मान सिंह माप =  $30 \times 0.45 \times 0.30 = 4.05\text{मी}^0$  13वीं वित्तीय आयोग स्त्रोत कुल व्यय = 145135.00 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही वि०खण्ड परिसर  $190 \times 0.45\text{मी}^0 \times 0.30\text{मी}^0 = 25.65\text{मी}^0$  नाली निर्माण पर व्यय (मूल आप सं० 10) 283983.00 हुआ है। यानि कुल रु० 11071.46/मी० व्यय हुआ है। तब 4.05मी०' पर उसी दर से रु० 44839.00 व्यय होना चाहिए (क्योंकि सामग्री को क्रय मूल्य तथा पारिश्रमिकी एक ही है, जमीन का लेबल, नाली की गहराई तथा चौ० भी मूल आप० 10 में बनी नाली के समान है) परन्तु मनमानी रुप से 100296.00 अधिक व्यय करके (145135-44839-100296) धनराशि का अपहरण किया गया है। अतुल सिंह द्वारा प्रस्तुत व्यय प्रमाणक पर वाउचर क्रम सं० अंकित नहीं है। इस प्रकार फर्जी वाउचर पर 122034.00 भुगतान चेक सं० 001964/17.06.15 को अतुल सिंह को हुआ है। इसके लिए लेखाकार श्री अशोक मिश्र पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 61** - नौमिरा में आईसीडीडब्ल्यू कटहत आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य में :-

इस कार्य में कुल 521451.00 व्यय हुआ है। इस कार्य हेतु शासन द्वारा सामग्री तथा मजदूरी की वित्त व्यवस्था की गई थी। सीडीओ इला० द्वारा मनरेगा के तहत 63000.00 मजदूरी हेतु। परन्तु ठेकेदार अतुल सिंह द्वारा जो एम आर प्रस्तुत की उसका विवरण निम्नवत है- कुल (198 दिवस)

|             |              |                   |
|-------------|--------------|-------------------|
| रु० 5796.00 | मनरेगा एम आर | 10.08.15-16.08.15 |
| रु० 5796.00 | मनरेगा एम आर | 17.08.15-23.08.15 |
| रु० 6762.00 | मनरेगा एम आर | 05.07.15-11.07.15 |
| रु० 6762.00 | मनरेगा एम आर | 19.07.15-25.07.15 |
| रु० 6762.00 | मनरेगा एम आर | 12.07.15-18.07.15 |

**रु० 31878.00 मनरेगा मजदूरी कुल भुगतान**

शेष 63000-31878=31122 का मस्टररोल ले० प० में अप्राप्त रहा। अन्तरिम आपति लिखने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य को (भवन) गुणवत्ता प्रभावित करके मजदूरी बचाई गई है। इस प्रकार रु० 31122.00 की अपहरण की पुष्टि होती है। इसके लिए जिले सीडीओ भी उत्तरदायी हैं क्योंकि उनके द्वारा प्रमुख रुप से वित्त मुहैया कराया गई और उससे सम्बन्धित फाइल का निरीक्षण या सीन कहीं नहीं किया गया है। अगर निरीक्षण की गई होती तो रु० 31122.00 की अपहरण नहीं होती।

कार्य प्रा० = अप्राप्त, समाप्त = सित० 15 को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि फाइल पर अंकित नहीं है तथा समाप्त की तिथि केवल सित० 2015 लिखा है। जब अतुल सिंह का ठेकेदारी का रजि० जून 2014 में समाप्त हो गया था तो फिर नवीनीकरण रजि० के बिना ही ठेका/टेण्डर क्यों दिया गया। इसका जवाब संस्था द्वारा नहीं दिये जाने से केवल मौखिक उत्तर मिला कि जिले के बड़े अधिकारी की मंशा भी। इसमें विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 62.** मऊआइमा में गुलइयापुर में पक्की रोड से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :-

माप =  $140\text{मी}^0 \times 2.5 \text{ मी}^0 = 350\text{मी}^0$

ठेकेदार (सामग्री) टेण्डर प्राप्तकर्ता अशी एशोसिएट अवर अभि० श्री गजेन्द्र गुप्ता कार्य प्रभारी मु० इमरान (ग्रा० वि० अधि०)

(i) उक्त कार्य के कार्य प्रस्ताव में पहले से ही उक्त मार्ग पर खड़जा लगा है लिखा है। तब फिर 42मी० मिट्टी डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन 42मी० मिट्टी डाली गई है और उसका रॉयल्टीदर 30/मी० वर्ष 2016-17 के हिसाब से 1268.00 जमा नहीं की गई है। तब यह धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ii) 350मी० क्षेत्रफल के लिए इण्टरलॉकिंग के लिए ईंटों की सं० 35 नग ईंट मी० के दर से  $350 \times 35 = 12250$  नग ईंट उपभाग होनी चाहिए परन्तु इस्टीमेट में 12600 नग ईंटों का और ठेकेदार द्वारा 13424 नग ईंट की आपूर्ति की गई है। चूँकि यह कार्य ब्लॉक प्रमुख के गाँवकी है तो एमबी बढ़ाकर करके 1174 नग ईंट  $13424 - 12250 - 1174$  अधिक भुगतान करके धनराशि  $1174 \times 24 = 28176$  (व्यय प्रमाणक में 24रु०/ईंट रेट है) का अपहरण किया गया है। एमबी का ले० प० में अप्राप्त रही। (i) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(iii) सबसे बड़ी बात यह कार्य प्रभारी द्वारा प्रस्तुत मस्टर रोल रु० 68800.00 पर बी०डी०ओ०, लेखाकार, श्री अशोक कुमार मिश्र, कार्य प्रभारी मो० इमरान का हस्ताक्षर नहीं है। एम आर पर पेड एण्ड केन्सेल्ड नहीं है। यह चेक सं० 002077 दिनांक 09.03.2017 जारी किया गया है।



(iv) इंटरलॉकिंग ईट का वाउचर दिनांक 10.02.2016 का है और एम आर दिनांक 11.12.2016 से 23.12.2016 तक 19 मजदूर 244 कार्य दिवस का है। परन्तु भुगतान 09.03.2017 को हुआ है। इस प्रकार 75-76 दिन के बाद भुगतान हो रहा है और उस एम आर पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है। जिसको ऑडिटर द्वारा गोल करके लाल पेन से लिखा गया है। इससे यह कार्य फर्जी की पुष्टि होती है।

(v) लेखा परीक्षा दल को यह भी ज्ञात हुआ है कि वह इंटरलॉकिंग कार्य किसी और मद से पहले ही हो चुका था परन्तु फिर भी ब्लॉक से फर्जी कार्य करा करके समस्त धनराशि लूट ली गयी है। इससे जनपद के अधिकारियों की उदासीनता की पुष्टि होती है। कार्य प्रभारी द्वारा यह मौखिक रूप से बताया गया कि उस पर हस्ताक्षर नहीं करने का कारण कि वहाँ पर पहले से ही इंटरलॉकिंग खड़जा बना था। लेकिन लिखकर देने से मना कर दिया।

इस प्रकार (i) (ii) (iii) & (iv) से तथा (v) को बल मिलता है और कार्य न होने की पुष्टि होती है। अंतरिम आपत्ति का जवाब संस्था द्वारा नहीं दिया गया।

इस प्रकार समस्त धनराशि 531841.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। सामग्री पर मदपूर्ति व्यय = 32276.00 मजदूरी पर पूर्ति व्यय = 68800.00 तथा कटौतियाँ = 10650+18522 वैट टीडीएस ठेकेदार द्वारा जमानत राशि जमा नहीं की गई है और उसके वाउचर पर भुगतान से भी 10% कटौती नहीं की गई है जो 6 महीने के बाद वापस कर दी जाती है। इससे उक्त कार्य के न होने की पुष्टि होती है।

बी०डी०ओ० द्वारा कार्य प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथि किसी प्रमाणक पर नहीं लिखी गई है। बी०डी०ओ० द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक नहीं दी गई है। दिखावटी रूप से टेण्डर का चालन किया गया है। इस प्रकार यह कार्य फर्जी दिखाकर समस्त धनराशि अपहरित की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज के साथ ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। बी०डी०ओ० (कार्य के दौरान) श्रीमती शालिनी वर्मा ने भुगतान रोक दिया तब देवेन्द्र कुमार ओझा ने मार्च 2017 में भुगतान कर दिया श्री अशोक कुमार मिश्र, मिश्र, कार्य प्रभारी श्री मो० इमरान तथा जे ई/ आरईडी श्री गजेन्द्र गुप्ता।

### प्रस्तर संख्या - 63

ग्राम करवर परवेजपुर में पप्पू सिंह के घर से कोर्ट ठकुराइन ओर इंटरलॉकिंग कार्य :-

माप = 150मी० x 2.5मी० = 375मी० (प्रस्ताव तथा इस्टीमेट में यही माप लिखा है)

ठेकेदार - श्री अतुल सिंह अवर अभि० श्री गजेन्द्र गुप्ता मजदूरी पर = 77950.00

कुल लागत = 571938.00 सामग्री पर 493988.00

फाइल को देखने से ज्ञात हुआ है कि यह कार्य पहले से ही इंटरलॉकिंग की गई है परन्तु थोड़ा-थोड़ा डैमेज के कारण पूरा नई नई इंटरलॉकिंग कार्य दिखाकर धनराशि 571938.00 फर्जी व्यय दिखाकर समस्त धनराशि अपहरण किया गया है। क्योंकि :-

(i) अतुल सिंह द्वारा आपूर्ति सामग्री के वाउचर पर क्रम सं० अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार यह वाउचर फर्जी है।

(ii) अतुल सिंह द्वारा इस्टीमेट में दर्शित 13125 नग के बजाय 14097 नग इंटरलॉकिंग ईट आपूर्ति की गई है। रिवाज्ड इस्टीमेट नहीं बनायी गई है। इस प्रकार 972 नग ईट का मूल्य 23328.00 (वाउचर में 24 नग) का अधिक धनराशि अपहरण की गई है।

अतुल सिंह को टेण्डर के बाद-

(iii) स्वीकारोक्ति के बाद देय कार्य कराने के प्रमाण पत्र पर कार्य प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथि नहीं दी गई है। बी०डी०ओ० द्वारा इस कार्य में उदासीनता के लिए उत्तरदायी हैं। टेण्डर खोलने वाले तीन कर्मचारियों का नाम / हस्ताक्षर अस्पष्ट है।

(iv) अतुल सिंह का टेण्डर लेने का अधिकार यानी ठेकेदारी रजि० दिनांक जनवरी 2014 में ही समाप्त हो चुका था, बिना रिन्यूवल के ही उनको बार-बार टेण्डर दिया जाता रहा है। इस घोर लापरवाही के लिए बी०डी०ओ० समेत सभी कर्मचारी, कार्यप्रभारी मो० इमरान, लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं।

(v) इस कार्य हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण बी०डी०ओ० द्वारा नहीं दिया गया है। (कार्यपूर्ति प्रमाणक पर बी०डी०ओ० तथा जे ई/ आरईडी का हस्ताक्षर नहीं है)

(vi) इस कार्य के मस्टररोल रु० 77950.00 (चेक सं० 002068/03.03.2017 का भुगतान) पर कार्य प्रभारी मो० इमरान द्वारा कार्य का नाम तथा कार्य का विवरण (एम आर के पीछे) नहीं लिखने से इस कार्य के मस्टर रोल की पुष्टि नहीं होती है। अंतरिम आपत्ति के बावजूद उक्त एम आर पर कार्य का नाम नहीं लिखा।

(vii) लेखा परीक्षा में एमबी नहीं प्रस्तुत करने से कार्य नहीं होने की पुष्टि होती है।

उक्त तथ्यों से पुष्टि होती है कि कार्य नहीं कराया गया और उक्त समस्त धनराशि का अपहरण किया गया। दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि व्यय प्रमाणक की तथा ठेकेदार से प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

इस प्रकार समस्त धनराशि रु० 5 571938.00 (चेक सं० 002066/ 03.03.17 को कटौती के पश्चात् अतुल कुमार सिंह को 462866.00 का भुगतान तथा 77950.00 का एम आर चेक सं० 002068/03.03.17 को मो० इमरान को भुगतान) की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज के साथ अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या - 64.

गधिना में रामपूजन के घर से काली माई थान तक खड़जा कार्य :-

कार्य की माप = 340 x 2.5 = 850मी०

अवर अभियन्ता - श्री गजेन्द्र गुप्ता

ठेकेदार - मे० आदित्य कन्सट्रक्शन्स (प्रतापगढ़)

(i) कार्य प्रभारी - इमरान अहमद कुल व्यय - 488763.00 सामग्री पर 383000.00 मजदूरी पर - 105763.00 पर व्यय है। इस कार्य में 49300 नग ईट इस्टीमेट है अवर अभि० श्री गजेन्द्र गुप्ता द्वारा परन्तु आपूर्तिकर्ता श्री आदित्य सिंह द्वारा 50804 नग ईट की गई है। जिसका भुगतान 383000.00 चेक सं० 002071/03.03.2017 को कटौतियों के बाद 358871.00 दी गई है। (देखें प्रारूप सं० 2) इस प्रकार एक ईट का मूल्य 7.54 हुआ। जो पी०डब्ल्यू०डी० के रेट 4रु०/ईट से बहुत ज्यादा है तब पर भी 1504 नग ईट अधिक आपूर्ति किस मंशा से की गई। इसका स्पष्टीकरण अंतरिम आपति के बावजूद नहीं दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में हर कार्य में इस्टीमेट से अधिक आपूर्ति करके धनराशि अपहरण करने की परम्परा बनी। इस प्रकार अधिक ईट 1504 का मूल्य  $1504 \times 7.54 = 11340.00$  रु० हुआ।

(ii) ईट के वाउचर पर क्रम सं० अंकित नहीं होने से उसकी व्यय प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है। (ट्रेड विभाग के नियमानुसार उसकी समायोजन सम्भव नहीं है यानी फर्जी वाउचर है)

(iii) इस कार्य हेतु 397 मी० मिट्टी उपभोग हेतु क्रय की गई है जिसकी रॉयल्टी (2016-17 में 30रु०/मी०)  $30 \times 397 = 11910$  की राजकोष में

(iv) जमा की रसीद ले०प० में अप्राप्त रही। डाली गई मिट्टी की क्रय मूल्य का भुगतान 54113.00 हुआ है। परन्तु यह भुगतान किसको हुआ है इसकी पावती रसीद/चेक का विवरण ले० परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(v) इस कार्य पर श्रमिकी भुगतान रु० 51650.00 के मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी द्वारा कार्य का नाम, एम आर के पीछे विवरण, एम आर की पेजिंग नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एम आर इस कार्य का नहीं है। मिट्टी क्रय का 54113 तथा एम आर का 51650.00 का रु० 105763.00 सम्मिलित भुगतान हुआ है इमरान अहमद को। इस प्रकार संयुक्त भुगतान उ०प्र० पंचायत लेखा नियमावली के विपरीत है क्योंकि इमरान ब्लॉक में ग्रा० वि० अधिकारी है तो ट्रैक्टर से मिट्टी कैसे गिरा सकता है।

उक्त कार्य का बी०डी०ओ० द्वारा कार्यपूति प्रमाणक नहीं दिया गया है। इससे उक्त कार्य के न होने की पुष्टि होती है। ग्राम पंचा० में लेखा परीक्षक द्वारा पूछ-ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह प्रधानों द्वारा पहले कई हिस्सों में बनायी गई है। जिसे समस्त धनराशि की अपहरण की पुष्टि होती है। दुरुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि व्यय-प्रमाणकों की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (देखें ii, iii, iv तथा v)

भुगतान चेक सं० का विवरण : समग्री 383000.00 कटौती के बाद 358871.00 चेक सं० 002071/ 03.03.17 मे० आदित्य कन्सट्रक्शन 42 105763.00 एम आर का भुगतान मो० इमरान को चेक सं० 002073/03.03.17 को

#### प्रस्तर संख्या - 65 -

मेज, कुर्सी, रिवाल्विंग कुर्सी आदि क्रय वि० खण्ड में उक्त खरीदारी पर रु० 280876.00 चेक सं० 002038/ 07.04.2016 से भुगतान टीपी फर्नीचर को किया गया है। इसके लिए कोई पत्रावली/फाइल तैयार नहीं की गई है। इसके लिए विधिक प्रक्रिया टेण्डर नहीं मंगवाया गया है। उसके व्यय-प्रमाणक तथा कोटेशन (विशेष परिस्थितियों) भी नहीं हैं। लेखा परीक्षा दल द्वारा बार-बार मौखिक मांगने एवं लिखित अंतरिम आपति देने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया है। इससे सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका से मिलान करने हेतु उपलब्ध कराने को कहा गया, परन्तु अभी तक वि० खण्ड परिसम्पत्ति पंजिका नहीं बनायी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त सामग्री नहीं मंगवाई गई है तथा भुगतान करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी बी०डी०ओ० देवेन्द्र कुमार ओझा, लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र उत्तरदायी हैं। ब्लॉक प्रमुख भी उत्तरदायी हैं क्योंकि चेक पर उनके भी हस्ताक्षर होते हैं।

#### प्रस्तर संख्या - 66 -

दिनांक 13.04.2016 को चेक सं० 2- 002040 से रु० 24150.00 का भुगतान भी केशव प्रसाद को आलमारी के लिए। परन्तु ले० परीक्षा उसका कोटेशन, व्यय-प्रमाणक अप्राप्त है तथा बी०डी०ओ० द्वारा आपूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया गया है। परिसम्पत्ति पंजिका भी नहीं बनायी गई है। इससे उक्त सामग्री के क्रय की पुष्टि नहीं होती है। इस धनराशि 24150.00 के अपहरण की पुष्टि होती है। इसके लिए ब्लॉक बी०डी०ओ० श्री देवेन्द्र कुमार ओझा लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र ब्लॉक प्रमुख श्री सुधीर कुमार मौर्य उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 67.

दिनांक 05.05.2016 को क्षेत्र पंचा० बैठक में बीडीसी को 25000.00 मानदेय भुगतान हुआ है चेक सं० 002041/05.05.2016 को परन्तु हस्ताक्षर सहित रिसीविंग कागजात लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इससे उक्त विवरण की पुष्टि नहीं होती है। अंतरिम आपति के बावजूद भी उक्त कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री देवेन्द्र कुमार ओझा लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र तथा ब्लाक प्रमुख श्री सुधीर कुमार मौर्य को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 68-

ब्लॉक परिसर में साईकिल स्टैंड निर्माण कार्य :-

ठेकेदार विरेन्द्र कुमार को सामग्री पर निम्न भुगतान हुआ है :-

रु० 213860.00 चेक सं० 002046/15.06.16

रु 203358.00 चेक सं 002051/27.07.16

रु 307603.00 चेक सं 002062/28.10.16

#### **रु 724821.00**

श्रमिक व्यय का एम आर कार्य प्रभारी श्री ननकू राम पटेल एडीओ(आईएसबी)को भुगतान हुआ है:-

रु 49884.00 चेक सं 000047/15.06.16

रु 44616.00 चेक सं 002052/27.07.16

रु 72898.00 चेक सं 002063/28.10.16

167398.00

उक्त कार्य पर रु 892219.00 व्यय हुआ है परन्तु उसके लिए टेण्डर प्रक्रिया का पालन, व्यय प्रमाणक, टेण्डर स्वीकृति के कागज, कार्यपूति प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये सभी प्रमाणक बार-बार मौखिक मांगने पर अप्राप्त रहे। अंतरिम आपति के बावजूद उक्त प्रमाणक अप्राप्त रहे। परिसम्पति पंजिका ब्लॉक की नहीं बनाई गई जिससे यह स्पष्ट हो सके कौन-कौन परिसम्पति विकास खण्ड में है और किन-किन वर्षों में बनी हुई है। सादी फाइल में किसी बी०डी०ओ०/ ब्लॉक प्रमुख / आईईआरडी हस्ताक्षर नहीं है। एम आर प्रस्तुतीकरण का उत्तरदायित्व भी ननकूराम पटेल का है जिसने प्रस्तुत नहीं करने के कारण पारिश्रमिकी व्यय रु 167398.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उक्त समस्त व्यय का उत्तरदायी बी०डी०ओ० श्री देवेन्द्र ओझा, लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र कार्य प्रभारी श्री ननकू राम पटेल तथा ब्लॉक प्रमुख श्री सुधीर कुमार मौर्य। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह बिल्डिंग ग्राम प्रधानों से चंदा लेकर बनाया गया है और क्षेत्र पंचा० से इतनी बड़ी धनराशि फर्जी व्यय दर्शाकर आहरित करके अपहरण की गई है उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 69**

रु 19800.00 चेक सं 002065/ 28.10.16 को कृष्ण मोहन को हुआ इस भुगतान से कुर्सी आई है परन्तु कितने नग कुर्सी आई इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके लिए कोटेशन, व्यय प्रमाणक आपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। वि०खण्ड परिसम्पति पंजिका एवं डेड स्टॉक पंजिका भी नहीं बनायी गई। उक्त भुगतान के लिए उत्तरदायी श्री देवेन्द्र ओझा बी०डी०ओ०, लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र तथा ब्लॉक प्रमुख है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 70.**

शिव पार्वती मंदिर के पास इण्टरलॉकिंग कार्य :-

इस कार्य पर अशी एशोसिएट को चेक सं 002079/16.03.17 को रु 175695.00 भुगतान हुआ है। उक्त भुगतान की कोई व्यय प्रमाणक, टेण्डर की कॉपी, कार्यपूति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। यह मंदिर कहाँ पर है इसका पता ठिकाना लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं हो सका। अंतरिम आपति के बावजूद उक्त धनराशि के समस्त उक्त प्रमाणक अप्राप्त रहे। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री देवेन्द्र कुमार ओझा, लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र तथा ब्लॉक प्रमुख श्री सुधीर कुमार मौर्य उत्तरदायी हैं आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

### **क्षेत्र पंचायत - मऊ आइमा, जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18 से 2019-20**

**प्रस्तर -71** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि विकास खंड मुख्यालय के चारों तरफ चहर दीवारी की रंगाई पुताई एवं अनुरक्षण कार्य रु. 3.49 लाख की लागत से कराया गया। उक्त कार्य हेतु यम /यस महेश चंद्र को रु . 184763.00 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया है जिसके उपलब्ध वाउचर मे निम्न कमिया पायी गई ---

1. बिल/वाउचर पर बुक न. / क्रम संख्या अंकित नहीं है।

2. बिल/वाउचर पर दिनांक अंकित नहीं है

3. मास्टर रोल पर कार्य करने का दिनांक अंकित नहीं है एवं अपूर्ण पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा मार्च 2019 के बाद से जीएसटी फाइल नहीं किया गया है एवं जी एस टी यन कैंसिल है जब की संस्था को जीएसटी के साथ भुगतान किया गया है एवं भुगतान पर 2.3 प्रतिशत टी डी एस की कटौती नहीं की गई है। जिस कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः धन राशि रु. 184763.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र एवं देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या -6)**

**प्रस्तर-72** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत कठवर परवेज पुर में पूर्व मे हुए कार्य पप्पू सिंह के घर से कोट की ठकुरान तक के शेष भाग का इंटरलॉकिंग कार्य रु 9.94 लाख की लागत से कराया गया है क्षेत्र पंचायत अधिनियम के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य कराया जाएगा का पालन न कर एक ही ग्राम पंचायत मे कार्य कराया गया है। उक्त कार्य मे श्री अतुल सिंह को रु 850090.00 का भुगतान मटीरीअल के लिए किया गया है टी डी एस 2.3 % की कटौती नहीं की गई है। बिल पर फर्जी जी एस टी यन डाला गया है इस प्रकार राजकीय कर (जीएसटी) की 18 % हानि पहुंचायी गई। विकास खंड मे अतुल सिंह का ठेकेदार के रूप मे रेजिस्ट्रेशन नहीं है। इस प्रकार बिल फर्जी पाया गया। कार्य की फोटो संलग्न नहीं पायी गई। मास्टर रोल बिना दिनांक का पाया गया। लेखा परीक्षा मे कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा

सकी अतः धन राशि रु. 850090 .00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , श्री प्रशांत श्रीवास्तव जे . ई . आर . ई . डी . एवं खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है

मूल आपति

संख्या -7

**प्रस्तर-73** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत विकास खंड मुख्यालय पर सामुदायिक शौचालय की रंगाई पुताई अनुरक्षण कार्य श्री राम दत्त कार्य प्रभारी द्वारा कराया गया है । उक्त कार्य में दिनांक 10-12-2018 को रु 8175.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है । उक्त भुगतान के मास्टर रोल में कहीं पर तिथि का अंकन नहीं किया गया है उपस्थिति एवं कार्य दिवस अंकित नहीं है इस प्रकार मास्टर रोल पर किया गया भुगतान फर्जी पाया गया । उक्त कार्य में ही कमला श्रीवास्तव को 81146.74 का भुगतान किया गया है । बिल की जांच में पाया गया कि बिल पर दिनांक अंकित नहीं है टी डी एस 2.3 % की कटौती नहीं की गई है । बिल पर फर्जी जी यस टी यन डाला गया है । जी यस टी यन की जांच में पाया गया कि जी यस टी यन मेसर्स कमला इन्टर प्राइजेज के नाम से है , उक्त नाम सी नअ कर कमला श्रीवास्तव के नाम से किया गया । इस प्रकार राजकीय कर की 8694.29 की हानि पहुंचायी गई । विकास खंड में कमला श्रीवास्तव का का रेजिस्ट्रेशन नहीं है । इस प्रकार बिल फर्जी पाया गया । लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः धन राशि रु. 89321.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , श्री प्रशांत श्रीवास्तव जे . ई . आर . ई . डी . एवं खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है

मूल आपति संख्या -8

**प्रस्तर-74** लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत से विभिन्न मदों में धराशियाँ निम्न प्रकार व्यय की गई है

1- विधायक निधि - 1992044.00

2- कंटीनजेन्सी ---654840.00

3- राज्य वित्त- 2243263.00

4- 13 वां वित्त - 366056.00

5- आंगनबाड़ी केंद्र - 2016118.00

लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः धनराशि रु. 7272321 .00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , एवं खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या -9)

**प्रस्तर-75** लेखा परीक्षा वर्ष 2019 -20 में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत से विभिन्न मदों में धराशियाँ निम्न प्रकार व्यय की गई है 1- विधायक निधि - 1037282.00 2- राज्य वित्त- 4640499.00 लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः धनराशि रु. 5677781.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , एवं खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या -10)

**प्रस्तर-76** लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत गदियानी में आँसार अहमद के घर से पतर्की पासी के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य कराया गया है । उक्त कार्य में मेसर्स महेश चंद्र को रु. 755035.00 के बिल के सापेक्ष रु. 722569.00 का भुगतान किया गया है । बिल पर बुक नंबर ,सीरियल नंबर एवं दिनांक अंकित नहीं है , न ही हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों , खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा , अवर अभियंता श्री प्रशांत कुमार लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , द्वारा दिनांक का उल्लेख किया गया है । पुनः मेसर्स महेश चंद्र को पेपर पर लिखी गई धनराशि रु. 46686.00 का भुगतान दिनांक 01.05.2019 को किया गया है । मेसर्स महेश चंद्र के जी. यस. टी. यन. की जांच में पाया गया कि मेसर्स महेश चंद्र का जी. यस. टी. यन. 09एआईजीपीसी 3814जे1जेडडी मार्च 2019 के बाद फाइल नहीं किया गया जो मार्च 2020 में जीएसटी विभाग द्वारा कैंसिल कर दिया गया है । इस प्रकार कुल रु. 769255.00 के फर्जी बिल का भुगतान किया गया एवं राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी । श्रमान्श पर कुल रु. 127600.00 का भुगतान किया गया है , जिसके मास्टर रोल फर्जी पाए गये । उक्त भुगतान के मास्टर रोल में कहीं पर तिथि का अंकन नहीं किया गया है उपस्थिति एवं कार्य दिवस अंकित नहीं है इस प्रकार मास्टर रोल पर किया गया भुगतान फर्जी पाया गया । लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र , परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः धन राशि रु. 889855.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अशोक कुमार मिश्र , श्री प्रशांत श्रीवास्तव जे . ई . आर . ई . डी . एवं खंड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ओझा से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या

-11)

## क्षेत्र पंचायत - माण्डा जनपद - प्रयागराज

अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

**प्रस्तर संख्या -77**

**1- गा०प०- महुआरी खुर्द में भोला मास्टर के स्कूल से मंदिर तक खड़जा निर्माण कार्य :-**

प्रा० व्यय - ₹0 2.95 लाख, कार्य प्रभारी छविनाथ यादव (एबीटी)

कार्य० माप० 405 मी० (लम्बाई) (जिसमें 176 मीटर पर नया खड़जा बिछाना है। शेष पर पुराना उखाड़कर नया बिछाना है।

ख०वि० अधि० - श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल

जेई (आरईएस) - श्री जय प्रकाश सिंह

उक्त कार्य पर वित्तीय स्वीकृति ₹0 2.95 लाख रुपये की ई स्वीकृति 16-10-2011 को हुई है। कार्य फाइल के नोट सीट पर विरेन्द्र प्रताप सिंह का भुगतान निम्नवत है-

सामग्री पर व्यय = 101834-टीडीएस छूट 2.24% पे चेक न०

99554=498273 /19-11-2011

269139 - टीडीएस छूट 269139 = 498276/06-01-2012

**370973 X**

श्रमिकी भुगतान - 39200- चेक न० 498278/08.01.2012 छविनाथ यादव (एबीटी)

कुल भुगतान - 410173.00

(i) उक्त कार्य की पत्रावलियाँ जांच करने पर सामग्री का व्यय प्रमाणक प्राप्त हुआ -

3658002= 02-01-2012 वाउचर नंबर 20

101835= 15-11-2011 वाउचर नंबर 06

**138415-00**

परन्तु सामग्री पर भुगतान ₹0 370973/- हुआ है। इस प्रकार 232558/- (370973-138415) अधिक भुगतान हुआ है। इस प्रकार ₹0 232558/- अधिक भुगतान हुआ है। जिसका व्यय प्रमाणक ले०प० में अप्राप्त दहा। एमबी बुक में केवल दो सामग्री भुगतान की स्वीकृति है- जो 101835-00 तथा 36580/-की। इस प्रकार ₹0 232558-00 बी डी ओ श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल एवं लेखाकार द्वारा अधिक भुगतान करके अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ii) दिनांक 02-01-2012 को सामग्री आपूर्तिकर्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा ₹0 36580/- भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। बी डी ओ के नाम जिस पर जेई /आरईएस द्वारा 04-01-2012 को पेमेण्ट की सिफारिश की गयी है परन्तु बी डी ओ द्वारा चेक सं०-488276/ 06-07-2012 द्वारा ₹0 269139/- के भुगतान करने का हस्ताक्षर सहित आदेश है। इस प्रकार बी डी ओ द्वारा अपने पद के गरिमा के अनुसार कार्य न करके अधिक भुगतान करके अपने पद का दुरुपयोग किया है। अधिक भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(iii) इस कार्य पर कुल 41000 नग ईट की इस्टीमेटेड थी जिसमें कुल 28000 नग (5 हजार नग तथा 23 हजार नग को पृथक-पृथक वाउचर ) की आपूर्ति की गयी है। शेष 13000 नग का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे तथा एमबी से मात्र 28000 नग ईट व्यय की पुष्टि हो सके। इस प्रकार फर्जी व्यय इस्टीमेट दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। स्टॉक पंजिका वि०खण्ड में नहीं बनायी गयी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(iv) कुल वित्तीय स्वीकृति 2.95 लाख का है और कुल भुगतान ₹0 410173/- हुआ है। इस प्रकार ₹0 115173/- अधिक भुगतान करके बी डी ओ अपने पद के गरिमा के विपरीत कार्य करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(v) निविदा प्रार्थना पत्र में बी०पी० वी सं० स्टोन लिखा है। परन्तु बी डी ओ द्वारा मे० वीरेन्द्र प्रताप सिंह को निविदा स्वीकृति की गयी है। चेक वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम दिया गया है। इस प्रकार चेक में मेसर्स का जिक्र नहीं करने से स्पष्ट नहीं होता है कि यह भुगतान फर्म के खाते में किया गया है या उनके व्यक्तिगत खाते में स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vi) बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर बी डी ओ द्वारा मनमानी भुगतान करके सरकारी धनराशि ₹0 232558/- का अपहरण किया गया है जिसकी व्यय सहित बखूबी बी डी ओ के साथ-साथ लेखाकार, प्रसार प्रमुख श्रीमती आरती सिंह से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(vii) उक्त कार्य की सामग्री पर 4 प्रतिशत वैट कटौती नहीं की गयी है जो सामग्री भुगतान की राशि 370973/- पर ₹0 14837/- हुआ जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी लेखाकार से अपेक्षित है।

(viii) निविदा प्राप्त कर्ता से जमानत धनराशि का एनएससी /बाण्ड/अन्डरटेकिंग नहीं की गयी है। जिसे लिए जाने की अपेक्षा रहती है।

**प्रस्तर संख्या - 78 -**

**गुड़गांव पक्की सड़क से केपटयन वस्ती संक पहाड़ की अस्सी से सम्पर्क मार्ग की पाई का कार्य-**

प्रा० व्यय- 3 लाख

कार्य प्रभारी- शिव प्रसाद एडीओ (एजी)

इस कार्य पर भुगतान सामग्री का-

|                    |        |              |                       |            |       |
|--------------------|--------|--------------|-----------------------|------------|-------|
| वाउचर सं० 5 225000 | टीडीएस | छूट . 219960 | चेक नंबर . 18-11-2011 | 14-11-2011 | 2.24% |
| 498272             |        |              |                       |            |       |

ii 18.02.2012 36225 टीडीएस 811 35414 भुगतान स्पष्ट नहीं

iii लेसर भुगतान 14640 चेक सं० 498279 शिव प्रसाद को

(अ ) उक्त कार्य पर ₹0 36225.00 सामग्री आपूर्ति को विरेन्द्र प्रताप सिंह का वाउचर लगा है परन्तु नोट सीट पर भुगतान नहीं किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा लिखित रूप से 36225.00 तथा श्रमिक पर 14640-(10680 + 3960) की मांग की गयी है परन्तु बी०डी०ओ० द्वारा श्रमिकी तो भुगतान 14640.00 की गई है लेकिन 36225.00 के बदले ₹0 269139.00 चेक सं० 498276/ 06-01-2012 भुगतान हुआ है जबकि इतनी ही धनराशि इसी चेक सं० से इसी तिथि को ग्राम पंचा० महुआरी खुर्द में भोला मास्टर के स्कूल से मंदिर तक खडजा कार्य पर भुगतान हुआ है। इस प्रकार ऐसी विचित्र घटना क्यों हुई। स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है। वैसे शिवकुमार द्वारा उक्त सामग्री की आपूर्ति की धनराशि मांगने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह कार्यप्रभारी है केवल श्रमिक भुगतान की मांग कर सकता है।

iv 06.01.2012 269139 टीडीएस छूट . 269139 चेक नंबर . वीरेन्द्र

(i) एन ए 498276

प्रताप सिंह

कार्यपूति प्रमाणक ले० परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि कार्य हुआ ही नहीं और 225000 + 14640= 239640 का भुगतान करके धनराशि का बी०डी०ओ० आंशिकी एवं आपूर्तिकर्ता और कार्यप्रभारी शिव प्रसाद मिलजुल करके अपहरण किया है। एम०बी० में ये भुगतान नहीं अंकित है। कार्य प्रभाव द्वारा स्टॉक पंजिका नहीं जाने से वाउचर सं० 05/14-11-2011 से आपूर्ति सामग्री की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे समान रूप से कार्यप्रभारी दोषी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**प्रस्तर संख्या -79.**

**ग्राम पंचा० वसकड़ी में रामअचल के घर से तालाब तक नाली व खडजा निर्माण कार्य-**

210 एमx 3 एम खडजा कार्य

263 एम नाली निर्माण कार्य

कार्यप्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी)

(i) उक्त कार्य हेतु 105.63 एम<sup>3</sup> मिट्टी ट्रैक्टर से मंगाकर डलवाई गई। इसकी रायल्टी से ₹0 951 खनन हेतु राजकीय कोषागार में जमानती नहीं करायी गई है। खनन विभाग से सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है इस प्रकार ₹0 951 राजकोष में जमा न करके राजकीय कोष की क्षति पहुँचाई गई है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(ii) इस कार्य की फोटो कार्य से पूर्व तथा बाद में का फोटो नहीं लगाई गई है जबकि निविदा में जिक्र किया गया है।

(iii) 263 मीटर नाली की ल० एवं चौड़ाई एवं गहराई नहीं लिखने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि नाली में कितनी ईट लगाई गई है। इस कार्य में कुल 66 हजार नग ईट क्रम की गई है। खडजा पर 37800 नग ईट उपभोग हुई है। शेष नाली में उपभोग की गई है। परन्तु नाली की सही माप जेई /आरईएस द्वारा नहीं लिखने से स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी कि कितनी ईट नाली में उपभोग हुई है। जेई /आरईएस द्वारा इस्टीमेट में जिक्र नहीं किया जाने से स्पष्ट नहीं हो सका। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(iv) सामग्री स्टॉक में पंजिका नहीं लगाई गयी है इसे सामग्री के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।

(v) बी०डी०ओ० द्वारा कार्य पूति प्रमाणक नहीं देने से कार्यपूति होने से पुष्टि नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामग्री पर 282217.00 (कटौती के बाद 216231.00 चेक सं० 498291/ 18-11-2011 तथा ₹0 59683.00 चेक सं० 498277/ 06-01-2012 तथा श्रमिक भुगतान ₹0 49680/ 498275/ 06-01-2012 तथा ₹0 12320/- सी०एन० 498280/ 10-01-2012 भुगतान करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या - 80-**

**ग्राम पंचा० उँचडीह में वासिया तारा मार्ग पर नहर के पास रपटा निमाण कार्य-**

(i) उक्त कार्य पर कार्य प्रभारी द्वारा प्रस्तुत 18140.00 का एम०आर० लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसका भुगतान चेक सं० 395819/17-09-2012 को हुआ है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से होनी अपेक्षित है।

(ii) उक्त कार्य का टेण्डर 21-03-2012 को पास हुआ स्वीकृत परन्तु कार्य जून-जुलाई 2012 में विलम्ब से होने की कारण की पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टि कराने की अपेक्षा की जाती है।

(iii) निविदा में 14-03-2012 को 250 बोरी सीमेन्ट लगने की अनुमान किया गया है जिसकी टेण्डर आने पर दर 265 स्वीकार की गई है परन्तु 25-03-12 को 150 तथा 26-06-2012 को 290 बैग यानी 440 बैग आपूर्ति एवं भुगतान भी किया गया है। यानी 190 बैग का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी कीमत दर 265 से ₹0 50350.00 हुआ। इस अधिक धनराशि के व्यय के लिये रिवाइज्ड इस्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस्टीमेट से 10% कम या अधिक मान्य है परन्तु 190 बोरी अधिक व्यय मान्य नहीं है। इस प्रकार 50350.00 की धनराशि का बी०डी०ओ०, लेखाकार ब्लाक एवं कार्यप्रभारी द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

कार्य प्रभारी- छविनाथ यादव एबीटी

बी डी ओ - श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला

जेई / आरईएस - श्री ए०के० सिंह

(iv) जेई /आरईएस द्वारा भुगतान रेकॉमडेन्ट में धनराशि शब्दों में सहायक है। इस प्रकार जेई /आरईएस द्वारा स्पष्ट अंकों या शब्दों में नहीं लिखने से उक्त अधिक भुगतान हुआ है। जेई /आरईएस द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता के आवेदन भुगतान सम्बंधित पर स्पष्ट रूप से शब्दों या अंकों में लिखना चाहिए।

(v) आपूर्तिकर्ता मनोज कु० सिंह के व्यय प्रमाणकों पर वाउचर क्रमांक नहीं लिखा है (दोनों वाउचरो पर) जिसका बिल रजि० नं० 09512901395 लिखा है। इस प्रकार यह बिल विधिक रूप से मान्य नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 81.**

##### **ग्राम पंचा० गौरिया कला में बरहा से लेकर देवरी सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी एवं मोरंग से पटाई का कार्य-**

(1) उक्त कार्य पर निविदा में 1050 घन मी० मोरंग आपूर्ति का निविदा था और जेई /आरईएस के इस्टीमेट में 1575 एम<sup>3</sup> दर्ज है। आपूर्ति तीन बार में 375 एम<sup>3</sup>, 675 एम<sup>3</sup> तथा 575 एम<sup>3</sup> मोरंग की आपूर्ति की गई है। जिसमें 375 + 525 = 900 एम<sup>3</sup> की आपूर्ति का भुगतान दर 300 एम<sup>3</sup> की दर से (व्यय प्रमाणक एवं इस्टीमेट पर दर्ज रेट) 112500 + 157500 = 270000 का भुगतान चेक सं० 392004/27-09-2012 तथा बैंक से० 488270 दिनांक 21-11-2011 को हुआ है। परन्तु 675 एम<sup>3</sup> मोरंग के व्यय प्रमाणक की रू० 202500.00 को पेड एवं कैंसिल करने के बावजूद (कटौती के बाद) उसकी जगह नोटसीट एवं आपूर्तिकर्ता के भुगतान सम्बन्धित आवेदन रू० 269139 चेक सं० 494876/ 06-01-2012 का भुगतान हुआ है। यही धनराशि इसी चेक से तथा इसी तिथि को उक्त आपूर्तिकर्ता वीरेन्द्र प्रताप सिंह के अन्य दो कार्यों महुआरी खुर्द में भोला मास्टर के स्कूल से मंदिर तक खडन्जा निर्माण कार्य एवं गुड़गावा पक्की सड़क से केवटान बस्ती तक पहाड़ की भस्सी से सम्पर्क मार्ग की पटाई का कार्य पर भुगतान हुआ है। इस तरह की सरकारी दस्तावेज पर लापरवाही एवं लेखा परीक्षक दल को गुमराह करने वाला भुगतान करने का स्पष्टीकरण नहीं हो सका। स्पष्टीकरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ii) इस कार्य पर निविदा से बहुत अधिक यानी 1575 एम<sup>3</sup> का मोरंग का इस्टीमेट जेई /आरईएस द्वारा क्यों बनाया गया है। स्पष्टी० की अपेक्षा की जाती है।

(iii) उक्त कार्य पर 461 एम<sup>3</sup> मिट्टी कार्य पर रायल्टी दर रू० के हिसाब रू० 4149.00 की राजकोष में जमा न करके सरकारी राजकोष की क्षति पहुँचाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(iv) दिनांक 27-09-2012 को चेक सं० 392005 से एम०आर की धनराशि रू० 4750 का भुगतान हुआ है परन्तु एम०बी० 10-10-12 को हुई है। इस प्रकार एम०बी० से पहले भुगतान करके स्पष्ट तौर पर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(v) बी०डी०ओ० द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक नहीं देने से स्पष्ट होता है कि बी०डी०ओ० अपने पद के गरिमा के अनुरूप कार्य न करके प्रशासनिक कार्य में लापरवाही किया गया है। इसके लिए बी०डी०ओ० पर विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 82.**

##### **ग्राम वचा० बसकड़ी में राम अचल के घर से तालाब तक नाली व खड्जा निर्माण कार्य:-**

(i) उक्त कार्य पर मेसर्स मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत व्यय प्रमाणक रू० 221167/- तथा 61050/- पर वाउचर सं० तथा बुक नं० अंकित नहीं है। जिस पर रजि० 09512901395 अंकित है। बी डी ओ द्वारा पास एण्ड कैंसेल्ड किया गया है। इस पर टीडीएस 2.24% कटौती के पश्चात भुगतान हुआ है। परन्तु व्यय प्रमाणकों की वाउचर सं० एवं बुक नं० नहीं होने से प्रमाणिकता संदेहप्रद है। व्यय की विधिक पुष्टि हेतु अपेक्षा की जाती है। पुष्टि नहीं होने की स्थिति में कार्य व्यय प्रमाणक पर भुगतान को अपहरण मानते हुए लेखा परीक्षा दल द्वारा लिखा जायेगा। इस व्यय प्रमाणक से क्लास -150एम-ब्रिक कॉर्टेज ऑफ अर्थ तथा लोकल सैंड आपूर्ति की गयी है। फर्म के वाउचर से मिट्टा (कार्टेज अर्थ) की आपूर्ति नहीं की जाती है। जो विधिक रूप से मान्य नहीं है।

(ii) इस कार्य पर बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं देने से कार्य की पूर्णता या नहीं होने पर संशय बना है। स्थिति को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है

(iii) रू० व्यय- एम आर रू० 49680= 498275/06-10-12

एम आर रू० 12320= 498280/10-01-12

रू० 62000/- (लाल प्रताप यादव, कार्य प्रभारी)

एम आर निर्गत पंजिका नहीं बनायी गयी है एम आर बाजार से लेकर भरा गया है। एम आर पर किसी निर्गतकर्ता अधिकारी का काउंटर साईन न होने से फर्जी प्रतीत होता है वि० खण्ड में निर्गत पंजिका नहीं बनाने से उक्त कार्य पुष्टि नहीं हो सकी। ले०प्र० में एम आर अस्पष्ट रहने से भी उक्त कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। फर्जी भुगतान की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 83**

वर्ष 2011-12 में क्षे० पंचा० मांडा के लेखा परीक्षा के दौरान ग्रांट रजि० द्वितीय की जांच में निम्न कार्यों के भुगतान संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय को अपहरण मानते हुए उचित माध्यम से शासन को अवगत करा दिया जायेगा। पुष्टि न होने पर अपहरित राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्र० सं० | दिनांक     | चेक सं० | धनराशि (रु)    | भुगतान प्राप्तकर्ता                       | मद                                                                |
|----------|------------|---------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | 02-4-2011  | 495327  | 73440          | श्री छविनाथ यादव (एबीटी)<br>मजदूरी भुगतान | प्रा० प० सकरी से हिन्दलाल                                         |
| 2        | 02-4-2011  | 495328  | 18733          | अनुराग सिंह                               | सामग्री भुगतान                                                    |
| 3        | 02-4-2011  | 495329  | 34920          | श्री छविनाथ यादव (एबीटी)<br>मजदूरी        | मौजा नरौतम अनु० बस्ती में मजदूरी भुगतान                           |
| 4        | 02-4-2011  | 495330  | 93850          | अनुराग सिंह (सामग्री भुगतान)              | मौजा नरौतम अनु० बस्ती में सामग्री भुगतान                          |
| 5        | 26-4-2011  | 495331  | 68628          | अनुराग सिंह                               | मौजा नरौतम अनु० बस्ती में सामग्री भुगतान                          |
| 6        | 26-4-2011  | 495332  | 11536          | श्री छविनाथ यादव (एबीटी)                  | उक्त कार्य पर मजदूरी                                              |
| 7        | 20-4-2011  | 495333  | 47707          | मनोज कु० सिंह                             | बभनी रेलवे लाइन से यादव बस्ती तक सामग्री भु०                      |
| 8        | 20-5-2011  | 495334  | 50000          | केदार नाथ मिश्र (बीटी)                    | बभनी रेलवे लाइन पर मजदूरी भुगतान                                  |
| 9        | 25-5-2011  | 495335  | 60480          | श्री छविनाथ यादव (एबीटी)                  | मौजा नरौतम अनु० बस्ती में सामग्री भुगतान                          |
| 10       | 25-5-2011  | 495336  | 70365          | बिरेन्द्र सिंह                            | सामग्री आपूर्ति सह० समिति माण्डा निर्माण हेतु                     |
| 11       | 25-5-2011  | 495337  | 20280          | शिव प्रसाद सिंह एडीओ (एजी)                | उक्त कार्य पर मजदूरी भु०                                          |
| 12       | 21-8-2011  | 495340  | 49989          | बिरेन्द्र सिंह                            | सकरी भौ० नरौतम संपर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण                      |
| 13       | 25-5-2011  | 498261  | 30138          | बिरेन्द्र प्र०सिंह                        | सा०सह०समिति माण्डा निर्माण सामग्री भुगतान                         |
| 14       | 25-8-2011  | 498262  | 12360          | शिव प्रताप सिंह (स०कृ०वि०)                | सा०सह०समि० माण्डा की मजदूरी                                       |
| 15       | 29-8-2011  | 498264  | 307553         | बिरेन्द्र प्र०सिंह                        | सकरी भैरोपुर में सम्पर्क खड़जा निर्माण सामग्री भुगतान             |
| 16       | 30-8-2011  | 498266  | 122400         | शिव प्रताप सिंह (स०कृ०वि०)                | स० भैरोपुर खड़जा पर मजदूरी भु०                                    |
| 17       | 01-11-2011 | 498268  | 88120          | शिव प्रसाद सिंह एडीओ (एजी)                | सकरी भैरोपुर खड़जा कार्य पर मजदूरी                                |
| 18       | 25-03-2012 | 087602  | 130097         | मनोज कु० सिंह                             | माण्डा खास में पन्ना कुम्हार के घर से सी०सी०रोड पर सामग्री भुगतान |
|          |            |         | <b>1290296</b> |                                           |                                                                   |

(क०सं० 19 और 20 अगले पेज सं० 15 पर वर्ष 2012-13 से संबंधित हैं। कृपया देखें)

#### **वित्तीय वर्ष 2012-13 क्षेत्र पंचायत माण्डा**

#### **प्रस्तर संख्या - 84-**

**स्टेशनरी व्यय -** मदन मोहन (कैशियर) द्वारा स्टेशनरी व्यय का भुगतान निम्न तिथियों में किया गया है परन्तु उससे संबंधित व्यय प्रमाणक/ वाउचर ले० परीक्षा में अप्राप्त रहे -

|                                         | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|-----------------------------------------|---------------------|
| (i) 1900-00 चेक सं० 418101/16-6-12-     | मदन मोहन            |
| (ii) 5000-00 चेक सं० 418109/16-6-12-    | मदन मोहन            |
| (iii) 2595-00 चेक सं०- 418126/03-12-12- | मदन मोहन            |
| (iv) 1000-00 चेक सं० 418132/30-01-13-   | मदन मोहन            |
| (v) 5000-00 चेक सं० 418132/30-01-13-    | मदन मोहन            |

**15495/-**

उक्त में (iv) तथा (v) एक ही चेक सं० से दो भुगतान मदन मोहन के नाम किया गया है। पुष्टि की अपेक्षा की जाती है। उक्त में रु० 15495-00 के व्यय प्रमाणक की अप्राप्ति की स्थिति में फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 85-**

**ग्राम मेहाजगीर यादव बस्ती के सामने नाले पर रपटा एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यप्रभारी-** छवि यादव (एबीटी)

उक्त कार्य हेतु 12 नग 600 एमएम सीमेन्ट एन डी -3 ह्यूम पाइप तवा 6 नग कालर की आपूर्ति वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दि० 28-06-12 को (91 सं० 26) की गयी है जिसमें स्वीकृत कीमती 1371=38 मी निर्धारित किया गया है जिस पर 12.5 प्रतिशत ट्रेड टैक्स और 15 प्रतिशत भाड़ा (प्रति 100 किमी० दूरी) और 4 प्रतिशत (लोडिंग/अनलोडिंग चार्ज किया गया है।



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| एक मीटर ह्यूम पाइप की कीमत   | 1371.38 |
| 12 प्रतिशत ट्रेड टैक्स-      | 171.42  |
| 15 प्रतिशत भाड़ा-            | 205.71  |
| 4 प्रतिशत (लोडिंग/अनलोडिंग)- | 54.86   |

-----  
1803.37/मीटर  
-----

चूँकि एक ह्यूम पाइप की लम्बाई ढाई मीटर है इस प्रकार एक पाइप की कीमत  $2.5 \times 1803.37 = 4508.40$  इस प्रकार 12 लग पाइप का दाम रु० 54100.80 हुआ। इसी प्रकार 1 कालर को दाम 266.14 रु०, 12 प्रतिशत ट्रेड टैक्स, 15 प्रतिशत भाड़ा और 4 प्रतिशत लोडिंग करने पर एक नग कालर का रु० 350.00 होता है। इस प्रकार 6 नग कालर का दाम रु० 2100.00 होता है।

परन्तु वस्तु के क्रय विक्रय के नियमानुसार वस्तु के मूल्य में सभी टैक्स समाहित रहते हैं। इस प्रकार विक्रेता द्वारा 12 प्रतिशत ट्रेड टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार 15 प्रतिशत और 4 प्रतिशत लोडिंग/अनलोडिंग चार्ज लेने के लिए अधिकृत नहीं है।

इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गयी अधिक धनराशि की गणना निम्न प्रकार है-

|   |                                                                          |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 12 नग पाइप (15 मी०) पर अधिक वसूला गया ट्रेड टैक्स ( $15 \times 171.42$ ) | 2571-30 |
| 2 | 12 नग पाइप (15 मी०) पर अधिक वसूला गया भाड़ा ( $12 \times 205.71$ )       | 3085-65 |
| 3 | 12 नग पाइप का लोडिंग/अनलोडिंग चार्ज ( $54.86 \times 15$ )                | 822-63  |
|   | योग                                                                      | 6479-58 |

इसी प्रकार 6 नग कालर पर 12 प्रतिशत ट्रेड टैक्स, 15 प्रतिशत भाड़ा और 4 प्रतिशत लोडिंग/अनलोडिंग की गणना निम्न प्रकार है:-

1- 6 नग कालर पर भुगतान अतिरिक्त धनराशि ( $83.84 \times 6$ ) = 503.04

इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को  $6479 + 503.4 = 6983-$

एक नग कालर का मूल्य=266.00

12 प्रतिशत टी0डी0एस0 - 33.2

15 प्रतिशत कार्टेज = 39.9

490 एल /एल एम एल = 10.6

-----  
83.84  
-----

6983.00 की अधिक भुगतान करके सरकारी धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदारी लेखाकार बी०डी०ओ० एवं अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या - 86

| क्र० सं० | दिनांक   | चेक सं० | धनराशि (रु) | भुगतान प्राप्तकर्ता | मद                                                                         |
|----------|----------|---------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 01-08-12 | 395807  | 138242      | मनोज कु० सिंह       | उक्त कार्य पर सामग्री भुगतान                                               |
| 2        | 02-08-12 | 395809  | 269131      | अनुराग कस०          | मड़िगवाँ से रामपुर स० मार्ग पर सामग्री भुगतान                              |
| 3        | 15-09-12 | 395814  | 29950       | छविनाथ यादव         | माण्डा खास से पन्ना कुम्हार के मार्ग पर मजदूरी भुगतान                      |
| 4        | 11-10-12 | 392006  | 60709       | अनुराग सिंह         | मड़िगवाँ से रामपुर मार्ग पर सीसी रोड पर सामग्री भुगतान                     |
| 5        | 11-10-12 | 392007  | 25925       | छविनाथ यादव         | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान ( से रामपुर मार्ग सीसी)                        |
| 6        | 05-12-12 | 392010  | 63446       | मनोज कु० सिंह       | ग्रा०पंचा० उलदा में मिठाई लाल के घर से नदी तक पहाड़ की भस्सी से पटाई कार्य |
| 7        | 05-12-12 | 392011  | 28839       | अनुराग सिंह         | नकटी पक्की सड़क से पहाड़ी तक                                               |

|    |          |        |               |                     |                                                                           |
|----|----------|--------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |          |        |               |                     | मिट्टी भस्सी से पटाई कार्य                                                |
| 8  | 30-01-13 | 392015 | 73540         | मनोज कुं सिंह       | बस्ती गा०पंचा० उलदा मिठाई लाल के घर से नदी तक मिट्टी एवं भस्सी पटाई कार्य |
| 9  | 30-01-13 | 392016 | 21125         | छविनाथ यादव (एबीटी) | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान                                               |
| 10 | 30-01-13 | 392017 | 82192         | मनोज कुं सिंह       | नकटी पक्की सड़क से पहाड़ी तक मिट्टी एवं भस्सी पर सा० भुगतान               |
| 11 | 31-01-13 | 392018 | 18895         | रामगोपाल (बीटी)     | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान                                               |
|    |          |        | <b>811994</b> |                     |                                                                           |

उक्त केवल ग्रांट रजि० 11 में प्रविष्टि है परन्तु उनके व्यय की पुष्टि हेतु वाउचर एम०बी० इस्टीमेट कार्य पूर्ति प्रमाण कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य योजना तथा कार्यवाही की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त की पुष्टि हेतु अन्तरिम आपति देने के 15 दिनों के अन्दर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उक्त कार्यों का वर्क रजि० सेल पंजिका से पुष्टि नहीं हो सकी। ऐस में यह बिना नियम के मनमानी अनियमिता भुगतान करके अनियमितता की गई है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

### वित्तीय वर्ष 2012-13

#### **प्रस्तर संख्या -87-**

**मंडार में भटवा तालाब के मीठे से मस्जिद तक खडजा निर्माण कार्य:** मे/अनुराग को भुगतान रु० 153610.00 में टी०डी०एस० (2.24%) रु० 3441.00 के बजाय रु० 3072.00 (2 प्रतिशत) की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 369.00 की कम कटौती करके सरकारी राजकोष की क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से अपेक्षित है जिसके द्वारा भुगतान चेक सं० 0855349/ 16-02-14 से किया गया है।

(ii) इस कार्य हेतु 726.80 एम<sup>3</sup> मिट्टी ट्रैक्टर से एक किलोमीटर से लायी गयी है जिसकी वर्ष 2013-14 की रायल्टी दर 14/एम<sup>3</sup> के हिसाब से रु० 10175.00 का राजकोष में जमा करानी चाहिए जो नहीं की गयी है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से अपेक्षित है।  $726.8 \times 14 = 10175.2$

(iii) इस कार्य की लम्बाई 210एम x 3एम है। इस्टीमेट वे 630 एम<sup>2</sup> क्षेत्रफल लिखा है। इस कार्य के सामग्री का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त के पूर्ति की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि नहीं कराने जाने की स्थिति उक्त पर व्यय समस्त धनराशि को दुरुपयोग/अपहरण की श्रेणी में विशेष आपति में लिखकर सरकारी धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु अग्रित प्रेषित किया जाएगा। सिर्फ एमबी से व्यय की पुष्टि हो सकी। परन्तु उक्त अभिलेख अनिवार्यतः बनाना अपेक्षित है।

(iv) उक्त कार्य पर 726.80 एम<sup>3</sup> मिट्टी लाकर डालना एवं भरवा 228.75 एम<sup>3</sup> बाबू/सैंडस्टोन धूल भरना तथा पत्थर 23x15x10 माप की पत्थर की खडजा लगाने का मास्टर रोल पृथक- पृथक होना चाहिए। जबकि ले० परीक्षा में पाया गया कि फाइल में कुल 110916- (110316- का भुगतान चेक सं० 055348/ 16-09-14 को भुगतान) का एक ही मास्टर रोल 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2014 का है। जिस पर उक्त मार्ग पर खडजा लगाने का एम०आर० लिखा है। इस प्रकार साप्ताहिक एवं पृथक- पृथक एम०आर०बनाकर भुगतान होना चाहिए। खडजा लगाने की मजदूरी इस्टीमेट ये  $63032 = 20160$  दर 32/एम<sup>2</sup> की दर से) मजदूरी हुई। इस अभिलेख में गडबड लिखकर गुमराह कराके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य पर 110916.00 की भुगतान का सती उपयोग संदिग्ध है। पुष्टि कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(v) इस कार्य पर साइनबोर्ड का व्यय 3000 का भुगतान नहीं हुआ है और आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय प्रमाणक में कहीं पर भी एक नग साइन बोर्ड का जिक्र नहीं है जबकि टेण्डर में एक साइन बोर्ड एवं कार्य के पूर्व बीच में एवं कार्य के बाद में फोटो होना अपेक्षित है। इससे उक्त कार्य की सूचना हेतु साइन बोर्ड जनता जनार्दन को दी जाती है एवं लम्बाई तय एवं व्यय का विवरण जानने का जनता का मूल अधिकार होता है। फिर से बी०डी०ओ० प्रशासन द्वारा वंचित करके घोर अन्याय किया है। इसके लिए बी०डी०ओ० पर विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(vi) कार्यप्रभारी श्री कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा जेई (एमआई ) का कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति को कार्य प्रभारी बनाना वर्जित है। इसके लिए बी०डी० ओ० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**88- बरहया कला में लोनियाला बरती को नालो पर पुलिया निर्माण कार्य-** पर मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह की भुगतान धनराशि रु० 10080.00 पर टी०डी०एस० कटौती 2 प्रतिशत कम किया गया है। इस प्रकार रु० 20.00 की धनराशि राजकीय कोष में कम दिया गया है। अभिलेखों के अनुसार कुल धनराशि रु० 10080.00 में केवल 6 प्रतिशत कटौती करके यानि रु० 604 कटौती करके रु० 9976 (चेक सं० 055345 दि० 16-

09-14) का पेमेन्ट मे० नागेन्द्र सिंह को किया गया। अतः धनराशि ₹0 20 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(ii) उक्त कार्य में छविनाथ यादव (एबीटी) द्वारा सामग्री प्राप्ति में 5000 नग ईट (एम150 ईट) अन्य सामग्रियों के साथ फाइल में दर्शित है जिसका कुल योग 151577 है (वाउचर नंबर 860/ 06-07-14 एम/एस नगेन्द्र प्रताप सिंह ) परन्तु बी०डी०ओ० द्वारा टेण्डर कार्य स्वीकृत के आदेश पत्र में पाँच हजार नग ईट का जिक्र नहीं है। रिवाइज्ड इस्टीमेट की कापी ले०प० में अप्राप्त पायी गयी है। इस प्रकार उक्त पाँच हजार ईट के उपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी। जिस का मूल्य दर 5600 से 2800- उक्त वाउचर में सम्मिलित भुगतान हुआ है। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि नहीं करायी जाने पर उक्त धनराशि 2800.00 का दुरुपयोग की श्रेणी में रखते हुए शासन से उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों पर विधिक कार्यवाही करने एवं ब्याज सहित वसूली हेतु विशेष प्रतिवेदन किया जा सकता है। (बी०डी०ओ० द्वारा दिनांक 23-12-2013 का मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह की टेण्डर आवेदन स्वीकृति देते हुए सीमेन्ट, महीन बालू, 40 एमएम गिट्टी, कटस्टोन, क्रैसर सैंड, 20 एमएम गिट्टी एवं तुलनात्मक पस में इसके अतिरिक्त फोटो का जिक्र है। एम 150 ईट का जिक्र नहीं है)

(i) इस कार्य की पूर्णता की बी०डी०ओ० द्वारा प्रमाण पत्र तथा साइनबोर्ड नहीं लगाया गया है क्योंकि साइनबोर्ड का भुगतान नहीं किया गया है। इससे कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता में संदिग्धता बनी हुई। पुष्टि कराने की अपेक्षा की जाती है।

#### **प्रस्तर संख्या - 89**

**कोसड़ा कला में लाल जी सिंह के घर के सामने स्थिति कूप का जगत निर्माण** उक्त कार्य पर एम आर का योग 33774 के बजाय 33779 भुगतान करके 05.00 अधिक भुगतान किया गया है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है | जिसका विवरण निम्न प्रकार है- तीन मिस्त्री 45 कार्य दिवस दर 390= 17550.00

शेष मजदूर 104 कार्य दिवस दर कार्य दिवस = 16224

156-00 33774/-

से 17-08-14 तक का एम आर

#### **प्रस्तर संख्या - 90**

**बैठौली में बुधिराम प्रजापति के घर से गड़ही तक नाली निर्माण कार्य-** कार्य प्रभारी- नजीब खाँ

(i) उक्त कार्य पर 16 नग आरसीसी ह्यूम पाइप 300 एम की इस्टीमेट में दर 2150/नग में लिखा है और आपूर्ति कर्ता एम० मेसर्स मनोज कु० सिंह द्वारा दिनांक 10-02-14 को वी एन 257 से अन्य सामग्री के साथ आपूर्ति करके सम्मिलित भुगतान ₹0 75895.00 चेक सं० 0807610/ 25-02-14 कटौती के बाद 2.24 प्रतिशत टी डी एस तथा 4 प्रतिशत वैट के बाद 71159 का भुगतान हुआ है) परन्तु फिर भी 06-07-2014 को उक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने वी एन 259 से 18 नग ह्यूम पाइप आरसीसी 300 एमएम की आपूर्ति दर 2150 के दर से 38700/ का भुगतान चेक सं० 055335 से दिनांक 09-02-2014 को की गयी है जिसकी आवश्यकता इस्टीमेट में नहीं है। यानी आउट आफ इस्टीमेट यह 18 नग ह्यूम पाइप मंगवाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।

(ii) इसी प्रकार दिनांक 08-08-2014 को चेक सं० 055043 से ₹0 7624 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया जिसका कोई व्यय प्रमाणक ले०प० में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक/ एम आर के उक्त धनराशि भुगतान करके लेखाकार कार्यप्रभारी एवं बी०डी० ओ० द्वारा उक्त धनराशि का अहपरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली हेतु उक्त पदाधिकारियों पर क्यों नहीं लिखा जाय/उत्तर अपेक्षित है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है |

#### **प्रस्तर संख्या - 91**

**बधौर खवासान में रपटा मरम्मत कार्य-**

उक्त कार्य में मोटी बालू 12.67 एम<sup>3</sup> दर 1400= 17738 की आवश्यकता इस्टीमेट में दर्ज है परन्तु मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा वाउचर नंबर 859/15-02-2014 में 6एम<sup>3</sup> तथा वाउचर नंबर -863/29-9-2014 में 18.70 एम<sup>3</sup> मोटी बालू की आपूर्ति की गई है। 18.70 एम<sup>3</sup> बालू की दर 1745/एम<sup>3</sup> है जबकि स्वीकृति दर 1400/एम<sup>3</sup> है। इस प्रकार अतिरिक्त अधिक मोटी बालू आपूर्ति (18.70 + 6.0)- 12.67 = 12.03 एम<sup>3</sup> का दर 1745 के हिसाब से 20992 अधिक व्यय करके सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाने की अपेक्षा की जाती है। उक्त की रिवाइज्ड इस्टीमेट ले०प० में अप्राप्त रही। जेआर /आरईएस द्वारा भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता के आवेदन पर भुगतान को स्वीकृति करके धनराशि दुरुपयोग के सहयोग किया है। फार्म प्रभारी श्री छविनाथ यादव (एबीटी) तथा जेआर /आरईएस श्री त्रिवेदी प्रसाद है।

#### **प्रस्तर संख्या - 92 -**

**महुआरी कला में नहर पर पुलिया निर्माण:-**

कार्य प्रभारी- श्री छविनाथ यादव (एबीटी)

(i) इस कार्य पर कार्यप्रभारी द्वारा दिनांक 05-09-2014 वाउचर नंबर 261 /एम/एस मनोज सिंह द्वारा आपूर्ति सामग्री तथा 07/7/2014 को वाउचर नंबर 260 द्वारा आपूर्ति सामग्री को रिसीव नहीं किया गया है। क्योंकि कार्य प्रभारी द्वारा स्टॉक रजि० न तैयार करके और उक्त दोनों व्यय प्रमाणकों को रिसीव न करके यह पुष्टि करता है कि उक्त दोनों सामग्रियों मूल्य 78746 + 21785 = 100531 की सरकारी

धनराशि का दुरुपयोग किया गया है इस कार्य पर अन्य व्यय- प्रमाणक पर सामग्री प्राप्त किया- कार्यप्रभारी द्वारा लिखा गया है। टेण्डर प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया गया है- एनएससी / एफडीआर नहीं रखवाना लिफाफों पर तीन व्यक्तियों/ अधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं होना (देखें प्रारूप-3 का 11 नम्बर का व्यय प्रमाणक एवं भुगतान)

बॉन्ड धरोहर के तौर पर 10 प्रतिशत एनएससी /एफडीआर नहीं रखवाया गया है बी०डी०ओ० श्री हरिश्चन्द्र चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करके मेसर्स की टेण्डर दिया है जबकि वर्जित है इसके समस्त भुगतान के लिए चौधरी ही उत्तरदायी है उनसे अनियमितता हेतु ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 93**

##### **गिरधरपुर के मजरा बखसपुर में मिथलेश पाण्डेय के घर से उनके चक तक इण्टरलॉकिंग कार्य (120एम)**

(i) उक्त कार्य पर दिनांक 28-08-2014/वाउचर नंबर 264 तथा 25-07-2014/ VI to 263 को मे० मनोज कु० सिंह द्वारा आपूर्ति सामग्रियों को कार्य प्रभारी श्री छविनाथ द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल योग 78701 + 94918=173619 की धनराशि के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गई है। बी०डी०ओ० द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक या उपयोग प्रमाणक या उपभोग प्रमाणक नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग हुआ है (अन्य वाउचरों पर (सामग्रियों का) उक्त एबीटी द्वारा रिसीव किया गया है।

(ii) इस कार्य पर 12000 नग फर्स्ट क्लास ईट की आवश्यकता इस्टीमेट क्यों दर्ज की गयी है जबकि सहकारी इण्टरलॉकिंग कार्य उसमें 120एम x 3एम में मुश्किल से 2500 नग 1st क्लास ईट की आवश्यकता है परन्तु 1200 ईट निम्न तिथियों में मंगवाई गई है।

10-0214- Vo No. 258 से 6000 नग दर 5600

25-07-14- 263 से 2000 नग दर 5600

28-08-14- 264 से 4000 नग दर 5600

$$(12000) \times 5600 = 67200$$

12 नग

इस कार्य पर 20 x 16 x 7.5 इण्टर लॉकिंग वाली सीमेण्ट ईट 11880 नग आपूर्ति की गई जो 360 एम<sup>2</sup> के लिंक ठीक है परन्तु 120एम लम्बाई में दोनों ओर 9 इंच के मंडा बाँधने के लिये 12000 फर्स्ट क्लास ईट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर गिट्टी बनवाई गई तो उसका जिक्र इस्टीमेट में होना चाहिए। यह भी वहाँ के हिसाब से महंगा पड़ेगा क्योंकि लोकल में पत्थर गिट्टी आसानी से उपलब्ध है इस प्रकार 12000-2500=9500 नग ईट का दाम 5600 के दर से 53200 की सरकारी धनराशि बी०डी०ओ० एवं जेई /आरईएस द्वारा दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इसके लिये 36 36एम<sup>3</sup>/40एमएम स्टो ब्लास्ट की आपूर्ति की गई है।

##### **(iii) टेण्डर प्रक्रिया का सही अनुपालन नहीं किया गया है जैसे-**

(अ ) मेसर्स को टेण्डर नहीं देना। वर्जित है जबकि मेसर्स को ही टेण्डर दिया गया है।

(ब ) एनएससी /एफडीआर धरोहर के रूप में नहीं रखवायी गयी है।

(स ) टेण्डर में कार्य दो माह में होना लिखा है परन्तु कार्य के लिए सामग्री 8 वे महीने तक आपूर्ति की गई हैं कार्य हुआ कि नहीं स्पष्ट नहीं है। क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाणक बी०डी०ओ० ने नहीं दिया है।

(द ) टेण्डर खोलते समय तीज अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम हस्ताक्षर पदनाम स्पष्ट होता है परन्तु सिर्फ बी०डी०ओ० का है इस प्रकार समस्त व्यय को अनियमितता की श्रेणी में रखकर बी०डी०ओ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 94-**

**गैसरा नरोत्तम के मजरी पचकरा में काली रोड से नदी तक स्टोन डस्ट कार्य-** इस कार्य पर दिनांक 10-02-2014 रु० 210000.00 पर 2.24 प्रतिशत टीडीएस तथा 4 प्रतिशत वैट कटौती के बाद 196896.00 का भुगतान होना चाहिए परन्तु लेखाकार द्वारा 197408.00 यानि 512 अधिक भुगतान किया गया है चेक सं० 087620/ 09.07.2014 को

(टीडीएस पर 4200 तथा वैट पर 8400 कटौती की गयी है टीडीएस पर कम काटी गयी है।

रु० 197408/ चेक नंबर 087620/09-07-2014 वाली नोट तथा 31980/

807621/09-07-14 चेक नंबर 16660/055341/02-08-14 तथा 10500/055342 /08-08-14 वाली नोट सीट पर ब्लाक प्रमुख श्रीमती आरती सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 95.**

**ग्राम कनविरा में रंगनाथ मिश्र के गोडा से तालाव सं० 206 तक नाली निर्माण (150 एम) कार्यप्रभारी- श्री छविनाथ यादव (एबीटी)**

(i) इस कार्य पर आरसीसी ह्यूम पाइप इस्टीमेट में 44 नग की आवश्यकता है परन्तु कुल 59 नग आरसीसी ह्यूम पाइप आपूर्ति की गई है वाउचर नंबर 857/ 15-02-14 एम/एस नगेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा जिस पर अन्य सामग्रियों के साथ ही उसे उक्त कार्य प्रभारी द्वारा रिसीव किया गया है जिसमें 22 नग ह्यूम पाइप दर 2150 दर्ज है परन्तु 03-07-2014 की वाउचर नंबर 861 द्वारा 37 ह्यूम पाइप आरसीसी

आपूर्ति की गयी है और साथ-साथ ही 2 एम<sup>3</sup> (20 एमएम मिट्टी दर 1750/एम<sup>3</sup>) तथा एमएस बी आर लोहा 2975 की। जिसे एबीटी कार्यप्रभारी छवि नाथ द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। इससे कुल 86025/ की धनराशि का दुरुपयोग होने की पुष्टि होती है।

(ii) इस कार्य हेतु 96 बैग सीमेन्ट का इस्टीमेट था परन्तु वाउचर नंबर 857 में माल 50 बैग की आपूर्ति की गई है। और दुबारा सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की गयी है इससे स्पष्ट होता है कि जे आर/आरईएस द्वारा अधिक इस्टीमेट बनाकर सरकारी धनराशि के अपहरण का प्रयास किया गया जो नहीं हुआ परन्तु 15 आरसीसी ह्यूम पाइप 15x2150= 32250 की धनराशि अधिक आपूर्ति का भुगतान हुआ है जिसे (1) में लिखा गया है।

(ii) यहाँ पर प्रथम नोटसीट पर भुगतान पर ब्लाक प्रमुख श्रीमती आरती सिंह का हस्ताक्षर है परन्तु शेष अन्य भुगतानों पर नोट सीट पर हस्ताक्षर नहीं हैं।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **भाग-'स', वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14**

##### **आपत्तियाँ:-**

**प्रस्तर 96-** वर्ष 2012-13 के अनुदान पंजि० III में मार्च 2013 में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार यो० (एसजीएसवाई) के मद में प्रा० अवशेष 5464156.00 रु० तथा व्यय 593221.00 अंकित है। उक्त आकड़ों के अनुसार अंतिम अवशेष 4870935.00 रु० होना चाहिए परन्तु पंजिका में अंतिम अवशेष 5426656.00 अंकित है। इस प्रकार अंतिम अवशेष में अंतर 555721.00 रु० का है। इस अंतर को समाधान कर सुधार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 97-** वर्ष 2012-13 के अनु० पंजि० III के दिसम्बर 2012 मास में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त के मद में कुल उपलब्ध धनराशि 327500.00 था तथा व्यय रु० 302196.00 हुआ है। इस प्रकार अंतिम अवशेष धनराशि रु० 25304.00 होना चाहिए परन्तु उक्त मद में उक्त मास में आवशेष धनराशि रु० 35304.00 अंकित है। इस प्रकार अंतिम अवशेष में रु० 10000.00 का अंतर है जिसका समाधान नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 98-** वर्ष 2012-13 के अनुदान पंजि० III के फरवरी 2013 में विधायक निधि मद में अंतर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रु० 93800.00 तथा व्यय रु० 60660.00 है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रु० 33140.00 होना चाहिए परन्तु पंजिका में उक्त धनराशि रु० 33260.00 अंकित है जो कि रु० 120.00 अधिक है। इस अंतर का समाधान अपेक्षित है।

**प्रस्तर 99-** वर्ष 2012-13 के अनु० पंजि० III के जनवरी 2013 में सांसद निधि के मद में कुल उपलब्ध धनराशि रु० 55774.00 अंकित है जबकि अवशेष धनराशि रु० 57774.00 अंकित है। चूंकि उक्त मास में कोई आय नहीं हुई इसलिए अवशेष रु० 55774.00 होना चाहिए। इस प्रकार रु० 2200.00 का अंतर है। अतः इस अंतर का नियमानुसार समाधान अपेक्षित है।

**प्रस्तर 100-** वर्ष 2012-13 के अनुदान पंजि० के आयकर कटौती मद में कुल उपलब्ध धनराशि रु० 151116.00 है तथा व्यय रु० 76006.00 अंकित है। इस प्रकार वर्षान्त में कुल अवशेष रु० 75110.00 होना चाहिए परन्तु पंजिका में वर्षान्त अवशेष शून्य दर्शाया गया है। इस अंतर का मूल कारण यह है कि जून 2012 में उक्त मद में अंतिम अवशेष रु० 112856.00 दर्शाया गया है जबकि जुलाई 2012 में प्रा० अवशेष केवल रु० 37746.00 अंकित है। इस प्रकार की गम्भीर त्रुटि का नियमानुसार ससमय समाधान अपेक्षित है।

**प्रस्तर 101-** वर्ष 2013-14 के अनुदान पंजि० के 'स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अगस्त 2013 में व्यय रु० 5329156.00 कर के अवशेष शून्य दर्शाया गया है। परन्तु जैसा कि आपत्ति सं० (1) में उल्लिखित है कि वर्ष 2012-13 के उक्त मद में वर्षान्त अवशेष रु० 5426656.00 के बजाय 4870735.00 है अगस्त 2013 में इस मद में कुल उपलब्ध धनराशि केवल रु० 4798435.00 है जबकि व्यय रु० 5329156.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार की वित्तीय विसंगति का स्पष्ट समाधान कर सुधार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 102-** वर्ष 2013-14 के ग्रांट रजि० III के राज्य वित्त तेरहवां वित्त के मद में प्रा० अवशेष रु० 1434490.00 दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2012-13 के उक्त मद में अंतिम अवशेष 2399765.00 अंकित है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में प्रा० अवशेष रु० 965275.00 कम दर्शाया गया है। उक्त विसंगति को नियमानुसार समाधान अपेक्षित है।

**प्रस्तर 103-** वर्ष 2013-14 अनु० पंजि० III के राज्य वित्त/ तेरहवां के मद में फरवरी 2014 में आय रु० 617713.00 है तथा व्यय रु० 1058220.00 है। उक्त आंकड़ों के अनुसार फरवरी माह में अंतिम अवशेष रु० 7780018.00 होना चाहिए परन्तु फरवरी 2014 मास में उक्त मद में अंतिम अवशेष रु० 5383585.00 अंकित है जो कि रु० 2396433.00 कम है। इस प्रकार के वित्तीय विसंगति का नियमानुसार स्पष्ट समाधान अपेक्षित है।

**प्रस्तर 104-** वर्ष 2013-14 के अनुदान पंजिका III के राज्य वित्त तेरहवां वित्त के मद में जनवरी 2014 मास में अंतिम अवशेष रु0 8420525.00 है परन्तु फरवरी माह 2014 में प्रा० अवशेष रु0 8220525.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 200000.00 का अंतर है। इसको नियमानुसार समाधान कर सुधार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 105-** वर्ष 2013-14 के अनुदान पंजिका III में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के मद में आंकड़ों के अनुसार वर्षान्त अवशेष रु0 171716.00 होना चाहिए परन्तु पंजिका में वर्षान्त अवशेष रु0 24000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 147716.00 का अंतर है जिसे नियमानुसार समाधान कर सुधार कराना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 106-** वर्ष 2013-14 के अनुदान पंजिका 111 में युवक महिला मंगल दल के मद में प्रा० अवशेष रु0 20200.00 है परन्तु पंजिका में रु0 26000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 5800.00 का अंतर है जिसकी नियमानुसार समाधान किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 107-** वर्ष 2013-14 के अनुदान पंजिका III के ब्याज विभिन्न मदों में मद में प्रा० अवशेष रु० 184984.00 अंकित है। पूरे वर्ष में इस मद में न कोई आय हुआ है नहीं कोई व्यय हुआ है। इस प्रकार रु0 46367.00 का अंतर है। इस अंतर का नियमानुसार समाधान कर स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 108-** वर्ष 2011-12 के अनुदान पंजिका III लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे उक्त वर्ष का आय-व्यय संबंधित जानकारी नहीं हो पायी। लेखा परीक्षा के प्रारम्भ में वर्ष 2011-12 के अनुदान पंजिका III को उपलब्ध कराने के लिए तत्कालिक विकास खण्ड अधिकारी से मौखिक एवं लिखित मांग की गयी थी। अतः उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा और अभिलेखों के आधार आंशिक रूप से सम्पन्न हो पाया। इस सन्दर्भ में विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही ससमय अपेक्षित है।

**प्रस्तर 109-** आय-व्यय का विवरण के अनुसार वर्ष 2011-12 का अन्तिम अवशेष रु० 8057602.00 आ रहा है परन्तु वर्ष 2012-13 का प्रा० अवशेष रु० 7922492.00 है। इसका मुख्य कारण अनुदान पंजिका III के विभिन्न मदों में वर्ष 2011-12 का अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2012-13 का प्रारम्भिक अवशेष में अंतर है जिसे मदवार विभिन्न आपतियों में उल्लेखित किया गया है। इन अंतरों के कारण वर्ष 2011-12 के अंतिम अवशेष का योग एवं 2012-13 के प्रा० अवशेष के योग में आय व्यय विवरण के अनुसार रु० 135173.00 का कुल अंतर आ रहा है। इस अंतर को समाधान कर सुधार अपेक्षित है।

## क्षेत्र पंचायत - माण्डा जनपद - प्रयागराज

### अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

#### वित्तीय वर्ष 2014-15

##### प्रस्तर संख्या -110.

**भंजनपुर गुडगां रामलीला मैदान से बिन्दू बस्ती तक इस्ट स्टोन पट्टाई का कार्य-** प्रा०व्यय = रु0 548810-00

टेण्डर आमंत्रण प्रकाशन की तिथि 15-10-2014, टेण्डर जमा करने की तिथि 30-10-2014, बी डी ओ = श्री तेजभान सिंह, अवर अधि०-नजीव खां कार्य प्रभारी- छविनाथ यादव (बीटी)

1- उक्त कार्य के लिए स्वीकृति ब्लाक प्रमुख से नहीं ली गई है। नोटसीट से स्पष्ट होता है कि कार्य की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक ब्लाक प्रमुख की स्वीकृति नहीं ली गई है। बी डी ओ मात्र सचिव की हैसियत से क्षेत्र पंचायत के कार्यों के दौरान होता है।

दर 75/घनमीटर

उक्त कार्य पर रु0 543245-00 व्यय हुआ है (लेबर पर 10545+61500) तथा रु0 471200-00 सामग्री (सामग्री 962.50घनमीटर इस्ट स्टोन दर रु० 490/घनमीटर ) इस कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाण बी डी ओ द्वारा नहीं दी गई है। इससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है या यों कहे

कि उचित स्थान पर आपूर्ति की गई सामग्री का उपयोग होने की पुष्टि नहीं होती है। इससे उक्त समस्त धनराशि के दुरुपयोग होने आशंका है। उक्त व्यय की पुष्टि अतिशीघ्र कराने की अपेक्षा की जाती है।

उक्त कार्य की निविदा दिनांक 15-10-2014 को प्रकाशित पेपर कटिंग में प्राक्कलित व्यय 7 लाख लिखा है परन्तु इस्टीमेट (प्राक्कलित व्यय) फाइल में रु० 548812.00 है। भुगतान 543245.00 हुआ है। टेण्डर खोलते समय तीनों आवेदकों में राजीव कुमार सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मे० अनुराग सिंह के लिफाफों पर तीन अधिकारियों / कर्मचारियों का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। तीनों द्वारा आवेदन पत्र भी हाथ से लिखा फाइल में नहीं है। (सभी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है) इससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। इस उक्त विसंगतियों के कारण की पुष्टि अपेक्षित है।

सामग्री 68898.00 में से 1378.00 टीडीएस तथा 2756.00 वैट की कटौती के बाद 64764.00 को दिनांक 12-02-2014 को चेक सं० 087662 से भुगतान हुआ है जबकि टेण्डर 15-10-2014 को जारी किया गया है। इस प्रकार टेण्डर से पहले भुगतान दर्शा रहा जबकि लेखाकार नोटशीट पर स्वयं एवं बी डी ओ का 11-02-2015 को हस्ताक्षर है। यह कार्यालय त्रुटि को दूर करने की अपेक्षा की जाती है।

इस प्रकार उक्त पर व्यय समस्त धनराशि रु० 543245.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखते हुए उत्तरदायी बी डी ओ श्री तेजभान सिंह पर अपने पद के गरिमा के अनुरूप कार्य करने तथा वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस कार्य पर नोटशीट में ब्लॉक प्रमुख का हस्ताक्षर एवं मुहर कार्य की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक कहीं नहीं हुआ है।

#### **प्रस्तर संख्या - 111**

##### **भरारी II का पूरा पिपरांव राजा के तालाब से पहाड़ तक इस्ट स्टोन पटाई कार्य-**

उक्त कार्य पर एक एम आर जिसका भुगतान 35250.00 दिनांक 27-12-2014 को किया गया है जबकि एम आर पर लेबरों की उपस्थिति 22-12-2014 से 31-12-2014 दर्ज है। ऐसे में कुल 176½ कार्य दिवस 200.00 कार्य दिवस की दर से भुगतान हुआ है। परन्तु कार्य पूर्ण से पहले ही लेबर भुगतान हुआ है। इस प्रकार धनराशि 35250.00 का फर्जी व्यय है इसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी), लेखाकार तथा बी डी ओ श्री तेजभान सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (चेक सं० 055366 से आहरण हुआ है)

उक्त कार्य पर रु० 678847.00 व्यय हुआ है। फाइल में 686390.00 का इस्टीमेट लगा तथा पेपर टेण्डर में 11 लाख दर्शित है। टेण्डर के लिफाफों पर किसी अधिकारी या कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं नाम नहीं लिखा है। मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह मे० मनोज कुमार सिंह तथा मे० अनुराग कन्ट्रक्शन कं० ने टेण्डर डाले हैं। मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह को टेण्डर स्वीकृत हुआ है। तीनों के आवेदन पत्र पर 30-10-2014 को टेण्डर हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशन की जिक्र है परन्तु प्रकाश 15-10-2014 को हुआ है। इसी प्रकार तीनों आवेदन पत्र एक ही व्यक्ति के हैंडराइटिंग में लिखा है। मे० नागेन्द्र सिंह को स्वीकृत है। इस प्रकार पूरी तरह से टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार 678847-35250=643597.00 की वित्तीय अनियमितता की श्रेणी रखने की अपेक्षित है।

इस कार्य पर 120/घनमीटर इस्ट स्टोन उपभोग हुआ है। लेबर से फैलवाई, ड्रेसिंग करवाई पर 75/घनमीटर की दरे एम आर भुगतान हुआ है।

इस कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिये जाने से कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार कुल व्यय 678847.00 संदिग्ध प्रतीत होता है। हो सकता है कि यह सामग्री और लेबर पर भुगतान इससे कम हुआ है या उस स्थान पर न होकर के सामग्री का दुरुपयोग हुआ है। स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।

इस्टीमेट पर ओवर राइटिंग की गई है। निर्धारित प्रपत्र पर नहीं बनाया गया है।

नोटशीट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर कार्य की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक कहीं हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं हुआ है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 112.**

##### **राजापुर भरारी बाई पास सड़क से आशा देवी महाविद्यालय तक इस्ट स्टोन पटाई कार्य-**

15.10.2014 निविदा प्रकाशन, 30.10.2014 निविदा खुलने की तिथि

1- इस कार्य पर रु० 150000.00 जिसका भुगतान टीडीएस तथा वैट के बाद (क्रमशः 3000.00 तथा 6000.00) 141000.00 दिनांक 12-02-2015 चेक सं० 055380 है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त राजकीय धनराशि की क्षति को उत्तरदायी बी डी ओ श्री तेजभानसिंह, लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

2- इस कार्य पर 541162.00 व्यय है जबकि इस्टीमेट 544130.00 है। टेण्डर में (हिन्दुस्तान पेपर) 5 लाख लिखा है। इस प्रकार यहां टेण्डर इस्टीमेट से अधिक व्यय है। पेपर टेण्डर की इस्टीमेट से अधिक इस्टीमेट बनाकर 41162.00 अधिक व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नोटशीट पर नहीं है। लिफाफे पर तीन अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम हस्ताक्षर नहीं है। धरोहर के रूप में एच एस सी /एफडीआर नहीं लिखा गया है।

3- इस कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा न दिये जाने से कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार इस धनराशि की दुरुपयोग होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बी डी ओ द्वारा अपने पद के अनुरूप दायित्वों का पालन न करके राजकीय धनराशि अनियमितता की गई है। 2 माह में कार्य होने की शर्त निविदा में है परन्तु बाऊचर पर आपूर्ति तिथि नहीं देने से कार्य के विलम्ब से होने की पुष्टि होती है। तीनों व्यय प्रमाणकों का भुगतान फरवरी 2015 में होने से भी होता है। इस विलम्ब के लिए 1% कुल व्यय का मेसर्स लेना चाहिए जो नहीं लिया गया है। इस यह 1% धनराशि अपहरण की गई जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ श्री तेजभान सिंह से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -113.**

##### **ग्राम सभा भौसरिया कला सड़क से लउधर शुक्ला के घर तक स्टोन पटाई कार्य-**

1- इस कार्य की प्रा० लागत ₹0 601950.00 है जबकि हिन्दुस्तान पेपर के टेण्डर में 4.50 लाख प्रा० लागत प्रकाशित है। वास्तव व्यय 593200.00 है। टेण्डर से अधिक प्रा० व्यय का व्यय प्रपत्र फाइल में है। इसी प्रकार तीनों आवेदक नागेन्द्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह तथा अनुराग सिंह के आवेदन पत्र में टेण्डर जारी की तिथि 30-10-2014 लिखा है। जबकि यह प्रकाशन 15-10-14 का है 30-10-14 को खोलने (एवं जमा) करने की तिथि है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति द्वारा तीनों आवेदन पत्र एक ही राइटिंग में लिखी गई है। अनुराग सिंह के आवेदन पत्र पर नागेन्द्र प्रताप सिंह का भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार लिफाफे पर टेण्डर खोलते समय तीन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार यह टेण्डर निकालने के बाद वाली प्रक्रिया फर्जी है तथा एक ही व्यक्ति से तीनों का आवेदन तैयार करके फ्राँड किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर 593200-00 का अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2- उक्त कार्य पर एम आर 78700 पर एक ही व्यक्ति द्वारा राकेश, रमेश, सर्वेश कुमार तथा महेन्द्र कुमार लेबरों का हस्ताक्षर किया गया है। इसी प्रकार सर्वेश कुमार पुत्र सालिक राम ने 18 दिन बजाय 19) कार्य दिवस उपभोग दर्शाया गया है। इसकी कुल व्यय 78900.00 है। परन्तु योग 78700.00 लिखा है। 20 लेबर 393) कार्य दिवस उपभोग हुआ। इस प्रकार यह कार्य एम आर है। इस व्यय की पुष्टि कराये जाने की अपेक्षा की जाती है। छविनाथ यादव (बीटी) कार्य प्रभार, बी डी ओ श्री तेजभान सिंह तथा लेखाकार का उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -114**

##### **भौसरा नरोत्तम में दुःखी के घर से मकलू के घर तक डस्ट स्टोन पटाई का कार्य-**

(i) इस कार्य हेतु प्राप्त धनराशि ₹0 287625.00 है तथा कुल वास्तविक व्यय ₹0 282725.00 हुआ है। टेण्डर में प्रकाशित प्रा० व्यय ₹0 7.80 है। इस्टीमेट कापी पर बी डी ओ द्वारा शुद्ध एवं पठनीय हस्ताक्षर नहीं है। बी डी ओ का मुहर नहीं लगा है। टेण्डर के आवेदकों के आवेदन पर एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही हैण्ड राइटिंग में इस्टीमेट सहित लिखा गया है (मे० राजीव कु० सिंह, मे० अनुराग सिंह और मे० मनोज कु० सिंह)। मे० राजीव कु० सिंह का टेण्डर स्वीकार किया गया है जिसमें 400/एम<sup>3</sup> डस्टस्टोन का मूल्य पर आपूर्ति करने का दावा है। आपूर्ति इसी रेट पर है। परन्तु इसी वित्तीय वर्ष 2014 में यह 400/एम<sup>3</sup> की दर से राजीव कु० सिंह द्वारा विगत कार्य (मंजनपुर गुडगवाँ रामलीला मैदान से बिन्द बस्ती तक डस्ट स्टोन पटाई कार्य) पर आपूर्ति की गई है। इसी तीनों आवेदकों के लिफाफो पर टेण्डर खोलते समय तीन अधिकारियों/कर्मचारियों नाम हस्ताक्षर सहित होना चाहिए जो नहीं है। उपरोक्त समस्त आपतिजनक बिन्दुओं को आडिट दल द्वारा लाल पेन से घेरा एवं लिखा जा रहा है ताकि भविष्य में दुरुपयोग न हो सके।

(ii) उपरोक्त कार्य में बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है।

(स्थानीय अल्पकालिन निविदा सूचना)

(iii) टेण्डर से स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मेसर्स निविदा स्वीकार्य नहीं होगी परन्तु उपरोक्त वर्णित तीनों टेण्डर आवेदक मेसर्स ब्राण्ड का आवेदन पत्र पर आवेदन लिखा है जिससे टेण्डर के नियमों का उल्लंघन होता है।

(iv) मे० राजीव कुमार द्वारा कैशमेमो सं० 403 तथा 407 में क्रमशः 300एम<sup>3</sup> तथा 295.25एम<sup>3</sup> डस्ट स्टोन आपूर्ति की गई है। परन्तु उन बाऊचरों पर दिनांक नहीं लिखा गया है और नहीं कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने एवं हस्ताक्षर नहीं है। जब बाऊचरों पर दिनांक नहीं लिखा है टीडीएस एवं वैट की कटौती मेसर्स को रिटर्न नहीं मिल सकती है। ऐसे में उपरोक्त दोनों व्यय प्रमाणक फर्जी है। इस प्रकार उपरोक्त आपतियों के प्रकाश धनराशि ₹0 282725.00 के अपहरण की पुष्टि होती है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(v) समस्त नोटसीट पर ब्लाक प्रमुख से कार्य की अनुमति एवं मय भुगतान सहित अनुमति हेतु हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है जिससे समस्त धनराशियों के पुष्टि नहीं होती है। तत्कालिन बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, कार्यप्रभारी छविनाथ यादव (बीटी) तथा जेई /आरईएस नजीख खॉ है।

(vi) समस्त का व्यय 13 वाँ वित्त आयोग के ₹0 से कराये गये हैं जो नियमानुकूल नहीं है। यह वित्तीय दुरुपयोग की स्थिति आती है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या 115**

##### **ग्राम बादपुर धड़करा बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य-**

(i) इस कार्य इस्टीमेट 6.040 लाख फाइल में है, टेण्डर पेपर में 4.5 लाख प्रकाशित है (15-10-14)। सकल व्यय ₹0 567049.00 हुआ है। इस प्रकार प्रकाशित टेण्डर से अधिक व्यय करके टेण्डर द्वारा कार्य कराने के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसी प्रकार टेण्डर प्राप्तकर्ता मे० मनोज कु० सिंह तथा अन्य आवेदक के आवेदन पत्र पर एक ही व्यक्ति की हैण्डराइटिंग में लिखा है। टेण्डरों के लिफाफो पर तीन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद हस्ताक्षर सहित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है सभी कार्य एक ही व्यक्ति ने बनाया है। जो फर्जी है।

(ii) एम/एस मनोज कु० सिंह के तीन कैशमेमो में दो पर दिनांक अंकित नहीं है जिनकी मूल्य क्रमशः 212168.00 तथा 159951.00 है यहाँ 490/एम<sup>3</sup> डस्ट स्टोन का दाम स्वीकृति बी डी ओ द्वारा (2014 में) किया गया है जबकि बाद के समयों में 2015 में यह रेट 400/एम<sup>3</sup> पर



इसी मेसर्स द्वारा लिया गया है। इससे फर्जी टेण्डरिंग करके धनराशियों का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(iii) कार्यालय आदेश में एम-150 इन्टर लॉकिंग सीमेंट्स ब्रिक्स (80एमएम) 5760 नग आपूर्ति का आदेश है परन्तु आपूर्तिकर्ता मे० मनोज कु० सिंह द्वारा 7980 नग की आपूर्ति की गई है। दर 07/ हजार। इस प्रकार 2220 नग अधिक आपूर्ति का कीमत रु० 15540.00 हुआ जो अधिक भुगतान करके दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(v) अल्पकालिक निविदा सूचना में बी डी ओ द्वारा मेसर्स को निविदा को मनाही है परन्तु मनोज कु० सिंह मेसर्स हैं और अपने ब्रांड पेपर पर मे० मनोज कु० सिंह लिखा है। इस प्रकार टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vi) यह कार्य 13वें वित्त आयोग के धनराशि से करा करके दुरुपयोग हुआ है। इस प्रकार 567040-14540=552509.00 की अनियमित व्यय करके बी डी ओ श्री तेजभान सिंह अपने दायित्वों का सही निर्वाहन नहीं किया जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -116**

**ग्राम सभा बेदौली में रामजी यादव के घर से गुड्डनपुर तालाब तक भस्सी की पढ़ाई कार्य-** 1167एम<sup>3</sup> इस्टस्टोन (भस्सी) (उपयोग)

इस्टीमेटेड = 1200एम<sup>3</sup>/प्रा० लागत- 683000.00

जबकि टेण्डर में प्रा० लागत 11 लाख का प्रकाशन हुआ है।

(i) उक्त कार्य के लिए टेण्डर हिन्दुस्तान समाचार पत्र में 15-10-14 को 11 लाख का टेण्डर आमंत्रण है परन्तु वर्क फाइनल में 6.83 लाख का है। सकल व्यय रु० 679330.00 व्यय हुआ है। इस प्रकार प्रकाशित टेण्डर से हटकर के इस्टीमेट और व्यय करके फर्जीवाड़ा किया गया है।

(ii) उक्त कार्य के तीन आवेदकों मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह मे० अनुराग सिंह तथा मे० ब .पी. स्टोन के आवेदन की हैण्डराईटिंग एक ही है तथा उस पर 30- 10-14 को प्रकाशित टेण्डर का शब्द लिखा है जबकि 30-10-14 को जमा एवं खुलने की तिथि है। इस प्रकार फर्जी व्यय करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(iii) टेण्डर अल्पकालिक सूचना के बी डी ओ द्वारा लिया गया है कि मेसर्स के टेण्डर स्वीकार नहीं होगा परन्तु टेण्डर पाने वाला मेसर्स नागेन्द्र प्रताप सिंह माण्डा खास का है।

(iv) टेण्डर 30-10-14 को खोलते समय बी डी ओ ने स्वयं को, अवर अभियंता नजीब खाँ तथा एडीओ(आईएसबी)को कार्यालय आदेश नामित किया है पत्रांक 741/ 30-10-14 को परन्तु लिफाफो पर उक्त तीनों अधिकारियों के नाम, पद एवं हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर के नियमों के विपरीत फर्जी व्यय दर्शाकर सरकारी धनराशि को लुटा गया है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(v) एम/एस नागेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा 1167एम<sup>3</sup> इस्टस्टोन (भस्सी) आपूर्ति की गई है। जिसमें एक व्यय प्रमाणक (कैशमेमो/बिल) 677.4एम<sup>3</sup> दर 490/एम<sup>3</sup> से 351926-00 प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया है चेक सं० 087638 09-12-2014 को 330811/- (शेष टीडीएस +वैट =7038+14077 में गया है। भुगतान हुआ है। जबकि 677.4एम<sup>3</sup> दर 490/एम<sup>3</sup> के हिसाब 331926-00 ही होना चाहिए। इस प्रकार 20000-00 अधिक भुगतान हुआ है। इससे पुष्टि होता है कि फर्जी टेण्डरिंग दर्शाकर सरकारी धनराशि का अनियमित भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है इस व्यय प्रमाणक पर तिथि अंकित नहीं है। अधिक भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(vi) कार्यपूति प्रमाण पत्र ले०प० में अप्राप्त रहा। इससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि रु० 677330-00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बी डी ओ श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, अवर अभि० श्री नजीब खाँ तथा कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) से अपेक्षित है।

(vii) छविनाथ यादव द्वारा एम आर पर 437½ के बजाज 438½ कार्य दिवस लिखा है भुगतान 437½ का ही है। त्रुटि सुधाने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु लेवरो के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है इससे समस्त एम आर फर्जी साबित होता है। एम आर पर एम आर निर्गत पंजिका का क्रम सं० अंकित नहीं है। जारी करने वाले अधिकारी/कर्म० का हस्ताक्षर नहीं होने यह एम आर फर्जी पुष्टि होता है। जिसका भुगतान 87500.00 हुआ। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -117**

**बूढ़े नाम मंदिर परिसर में स्टोन इस्ट पटाई का कार्य-**

(i) इस कार्य पर प्रा० व्यय 364100-00 तथा इस्टस्टोन भस्सी से पटाई होनी है। जिसमें 1890एम<sup>3</sup> उपयोग का मिट्टी का इस्टीमेट है दर 190/एम<sup>3</sup> से कार्य मिट्टी पटाई हुआ है। 1890एम<sup>3</sup> मिट्टी मंगवाने के लिए रायल्टी जमा नहीं की गई है जिसके लिए वर्ष 2014-15 के दर से खन्न विभाग में जमा करके रसीद होनी चाहिए परन्तु ले०प० में अप्राप्त रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(ii) सभी आवेदकों (मनोज कुमार सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा अनुराग सिंह के) के आवेदन पत्र, लिफाफो आदि पर एक ही व्यक्ति की हैण्डराईटिंग में लिखा होने से फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है। मे० मनोज कुमार सिंह को निविदा स्वीकार की गई है परन्तु लेखा परीक्षा के उनके फर्म का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा और न ही भुगतान हुआ है। परन्तु कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) द्वारा 337554-00 का एम आर प्रस्तुत करके चेक सं० 087666 से दिनांक 12-02-15 को प्राप्त किया है। 71 लेबर 1712 मानक दिवस पर 337554-00 का भुगतान हुआ है। एम आर फर्जी है क्योंकि जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा बी डी ओ जितेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा 364100-00 का मिट्टी का रेट लिखा है (जो 1890एम<sup>3</sup> दर 190/एम<sup>3</sup> के हिसाब) और एम आर से समस्त भुगतान हुआ है तो फिर मिट्टी गिराने का फर्म का बाऊचर होना चाहिए जो

नहीं है। 90एम x 12 x 5.5+3.50/2=2160-270-1890 एम<sup>3</sup> का इतना एम आर नहीं हो सकता है। इस प्रकार समस्त धनराशि एम आर पर दर्शाया गया है जबकि एस्टिमेट में लेबर व्यय नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार यह फर्जी व्यय है और समस्त धनराशि का अपहरण हुआ है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

एम आर पर एम आर निर्गत पंजिका का क्रमांक तथा निर्गत करने वाले कर्मचारी तथा काउंटर साइन बी डी ओ का नहीं होने से एम आर की वैधता की पुष्टि नहीं होती है। एम आर पर पेड एण्ड केन्सेल्ड के नीचे बी डी ओ का हस्ताक्षर नहीं है।

विकास खण्ड में एम आर पंजिका नहीं बनाने से भी एम आर के वैधता की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार फर्जी एम आर प्रस्तुत करके समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी नजीब खाँ, कार्य प्रभारी श्री छविनाथ सिंह (बीटी) एवं आर्किंक की उत्तरदायी है। विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -118**

**भौसरा नरोत्तम पंचायत भवन से नदी तक इस्ट स्टोन कार्य:-** (राज्यवित्त से) सं० 1000एम: आयतन = 1190एम<sup>3</sup>

(i) इस कार्य हेतु दिनांक 15-10-14 को आमंत्रित टेण्डर में आवेदको को (मे० मनोज कुमार सिंह, मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह तथा मे० ब .पी.S. स्टोन) के आवेदन पत्र पर एक ही व्यक्ति की हैण्ड राइटिंग में दिनांक 30-10-2014 के विज्ञापन प्रकाशन की बात लिखी गई है जबकि टेण्डर से स्पष्ट तौर पर 15-10-14 प्रकाशन की तिथि लिखी गई है और 30-10-2014 को खोलने की तिथि लिखी गई है। इस प्रकार यहाँ पुष्टि होती है कि फर्जी आवेदन बनाकर मे० मनोज कुमार सिंह (चकडीहो) को आवेदन स्वीकृति की गई है।

(ii) तीनों आवेदकों के लिफाफो पर 30-10-2014 के खुलने की तिथि को बी डी ओ माण्डा (अहमद), जेई आर ई डी सदस्य श्री नजीब खाँ तथा एडीओएसबी (सदस्य) का स्पष्ट हस्ताक्षर एवं नाम, पदनाम लिखा नहीं है। जबकि बी डी ओ द्वारा स्वयं यह समिति दिनांक 30-10-2014 को गठित की गई है। पत्रांक 28/आंकिक/2014-15/30-10-14 से)

(iii) दिनांक 5-11-2014 के 211680/- के बाऊचर पर 2% आईटी तथा 4% वैट के बाद 198920/- के बजाय 198980/- भुगतान हुआ चेक सं० 055355 से/ 02-11-2014/इस प्रकार यहाँ 60/- अधिक भुगतान हुआ है इसी प्रकार सामान की रिसीविंग कार्य प्रभारी दुबारा 05-11-14 को किया गया है और उसी दिन का बाऊचर है तब भी तीन दिन पूर्व 198980/- का भुगतान करके यह पुष्टि करता है कि यह फर्जी तरीके से सामान की आमदगी दिखायी गई और कार्यस्थल पर सामग्री पहुँचने से पूर्व भुगतान करके धोखाधड़ी करके सरकारी धनराशि की क्षति की गई है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(iv) दिनांक 27-12-14 को एम आर 89250/- को चेक सं० 087647 से भुगतान हुआ है। इसमें 17 लेबर तथा 446% कार्य दिवस दर्शा रहा है। जबकि जोड़ने पर 450½ कार्य दिवस होता है। इसी प्रकार कुल धनराशि जोड़ने पर 90100/- होता है। परन्तु एम आर 89300/- में 50 की कटौती करके 89250/- लिखा है। इसी प्रकार एम आर 1 नवम्बर 2014 से 01 दिसम्बर 2014 तक का है। जबकि एम/एस मनोज कुमार सिंह चकडीहा द्वारा 25-12-2014 को 758एम<sup>3</sup> दी 490 के हिसाब से इस्टस्टोन 371420/- का पहुँचाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कार्य एक दिस० 2014 को बन्द हो गया। और 27-12-14 को भुगतान हो गया जबकि सामग्री 25 दिस० 2014 को पहुँचायी गई है और उसका भी भुगतान 27-12-14 को ही हुआ। उससे स्पष्ट होता है कि यह एम आर फर्जी है। और सामग्री का भुगतान भी फर्जी तरीके से करके 89250+371420 की धनराशि का चूना लगाया गया है। इसके लिए बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जेई आर ई डी नजीब खाँ, तथा कार्यप्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) उत्तरदायी है।

(v) निविदा मे स्पष्ट लिखा है कि मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी परन्तु फिर भी मेसर्स की निविदा स्वीकार की गई है।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि कुल भुगतान 672350/- फर्जी तरीके से करके सरकारी धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -119**

**ग्राम पंचा० को सड़ाकला में काली सड़क से दिलीप सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य:-** (राज्यवित्त)

दिनांक 15-10-14 को प्रकाशित टेण्डर में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी परन्तु मेसर्स राजीव कुमार सिंह (राजापुर, भारतगंज, माण्डा, इला०) को मिल गई।

निविदा आवेदको में मे० राजीव कुमार सिंह तथा मे० मनोज कुमार सिंह दोनों निविदा पर कोई दिनांक अंकित नहीं। बी डी ओ द्वारा स्वीकृतियों अस्वीकृति स्थिति में हस्ताक्षर के नीचे तिथि नहीं लिखी गई है।

मे० राजीव कुमार सिंह की स्वीकृति निविदा के जी०पी०डब्ल्यू प्रपत्र-8 को पूर्ण रूपेण भरा नहीं गया है तथा बी डी ओ द्वारा हस्ताक्षर करके तिथि अंकित नहीं की गई है।

यहाँ पर बी डी ओ द्वारा 30-10-14 को स्वयं गठित तीन सदस्यी समिति द्वारा लिफाफो पर खोलने के उपरान्त हस्ताक्षर एवं पदनाम नहीं लिखा है इस प्रकार समिति के तीनों सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है और न पदनाम है और न ही नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी तरीके से निविदा अपने चहेतो को दी गई है।

मे० राजीव कुमार सिंह 404 नं० बाऊचर मूल्य 144317-90 तथा बाऊचर नं० 411 मूल्य 53433/- के बाऊचरों पर दिनांक नहीं अंकित है इससे पुष्टि नहीं हो सकी किन तिथियों में सामग्री कार्यस्थल पर पहुँचायी गई।

कार्य प्रभारी द्वारा नियमतः बाऊचर पर सामग्री प्राप्ति लिखाकर हस्ताक्षर किया जाता है जो नहीं है।

कार्यपूर्ति प्रमाणक ले०प० में अप्राप्त होने से कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है।

एम आर पर रामलाल तथा कोतवाल का हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है तथा दूसरे एम आर पर रामलाल, संगमलाल तथा कल्लू के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है।

एम आर पर एम आर जारी करने की तिथि तथा पंजिका निर्गत क्रमांक नहीं होने से यह एम आर फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है। इस प्रकार 144317-00 चेक न० 087661/14-2-15, 53433-00 चेक नंबर 055378/12-2-15 तथा एम आर 25248/- चेक नंबर 055379/15-2-15 तथा एम आर 136678 चेक नंबर 087669 दिनांक 18-3-15 का भुगतान अनियमित भुगतान है इस अनियमितता के लिये बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जेई आर ई डी नजीब खां तथा कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) उत्तरदायी है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -120**

##### **माण्डा में शंकरलाल के घर से गेरू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य:-**

इस कार्य पर इस्टीमेट के किसी प्रति पर बी डी ओ के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर नहीं है। इसी प्रकार जेई आर ई डी नजीब खाँ के स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं है। दोनों स्थितियों में आडिट दल द्वारा गोल कर दिया गया है।

निविदा आवेदको के आवेदन पर 30-10-14 को पेपर में प्रकाशन की बात लिखी गई है। जबकि पेपर कटिंग में 15-10-14 को प्रकाशन स्पष्ट है। तीनों आवेदक मे० मनोज कुमार सिंह, मे० अनुराग सिंह तथा मनोज कुमार सिंह (चकडीहा) कोसडा कला भेजा। सभी के जी०पी०डब्ल्यू प्रपत्र 8 पर पूर्ण रूपेण भरा नहीं गया है। तिथियाँ अंकित नहीं है।

मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जैसा पेपर कटिंग में स्पष्ट लिखा है परन्तु मेसर्स मनोज कुमार सिंह का ही निविदा स्वीकार करके नियम का उल्लंघन हुआ है।

गारण्टी तौर एनएससी /एफडीआर श्री मनोज कुमार सिंह का नहीं रखा गया है। इससे निविदा नियमों का उल्लंघन हुआ।

कार्य पूर्ति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

तीन सदस्यी समिति बी डी ओ , जेई आर ई डी तथा ए डी ओ (आई एस बी )को टेण्डर खोलते समय लिफाफे पर स्पष्ट नाम, पदनाम व हस्ताक्षर करने होते हैं जो नहीं किया गया है।

मे० मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत बाऊचर सं० 870 पर 871 पर दिनांक अंकित नहीं है जिनका मूल्य क्रमशः 313482/- तथा 123529/- है इससे व्यय-प्रमाणक संदिग्ध प्रतीत होता है। चूंकि नवम्बर 2014 में एम आर है परन्तु सामग्री कब पहुँचा स्पष्ट नहीं है।

नोट सीट में भी नहीं लिखा है कि सामग्री की आपूर्ति कब की गई। बी डी ओ द्वारा पेड एवं कैसिल करते समय भी दिनांक अंकित नहीं किया गया है और बाऊचर पर तिथि अंकित नहीं उसका ध्यान नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल पर सामग्री की आपूर्ति न करके उसका योग की शंका है। स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -121**

##### **ग्राम बदौली नहर से रूपपट्टी कोलान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग डस्ट स्टोन कार्य:-**

इस कार्य हेतु 6.77 लाख का प्रा० व्यय है। 1187.50एम<sup>3</sup> डस्टस्टोन का सामग्री प्राक्कलित है। मार्ग की लम्बाई 500एम है। इस कार्य हेतु दिनांक 15-10-2014 को टेण्डर आमंत्रित है परन्तु निविदा आवेदको ने अपने आवेदन में 30-10-14 लिखा है कि दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित 30-10-14 के टेण्डर। इसी प्रकार दोनों आवेदको बीपी स्टोन तथा मे० मनोज कुमार सिंह के आवेदन एक ही व्यक्ति के हैंड राइटिंग में लिखा गया है। हस्ताक्षर (आवेदको के) एक ही व्यक्ति द्वारा बीपी स्टोन तथा मनोज कुमार सिंह का किया गया है। मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह को निविदा स्वीकृति की गई है परन्तु उनके निविदा में भी 30-10-14 को प्रकाशित निविदा की बात लिखी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया का गंभीरता से पालन नहीं किया गया है।

तीनों आवेदको के लिफाफो पर कार्य का नाम नहीं लिखा है तथा बी डी ओ श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा गठित तिस सदस्यीय समिति (बी डी ओ , जेई आर ई डी नजीब खाँ तथा एडीओ(एफएसबी) का लिफाफो के उपर निविदा खोलते समय हस्ताक्षर पदनाम नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया गया है। (इस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह ही थे।) नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

निविदा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी परन्तु तीनों आवेदक तथा स्वीकृति निविदा सभी मेसर्स है। इससे स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया का सही से अनुपालन नहीं की गई है।

निविदा मेसर्स नागेन्द्र प्रताप सिंह से का एनएससी /एफडीआर की छायाप्रति नहीं की गई है और न ही ग्रांट पंजिका ।। में धनराशि का विवरण है जिसे छः माह के बाद वापस किया जाता है।

सामग्रियों के भुगतान के सम्बंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदको पर जे ई/ आरईडी द्वारा भुगतान की संस्तुति नहीं की गई है जिस पर एमबी के पेजिंग का विवरण रहता है। बी डी ओ द्वारा मनमाना रु० 188160-00 चेक न० 087635/10-11-14, रु 2234790/- चेक नंबर 087640/9-12-14 तथा रु० 171023-00 चेक नंबर 087644/17-12-14 को भुगतान किया गया। जिसमें बाऊचर सं० 869 एम/एस नागेन्द्र प्रताप सिंह (माण्डा खास इला०) का बाऊचर पर दिनांक अंकित नहीं है। जिसका भुगतान 09-12-14 को हुआ है। इस बाऊचर

से 456.08एम<sup>3</sup> दर 490/एम<sup>3</sup> इस्टिमेट की आपूर्ति की गई है। दिनांक अंकित नहीं होने से इसकी आपूर्ति संदिग्ध प्रतीत होती है। स्थिति स्पष्ट होने की अपेक्षा की जाती है।

कार्यप्रभारी छविनाथ यादव (बीटी) द्वारा प्रस्तुत रु० 63600/- तथा रु० 25059/- के एम आर पर एम आर पंजिका सं निर्गत की तिथि तथा बी डी ओ द्वारा सौंताय आर सिजी न नहीं है। एम आर निर्गत पंजिका विकासखण्ड में नहीं बनायी गई इससे एम आर के फर्जी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2014-15 के किसी भी वर्क के फाइल में था व नोटसीट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट होता है उक्त कार्यों के पूर्णता के प्रति ब्लाक प्रमुख की उदासीनता झलकती है।

कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र बी डी ओ द्वारा नहीं दिये जाने से कार्य होने पुष्टि नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल नाममात्र का टेण्डर जारी करने और बार-बार अपने तीनों से चहेतो का निविदा प्रार्थनापत्र लेकर उसमें बारी-बारी से एक को निविदा स्वीकृति करके वर्ष 2014-15 में कार्य कराने के नाम सरकारी धनराशि का अनियमित व्यय करके सरकारी राजकोष को क्षति पहुँचाई गई है। उक्त के हेतु बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जेई आर ई डी नजीब खाँ, कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह बनवाये परन्तु कार्य व भुगतान श्री तेजभान सिंह के समय हुआ है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## **प्रस्तर संख्या -122**

### **ग्राम बादपुर गोसाईपुर से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य:-**

(i) उक्त कार्य का टेण्डर आमंत्रण दिनांक 15-10-14 को पेपर में हुआ है परन्तु मे० मनोज कु० सिंह, बीपी स्टोन और अनुराग कंसट्रक्शन के आवेदन में यह तिथि 30-10-14 अंकित है। इसी प्रकार पहले के दो आवेदकों के आवेदन पत्र एक ही व्यक्ति की हैण्डराइटिंग में है। आवेदकों के लिफाफो पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति (बी डी ओ श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, जेई आर ई डी नजीब खाँ सदस्य तथा ए डी ओ (एफ एस बी) सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम पद सहित अंकित नहीं है। लिफाफो के ऊपर कार्य का नाम भी अंकित नहीं है। आवेदकों के एनएससी /एफडीआर की छायाप्रति नहीं है। एनएससी /एफडीआर को ग्रांट रजि० में दर्ज करके पुनः छः माह के बाद वापस किया जाता है जो कि ग्रांट रजि० में दर्ज नहीं किया गया है।

(ii) आवेदक के भुगतान के आवेदन पत्र पर जे ई/ आरईडी द्वारा भुगतान की संस्तुति (मय एमबी पेज सहित) नहीं की गई है।

(iii) मे० अनुराग कंसट्रक्शन के बाऊचर सं० 115/रु०145516/- तथा बाऊचर सं० 114/रु०167525 पर दिनांक अंकित नहीं है इससे सामग्री की आपूर्ति कार्य के पहले या बाद में हुई स्पष्ट नहीं हो सकी। स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।

(iv) एक एम आर जो 15-12-14 से 31-12-14 तक कार्य दर्ज है। का योग रु० 24300/- अंकित है और भुगतान 24295/- हुआ है चेक सं० 087650/ दिनांक 16-1-15 को। परन्तु 9 लेबरो के 132 कार्यदिवस (दो मिस्त्री 30 कार्य दिवस दर 400/- कार्य दिवस तथा 7 लेबर दर 200/-कार्यदिवस से 102 कार्य दिवस का  $30 \times 400 + 102 \times 200 = 32400$ ) रु० 32400-00 हो रहा है। इस प्रकार यह एम आर पेड एवं कैसिल रु० 28785/- (दो भाग लगा हुआ है जबकि जोड़ने पर 32400/- हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी एम आर प्रस्तुत करके करने से पूरे कार्य की संदिग्धता होती है।

(v) दोनो एम आर 24295-00 तथा 28785/- के निर्गत पंजिका एवं बाऊचर साइन ले०प० अप्राप्त रहने से एम आर फर्जी साबित होते हैं।

(v) बी डी ओ द्वारा प्रमाण पत्र न देने से उक्त कार्य से होने की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) टेण्डर में मेसर्स को निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी परन्तु मेसर्स अनुराग कंसट्रक्शन की निविदा स्वीकार करके निविदा नियमावली का उल्लंघन हुआ है। इससे इस कार्य पर भुगतान समस्त धनराशि रु० 506883/- को अनियमित व्यय करके सरकारी धनराशि की क्षति पहुँचाई गई है इसके लिये बी डी ओ श्री छविनाथ यादव (बीटी) उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(vii) पूरे कार्य में ब्लाक प्रमुख की सहमति नहीं की गई है फाइल में कही पर भी ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है इसे ब्लाक प्रमुख का कार्य के प्रति एवं क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीनता झलकती है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के मौलिकता का उल्लंघन है।

## **प्रस्तर संख्या -123**

### **बामपुर में देवबन्द तिवारी के घर से लल्लन तिवारी के डेरा तक नाली निर्माण कार्य- (250एम x .23एम x .30एम)**

इस कार्य के लिये वित्तीय स्रोत राज्य वित्त आयोग से किया गया है जबकि नाली, पानी, प्रकाश आदि के विकास के लिए 13वाँ वित्त के धन का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है।

पेपर में टेण्डर 5 लाख का है परन्तु वर्क फाइल में रु० 248460/-का है। इसी प्रकार तीनों आवेदकों मे० राजीव कुमार सिंह, मे० वी०पी० स्टोन तथा मे० अनुराग सिंह के आवेदक लिफाफो पर खोलते समय बी डी ओ द्वारा गठित तीन सदस्यों समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का पदनाम हस्ताक्षर नहीं है। केवल बी डी ओ का है। इसी प्रकार कार्य का नाम लिफाफे पर होना चाहिए जो नहीं है। इसी प्रकार जी०पी०डब्ल्यू-8 के प्रपत्र के पूरे कालमों को नहीं भरा गया है। उक्त आपत्तियों के स्थानों को लेखा परीक्षक दल लाल कलम से गोला या घेरा बनाया गया है ताकि भविष्य में दुरुपयोग न हो सके।

विकास खण्ड के अल्पकालिक स्थानीय निविदा सूचना में स्पष्ट तौर पर बी डी ओ द्वारा लिखा गया है कि मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी लेकिन तीनों आवेदकों में स्वीकृति मे० राजीव कुमार सिंह मेसर्स है। इसी प्रकार धरोहर राशि एनएससी या एफडीआर नहीं ली

गई है। क्योंकि उसकी छायाप्रति या बी डी ओ के नाम से बंधको का ग्रांट रजि० ॥ में या कही उल्लेख नहीं है। इससे उक्त आपतियों से स्पष्ट होता है कि टेण्डर के नियमों का खुल्लेआम धज्जियाँ उड़ाकर सरकारी धनराशि का मनमाना व्यय किया गया है।

जेई आर ई डी का भुगतान आवेदन या कही पर भुगतान की संस्तुति (मय एमबी सहित) नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त भुगतान मनमाना किया गया है जिसे लाल पेन से घेरा गया है।

एम आर के दिनांक 01 जनवरी से 13 जनवरी 2015 तक 11394/- का तथा दूसरा एम आर रु0 27425-00 01 जनवरी 2015 से 13 जनवरी 2015 तक का है। जबकि सामग्री की आपूर्ति 2 फरवरी 2015 तथा 10 फरवरी 2015 को की गई है। क्योंकि मे० राजीव कुमार सिंह के व्यय प्रमाणको पर यही तिथियाँ अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी धनराशियों का फर्जी तरीके व्यय दर्शाकर लूट मचाया गया है।

| तिथि     | वाद नं० | धनराशि   | भुगतान          |
|----------|---------|----------|-----------------|
| 10-02-15 | 408     | 67322/-  | 055376/12-02-15 |
| 02-02-15 | 402     | 112972/- | 087658/04-02-15 |

उक्त 27245-00 का एम आर 01-13 जनवरी 2015 तक का है। जिसमें 4  
मिस्ती है-45 कार्य दिवस पर रु0 325 की दर से = 14625/-  
शेष 11 लेबर-130 कार्य दिवस पर रु0 200 की दर से = 26000/-

-----  
40625/-

(i) परन्तु एम आर पर योग 27425/- योग करे 27398/- को चेक सं० 087659/4-2-15 को भुगतान किया गया है जो फर्जी व्यय प्रमाणक (एम आर ) को दर्शाता है।

(ii) इसमें मिस्त्री और लेबर एक जनवरी से 13 जनवरी 2015 तक कार्य कर रहे हैं और सामग्री को आपूर्ति (नाली निर्माण के लिये) फरवरी 2015 (उक्त लिखा है) में की गई है इससे स्पष्ट होता है कि सामग्री आपूर्ति के पहले नाली बन गई। जो असंभव है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जीवाड़ा करके समस्त धनराशि रु0 219086/- की लुटा गया है। इसके लिये बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा कार्यप्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) उत्तरदायी हैं। (कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(iii) बी डी ओ द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण न दिया जाना उक्त समस्त धनराशियों के अपहरण की पुष्टि होती है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर संख्या -124**

##### **विकास खण्ड माण्डा परिसर में मीटिंग हाल का निर्माण:-**

बी डी ओ द्वारा स्थानीय अल्पकालिक निविदा सूचना में 20-10-14 को टेण्डर प्रकाशन की तिथि लिखी गई है (पत्रांक 696अ /20-10-2014 में) परन्तु समाचार पत्र में 15-10-14 लिखा है। जिसमें 30-10-14 को टेण्डर खोलने की तिथि अंकित है।

इसी प्रकार पेपर कटिंग में अनुमानित लागत 17 लाख लिखा है जबकि कार्यालय आदेश (फाइल में) यह अनुमानित लागत 21.87 लाख लिखा है।

टेण्डर मेसर्स की स्वीकार नहीं की जायेगी जबकि स्वीकृत टेण्डर अनुराग सिंह मेसर्स है। दो अन्य नाम मे० मनोज कुमार सिंह और मेसर्स अशोक कुमार आवेदक है। पेपर केटिंग के शर्त नम्बर पर लिखा है कि टेण्डर स्वीकृति की स्थिति में एनएससी /एफडीआर बी डी ओ माण्डा के पक्ष में बंधक होगी परन्तु उक्त कार्य के सन्दर्भ में कोई एनएससी /एफडीआर की छायाप्रति या ग्रांट रजि० में प्रविष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अपने टेण्डर के उक्त दोनों नियमों का उल्लंघन बी डी ओ द्वारा किया गया है।

आवेदको के आवेदन पत्र में दिनांक 30-10-2014 के निविदा प्रकाशन की तिथि लिखी गई है जबकि निविदा की उक्त दो तिथियाँ हैं। बी डी ओ के कार्यालय अल्पकालिक निविदा में 20-10-2014 तथा पेपर कटिंग में 15-10-2014 लिखा है।

आवेदको के जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है।

जे ई/ आरईडी नजीब खाँ द्वारा एस्टिमेट वर्क फाइल में नहीं लगाया गया है फॉर्म -27-सी रिसीविंग अकाउंट बिल पर एस्टिमेट पठनीय नहीं है। और इस प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया है।

इस कार्यपर कुल 2157280/- का भुगतान हुआ है। फॉर्म -27स पर बिल बनाने वाले जेई आर ई डी नजीब खाँ का हस्ताक्षर पठनीय नहीं है तथा बी डी ओ का हस्ताक्षर नहीं है। जो है वह अपठनीय है। इस बिल में 350000/- का व्यय प्रमाणक का भुगतान दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में यह प्रमाणक अप्राप्त रहने से सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध है।

लेखा परीक्षा में प्राप्त व्यय प्रमाणको का विवरण-

| दिनांक |  | बाऊचर | मे० अनुराग क्र० | कटौती के बाद भुगतान |
|--------|--|-------|-----------------|---------------------|
|--------|--|-------|-----------------|---------------------|

|                |           |     |                 |                 |
|----------------|-----------|-----|-----------------|-----------------|
|                |           | सं० |                 |                 |
| अंकित नहीं है। | 700572-00 | 112 | मे० अनुराग क्र० | 055356/03-12-14 |
| अंकित नहीं है। | 700572-00 | 113 | मे० अनुराग क्र० | 055364/17-12-14 |
| योग            | 972797-00 |     |                 |                 |

अप्राप्त व्यय प्रमाणको का विवरण:-

कटौती के बाद भुगतान

2% आईटी +4% वैट

350000-00 चेक सं० 055370/17-01-2015 329000-00  
 127881-00 चेक न० 055372/04-02-2015 120202-00  
 536021-00 चेक न० 055383/18-3-2015 503860-00  
 170581-00 चेक न० 087677/15-4-2015 160347-00  
 1184483-00

कुल योग = 2157280-00

फॉर्म 27सी में स्पष्ट लिखा है कि फाइनल पेमेंट मस्ट बी इनवारियाबल बी मैड ऑन फॉर्म प्रिंटेड ऑन येलो पेपर विच शुड नॉट बी यूज्ड इन्टरमीडीएट पेमेंट इससे स्पष्ट होता है कि येलो व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए जिसे जेई / आर ई डी नजीब खाँ द्वारा नहीं बनाने से अप्राप्त रहा। इस प्रकार 1184483/- का व्यय प्रमाणक की पुष्टि हेतु एम.बी पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।

जेई आर ई डी द्वारा एक इस्टीमेट बनाकर वर्क फाइल में लगाना चाहिए जिससे स्पष्ट हो सके कि कार्य की माप क्या है और कितनी सामग्री उपभोग होगी।

मीटिंग हाल को देखने से ज्ञात होता है कि अधिकतम 10 लाख में बन जाना चाहिए। इसके लिए साढ़े ग्यारह लाख अधिक व्यय किया गया है।

क्षेत्र पंचा० में केवल सामग्री का ठेका दिया जाता है, लेबर ठेका नहीं दिया जाता है। परन्तु यहाँ समस्त ठेका देकर पंचायत नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

एम/एस अनुराग कंस्ट्रक्सन का है सियत प्रमाण पत्र नहीं लगा है जिसे अनिवार्यतः लगाया जाता है। वाउचरों 112 तथा 113 पर दिनांक अंकित नहीं है। जिसे लेखा परीक्षा दल गोल कर दिया गया है जिससे कम प्रमाणिकता में एक कड़ी कम कर देता है।

बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने से बी डी ओ की अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही दर्शाता है क्योंकि उक्त मीटिंग हाल पर 2014-15 में अधिक व्यय करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए रु० 1184483/- की ब्याज सहित वसूली बी डी ओ श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह जे ई/ आरईडी नजीब खाँ, कार्य प्रभारी माया शंकर पाण्डे (कनिष्ठ लिपिक) एवं आंकिक एम० सिद्धकी से अपेक्षित है।

पूरे वर्ष 2014-15 के कार्यों में ब्लाक प्रमुख को भूमिका नहीं है। किसी जगह पर हस्ताक्षर नहीं है। कारण स्पष्ट करें।

विकास खण्ड के निजी हित में इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने के लिये उच्च अधिकारियों से अनुमति नहीं की गई है।

## **वित्तीय वर्ष 2015-16**

### **प्रस्तर संख्या -125**

#### **वादपुर मेन काली सड़क से एस०के०सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य-**

60 एम x 2.5एम = 150एम<sup>2</sup>

इस कार्य के लिए निविदा केवल सामग्री का ही स्थानीय अल्पकालिक निविदा सूचना में जिक्र है जिसका प्रकाशन 12-7-15 को खुलने की तिथि 20-7-2015 को है परन्तु बी डी ओ द्वारा सामग्री के साथ-साथ लेकर कार्य भी मे० राजीव कुमार सिंह से कराया गया है। इस बी डी ओ द्वारा निविदा प्रक्रिया का स्वयं उल्लंघन हुआ है।

नोटसीट पर रु० 40860/- एम आर का भुगतान चेक सं० 670820 से 14-10-2015 को की गई है। परन्तु ले०प० में 40860/- का एम आर अप्राप्त रहा। जब पूरा कार्य ठेका पर कराया गया है तो लि आफल क्वालिटी के अनुसार भुगतान होना होगा।

लेखा परीक्षा में सामग्री 165057/- का बिल येलो पेपर पर ही भुगतान अपेक्षित है परन्तु इस नियम का पालन न करके सामग्री पर उक्त भुगतान कर दिया गया इसकी पुष्टि हेतु सामग्री का व्यय प्रमाणक नहीं लगाया गया है।

कुल रु० 205917/- भुगतान से पूर्व ठेकेदार से न तो एनएससी /एफडीआर की गई है और न तो ठेकेदार की हैसियत प्रमाण पत्र लिया गया है और न ही ठेकेदार का रजि० प्रमाण पत्र लिया गया है। बी डी ओ तेजभान सिंह ने मनमानी नियमों को ताख पर रखकर सरकारी धनराशि का क्षति पहुँचाई है चूंकि इस्टीमेट नाम तेजभान सिंह परन्तु कार्य एवं भुगतान के समय श्री विजय कुमार पाण्डेय बी डी ओ रहे।

कार्य की माप इस्टीमेट जो जेई आर ई डी नजीब खाँ द्वारा बनायी गई है ये मार्ग का माप 60 x 2.5एम 150एम<sup>2</sup> जिसमें 35/एम<sup>2</sup> की ईट के हिसाब से 5250 नग ईट फिर लगना चाहिए जिसकी कीमत 23 रुपया /ईट के दर से 120750 हुआ तथा 73 रुपया /स्कुअर फुट एमलगवाई की दर से 10950/- लेकर पर व्यय होना अपेक्षित है। जो कुल 131700/- व्यय होना चाहिए परन्तु 137136-00 भुगतान किया गया है। बिल भुगतान हो सकता हो ठीक हो परन्तु उसके सापेक्ष पीला रंग के पेपर के सापेक्ष भुगतान करना चाहिए जो नहीं किया गया है।

टेण्डर में 12-7-15 को प्रकाश में अनुमानित लागत 5 लाख है। परन्तु फाईल में अनुमानित लागत 216500/- दर्शित है। अन्तर के कारणों की अपेक्षा है अन्यथा यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन करके वित्तीय अनियमितता की गई जिसकी उत्तरदायी बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय होंगे।

भुगतान का विवरण कटौती के बाद (2% आईटी + 4% वैट )  
सामग्री 165057/- 155154 चेक नं० 670815/26-08-15 मदूरी (एम आर ) 40860/- 40860 चेक नं० 670820/14-10-15

एस्टीमेट में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह का नाम है तथा कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है | (2015-16)

#### **प्रस्तर संख्या 126 -**

**विकास खण्ड माण्डा के बाउण्ड्री वाल की रंगाई पोताई एवं आर ओ वाटर कूलर की आपूर्ति कार्य:- (131एचF.कॉमन ) कुल व्यय = 103611/-**

- (i) इस कार्य का टेण्डर का विज्ञापन समाचार पत्र में एड नहीं करवाया गया है। दिनांक 18-3-2015 के बी डी ओ माण्डा विकास खण्ड के विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 25-3-15 को सांय 2.00 पी०एम० पर टेण्डर खोला जायेगा परन्तु नीचे शर्त में स्पष्ट लिखा है कि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 दिवस होगी। इस प्रकार यह अंतिम तिथि 25-3-2018 नहीं हो सकती और बी डी ओ द्वारा अपने शर्तों का स्वयं उल्लंघन करके 25-3-15 को निविदा खोला है।
- (ii) इस तिथि को विज्ञप्ति में विकास खण्ड माण्डा में विकास खण्ड कार्यालय बिल्डिंग सम्बंधित चार कार्य स्पष्ट लिखे गये हैं परन्तु उक्त नहीं लिखा गया है। यहाँ भी बी डी ओ द्वारा अपने विज्ञापन से हटकरके कार्य कराया है।
- (iii) कार्य योजना में उक्त कार्य का विवरण नहीं है। इस प्रकार बी डी ओ द्वारा मनमाने ढंग से कार्य कराया है।
- (iv) विज्ञापन में आवेदको के आवेदन पत्र एक व्यक्ति की हैडराइटिंग में लिखी गई है और हस्ताक्षर है। इससे फर्जी टेण्डर हेतु आवेदन की पुष्टि होती है और अपने चहेते मेसर्स मनोज कुमार सिंह को टेण्डर से स्वीकार की गई है। शेष दो आवेदक मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह और मे० राजीव कुमार सिंह हैं।

विकास खण्ड के ठेके में केवल सामग्री की निविदा होती है परन्तु यहाँ बी डी ओ द्वारा पूरा ठेके (श्रमिक भुगतान सहित) मे० मनोज कुमार सिंह को दिया है।

मेसर्स मनोज कुमार सिंह द्वारा एनएससी /एफडीआर जमानत के तौर नहीं ली गई है। इसकी गारंटी रजि० से नहीं हो सकी।

उक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यय प्रमाणक रनिंग अकाउंट बिल के सपोर्ट में पीले रंग का पक्का व्यय प्रमाणक नहीं लगाया है (जो ठेकेदारी व्यवस्था में अनिवार्य है भुगतान हेतु) इसे उसके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की पुष्टि नहीं होती है।

आर ओ मशीन मय सिस्टम लगाने पर 54399/- पर वैट 6299.00 तथा आईटी 815.00 का भुगतान अलग से की गई है जबकि मूल्य में ही समाहित है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि बी डी ओ श्री विजय कु० पाण्डेय जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा आंकिक एम० सिद्दकी ने मानमाने ढंग से निविदा के नियमों के विपरीत अनियमित ढंग से सरकारी धनराशि रु०103611/- को व्यय करके राजकीय धनराशि को क्षति पहुँचाई गई है जिसके लिए विधिक कार्यवाही क्यों नहीं की जाय। स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है।

बी डी ओ तेजभान सिंह का हस्ताक्षर कई जगहों पर स्पष्ट नहीं है और वित्तीय कार्यों में वहाँ हस्ताक्षर होना चाहिए जो चेक या बैंक में किया गया हो परन्तु बी डी ओ द्वारा मनमाने ढंग से अनमने हस्ताक्षर करके फर्जी कार्य किया गया है तेजभान सिंह एस्टीमेट के समय बी डी ओ थे और विजय कुमार पाण्डेय कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ थे। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

#### **प्रस्तर संख्या- 127-**

**ग्राम सभा कोसड़ा कला मन्ने सिंह के घर से सेहत सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य:-**

- (i) इस कार्य का विज्ञापन निविदा हेतु 24-6-15 को निकाला गया है तथा 12-7-15 को खोला गया है। यहाँ पर निविदा सामग्री आपूर्ति की शर्त है। (शर्त नं (4)) परन्तु बी डी ओ ने सामग्री के साथ-साथ श्रमिक भुगतान भी सम्मिलित ठेका दिया गया है जबकि क्षेत्र पंचा० में नियमतः एक लाख से उपर के कार्यों के लिए केवल सामग्री का ठेका दिया जाता है और श्रम कार्य प्रभारी के तहत कार्य करार के कार्यप्रभारी के नाम श्रमिक भुगतान चेक में माध्यम से होता है और सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता के नाम होता है परन्तु यहाँ बी डी ओ विजय कुमार पाण्डेय नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर भुगतान करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया है।

(ii) विज्ञापन में टेण्डर की अनु० लागत 6.50 लाख है परन्तु वर्क फाइल में जे ई/ आरईडी ने 304850/- का बनाया है और अधिशासी अभियंता लोक० निर्माण विभाग-1 द्वारा स्वीकृति दी गई है। इससे फर्जी टेण्डर एवं इस्टीमेट की पुष्टि होती है।

(iii) वहाँ पर सामग्री और श्रमिक भुगतान दोनों एक साथ ही इस्टीमेट जे ई/ आरईडी नजीब खाँ द्वारा बनायी गई है और अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृति दी गई है। इससे दो अभियंता ने नियमों का उल्लंघन करके बी डी ओ को धनराशि अपहरण करने में सहयोग करने की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार का रनिंग अकाउंट बिल जेई आर ई डी नजीब खाँ द्वारा बनाकर भुगतान की संस्तुति की गई है परन्तु फॉर्म -27 पर समय-समय लिखा है कि [फाइनेल पेमेंट मस्ट बी इनवारियाबल बी मैड ऑन फॉर्म प्रिंटेड येलो पेपर , जो ले०प० अप्राप्त रहने से फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(v) फिर भी बी डी ओ द्वारा कार्यप्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) को कार्य प्रभारी बनाया गया है जो कार्य स्थल पर सामग्री प्राप्त करके लेबरो से कार्य करायगा। परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा स्टॉक पंजिका न बनाकर एवं उसके द्वारा सामग्री प्राप्ति का कोई प्रपत्र अप्राप्त रहने एवं मस्टररोल नहीं बनाने से समस्त व्यय अपहरण की पुष्टि होती है भुगतान का विवरण:-

आईटी 2% वैट 4%

(i) 225362 4507 9014= 13521-211841/चेक नंबर 670818/26-8-15 उक्त सामग्री का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने अपहरण की पुष्टि होती है।

(ii) एम आर (श्रमिक भुगतान). 67705/- चेक न० 670830/14-10-15 परन्तु ले०प० में यह एम आर अप्राप्त रहने से उक्त व्यय के अपहरण की पुष्टि होती है।

उक्त कार्य का बी डी ओ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक नहीं देने से भी कार्य न होने की पुष्टि होती है उक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि रु० 293067/- के अपहरण की पुष्टि होती है। टेण्डर पेपर में 6.50 अनु० लागत लाख का, वर्कफाइल में अनु० लागत 3.5 लाख का और व्यय 2.93 लाख इससे स्पष्ट है कि बी डी ओ विजय कुं पाण्डेय जेई आर ई डी नजीब खाँ कार्यप्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा अधिशासी अभियंता उत्तरदायी है। एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह वे तथा कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुं पाण्डेय थे। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -128**

#### **कार्य- ग्राम सभा भानपुर बादपुर में नेहुआ सीवर लाइन 500 मीटर का कार्य (13एच एफ .कॉमन )**

(i) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 17-4-2015 तथा खुलने की तिथि 25-4-2015 है। टेण्डर में अनु० लागत रु० 7.50 लाख है जबकि वर्क फाइल में 712800 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षेत्र पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से उपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आमंत्रण में शर्ड नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु० 705989/- सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। बी डी ओ द्वारा नोटसीट के प्रथम पेज पर सामग्री निविदा की ही संस्तुति की गई है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से करायी है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) को नियुक्त क्यों किया गया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है। जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्यप्रभारी द्वारा एम आर (मस्टररोल) नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आँख में धूल झांकने के लिए कार्यप्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से करना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति ही क्यों गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक-65/2014-15/17-4-15) और नियुक्ति की गई तो कार्यप्रभारी के कार्यों संबंधित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह बील ऑफ क्वालिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग अकाउंट बिल पर ऊपर स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय (705898) की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) (अ ) निविदा के आवेदको (1) श्री मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह (ii) मे० अनुराग कन्स्ट्रक्सन तथा (iii) मे० मनोज कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ-साथ लगे कार्य जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्णरूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जेई आर ई डी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुँहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहँल नहीं है। वितीय मामलो में बी डी ओ का हस्ताक्षर (चेक पर बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(ब ) बी डी ओ के हस्ताक्षर प्रति स्थानीय अल्पकालिक निविदा सूचना में मेसर्स की निविदा स्वीकार नहीं करने की बात की गई परन्तु मेसर्स को ही निविदा दी गई है।

(vii) निविदा कार्य को खोलते समय आवेदको के लिफाफो पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा ए डी ओ (एफ एस बी ) सदस्यों का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जो नहीं



है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है। जेई आर ई डी द्वारा अपने इस्टीमेट में काट-पीट और ओवराइटिंग की गई है उससे फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह तथा बी डी ओ श्री विजय कुं पाण्डेय, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खाँ जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम सिद्धकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 705898-00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि की क्षति पहुँचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

|               | (कटौती के बाद 18%   | चेक नं०            |
|---------------|---------------------|--------------------|
| (i) 302960=   | (290842)            | -- 670722/14-7-15  |
|               | (2% आईटी + 4% वैट ) |                    |
| (ii) 230288=  | (216283)            | -- 670836/16-12-15 |
| (iii) 172850= | (162479)            | -- 670840/13-07-16 |

## **प्रस्तर संख्या -129.**

### **कार्य-ग्राम सभा उल्दा के नाली निर्माण कार्य:- (13।एचएफ .कॉमन )**

(i) (अ ) टेन्डर में उसका नाम नाजी इंटरलकिंग कार्य है। जिसमें लम्बाई 80 मीटर दिया है जबकि वर्क फाइल में 70एम दिया है और इस्टीमेट बना है। यह फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(ब ) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 17-4-2015 तथा खुलने की तिथि 25-4-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत रु० 2.50 लाख है जबकि इस्टीमेट वर्क फाइल में 77900-00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से उपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा नोटसीट में एवं निविदा आमंत्रण में शर्त नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु० 70829-00 सामग्री + श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव को नियुक्त क्यों किया गया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है। जो कि नहीं बनाया गया है। इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्यप्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आँख में धूलझोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति ही क्यों गई है? (कार्यालय आदेश पत्रांक-55/2014-15/17-4-2015) और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बंधित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री मे० राजीव कुमार सिंह के बीज ऑफ क्वालिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग अकाउंट बिल पर उपर स्पष्ट लिखा है। इससे 72026-00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्यपूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य को पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदको (i) श्री मे० राजीव कुमार सिंह (ii) मे० मनोज कुमार सिंह तथा (iii) मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह के आवेदन पत्रों के साथ-साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम नहीं पूर्णरूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जेई आर ई डी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर (चेक पर बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा कार्य को खोलते समय आवेदको के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा ए डी ओ (एफ एस बी ) सदस्यों का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(viii) बी डी ओ द्वारा ठेकेदार का हैसियत प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। ठेकेदार धरोहर के रूप में एनएससी /एफडीआर/ हलफनामा नहीं लिया गया है। इससे बी डी ओ की लापरवाही की पुष्टि है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह पेपर टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह तथा कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ विजय कुं पाण्डेय थे। जे ई/ आरईडी श्री नजीब खाँ जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम सिद्धकी उत्तरदायी है। तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 72026-00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि की क्षति पहुँचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

| भुगतान विवरण | कटौती के बाद (2% आईटी | चेक नं० |
|--------------|-----------------------|---------|
|              | +4% वैट )             |         |

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| 52080/- | (48956) | 670825/14-7-15 |
|---------|---------|----------------|

**प्रस्तर संख्या - 130.**

**कार्य-राजापुर बी०पी० मार्ग चौहारी से संतोष पण्डित के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य:-** टेण्डर में माप 50एम है तथा वर्क फाइल इस्टीमेट में 55एम है।

(i) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-6-15 तथा खुलने की तिथि 12-7-15 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत ₹0 5.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 185325/- है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आमंत्रण में शर्त नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान ₹0 180324-00 सामग्री + श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) को नियुक्त क्यों किया गया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी एम आर बनाया जाना अनिवार्य है। जो कि नहीं बनाया गया है। इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्यप्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आँख में धूलझोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति ही क्यों गई है? (कार्यालय आदेश पत्रांक-412/24-6-2015/आयोग) और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बंधित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री सृजन कंस्ट्रक्शन के बिल ऑफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग अकाउंट बिल पर ऊपर स्पष्ट लिखा है। इससे 180325-00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्यपूति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदको (i) श्री मे० सृजन कंस्ट्रक्शन (ii) मे० मनोज कुमार सिंह तथा (iii) मे० अनुराग कंस्ट्रक्शन सिंह के आवेदन पत्रों के साथ-साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम नहीं पूर्णरूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जेई आर ई डी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वितीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर (चेक पर बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा कार्य को खोलते समय आवेदको के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खाँ तथा ए डी ओ (एफ एस बी) सदस्यों का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह पेपर टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह तथा कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ विजय कुमार पाण्डेय थे। जे ई/ आरईडी श्री नजीब खाँ जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम सिद्धकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 180325-00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि की क्षति पहुँचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

| भुगतान विवरण | 18% कटौती के बाद | चेक न० /दिनांक    |
|--------------|------------------|-------------------|
| 142720/-     | (134157)         | 670834/15-12-2015 |
| 37605/-      | (35349)          | 055394/20-06-2016 |

निरस्त चेक सं० 055390/13-01-2016 ले०प० में अप्राप्त रहा। टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य एवं भुगतान के समय बी डी ओ श्री विनय कुमार पाण्डेय थे।

**प्रस्तर संख्या -131-**

**कार्य : ग्राम ठकुरान बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य (70एम)**

(131एच एफ कॉमन )

(i) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत ₹0 3.5 लाख है। जबकि वर्क फाइल में 290680.00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी

सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु0 269274 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है। इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक --- नॉट ऐप्लिकबल /आयोग/ 2014-15/246/2015) और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री मे० सृजन कंस्ट्रू० के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी आर unninजी ब ill पर स्पष्ट लिखा है। इससे 269274.00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० सृजन कंस्ट्रक्सन (2) मे० मनोज कुमार सिंह तथा (3) मे० राजीव कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ- साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी ) (सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, बी डी ओ विनय कुमार पाण्डेय जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्दीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 269274.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है। 185918 (174763)-चेक नंबर . 670835- दिनांक 15-12-2015

83356 (78355)- 670839- 13-01-2016

कार्य के दौरान बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे उसके पहले एस्टीमेट बनवाने, टेण्डर के दौरान बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे।

### **प्रस्तर संख्या -132-**

#### **कार्य- ग्राम सभा महुआरी खुर्द में जिला पंचा० का इण्टर लॉकिंग का अवशेष भाग (एसएफ कॉमन ) कार्य (120एम)-**

(i) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत रु0 4.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 4.692 लाख है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

(ii) क्षेत्र पंचा० में उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं0 (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु0 444503.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छवि नाथ यादव को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक -एन ए /राज्य आयोग/2014-15/246/2015) और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री मे० अनुराग कंस्ट्रू० के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी आर unninजी ब ill पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे 444503.00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vii) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० अनुराग कंस्ट्रक्सन (2) मे० राजीव कुमार सिंह तथा (3) मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह के आवेदन पत्रों के साथ- साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी )(सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्धीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 444503.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

| चेक नंबर . |                   | दिनांक                                        |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| (1) 344280 | (323624)- 667826- | 14-07-2015 (कटौती के बाद) (2% आईटी + 4% वैट ) |
| (2) 99683- | (93703)- 670827-  | 12-08-2015                                    |
| 444503     |                   |                                               |

टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य के दौरान तथा भुगतान के समय बी डी ओ श्री विनय कुमार पाण्डेय थे।

### **प्रस्तर संख्या - 133**

**कार्य- ग्राम चिलबिला रमापति के घर से रविन्दर के घर तक नाली निर्माण** (13F पेपर टेण्डर में ल0 200एम)-

(पत्रांक 414/राज्य/13वां वित्त/ 2015-16/ दिनांक 24-06-2015)

(i) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर 11 अनु० लागत रु0 6.0 लाख है जबकि वर्क फाइल में रु0 713900.00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षेत्र पंचा० में उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं0 (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु0 397739.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी गया बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक-412/ आयोग/2015-16/24-6-2015) और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री मे० राजीव कुमार सिंह के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग ऐक्ट बिल पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० राजीव कुमार सिंह (2) मे० मनोज कुमार सिंह तथा (3) मे० अनुराग कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ-साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी )(सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ, वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्धीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 397739.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

| चेक नंबर . |                     | दिनांक     |
|------------|---------------------|------------|
| 397739     | (373875)- 670813    | 26-08-2015 |
| कटौती      | (2% आईटी + 4% वैट ) |            |

टेण्डर निकालने तथा एस्टीमेट बनवाने के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य के दौरान एवं भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे।

## **प्रस्तर संख्या - 134**

### **कार्य- उल्ला में हरिजन बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य (100एम) कार्य पेपर टेण्डर में-**

- (i)(अ ) पेपर टेण्डर में लम्बाई 100एम है जबकि फाइल इस्टीमेट में 90एम है।
- (ब ) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत रु० 4.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 274550.00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।
- (ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु० 14239.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। यहां वास्तविक भुगतान से बहुत अधिक पेपर टेण्डर में अनु० लागत है। इससे फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।
- (iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी गया बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।
- (iv) ठेकेदार श्री राजीव कुमार सिंह के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग ऐक्ट बिल पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
- (v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
- (vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० राजीव कुमार सिंह (2) मे० अनुराग कं० तथा (3) मे० मनोज कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ- साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।
- (vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ ( आई एस बी ) (सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्दीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 142390.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

चेक नंबर . दिनांक

142390 (133247)- 670838 13-01-2016

टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य के दौरान तथा भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे।

## **प्रस्तर संख्या -135**

### **माण्डा खास में अमानत उल्ला के घर से अमरनाथ के घर होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य**

- (i)(अ ) यह कि 13वां वित्त आयोग की धनराशि करानी चाहिए जो नहीं कराया गया है स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है।
- (i) (ब ) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर 11 अनु० लागत रु० 4.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 262217.00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।
- (ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं० (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु० 122278.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।
- (iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव(बीटी) को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी गया बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं

बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक 412/2015-16-246/15 और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री सृजन कंसट्रक्शन के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग ऐक्ट बिल पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे0 सृजन कंसट्रक्शन (2) मे0 बी०पी०एस० स्टोर चकडीहा तथा (3) मे0 मनोज कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ- साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी ) (सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्दीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 122278.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

|                               | चेक नंबर . | दिनांक     |
|-------------------------------|------------|------------|
| 122278 (114942)-              | 338750     | 29-10-2016 |
| (2% आईटी + 4% वैट (2445+4891) |            |            |

टेण्डर तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य के दौरान तथा भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे।

#### **प्रस्तर संख्या - 136**

**कार्य- उल्दा में गुददपुर मेन सड़क से रामचन्द्र तिवारी के घर तक (13) इस्ट स्टोन कार्य तथा जी0एस0वी0 कार्य-**

(i)(अ ) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत रु0 4.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 245690.00 है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ब ) यह कार्य राज्य वित्त आयोग (iv) से करानी चाहिए जो नहीं कराया गया है। स्पष्ट रेट की अपेक्षा है।

(ii) क्षे0 पंचा0 में उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं0 (4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान रु0 141480.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। यहां वास्तविक भुगतान से बहुत अधिक पेपर टेण्डर में अनु० लागत है। इससे फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है। यहां पर निविदा के अनु० व्यय वास्तविक व्यय से कई गुना ज्यादा है। वर्क फाइल में अनु० व्यय भी ज्यादा लिखा है। स्पष्ट विवरण दें।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव(बीटी) को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक 412/246/15/2015-16 और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री अनुराग सिंह के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग ऐक्ट बिल पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० अनुराग कुमार सिंह (2) मे० राजीव कुमार सिंह तथा (3) मे० मनोज कुमार सिंह के आवेदन पत्रों के साथ- साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी ) (सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्धीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 141480.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

चेक नंबर . दिनांक

141480 (132992)- 670837 13-01-2016

(2%आईटी + 4%वैट ) कटौती के बाद

टेण्डर आमंत्रण तथा एस्टीमेट के समय बी डी ओ श्री तेजभान सिंह थे तथा कार्य के दौरान तथा भुगतान के समय बी डी ओ श्री विजय कुमार पाण्डेय थे।

### **प्रस्तर 137- बादपुर प्रा० पाठशाला से धनराज सिंह यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (तेरहवां वित्त)**

(i) (अ ) टेण्डर प्रकाशन में लम्बाई 200 मीटर लिखा है जबकि फाइल के इस्टीमेट में 70 मीटर लिखा है। इस प्रकार फर्जी टेण्डर की पुष्टि होती है।

(i) (ब ) दैनिक हिन्दुस्तान समाचार में टेण्डर आमंत्रण की तिथि 24-06-2015 तथा खुलने की तिथि 12-07-2015 है। टेण्डर ॥ अनु० लागत ₹0 4.5 लाख है जबकि वर्क फाइल में 2.89320 लाख है। इस प्रकार फर्जी निविदा की पुष्टि होती है। इसके लिए बी डी ओ , जे ई/ आरईडी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ii) क्षे० पंचा० में उ०प्र० सरकार के आदेशानुसार केवल सामग्री का ही निविदा (एक लाख से ऊपर होने पर) होनी चाहिए। परन्तु बी डी ओ द्वारा निविदा आये ऋण में शर्त नं०(4) में स्पष्ट लिखने के बावजूद स्वयं द्वारा पूरे कार्य का ठेकेदारी से करायी गई है। इसमें श्रम भी सम्मिलित है। ठेकेदार को भुगतान ₹0 281874.00 सामग्री श्रम का भुगतान हुआ है। इस प्रकार निविदा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बी डी ओ द्वारा फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iii) बी डी ओ द्वारा फर्जीवाड़ा करने के क्रम में जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराया गया है (श्रम सहित) तब फिर कार्य प्रभारी श्री को नियुक्त क्यों किया और जब कार्य प्रभारी नियुक्त किया है तो स्टॉक पंजिका का भी बनाया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं बनाया गया है इससे स्टॉक आपूर्ति एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा एम आर नहीं बनाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बी डी ओ ने पेपर में जालसाजी करने एवं आंख में धूल झोकने के लिए कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है क्योंकि जब पूरा कार्य ठेकेदारी से कराना है तो फिर कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई है (कार्यालय आदेश पत्रांक 246/15/412/आयोग/2014-15 और नियुक्ति की गई तो कार्य प्रभारी के कार्यों सम्बन्धित अभिलेख क्यों नहीं बनवाया। इससे फर्जी निविदा की पुष्टि होती है।

(iv) ठेकेदार श्री राजीव कुमार सिंह के बिल आफ क्वांटिटी पर भुगतान न होकर उसके छपे पीले रंग के व्यय प्रमाणक पर होना चाहिए जैसा कि फॉर्म 27-सी रनिंग ऐक्ट बिल पर यह स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

(v) इस कार्य की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाणक बी डी ओ द्वारा नहीं दिए जाने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vi) निविदा के आवेदकों (1) श्री मे० राजीव कुमार सिंह (2) मे० मनोज कुमार सिंह तथा (3) मे० अनुराग कंस्ट्रक्शन के आवेदन पत्रों के साथ-साथ लगे फार्म जी०पी० डब्ल्यू प्रपत्र-8 के सभी कालम पूर्ण रूपेण नहीं भरे गये हैं। फार्म पर और अन्य जगहों पर बी डी ओ एवं जे ई/ आरईडी का स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं तथा बहुत जगहों पर बी डी ओ का मुहर तथा जे ई/ आरईडी का मुहर नहीं है। वित्तीय मामलों में बी डी ओ का हस्ताक्षर चेक या बैंक में वाली हस्ताक्षर होनी चाहिए। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(vii) निविदा फार्म को खोलते समय आवेदकों के लिफाफों पर बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों जिसमें बी डी ओ स्वयं अध्यक्ष है तथा जे ई/ आरईडी नजीब खां तथा ए डी ओ (आई एस बी ) (सदस्य) का पठनीय पदनाम सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य जो नहीं है। इससे निविदा के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है।

(viii) बी डी ओ द्वारा नोटसीट में 36567.00 मजदूरी भुगतान दर्शाता है परन्तु ले०प० में एम आर अप्राप्त रहने व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य में बी डी ओ श्री तेजभान सिंह, जे ई/ आरईडी श्री नजीब खां जिसने फर्जी इस्टीमेट बनाया (पेपर कटिंग में कुछ वर्क फाइल में कुछ और), कार्य प्रभारी श्री छविनाथ यादव (बीटी) तथा आंकिक एम० सिद्धीकी उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि 261574.00 को अपहरण करके सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाई है जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

चेक नंबर . दिनांक

(1) 225007 (211807)- 670814 26-08-2015

(2% आईटी + 4% वैट ) कटौती के बाद

(2) 36567 एम आर 36567 670819 14-10-2015

**वित्तीय वर्ष 2016-17****प्रस्तर संख्या -138****ग्राम सभा उल्दा में मेन सड़क से रामचन्द्र तिवारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य - (300एम)**

आपत्ति नं०-

(i) वर्ष 2015-16 के पेपर टेण्डर में उल्दा में मेन सड़क से रामचन्द्र तिवारी के घर तक डस्ट स्टोन एवं मिट्टी कार्य हो चुका है। इस इण्टर लाकिंग कार्य होने के लिए ₹0 497000.00 का इस्टीमेट पास है। जबकि पहले ही 2015-16 में 1.41 लाख व्यय हो चुका है। (डस्ट स्टोन एवं मिट्टी कार्य पर)। तब फिर इण्टर लाकिंग कार्य हेतु 486000.00 व्यय वर्ष 2016-17 में की गई है। जब ब अ s y वर्ष 2015-16 बना है तो फिर इण्टरलाकिंग कार्य में धनराशि कम व्यय होना चाहिए। स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है।

(ii) फाइल सैंड 3.15घनमीटर दर 200/घनमीटर के दर से 630 हुआ परन्तु भुगतान 2205 किया गया है। स्पष्टीकरण की अपेक्षा है।

(iii) इण्टर लाकिंग कार्य हेतु टेण्डर पेपर में वर्ष 2016-17 में निर्गत नहीं की गयी है। इस प्रकार आंख में धूल झोंक कर बी डी ओ ने बिना टेण्डर या नियम कानून का ₹0 486000.00 व्यय किया गया है। फाइल में वर्ष 2015-16 का टेण्डर लगाया गया है।

(iv) उक्त कार्य का स्टॉक पंजिका नहीं बनाये जाने से सामग्री की आपूर्ति की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिये गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि० अधि०) उत्तरदायी है।

(v) फर्जी टेण्डर के तौर पर मे० नागेन्द्र प्रताप सिंह मे० अनुराग कंस्ट्रक्सन एवं मे० आशा ट्यूवाल एवं कंस्ट्रक्शन का आवेदन है जबकि उनके लिफाफों पर टेण्डर खोलते समय बी डी ओ , जे ई/ आरईडी एवं ए डी ओ (आई एस बी )का हस्ताक्षर एवं पदनाम पठनीय होना चाहिए। (बी डी ओ द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति 27-10- 2016 को) जो की नहीं हुआ है।

(vi) बी डी ओ द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(vii) 59000एम आर (चेक नंबर . 816768/20-05-2017) का निर्गत पंजिका से क्रमिका चिट्ठा सं० तथा स ountयआर siजी n नहीं है इससे एम आर की वैधता की पुष्टि नहीं होती है। एम आर की वैधता की पुष्टि नहीं की सीमा तक एम आर फर्जी माना जायेगा। पुष्टि की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

चेक नंबर

291340 ----- 273860=290601/20-02-2017 अनुराग कटौती के बाद ↑ (2%आईटी + 4% वैट )

चेक नंबर

96940-91124- 218767/ 24-05-2017 अनुराग

चेक नंबर

59000 (एम आर )59000/ 218718/24-05-17 गिरीश चन्द्र मिश्र

आंशिक एम० सिद्दीकी, कार्य प्रभारी गिरीश चन्द्र मिश्र जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा (एम.सी . वर्मा ) बी डी ओ श्री साहब राय सिंह एवं सुरेन्द्र कटियार। उक्त कार्य की आपत्तियाँ हेतु उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के पठनीय हस्ताक्षर कहीं नहीं लिखा है। 15-10-2016 का टेण्डर तथा 27-10-2017 को खुलने के समय है। परन्तु ले०प० में टेण्डर की पुष्टि नहीं करायी जा सकी। फाइल में पुराना टेण्डर (2015-16 का लगा है)

कार्य प्रभारी द्वारा कम प्रमाण पर सामग्री प्राप्ति का रिसीविंग नहीं होने से सामग्री आपूर्ति में संसय है। स्थिति स्पष्ट करें। बी डी ओ एस पी त्रिपाठी के समय एस्टीमेट बना है। कार्य साहब राज सिंह के समय तथा एक 291340.00 भुगतान शेष भुगतान बी डी ओ सुरेन्द्र कटियार के समय हुआ है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

जी निम्नालिखित है-

विवरण

चेक नंबर

96940- 216767/02-02-17

59000- 216718/24-05-17

155940

**प्रस्तर संख्या -139- ग्राम माण्डा खास में पते अहमद लम्बू के घर से चौधरी के घर के सामने तक इण्टर लाकिंग कार्य -**

(पेपर में टेण्डर (2015-16 में 24-06-2015 - 12-07-2015)



इस कार्य का टेण्डर 24-06-2015 को तथा 12-07-2015 को खोलने की तिथि है। इसकी पुष्टि पेपर कटिंग टेण्डर से 2015-16 भी होती है यह टेण्डर तेजभान सिंह बी डी ओ के द्वारा जारी किया गया है परन्तु बी डी ओ सुरेन्द्र कुमार कटियार वर्ष 2017-18 में मई 2017 में कार्य का भुगतान हुआ है। सामग्री का व्यय प्रमाणक 25-11-2016 तथा 10-06-2017 अनुराग कं० का है तथा एम आर मई 2017 का है। इससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर में 2 माह में कार्य करायी जानी की बात एवं शर्त थी तो फिर बी डी ओ ने 2015-16 के कार्य जो अधिकतम 15 सितम्बर 2017 तक होना था। वह जून 2017 तक कैसे खींचा गया। इससे स्पष्ट होता है कि बी डी ओ ने पुराने कार्य को पुराने टेण्डर से कार्य को कराने के प्रयास किया और (इसी क्रम में फाइल के प्रपत्रों में तिथियों में ओवर राइटिंग की गई है जिससे आंखें में धूल झाँककर सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है।

बी डी ओ द्वारा इसी क्रम में फाइल में वर्ष 2015-16 का पेपर टेण्डर लगा कर फंस गया है।

एम आर रु० 54400.00 का (01 मई से 21 मई 2017 तक) का है। 11 लेबर 225.5 (01 मई से 21 मई 2017 तक) कार्य दिवस का है। अनुराग कंस्ट्रक्शन द्वारा दो बार में सामग्री की आपूर्ति का दावा 25-11-2016 तथा 10-06-2017 में करता है तो फिर मई 2017 में कार्य कैसे हो सकता है। इससे कार्य न होने, सामग्री की आपूर्ति न होने एवं फर्जी व्यय प्रमाणक तैयार करे बी डी ओ की टीम ने रु० 441295.00 का अपहरण किया है। उसका ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

दोनों व्यय प्रमाणकों (अनुराग कं०) पर बुक सं० नहीं लिखने एवं कार्य प्रभारी गिरिश मिश्रा द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति का दावा न करने से व्यय प्रमाणक फर्जी पुष्टि होती है।

300406 282381 चेक नं० 055409/ 20-11-2016 (6000+12024) (2%आईटी + 4% वैट )

86490 81301 चेक नं० 216773/ 14-06-2017

(1729+3460)

54400 एम आर

चेक नं० 216774/ 14-06-2017

इस एम आर 54400.00 की वैधता की पुष्टि निर्गत पंजिका से पुष्टि होती, परन्तु विकास खण्ड में यह पंजिका नहीं बनायी गयी है। इसके लिए अनु० ही उत्तरदायी है। एम आर निर्गत पंजिका में निर्गत करने वाले बाबू कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं दिनांक एवं क्रम सं० एवं कार्य के नाम तथा बी डी ओ का काउंटर साइन होता है जो एम आर पर नहीं होने से भी एम आर की पुष्टि नहीं होती है।

चूंकि सामग्री की आपूर्ति 10 जून 2017 को होता है और कार्य पहले ही 21 मई 2017 तक हो जाने का एम आर दूसरे एम आर को फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है।

उपरोक्त बी डी ओ सुरेन्द्र कुमार कटियार, जे ई/ आरईडी मूल चन्द्र वर्मा, कार्य प्रभारी श्री गिरिश चन्द्र मिश्र तथा आंकिक एम० सिद्दीकी उत्तरदायी है। कार्य के दौरान तथा भुगतान के समय बी डी ओ श्री सुरेन्द्र कटियार थे। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर संख्या -140-**

**कार्यालय में रंगाई पुताई कार्य-** प्रभारी श्री राधा मोहन द्वारा यह कार्य कराया गया है। तथा जिसके सम्बन्ध में रु० 47200.00 का दो एम आर 200.00 तथा 46000.00 का भुगतान लिया है लेकिन ले०प० उक्त दोनों एम आर अप्राप्त रहने से कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। आडिटर द्वारा नोट सीट पर लिख दिया गया क्योंकि भविष्य में फर्जी एम आर प्रस्तुत करने का दावा कर सकता है।

कार्यालय आदेश के इस कार्य कराये जाने का आदेश की पत्रांक एवं दिनांक नहीं लिखा है। यहां पर बी डी ओ का हस्ताक्षर है। बी डी ओ द्वारा देखा जाना चाहिए था। बी डी ओ एस० के० कटियार है।

यह 2017-18 की कार्य योजना है तथा भुगतान 30-09-2017 को चेक सं० 216784 से भुगतान हुआ है। बी डी ओ को भुगतान आदेश का आवेदन पर दिनांक नहीं है।

उक्त रु० 47200.00 की ब्याज सहित वसूली राधा मोहन तथा बी डी ओ श्री कटियार से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -141**

**भैसरा नरोत्तम में सकरी नदी पुलिया से प्रधानमंत्री रोड तक इस्ट स्टोन कार्य-** (800एम X3.0एम) इस्टीमेट

सामग्री आपूर्ति एम/एस मनोज कुमार सिंह द्वारा आपूर्ति

1- 18-10-2016- 57000- जी एस बी (60 घनमीटर )

कार्य दिवस एम आर

157 (10 लैब .) 31400- 05-10-2016 - 20-10-2016 तक

511 (25 लैब .)102200- 01-10-2016 - 21-10-2016 तक

-----  
668  
-----

2- 23-11-2016 370500- जी एस बी 165घनमीटर

स्टोन ब्लास्ट 150घनमीटर

3-15-02-2017 213750- जी एस बी -112.50घनमीटर  
स्टोन ब्लास्ट -45.6घनमीटर  
स्टोन डस्ट -37.5घनमीटर

4- 15-04-2017 42758- जी एस बी -22.5घनमीटर  
स्टोन ब्लास्ट 15घनमीटर  
स्टोन डस्ट 7.5घनमीटर

एम आर

58200- 01-10-2017 to 17-01-2017 तक

12400- 06-05-2017 to 15-05-2017 तक

(i) उपर दृष्यों से स्पष्ट होता है कि 18-10-2016 को 57000.00 का जी एस बी आपूर्ति और उस पर दो एम आर के माध्यम से 05-10-2016 से 21-10-2016 तक 35 लेबर 31400+102200= 136400.00 का भुगतान हुआ है जो कि असंभव है। इससे फर्जी एम आर की पुष्टि होती है। इससे सामग्री 57000.00 की वि०अधि० द्वारा सामग्री प्राप्त हेतु स्टॉक पंजिका नहीं बनाने से स्टॉक प्राप्त की पुष्टि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 668 कार्य दिवस में 35 लेबर 60 घन मीटर (जी एस बी) पर कार्य करते हैं जो असंभव है।

(ii) इसी प्रकार 370500 की कुल 390घनमीटर सामग्री जी एस बी, स्टोन ब्लास्ट तथा स्टोन डस्ट को 18 लेबर 291 कार्य दिवस कार्य करते हैं (लगातार)। क्योंकि सामग्री की आपूर्ति नवम्बर 2016 में होती है और जनवरी 2017 में कार्य होता है। तो फिर फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 का कुल 240.6घनमीटर की कहीं सामग्री सात लेबर 62 कार्य दिवस में (6 मई से 15 मई 2017) कैसे फैला सकते हैं। इससे उक्त समस्त सामग्री की आपूर्ति एवं एम आर फर्जी होने की पुष्टि होती है।

(iii) टेण्डर का पेपर प्रकाशन का पेपर कटिंग लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा टेण्डर आवेदकों के लिफाफों पर नियमतः बी डी ओ श्री एस०जी० तिवारी बी डी ओ श्री एस०के०कटियार, जेई / आर ई डी मूल चन्द्र वर्मा, ए डी ओ (आई एस बी) का पदनाम सहित स्पष्ट हस्ताक्षर नहीं हैं। यह समिति बी डी ओ द्वारा गठित की गई है। इससे निविदा के फर्जीवाडा की पुष्टि होती है।

भुगतान विवरण

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| सामग्री रु0 57000  | 53588/चेक नंबर 338754/29-10-2016 |
| एम आर रु0 31400    | 31400/338755/29-10-2016          |
| सामग्री रु0 370500 | 398270/33875/30-11-2016          |
| एम आर रु0 102200   | 102200/338760/30-11-2016         |
| एम आर रु0 58200    | 58200/290605/20-02-2017          |
| सामग्री रु0 213758 | 200925/290606/20-02-2017         |
| एम आर रु0 12400    | 12400/216762/04-05-2017          |

888208-00

(iv) बी डी ओ द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जे ई/ आरईडी द्वारा फर्जी एमबी बनकर भुगतान की संस्तुति की गयी। इस प्रकार सरकारी धनराशि रु0 888208.00 की लूट में बी डी ओ, जेई /आर ई डी, कार्य प्रभारी तथा एम० सिद्दीकी आंशिक सम्मिलित रहे। इस कार्य में बी डी ओ के हस्ताक्षर अलग-अलग होने से पहचान नहीं हो सकी। जे ई/ आरईडी मूल चन्द्र वर्मा, कार्य प्रभारी सत्य राम यादव (बी डी ओ) हैं। उक्त पर ब्याज सहित वसूली सहित विधिक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

इस कार्य का कार्यालय आदेश 15-10-2016 को टेण्डर प्रकाशन तथा सत्य राम यादव कार्य प्रभारी नियुक्ति तथा जेई / आर ई डी मूल चन्द्र वर्मा की नियुक्ति, 26-10-2018 टेण्डर जमा करने की तिथि है। (पत्रांक 552/आयोग/ 2016-17/15-10-2016)

#### प्रस्तर संख्या -142

बभनी हठोर बभनी रोड से दिनेश यादव के द्यूबवेल् तक इण्टर लाकिंग कार्य- सामग्री की आपूर्ति अनुराग कान्सट्रक्सन

(i) 10-10-2017-122 261730-246030- चेक नंबर 216785/16-10-17

भुगतान कटौती के बाद

(ii) 15-11-17-123- 122450-216789- 20-11-17 115253

(iii) एम आर 59400-1-10-17 18-10-2017 तक पेमेंट

कुल व्यय-443580 चेक नंबर -216790/20-11-17

उक्त कार्य का प्रा० व्यय 460000.00 है और शुद्ध व्यय 44358.00 है। उपर देखने से स्पष्ट होता है कि अक्टूबर 2017 में आई सामग्री का उपयोग हुआ (एम आर अक्टूबर का है।) परन्तु नवम्बर 2017 में आयी सामग्री का उपयोग उपभोग नहीं हुआ है। क्योंकि एम आर उसके संगत नहीं है परन्तु बी डी ओ द्वारा/एम आर 59400.00 पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है। उससे स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त व्यय फर्जी है एवं समस्त व्यय पुष्टि हेतु बी०डी०ओ० द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणक नहीं दिये जाने से भी कार्य न होने की स्थिति दर्शायी है। इससे स्पष्ट होता है कि बी०डी०ओ० एस०के कटियार, जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा, कार्य प्रभारी, गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि०अधि०) राजामोहन श्रीवास्तव फर्जी कागजात तैयार करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

टेण्डर में आवेदकों के लिफाफा पर त्रि०स्तरीय गठित-उक्त, जेई /आर ई ओ तथा ए डी ओ () का हस्ताक्षर एवं पदनाम नहीं है। बार बार नि०अनुराग कं० को ही सामग्री का ठेका दिया गया है। मेसर्स को ठेका नहीं दिया जायेगा-

यह शर्त अल्पकालिक निविदा प्रबल बी डी ओ के हस्ताक्षर वाले पर है। परन्तु मेसर्स अनुराग ही को ठेका दिया गया है। इस प्रकार फार्म निविदा की पुष्टि होती है। इस प्रकार समस्त अपहरित धनराशि 443580/- की ब्याज सहित वसूली उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -143-**

##### **माण्डा रोड चौराहे से पहलवान मार्केट तक नाली निर्माण कार्य-**

इस कार्य की सामग्री की आपूर्ति 20-11-16 को तथा एम आर रोल 01 नवम्बर 2016 से 21 नवम्बर 2016 तक है जिसका मालियत 59000/- है। इससे स्पष्ट होता है 20-11-16 को 106813.00 की गई आपूर्ति उपयोग उपभोग में नहीं लायी गई। कार्य प्रभारी सत्य राम यादव (ग्रा०वि० अधि०) ने स्टाक पंजिका नहीं बनायी है एक व्यय प्रमाणक जिसकी मालियत 115750/- है। जिसमे मे० मनोज कु० सिंह सामग्री द्वारा सामग्री आपूर्ति का है परन्तु इस पर तिथि नहीं अंकित होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह अक्टूबर में या नवम्बर या कब आपूर्ति की गई। यह वाउचर नं० 281/डेटएनए / मूल्य 1157501

उक्त से स्पष्ट होता है कि 20 नवम्बर 2016 को आपूर्ति की गई सामग्री वास्तव में आपूर्ति की ही नहीं गई। क्योंकि उसका उपयोग नहीं हुआ है। एक दिन में उक्त सामग्री का उपयोग सम्भव नहीं है। इस प्रकार 106813/- की ब्याज सहित बसूली उक्त श्री एस०आर० सिंह, जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा, कार्यकारी प्रभारी सत्यराम यादव (ग्रा०वि० अधि०) तथा अंकित एम० सिद्धकी से अपेक्षित है।

20-11-2016 को आई सामग्री का विवरण (वा०सं० 287/20.11.2016

मूल्य-106813/-

फाइन सैंड 4.8 घनमीटर

यह सामग्रियों नाली के नीचे,अगल बगल

ब्रिक ब्लास्ट 4.70घनमीटर

लगती है जो एक दिन में नहीं हो सकती है

ब्रिक के 10350 नग

इससे उक्त सामग्री के मूल्य 106813.00

कोरस सैंड 5.7एम

के अपहरण की पुष्टि होती है।

स्टोन गिफ्ट 1.9एम<sup>3</sup>

115700-108805-338753/29-10-16

एम.एस बी 2 पीस

106813-100404-055410/30-11-16

साइन बो एण्ड 1 पीस

59000-एम आर 05541/30-11-16

#### **प्रस्तर संख्या -144**

##### **ग्राम सभा राजापुर मे नेपाल मोर्य के घर से टावर तक इस्ट स्टोन कार्य-**

कार्य प्रभारी श्री गिरीश मिश्र (ग्रा०वि० अधि०)इस्टोमेट दि० 7.730 व्यय

बी डी ओ - श्री एस०आर० सिंह माप-700एम

भुगतान का विवरण-

वाउचर सं-284

धनराशि

कटौती के बाद

मो० मनोज कु० सिंह 431700.00

405798/सीएन 055401/30-11-16

25-11-2016

जी एस बी -216घनमीटर

167300.00

कटौती के बाद सामग्री

स्टोन ब्लास्ट =165घनमीटर 16.2.2017

157262/0290608/

अंडस्ट ब्लास्ट = 75घनमीटर 20.02.17

99घनमीटर -जी एस बी

45एम<sup>3</sup> स्टोन ब्लास्ट

105.75 एम<sup>3</sup> स्टोन ब्लास्ट

1पीस S फोटोग्राफ

कटौती 2% आईटी +4% वैट )

परन्तु एम आर =170400-चेक नंबर 216757

(68400+68400+33600) 28-2-2017

एम आर की तिथि 01 जनवरी 2017 से 19 जनवरी 2017 तक।

कार्य दिवस-0852, लैबरो की सं०- 18+18+9=46 (एम आर तीन पंज में है)

उक्त एम आर देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य नवम्बर 2016 में आपूर्ति सामग्री पर एक जनवरी 2017 से 19 जनवरी तक 45 लेबरो द्वारा कार्य कराया गया और 170400.00 भुगतान किया गया है। यह भुगतान अधिक या ठीक है। यह अलग मामला है परन्तु वाउचर सं० 289 से दिनांक 16-02-2017 से आपूर्ति सामग्री का उपभोग या उपयोग नहीं हुआ और भुगतान 157262-हो गया। यानी 167300/- में 0 मनोज कुमार सिंह को 157262-चेक सं० 0290608 तथा शेष संस्थागत कटौती के माध्यम से।

कार्य प्रभारी द्वारा स्टॉक पंजिका नहीं बनाने से उक्त सामग्री के आपूर्ति की पुष्टि नहीं होती है।

एम आर साप्ताहिक कार्य एवं भुगतान न होकर के लगातार 19 दिनों तक कराया गया है जबकि साप्ताहिक भुगतान होना चाहिए।

एम आर पर चिट्ठा संख्या अंकित नहीं होने से स्पष्ट है। कि बाजार एम आर से क्रय करके मनमानी बनाया गया है। एम०आर०पंजिका से एम०आर० निर्गत करने वाले कर्मचारी को दोनों पर हस्ताक्षर, संख्या तथा कार्य के नाम अंकित होता है। एम०आर०पर बी डी ओ का हस्ताक्षर होता है जो नहीं होने से एम०आर० की वैधता की पुष्टि नहीं होती है। एम आर बी डी ओ की मुहर भी नहीं लगी है जिसे लाल पेन से गोलकर दिया गया है।

सामग्री 25 नवम्बर 2016 तथा 16 फरवरी 2017 को आपूर्ति करने का व्यय वाउचर है परन्तु एम०आर० जनवरी 2016 का है। इससे बी०डी०ओ० श्री एस आर सिंह, कार्य प्रभारी गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि०अधि०) आंकिकी एम० सिददकी और जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा के लापरवाही एवं सरकारी धनराशि के साथ धोखाधड़ी करके अपहरण की पुष्टि होती है। जे ई/ आरईडी के एमबी No. 2 के पेज सं० 5 पर (जैसा कि नोट सीट पर आंकिकी ने लिखा है।) अंकित है कि उक्त एम आर 170400.00 का है तब जे ई/ आरईडी ने बिना साप्ताहिकी एम आर बनाये और भुगतान की संस्तुति किए कैसे 19 दिनों तक कार्य कराकर के भुगतान की संस्तुति की है। उससे जे ई/ आरईडी की उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

टेण्डर आवेदको के लिफाफा पर उक्त द्वारा गठित स्तरीय समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर व पदनाम नहीं है। उक्त का हस्ताक्षर एवं मुहर है।

यह धरोहर के रूप में एनएससी /एफडीआर रखने की पुष्टि ग्रांट रजि०-॥ से नहीं हो सकी।

कार्य दो माह होना टेण्डर में है परन्तु कार्य जनवरी 2017 में हुआ यह कि टेण्डर खुला 27-10-16 को देर से होने के स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है। वरना पूरा टेण्डर ही संदेह के घेरे में आता है।

#### **प्रस्तर संख्या - 145**

**ग्राम बिसेन में मऊ मियाँ के घर से पिच रोड तक इण्टर लाकिंग कार्य -**

पेपर में टेण्डर 15-10-16- 27-10-16

1-कार्य योजना एवं प्रतिवेदन के मार्ग की लम्बाई 50 मी हैं। यह कि जे ई/ आरईडी द्वारा इस्टीमेट 80 मीटर का बनाया गया है। इस पर जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा तथा बी डी ओ श्री एस०पी० तिवारी का हस्ताक्षर भी है।

जब बी०डी०ओ० द्वारा जे०ई०/आर०ई०डी० के कार्य प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर

जे०ई०/आर०ई०डी० एवं बी०डी०ओ० का हस्ताक्षर है चूँकि जे०ई०/आर०ई०डी० के कार्य पर विश्वास करके है। बी०डी० ओ० हस्ताक्षर करता तब 30 मीटर अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली जे०ई०/आर०ई०डी० से इस प्रकार की जाय।

80एम व्यय = 278344- हुआ है।

1एम -----278344 रु०

80

30 मीटर पर व्यय-  $30 \times 278344/80 = 104379.00$

इस प्रकार उस अतिरिक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली जे ई/ आरईडी मूल चन्द्र वर्मा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सही निर्वहन करके राजकीय धनराशि 104379.00 को अपहरण करने में सहयोग किया है।

(ii) सामग्री की आपूर्ति मेसर्स अमलेश कंस्ट्रक्सन द्वारा अक्टूबर 25-11-2016 को की गई है और एम आर अक्टूबर 01 से 14 एच 2016 का है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य सामग्री पहले हो चुका है। कि असंभव है ऐसी परिस्थिति में एम आर के फर्जीवाड़ा की पुष्टि होती है और रु० 33800/- की ब्याज सहित वसूली श्री गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि०अधि०) और आंकिक एम सिददकी, बी०डी०ओ० श्री एस०आर० सिंह (भुगतान के समय) तथा जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा से अपेक्षित है। एम आर पर बी डी ओ श्री एस०आर० सिंह का मुहर नहीं लगा है। क्यों। स्पष्टीकरण की अपेक्षा है।

(iii) चूँकि सामग्री की आपूर्ति 25 नवम्बर 2016 को होती है उसकी पूष्टि हेतु स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गई। उससे स्पष्ट होता है कि सामग्री कार्य में उपयोग नहीं हुई। और उसका दुरुपयोग किया गया है। उसके बी०डी०ओ० प्रशासन में बी०डी०ओ० एस०आर० सिंह, आंकिकी एम० सिददकी, जे ई/ आरईडी मूल चन्द्र वर्मा जिसने एम.बी ऑख मूंद करके किया है। (एमबी बुक-01 पर) पेज नं० 181-182-183 पर एम आर और 184 पर सामग्री का एम०बी० करने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करवाने में सहयोग किया है। वाउचर पर इन्वाइस नं० नहीं होने वैधता की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि की अपेक्षा है। उससे पुरा भुगतान रु० 33800/- एम आर /055407/30-11-16 तथा सामग्री रु० 244544(22987/- कटौती के बाद) 1055408/30-11-2016 की ब्याज सहित वसूली बीडीओ श्री एस०आर० सिंह, जे ई/ आरईडी आंकिक तथा कार्य प्रभारी से

अपेक्षित है। जे ई/ आरईडी लापरवाही पूर्वक एवं धोखेबाजी पूर्वक एस्टीमेट बनाने के एवज में ₹0 104379.00 की ब्याज सहित वसूली प्रथक रूप से अपेक्षित है।

पेपर टेण्डर में बीडीओ द्वारा जानबूझकर एरिया कार्य की माँप नहीं देने से बीडीओ की धोखेबाजी स्पष्ट होती है। टेण्डर में प्रतिशत एनएससी/एफडीआर रखने की बात है परन्तु मेसर्स कमलेश से यह धरोहर की पुष्टि ग्राट रजि0 से नहीं होने से थी धोखेबाजी की पुष्टि होती है। आवेदकों के लिफाफों पर बीडीओ के अलावा अन्य दो कर्मचारियों का नाम नहीं पदनाम एवं हस्ताक्षर नहीं होने से धोखेबाजी स्पष्ट होती है। एम आर पंजिका नहीं बनाने से एम आर की वैधता की पुष्टि नहीं होती है उसके लिए बी०डी०ओ० उत्तरदायी है क्योंकि बी०डी०ओ० ने अपने प्रशासनिक कृत्यों की अवलेहना करने की पुष्टि होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या - 146**

##### **मुखड़ी में नहर पटरी रोड से बेला तक इस्ट स्टोन कार्य-**

(इस्टीमेट 9.95व्यय)

- 1- भुगतान सामग्री-445500 आपूर्ति, (कटौती 41877) 22-10-2016, KN 418770, 29-10-16/055399 बी०डी०ओ० एस०आर० सिंह
- 2- सामग्री आपूर्ति 191250, 25-11-2016- 179775/- 055404/ 30-11-16 एस०आर० सिंह
- 3- 23-5-17- सामग्री आपूर्ति 132750, 23-5-17--124785/-216763/ 02-06-17 एस०के० कटियार
- 4- एम आर 97000--- चेक नंबर -055403/30-11-16 (S.आर .Sinजी एच द्वारा भुगतान)।st to 18।एच नवंबर 2016) 485-कार्य दिवस 27 लेबर
- 5- एम आर 64200---चेक नंबर -290604/20-2-17. (एस आर सिंह द्वारा भुगतान) 19 लेबर 321 कार्य दिवस(1 जनवरी 2017 से 17 जनवरी 2017)
- 6- एम आर 45800----45800/-216764/24-5-17(एस के कटियार द्वारा भुगतान) 1st मई -16 मई 2017 15 लेबर (229 कार्य दिवस)

किसी भी एम आर पर बी डी ओ का मुहर नहीं है। एम आर निर्गत पंजिका से चिटठा सं० अंकित नहीं। इससे स्पष्ट होते हैं। कि एम आर पंजिका नहीं बनाई गई है।

पहली दो सामग्रियों 22-10-16 तथा 25-11-16 को आयी लेकिन एम आर 1 हाउस नंबर 18।एच नवंबर 2016 तक का है इसके बाद पुनः 1जनवरी से 17 जनवरी 2017 तक का एम आर है परन्तु जो सामग्री 23-05-17 को आई उसका एम आर 1 मई से 16 मई 2017 तक कैसे सम्भव है। इससे स्पष्ट होता है कि 23 मई की सामग्री की कीमतें 132750.00 तथा मई वाला एम आर 45800.00 फर्जी होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार 132750+45800 =178550.00 की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० एस०आर सिंह, आंकिकी एम० सिददकी, कार्य प्रभारी गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि०अधि०) तथा जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

एम आर 45800- पर बी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं होने से भी इसके फर्जी होने से पुष्टि होती है। अन्य एम आर पर मुहर नहीं लगा है।

बी०डी०ओ० कही जगहों पर पृथक पृथक हस्ताक्षर है।

टेण्डर के अनुसार टेण्डर प्राप्तकर्ता मे० अनुराग कन्स० 10 प्रतिशत एफडीआर/एनएससी नहीं रखवा गया। जिसकी पुष्टि ग्राट रजि० तृतीय से भी होती है बी०डी०ओ० की लापरवाही साबित होती है।

टेण्डर प्राप्तकर्ताओं के लिफाफों पर संयुक्त त्रिस्तरीय बी०डी०ओ० जे ई/ आरईडी तथा बी डी ओ (द एसएम) का हस्ताक्षर नहीं, पदनाम भी नहीं है। इससे टेण्डर की विश्वसनीयता एवं इमानदारी पर संशय होता है।

मस्टर रोलो पर एम आर पंजिका सं पृष्ठॉकन... करने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं बी डी ओ उक्त का काउंटर साइन नहीं है। एम आर पंजिका ले०प० में अप्राप्त इसलिए रही, क्योंकि बनायी ही नहीं गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -147**

##### **माण्डा खास में माण्डवी देवी से पप्पू सोनकर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य-** सामग्री आपूर्ति-एम/एस नागेन्द्र प्रताप सिंह

- 1- 875-20-2-2017- 377660.00 355000/चेक नंबर 290602/28-2-17 चेक नंबर
- 2- 876-10-6-17- 96000-90240/- 216771/14-6-2017

अ - एम आर 59200-10 दिसम्बर -31 दिसम्बर 2016- 12लेबर & 246-%कार्य दिवस

ब - 11400-13 मई - 20 मई 2017- 6 लेबर - 45 मंडे

70600= पे एमयन्स ब y चेक नंबर 216772/1-6-17

उपर देखने से स्पष्ट होता है कि सामग्रियों फरवरी 2017 में तथा जून 2017 में आयी और एम आर दिसम्बर 2016 का है। तथा दूसरा मई 2017 का (जो जून 2017 के पहले का)। इससे स्पष्ट होता है समस्त एम आर करायी है। एम आर s पर बी डी ओ का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है। निर्गत पंजिका का क्रमांक नहीं क्योंकि निर्गत पंजिका नहीं बनायी गई है इससे स्पष्ट होता है कि 59200+11400=70600 का भुगतान फर्जी एम आर बना कर किया गया है। दिनांक वाले स्थान एवं बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर वाले आपत्तिजनक स्थानों को लाल पेन से गोल घेरा बना दिया गया है ताकि भविष्य कोई उससे बना नहीं सके।

रु0 473660.00(377660+96000) की सामग्री की आपूर्ति की पुष्टि हेतु स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सामग्री का दुरुपयोग हुआ है उक्त इस प्रकार समता 473660+70600 को बाखूबी बी०डी० ओ० आंकिक एम० सिद्धकी कार्य प्रभारी श्री गिरीश चन्द्र मिश्र तथा जे ई/ आरईडी मूलचन्द्र वर्मा से व्याय सहित ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

टेण्डर प्राप्तकर्ता के लिफाफों पर बी०डी०ओ० द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति के सदस्यों का पदनाम एवं हस्ताक्षर नहीं है। 10 प्रतिशत एन सी आर /एफडीआर धरोहर के रूप में नहीं रखी गई जिसकी पुष्टि बांट रजि0-2 में इन्ट्री के रूप में नहीं होने से होती है।

इस प्रकार उक्त समस्त व्यय 70600.00 की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ०, जे ई/ आरईडी कार्य प्रभारी एवं आंकिकी से अपेक्षित है। शेष रु0 377660.00 की ब्याज सहित वसूली बी डी ओ एवं कार्य प्रभारी श्री गिरीश चन्द्र मिश्र (ग्रा०वि०अधि०) से अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या -148**

**ग्राम ढिलिया पिचरोड से मसौली हनुमान मंदिर तक इस्ट स्टोन कार्य-** कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ ए डी ओ (सी)

जेई /आर ई डी - मूल चन्द्र वर्मा

बी डी ओ = "एस० के ० कटियार (एस्टिमेट के समय S.पी.Tiwari आर i बी डी ओ थे)

भुगतान

अ - एम आर 107000 चेक नंबर 338758/30-11-16

30 लेबर 535 कार्य दिवस समय 1 नवंबर से 18 नवंबर 2016 तक

ब - सामग्री की आपूर्ति का वाउचर पर दि0 20-11-2016- एम/एस अनुराग

कन्स्ट्रक्सन

वाउचर नं०- एन ए -29700.00 कटौती के बाद-279180- चेक नंबर -085402 दि० 30-11-16

स - सामग्री 10-2-17, वाउचर नं० एन ए

429750/403965/चेक नंबर 290610 दिनांक-20-02-17

द -एम आर रुपये 85400---290609/20-02-17

(23 लेबर 427 कार्य दिवस 1 जनवरी to 18 जनवरी 2017)

सामग्री की आपूर्ति 20-11-2016 की गई परन्तु कार्य प्रभारी जितेन्द्र गौड़ ने उसके पहले ही 1 नवंबर से 18 नवंबर तक का कार्य एम आर लगाया है। इससे फर्जी स्पष्ट होता है कि 107000.00 का फर्जी एम आर प्रस्तुत किया है। एम आर पर कहीं गिरीश मिश्र तथा कहीं पर जितेन्द्र गौड़ का नाम लिखकर काट पीट किया गया है नोट सीट पर कार्य प्रभारी जितेन्द्र कुमार गौड़ की नियुक्ति की स्वीकृति उक्त द्वारा 15-10-2016 को दी गई है।

उसी प्रकार 10-2-17 को सामग्री की आपूर्ति की गई तथा एम आर एक जनवरी से 19 जनवरी 2017 तक का है। इससे स्पष्ट होता है कि सामग्री आने से पहले ही फर्जी एम आर बनाकर भुगतान लिया गया है। यदि यह एम आर यह मान लिया जाये कि 20 नवंबर 16 के सामग्री का है तो फिर एम आर (ए ) कैसा होगा। फिर सामग्री नं०-सी का उपयोग या उपभोग कहाँ हुआ?

इससे स्पष्ट होता है कि बी०डी०ओ०, कार्य प्रभारी, जे ई/ आरईडी तथा आंकिकी ने मिलजुल करके सरकारी धनराशि लूटने हेतु फार्म व्यय प्रमाणक बनाकर सरकारी धनराशि का अपहरण किया है।

एम आर पर कहीं गिरीश मिश्र का नाम है तो कहीं पर काटकर जितेन्द्र गौड़ का नाम है इससे स्पष्ट है कि एम आर पवित्रता नहीं बरती गई। एम आर पर एम आर पंजिका (निर्गत) की संख्या (चिटठा संख्या) अंकित नहीं है। तथा बी०डी०ओ०/उपयुक्त अधिकारी/ कर्मचारी का काउंटर साइन नहीं है। एम आर निर्गत पंजिका नहीं बनायी गई है। इससे दोनों एम आर के फर्जी होने की पुष्टि होती है।

टेण्डर के नियमानुसार आवेदकों के लिफाफों को खोलते समय बी डी ओ ,एडीओ(आईएसबी)तथा जे ई/ आरईडी का स्पष्ट नाम एवं हस्ताक्षर होना चाहिए जो नहीं है केवल बी०डी०ओ० का है। (बी०डी० ओ० द्वारा गठित दिनांक 27-10-16 को गठित त्रिस्तरीय समिति में यही नाम है।

10 प्रतिशत धरोहर .. एन सी आर /एफडीआर रखवाने की पुष्टि ग्रांट रजि0-2 से नहीं होने से यह तथ्य साबित होता है कि नियमों को ताख पर रख करके एम/एस अनुराग कंस्ट्रक्सन को दी गई है।

मेसर्स को टेण्डर नहीं देने की शर्त बी०डी०ओ० द्वारा अल्पकालिक निविदा सूचना आदेश में है परन्तु बी०डी०ओ० द्वारा स्वयं उल्लघन किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह पुष्टि होती है कि 919150.00 को राजकीय धनराशि की क्षति करके बी०डी०ओ०, आंकिकी, जे ई/ आरईडी तथा कार्य प्रभारी ने सरकारी धनराशि का अपहरण किया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है /जे ई/ आरईडी को भूमिका संदिग्ध इसलिए है कि फर्जी एमबी बनाकर और एम आर की बिना चेक किस भुगतान को संस्तुति देना है। इसी प्रकार आंकिक एम० सिददकी ने भुगतान ने चेक बनाने से पहले एम आर को विधिवत जाँच करके एवं एम आर निर्गत पंजिका बनाकर भुगतान करना चाहिए। उसी प्रकार बी०डी०ओ० ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करने से इतनी बड़ी सरकारी धनराशि की क्षति हुई है।

## क्षेत्र पंचायत माण्डा जनपद - प्रयागराज

वर्ष 2017-18, 2018-2019 एवं 2019-20

प्रस्तर-149 क्षेत्र पंचायत माण्डा वर्ष 2017-18, 2018-2019 एवं 2019-20 में विभिन्न मदों में निम्न

विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है-

| मद का नाम        | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | योग         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| राज्य वित्त आयोग | 2106478.00   | 3848923.00   | 1238988.00   | 7194389.00  |
| सांसद निधि       | 00.00        | 771531.00    | 1276188.00   | 1276188.00  |
| विधायक निधि      | 1169424.00   |              | 2318147.00   | 4259102.00  |
| योग-             | 3275902.00   | 4620454.00   | 4833323.00   | 12729679.00 |

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में सामग्री क्रय पर कुल रु0 12729679.00 व्यय किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार 1 प्रतिशत के दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिये था।

जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते। हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार कुल व्यय रु0 12729679.00 पर एक प्रतिशत के दर से लेबर सेस रु0 127297.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शीघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में बी० डी० ओ० एवं लेखाकार को बराबर-बराबर अंश के लिए जिम्मेदार किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर- 150. संस्था द्वारा प्रधानमंत्री आवस कण्टीजेसी मद के अन्तर्गत मनोज कुमार को चेक नं0 440348 दिनांक 7-5-2018 द्वारा रु0 10,000.00 नाशत पानी देने हेतु देना दर्शाया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वाउचर विहीन धनराशि रु0 10000.00 को लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में विहित प्रावधानों के अनुसार गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सहायक लेखाकार श्री विजय भूषण दिवेदी से रु0 5000.00 तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह से रु0 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-8)

प्रस्तर- 151. संस्था के प्रधानमंत्री आवास कण्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत लेखाकार माया शंकर पाण्डेय द्वारा चेक नं0 44361 दिनांक 24-08-2018 को रु0 20000.00 का स्टेशनरी क्रय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वाउचर विहीन धनराशि रु0 20000.00 को लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायत वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में विहित प्रावधानों के अनुसार गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री माया शंकर पाण्डेय से रु0 10000.00 तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह से रु0 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-09)

क्षेत्र पंचायत कौंधियारा - जनपद प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष - 2011-12 से 2013-14

आलोच्य वर्ष में अधिभार से सम्बन्धित आपतियों का विवरण-

प्रस्तर संख्या - 152 वित्तीय वर्ष 2011-12 में बारहवीं/तेरहवाँ वित्त मद से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | चेक संख्या /दिनांक | धनराशि (रुपया)   | भुगतान कर्ता                       | व्यय का विवरण                                                               |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 044873/25.07.2011  | 45000.00         | श्री सन्तराम यादव                  | ग्राम पंचायत नेथुना के नाजी खुदाई एवं निर्माण कार्य पर सामग्री एवं श्रमांश। |
| 2        | 66381/07.12.2011   | 50000.00         |                                    |                                                                             |
| 3        | 663882/13.12.2011  | 50000.00         |                                    |                                                                             |
| 4        | 663886/28.03.2012  | 50000.00         |                                    |                                                                             |
| 5        | 044874/25.07.2011  | 15000.00         | श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) | ग्राम पंचायत गौरा में मन लाल के कूप जगत का निर्माण एवं मरम्मत कार्य।        |
| 6        | 044875/25.06.2011  | 14000.00         |                                    |                                                                             |
| 7        | 044878/09.10.2011  | 25000.00         |                                    |                                                                             |
| 8        | 044880/21.10.2011  | 9000.00          |                                    |                                                                             |
| 9        | 063883/31.12.2011  | 6500.00          |                                    |                                                                             |
| 10       | 044876/02.09.2011  | 24000.00         | श्री सन्तराम यादव (ग्रा०पंचा०अधि०) | ग्राम पंचायत बेनीपुर में ट्यूबवेल की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत।                |
| 11       | 063886/28.03.2012  | 12000.00         |                                    | ग्राम पंचायत अर्कोडा में जूप मरम्मत कार्य।                                  |
|          | <b>योग</b>         | <b>300500.00</b> |                                    |                                                                             |

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बारहवाँ / तेरहवाँ वित्त मद से व्यय की गयी धनराशि रूपया 300500.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल व अन्य अभिलेख आदि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। क्रम संख्या 04 एवं 11 में भुगतान की गयी धनराशि रूपया 50000.00 एवं रूपया 12000.00 की चेक संख्या एवं तिथि समान है। ऐसा किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः उक्त व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 300500.00 लेखा परीक्षा के अनुसार अपहरण के अन्तर्गत आता है। इसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री राजेश पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, श्री रंजीत सिंह एवं श्री हिन्छलाल यादव, श्री सन्तराम यादव ग्राम पंचा०अधि० एवं श्री सुरेश यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०) से किया जाना अपेक्षित है।

**मूल आपत्ति**

**संख्या- 08**

**प्रस्तर संख्या - 153** वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य / तेरहवाँ वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य एवं मजदूरी व्यय का विवरण निम्नवत् है-

| क्र० सं० | चेक संख्या /दिनांक | धनराशि (रुपया)   | भुगतान कर्ता                        | व्यय का विवरण                                                                    |
|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 229828/02.04.2012  | 40000.00         | श्री सुरेश चन्द्र ए०बी०ओ० (एस०टी०)  | ग्राम पंचायत बेनीपुर में 0-300 मी० से 301-600 मी० मार्ग निर्माण पर श्रमांश व्यय  |
| 2        | 229642/25.06.2012  | 31752.00         |                                     |                                                                                  |
| 3        | 229844/02.07.2012  | 19552.00         |                                     |                                                                                  |
| 4        | 229861/08.11.2012  | 34216.00         |                                     |                                                                                  |
| 5        | 229829/02.04.2012  | 26000.00         | श्री सन्तराम यादव (ग्रा०पंचा० अधि०) | ग्राम पंचायत बेनीपुर में 0-300 मी० से 301-600 मी० मार्ग निर्माण पर श्रमांश व्यय। |
| 6        | 229841/21.06.2012  | 31752.00         |                                     |                                                                                  |
| 7        | 229843/02.07.2012  | 48880.00         |                                     |                                                                                  |
| 8        | 229862/08.11.2012  | 34216.00         |                                     |                                                                                  |
|          | <b>योग</b>         | <b>266368.00</b> |                                     |                                                                                  |

उपरोक्त कुल श्रमांश व्यय रूपया 266368.00 में से रूपया 125520.00 का भुगतान श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) द्वारा एवं रूपया 140848.00 का भुगतान श्री सन्तराम यादव ग्राम पंचा०अधि० को किया गया है, जो कि उपरोक्त कार्य के प्रभारी रहे हैं। इस पर निम्नांकित आपत्तियाँ हैं-

1- श्रमांश व्यय से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

2- श्रमांश की धनराशि का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। अतः लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि श्रमिकों को प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं हो पाया। इसलिए रूपया 266368.00 को अनियमित भुगतान मानते हुए निम्नांकित व्यक्तियों पर कार्यवाही अपेक्षित है-

अ- श्री रंजीत सिंह एवं श्री हिन्छ लाल यादव (खण्ड विका० अधि०) रु0 133184.00

ब- श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) रु0 62760.00



**प्रस्तर संख्या - 154** वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से चेक संख्या 180123/05-10-2012 को क्षेत्र पंचायत प्रमुख को मानदेय रूपया 15000.00 भुगतान किया गया है, जबकि उसी चेक संख्या 180123/18-10-2012 से श्रमांश का भुगतान रूपया 47744.00 एवं रूपया 50000.00 श्री सन्तराम यादव (ग्रा०प०अधि०) को किया गया है। लेखा परीक्षा में इसे घोर लापरवाही मानते हुए सुनिश्चित पाया गया कि तीनों भुगतान अनुचित ढंग से किए गये जिसके ब्याज सहित वसूली निम्नांकित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है-

अ- श्रीमती तसलीम फातिमा (क्षेत्र पंचा० प्रमुख)

रु0 15000.00

ब- श्री सन्तराम यादव (ग्रा०पंचा० अधि०)

रु0 97744.00

योग

रु0 112744.00

अतः ब्याज सहित वसूली योग्य कुल धनराशि का योग-112744.00+266368.00-379112.00 है।

मूल आपति संख्या- 10

**प्रस्तर संख्या - 155** राज्य वित्त मद से वर्ष 2013-14 में व्यय की गयी धनराशि एवं कार्य सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | चेक संख्या<br>/दिनांक | धनराशि (रूपया)   | भुगतान कर्ता                       | व्यय का विवरण                                  |
|----------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 211679/15.04.2013     | 60000.00         | श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) | ग्राम पंचायत कोल्हुआ में पुलिया निर्माण कार्य। |
| 2        | 211680/15.04.2013     | 48865.00         | मे० हीरामणी पाण्डेय                | उपरोक्त                                        |
| 3        | 211681/15.04.2013     | 48865.00         | मे० हीरामणी पाण्डेय                | उपरोक्त                                        |
| 4        | 211688/22.04.2013     | 39092.00         | मे० हीरामणी पाण्डेय                | उपरोक्त                                        |
| 5        | 211691/22.04.2013     | 48865.00         | मे० हीरामणी पाण्डेय                | उपरोक्त                                        |
| 6        | 211693/27.04.2013     | 19500.00         | श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) | उपरोक्त                                        |
| 7        | 211714/13.06.2013     | 4000.00          | श्री सन्तराम यादव (ग्रा०प०अधि०)    | उपरोक्त                                        |
| 8        | 211689/22.04.2013     | 40000.00         | श्री सुरेश चन्द्र ए०डी०ओ० (एस०टी०) | उपरोक्त कार्य का श्रमांश                       |
| 9        | 416606/11.02.2014     | 52875.00         | श्री संजय शुक्ला                   | उपरोक्त                                        |
| 10       | <b>योग</b>            | <b>362062.00</b> |                                    |                                                |

उपरोक्त व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 362062.00 में रूपया 269187. 00 सामग्री क्रय में एवं रूपया 92875.00 श्रमांश के मद में व्यय की गयी है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपतियाँ हैं-

1- सामग्री क्रय सम्बन्धी कोई भी बिल वाऊचर फाईल व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय की धनराशि रूपया 269187.00 को लेखा परीक्षा में नियम विरुद्ध भुगतान मानते हुए उक्त धनराशि का अपहरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है-

| क्र०सं० |                                                        |                      |              |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1       | श्री लालजी यादव<br>श्री राकेश सिंह<br>श्री तेजभान सिंह | खण्ड विकास अधिकारी   | रु0 89732.00 |
| 2       | श्री सुरेश चन्द्र                                      | ए०डी०ओ० (एस०टी०)     | रु0 89732.00 |
| 3       | श्री राजेश पाण्डेय                                     | लेखाकार              | रु0 89732.00 |
|         | <b>योग</b>                                             | <b>रु0 269187.00</b> |              |

इस प्रकार श्रमांश पर व्यय की धनराशि रूपया 92875.00 के सम्बन्ध में निम्नांकित आपतियाँ निर्गत की जाती हैं-

1- श्रमांश व्यय सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

2- श्रमांश की धनराशि का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि को लेखा परीक्षा में अपहरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्नांकित व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है-

| क्र०सं० |                                    |                    |              |
|---------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1       | श्री लालजी यादव<br>श्री राकेश सिंह | खण्ड विकास अधिकारी | रु0 46437.00 |

|   |                   |                     |              |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
|   | श्री तेजभान सिंह  |                     |              |
| 2 | श्री सुरेश चन्द्र | ए०डी०ओ० (एस०टी०)    | रु० 20000.00 |
| 3 | श्री संजय शुक्ल   | ग्रा.प.अधि.         | रु० 26438.00 |
|   | <b>योग</b>        | <b>रु० 92875.00</b> |              |

ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु कुल धनराशि का योग-

269187.00+92875.00= 362062.00

मूल आपति संख्या- 11

**क्षेत्र पंचायत कौंधियारा - जनपद प्रयागराज**

**लेखा परीक्षा वर्ष - 2014-15 से 2016-17**

**प्रस्तर संख्या - 156** - वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य / तेरहवाँ वित्त के अर्न्तगत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में गम्भीर आपतियों पायी गयी, जिसका विवरण निम्नांकित है-

| क्र० सं० | चेक संख्या<br>/दिनांक | धनराशि (रुपया)   | भुगतान कर्ता                         | व्यय का विवरण                                       |
|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01       | 462454/02.04.2014     | 52912.00         | न्यू विकास ट्रेडर्स                  | ग्राम पंचायत बोढरी में कूप मरम्मत सामग्री क्रय।     |
| 02       | 462468/23.04.2014     | 110771.00        | मे० ब्रह्मानन्द पाण्डेय              | ग्राम पंचायत ढोढरी में नाली निर्माण सामग्री क्रय।   |
| 03       | 462463/11.04.2014     | 54784.00         | श्री सन्तराम यादव<br>ग्रा०पंचा०अधि०  | उपरोक्त कार्य।                                      |
| 04       | 462478/29.08.2014     | 68447.00         | श्री सन्तराम यादव ग्रा०पंचा०<br>अधि० | ग्राम पंचायत ढोढरी में पुलिया निर्माण सामग्री क्रय। |
|          | <b>योग</b>            | <b>286914.00</b> |                                      |                                                     |

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रूपया 286914.00 के सम्बन्ध में निम्नांकित आपतियों हैं-

1- लेखा परीक्षा के समय कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्य विवरण पत्र, बिल वाउचर, इनवाइस आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

2- उपरोक्त कार्य का इस्टीमेट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय की गयी धनराशि रूपया 286914.00 को लेखा परीक्षा के अनुसार अपहरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए निम्नांकित व्यक्ति उत्तरदायी हैं-

| क्र०सं० |                                                                       |                      |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1       | श्री करुणा शंकर पाण्डेय<br>श्री राजेश कुमार<br>श्री हरिश्चन्द्र चौधरी | खण्ड विकास अधिकारी   | रु० 95638.00 |
| 2       | श्री सन्तराम यादव                                                     | ग्राम पंचा० अधि०     | रु० 95638.00 |
| 3       | श्री राजेश कुमार पाण्डेय                                              | लेखाकार              | रु० 95638.00 |
|         | <b>योग</b>                                                            | <b>रु० 286914.00</b> |              |

उपरोक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या- 10**

**प्रस्तर संख्या - 157** - वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य / तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में गम्भीर आपतियाँ पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत् है-

| क्र० सं० | चेक संख्या<br>/दिनांक | धनराशि (रुपया) | भुगतान कर्ता                        | व्यय का विवरण                                       |
|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01       | 462521/13.04.2015     | 127450.00      | श्री सन्तराम यादव<br>ग्रा०पंचा०अधि० | ग्राम पंचायत बरौली में मजदूरी भुगतान (हरिजन बस्ती)। |
| 02       | 462525/13.04.2015     | 57871.00       | श्री बृजभुवन मौर्या                 | ग्राम पंचायत कंचनवा में श्रमांश का                  |

|    |                   |                  |                          |                                                                                    |
|----|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                  | ग्रा०पंचा०अधि०           | भुगतान।                                                                            |
| 03 | 462522/13.04.2015 | 301540.00        | श्री अम्बिकेश कुमार सिंह | ग्राम पंचायत बरौली में सामग्री क्रय।                                               |
| 04 | 462523/13.04.2015 | 166921.00        | श्री शिववरन सिंह         | ग्राम पंचायत पीढ़ी में श्री विनोद शुक्ला के घर तक निर्माण कार्य सामग्री।           |
| 05 | 462524/13.04.2015 | 63450.00         | श्री शिववरन सिंह         | ग्राम पंचायत कंचनवा में पक्की सड़क से श्याम नारायण पाण्डेय के घर तक निर्माण कार्य। |
| 06 | 462526/13.04.2015 | 180381.00        | मो०असलम                  | करमा पक्की सड़क से सरजू यादव के घर तक निर्माण सामग्री।                             |
|    | <b>योग</b>        | <b>897613.00</b> |                          |                                                                                    |

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रूपया 897613.00 में रूपया 185321.00 श्रमांश के मद में एवं रूपया 712292.00 सामग्री क्रय के मद में किया गया है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त व्यय धनराशि किस निर्माण कार्य के लिए व्यय की गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियाँ सुनिश्चित की जाती हैं-

1- रूपया 185321.00 श्रमांश मद में व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा के अनुसार इसे अपहरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही निम्नलिखित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है-

अ- श्री सन्तराम यादव (ग्रा०प०अधि०) ₹0 127450.00  
 ब- श्री बृजभुवन मौर्या (ग्रा०प०अधि०) ₹0 57871.00

**योग ₹0 185321.00 मूल आपत्ति संख्या-21**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि रूपया 712292.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है, परन्तु किस कार्य के लिए सामग्री क्रय की गयी है, इसका कोई विवरण / उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। अतः लेख परीक्षा नियमावली के अनुसार उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्नांकित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है-

क- श्री करुणा शंकर पाण्डेय श्री तेजभान सिंह श्री लालजी यादव (खण्ड विका० अधि०)  
 ₹0 356146.00

ब- श्री सन्तराम यादव (ग्रा०प०अधि०) ₹0 178073.00  
 स- श्री राजेश पाण्डेय (लेखाकार) ₹0 178073.00

**योग ₹0 712292.00**

लेखा परीक्षा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु निर्धारित कुल धनराशि रूपया **185321.00+712292.00=897613.00**

**प्रस्तर संख्या - 158** वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य / तेरहवाँ वित्त मद से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयी, जिसका विवरण निम्नांकित है-

| क्र० सं० | चेक संख्या /दिनांक | धनराशि (रूपया)   | भुगतान कर्ता                     | व्यय का विवरण                                  |
|----------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 01       | 831622/27.11.2016  | 110000.00        | मे० श्री हीरामणी पाण्डेय सप्लायर | ग्राम पंचायत बरौली में सामग्री क्रय।           |
| 02       | 831627/17.12.2016  | 50000.00         | मे० श्री हीरामणी पाण्डेय सप्लायर | उपरोक्त                                        |
| 03       | 831628/03.01.2017  | 90300.00         | श्री अम्बिका तिवारी सप्लायर      | ग्राम पंचायत बेनीपुर में निर्माण सामग्री क्रय। |
|          | <b>योग</b>         | <b>250300.00</b> |                                  |                                                |

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रूपया 250300.00 सामग्री क्रय के लिए राज्य वित्त मद से की गयी है, जिसमें लेखा परीक्षा में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयी-

1- क्रय की गयी निर्माण सामग्री किस निर्माण कार्य के लिए क्रय की गयी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि निर्माण कार्य का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया है।

2- व्यय की गयी धनराशि रूपया 250300.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, इनवाइस, इस्टीमेट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे व्यय धनराशि का उचित भुगतान किया जाना स्पष्ट नहीं हुआ।

अतः लेखा परीक्षा नियमावली के अनुसार उक्त व्यय की गयी धनराशि रूपया 250300.00 को अपहरण मानते हुए निम्नांकित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है-

| क्र०सं० |                     |                      |               |
|---------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1       | श्री लालजी यादव     | खण्ड विकास अधिकारी   | रु0 125150.00 |
|         | श्री लल्ला राम यादव |                      |               |
|         | श्री पियूष सिंह     |                      |               |
| 2       | श्री सन्त राम यादव  | ग्राम पंचायत अधिकारी | रु0 62575.00  |
| 3       | श्री राजेश पाण्डेय  | लेखाकार              | रु0 62575.00  |
|         | श्री एम०ए० सिद्धीकी |                      |               |
|         | <b>योग</b>          | <b>रु0 250300.00</b> |               |

मूल आपति संख्या-30

## क्षेत्र पंचायत कौंधियारा - जनपद - प्रयागराज

### लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर- 159- क्षेत्र पंचायत कौंधियारा द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-2019 एवं 2019-20 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है-

| मद का नाम        | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | योग        |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| राज्य वित्त आयोग | 1125258.00   | 2252944.00   | 2493705.00   | 5871907.00 |
| सांसद निधि       | 561088.00    | 73304.00     | 00.00        | 634392.00  |
| विधायक निधि      | 123237.00    | 122888.00    | 151186.00    | 397311.00  |
| योग-             | 1809583.002  | 2449136.00   | 2644891.00   | 6903610.00 |

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में सामग्री क्रय पर कुल रु0 6903610.00 व्यय किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार 1 प्रतिशत के दर से लेबर से काटा जाना चाहिये था। जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार कुल व्यय रु0 6903610.00 पर एक प्रतिशत के दर से लेबर मेस 69036.00 (ऊनहत्तर हजार छत्तीस) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिर्भवन एवं अन्य सन्धिय निर्माण कार्यकार कल्याण बोर्ड खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में बी० डी० ओ० एवं लेखाकार को बराबर-बराबर अंश के लिए जिम्मेदार किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-04)

## क्षेत्र पंचायत - जसरा जनपद - प्रयागराज

### अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायत-जसरा जिला- प्रयागराज के वर्ष 2011-12 2012-13 व 2013-14 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### आपति का विवरण

प्रस्तर संख्या - 160.

बैंको द्वारा विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित जमा धनराशियों पर दी गयी ब्याज की धनराशि वर्ष 2013-14 के अन्त में कुल 91,342-00 खाते में अवरूद्ध रहीं सम्बन्धित धनराशि को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। यह एक गंभीर अनियमितता है। अतः उक्त राशि को समयान्तर्गत सदुपयोग किये जाने के लिए उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 161**

वर्ष 2012-13 से 2013-14 के अन्तर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण से सम्बन्धित धनराशि रु.16095-00 की दो वर्ष से खाते में अवरोद्ध पड़ी रही। सम्बन्धित धनराशि को यदि बायोगैस संयंत्रों के निर्माण पर व्यय किया जाना आवश्यक नहीं था तो उसके सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि इस लाभार्थी परक योजना के संचालन में घोर उदासीनता बरती गयी है। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 162.**

वर्ष 2012-13 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत रु. 6000-00 की पूरे वर्ष खाते में अवशेष पड़ी रही। सम्बन्धित धनराशि को व्यय करने में शिथिलता बरती गयी जिससे सम्बन्धित योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः इस तरह की अनियमितता को समाप्त करने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 163.**

युवक/महिला मंगल दल के प्रोत्साहन धनराशि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत रु. 6000-00 वर्ष खाते में उपलब्ध थी, जो पूरे वर्ष के दौरान उपभोग/व्यय नहीं की गयी। यह धनराशि युवाओं के लिए खेल-कूद की सामग्री कय करने हेतु शासन द्वारा आवंटित की जाती है। ऐसी स्थिति में युवाओं के प्रोत्साहन वृद्धि में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इस तरह की अनियमितता पर विभागीय अधिकारी द्वारा उत्तरदायी व्यक्तियों नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 164.**

आलोच्य वर्ष 2012-13 "विधायक निधि" योजनान्तर्गत ग्राम-छतहरा में राहुल पासी के घर से चन्द्रप्रकाश के खेत तक कट स्टोन सोलिंग का कार्य 85मी० स्वीकृत किया गया। इस कार्य के लिए उपलब्ध धनराशि रु. 52,000-00 थी। परन्तु व्यय धनराशि रु. 77,987-00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु. 25,987-00 उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है। उक्त आधिक्य धनराशि का स्रोत भी नहीं उल्लेखित किया गया। अतः सक्षम अधिकारी से अपेक्षित है कि नियमानुसार जाँच कराकर इस आधिक्य धनराशि की पुष्टि करायी जाए एवं उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 165.**

आलोच्य वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जसरा परिसर में कुल 8 सोलर लाइट लगवाई गयी जिसमें नियमों और मापदण्डों की अनदेखी की गयी। इस संदर्भ ज्ञातव्य है कि UPIINयद अ ने मापदण्ड निर्धारित कर सोलर लाइट के सप्लाय के लिए तीन फर्मों को अधिकृत किया था। परन्तु लगाये गये 8 सोलर लाइट स्थानीय फर्म से लिये गये जो कि निर्धारित मापदण्ड से निचले स्तर के थे। कुल 8 सोलर लाइट लगाने में धनराशि रु. 1,85,520-00 का व्यय किया गया। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से अपेक्षित है कि सोलर लाइट लगाने में नियमों एवं मापदण्डों की अनदेखी कर गंभीर अनियमितता बरती गयी है इसकी उचित जांच करायी जाए और उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत - जसरा जनपद - प्रयागराज****अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, से 2016-17****अधिभार प्रतिवेदन**

क्षेत्र पंचायत-जसरा जिला- प्रयागराज के वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**आपत्ति का विवरण****प्रस्तर संख्या - 166-**

अनुदान पंजिका में विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त ब्याज की धनराशि विगत कई वर्षों से एकत्र हो रही थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में कुल रु. 180412-00 की धनराशि अवशेष पड़ी हुयी थी। उक्त अवशेष पड़ी धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस अथवा शासकीय हेड में जमा नहीं किया गया जिससे राजकीय धन का सदुपयोग नहीं हो सका। इस तरह की वित्तीय उदासिनता एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 167-**

विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के अन्त में कार्यो को पूर्ण कराये जाने के पश्चात कुल रु. 245114-00 की धनराशि तीन वर्षों तक बैंक खाते में अप्रयुक्त अवशेष पड़ी रही जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। इतनी अधिक धनराशि अकारण अवरूद्ध रखने से गंभीर अनियमितता परिलक्षित होती है। अतः इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार जाँच करा कर आवश्यक कार्यवाही करके अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत वापस अथवा सदुपयोग किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 168.**

युवक/महिला मंगल दल के प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्राप्त धनराशि रु. 12000-00 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार दो वर्ष अनुदान पंजिका में अवशेष पड़ी रही। उक्त योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद के सामग्री क्रय के लिए दिया जाता है जिससे गाँवों में खेल-कूद को प्रोत्साहन मिले। उक्त धनराशि को अवरूद्ध करने से योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या - 169-**

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में कुल प्राप्त धनराशि रु. 180000-00 का उपयोग उक्त वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सका। समयान्तर्गत शासकीय धनराशि को नियमानुसार व्यय न किया जाना घोर लापरवाही दर्शाता है जिससे योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस लाभार्थी परक योजना की धनराशि को खाते में अवरूद्ध रखना वित्तीय अनियमितता है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर इससे संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत - मेजा तहसील - मेजाजनपद-प्रयागराज****लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14****प्रस्तर संख्या - 170 -**

एस जी एस वाय अनुदान मद की स्थिति अनुदान पंजी 3 के अनुसार रही-

| लेखा परीक्षा वर्ष | मद                  | प्रारम्भिक अवशेष | आय         | व्यय       | अन्तिम अवशेष |
|-------------------|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 2011-12           | एस जी एस वाय अनुदान | 1960878-00       | 214000-00  | 1052500-00 | 3048378-00   |
|                   | एस जी एस वाय ब्याज  | 262021-80        | 127881-00  | -----      | 389902-80    |
| 2012-13           | एस जी एस वाय अनुदान | 3048378-00       | 1954400-00 | 2822000-00 | 2180778-00   |
|                   | एस जी एस वाय ब्याज  | 389902-80        | 171218-00  | -----      | 561120-80    |
| 2013-14           | एस जी एस वाय अनुदान | 2180778-00       | 3802500-00 | 5983278-00 | -----        |
|                   | एस जी एस वाय ब्याज  | 561120-80        | 76086-00   | 637206-80  | -----        |

सम्बन्धित तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में एस जी एस वाय मद से रूपया 1052500-00 वर्ष 2012-13 में रूपया 2822000-00 तथा वर्ष 2013-14 में रूपया 5983278-00 व्यय किये गये और उक्त व्यय कुल रूपया 9857778-00 के सापेक्ष केवल अनुदान पंजी तीन (तृतीय) ही प्रमाण रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अनुदान की धनराशि किस योजना के अनुसार कब से प्राप्त हो रही थी? उक्त धनराशि का उपयोग किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाना था। संस्था द्वारा उक्त धनराशि किस कार्य में कैसे व्यय की गयी। कोई सहायक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रूपया 9857778-50 के व्यय के अनियमित मानते हुए अपहृत धनराशि रूपया 9857778-00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों और लेखाकारों से उनके कार्यकाल में किये गये व्यय के सापेक्ष बराबर-बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए।

**प्रस्तर संख्या -171-**

क्षेत्र पंचायत मेजा में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राज्य वित्त, तेरहवें वित्त तथा विधायक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य में व्यय किया गया और वैट टीडीएस तथा सेस (कर्मकार उपकर) काटा गया-

वर्ष 2011-2012

| मद             | निर्माण कार्य सामग्री व्यय | वैट कटौती | टी0डी0एस0कटौती | लेबर सेस 1 प्रति0 |
|----------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| राज्य वित्त    | 2090360-00                 | 00        | 00             | 00                |
| तेरहवाँ वित्त  | 2472267-00                 | 00        | 00             | 00                |
| विधायक निधि    | 665454-00                  | 00        | 00             | 00                |
| वर्ष 2012-2013 |                            |           |                |                   |
| राज्य वित्त    | 732493-00                  | 25000-00  | 11200-00       | 00                |
| तेरहवाँ वित्त  | 1194370-00                 | 31373-00  | 14010-00       | 00                |
| विधायक निधि    | 125409-00                  | 00        | 00             | 00                |
| वर्ष 2013-2014 |                            |           |                |                   |
| राज्य वित्त    | 3626959-00                 | 157244-00 | 84218-00       | 00                |
| तेरहवाँ वित्त  | 1979283-00                 | 72711-00  | 42565-00       | 00                |
| विधायक निधि    | 260541-00                  | 00        | 00             | 00                |

नियमानुसार निर्माण सामग्री क्रय पर ठेकेदार द्वारा की गयी सामग्री आपूर्ति के बिल से 4 प्रतिशत की दर से वैट 2.4 प्रतिशत की दर से टीडीएस तथा 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर काटा जाना चाहिए था, किन्तु उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज सहित वसूली में अन्तर रहा-

| वर्ष    | मद           | वैट       |           |              | टीडीएस    |           |           | लेबर सेस  |          |          |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|         |              | काटना था  | काटा गया  | अन्तर        | काटना था  | काटा गया  | अन्तर     | काटना था  | काटा गया | अन्तर    |
| 2011-12 | राज्य वित्त  | 83614.40  | --        | 83614.40     | 50168.64  | --        | 50168.64  | 20903.60  | --       | 20903.60 |
| 2011-12 | 13 वाँ वित्त | 98910.68  | --        | 98910.68     | 59346.40  | --        | 59346.40  | 24727.67  | --       | 24727.67 |
| 2011-12 | विधायक निधि  | 26618.08  | --        | 26618.08     | 15971.00  | --        | 15971.00  | 6655.00   | --       | 6655.00  |
| 2012-13 | राज्य वित्त  | 29300.00  | 25000.00  | 4300.00      | 17580.00  | 11200.00  | 6380.00   | 7325.00   | --       | 7325.00  |
| 2012-13 | 13 वाँ वित्त | 47775.00  | 31373.00  | 16402.00     | 28665.00  | 14010.00  | 14655.00  | 11944.00  | --       | 11944.00 |
| 2012-13 | विधायक निधि  | 5016.00   | --        | 5016.00      | 3010.00   | --        | 3010.00   | 1254.00   | --       | 1254.00  |
| 2013-14 | राज्य वित्त  | 145078.00 | 157244.00 | (-) 12166.00 | 92842.00  | 84218.00  | 8624.00   | 36270.00  | --       | 36270.00 |
| 2013-14 | 13 वाँ वित्त | 79171.00  | 72711.00  | 6460.00      | 47503.00  | 42565.00  | 4938.00   | 19793.00  | --       | 19793.00 |
| 2013-14 | विधायक निधि  | 10422.00  | --        | 10422.00     | 6253.00   | --        | 6253.00   | 2605.00   | --       | 2605.00  |
|         | योग          | 525905.00 | 286328.00 | 239577.00    | 321339.00 | 151993.00 | 169346.00 | 131477-00 | --       | 13477-00 |

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के वर्षों में वैट रूपया 239577-00 टीडीएस रूपया 169346-00 तथा कर्मकार उपकर लेबर सेस रूपया 131477-00 कम कटौती की गयी अर्थात् कुल रूपया 540400-00 की कटौती आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के बिलों से करके सम्बन्धित मदों में जमा की जानी थी जो नहीं की गयी। अतः सम्बन्धित धनराशि रूपया 540400-00 की ब्याज सहित वसूली आलोच्य वर्षों में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों और लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार के कार्यकाल को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए जो दोनों पदों से समान अर्थात् बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है ।

**प्रस्तर संख्या -172-**

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त मद से कराये गये निम्नलिखित व्यय के सम्बन्ध में अनुदान पंजी द्वितीय में प्राप्त विवरण के अनुसार कराये कार्य का नाम नहीं दिया गया है तथा इस व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली और व्यय प्रमाणक, कार्यमाप पुस्तिका, कार्य योजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी-

| क्र०सं० | कार्य/व्यय                                   | धनराशि     | चेक/ दिनांक       | टिप्पणी                                                     |
|---------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01      | ग्राम पंचायत सिरखिडी में सामग्री भुगतान      | 78620-00   | 529835/16-09-2011 | कार्य का नाम सामग्री की मात्रा कार्य की माप नहीं दी गयी है। |
| 02      | ग्राम पंचायत लोराढ में गुरुदत्त पूरा सामग्री | 42448-00   | 529836/20-09-2011 |                                                             |
| 03      | ग्राम पंचायत बंधवा में सामग्री आपूर्ति       | 109151-00  | 529837/30-09-2011 |                                                             |
| 04      | ग्राम पंचायत सिरखिडी में मजदूरी भुगतान       | 66000-00   | 529839/30-09-2011 |                                                             |
| 05      | ग्राम पंचायत लखनपुर में सामग्री भुगतान       | 111461-00  | 529840/30-09-2011 |                                                             |
| 06      | ग्राम पंचायत मजदूरी भुगतान हेतु              | 36010-00   | 529841/03-10-2011 |                                                             |
| 07      | ग्राम पंचायत मजदूरी भुगतान गुरुदत्त का पूरा  | 36000-00   | 529843/03-10-2011 |                                                             |
| 08      | ग्राम पंचायत बंधवा में मजदूरी भुगतान         | 41760-00   | 529847/16-10-2011 |                                                             |
| 09      | सामग्री भुगतान हेतु                          | 40596-00   | 529849/16-10-2011 |                                                             |
| 10      | ग्राम पंचायत तेन्दुआकला में मजदूरी भुगतान    | 20700-00   | 529850/16-10-2011 |                                                             |
| 11      | ग्राम पंचायत तेन्दुआकला में सामग्री भुगतान   | 52607-00   | 529851/16-10-2011 |                                                             |
| 12      | आमी मिरजापुर रोड में मेजा सामग्री हेतु       | 185070-00  | 829788/24-10-2011 |                                                             |
| 13      | तेन्दुआकला ग्राम गौरा में सामग्री भुगतान     | 33263-00   | 829793/04-11-2011 |                                                             |
| 14      | मजदूरी भुगतान                                | 35100-00   | 829794/04-11-2011 |                                                             |
| 15      | मजदूरी भुगतान चपरो                           | 22587-00   | 034988/16-01-2012 |                                                             |
| 16      | तिगजा खौर                                    | 52735-00   | 034989/23-02-2012 |                                                             |
| 17      | दरी पूरा लक्षण                               | 92286-00   | 034990/23-02-2012 |                                                             |
|         | सामग्री- 798237-00<br>मजदूरी- 258157-00      | 1056394-00 |                   |                                                             |

(रूपया दस लाख छप्पन हजार तीन सौ चौरानबे मात्र।)

उक्त व्यय रूपया 798237-00 की क्या सामग्री कितनी मात्रा में किस कार्य के लिए ली गयी यह स्पष्ट नहीं हो सका तथा इसके सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्य योजना, कार्य माप, एस्टीमेट, परिसम्पत्ति पंजिका, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार मजदूरी परव्यय रूपया 258157-00 के पक्ष में श्रमिक चिट्ठा प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि रूपया 1056394-00 का अपहरण की गयी धनराशि मानते हुए तत्कालीन उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारी तथा लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। रूपया 888786-00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी बीडीओ श्री अभिमन्यु सिंह और लेखाकार श्री राजेश कुमार पाण्डेय से तथा रूपया 167608-00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी बीडीओ श्री आर पी मिश्रा तथा लेखाकार श्री चन्द्रभूषण द्विवेदी से आधी-आधी मात्रा में की जानी चाहिए।

**प्रस्तर संख्या -173-**

विधायक निधि से वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय-

| क्र०सं० | दिनांक     | चेक    | धनराशि   | कार्य का नाम                                      | प्राप्तकर्ता                     |
|---------|------------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01      | 24-10-2011 | 427707 | 49750-00 | ग्राम पंचायत पोंसियादूबे में भुगतान               | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर |
| 02      | 24-10-2011 | 427706 | 49750-00 | लोराढ मार्ग में भुगतान                            | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
| 03      | 24-10-2011 | 427708 | 54725-00 | लोराढ मार्ग से नाली तक सं०मार्ग                   | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
| 04      | 14-11-2011 | 031301 | 88704-00 | ग्राम पंचायत पोंसियादूबे में सामग्री आपूर्ति हेतु | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर |
| 05      | 14-11-2011 | 031302 | 88207-00 | ग्राम पंचायत लोराढ बस्ती में सामग्री हेतु         | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
| 06      | 14-11-2011 | 031303 | 55521-00 | ग्राम पंचायत लोराढ में भुगतान                     | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |



|    |            |        |           |                                         |                                  |
|----|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 07 | 26-11-2011 | 031306 | 99200-00  | ग्राम पंचायत पोंसियादूबे में भुगतान     | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर |
| 08 | 07-12-2011 | 031311 | 59550-00  | ग्राम पंचायत लोराढ की सामग्री भुगतान    | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
| 09 | 07-12-2011 | 031312 | 59550-00  | कुशवाहा बस्ती में सामग्री भुगतान        | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
| 10 | 29-03-2012 | 071885 | 80425-00  | मेजा में डेलावा संख्या सीसी रोड         | श्री विजय कुमार पाण्डेय          |
|    |            |        | 685382-00 | (छः लाख पचासी हजार तीन सौ बयासी मात्र।) |                                  |

उक्त विवरण के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली, फाईल, परिसम्पत्ति पंजी, सामग्री विवरण तथा कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त धनराशि के अपहरण के लिए उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारी तथा लेखाकार से बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी बीडीओ श्री अभिमन्यु सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश कुमार पाण्डेय से रूपया 485857-00 आधा-आधा रूपया 119100-00 बीडीओ श्री अभिमन्यु सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्र भूषण द्विवेदीसे आधा-आधा तथा रूपया 80425-00 बीडीओ श्री आर पी मिश्रा एवं लेखाकार श्री चन्द्रभूषण द्विवेदी से आधा-आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -174-

वर्ष 2011-12 में तेरहवे वित्त मद से किये गये निम्नलिखित व्यय से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि व्यय किस कार्य/उद्देश्य में किया गया-

| क्र०सं० | दिनांक     | चेक    | धनराशि    | अस्पष्ट कार्य                                 | प्राप्तकर्ता                       |
|---------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 01      | 12-10-2011 | 529846 | 216412-00 | ग्राम पंचायत सलैया खुर्द (कार्य नहीं)         | श्री सुनील कुमार द्विवेदी सप्लायर  |
| 02      | 17-10-2011 | 529852 | 77400-00  | ग्राम पंचायत सलैया खुर्द मजदूरी               | श्री अमरनाथ शुक्ला एडीओ/एसबी       |
| 03      | 17-10-2011 | 529853 | 21691-00  | सामग्री भुगतान देना (कार्य नहीं)              | श्री सुनील कुमार द्विवेदी सप्लायर  |
| 04      | 17-10-2011 | 529854 | 13730-00  | ग्राम पंचायत बंधवाई मजदूरी                    | श्री सच्चिदानन्द द्विवेदी एडीओ/ईडी |
| 05      | 17-10-2011 | 529855 | 46800-00  | सामग्री भुगतान (कार्य नहीं)                   | श्री सुनील कुमार द्विवेदी सप्लायर  |
| 06      | 17-10-2011 | 829780 | 60000-00  | गौरा पाल बस्ती मजदूरी भुगतान                  | श्री सच्चिदानन्द द्विवेदी एडीओ/ईडी |
| 07      | 31-10-2011 | 829787 | 26476-00  | गौरा पाल बस्ती सामग्री भुगतान                 | श्री सुनील कुमार द्विवेदी सप्लायर  |
| 08      | 31-10-2011 | 829790 | 143571-00 | पालपट्टी में सी सी रोड सामग्री भुगतान         | श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता सप्लायर    |
| 09      | 31-10-2011 | 829791 | 117085-00 | नेवादा में मिश्री लाल के घर से सीसी रोड       | श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता सप्लायर    |
| 10      | 31-10-2011 | 829792 | 117713-00 | चपरो में बस्ती तक सामग्री                     | श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता सप्लायर    |
| 11      | 11-11-2011 | 829795 | 107025-00 | नेवादा में सामग्री आपूर्ति                    | श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता सप्लायर    |
| 12      | 11-11-2011 | 829796 | 27960-00  | मजदूरी का भुगतान (अस्पष्ट विवरण नहीं)         | श्री अमरनाथ शुक्ला एडीओ/एसबी       |
| 13      | 11-11-2011 | 829797 | 37900-00  | आमी मिराजपुर रोड में मजदूरी (कार्य नहीं)      | श्री कान्त तिवारी जेईआरईएस         |
| 14      | 11-11-2011 | 829798 | 41342-00  | सामग्री आपूर्ति हेतु                          | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर   |
| 15      | 11-11-2011 | 829799 | 62431-00  | गुनई गहरपुर सामग्री आपूर्ति हेतु (कार्य नहीं) | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर   |
| 16      | 23-11-2011 | 829800 | 86356-00  | अस्पष्ट सामग्री भुगतान                        | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर   |
| 17      | 01-12-2011 | 829801 | 118409-00 | पालपट्टी की सामग्री भुगतान(कार्य नहीं)        | श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता सप्लायर    |

|    |            |        |                   |                                                                                  |                                         |
|----|------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 | 01-12-2011 | 89802  | 48723-00          | पालपट्टी की मजदूरी भुगतान हेतु                                                   | श्री सच्चिदानन्द द्विवेदी एडीओ/ईडी      |
| 19 | 02-12-2011 | 829803 | 170990-00         | ग्राम पंचायत पॉसियादूबे में सामग्री भुगतान                                       | श्री कान्त तिवारी जेईआरईएस              |
| 20 | 02-12-2011 | 829804 | 204426-00         | ग्राम पंचायत तिगजा खौर में सामग्री                                               | श्री कान्त तिवारी जेईआरईएस              |
| 21 | 21-12-2011 | 829807 | 150325-00         | ग्राम पंचायत तिगजा में सीसीरोड                                                   | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर        |
| 22 | 21-12-2011 | 829808 | 63840-00          | ग्राम पंचायत गुनईगहर में सीसीरोड                                                 | श्री कान्त तिवारी सप्लायर               |
| 23 | 21-12-2011 | 829809 | 23312-00          | ग्राम पंचायत गुनईगहर में सीसीरोड                                                 | श्री अशोक कुमार द्विवेदी सप्लायर        |
| 24 | 22-12-2011 | 829810 | 102919-00         | चपरो में सीसीरोड हेतु                                                            | श्री जानचन्द्र गुप्ता सप्लायर           |
| 25 | 22-12-2011 | 034976 | 43205-00          | पालपट्टी में सामग्री भुगतान                                                      | श्री जानचन्द्र गुप्ता सप्लायर           |
| 26 | 22-12-2011 | 034977 | 23920-00          | ----                                                                             | श्री सच्चिदानन्द द्विवेदी कार्य प्रभारी |
| 27 | 04-01-2012 | 034979 | 62645-00          | चपरो में सामग्री भुगतान                                                          | श्री जानचन्द्र गुप्ता सप्लायर           |
| 28 | 04-01-2012 | 034982 | 45000-00          | चपरो में मजदूरी भुगतान                                                           | श्री अमरनाथ शुक्ला                      |
| 29 | 16-01-2012 | 034983 | 150842-00         | मेजा नाचताल के बगल में सीसीरोड हेतु                                              | मे0 सुनील कुमार द्विवेदी सप्लायर        |
| 30 | 16-01-2012 | 034984 | 51740-00          | नेवढिया में कल्लू पासी के घर से रामराज बिन्द के घर तक सीसी रोड                   | श्री जानचन्द्र गुप्ता सप्लायर           |
| 31 | 16-01-2012 | 034986 | 154025-00         | दरी में पूरा लक्षन प्रा0पा0 से भोला मुल्ला के घर तक सीसी रोड हेतु सामग्री भुगतान | श्री सुनील कुमार द्विवेदी               |
| 32 | 16-01-2012 | 034987 | 30332-00          | नेवादा मिश्री लाल के घर से बलिकरन के घर तक सीसीरोड सामग्री भुगतान                | श्री जानचन्द्र गुप्ता सप्लायर           |
|    |            |        | <b>2648545-00</b> |                                                                                  |                                         |

(छब्बीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र।)

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्यों का नाम नहीं दिया गया है। अस्पष्ट जानकारी दी गयी है। किसी भी व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, कार्य की फाईल, कार्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त व्यय रूपया 2648545-00 (श्रमिक चिट्ठा) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इसी प्रकार दिनांक 02-12-2011 को चेक क्रं0 829803 द्वारा रूपया 170990-00 ग्राम पंचायत पॉसियादूबे में सामग्री भुगतान तथा 02-12-2011 को चेक क्रं0 829804 द्वारा रूपया 204426-00 ग्राम पंचायत तिगजा खौर में सामग्री भुगतान सप्लायर को न करके श्री कान्त तिवारी (जेईआरईएस) को किया गया है। अतः उक्त समग्री धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि रूपया 2648545-00 की ब्याज सहित वसूली उक्त अवधि में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों एवं लेखाकार से उत्तरदायी ठहराकर की जानी अपेक्षित है। रूपया 1203892-00 की ब्याज सहित वसूली बीडीओ श्री अभिमन्यु सिंह एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार पाण्डेय से रूपया 1057714-00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी बीडीओ श्री अभिमन्यु सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्र भूषण द्विवेदी से तथा रूपया 386939-00 की ब्याज सहित वसूली बीडीओ श्री आर पी मिश्रा एवं लेखाकार श्री चन्द्रभूषण द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -175-

वर्ष 2012-13 में तेरहवाँ आयोग (वित्त) मद से किये गये निम्नलिखित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, कार्य योजना तथा कार्य फाईल प्रस्तुत नहीं की गयी-

| क्रं0सं0 | दिनांक     | चेक    | धनराशि    | कार्य                                                   | प्राप्तकर्ता                    | टिप्पणी    |
|----------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 01       | 21-04-2012 | 034991 | 299142-00 | ग्राम पंचायत दरी में पूरा लक्षन प्रा0पा0 सामग्री भुगतान | श्री सुनील कुमार द्विवेदी       | कार्य नहीं |
| 02       | 23-04-2012 | 034992 | 22388-00  | ग्राम पंचायत दरी में पूरा लक्षन प्रा0पा0 सामग्री भुगतान | श्री सुनील कुमार द्विवेदी       | कार्य नहीं |
| 03       | 23-04-2012 | 034993 | 116400-00 | ग्राम पंचायत दरी में मस्टर रोल भुगतान                   | श्री कान्त तिवारी कार्य प्रभारी |            |

|    |            |        |           |                                                |                                      |          |
|----|------------|--------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 04 | 23-04-2012 | 034994 | 33196-00  | तिगजा में सामग्री भुगतान                       | श्री अशोक कुमार<br>द्विवेदी सप्लायर  |          |
| 05 | 23-04-2012 | 034995 | 89600-00  | ग्राम पंचायत तिगजा में मस्टर<br>रोल भुगतान     | श्री कान्त तिवारी कार्य<br>प्रभारी   | काम नहीं |
| 06 | 23-04-2012 | 034996 | 149100-00 | ग्राम पंचायत नेवढिया में मस्टर<br>रोल भुगतान   | श्री जानचन्द्र गुप्ता<br>सप्लायर     |          |
| 07 | 02-05-2012 | 034997 | 109251-00 | ग्राम पंचायत नेवढिया में सामग्री<br>आपूर्ति    | श्री जानचन्द्र गुप्ता<br>सप्लायर     |          |
| 08 | 02-05-2012 | 034998 | 36360-00  | ग्राम पंचायत नेवढिया की मजदूरी<br>भुगतान       | श्री कान्त तिवारी कार्य<br>प्रभारी   |          |
| 09 | 03-05-2012 | 285626 | 1243-00   | ग्राम पंचायत बिसहिजन कला में<br>सामग्री भुगतान | श्री सुनील कुमार<br>द्विवेदी सप्लायर |          |
| 10 | 03-05-2012 | 285627 | 12450-00  | ग्राम पंचायत बिसहिजन कला में<br>मजदूरी भुगतान  | श्री कान्त तिवारी<br>जेईआरईएस        |          |
|    |            |        | 869130-00 |                                                |                                      |          |

(आठ लाख उनहतर हजार एक सौ तीस मात्र)

उक्त व्यय में रूपया 254810-00 श्रमिक चिट्ठा (मस्टर रोल) पर भुगतान किया गया है किसी भी व्यय के सापेक्ष कराये गये कार्य का विवरण या कार्य फाईल, व्यय प्रमाणक मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रूपया 869130-00 को अपहरण मानकर समग्र धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारियों एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी बीडीओ श्री आर पी मिश्रा तथा लेखाकार श्री चन्द्र भूषण से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -176-

शासन के आदेश संख्या 2-1-122-दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो वह अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी एवं अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज और उनके अवशेष की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार रही जिनकी पुष्टि संस्था द्वारा प्रदत्त पासबुक से नहीं की जा सकी, क्योंकि उपलब्ध कराई गई पासबुक में दिनांक 06/2013 से विवरण (प्रविष्टि) उपलब्ध है।

| प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष    | मद                | प्राप्ति  | व्यय      | अवशेष 31 मार्च |
|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 01-04-11         |         |                   |           |           |                |
| 7434.14          | 2011-12 | सामान्य ब्याज     | 113954.00 | 4807.00   | 116581.14      |
| 26952.56         |         | राज्य वित्त ब्याज | 107315.00 | 00        | 134267.55      |
| 203021.80        |         | एसजीएसवाय         | 127881.00 | 00        | 389902.80      |
| 61537.00         |         | मनरेगा ब्याज      | 5447.00   | 00        | 66984.00       |
|                  | 2012-13 | सामान्य ब्याज     | 92606.00  | 78180.00  | 131007.34      |
|                  |         | राज्य वित्त ब्याज | 31618.00  | 00        | 165858.56      |
|                  |         | एसजीएसवाय         | 23368.00  | 66984.00  | 23368.00       |
|                  |         | मनरेगा ब्याज      | 171218.00 | 00        | 561120.80      |
|                  | 2013-14 | सामान्य ब्याज     | 57615.00  | 1175.00   | 187447.34      |
|                  |         | राज्य वित्त ब्याज | 114225.00 | 00        | 280110.56      |
|                  |         | एसजीएसवाय         | 76086.00  | 637206.80 | 00             |
|                  |         | मनरेगा ब्याज      | 41763.00  | 71131.00  | 00             |
|                  |         |                   |           | 859483.00 |                |

(आठ लाख उनसठ हजार चार सौ तिरासी मात्र)

ऑकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों पर ब्याज की धनराशि खातों में अवरुद्ध रखी गयी है जिसे राजकोष में जमा न किया जाना गम्भीर अनियमितता एवं नियम विरुद्ध रहा। इसी प्रकार ब्याज मद की धनराशि समय-समय पर अनय कार्यों के लिए प्रयुक्त कर समायोजित की जाती रही है। उदाहरण के लिए दिनांक 22-02-2013 को रूपया 30000-00 तथा दिनांक 28-02-2013 को रूपया 15000-00 कन्टीजेन्सी मद में हस्तान्तरित किया गया और दिनांक 16-03-2013 को पुनः ब्याज मद में रूपया 45000-00 समायोजित किया गया। राज्य वित्त का ब्याज खाते में ही अवरुद्ध रहा।

उक्त तालिका के अनुसार रूपया 859483-00 ब्याज मद के नियम विरुद्ध तरीके से व्यय किये गये हैं। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

**नामक्षेत्रपंचायत- मेजा तहसील-मेजा जनपद-प्रयागराज**  
**अधिभारप्रतिवेदनलेखापरीक्षावर्ष 2014-15से 2016-17**

**प्रस्तर संख्या -177**

वर्ष 2015-16 में ऑगनबाडी मद में दिनांक 30-04-2015 को रूपया 2104000-00 लूतर ग्रामपंचायत में 02 नग एवं भटौती में 02 नग ऑगनबाडी केन्द्र रूपयें 5.26 लाख प्रत्येक की दर से खाते (क्षेत्र निधि) में प्राप्त हुए। दिनांक 17-06-2015 को रूपया 40000-00 जमानत धन जमा पर्ची के अनुसार में 0 अशोक कुमार द्विवेदी पॉसिया दूबे के लूतरप्रथम एवं लूतर द्वितीय के लिए रूपया 20000-00 एवं अरूण इण्टर प्राइजेज करदहा से भटौती प्रथम एवं भटौती द्वितीय हेतु रूपया 20000-00 प्राप्त कियेग ये।

दिनांक 25-06-2015 को रूपया 21382-00 तथा दिनांक 25-12-2015 को ब्याज रूपया 29556-0 प्राप्त हुआ।

विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि जमानत धनराशि रूपया 40000-00 को अलग जमानत पंजी में नहीं रखा गया और ब्याज की प्राप्त धनराशि रूपया 50938-00 को अलग से मद में न दिखाकर ऑगनबाडी मद में ही जोड़ दिया गया।

वर्ष 2015-16 में ऑगनबाडी केन्द्रों के निर्माण में रूपया 1824017-00 व्यय किये गये और दिनांक 31-03-2016 को अवशेष रूपया 370921-00 अवशेष दिखाये गये हैं। जबकि रूपया 40000-00 जमानत मद में तथा रूपया 50938-00 ब्याज मद में रखी जानी चाहिए।

उक्त मद से भटौती द्वितीय केन्द्र पर रूपया 448491-00 निर्माण भटौती प्रथम केन्द्र पर रूपया 460106-00 लूतर प्रथम केन्द्र पर रूपया 453002-00 तथा लूतर द्वितीय पर रूपया 450755-00 व्यय किये गये।

उक्त मद में धनराशि किस योजना के अन्तर्गत किन उद्देश्यों तथा शर्तों के साथ प्राप्त हुई थी, लेखा परीक्षा में सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त अनियमितता की तरफ आकृष्ट कर अभिलेखों में सुधार हेतु आकृष्ट किया जाता है, जिससे रूपया 50938-00 ब्याज मद में तथा रूपया 40000-00 जमानत मद में रखी जा सके।

लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2014-15 में दिनांक 16-02-2015 को रूपया 100000-00 तेरहवें वित्त आयोग से राज्य वित्त खाता में लाया गया, जिसे दिनांक 28-02-2015 को समायोजित किया गया। वर्ष 2015-16 में दिनांक 19-09-2015 को रूपया 200000-00 राज्यवित्त मद से तेरहवें वित्त मद में लाए गए जबकि रूपया 716230-00 तेरहवें वित्त मद में अवशेष थे। दिनांक 12-12-2015 को रूपया पाँच लाख तेरहवें वित्त मद से राज्य वित्त मद में स्थानान्तरित किये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में किसी अन्य मद में स्थानान्तरित किया जा रहा है। इसके लिए सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान "डायवर्जन" के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर संख्या -178** क्षेत्र पंचायत मेजा में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त तेरहवें वित्त तथा विधायक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार (ऑगनबाडी मद से भी) निर्माण कार्य में व्यय किया गया तथा वैट टीडीएस श्रमिक उपकर काटा गया है-

| मद                  | निर्माण सामग्री क्रय | वैट 4 प्रति0 | टीडीएस 2 प्रति0 | लेबरसेस वर्ष |
|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>वर्ष 2014-15</b> |                      |              |                 |              |
| राज्य वित्त         | 3346553.00           | 142045.00    | 79947.00        |              |
| 13 वॉ वित्त         | 2005566.00           | 94564.00     | 49043.00        |              |
| <b>वर्ष 2015-16</b> |                      |              |                 |              |
| राज्य वित्त         | 5144398.00           | 201628.00    | 114591.00       |              |
| 13 वॉ वित्त         | 915848.00            | 39274.00     | 21993.00        |              |
| ऑगनबाडी             | 1734833.00           | 49694.00     | 27827.00        |              |
| विधायक निधि         | 107048.00            |              |                 |              |
| <b>वर्ष 2016-17</b> |                      |              |                 |              |
| राज्य वित्त         |                      |              |                 |              |
| 13 वॉ वित्त         |                      |              |                 |              |
| ऑगनबाडी             |                      |              |                 |              |
| विधायक निधि         |                      |              |                 |              |
| सांसद निधि          |                      |              |                 |              |

निम्नलिखित विवरण के अनुसार नियमानुसार निर्माण सामग्री क्रय पर ठेकेदार द्वारा की गयी आपूर्ति (सामग्री) के बिल से 4 प्रति0 की दर से वैट, 2.4 प्रति0 की दर से टीडीएस तथा 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर काटा जाना चाहिए था किन्तु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तर रहा-

| वर्ष    | मद          | वैट4 प्रति0 |           |             | टीडीएस2.4 प्रति0 |           |          | लेबर सेस1 प्रतिशत |          |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|         |             | काटना था    | काटा गया  | अन्तर       | काटना था         | काटा गया  | अन्तर    | काटना था          | अन्तर    |
| 2014-15 | राज्य वित्त | 142742.00   | 142045.00 | 697.00      | 85645.00         | 79947.00  | 5698.00  | 35686.00          | 35686.00 |
|         | 13 वॉ वित्त | 85967.00    | 94564.00  | (-) 8597.00 | 51580.00         | 49043.00  | 2537.00  | 21492.00          | 21492.00 |
| 2015-16 | राज्य वित्त | 218425.00   | 201628.00 | 16797.00    | 131055.00        | 114591.00 | 16464.00 | 54606.00          | 54606.00 |
|         | 13 वॉ वित्त | 39085.00    | 39274.00  | (-)189.00   | 23451.00         | 21993.00  | 1458.00  | 9771.00           | 9771.00  |
|         | ऑगनबाडी     | 72494.00    | 49694.00  | 22800.00    | 43496.00         | 27827.00  | 15669.00 | 18124.00          | 18124.00 |
|         | विधायक निधि |             |           |             |                  |           |          |                   |          |
| 2016-17 | राज्य वित्त |             |           |             |                  |           |          |                   |          |
|         | 13 वॉ वित्त |             |           |             |                  |           |          |                   |          |
|         | ऑगनबाडी     |             |           |             |                  |           |          |                   |          |
|         | विधायक निधि |             |           |             |                  |           |          |                   |          |
|         | सांसद निधि  |             |           |             |                  |           |          |                   |          |

उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2016-17 के विवरण अंकित नहीं है क्योंकि कोरोना (कोविड 19) लाकडाउन (23 मार्च 2020) के कारण लेखा परीक्षा आपात कालीन परिस्थितियों में ही समाप्त की गयी। अतः जितने अभिलेख उपलब्ध रहे उनके आधार पर स्पष्ट है कि वैट रूपया 31508.00 (4 प्रतिशत की दर से) टीडीएस रूपये 41826.00 (2.4 प्रतिशत की दर से) कम काटा गया था तथा श्रमिक उपकर रूपया 139679.00 काटा ही नहीं गया था। अतः कुल रूपया 213013.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से किया अपेक्षित है।

स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से व्यय भुगतान किये गये बिल कुल रूपया 3568545.00 में से 4 प्रतिशत वैट की दर से रूपया 142742.00 की कटौती की जानी थी किन्तु रूपया 142045.00 ही वैट काटा गया। अतः अन्तर रूपया 697.00 की धनराशि सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारी और लेखाकार से 50-50 प्रतिशत की दर से वसूल किया अपेक्षित है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त मद से रूपया 5460614.00 का भुगतान (बिल पेमेन्ट) किया गया जिससे 4 प्रतिशत वैट रूपया 218425.00 काटना था किन्तु रूपया 201628.00 ही कटौती की गयी अतः अन्तर की धनराशि रूपया 16797.00 सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी और ज्येष्ठ लेखाकार से 50-50 प्रतिशत की दर से बराबर वसूल की जानी चाहिए।

आलोच्य वर्ष 13 वॉ वित्त से वर्ष 2014-15 में कुल व्यय का बिल भुगतान रूपया 2149173.00 किया गया है जिसमें से वैट 4 प्रतिशत की दर से रूपया 85967.00 कटौती की जानी थी किन्तु रूपया 54564.00 कटौती की गयी जो रूपया 8597.00 से ज्यादा रही। इसी प्रकार 13 वॉ वित्त मद से वर्ष 2015-16 में कुल व्यय रूपया 977115.00 से 4 प्रतिशत वैट रूपया 39085.00 काटा जाना था किन्तु रूपया 39274.00 काटे गये हैं। अधिक कटौती किये जाने से कालान्तर में विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2015-16 में ऑगनबाडी निर्माण सामग्री में कुल व्यय का बिल भुगतान रूपया 1812354.00 किया गया, जिसमें से 4 प्रतिशत की दर से वैट कटौती रूपया 72494.00 की जानी थी, किन्तु रूपया 49694.00 ही वसूल की गयी। अतः ब्याज सहित वसूली अन्तर की धनराशि रूपया 22800.00 सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से व्यय धनराशि रूपया 107048.00 से 4 प्रतिशत वैट रूपया 4282.00 नहीं काटा गया। अतः उक्त रूपया 4282.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत बीडीओ और लेखाकार (वरिष्ठ) से 50-50 प्रतिशत बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

ऑकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से रूपया 5698.00 तथा तेरहवॉ वित्त से रूपया 2537.00 टीडीएस नहीं काटा गया था। दोनों ही मदों से कुल रूपया 57178.00 लेबर सेस नहीं काटा गया था। अतः कुल रूपया 65413.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत रहे बीडीओ और लेखाकार (वरिष्ठ) से 50-50 प्रतिशत बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त मद से रूपया 16464.00, तेरहवॉ वित्त मद से रूपया 1458.00, ऑगनबाडी मद से रूपया 15669.00 तथा विधायक निधि मद से रूपया 2569.00 (कुल रूपया 36160.00) टीडीएस की कटौती नहीं की गयी है। अतः उक्त चारों मदों से रूपया

36160.00 तथा उक्त चारों मदों पर नहीं काटे गये लेबर सेस रूपया 83571.00 (कुल रूपया 119731.00) की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों एवं वरिष्ठ लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। चूँकि विकास खण्ड अधिकारियों का कार्यकाल मिला-जुला रहा है। अतः बीडीओ से ब्याज सहित वसूली उनके कार्यकाल में किये गये व्यय को ध्यान में रखते हुए किया अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या -179** दिनांक 04-02-2016 को राज्य वित्त मद में रूपया 8031.00 अवशेष थे। चेक क्रमांक 914726 में रूपया 11461.00 की व्यापार कर कटौती के पश्चात् खाता ऋणात्मक हो गया। इसके पश्चात् उक्त मद में धनराशि न होने के पश्चात् भी निम्नलिखित चेक काटे गए-

| दिनांक     | चेक क्रमांक | धनराशि           | टीडीएस       | वैट कटौती    |                                                                        |
|------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 04-02-2016 | 914727      | 61200.00         | 00           | 00           | डेलौहा नाली मरम्मत पर मजदूरी                                           |
| 04-03-2016 | 914728      | 65379.00         | 1563.00      | 2789.00      | डेलौहा नाली मरम्मत पर सामग्री भुगतान                                   |
| 04-03-2016 | 914731      | 21000.00         | 00           | 00           | मानदेय ब्लाक प्रमुख                                                    |
| 04-03-2016 | 914732      | 79560.00         | 00           | 00           | डेलौहा नाली सफाई मजदूरी                                                |
| 04-03-2016 | 914734      | 66625.00         | 1593.00      | 2842.00      | मडेवरा पक्की सडक से अर्जुन कुशवाहा के घर तक इण्टर लॉकिंग सामग्री       |
| 04-03-2016 | 914735      | 12552.00         | 00           | 00           | मडेवरा पक्की सडक से अर्जुन कुशवाहा के घर तक इण्टर लॉकिंग मजदूरी भुगतान |
| 04-03-2016 | 914735      | 12552.00         | 00           | 00           | भुस्का पक्की सडक से राज के घर तक इण्डर लॉकिंग पर मजदूरी                |
| 04-03-2016 | 914735      | 12552.00         | 00           | 00           | भुस्का पक्की सडक से पारस नाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग मजदूरी              |
| 04-03-2016 | 914736      | 66663.00         | 1592.00      | 2844.00      | भुस्का पक्की सडक से राजमणि के घर तक इण्टर लॉकिंग सामग्री भुगतान        |
| 04-03-2016 | 914736      | 66661.00         | 1593.00      | 2844.00      | भुस्का पक्की सडक से पारस नाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग सामग्री भुगतान      |
| 04-03-2016 | 914737      | <b>122691.00</b> | 2932.00      | 5236.00      | शाहपुर कला पुलिया निर्माण पर सामग्री आपूर्ति                           |
| 04-03-2016 | 914738      | 11270.00         | 00           | 00           | शाहपुर कला पुलिया निर्माण पर मजदूरी भुगतान                             |
| 04-03-2016 | 914739      | 51142.00         | 1083.00      | 1934.00      | खण्ड विकास अधिकारी कक्ष सामग्री आपूर्ति                                |
| 04-03-2016 | 914745      | 9648.00          | 00           | 00           | खण्ड विकास अधिकारी कक्ष मजदूरी भुगतान                                  |
| 04-03-2016 | 914745      | 9898.00          | 00           | 00           | भुस्का संगम लाल इण्टर लॉकिंग मजदूरी                                    |
| 04-03-2016 | 914744      | 45468.00         | 00           | 00           | बीडीओ कक्ष निर्माण मजदूरी                                              |
| 04-03-2016 | 914743      | 28280.00         | 00           | 00           | बीडीओ कक्ष में परदा तथा लोकार्पण पत्थर पर व्यय                         |
|            | <b>योग</b>  | <b>411721</b>    | <b>10356</b> | <b>18489</b> |                                                                        |

स्पष्ट है कि खाते में धनराशि नहीं होने के पश्चात् भी उक्त धनराशि के चेक काटकर भुगतान किया गया और राज्य वित्त का खाता ऋणात्मक(-)765768-00 का रहा। दिनांक 04-03-2016 को रूपया 497028-00 की आय उक्त खाते में दिखायी गयी किन्तु आय का स्रोत स्पष्ट नहीं रहा। खाता ऋणात्मक (-)268740-00 से रहा। दिनांक 04-03-2016 को तरहवें वित्त आयोग मद से रूपया 268740-00 खाते में लाकर खाते की स्थिति शून्य पर लायी गयी। इसके पश्चात् चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की किस्त प्राप्त होने लगी।

इस प्रकार राज्य वित्त मद में धनराशि न होने के पश्चात् भी उक्त मद से रूपया 765768-00 अनियमित व्यय किये गये जिसके लिए उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारी और लेखाकार पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या -180-** शासन के आदेश संख्या 2-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो वह अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी एवं अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करवा दी जाएगी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न

मदों में प्राप्त ब्याज और उनके अवशेष की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार रही जिसकी पुष्टि बैंक पास बुक/स्टेटमेंट के अभाव में नहीं की जा सकी।

| वर्ष    | मद                | प्रा0अवशेष | प्राप्ति  | व्यय      | अवशेष 01 मार्च |
|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 2014-15 | सामान्य ब्याज     | 187447.34  | 29982.00  | 20607.00  | 196822.34      |
| 2014-15 | राज्य वित्त ब्याज | 280110.56  | 103571.00 | 383681.56 |                |
| 2015-16 | सामान्य ब्याज     | 196822.34  | (-)0.68   | 196823.02 |                |
| 2016-17 | सामान्य ब्याज     | ---        | ---       | ---       | ---            |
| 2016-17 | राज्य वित्त ब्याज | ---        | ---       | ---       | ---            |

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में रूपया 20607.00 सामान्य ब्याज मद से व्यय किया गया जिसमें से रूपया 20000.00 दिनांक 09-06-2014 को श्री अजय कुमार यादव सीओ को दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक का का मानदेय दिया गया(बाद में समायोजन कर लेने की शर्त के साथ) किन्तु समायोजन नहीं किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 30-11-2014 को रूपया 383681.56 (राज्य वित्त ब्याज की धनराशि जिसमें दिनांक 01-04-2014 को अवशेष रूपया 280110.56 भी सम्मिलित थी) को बिना किसी स्वीकृति के राज्य वित्त मद में स्थानान्तरित कर बिना योजना की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही राज्य वित्त मद से व्यय किया गया।

वर्ष 2015-16 में सामान्य ब्याज को रूपया 196822.34 की धनराशि को दिनांक 02-07-2014 को कण्टेजेंसी मद में ले जाया गया। इस शर्त पर कि बाद में समायोजन कर लिया जायेगा। किन्तु वर्ष 2016-17 में ब्याज प्राप्ति और व्यय तथा अवशेष भी शून्य रहा जो इंगित करता है कि वर्ष 2016-17 में विभिन्न मद पर प्राप्त ब्याज को अंकित नहीं किया गया है। पासबुक अथवा स्टेटमेंट के अभाव में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

स्पष्ट है कि नियमानुसार जो ब्याज की धनराशि राज्य सरकार के खाते में भेजी जानी थी उसका मनमाने तरीके से विविध मदों में स्थानान्तरण कर योजना विहीन अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए किया गया। अतः उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारी और लेखाकार पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और रूपया 600503.90 को राज्य सरकार के सम्बन्धित खातों में जमा कराया अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -181

वर्ष 2015-16 में चेक क्रमांक 803415 के द्वारा रूपया 457924.00 का भुगतान जेनम सोलर पावर म्योर रोड इलाहाबाद को ग्राम पंचायत में 22 नग सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना के लिए भुगतान किया गया। जिसमें रूपया 19536.00 यूपी वैट तथा रूपया 10940.00 टीडीएस कटौती अलग से काटी गयी। पुनः 01-09-2015 को चेक क्रमांक 803449 द्वारा रूपया 457924.00 का भुगतान जेनम सोलर पावर म्योर रोड इलाहाबाद को 22 नग सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु किया गया किन्तु उक्त 44 नग सोलर लाईट किस प्रस्ताव के तहत किन स्थलों पर स्थापित की गयी इसका कोई ब्योरा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 01-09-2015 को रूपया 19536-00 वैट तथा रूपया 10940.00 टीडीएस काटा गया।

उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति रही कि सोलर लाईट मनमाफिक एजेंसियों से क्रय की गयी, जबकि यूपी नेडा से ही निर्धारित मानक के अनुसार सोलर लाईट क्रय किया जाना था। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उक्त दुर्विनियोग की ओर आकृष्ट किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त सोलर लाईट का क्रय तेरहवें वित्त आयोग की धनराशि से किया गया है। अतः रूपया 976800.00 के सोलर लाईट के अनियमित क्रय की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव एवं लेखाकार श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। अतः रूपया 976800.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी और लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या -182

अनुदान पंजी भाग-तृतीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत निधि मेजा के तेरहवें वित्त आयोग मद में दिनांक 17-06-2015 को रूपया 563688.00 (बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त धन प्रविष्टि है, परफारमेंस ग्राण्ट की धनराशि किन्तु शासनादेश तथा जारी करने वाले अधिकारीपद का उल्लेख नहीं है) प्राप्त हुई है।

दिनांक 11-04-2014 एवं 26-06-2014 को जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा खाता संख्या 10946813213 में प्रेषित धन रूपया 258606.00 फारमेटड ग्राण्ट 2012-13 (अनुदान पंजी तृतीय पृष्ठ 22 क्रमांक 113 पर दर्ज) से आय दिखायी गयी है।

दिनांक 31-08-2014 को बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त धनराशि 220138.00 एसबीआई मेजा में तेरहवें वित्त मद से प्राप्त दर्शायी गयी है।

उक्त विवरण के सम्बन्ध में आपति यह रही कि क्षेत्र निधि में हुई आय का स्रोत स्पष्ट नहीं रहा। आय के पक्ष में सम्बन्धित शासनादेश उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग में परफारमेंस ग्राण्ट की व्यवस्था/अनुशांसा नहीं की गयी थी तो क्षेत्र निधि में इस मद से आय कैसे हो सकती है।

अतः रूपया 1042432.00 की आय का स्रोत उपलब्ध न होने के बाद भी तेरहवें वित्त मद में आय प्राप्त कर उसे व्यय किये जाने की अनियमितता की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### प्रस्तर संख्या -183

वर्ष 2015-16 में दिनांक 12-12-2015 को चेक क्रमांक 914713 द्वारा रूपया 35000.00 तथा दिनांक 12-12-2015 को चेक क्रमांक 914715 द्वारा रूपया 15000.00 का भुगतान आलमारी क्रय हेतु कैशियर श्री रामकृष्ण गुप्त को किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। परिसम्पत्ति पंजी भी प्रस्तुत नहीं की गयी। आलमारी क्रय का भुगतान राज्य वित्त से किया गया है। अतः उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली विकास खण्ड अधिकारी और तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त अपहृत धनराशि रूपया 50000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी विकास खण्ड अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं लेखाकार श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर संख्या -184

दिनांक 09-06-2014 को सामान्य ब्याज की धनराशि रूपया 20000.00 श्री अजय यादव(सीओ) को दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक के मानदेय भुगतान हेतु दिया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी और विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री लालजी यादव (बीडीओ) और श्री चन्द्रभूषण द्विवेदी लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है ।

### क्षेत्र पंचायत सोरावं - जनपद प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष - 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर संख्या - 185 क्षेत्र पंचायत सोरावं में लेखा परीक्षित वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त, तेरहवा वित्त, विधायक निधि, सासद निधि, मद से निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किया गया

| मद           | व्यय       | वैट 4% | टीडीएस 2.4 | लेबर सेस 1% |  |
|--------------|------------|--------|------------|-------------|--|
| वर्ष 2015-16 |            |        |            |             |  |
| राज्यवित्त   | 5443082.0  |        |            |             |  |
| सांसद निधि   |            |        |            |             |  |
| विधायक निधि  | 4046047.00 |        |            |             |  |
| तेरहवा वित्त | 2241349.00 |        |            |             |  |
| वर्ष 2016-17 |            |        |            |             |  |
| राज्यवित्त   | 3633514.00 |        |            |             |  |
| सांसद निधि   |            |        |            |             |  |
| विधायक निधि  | 8945074.60 |        |            |             |  |
| तेरहवा वित्त | 86875.00   |        |            |             |  |

नियमानुसार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री पर बिल से 4 प्रतिशत की दर से वैट एवं 2.4 प्रतिशत की दर से टीडीएस तथा 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु ठेकेदार के बिल से कटौतियाँ नहीं की गयी। मजदूरी सहित भुगतान ठेकेदार को किया गया। अतः निम्नलिखित आगणन की अनुसार धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्समय विकास खण्ड अधिकारी और ज्येष्ठ लेखाकार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है ।

| वर्ष    | मद           | वैट 4%    |           | टीडीएस 2.4% |           | लेबर सेस |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|         |              | काटना था  | नहीं काटा | काटना था    | नहीं काटा | काटना था | नहीं काटा |
| 2015-16 | राज्यवित्त   | 217723.00 | 217723.00 | 130634.00   | 130634.00 | 54431.00 | 54431.00  |
|         | विधायक निधि  | 161844.00 | 161844.00 | 97106.00    | 97106.00  | 40461.00 | 40461.00  |
|         | तेरहवा वित्त | 89654.00  | 89654.00  | 53792.00    | 53792.00  | 22413.00 | 22413.00  |
| 2016-   | राज्यवित्त   | 145340.00 | 145340.00 | 87204.00    | 87204.00  | 36335.00 | 36335.00  |



|    |              |           |           |           |           |           |           |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | विधायक निधि  | 357803.00 | 357803.00 | 214682.00 | 214682.00 | 89457.00  | 89457.00  |
|    | तेरहवा वित्त | 3476.00   | 3476.00   | 2085.00   | 2085.00   | 869.00    | 869.00    |
|    |              | 975840.00 | 975840.00 | 585503.00 | 585503.00 | 243960.00 | 243960.00 |

आंकड़ों से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षित वर्षों में कर 975840.00 वर 585503.00 टी.डी.एस तथा रु. 243960.00 एल. एस. (कुल रु. 1805303.00) की कटौती नहीं की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्समय कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों और ज्येष्ठ लेखाकार से बराबर मात्रा जानी अपेक्षित है। उत्तरदायित्व सूची संलग्न है-

|         |                         |                 |              |             |             |            |            |              |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 2015-16 | श्री विजय पाण्डेय       | श्री जगपति सिंह | 979 567. 00  | 391 83.0 0  | 235 10.0 0  | 979 6.00   | 724 89.0 0 | 362 45.0 0   |
|         | श्री रामचन्द्र शर्मा    |                 | 128 043 4.00 | 512 17.0 0  | 307 30.0 0  | 128 04.0 0 | 947 51.0 0 | 473 76.0 0   |
|         | "                       |                 | 200 751 4.00 | 803 01.0 0  | 481 80.0 0  | 200 75.0 0 | 148 55.0 0 | 742 78.0 0   |
|         | श्रीमती शालिनी वर्मा    |                 | 863367. 00   | 34535.0 0   | 20721.0 0   | 8634.00    | 63890.0 0  | 31945.0 0    |
|         | श्री जी पी सिंह         |                 | 267 651 9.00 | 107 061. 00 | 642 36.0 0  | 267 65.0 0 | 198 06.0 0 | 990 31.0 0   |
|         | श्रीमती आराधना त्रिपाठी |                 | 392312 7.00  | 156925. 00  | 94155.0 0   | 39231.0 0  | 290311. 00 | 145156.00 00 |
|         |                         | क्र न           | 1 1 7        | 4 6 9 2 2   | 2 8 1 5 3   | 1 1 7 3    | 8 6 4 3    | 4 3 40       |
| 2016-17 | श्रीमती आराधना त्रिपाठी | श्री जगपति सिंह | 767304 4.00  | 306922. 00  | 184153. 00  | 76730.0 0  | 567805. 00 | 283903. 00   |
|         | प्रदीप कुमार            | क्र न           | 4 9 9        | 5 1 9 9 6 9 | 3 1 1 9 8 1 | 4 9 9 2    | 3 6 1 8    | 18 46 17     |
|         |                         | क्र न           | 1 2 6        | 5 0 6 6 2   | 3 0 3 9 7   | 1 2 6 6    | 9 3 4 6    | 4 6 18 86    |

**प्रस्तर संख्या - 186** शासन के आदेश संख्या-10/2015/ए-1 502/दस 2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अनमुक्त धन राशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय (ब्याज) राज- कीय कोषागार में जमा करा दी जाएगी। राज्य सरकार लेखा परीक्षा अवधि में विभिन्न मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज प्राप्त की गयी:-

| वर्ष    | दिनांक      | विधायक निधि      | दिनांक      | राज्य वित्त आयोग |
|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2015-16 | 6-9-15      | 58912.00         | 26-5-15     | 19445.00         |
|         | 2-3-16      | 45706.00         | 02-8-15     | 1873.00          |
|         | <b>योग-</b> | <b>104618.00</b> | 02-8-15     | 66212.00         |
|         |             |                  | 07-02-16    | 46363.00         |
|         |             |                  | <b>योग-</b> | <b>133893.00</b> |
| 2016-17 | 10.9.16     | 24079.00         | 9.4.16      | 5771.00          |
|         | 18.12.16    | 27173.00         | 23.9.16     | 10229.00         |
|         | 9.3.17      | 42665.00         | 23.9.16     | 19445.00         |
|         | <b>योग-</b> | <b>93917.00</b>  | 23.9.16     | 1873.00          |
|         |             |                  | 23.9.16     | 1869.00          |
|         |             |                  | 23.9.16     | 1884.00          |
|         |             |                  | 23.9.16     | 500.00           |
|         |             |                  | 23.9.16     | 328.00           |

|  |  |  |             |                  |
|--|--|--|-------------|------------------|
|  |  |  | 2.10.46     | 66538.00         |
|  |  |  | 2.10.16     | 6972.00          |
|  |  |  | 2.1.17      | 9772.00          |
|  |  |  | <b>योग-</b> | <b>125181.00</b> |

आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 16 में विधायक निधि में 104618.00 तथा राज्य वित्त आयोग मद में रु. 133893.00 कुल रु. 23851.80 एवं वर्ष 2016-17 में विधायक निधि में 93917.00 तथा राज्य वित्त आयोग में क्र. 125/81.00 कुल रु. 219098.00 ब्याज के रूप में आय हुई जिसे उपरोक्त उपरोक्त शासना देश के अनुपालन में संबंधित संस्था को वापस किया जाना था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो आपत्तिजनक रहा। अतः वर्ष 2015-16 में को तथा वर्ष 2016-17 में कर 219098- रु.238511. संबंधित आय मानकर ब्यय किया गया। अतः की गयी ब्याज की धनराशि संबंधित वर्षों में कार्यरत रहे अधिकारियों और लेखाकार से की जानी) अपेक्षित रहती यह निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवधारित किया जाता है।

| प्राप्त और व्यय की गई ब्याज की धनराशि | उत्तरदायी वि० ख० अधि० | उत्तरदायित्व | संबंधित लेखाकार | उत्तरदायित्व |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 58912.00                              | श्री जे.पी. सिंह      | 29456.00     | श्री जगपति सिंह | 29456.00     |
| 87530.00                              | श्रीमतीशालिनी वर्मा   | 43765.00     | श्री जगपति सिंह | 43765.00     |
| 231557.00                             | डा.आराधना त्रिपाठी    | 115778.50    | श्री जगपति सिंह | 115778.50    |
| 79610.00                              | श्री संदीप कुमार      | 39805.00     | श्री जगपति सिंह | 39805.00     |
| 457609.00                             |                       | 228804.50    |                 | 228804.50    |

#### प्रस्तर संख्या - 187

| दिनांक     | चेक क्र./ दिनांक  | धनराशि    | प्राप्त कर्ता              |
|------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 2/7/2015   | 92786-2/7/2015    | 64222.00  | प्रमोद कुमार तिवारी        |
| 2/7/2015   | 92786/2-7-2015    | 101088.00 | मे० प्रदीप सप्लार          |
| 13/4/16    | 929786/13-4-2016  | 140569.00 | मे० कस्तूरी इ.प्रा.        |
| 22/4/16    | 926593/22-4-2016  | 513401.00 | मे० कस्तूरी इ.प्रा.        |
| 22/6/16    | 926580/22-6-2016  | 299969.00 | मे० कस्तूरी इ.प्रा.        |
| 26/7/16    | 925588/26-7-2016  | 342389.00 | मे० कस्तूरी इ.प्रा.        |
| 31/12/16   | 930326/27-11-2016 | 99440.00  | मे० ज्ञान प्रकाश कनट्रक्शन |
| 10/12/15   | 061364/10-12-15   | 54619.00  | मे० ज्ञान प्रकाश कनट्रक्शन |
| 10/12/15   | 061367/10-12-15   | 11083.00  | मे० ज्ञान प्रकाश कनट्रक्शन |
| 14/03/16   | 061379/14-3-16    | 139126.00 | विजय कुमार गौतम            |
| 27/11/2016 | 000544/27-11-16   | 86895.00  | महालक्ष्मी कनट्रक्शन       |

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न मदों से किये गये उक्त व्यय किन कार्यों के लिए किये गए कुछ इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए नियमानुसार सम्बन्धित अवधि में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों तथा लेखाकार के व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर मात्रा में की जानी चाहिए। कुछ व्यय धनराशि रु. 1852801.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए उत्तरदायित्व अंश निम्नलिखित निर्धारित किया जाता है

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| वरिष्ठ लेखाकार श्री जगपति सिंह विकास खण्ड अधिकारी | 926400.50         |
| श्रीमती शालिनी वर्मा                              | 82655.00          |
| डा.आराधना त्रिपाठी                                | 794025.50         |
| श्री संदीप कुमार                                  | 49720.00          |
| <b>योग</b>                                        | <b>1852801.00</b> |

अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान कर ब्याज सहित वसूली की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर संख्या - 188** लेखा परीक्षित वर्षों 2015-16 से 2016-2017 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार सप्लायर्स को जमानत धनराशि की वापसी की गयी है।

| दिनांक     | चेक क्र./ दिनांक  | धनराशि    | प्राप्त कर्ता                   |
|------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 10/7/2015  | 927863/10-7-15    | 48,000.00 | में० प्रदीप साप्ला वि निधि      |
| 13/8/2015  | 927870/13-8-15    | 63280.00  | में० ज्ञान कन्सट्रक्शन          |
| 23/9/2016  | 926597-23/9/2016  | 143620.00 | में० कस्तूरी इ.प्रा.            |
| 26/10/2016 | 930321/26-10-2016 | 68521.00  | में० कस्तूरी इ.प्रा.            |
| 13/8/2015  | 052992/13-8-2015  | 274198.00 | में० ज्ञान कन्सट्रक्शन राज्यवि. |
| 13/8/2015  | 052993/13-8-2015  | 46933.00  | में० जगत नारायण कन्सट्रक्शन     |
| 23/9/2016  | 061397/23-9-2016  | 133407.00 | में० ज्ञान कन्सट्रक्शन राज्यवि. |

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23 (1) के अनुसार टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका देने के पूर्व उससे कम-से-कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (व्याने की धनराशि सहित) जमा धनराशि किये गये करवाया जाना अपेक्षित है। शेष 5% कार्य के चालू बिलों से प्रत्येक विल से 10% की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10% प्रतिभूति पूरी नहीं हो जाती।

लेखा परीक्षा में बिलों से जमानत की धनराशि का या ठेकेदारों द्वारा जमानत धनराशि जमा कराये जाने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त धनराशि किन कार्यों के लिए किस वर्ष प्राप्त की गयी थी तथा वे कार्य पूर्ण हुए या नहीं अतः विधायक निधि और राज्य वित्त से भुगतान धनराशि को अपहरण मानते हुए संबन्धित वर्षों में 'कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारी और वरिष्ठ लेखाकार से बराबर बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है। बसूली का उत्तरदायित्व अंश निम्नविवरण के अनुसार है:

| जमानत वापसी की धनराशि | विकास खंड अधिकारी                            | वरिष्ठ लेखाकार               |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 452411.00             | श्रीमती शालिनीवर्मा<br>226205.50             | श्री जगपति सिंह<br>226205.50 |
| 345548.00             | श्रीमती डॉ० आराधना त्रिपाठी रु.<br>172774.00 | श्री जगपति सिंह<br>172774.00 |

**प्रस्तर संख्या - 189** निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आयकर-बिक्रीकर कटौती कर श्री कमलेश कुमार मौर्य (केशियर) को चेक से भुगतान की गयी है चेक कु: । दिनांक

| चेक क्र./ दिनांक  | धनराशि          | मद          |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 929522/21-9-2015  | 42662.00        | विधायक निधि |
| 929526/21-09-2015 | 11643.00        | विधायक निधि |
| 929529/26-09-2015 | 22330.00        | विधायक निधि |
| <b>कुल</b>        | <b>76635.00</b> |             |

लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि आलोच्य वर्ष में की गयी आयकर कटौती के लिए चेक आयकर अधिकारी सिविल लाइन इलाहाबाद के लिए जबकि दिकीकर कटाती की जमा करने के लिए चेक मुख्य आयुक्त व्यापार कर खण्ड -2 इलाहाबाद के पक्ष में काटा जाता रहा और उसमें से अधिकांश चेक वापस मद में प्राप्त कर कर समायोजित कर लिये गये किन्तु उक्त हुन् 76635.00 कान्चक श्री कमलेश कुमार मौर्य के नाम से काटा गया और धनराशि आयकर -विक्रीकर मद में जमा कराये जाने का सार्य (चालान) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संबन्धित धनराशि की अपहरण मानते हुए धनराशि 76635.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर भाग में विकास खण्ड अधिकारी श्री जे.पी. सिंह (रु. 38317.50) तथा वरिष्ठ लेखाकार श्री जगपति सिंह (38317.50) से किये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

**प्रस्तर संख्या - 190** क्षेत्र पंचायत सोराव में निम्नलिखित विवरण के अनुसार सोलर लाईट कम कर भुगतान दर्शाया गया है।

| दिनांक     | चेक क्र./दिनांक | धनराशि    | प्राप्तकर्ता            | विवरण               |
|------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 21-09-2015 | 053000/21-09-15 | 200679.00 | में विभा इन्टर प्राइजेस | 10 नग सोलरलाईट      |
| 09-11-2015 | 053009/19-11-15 | 367500.00 | में विभा इन्टर प्राइजेस | 15 नग पुराना भुगतान |
| 10-12-2015 | 061361/10-12-15 | 315900.00 | में विभा इन्टर प्राइजेस | 2 सोलर लाईट         |
| 18-01-16   | 061371/18-01-16 | 585000.00 | में विभा इन्टर प्राइजेस | 25 नग सोलर लाईट     |

उपरोक्तानुसार कुल रु 1469079.00 की गयी सोलर लाईट के सापेक्ष कोई भी अभिलेख, व्यय प्रमाणक तथा उपभोग स्थलों की सूची आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः सम्बन्धित व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नलिखित उत्तरदायित्व अंश के अनुसार ब्याज सहित वसूली की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है

|                    |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| खण्ड विकास अधिकारी | श्री जे.पी सिंह         | 100339.50         |
| खण्ड विकास अधिकारी | श्रीमती आराधना त्रिपाठी | 634200.00         |
| ज्ये. लेखाकार      | श्री जगपति सिंह         | 734539.50         |
|                    | <b>योग</b>              | <b>1469079.00</b> |

## क्षेत्र पंचायत सोरावं - जनपद प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18 से 2018-19

**प्रस्तर संख्या - 191** क्षेत्र पंचायत सोरावं में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विधायक निधि, तथा राज्य वित्त से निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

| वर्ष    |                 |            | अपेक्षित कटौती |          |
|---------|-----------------|------------|----------------|----------|
|         |                 |            | 2.4% टीडीएस    | लेबर 51% |
| 2017-18 | राज्य वित्त रु. | 2582460.00 | 61979          | 25825    |
| 2018-19 | विधायक निधि रु. | 2945812.00 | 70699          | 29458    |
| 2018-19 | राज्य वित्त रु. | 4506780.00 | 108163         | 45068    |

नियमानुसार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री पर बिल से 2.4% टीडीएस एवं 1% की दर से लेबर सेस की कटौती कर सम्बन्धित मद में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्समय कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारी तथा ज्येष्ठ लेखाकार से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी चाहिए। उत्तरदायित्व अंश निम्नानुसार आंकलित किया गया है।

विकास खण्ड अधिकारी.

1- श्री जय प्रकाश शुक्ला रु. 96434.00 का 50% = 48217.00

2- श्रीमती अस्मिता सेन रु. 144407.86 का 50%. = 72204.00

ज्येष्ठ लेखाकार

3- श्री जगपति सिंह रु. 240841.86 का 50% = 120421.00

**प्रस्तर संख्या - 192** दिनांक 05-04-2015 को कैशियर श्री कमलेश कुमार को चेक क. 922823/ 05-04-2018 से रु.5893.0 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस उद्देश्य के लिये किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः को 5893. को अपहरण मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायित्व अंश निम्नलिखित है- खण्ड वि० अधी० श्रीमती अरिमता सेन

2946.50

ज्येष्ठ लेखाकार श्री जगपति सिंह

2946.50

योग- 5893.00

**प्रस्तर संख्या - 193** शासन के आदेश संख्या-10/2015/ ए-1 502/दस 2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज सरकार की आय होगी और अर्जित आय (ब्याज) करने राजकीय कोषागार में जमा करा दी जाएगी।

लेखा परीक्षा अवधि वर्ष में 2017-18 से 2018-19 में विभिन्न मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज प्राप्त की गयी।

| वर्ष    | दिनांक      | विधायक निधि     | दिनांक      | राज्य वित्त आयोग |
|---------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 2017-18 | 04-07-2017  | रु. 29863.00    | 06-04-2017  | रु. 11710.00     |
|         | 03-12-2017  | रु. 38783.00    | 06-04-2017  | रु. 630.00       |
|         | <b>योग-</b> | <b>68646.00</b> | 02-10-2017  | रु. 2982.00      |
|         |             |                 | 04-01-2018  | रु. 6514.00      |
|         |             |                 | <b>योग-</b> | <b>21836.00</b>  |

|             |            |                  |             |                 |
|-------------|------------|------------------|-------------|-----------------|
| 2018-19     | 02-05-2018 | 24350.00         | 02-04-2018  | 12394.00        |
|             | 03-06-2018 | 20093.00         | 01-07-2018  | 29418.00        |
|             | 12-09-2018 | 27666.00         | 21-01-2018  | 7920.00         |
|             | 10-12-2018 | 27642.00         | 28-03-2019  | 7920.00         |
|             | 09-03-2019 | 17708.00         | 28-03-2019  | 11420.00        |
| <b>योग-</b> |            | <b>117459.00</b> | <b>योग-</b> | <b>69072.00</b> |

आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में विधायक निधि में 68646.00 तथा राज्य वित्त आयोग मद में क्र. 21836.80 (कुल रु. 90482.00 एवं वर्ष 2018-19 तथा राज्य वित्त आयोग ब्याज के रूप में विधायक मद में रु० 69072.00 (कुल रु. 186531-00) ब्याज के रूप में आय हुई जिसे उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में संबन्धित संस्था को वापस किया जाना था किन्तु ऐसा नहीं किया गया जो आपत्ति जनक रहा। अपितु उक्त ब्याज की धनराशि को संबन्धित भद में जोड़ दिया गया और व्यय किया गया। अतः उक्त व्यय की गयी ब्याज की धनराशि सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत रहे विकास खण्ड अधिकारियों ज्येष्ठ लेखाकार से बराबर बराबर मात्र में की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायित्व अश का निर्धारण निम्नलिखित विवरण अनुसार किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित रहा ।

| अर्जित ब्याज | खण्ड विकास अधि                    | वरिष्ठ लेखाकार               |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 12340.00     | श्री जय प्रकाश शुक्ला रु. 6170.00 | श्री जगपति सिंह रु 6170.00   |
| 264673.00    | श्रीमती अस्मिता सेन रु. 132336.50 | श्री जगपति सिंह<br>132336.50 |
| 277013.00    | 138506.50                         | 138506.50                    |

**प्रस्तर संख्या - 194** - क्षेत्र पंचायत सोरांव की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान अनुदान पंजी तीन में की जा रही प्रविष्टियों में घोर लापरवाही बरती गयी। अगस्त-2017 में 31-08-2017 का अंतिम अवशेष रु. 5002478.00 था। अस्तु सितम्बर 2017 में 01/09/2017 को प्रारंभिक अवशेष बिना मद बढ़ाए 4850361.00 दर्शाया गया। इस प्रकार रु. 152137.00 से कम अवशेष दर्शाया गया। सितम्बर माह में ही रु.1248900.00 की आय दर्शायी गयी किन्तु आय का विवरण नहीं दिया गया और 30 सितम्बर 2017 को अन्तिम अवशेष रु० 5108790.00 दर्शाया गया जो सितम्बर 2017 में राज्य वित्त से व्यय रु० 435707.00 तथा मनरेगा कटजेंसी से व्यय रु० 2300.00 के समायोजन के पश्चात था किन्तु कुल व्यय 438007.00 के सापेक्ष व्यय पक्ष का योग 990471.00 दर्शाया जो वास्तविक व्यय से रु. 552464.00 अधिक था। यह व्यय किस मद में किया गया स्पष्ट नहीं किया गया। अनुदान पंजी भाग-III में उक्त माह का बैंक समाधान विवरण तथा अनाहरित चेक का विवरण नहीं दिया गया तथा पासबुक या स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं की गयी। माह अक्टूबर में आरंभिक अवशेष रु. 5108790.00 (01-10-2017) लाया गया। इस माह कुल आय रु. 713979.00 तथा कुल व्यय 627867.00 के समायोजन के पश्चात् माह अक्टूबर 2017 (31-10-2017) का अंतिम अवशेष रु० 5194902.00 दर्शाया गया किन्तु बैंक अवशेष का विवरण तथा अनाहरित चेक का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। पुन नवम्बर 2017 में 01-11-2017 को प्रारंभिक अवशेष रु. 5194902.00 के स्थान पर 3144095.00 प्रविष्ट किया गया। लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि माह अक्टूबर 2017 का कुल व्यय रु. 2240667.00 था जिसे रु. 627867.00 दर्शाया गया था। तथा अक्टूबर 2017 के प्रारंभिक अवशेष 5108790.00 मासिक आय 713979.00 तथा मासिक व्यय 2240667.00 के समायोजन के पश्चात 3582102.00 अंतिम अवशेष (31-10-2017) होना चाहिए था किन्तु अंतिम अवशेष 5194902.00 दर्शाया और नवम्बर, 2017 का प्रारंभिक अवशेष वास्तविक अंतिम अवशेष रु. 3582102.00 के स्थान पर 3144095.00 दर्शाया गया जो कि रु. 438007.00 से कम था। उक्त माह का भी बैंक अवशेष का विवरण, अनाहरित चेक का विवरण तथा बैंक पास बुक प्रस्तुत नहीं गयी। माह नवम्बर 2017 से पुनः बैंक अवशेष तथा समाधान एवं अनाहरित चेक का विवरण प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर में तथा फरवरी 2018 में पृष्ठ 73 जी आर - 3 का बैंक अवशेष तथा अनाहरित चेक का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। मार्च 2018 में अनाहरित चेक का विवरण दिया गया किन्तु बैंक जमा का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल 1142608.00 का अज्ञात व्यय करके बैंक समाधान तथा अनाहरित चेक का विवरण न देकर धनराशि का अपहरण किया गया जिसे निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज सहित वसूली के लिए विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

|                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| विकास खण्ड अधिकारी | श्रीमती अस्मिता सेन | रु. 571304.00         |
| वरिष्ठ लेखाकार     | श्री जगपति सिंह     | रु. 571304.00         |
|                    | <b>योग</b>          | <b>रु. 1142608.00</b> |

#### प्रस्तर संख्या - 195

|           |                |                          |           |       |
|-----------|----------------|--------------------------|-----------|-------|
| 15/4/2017 | 399874/15-4-17 | में० माधवद्र प्रताप सिंह | 134623.00 | जमानत |
|-----------|----------------|--------------------------|-----------|-------|

|            |                   |                               |                   |       |
|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| 15/4/2017  | 399875/15-4-17    | म० ज्ञान कन्स्ट्रक्शन         | 56000.00          | जमानत |
| 15/4/2017  | 399676/15-4-17    | में ज्योतिमा कन्स्ट्रक्शन     | 13000.00          | जमानत |
| 15/4/2017  | 399877/15-4-17    | मे. कस्तूरी इन्टरप्राइजेज     | 54170.00          | जमानत |
| 1/7/2017   | 9339331/1-7-17    | में ज्योतिमा कन्स्ट्रक्शन     | 16500.00          | जमानत |
| 12/10/2017 | 933922/12-10-17   | मे. महा लक्ष्मी कन्स          | 118800.00         | जमानत |
| 12/10/2017 | 933923/12-10-17   | मे. जगत नारायण मिश्रा         | 75327.00          | जमानत |
| 18/4/2018  | 004509/18-4-18    | मे. महा लक्ष्मी कन्स          | 160260.00         | जमानत |
| 2/5/2018   | 004520/02-05-2018 | मे. महा लक्ष्मी कन्स          | 205368.00         | जमानत |
| 2/5/2018   | 004521/2/5/2018   | मे. जगत नारायण मिश्रा         | 56196.00          | जमानत |
| 27/6/2018  | 004522/27/6/2018  | मे. मे. कस्तूरी इन्टरप्राइजेज | 119434.00         | जमानत |
| 06/05/2017 | 923131/06-05-2017 | मे. महा लक्ष्मी कन्स          | 236156.00         | जमानत |
| <b>योग</b> |                   |                               | <b>1245834.00</b> |       |

उ. प्र. क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के अनुसार टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात ठेकेदार को को ठेका देने के पूर्व उससे कम-से-कम 5 प्रतिशत की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है। शेष 5 प्रतिशत धनराशि किए गए कार्य के चालू बिलों से (प्रत्येक बिल से 10% की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10% प्रतिभूति पूरी नहीं हो जाती। लेखा, परीक्षा में बिलों से जमानत की धनराशि की कटौती का या ठेकेदारों द्वारा जमानत धनराशि जमा करने का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।"। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त धनराशि किन कार्यों के लिए किस वर्ष प्राप्त की गयी थी तथा वे कार्य पूर्ण हुए या नहीं। अतः विधायक निधि तथा राज्य वित्त की धनराशि से किये गये उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए की ब्याज सहित वसूली की ओर (उत्तरदायित्व अंश के अनुसार) विभागीय अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित रहा।

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| खण्ड विकास अधिकारी श्री जयप्रकाश शुक्ला | रु. 128896.50  |
| श्रीमती अस्मिता सेन                     | रु. 494020150  |
| ज्ये. लेखाकार श्री जगपति सिंह           | रु. 622977.00  |
| कुल                                     | रु. 1245834.00 |

## क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर - जनपद प्रयागराज

### लेखा परीक्षा वर्ष - 2011-12 से 2013-14

आपति का विवरण

#### प्रस्तर संख्या -196

ग्राम पंचायत धोकरी में 2011-12 में श्री चन्द्रकृष्ण कुमार के घर से खड़न्जा रोड मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य 100x3.5 मीटर हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा 2.56 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी तथा दिनांक 03.08.12 को यूनिक इण्टरप्राइजेज को 216 290.00 तथा 13. 08.12 को रु0 24600.00 श्री सतीश कुमार जी०पी०ए० को श्रमांश के रूप में भुगतान किया गया।

दिनांक 06.01.2014 को उप जिलाधिकारी, फूलपुर महोदय द्वारा कार्य की जमीन को विवादित बताकर कार्य पर हुए व्यय की ब्याज सहित वसूली का आदेश पारित किया गया।

अतः उपरोक्त फर्म पर दर्शित व्यय रु0 240890.00 की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति से करायी जानी अपेक्षित है। उपजिलाधिकारी, फूलपुर के आदेश दिनांक 06. 01.2014 के अनुपालन में किए जाने की पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इसके लिए जिम्मेदार श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, ख०वि०अ०, श्री इन्द्र बहादुर सिंह, लेखाकार एवं श्री सतीश कुमार, ग्रा०वि०अ० तथा अजय कुमार श्रीवास्तव, जे०ई० आर०ई०एस० से नियमानुसार तात्तरीख मय ब्याज की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**मूल आपति संख्या - 05**

#### प्रस्तर संख्या -197

क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के परिसर में वर्ष 2013-14 में भवनों का रख-रखाव सफाई, या रंगाई, पुताई एवं बैठने की व्यवस्था हेतु रु० 350400.00 की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत द्वारा दी गयी। उक्त कार्य हेतु श्री सोनू सिनहा, भण्डार लिपिक को कार्य प्रभारी तथा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (जे०ई० आर०ई०एस०) को मापन अधिकारी नियुक्त किया गया।

दिनांक 10.02.14 को श्रीमती विनीता श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहादुरपुर द्वारा स्टाक में 40 कुर्सी तथा चार आलमारी अप्राप्त बताया गयी है।

चेक सं० 001 दिनांक 30.10.13 से ₹ 324278.00 का भुगतान में यूनिक इण्टरप्राइजेज को किया गया दर्शित है। इस प्रकार 40 कुर्सी एवं 4 आलमारी की कीमत ₹ 137400.00 का सामान नहीं आया, परन्तु भुगतान कर दिया गया। वितरण निम्न प्रकार रहा -

आलमारी 40 x 14850.00= 59400.00

कुर्सी 40 x 1950.00 = 78000.00

योग ₹= 137400.00

लेखा परीक्षा में उपरोक्त सामान प्राप्त कर लिये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः ₹ 137400.00 की क्षतिपूर्ति कार्य प्रभारी श्री सोनू सिनहा व मापन अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (जे०ई० आर०ई०एस०) से अपेक्षित है।

मूल आपति

संख्या - 06

#### प्रस्तर संख्या -198

31.03.14 को क्षेत्र पंचायत में बैंकों में जमा धनराशि पर ₹ 625514.00 का ब्याज प्राप्त दर्शाया गया है जो शेष है। अर्जित ब्याज को को राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए परन्तु काम काज की राशि वापस न कर क्षेत्र पंचायत में रोक रखा है, जो आपत्तिजनक है। इसके लिए श्री विपिन चौधरी, (ख०वि०अ०), श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, (ख०वि०अ०) एवं श्री अरुण कुमार सिंह, (ख०वि०अ०) तथा आंकिक श्री इन्द्र बहादुर सिंह जिम्मेदार हैं। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या - 09

#### प्रस्तर संख्या -199

कोटेशन एवं टेण्डर उक्त कम में वित्तीय वर्ष 2011-12 2012-13 व 2013-14 में कोटेशन / टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किया गया। संस्था को उक्त 03 वर्षों में कुल 63 फार्म की बिक्री (दर प्रति फार्म ₹ 500.00) से आमद आय ₹ 31500 का अंकन ग्रांट रजिस्टर व सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न कर अपहरित कर लिया गया। अतः अपहरित धनराशि ₹ 31500 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन चौधरी, (ख०वि०वि०), श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, (ख०वि०अ०) एवं श्री अरुण कुमार सिंह, (ख०वि०अ०) अनुसार व लेखाकार श्री इन्द्र बहादुर सिंह से तातारीख मय ब्याज के कियाजाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या - 02

#### प्रस्तर संख्या -200

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 में ■ राज्य-वित्त से मलावा बुजुर्ग में सी०सी० रोडसे मकसूद हलवाई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 2.88 लाख हेतु, कार्य प्रभारी श्री निखिल मोहन, ग्रा०वि० अधिकारी को बनाया गया। उक्त कार्य हेतु श्रमांश हेतु -

एम.आर . दिनांक 18.02.12 से 26.02.12

एम.आर . दिनांक 15.12.11 से 20.12.11

दूसरा कार्य इजीपुर में स्व० लाल मोहम्मद के घर से हादी दर्जी के घर होते हुए मेंहदी रमन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु ₹ 3.31 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त कार्य हेतु श्रमांश पर उपरोक्त दोनों ही कार्यों में श्री दिलीप पुत्र राम जतन व कन्हई लाल पुत्र मेवा लाल, दिनांक 13.02.12 से 17.02.12 तथा इसी दोनों प्रोजेक्ट पर दिनांक 15.12.11 से 19.12.11 तक दोनों मजदूरों को कार्यरत दर्शाया गया है। जो असम्भव है। उक्त मस्टर रोल पूर्णतया कूटरचित है। अतः दोहरे भुगतान में सन्निहित भुगतान ₹ 7540/- की ब्याज सहित वसूली श्री निखिल मोहन (ग्रा०वि०अ०) कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या - 08

#### प्रस्तर संख्या - 201

क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर में वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से ग्राम छतनाग में मूलचन्द्र के घर से बेबी हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये जिसमें चार टेण्डरदाताओं (1) स्टार इण्टरप्राइजेज (2) यूनिक इण्टरप्राइजेज (3) गोपाल इण्टरप्राइजेज (4) मन ग्रोथ इण्टरप्राइजेज द्वारा 500 प्रति की दर से टेण्डर फार्म का मूल्य ₹ 2000/- वसूल किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत में जमा नहीं किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं आंकिक श्री इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, जिम्मेदार रहे। नियमानुसार इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

मूल आपति संख्या - 10

क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर - जनपद प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष - 14-15 से 16-17

आपति का विवरण

**प्रस्तर संख्या - 202**

लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार पाया गया कि निम्नलिखित कार्यो पर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को किया गया है, किन्तु मस्टररोल पर श्रमिकों का हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा नहीं पाया गया। विवरण निम्नवत है-

| क्र० सं०     | कार्य का नाम                                                                         | अवधि                 | श्रमिक की संख्या | धनराशि                                                     | कार्य प्रभारी का नाम                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | चक हरिहरवन चैतन्य नगर मुहल्ले में इंला० कार्य                                        | 10.01.16 से 23.01.16 | 26               | 67067-00                                                   | श्री०के०पी० सिंह ग्रा०वि०आ०         |
| 2            | तदैव                                                                                 | 26.01.16 से 04.02.16 | 16               | 29286-00                                                   | तदैव                                |
| 3            | रामनाथपुर में रेलवे लाइन के बाईर से अतुल पाण्डेय के मकान तक इंला० कार्य              | 25.01.16 से 04.02.16 | 14               | 25261=00                                                   | श्री दिनेश कुमार ग्रा०वि०आ०         |
| 4            | तदैव                                                                                 | 10.01.16 से 23.01.16 | 13               | 31730-00                                                   | तदैव                                |
| 5            | ग्राम सीहीपुर में प्रधानमंत्री सड़क से राम सिंह के घर तक इंला० कार्य                 | 25.01.16 से 04.02.16 | 15               | 27193-00                                                   | तदैव                                |
| 6            | तदैव                                                                                 | 10.01.16 से 23.01.16 | 18               | 42670-00                                                   | तदैव                                |
| 7            | वनी मुख्य कार्य मार्ग से वनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इंला० कार्य              | 10.01.16 से 23.01.16 | 25               | 59947-00                                                   | श्री प्रमोद कुमार सिंह ग्रा०वि०आ०   |
| 8            | तदैव                                                                                 | 25.01.16 से 05.02.16 | 15               | 30347-00                                                   | तदैव                                |
| 9            | ग्राम कोटवा जूही तली से पाल बस्ती से जाज निगम साइफन तक इंला० कार्य                   | 10.01.16 से 23.01.16 | 13               | 31730-00                                                   | तदैव                                |
| 10           | तदैव                                                                                 | 25.01.16 से 04.02.16 | 14               | 26227.00                                                   | तदैव                                |
| 11           | चक हरिहर बन में जीटी रोड से शिव कुमार कुशवाहा के घर तक इंला० कार्य                   | 10.01.16 से 23.01.16 | 13               | 31686.00                                                   | श्री के०पी० सिंह ग्रा०नि०आ०         |
| 12           | तदैव                                                                                 | 25.01.16 से 03.02.16 | 15               | 24844.00                                                   | तदैव                                |
| 13           | शेरडीह में विश्व मानव कहानी केन्द्र से गांधी कालेज के मध्य पटेल मार्ग पर इंला० कार्य | 10.01.16 से 23.01.16 | 25               | 59947.00                                                   | श्री आलोक कुमार त्रिपाठी ग्रा०वि०आ० |
| 14           | तदैव                                                                                 | 25.01.16 से 05.02.16 | 15               | 30347-00                                                   | तदैव                                |
| <b>योग -</b> |                                                                                      |                      |                  | <b>5,18,282=00 (रु० पाँच लाख अद्वारह हजार दो सौ बयासी)</b> |                                     |

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु० 518282.00 का भुगतान गलत तरीके से किया गया। अतः इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०पी० सिंह (ग्रा०वि०आ०) कार्य प्रभारी से रु० 32117.66, श्री आनन्द सिंह तत्कालीन लेखाकार से रु० 32117.66 तथा श्री अरुण कुमार तत्कालीन एवं खं०वि०आ० से रु० 32117.66 की, श्री दिनेश कुमार (ग्रा०वि० आ०) कार्य प्रभारी से रु० 42284.66, श्री आनन्द सिंह तत्कालीन लेखाकार से रु० 42284.66 तथा श्री अरुण कुमार तत्कालीन खं०वि०आ० से रु० 42284.66 की, श्री प्रमोद कुमार सिंह (ग्रा०वि०आ०) कार्य प्रभारी से रु० 49417.00, श्री आनन्द सिंह तत्कालीन लेखाकार से रु० 49417.00 तथा श्री अरुण कुमार तत्कालीन खं०वि०आ० से रु० 49417.00 की, श्री के०पी० सिंह (ग्राम वि०आ०) कार्य प्रभारी से रु० 1884333, श्री आनन्द सिंह से रु० 18843.33 तथा श्री अरुण कुमार तत्कालीन सं०वि०आ० से रु० 18843.33 की एत श्री आलोक त्रिपाठी (ग्रा०वि०आ०) कार्य प्रभारी से रु० 3009800 की, श्री आनन्द सिंह तत्कालीन लेखाकार से रु० 30098.00 की तथा श्री अरुण कुमार तत्कालीन खं०वि०आ० से रु० 30098.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**मूल आपति संख्या -02****प्रस्तर संख्या - 203**

आलोचन वर्ष में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यो हेतु मिट्टी भी आपूर्ति की गई है।



| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                       | मिट्टी की मात्रा                                | रायल्टी की दर | मूल्य |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | चक हरि हरवन चैतन्य नगर मुहल्ले में इ०ला० हेतु मिट्टी                               | 333 घ.मी                                        | 30 घ.मी       | 9990  |
| 2        | रामनाथ पुर रेलवे लाइन के बार्डर से अतुल पाण्डेय के मकान तक इ०ला० कार्य हेतु मिट्टी | 170 घ.मी                                        | 30 घ.मी       | 5100  |
| 3        | ग्राम सीही पुर से प्रधानमंत्री सड़क से राम सिंह के घर तक इ०ला० कर्म हेतु मिट्टी    | 216 घ.मी                                        | 30 घ.मी       | 6480  |
| 4        | वनी मुख्य मार्ग से बनी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इ०ला० कार्य हेतु मिट्टी       | 337.50 घ.मी                                     | 30 घ.मी       | 10125 |
| 5        | ग्राम कोटवा जूही ताली से पाल बस्ती जल निगम साइफन तक मिट्टी                         | 170 घ.मी                                        | 30 घ.मी       | 5100  |
| 6        | चकहरिहरबन जीटी रोड से शिव कुमार के घर तक मिट्टी                                    | 96 घ.मी                                         | 30 घ.मी       | 2880  |
| 7        | शेरडीह में महेशपुर मुख्य मार्ग से बी०एफ० पाल के घर तक इ०ला० कार्य हेतु मिट्टी      | 192 घ.मी                                        | 30 घ.मी       | 5760  |
|          | <b>योग</b>                                                                         | <b>45435.00 (रु० पैतालीस हजार चार सौ पैतीस)</b> |               |       |

शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के तहत समुचित कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 45,435-00 की रायल्टी की कटौती न करके क्षति पहुँचाई गई है, जिसके लिए तत्कालीन श्री आनन्द सिंहलेखाकार व ख०वि०आ० तत्कालीन श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। अतः श्री आनन्द सिंह से रु० 22717.50 तथा श्री अरुण कुमार से रु० 22717.50 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूल आपति संख्या -03**

**प्रस्तर संख्या - 204**

आलोच्य वर्ष में कुल 5,17,008-50 ब्याज मद में प्राप्त रहा एवं सम्बन्धित वर्ष में कुल प्रारम्भिक रु 6,25,514-00 शेष था, जिसके सापेक्ष कुल व्यय रु० 8,82,374-00 रहा और दिनांक 31.03.2017 को अवशेष ब्याज रु० 2,60,148.50 दर्शित रहा। इस प्रकार ब्याज को राज्य सरकार को वापस न करके अनियमित रूप से रु० 8,82,374-00 व्यय किया गया है, तथा रु० 2,60,148.50 शेष ब्याज को रोक रखा गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री आनन्द सिंह व श्री कृष्ण कान्त शुक्ला तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**मूल आपति संख्या - 10**

**क्षेत्र पंचायत चाका - जनपद प्रयागराज**

**लेखा परीक्षा वर्ष - 2011-12 से 2013-14**

**प्रस्तर संख्या - 205** आलोच्य 2013-14 वर्ष में दिनांक 25.03.2014 को विधायक निधि से रु० 420,000/- का भुगतान लवायत कला में निषाद में मन्दिर के सामने तालाब किनारे मार्ग पर इण्टरलाकिंग (रु० 1.6 लाख) तिलखवार केशवपुर में पक्की सड़क से राजेश्वर के घर से श्यामबाबू के घर तक इण्टरलाकिंग (रु० 1.6 लाख) तथा चाका के ग्राम उमरी में कब्रिस्तान की बावण्डीवाल निर्माण (रु० 1.00 लाख) व्यय हेतु किया गया ग्रांट रजिस्टर 2 में दर्शित है। इस तरह उक्त तीन कार्यों के लिए कुल 420,000/- का भुगतान किया गया। उक्त कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पन्नावली को लेखाकार सेमाँग करने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त दर्शित व्यय की गयी धनराशि रु० की 420,000/- ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता चौधरी एवं श्री इसरार अहमद लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है

**मूल आपति संख्या-21**

**क्षेत्र पंचायत चाका - जनपद प्रयागराज**

**लेखा परीक्षा वर्ष - 2014-15 से 2016-17**

**प्रस्तर संख्या - 206** आलोच्य वर्ष में 2015-16 दिनांक 18.01.2016 को सांसद निधि से ग्राम अडी गगोनी नगर नैनी के समीप गर्ग के घर से सुशीला देवी के घर तक सी.सी. रोड़ निर्माण हेतु रु० 295,000/- व्यय किया गया ग्रांट रजि० 2 में दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणकों को लेखाकार से माँग करने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही सम्बन्धित कार्यपूति एव उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त दर्शित व्यय की धनराशि रु० 295,000/-

तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी श्री दीपक यादव एवं लेखाकार /आंकिक श्री इसरार अहमद से ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

**मूल आपति संख्या-12**

**क्षेत्र पंचायत - शंकरगढ़ जनपद - प्रयागराज**

**लेखा परीक्षा वर्ष 2013 - 14 से 2015 - 16**

**प्रस्तर संख्या - 207**

क्षेत्र पंचायत शंकर गढ़ के विभिन्न खातों की पास बुक के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 में अनुदान की धनराशि खाते में रखने के कारण रु० 160834=00 ब्याज अर्जित हुआ। जबकि अनुदान रजिस्टर में समस्त अर्जित ब्याज रु० 38108 ही पकड़ी गयी है। वर्ष 2013-14 में अर्जित ब्याज का विवरण निम्न रहा:-

| क्र० | बैंक का नाम/खाता नम्बर                                            | खाता से सम्बन्धित मद का विवरण | प्राप्त ब्याज का विवरण |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100014065                                      | राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त     | 63248                  |
| 2    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100020729<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947993544 | विधायक निधि                   | ---<br>12233           |
| 3    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100020730<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947994457 | सांसद निधि                    | -<br>36457             |
| 4    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100006272                                      | नरेगा कन्टेजेन्सी             | 1786                   |
| 5    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100001346<br>बैंक आफ बड़ोदा/7900100010681      | विविध खाता                    | 6280<br>40830          |
|      | योग                                                               |                               | 160834=00              |

क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ के विभिन्न खातों की पासबुक की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2014-15 में अनुदान की धनराशि खाते में रखने के कारण जो अर्जित ब्याज रु० 263557=00 प्राप्त हुआ जबकि अनुदान राजेस्टर में मात्र रु० 31723=00 ब्याज प्राप्त ब्याज शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न रहा:-

| क्र० | बैंक का नाम/खाता नम्बर                                            | खाता से सम्बन्धित मद का विवरण | प्राप्त ब्याज का विवरण |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100014065                                      | राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त     | 180538                 |
| 2    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100020729<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947993544 | विधायक निधि                   | 9036<br>5326           |
| 3    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100020730<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947994457 | सांसद निधि                    | 15400<br>28516         |
| 4    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100006272                                      | नरेगा कन्टेजेन्सी             | 10921                  |
| 5    | बैंक आफ बड़ोदा/7900100001346<br>बैंक आफ बड़ोदा/7900100010681      | विविध खाता                    | 9882<br>3938           |
|      | योग                                                               |                               | 263557=00              |

(iii) क्षेत्र पंचायत शंकर गढ़ के विभिन्न खातों की पास बुक के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015-16 में अनुदान की धनराशि खाते में रखने के कारण रु० 174500=00 ब्याज अर्जित हुआ। के स्थान पर निल दर्शाया जा रहा है। विवरण निम्न रहा:-

| क्र० | बैंक का नाम/खाता नम्बर | खाता से सम्बन्धित मद का विवरण | प्राप्त ब्याज का विवरण |
|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|

|            |                                                                  |                                             |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1          | बैंक आफ बडोदा/7900100014065                                      | राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त/<br>चौदहवाँ वित्त | 64772            |
| 2          | बैंक आफ बडोदा/7900100020729<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947993544 | विधायक निधि                                 | 16866<br>3254    |
| 3          | बैंक आफ बडोदा/7900100020730<br>स्टेट बैंक आफ इंडिया/ 30947994457 | सांसद निधि                                  | 15213<br>26272   |
| 4          | बैंक आफ बडोदा/7900100006272                                      | नरेगा कन्टेजेन्सी                           | 17734            |
| 5          | बैंक आफ बडोदा/7900100001346<br>बैंक आफ बडोदा/7900100010681       | विविध खाता                                  | 29350<br>1039    |
| <b>योग</b> |                                                                  |                                             | <b>174500=00</b> |

इस प्रकार शंकरगढ़ क्षेत्र पंचायत के विभिन्न खातों पर वर्ष 2013-14 में रु 160834=00 वर्ष 2014-15 में 263557=00 एवं वर्ष 2015-16 में 174500=00 कुल धनराशि रु 598891=00 ब्याज की धनराशि प्राप्त हुई है। शासन के आदेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासन के आदेश सं०-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को दिनांक बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय (ब्याज से) राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाए। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक ब्याज से अर्जित धनराशि रु 598891 को राजकीय कोषागार में जमा न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। क्षेत्र पंचायत को अनुदान रजिस्टर में अर्जित ब्याज शीर्ष के अन्तरगत सभी खातों से प्राप्त ब्याज को पकड़ा जाना चाहिए तथा वर्षात् उसे राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 में ब्याज शीर्ष के अन्तर्गत 50959=00 का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है:-

| क्र० | दिनांक  | चेक सं० | मद जिसको भुगतान किया गया                 | धनराशि       |
|------|---------|---------|------------------------------------------|--------------|
| 1    | 9-11-15 | 004352  | पंचायत निर्वाचन की निविदा प्रकाशन हेतु   | 7736         |
| 2    | 8-12-15 | 004357  | मिडिया फीलिंग स्टेशन को डीजल भुगतान हेतु | 17223        |
| 3    | 29-2-16 | 004360  | बोलेरो का माह जनवरी फरवरी 2016 का किराया | 26000        |
|      |         |         | <b>योग</b>                               | <b>50959</b> |

संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लेधन करते हुए ब्याज की धनराशि रु 50959=00 मनमाने तरीके से व्यय किया गया जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष कुमार सिंह ही ज्येष्ठ लेखाकार श्री अरुण कुमार द्विवेदी ज्येष्ठ लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी से करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति २) -

**प्रस्तर संख्या -208-**

आलोच्य वर्ष सामग्री एवं 2013-14 में सम्पन्न किये गये कार्यों के सापेक्ष परियोजना वार/मदवार सामग्री एवं श्रमांश का विवरण दिया जा रहा है जो निम्न है

विधायक निधि वर्ष 2013-14

| 1 | गढ़ैया लोनीपार में पक्की सड़क से द्वारिका सिंह के घर होते हुए कूप तक इण्टर लाकिंग खरंजा | 344566 | 43802 | 7787  | 137830 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 2 | ओसा में नहर से अवध कुमार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                    | 905918 | 89031 | 20473 | 36237  |
| 3 | लोहगरा में सड़क मन्दिर से गुलाब केवट के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                        | 624643 | 85772 | 14117 | 24986  |
| 4 | लौंद कला खास छब्बू लाल साहू के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                 | 335727 | 28946 | 7587  | 13429  |
| 5 | लौंदकला खास छब्बू लाल साहू के घर से बनवारी कुशवाहा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य सामग्री  | 178449 | 59862 | 40330 | 7138   |
| 6 | गोबरा सँगमक लाटिंग रूप मरम्मत कार्य                                                     |        | 8236  |       |        |
| 7 | मडिवार में हीरालाल के घर से जगदीश के घर तक                                              | 225240 |       | 5090  | 9009   |

|             |                                                                                                                                 |          |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
|             | इण्टरलाकिंग कार्य                                                                                                               |          |        |        |        |
| सांसद निधि  |                                                                                                                                 |          |        |        |        |
| 8           | लोहगरा के पटान वस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य                                                                                      | 684544   | 102776 | 15471  | 27382  |
| 9           | प्राइमरी विद्यालय डेरा से गजेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                                             | 622254   | 93350  | 14063  | 24890  |
| 10          | बसहरा उपरहार देवेन्द्र सिंह के घर से दिहार वस्ती तक खडजा निर्माण                                                                | 247821   | 29834  | 5601   | 9913   |
| 11          | लौंद कला खास पश्चिम छोर से नवल कुमार कुरावाश के घर से राजेन्द्र विश्वकर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                          | 329287   |        | 7442   | 13171  |
| 12          | हररो गले छोटे लाल तक इण्टर लाकिंग कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य                                                                | 646897   | 98372  | 14620  | 25876  |
| राज्य वित्त |                                                                                                                                 |          |        |        |        |
| 13          | सुरवल साहनी सा० सहकारी समिति के अन्दर मोरमी कार्य                                                                               | 85773    | 8125   | 1938   | 3431   |
| 14          | हर्षो डिड्या रीवा रोड जायसवाल के घर से पटेल वस्ती पाले पहले पर मिट्टटी/मोरमी कार्य                                              | 40427    | 7694   | 914    | 1617   |
| 15          | झझरा चौबे मुख्य सडक से जमुनिया तालाब तक मिटी एवं इण्टर लाकिंग कार्य                                                             | 445593   | 92020  | 10070  | 17823  |
| 16          | सुरवल वृजभान मार्ग निर्माण कार्य                                                                                                |          | 10000  |        |        |
| 17          | चौखटा में पीच रोड से रणबहादूर सिंह जय सिंह एवं धनिदास के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                               | 362613   | 45260  | 8195   | 14505  |
| 18          | संकटा में कूप के जगत निर्माण कार्य                                                                                              | 46202    |        | 1044   | 1848   |
| 19          | विकास खण्ड परिसर में सौन्दर्यकिरण एवं वाउन्ड्रीवाल निर्माण                                                                      | 108078   | 18335  | 2442   | 4323   |
| 20          | चौकना में विजय रमेश आदि के घर तक ही श्यामा कान्त के घर से नवीन के घर तक इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण                           | 587883   |        | 13286  | 23515  |
| 21          | टिकरोही कला वुद्ध नारायण के घर से बेलहा तालाब तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य                                                     | 97456    |        | 2206   | 3898   |
| 22          | टिकरोही कला बी०डी०सी० के घर से भगत बहादूर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                                            | 765517   | 3940   | 17301  | 30621  |
| 23          | तेरहवाँ वित्त                                                                                                                   |          |        |        |        |
| 24          | सुरवल साहनी के कोल वस्ती इण्टरलाकिंग एवं खरंजा                                                                                  | 556862   | 73520  | 12585  | 220274 |
| 25          | सुरवल साहनी में फुलतारा रोड के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण                                                                     | 308192   |        | 6965   | 12328  |
| 26          | सुरवल साहनी कोल वस्ती रामस्वरूप कोल के घर से स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर होते हुए वस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 580603   | 36844  | 13122  | 23224  |
| 27          | सुरवल साहनी में रामस्वरूप के घर से के घर तक नाली निर्माण एवं इण्टर मार्किंगकण                                                   | 571824   | 2529   | 12923  | 22873  |
| 28          | शंकरगढ़ लोथर रोड से जनता पूर्व मा० वि० मडिवार तक इण्टरलाकिंग कार्य                                                              | 143318   | 11793  | 3239   | 5733   |
| 29          | सतपुरा मडिवार में नदी पर स्नान घाट निर्मित                                                                                      | 111487   |        | 2520   | 4459   |
| 30          | योग                                                                                                                             | 99571740 | 950041 | 225034 | 398286 |

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री पर टी० डी० एस० की कटौती 225034=00 एवं वैट की कटौती 398286-00 की जानी चाहिए जबकि राज्य वित्त, तेरहवा वित्त, विधायक निधि एवं सांसद निधि में 193132=00 टी०डी०एस० एवं 342978-00 वैट की कटौती की गई है। इस प्रकार 31902-00 टी०डी०एस० एवं 55308-00 वैट की कटौती कम की गई है साथ ही उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की

दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित सामग्री एवं श्रमांश मूल्य का 1% रु 109072 लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार टी डी एस की कम कटौती रु 31902 एवं वैट जो नहीं काटा गया की कम कटौती 55308 एवं लेबर सेस 109072 कुल धनराशि 196282=50 की कटौती ठेकेदारों के बिल से कम की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री राकेश कुमार श्री अरुण कुमार एवं श्री तेजभान सिंह एवं ज्येष्ठ लेखाकार भी अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपति से

**प्रस्तर 209-** आलोच्य वर्ष 2014-15 में सम्पन्न किये गये कार्यों के सापेक्ष परियोजनावार/मदवार एवं श्रमांश का विरण विवरण दिया जा रहा है जो निम्न रहा

|               |                                                                                                                  |         |        |       |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|
|               |                                                                                                                  |         |        |       |       |
| 1             | टिकरोही कला मुख्य सड़क से बी०डी०सी० के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                                  | 196896  | 60662  | 4450  | 7876  |
| 2             | झंझरा चौबे श्यामाकात के घर से नवीन चतुरवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                           |         | 35992  |       |       |
| 3             | प्रमुख कक्ष का मरम्मत कार्य                                                                                      | 52014   | 26034  | 1175  | 2080  |
| 4             | खण्ड विकास अधिकारी आवास पुताई कार्य                                                                              | 48964   | 38056  | 1107  | 1959  |
| 5             | टिकरौरी कला में बुद्ध नारायण के घर से बेला तालाब तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य                                   | 309086  | 88520  | 6985  | 12363 |
| 6             | विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हाल की रंगाई पुताई एवं विद्युत व्यवस्था कार्य                                        | 76758   | 5172   | 1734  | 3070  |
| 7             | लोहगरा में ह्यूम पाईप स्थापना कार्य                                                                              | 75434   | 11856  | 1705  | 3017  |
| 8             | सहायक विकास अधिकारी कार्यालय का कार्य                                                                            | 29637   | 27720  | 670   | 1185  |
| 9             | ग्राम ० धरा के मजराबाकीपुर में इण्टरलाकिंग कार्य                                                                 | 614501  | 77920  | 13887 | 24580 |
| 10            | ग्राम बढ़ैया के मजरा बढ़ैया से कमलेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                                  | 628795  | 41722  | 14210 | 25152 |
| 11            | लोहरा में चौकठा तालाब से झंझरा मार्ग निर्माण                                                                     | 31500   | 131976 | 712   | 1260  |
| 12            | सुरवल चयन पुरिया कार्य                                                                                           | 224866  |        | 5081  | 8994  |
| 13            | झंझरा चौबे मजरा मलैया नारी वारी रजवाह तक कार्य                                                                   | 128054  | 38336  | 2894  | 5122  |
| 14            | सुरवल में श्री इन्द्रभान के घर से श्रीराम रूप के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                         | 372244  | 72076  | 8412  | 14889 |
| 15            | ग्राम प० डेरा में श्री रामसुमेरे के घर से दुखी साड़ू के घर तक पक्की जल निकासी नाली                               | 118123  | 28204  | 2670  | 4725  |
| 16            | ग्राम प० जरखोरी में जरखोरी काली रोड अरुण शुक्का के घर से बाबू लाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                     | 412450  | 62024  | 9321  | 16498 |
| 17            | बदौया में मलैया पिच रोड से श्री राजेन्द्र व इन्द्रजीत के घर होते हुए भगलेश के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण |         | 57504  |       |       |
| 18            | सुरवल मजरा चन्द पुरिया राम सजीवन                                                                                 | 74542   | 44998  | 1684  | 2981  |
| 19            | लोहगरा पक्की सड़क से भैरव घाट मन्दिर तक                                                                          | 566072  | 83140  | 12793 | 22642 |
| 20            | सुरवल में राम निरंजन के घर से लल्लू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली                                           | 390056  | 50024  | 8815  | 15602 |
| 21            | लालैया खुर्द में श्याम लाल के घर से त्रिवेणी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली                                       | 448562  |        | 10137 | 17942 |
| 22            | सुरवल में प्रधान के घर से राम निरंजन के घर तक पक्की नाली निर्माण                                                 | 71391   | 59996  | 1613  | 2856  |
| 23            | विकास खण्ड परिसर में आई०आर०डी० एवं शौचालय मरम्मत कार्य                                                           | 32172   | 18356  | 727   | 1287  |
| 24            | गड्या लोनीपार शंकरगढ़ नारी वारी रोड से कडेहडिड्या पुलिया तक                                                      | 318393  |        | 7196  | 12736 |
| तेरहवाँ वित्त |                                                                                                                  |         |        |       |       |
| 1             | सुरवल साहनी रामस्वरूप के घर से राजेश्वर के घर तक                                                                 | 178320  | 40678  | 4030  | 7133  |
| 2             | लोङ्गरा में चौकठालोलोव से झंझरा के आगे तक संपर्क मार्ग                                                           | 32900   | 60988  | 744   | 1316  |
| 3             | क्षेत्र पंचायत के ग्रामों में 98 सोलर लाइट                                                                       | 2050822 |        | 46348 | 82033 |
| विधायक निधि   |                                                                                                                  |         |        |       |       |
| 1             | लौंद कला छब्बू लाल कुशवाहा तक इण्टरलाकिंग                                                                        | 3750    | 11225  | 85    | 150   |
| 2             | गोवरा संग्राम ब्लास्टिंग कूप मरम्मत                                                                              | 202790  | 31169  | 4583  | 8112  |
| 3             | ग्राम लौंदकला सरदार के डेरा में इण्टरलाकिंग                                                                      | 401401  | 58916  | 9072  | 16056 |

|            |                                                                                                                 |         |         |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 4          | सोनबरसा में तिलक नहर तेज बहादूर के घर से सफ्फन से गलियारे तक इण्टर लाकिंग कार्य                                 | 325630  | 77448   | 7359   | 13025  |
| 5          | गाढ़ा कटरा के मजरा गढ़वा किला में सामुदायिक विवाह गृह                                                           | 293793  |         | 6640   | 11752  |
| 6          | ग्राम लोहगरा मजरा चन्दरा लोनियार में मुख्य सड़क से नदी तक इण्टरलाकिंग कार्य                                     | 282633  | 53528   | 6388   | 11305  |
| 7          | लालापुर के मजरा भटपुरा में पुलिया निर्माण                                                                       | 72118   |         | 1630   | 2885   |
| 8          | गोडसरा के मजरा इंदौरा में इण्टरलाकिंग कार्य                                                                     | 244624  | 32656   | 5528   | 9785   |
| 9          | ग्राम पंचायत भटपुरा के मजरा लालापुर में पुलिया नि०                                                              | 15774   | 22558   | 356    | 631    |
| 10         | ग्राम पंचायत लोहगरा के मजरा लोनियार में पक्की सड़क से राममरेश के घर होते हुए अमरजीत के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य | 141117  |         | 3189   | 5645   |
| 11         | मडियार में हीरालाल के घर से जगदीश के घर तक                                                                      | 78102   | 32728   | 1765   | 3124   |
| 12         | सतपुरा के पडिवार में नदी के किनारे स्नान घाट निर्माण                                                            | 24702   | 45432   | 558    | 988    |
| सांसद निधि |                                                                                                                 |         |         |        |        |
| 1          | लौदकला पश्चिमी छोर नवल किशोर कुशवाहा के घर से राजेन्द्र विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                   | 94390   | 62792   | 2133   | 3776   |
| 2          | हररो गन्ने छोटे लाल के घर से छोटे लाल पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                           | 167492  | 53379   | 3785   | 6699   |
| 3          | मडिवार 50 मी० इण्टरलाकिंग कार्य अवशेष                                                                           | 157243  |         | 3554   | 6292   |
| 4          | बसहरा उपरहार में 400 मी० कट स्टोन कार्य                                                                         | 4000    | 66096   | 90     | 160    |
| 5          | ग्राम पंचायत डेरा में प्रा०वि० से गजेन्द्र के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य                                          |         | 4000    |        |        |
|            | योग                                                                                                             | 9992111 | 1760429 | 225815 | 399681 |

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री पर टी०डी०एस० की कटौती 225815 एवं वैट की कटौती रु० 399681 की जानी चाहिए जबकि राज्य वित्त, तेरहवाँ वित्त, विधायक निधि एवं सांसद निधि में रु० 177087 टी०डी०एस० एवं रु० 325621 वैट की कटौती की गयी है। इस प्रकार 4872800 टी० डी० एस० एवं 74060 वैट की कटौती कम की गयी है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित सामग्री एवं श्रमांश मूल्य का 1% रु 117525 लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार टी डी एस की कम कटौती रु 48728 एवं वैट जो नहीं काटा गया की कम कटौती 74060 एवं लेबर सेस 117525 कुल धनराशि 240313=00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से कम की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री हरीश चंद्र चौधरी, श्रीमती श्वेता सिंह एवं श्री तेजभान सिंह एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अरुण कुमार द्विवेदी उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

**आपत्ति संख्या 4)**

#### प्रस्तर संख्या - 210

आलोच्य वर्ष 2015-16 में सम्पन्न किये गये कार्यों के सापेक्ष परियोजनावार/ मदवार सामग्री एवं श्रमांश का विवरण दिया जा रहा है जो निम्न रहा :-

| क्र० | कार्य का नाम                                                        | सामग्री | श्रमांश | टी०डी०एस० | वैट   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 1    | सलैया खुर्द में श्याम के घर से त्रिवेणी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य | 72267   | 95844   | 1633      | 2891  |
| 2    | गढ़ैया लोनियार शंकरगढ़ नारी वारी रोड से कडे हड़डीया पुलिया निर्माण  | 234932  | 126848  | 5309      | 9397  |
| 3    | सुरवल में लल्लू सिंह के घर से सूर्यभान के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। | 54204   | 17376   | 1225      | 2168  |
| 4    | लोहगरा में काली सड़क से भैरव मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य।          | 18009   | 4058    | 407       | 720   |
| 5    | डेराबारी में साधन सहकारी समिति में एवं सामने इण्टर लाकिंग           | 349025  | 58030   | 7808      | 13961 |

|                      |                                                                                                                       |        |        |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|                      | एवं बाउण्डी वाल कार्य                                                                                                 |        |        |       |       |
| 6                    | नौडिया तरहार में जगदीशपुर रजबहा में पुलिया निर्माण कार्य                                                              | 63703  | 13248  | 1440  | 2548  |
| 7                    | कोहड़िया मजरा जमुहरा गाँव में इण्टर लाकिंग                                                                            |        | 41216  |       |       |
| 8                    | ग्राम पंचायत लोहरा मजरा चौकठा में विजय बहादूर के घर से छेदीलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                             | 109356 | 17087  | 2471  | 4374  |
| 9                    | ग्राम पंचायत लोहरा मजरा चौकठा में लोहरा मजरा चौकडा श्री प्रताप सिंह से अवध लाल के चकरोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य | 387460 | 67501  | 8756  | 15498 |
| 10                   | टिकरोही कला में देवरा रजवहा 1.2 कि०मी० पर आर.सी.सी.पुलिया निर्माण                                                     | 207339 | 46830  | 4686  | 8294  |
| 11                   | लौद कला में मुरलीधर कुशवाहा के घर से गयादीन के घर होते हुए राघवराम कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                 | 201741 | 30408  | 4559  | 8070  |
| 12                   | ग्राम पंचायत कुल्हडिया में कूप निर्माण कार्य                                                                          | 46280  | 11753  | 1046  | 1851  |
| 13                   | ग्राम पंचायत लोहरा मजरा चौकठा में मुनिराज से प्रताप के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य                               | 487380 | 67634  | 11014 | 19495 |
| 14                   | ग्राम पंचायत चौकठा में राम लखन के दर वाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य                                                        | 349619 | 50995  | 7901  | 13985 |
| 15                   | प्रमुख कक्ष में खिड़की लगाने एवं रंगाई-पुताई कार्य                                                                    | 74638  | 19220  | 1687  | 2986  |
| 16                   | ग्राम पंचायत टिकरोही कला मजरा रामदार मे त्रिलोकी नाथ के घर से नल तक ह्यूम पाइप नाली कार्य                             | 15183  | 18060  | 343   | 607   |
| 17                   | सुर्वाल साहनी फूल तारा रोड के पास आर.सी.सी. पुलिया                                                                    | 173372 | 111732 | 3918  | 6934  |
| 18                   | विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई कार्य                                                                              | 40051  | 37296  | 905   | 1602  |
| 19                   | खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की रंगाई पुताई कार्य                                                                      | 19721  | 22381  | 446   | 789   |
| 20                   | विकास खण्ड मीटिंग हाल की रंगाई पुताई कार्य                                                                            | 17538  | 15631  | 396   | 701   |
| 21                   | विकास खण्ड परिसर में पंचायत उद्योग की रंगाई पुताई कार्य                                                               | 19615  | 15737  | 443   | 784   |
| 22                   | विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक केन्द्र की रंगाई पुताई कार्य                                                           | 20459  | 22792  | 462   | 818   |
| 23                   | विकास खण्ड परिसर में पंचायत उद्योग बाउण्डी वाल निर्माण एवं रंगाई पुताई कार्य                                          | 40139  | 37857  | 907   | 1606  |
| 24                   | विकास खण्ड परिसर सी.सी. रोड व मन्दिर के मंदिर के बीच मिट्टी का कार्य                                                  | 142082 | 4508   | 3211  | 5683  |
| 25                   | विकास खण्ड परिसर में शौचालय एवं कुड़ेदान के बीच मिट्टी कार्य।                                                         | 132701 | 2727   | 2999  | 5308  |
| 26                   | विकास खण्ड परिसर में कुड़ेदान एवं कस्तूरबा गाँधी विद्यालय की तरफ मिट्टी भराई कार्य                                    | 144064 | 4669   | 3256  | 5762  |
| 27                   | विकास खण्ड परिसर शौचालय एवं बाउण्डी के बीच मिट्टी कार्य।                                                              | 79891  | 1610   | 1806  | 3196  |
| <b>तेरहवाँ वित्त</b> |                                                                                                                       |        |        |       |       |
| 1                    | लौद कला में गंगादीन कुशवाहा के सामने कूप मरम्मत कार्य                                                                 | 50504  | 18536  | 1141  | 2020  |
| 2                    | चौकठा में रणजीत सिंह के घर के पास कूप मरम्मत कार्य                                                                    | 53894  | 15736  | 1218  | 2156  |
| 3                    | विकास खण्ड परिसर में समतलीकरण कार्य                                                                                   | 53710  |        | 1214  | 2148  |

|                    |                                                                                                 |         |         |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 4                  | सुरवल साहनी में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य                                                  | 160716  | 56710   | 3632   | 6429   |
| 5                  | टिकरोही कला के रामावार में ह्यूम पाइप एवं आर.सी.सी. पुलिया कार्य।                               | 88160   | 20356   | 1992   | 3526   |
| 6                  | विभिन्न ग्राम पं० में ह्यूम पाइप कार्य                                                          | 67916   | 8050    | 1535   | 2717   |
| <b>विधायक निधि</b> |                                                                                                 |         |         |        |        |
| 1                  | गोइसरा मजरा इरौरा में अम्बिका पाल से समय लाल तक इन्टर लाकिंग कार्य।                             | 153171  | 27044   | 3462   | 6127   |
| 2                  | भटपुरा लालपुर में शिवयश के पास ह्यूम पाइप                                                       |         | 72426   |        |        |
| 3                  | गाड़ा कटरा आदिवासी वस्ती में सार्वजनिक विवाह घर                                                 | 130332  | 91122   | 2946   | 5213   |
| 4                  | ग्राम पं० मडिपार में हीरा लाल (लेखपाल के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य।                              | 42547   | 10745   | 962    | 1702   |
| 5                  | ढोड़ा में कोराव रोड से देवकरन पटेल तक 50 मी० इन्टर लाकिंग कार्य।                                | 395746  |         | 8944   | 15830  |
| 6                  | ग्राम पं० सिपतिक्त में जारी नौधिया मार्ग मनैया तारा के पास 2 मीटर आर.सी.सी. पुलिया कार्य।       | 565182  | 110056  | 12773  | 22607  |
| 7                  | जोरवार के मजरा ताला पार में पक्की सड़क दिवाकर के घर से गेन्दा लाल तक नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य | 535961  | 49805   | 12113  | 21438  |
| <b>सांसद निधि</b>  |                                                                                                 |         |         |        |        |
| 1                  | शंकरगढ़ में लोहगरा रोड से जनता पूर्व मा०वि० भडिवार शंकरगढ़ की ओर 50 मी० इन्टरलाकिंग कार्य       | 86433   | 30079   | 1953   | 3457   |
| 2                  | पडुआ / दुवहा (दो) आँगन बाड़ी भवन                                                                | 959794  |         | 21691  | 38392  |
|                    | योग -                                                                                           | 6844835 | 1473713 | 154610 | 273790 |

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री पर टी०डी०एस० की कटौती सही एवं वैट की कटौती रु० 273790 की जानी चाहिए जबकि राज्य वित्त, तेरहवाँ वित्त, विधायक निधि एवं सांसद रु० 267131 वैट की कटौती की गयी है। इस प्रकार 6659 वैट की कटौती कम की गयी है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित सामग्री एवं श्रमांश मूल्य का 1% रु 83185 लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कम कटौती 6659 एवं लेबर सेस 83185 कुल धनराशि 89844=00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से कम की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती स्वेता सिंह, श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया, श्री पियूष कुमार सिंह एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री अरुण कुमार द्विवेदी एवं श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति 5)

**प्रस्तर संख्या - 211**

सुरवल साहनी में फूलतारा रोड के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण में दिनांक 19.06.2015 से 03.07.2015 के मस्टररोल पर 6 राज मिस्त्रियों एवं 16 मजदूरों का भुगतान रु० 567100 का किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान की धनराशि दिनांक 07-07-2015 को चेक सं० - 000279 से श्रीकान्त तिवारी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (जे.ई. आर.ई.एस.) कार्य प्रभारी को किया गया है। मस्टर रोल पर राज मिस्त्रियों एवं मजदूरों को भुगतानित धनराशि का योग रु० 53870=00 ही हो रहा है। इस प्रकार रु० 2840=00 का अनावश्यक भुगतान भुगतानित है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री कान्त तिवारी(जे.ई. आर.ई.एस.) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति 6)

**जनपद मुजफ्फरनगर मंडल - सहारनपुर**



## **क्षेत्र पंचायत- पुरकाजी, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण**

### **प्रस्तर-01**

आलोच्य अवधि के रा0वि0 एवं 13 वें वि0 के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य में मिट्टी हेतु रायल्टी रु0 14.20 प्रति घन मी0 की दर से राजकीय कोष में जमा न कराकर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। क्षति की पूर्ति रु0 51175.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है -

| वर्ष    | मिट्टी(घन मी0 में) | रायल्टी  |
|---------|--------------------|----------|
| 2013-14 | 1824.53            | 25543.00 |
| 2014-12 | 1830.89            | 25632.00 |
|         | योग                | 51175.00 |

**(आ0सं0-16)**

### **प्रस्तर-02**

तृतीय रा0वि0 फाइल सं0 6 (वित्त वर्ष 2013-14) के अनुसार ग्रा0पं0 छप्पर में जी0टी0रोड़ से मंदिर तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण की लम्बाई 117 मी0 की कार्यादेश पत्रांक 652/29-10-2013 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत रु0 283475.00 के विरुद्ध कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र दि0 13.01.2014 के अनुसार स्वीकृत अनुमानित लागत रु0 350200.00 कर एम0बी0 अनुसार वास्तविक व्यय रु0 345259.00 पाया गया। व्यय के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई। विवरण निम्नवत् है:-

1- दि0 31.01.2014 का कार्यादेश अनुपलब्ध है।

2- उक्त कार्य की प्रा0तिथि 29.10.2013 तथा समाप्ति तिथि 7.11.13, ऐसी स्थिति में दि0 13.01.2014 का स्वीकृत अनुमानित लागत अमान्य है।

3-संशोधित अनुमानित लागत के अनुसार न तो समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया। न ही नया निविदा आमंत्रित की गई।

4- उक्त कार्य की संशोधित लागत के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती कार्यादेश (पत्रांक 652/ 29.10.2013) के आधार पर कार्य संपन्न कराकर संशोधित लागत के अनुसार भुगतान ले लिया गया। इस प्रकार अंतर धनराशि रु0 61784.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह एवं अवर अभियंता श्री एम0के0 कौशिक तथा लेखाकार श्री रामफल सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**(आ0सं0-17)**

## **क्षेत्र पंचायत- बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण**

### **प्रस्तर-03**

दिनांक 31.03.2020 की राज्य वित्त आयोग अंकन रु0 9522615.26 अप्रयुक्त अनुदान दर्शाया गया है, जिसका उपयोग न करके शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है। जिसको तत्काल राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द व लेखाकार श्री सुनील कुमार त्यागी का रहा है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-08)**

### **प्रस्तर-04**

दिनांक 31.03.2020 की सांसद निधि अंकन रु0 63538.00 दर्शाया गया है जिसको प्रयोग न कर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है। जिसका दायित्व श्री सुभाष चन्द, खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुनील कुमार त्यागी, लेखाकार का है। यह धनराशि कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

**(आ0सं0-09)**

### **प्रस्तर-05**

दिनांक 31.03.2020 की क्षेत्र पंचायत निधि अंकन रु0 90276.09 अनुदान अप्रयुक्त दर्शाया है जिसको प्रयोग न कर शासन को वापस किया जाना था। जिसका दायित्व श्री सुभाष चन्द, खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुनील कुमार त्यागी, लेखाकार को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-10)**

## **क्षेत्र पंचायत- पुरकाजी, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2011-12 से 2012-13 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण**

### **प्रस्तर-06**

चेक सं0 916440 दि0 22.01.2013 के द्वारा एक 3400.00 का भुगतान बाबत कम्प्यूटर मरम्मत श्री मुनेश कुमार ए0डी0ओ0(पं0) को किया जाना कोषांकित किया गया हैं। भुगतान की पुष्टि में चेक प्रतिपण एवं भुगतान प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण कोषांकित भुगतान की स्थिति अस्पष्ट रही हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-10)

#### **प्रस्तर-07**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में दिनांक 27.04.2012 को चेक संख्या 404568 द्वारा पासबुक में रवि के नाम से चेक इशु किया गया हैं, जबकि ग्रांट रजि0 में रू0 15000.00 सेल्फ के नाम चढ़ाकर बी0डी0ओ0 भत्ता देना दर्शाया गया हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना सुनिश्चित करें। जबकि खण्ड विकास अधिकारी महोदय को इस प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-12)

#### **प्रस्तर-08**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में दिनांक 20.03.2013 को चेक संख्या 916446 द्वारा 14435.00 रू0 आहरण दर्शित हैं जबकि ग्रांट रजि0 में रू0 14277.00 उ0प्र0 भवन एवं अन्य सम्भागीय कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ को देना दर्शित हैं। रू0 158.00 किस मद हेतु व्यय किये गये हैं। स्पष्ट नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-13)

#### **प्रस्तर-09**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में ग्राम बढ़ीवाला में गुरुमुख के घर से मुख्य मार्ग की ओर खण्डजा निर्माण हेतु सीध चटका ईट 77800×3630=रू0 282414.00 की क्रय की गयी जिसके सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक बिल लेखा परीक्षा जांच के समय उपलब्ध नहीं पाया गया। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-19)

#### **प्रस्तर-10**

शासनादेश संख्या एन-1-22/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता हैं तो अर्जित ब्याज राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत रहा हैं।

अनुदान पंजिका एवं बैंक खातों के अनुसार शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 रू0 49200.00 एवं वर्ष 2012-13 में रू0 69708.00 ब्याज अर्जित किया गया हैं। इस प्रकार दो वर्षों में प्राप्त ब्याज धनराशि रू0 119630.00 शासन को वापस न करके ब्याज राशि को अपनी आय मानते हुए उक्त राशि को व्यय कर लिया गया हैं जो अनियमित हैं। अतः रू0 119630.00 को यथाशीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित हैं। (आ0सं0-04)

#### **क्षेत्र पंचायत- मोरना, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण**

#### **प्रस्तर-11**

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार वित्तयोजना से कार्य वजीराबाद में हक्कम सिंह के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण स्वीकृत किया गया था। उक्त निर्माण कार्य का आगणन रू0 6.13 लाख था तथा उक्त कार्य को सम्पादित किये जाने की सीमा दो माह थी। उक्त निर्माण कार्य न्यूनतम निविदादाता मौ0 सलीम ठेकेदार को दिनांक 04.12.2014 को हस्तगत किया गया था।

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वचन पत्र दिनांक 05.12.2014 को दिया गया था कि कार्य की समाप्ति निर्धारित समय सीमा पर नहीं होने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 1000.00 के हिसाब से दण्ड दूंगा, के अनुसार ठेकेदार को दिनांक 05.12.14 को कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया था।

अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 21.01.15 को उक्त ठेकेदार के सन्दर्भ मे खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि बार-बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया है के परिपेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक शून्य दिनांक 21.01.15 द्वारा उक्त ठेकेदार को कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश निर्गत किये गये। अवर अभियन्ता द्वारा पुनः दिनांक 24.04.14 को कार्यालय को अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा हैं। के आधार पर उक्त निर्माण कार्य की निविदा पत्रांक 82/रा0वि0/2015-16 दिनांक 24.04.2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

उक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में ठेकेदार द्वारा निवेदन किये जाने पर कार्यालय पत्रांक 304/रा0वि0/2015 दिनांक 12.06.15 द्वारा पुनः कार्य की निविदा बहाल करते हुए एक माह का समय दिया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से 135 दिवस विलम्ब से दिनांक 20.06.15 को पूर्ण दिखाया गया के सापेक्ष में इकाई द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए वचन पत्र के सापेक्ष में धनराशि रू0 1.35 लाख आरोपण की कटौती नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा अवगत कराये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण तत्समय से सम्बन्धित हैं। सम्बन्धितों से आख्या प्राप्त कर सूची त कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर सन्तोषजनक न होने के कारण लेखा परीक्षा को मान्यता नहीं हैं। इस प्रकार से ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए दण्डारोपण की धनराशि ₹0 1.35 लाख वसूली भुगतान न करते समय नहीं की गयी हैं। जिसके लिए श्री मौ0 कासिम खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मौ0 अख्तर अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 1.35 लाख की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-04)

#### **प्रस्तर-12**

कार्यालय क्षेत्र पंचायत मोरना जनपद मु0नगर विकास खण्ड परिसर में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ट्यूबवैल हाऊस का निर्माण लागत धनराशि ₹0 1.45 लाख थी। उक्त निर्माण कार्य ठेकेदार मै0 मौ0 सलीम को हस्तगत किया गया था। उक्त कार्य हेतु कार्यदेश माह जुलाई

2013 में दिया गया था तथा निर्माण कार्य माह अक्टूबर 2013 में दिनांक 28.10.2013 में पूर्ण किया जा चुका था।

अभिलेखों की जांच पर पाया गा कि उक्त ट्यूबवैल का कोई भी उपयोग तत्समय से अद्यतन नहीं किया गया। खण्ड विकास कार्यालय द्वारा ट्यूबवैल संचालन हेतु विद्युत का कनेक्शन तक नहीं लिया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई के कार्य के लिये ट्यूबवैल लगाया गया था। ट्यूबवैल का उपयोग शुरू करने का प्रयास किया जायेगा। इकाई का उत्तर लेखा परीक्षा की आपत्तियों की पुष्टि करता हैं।

इस प्रकार बिना आवश्यकता के ₹0 1.45 लाख की धनराशि को अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं। जिसके लिए श्री वीरेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मौ0 अख्तर अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 1.45 लाख की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-05)

#### **प्रस्तर-13**

शासनादेश संख्या एन-1-22/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता हैं तो अर्जित ब्याज राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत रहा हैं।

वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजी व बैंक खाते के अनुसार शासकीय अनुदानों पर ₹0 111708.00 वर्ष 2013-14 में ₹0 206976.00 वर्ष 2014-15 में ₹0 123416.00 वर्ष 2015-16 में ₹0 189382.00 तथा वर्ष 2016-17 में एक 103669.00 ब्याज अर्जित किया गया हैं।

इस प्रकार उक्त पांच वर्षों में प्राप्त ब्याज राशि ₹0 835151.00 शासन को वापस न कर अपनी आय मानते हुए उक्त राशि को ब्याज किया गया हैं जो अनियमित रहा हैं। अतः ₹0 835151.00 की धनराशि को यथा शीघ्र राज्य सरकार को वापस किये जाने के लिए सर्व श्री वीरेन्द्र सिंह, बलवंत सिंह, डा0 सौरभ राजपूत तथा मौ0 कासिम खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री इशतखार लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 835151.00 यथाशीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित हैं। (आ0सं0-09)

#### **क्षेत्र पंचायत- सदर, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण** **प्रस्तर-14**

शासनादेश संख्या एन-1-22/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता हैं तो अर्जित ब्याज राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत हैं।

अनुदान पंजिका एवं बैंक खाते के अनुसार शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में ₹0 280108.00 वर्ष 2012-13 में ₹0 241959.00 वर्ष 2013-14 में ₹0 289608.00 वर्ष 2014-15 में ₹0 2323.00 तथा वर्ष 2015-16 में ₹0 168761.00 का ब्याज अर्जित किया गया हैं। इस प्रकार पांच वर्षों में प्राप्त ब्याज धनराशि ₹0 1192759.00 शासन को वापस न करके ब्याज राशि को अपने आय मानते हुए इस राशि को व्यय कर लिया गा है जो अनियमित हैं, का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार ₹0 280108.00 एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार सहगल ₹0 912651.00 का निहित होता हैं। अतः ₹0 1192759.00 को यथाशीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित हैं।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लिखित हैं कि ब्याज से प्राप्त धनराशियों को अनुदान रजि0 पाट-2 में ब्याज मद में दर्शित न करके अनुदान राशि में अंकित किया जा रहा हैं जो नितान्त ही अनियमित तथा गम्भीर आपत्ति का विषय रहा हैं। इस प्रति सम्बन्धित तत्कालीन लेखाकार वस्तुस्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित करें, तथा भविष्य में विशेष सतर्कता बरती जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-04)

#### **प्रस्तर-15**

लेखा परीक्षा अवधि के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत सदर विकास खण्ड सदर द्वारा गोष्ठी में भाग लेने हेतु बी0डी0सी0 मेम्बरों को मानदेय चेक सं0 605906 दिनांक 28.08.2014 अंकन रु0 60000.00 का भुगतान अनुदान रजि0 पार्ट-2 के अन्तर्गत दर्शित किया गया हैं कि पुष्टि में क्षेत्र पंचायत बी0डी0सी0 मेम्बरानों की गोष्ठी पंजिका काम सहित सूची मेम्बरान विवरण तथा भुगतान की पुष्टि में भुगतान प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा जांच पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान राशि की जांच एवं पुष्टि न करायी जा सकी। पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित इकाई तत्कालीन कैशियर/लेखाकार एवं आहरण वितरण अधिकारी से स्तर पर निहित है।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना नितान्त ही अनिवार्य हैं कि अनुदान रजि0 पार्ट-2 के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक बी0डी0सी0 मेम्बरानों को मानदेय भुगतान दि0 28.08.2014 को ही मात्र एक बार रु0 60000.00 दर्शित किया गया हैं। रु0 60000.00 की धनराशि किस-किस वर्ष से सम्बन्धित हैं का विवरण भी अनुपलब्ध रहा है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-07)

#### **क्षेत्र पंचायत- चरथावल, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2017-18 से 2018-19 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियां /प्रस्तरों का विवरण**

#### **प्रस्तर-16**

लेखा परीक्षा जांच पर पाया गया कि विकास खण्ड चरथावल की क्षेत्र पंचायत पर कार्यरत ब्लाक प्रमुख श्रीमती खुर्शीद फातमा को चेक सं0 954440 दिनांक 23.10.18 को माह मार्च 2017 से माह जून 2017 तक 4 माह का मानदेय रुपये 7000.00 प्रति माह से रु0 28000.00 एवं चेक संख्या 954445 दिनांक 09.03.2018 के अनुसार माह जुलाई 2017 से माह फरवरी 2018 तक 8 माह का रु0 7000.00 की दर से रु0 56000.00 तथा चेक सं0 954447 दिनांक 03.11.2018 के द्वारा माह अक्टूबर 2018 रु0 7000.00 की दर से रु0 7000.00 का मानदेय भुगतान अनुदान रजि0 पार्ट-2 के अन्तर्गत किया जाना दर्शित हैं। मानदेय भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में श्रीमती खुर्शीद फातमा ब्लाक प्रमुख भुगतान प्राप्ति की रसीद/चेक प्रतिपण लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध रही हैं।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लिखित हैं कि ब्लाक प्रमुख श्रीमती खुर्शीद फातमा को माह मार्च 2018 से माह सितम्बर 2018 तक 7 माह का मानदेय चेक सं0 954446 दिनांक 22.10.2018 रु0 49000.00 निर्गत किया गया, के सम्बन्ध में तत्कालीन वरिष्ठ सहायक श्री रामफल सिंह द्वारा अवगत कराया कि ब्लाक प्रमुख द्वारा उक्त चेक बैंक खाते में जमा न किये जाने के कारण उक्त चेक का क्लियरेंस न हो सका तथा उक्त चेक को निर्गत तिथि से 3 माह की अवधि समाप्ति के फलस्वरूप चेक के कालातीत होने पर पुनः चेक संख्या 954451 दिनांक 18.04.2019 को रु0 49000.00 बाबत मानदेय भुगतान माह मार्च 2018 से माह सितम्बर 2018 तक का निर्गत किया गया। इस अवधि से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत चेक संख्या 954446 दिनांक 22.10.2018 रु0 49000.00 जिसको कालातीत बताया गया, को लेखा परीक्षा जांच पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अवधि से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत चेक संख्या 954446 दिनांक 22.10.2018 रु0 49000.00 जिसको कालातीत बताया गया, को लेखा परीक्षा जांच पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जो लेखा नियमानुसार प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक था, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-07)

#### **प्रस्तर-17**

लेखा परीक्षा अवधि अन्तर्गत विकास खण्ड चरथावल क्षेत्र पंचायत चरथावल द्वारा गोष्ठी में भाग लेने हेतु बी0डी0सी0 मेम्बरानों को मानदेय दिनांक 27.04.2017 को चेक संख्या 954427 के द्वारा रु0 50000.00 का आहरण करके रु0 35000.00 के भुगतान फलस्वरूप शेष बची राशि रु0 15000.00 दिनांक 28.04.2017 को जमा वापस खाते में की गयी। दिनांक 30.12.2017 को चेक सं0 954441 के द्वारा रु0 40000.00 का आहरण करके रु0 37500.00 के भुगतान फलस्वरूप शेष बची राशि रु0 2500.00 दिनांक 01.01.2018 को वापस खाते में जमा की गयी। दिनांक 22.12.2018 को चेक संख्या 954449 के द्वारा रु0 40000.00 का आहरण करके रु0 36000.00 के भुगतान फलस्वरूप रु0 4000.00 वापस खाते में जमा किया जाना दर्शित हैं।

उक्त से स्पष्ट हैं कि आहरित राशि रु0 50000.00 के विरुद्ध रु0 35000.00 से रु0 40000.00 के विरुद्ध 36000.00 का भुगतान किस-किस मेम्बरान तथा किस दर से किया गया से सम्बन्धित नाम सहित भुगतान सूची/भुगतान प्राप्ति रसीद एवं गोष्ठी पंजिका जांच पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण की गयी भुगतान राशि की जांच एवं पुष्टि न की जा सकी।

पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/ कैशियर/वरिष्ठ सहायक के स्तर पर निहित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-08)

#### **प्रस्तर-18**

लेखा परीक्षा अवधि अन्तर्गत चेक संख्या 954431 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा वर्ष 2015-16 की प्रिया सॉफ्ट हेतु रु0 2000.00 का भुगतान अनुदान रजि0 पार्ट-2 के अनुसार किया जाना दर्शित किया गया हैं लेखा परीक्षा जांच के समय उक्त भुगतान से सम्बन्धित भुगतान प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित भुगतान राशि की जांच/पुष्टि न की जा सकी। उक्त से सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र तीन पृथक-पृथक फर्मों से प्राप्त कोटेशनों उनकी आख्या सहित भी प्रस्तुत नहीं की गयी जो लेखा नियमों के अनुसार अति आवश्यक थी।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लिखित हैं कि वर्ष 2015-16 के अतिरिक्त वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट कराये जाने का कोई उल्लेख अनुदान रजिस्टर पार्ट-2 में नहीं किया गया है कि स्थिति पूर्ण अज्ञात एवं अस्पष्ट रही है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-09)**

#### **प्रस्तर-19**

निविदा प्रकाशन कराये जाने के उपरान्त हिन्दुस्तान मीडिया वेनद्रेष लि0 तथा दैनिक जागरण द्वारा अखबार में प्रकाशित सूचना/विवरण का पूर्ण कटिंग लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के अभाव में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रकाशन भुगतान रु0 11606.00 एवं रु0 16567.00 की धनराशि अनियमित एवं पूर्णतः अपुष्ट रही हैं। अतः प्रकाशन का पूर्ण विवरण परिमाण (लाईनों की संख्या) दर तथा तीन फर्मों की पृथक-पृथक कुटेशन जिस पेपर में निविदा प्रकाशन छपने हेतु निकाली गयी थी, पेपर कटिंग जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। भुगतान की गयी राशि का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यालय वरिष्ठ सहायक/कैशियर/खण्ड विकास अधिकारी चरथावल के स्तर पर निहित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-12(ब))**

#### **प्रस्तर-20**

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत चरथावल द्वारा निर्माण कार्य का विवरण प्रारूप संख्या 01 पर तैयार कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत चरथावल द्वारा ग्राम कयामपुर में उमरदीन के खेत से हरिजन बस्ती के पास उमर मौ0 के खेत से बुढ़ाखेडा की ओर मिट्टी खडण्जा कार्य रु0 652595.00 का कराया गया है किन्तु उपलब्ध कराये गये प्रारूप-01 में मिट्टी खडण्जा कार्य पर कितने घन मीटर मिट्टी प्रयुक्त की गयी हैं अंकित नहीं की गयी तथा कार्य की परिमाण भी दर्शित नहीं की गयी के अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कराये गये कार्य पर कितनी मिट्टी प्रयुक्त की गयी। कुल प्रयुक्त की गयी घन मीटर मिट्टी पर नियमानुसार रु0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी भी काटी जानी अति आवश्यक थी कि स्थिति पूर्णतः अस्पष्ट रही हैं।

अतः उक्त कार्य का कुल प्रयुक्त की गयी घन मीटर मिट्टी की स्थिति यथाशीघ्र स्पष्ट कराते हुए यह भी स्पष्ट कराया गया अति आवश्यक है कि रु0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी की कटौती की गयी अथवा नहीं।

यदि नहीं तो इस दशा में कुल प्रयुक्त की गयी मिट्टी पर रु0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से जो राजस्व की क्षति हुई है, क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास आधिकारी से करायी जानी अपेक्षित हैं।

तालिका के अनुसार कृत निर्माण कार्य की मजदूरी व श्रमांश के कालम में न दर्शाकर सामग्री की धनराशि में ही सम्मिलित कर अंकित कर दी गयी है स्थिति अनियमित एवं आपत्ति का विषय रही हैं। लेखा परीक्षा सिद्धान्तों के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित धनराशि सामग्री क्रय तथा मजदूरी व श्रमांश के निर्धारित कालमों में पृथक-पृथक अंकित की जानी चाहिए थी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-13)**

#### **क्षेत्र पंचायत- चरथावल, मुजफ्फरनगर के वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तियाँ /प्रस्तरों का विवरण**

#### **प्रस्तर-21**

लेखा परीक्षा अवधि अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत चरथावल विकास खण्ड चरथावल द्वारा गोष्ठी में भाग लेने हेतु बी0डी0सी0 मेम्बरान मानदेय दिनांक 21.10.2011 को चेक सं0 762406 के द्वारा रु0 20000.00 का आहरण करके भुगतान फलस्वरूप शेष बची राशि दिनांक 14.11.2011 को रु0 7200.00 जमा की गई।

दिनांक 28.08.2014 को चेक सं0 489371 के द्वारा रु0 40000.00 का आहरण करके भुगतान फलस्वरूप शेष बची राशि रु0 14000.00 दिनांक 01.09.2014 को खाते में जमा की गई है। दिनांक 08.07.2015 को चेक संख्या 324557 के द्वारा एक 30000.00 का आहरण करके भुगतान फलस्वरूप शेष बची राशि रु0 10000.00 दिनांक 10.07.2015 को खाते में जमा की गई तथा दिनांक 04.06.2016 को चेक संख्या 954413 के द्वारा 50000.00 का आहरण करके भुगतान फलस्वरूप रु0 37000 वापस खाते में जमा अनुदान रजिस्टर पार्ट-2 के अनुसार दर्शित की गई हैं।

उक्त से स्पष्ट हैं कि आहरित राशि रु0 20000.00 के विरुद्ध रु0 12800 रु0 40000.00 के विरुद्ध रु0 26000.0, रु0 30000.00 के विरुद्ध रु0 20000.00 तथा रु0 50000.00 के विरुद्ध रु0 13000.00 का भुगतान किस-किस मेम्बर तथा किस दर से किया गया है? से सम्बन्धित नाम सहित भुगतान प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा जांच पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान राशि की जांच/पुष्टि न की जा सकी। पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन कैशियर/सहायक लेखाकार एवं आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर निहित है।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लिखित हैं कि कैशियर/सहायक लेखाकार द्वारा आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण क्यों एवं किन परिस्थितियोंवश किया गया है, अज्ञात रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**(आ0सं0-8)**

#### **प्रस्तर-22**

लेखा परीक्षा जांच पर पाया गया कि चेक संख्या 865304 दिनांक 24.12.2012 को ₹0 5541.00 चेक संख्या 865315 दिनांक 21.02.2013 को ₹0 1591.00, चेक संख्या 865317 दिनांक 21.03.2013 को ₹0 1681.00, चेक सं0 249399 दिनांक 19.06.2013 को ₹0 1557.00, चेक सं0 249404 दिनांक 22.07.2013 को ₹0 1517.00, चेक सं0 249424 दिनांक 01.11.2013 को ₹0 22547.00 तथा चेक सं0 489378 दिनांक 01.12.2014 को ₹0 17926.00 का भुगतान गान्ट रजिस्टर पार्ट-2 के अनुसार ए.ओ.बी.एस.एन.एल. मु0नगर को किया जाना दर्शित हैं, से सम्बन्धित टेलीफोन पंजिका लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध रही हैं। टेलीफोन बिल एवं भुगतान रसीद भी लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, जो भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत की जानी अति आवश्यक थी। दर्शित भुगतान दिनांक 24.12.2012 को ₹0 5541.00 तथा दिनांक 01.11.2013 को ₹0 22547.00 के द्वारा किस माह से किस माह तक का भुगतान किया गया हैं, अज्ञात रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-9)

### **प्रस्तर-23**

अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना से ग्राम चरथावल देहात के मजरा हकीमपुरा में श्री चरण सिंह के मकान से निरधान तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी व खडण्जा निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, कार्य की स्वीकृत लागत प्राक्कलन के अनुसार ₹0 776000.00 तथा स्वीकृत किया गया था, कार्य की स्वीकृत लागत प्राक्कलन के अनुसार ₹0 776000.00 तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष में जिला पंचायत राज अधिकारी से उपलब्ध करायी गयी धनराशि ₹0 774938.00 थी।

खण्ड विकास अधिकारी चरथावल के कार्यालय पत्रांक 1105/राज्य वित्त/2016-17 दिनांक 20.12.2016 में इंगित श्री मौ0 सलीम ठेकेदार चरथावल मोड खान्जापुर, मुजफ्फरनगर द्वारा किये गये अनुबन्ध एवं वचन पत्र तथा विकास खण्ड नियमावली के क्रम में उक्त ठेकेदार को सूची त किया गया कि ग्राम चरथावल देहात के मजरा हकीमपुरा में श्री चरण सिंह के मकान से निरधान तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी व खडण्जा निर्माण प्रारम्भ कर अनुबन्ध के अनुसार अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की तकनीकी देख-रेख में एक माह में सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर दें। यदि कार्य समय सीमा के अन्दर संतोषजनक ढंग से पूर्ण न किया गया, तो आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध एवं वचन पत्र की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्य उक्त आदेश की प्राप्ति के ठीक सात दिन के अन्दर प्रारम्भ कर दें तथा सूचना कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। अन्यथा आपके नाम से ठेका निरस्त कर जमानत की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। उक्त पत्र की प्रतिलिपि अवर अभियन्ता को कार्य प्राक्कलन के अनुसार कार्य की गुणवत्त को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कार्य का आंकन माप पुस्तिका में कर आवश्यक अभिलेख पूर्ण करते हुए भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि सम्बन्धित को भुगतान उपलब्ध कराकर धनराशि का उपभोग समय से किया जा सके। प्राप्त करा दी गयी। ठेकेदार द्वारा भी इंगित पत्र दिनांक 20.12.2016 को प्राप्त कर लिया गया।

इस प्रकार के ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 20.12.2016 को प्रारम्भ करके दिनांक 23.02.2017 को समाप्त किया गया, जबकि कार्य की अवधि एक माह दिनांक 20.12.2016 को प्रारम्भ होकर दिनांक 19.01.2017 का समाप्त किया जाना था, से स्पष्ट हैं कि कार्य समय से सम्पन्न न करके 25 दिन विलम्ब से सम्पन्न किया गया, जो लापरवाही एवं मनमाने ढंग से कार्य पूर्ण करने का प्रतीक रहा हैं, के सम्बन्ध में न तो अवर अभियन्ता द्वारा कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पन्न करने हेतु ठेकेदार को आपके स्तर से अवगत कराया गया, और न ही मौ0 सलीम ठेकेदार द्वारा समय सीमा में वृद्धि की मांग की गयी।

इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 1105 दिनांक 20.12.2016 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी इकाई द्वारा ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि ₹0 61200.00 की कटौती न करके चेक संख्या 954921 दि0 08.03.2017 को ₹0 660030 का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया से स्पष्ट हैं कि इकाई द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाते हुए वचन पत्र के सापेक्ष में जमानत राशि ₹0 61200.00 की कटौती न करके गम्भीर अनियमितता की गयी हैं, का पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, चरथावल का निहित होता हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-11)

### **प्रस्तर-24**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में ₹0 3577587.00 क्रय निर्माण सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 143103.00 वैट की कटौती करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना था, जबकि वर्ष 2011-12 में निर्माण सामग्री क्रय भुगतान ₹0 90880.00 पर 4 प्रतिशत से ₹0 3635.00 की ही कटौती की गयी हैं। से स्पष्ट हैं कि उपरोक्त वैट धनराशि ₹0 143103.00 कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी हैं, के सम्बन्ध में समुचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। साथ ही राजस्व की क्षति ₹0 143103.00 की प्रतिपूर्ति तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-06)

### **प्रस्तर-25**

शासनादेश संख्या एन-1-22/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता हैं तो अर्जित ब्याज राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत हैं।

अनुदान पंजिका एवं बैंक खाते के अनुसार शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में ₹0 171349.00 वर्ष 2012-13 में ₹0 184223.00 वर्ष 2013-14 में ₹0 252216.00 वर्ष 2014-15 में ₹0 345117.00, वर्ष 2015-16 में ₹0 223891.00 तथा वर्ष 2016-17 में ₹0 215952.00 का ब्याज अर्जित किया गया हैं। इस प्रकार छः वर्षों में प्राप्त राशि ₹0 1392748.00 शासन को वापस न करके

ब्याज राशि को अपनी आय मानते हुए इस राशि को व्यय कर लिया गया है जो अनियमित है। अतः रु0 1392748.00 को यथाशीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-04)

#### **प्रस्तर-26**

अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से क्षेत्र पंचायत चरथावल के ग्राम मथुरा में प्राईमरी स्कूल में इदगाह वाले सम्पर्क मार्ग पर चरथावल मार्ग पर मिट्टी खडण्जा स्वीकृत किया गया था। कार्य की स्वीकृत लागत प्राक्कलन के अनुसार रु0 930000.00 पैमाईश 600 मीटर तथा कार्य की अवधि टेण्डर के अनुसार एक माह थी।

खण्ड विकास अधिकारी चरथावल के कार्यालय पत्रांक -1105/राज्य वित्त/2016-17 दिनांक 20.12.2016 में इंगित श्री मौ0 सलीम ठेकेदार चरथावल मोड खान्जापुर मु0नगर द्वारा किये गये वचन पत्र तथा विकास खण्ड नियमावली के क्रम में उक्त ठेकेदार को सूची त किया गया कि क्षेत्र पंचायत चरथावल के ग्राम मथुरा के प्राईमरी स्कूल से इदगाह वाले सम्पर्क मार्ग पर चरथावल मार्ग तक मिट्टी खडण्जा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर अनबन्ध के अनुसार अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की तकनीकी देख-रेख में एक माह में संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर दे। यदि कार्य समय सीमा के अन्तर्गत संतोषजनक ढंग से पूर्ण न किया गया तो आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध एवं वचन पत्र की शर्तों के अनुसार इकाई द्वारा कार्यवाही की जायेगी उक्त आदेश प्राप्ति के सात दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दे। अन्यथा आपके नाम से ठेका निरस्त कर जमानत की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। उक्त पत्र की प्रतिलिपि अवर अभियन्ता को कार्य प्राक्कलन के अनुसार कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कार्य का मापांकन माप पुस्तिका में कर आवश्यक अभिलेख पूर्ण करते हुए भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि सम्बन्धित को भुगतान उपलब्ध कराकर धनराशि का उपभोग समय से करके धनराशि का उपभोग किया जा सके। ठेकेदार द्वारा भी इंगित पत्र दिनांक 20.12.2016 को प्राप्त कर लिया गया।

इस प्रकार के ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 20.12.2016 को प्रारम्भ करके दिनांक 14.02.2017 को पूर्ण किया गया, जबकि कार्य की अवधि एक माह दिनांक 20.12.2016 को प्रारम्भ होकर दिनांक 19.01.2017 को समाप्त किया जाना था, से स्पष्ट है कि कार्य समय से सम्पन्न न करके 26 दिन विलम्ब से सम्पन्न किया गया, जो गैर जिम्मेदारी एवं मनमाने ढंग से कार्य पूर्ण करने का प्रतीक रहा है।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समय सीमा में वृद्धि हेतु मौ0 सलीम ठेकेदार का प्रस्तुत कोई प्रार्थना पत्र/अथवा अवर अभियन्ता द्वारा समय से कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में लिखित पत्र " वचन पत्र/अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार" जो ठेकेदार/खण्ड विकास कार्यालय को निर्गत किया गया हो की प्रति लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं की गयी, स्थिति नितान्त ही अनियमित एवं गम्भीर आपत्ति का विषय रही है।

इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 1105 दिनांक 20.12.2016 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी इकाई द्वारा ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि रु0 73000.00 की कटौती न करके चेक संख्या 954422 दिनांक 08.03.2017 को रु0 791234.00 का भुगतान मौ0 सलीम ठेकेदार को कर दिया गया है।

उक्त स्पष्ट है कि इकाई द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाते हुए दण्डारोपण की कार्यवाही न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है, का पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, चरथावल का निहित होता है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-12)

### **जनपद सहारनपुर**

#### **क्षेत्र पंचायत, देवबन्द अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 से 2016-17 की**

#### **- गम्भीर आपत्तियाँ/प्रस्तरों का विवरण -**

**प्रस्तर-01** वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अन्तराल में क्षेत्र पंचायत देवबंद के यूको बैंक खाता सं0 372902010014431 से रु0 42292765.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिनके अभाव में समस्त व्यय अपुष्ट रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति सं0 33)

**प्रस्तर-02** वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अन्तराल में क्षेत्र पंचायत देवबंद के ग्रांट-11 रजिस्टर के अनुसार मनरेगा मद में रु0 1472644.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिनके अभाव में समस्त व्यय अपुष्ट रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 34)

**प्रस्तर-03** वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अन्तराल में क्षेत्र पंचायत देवबंद के ग्रांट-11 रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद में रु0 440285.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिनके अभाव में समस्त व्यय अपुष्ट रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित हैं। (आपति स0 35 )

**प्रस्तर-04** वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अन्तराल में क्षेत्र पंचायत देवबंद के ग्रांट-11 रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रासंगिक मद में रु0 1864098.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिनके अभाव में समस्त व्यय अपुष्ट रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित हैं। (आपति स0 36)

**प्रस्तर-05** वर्ष 2011-12 से 2016-17 के अन्तराल में क्षेत्र पंचायत देवबंद के ग्रांट-11 रजिस्टर के अनुसार सांसद निधि मद में रु0 8345483.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय पत्रावली एवं प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिनके अभाव में समस्त व्यय अपुष्ट रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आपति स0 37 )

**प्रस्तर-06** आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि अनेक कार्यों के लिए मजदूरी सामग्री आदि का भुगतान श्री अनवार अहमद जे0 ई0 आर0 इ0 एस0 को चेक के माध्यम से किया गया है। श्री अनवार अहमद जे० ई० आर० इ० एस० को भुगतान किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि शासन के दिशा निर्देश साफतौर पर मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों को किये जाने के हैं। जो शासन के आदेशों के विरुद्ध है। अतः इस तरह का समस्त भुगतान वसूली योग्य है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, लेखाकार व जे० ई० से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

| दिनांक     | चेक सं०    | धनराशि     | टिप्पणी                               |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 24-05-2011 | 253896     | 35251.00   | वि० खंड का० में रंगाई पुताई           |
| 24-05-2011 | 253897     | 38038.00   | पशु चि० में रंगाई पुताई               |
| 24-05-2011 | 3322       | 26126.00   | वि० खंड का एम आर भुगतान               |
| 24-05-2011 | 3323       | 31125.00   | वि० खंड का एम आर भुगतान               |
| 30-07-2011 | 3326       | 53980.00   | रणखंडी पावटी मार्ग का एम आर भुगतान    |
| 30-08-2011 | 3329       | 97805.00   | रणखंडी पावटी मार्ग का एम आर भुगतान    |
| 11-08-2011 | 3332       | 110625.00  | ऊँचा गाँव मार्ग का एम आर भुगतान       |
| 24-08-2011 | 3334       | 26125.00   | ऊँचा गाँव मार्ग का एम आर भुगतान       |
| 13-9-2011  | 3338       | 117700.00  | तिगरी से राजपुर मार्ग का एम आर भुगतान |
| 13-9-2011  | 3342       | 9715.00    | तिगरी से राजपुर मार्ग का एम आर भुगतान |
| 13-10-2011 | 3343,44,45 | 171834.00  | तिगरी से राजपुर मार्ग का एम आर भुगतान |
| 09-11-2011 | 3349       | 11435.00   | सामग्री भुगतान                        |
| 09-11-2011 | 3352       | 18675.00   | एम आर भुगतान                          |
| 09-11-2011 | 3353       | 22375.00   | एम आर भुगतान                          |
| 24-10-2011 | ---        | 49238.00   | सामग्री भुगतान                        |
| 01-11-2011 | 2104       | 100125.00  | सामग्री + एम आर भुगतान                |
| 19-12-2011 | 2160       | 34850.00   | सामग्री + एम आर भुगतान                |
| 19-12-2011 | 9581       | 149775.00  | सामग्री + एम आर भुगतान                |
| 19-12-2011 | 9582       | 6505.00    | सामग्री + एम आर भुगतान                |
| 19-12-2011 | 9583       | 11277.00   | सामग्री + एम आर भुगतान                |
| 02-01-2012 | 9587       | 12616.00   | सामग्री + एम आर भुगतान                |
|            | योग:       | 1135195.00 |                                       |

(आपति सं०. 26)

**प्रस्तर-07** वर्ष 2011-12 के दौरान निर्माण कार्यों के लिए रु० 3320618.00 का भुगतान विभिन्न कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों को किया गया है जिसके ऊपर कोई वेट नहीं काटा गया है जबकि नियम अनुसार 4 प्रतिशत की दर से टैक्स काट कर राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए



था। इस प्रकार से राजकीय कोष के रु० 132825.00 की हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बी डी ओ व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आपति सं० 27 )

**प्रस्तर-08** वर्ष 2011-12 के दौरान निर्माण कार्यों के लिए रु० 3320618.00 का भुगतान विभिन्न कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों को किया गया है जिसके ऊपर कोई लेबर सेस नहीं काटा गया है जबकि नियम अनुसार 1 प्रतिशत की दर से सेस काटा जाना चाहिए था। कार्यों की समरी ऑफ कास्ट में भी 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ी गयी है जिसका भुगतान संस्था ने बिल के साथ ठेकेदार को किया है जो या तो ठेकेदार के बिल से काटा जाना चाहिए था या ठेकेदार से जमा कराकर उसे चालान से पुष्टि करी गयी होती किन्तु संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान से ही लेबर सेस का भुगतान कर संस्था को दोहरी हानि पहुंचाई है। जिस कारण संस्था को रु० 33206.00 की हानि उठानी पड़ी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपति सं०. 28)

**प्रस्तर-09** आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कतिपय मोकों पर विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग मदों से व्यय दर्शाया गया है। परन्तु इन व्ययों की पुष्टि में कोई आदेश पत्र, कोई मांग पत्र क्रय बिल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जिससे इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः समस्त भुगतान संदिग्ध रहा समस्त बिल व अभिलेख प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा सम्पूर्ण व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित कर्मचारी, तात्कालिक लेखाकार, बी० डी० ओ० एवं ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। इन व्ययों का विवरण निम्न है:-

| दिनांक     | चेक सं० | धनराशि    | व्यय का कारण एवं व्यय प्राप्तकर्ता का नाम |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------|
| 30-03-2015 | 032558  | 896.00    | कंटीजेंसी व्यय श्री रविंदर वालिया         |
| 30-03-2015 | 032556  | 17274.00  | एवन फर्नीचर सहारनपुर                      |
| 30-03-2015 | 032557  | 1890.00   | अरोरा पुस्तक भंडार सहारनपुर               |
| 18-04-2015 | 989622  | 3400.00   | प्रिन्टर मरम्मत श्री रविंदर वालिया        |
| 07-05-2015 | 989624  | 1300.00   | प्रिन्टर रिफिल अनिल नरुलाश्री,            |
| 26-06-2015 | 989630  | 1800.00   | यूपीएस मरम्मत, श्री रविंदर वालिया         |
| 19-05-2015 | 32560   | 8000.00   | पीओएल बिल, श्री अरविन्द कुमार बीडीओ       |
| 05-07-2015 | 042556  | 11712.00  | जीप बिल, श्री अरविन्द कुमार बीडीओ         |
| 05-07-2015 | 0210557 | 2112.00   | जीप बिल, श्री अनवार अहमद जे ई             |
| 31-01-2017 | 010892  | 5000.00   | डीजल बिल श्री रविंदर वालिया,              |
| 11-01-2017 | 010894  | 2000.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया          |
| 16-01-2017 | 010895  | 5000.00   | डीजल बिल श्री रविंदर वालिया               |
| 16-01-2017 | 010896  | 2000.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया          |
| 21-09-2016 | 279892  | 2800.00   | स्टेशनरी बिल, श्री रविन्द्र वालिया        |
| 24-10-2016 | 279896  | 3411.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया,         |
| 29-12-2016 | 279910  | 6078.00   | स्टेशनरी बिल श्री रविंदर वालिया,          |
| 21-03-2017 | 985571  | 7095.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया,         |
| 30-10-2015 | 989636  | 1360.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया .        |
| 11-05-2016 | 279878  | 3945.00   | स्टेशनरी/कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया |
| 18-08-2016 | 279885  | 6500.00   | जीप व्यय श्री रविंदर वालिया               |
| 19-08-2016 | 279886  | 9277.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया          |
| 19-09-2016 | 279890  | 1220.00   | कंटीजेंसी बिल श्री रविंदर वालिया          |
| 27-01-2016 | 989649  | 15662.00  | कंटीजेंसी बिल श्री विक्रान्त चौहान        |
| 22-03-2014 | 49532   | 4500.00   | मृदुल कंस्ट्रक्शन को बिल न0 65 का भुगतान  |
| 14-05-2013 | 49525   | 3106.00   | कार्यालय व्यय, श्री अनिल नरुला            |
| 11-01-2017 | 010893  | 13000.00  | जीप बिल, श्री अम्बरीश कुमार बीडीओ         |
| 28-08-2016 | 279895  | 18000.00  | जीप बिल, श्री अम्बरीश कुमार बीडीओ         |
|            | योग     | 158338.00 |                                           |

(आपति सं० 30)

**प्रस्तर-10** वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान धनराशि रु० 5613485.00 का लेखा ग्रांट।। रजिस्टर में नहीं किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन बी डी ओ एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अभिलेखों का रखरखाव सावधानी पूर्वक किया जाना अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति सं० 31)

**प्रस्तर-11** आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कतिपय कार्यो हेतु कुटेशन अथवा टेंडर द्वारा कार्य दिए जाने के समय गंभीर अनियमितता का परिचय दिया गया है। टेंडर खोलने व कार्य आवंटन के समय निर्धारित नियमों को ताक पर रख कर अपने चहेते ठेकेदारों को कार्य दिए गये है। अनेक मोकों पर मात्र दो ठेकेदारों से ही निविदायें प्राप्त की गयी है। जो ठेकेदार, ब्लाक प्रमुख, बी डी ओ, जे० ई० एवं लेखाकार की मिलीभगत का परिचायक है। उक्त कृत्य संस्था के हितो की अनदेखी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति सं०.32)

विवरण निम्नवत है:-

| क्र० | कार्य का विवरण                                                                                      | भुगतान की धनराशि | ठेकेदारों के नाम             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1    | ग्राम शकरपुर माफी में शमशान घाट तक राजपुर मार्ग की और खडंजा निर्माण                                 | 444133.00        | श्री सुभाष व श्री मेनपाल     |
| 2    | भायला, नुनाबड़ी रास्ते में शमशान घाट की और नुनाबड़ी में खडंजा निर्माण                               | 774641.00        | श्री सुभाष व श्री बसंत       |
| 3    | विकास खंड कार्यालय में दीवार के किनारे नाली व में गेट पर पुलिया निर्माण                             | 259989.00        | श्री सुभाष व श्री बसंत       |
| 4    | राजपुर में रामपुर सड़क की और बाबर की दूकान से मोलवी फरका के मकान की और सी सी निर्माण                | 623197.00        | श्री सुभाष व श्री मैनपाल     |
| 5    | मिरागपुर में अजब सिंह के मकान से बाबा फकीरा की और सी सी निर्माण                                     | 681365.00        | श्री सुभाष व श्री बसंत       |
| 6    | गुपाली में बरला रोड से अरबी मंदरसे तक सी सी निर्माण                                                 | 741040.00        | श्री सुभाष व श्री अमित शर्मा |
| 7    | वि०खंड कार्यालय देवबंद का मेनगेट व कृषि कार्यालय की चारदीवारी निर्माण                               | 529498.00        | श्री सुभाष व श्री इसरार      |
| 8    | थितकी फुलासी रोड भूमिया से मुरसलीन के खेत की और खडंजा निर्माण                                       | 707195.00        | श्री सुभाष व श्री धीरज गर्ग  |
| 9    | सांपला खत्री में देवबाद बरला रोड से कुलकी रोड पर अयूब के खेत से इकमेहासन के खेत की और खडंजा निर्माण | 837649.00        | श्री सुभाष व श्री धीरज गर्ग  |
| 10   | सांपला खत्री में नहीं से मांगेराम के मकान की और नाली निर्माण                                        | 743109.00        | श्री सुभाष व श्री अरविन्द    |
| 11   | ग्राम रनखंडी में जगदीश में मकान से नरेश में मकान की और नाला निर्माण                                 | 463742.00        | श्री सुभाष व श्री बीजन       |
| 12   | भायला में जोगेंद्र राना के खेत से झाबिरण की और खडंजा निर्माण                                        | 967230.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
| 13   | विकास खंड कार्यालय देवबंद में के पास नाला निर्माण                                                   | 216407.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
| 14   | वि०खंड कार्यालय देवबंद में पशु चि० व मीटिंग हाल व प्रमुख कक्ष की पुताई                              | 217771.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
| 15   | काशिम पुर माजरा से ईदगाह रोड से शमशान की और खडंजा निर्माण                                           | 264238.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
| 16   | फुलास अकबरपुर में मस्जिद के पास पुराने नालो से तलब की और नाला निर्माण                               | 559271.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
| 17   | ग्राम मिरगपुर में धरमपाल के मकान से तेजपाल के मकान तक नाला निर्माण                                  | 484900.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
|      | ग्राम तिगरी में शकरपुर माफी के पूर्व दिशा में पुलिया निर्माण                                        | 412400.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
|      | तिगरी में भैसानी वाले रस्ते पर पुलिया निर्माण                                                       | 380335.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |
|      | भायलाखुर्द में विष्णु पुत्र साधू के मकान से तेजपाल के मकान की और नाला निर्माण                       | 375706.00        | श्री सुभाष व श्री मोहकम      |

|  |                                                                               |             |                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
|  | भायलाखुर्द में विष्णु पुत्र साधू के मकान से तेजपाल के मकान की और नाला निर्माण | 375706.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | दीवाल हेडी में साल्हापुर के रास्ते पर पुलिया निर्माण                          | 491863.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | गुनारसी में मैन रोड पर सोना भट्टे के सामने पुलिया निर्माण                     | 347308.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | नुनाबडी में मोबिन के खेत से शमशान घाट की और पुलिया निर्माण                    | 221385.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | सैनपुर में राधा स्वामी के सामने पुलिया निर्माण                                | 276525.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | सैनपुर में मेन रस्ते पर यशपाल के खेत के सामने पुलिया निर्माण                  | 254284.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | तल्हेडी में शिवकुमार के खेत से नदी की और अवशेष नाला निर्माण                   | 301968.00   | श्री सुभाष व श्री मोहकम |
|  | योग                                                                           | 12577149.00 |                         |

**प्रस्तर-12** अधिकांश बिलों पर बुक नं० नहीं है। पक्के बिलों के स्थान पर कच्चे बिल प्रस्तुत किये गए हैं। जबकि बिल टैक्स इनवॉइस या वैट या टिन नं० के साथ ही होने चाहिए। देखने में आया कि रु० एक लाख से ऊपर के सामान की खरीद के लिए भी मात्र कुटेशन पर ही आदेश पारित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ:- मै० बिस्मिल्लाह सीमेंट स्टोर दैवबंद से रु० 171000.00 का सीमेंट कुटेशन पर आदेश कर मंगाया है जबकि इसके लिए टेंडर आमंत्रित करने चाहिए थे। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपति सं० 22)

**प्रस्तर-13** निर्माण कार्य साखन खुर्द में मेन रोड से शाहपुर की ओर खडंजा निर्माण जिसके लागत रु० 800200.00 एवं फतेहपुर में तल्हेदी खुर्द की ओर शिवमंदिर से लेकर कश्मीर के खेत तक खडंजा निर्माण लागत रु० 330533.00 तय थी मात्र कुटेशन पर ही दिये गये हैं जबकि इनके लिए नियमानुसार टेंडर मांगे जाने चाहिये थे। इससे स्पष्ट है कि ठेकेदारों को जानबूझ कर नियमों के विरुद्ध कृत्य कर फायदा पहुँचाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपति सं० 23)

## प्रारूप-3 जनपद - चंदौली मंडल - वाराणसी क्षेत्र पंचायत

### 1. क्षेत्र पंचायत- धानापुर

#### प्रस्तर-1

सी0जी0एस0टी0/ एस0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 की धारा-51 के अनुसार 2% के दर से सभी सामग्री भुगतान पर जिसका अनुबंध मूल्य 2.50 लाख या उससे अधिक है, पर अनिवार्य है।

परंतु निम्नांकित विवरण के अनुसार जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी है -

| क्रं सं | मद                 | सामग्री का भुगतान | 2 % जी0एस0टी0 (टी0डी0एस0) |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1       | चतुर्थ राज्य वित्त | 3464464.00        | 69289.00                  |
| 2       | विधायक निधि        | 234735.00         | 4695.00                   |
|         |                    |                   | 73984.00                  |

अतः कुल रु0 73984.00 की स्रोत पर कटौती न कर अनियमितता की गयी, जिसके प्रति तत्कालीन बी0डी ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 के मौजूदा आयकर नियमों एवं उपनियमों के अनुसार स्रोत पर कटौती अनिवार्यतः की जानी चाहिये यदि-

क- फर्म को रु० 30000 या उससे अधिक की धनराशि एक बार में की गई है ।

ख- अथवा वित्तीय वर्ष कुल भुगतान 100000 या उससे अधिक है। उक्त कटौती 2.00 % की दर से की जानी चाहिए ।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में आयकर अधिनियम एवं स्रोत पर कटौती के नियमों के विरुद्ध निम्नांकित विवरणानुसार कटौती नहीं की गयी है ।

| क्रं सं | मद                 | कुल भुगतान<br>( आपूर्ति पर ) | सन्निहित<br>(टी0डी0एस02.00% %) |
|---------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1       | चतुर्थ राज्य वित्त | 3464464.00                   | 69289.00                       |
| 2       | विधायक निधि        | 284555.00                    | 5691.10.00                     |
|         |                    |                              | 74980.10                       |

अतः आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती नहीं की गई तथा रु० 74980.10 की ह्रास की गई जिसके प्रति तत्कालीन बी0डी0ओ0/ लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रस्तर-3

श्री केदारनाथ सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद, वाराणसी स्नातक क्षेत्र द्वारा विकास खंड धानापुर में शहीद स्मारक धानापुर में इन्टर लॉकडिंग व अन्य कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि 3 लाख ( 300000.00) पर अर्जित ब्याज रु० 56875.00 चेक संख्या 10493 दिनांक 23.10.2019 को वापस किया जाना दर्शित है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं -

- 1- ट्रेजरी चालान की कॉपी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- 2- यह धनराशि कब से खाते में अवरुद्ध पड़ी थी इसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा । मौखिक रूप से बताया गया कि विधायक निधि की धनराशि वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुई थी जिस पर अर्जित ब्याज रु० 56875 अवशेष दर्शित था। पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
- 3- यह धनराशि किसके आदेश से इतने वर्षों बाद वापस की गयी इसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा ।

उपरोक्त के आलोक में यह धनराशि अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 2 क्षेत्र पंचायत- नौगढ़

### प्रस्तर-4

राज्य वित्त से ग्राम पंचायत चुप्पेपुर में पक्की सड़क से लहुराडीह बार्डर तक मिट्टी व मोरंग कार्य दर्शाया गया है , जिसमें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्री गुरुशरण श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी.) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य पर भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

#### सामग्री-

| <u>क्र० सं०</u> | <u>चेक सं०</u> | <u>भुगतान की तिथि</u> | <u>धनराशि</u> |
|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1.              | 998181         | 27-11-19              | 100335.00     |
| 2.              | 998187         | 23-01-2020            | 113160.00     |
| 3.              | 998191         | 26-02-2020            | 24628.00      |

उपरोक्त भुगतान में 0 बजरंग कंटरक्शन एण्ड सप्लायर को किया गया है।

#### मजदूरी

| क्र०सं० | कार्य अवधि               | धनराशि   | चेक संख्या व तिथि     |
|---------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1.      | 30-12-19 से 05-01-2020   | 14014.00 | 998188 दि० 23-01-2020 |
| 2.      | 07-02-2020 से 13-02-2020 | 1274.00  | 998192 दि० 26-02-2020 |
|         | योग=                     | 15288.00 |                       |

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं :-

(1) दर्शित मजदूरी भुगतान क्रम संख्या (1) हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल पर क्रमांक 11 पर दर्शित श्रमिक जय प्रकाश / हरिवंत का निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर अंकित नहीं है , जबकि उक्त श्रमिक को 07 दिनों का दर 182.00 प्रतिदिन के हिसाब से रु० 1274.00 मजदूरी भुगतान दर्शित है । उक्त मस्टर रोल पर 04 श्रमिकों का नि० अं० लगा है, जिस पर क्रमांक अथवा नाम अंकित कर यह सत्यापित नहीं किया गया है कि कौन सा नि० अं० किस श्रमिक का है ।

क्रम संख्या (2) पर प्रयुक्त मस्टर रोल पर मात्र एक श्रमिक राधिका/ अरविंद को कार्यरत दर्शाया गया है । उक्त श्रमिक को 07 दिनों का दर 182.00 प्रतिदिन के हिसाब से रु० 1274.00 मजदूरी भुगतान दर्शित है , जिसके उपस्थिति की पुष्टि में श्रमिक का हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा कुछ भी अंकित नहीं है । इस प्रकार रु० 2548.00 (1274.00+1274.00) मजदूरी भुगतान के कार्य की पुष्टि नहीं होती है ।

(2) निविदा आमंत्रण का समय दि० 15-10-19 से 23-10-19 रखा गया , जबकि उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिये ।

(3) सामग्री क्रय हेतु टेण्डर मे० बजरंग कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर का स्वीकृत किया गया है । नियमानुसार टेण्डर दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है ।

(4) बिलों से जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गयी है ।

(5) विक्रेता फर्म एवं संस्था के मध्य अनुबंध - पत्र संलग्न नहीं है ।

(6) सामग्री क्रय का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं है ।

(7) क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिये जो दो या दो से अधिक ग्राम- पंचायतों की सीमा में आते हैं ; किंतु उपरोक्त कार्य एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है ।

(8) कार्य प्रारम्भ से पूर्व का एवं कार्य करते हुये श्रमिकों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कुल मजदूरी व्यय रु० 15288.00 में रु० 2548.00 दुरुपयोग तथा शेष रु० 12740.00 एवं सामग्री पर व्यय रु० 238123.00 कुल रु० 250863.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है । इसके लिये ख०वि०अ० श्री सुदामा यादव, लेखाकार श्री बिहारी लाल बिंदू , कार्य प्रभारी श्री गुरुशरन श्रीवास्तव, स०वि०अ०(आई.एस.बी.) व तकनीकी प्रभारी श्री रामधनी वर्मा (अवर अभियंता) जिम्मेदार हैं । उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से दुरुपयोगित धनराशि रु० 2548.00 की वसूली मय ब्याज सहित तथा अनियमित व्यय रु० 250863.00 के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-5

राज्य वित्त मद से ग्राम-पंचायत चुप्पेपुर में पक्की सड़क से रामकृत के घर तक मिट्टी-मोरंग कार्य कराया गया है , जिसके लिये दिनांक 16-10-19 को श्री गुरुशरन श्रीवास्तव, स.वि.अ.(आई.एस.बी.) को कार्य प्रभारी बनाया गया है । उपरोक्त कार्य हेतु मे० बजरंग कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर को सामग्री हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है :-  
मस्टर रोल पर दर्शित कार्यरत श्रमिकों का विवरण इस प्रकार है:-

| क्र०सं० | चेक संख्या व तिथि     | धनराशि                                  |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| (1)     | 998171 दि० 23-10-19   | 88560.00                                |
| (2)     | 998196 दि० 26-02-2020 | 3400.00                                 |
| .       | योग=                  | 91960.00                                |
| मजदूरी- | 998197 दि० 26-02-2020 | 5278.00 कार्य अवधि 19-01-20 से 25-01-20 |
| .       |                       |                                         |

| क्रमांक | नाम श्रमिक       | धनराशि                  |
|---------|------------------|-------------------------|
| (1)     | कमलेश/बबबन       | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| (2)     | जमुना देवी/कमलेश | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| (3)     | अरविंद/ महेंद्र  | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| (4)     | जय प्रकाश/हरिवंत | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| (5)     | नीरज कुमार       | 1 दिनxदर182.00= 182.00  |

योग====5278.00

मस्टर रोल पर उपरोक्त कार्यरत दर्शित समस्त पांचों श्रमिकों के उपस्थिति की पुष्टि में न तो हस्ताक्षर है एवं न ही निशानी अंगूठा अंकित है। इस प्रकार दर्शित भुगतान के कार्य की पुष्टि सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त दर्शित व्यय के संबंध में अन्य आपत्तियां इस प्रकार हैं :-

- 1- विक्रेता फर्म एवं संस्था के मध्य अनुबंध -पत्र संलग्न नहीं है ।
- 2- सामग्री क्रय का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं है ।
- 3- क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिये जो दो या दो से अधिक ग्राम- पंचायतों की सीमा में आते हैं, किंतु उपरोक्त कार्य एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है ।
- 4- कार्य प्रारम्भ से पूर्व का एवं कार्य करते हुये श्रमिकों का एवं कार्य सम्पन्न होने के बाद का अर्थात् तीनों चरणों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है ।
- 5- निर्माण समिति की संस्तुति संलग्न नहीं है ।
- 6- कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात् कार्य के संतोषप्रद होने का रिपोर्ट संलग्न नहीं है ।
- 7- बिलों से किसी प्रकार की कर कटौती एवं जमानत कटौती नहीं की गयी है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये सामग्री पर व्यय रु0 91960.00 एवं श्रमांश पर व्यय रु0 5278.00 लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है , जिसके लिये ख.वि.अ.,लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी जिम्मेदार है । जिनसे मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-6

राज्य वित्त मद से ग्राम भैसोडा से भैसोडा बंधी तक मिट्टी व मोरंग कार्य कराया गया है , जिसके लिये श्री गुरुशरन श्रीवास्तव , सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी.) को कार्य प्रभारी बनाया गया है । उपरोक्त कार्य पर भुगतान मे. बजरंग कंटरक्शन एवं सप्लायर्स को किये गये । भुगतान का विवरण इस प्रकार है

#### सामग्री:-

| क्र0सं0 | चेक संख्या व तिथि     | भुगतान की धनराशि | बिल की धनराशि |
|---------|-----------------------|------------------|---------------|
| (1)     | 998182 दि. 27-11-19   | रु0 2349321.00   | रु0 255360.00 |
| (2)     | 998186 दि.23-01-2020  | रु0 211968.00    | रु0 230400.00 |
| (3)     | 998198 दि. 26-02-2020 | रु0 76132.00     | रु0 82456.00  |

क्रम संख्या (3) पर अंकित चेक संख्या 998198 दिनांक 26-02-2020 द्वारा रु0 82456.00 बिल की धनराशि के सापेक्ष जो रु0 76132.00 का भुगतान किया गया है के क्रय प्रमाणक का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.स.                       | प्रमाणक संख्या | प्रमाणक की तिथि | धनराशि    | सामग्री |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|
| (1) बुक नम्बर 03 क्रमांक 148 | 06-02-2020     | 79056.00        | मोरंग     | (2)     |
| बुक नम्बर 04 क्रमांक 155     | 13-02-2020     | 3400.00         | साइनबोर्ड |         |

उल्लेखनीय है कि दोनों प्रमाणकों पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध है । जिसकी पुष्टि निम्न विवरण से भी होती है ।

| क्रं सं | कार्य की अवधि               | धनराशि   |
|---------|-----------------------------|----------|
| 1       | 06.01.2020 से 12.01.2020 तक | 12012.00 |
| 2       | 20-12-2019 से 26-12-2019 तक | 12376.00 |

योग= 24388.00 चेक संख्या 998185 दि. 23-01-2020

उपरोक्त क्रम संख्या (1) कार्य अवधि 06-01-2020 से 12-01-2020 के मस्टर रोल पर निम्न विवरण के अनुसार कार्यरत दर्शित श्रमिकों के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा अंकित नहीं है-

| क्रं सं | नाम श्रमिक        | धनराशि                  |
|---------|-------------------|-------------------------|
| 1       | हिरावती/महेंद्र   | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| 2       | इंदू/ बीरबल       | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| 3       | राधिका/अरविन्द    | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| 4       | अरविंद/ महेंद्र   | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| 5       | जयप्रकाश / हरिवंत | 7 दिनxदर182.00= 1274.00 |
| 6       | गुड्डू/ बिहारी    | 3 दिनxदर182.00= 546.00  |
|         |                   | योग==== 6916.00         |

इस प्रकार दर्शित मजदूरी भुगतान रु0 6916.00 के कार्य की पुष्टि नहीं होती है ।

उपरोक्त दर्शित व्यय पर अन्य आपत्तियां निम्नवत है :-

- 1- सामग्री क्रय का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं है।
- 2- कार्य करते हुये श्रमिकों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है ।
- 3- टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है ।
- 4- बिलों से जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गयी है , प्रथम पक्ष ख0 वि0 अ0 एवं द्वितीय फर्म के बीच अनुबंध नहीं किया गया है ।
- 5- क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिये जो दो या दो से अधिक ग्राम- पंचायतों की सीमा में आते हैं ; किंतु उपरोक्त कार्य एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है ।
- 6- निविदा आमंत्रण का समय एवं खुलने का समय क्रमशः 15-10-19 एवं 23-10-19 है ,जो नियमतः नहीं है ।

इस प्रकार -- (क) रु0 82456.00 का सामग्री क्रय एवं रु0 6916.00 का मजदूरी भुगतान संदिग्ध है, जिसे लेखा परीक्षा में दुर्विनियोग आंकलित किया जाता है । जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

तथा

(ख) सामग्री पर दर्शित व्यय रु0 485760.00 तथा मजदूरी पर दर्शित व्यय रु0 17472.00 लेखा परीक्षा में अनियमित व्यय आंकलित की जाती है। जिसके प्रति ख0वि0 अ0, लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी जिम्मेदार है। उक्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-7

राज्य वित्त मद से ग्राम-पंचायत चुप्पेपुर में पक्की सड़क से श्यामबहादुर के घर तक मिट्टी-मोरंग कार्य कराया गया है, जिसमें श्री गुरुशरन श्रीवास्तव, स.वि.अ.(आई.एस.बी.) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मे0 बजरंग कंटरक्शन एण्ड सप्लायर को सामग्री हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है

| क्र0सं0                         | प्रमाणक संख्या एवं तिथि  | धनराशि                  | संस्था द्वारा जमानत कटौती | भुगतान की धनराशि    | चेकसं0 व तिथि |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1. बुक न0 03                    | क्र0131दि 03-02-20       | 108 घ0मी0 मोरंग 7085.00 | 81475.00                  | 998190 दि0 06-02-20 |               |
|                                 |                          |                         |                           | दर 820.00=          | 88560.00      |
| 2. बुक न0 04                    | क्र0153दि013-02-20       | 1 साइन बोर्ड=3400.00    | ----- 3400.00             | 998194 दि026-02-20  |               |
|                                 |                          |                         | योग=== 91960.00           |                     | 84875.00      |
| मजदूरी                          |                          |                         |                           | (म0रो0)             |               |
| क्रम                            | संख्या                   | कार्य अवधि              | कार्यरत दर्शित            | श्रमिक              | धनराशि        |
| (1)                             | 07-02-2020 से 13-02-2020 | (1)                     | कमलेश/बबबन                | 7 दिनxदर182.00=     | 1274.00       |
|                                 |                          | (2)                     | जमुना देवी/कमलेश          | 7 दिनxदर182.00=     | 1274.00       |
|                                 |                          | (3)                     | अरविंद/ महेंद्र           | 7 दिनxदर182.00=     | 1274.00       |
|                                 |                          | (4)                     | जय प्रकाश/हरिवंत          | 7 दिनxदर182.00=     | 1274.00       |
|                                 |                          | (5)                     | नीरज कुमार / गंगाधर       | 1 दिनxदर182.00=     | 182.00        |
| चेक न0 998195 दिनांक 26-02-2020 |                          |                         |                           | === 5278.00         |               |

मस्टर रोल पर कार्यरत दर्शित उपरोक्त श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा अंकित नहीं है। इस प्रकार दर्शित मजदूरी भुगतान रु0 5278.00 के कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

| उपरोक्त | दर्शित                                                                                                                                                                 | व्यय        | पर      | अन्य      | आपत्तियां | निम्नवत | है   | :-              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|------|-----------------|
| (1)     | कार्यपूर्ति                                                                                                                                                            | प्रमाण-     | पत्र,   | धन        | उपभोग     | प्रमाण  | पत्र | संलग्न नहीं है। |
| (2)     | कार्य करते हुये                                                                                                                                                        | श्रमिकों    | का      | फोटोग्राफ | संलग्न    | नहीं    | है   | ।               |
| (3)     | क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिये जो दो या दो से अधिक ग्राम- पंचायतों की सीमा में आते हैं, किंतु उपरोक्त कार्य एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित है। |             |         |           |           |         |      | ।               |
| (4)     | सामग्री क्रय का अंकन                                                                                                                                                   | स्टाक       | रजिस्टर | पर        | नहीं      | है।     |      | ।               |
| (5)     | बिलों से जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गयी है। न ही विक्रेता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 जमा करने का चालान पत्रावली में संलग्न है।                                  |             |         |           |           |         |      | ।               |
| (6)     | प्रथम पक्ष ख0 वि0 अ0 एवं द्वितीय फर्म के बीच अनुबंध नहीं किया गया है।                                                                                                  |             |         |           |           |         |      | ।               |
| (7)     | निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति/ संस्तुति                                                                                                                              | संलग्न      | नहीं    | है        |           |         |      | ।               |
| (8)     | दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट / निरीक्षण                                                                                                                       | प्रमाण-पत्र | संलग्न  | नहीं      | है        |         |      | ।               |

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये सामग्री पर व्यय रु0 91960.00 एवं श्रमांश पर व्यय रु0 5278.00, कुल रु0 97238.00 लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है, जिसके लिये ख.वि.अ.,लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी जिम्मेदार है। जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-8

ग्रांट रजिस्टर भाग-2 के अनुसार सांसद निधि से निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य कराया गया है, जिनकी पत्रावलियां लेखा-परीक्षा में अनुपलब्ध रही:-

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                       | सामग्री   | श्रमांश   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.       | ग्राम बसौली में मैन रोड पर पुलिया निर्माण                          | 25250.00  | 57925.00  |
| 2.       | ग्राम नौडिहवा में मैन रोड से बच्चा खरवार के घर तक पत्थर चौका कार्य | 117260.00 | 105890.00 |
| 3.       | ग्राम नौडिहवा में मैन रोड से झमरी खरवार के घर तक पत्थर चौका कार्य  | 103442.00 | 94312.00  |

|    |                                                                              |            |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 4. | ग्राम देवखत में गुलाब हरिजन के घर से जंगल बार्डर तक इंटरलाकिंग कार्य         | 794564.00  | 109034.00 |
| 5. | ग्राम जरहर में मुसहर बस्ती में सामुदायिक चबूतरा निर्माण कार्य                | 62254.00   | 48070.00  |
| 6. | ग्राम बाघी में रामजी प्रसाद के खेत में कूप जगत निर्माण कार्य                 | 41873.00   | 25650.00  |
| 7. | गंगापुर में ग्राम टिकुरिया में गुड़ी प्रसाद के खेत में कूप जगत निर्माण कार्य | 55874.00   | 29324.00  |
| 8. | ग्राम पंचायत अमृतपुर में मैन रोड से राजकुमार के घर तक नाली व चौका निर्माण    | 25798.00   | -----     |
| 9. | ग्राम बाघी में शंकर जी के मंदिर के पास सामुदायिक चबूतरा निर्माण              | 19110.00   | 39656.00  |
|    | योग=                                                                         | 1245405.00 | 509861.00 |

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में सांसद निधि से ₹0 1755266.00 का निर्माण कार्य ग्रांट रजि0 भाग-2 में दर्शित है , जिसकी पत्रावली सम्प्रेक्षण में अनुपलब्ध रहने के कारण जांच सम्भव नहीं हो सकी । सम्प्रेक्षण में पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय ₹0 1755266.00 लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है । जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-9

ग्रांट रजिस्टर भाग -2 में विधायक निधि से वर्ष में ग्राम पंचायत सेमर साधोपुर के ग्राम जमसोत में मुख्य सड़क प्रा0वि0 सम्पर्क मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य दर्शाया गया है । उक्त कार्य हेतु सामग्री पर ₹0 221121.00 एवं श्रमांश पर ₹0 1274895.00 व्यय दर्शित है । उपरोक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा -परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है । अतः उपरोक्त दर्शित व्यय ₹0 348616.00 (सामग्री ₹0 221121.00+श्रमांश ₹0 127495.00) लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है । जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-10

ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में राज्य वित्त मद से निम्न विवरण के अनुसार निर्माण/ मरम्मत कार्य कराया दर्शित किया गया है , जिनकी पत्रावलियां लेखा -परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया :

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                                  | सामग्री   | श्रमांश   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.       | ग्राम पंचा0 शमशेरपुर के अतरवा में पक्की सड़क से जंगल बार्डर तक मिट्टी/ मोरंग कार्य            | 146049.00 | 33488.00  |
| 2.       | सभागार सौंदर्यीकरण कार्य                                                                      | 10665.00  | -----     |
| 3.       | ब्लाक परिसर में पुराने मकानों का जिर्णोद्वार व मरम्मत कार्य                                   | 31830.00  | 4438.00   |
| 4.       | ग्राम शमशेरपुर के राजस्व ग्राम औराही में पक्की सड़क से अम्बेडकर मूर्ति तक मिट्टी/ मोरंग कार्य | 150753.00 | 121401.00 |
| 5.       | ग्राम चुप्पेपुर में कल्लू हरिजन के घर से पंकज मौर्यों के घर तक मिट्टी मोरंग कार्य             | 145182.00 | 151424.00 |
| 6.       | वि0 ख0 परिसर में प्रमुख कक्ष , ख.वि.अ.आवास,एव गा.वि.अ.आवास का जिर्णोद्वार व मरम्मत कार्य      | 242466.00 | 6440.00   |
| 7.       | सोनेपुल पोखरे के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण                                                 | 130713.00 | 22740.00  |
|          | योग===                                                                                        | 857658.00 | 339931.00 |

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित्त से दर्शित निर्माण /मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 1197589.00 ( सामग्री ₹0 857658.00+339931.00) की पत्रावली सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि लेखा - परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है । जिसके लिये ख.वि.अ.,लेखाकार,कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी जिम्मेदार है । जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-11

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में दर्शित निर्माण कार्यों के सापेक्ष मात्र जमानत की कटौती की गयी है ।आयकर, जी0एस0टी0 तथा रायल्टी मद में राजस्व की कटौती नहीं की गयी है । सम्बंधित रजिस्टर मदवार वसूली व जमा के क्रम में तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तथा क्षति का वास्तविक आंकलन एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।



#### प्रस्तर-12

डेड स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। वर्ष में निम्नांकित विवरण के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद से सामग्री क्रय किया गया है, जिसका अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है :-

| क्र0सं0 | दिनांक     | धनराशि     | विवरण                  |
|---------|------------|------------|------------------------|
| 1.      | 26-06-2019 | 17499.00   | नया प्रिंटर एवं स्कैनर |
| 2.      | 30-07-2019 | 60500.00   | जेनरेटर क्रय           |
| 3.      | 02-09-2019 | 501942.00  | फर्नीचर क्रय           |
| 4.      | 03-09-2019 | 277788.00  | टेबल, फर्नीचर क्रय     |
| 5.      | 03-09-2019 | 155040.00  | आलमारी, फर्नीचर क्रय   |
| 6.      | 06-12-2019 | 19850.00   | इंवर्टर बैटरी सेट सहित |
| 7.      | 04-01-2020 | 19850.00   | इंवर्टर बैटरी सेट सहित |
| 8.      | 07-01-2020 | 19850.00   | इंवर्टर बैटरी सेट सहित |
|         | योग=====   | 1072319.00 |                        |

उपरोक्त सामग्री क्रय पर भुगतान ग्रांट रजिस्टर भाग-दो पर अंकित है। सम्प्रेक्षण में सामग्री क्रय प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे सामग्री किससे क्रय की गयी है, स्पष्ट नहीं हो सका। क्रय प्रमाणको की अनुपलब्धता एवं डेड स्टॉक रजिस्टर पर क्रय किये गये स्टॉक का अंकन नहीं किये जाने के कारण लेखा परीक्षा में ₹0 1072319.00 अपहरण आंकलित की जाती है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिंदू क्रम संख्या 1,2,3 तथा श्री सुदामा प्रसाद यादव एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिंदू क्रम संख्या 4,5,6,7,8 के लिये जिम्मेदार है। अतः कुल धनराशि ₹0 1072319.00 की मय ब्याज वसूली ख0वि0अ0 एवं लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### 3 क्षेत्र पंचायत- चहानिया

#### प्रस्तर-13

वर्ष आलोच्य में अनुरक्षण मद में परिसर स्थित आवासों की मरम्मत हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है-

| क्रम सं0 | चेक संख्या | दिनांक     | धनराशि       | अभ्युक्ति                                             |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 025306     | 20.11.2019 | 226043.00    | टाईप 1 आवास मरम्मत हेतु मे0 कीनाराम कन्सट्रक्शन       |
| 2        | 025307     | 20.11.2019 | 250455.00    | टाईप 11 आवास मरम्मत हेतु मे0 चन्द्रावती सिंह, वाराणसी |
| 3        | 028106     | 04.02.2020 | 117825.00    | टाईप 1 आवास मरम्मत हेतु मे0 कीनाराम कन्सट्रक्शन       |
| 4        | 028107     | 04.02.2020 | 162598.00    | टाईप 11 आवास मरम्मत हेतु मे0 चन्द्रावती सिंह, वाराणसी |
| 5        | 028110     | 21.02.2020 | 200000.00    | टाईप 1 आवास मरम्मत हेतु मे0 कीनाराम कन्सट्रक्शन       |
| 6        | 028111     | 21.02.2020 | 200000.00    | टाईप 11 आवास मरम्मत हेतु मे0 चन्द्रावती सिंह, वाराणसी |
|          |            | योग        | 11,56,921.00 |                                                       |

स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा वर्ष में केवल सामग्री पर ही धनराशि व्यय की गई है परन्तु स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एवं अवशेष सामग्री की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही क्रय सामग्री के सापेक्ष मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया है और कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहा। जिससे दर्शित कार्यों पर व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः दर्शित व्यय लेखा परीक्षा में अपहृत आंकलित किया जाता है जिसके लिए ख0वि0अ0 श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 12)

#### प्रस्तर-14

वर्ष आलोच्य में रा0वि0आ0 के अन्तर्गत अनु0पंजी 11 व 111 में दर्शित व्यय में ₹0 13450.00 का अन्तर रहा। विवरण निम्नवत् है-

अनु0 पंजी 11 के अनुसार दर्शित व्यय - 7966773.00  
अनु0 पंजी 111 के अनुसार दर्शित व्यय - 7953323.00  
अन्तर - 13450.00

जिसके सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है-

दिनांक 06.04.2019 को चेक सं0 013065 रु0 13450.00 मजदूरी भुगतान हेतु यूनियन बैंक आफ इण्डिया, मारुफपुर को निर्गत किया गया किन्तु उक्त चेक अनु0पंजी 11 के अनुसार दिनांक 30.04.2019 को निरस्त दर्शित करते हुए आय पक्ष में प्राप्त दर्शाया गया है परन्तु अनु0पंजी 111 के व्यय पक्ष से घटाया नहीं गया है एवं अन्तिम अवशेष में जोड़ा नहीं गया है।

इस प्रकार अनु0पंजी-111 में अधिक व्यय दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री प्रेम प्रकाश आर्य, लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं013)

#### 4 क्षेत्र पंचायत- बरहनी

##### प्रस्तर-15

आयकर अधिनियम 1961(यथा संशोधित) धारा 194ब के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती की 2 प्रतिशत से सुनिश्चित की जानी है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर अन्दर सरकारी खजानों में जमा करने में असमर्थ रहता है। तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड लगाई जा सकती है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गयी कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 150 वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा नहीं कराता तो उसे कम-से-कम तीन माह का कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार स्रोत पर आयकर कटौती न करने वाला व्यक्ति डीडीओ को वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के भीतर सम्बन्धित करदाता को टीडीएस प्रमाणपत्र फार्म 16/16ए निर्गत कर देना चाहिए। यदि निर्धारित समय में ऐसा नहीं होता है तो धारा 272ए/2जी के अनुसार अर्थदण्ड कम से कम रु 100/ प्रतिदिन की दर से लगाया जायेगा। जो कि दोष जारी रहने की अवधि के मध्य रु0 200 प्रतिदिन तक हो सकता है। वर्ष 2019-20 में निम्न व्यय सामग्री पर किया गया है-

##### राज्य वित्त

| दिनांक   | चेक सं | धनराशि  | फर्म का नाम              |
|----------|--------|---------|--------------------------|
| 15.05.19 | 0339   | 94062   | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 15.05.19 | 0340   | 301644  | मे0 उत्सव ईट उद्योग      |
| 07.6.19  | 0341   | 248317  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 25.07.19 | 196    | 54614   | मे0 उत्सव ईट उद्योग      |
| 25.07.19 | 201    | 258393  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 25.07.19 | 204    | 143903  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 25.07.19 | 205    | 470832  | मे0 ए0के0 ईट उद्योग      |
| 10.09.19 | 108    | 166109  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 11.10.19 | 111    | 170191  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 11.10.19 | 114    | 184289  | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
|          | योग    | 2092354 |                          |

इस प्रकार नियमानुसार रु 2092354 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु 41847 आयकर की कटौती की जानी थी। लेकिन संस्था द्वारा किसी भी बिल से आयकर कटौती नहीं की गयी। उपरोक्त नियमों के आलोक में आयकर अर्थ दंड सहित राजकोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी ख0वि0अ0 व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर-16

शासनादेश सं0 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के सन्दर्भ में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार 2 फरवरी 2001 और अनुवर्ती शासनादेशों में यह निर्देश दिए गये हैं कि उपखनिज प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय की प्राप्त किए गए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अधिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं। शासनादेश सं0 2799दर86&2016&292दर2015 दिनांक 12.9.16 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे मामलों में जिसमें एम0एम0-11/ फॉर्म3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है

उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर लेखा शीर्ष- 0853 में अवश्य जमा करा लिया जाय। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में बिलों पर आयकर की कटौती रु 15509 की गयी है। गत वर्ष में कटौती की धनराशि रु 10563 सहित कुल रु 26072 की रायल्टी संस्था द्वारा अनियमित रूप से रोककर रखी गयी है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी रहे। इसके लिए उत्तरदायी ख0वि0अ0 व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-17

क्षेत्र पंचायत द्वारा इन्दिरा आवास /प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रशासनिक मद में एवं मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निम्न धनराशियों का भुगतान सामग्री/सेवा के बिल के सापेक्ष सम्बंधित फॉर्म/व्यक्ति को खाते में चेक से न देकर किसी अन्य को देकर अनियमितता की गयी है। शासनादेश ,&1&1450दरnl&96&10(11)&93 दिनांक 23.7.96 भण्डार क्रय नियम 17 ग के अनुसार 2000 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाना है।

| चेक सं/ दिनांक    | धनराशि | मद                                                                 | उत्तरदायी व्यक्ति सर्व श्री          |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 132/ 28.09.19     | 60004  | दिनांक 7.9.2019 के आवास लाभार्थियों का प्रशिक्षण/गोष्ठी का भुगतान। | श्री अरविन्द कुमार सिंह ग्रा.पं.अधि. |
| 134/ 4.11.19      | 39000  | दिनांक 7.9.2019 के आवास लाभार्थियों का प्रशिक्षण/गोष्ठी का भुगतान। | श्री अरविन्द कुमार सिंह ग्रा.पं.अधि. |
| 12799/ 14.11.19   | 10000  | सामूहिक विवाह के सामान्य व्यवस्था हेतु                             | श्री राज कुमार/ एडीओ एसके            |
| 19273/ 20.03.2020 | 10000  | सामूहिक विवाह के सामान्य व्यवस्था हेतु                             | श्री राज कुमार/ एडीओ एसके            |
| योग               | 119004 |                                                                    |                                      |

रु 119004 का व्यय अनियमित रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष भुगतान के कारण इसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की गयी। इसके लिए ख0वि0अ0 व लेखाकार तथा सम्बंधित प्राप्तकर्ता उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-18

दिनांक 31.3.2020 को रु 75520 तेरहवां वित्त का ; रु 3544 विधायक निधि का एकाधिक वर्ष से तथा एन आर एल एम का धन रु 2001 (1 मई 2019 के बाद से) सहित कुल 81065 अवशेष अनुदान अनियमित रूप से खाते में पड़ा रहा। इस प्रकार रु 81065 धनराशि अनियमित रूप से रोकने के लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-19

पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में बिंदु क में यह स्पष्ट है कि कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। किंतु निम्न दो कार्यों को वास्तव में एक ही कार्य योजना के अंतर्गत कराया जाना था। इसके लिए अलग स्टीमेट की आवश्यकता नहीं थी। 10 लाख से अधिक की कार्य योजना का प्राक्कलन व कार्य का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना था। इसी से बचने के लिए निम्न कार्य योजना को अनियमित रूप से टुकड़ों में विभाजित किया गया -

क- उत्तर पुलिया मानिकपुर में मुन्नू मौर्या के घर से बगीचा तक इण्टरलाकिंग-स्टीमेट 714613 और व्यय 705670 ।

ख- उत्तर पुलिया मानिकपुर में मुन्नू मौर्या के घर से बगीचा तक नाली निर्माण-स्टीमेट 445105 व्यय-307887।

इस प्रकार रु 1013557 शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमित रूप से व्यय किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ए अवर अभियंता तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-20

1 जुलाई 2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जीएसटी एक्ट 2017 लागू किया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जीएसटी लागू की गयी इसी एक्ट की धारा 51 जो कि 30 प्र0 में 1.10.2018 से प्रभावी है। इस एक्ट के अनुसार जू।छध्।छ आधारित जीएसटी नम्बर अनिवार्य है। प्रत्येक 2.50 लाख से अधिक के कार्यदेश पर जीएसटी की टीडीएस की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा 2 प्रतिशत की दर

से निम्न क्रय रु 1289464 पर रु 25789 की जीएसटी कटौती न करके अनियमितता की गयी। जिसके लिए ख0वि0अ0 एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्रांट रजि0 दो के अनुसार-

| भुगतान की तिथि | चेक सं | बिल कि धनराशि | फर्म का नाम              |
|----------------|--------|---------------|--------------------------|
| 15.05.2019     | 340    | 301644        | मे0 उत्सव ईट उद्योग      |
| 07.06.2019     | 341    | 251590        | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 25.07.2019     | 201    | 261793        | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
| 25.07.2019     | 205    | 474437        | नैन्सी बिल्डिंग मैटेरियल |
|                | योग    | 1289464       |                          |

## प्रस्तर-21

विकास खण्ड कार्यालय भवन मरम्मत मद में निम्नानुसार व्यय है-

| चेक सं | दिनांक     | कार्य / ग्रांट 2 मे                           | धनराशि  | प्राप्तकर्ता        |
|--------|------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|
| 12995  | 07.08.2019 | विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत हेतु               | 533238  | मे0 सुरेन्द्र कुमार |
| 12798  | 21.10.2019 | कार्यालय मरम्मत टाइल्स खिडकी दरवाजा मर0       | 438322  | मे0 सुरेन्द्र कुमार |
| 22561  | 20.02.2020 | वि0ख0 बरहनी आवासीय भवन मरम्मत का अवशेष भुगतान | 199842  | मे0 सुरेन्द्र कुमार |
| 19234  | 30.02.2020 | बावत् कार्यालय मरम्मत व शौचालय निर्माण        | 179418  | मे0 सुरेन्द्र कुमार |
|        |            | योग                                           | 1350820 |                     |

इस प्रकार रु 1350820 किसी मे0 सुरेन्द्र कुमार को अनियमित रूप से देकर बनवाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का टैंडर एवं बिल/ वाउचर प्राप्त नहीं है। जबकि नियमानुसार कार्य प्रभारी की नियुक्ति कर वित्तीय औचित्य के नियम का पालन करते हुए धन व्यय किया जाना था। उक्त अनियमितता के लिए सम्बंधित ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## 5 क्षेत्र पंचायत- शहाबगंज

### प्रस्तर-22

राज्य वित्त निधि से ग्राम पंचायत - अरारी के विलासपुर में मंदिर के पास चबूतरा का सुन्दरीकरण कार्य कराया गया है, जिसके लिए श्री अनिल कुमार सिंह, ग्रा0वि0अ0 को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

(1) निविदा आमंत्रण का समय दिनांक 18-10-19 से 26-10-19 रखा गया, जबकि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए।

(2) सामग्री क्रय हेतु टेण्डर मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स का स्वीकृत किया गया है।

नियमानुसार टेण्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

(3) सामग्री क्रय हेतु मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बेलवार को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

| प्रमा0 सं0<br>(इनवॉयस नं) | दिनांक  | प्रमाणक<br>धनराशि | की<br>वैट/<br>जी0एस0टी0 | फर्म द्वारा चार्ज<br>कटौतियाँ                           | संस्था द्वारा की गयी शुद्ध भुगतान | चेक संख्या व तिथि      |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 334                       | 8-11-19 | ₹48073.00         | ---                     | रायल्टी - 639.00<br>टी0डी0एस0- 961.00<br>जमानत- 3846.00 | 42627.00                          | 004492<br>दि0 11.12.19 |

मजदूरी भुगतान का विवरण:-

| कार्य अवधि           | धनराशि   | चेक संख्या व तिथि   |
|----------------------|----------|---------------------|
| 01-11-19 से 07-11-19 | 11690.00 | 004496 दि0 11.12.19 |

उपरोक्त विवरण के अनुसार मस्टर रोल पर पूर्व के तिथि में दिनांक 07/11/19 को समाप्त हो गया है, जबकि सामग्री बाद की तिथि में दिनांक 08/11/19 को क्रय किया गया है। बिना सामग्री के कार्य संभव नहीं है। मस्टर रोल पर दर्शित कार्यरत 07 श्रमिकों में से 05 श्रमिकों का निशानी अंगूठा अंकित है, जो सत्यापित नहीं है।

इस प्रकार सामग्री ₹46473.00 (=शुद्ध भुगतान 42627.00 + वापस की जाने वाली जमानत की धनराशि ₹3846.00) अनियमित रूप से क्रय किया गया है। (4) उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत की सीमा में आते हैं।

(5) प्रथम पक्ष ख०वि०अ० एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंधन - पत्र संलग्न नहीं है।

(6) कार्यपूति प्रमाण - पत्र संलग्न नहीं है, जबकि प्राक्कलित सामग्री एवं मजदूरी के अनुरूप व्यय किया जा चुका है।

(7) कार्य के तीन चरणों में से दो चरणों का कार्य प्रारंभ से पूर्व का एवं कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है। जबकि सामग्री हेतु प्राक्कलित धनराशि ₹48114.05 में ₹4500.00 साइन बोर्ड एवं फोटोग्राफ की धनराशि सम्मिलित है।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय ₹46473.00 एवं मजदूरी पर व्यय ₹11690.00 कुल ₹58163.00 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह (ग्र०वि०अ०), तकनीकी प्रभारी श्री विजय कुमार मधुकर (अवर अभियंता) एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रस्तर-23

राज्य वित्त मद से ग्राम - पंचायत इलिया में प्रवेश गेट का सुन्दरीकरण कार्य पर सामग्री क्रय निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है:-

| प्रमा० सं०<br>(इनवॉयस नं.) | दिनांक   | प्रमाणक की धनराशि | संस्था द्वारा की गयी कटौतियाँ                            | शुद्ध भुगतान                                 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 337                        | 30-11-19 | ₹120312.00        | रायल्टी - 300.00<br>टी०डी०एस०- 2406.00<br>जमानत- 9625.00 | ₹107981.00<br>चेक सं० 004495<br>दि० 11.12.19 |

उपरोक्त भुगतान मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बेलावर को किया गया है। उपरोक्त सामग्री क्रय के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये सामग्री का भुगतान कर ₹117606.00 (=चेक द्वारा शुद्ध भुगतान ₹107981.00+वापस की जाने वाली जमानत की धनराशि ₹9625.00) का दुरुपयोग किया गया है। जिसके प्रति लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह (ग्र०वि०अ०), तकनीकी प्रभारी श्री विजय कुमार मधुकर (अवर अभियंता) एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। अतः ₹117606.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर-24

अनुदान पंजिका भाग-2 के अनुसार जी०एस०टी०/टी०डी०एस० मद से निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है:-

| क्रं सं | कार्य का नाम                                                                                          | धनराशि    | चेक संख्या            | भुगतान                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1       | ग्राम शाहपुर में मुख्य सड़क से अंबेडकर पार्क तक व हरिजन बस्ती तक सी.सी. रोड निर्माण (पूर्वाञ्चल निधि) | 55191.00  | 18431 दि.<br>04-06-19 | मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन<br>एंड सप्लायर्स |
| 2       | ग्राम घुरहुपुर में बौद्ध संस्थान के पास विश्राम गृह निर्माण (सांसद निधि)                              | 47072.00  | 18432 दि०<br>06-06-19 | मेसर्स परमहंस<br>इण्टरप्राइजेज          |
|         | योग                                                                                                   | 102263.00 |                       |                                         |

उपरोक्त व्यय के संबंध में आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

(अ) जी०एस०टी०/ टी०डी०एस० कटौती की धनराशि राजकीय होती है, जिसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था, जबकि सामग्री क्रय किया गया है।

(ब) उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित पत्रावली संप्रेक्षण में अप्राप्त रहा, जिससे क्रय प्रमाणक का अवलोकन संभव नहीं हो सका। पत्रावली अनुपलब्ध होने से संबंधित जाँच एवं जानकारी संभव नहीं हो सका।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेने से स्पष्ट है की सम्बद्ध धनराशि ₹102263.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। अतः ₹102263.00 की मय ब्याज वसूली उपरोक्त जिम्मेदार ब्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-25

ग्रांट रजिस्टर भाग-तीन के अनुसार वसूली मद में दि० 01-04-19 को प्रारम्भिक शेष एवं दि० 31-03-2020 को अन्तिम अवशेष विगत वर्षों की भांति ₹240220.00 रहा। वर्ष में आमद एवं व्यय शून्य हैं। उक्त वसूल की गई धनराशि का विवरण अनुदान पंजिका भाग -2 में अंकित नहीं होने से किस-किससे वसूली की गयी, स्पष्ट नहीं हो सका। उपरोक्त धनराशि को संस्था स्तर पर विगत वर्षों से रोककर रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकार ₹240220.00 के गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिये तत्कालीन लेखाकार व ख०वि०अ० एवं वर्तमान लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-26

राज्य वित्त से शहाबगंज क्षेत्र पंचायत परिसर में व्यायामशाला का जिर्णोद्धार कार्य कराया गया है, जिसमें श्री अनिल कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

| क्रम सं० | प्रमाणक का दिनांक व धनराशि | संस्था द्वारा की गयी कटौतियाँ                               | फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान | चेक संख्या व दिनांक      |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (1)      | 01/12/19 ₹110217.00        | टी०डी०एस० - 2204.00<br>जमानत - 8817.00<br>रायल्टी - 1610.00 | 97586.00                      | 004494<br>दि० 11/12/19   |
| (2)      | 28/10/19 ₹72900.00         | टी०डी०एस० - 1458.00<br>जमानत - 5832.00<br>रायल्टी - 497.00  | 65113.00                      | 009039<br>दि० 04/09/2020 |

योग:- 162699.00

#### मजदूरी

दि० 28/10/19 से 04/09/2020 ₹44015.00 चेक सं० 009040 दि० 04/09/2020

उपरोक्त व्यय पर आपतियाँ निम्नवत हैं:-

- अ) पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 16/10/19 एवं 26/10/19 है, जो नियमतः नहीं है। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार यह समय कम से कम तीन सप्ताह होना चाहिए। नियमानुसार टेण्डर भी दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।
- ब) मस्टर रोल पर कार्य प्रारंभ की तिथि, समाप्ति की तिथि एवं कार्य का नाम अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर ख०वि०अ० का तो हस्ताक्षर है परंतु कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है।
- स) उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत शहाबगंज परिसर में कराया गया है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों की सीमा में आते हैं।
- द) कार्य के तीन चरणों के फोटोग्राफ में कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- च) मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है।
- छ) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पर मापन पुस्तिका की संख्या, मापन क्रमांक व मापन की तिथि अंकित नहीं है।
- ज) प्रथम पक्ष ख०वि०अ० एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध-पत्र एवं एम० एम०-11 पत्रावली में संलग्न नहीं हैं।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय ₹177348.00 (=शुद्ध भुगतान ₹162699.00 + वापस की जाने वाली जमानत की धनराशि ₹14349.00) एवं मजदूरी व्यय ₹44015.00 कुल ₹221363.00 व्यय अनियमित हैं, जिसके लिए लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, तकनीकी प्रभारी श्री विजय कुमार मधुकर (अवर अभियंता), कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह (ख०वि०अ०), एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (संदर्भित आपति संख्या - 06)

#### प्रस्तर-27

राज्य वित्त से ग्राम पंचायत खिलची रजडीहा में रामअवतार के घर से मेन रोड तक सी० सी० एवं रिटर्निंग वाल कार्य कराया गया है, जिसमें श्री मुरली श्याम ख०वि०अ० को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स नूर कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

| क्रम सं० | प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि | संस्था द्वारा की गयी कटौतियाँ | फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान | चेक संख्या व दिनांक |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|

(1) 18/02/2020 ₹117358.00 जी०एस०टी० - 2347.00 ₹99472.00 009021  
जमानत - 9389.00 दि० 03/03/2020  
रायल्टी - 6150.00

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

- क) पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय 10/02/2020 से 10/02/2020 रखा गया, जबकि उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। नियमानुसार टेण्डर भी दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।
- ख) उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों की सीमा में आते हैं।
- ग) पत्रावली में प्रथम पक्ष ख०वि०अ० एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध-पत्र संलग्न नहीं हैं।
- घ) विक्रेता का चरित्र प्रमाण - पत्र, पैन न०, वैध खन्ना (एम० एम०-11) संप्रेक्षण में अनुपलब्ध रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय ₹108861.00 (= शुद्ध भुगतान ₹99472.00 + वापस की जाने वाली जमानत की धनराशि ₹9389.00) लेखा परीक्षा में अनियमित है, जिसके लिये लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, कार्य प्रभारी श्री मुरली श्याम (ग्रा०वि०अ०), तकनीकी प्रभारी श्री विजय कुमार मधुकर (अवर अभियंता) एवं ख०वि०अ० श्री धर्मवीर सिंह उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-28

मनरेगा (प्रशा० मद) से क्रय किए गये डेड स्टॉक व स्टेशनरी का संबंधित रजिस्टर पर लेखांकन नहीं किया गया है। क्रय सामग्री का विवरण इस प्रकार है:-

| क्रम सं०             | दिनांक     | चेक संख्या | धनराशि    | सामग्री-विवरण                                 |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1)                   | 01/06/2019 | 003076     | 27725.00  | कार्यालय हेतु कूलर क्रय                       |
| 2)                   | 04/06/2019 | 003079     | 4920.00   | स्टेशनरी                                      |
| 3)                   | 26/11/2019 | 006873     | 45825.00  | कार्यालय हेतु मेज, विजिटर चेयर, कंप्यूटर टेबल |
| 4)                   | 26/11/2019 | 006874     | 12750.00  | स्टेशनरी                                      |
| 5)                   | 26/11/2019 | 006875     | 9855.00   | स्टेशनरी                                      |
| 6)                   | 26/11/2019 | 006876     | 24845.00  | कंप्यूटर प्रिंटर, यू०पी०एस०                   |
| 7)                   | 26/11/2019 | 006879     | 10800.00  | स्टेशनरी                                      |
| 8)                   | 26/11/2019 | 006880     | 9095.00   | जेनरेटर की बैटरी सेल्फ स्टार्ट हेतु           |
| 9)                   | 31/03/2020 | 008652     | 174799.00 | कंप्यूटर/प्रिंटर                              |
| 10)                  | 31/03/2020 | 008653     | 92976.00  | मनरेगा योजना हेतु स्टेशनरी                    |
| 11)                  | 31/03/2020 | 008656     | 12000.00  | मनरेगा लैब हेतु कुर्सी                        |
| 12)                  | 31/03/2020 | 008657     | 26200.00  | मनरेगा लैब हेतु मेज                           |
| <b>योग=451790.00</b> |            |            |           |                                               |

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष में स्टेशनरी एवं डेड स्टॉक क्रय पर ₹451790.00 व्यय किया गया है। क्रय सामग्री का अंकन स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर व डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किए जाने से उपरोक्त भुगतान लेख परीक्षा में अनियमित व्यय आंकलित की जाती है, जिसके लिये लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, कैशियर/ वरिष्ठ लिपिक श्री परमेश्वरी प्रसाद एवं ख०वि०अ०धर्मवीर सिंह जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 6 क्षेत्र पंचायत- नियमताबाद

#### प्रस्तर-29

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में सामग्री क्रय पर भुगतान करते समय रु० 30842.00 आयकर की कटौती की गयी है। आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने के प्रावधान है। आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समय के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे जिसमें विफल रहने पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान है। किन्तु संस्था द्वारा वर्ष में काटी गयी रु० 30842.00 आयकर की कटौती को कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह एवं लेखाकार श्री बिहारी राम बिन्दू उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-30

वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों में से अधिकांश कार्य वर्षान्त तक पूर्ण नहीं कराये गये जिससे निर्माण कार्य की लागत बढ़ती है साथ ही योजनाओं की लाभ सामान्य जन को प्राप्त नहीं होता है और शासकीय अनुदान का धन अवरुद्ध रहता है। आलोच्य वर्ष के अन्त में दिनांक 31.03.2020 को संस्था के पास अवशेष धनराशि 77186705.42 रहा जो अनियमित रूप से संस्था के पास रोका गया है जिसके प्रति जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह एवं लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्दू उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-31

तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 472769.00 रहा तथा वर्ष के दौरान रु0 15233.00 (ब्याज) प्राप्त हुआ। वर्ष में रु0 483580.86 व्यय किया गया। दिनांक 31.03.2020 को इस मद में रु0 4421.14 अन्तिम अवशेष था। योजना की अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी है अतएव अवशेष धनराशि शासन को पूर्व में ही वापस किया जाना था किन्तु इस धनराशि का उपभोग वर्ष 19-20 तक भी किया जा रहा है जो अनियमित है। वर्ष में अनियमित व्यय की धनराशि रु0 483580.86 के प्रति लेखाकार श्री बिहारी लाल बिन्दू एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 7 क्षेत्र पंचायत- सकलडीहा

#### प्रस्तर-32

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र डी.एल.आर./डी.एल.आर.सी. दिनांक 16.10.2006 के अनुसार जिन मामलों में बिना रायल्टी के भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी है उनके बिलों का भुगतान के पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेज दी जाय किन्तु संस्था द्वारा रायल्टी की कटौती कर जमा नहीं किया गया है। इस मद में की गयी कटौती का प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2019 को रु0 27088.00 था, वर्ष के दौरान रु0 26748.00 की कटौती की गयी और रु0 शून्य जमा किया गया। इस प्रकार रु0 53834.00 दिनांक 31.03.2019 को अन्तिम अवशेष रहा। रायल्टी कटौती की धनराशि रु0 53834.00 को संस्था द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक ट्रेजरी में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। धनराशि शीघ्र कोषागार में जमा कराया जाना चाहिये साथ ही साथ उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-33

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में सामग्री क्रय पर भुगतान करते समय आयकर की कटौती नहीं की गयी है-

| फर्म का नाम           | प्रमाणक संख्या / तिथि | प्रमाणक कि धनराशि | आयकर दर 2% |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| ओरिएन्टल कन्स्ट्रक्शन | 50/ 15.02.2020        | 241610            | 4832       |
| ओरिएन्टल कन्स्ट्रक्शन | 31/ 02.01.2020        | 249480            | 4990       |
| महाबीर कन्स्ट्रक्शन   | 55/-                  | 80076             | 1602       |
| महाबीर कन्स्ट्रक्शन   | /- 11.02.2020         | 105610            | 2112       |
| महाबीर कन्स्ट्रक्शन   | /- 17.03.2020         | 143660            | 2872       |
| ओरिएन्टल कन्स्ट्रक्शन | 28/ 02.01.2020        | 200960            | 4019       |
| ओरिएन्टल कन्स्ट्रक्शन | 32/ 02.01.2020        | 200093            | 4002       |
| ओरिएन्टल कन्स्ट्रक्शन | 29/ 02.01.2020        | 200148            | 4003       |
| योग                   |                       | योग               | 28432      |

आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने के प्रावधान है। आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समय के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे जिसमें विफल रहने पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान है। किन्तु संस्था द्वारा उपरोक्त तालिका में अंकित विवरण के अनुसार रु0 28432.00 आयकर की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-34

वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों में से अधिकांश कार्य वर्षान्त तक पूर्ण नहीं कराये गये जिससे निर्माण कार्य की लागत बढ़ती है साथ ही योजनाओं की लाभ सामान्य जन को प्राप्त नहीं होता है और शासकीय अनुदान का धन अवरुद्ध रहता है। आलोच्य वर्ष के



अन्त में दिनांक 31.03.2020 को संस्था के पास अवशेष धनराशि 9469377.15 रहा जो अनियमित रूप से संस्था के पास रोका गया है जिसके प्रति जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाबचन्द एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 8 क्षेत्र पंचायत- चंदौली

प्रस्तर-35

आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदानों से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्षक-21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा न किये जाने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर के बराबर की धनराशि दण्ड आरोपित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नांकित कार्य पर सामग्री आपूर्ति कर्ताओं को धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

| क्रं सं | कार्य का नाम                                                              | फर्म का नाम              | क्रय सामग्री का मूल्य | टी0डी0एस0 योग्य धन दर 2% | कृ. क्र. वृ. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1       | दाउदपुर में रामशोमित के घर से मदन सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण      | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 47511.00              | 950.00                   | राज्य वित्त  |
| 2       | बेदहां टीरो में मुख्य सड़क से शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण        | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 211153.00             | 4223.00                  | राज्य वित्त  |
| 3       | सिकन्दरपुर में छब्बी के घर से नहर तक नाली निर्माण                         | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 30584.00              | 612.00                   | राज्य वित्त  |
| 4       | गेरारी में काली जी मन्दिर से गांव के बाहर तक नाली निर्माण                 | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 129043.00             | 2581.00                  | राज्य वित्त  |
| 5       | फुटिया में प्रभुनारायण के घर से शिवधनी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण        | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 49132.00              | 983.00                   | राज्य वित्त  |
| 6       | विकास खण्ड परिसर में मिटटी भराई कार्य                                     | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 208227.00             | 4165.00                  | राज्य वित्त  |
| 7       | सिकरी में हयुम पाइप पुलिया निर्माण                                        | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 68790.00              | 1375.00                  | राज्य वित्त  |
| 8       | बहेरा में जोखु के घर के पास हयुम पाइप पुलिया निर्माण                      | मे0राजवंश ई0प्रा0, जसुरी | 205178.00             | 4104.00                  | राज्य वित्त  |
| 9       | शाहपुर में नहर से नवाबगढ़ गांव तक खडन्जा मरम्मत                           | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 25008.00              | 500.00                   | राज्य वित्त  |
| 10      | माधोपुर में एन0एच0-2 से वाजिदपुर तक मिटटी खडन्जा मरम्मत                   | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 29548.00              | 591.00                   | राज्य वित्त  |
| 11      | खुरहुजा नकटी मार्ग से कुटिया तक खडन्जा मरम्मत                             | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 5190.00               | 104.00                   | राज्य वित्त  |
| 12      | विकास खण्ड कार्यालय परिसर में स्थित एडीओ आवास मरम्मत                      | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 128793.00             | 2756.00                  | राज्य वित्त  |
| 13      | सलेमपुर में पंचायत भवन के उत्तरी छोर से भोला विश्वकर्मा के घर तक इ0लाकिंग | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 314575.00             | 6292.00                  | राज्य वित्त  |
| 14      | परासीकला में मेन सड़क से मुन्नर तिवारी के घर तक नाली व सी0सी0रोड          | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 213329.00             | 4267.00                  | राज्य वित्त  |
| 15      | सलेमपुर के श्रीकण्ठपुर में ओम प्रकाश के घर से नहर तक नाली व सी0सी0रोड     | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 211543.00             | 4231.00                  | राज्य वित्त  |
| 16      | जगदीशपुर में मुन्ना सिंह के घर से नदी तक इ0लाकिंग                         | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी     | 245156.00             | 4903.00                  | राज्य वित्त  |

|    |                                                                          |                                         |            |          |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 17 | नवही में चन्दौली धरौली मार्ग से तुफानी के घर तक इ0लाकिंग                 | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी                    | 34746.00   | 695.00   | राज्य वित्त |
| 18 | जसुरी में सी0सी0रोड से हरसेवक सिंह के घर तक नाली व सी0सी0रोड             | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी                    | 175762.00  | 3515.00  | राज्य वित्त |
| 19 | परासीकला में गोपई में मेन सी0सी0 रोड से बद्री तिवारी के घर तक सी0सी0रोड  | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी                    | 148557.00  | 2971.00  | राज्य वित्त |
| 20 | सवइयापटिटदारी में अरविन्द सिंह के खेत से राधे मौर्य के घर तक सी0सी0रोड   | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी                    | 158430.00  | 3169.00  | राज्य वित्त |
| 21 | फतेपुर खुर्द में मेन सड़क से दुलारे के घर तक सी0सी0रोड                   | ओम कन्सट्रक्सन जसुरी                    | 96993.00   | 1940.00  | राज्य वित्त |
|    | योग                                                                      |                                         | 1787630.00 | 35754.00 |             |
| 1  | जमोखर में कमला के घर से पासवान बस्ती होते हुए महादेव मन्दिर तक सी0सी0रोड | रिद्धी कन्सट्रक्सन सिद्धी सिगरा वाराणसी | 340978.00  | 6820.00  | सांसद निधि  |
| 2  | दाउदपुर में पिच रोड से सोनु सिंह के मकान तक सी0सी0रोड                    | मे0गंगोत्री ई0प्रा0 दाउदपुर             | 213796.00  | 4276.00  | सांसद निधि  |
| 1  | परासीकला में सी0सी0रोड                                                   | मे0 तिवारी कन्सट्रक्सन चन्दौली          | 631589.00  | 12632.00 | विधायक निधि |
|    | योग :-                                                                   |                                         | 3923611.00 | 78474.00 |             |

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष में निर्माण कार्य पर रु0 3923611.00 की सामग्री क्रय की गयी है जिसपर उपरोक्त सूची के अनुसार दर 2% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती न करके रु0 78474.00 की अनियमितता की गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री श्यामजी पाल लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-36

वर्ष आलोच्य में सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत 37 जोड़ों की शादी के लिए निम्न विवरणानुसार काजल लेडिज कार्नेर चन्दौली से एक ही तिथि में शादी सामग्री क्रय किया गया है:-

| बिल सं | दिनांक     | नाम वस्तु           | मात्रा | दर      | धनराशि    |
|--------|------------|---------------------|--------|---------|-----------|
| 35     | 13.01.2019 | साड़ी               | 185    | 400.00  | 74000.00  |
| 36     | 13.01.2019 | पैन्ट शर्ट कपड़ा    | 37     | 800.00  | 29600.00  |
| 37     | 13.01.2019 | मोबाइल कीपैड नोकिया | 37     | 2500.00 | 92500.00  |
| 38     | 13.01.2019 | चांदी का पायल,मीना  | 37     | 1700.00 | 62900.00  |
| 39     | 13.01.2019 | श्रृंगार दानी       | 37     | 1000.00 | 37000.00  |
| 40     | 13.01.2019 | कन्डाल, बर्तन सेट   | 37     | 2000.00 | 74000.00  |
|        |            | योग :-              |        |         | 370000.00 |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं:-

- 1-सामानों के क्रय हेतु टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है जिससे क्रय हेतु वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के पालन की पुष्टि नहीं होती है।
- 2-भुगतानित धनराशि रु0 370000.00 पर / 2: की दर से रु0 7400.00 टी0डी0एस0 कटौती नहीं की गयी है।
- 3-एक ही दुकान से (लेडिज कार्नेर) साड़ी, पैन्ट शर्ट कपड़ा, मोबाइल, चांदी पायल, मीना, श्रृंगार दानी, बर्तन सेट क्रय किया गया है। लेडिज कार्नेर से उपरोक्त दर्शित क्रय सामग्री संदेहात्मक है।
- 4-विवाहित जोड़ों का चयन, अनुमोदन एवं स्वीकृती सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे जोड़ों के पात्रता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 5-क्रय सामग्री की प्राप्ति/वितरण लाभार्थि वार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में अनियमितता की गयी है एवं सामग्री मूल्य से नियमानुसार रु0 7400.00 टी0डी0एस0 की कटौती न करके अनियमितता की गयी है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रस्तर-37

सिकरी में ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण कार्य पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त कार्य पर रु0 143720.00 सामग्री अंश एवं रु0 21763.00 श्रमांश कुल रु0 165583.00 स्वीकृत हुआ है। वर्ष 2018-19 में रु0 34147.00 एवं लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 24.12.2019 को रु0 68790.00 कुल रु0 102937.00 सामग्री पर एवं दिनांक 24.12.2019 को रु0 14500.00 श्रमांश पर कुल रु0 117437.00 व्यय किया गया है जो अनुमानित लागत का 70.92 प्रतिशत होता है। इस प्रकार 70.92 प्रतिशत व्यय के पश्चात भी कार्य पूर्ण न करके धन का दुरुपयोग किया गया है जिसका उत्तरदायित्व कार्य प्रभारी श्री शशीकान्त पाण्डेय, ए0डी0ओ0आई0एस0वी0 एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

## 9 क्षेत्र पंचायत- चकिया

### प्रस्तर-38

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयकर पर टी0डी0एस0 नहीं काटा गया है -

| क्रं. सं. | मद                  | सामग्री पर कुल व्यय | सन्निहित टी0डी0एस0 (2.24%) |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1         | विधायक निधि         | 385096.00           | 8626.00                    |
| 2         | सांसद निधि          | 548512.00           | 12287.00                   |
| 3         | राज्य वित्त         | 1860270.00          | 41670.00                   |
| 4         | सामूहिक विवाह       | 3212166.00          | 71953.00                   |
| 5         | मनरेगा प्रशासनिक मद | 1021090.00          | 22872.00                   |
|           |                     |                     | 157408.00                  |

रु0 157408.00 धनराशि के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रस्तर-39

प्रत्येक 2.50 लाख से अधिक क्रमादेश पर जी0एस0टी0 की टी0डी0एस0 कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में रु0 28642.00 जी0एस0 टी0 कटौती न कर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे। प्रकरण पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रस्तर-40

वर्ष 2019-20 अवशेष धनराशि रु0 12350310.57 वर्षांत वापस न करके अनियमित रूप से रोककर रखा गया है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### प्रारूप - 3

जनपद - गाजीपुर

संभाग - वाराणसी

1- क्षेत्र पंचायत - बिरनो

ले0प0 वर्ष - 2019-20

### प्रस्तर - 1

वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा केवल एक ही फर्म से निविदा लेकर निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

| क्रमांक | कार्य का नाम व पूर्ण पता                                                         | फर्म का नाम व पता                                                                                           | क्रय किए गए सामग्री का मूल्य (रु0) | उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पदनाम (सर्वश्री)                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                | 3                                                                                                           | 4                                  | 5                                                                         |
| 1       | गजपतपुर में मेन रोड से कमलजीत कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड (160 मी0) (राज्यवित्त) | 1. मे0 जे0पी0वाई0 ईट उद्योग अलावलपुर गाजीपुर उ0प्र0<br>2. चैधरी बिल्डिंग मैटेरियल हार्डवेयर एवं पेंट, बिरनो | 481828.00                          | 1. संदीप कुमार श्रीवास्तव (ख0वि0अ0)<br>2. ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी (लेखाकार) |

|   |                                                                                                           |                                                                        |            |                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                           | गाजीपुर                                                                |            |                                                                  |
| 2 | ग्रा0पं0 भोजापुर में फुलचन्द्र विश्वकर्मा के घर से पीच रोड तक खडन्जा मरम्मत कार्य (राज्य वित्त) (160 मी0) | 1.मे0 जे0पी0वाई0 ईट उद्योग अलावलपुर गाजीपुर उ0प्र0                     | 87980.00   | 1. श्री रामविलास (ख0वि0अ0)<br>2. ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी (लेखाकार) |
| 3 | ग्रा0पं0 चौथी महेश यादव के घर से नदी के तरफ आगे जाने वाले रास्ते पर खडन्जा कार्य। (राज्य वित्त)           | 1. मे0 जे0पी0वाई0 ईट उद्योग अलावलपुर गाजीपुर उ0प्र0                    | 227630.00  | 1. श्री रामविलास (ख0वि0अ0)<br>2. ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी (लेखाकार) |
| 4 | ग्रा0पं0 भोजापुर (मंगरा ताली) में वृद्धा आश्रम एवं अनाथालय का निर्माण कार्य (सांसद निधि)                  | 1. वी0के0 कंस्ट्रक्शन, परदहा मिल रोड, निकट के0जी0एस0जी0 बैंक मऊ उ0प्र0 | 101383.51  | 1. श्री रामविलास (ख0वि0अ0)<br>2. ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी (लेखाकार) |
|   |                                                                                                           | योग -                                                                  | 1810621.51 |                                                                  |

निर्माण कार्य हेतु कम से कम तीन फर्मों का निविदा होना चाहिए। परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता किया गया है। इसके लिए ख0वि0अ0 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, ख0वि0अ0 श्री राम विलास व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0-02)

## प्रस्तर - 2

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप यथा शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

| क्रमांक | शीर्ष का नाम      | व्यय (रु0) |
|---------|-------------------|------------|
| 1       | विधायक निधि       | 20003      |
| 2       | 13 वित्त आयोग     | 744919     |
| 3       | प्रधानमंत्री आवास | 115000     |
| 4       | प्रासंगिक मद      | 62719      |
| 5       | ब्याज             | 999885     |

व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न करना गबन की श्रेणी में आता है।

इस प्रति ख0वि0अ0 श्री राम विलास, श्री दिलीप कुमार सोनकर, श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0-03)

## प्रस्तर - 3

वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

| क्रमांक | मद          | कुल व्यय (रु0) | उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु0) | अप्राप्त अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गयी (रु0) |
|---------|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | 2           | 3              | 4                                     | 5                                            |
| 1       | राज्य वित्त | 1683495.04     | 998296.00                             | 685199.04                                    |

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास, श्री दिलीप कुमार सोनकर, श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर - 4

वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु फर्म से क्रय किए सामग्री पर आयकर की कटौती किया गया है। जबकि जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया गया है।

| क्रमांक | कार्य का नाम व पूर्ण पता                                                       | फर्म का नाम पता                   | क्रय किए गए सामग्री का मूल्य (रु0) | जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                                                                              | 3                                 | 4                                  | 5                              |
| 1       | ग्रा0पं0 भोजपुर में फुलचन्द विश्वकर्मा के घर से पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत कार्य | मे0 जे0पी0वाई ईट अलावलपुर गाजीपुर | 71980.00<br>16000.00               | 1440.00<br>320.00              |

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट हैं कि रूपए 1760.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास एवं लेखाकार ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी हैं। अतः सामान्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0-05)

## 2- क्षेत्र पंचायत - जखनिया

## ले0प0 वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 5

वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त मद की कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी गिरवाने का भुगतान कार्य प्रभारी श्री सुदर्शन यादव को नकद किया गया है जब कि कार्य पत्रावली में धनराशि का मांग पत्र ट्रैक्टर मालिक श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। अतः मिट्टी गिरवाने का सभी भुगतान श्री जितेन्द्र सिंह को एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु कुल 55058.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री सुदर्शन यादव को नकद कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सम्पत कुमार उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत है -

| कार्य का नाम धनराशि                                                                         | धनराशि   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (i) पदुमपुर मैगराय मे मेनू पाण्डेय के घर से अजय सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य।         | 21735.00 |
| (ii) ग्राम पंचायत नसरतपुर धिरजी में अशोक यादव के खेत से शंकर मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा कार्य। | 12008.00 |
| (iii) ग्राम पंचायत धामपुर ददरा में नहर पुलिया से हरिजन बस्ती तक मिट्टी खडन्जा कार्य।        | 21315.00 |
| योग -                                                                                       | 55058.00 |

अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर - 6

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य राज्यवित्त मद की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक गाँवों को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत की सीमा में कार्य कराकर शासनादेश सं0 866/ 33-2-149जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष में कराये गये समस्त कार्यों पर व्यय रु0 439700.00 की वित्तीय अयिमितता की गयी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सम्पत कुमार लेखाकार उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नांकित है -

| वर्ष में कराए गए कार्य का नाम                                                                | व्यय धनराशि |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (i) पदुमपुर मैगराय मे मेनू पाण्डेय के घर से अजय सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य।          | 249907.00   |
| (ii) ग्राम पंचायत सेमउर में यूनियन बैंक से जनार्दन के खेत तक सी0सी0 रोड कार्य।               | 983871.00   |
| (iii) ग्राम पंचायत नसरतपुर धिरजी में अशोक यादव के खेत से शंकर मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा कार्य। | 257051.00   |
| (iv) ग्राम पंचायत धामपुर में विनोद सिंह के घर से डक्का के सामने तक नाली निर्माण कार्य।       | 204127.00   |
| (v) ग्राम पंचायत धामपुर ददरा में नहर पुलिया से हरिजन बस्ती तक मिट्टी खडन्जा कार्य।           | 348252.00   |
| (vi) ग्राम पंचायत जखनियां गोविन्द में मनोज सिंह के घर से देवबन्धू के घर तक                   | 990281.00   |

|        |                                                                                                         |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | ढक्कनदार नाली व सी0सी0 कार्य।                                                                           |            |
| (vii)  | ग्राम पंचायत कबला जखनियां में मेन रोड से हरिश्चन्द्र इंटर कालेज तक इण्टरलॉकिंग कार्य।                   | 610682.00  |
| (viii) | ग्राम पंचायत सेमउर में केशव के खेत से देव बाबा के स्थान तक सी0सी0 रोड कार्य।                            | 966974.00  |
| (ix)   | ग्राम पंचायत जखनियाँ गोविन्द में सतीश के घर से ब्लाक के बाउण्ड्री तक नाली व सी0सी0 कार्य।               | 992854.00  |
| (x)    | ग्राम पंचायत रामराय में नरायण पाण्डेय के घर से राजेन्द्र सैनी के के घर तक ढक्कनदार नाली व सी0सी0 कार्य। | 835701.00  |
|        | योग -                                                                                                   | 6439700.00 |

अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-5)

### 3- क्षेत्र पंचायत - मरदह

ले0प0 वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 7

अनुदान रजिस्टर-III के अनुसार वर्ष 2019-20 में जी.एस.टी. से प्राप्त धनराशि ₹0 28726.00 तथा प्रारम्भिक अवशेष ₹0 367306.00 कुल धनराशि ₹0 396032.00 को दिनांक 31.03.2020 को जमा नहीं कराया गया है तथा रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दिलीप कुमार सोनकर व लेखाकार रवि अक्वल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 8

अनुदान रजिस्टर-III के अनुसार वर्ष 2019-20 में आयकर से ₹0 50999.00 प्राप्त हुए तथा प्रारम्भिक अवशेष ₹0 49421.00 था जो कुल धनराशि ₹0 100420.00 था जिसमें से वर्षान्त में ₹0 56258.00 जमा किया गया तथा शेष ₹0 44162.00 जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दिलीप कुमार सोनकर व लेखाकार रवि अक्वल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 4- क्षेत्र पंचायत - भावरकोल

ले0प0 वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 9

ग्राण्ट रजि0 वर्ष 2019-20 के जांच में यह पाया गया कि सांसद निधि के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में ₹0 3798904.00 व्यय दिखाया गया है जबकि पत्रावली जांच के दौरान ₹0 3127928 के ही व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख लेख परीक्षा में प्रस्तुत किये गये अंतर की धनराशि ₹0 670976 के कोई भी कार्य अथवा अन्य व्यय सम्बन्धित कोई अभिलेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक मांगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में ₹0 670976 का अपहरण कर लिया गया है जिसके जिम्मेदार लेखकार श्री हरिशंकर प्रधान व बी0डी0ओ0 श्री सुशील कुमार सिंह तथा श्री राम विलास यादव हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### 5- क्षेत्र पंचायत - करंडा

ले0प0 वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 10

आयकर अधिनियम की धारा 199 सी0 के अनुसार अनुदान कार्य एवं निर्माण कार्यों की सामग्री के भुगतानों के सापेक्ष सम्बन्धित से आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशि को भुगतान करना चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर की धनराशि के बराबर भुगतान कर/अधिकारी के ऊपर दण्ड लगाया जा सकता है। अनुदान पंजी में दिये गये विवरण के अनुसार आयकर से प्राप्त रुपया 75787/- दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोषागार भुगतान/सी0टी0आर0 अनुपलब्ध रहा। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार शोभनाथ का रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0क्र0- 03)

प्रस्तर - 11

ग्राम पंचायत मैनपुर में सुभाष यादव के घर से नन्दू दूबे के घर तक नाला निर्माण की पत्रावली के जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया श्रमांश (मजदूरी) के भुगतान हेतु जो मस्टररोल पत्रावली में लगाया गया है उस पर मात्र मिस्त्री एवं लेबर का नाम लिखकर उपस्थिति

नहीं भरी गयी है न ही किसी का हस्ताक्षर है। रु0 30450/- का मस्टररोल भरकर कार्य प्रभारी श्री आशुतोष सिंह के नाम चेक काटा गया है इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का सीधे तौर पर अपहरण किया गया है। उक्त की जिम्मेदारी सम्पूर्ण रूप से खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार शोभनाथ यादव की है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0- 07)

## 6- क्षेत्र पंचायत - कासिमाबाद

ले0प0 वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 12

ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के विवरणानुसार दिनांक-31.3.20 को कुल अन्तिम धनराशि रु0 1,51,97,543-93 में से निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 4,76,912=00 विगत वर्ष से संस्था स्तर पर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया है।

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1- विधायक निधि    | - 280055.00 |
| 2- आँगनबाड़ी      | - 167561.00 |
| 3- एनआरएलएम       | - 15600.00  |
| 4- नवयुवक मंगल दल | - 2000.00   |
| 5- 13वां वित्त    | - 11696.00  |
| योग               | - 476912.00 |

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-99 दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार वर्षान्त में उपलब्ध धनराशि को कोषागार के वैयक्तिक खाता में जमा कर दिया जाना चाहिए। फिर भी उपरोक्त धनराशि गत वर्ष की भाँति संस्था स्तर पर दर्शायी जा रही है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। इस प्रति कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 7- क्षेत्र पंचायत - बाराचवर

ले0प0 वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 13

आलोच्य वर्ष में ग्राँट रजि0 II के राज्य वित्त से दिनांक 24.01.2020 को चे0नं0 56721, 22 से रु0 66493/-- सामग्री (ईंट क्रय) एवं रु0 45414/-- मजदूरी पर भुगतान बाकीखुर्द में पिच रोड से सर्वदेव सिंह के दरवाजे तक खण्डजा कार्य पर किया गया है। परन्तु पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य का प्राक्कलन में रु0 123531 /-- सामग्री एवं रु0 36480/- मजदूरी पर है, जो वास्तविक भुगतान के विपरीत है तथा पुष्टि प्रस्तुत ईंट का कैशमेमो पक्की रसीद पर नहीं है तथा मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति के तिथि का अंकन नहीं है तथा धन प्राप्तकर्ता श्रमिकों को हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक खण्डजा कार्य दर्शित कर प्राप्त अनुदान का अपहरण ब्लाक प्रमुख प्रियंका सिंह, खण्ड विकास अधि० सुशील कुमार सिंह, अवर अभियन्ता प्रवीण कुमार एवं कार्यप्रभारी मुकेश सिंह के मिली भगत से किया गया है जिसकी सब्याज वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 14

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराकर एक ही एक ही ग्राम पंचायत के सीमा में कार्य कराकर शासनादेश सं0 866/33-2-149जी/2004 टीसी दिनांक 24 जून 2014 का उल्लंघन कर क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 10,98,086.00 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके प्रति आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उदाहरण -

आ0सं0 9 का अनुपालन

| क्रम | दिनांक   | चेक न0 | धनराशि  | कार्य का विवरण                                   | उत्तरदायी व्यक्ति                                                                     |
|------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.02.20 | 56724  | 626246  | बाराचवर पुलिस चौकी एवं गेस्ट हाउस की रंगाई-पुताई | श्री सुशील कुमार सिंह (ख०वि०अधि०) रविन्दर जायसवाल (लेखाकार) मुकेश सिंह (कार्यप्रभारी) |
|      | 02.03.20 | 56725  |         |                                                  |                                                                                       |
|      |          | 56735  |         |                                                  |                                                                                       |
|      |          | 56736  |         |                                                  |                                                                                       |
| 2    | 01.02.20 | 56726  | 471800  | बाराचवर पशु चिकित्सालय का रंगाई-पुताई            | श्री सुशील कुमार सिंह (ख०वि०अधि०) रविन्दर जायसवाल (लेखाकार) मुकेश सिंह (कार्यप्रभारी) |
|      | 02.03.20 | 56727  |         |                                                  |                                                                                       |
|      |          | 56733  |         |                                                  |                                                                                       |
|      |          | 56734  |         |                                                  |                                                                                       |
|      |          |        | 1098086 |                                                  |                                                                                       |

अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 15**

आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के निम्नांकित तिथियों में राज्य वित्त मद से ₹0 1063743/- का भुगतान निम्नांकित खड़जा एवं मिट्टी कार्य पर किया गया दर्शित है। परन्तु बार-बार माँगे जाने एवं पत्राचार के बाद भी उनसे सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट II में काल्पनिक मिट्टी/खड़जा कार्य दर्शित कर प्राप्त अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती प्रियंका सिंह, खण्ड विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह एवं लेखाकार रविन्दर जायसवाल उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यय की गयी अनुदान राशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

| क्रम | दिनांक   | चेक न0 | मद      | धनराशि  | विवरण                                                          |
|------|----------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | 09.09.19 | 18211  | सामग्री | 416619  | गौरतियरा नहर की पुलिया से जे.पी. यादव के भट्ठा तक खड़जा कार्य। |
| 2    | 09.09.19 | 18212  | मजदूरी  | 158782  |                                                                |
| 3    | 16.12.19 | 18219  | सामग्री | 406442  | बाराचवर पिच रोड से हृदय नारायन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग।       |
| 4    | 16.12.19 | 18220  | मजदूरी  | 81900   |                                                                |
|      |          |        |         | 1063743 |                                                                |

**8- क्षेत्र पंचायत - सैदपुर**

**ले0प0 वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 16**

सामुहिक विवाह योजना से सम्बन्धित परियोजना के अंतर्गत ₹0 268565.00 से आय एवं रूपया 417753.00 से व्यय का विवरण अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार दर्शित हैं। लेखा परीक्षा में सामूहिक विवाह योजना से सम्बन्धित पत्रावली / लाभार्थियों का चयन एवं प्रत्येक लाभार्थी के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**9- क्षेत्र पंचायत - देवकली**

**ले0प0 वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 17**

वित्तीय वर्ष 2019-20 क्षेत्र पंचायत देवकली, गाजीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आयी जिसका विवरण निम्नवत है -

| क्रम | कार्य का नाम                                                                                                              | सामग्री         | श्रमांश | योग    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 1    | देवचन्दपुर में पिच रोड निर्माण भवानी माई मंदिर से शमशेर सोनकर, दुलार सोनकर के घर तक।                                      | 91754           | 36420   | 128174 |
| 2    | दुवैथा में खड़जा से उदई बाबा की चौकी होते हुए इंटरलॉकिंग तक खड़जा कार्य।                                                  | 183739          | 52740   | 236479 |
| 3    | ग्राम पंचायत तुरना में माइनर से आलमपुर रामफेर के दुकान तक खड़जा कार्य।                                                    | 154612          | 48300   | 202912 |
| 4    | टोडरपुर पिचरोड से सुभाष के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य।                                                                      | 202566          | 67920   | 270486 |
| 5    | ग्राम पंचायत कुसुमही खुर्द में अनवर के खेत से राजेन्द्र बिन्द के मशीन तक मिट्टी खड़जा कार्य।                              | 297402          | 95220   | 392622 |
| 6    | ग्राम पंचायत पौटा में मुख्य खड़जा से अमरनाथ के घर से मिश्री प्रजापति के खेत तक खड़जा एवं पुलिया निर्माण तक ढक्कनदार नाली। | 198607<br>64310 | 95220   | 392622 |
| 7    | ग्राम पंचायत सोनहली में रवींद्र के घर से सैयद बाबा के मजार                                                                | 201495          | 68250   | 269745 |



|    |                                                                                                                                                     |                         |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
|    | तक मिट्टी खड़जा कार्य।                                                                                                                              |                         |         |         |
| 8  | ग्राम पंचायत बड़हरा में पिचरोड से योगेंद्र यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।                                                                         | 71736<br>42587<br>81920 | 31500   | 227743  |
| 9  | ग्राम पंचायत नैसारा में एन0एच0- 29 से सदरु के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।                                                                      | 32602<br>26911<br>71680 | 22290   | 153483  |
| 10 | ग्राम पंचायत छपरा में पिचरोड से राम राय यादव के घर तक खड़जा मरम्मत।                                                                                 | 76965                   | 54270   | 131235  |
| 11 | मकसूदपुर हथिनी में पिचरोड से मंगला दुदास के घर तक खड़जा मरम्मत।                                                                                     | 67763                   | 69540   | 137303  |
| 12 | राजापुर उर्फ आगापुर में पिचरोड से रामू शाखा के घर तक खड़जा कार्य।                                                                                   | 129318                  | 43050   | 172368  |
| 13 | ग्राम पंचायत माँझा में पिचरोड से बलली कुशवाहा के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य।                                                                          | 155148                  | 52500   | 207648  |
| 14 | ग्राम पंचायत खानकाह में हवलदार यादव के घर से राकेश के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य।                                                                     | 119280                  | 82140   | 201420  |
| 15 | महमूदपुर हथिनी में आगापुर पिचरोड से रामराज कुशवाहा के दरवाजे होते हुए रहमान खा के घर होते हुए रहमान खान के घर होते हुए फारुखा के घर तक खड़जा कार्य। | 133738                  | 87150   | 220888  |
| 16 | मूडरमा में लिंक रोड से संजय यादव के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य।                                                                                       | 67357                   | 23910   | 91267   |
| 17 | ग्राम पंचायत सरैला में इन्टरलाकिंग से बसुदेव के मशीन तक मिट्टी खड़जा कार्य ।                                                                        | 172410                  | 61950   | 234360  |
| 18 | ग्राम पंचायत देवचन्दपुर में पिचरोड से सीताराम कुशवाहा के मकान तक मिट्टी खड़जा।                                                                      | 168084                  | 57180   | 225264  |
| 19 | ग्राम पंचायत खिजिरपुत में सूरत व मूरत यादव के घर से प्रा0वि0 तक मिट्टी खड़जा कार्य।                                                                 | 120954                  | 40470   | 161424  |
| 20 | ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में पिचरोड से खड़जा तक खड़जा कार्य।                                                                                          | 144931                  | 45390   | 190321  |
| 21 | ग्राम पंचायत नारीपचदेवरा में चोचकपुर माँझा पिचरोड से सुगीव यादव के घर तक खड़जा कार्य।                                                               | 46738                   | 17850   | 64588   |
| 22 | ग्राम पंचायत रसूलपुर पचरसी से नहरपुर अरविन्द यादव के स्कूल तक खड़जा कार्य।                                                                          | 155148                  | 49350   | 204498  |
| 23 | शंकर चौहान के भट्ठा से तराव संपर्क मार्ग पर दशरथ के मकान के पास पुलिया निर्माण।                                                                     | 73657<br>88568          | 66150   | 228375  |
|    | योग -                                                                                                                                               | 3441980                 | 1244370 | 4686350 |

उपरोक्त व्यय रूपया 4686350.00 के सम्बन्ध मे निम्न आपत्तियाँ हैं-

- 1- समस्त कार्य एकल ग्राम पंचायत में करवाये गये हैं। जबकि क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली योजना है।
- 2- कार्यपत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा।
- 3- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सृजित परिसम्पत्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं किया गया है। पत्रावली में हस्तांतरण सम्बन्धी प्रपत्र नहीं रहा।
- 4- क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदा निर्गत करने एवं क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में नहीं करके कार्यप्रभारी को किया गया जो नियमों के विपरीत हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में रूपया 4686350.00 के व्यय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके अनियमितता की गयी है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 18**

लेखा परीक्षा वर्ष 2019 20 मे राज्य वित्त मद में रुपया 981998.00 में से मात्र 947928.00 की पत्रावली प्रस्तुत की गई शेष रुपया 34070.00 का बार बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है की उक्त धनराशि के सापेक्ष संस्था के पास कोई व्यय प्रमाणक मौजूद नहीं है। उक्त धनराशि रुपये 34070.00 संस्था द्वारा अनियमित भुगतान किया गया जिसके लिए लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 19**

विधायक निधि मद में दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 553198.00 से संबंधित कोई अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि मदवार विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 20**

सांसद निधि मद में दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 581732.00 से संबंधित कोई अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि मदवार विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 21**

इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 20285.00 से संबंधित कोई अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि मदवार विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 22**

प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 74354.00 से संबंधित कोई अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि मदवार विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 23**

आलोच्य वर्ष मे सामग्री क्रय भुगतान पर रुपए 41692.00 की जी एस टी कटौती कर राजकोष में जमा किया जाना दर्शित है परंतु जमा का कोई भी चालान एवं दाखिल रिटर्न पुष्टिपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अतः दर्शित जमा धनराशि अपुष्टित रही। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 24**

आलोच्य वर्ष में आयकर मद में काटी गयी धनराशि ₹0 41695.00 को में राजकोष में जमा करना दर्शित किया गया इससे संबंधित जमा ट्रेजरी चालान की प्रति एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत कर जमा की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः दर्शित जमा धनराशि अपुष्टित रही। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 25**

इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 20285.00 से संबंधित कोई अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि मदवार विवरण के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन अनियमित रहा। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 26**

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुपए 373330.00 प्रारंभिक शेष एवं 480000.00 रुपए प्राप्त दर्शित है जिसके सापेक्ष रुपए 93380.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त धन के व्यय की पुष्टि अपुष्ट रही। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 27

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुपए 373330.00 प्रारंभिक शेष एवं 480000.00 रुपए प्राप्त दर्शित है जिसके सापेक्ष रुपए 93380.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त धन के व्यय की पुष्टि अपुष्ट रही। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 28

निराश्रित गोवंश भरण पोषण मद में रुपए 100000.00 दर्शित हैं जो कि वर्ष में रुपए 388200.00 व्यय किया गया है यह व्यय धनराशि कितने पशुओं पर किस दर से व्यय की गई है इसका कोई अभिलेख / विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी निराश्रित गोवंश भरण पोषण पर व्यय धनराशि अपुष्ट रही। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 11- क्षेत्र पंचायत - भदौरा

ले0प0 वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 29

निम्न विवरण के अनुसार 31.03.2020 को धनराशिया व्यय हेतु शेष रही।

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| ऑगनबड़ी केंद्र दलपतपुर | - | 2780.00     |
| अन्य भत्ता             | - | 8500.00     |
| राज्य वित्त आयोग       | - | 1017235.00  |
| विधायक निधि            | - | 791297.00   |
| गोवंश आश्रय स्थल       | - | 5000.00     |
| योग                    | - | 10979927.00 |

इस धनराशि को आलोच्य वर्ष में न तो व्यय किया गया है और न ही संबंधित अनुदान दाता को वापस किया गया है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 12- क्षेत्र पंचायत - सादात

ले0प0 वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 30

वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत करके आंशिक पत्रवाली ही प्रस्तुत की गयी। विवरण निम्नांकित है -

| क्रमांक | मद          | कुल व्यय (रु0) | उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गई (रु0) | अप्राप्त अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई (रु0) |
|---------|-------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | राज्य वित्त | 3445076.26     | 2056532.00                           | 1388544.27                                  |

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल, श्री धर्मेश चंद एवं श्री गोपाल यादव तथा तत्कालीन लेखाकार श्री बृजपाल सिंह एवं श्री मनोज सिंह उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 31

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित शीर्ष व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

| क्रमांक | शीर्ष            | व्यय (रुपये) |
|---------|------------------|--------------|
| 1       | प्रशासनिक मद     | 307509.00    |
| 2       | चौदहवाँ वित्त    | 14476.00     |
| 3       | अन्य प्राप्तियाँ | 400000.00    |
|         | योग -            | 721985.00    |

इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल, श्री धर्मेश चंद्र, श्री गोपाल यादव व लेखाकार श्री बृजपाल सिंह एवं श्री मनोज उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकविभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 32

वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु फ़र्मों से क्रय किए गये सामग्री पर जी एस टी दर 2% की कटौती नहीं किया गया। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। विवरण निम्नांकित है -

| क्रमांक | कार्य का नाम व पूर्ण पता                                                                              | फर्म का नाम व पता                                        | क्रय किए गये सामग्री का मूल्य (रु.) | जी एस टी की धनराशि @2% नहीं की गयी |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1       | कनेरी मे जयपन राजभर के घर से गौरा हीराराम के दुकान तक मिट्टी खंडजा कार्य                              | कनीज फातिमा ईट उद्योग, एकावस पट्टी, भीतरी, गाजीपुर       | 452925.90                           | 9058.00                            |
| 2       | विकास खण्ड कार्यालय के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख के चेम्बर मे टाइल्स एवं अन्य कार्य | लक्ष्मी स्टील गाजीपुर, प्रिंस इंटरप्राइसेस कनेरी गाजीपुर | 116284.50<br>2326.00                | 2326.00<br>1236.00                 |
|         |                                                                                                       | योग -                                                    | 630360.90                           | 12647.00                           |

उक्त आंकड़ा से स्पष्ट है कि रु. 12647.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेश चंद्र, गोपाल यादव व लेखाकार श्री बृजपाल सिंह उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत -जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2018-19

(1)

(2) प्रस्तर-1

क्षेत्र पंचायत- जलालपुर जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2016195.00 का भुगतान श्रमांश के रूप में किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्रम संख्या | दिनांक   | चेक संख्या | धनराशि     | प्राप्तकर्ता/कार्य प्रभारी का नाम |
|-------------|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1           | 09.07.18 | 6341       | 75425.00   | दयाशंकर पटेल                      |
| 2           | 09.07.18 | 6345       | 52325.00   | रामभरत राम                        |
| 3           | 09.07.18 | 6347       | 73150.00   | दयाशंकर पटेल                      |
| 4           | 09.07.18 | 6350       | 103075 .00 | दयाशंकर पटेल                      |
| 5           | 09.07.18 | 6352       | 106400.00  | अजय कुमार                         |
| 6           | 09.07.18 | 6357       | 75425.00   | अमलेश चौबे                        |
| 7           | 10.08.18 | 6360       | 135450.00  | अजय कुमार                         |
| 8           | 14.08.18 | 14382      | 159795.00  | सरला गौड़                         |
| 9           | 14.08.18 | 14385      | 63700.00   | रामभरत राम                        |
| 10          | 14.08.18 | 14387      | 43050.00   | रामभरत राम                        |
| 11          | 14.08.18 | 14391      | 35175.00   | रामभरत राम                        |
| 12          | 14.08.18 | 14393      | 119175.00  | अमलेश चौबे                        |
| 13          | 14.08.18 | 14398      | 88375.00   | अमलेश चौबे                        |
| 14          | 31.10.18 | 15107      | 92400.00   | शैलेन्द्र कुमार सिंह              |
| 15          | 31.10.18 | 15110      | 135100.00  | शैलेन्द्र कुमार सिंह              |
| 16          | 07.02.19 | 15119      | 137725.00  | रामभरत राम                        |
| 17          | 20.01.19 | 15115      | 105535     | शैलेन्द्र कुमार सिंह              |
| 18          | 18.03.19 | 16704      | 59325.00   | रामभरत राम                        |
| 19          | 18.03.19 | 16707      | 49700.00   | रामभरत राम                        |
| 20          | 24.03.19 | 16715      | 68600.00   | रामभरत राम                        |

|    |          |       |            |            |
|----|----------|-------|------------|------------|
| 21 | 24.03.19 | 16717 | 81900.00   | रामभरत राम |
| 22 | 07.02.19 | 16701 | 169400     | रामभरत राम |
|    |          | योग-  | 2016195.00 |            |

उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी-

1. श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी को किया गया।
2. पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल क्रमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
3. मस्टररोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।
4. कार्य पर लगे मजदूर किस ग्राम के हैं का भी उल्लेख मस्टररोल में नहीं है।
5. श्रमांश भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।
6. पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा की उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये मजदूरी भुगतान में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-6)

## प्रस्तर-2

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 1-एवं शा०सं० ए-1-864/दस-08-15(1) 86-दिनांक 2-09-2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए टेंडर (रु एक लाखसे अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में रु0 7304319.00 की सामग्री क्रय की गई किन्तु क्षेत्र पंचायत अभिलेखों/पत्रवलियों के अवलोकन से स्पष्ट है की टेंडर प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता होने के साथ-साथ इससे संस्था को होने वाले लाभ से वंचित किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) 2016शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी० 2010 (दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने की ओर वभिगीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा0आ0सं0-16)

## प्रस्तर-3

दिनांक-31.03.2019 को ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार रु0 4177951.00 अवशेष है। जबकि प्रस्तुत बैंक खातों के अनुसार 31.03.2019 को अन्तिम अवशेष रु0 5496859.00 है। जिसका विवरण निम्न है-

| बैंक का नाम           | खाता संख्या     | धनराशि         |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010022397 | 878419         |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010075553 | 43285          |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010002703 | 2039           |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010028137 | 1174927        |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010088710 | 325267         |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010075257 | 1554043        |
| गोमती ग्रामीण बैंक    | 341702010089814 | 117400         |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 34170201004954  | 1253996        |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 34170201004617  | 147483         |
|                       |                 | योग-5496859.00 |

इस प्रकार अन्तर धनराशि 1318908.00 का समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। जिससे अन्तर धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत बैंक खाते किस योजना के अंतर्गत संचालित हैं, चिन्हित नहीं किया गया हैं। जिससे योजनावार अवशेष धनराशि एवं सम्बन्धित बैंक खाते में अवशेष धनराशि की जांच नहीं हो सकी। योजनावार संचालित खातों को चिन्हित करके अन्तर समाधान विवरण पत्र बनाकर उचित साक्ष्यों के आधार पर लेखा पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके लेखाकार द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति उदासीनता बरती गयी हैं। जिससे किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

## प्रस्तर-4

आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 ब के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष. 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। ऐसा किए जाने से विफल रहने से पर आहरण वितरण अधिकारी पर न कटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 7304319.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 163617.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु कटौती नहीं की गई। इस प्रकार रु0 163617.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 163617.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

#### प्रस्तर-5

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार दिनांक.18.10.2018 से 31.03.2019 तक रु0 3421352.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु0 68427.00 की जी0एस0टी0 कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु रु0 59898.00 की कटौती की गई। इस प्रकार रु0 8529.00 की जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 8529.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं019)

#### प्रस्तर-6

लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 59898.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष में जमा की पुष्टि से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 59898.00 सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 59898.00 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

#### प्रस्तर-7

वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार दिनांक.18.10.2018 के पूर्व रु0 3882967.00 की सामग्री क्रय की गयी किन्तु उसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से वैट रु0 155319.00 की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु कटौती नहीं की गई। इस प्रकार रु0 155319.00 की वैट कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 155319.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21)

#### प्रस्तर-8

अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान रु0 10011795.00 उपभोग किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र रु0 9334515.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। इस प्राकर 677280.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। व्यय की पुष्टि कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-22)

### क्षेत्र पंचायत -केराकत जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-9

क्षेत्र पंचायत- केराकत जनपद जौनपुर की वर्ष की लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित/नियमों का उलंघन है। जबकि सभी श्रमिकों के बैंक खाते मनरेगा/प्रधानमंत्री योजना के तहत खुलवाये गये हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                       | मजदूरी की धनराशि | चेक संख्या/दिनांक  | कार्य प्रभारी/भुगतान प्राप्तकर्ता |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1        | ग्रा०पं० सरायवीरू से समशेर सिंह के घर तक मिट्टी/खड़जा                              | 22400.00         | 000167/19.06.2019  | श्री हरीलाल ग्रा०वि० अधि०         |
| 2        | पुरनपुर में बहादुर प्रजापति के घर से बनवारी प्रजापति के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य । | 28000.00         | 0001666/19.06.2019 | श्री रमेश कुमार यादव स०वि०अधि०    |
| 3        | गोबरा पिच रोड रमेश यादव के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य।                               | 32949.00         | 032935/10.07.2019  | श्री रामप्रकाश स०वि०अधि०          |
| 4        | नाऊपुर मुसहर बस्ती से शंकर राजभर के मकान तक मिट्टी/खड़जा कार्य।                    | 41450.00         | 00172/26.06.2019   | श्री प्रवीण कुमार ग्रा०वि० अधि०   |
| 5        | नाऊपुर फुल्लन पोखरा से अभिमन्यु शर्मा के घर तक खड़जा कार्य।                        | 49475.00         | 000/26.06.2019     | श्री प्रवीण कुमार ग्रा०वि० अधि०   |
|          | योग-                                                                               | 184667.00        |                    |                                   |

(सा०आ०सं०-25)

#### प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एवं 13 वां वित्त से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावलियों में सामग्री क्रय की कुल धनराशि 2691797.00 के सापेक्ष आयकर अधिनियम 1961 संशोधित दर-194 सी के अनुसार अनुदानों पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती 2.24 की दर से रुपया 60296.00 होता है। परंतु संस्था द्वारा 40518.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार अन्तर रुपया 19778.00 कटौती कम की गयी है। जी०एस०टी० 2017 की धारा-51 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से 53836.00 होता है। परंतु संस्था द्वारा 36158.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार अन्तर रुपया 17678.00 कम कटौती की गई है। इस प्रकार आयकर 19778.00 एवं जी०एस०टी० 17678.00 कुल धनराशि रु० 37456.00 की कटौती एवं राजकीय कोष में न जमा कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश एवं लेखाकार श्री वीरेंद्र प्रताप दीक्षित संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-26)

#### प्रस्तर-11

मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यों के सापेक्ष रुपया 4277934.00 एवं प्रशासनिक मद में रु० 528803.00 कुल रुपया 4806737.00 दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः उक्त दर्शित व्यय की समीक्षा नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

#### प्रस्तर-12

लेखा परीक्षा वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रुपया 1032560.00 दर्शित किया गया है। जिससे सम्बन्धित आधी अधूरी पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयीं। जिससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। सामूहिक विवाह योजना से सम्बन्धित मार्ग निर्देशन पत्र, विवरण/अभिलेख प्रस्तुत कर दर्शित की पुष्टि नहीं करायी गयी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

#### प्रस्तर-13

निम्न विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में विभाग योजनाओं के अंतर्गत धनराशि व्यय दर्शित की गयी। इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अभिलेख प्रस्तुत कर व्ययों की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अतः उक्त धनराशि की उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

|    |                        |                   |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | एस०बी०एम० मद की धनराशि | 207379.00         |
| 2. | गोवंश आश्रय स्थल       | 1195600.00        |
| 3. | भीमराव अम्बेडकर जयन्ती | 1000.00           |
|    | योग-                   | <u>1403979.00</u> |

(सा०आ०सं०-23)

## क्षेत्र पंचायत-धर्मापुर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-14

क्षेत्र पंचायत- धर्मापुर जौनपुर वर्ष-2019-20 के ऑडिट में रु0 6000.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये कार्यवाही अपेक्षित है ।

1-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशासनिक मद से दिनांक 04-10-2019 एवं 01-11-2019 को चेक सं0 12040565 एवं 12040572 से श्री अजय प्रताप यादव को तीन माह का वाहन कराया रु0 51000.00 भुगतान है। जबकि बी0डी0ओ0 कार्यालय के पत्रांक-428/10-08-2019 से प्राप्त कोटेशन एवम तुलनात्मक विवरण जांच में वाहन संख्या यू0पी0 62 ए0जेड0 6467 वाहन मालिक श्री अजय प्रताप का 15000.00 माह से कोटेशन स्वीकृत है। इस प्रकार तीन माह का वाहन किराया (18-07-2019 से 17-09-2019 तक का एवं अक्टूबर 2019 ) रु0 45000.00 भुगतान किया जाना था। रु0 6000.00 की वसूली बी0डी0ओ0 श्री शकुन्तला सिंह एवं लेखाकार श्री हरिश्चंद्र मोर्य से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । (सा0आ0सं0-02 )

## क्षेत्र पंचायत-मुँगराबशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-15

क्षेत्र पंचायत- मुँगराबशाहपुर जिला जौनपुर वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आया है ।

1-आलोच्य वर्ष-2019-20 में कराये गये कार्यों पर रु0 1157402.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्न अपत्तियाँ हैं -

क- मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में नहीं कर कार्य प्रभारी को किया गया है।

ख- पत्रावली में संलग्न मास्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

ग- पत्रवाली में संलग्न मास्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि मास्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

घ- मास्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि पत्रावली को अपूर्ण रखकर श्रमांश/मजदूरी रु0 1157402.00 के भुगतान में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री पीयूष सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेंद्र सिंह तथा अवर अभियंता उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

### प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष में संस्था के ग्रांट रजिस्टर के अनुसार 31-03-2020 को जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 82199.00 अवशेष दर्शित है। किन्तु जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया जाना जी0एस0टी0 एक्ट 2017 के धारा 51 के अनुसार अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेंद्र सिंह उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

## क्षेत्र पंचायत-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-17

क्षेत्र पंचायत- मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में अंकन रु 95264.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया है ।

आयकर नियमावली 1961 यथा संशोधित 194(सी) के अनुसार अनुदान से कराये जाने वाले कार्य से टी0डी0एस0 कटौती के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए और कटौती की गयी धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा रु 0 50329.00 की आयकर की कटौती(2.24%) की दर से की गयी है । किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा से सम्बन्धित चालान/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जमा धनराशि की पुष्टि न हो सकी। धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसके लिए संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री जायेश कुमार सिंह और लेखाकार श्री कृष्ण कुमार भास्कर उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

### प्रस्तर-18

अनुदान से कराये जाने वाले कार्य से जी0एस0टी0 कटौती के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए और कटौती की गयी धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में कराये गए कार्यों के सापेक्ष रु0 44935.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा से सम्बन्धित चालान/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जमा धनराशि की पुष्टि न हो सकी। धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके



लिए संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री जायेश कुमार सिंह और लेखाकर श्री कृष्ण कुमार भास्कर उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

## क्षेत्र पंचायत- मछलीशहर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-19

क्षेत्र पंचायत- मछलीशहर जिला जौनपुर वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में अंकन रु0 140253.00 गम्भीर प्रकरण उद्घाटित हुए हैं। आलोच्य वर्ष-2019-20 में कराये गये कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के भुगतान से आयकर नहीं काटा गया है। जो वर्ष में कुल भुगतान रु0 3231257.00 का 2.24 प्रतिशत की दर से 72380.00 होता है। आयकर कटौती न कर अनिमितता बरती गयी तथा राजस्व की हानि की गयी। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं लेखाकार श्री शकील अहमद अन्सारी व श्री विरेन्द्र कुमार सिंह हैं। हानि की प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है

(सा0आ0सं0-03)

### प्रस्तर-20

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कराए गए कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के भुगतान से धनराशि रु0 66873.00 वाणिज्य कर कटौती की गयी है। जिसे समयान्तर्गत जमा किया जाना चाहिये। परन्तु रोककर अनियमितता बरती गयी है। जिसके उत्तरदायी श्री राजनराय खण्ड विकास अधिकारी श्री शकील अहमद, श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, लेखाकार हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

### प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष में कार्यों के सामग्री क्रय हेतु प्रकाशित हुए विज्ञापन के पश्चात प्रति टेण्डर फार्म रु0 500 की दर से 6 फर्म बिक्री से धनराशि रु0 3000.00 प्राप्त हुआ। जिसमें से ग्राण्ट रजिस्टर-02 में रु0 2000.00 ही जमा दर्शित हैं। अन्तर रु0 1000.00 जमा न कर अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी श्री राजनरायन खण्ड विकास अधिकारी श्री शकील अहमद, श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, लेखाकार हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

## क्षेत्र पंचायत- सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-22

क्षेत्र पंचायत - सुजानगंज जिला जौनपुर की वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आया है। आलोच्य वर्ष-2019-20 में कराये गये कार्यों के श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है-

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                                                    | धनराशि | उत्तरदायी प्रभारी                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 1        | ग्राम पंचायत तरसांव मे मेनरोड से पारसनाथ के घर तक इन्टर लॉकिंग , कार्य                          | 29534  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 2        | तरसांव में महेंद्र के घर से पन्नालाल के घर तक इन्टर लॉकिंग                                      | 38044  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 3        | तरसांव में उमाशंकर के घर से में रोड तक इन्टर लॉकिंग                                             | 63436  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 4        | तरसांव में बड़ी नहर से पन्नालाल के घर तक इन्टर लॉकिंग                                           | 84566  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 5        | साड़ीकला में पिचरोड़ से शोभनाथ के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य                                      | 63414  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 6        | ग्राम पंचायत रयां , (मोहरियांव) अनिरुद्ध सिंह के घर से उमाशंकर पटेल के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य | 52924  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0                |
| 7        | ग्राम पंचायत तरसांव मे विश्वकर्मा बस्ती से सरायभोगी बाईर तक मिट्टी खड़जा/                       | 51468  | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0, ग्रा0वि0 अधि0 |
| 8        | ग्राम पंचायत भिखारी थलोई में रोड से भिखारी पुर शहर तक मि0/ख0                                    | 43868  | संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0 अधि0             |
| 9        | ग्राम पंचायत दान मे समरबहादुर के चक से पंचायत भवन तक मि0/सोलिंग कार्य                           | 40138  | गिरीश चंद्र शुक्ला ग्रा0वि0 अधि0        |

|    |                                                                                       |           |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 10 | ग्राम पंचायत हिम्मतनगर से नन्हे खान के चक से विश्वकर्मा बस्ती तक मि/0खण्ड             | 52492     | संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0 अधि0 |
| 11 | ग्राम पंचायत तरसांव में श्यामबहादुर के घर से भुवाल के तक इन्टर लॉकिंग कार्य           | 21104     | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0    |
| 12 | विकास खंड परिसर में रंगाई पुताई एवं सौन्दरिकरण-                                       | 102330    | संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0 अधि0 |
| 13 | ग्राम पंचायत फरीदाबाद में मुशहर का पुरा खड्जे से प्रहलाद शोभनाथ के चक तक सोलिंग कार्य | 51464     | सत्यप्रकाश ग्रा0वि0 अधि0    |
| 14 | ग्राम पंचायत पराहित में मेनरोड से वीर बहादुर के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य              | 33716     | संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0 अधि0 |
| 15 | ग्राम पंचायत बाय में मेनरोड से भगत यादव के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य                   | 84618     | संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0 अधि0 |
|    | योग-                                                                                  | 773078.00 |                             |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष-2019-20 में कुल रु0 773078.00 का भुगतान चेक द्वारा कार्य प्रभारियों को किया गया है। जबकि निर्माण कार्य करने वाले समस्त मजदूरों का मनरेगा एवं अन्य योजना के तहत बैंक खाते खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के तहत प्रत्येक मजदूर के खाते में मजदूरी की धनराशि ट्रांसफर की जानी चाहिए। ऐसा न करके कार्य प्रभारी को भुगतान किया जाना पूर्ण रूपेण मजदूरी भुगतान में अनियमितता होना दर्शाता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार श्री दिनेश कुमार गुप्ता एवं कार्य प्रभारी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह की बराबर-बराबर होती है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

### क्षेत्र पंचायत- बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-23

क्षेत्र पंचायत- बरसठी जनपद जौनपुर की वर्ष की लेखा परीक्षा में अंकन रु0 193550.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया । जिसमें आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है :-

मस्टर रोल की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारियों को :-वर्ष 2019-20 में रु 0 193550.00 की धनराशि का मस्टर रोल द्वारा अनियमित रूप से मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया दर्शित है । जबकि मजदूरी का भुगतान प्रत्येक श्रमिक के बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए (जैसा की कार्य प्रभारी को निर्गत प्रत्येक आदेश में क्रम सं0 10 पर अंकित है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उनके संबंधित खातों में निर्धारित दर से किया जाएगा। निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खंड कार्यालय से निर्गत नहीं है । उक्त के लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, राजन राय तत्कालीन अवर अभियंता, लेखाकार, श्री राज कुमार पांडे कार्य प्रभारी एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना यादव का समान रूप से उत्तरदायी है । अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य प्रभारीवार मस्टर रोल द्वारा मजदूरी भुगतान की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :

| क्रमांक | नाम कार्य प्रभारी                        | भुगतान कि गयी धनराशि |
|---------|------------------------------------------|----------------------|
| 1       | श्री अंकित काबरा ए0डी0ओ0(सी0)            | 83825.00             |
| 2       | श्री अरुण कुमार पटेल ग्राम विकास अधिकारी | 67550.00             |
| 3       | श्री गोपी राम सरोज ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)    | 12950.00             |
| 4       | श्री आकाश कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी | 29225.00             |
|         | योग                                      | 193550.00            |

(सा0आ0सं0-03)

### क्षेत्र पंचायत- मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-24

क्षेत्र पंचायत- मुफ्तीगंज जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को किया गया है । जो अनियमित/नियमों का उल्लंघन है। जबकि सभी श्रमिक के बैंक खाते मनरेगा /प्रधानमंत्री योजना के तहत खुलवाये गये हैं। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | कार्य का नाम                                           | मजदूरी की धनराशि | चेक संख्या/दिनांक | कार्यप्रभारी/भुगतान प्राप्तकर्ता      |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1       | विकास खंड परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य                   | 99925.00         | 009196/01-08-2019 | श्री सुनील यादव                       |
| 2       | विकास खंड परिसर में पेंटिंग रंगाई पोताई कार्य          | 120925.00        | 120925/01-08-2019 | श्री सुनील यादव                       |
| 3       | विकासखंड परिसर में कार्यालय एवं हाल में टाइल्स निर्माण | 148050.00        | 009198/01-08-2019 | श्री प्रदीप कुमार ग्राम विकास अधिकारी |
|         | योग                                                    | 368900.00        |                   |                                       |

अतः उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-23)

#### प्रस्तर-25

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त एवं तेरहवाँ वित्त से संबंधित चार पत्रावलियों में संरक्षित सामग्री क्रय की कुल धनराशि 1940126.00 के सापेक्ष न जी०एस०टी० की कटौती की गयी है। न ही आयकर की कटौती की गयी है। आयकर अधिनियम 1961 यथा संसोधित धारा-194 सी के अनुसार अनुदान पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती कर आयकर की धनराशि को समयान्तर्गत निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार लेखा परीक्षा के अनुसार कुल सामग्री व्यय रुपया 1940126.00 के सापेक्ष जीएसटी एक्ट 2017 की धारा -51 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से 38803.00 एवं आयकर 2.24 की दर से रुपया 43459.00 की कटौती एवं सम्बन्धित शीर्ष/राजकीय कोष में जमा न कर अनियमितता की गई हैं। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं लेखाकार श्री निलेश श्रीवास्तव संयुक्त रूप जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

#### प्रस्तर-26

मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यों के सापेक्ष रुपया 4277934.00 एवं प्रशासनिक मद में रु० 528803.00 कुल रुपया 4806737.00 दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः उक्त दर्शित व्यय की समीक्षा नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

#### प्रस्तर-27

लेखा परीक्षा वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रु० 2075235.00 दर्शित किया गया है। जिससे सम्बन्धित मात्र एक पत्रावली आधी अधूरी प्रस्तुत की गयी जिससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। सामूहिक विवाह योजना से सम्बन्धित मार्ग निर्देशन पत्र, विवरण/अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-20)

#### प्रस्तर-28

आलोच्य वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित धनराशियां व्यय दर्शित है। इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं रहा। फलतः दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख प्रस्तुत कर व्ययों की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

1. डा०भीमराव अम्बेडकर समारोह 3000.00
2. प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 643645.00
3. अस्थायी गोवंश स्थायी स्थल 700000.00

योग- 13,46,645.00

(सा०आ०सं०-21)

### क्षेत्र पंचायत-डोभी जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-29

क्षेत्र पंचायत- डोभी जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा में 13वां वित्त के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में रु० 173632.00, निष्प्रयोज्य अवशेष के रूप में खाते में रोक कर रखी गयी है। या तो इसे अनुदानदाता/सरकार को वापस किया जाना चाहिए था अथवा सम्बन्धित मद के

उद्देश्यानुसार उपभोग किया जाना चाहिए था | परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है | विभागीय अधिकारियों का ध्यान त्वरित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। (सा0आ0सं0-0)

#### प्रस्तर-30

बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में रु0 9733.00, निष्प्रयोज्य अवशेष के रूप में खाते में रोक कर रखी गयी है | या तो इसे अनुदानदाता/सरकार को वापस किया जाना चाहिए था अथवा सम्बंधित मद के उद्देश्यानुसार उपभोग किया जाना चाहिए था | परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है | विभागीय अधिकारियों का ध्यान त्वरित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।(सा0आ0सं0-0)

#### प्रस्तर-31

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 8093272.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 181289.00 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी थी किन्तु मात्र 7180.00 रु0 की कटौती की गई | रु0 174109.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करना तथा कटौती योग्य समस्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। रु0 181289.00 की वसूली करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-0)

#### प्रस्तर-32

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 8093272.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से रु0 161865.00 की जी0एस0टी0 कटौती की जानी थी किन्तु मात्र 7180.00 रु0 की कटौती की गई | रु0 154685.00 की जी0एस0टी0 कटौती न करना तथा कटौती योग्य समस्त धनराशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। रु0 161865.00 की वसूली करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-0)

### क्षेत्र पंचायत -रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-33

क्षेत्र पंचायत- रामनगर जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 अनुदान पंजिका के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 1304055.44 एवं वर्ष-2019-20 में 2640172.93 व्यय किया गया किन्तु बार-बार मांगोपरांत भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' से सम्बंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहीं। जिससे सम्बंधित तथ्यों की जाँच नहीं की जा सकी | परिणाम स्वरूप वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है | ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

#### प्रस्तर-34

2-अनुदान पंजिका के अनुसार प्रधानमंत्री/इंदिरा आवास प्रशासनिक मद के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 2464000.00 एवं वर्ष-2019-20 में 5311291.64 व्यय किया गया किन्तु बार-बार मांगोपरांत भी प्रधानमंत्री/इंदिरा आवास प्रशासनिक मद से सम्बंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहीं। जिससे सम्बंधित तथ्यों की जाँच नहीं की जा सकी | ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

#### प्रस्तर-35

3-बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में रु0 4843.00 पिछले वर्षों से अवशेष के रूप में चला आ रहा है, जो उपभोग नहीं किया गया है। नियमतः वर्षान्त उपभोग न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि को अनुदानदाता /सरकार को वापस किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-04)

#### प्रस्तर-36

1-राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम' मद के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में रु0 1000.00 और वर्ष 2019-20 में रु0 1000.00 प्राप्त दर्शित है, परन्तु वह धनराशि निष्प्रयोज्य अवशेष के रूप में खाते में रोक कर रखी गयी है | या तो इसे अनुदानदाता/सरकार को वापस किया जाना चाहिए था अथवा सम्बंधित मद के उद्देश्यानुसार उपभोग किया जाना चाहिए था | परन्तु ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-05)

### प्रस्तर-37

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष- 2018-18 क्षेत्र पंचायत-रामनगर में आयकर ₹0 220166.00 तथा व्यापारकर ₹0 199330.00 की कटौती ग्रांट रजिस्टर-3 में दर्शित है। परंतु उपरोक्त दोनों धनराशि कुल ₹0 419496.00 को राजकीय कोषागार में जमा कराए जाने से संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। नियमतः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती करने के पश्चात तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए परंतु ऐसा न कर के वित्तीय अनियमितता की गई जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

## क्षेत्र पंचायत - बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-38

क्षेत्र पंचायत- बदलापुर जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्य (जिसकी पत्रावली उपलब्ध करायी गयी) पर अंकर ₹0 377100.00 का भुगतान श्रमांश के रूप में किया गया है।

उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी-

1. श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी को किया गया।
2. पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल क्रमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
3. मस्टररोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।
4. कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, का भी उल्लेख मस्टररोल में नहीं है।
5. श्रमांश भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।
6. पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा की उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये मजदूरी भुगतान में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

### प्रस्तर-39

अनुदान रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न योजान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियां मांगोपरान्त लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र0सं0 | योजना का नाम        | व्यय की गयी धनराशि |
|---------|---------------------|--------------------|
| 1       | विधायक निधि         | 876017             |
| 2       | शादी अनुदान         | 958305             |
| 3       | मनरेगा प्रशासनिक मद | 6110919            |
| 4       | बी0आर0जी0एफ0        | 435885             |
| 5       | एस0बी0एम0           | 438514             |

योग- **8819640**

इस प्रकार ₹0 8819640.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

### प्रस्तर-40

अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹0 2536290.00 उपभोग किया गया है। किन्तु मांगोपरान्त मात्र ₹0 1982090.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

- 1- ग्रा0पं0 धनश्यामपुर में पुरानी इण्टर लाकिंग से राजेश तिवारी के घर तक इण्टर लाकिंगकार्य।
- 2- ऊदपुर गेल्हवा में प्रमोद सिंह के दुकान के बगल से रमाशंकर सिंह के घर तक मिट्टी एवं खड्डा कार्य।
- 3- ग्रा0पं0 मुरादपुर कोटिला में पी0डब्लू0डी0 रोड से शोभनाथ के हैण्डपम्प तक इण्टर लाकिंग

- 4- ग्र0पं0 फत्तपुर में मुख्य खडन्जा मार्ग से शिवबहदुर सिंह के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा
- 5- घनश्यामपुर बाजार से पक्की नाली मरम्मत कार्य
- 6- ग्र0पं0 नेवादा मुखलिसपुर में यादव बस्ती के बगल में मन्दिर के समाने नाले पर पुलिया निर्माण।
- 7- ग्र0पं0 साढ़ापुर में पारस यादव के घर से गुप्ता बस्ती तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य।

इस प्रकार 554200.00 से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

#### प्रस्तर-41

आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 c के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर की काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष- 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। ऐसा किए जाने से विफल रहने से पर आहरण वितरण अधिकारी पर न कटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किए जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावाश के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 1604990.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 35952.00 की टी0डी0एस0 (आयकर) काटौती की जानी चाहिए थी किन्तु रु0 35952.00 की टी0डी0एस0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि रु0 35952.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। gSA (सा0आ0सं0-12)

#### प्रस्तर-42

लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 1604990.00 का सामग्री क्रय (टेबल-03 अनुसार) पर भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु0 32100.00 की जी0एस0टी0 काटौती की जानी चाहिए थी।

किन्तु जी0एस0टी0 कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि रु0 32100.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार सिद्धार्थ कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

### क्षेत्र पंचायत - शाहगंज जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-43

क्षेत्र पंचायत- शाहगंज जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों पर रु0 456342.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियाँ प्रकाश में लाई जाती हैं।

- (क) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खातों में न कर कार्य प्रभारी मो0 आसिफ (सह0 क0) को किया गया है।
- (ख) पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल वि0खण्ड से निर्गत नहीं हैं।
- (ग) संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं हैं।
- (घ) मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं।

अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और भुगतानित श्रमांश / मजदूरी रु0 456342.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। (सा0आ0सं0-02)

#### प्रस्तर-44

आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय के सापेक्ष रूपये 3734214.00 भुगतान किया गया हैं जो बैंक खाता के अनुसार हैं। किन्तु पत्रावली बिल से नियमानुसार (टी0डी0एस0) आयकर की कटौती नहीं की गयी हैं। पत्रावली फर्म का मांग पत्र संलग्न नहीं है। आयकर अधिनियम 1961(यथा सशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाने का प्राविधान हैं। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने से विफल रहने पर आहरण- वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन आलोच्य वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती सुनिश्चित नहीं की गयी है। आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रूपया 3734214.00 किया गया है। इस प्रकार नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रूपया 74684.00 आयकर कटौती की जानी चाहिए।

इस प्रकार समस्त सामग्री बिलों पर 2 प्रतिशत आयकर की दर से कुल रु0 74684.00 की कटौती न कर संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व की क्षति एवं घोर अनियमितता की गयी हैं। इस धनराशि को संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-03)

#### प्रस्तर-45

आलोच्य वर्ष 2019-20 में सामग्री क्रय पर भुगतानित धनराशि के सापेक्ष रूपये 42160.00 टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) काटी गयी हैं। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक संख्या चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतःआवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

### क्षेत्र पंचायत - सुइथाकला जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-46

क्षेत्र पंचायत सुइथाकला, जनपद-जौनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अंकन रु0 1275804.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:- मस्टररोल की मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को-

वर्ष 2019-20 में रु0 1082367.00 की धनराशि मस्टररोल द्वारा अनियमित रूप से मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है।जबकि मजदूरी का भुगतान प्रत्येक श्रमिक के बैंक खाता के माध्यम से किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये। उस पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टररोल विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय से निर्गत नहीं है। उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव एवं लेखाकार श्री भारत राज सिंह का समान रूप से उत्तरदायी है। कार्यप्रभारी वार मस्टर रोल द्वारा मजदूरी भुगतान की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक नाम कार्यप्रभारी भुगतानित धनराशि

1 श्री ओम प्रकाश भारती(ग्रा0वि0अधि0) 825631.00

2 श्री संदीप कुमार यादव (ग्रा0वि0अधि0) 256736.00

योग- 1082367.00 (आ0सं0-(2)

#### प्रस्तर-47

क्षेत्र पंचायत सुइथाकला में वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त योजना में कुल सामग्री क्रय रु0 4562190.00 का किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रु0 91244.00 की जी0एस0टी0 कटौती एवं जमा सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। आयकर अधिनियम एवं जी0एस0टी0 कटौती शासनादेश सं0 ए-1-35/दस -2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार कटौती एवं जमा धनराशि की पुष्टि विवरण बनाकर करायी जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-(3)

#### प्रस्तर-48

आयकर अधिनियम की धारा के अनुसार वर्ष 2019-20 की आयकर कटौती एवं जमा सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न होने से की गयी कटौती एवं जमा की पुष्टि नहीं होती है। राज्य वित्त योजना में कुल सामग्री क्रय रु0 4562190.00 पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 102193.00 की गयी कटौती एवं जमा की पुष्टि अपेक्षित है। अतःआवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-(4)

## क्षेत्र पंचायत - करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-49

क्षेत्र पंचायत- करंजाकला जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ₹0 1488080.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न आपतियां पायी गयीं-

- 1-विवाह हेतु जोड़ियों के चुनाव का आधार क्या रहा, कोई विवरण एवं सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- 2-शादी हेतु खरीदे गये उपहार उन दुकानों से खरीदे गये जिनके द्वारा खरीदे गये सामान की विक्री नहीं की जाती हैं उदाहरण-08.04.2019 को गोपाल ज्वैलरी से रजार्ड,गद्दा,तकिया,बर्तन,लिपिस्टीक,बिन्दीया,। दिनांक-13.11.2019 को बीना सप्लाइ कार्पोरेशन बिल नं0 51 द्वारा श्रृंगार केश,चूड़ी,सिंगारदानी इत्यादि जो आपत्तिजनक है।
- 3-बिल/कैशमेमों लेटर पैड या स्टीमेट पर पाये गये जो आपत्तिजनक है। सामग्री की खरीद पक्के बिल पर ही होनी चाहिये। जैसे- 29.12.2019 बिन्ध्यवासनी कैटरिंग सर्विस को किया गया भुगतान(दिनांक-15.11.2019 का बिल है)
- 4-शादी जोड़ों की संख्या एवं उपहार तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री की सूची मात्रा एवं मूल्य का कोटेशन/टेण्डर एक साथ नहीं किया गया जबकि इसका निर्धारण करके कोटेशन प्राप्त करते हुए खरीद की जानी चाहिए थी। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

### प्रस्तर-50

दिनांक 27.03.2020 को यू0पी0हैण्डलूम को चेक नं0 97122 द्वारा ₹0 36840.00 का मुख्यमंत्री विवाह योजना में उपहार की खरीद हेतु किया गया। इसकी पुष्टि में कोई बिल/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे खरीद सामग्री की पुष्टि नहीं होती है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

### प्रस्तर-51

वर्ष-2019-20 में सामग्री खरीद के सापेक्ष जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती क्रमशः ₹0 19292.00 एवं 21607.00 की गयी है। लेकिन कटौती हेतु बनाये गये रजिस्टर में निम्न बिलों की कटौती शामिल नहीं है। और न ही जमा विवरण दर्ज है।

| बिल नं0/ दिनांक | धनराशि   | जी0एस0टी0 | आयकर   | फर्म का नाम    |
|-----------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 81/03.02.2018   | 26651.00 | 533.00    | 597.00 | जगदीश ईट भट्ठा |
| 46/2901.2020    | 24960.00 | 499.00    | 559.00 | जगदीश ईट भट्ठा |
| योग-            | 1032.00  | 1156.00   |        |                |

उक्त धनराशि ₹0 2188.00 तत्काल जमा किया जाना आवश्यक है। अतःआवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

### प्रस्तर-52

वर्ष-2019-20 के पूर्व वर्ष में की गयी जी0एस0टी0/वैट एवं आयकर कटौती की धनराशि ₹0 315635.00 जमा किया जाना दर्शित है। लेकिन इसका पूर्ण विवरण, सामग्री खरीद का बिल, धनराशि, फर्म का नाम इत्यादि न बनाये जाने से की गयी कटौती की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा पिछले वर्ष 2018-19 को धनराशि दिसम्बर 2019 में जमा किया जाना आयकर अधिनियम एवं जी0एस0टी0/वैट कटौती शासनादेश सं0ए-1-35/दस-2011 दिनांक-30.08.2011 के विपरीत है। आवश्यक कार्यवाही करते हुए कटौती धनराशि की पुष्टि विवरण बनाकर करायी जाय। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-19)

## क्षेत्र पंचायत - खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

### प्रस्तर-53

क्षेत्र पंचायत- खुटहन जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 में बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अनुसार अन्तिम अवशेष एवं ग्राण्ट रजिस्टर-03 के अनुसार अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2020 में निम्न प्रकार रहा।

| क्र0सं0 | खाता संख्या | बैंक के अनुसार शेष | ग्राण्ट रजिस्टर-03 के अनुसार शेष | अन्तर |
|---------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------|
|---------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------|



|   |       |          |          |          |
|---|-------|----------|----------|----------|
| 1 | 15628 | 2373344  | 2214650  | 158694   |
| 2 | 5953  | 5387147  | 5387147  | 0        |
| 3 | 4258  | 2797653  | 2873109  | (-)75465 |
| 4 | 12    | 55199    | 80199    | (-)25000 |
| 5 | 51995 | 105787   | 106643   | (-)856   |
| 6 | 15330 | 16787    | 16326    |          |
| 7 | 6803  | 16326    | 297400   |          |
| 8 | 4955  | 297400   | 136474   |          |
|   |       | 11049643 | 11111948 | 57382    |

कुल अन्तर- 260006.00

1.खाता संख्या-15330,6803 एवं 4955 की पासबुक/स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे इन खातों में हुए आय कम की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2.बैंक खाते एवं ग्राण्ट रजिस्टर दर्शित अवशेषों में शुद्ध अन्तर की धनराशि ₹0 57373.00 रही । जबकि खाता वार यदि ऋणात्मक अन्तर को समायोजित न किया जाय तो कुल अन्तर ₹0 260015.00 का है। जो गम्भीर अनियमितता दर्शाता है।

3.खाता संख्या 1995 (स्वच्छ भारत मिशन) की बैंक पास बुक अधूरी रही जिससे इस खाते से हुए लेन देन की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त अनियमितता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार की हैं। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

#### प्रस्तर-54

दिनांक-31.03.2019 का अन्तिम ग्राण्ट रजिस्टर-03 ₹0 10146423.00 अंकित हैं। यही धनराशि अप्रैल 2019 की प्रारम्भिक अवशेष का योग करने पर ₹0 9627515.90 ही होता हैं । इस प्रकार अनुदान के धन में हेरा फेरी करके ₹0 618907.00 की अनियमितता की गयी है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का होता है। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

#### प्रस्तर-55

दिनांक-31.03.2020 को ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार अन्तिम अवशेष ₹0 11074220.00 दर्शाया गया है। जबकि ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित मद वार आय व्यय का योग एवं तदनुसार अवशेष निकालने पर अन्तिम अवशेष ₹0 8174416.90 ही आता है। इस प्रकार ₹0 2899803.10 का अन्तर उचित लेखा न किये जाने के कारण विद्यमान है। जिसमे प्रमुख कुछ कारण निम्नवत् हैं-

- 1.मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आय से अधिक व्यय दर्शाया गया हैं जिसके कारण ₹0 1052801.00 का अन्तर विद्यमान है।
- 2.मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अगस्त-2019 का अन्तिम अवशेष ₹0 4000.00 रहा जिसे सितम्बर 2019 के प्रारम्भिक अवशेष में ₹0 936000.00 दर्शाया गया।
- 3.राज्य वित्त योजना में ग्राण्ट रजिस्टर-3 में जुलाई 2019 की अन्तिम अवशेष से ₹0 393616.00 होना चाहिए जबकि ₹0453905.00 अंकित है। इस प्रकार ₹0 60289.00 का अन्तर विद्यमान है।
- 4.अक्टूबर 2019 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना की धनराशि का अवशेष ऋणात्मक ₹0 2417.00 हैं । जिसे अगले महीने के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं किया गया है।
- 5.दिसम्बर 2019 में चतुर्थ राज्य वित्त में की प्रारम्भिक अवशेष ₹0 2130433.00 जबकि नवम्बर 2019 की अन्तिम अवशेष शून्य है।
- 6.विविध मद के धनराशि में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 6898 या सितम्बर 2019 में ₹0 334.00 की आय दर्शाकर अन्तिम अवशेष ₹0 7232.00 दर्शाकर अक्टूबर में मद का शीर्षक बदलकर इत्यादि अचल योजना प्रशासनिक मद क्यों किया गया ।
- 7.स्वच्छ भारत मिशन नवम्बर 2019 में धनराशि ₹0 191955.00 अवशेष दर्शित था जिसे दिसम्बर 2019 में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 19521.00 कर दिया गया । इस प्रकार 31.03.2020 को अवशेष ₹0 118384.00 होना चाहिए।(आय-व्यय की गणना अनुसार) जबकि ₹0 104663.00 है। इस प्रकार ₹0 10721.00 का अन्तर है।
8. स्वच्छ भारत मिशन की प्रा0अवशेष ₹0 139889.00 भी सितम्बर-2019 में प्रा0अवशेष ₹0 126989.00 कैसे हो गया। ₹0 13000.00 का अन्तर रहा।
- 9.गौशाला मद में ग्राण्ट रजिस्टर-3 में दर्शित आय-व्यय के अनुसार ₹0 112326.00 अन्तिम अवशेष होना चाहिए। जबकि रजिस्टर ₹0 16326.00 अंकित है। इस प्रकार ₹0 96000.00 का अन्तर है।
- 10.मुख्यमंत्री विवाह योजना अन्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर-03 के अनुसार वर्ष की आय प्रा0 अवशेष सहित ₹0 862352.00 है। व्यय ₹0 1915153.00 हैं। अवशेष ₹0 79199.00 इस प्रकार ₹0 1132000.00 का अन्तर विद्यमान है।

11.विधायक निधि मद में प्रा0अवशेष रु0 227.00 है इस धनराशि को सितम्बर-2019 में आरम्भिक अवशेष न दर्शाकर समाप्त कर दिया गया।

12.प्रधानमंत्री आवास योजना में सितम्बर 2019 में अन्तिम अवशेष रु0 22934.00 रही जिसे नवम्बर 2019 के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं शामिल किया गया।

13.तेरहवां वित्त की धनराशि रु0 63150.00 नवम्बर 2019 में भुगतान हो गया, लिखकर समाप्त कर दिया गया।

14.इत्यादि अन्य मदों में भी अन्तर रहा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राण्ट रजिस्टर को वास्तविक आय व्यय के आधार पर न बनाकर मनमाने ढंग से अपनी इच्छानुसार दर्शायी गयी जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

#### प्रस्तर-56

वर्ष 2019-20 में निर्माण सामग्री खरीद हेतु बिलों में जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी और न तो जमा ही किया गया है। वर्ष के दौरान कुल जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती रु0 99661.00 होनी चाहिए। वर्ष के दौरान रु0 20218.00 की कटौती की गयी शेष धनराशि रु0 79443.00 की कटौती एवं जमा न करके राजकीय धन की हानि की गयी है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-18)

### क्षेत्र पंचायत - महाराजगंज जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-57

क्षेत्र पंचायत- महाराजगंज जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष ले0प0 वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट रजि0-2 के अनुसार रा0वि0यो0 मद में विभिन्न कार्यों पर ऐसे भुगतान जो 01-10-2018 के पहले के हैं, जिस पर वैट कटौती किया जाना था, विवरण निम्नवत है:-

| फर्म का नाम           | दिनांक     | भुगतानित धनराशि | वैट दर | करयोग्यधनराशि | संस्था द्वार की गई कटौती |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|---------------|--------------------------|
| पामस ईट उद्योग        | 02.04.2018 | 880900.00       | 4%     | 35236.00      | शून्य                    |
| तेजस इन्फ्रास्ट्रक्चर | 02.04.2018 | 68600.00        | 4%     | 2744.00       | शून्य                    |
| योग                   |            |                 |        | 37980.00      |                          |

ले0प0 वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट रजि0-2 के अनुसार रा0वि0योज0 एवं विधायक निधि (मु0मं0सा0 विवाह योजना) से विभिन्न कार्यों पर ऐसे भुगतान जो निम्न तिथियों में फर्मों को 2.50 लाख से अधिक का है जिसे 01.10.2018 के बाद किया है, जिस पर जी0एस0टी0 कटौती किया जाना था, विवरण निम्नवत है:-

क्र0

| सं0 फर्म का नाम  | दिनांक     | भुगतानित धनराशि जी0 एस0 टी0 | कर योग्य धनराशि | संस्था द्वार की गई कटौती |
|------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 पामस ईट उद्योग | 29.10.2018 | 571545.00                   | 2 11431.00      | शून्य                    |
| 2 पामस ईट उद्योग | 05.02.2019 | 507780.00                   | 2 10156.00      | शून्य                    |
| 3 माँ दुर्गा ईट  | 11.01.2019 | 282750 .00                  | 2 5655.00       | शून्य                    |
| 4 ए0वी0एस0 क0क0  | 02.02.2019 | 661500.00                   | 2 13230.00      | शून्य                    |
| 5 ए0वी0एस0 क0क0  | 01.03.2019 | 397320.00                   | 2 7946.00       | शून्य                    |
| 6 ओम साई क0 क0   | 01.03.2019 | 725567.00                   | 2 14511.00      | शून्य                    |

(विधायक निधि की वह धनराशि जो मु0मं0सा0 वि0 यो0 मद में व्यय है।)

|   |                          |            |   |          |       |
|---|--------------------------|------------|---|----------|-------|
| 7 | ए0वी0एस0 क0क0 01.01.2019 | 1007000.00 | 2 | 20140.00 | शून्य |
|---|--------------------------|------------|---|----------|-------|

शेष भुगतान 250,000/- से कम है का भुगतान एवं कार्य 01.10.2018 के बाद कराये गये जिस पर कटौती लागू नहीं है।

ले0प0 वर्ष 2019-20 में ग्राण्ट-2 के अनुसार रा0वि0यो0 मद एवं विधायक निधि (मु0मं0 शादी अनु0 यो0) से विभिन्न कार्यों पर ऐसे भुगतान जो निम्न तिथियों में फर्म को 2.5 लाख से अधिक का व्यय है, विवरण निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | फर्म का नाम   | दिनांक     | भुगतानित धनराशि | जी0 एस0 टी0 कर योग्य धनराशि | संस्था द्वार की गई कटौती |
|---------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|         | ए0वी0एस0 क0क0 | 22.08.2019 | 264880.00       | 2 प्रतिशत                   | 51297.00                 |
|         | ए0वी0एस0 क0क0 | 03.04.2019 | 707000.00       | 2 प्रतिशत                   | 14140.00                 |

|               |            |          |           |         |
|---------------|------------|----------|-----------|---------|
| ए0वी0एस0 क0क0 | 22.05.2019 | 53000.00 | 2 प्रतिशत | 1060.00 |
|               |            |          |           | 66497   |

वर्ष 2019-20 में शेष कार्यो पर कुल 16250 रु0 जी0एस0टी0 की कटौती संस्था द्वारा की गयी है।

इस प्रकार ले0प0 वर्ष 2018-2019 में नियमानुसार-37980.00 रु0 वैट तथा 83069.00 रु0 जी0एस0टी0 इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 20497.00 रु0 जी0एस0टी0 की कटौती किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में 37980.00 रु0 वैट एवं 83069.00 रु0 जी0एस0टी0 व वर्ष 2019-20 में 20497.00 रु0 जी0एस0टी0 कुल 140486.00 रु0 की कटौती न कर तथा वर्ष 2019-20 में अन्य कार्यो पर 16250.00 रु0 की गई कटौती को 31.03.2020 तक राजकोष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 सतीश चन्द्र पांडे, रघुराज, सत्यप्रकाश, गौरवेंद्र सिंह लालबरत यादव एवं लेखाकार श्री संजय चौहान अजय कुमार श्रीवास्तव रमेश चन्द्र उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

#### प्रस्तर-58

(पत्र सं0-एडी0कमि0 जी0एस0टी0 अनु0/2018-1/1819049/105/वाणिज्यकर (2 सितम्बर 2018) उ0प्र0 माल एवं सेवाकर अधि0 की धारा-51) आयकर से सम्बन्धित आपति

#### ले0प0 वर्ष-2018-19

| क्र0सं0 | फर्म का नाम  | भुगतानित धनराशि | जी0 एस0 टी0 कर योग्य धनराशि | कटौती     | संस्था द्वारा कटौती |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 1       | रा0वि0यो0 मद | 4915229.00      | 2.24%                       | 110101.00 | शून्य               |
| 2       | विधायक निधि  | 1007000.00      | 2.24%                       | 22557.00  | शून्य               |
|         |              |                 | योग                         | 132658.00 |                     |

#### ले0प0 वर्ष-2019-20

| क्र0सं0 | फर्म का नाम  | भुगतानित धनराशि | जी0 एस0 टी0 कर योग्य धनराशि | कटौती    | संस्था द्वारा कटौती |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------|
| 1       | रा0वि0यो0 मद | 1382706.00      | 2.24%                       | 30973.00 | शून्य               |
| 2       | विधायक निधि  | 707000.00       | 2.24%                       | 15837.00 | 1187.00             |
|         |              |                 | योग                         | 47997.00 |                     |

उपर्युक्त तालिका के अनुसार ले0प0 वर्ष-2018-19 में 132658.00 रु0 एवं ले0प0 वर्ष-2019-20 में 46810.00 रु0 कुल- 132658+47997=180655.00 रु0 आयकर की कटौती किया जाना अपेक्षित था, परन्तु संख्या द्वारा व्यय के सापेक्ष कोई कटौती न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है।, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग-194-सी) (सा0आ0सं0-02)

#### प्रस्तर-59

श्रमांश का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्यप्रभारी के नाम भुगतान से सम्बन्धित आपति ले0प0 वर्ष-2018-19 एवं 2019-20 में चतुर्थ रा0वि0यो0 के अन्तर्गत समस्त कार्यो पर श्रमांश का भुगतान-रु0 1050875.00(2018-19)+318060.00(2019-20), सम्बन्धित श्रमिकों के खाते में न कर कार्य प्रभारी के नाम किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है।

पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं रहा, जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्य-वार वि0ख0 कार्यालय से निर्गत नहीं हैं, और न ही कार्य-वार मस्टर रोल जारी किये जाने का रजिस्टर बनाया गया है। ऐसे में फर्जी मस्टर रोल जारी किये जाने एवं फर्जी भुगतान की पूर्ण सम्भावना है।

मस्टर रोल निरीक्षण में पाया गया कि फार्म नाम-अमित सिंह के घर के पीछे से अजय के घर के पीछे तक ख0नि0 कार्य पर चार श्रमिक दो जगह एक ही दिनांक में कार्य किया, विवरण निम्नवत है-

| क्रसं0 | श्रमिक                      | कार्य अवधि (18.01.2020 को अवकाश) कार्यप्रभारी-दिनेश यादव |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | प्रेम कान्त पुत्र राम किशुन | 13.01.2020 से 23.01.2020 (11 दिन×182)                    |
| 2      | हरिश्चन्द्र पुत्र राजकिशोर  | 12.01.2020 से 23.01.2020 (11 दिन×182)                    |
| 3      | प्रशान्त पुत्र अशोक         | 12.01.2020 से 23.01.2020 (11 दिन×182)                    |

4 बृजेश 12.01.2020 से 23.01.2020 (11 दिन×182)

यही श्रमिक-भटौली में रामपुर स0मा0 से श्री पति यादव के घर तक मि0का0 पर दिनांक 01.01.2020 से 20.01.2020 तक कार्य किया। (18 दिन) कार्य प्रभारी-दिनेश यादव (नोट-14.01.2020 को अवकाश)

इसी प्रकार कार्यनाम-जमालुद्दीन के घर से ठाकुर प्रसाद के चक तक नाली मरम्मत (कार्य अवधि-20.01.2020 से 30.01.2020) का विवरण निम्नवत है:-

| क्रसं0 | श्रमिक नाम            | कार्य अवधि                  | मैचिंग तिथि | कार्य प्रभारी |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1      | प्रशान्त पुत्र अशोक   | 20.01.2020 से 23.01.2020 तक |             | दिनेश यादव    |
| 2      | बृजेश पुत्र रमाशंकर   | 20.01.2020 से 23.01.2020 तक |             |               |
| 3      | इन्द्रपाल पुत्र मखोधर | 20.01.2020 से 23.01.2020 तक |             |               |
| 4      | श्यामराज पुत्र लालजी  | 20.01.2020 से 23.01.2020 तक |             |               |

यही श्रमिक कार्य नाम-अमित के घर से अजय के घर के पीछे ख0नि0 कार्य पर (कार्य अवधि-12.01.2020 से 23.01.2020 तक) दिनांक 20.01.2020 से 23.10.2020 तक कार्य किया। अतः उक्त मस्टर रोल पर भुगतान फर्जी है।

अतः स्पष्ट है कि श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों के खाते में न कर, मस्टर रोल क्रमांक अंकित न कर तथा कार्य-वार मस्टर रोल जारी किए जाने का रजिस्टर न बनाकर चतुर्थ रा0वि0 के अन्तर्गत समस्त कार्यों पर वर्ष 2018-19 में 1050875.00 रु0 तथा वर्ष 2019-20 में 318060.00 रु0 कुल 1368935.00 रु0 की गम्भीर अनियमितता किया गया जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0 अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (शासनादेश संख्या-2686/31-7-11/152 पं0रा0जी0ए0/2011 पंचायती राज अनुभाग-7 दि0 16.07.2011 के अनु0-07) (सा0आ0सं0-03)

#### प्रस्तर-60

ले0प0 वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट-3 के अनुसार विधायक निधि योजना में प्रा0अ0-26662.00 रु0 रहा, ग्राण्ट-3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कोई आय-व्यय नहीं दर्शाया गया है, अतः 31.03.2020 को अ0अ0 28662.00 रु0 शेष रहा।

ग्राण्ट रजि0-2 के अनुसार दिनांक 17.10.2018 को नेफ्ट: जौनपुर ट्रेजरी से खाता सं0-16141 (क्षे0नि0 प्रथम) में प्राप्त धनराशि-1060000.00 रु0 रहा है, दिनांक 15.01.2019 को चेक सं0-9758 जो पासबुक के अनुसार चेक सं0-9722 से, विधायक निधि दर्शाकर खाता सं0-15146 (क्षे0नि0-द्वितीय) में रु0 1060000.00/- अन्तरित किया गया, जिसे मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में प्राप्त दर्शा कर दिनांक 16.01.2019 को (मा0 विधायक जी के प्रस्ताव पर-प्रस्ताव अप्राप्त) मिनी हाई मास्ट स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु (स्थल अज्ञात, प्रमाणक अप्राप्त) खाता सं0-15146 से चे0सं0-9951 से ए0वी0एस0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु0 1007000.00 रु0 नेफ्ट किया गया है।

पासबुक के अनुसार उक्त धनराशि ए0वी0एस0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी धम्मौर सुल्तानपुर को नेफ्ट किया गया है।

इसी प्रकार ग्राण्ट-2 के अनुसार दिनांक 26.03.2019 को नेफ्ट: जौनपुर ट्रेजरी से खाता सं0-16141 (क्षे0नि0-प्रथम) में 707000.00 रु0 प्राप्त हुआ, जिसे मु0मं0सामू0वि0यो0 मद में दिनांक 30.03.2019 को क्षेत्र निधि प्रथम से चेसं0-8355 से 707000.00 रु0 प्राप्त दर्शाकर, दिनांक-03.04.2019 को चे0सं0-9958 से (मा0 विधायक जी के प्रस्ताव पर - प्रस्ताव अप्राप्त) सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु ए0वी0एस0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी धम्मौर सुल्तानपुर को रु0 707000.00 भुगतान किया गया तथा दिनांक 22.05.2019 को चे0सं0-15921 से ए0वी0एस0क0क0 को 53000.00 रु0 स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु भुगतान किया गया।

पासबुक के अनुसार दिनांक 03.04.2019 को ए0पी0एस0 आई0सी0आई0सी0आई0 (सोल0आईडी .50300) को खाता सं0-15146 चे0सं0-9958 से 707000.00 भुगतान किया गया। साथ ही पासबुक खाता संख्या-16141 से दिनांक 05.08.2019 को चे0सं0-8355 से ख0वि0अधि0 के नामे 707000.00 रु0 भी आहरण रहा, जिसे न तो किसी खाता में जमा किया गया न ही कोई व्यय विवरण दर्शाया गया। उपरोक्त से सम्बन्धित टिप्पणी:-

□ पासबुक के अनुसार दिनांक 26.03.2019 को खाता सं0-16141 में 707000.00 रु0 प्राप्त नेफ्ट: जौनपुर ट्रेजरी से। उक्त धनराशि जिसे विधायक निधि योजना का बताया गया, उसे खाता सं0-15146 में ट्रान्सफर नहीं किया गया। फिर भी उक्त खाते से भुगतान किया गया है।

□ दिनांक 03.04.2019 को खाता सं0-15146 से चे0 सं0 9958 से ए0पी0एस0 आई0सी0आई0सी0आई0 को 707000.00 भुगतान किया गया, जिसे ए0वी0एस0 क0क0 धम्मौर को भुगतान लिखा गया। ए0वी0एस0 और ए0पी0एस0 दोनों की सोल आईडी अलग-अलग है। जिससे स्पष्ट है कि दोनों फर्म जिसे एक बताकर भुगतान दर्शाया गया है का खाता अलग-अलग बैंक में है।

□ ग्राण्ट-2 में मु0मं0सामू0वि0 योजना में जिस धनराशि को दिनांक 30.03.2019 को चे0सं0-8355 से 707000.00 रु0 प्राप्त दर्शाया गया है। वह धनराशि पासबुक के अनुसार खाता सं0-16141 से दिनांक 05.08.2019 को खण्ड विकास अधिकारी के नामे आहरण रहा, जिसे किसी खाते (खाता सं0-15146) में ट्रान्सफर नहीं किया गया है, तो खाता सं0-15146 से दिनांक 03.04.2019 को 707000.00 रु0 ए0पी0एस0 आई0सी0आई0सी0आई0 को भुगतान कैसे कर दिया गया अर्थात् उक्त धनराशि दो बार आहरण किया गया है।

□ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधायक निधि से 1060000.00 रु0 ए0 707000.00 रु0 प्राप्त हुआ तो उसे ग्राण्ट-3 विधायक निधि योजना मद में आय-व्यय क्यों नहीं दर्शाया गया, इससे स्थिति संदिग्ध है कि उक्त धनराशि वि0नि0यो0 में प्राप्त हुआ भी है या नहीं।

□ उक्त धनराशि व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त आय और व्यय को सीधे मदवार योजना में आय-व्यय न दर्शाकर भ्रमित करने हेतु अन्य मद में ले जाकर व्यय दर्शाया गया, जिससे स्थिति संदिग्ध है। यदि मान लिया जाए कि उक्त धनराशि विधायक निधि से प्राप्त है, तो प्राप्त धनराशि 1060000.00+707000.00=1767000 रु0 रहा; जबकि व्यय धनराशि-

1007000.00 - ए0वी0एस0 क0क0

53000.00 - ए0वी0एस0 क0क0

707000.00 - ए0पी0एस0 आई0सी0आई0सी0आई0

707000.00 - खण्ड विकास अधिकारी

योग-2474000.00 रु0

अतः 2474000.00 रु0 व्यय के सापेक्ष व्यय पत्रावली प्रस्तुत न कर तथा उक्त के अन्तर्गत 707000.00 रु0 दो बार आहरण कर व ग्राण्ट-3 में विधायक निधि योजना में आय-व्यय न दर्शाकर संस्था द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं एवं 707000 की उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

#### प्रस्तर-61

ग्राण्ट-3 रजिस्टर के अनुसार ब्याज मद (जिसके अन्तर्गत खाता सं0-16141, खाता सं0-15146, खाता सं0-223797, खाता सं0-4605 तथा खाता सं0-230378 (योजना-अज्ञात) समाहित योजनाओं का ब्याज) में वर्ष 2018-19 का प्रा0अ0-452906.75 रु0 रहा, प्राप्ति - 113907.25 रु0, व्यय-शून्य अ0अ0 -566814.00 रु0 रहा, वर्ष 2019-20 में प्राप्ति-110098.00रु0, व्यय-462469.00 रु0 तथा अ0अ0-214443.00 रु0 रहा।

ग्राण्ट-2 के अनुसार ब्याज मद की धनराशि से ख0वि0 अधिकारी (दिनांक 01.03.2019 को) के आदेशानुसार 550000.00 रु0 चतुर्थ रा0वि0यो0 मद पृष्ठ सं0-17 पर ले जाया गया इसी प्रकार ब्याज मद की धनराशि से 52897.00 रु0 प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद में लेकर जिले पर वापस दर्शाया गया है।

उपरोक्त से सम्बन्धित टिप्पणी:-

□ प्रथम दृष्टया जब ब्याज मद से 550000.00 रु0 रा0वि0यो0 मद में दिनांक 01.03.2019 को अन्तरित किया गया तो, ग्राण्ट-3 वर्ष 2018-19 में उक्त धनराशि व्यय क्यों नहीं दर्शाया गया, जबकि व्यय शून्य है।

□ ब्याज मद से कुल-602897.00 रु0 अन्तरित किया गया है, जबकि ग्राण्ट-3 ब्याज मद में वर्ष 2019-2020 में 462469.00 रु0 व्यय दर्शाया गया है, अतः ग्राण्ट-3 एवं ग्राण्ट-2 के लेखांकन में कोई तालमेल नहीं है।

□ रु0 52897.00 जिले पर वापसी की पुष्टि नहीं कराया गया है। प्र0मं0आ0यो0 मद में वापसी आदेश एवं खाता सं0-4605 का स्टेटमेंट दिनांक 12.07.2019 तक ही प्रस्तुत रहा, जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी।

□ ब्याज मद की धनराशि उपर्युक्त सभी योजनाओं से प्राप्त है, तो दूसरे योजनाओं की ब्याज सिर्फ राज्य वित्त योजना में क्यों अन्तरित किया गया।

□ निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक-1/116/1/2018-1/विविध/ 100/2018 दिनांक 02 अगस्त 2019 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निधि में जमा धनराशि पर जो ब्याज अर्जित होगा वह सम्बन्धित निधि में ही जमा रहेगी और नियमानुसार कोष-बही में अंकन किया जायेगा, साथ ही वित्तीय वर्ष के अन्त में जमा राशि को अगले वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करते हुए लेखांकन किया जायेगा।

अतः स्पष्ट है कि ब्याज की धनराशि को कोषबही में अंकन की बात कही गई है न कि व्यय की। व्यय हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त का प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत न कर तथा उक्त आदेश का उल्लंघन कर एवं अन्तरित धनराशि को ग्राण्ट-3 में पूर्ण रूपेण व्यय अंकित न कर 550000\$52897=602897.00 रु0 की गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0 अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

#### प्रस्तर-62

**प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद से सम्बन्धित आपत्ति**

ग्राण्ट-2 के अनुसार प्र0मं0आ0यो0 प्रशासनिक मद से वर्ष 2018-19 में 422615.00 रु0 व्यय तथा वर्ष 2019-20 में 1390604.00 रु0 व्यय दर्शित रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष ले0प0 में व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राण्ट-2 के अनुसार उक्त योजना मद में ग्राम स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जिले से प्राप्त धनराशि-दिनांक 20.08.2018 को 1 लाख तथा दिनांक 24.08.2018 को 2 लाख रु0 दर्शित रहा, जिसे दिनांक 18.09.2018 को ब्लाक स्वच्छता परियोजना मद खाता सं0-0229282 में 300000.00/- रु0 अन्तरित किया गया उक्त मद का विवरण एवं खाता का विवरण ग्राण्ट-3 में अंकित नहीं किया गया। उक्त धनराशि खाता सं0-0229282 में अवशेष है अथवा व्यय कर ली गयी है, की पुष्टि नहीं करायी गयी।

अतः ले0प0 के दौरान उक्त मद से सम्बन्धित पत्रावली एवं अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न कर 1813219.00रु0 की गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। (उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम-174) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

#### प्रस्तर-63

ग्राण्ट-2 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 13वां वित्त आयोग मद से 16675.00 रु0 व्यय दर्शित रहा, जिसे ख0वि0 अधिकारी के आदेशानुसार उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.2020 को रा0वि0यो0 मद में अन्तरित किया गया है।

ग्राण्ट-2 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 12000.00 रु0 व्यय दर्शित रहा, उक्त धनराशि किस मद हेतु, किस उद्देश्य से प्राप्त एवं अवशेष रहा तथा किस उद्देश्य से व्यय किया गया कि पुष्टि ले0प0 में नहीं कराया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है, जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

#### प्रस्तर-64

ऐसे मद/योजना की धनराशि जो विगत वर्षों से 31.03.2020 तक अन्तिरिम अवशेष बना रहा-

क्र0सं0 योजना/मद का नाम 31.03.2020 को अ0अ0

|   |                            |           |
|---|----------------------------|-----------|
| 1 | विधायक निधि                | 28662.00  |
| 2 | बी0एल0ओ0 मानदेय            | 105000.00 |
| 3 | बी0आर0जी0एफ0/पि0क्षे0 अनु0 | 549162.00 |
|   | योग                        | 682824.00 |

उक्त योजनाओं की धनराशि विगत वर्ष से ग्राण्ट-2 में अ0अ0. के रूप में बना रहा, जबकि नियमानुसार उपभोग न किए जाने की दशा में उक्त अवशेष धनराशि को सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

#### प्रस्तर-65

ले0प0 वर्ष 2018-19 में मनरेगा प्रशासनिक मद योजना से ग्राण्ट-2 के अनुसार दिनांक 09.04.2018 को स्टेशनरी क्रय रु0 10000.00, दिनांक 18.04.2018 को जीप यू0पी0 62/7301 में डीजल पर व्यय-27769.00 रु0 दिनांक 08.05.2018 को आलमारी क्रय व कम्प्यूटर मरम्मत पर व्यय रु0 16890.00 का व्यय प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त योजनाओं से कुल 54659.00 रु0 व्यय प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तु न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

### क्षेत्र पंचायत - बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-66

क्षेत्र पंचायत- बक्शा जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष वर्ष 2019-20 में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रु0 1853000.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसमें निम्न आपतियां पायी गयीं-

1. विवाह हेतु जोड़ियों के चुनाव का आधार क्या रहा, कोई विवरण एवं सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. शादी हेतु खरीदे गये उपहार उन दुकानों से खरीदे गये जिनके द्वारा खरीदे गये सामान की विक्री नहीं की जाती है। बिल कैशमेमों लेटर पैड या स्टीमेट पर पाये गये जो आपति जनक है, खरीद सामग्री पक्के बिल पर ही होनी चाहिए
3. शादी जोड़ों की संख्या के अनुसार उपहार खरीद एवं आय-व्यय की सूची मात्रा एवं मूल्य कोटेशन / टेण्डर एवं साथ नहीं किया गया है। जबकि जोड़ों की संख्या निर्धारित करके एक-एक खरीद नियमानुसार करने से उचित दर पर सामान उपलब्ध होता है। ऐसा न किया जाना लापरवाही का द्योतक है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

#### प्रस्तर-67

दिनांक 22.07.2019 को ए0बी0एस0 कान्स्ट्रक्शन कं0 सुल्तानपुर से विधायक निधि मद से बिल नं0 10 द्वारा ₹0 274647.00 के सोलर लाइट की खरीद किया जाना अभिलेखों में दर्शित है। लेकिन इस खरीद नियमों का पालन नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 33 / 2017 / 2017/ 977 / 45- वि0 / 2017 एवं संबंधित शासनादेशों की गाइड लाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एक मात्र अधिकृत नोडल एजेन्सी यू0पी0नेडा0 से सक्षम अधिकारी से कराये जाने का स्पष्ट निर्देश है, लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया अस्पष्ट रहा। खरीद दर सोलर लाइट हेतु नेडा की पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार सोलर लाइट खरीद में गम्भीर अनियमितता बरती गयी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-16)

#### प्रस्तर-68

ग्राण्ट रजि0-2 एवं 3 के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के तहत ₹0 433447.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेकिन इस व्यय से संबंधित कोई पत्रावली, बिल, मस्टररोल, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे उक्त व्यय किन कार्यों पर किसी प्रकार की गयी अपुष्ट रहा। लेखा परीक्षा में जांच हेतु पत्रावली प्रस्तुत न करना उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 174 का खुला उल्लंघन है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

### क्षेत्र पंचायत - जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्ष- 2019-20

#### प्रस्तर-69

क्षेत्र पंचायत- जलालपुर जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष वर्ष 2019-20 में ग्राण्ट रजिस्टर-3 में अनुसार चौदहवां वित्त आयोग (कार्यकाल 2015-2020) का ₹0 44777.00 अवशेष है। उक्त धनराशि ना तो उपभोग किया गया और न ही सम्बन्धित के पक्ष/विभाग को वापस किया। इस प्रकार उक्त धनराशि को कई वर्षों से रोककर/विकासात्मक कार्यों में उपभोग न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

#### प्रस्तर-70

आलोच्य वर्ष-2019-20 ग्राण्ट रजिस्टर-03 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना का ₹0 2110.00 अवशेष हैं । उक्त धनराशि का न तो उपभोग किया गया और न ही सम्बन्धित पक्ष/विभाग को वापस किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में इन्दिरा आवास योजना सरकार द्वारा बन्द किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त धनराशि कई वर्षों से रोककर/उपभोग न करके वित्तीय अनियमितता की गयी । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

#### प्रस्तर-71

मार्च-2018-19 के ग्राण्ट रजिस्टर-03 में अन्तिम अवशेष के रूप में ₹0 301809.00 ब्याज मद में एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद में ₹0 47678.00 कुल ₹0 34349187.00 दर्शाया गया तथा वर्ष-2019-20 के प्रारम्भिक अवशेष में उक्त धन को मदवार विवरण शामिल नहीं किया गया तथा न ही किसी अन्य मद से सम्मिलित किया गया, जबकि पिछले वर्ष बैंक समाधान विवरण पत्र एवं 2018-19 बैंक समाधान विवरण पत्र में ग्राण्ट रजि0-3 दर्शित मद वार धनराशियां सम्बन्धित है जिसका तात्पर्य है कि उक्त धन को 2019-20 में वर्ष के दौरान बैंक से आहरित कर अपहरित किया गया है। क्योंकि यदि अपहरित न हुआ होता तो बैंक समाधान विवरण पत्र में दर्शित होता। इस प्रकार उक्त धन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी का है। अतः उक्त धन ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-11)

### प्रारूप - 3 जनपद - वाराणसी

#### 1- क्षेत्र पंचायत हरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर01

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक दिनांक 09-01-2020 में सदस्यों को यात्रा भत्ता देने हेतु चेक सं० 000521 दिनांक 08.01.2020 द्वारा ₹0 116000.00 का नगद आहरण एवं नगद भुगतान दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में कार्यवाही रजि० एवं उपस्थिति पंजिका तथा भुगतान प्राप्ति रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। सदस्यों के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित न करना तथा प्राप्ति पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराना तथा प्राप्ति पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराना आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त धनराशि की सब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं बी०डी०ओ० से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-02

आयकर कटौती मद में वर्ष का प्रारम्भ अवशेष ₹0 67440.00 रहा, आलोच्य वर्ष में ₹0 79432.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार कुल धनराशि ₹0 146872.00 हुआ जो क्षेत्र पंचायत में पड़ा है जबकि इस राशि को समय पर आयकर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 2- क्षेत्र पंचायत - पिण्डरा लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर 03

वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त से निर्माण कार्या के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बन्धित कार्य प्रभारी को निर्गत किया गया है, किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान की पुष्टि/ भुगतान के तरीकों का उल्लेख (नकद अथवा चेक) अभिलेखों से नहीं होता है। जबकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिकों के खाते में किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त मस्टर रोल पर नम्बर अंकित नहीं है और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा मस्टर रोल निर्गत किये जाने की पुष्टि होती है। साथ ही मजदूरों का पंजीकरण रजिस्टर अप्राप्त रहा। विवरण निम्नकित है:-

| क्रसं 0 | धनराशि    | चेक सं०  | दिनांक     | भुगतान (चेक) प्राप्तकर्ता          |
|---------|-----------|----------|------------|------------------------------------|
| 1       | 67120.00  | 002257   | 10.04.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 2       | 124203.00 | 002260   | 20.05.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 3       | 80358.00  | 002262   | 20.05.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 4       | 118176.00 | 002264   | 20.05.2019 | श्री भागवत शर्मा (गा०पं०अ०)        |
| 5       | 54290.00  | 002267   | 20.05.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 6       | 53028.00  | 002269   | 20.05.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 7       | 51123.00  | 002271   | 20.05.2019 | श्री नितिन कुमार (गा०पं०अ०)        |
| 8       | 60503.00  | 002273   | 20.05.2019 | श्री जय प्रकाश (गा०पं०अ०)          |
| 9       | 55064.00  | 002277   | 11.06.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 10      | 34893.00  | 002280   | 11.06.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 11      | 99778.00  | 020722   | 11.06.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 12      | 51891.00  | 020725   | 11.06.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 13      | 13692.00  | 020728   | 11.06.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 14      | 78368.00  | 020730   | 11.06.2019 | श्री जय प्रकाश (गा०पं०अ०)          |
| 15      | 98458.00  | 020732   | 12.06.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 16      | 25291.00  | 020734   | 12.06.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 17      | 112595.00 | 020736   | 12.06.2019 | श्री गोविन्द गिरि (गा०वि०अ०)       |
| 18      | 30964.00  | 0022041  | 03.07.2019 | श्री राजेन्द्र कुमार (गा०पं०अ०)    |
| 19      | 17973.00  | 0022042  | 03.07.2019 | श्री गोविन्द गिरि (गा०वि०अ०)       |
| 20      | 40182.00  | 12030035 | 06.07.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 21      | 38306.00  | 022045   | 03.07.2019 | श्री वीरेन्द्र मिश्रा (गा०पं०अ०)   |
| 22      | 74382.00  | 022046   | 03.07.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 23      | 18468.00  | 0022047  | 03.07.2019 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए०डी०ओ०(सह०) |
| 24      | 158905.00 | 022048   | 03.07.2019 | श्री जय प्रकाश (गा०पं०अ०)          |
| 25      | 78503.00  | 022049   | 03.07.2019 | श्री जय प्रकाश (गा०पं०अ०)          |
| 26      | 21662.00  | 022056   | 12.07.2019 | श्री जय प्रकाश (गा०पं०अ०)          |



|    |            |          |            |                                    |
|----|------------|----------|------------|------------------------------------|
| 27 | 12250.00   | 022057   | 12.07.2019 | श्री जय प्रकाश (ग्रा0पं0अ0)        |
| 28 | 83090.00   | 0230202  | 06.07.2019 | श्री जय प्रकाश (ग्रा0पं0अ0)        |
| 29 | 57112.00   | 12023208 | 22.02.2020 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए0डी0ओ0(सह0) |
| 30 | 93762.00   | 12023211 | 22.02.2020 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए0डी0ओ0(सह0) |
| 31 | 95480.00   | 12023213 | 22.02.2020 | श्री आशीष कुमार मिश्र ए0डी0ओ0(सह0) |
|    | 1999870.00 | कुल योग  |            |                                    |

अतः उपरोक्त अनियमित मजदूरी भुगतान की धनराशि रु0 1999870.00 की वसूली के अन्तर्गत रु0 1670426.00 की सब्याज वसूली श्री आशाराम वर्मा ख0वि0अ0 एवं श्री विजय कान्त सिंह लेखाकार से रु0 83090.00 की सब्याज सहित वसूली श्री विजय कुमार जायसवाल ख0वि0अ0 एवं श्री विजयकान्त सिंह लेखाकार तथा रु0 246354.00 की सब्याज सहित वसूली श्री विजय कुमार जायसवाल ख0वि0अ0 एवं श्री सौमित्रदास लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर- 04

दिनांक 31.03.2020 को दर्शित तेरहवां वित्त का अवशेष अनुदान रु0 338800.92 को सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है । उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार जायसवाल एवं श्री सौमित्र दास संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 05** दिनांक 31.03.2020 को दर्शित जी0एस0टी0 अवशेष रु0 22711.00 को रोककर रखा जाना दुर्विनियोग है । इसे राजकीय कोषागार में शीघ्र जमा किया जाना अपेक्षित है । अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 06

क्षेत्र पंचायत पिण्डरा वाराणसी द्वारा वर्ष 2019-20 में सामग्री मूल्य पर प्रायः आयकर की कटौती नहीं की गयी है जबकि आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194 सी के अनुसार ठेकेदारों के बिल से 2 प्रतिशत स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी । लेखा परीक्षा अनुसार आयकर का विवरण निम्नांकित है:-

| क्र0सं0 | कार्य का नाम                                                                                                         | सामग्री मूल्य | संस्था द्वारा टी0डी0एस0 कटौती | लेखा परीक्षा अनुसार आयकर | अन्तर की धनराशि |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1       | पश्चिमपुर में डीहबाबा से पश्चिम गैमेक्सीन फैक्ट्री तक खडंजा निर्माण                                                  | 219774.30     | -                             | 4395.00                  | 4395.00         |
| 2       | मरूई में शिवपूजन प्रजापति के घर से त्रिभुवन यादव के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य                                         | 95640.30      | -                             | 1913.00                  | 1913.00         |
| 3       | जाठी में अशोक श्रीवास्तव के घर से शिवमंदिर मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य                                               | 199920.00     | -                             | 3998.00                  | 3998.00         |
| 4       | ग्रा0पं0 चकरमा में कन्हैया यादव के घर से राजा /मिश्रा के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य                                    | 271687.20     | -                             | 5434.00                  | 5434.00         |
| 5       | ग्रापं0 महगांव में पक्की सड़क से बबलू सिंह के 0 घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य                                              | 233132.00     | -                             | 4663.00                  | 4663.00         |
| 6       | अहरक में मेन रोड से मुन्नर पटेल के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य ,                                                        | 172686.00     | -                             | 3454.00                  | 3454.00         |
| 7       | शालिवाहनपुर में लोकापुर प्रावि0 पिच रोड के 0 पास ब्राम्हण बस्ती से शालिवाहनपुर ब्राम्हण बस्ती / तक मिट्टीखडंजा कार्य | 171283.50     | -                             | 3426.00                  | 3426.00         |
| 8       | टिकरी खुर्द में गंगा बाबा के मजार राजदेव के खेत से टिकरी खुर्द बार्डर तक मिट्टी / खडंजा कार्य                        | 204423.30     | -                             | 4088.00                  | 4088.00         |
| 9       | ग्रापं0 सिन्धोरा में बेचू सिंह के दरवाजे से कैलाश 0 सिंह के चक तक खडंजा कार्य                                        | 132600.00     | -                             | 2652.00                  | 2652.00         |
| 10      | महगाँव खास के गली में भैया लाल मिश्र के घर से जगदीश मिश्र के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य                                 | 231669.00     | -                             | 7631.00                  | 7631.00         |

|    |                                                                                                        |            |          |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 11 | ग्रापं0 औरांव में वीरेन्द्र दीक्षित के घर से 0 / डीहबाबा तक मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य                | 244764.00  | -        | 4895.00   | 4895.00   |
| 12 | छतांव में इण्टरलाकिंग से मंगला सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                                         | 362741.71  | -        | 7255.00   | 7255.00   |
| 13 | छतांव में इण्टरलाकिंग से भोला डॉक्टर के घर तक एवं पिंच रोड से इला0 तक इण्टरलाकिंग कार्य 0              | 125170.00  | -        | 2504.00   | 2504.00   |
| 14 | ग्रा पं0 0जलालपुर में राजा पटेल के मशीन से सत्यनारायण बी0डी0सी0 के घर तक मिट्टी , खडंजा कार्य          | 206310.30  | -        | 4126.00   | 4126.00   |
| 15 | ग्रापं0 मंगारी में पिच रोड उमाकान्त शर्मा के 0 /खेत से दल्लीपुर पिच रोड तक मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य | 249823.50  | -        | 4996.00   | 4996.00   |
| 16 | तिवारीपुर में हरिशंकरपुर नहर पक्की सड़क से वीरू सिंह की छावनी तक मार्ग पर मिट्टीखडंजा कार्य ,          | 68452.00   | -        | 1369.00   | 1369.00   |
| 17 | गरथमा में हंसराज के घर से सगीना राजभर के घर तक खडंजा कार्य                                             | 294101.00  | -        | 5882.00   | 5882.00   |
| 18 | रमईपट्टी में श्यामलाल पटेल के घर से पारस पटेल के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य                              | 105753.00  | -        | 2115.00   | 2115.00   |
| 19 | प्रापा0 गरथमा में हरिजन बस्ती मार्ग पर 0 इण्टरलाकिंग कार्य                                             | 129400.00  | --       | 2588.00   | 2588.00   |
| 20 | महगांव खास गलियारे में रामआसरे मिश्रा के घर से शारदा उपाके घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 0                   | 302350.00  | -        | 6047.00   | 6047.00   |
| 21 | महगांव में पिचरोड़ से सुनील मिश्रा एवं वीरेन्द्र मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                     | 257335.00  | -        | 5146.00   | 5146.00   |
| 22 | ग्राम पंचाओदार में यादव बस्ती खडंजा कार्य, 0 /हरिजन बस्ती तक मिट्टी खडंजा कार्य                        | 185262.00  | -        | 3705.00   | 3705.00   |
| 23 | ग्रापंचा0 मरुई में सिन्धोरा रोड़ से अजय मिश्रा 0 के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य                            | 192313.00  | -        | 3846.00   | 3846.00   |
| 24 | बाबतपुर चौबेपुर पिच रोड से फूलगेन वर्मा के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य                                    | 119314.00  | -        | 2386.00   | 2386.00   |
| 25 | ग्रापं0 नेहिया में नन्दलाल चौबे 0 के घर से जवाहर यादव के पाही तक मार्ग पर मिट्टी/ख0कार्य               | 255759.00  | -        | 5115.00   | 5115.00   |
| 26 | ग्रापं0 नेहिया में रामआधार पटेल के मशीन से 0 / साहब सिंह के खेत तक मार्ग पर मिट्टीखकार्य 0             | 200678.00  | -        | 4013.00   | 4013.00   |
| 27 | ग्रा पं0 मानी में मुसहर बस्ती में 0इण्टरलाकिंग कार्य                                                   | 335562.00  | 6712.00  | 6712.00   | -         |
| 28 | ग्रापं0 महगांव में धरसौना मार्ग से महमूदपुर 0 अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य                          | 841637.00  | 16833.00 | 16833.00  | -         |
| 29 | ग्रापं0 छतांव में खरपतू मौर्य के घर से 0 /रामनारायण के मशीन तक मिट्टीखकार्य 0                          | 235459.00  | 4709.00  | 4709.00   | -         |
| 30 | बसांव में विक्रमपुर पक्की सड़क से प्रदीप विश्वकर्मा के घर तक मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य               | 316882.00  | 6338.00  | 6338.00   | -         |
| 31 | ग्रापं0 मरुई में भकलूवीर सिन्धोरा मार्ग से विवेक 0 सिंह के घर तक मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य            | 496078.00  | 9922.00  | 9922.00   | -         |
| 32 | क्रसे 26 तक के कार्यो पर लोहे का बोर्ड 1 0 लगवाई                                                       | 109200.00  | -        | 2184.00   | 2184.00   |
|    | योग-                                                                                                   | 7717039.40 | 44514.00 | 154340.00 | 109826.00 |

इस प्रकार ₹0 109826.00 आयकर की कटौती न करके अथवा कम करके राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है । यह गम्भीर अनियमितता है ।

अतः उक्त धनराशि ₹0 109826.00 की वसूली के अन्तर्गत ₹0 105813.00 की सब्याज वसूली श्री आशाराम वर्मा ख0वि0अ0 एवं श्री विजयकान्त सिंह लेखाकार से तथा ₹0 4013.00 की सब्याज सहित वसूली श्री विजय कुमार जायसवाल ख0वि0अ0 एवं श्री सौमित्र दास से की जानी अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर - 07

दिनांक 01.04.2019 को आयकर मद का प्रारम्भिक अवशेष शून्य था । आलोच्य वर्ष में ₹0 51695.00 का आय एवं व्यय शून्य दर्शाने के पश्चात दिनांक 31.03.2020 को अवशेष ₹0 51695.00 दर्शाया गया है । इसे नियमानुसार राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है । उक्त धनराशि रोककर रखा जाना दुर्विनियोग है । इसे शीघ्र जमा किया जाना अपेक्षित है ।

### 3- क्षेत्र पंचायत हरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

#### प्रस्तर 08

क्षेत्र पंचायत हरहुआ द्वारा वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

|                                  |   |   |            |
|----------------------------------|---|---|------------|
| 1- विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि | - | ₹ | 4485241.00 |
| 2- आंगनबाड़ी भवन निर्माण धनराशि  | - | ₹ | 243362.00  |
| 3- पूर्वांचल विकास निधि          | - | ₹ | 3781654.00 |
| योग                              | - | ₹ | 8510257.00 |

दर्शित निर्माण कार्यों एवं इन पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाए जाते हैं -

1- लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा, जिससे आलोच्य वर्ष एवं विगत वर्ष में कराए गए कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं किया जा सका । परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में अनियमित व्यय की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

2- निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी । अतः अनुदान पंजिका 2 में दर्शित कार्यों की सूची से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कराए गए कार्य संस्था को आवंटित हैं या नहीं ।

3- 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 का नियम सं0 209 कार्यों के लिए अंतिम रूप से पूर्ण भुगतान किए जाने के पूर्व कार्य के पूरा हो जाने प्रमाण पत्र इस हेतु कि कार्य का परीक्षणोपरान्त समाधान का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया गया है के देने का उल्लेख करती है । इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है । अधिकांश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आधे-अधूरे स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे और इस पर कतिपय सक्षम के हस्ताक्षर नहीं रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4- शासनादेश सं0 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों (गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि) पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं । इसके अनुसार 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि उप खनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम011 के आधार पर परिवहन किए गए हैं ।

रायल्टी -1 विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कुल रायल्टी 2068 (1190+878) चेक सं0 026412 दिनांक 29.10.18 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा वाराणसी में जमा है ।

2- चतुर्थ राज्य वित्त से ₹0 11409.00 चेक सं0 080578 / 29.10.18 को मुख्य शाखा में जमा किया गया रायल्टी कटौती की धनराशि हस्ताक्षर भिन्न होने के कारण वापस हो गया जो वर्षांत में ₹0 11409.00 अवशेष रहा । आगे शासनादेश सं0 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 32 प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों जिनमें एम0एम0 11/फार्म 3 सी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उमके बिलों पर भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए । अतः संभव है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गए व्यय धनराशि के प्रति घोर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार तथा बी0 डी0 ओ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

#### प्रस्तर - 09

आलोच्य वर्ष के वर्षान्त में संस्था के अभिलेखों के अनुसार प्रमुख योजनाओं की धनराशि रोका गया है । प्रमुख योजनाओं की वर्षान्त अवशेष धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है

| क्रसं0 0 | मदवार विवरण | अवशेष धनराशि |
|----------|-------------|--------------|
|----------|-------------|--------------|

|   |                              |             |
|---|------------------------------|-------------|
| 1 | चतुर्थ राज्य वित्त           | 19852117.00 |
| 2 | वि०मं०क्षे० विकास निधि       | 835761.00   |
| 3 | स्वच्छ भारत मिशन             | 576908.00   |
| 4 | आंगनवाड़ी भवन निर्माण धनराशि | 259123.00   |
| 5 | पूर्वांचल विकास निधि         | 386346.00   |
|   | योग-                         | 21910255.00 |

विवरण से स्पष्ट है कि चतुर्थ राज्य वित्त मद में सर्वाधिक धनराशि ₹ 19852117.00 वर्षान्त में अवशेष रहा। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए थी, अन्यथा की स्थिति में उसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना संभव नहीं हो रहा तो आगामी वर्ष में उपभोग वर्ष 2018-19 के स्वीकृत कार्य योजना पर ही किया जाना अपेक्षित है।

यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि शिक्षा भवन, चिकित्सा भवन जलापूर्ति तंत्र इत्यादि कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति उदासीनता बरती गयी है। धन के अधिकाधिक प्रयोग को केवल मार्ग निर्माण पर व्यय किया जाना चिन्तनीय है। अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा समुचित कार्यवाही आवश्यक है, जिसके लिए लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार यादव व बी० डी० ओ० श्री श्वेतांक सिंह उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 10

अनुदान रजिस्टर भाग 3 के अनुसार वर्ष 2018-19 में राजकीय अनुदान की स्थिति निम्नवत है -

| वर्ष    | प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में उपभोग | वर्षान्त में शेष |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2018-19 | 1,72,85,301.86   | 1,45,43,408.00   | 95,22,231.64   | 2,23,06,478.00   |

अनुदान रजिस्टर पर अंकित विवरण के अनुसार संस्था द्वारा कुल 8 बैंक खाते संचालित किए जा रहे हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रसं० 0 | बैंक एवं शाखा का नाम    | खाता संख्या | अवशेष धनराशि   |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 1        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 10000683    | 1,98,80,269.30 |
| 2        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 10000714    | 3,10,235.96    |
| 3        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 10117226    | 14,23,758.60   |
| 4        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 123405      | 74,901.00      |
| 5        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 118056      | 23,092.72      |
| 6        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 130022      | 33,162.84      |
| 7        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 134070      | 6,05,075.00    |
| 8        | यू०बी०आई० मुर्दहा बाजार | 110003283   | 34,186.80      |
|          | योग-                    |             | 2,23,84,682.22 |

इस प्रकार 31 मार्च 2019 को बैंक एवं संस्था के बीच ₹ 78204.00 की अन्तर विद्यमान है, किन्तु अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। कुछ चेकों का विवरण पुराना है। बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधानित तिथियों का उल्लेख करते हुए समाधान की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बैंक खातों का चिन्हांकन इस तरह से नहीं किया गया है कि किस-किस योजना को धन प्राप्त हुआ। राजकीय अनुदान की प्रत्येक योजना के अलग-अलग चिन्हांकन न किए जाने के कारण अनुदान रजिस्टर में अंकित आय व्यय एवं अवशेष का मिलान तथा इसकी वास्तविकता को लेखा परीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका, जिसके लिए लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार यादव एवं बी० डी० ओ० श्री श्वेतांक सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 11

किसी संस्था द्वारा बी०ओ०सी०ओ० ऐक्ट/या सेस ऐक्ट 1996 के अन्तर्गत जारी शासनादेश सं० 1090/36-2-12-252/ दिनांक 03.12.2012 द्वारा एक प्रतिशत लेबर सेस कटौती कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने का प्रावधान है। जिससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी जानी है। किन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में लेबर सेस कटौती न करना घोर अनियमितता है।

निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण

| क्रसं० 0 | विवरण                          | व्यय धनराशि | लेबर सेस |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1        | विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि | 4485241.00  | 44852.41 |
| 2        | आंगनवाड़ी भवन निर्माण          | 243362.00   | 2433.62  |

|   |                      |              |          |
|---|----------------------|--------------|----------|
| 3 | पूर्वांचल विकास निधि | 3781654.00   | 37816.57 |
|   | योग -                | 85,10,257.00 | 85102.57 |

संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त धनराशि (85,10,257) का एक प्रतिशत ₹0 85102.00 लेबर सेस कटौती करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि यदि कोई नियोक्ता धारा 3(क) के अन्तर्गत कर विलम्ब से जमा करता है तो उसे दो प्रतिशत (भुगतान योग्य कर पर) प्रतिमाह की दर से दण्ड चुकाना होगा। उसी प्रकार सेस एक्ट का पालन न करने पर तीन माह का जेल या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए लेखाकार श्री रवीन्द्र यादव एवं बी0डी0ओ0 श्री श्वेता सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

4- क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर - 12

ग्राम पंचायत मिल्कीपुर में शंकरपुर पिच रोड से अमर शहीद रमेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर कुल ₹0 244729-00 का भुगतान किया गया है जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/ वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक  | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/18.06.2019 | 220111.00         | 3848/3848                            | 212415.00    |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00      |
|         | योग            |                   | 224464.00         | 3848/3848                            | 216768.00    |

| मजदूरी | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |
|--------|------------|-------------------|----------|
|        | -          | 006422/28.06.2019 | 20265.00 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 244729,00 (सामग्री-224464,00 + मजदूरी- 20265,00) अपहरित कर ली गयी है, जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 13

ग्राम पंचायत सलारपुर में प्रा0 वि0 से पोखरा तक इण्टरलाकिंग कार्य पर कुल ₹0 397323.00 भुगतान किया गया है। जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक  | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 008227/13.12.2019 | 364929.00         | 6256/6256                            | 352417.00    |
|         | योग            |                   | 364929.00         | 6256/6256                            | 352417.00    |

| मजदूरी | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |
|--------|------------|-------------------|----------|
|        | -          | 008228/13.12.2019 | 32394.00 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 397323.00 (सामग्री-364929,00 + मजदूरी - 32394,00) अपहरित कर ली गयी है, जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 14

ग्राम पंचायत भरथरा. जालहूपुर रोड से पाँचु यादव के मकान तक ईट सोलिंग का कार्य पर कुल ₹0 77655.00 का भुगतान किया गया है जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II एवं वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम | चेक नं0 व दिनांक | सामग्री की | कटौती 2 प्रतिशत टी0 | शुद्ध भुगतान |
|---------|-------------|------------------|------------|---------------------|--------------|
|---------|-------------|------------------|------------|---------------------|--------------|

|   |                |                       | धनराशि          | डी0एस0/जी0एस0टी0 |                 |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>28.06.2019 | 45432.00        | 871/871          | 43690.00        |
|   | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00         | -                | 4353.00         |
|   | <b>योग</b>     |                       | <b>49785.00</b> | <b>871/871</b>   | <b>48043.00</b> |

| मजदूरी | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |
|--------|------------|-------------------|----------|
|        | -          | 006421/28.06.2019 | 27870.00 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 77655.00 (सामग्री-49785,00 + मजदूरी -27870,00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 15

ग्राम पंचायत लुढाकला में खोजन पाण्डेय के खेत से उमेश पाण्डेय के खेत तक ईट सोलिंग कार्य पर कुल ₹0 216597.00 भुगतान किया गया है. जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/ वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक      | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान     |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>28.06.2019 | 159634.00         | 3068/3068                            | 153498.00        |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00          |
|         | <b>योग</b>     |                       | <b>163987.00</b>  | <b>3068/3068</b>                     | <b>157851.00</b> |

| मजदूरी | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |
|--------|------------|-------------------|----------|
|        | -          | 006421/28.06.2019 | 52610.00 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 216597.00 (सामग्री-163987,00 + मजदूरी -52610.00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 16

ग्राम पंचायत नरपतपुर में रामजी के खेत से भरत कुमार शर्मा के मकान तक ईट सोलिंग कार्य पर कुल ₹0 47850.00 का भुगतान किया गया है.जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/ वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक      | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान    |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>28.06.2019 | 34272.00          | 652/653                              | 32967.00        |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00         |
|         | <b>योग</b>     |                       | <b>38625.00</b>   | <b>652/653</b>                       | <b>37320.00</b> |

| मजदूरी | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि  |
|--------|------------|-------------------|---------|
|        | -          | 006422/28.06.2019 | 9225.00 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 47850.00 (सामग्री-38625,00 + मजदूरी -9225.00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 17

ग्राम पंचायत जाल्हुपुर में नक्छेद गौड के मकान से भोला यादव के घर तक ईट सोलिंग का कार्य पर कुल ₹0 61995.00 भुगतान किया गया है .जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक      | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान    |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>23.06.2019 | 37897.00          | 727/727                              | 36443.00        |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00         |
|         | <b>योग</b>     |                       | <b>42250.00</b>   | <b>727/727</b>                       | <b>40796.00</b> |
| मजदूरी  |                | कार्य अवधि            | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि                               |                 |
|         |                | -                     | 006421/28.06.2019 | 19745.00                             |                 |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 61995.00 (सामग्री-42250.00 + मजदूरी -19745.00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 18

ग्राम पंचायत कमौली से बभनपुरा मेन रोड से राम सेवक के मकान से हरिजन बस्ती तक ईट सोलिंग कार्य पर भुगतान कुल ₹0 88580.00 किया गया है. जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक      | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान    |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>28.06.2019 | 66654.00          | 1172/1172                            | 64310.00        |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00         |
|         | <b>योग</b>     |                       | <b>71007.00</b>   | <b>1172/1172</b>                     | <b>68663.00</b> |

|        |  |            |                   |          |  |
|--------|--|------------|-------------------|----------|--|
| मजदूरी |  | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |  |
|        |  | -          | 006421/28.06.2019 | 17573.00 |  |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 88580.00 (सामग्री-71007,00 + मजदूरी -17573.00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 19

ग्राम पंचायत व्यासपुर झाझपुर पीच रोड से ब्रम्हदेव तिवारी के घर तक ईट सोलिंग का कार्य पर कुल ₹0 116318.00 भुगतान किया गया है. जिसके व्यय का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर -II/ वर्क रजिस्टर के अनुसार इस प्रकार है।

| सामग्री | फर्म का नाम    | चेक नं0 व दिनांक      | सामग्री की धनराशि | कटौती 2 प्रतिशत टी0 डी0एस0/जी0एस0टी0 | शुद्ध भुगतान    |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | मे0 दिनेश सिंह | 005120/<br>28.06.2019 | 69300.00          | 1330/1330                            | 66640.00        |
|         | मे0 दिनेश सिंह | 006424/<br>28.06.2019 | 4353.00           | -                                    | 4353.00         |
|         | <b>योग</b>     |                       | <b>73653.00</b>   | <b>1330/1330</b>                     | <b>70973.00</b> |

|        |  |            |                   |          |  |
|--------|--|------------|-------------------|----------|--|
| मजदूरी |  | कार्य अवधि | चेक नं0 व दिनांक  | धनराशि   |  |
|        |  | -          | 006421/28.06.2019 | 42665.00 |  |

उक्त कार्य की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 116318.00 (सामग्री-73653.00 + मजदूरी -42665.00) अपहरित कर ली गयी है. जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .लेखाकार व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

5- क्षेत्र पंचायत चोलापुर  
लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर - 20

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो वर्क कान्टेक्ट अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में भुगतान की धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने का प्रावधान है। आलोच्य वर्ष में सामग्री खरीद के अधोलिखित बिल से कुल ₹0 115153.00 की कटौती सुनिश्चित न कर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार सिंह और लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्र उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण अधोलिखित है-

| मद          | बिल धनराशि | सामग्री धनराशि | शुद्ध भुगतान | चेक नं0 | दिनांक   | आयकर |
|-------------|------------|----------------|--------------|---------|----------|------|
| राज्य वित्त | 214994.00  | 204825.00      | 208849.00    | 6344    | 15.04.19 | 4097 |
|             | 25024.00   | 20700.00       | 24403.00     | 6345    | 15.04.19 | 414  |
|             | 275336.00  | 229058.00      | 268464.00    | 6347    | 15.04.19 | 4581 |
|             | 152342.00  | 145088.00      | 140735.00    | 6348    | 16.04.19 | 2902 |
|             | 7254.00    | 7254.00        | 7254.00      | 6349    | 25.04.19 | 145  |
|             | 223619.00  | 212971.00      | 217230.00    | 6351    | 08.05.19 | 4259 |
|             | 89058.00   | 84818.00       | 86514.00     | 6353    | 08.05.19 | 1696 |
|             | 3586.00    | 2960.00        | 3497.00      | 6354    | 08.05.19 | 59   |
|             | 255275.00  | 243119.00      | 247982.00    | 6356    | 08.05.17 | 4862 |
|             | 28694.00   | 23740.00       | 27982.00     | 6357    | 08.05.19 | 475  |
|             | 103119.00  | 98209.00       | 100173.00    | 6360    | 08.05.19 | 1964 |
|             | 7757.00    | 7565.00        | 7565.00      | 6359    | 08.05.19 | 151  |
|             | 163869.00  | 156066.00      | 159187.00    | 6364    | 03.06.19 | 3121 |
|             | 96406.00   | 81450.00       | 93962.00     | 6363    | 03.06.19 | 1629 |
|             | 267128.00  | 226380.00      | 260336.00    | 6362    | 03.06.19 | 4528 |
|             | 124932.00  | 105875.00      | 121755.00    | 18876   | 26.06.19 | 2118 |
|             | 92736.00   | 88320.00       | 90087.00     | 18877   | 26.06.19 | 1766 |
|             | 65432.00   | 54970.00       | 63783.00     | 18878   | 26.06.19 | 1099 |
|             | 26578.00   | 21795.00       | 25924.00     | 18873   | 26.06.19 | 436  |
|             | 50740.00   | 48324.00       | 49291.00     | 18872   | 26.06.19 | 966  |
|             | 9093.00    | 7580.00        | 8865.00      | 18874   | 26.06.19 | 152  |
|             | 251438.00  | 239465.00      | 244254.00    | 18880   | 26.06.19 | 4789 |
|             | 345593.00  | 329137.00      | 335871.00    | 18890   | 03.01.20 | 6583 |
|             | 214066.00  | 181412.00      | 208287.00    | 18888   | 03.01.20 | 3628 |
|             | 108309.00  | 103152.00      | 105163.00    | 18886   | 03.01.20 | 2063 |
|             | 78600.00   | 66770.00       | 76419.00     | 18887   | 03.01.20 | 1335 |
|             | 165819.00  | 140525.00      | 161355.00    | 18893   | 03.01.20 | 2811 |
|             | 121912.00  | 116107.00      | 118371.00    | 18900   | 04.01.20 | 2322 |
|             | 72438.00   | 61300.00       | 70488.00     | 18892   | 03.01.20 | 1226 |
|             | 422644.00  | 402519.00      | 410368.00    | 18895   | 04.01.20 | 8050 |
|             | 49088.00   | 41340.00       | 47770.00     | 18896   | 04.01.20 | 827  |
|             | 252737.00  | 240702.00      | 245396.00    | 18899   | 04.01.20 | 4814 |
|             | 36452.00   | 30160.00       | 35484.00     | 18898   | 04.01.20 | 603  |
|             | 397605.00  | 378671.00      | 386056.00    | 18910   | 31.03.20 | 7573 |



|                                                             |            |                   |           |        |          |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|-----------------|
|                                                             | 32364.00   | 26780.00          | 31504.00  | 18907  | 31.03.20 | 536             |
|                                                             | 157817.00  | 150302.00         | 153317.00 | 18909  | 31.03.20 | 3006            |
|                                                             | <b>योग</b> | <b>4579409.00</b> |           |        |          | <b>91588.00</b> |
| सांसद निधि                                                  | 53045.00   | 44368.00          | 51714.00  | 6254   | 03.05.19 | 887             |
|                                                             | 70010.00   | 66677.00          | 64677.00  | 6255   | 03.05.19 | 1334            |
|                                                             | 3333.00    | 3333.00           | 3333.00   | 6258   | 27.08.19 | 67              |
|                                                             | 147282.00  | 124816.00         | 143538.00 | 6256   | 03.05.19 | 2496            |
|                                                             | 13846.00   | 12333.00          | 13461.00  | 6269   | 01.10.19 | 247             |
|                                                             | 40884.00   | 34663.00          | 39783.00  | 6270   | 01.10.19 | 693             |
|                                                             | 30573.00   | 27249.00          | 29755.00  | 6251   | 05.03.19 | 545             |
|                                                             | 27364.00   | 26061.00          | 26582.00  | 6252   | 05.03.19 | 521             |
|                                                             | 71395.00   | 71000.00          | 69253.00  | 6265   | 11.10.19 | 1420            |
|                                                             | 23077.00   | 19663.00          | 22453.00  | 6266   | 11.10.19 | 393             |
|                                                             | <b>योग</b> | <b>430163.00</b>  |           |        |          | <b>8603.00</b>  |
| अनुरक्षण मद                                                 | 49665.00   | 49665.00          | 48175.00  | 4440   | 20.12.19 | 993             |
|                                                             | 95753.00   | 79120.00          | 93380.00  | 31007  | 22.01.20 | 1582            |
|                                                             | 83548.00   | 70185.00          | 81309.00  | 31018  | 22.01.20 | 1404            |
|                                                             | 38916.00   | -                 | 37050.00  | 31011  | 25.01.20 | 778             |
|                                                             | 114252.00  | 102011.00         | 111192.00 | 31010  | 25.01.20 | 2040            |
|                                                             | 85105.00   | 73686.00          | 82780.00  | 31017  | 25.01.20 | 1474            |
|                                                             | 42682.00   | 40650.00          | 41462.00  | 31009  | 25.01.20 | 813             |
|                                                             | 185424.00  | 176594.00         | 179862.00 | 31016  | 25.01.20 | 3532            |
|                                                             | <b>योग</b> |                   |           |        |          | 12617           |
| क्रिटिकल गैप                                                | 131323     | 117253            | 128978    | 687802 | 04.03.20 | 2345            |
| सम्पूर्ण योग = 91588+8603+12617+2345= 115153.00 रुपये मात्र |            |                   |           |        |          |                 |

#### प्रस्तर- 21

वाउचर पर क्रमांक अंकित नहीं- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि सामग्री भुगतान के अधोलिखित व्यय प्रमाणक ऐसे हैं जिनपर कोई दिनांक अंकित नहीं रहा है दिनांक के अभाव में इनकी वैधानिकता अपुष्ट है। इस प्रकार इस धनराशि की गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| कार्य सं | कार्य का नाम<br>राज्य वित्त                                             | धनराशि    | चेक/दिनांक     | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 7        | बेला बजड़ापुर में भोजपुर पिच                                            | 260336.00 | 6362/ 03.06.19 | एमएस शंशाक शेखर     |
| 7        | रोड से पन्ना पिच अनु बस्ती तक खडन्जा कार्य                              | 121755.00 | 8876/ 26.06.19 | एमएस शंशाक शेखर     |
| 10       | धरौहरा में पारस सिंह के घर से राणा सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य      | 208287.00 | 8888/ 03.01.20 | एमएस शंशाक शेखर     |
| 11       | बेला बजड़ापुर में भोजपुर पिच रोड से राम आसरे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 161355.00 | 8893/ 03.01.20 | एमएस शंशाक शेखर     |
|          | <b>सम्पूर्ण योग</b>                                                     | 751733.00 |                |                     |

#### प्रस्तर - 22

मस्टर रोल पर तिथि अंकित नहीं- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मजदूरी भुगतान के अधोलिखित मस्टर रोल ऐसे हैं जिन पर कोई दिनांक अंकित नहीं रहा है दिनांक के अभाव में इनकी वैधानिकता अपुष्ट है। इस प्रकार इस धनराशि का दुर्विनियोग किया गया जिसकी संगत से सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| कार्य सं | कार्य का नाम राज्य वित्त                                   | म.रोल संख्या | म.संख्या/सू. मा.दि. | धनराशि              | चेक/ दिनांक      | कार्य प्रभारी /भुगतान प्राप्तकर्ता | वसूली का प्रतिशत            |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 06       | ग्रामपंचायतमहमूद में पिच रोड से जालिम के घर तक खंडजा कार्य | 1-<br>2-     | 6/6<br>14/93        | 1440.00<br>26100.00 | 6358<br>08.05.19 | सुशील कुमार बी0टी0                 | खं0वि0अ0 50%<br>लेखाकार 50% |
|          |                                                            |              | योग                 | 27540.00            |                  |                                    |                             |

#### प्रस्तर - 23

ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर नंबर- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर से मिट्टी खरीद/ढुलाई का भुगतान किया गया है लेकिन आडिट के दौरान प्रस्तुत कार्यपत्रावली में संलग्न हस्तलिखित भुगतान प्रमाणक पर अंकित नंबर की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रैंडम मिलान करने पर यह पाया गया कि अधिकतर ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु पंजीकृत किए गए हैं नियमानुसार इनका प्रयोग सिर्फ कृषि कार्य ही किया जा सकता है। लेकिन यहां कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर को व्यवसायिक/कमर्शियल कार्य में प्रयुक्त किया गया है। सम्पूर्ण भुगतान भी वास्तविक को न कर तीसरे पक्ष को किया गया है। इससे परिवहन विभाग को परिवहन विभाग को परिवहन शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही यू0पी065एन1335 यू0पी065बी क्यू5417 और यू0पी065बी एम3437 को नंबर मोटर साइकिल/स्कूटर (2डब्ल्यू-एन) के व्हीकल क्लास में पंजीकृत पाया गया। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। अपहरण की धनराशि का नियमानुसार सब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

| मद का नाम   | कार्य का नाम                                                                               | बाउचर के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता | बी/एसके अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता | धनराशि   | ट्रैक्टर नंबर    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|
| राज्य वित्त | ग्राम पंचायत परानापुर में पिच रोड से मोती यादव के घर तक खंडजा कार्य                        | अभय नाथ चौबे                        | सुशील कुमार सिंह                   | 9857.00  | यूपी. 65 यू 5821 |
|             | ग्राम पंचायत नयारडीह में नयारडीह दानगंज रोड से अनु0बस्ती तक खंडजा कार्य                    | राजमन यादव                          | सुशील कुमार सिंह                   | 5993.00  | यूपी. 65 एफ.2462 |
|             | ग्राम पंचायत नयारडीह में नयारडीह दानगंज रोड से अनु0बस्ती तक खंडजा कार्य                    | राजमन यादव                          | सुशील कुमार सिंह                   | 10121.00 | यूपी. 65 एफ.2462 |
|             | ग्राम पंचायत नयारडीह में नयारडीह दानगंज रोड से प्रकाश यादव के घर तक खंडजा कार्य            | राम किरत मौर्य                      | सुशील कुमार                        | 18487.00 | यूपी. 65न.1338   |
|             | ग्राम पंचायत जगदीशपुर में पिच रोड से भृगुनाथ धरकार के घर तक खंडजा कार्य                    | उषा यादव                            | सुशील कुमार                        | 10962.00 | यूपी. 65 न.9802  |
|             | ग्राम पंचायत रसडा करमा में पिच रोड से बीरबल के घर तक खंडजा कार्य                           | हवलदार यादव                         | सुशील कुमार सिंह                   | 16813.00 | यूपी. 65 न.9680  |
|             | ग्राम पंचायत कपसा नहर पुलिया से सिंहपुर पुलिया तक खंडजा कार्य                              | राजमन यादव                          | सुशील कुमार सिंह                   | 19026.00 | यू .पी.65 न.2462 |
|             | ग्राम पंचायत कपसा नहर पुलिया से सिंहपुर पुलिया तक खंडजा कार्य                              | राम किरत मौर्य                      | सुशील कुमार सिंह                   | 25368.00 | यू .पी.65 न.1338 |
|             | ग्राम पंचायत बर्थराखुर्द में सुरेश तिवारी के डेयरी के पास नाला और ह्यूम पाइप निर्माण कार्य | राम किरत मौर्य                      | सुशील कुमार सिंह                   | 4039.00  | यू .पी.65 न.1338 |
|             | ग्राम पंचायत बेला (बजडापुर) में पिच रोड से पन्ना गडसरा तक खंडजा कार्य                      | राम किरत                            | सुशील कुमार सिंह                   | 5707.00  | यू .पी.65 न.1338 |
|             | ग्राम पंचायत बेला (बजडापुर) में पिच रोड से पन्ना गडसरा तक खंडजा कार्य                      | राजमन                               | सुशील कुमार सिंह                   | 4280.00  | यू .पी.65 न.2462 |
|             | ग्राम पंचायत बेला(बजडापुर) में पिच रोड से पन्ना गडसरा तक खंडजा कार्य                       | राम किरत                            | सुशील कुमार सिंह                   | 4280.00  | यू .पी.65 न.1338 |
|             | ग्राम पंचायत महमूदपुर में पिच रोड से                                                       | राजमन                               | सुशील कुमार सिंह                   | 1826.00  | यू .पी.65 न.2462 |

|  |                                                                                |                  |                  |           |                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|  | जालिम के घर तक खंडजा कार्य                                                     |                  |                  | 4261.00   |                       |
|  | ग्राम पंचायत भदवा में राजेन्द्र चौबे के घर से खरावन माता मन्दिर तक खंडजा कार्य | राम कीर्ति मोर्य | सुशील कुमार सिंह | 3329.00   | यू .पी.65 न.1335      |
|  | ग्राम पंचायत भदवा में राजेन्द्र चौबे के घर से खरावन माता मन्दिर तक खंडजा कार्य | राम कीर्ति मोर्य | सुशील कुमार सिंह | 8561.00   | यू .पी.65 न.1335      |
|  | ग्राम पंचायत मुनारी मे मुनारी सारनाथ संपर्क मार्ग से लालू के घर तक खंडजा कार्य | चन्द्रशेखर       | सुशील कुमार सिंह | 2283.00   | यू .पी. 65बीक्यू.5417 |
|  | ग्राम पंचायत मुनारी मे मुनारी सारनाथ संपर्क मार्ग से लालू के घर तक खंडजा कार्य | चन्द्रशेखर       | सुशील कुमार सिंह | 2625.00   | यू .पी. 65बीक्यू.5417 |
|  | ग्राम पंचायत कपसा में हवलदार के घर से राजभर बस्ती तक खंडजा कार्य               | अशोक सिंह        | सुशील कुमार सिंह | 9090.00   | यू .पी.65 डी.जी.7714  |
|  | धौरहरा आगनबाडी                                                                 | जितेन्द्र        | अशोक कुमार राजभर | 10136.00  | यू .पी. 65बीएम.3437   |
|  | योग                                                                            |                  |                  | 177044.00 |                       |

#### प्रस्तर - 24

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान/धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त का निर्धारण किया गया है इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03-2015 दिनांक 19 जून 2015 के बिंदू 2.5 के अनुसार और शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-032015 दिनांक 31 जुलाई 15 में पंचायतराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग की गाइडलाइन के बिन्दु -6 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की तथा उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियाँ यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र .पशु चिकित्सालय कृषि तथा बीज विपणन गोदाम आदि आँगनबाडी केन्द्रों और बाल मैत्रिक शौचालयों आदि) के मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य व्यय किया जाए तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों /सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। आलोच्य वर्ष में कृत कार्यों की सूची के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मरम्मत एवं रखरखाव पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में क्षेत्र पंचायत को कुल रुपये 7922400.00 (अनुदान 7757400.00 .व्याज मद से ट्रांसफर 115000.00. वापस 50000.00) संक्रमित किए गये जब कि पूर्व वर्ष का अवशेष रुपये 3065297.00 था। इस प्रकार वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि रुपये 10987697.00 उपलब्ध थी। कार्य की सूची से स्पष्ट है कि संस्था के द्वारा विभिन्न कार्यों पर जिसमें बैठक हेतु व्यय 50000.00 भी शामिल करते हुए कुल ₹0 6296738.00 व्यय किये गये हैं। इसमें से बैठक को अलग करने के बाद शासनादेश के अनुसार कुल 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 3123369.00 का निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 3123369.00 को मरम्मत और रखरखाव पर व्यय किया जाना था। लेखा परीक्षा के दौरान प्रथम दृष्टया कार्यों की सूची के अवलोकन से यह पाया गया कि मरम्मत एवं रखरखाव पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है और निर्माण कार्य पर कुल व्यय का अधिकतम रुपये 3123369.00 (6246738.00 का 50 प्रतिशत) ही व्यय किया जाना था लेकिन वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि को सिर्फ निर्माण कार्य पर कर उपभोग करते हुए उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। साथ ही प्रथम दृष्टया कार्यों की सूची में यह भी स्पष्ट है कि कृत कार्य एक ही ग्राम पंचायत से संबंधित है जबकि संस्था द्वारा गाइडलाइन के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्य ही व्यय किया जाना चाहिए। शासनादेश का पालन न कर रुपये 3123369.00 का दुर्विनियोग किया गया है जिसके तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6- क्षेत्र पंचायत - बड़ागाँव

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर - 25

शासनादेश संख्या ए-1-122/दस -2012-10 (33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विरुद्ध है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार ₹0 241912.00 व्याज प्राप्त हुआ व ₹0 849257.56 व्यय हुआ। जिसमें मई 2019 में ₹0 11309.16 और अगस्त 2019 में ₹0 100.01 अर्थात् कुल ₹0 11409.17 व्यय पंचायत विभाग के अनुभाग 3 के आदेश संख्या 2044 (1) 33-3-2019-03 आडिट/2019 दिनांक 06 सितम्बर 2019 के पूर्व हुआ है जो गंभीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं ख.वि.अ. उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 26

भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से कर प्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से जुलाई 2017 से जी.एस.टी. एक्ट लागू किया गया। इसी एक्ट की धारा 51 जो कि 01.10.2018 से प्रभावी है, के अनुसार 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत की दर से एस.जी.एस.टी. तथा 1 प्रतिशत की दर से सी.जी.एस.टी.) स्रोत पर कटौती किया जाना अनिवार्य है जिसके लिए टैन/पैन आधारित जी.एस.टी. नम्बर लेना आवश्यक है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा इस जी. एस.टी. स्रोत पर कटौती के अन्तर्गत कुल ₹0 189559.00 की धनराशि की कटौती की गयी है तथा प्रारम्भिक अवशेष ₹0 26333.00 था। धनराशि को निर्धारित शीर्ष में ऑनलाइन राजकीय कोषागार में जमा न करके 31 मार्च 2020 तक संस्था में ₹0 3206.00 को रोककर रखना दुर्विनियोग है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है क्योंकि इस मद में ₹0 212686.00 आलोच्य वर्ष में व्यय किया गया है। जिनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 27

आलोच्य वर्ष 2019-20 संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है-

| क्र.सं. | योजना कार्य का नाम                                                                                                       | सामग्री क्रय की धनराशि | कार्य आरम्भ तिथि | टेण्डर खुलने की तिथि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1       | (अ) चतुर्थ राज्य वित्त मझगवाँकला में चंगवार भूठा मझगवाँकला मार्ग से सिरावन बस्ती ओम प्रकाश त्रिपाठी के घर तक खंडजा कार्य | 35641.00               | 08.07.19         | 24.09.19             |
| 2       | कुरुं में कुरुं पवेर मार्ग पर स्थित प्रावि. कौआडाड से वरुणा नदी के तट तक खंडजा कार्य                                     | 232444.00              | 05.06.19         | 24.09.19             |
| 3       | खरावन साधन सह० स० अनेई मार्ग से शोभनाथ बाबा मंदिर तक खंडजा कार्य                                                         | 328390.00              | 07.07.19         | 24.09.19             |
| 4       | सियरहा में मेन रोड से किशन सिंह के घर तक खंडजा कार्य                                                                     | 176658.00              | 07.07.19         | 24.09.19             |
| 5       | मधुमखियां में सूरज के दुकान से विजय के घर तक खंडजा कार्य                                                                 | 167360.00              | 28.05.19         | 24.09.19             |
| 6       | (ब) विधायक निधि बेलवा में पोस्ट आफिस से पोखरा से सुजीत सिंह के घर तक ईंट खंडजा कार्य                                     | 185566.89              | 01.05.20         | 24.09.19             |
| 7       | पुराधुनाथपुर में कोहरान बस्ती अमरनाथ प्रजापति के घर मियान बस्ती तक ईंट खंडजा कार्य                                       | 390624.00              | 23.05.20         | 24.09.19             |
| 8       | मदनपुर में पेट्रोल पम्प से गफफार खॉ के घर तक खंडजा कार्य                                                                 | 346379.00              | 01.05.20         | 24.09.19             |
| 9       | (स) पूर्वांचल विकास निधि निन्दनपुर में आँगनबाड़ी केन्द्र से दुर्गा माता मंदिर तक ईंट खंडजा कार्य                         | 636393.00              | 05.09.20         | 24.09.19             |
|         | योग-                                                                                                                     | 2499455.89             |                  |                      |

- उपर्युक्त सारणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कार्य निविदा खुलने की तिथि से पूर्व ही आरम्भ कर दिये गये हैं जो आपत्तिजनक है पुनश्च पत्रावली में अखबार में निविदा विज्ञापन की कटिंग संलग्न नहीं रही जो कि गंभीर अनियमितता है।
- पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि क्रम संख्या व 8 7 के कार्यों पर ईंट क्रय के सापेक्ष लालमती देवी व एम.एम. इण्टरप्राइजेज के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर किसी अधिकृत प्राधिकारी/प्रोपराईटर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 28

चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत खररिया खास में नहर से अनुराग शुक्ला के चक तक मिट्टी /खंडजा कार्य में माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन से ₹0 4300.00 का साइन बोर्ड क्रय किया गया जिसपर दिनांक व अधिकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर /अंगूठा निशान अंकित नहीं था जिसमें काल्पनिक भुगतान दर्शाकर ₹0 4300.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी सब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 29

विधायक निधि योजना के अन्तर्गत विराव में प्रमोद सिंह के मकान के पीछे सार्वजनिक स्थल पर चबूतरा एवं इण्टरलाकिंग कार्य के मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित नहीं है जिन पर ₹0 33300.00 भुगतान किया गया है तथा श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान अंकित नहीं है

जिससे भुगतान की पुष्टि न किया जा सका। पुनश्च उपरोक्त कार्य के मस्टर रोल पर निरीक्षण कर्ता अधिकारी. ग्राम प्रधान/बी.डी.सी. निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यों पर कूट रचित अभिलेखों द्वारा काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल ₹0 33300.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी सब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी .कार्य प्रभारी व लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

7- क्षेत्र पंचायत - सेवापुरी  
लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर - 30

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांगत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर „काटे गये आयकर की धनराशि,, के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कारावास का भी प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की गयी है। लेकिन आलोच्य वर्ष में किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित की गयी है।

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर कुल व्यय ₹0 6795646.00 रहा इस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत दर से ₹0 152222.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से आयकर की कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों पर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 31

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि .तीन कार्यों यथा छतेरी .जागापट्टी व भटौली में आंगनबाड़ी निर्माण में सामग्री पर व्यय क्रमशः ₹0 91062.00. ₹0 36524.00 व 60660.00

(कुल ₹0 188246.00) किया गया है। इस धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से ₹0 3765.00 की जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार राजकीय धन का नुकसान करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र निधि की धनराशि ₹0 485598.00 को विधायक निधि योजना के अंतर्गत कराए गये कार्यों “ग्रा0 प0 मडैया में पिच रोड से भुल्लन मास्टर के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य” पर (₹0 242669.00) एवं “ग्राम पंचायत मडैया में देवनाथ के खेत से तिलकधारी के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य” पर (₹0 242929.00) व्यय किया गया है। इस प्रकार किसी मद की धनराशि को किसी अन्य मद पर व्यय करना दुर्विनियोग है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 8- क्षेत्र पंचायत - आराजीलाईन

#### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

#### प्रस्तर - 33

क्षेत्र पंचायत आराजीलाईन जनपद वाराणसी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त .विधायक निधि. पूर्वांचल बिलों से 194601.00 टी.डी.एस. की कटौती की गयी राशि जिसके सापेक्ष 158667.00 धनराशि को लेखा शीर्ष में जमा किया गया शेष 35934.00 ₹0 जमा नहीं किया गया शासन में निहित प्राविधानों के अपेक्षाओं के अनुरूप समस्त धनराशि को जमा न करके दुर्विनियोग किया गया इसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 34

क्षेत्र पंचायत आराजीलाईन वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों में टी.डी.एस. को 2 प्रतिशत की दर से नहीं काटा गया विवरण निम्न है:-

शुद्ध कटौती

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                 | सामग्री बिल | ईट दर      | शुद्ध भुगतान | कटौती  | 2प्रतशित कटौती |
|---------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|----------------|
| 1       | ग्राम पंचायत रूपापुर में कृपा सिंह के खेत से | 104485.5    | 19530X5.35 | 102492.90    | 1992.6 | 2089.7         |

|   |                                                                            |           |            |           |         |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
|   | लाल पंचमुखी के खेत तक खंडन्या कार्य।                                       |           |            |           |         |          |
| 2 | ग्रामसभा कनेरी में रामलखन के घर से रमेश के घर तक खंडन्या कार्य।            | 136606.9  | 25534X5.35 | 134002.90 | 2604.00 | 2732.12  |
| 3 | ग्राम पंचायत कल्लीपुर में नादिर के घर से भरत लाल के घर तक खंडन्या कार्य।   | 77168.00  | 14324X5.35 | 75697.00  | 1471.00 | 1543.36  |
| 4 | हाइवे पूरे सम्पर्क मार्ग पर राजमन के घर से भरत लाल के घर तक खंडन्या कार्य। | 117357.00 | 21936X5.35 | 115283.00 | 2074.00 | 2347.14  |
| 5 | ग्राम पंचायत कुण्डरिया लाल मोहम्मद के घर से मुसहर बस्ती तक खंडन्या कार्य।  | 279387.00 | -----      | 274061.00 | 5326.00 | 5587.74  |
| 6 | ग्राम पंचायत चन्दापुर में कब्रिस्तान बाउण्ट्री मरम्मत                      | 75509.00  | 13064X5.78 | 74718.00  | 791.00  | 1510.18  |
| 7 | ग्राम पंचायत वीरभानपुर में व्यायाम शाला एवं बाउण्ट्री मरम्मत               | 131264.00 | 22789X5.76 | 128762.00 | 2502.00 | 2625.28  |
|   | योग-                                                                       | 921777.4  | -----      | 905016.8  | 16760.6 | 18435.52 |

उल्लेखनीय है वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों में संस्था को प्राप्त ₹0 921777.4 के बिलो पर 18435.52 की जी.एस.टी./टी.डी.एस. की कटौती होनी चाहिए परन्तु संस्था ने 16760.6 ₹0 की टी.डी.एस. की कटौती की। 1674.92 की कटौती न करके गंभीर अनियमितता किया गया है। इसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली वसूली अपेक्षित है।

## 9- क्षेत्र पंचायत - काशी विद्यापीठ

### लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर - 35

**आयकर कटौती** - आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों वर्क कान्ट्रैक्ट अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किये गए भुगतानों के सम्बन्ध में स्रोत पर आयकर की कटौती भुगतान की धनराशि पर 2% की दर से की जाएगी, किसी एक बिल की धनराशि 30 हजार या इससे अधिक होने पर यह कटौती की जाएगी किन्तु प्रत्येक बार धनराशि 30 हजार से कम होने पर यह देखना आवश्यक होगा कि किसी बिंदु पर उस फर्म को भुगतान की कुल धनराशि 75 हजार से ऊपर हो जाएगी ठीक उसी समय बिल से भुगतान किये गए समस्त धनराशि से 2% की कटौती सुनिश्चित की जाएगी। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे, ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदंड/पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है। कर काटने वाला के द्वारा काटी गयी कर राशि को विलम्ब से जमा करने की दशा में 15% साधारण ब्याज की दर से धनराशि जमा करने की तिथि तक अर्थदंड लगाया जा सकता है। कर काट कर राजकोष में जमा न करने की दशा में कम से कम तीन माह के कठोर कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है के साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आलोच्य वर्ष में सामग्री खरीद के अधोलिखित बिल से कुल रुपये **303728.00** की कटौती सुनिश्चित न कर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

| राज्य वित्त | क्र.सं. | सामग्री धनराशि | शुद्ध भुगतान | चेक न0 | दिनांक   | इट टी.डी.एस. |
|-------------|---------|----------------|--------------|--------|----------|--------------|
|             | 1       | 126294.00      | 123768       | 40558  | 1.6.19   | 2526         |
|             | 2       | 207013.00      | 202873.00    | 40560  | 1.6.19   | 4140         |
|             | 3       | 174199.00      | 170715.00    | 40585  | 11.9.19  | 3484         |
|             | 4       | 155261.00      | 152156       | 4562   | 1.6.19   | 3105         |
|             | 5       | 140549.00      | 137738.00    | 40564  | 1.6.19   | 2811         |
|             | 6       | 182284.00      | 178638.00    | 40567  | 17.6.19  | 3646         |
|             | 7       | 280917.00      | 275299.00    | 40569  | 17.6.19  | 5618         |
|             | 8       | 101400.00      | 99372.00     | 40571  | 17.6.19  | 2028         |
|             | 9       | 301352.00      | 295329.00    | 40570  | 20.11.19 | 6026         |
|             | 10      | 156000.00      | 152880.00    | 40574  | 17.7.19  | 3120         |
|             | 11      | 143357.00      | 140490.00    | 40577  | 14.8.19  | 2867         |

|  |     |           |            |        |          |           |
|--|-----|-----------|------------|--------|----------|-----------|
|  | 12  | 575279.00 | 563773.00  | 40575  | 14.8.19  | 11506     |
|  | 13  | 285481.00 | 279771.00  | 40579  | 14.8.19  | 5710      |
|  | 14  | 419639.00 | 411246.00  | 40583  | 11.9.19  | 8393      |
|  | 15  | 260000.00 | 254800.00  | 40581  | 14.8.19  | 5200      |
|  | 16  | 69971.00  | 68571.00   | 40599  | 17.2.20  | 1400      |
|  | 17  | 389447.57 | 381658.00  | 40588  | 24.10.19 | 7789      |
|  | 18  | 913713.00 | 895438.00  | 40593  | 17.2.20  | 18275     |
|  | 19  | 922236.00 | 903791.00  | 40595  | 17.02.20 | 18445     |
|  | 20  | 270999.00 | 265566.00  | 40597  | 17.2.20  | 5420      |
|  | 21  | 321578.00 | 315146.00  | 44916  | 17.2.20  | 6432      |
|  | 22  | 327631.00 | 321080.00  | 44919  | 4.03.20  | 6553      |
|  | 23  | 430261.80 | 421656.00  | 44921  | 4.3.20   | 8605      |
|  | 24  | 169570.00 | 166178.00  | 44928  | 28.3.20  | 3392      |
|  | 25  | 166829.00 | 163492.00  | 44931  | 29.3.20  | 3337      |
|  | 26  | 52000.00  | 50960.00   | 44924  | 28.3.20  | 1040      |
|  | 27  | 96772.00  | 94836.00   | 44926  | 28.3.20  | 1935      |
|  | 28  | 215888.00 | 211570.00  | 44924  | 28.3.20  | 4318      |
|  |     |           |            |        |          |           |
|  | 29  | 303576.00 | 297504.00  | 44932  | 29.3.20  | 6072      |
|  | 30  | 303913.00 | 297835.00  | 44930  | 29.3.20  | 6078      |
|  | 31  | 437400.00 | 428652.00  | 44923  | 27.3.20  | 8748      |
|  | 32  | 656100.00 | 642978.00  | 44934  | 31.3.20  | 13122     |
|  | 33  | 82143.00  | 80500.00   | 040772 | 12.7.19  | 1643      |
|  | योग |           | 9446259.00 |        |          | 192784.00 |

|                |    |           |            |       |          |           |
|----------------|----|-----------|------------|-------|----------|-----------|
| विधायक<br>निधि | 1  | 143061.00 | 140200.00  | 40644 | 1.5.2019 | 2861      |
|                | 2  | 82554.00  | 80903 .00  | 41365 | 10.7.19  | 1651      |
|                | 3  | 306359.00 | 300232 .00 | 40646 | 1.5.19   | 6127      |
|                | 4  | 210483.00 | 206273.00  | 40658 | 10.7.19  | 4210      |
|                | 5  | 160792.00 | 157576.00  | 40648 | 1.5.19   | 3216      |
|                | 6  | 118609.00 | 115137.00  | 41362 | 10.7.19  | 2372      |
|                | 7  | 101727.00 | 99692.00   | 41375 | 14.8.19  | 2035      |
|                | 8  | 148628.00 | 145655.00  | 40650 | 1.6.19   | 2973      |
|                | 9  | 96151.00  | 94228.00   | 44809 | 11.9.19  | 1923      |
|                | 10 | 163768.00 | 160493.00  | 40652 | 1.6.19   | 3275      |
|                | 11 | 172654.00 | 169201.00  | 40655 | 17.6.19  | 3453      |
|                | 12 | 119502.00 | 117112.00  | 41377 | 14.8.19  | 2390      |
|                | 13 | 177215.00 | 173671.00  | 40657 | 17.6.19  | 3544      |
|                | 14 | 85954.00  | 84235.00   | 41379 | 14.8.19  | 1719      |
|                | 15 | 156541.00 | 153410.00  | 41367 | 10.7.19  | 3131      |
|                | 16 | 94685.00  | 92791.00   | 44816 | 20.11.19 | 1894      |
|                | 17 | 397096.00 | 389154.00  | 44807 | 11.9.19  | 7942      |
|                | 18 | 311893.00 | 305655.00  | 44812 | 24.10.19 | 6238      |
|                | 19 | 157988.00 | 154828.00  | 41371 | 12.7.19  | 3160      |
|                | 20 | 113253.00 | 110987.00  | 44814 | 24.10.19 | 2266      |
|                | 21 | 119270.00 | 116885.00  | 40630 | 4.2.19   | विगत वर्ष |
|                | 22 | 67453.00  | 66104.00   | 44820 | 16.12.19 | 1349      |
|                | 23 | 184687.00 | 180972.00  | 44828 | 4.3.21   | 3693      |

|     |           |            |       |         |           |
|-----|-----------|------------|-------|---------|-----------|
| 24  | 7120.00   | 6977.00    | -     | -       | पेंडिंग - |
| 25  | 394043.00 | 386162.00  | 41373 | 12.7.19 | 7881      |
| 26  |           |            |       |         |           |
|     | 297584.00 | 291632.00  | 41363 | 10.7.19 | 5952      |
| 27  | 231508.00 | 226878.00  | 41369 | 107.19  | 4630      |
| योग |           | 4403181.00 |       |         | 89885.00  |

|                |     |                     |                  |       |          |           |
|----------------|-----|---------------------|------------------|-------|----------|-----------|
| अनुरक्षण<br>मद | 1   | 277889.00           | 272330.00        | 5476  | 20.11.19 | 5558      |
|                | 2   | 100041.00           | 98041.00         | 48646 | 24.12.19 | 2001      |
|                | 3   | 249738.00           | 244743.00        | 5478  | 2011.19  | 4995      |
|                | 4   | 8503.00             | 8333.00          | 48648 | 24.12.19 | 170       |
|                | 5   | 2605.00             | 2605.00          | -     | -        | पेंडिंग - |
|                | 6   | 107680.00           | 105328.00        | 5480  | 20.11.19 | 2154      |
|                | 7   | 309069.00           | 302887.00        | 48656 | 27.3.20  | 6181      |
|                | योग |                     | 1031860.00       |       |          | 21059.00  |
|                |     | <b>सम्पूर्ण योग</b> | <b>303728.00</b> |       |          |           |

#### प्रस्तर - 36

**सोलर लाइट स्थापना में अनियमितता** - अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शा .स .33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन संस्था के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है .विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्ट किया जाता है। सोलर लाइट की स्थापना हेतु भुगतान दिनांक 27.3.20 / चेक संख्या 44923 / रुपये 428652.00 और दिनांक 31.3.20 को चेक संख्या 44934 से 642978.00 का कुल **1071630.00** भुगतान किया गया है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा। सोलर लाइट एक प्रोजेक्ट है जीपीडीपी कार्य योजना में एक कार्य है लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़ कर सम्पादित किया गया है और कार्य को टुकड़ों में कर भुगतान किया गया है ताकि उच्च स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी अनुमति लेने से बचा जा सके। जब कि 31.7.2015 की विभिन्न स्रोत से प्राप्त धनराशि के उपभोग गाइडलाइन के बिन्दु “4क” के अनुसार कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। खरीद दर की प्रक्रिया और स्थापना का कार्य जिस फर्म भवानी ट्रेडर्स से कराया गया है उसके नेडा अप्रूव्ड होने की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार और खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 37

**धनराशि उपभोग गाइडलाइन का पालन नहीं-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 1639 /33-3-2015-03-2015 दिनांक 19 जून 2015 के बिंदु 2.5 के अनुसार और शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 15 के पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग की गाइडलाइन के बिंदु-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की तथा उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय कृषि तथा बीज विपणन गोदाम आदि आँगनवाड़ी केन्द्रों और बाल मैत्रिक शौचालयों आदि ) के **मरम्मत और रखरखाव पर** अवश्य व्यय किया जाए तथा **शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों / सृजित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा**। मांगोपरांत लेखापरीक्षा में परिसंपत्ति सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे जिस कारण मरम्मत और रखरखाव सम्बन्धी गाइडलाइन की पुष्टि नहीं जा सकी. आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में क्षेत्र पंचायत को कुल रुपये 13735200.00 संक्रमित किए गए जब कि पूर्व वर्ष का अवशेष रुपये 8092202.00 था। इस प्रकार वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि रुपये 21827402.00 उपलब्ध थी। कार्य की सूची देखने से स्पष्ट है कि संस्था के द्वारा विभिन्न कार्यों पर मानदेय सहित कुल 10583415.00 रुपये व्यय किये गए हैं। इसमें बैठक हेतु व्यय 110000.00 और मानदेय 49000.00 भी शामिल है इसको अलग करने पर शासनादेश के अनुसार अवशेष 10424415.00 का 50% धनराशि रुपये 5212207.50 को निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना था और शेष 50% धनराशि रुपये 5212207.50 को मरम्मत और रखरखाव पर व्यय किया जाना था। इस संबंध में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि -



- आलोच्य वर्ष में कृत कार्यों की सूची के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मरम्मत एवं रखरखाव पर सिर्फ ₹ 1532211.00 व्यय किए गए हैं और निर्माण कार्य पर कुल व्यय का अधिकतम रुपये 5212207.50 (10424415.00 का 50%) ही व्यय किया जाना था लेकिन वर्ष में रुपये **3679996.00** जिसे नियमानुसार मरम्मत कार्य पर उपभोग करना था को निर्माण कार्य पर उपभोग करते हुए उपर्युक्त शासनादेश / गाइडलाइन का उल्लंघन कर धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है।
- कार्यों की सूची से यह भी स्पष्ट है कि कृत कार्य एक ही ग्राम पंचायत से संबंधित है जब कि गाइडलाइन के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्य ही कराए जाने हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।  
उपर्युक्त बिन्दुओं के क्रम में रुपये **3679996.00** का दुर्विनियोग किया गया है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 10- क्षेत्र पंचायत - पिण्डरा

### लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

प्रस्तर - 38

क्षेत्र पंचायत पिण्डरा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्य का विवरण निम्नवत् पाया गया -

- 1- ग्राम पंचायत टिकरी खुर्द गंगा बाबा के मजार राजदेव के खेत से टिकरी खुर्द बार्डर मार्ग पर खडन्जा कार्य।
  - 2- ग्राम पंचायत करखियाव राजेश मौर्या के खेत से हरिजन बस्ती तक खडन्जा कार्य।
  - 3- ग्राम पंचायत विक्रमपुर रेलवे फाटक के पास भोला मिश्रा के खेत से मुन्ना चौबे के खेत के पास पिच रोड तक खडन्जा कार्य।
- उपरोक्त कार्य के सापेक्ष निम्न व्यय दर्शित किया गया -

| क्र०सं० | ईंटों की संख्या | दर   | धनराशि           |          |
|---------|-----------------|------|------------------|----------|
| 1       | 40083           | 5.10 | 204423.30        | निविदा   |
| 2       | 37642           | 5.10 | 191974.20        | निविदा   |
| 3       | 33693           | 5.10 | 171834.00        | ई-निविदा |
|         | <b>योग</b>      |      | <b>568231.50</b> |          |

ईंटों के क्रय में निम्न आपत्तियां पायी गयी -

- क- ईंटों का क्रय व उसके उपयोग की अवधि में लगभग दो-तीन माह का अन्तर पाया गया। ईंट किस संरक्षण में रखा गया अस्पष्ट रहा।
- ख- ईंट क्रय के लिए उपलब्ध पत्रावलियों चलान, पेड केन्सिल प्राप्ति रसीद आदि संलग्न नहीं किया गया। स्थल पर ईंट किस दिनांक और कितनी मात्रा में आया अस्पष्ट रहा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के संख्या 35(1) के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्राप्त सामग्री जिनकी गिनती व माप की जा सकती है किन्तु एम0बी0 पुस्तिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में किसी भी सामग्री की गिनती व माप नहीं करवायी गयी। स्टाफ रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ग- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 41(2) के अनुसार लेखाकार द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र लिखा जाना अपेक्षित है कि मेरे द्वारा बिल की जांच पिछले चालू भुगतान से कर ली गयी है और बिल ठीक है तत्पश्चात वित्त अधिकारी द्वारा काउन्टर सादल किया जाना चाहिए था किन्तु लेखा परीक्षा में संस्था के निर्माण पत्रावलियों में प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया जो अपेक्षित रहा।
- घ- क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहा जिसके कारण निर्माण कार्य के प्रस्ताव में ईंटों के क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ङ- संस्था द्वारा ईंटों का क्रय करके खडन्जा कार्य किया गया किन्तु निर्माण पत्रावलियों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं देखा गया।
- उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली एवं शासनादेशों के नियमों की अवहेलना कर उक्त निर्माण कार्यों में ₹ 568231.50 धनराशि का ईंट क्रय करके धन का दुरुपयोग की गयी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 39

क्षेत्र पंचायत पिण्डरा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ₹ 2885000.00 प्राप्त हुआ इस मद में गत वर्ष का अवशेष ₹ 1057000.00 कुल 3942000.00 था। इस धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में पात्रों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ₹ 3340420.00 का व्यय अनुदान पंजिका भाग-3 में दर्शित है।

उल्लेखनीय है कि व्यय धनराशि की पुष्टि में सामूहिक विवाह के आयोजन में उपहार, आभूषण, कपड़ा, खान-पान, वीडियोग्राफी, टेन्ट आदि के व्यय प्रमाणक के रूप में मात्र ₹ 2245992.00 के ही पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्राप्त हुई कुल 3340420.00 से 2245992.00 में ₹ 1094428.00 धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो धन का अपहरण है।

अपुष्ट व्यय धनराशि रु 1094426.00 के लिए वित्तीय वर्ष के लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। अतः प्रत्येक से रुपया 547214.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 40**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जमानत राशि रु 18000.00 प्राप्त हुआ। इस मद में गत वर्ष का अवशेष 181372.00 कुल 199372.00 था कुल धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में रु 128844.00 का व्यय अनुदान पंजिका भाग-3 में दर्शित है।

उल्लेखनीय है कि निविदा बिक्री प्रपत्रों से आय की धनराशि का वितरण अप्राप्त रहा। निविदा बिक्री प्रपत्रों के बाद जमानत की धनराशि को कार्यपूर्ण होने की तिथि से छः माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात कब किस तिथि को जमानत की धनराशि रु 128844.00 किन-किन ठेकेदारों को वापस किया गया पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। जो लेखा परीक्षा में अपहरण दर्शित रहा। इसके लिए 2018-19 वित्तीय वर्ष के लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। अतः प्रत्येक से रुपया 64422.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## **वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 प्रारूप -03**

**जनपद - भदोही**

**मण्डल का नाम विन्ध्याचल**

**क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ**

**क्षेत्र पंचायत अभोली**

**प्रस्तर-01**

लेखा परीक्षा में देखा गया कि वैट-कटौती क० 33329.00 विगत कई वर्षों से संस्था पर रोककर रखा गया है, जिसे सम्बंधित को वापस नहीं किया गया इस प्रकार वैट कटौती 3 33329.0 संस्था पर रोककर तथा नियमानुसार सम्बंधित विभाग में जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शांति यादव, श्री रंजन लाल गुप्ता व श्री मनोज कुमार राय व लेखाकार श्री कृपाशंकर उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -03)**

**प्रस्तर-02**

लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 में जीएसटी कटौती से रु० 25089.00 की आय संस्था को हुयी परन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष तक GST कटौती की धनराशिको सम्बंधित विभाग में जमा नहीं किया गया जो कि वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शांती यादव, श्री रंजनलाल गुप्ता व मनोज कुमार राय एवं लेखाकार श्री कृपाशंकर से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -04)**

**प्रस्तर-03**

आलोच्य वर्ष में आयकर कटौती से रु0 12142.00 प्राप्त हुआ तथा 31 मार्च 2019 रु० 128812.00 आयकर कटौती से प्राप्त धनराशि संस्था पर अवशेष जमा दर्शित है इस प्रकार 31 मार्च 2020 को कुल रु0 140954 आयकर कटौती के रूप में संस्था पर रोककर रखा गया जिससे सम्बंधित विभाग में जमा न कर के करके वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शांती देवी श्री रंजन लाल गुप्ता मनोज कुमार राय व लेखाकार श्री कृपाशंकर दूबे उत्तरदायी रहे हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -05)**

**क्षेत्र पंचायत औराई**

**प्रस्तर-04**

आयकर के मद में 51920=00 अवशेष या वर्ष में 87118-00 प्राप्त हुआ तथा 75368=00 रु.व्यय किया गया । इस प्रकार 31.3.20 को रु. 63679=00 संस्था पर आयकर की धनराशि शेष रही। उक्त से स्पष्ट है की पूर्व वर्षों का अवशेष आयकर जमा न करके तथा आलोच्य वर्ष में प्राप्त सम्पूर्ण आयकर की धनराशि में से कुछ का भाग संस्था पर रोक कर वित्तीय अनियमितता की गई है। आयकर की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित विभाग को जमा किया जाना चाहिये । इस प्रकार 63679=00 आयकर जमा न करके खंड वि. अधिकारी श्री श्याम जी ज्ये. लेखाकार श्री अशोक कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -19)**

**क्षेत्र पंचायत ज्ञानपुर**

**प्रस्तर-05**

1. निम्न विवरण अनुसार कुछ योजनाएं पूर्व वर्षों में बंद कर दी गई थी लेकिन लेखा परीक्षा अवधि तक संबंधित योजनाओं के अवशेष धनराशि को समर्पित नहीं किया गया जो कि अनियमित रहा। जिसके लिए श्री श्याम जी व श्रीमती उमा देवी गुप्ता खंड विकास अधिकारी श्री सत्येंद्र नाथ दुबे लेखाकार जिम्मेदार रहे अतः एव संबंधित धनराशि को नियमानुसार शीघ्र समर्पित किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नलिखित है

| क्रम संख्या | योजना का नाम                         | 31/3/20 को अवरुद्ध धनराशि |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1           | विकास परिसर में शौचालय निर्माण कार्य | 74896-00                  |
| 2           | क्रिटिकल गैप योजना                   | 20559-00                  |
| 3           | विधायक निधि                          | 1500000-00                |
| योग         |                                      | 1595455-00                |

(सामान्य आपति संख्या -02)

**प्रस्तर-06**

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व पंचायत चल अचल संपत्ति नियमावली 1965 के नियम संख्या 3 (1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित संपत्तियों के विवरण को अभिलेख विकृत करने के लिए परिसंपत्ति पंजी का का रखरखाव अपेक्षित है।

उक्त नियमावली के नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रखरखाव अपेक्षित है किंतु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षक नवनिर्मित कार्य का क्षेत्र पंचायत के परिसंपत्ति पंजी का के अभाव में अंकन के संदर्भ में जानकारी न हो सकी और नहीं क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गई है उक्त दोनों पंजिका के आम अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत नव निर्माण व अन्य कार्य करवाया जाना दर्शाया गया है वे पूर्व वर्षों में कब-कब मरम्मत करवाए गए थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था जो निर्माण कराए गए हैं उनमें से एक से अधिक ग्राम पंचायत लाभान्वित भी नहीं हुए हैं उदाहरणार्थ विवरण निम्न वत है

| क्रम संख्या योजना का नाम | कार्य का विवरण                                                                             | व्यय धनराशि | उत्तरदाई व्यक्ति का नाम                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. चतुर्थ राज्य वित्त    | ग्राम पंचायत चौरा कला में पिच रोड से हरिशंकर शुक्ल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य       | 435702-00   | 1. खंड विकास अधिकारी(1) श्री श्याम जी ( 2 ) श्रीमती उमा देवी गुप्ता<br><br>2. ज्येष्ठ लेखाकारश्री सत्येंद्र नाथ दुबे |
| 2. चतुर्थ राज्य वित्त    | पंचायत चौरा कला में पिच रोड से कमला शंकर पांडे के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य           | 464940-00   |                                                                                                                      |
| 3. चतुर्थ राज्य वित्त    | ग्राम ग्राम पंचायत चौरा कला में पिच रोड से उदयशंकर शुक्ल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 435732-00   |                                                                                                                      |
| 4. चतुर्थ राज्य वित्त    | ग्राम पंचायत सरई राजपूतानी में मुख्य नहर से तेलिया वीर मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य   | 527944-00   |                                                                                                                      |
| योग                      |                                                                                            | 1864318-00  |                                                                                                                      |

इस प्रकार एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत उक्त धनराशि 1864318=00 से कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री श्याम जी व श्रीमती उमा देवी गुप्ता तथा लेखाकार श्री सत्येंद्र नाथ दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपति संख्या -03)

**क्षेत्र पंचायत डीघ****प्रस्तर-07**

लेखा परीक्षा में देखा गया की रु 20178 /=- वैट की धनराशि क्षेत्र पंचायत में यथावत विगत वर्षों से जमा दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था । ऐसा न करके अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गौतम तथा लेखाकार श्री विनय शुक्ला पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपति संख्या -02)

### प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष में आयकर मद में 62894 /= रु प्राप्त हुआ। तथा पूर्व वर्षों का शेष रु 47060.41= अवशेष था। इस प्रकार वर्षांत शेष 109954.41/= रु हुआ वर्ष में आयकर के मद में सम्बन्धित विभाग में धनराशि जमा नहीं की गयी। जो की अनियमितता का द्योतक है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गौतम तथा लेखाकार श्री विनय शुक्ला पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपति संख्या -03)

### प्रस्तर-09

शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-3/2015 दिनांक 31.7.2015 के प्रस्तर दो में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धन का उपयोग एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कराये जाने चाहिए थे। किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में कतिपय ऐसे कार्य कराये गए हैं जो की एक राजस्व ग्राम तक सीमित थे। उदाहरण

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कार्य का विवरण                                                                   | व्यय धनराशि |
| तुलसीकला में प्रधानमन्त्री रोड से ब्राह्मण बस्ती तक ५ इंटरलाकिंग                 | 623812/=    |
| "ग्राम सभा केवटाही में विजय यादव के कालोनी से रामदुलार के घर तक इंटरलाकिंग एफ टी | 878000/=    |
| योग                                                                              | 1501812     |

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गौतम एवं लेखाकार श्री विनय शुक्ला उत्तरदायी रहे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपति संख्या -04)

## क्षेत्र पंचायत भदोही

### प्रस्तर-10

दिनांक 31/03/2020 को वैट कटौती से रु० 66153.00 प्राप्त अवशेष दर्शित है। उक्त अवशेष बहुत पुराना है। वैट समाप्ति के बाद अवशेष पड़ा है। वैट की धनराशि संबंधित को वापस न करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री कमल जीत सिंह एवं लेखा कार श्री कपूर चन्द्र उत्तर दायी है ! उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपति संख्या - 09)

## प्रारूप-3 क्षेत्र पंचायत

### जनपद-मीरजापुर

### मण्डल-विन्ध्याचलधाम

#### 1. क्षेत्र पंचायत-जमालपुर

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-1 ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुदान धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत दर्शित चला आ रहा है -

| क्र० | मद का नाम              | धनराशि    | अन्य |
|------|------------------------|-----------|------|
| 1    | पूर्वांचल विकास निधि   | 653864.00 | --   |
| 2    | उ०प्र० सड़क निधि योजना | 14982.00  | --   |
| योग- |                        | 668846.00 |      |

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है। उक्त अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत के द्वारा संचालित किस बैंक खाते में जमा है, पुष्टि नहीं करायी गई। इस हेतु स्थिति स्पष्ट करने के लिए अन्तरिम आपति संस्था को दिया गया, किन्तु अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हॉनि होती है। यह इस तथ्य / बात का सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर ख०वि० अधिकारी का नियंत्रण ठीक-ठाक नहीं रहा।

इस प्रकार अनुदान की धनराशि रु० 668846.00 विगत कई वर्षों से रोके रखने / दुरुपयोग हेतु संस्था के ख०वि० अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर एवं पंचायत राज निदेशक द्वारा अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-02)

**प्रस्तर-2** आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194(सी) के अनुसार "यदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल रु0 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जायेगी यह भुगतान की गई राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी  
क्षेत्र पंचायत जमालपुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर की कटौती नहीं की जा रही है। विवरण निम्नवत् है-

| क्र०       | वित्तीय वर्ष | मद का नाम                                     | क्रय सामग्रीका मूल्य | देय आयकर      | आयकर कटौती | अन्तर         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| 1          | 2019-20      | (क) चतुर्थ राज्य वित्त                        | 3604550              | 72091         | --         | 72091         |
| 2          |              | (ख) सांसद निधि                                | 1212757              | 24255         | --         | 24255         |
| 3          |              | (ग) विधायक निधि(01.04.2019 से 10. 05.2019 तक) | 1154007              | 23080         | --         | 23080         |
| <b>योग</b> |              |                                               | <b>5971314</b>       | <b>119426</b> | <b>--</b>  | <b>119426</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत जमालपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस. कटौती न किये जाने के कारण रु0 119426 आयकर ठेकेदारों / सप्लायर को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है, जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। जिसकी वसूली आयकर अधिनियम की धारा "234-एफ" के अधीन व्यवस्थानुसार व्याज की दर सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है।

| क्र०       | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद नाम        | धनराशि           |
|------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 1          | श्री हेमन्त कुमार        | ख०वि० अधिकारी | 59713.00         |
| 2          | श्री श्याम यादव          | लेखाकर        | 59713.00         |
| <b>योग</b> |                          |               | <b>119426.00</b> |

(मूल आपति संख्या-03)

**प्रस्तर-3** उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात् धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री एवं श्रम पर धनराशि व्यय की गई है किन्तु लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है।

| क्र०       | वित्तीय वर्ष | मद का नाम                                   | क्रय सामग्री   | श्रमांश पर व्यय | योग            | देय लेबर सेस 1 प्रतिशत | अन्य                 |
|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1          | 2019-20      | (1) चतुर्थ राज्य वित्त                      | 3604550        | 782026          | 4386576        | 43866                  | कटौती नहीं की गई है। |
| 2          |              | (2) सांसद निधि                              | 1212757        | 305475          | 1518232        | 15182                  |                      |
| 3          |              | (3) विधायक निधि (01.04.2019 से 10. 05.2019) | 1154007        | 245470          | 1399477        | 13995                  |                      |
| <b>योग</b> |              |                                             | <b>5971314</b> | <b>1332971</b>  | <b>7304285</b> | <b>73043</b>           |                      |

उपरोक्तानुसार संस्था द्वारा कुल रु0 73043.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार करने के पश्चात् कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

| क्र०       | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पद नाम        | धनराशि          |
|------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 1          | श्री हेमन्त कुमार        | ख०वि० अधिकारी | 36521.50        |
| 2          | श्री श्याम यादव          | लेखाकर        | 36521.50        |
| <b>योग</b> |                          |               | <b>73043.00</b> |

(मूल आपति संख्या-04)

**प्रस्तर-4** वर्ष 2019 - 20 में विधायक निधि योजनान्तर्गत निम्नांकित कार्यों पर ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में व्यय दर्शित है किन्तु सम्बन्धित कार्यों की पत्रावली / प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रही अतः व्यय दर्शित धनराशि, टेण्डर एवं अन्य शर्तों की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न है-

| क्र० | तिथि     | कार्य का नाम                                                        | धनराशि सामग्री | श्रमांश  | योग व्यय  |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1    | 15.04.19 | देवलासपुर ग्राम के उत्तर चक्रोड से परदेशी के घर सी. सी. रोड निर्माण | 270825.00      | 55920.00 | 326745.00 |
| 2    | 18.04.19 | धारा में जोगवा बन्धवा माइनर से साधन सह० समिति मठना तक सी.सी. कार्य  | 232378.00      | 48200.00 | 280578.00 |

|            |          |                                                             |                  |                  |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3          | 30.04.19 | जगदीशपुर में सी.सी. रोड के सामने सहजनी माइनर पुलिया निर्माण | 260671.00        | 55610.00         | 316281.00        |
| <b>योग</b> |          |                                                             | <b>763874.00</b> | <b>159730.00</b> | <b>923604.00</b> |

अतः उपरोक्तानुसार बगैर प्रमाणक के धनराशि रु0 923604.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय से खारिज कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर भाग में ब्लाक प्रमुख ख०वि० अधिकारी एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता से करने के पश्चात् धनराशि विधायक निधि के बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

## 2. क्षेत्र पंचायत-छानवे

वर्ष-2017-18 से 2019-20

**प्रस्तर-5** वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान शीर्ष में कुल रु० 13,79,763.00 व्यय / वापस किये गये, जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। किन्तु इससे सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, पंजिका, वापसी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये जिससे इस धनराशि के व्यय या वापसी की कोई पुष्टि नहीं होती। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका दायित्व श्री संजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पर जाता है। अतः उक्त धनराशि रु० 13, 79,763.00 की वसूली श्री संजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से नियमानुसार ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-02)

**प्रस्तर-6** वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान शीर्ष में कुल रु० 20,09,787.00 व्यय / वापस किये गये, जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। किन्तु इससे सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, पंजिका, वापसी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये जिससे इस धनराशि के व्यय या वापसी की कोई पुष्टि नहीं होती। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका दायित्व श्री संजय कुमार पाण्डेय, डा० अजय श्रीवास्तव तथा श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण पर जाता है। अतः उक्त धनराशि रु० 20,09,787.00 की वसूली श्री संजय कुमार पाण्डेय, डा० अजय श्रीवास्तव तथा श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण से नियमानुसार ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-03)

**प्रस्तर-7** वित्तीय वर्ष 2018-19 में तेरहवां वित्त आयोग शीर्ष में कुल रु० 3,23,084.00 व्यय/ वापस किये गये, जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। किन्तु इससे सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, पंजिका, वापसी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये जिससे इस धनराशि के व्यय या वापसी की कोई पुष्टि नहीं होती। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका दायित्व श्री संजय कुमार पाण्डेय, डा० अजय श्रीवास्तव तथा श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण पर जाता है। अतः उक्त धनराशि रु० 3,23,084.00 की वसूली श्री संजय कुमार पाण्डेय, डा० अजय श्रीवास्तव तथा श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण से नियमानुसार ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-04)

**प्रस्तर-8** वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत निर्वाचन मानदेय शीर्ष में कुल रु० 15000.00 भुगतान किये गये, जैसा कि अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है। किन्तु इससे सम्बंधित कोई भी भुगतान प्रमाणक, पंजिका आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये जिससे इस धनराशि के भुगतान की कोई पुष्टि नहीं होती। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका दायित्व श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पर जाता है। अतः उक्त धनराशि रु० 15000.00 की वसूली श्री अजितेन्द्र नारायण, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से नियमानुसार ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०-04)

**प्रस्तर-9** वर्ष 2019-20 की अनुदान पंजिका 3 से विदित होता है कि अधोलिखित शीर्षों में दिनांक 31.03.20 को उनके सम्मुख अंकित धनराशि शेष थीं-

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (कंटीजेंसी) - | 38,53,922.00        |
| (2) आश्रय स्थल / स्क्रीनिंग कैम्प-               | 1,00,000.00         |
| (3) पूर्वांचल विकास निधि                         | 10,11,374.00        |
| <b>योग-</b>                                      | <b>49,65,296.00</b> |

उक्त शीर्ष की धनराशियों का वर्ष में उपयोग किया जाना चाहिये था या वर्षात में इन्हें सम्बंधित विभागों को वापस किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके वर्षात इन्हें शेष रख कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजितेन्द्र नारायण पर जाता है। अतः इसके लिए श्री अजितेन्द्र नारायण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति सं0-05)

### 3. क्षेत्र पंचायत-राजगढ़

वर्ष-2019-20

**प्रस्तर-10** दिनांक 31.03.2020 को अनुदान पंजिका-3 में चेक संख्या 33905, दिनांक 22.10.2018 कुल धनराशि रु० 6315.00 निर्गत तो दर्शित है किन्तु आह्वित नहीं दर्शित है। यह चेक लगभग एक वर्ष एवं छ; माह पुराना है। अतः इसकी स्थिति के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह चेक इलाहाबाद बैंक शाखा राजगढ़, लेखा संख्या - 22169523822का है जैसा कि अनुदान पंजिका में अंकित है। किन्तु माह जून-2019 तक इस चेक को लेखा संख्या - 22169582226, इलाहाबाद बैंक शाखा राजगढ़ के सम्मुख अंकित किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कार्यशिलता एवं गंभीर अनियमितता की गयी है। अतः इस सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति सं0-10)

**प्रस्तर-11** दिनांक 31.03.2020 को अनुदान पंजिका-3 में अधोलिखित चेक निर्गत दर्शित हैं, किन्तु आह्वित नहीं दर्शित हैं-

| चेक संख्या                                                  | धनराशि रु०       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| (क) संख्या-121072, दि० 29.07.2019, इलाहाबाद बैंक राजगढ़     | 16127.00         |
| (ख) संख्या-2936, दि० 29.07.2019, इलाहाबाद बैंक राजगढ़       | 175564.00        |
| (ग) संख्या-713225, दि० 29.07.2019, पंजाब नेशनल बैंक         | 138132.00        |
| (घ) संख्या-22056, दि० 29.07.2019, ई०यू०पी०ग्रा० बैंक बघौड़ा | 1402.00          |
| (ङ) संख्या-22057, दि० 29.07.2019, ई०यू०पी०ग्रा० बैंक बघौड़ा | 1614.00          |
| (च) संख्या-22058, दि० 29.07.2019, पंजाब नेशनल बैंक राजगढ़   | 190232.00        |
| <b>योग-</b>                                                 | <b>523071.00</b> |

क्रमांक (क) खाता संख्या 50154002078, क्रमांक (ख) खाता संख्या-50185281769, क्रमांक (ग) खाता संख्या -6742000100050218, क्रमांक (घ) खाता संख्या- 502, क्रमांक (ङ) खाता संख्या 415 तथा क्रमांक (च) खाता संख्या -6742000100052261 का है जैसा कि अनुदान पंजिका -3 में अंकित है। ये सभी चेक 8 माह से अधिक की अवधि से निर्गत है किन्तु वर्षात तक इनकी स्थिति स्पष्ट न होना खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कार्यशिलता तथा गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। अतः इस अनियमितता हेतु स्थिति स्पष्ट किया जाये, तथा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचंद्र राम के विरुद्ध कार्यवाही (विभागीय) किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति सं0-11)

**प्रस्तर-12** दिनांक 01.04.2019 को आयकर कटौती शीर्ष में रु० 50938.00 तथा वैट कटौती शीर्ष में रु० 90613.00 शेष दर्शित थे। ये अवशेष दिनांक 31.03.2020 को भी यथावत् अनुदान पंजिका-3 में दर्शित रहे जबकि इन्हें सम्बंधित विभागों के शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो न करके गंभीर अनियमितता विकास खण्ड स्तर से की गयी। अतः इसे तत्काल जमा किया जाना चाहिए तथा इस अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-13)

**प्रस्तर-13** दिनांक 01.04.2019 को रु० 391005.00 की धनराशि "आई० ए० पी० योजना" शीर्ष में दर्शित थी जो दिनांक 31.03.2020 को भी यथावत् अनुदान पंजिका-3 में दर्शित रही। इसे न तो ब्यय करने हेतु दिशानिर्देश मांगे गये तथा विभाग को वापस भी नहीं किया गया। इसप्रकार विकास खण्ड स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यशिलता तथा अनियमितता की गयी जिसका पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर जाता है। अतः प्राथमिकताधार पर उक्त धनराशि के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही किया जाये तथा अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति सं0-14)

**प्रस्तर-14** दिनांक 01.04.2019 को "लेबर सैस" शीर्ष में रु० 16160.00 की धनराशि अनुदान पंजिका-3 में शेष दर्शित थी जो दिनांक 31.03.2020 को भी यथावत् दर्शित रही। इसे संबंधित विभाग को जमा नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता एवं कार्यशिलता को दर्शाता है। अतः इसे तत्काल उचित कार्यवाही कर सम्बंधित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित है साथ ही इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। (मूल आपति सं0-15)

**प्रस्तर-15** वर्ष 2019-20 की अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि वर्ष में रु० 5323633.00का व्यय “ विधायक विकास निधि शीर्ष में तथा रु० 1878177.00का कुल व्यय "सांसद विकास निधि" शीर्ष में ककिया गया है । इन शीर्षों पर व्यय धनराशि से सम्बंधित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। अतः उक्त कुल धनराशि रु० 5323633+1878177=7201810.00के व्यय में गंभीर अनियमितता संभावित हो सकती है अनियमितता की स्थिति में पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होगा तथा ऐसा होने पर विभागीय कार्यवाही उनके विरुद्ध किया जाना चाहिए, साथ ही अभीष्ट कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति सं०-19)

#### 4. क्षेत्र पंचायत-नारायनपुर वर्ष-2019-20

**प्रस्तर-16** अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि वर्ष 2019-20 में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि व्यय की गयी-

| क्र० | शीर्ष          | धनराशि ( रु० )    |
|------|----------------|-------------------|
| 1    | सांसद निधि     | 886099.00         |
| 2    | विधायक निधि    | 4971274.00        |
|      | <b>कुल रु०</b> | <b>5857373.00</b> |

उक्त व्यय कुल धनराशि की जांच एवं पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये । अतः इनके व्यय में गंभीर अनियमितता संभावित है। अतः इसकी विस्तृत जांच किया जाना चाहिए तथा अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति सं०-01)

**प्रस्तर-17** अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि वर्षान्त अर्थात् दिनांक 31.03.2020 को 'जी०एस०टी०' शीर्ष में रु० 5786.00 तथा 'सेस' शीर्ष में रु० 1091.00, इस प्रकार कुल रु० 6877.00 शेष दर्शित थे जो वर्ष में सम्बन्धित विभागों को जमा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। यह विकास खण्ड स्तर पर की गयी कार्य शिथिलता एवं अनियमितता को दर्शाता है। अतः उक्त धनराशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा किया जाना चाहिए तथा इस अनियमितता एवं कार्य शिथिलता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, श्री पवन कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति सं०-02)

**प्रस्तर-18** अनुदान पंजिका-3 में वर्षान्त में रु० 17396.00 'तेरहवांति' शीर्ष में दर्शित थे। यह योजना अब सक्रीय नहीं है, अतः इसे नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, श्रीपवन कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति सं०-03)

#### 5. क्षेत्र पंचायत-सीटी वर्ष-2017-18 से 2019-20

**प्रस्तर-19** आयकर अधिनियम-1961 के सैक्शन- 194(सी) के अनुसार "यदि किसी ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु० 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी यह भुगतान की गयी राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी, जिस पर नियमानुसार अधिभार या अन्य उपकर भी सम्मिलितकिये जाएंगे ।

क्षेत्र पंचायत सीटी के वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर की कटौती नहीं की जा रही है। विवरण निम्नलिखित है-

| क्र.सं.    | वित्तीय वर्ष | मद का नाम          | क्रय सामग्री मूल्य | देय आयकर 2.26 प्रतिशत | आयकर की कटौती | वसूली योग्य कर की धनराशि |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2017-18      | चतुर्थ राज्य वित्त | 6967493.00         | 157465.00             | --            | 157465.00                |
| 2          | 2018-19      | चतुर्थ राज्य वित्त | 15750593.00        | 355963.00             | --            | 355963.00                |
| 3          | 2019-20      | चतुर्थ राज्य वित्त | 2620850.00         | 59231.00              | --            | 59231.00                 |
| <b>योग</b> |              |                    |                    | <b>572659.00</b>      | <b>--</b>     | <b>572659.00</b>         |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत सीटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत व्ययकृत ( सामग्री क्रय ) धनराशि पर निर्धारित दर अनुसार टी०डी०एस० कटौती न किये जाने के कारण रु० 572659.00 आयकर न काटकर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है। जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा-234 - एफ' के अधीन व्यवस्थानुसार ब्याज की दर सहित निम्नानुसार कीजानी अपेक्षित है।

| क्र०सं० | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पदनाम        | सन्निहित धनराशि |
|---------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1       | श्री पुष्प कुमार सिंह    | ब्लाक प्रमुख | 190886.00       |



|            |                         |                |                  |
|------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 2          | श्री सुनील कुमार तिवारी | ख०वि० अधि०     | 55009.00         |
| 3          | श्री नीरज दुबे          | ख०वि० अधि०     | 114582.00        |
| 4          | श्री दीनदयाल            | ख०वि० अधि०     | 10188.00         |
| 5          | श्री श्वेतांक सिंह      | ख०वि० अधि०     | 11108.00         |
| 6          | श्री शिवानन्द           | वरिष्ठ लेखाकार | 190886.00        |
| <b>योग</b> |                         |                | <b>572659.00</b> |

**(मूल आपति सं०-02)**

**प्रस्तर-20** वर्ष 2018 - 19 में चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत वि०ख० के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में सोलर लाइट स्थापना कार्य हेतु सोलर लाइट धनराशि रु० 935550.00 का क्रय किया गया है।

उ०प्र० नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-332 नेडा / किगैप-एस०एस०एल० / 13-14 दिनांक 22.11.2013 के अनुसार सोलर लाइट क्रय हेतु आदेश नेडा से है। कितनु ख०वि०अधि० एवं ब्लाक प्रमुख मिलकर मनमाने ढंग से निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्राइवेट कम्पनी मे० राज कान्ट्रक्शन, लोहदीकला, मीरजापुर से रु० 935550.00 का सोलर लाइट दिनांक 30.07.2018 को चेक संख्या - 969958 द्वारा धनराशि रु० 935550.00 का सोलर लाइट क्रय किया गया है। सोलर लाइट लगाने का प्रमाण पत्र लाभार्थियों से नहीं लिया गया है और न ही क्रय प्रमाणक ही लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है, कि ख०वि० अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार के मिलीभगत से रु० 935550.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख श्री पुष्प कुमार सिंह, ख०वि० अधिकारी श्री नीरज दुबे एवं लेखाकार श्री शिवानन्द से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है। **(मूल आपति सं०-03)**

**प्रस्तर-21** कर्मकार कल्याण उपकर लेबर सेस की कटौती न किया जाना / कम किया जाना उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम-2009 (जो कि फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम-4 (3) के अनुसार ठेकेदार अथवा उपठेकेदार के बिल से कार्य कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निम्नांकित विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है

| क्र० सं० | वर्ष    | मद का नाम          | क्रय सामग्री | श्रमांश पर व्यय | योग         | देय लेबर सेस1% | कटौती की गई राशि | अन्तर            |
|----------|---------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 1        | 2017-18 | चतुर्थ राज्य वित्त | 6967493.00   | 1345794.00      | 8313287.00  | 83133.00       | 58795.00         | 24338.00         |
| 2        | 2018-19 | चतुर्थ राज्य वित्त | 15750593.00  | 1752738.00      | 17503331.00 | 175033.00      | 18199.00         | 156834.00        |
| 3        | 2019-20 | चतुर्थ राज्य वित्त | 2620850.00   | 664839.00       | 3285689.00  | 32857.00       | --               | 32857.00         |
|          |         |                    |              |                 |             | <b>योग-</b>    | <b>76994.00</b>  | <b>214029.00</b> |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत सीटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निर्धारित दर अनुसार सेस की कटौती न किये जाने के कारण रु० 214029.00 लेबर सेस कम काटकर ठेकेदारों (सप्लायरों) को प्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017- 18 से 2019-20 तक काटे गये कुल लेबर सेस अंकन रु०76994.00 की जमा की पुष्टि में चालान/प्रमाणक लेखापरीक्षक पटल पर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। कम कटौती की गई लेबर सेस की धनराशि की वसूली ब्याज सहित निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों / अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है—

| क्र०सं०    | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | पदनाम          | सन्निहित धनराशि  |
|------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 1          | श्री पुष्प कुमार सिंह    | ब्लाक प्रमुख   | 71343.00         |
| 2          | श्री सुनील कुमार तिवारी  | ख०वि० अधि०     | 8200.00          |
| 3          | श्री नीरज दुबे           | ख०वि० अधि०     | 50868.00         |
| 4          | श्री दीनदयाल             | ख०वि० अधि०     | 5694.00          |
| 5          | श्री श्वेतांक सिंह       | ख०वि० अधि०     | 6583.00          |
| 6          | श्री शिवानन्द            | वरिष्ठ लेखाकार | 71341.00         |
| <b>योग</b> |                          |                | <b>214029.00</b> |

**(मूल आपति सं०-04)**

## 6. क्षेत्र पंचायत-सीखड़ वर्ष-2019-20

**प्रस्तर-22** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग / तेहरवॉ वित्त के द्वारा जियानी के घर से राज कुमार के घर तक ह्यूम पाइप नाली, इण्टरलाकिंग व साइडवाल कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 5.66 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को श्री कृष्ण कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर बाला जी लाईट को कार्यलय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त बाला जी लाईट द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो संख्या-35 दिनांक-01.07.2019 के माध्यम से रु0 476607.00, एवं अन्य जी.एस.टी./ वेट आदि कटौती रु0 48518.00 के करने के उपरान्त कुल रु0 428089.00. उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध, है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई हैं जो नियम के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये ही टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

7-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 बाला जी लाईट को सामग्री आपूर्ति का आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 अर्थात सामग्री एव/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से एव क्रमोंक (ए) अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक प्रतीत होता है।जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

8-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदो से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

9-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

10-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

11-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 5.66 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 460549.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 460549.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी ; आई0एस0बी0,श्री अमित कुमार जयसावल

जे0ई0एम0आई तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0धनश्याम प्रसाद व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं0-02)

**प्रस्तर-23** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त के द्वारा मुकुन्दपुर में मुन्नू राजभर के घर से कुहकुह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 3.65 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0) , को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर बाला जी लाईट को कार्यलय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त बाला जी लाईट द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 33 दिनांक -19.06.2019 के माध्यम से रु 256145.00, ,एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 6877.00 के करने के उपरान्त कुल रु 249268.00. उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपतिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपतिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई हैं जो गम्भीर आपतिजनक है।

5-शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपतिजनक है।

6-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

7-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 बाला जी लाईट को सामग्री आपूर्ति का आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से एवं क्रमोंक (ए)अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक प्रतीत होता है।जो नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपतिजनक है

8-शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपतिजनक हैं।

9-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

10-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध हैं ।

11-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपतिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.65 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु, 263968.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 263968.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री अमित कुमार जे0ई0 एम0आई तत्कालीन

व खण्ड विकास अधिकारी श्री डा०धनश्याम प्रसाद व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं०-03)

**प्रस्तर-24** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त के द्वारा सीखड में चरागाह का मेड निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल का मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 2.42 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी०), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर बाला जी लाईट को कार्यालय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त बाला जी लाईट द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 34 दिनांक -20.06.2019 के माध्यम से रु 171946.00, एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु 4617.00 के करने के उपरान्त कुल रु 167329.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-शासनादेश सं० 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम०एम०-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं० 2 के अनुसार सामग्री क्रया हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में० बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

7-आलोच्य निर्माण कार्य में में० बाला जी लाईट को सामग्री आपूर्ति का आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से एवं क्रमोंक (ए) अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक प्रतीत होता है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

8-शासनादेश सं० 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं० 866/33-2-14-93 जी 2004 टी०सी० पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

9-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

10-लेखा परीक्षा में एम०बी० बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, हैं ।

11-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु० 2.42 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु० 198189.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु 198189.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी० अमित कुमार जयसावल जे०ई० एम०

आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0धनश्याम प्रसाद व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं0-04)

**प्रस्तर-25** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त के द्वारा कछुवाँ मार्ग में पुलिस चौकी से खैरा तक आर0सी0 रोड का निर्माण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 3.86 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर बाला जी लाईट को कार्यालय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त बाला जी लाईट द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या-32 दिनांक -10.06.19 के माध्यम से रु 201104.99, एवं अन्य जी.एस.टी./ वैंट आदि कटौती रु 5399.00 के करने के उपरान्त कुल रु 195705.00. उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपतिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई हैं जो गम्भीर आपतिजनक है।

5-शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपतिजनक है।

6-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

7-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 बाला जी लाईट को सामग्री आपूर्ति का आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से एवं क्रमोंक (ए) अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध हैं ।

10-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपतिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु 3.86 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु 246505.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु 246505.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री अमित कुमार जयसावल जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0धनश्याम प्रसाद व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं0-05)

**प्रस्तर-26** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त के द्वारा तारा यादव के घर से बेचू लाल के घर तक हुयूमपाईप नाली व खडण्जा निर्माण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 4.07 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 1718(ए)

दिनांक- 06.03.2019 को श्री सुरेश चन्द्र वर्मा सहायक विकास अधिकारी ; आई0एस0 बी , को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर बाला जी लाईट को कार्यालय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त बाला जी लाईट द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 37 दिनांक -13.07.19 के माध्यम से रु 297319 , एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु 30262.00 के करने के उपरान्त कुल रु 267057.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलो से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समिति जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 बाला जी लाईट को सामग्री आपूर्ति का आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 अर्थात् सामग्री एव/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से एव क्रमोंक (ए)अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

7-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, ।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 4.07 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 310287.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 310287.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 अमित कुमार जयसावल जे0ई0 एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0धनश्याम प्रसाद व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-06)

**प्रस्तर-27** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त में ग्राम पंचायत फुलहा में शिव बाबा के मन्दिर से हनुमान मन्दिर तक खडण्जा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 2.26 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 412/ दिनांक 15.11.2019 से श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं पुनः कार्यालय पत्रांक 443/(ए) दिनांक- 21.12.2019 को श्री राम नरेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर आस्था उधोग को कार्यालय पत्रांक-1718(ए) दिनांक- 06.03.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त आस्था उधोग पाळो मीरजापुर द्वारा का

अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 43 दिनांक -12.12.19 के माध्यम से रु 167570.00 ,एवं अन्य जी.एस.टी./ वैंट आदि कटौती रु0 15262.00 के करने के उपरान्त कुल रु 152308.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि 1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में आस्था उद्योग पाछो मीरजापुर को सामग्री आपूर्ति का आदेश 412 दिनांक- 15.11.19 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 412 दिनांक- 15.11.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है।जो नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, ।

10-उक्त कार्य में रु 13920.00 की मिट्टी क्रय किया गया जिसका भुगतान टैक्टर मालिक को न करके कार्य प्रभारी श्री राम नरेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत )को किया जाना नियम के विरुद्ध है। अतः उक्त भुगतान संदिग्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 2.26 लाख के सापेक्ष सामग्री/मिट्टी/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 201368.00 को सम्बन्धित को कूटचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 201368.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राम नरेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत )श्री बडेलाल जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-07)

**प्रस्तर-28** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त में विकास खण्ड कार्यालय एवं प्रागण में स्थित भवनो का मरम्मत व रंगाई पोताई एवं सुन्दीकरण का अवशेष कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 6.21 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 412 दिनांक- 15.11.2019 को श्री राम नरेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर आस्था उद्योग पाहो मीरजापुर को कार्यालय पत्रांक-412 दिनांक- 15.11.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त आस्था उद्योग पाहो मीरजापुर द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 107 दिनांक -07.01.2020 के माध्यम से रु 228660.00 एवं कैश मीमो सख्या - 110 दिनांक 28.01.2020 के माध्यम से रु0 44214.00 ,एवं अन्य जी.एस.टी./ वैंट आदि कटौती रु0 87778.00 के करने के उपरान्त कुल रु 245096.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रया हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में आस्था उधोग पाहो मीरजापुर को सामग्री आपूर्ति का आदेश 412 दिनांक- 15.11.19 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 412 दिनांक- 15.11.2019 अर्थात सामग्री एव/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

7-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

8-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 6.21 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 533006.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 533006.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री राम नरेश सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत ) श्री बडेलाल जे0ई 0एम0 आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-08)

**प्रस्तर-29** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त में ग्राम पंचायत आराजी लाइन में शीतला माता धाम पुलिया से मदन के घर तक भूमिगत नाली निर्माण व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 8.33 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 412 दिनांक- 15.11.2019 को श्री कृष्ण कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0 ), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर आस्था उधोग पाहो मीरजापुर को कार्यलय पत्रांक-412 दिनांक- 15.11.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त आस्था उधोग पाहो मीरजापुर द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 108 दिनांक - 09.01.2020. के माध्यम से रु 249998.00 एवं कैश मीमो सख्या -111 दिनांक 03.02.2020 के माध्यम रु0 573595.00 अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 83973.00 के करने के उपरान्त कुल रु 739604.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया हैं जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।



2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में आस्था उधोग पाळो मीरजापुर को सामग्री आपूर्ति का आदेश 412 दिनांक- 15.11.19 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 412 दिनांक- 15.11.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 8.33 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 824944.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 824944.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी ( आई0 एस0 बी.)श्री बडेलाल जे0ई0 एम0 आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-09)

**प्रस्तर-30** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त में ग्राम पंचायत बटौवा में भोलाई के घर से जोखू पाल के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 2.19 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 412 दिनांक- 15.11.2019 को श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी) , को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर आस्था उधोग पाहो मीरजापुर को कार्यालय पत्रांक-412 दिनांक- 15.11.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त आस्था उधोग पाहो मीरजापुर द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 42 दिनांक -15.12.2019. के माध्यम से रु 97868.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 9963.00 के करने के उपरान्त कुल रु 87905.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया हैं जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में आस्था उधोग पाहो मीरजापुर को सामग्री आपूर्ति का आदेश 412 दिनांक- 15.11.19 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 412 दिनांक- 15.11.2019 अर्थात् सामग्री एवं/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

10-उक्त कार्य में रु 15895.00 की मिट्टी क्रय किया गया जिसका भुगतान टैक्टर मालिक को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी) को किया जाना नियम के विरुद्ध है। अतः उक्त भुगतान संदिग्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 2.19 लाख के सापेक्ष सामग्री/मिट्टी/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 166030.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 166030.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (सी) श्री बडे लाल जोई0एम0 आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-10)

**प्रस्तर-31** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त में ग्राम पंचायत आराजी ला0 सुल्तानपुर लड्डू पेन्टर के घर से नहलू यादव के घर तक नाली व खडण्जा मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 5.41 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 412 दिनांक- 15.11.2019 को श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी) , को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर आस्था उधोग पाहो मीरजापुर को कार्यालय पत्रांक-412 दिनांक- 15.11.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त आस्था उधोग पाहो मीरजापुर द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 40 दिनांक -18.11.2019. के माध्यम से रु 311561.00 एवं कैश मीमो क्रमांक 45 दिनांक 21.12.2019 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 9963.00 के करने के उपरान्त कुल रु 398770.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया हैं जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में बिना टेण्डर आमन्त्रण के एवं बिना टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित किये ही फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 बाला जी लाईट को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में आस्था उधोग पाळो मीरजापुर को सामग्री आपूर्ति का आदेश 412 दिनांक- 15.11.19 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 412 दिनांक- 15.11.2019 अर्थात सामग्री एव/ कार्य प्रभारी का आदेश एक ही पत्रांक से अंकित होना कार्यप्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

10-उक्त कार्य में रु 11278.00 की मिट्टी क्रय किया गया जिसका भुगतान टैक्टर मालिक को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी) को किया जाना नियम के विरुद्ध है। अतः उक्त भुगतान संदिग्ध है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 5.41 लाख के सापेक्ष सामग्री/मिट्टी /मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 496678.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक ा है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 496678.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी) श्री बडे लाल जे0ई एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम व श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-11)

**प्रस्तर-32** वित्तीय वर्ष में कुल रु0 20738.00 का लेबर सेन्स की कटौती की गयी धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कर दिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न करके धनराशि को खाते में रोका रखना धनराशि रु0 20738.00 वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम एवं श्री शिवानन्द दुबे सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-12)

## क्षेत्र पंचायत-मझवां वर्ष-2017-18 से 2019-20

**प्रस्तर-33** वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद मनरेगा में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 12197.00 था और वर्ष दौरान रु0 1877981.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु0 1874086.00 व्यय दर्शित है । परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 1874086.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 1874086.00 का अपहरण किया गया हैं जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश तिवारी दिनांक -01.04.2017 से 06.04.2017 तक एवं श्रीराम चन्द्र राम दिनांक -07.04.2017 से 16.04.2017 तक एवं, श्री दिनेश प्रताप सिंह दिनांक-14.06.2017 से 16.07.2017 तक , एवं श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक - 17.07.2017 से 31.01.2017 तक एवं श्री नीरज दुबे दिनांक-01.01.2018 से

24.07.2018 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री राकेश कुमार शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-02)

**प्रस्तर-34** वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक मद मनरेगा में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2018 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 16092.00. था और वर्ष दौरान रु0 2834840.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु0 2028395.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 2028295.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 2028295.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे दिनांक - 01.01.2018 से 24.07.2018 तक एवं अमीर राम दिनांक - 25.07.2018 से 16.08.2019 तक एवं सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-03)

**प्रस्तर-35** वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछडा आयोग अनुदान में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2018 को प्रारम्भिक अवशेष. रु0 195745.00 था और वर्ष दौरान रु0 807803.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु0 661007.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 661007.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 661007.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे दिनांक - 01.01.2018 से 24.07.2018 तक एवं अमीर राम दिनांक - 25.07.2018 से 16.08.2019 तक एवं सहायक लेखाकार, श्री राकेश कुमार शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-04)

**प्रस्तर-36** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक मद मनरेगा में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष रु0 822637.00. था और वर्ष दौरान रु0 977616.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु0 1486454.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 1486454.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 1486454.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम दिनांक - 25.07.2018 से 16.08.2019 एवं श्री डा0 घनश्याम प्रसाद दिनांक - 21.08.2019 से 01.12.2020 तक एवं सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-05)

**प्रस्तर-37** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधान मन्त्री आवास प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष रु0342541.00. था और वर्ष दौरान रु0310532.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 653072.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 653072.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 653072.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अमीर राम दिनांक-25.07.2018 से 16.08.2019 एवं श्री डा0 घनश्याम प्रसाद दिनांक - 21.08.2019 से 01.12.2020 तक एवं सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-06)

**प्रस्तर-38** वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा ग्राम भैंसा में मोहित शर्मा एवं कृष्णदास के दरवाजे से रामचन्द्रपुर सीमा तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 14.00 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 08 दिनांक-07.08.2016 को श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया किये ही विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खुलने का बिना दिनांक अंकित किये ही मे विन्ध्य इण्टर प्राइजेज मझवाँ को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे0 विन्ध्य प्राइजेज मझवाँ द्वारा का अपने फर्म के कैशमीमो सख्या-06 दिनांक -10.01.17 के माध्यम से रु0 199354.00, एवं कैशमीमो सख्या 07 दिनांक -24.01.2017 के माध्यम से रु 202199.00, एवं कैशमीमो सख्या 08 दिनांक -25.01.2017 के माध्यम से रु0 200875.00, एवं कैशमीमो सख्या-02,03 दिनांक -23.05.17 के माध्यम से रु0 512238.00 जी.एस.टी./ वैट / अन्य आदि कटौती रु0

110566.00 के करने के उपरान्त कुल रु0 1004100.00. उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि—

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई है जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं-02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण के एवं टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये ही टेण्डर में विन्ध्याविशी प्राइजेज मझवाँ को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर काल्पनिक उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना एवं मजदूरी के मजदूरी दिवस ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-उक्त कार्य में कैश मीमो सख्या-06 दिनांक 10.01.2017 को रु0 199954.00 एवं कैश मीमो सख्या-07 दिनांक 24.01.2017 को रु0 202199.00 एवं कैश मीमो सख्या-08 दिनांक 25.01.2017 को रु0 200875 भुगतान हेतु बिल दिया गया उक्त कार्य में कैश मीमो सख्या-02,03 दिनांक 23.05.2017 को रु0 512238.00 दिये गये हैं जब कैश मीमो के भुगतानों के क्रमों और दिनांक को क्रमानुसार की जाँच किया गया जो कैश मीमो सख्या 06 दिनांक 10.01.2017 एवं 07, दिनांक 24.01.2017 एवं 08 के 25.01.2017 के पहले दिये गये कैश मीमो 02 व 03 दिनांक 23.05.2017 के दिये गये हैं। दिनांक 25.01.2017 के पहले आना चाहिए कैश मीमो 02 व 03 दिनांक क्रमाशः 23.05.2017 को भुगतान हेतु दिये गये हैं। वह कैश मीमो क्रमानुसार /नियमानुसार दिनांक 25.01.2017 के पहले भुगतान हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए ऐसा न करके मनमानी ढंग से दिनांक 25.01.2017 के बाद भुगतान हेतु प्रेषित किया जाना अंकन रु0 1004100.00 फर्जी/काल्पनिक कैश मीमो तैयार कर भुगतान प्राप्त किया जाना व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी बिल तैयार कर उक्त परियोजना में सामग्री में व्यय धनराशि अंकन रु0 1004100.00 का अपहरण किया है।

10-उपरोक्त परियोजना में दिनांक 06.01.2017 से 12.01.2017 के मास्टर रोल 20 मजदूरी का भुगतान रु0 23838.00 किया जबकि मास्टर रोल के क्रमांक 03 में अंकित कन्हैया लाल का 6 दिवस रु0174 की दर से रु0 1044.00 किया जाना चाहिए परन्तु मास्टर रोल में 7 दिवस रु0 174.00 की दर से रु0 1218.00 भुगतान किया गया अर्थात रु0 174.00 कन्हैयालाल को अधिक भुगातान किया गया है। और उपरोक्त परियोजना में दिनांक 13.01.2017 से 19.01.2017 के मास्टर रोल 20 मजदूरी का भुगतान रु0 23838.00 किया जबकि मास्टर रोल के क्रमांक 12 में अंकित छोटेलाल का 6 दिवस रु0174 की दर से रु0 1044.00 किया जाना चाहिए परन्तु मास्टर रोल में 7 दिवस रु0 174.00 की दर से रु0 1218.00 भुगतान किया गया अर्थात रु0 174.00 छोटेलाल को अधिक भुगातान किया गया है। और उपरोक्त परियोजना में दिनांक 20.01.2017 से 27.01.2017 के मास्टर रोल 20 मजदूरी का भुगतान रु0 23838.00 किया जबकि मास्टर रोल के क्रमांक 08 में अंकित महेन्दर का 4 दिवस रु0174 की दर से रु0 696.00 किया जाना चाहिए परन्तु मास्टर रोल में 7 दिवस रु0 174.00 की दर से रु0 1218.00 भुगतान किया गया अर्थात रु0 522.00 महेन्दर को अधिक भुगातान किया गया है। अर्थात तीनों मास्टर रोल में रु0 विभिन्न मजदूरी को रु0 870.00 का अधिक भुगतान किया जाना स्पष्ट करता है कि अंकन रु0 170639.00 श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0), द्वारा फर्जी बनाकर भुगतान प्राप्त करना व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अर्थात अंकन रु0 1174739.00 का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 14.00 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 1174739.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक प्रतीत होता है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 1174739.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0), जे0ई0एम0आई तत्कालीन व खण्ड विकास

अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी व श्री रमेश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0), जे0ई0एम0आई तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी व श्री रमेश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार संयुक्त से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-07)

**प्रस्तर-39** वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा ग्राम सभा बंधवों में पटेल बस्ती से कुछवा राजातालाब मार्ग तक हयूम पाइप नाली निर्माण एवं खडण्जा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 18.30 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 08 दिनांक-07.08.2016 को श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया किये ही विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खुलने का बिना दिनांक अंकित किये ही मे विन्ध्य इण्टर प्राइजेज मझवों को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे0 विन्ध्य प्राइजेज मझवों ने अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 09 दिनांक -25.01.17 के माध्यम से रु 199994.00 ,एवं कैशमीमो सख्या 10 दिनांक -25.01.2017 के माध्यम से रु 199947.00 ,एवं कैश मीमो सख्या 11 दिनांक -25.01.2017 के माध्यम से रु 126700.00,एवं कैशमीमो सख्या 04. दिनांक -26.05.17 के माध्यम से रु 512238.00 एवं कैशमीमो सख्या 05. दिनांक -13.07.17 के माध्यम से रु 247309.00 एवं कैशमीमो सख्या 11 व 12. दिनांक -01.08.19 के माध्यम से रु 48445.00 जी.एस.टी./ वैट / अन्य आदि कटौती रु0 100748.00 के करने के उपरान्त कुल रु0928497.00. उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध, है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

3-शासनादेश सख्या-4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छः स्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पाई हैं जो नियम के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपतिजनक है ।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII मे उल्लिखित नियम स0-2 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण के एवं टेण्डर खोलने का दिनांक निर्धारित करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये ही टेण्डर में0 विन्ध्य प्राइजेज मझवों को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर काल्पनिक प्रतीत होता हैं और उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पानिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपतिजनक है।

9-उक्त कार्य में कैश मीमो सख्या-09 दिनांक 25.01.2017 को रु0199994.00 एवं कैश मीमो सख्या-10 दिनांक 25.01.2017 को रु0 199947.00 एवं कैश मीमो सख्या-11 दिनांक 25.01.2017 को रु0 126700.00 भुगतान हेतु बिल दिया गया उक्त कार्य में कैश मीमो सख्या-04 दिनांक 26.05.2017 को रु0206850.00 एवं कैश मीमो सख्या-05 दिनांक 13.07.2017 को रु0247309.00 एवं कैश मीमो सख्या-11 ,12 दिनांक 01.08.2017 को रु0 48445.00 के भुगतान हेतु बिल दिये जब कैश मीमो के भुगतानो के क्रमोंक और दिनांक को क्रमानुसार जाँच किया गया जो कैश मीमो सख्या 09 ,10,11 के 25.01.2017 के पहले दिये गये कैश मीमो 04. व 05 दिनांक 25.01.2017 के पहले आना चाहिए कैश मीमो 04 दिनांक 26.05.2017 व 05 दिनांक 13.07.2017 के दिये गये हैं। दिनांक 25.01.2017 के पहले कैश मीमो क्रमोंक 04 व 05 क्रमानुसार /नियमानुसार दिनांक 25.01.2017 के पहले भुगतान हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए ऐसा न करके मनमनी ढंग से दिनांक 25.01.2017 के बाद भुगतान हेतु प्रेषित किया जाना अंकन रु0 938497.00 फर्जी /काल्पनिक कैश मीमो तैयार कर भुगतान प्राप्त किया जाना व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी बिल तैयार कर उक्त परियोजना में सामग्री में व्यय धनराशि अंकन रु0 928497.00 का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 18.30 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 1259298.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 1259298.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0), जे0ई0एम0आई तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी व श्री रमेश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सी0), जे0ई0एम0आई तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी व श्री रमेश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार संयुक्त से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-08)

**प्रस्तर-40** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा बजहा में रिशू सिंह के घर से हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 4.75 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 171 दिनांक- 14.07.18 को श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को कार्यालय पत्रांक-162 दिनांक- 11.05.2018 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी द्वारा का अपने फार्म के कैश मीमो संख्या 10,11,12, 14 दिनांक- 18.05.2018 के माध्यम से रु0 368020.00 एवं कैशमीमो संख्या 40 दिनांक -26.06.2018 के माध्यम से रु0 22476.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 45905.00 के करने के उपरान्त कुल रु 342591.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है।

3-शासनादेश संख्या- 4430 / 33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपतिजनक है।

4-शासनादेश सं0 6714 / 7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपतिजनक है।

5-शासनादेश सं0 8307 / 33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपतिजनक हैं।

6-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं-02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म तीन फर्मों के टेण्डर क्रमोंक 2498 होना फार्म काल्पनिक प्रतीत होते हैं। टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को स्वीकृत करना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है ।

7-आलोच्य निर्माण कार्य में मे0 अरविन्द कुमार सिंह को सामग्री आपूर्ति का आदेश पत्रांक 162 दिनांक- 11.05.2018 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 171 दिनांक- 14.07.2018 किया गया अर्थात् सामग्री सप्लाई का आदेश कार्य प्रभारी नियुक्त के बाद किया जाना चाहिए जबकि ऐसा न करके कार्य प्रभारी का आदेश सामग्री आपूर्ति के आदेश के बाद किया ही कार्य प्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक प्रतीत होता है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपतिजनक है

8-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

9-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध हैं ।

10-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपतिजनक है।

11-उक्त कार्य में सामग्री आपूर्ति का आदेश एवं कार्य प्रारम्भ की तिथि 11.05.2018 एक ही तिथि होना एवं कार्य कार्य प्रभारी के नियुक्त दो माह बाद दिनांक 14.07.2018 को करना ही निर्माण पत्रावली तैयार करना काल्पनिक है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 4.75 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 420091.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 420091.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार मिश्रा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-09)

**प्रस्तर-41** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा विकास खण्ड परिसर इण्टरलांकग निर्माण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 6.99 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 171 दिनांक- 14.07.18 को श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त बिना सामग्री के टेण्डर की कार्यवाही के बिना ही गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बरैनी मझवाँ एवं मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को कार्यालय पत्रांक-164 दिनांक- 11.05.2018 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज कैशमीमो सख्या 03,04, दिनांक -18.05.2018. के माध्यम से रु0 527479.00 एवं मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 08,09 दिनांक -18.05.2018 के माध्यम से रु0 180443.00 एवं कैशमीमो सख्या 41 दिनांक 01.08.2018 व 42 दिनांक -05.08.2018 . के माध्यम से रु0 55206.00 एवं एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 93613.00 के करने के उपरान्त कुल रु 669515.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि सम्पहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4- शासनादेश सं0 6714 / 7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है जिसका पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा करके बिना टेण्डर खोले ही कार्यलय पत्रांक 164 दिनांक 11.05.2018 के द्वारा सामग्री आपूर्ति का आदेश करना/ गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बरैनी मझवाँ में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर काल्पनिक प्रतीत होता है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 अरविन्द कुमार सिंह को सामग्री आपूर्ति का आदेश पत्रांक 164 दिनांक- 11.05.2018 एवं गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बरैनी मझवाँ को सामग्री आपूर्ति का आदेश पत्रांक 164 दिनांक- 11.05.2018 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 171 दिनांक- 14.05.2018 किया गया अर्थात् सामग्री सप्लाई का आदेश कार्य प्रभारी नियुक्त के बाद किया जाना चाहिए जबकि ऐसा न करके कार्य प्रभारी का आदेश सामग्री आपूर्ति के आदेश के बाद में किया जाना ही कार्य प्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

8-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है।

9-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।



उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी ₹0 8.63 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य ₹0 768665.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान ₹0 768665.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे दिनांक 01.01.2018 से 24.07.2018, श्री अमीर राम दिनांक 25.07.2018 से 16.08.2019 तक व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-10)

**प्रस्तर-42** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा विकास खण्ड परिसर कार्यालय भवन सभागार का मरम्मत कार्य एवं रंगाई पुताई कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.45 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 171 दिनांक- 14.05.18 को श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को कार्यालय पत्रांक-169 दिनांक- 11.05.2018 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी द्वारा का अपने फार्म के कैशमीमो सख्या 43,44,45 दिनांक -05.08.2018 के माध्यम से ₹0 709842.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती ₹0 86073 के करने के उपरान्त कुल ₹ 623769.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समिति या जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर 15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम सं-02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म क्रमांक 2497 तीनों फर्मों को ही क्रमांक का फार्म टेण्डर फर्मों की बिक्री करना ही टेण्डर फार्म ही काल्पनिक है। टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में मे0 अरविन्द कुमार सिंह को सामग्री आपूर्ति का आदेश पत्रांक 169 दिनांक- 11.05.2018 एवं कार्य प्रभारी के आदेश 171 दिनांक- 14.05.2018 किया गया अर्थात् सामग्री सप्लाई का आदेश कार्य प्रभारी नियुक्त के बाद किया जाना चाहिए जबकि ऐसा न करके कार्य प्रभारी का आदेश सामग्री आपूर्ति के आदेश के बाद में किया जाना ही कार्य प्रभारी/सामग्री आपूर्ति का आदेश काल्पनिक प्रतीत होता है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

8-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, हैं ।

9-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी ₹0 7.09 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य ₹0 850719.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 850719.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0 बी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे दिनांक 01.01.2018 से 24.07.2018 ,श्री अमीर राम दिनांक 25.07.2018 से 16.08.2019 तक व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं0-11)

**प्रस्तर-43** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा विकास खण्ड परिसर में स्थित रिहायसी भवन आदि का मरम्मत एवं रंगाई पुताई अनुरक्षण कार्य के की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.97 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 669 दिनांक- 26.10.18 को श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया ही विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्मों को डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और बिना टेण्डर खोले मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी से सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश के बिना ही ं मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी से कैशमीमो सख्या 19,20,21 दिनांक -20.11.2018 के माध्यम से रु0 483374.00 ं एवं कैशमीमो सख्या 49 दिनांक -10.02.2019 के माध्यम से रु0 26438.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 70269.00 के करने के उपरान्त कुल रु 439543.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलो से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII मे उल्लिखित नियम सं-02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके और बिना टेण्डर खोले और बिना अधिकृत/आदेश मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी से सामग्री प्राप्त करना एवं भुगतान करना प्रथम दृष्टया उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में मे0 अरविन्द कुमार सिंह द्वारा सामग्री आपूर्ति का आदेश बिना ही मे0 अरविन्द कुमार सिंह द्वारा कैश 19,20,21 दिनांक 20.11.2018 अंकन रु0 483374.00 एवं कैश मीमो 49 दिनांक 10.02.2019 अंकन रु0 26438.00 अर्थात् कुल 509812.00 सामग्री आपूर्ति करके भुगतान प्राप्त किया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है।जो नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपत्तिजनक है

7-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

8-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध हैं ।

9-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 9.97 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 878193.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 878193.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0 बी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री अमीर राम व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपति सं0-12)

**प्रस्तर-44** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा विकास खण्ड मझवाँ में इण्टरलांकग का अवशेष कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 8.60 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 669 दिनांक- 26.10.18 को श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का बिना प्रक्रिया किये ही विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और बिना टेण्डर खोले ही गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ से सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश के बिना ही में गुरु कृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ ने कैशमीमो सख्या 95,96 दिनांक -16.01.2019 के माध्यम से रु0 250868.00 एवं कैशमीमो सख्या 97,98, दिनांक -16.01.2019 के माध्यम से रु0 498400.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 107145.00 के करने के उपरान्त कुल रु 642123.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलो से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपूत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश संख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समिति जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके और बिना टेण्डर खोले और बिना अधिकृत/आदेश में0 गुरु कृपा इण्टरप्राइजेज से सामग्री प्राप्त करना एवं भुगतान करना प्रथम दृष्टया उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-आलोच्य निर्माण कार्य में में0 गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ द्वारा सामग्री आपूर्ति का आदेश बिना ही अपने फार्म के कैशमीमों 95,96, दिनांक 16.01.2019 अंकन रु0 250868.00 एवं कैश मीमो 97,98 दिनांक 16.01.2019 अंकन रु0 498400.00 अर्थात् कुल 749268.00 सामग्री आपूर्ति करके भुगतान प्राप्त किया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है। जो नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

7-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

8-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है।

9-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 8.60 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 731698.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 731698.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार मिश्र सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0 बी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री अमीर राम व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-13)

**प्रस्तर-45** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा चकिया में अश्रय के मशीन से सुरेन्द्र शर्मा के धर तक इण्टरलांकग कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.99 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 170 दिनांक- 14.05.2018 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ, एवं मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को कार्यालय पत्रांक-167 दिनांक- 11.05.2018 को दोनों फर्मों को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ, द्वारा अपने फार्म ें

कैशमीमो सख्या 08 दिनांक -06.06.18 के माध्यम से रु0613132.00 एवं मे0 अरविन्द्र कुमार सिंह द्वारा अपने कैशमीमो सख्या 15,16,17,18, दिनांक -06.06.2018 के माध्यम से रु0 313201.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 113351.00 के करने के उपरान्त कुल रु 812982.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलो से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये है जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म क्रमांक 2499 तीनों फार्मों को बिक्री करके टेण्डर खोलने की कार्यवाही काल्पनिक है। इसके साथ ही साथ फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बरैनी मझवाँ मे0 अरविन्द्र कुमार सिंह वाराणसी दो फर्मों को स्वीकृत करना/ एक ही क्रमांक 2499 के तीनों फार्मों का फार्म की बिक्री कहना ही प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 9.99 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 882232.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 882232.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री नीरज दुबे व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-14)

**प्रस्तर-46** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग वित्त के द्वारा ग्राम चडिया में निगतपुर मार्ग पर दियाव पाचू के घर से हनुमान मंदिर तक इण्टरलांकग कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 8.16 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 170 दिनांक- 14.05.2018 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ, एवं मे0 अरविन्द्र कुमार सिंह वाराणसी को कार्यलय पत्रांक-165 दिनांक- 11.05.2018 को दोनों फार्मों को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज बरैनी मझवाँ, द्वारा अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 19,20,21, दिनांक -06.06.18 के माध्यम से रु0283351.00 एवं मे0 अरविन्द्र कुमार सिंह द्वारा अपने कैशमीमो सख्या 09,10,11, दिनांक -06.06.2018 के माध्यम से रु0 468323.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि

कटौती रु0 95892.00 के करने के उपरान्त कुल रु 655782.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बैरनी मझवाँ में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी एवं एक ही क्रमांक 2495 तीनों फार्मों को फार्म की बिक्री करना स्वीकृत करना एवं दो फार्मों टेण्डर प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 7.42 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0718482.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 718482.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री नीरज दुबे व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-15)

**प्रस्तर-47** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा दियाव नरोत्तमपुर मार्ग पर खरण्जा मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 7.50 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 669 दिनांक- 26.10.2018 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और बिना टेण्डर खोले मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी से सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश के बिना ही ं मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी ने कैशमीमो सख्या 09, दिनांक - 25.11.2018 के माध्यम से रु0208062.00 एवं कैशमीमो सख्या 23,24, दिनांक -09.12.2018 के माध्यम से रु0 153773.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 57865.00 के करने के उपरान्त कुल रु0303970.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर गुरु कृपा इण्टर प्राइजेज बरैनी मझवाँ में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है, ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-दियाव नरोत्तमपुर मार्ग पर खडण्जा मरम्मत कार्य परियोजना में किस स्थान से किस स्थान तक की खडण्जा मरम्मत किया गया है का स्थान अंकित न किया जाना ही परियोजना का स्टीमेट ही काल्पनिक प्रतीत होता है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 7.50 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0641395.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 641395.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी, श्री अमीर राम व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-16)

**प्रस्तर-48** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा जमुआ दुनाई मार्ग से गोतवा सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा मरम्मत कार्य परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 8.91 लाख का तैयार किया गया और कार्यालय पत्रांक 669 दिनांक- 26.10.2018 को श्री दिनेश कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (सी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को कार्यालय पत्रांक-664 दिनांक-25.10.2018 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त मे0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 48, दिनांक -25.10.2018 के माध्यम से रु0237360.00 एवं कैशमीमो सख्या 30, दिनांक -01.01.2019 के माध्यम से रु0 33219.00 एवं कैशमीमो सख्या 22, दिनांक - 01.12.2018 के माध्यम से रु0 90315.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैंट आदि कटौती रु051489.00 के करने के उपरान्त कुल रु 309405.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII मे उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में0 अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु08.91 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0775180.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 775180.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री नीरज दुबे व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-17)

**प्रस्तर-49** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज वित्त आयोग द्वारा जलालपुर में पिच रोड वकील केघर से सालिक के घर तक खडपजा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 1.62 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 257 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ को कार्यलय पत्रांक-247. दिनांक- 09.07.2019 को सामग्री सप्लाई को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ, द्वारा अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 30, दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु0 78744.00 एवं मिटटी क्रय भाडा सहित रु0 12352.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 11233.00 के करने के उपरान्त कुल रु 79863.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलो से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया

जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर ओम ईट भटठा बरेनी मझवाँ को स्वीकृत करना साथ ही साथ दो फार्मों से ही टेण्डर फार्म भी प्राप्त किया गया है जबकि टेण्डर कम से कम तीन फार्मों से टेण्डर फार्म प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है ऐसा न करके एक क्रमोंक 2506 दोनो फार्मों को फार्मों की बिक्री करना जिससे स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं। उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 1.62 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 97695.00 को सम्बन्धित को कूटचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 97695.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-18)

**प्रस्तर-50** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा जमुआ में चौरा माता मंदिर से हास्पिटल तक नाली निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 3.18 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फार्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही मे0परमहंश ईट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज को टेण्डर स्वीकृत किया गया साथ ही साथ सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश के बिना ही में मे0 परमहंश ईट भटठा अपने फार्म ें कैशमीमो सख्या 100 दिनांक - 26.11.19 के माध्यम से रु049411.00 एवं कैशमीमो सख्या 103 दिनांक -30.12.2019 के माध्यम से रु020584.00 ें एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज ने अपने कैशमीमो सख्या 37,38,39, दिनांक -28.11.2019 के माध्यम से रु0 33974.00 एवं कैशमीमो सख्या 40,41,42, दिनांक -05.12.2019 के माध्यम से रु0 43463.00 एवं कैशमीमो सख्या 46,48,49, दिनांक -26.12.2019 के माध्यम से रु0 116388.00 अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 36932.00 के करने के उपरान्त कुल रु 226888.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया



जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

**5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर मे0परमहश ईट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज को स्वीकृत करना एवं टेण्डर फार्म क्रमांक 2508 तीनों फर्मों को टेण्डर फार्म बिक्री करना साथ ही साथ दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।**

**6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।**

**7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है।**

**8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।**

**9-शासनादेश स0 8307 / 33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।**

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.18 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0274806.00 को सम्बन्धित को कूटचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 274806.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-19)**

**प्रस्तर-51** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा जमुआ में बादशाह पटेल की जमीन से सियाराम पटेल के पुराने मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 3.63 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम इट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज एवं मे0 गुरु कृपा इण्टरप्राइजेज तीन फर्मों को टेण्डर स्वीकृत किया गया और कार्यलय पत्रांक 247 दिनांक 09.07.2019 को तीनों फर्मों को सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश 247 दिनांक 09.07.2019 किया आदेश उपरान्त ओम ईट भटठा अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 29 दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु052496.00 एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज ने अपने कैशमीमो सख्या 09,10, दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु0 28150.00 एवं कैशमीमो सख्या 51, दिनांक -27.10.2019 के माध्यम से रु0 21171.00 एवं गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज कैशमीमो सख्या 54, दिनांक -10.11.2019 के माध्यम से रु0 202468.00 अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 42816.00 के करने के उपरान्त कुल रु 261469.00.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

**1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।**

**2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है।जो गम्भीर आपत्तिजनक है।**

**3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये है जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।**

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ / दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में परमहेश ईट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज को स्वीकृत करना एवं टेण्डर फार्म क्रमांक 2508 तीनों फर्मों को टेण्डर फार्म बिक्री करना साथ ही साथ दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध है ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307 / 33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.63 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 309605.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 309605.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-20)

**प्रस्तर-52** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहराँ वित्त के द्वारा निगतपुर में भरतलाल यादव के घर से मनोज पासी के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 8.55 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम इट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज एवं में0 गुरु कृपा इण्टरप्राइजेज तीन फार्मों को टेण्डर स्वीकृत किया गया और कार्यलय पत्रांक 247 दिनांक 09.07.2019 को तीनों फर्मों को सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश 247 दिनांक 09.07.2019 किया आदेश उपरान्त ओम इट भटठा अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 28 दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु078744.00 एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज ने अपने कैशमीमो सख्या 78,79, दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु0 88893.00 एवं कैशमीमो सख्या 43,44,45, दिनांक -11.12. 2019 के माध्यम से रु028823.00 एवं गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज कैशमीमो सख्या 13, दिनांक -10.07.2019 के माध्यम से रु0 280000.00 एवं कैशमीमो सख्या 30, दिनांक -06.09.2019 के माध्यम से रु0 308000.00 अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 111839.00 के करने के उपरान्त कुल रु 672621.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में परमहंस ईट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज को स्वीकृत करना एवं टेण्डर फार्म क्रमोंक 2508 तीनों फर्मों को टेण्डर फार्म बिक्री करना साथ ही साथ दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307 / 33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 8.55 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 727925.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 727925.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-21)

**प्रस्तर-53** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा महामल पिच रोड से बचन के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 4.89 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ एवं माँ विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज को कार्यालय पत्रांक-247. दिनांक- 09.07.2019 को सामग्री सप्लाई दोनों फर्मों को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ, द्वारा अपने फार्म के ं कैशमीमो सख्या 31, दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु0 236232.00 एवं कैशमीमो सख्या-168, दिनांक -01.03.2020 के माध्यम से रु0 100090.00 एवं मिटटी क्रय भाडा सहित रु0 20072.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वेट आदि कटौती रु0 47715.00 के करने के उपरान्त कुल रु 308679.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया हैं जबकि-

1-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में परमहेश ईट भटठा एवं माँ विन्ध्यासिनी इण्टर प्राइजेज को स्वीकृत करना एवं टेण्डर फार्म क्रमों 2508 तीनों फर्मों को टेण्डर फार्म बिक्री करना साथ ही साथ दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307 / 33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 4.89 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 363805.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 363805.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-22)

**प्रस्तर-54** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग/तेहरवाँ वित्त के द्वारा गडौली पसियान बस्ती में डिगुर सरोज के सामने नाले पर पुलिया निर्माण कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 3.48 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ एवं माँ विन्ध्यासिनी इण्टरप्राइजेज को कार्यालय पत्रांक-247. दिनांक- 09.07.2019 को सामग्री सप्लाई दोनों फर्मों को अधिकृत /आदेश किया गया आदेश के उपरान्त ओम ईट भटठा बरैनी मझवाँ, द्वारा अपने फार्म के कैंशमीमो सख्या 27,, दिनांक -11.07.2019 के माध्यम से रु0 78744.00 एवं कैंशमीमो सख्या-66,68,69 दिनांक -02.03.20 के माध्यम से रु0 71339.00 एवं माँ विन्ध्यासिनी इण्टरप्राइजेज ने अपने कैंश मीमों सख्या-02,03,04, दिनांक -10.07.2019 के माध्यम से रु0 133119.00 एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 40215.00 के करने के उपरान्त कुल रु 306489.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि-

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहृत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-शासनादेश स0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/दिसम्बर15 दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारो/सामग्री आपूर्तिकर्ताओ से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रैजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित अथवा उसने रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्तकर निर्माण पत्रावलियों में रखा जाना अपेक्षित है। का पालन नहीं किया गया हैं जो शासनादेश के विरुद्ध हैं। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

5-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII में उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके फर्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके तुलनात्मक चार्ट बनाकर तुलनात्मक चार्ट स्वीकृत करने का दिनांक बिना अंकित किये टेण्डर में परमहेश ईट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज को स्वीकृत करना एवं टेण्डर फार्म क्रमों 2508 तीनों फर्मों को टेण्डर फार्म बिक्री करना साथ ही साथ दो फार्मों को स्वीकृत करना प्रथम दृष्टया टेण्डर उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

6-मास्टर रोल में साप्ताहिक अवकाश को बिना ध्यान दिये ही मानमानी ढंग से मास्टर रोल अंकित किया गया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है।

7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

8-आलोच्य कार्य में लेबर सेंस की बिना कटौती किये ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना ही नियम के विरुद्ध है जो आपत्तिजनक है।

9-शासनादेश स0 8307 / 33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय । ऐसा न करके उक्त शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करना क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जो गम्भीर आपत्तिजनक हैं।

उपरोक्त नियमों के विरुद्ध भी रु0 3.48 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 306489.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 306489.00 पूर्णतः काल्पनिक है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-23)

**प्रस्तर-55** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग के द्वारा विकास खण्ड मझवाँ में सोलर पैनल स्थापना एवं मरम्मत कार्य की परियोजना माप लागत (स्टीमेट) 9.98 लाख का तैयार किया गया और कार्यलय पत्रांक 259 दिनांक- 09.07.2019 को श्री दिनेश कुमार शर्मा , सहायक विकास अधिकारी ;सी0 दूध को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया नियुक्त करने के उपरान्त सामग्री के टेण्डर खुलने का प्रक्रिया करने के उपरान्त विभिन्न फर्मों के टेण्डर फार्म डाक द्वारा न लेकर सीधे लेकर और और टेण्डर तुलनात्मक चार्ट बनाकर टेण्डर खोलने का बिना दिनांक अंकित ही ओम इट भटठा एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज दो फर्मों को टेण्डर स्वीकृत किया गया और कार्यलय पत्रांक 247 दिनांक 09.07.2019 को दोनों फर्मों को सामग्री सप्लाई के लिए कार्यालय आदेश किया आदेश उपरान्त ओम इट भटठा अपने फर्म के कैशमीमो सख्या 49 दिनांक -05.09.2019 के माध्यम से रु0249356.00 एवं कैशमीमो सख्या 108 दिनांक -26.12.2019 के माध्यम से रु020099.00 एवं माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज ने अपने कैशमीमो सख्या 13,14,15, दिनांक -03.08.2019 के माध्यम से रु0 105945.00 एवं कैशमीमो सख्या 21,22,23,24,25,26, दिनांक -03.08.2019 के माध्यम से रु0165876.00 एवं कैशमीमो सख्या 61,62,65, दिनांक -04.02.2020 के माध्यम से रु0 152413.00 अन्य जी.एस.टी./वैट आदि कटौती रु0 75781.00 के करने के उपरान्त कुल रु 617908.00 उक्त निर्माण कार्य के प्रयोग में सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है जबकि

1-उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) के टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पूर्व उससे कम से कम 5 प्रतिशत प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित)जमा करवाया जाना अपेक्षित है शेष धनराशि किये गये कार्य के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की कटौती तब तक की जाती रहेगी जब तक कुल 10 प्रतिशत प्रतिभूति पूरी न हो जाय का पालन नहीं किया गया है जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

2-30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) के अनुसार टेण्डर स्वीकार किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिभूति की धनराशि जमा न होने पर या उपयुक्त कारण दिये बिना विलेख पत्र निष्पादित न करने पर बयाने की धनराशि समपहत कर ली जायेगी का पालन नहीं किया गया है। जो उक्त नियम के विरुद्ध है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

3-शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 के द्वारा छःस्थायी समितियों का गठन करके स्थायी समितिया जो कि वित्तीय मामलो एवं योजनाओ के क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया हैं परन्तु परियोजना में स्थायी समिति / निर्माण कार्य समिति के सदस्य के व्यय प्रमाणक में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं जो उक्त शासनादेश के विरुद्ध है जो गम्भीर आपत्तिजनक है।

4-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग -1 के परिशिष्ट-XVIII मे उल्लिखित नियम स02 के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रण करने उपरान्त टेण्डर फार्म डाक द्वारा/बन्द लिफाफा में निर्धारित तिथि के अन्दर फार्म प्राप्त करके टेण्डर खोलना चाहिए परन्तु ऐसा न करके दो फार्मों से सीधे टेण्डर फार्म प्राप्त करके माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज , ओम ईट भटठा, दो फार्मों को टेण्डर स्वीकृत करना नियम के विरुद्ध है। इसके साथ ही उक्त परियोजना विकास खण्ड मझवाँ में सोलर पैनल स्थापना एवं मरम्मत कार्य हेतु सोलर पैनल से सम्बन्धित कार्य कराने वाले फार्मों से टेण्डर फार्मों की ब्रिकी करने के साथ ही साथ सोलर पैनल से सम्बन्धित कार्य कराने वाले फार्मों का टेण्डर स्वीकृत किया जाना चाहिए ऐसा न करके ईट , मोरम, गिटटी, सीमेन्ट, हार्डबेहर की सप्लाई करने वाले फार्म माँ बिन्ध्यवासिनी इण्टर प्राइजेज , ओम ईट भटठा को टेण्डर स्वीकृत किया जाना टेण्डर काल्पनिक है।

5-विकास खण्ड मझवाँ के सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार शुक्ल एवं कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी ;सी0 द्ध द्वारा जानकारी किया गया तो उक्त कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया है। कि क्षेत्र पंचायत निधि से किसी वित्तीय वर्ष में सोलर लाईट नहीं लगवाया गया है तो विकास खण्ड मझवाँ में सोलर पैनल स्थापना एवं अन्य मरम्मत कार्य परियोजना स्वीकृत का तत्पर्य सोलर पैनलनो का स्थापना के साथ ही साथ विकास खण्ड में लगे सोलर पैनल के मरम्मत कार्य में व्यय करना है। परन्तु उक्त परियोजना में व्यय नहीं करके इसके विरिरीत कार्यों में अंकन रु0 104391.00 मास्टर रोल फार्जी बनाकर कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0 ) को भुगतान किया जाना व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अतः मजदूरी का भुगतान अंकन रु0 104392.00 का अपहरण किया गया है।

6-लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जो नियम के विरुद्ध, हैं ।

7-वित्तीय 2019-20 में विकास खण्ड मझवाँ में सोलर पैनल स्थापना एवं अन्य मरम्मत कार्य के परियोजना को स्वीकृत कार्य योजना में स्वीकृत किया और स्टीमेट के मुख्य पुष्ठ में विकास खण्ड मझवाँ में सोलर पैनल स्थापना एवं अन्य मरम्मत कार्य के परियोजना अंकित किया गया उक्त परियोजना स्वीकृत का तत्पर्य सोलर पैनलनो का स्थापना के साथ ही साथ विकास खण्ड में लगे सोलर पैनल के मरम्मत कार्य में व्यय करना है। परन्तु जे0ई0एम0आई0 द्वारा उक्त परियोजना के विपरीत विकास खण्ड स0वि0 अधि0 पंचायत,में व आवासीय भवनो शौचायल व विधुत कार्य हेतु एवं अन्य कार्य फार्जी स्टीमेट बनाकर क्रमांक 242 /8 दिनांक 26.07.2019 को तकनीकी स्वीकृत करने के उपरान्त विभिन्न फार्मों से अंकन रु0 693689.00 का काल्पनिक बिल लेकर एवं अन्य जी.एस.टी./ वैट आदि कटौती रु0 75781.00 के करने के उपरान्त सम्बन्धित फार्मों को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत करके अंकन रु0 617908.00 का अपहरण किया है ।

उपरोक्त नियमो के विरुद्ध भी रु0 9.37 लाख के सापेक्ष सामग्री/मजदूरी सहित कुल व्यय मूल्य रु0 722300.00 को सम्बन्धित को कूटरचित ढंग से चेक निर्गत कर दी गयी है उक्त कार्य में व्यय गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त कार्य में हुआ भुगतान रु0 722300.00 पूर्णतः काल्पनिक/फार्जी है। काल्पनिक पत्रावली तैयार कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसके के लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी (सी0) श्री एवं जे0ई0एम0आई0 तत्कालीन व खण्ड विकास अधिकारी ,श्री डा0 घनश्याम प्रसाद व श्री राकेश कुमार शुक्ल सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-24)

## क्षेत्र पंचायत-कोन

## वर्ष-2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-56 वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज वित्त निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष 3682328.00 था और वर्ष दौरान रु. 3433000.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 3517263.00 व्यय दर्शित है । परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका,एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियों के अभाव में निम्नांकित ; डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना, टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश, रायल्टी कटौती, के अतिरिक्त 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) एवं 30 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) एवं शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 एवं शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 का पालन किया गया है की नहीं जनकारी नहीं हो सकी)व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि

उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 3517263.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 3517263.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी दिनांक -01.04.17 से 06.04.17 तक ,श्री रामचन्द्र राम दिनांक - 07.04.17 से 13.06.17 तक श्री दिनेश प्रताप सिंह दिनांक- 14.06.17 से 27.07.17 तक श्री नीरज दुबे दिनांक -28.07.17 से 20.12.17 तक श्री अनय कुमार दिनांक- 21.12.17 से 31.03.2018 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-02)

**प्रस्तर-57** वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष 10000.00 था और वर्ष दौरान रु. 1669775.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 1618592.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, , माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 1618592.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 1618592.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी दिनांक -01.04.17 से 06.04.17 तक ,श्री रामचन्द्र राम दिनांक - 07.04.17 से 13.06.17 तक श्री दिनेश प्रताप सिंह दिनांक- 14.06.17 से 27.07.17 तक श्री नीरज दुबे दिनांक -28.07.17 से 20.12.17 तक श्री अनय कुमार दिनांक- 21.12.17 से 31.03.2018 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-03)

**प्रस्तर-58** वित्तीय वर्ष 2017-18 में इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष 3213.00 था और वर्ष दौरान रु. 683000.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 137220.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, , माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 137220.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 137220.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी दिनांक -01.04.17 से 06.04.17 तक ,श्री रामचन्द्र राम दिनांक - 07.04.17 से 13.06.17 तक श्री दिनेश प्रताप सिंह दिनांक- 14.06.17 से 27.07.17 तक श्री नीरज दुबे दिनांक -28.07.17 से 20.12.17 तक श्री अनय कुमार दिनांक- 21.12.17 से 31.03.2018 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-04)

**प्रस्तर-59** वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम विकास योजना में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष 105460.00 था और वर्ष दौरान रु. 00.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 105460.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका,, एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियों के अभाव में निम्नांकित ; डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना, टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश, रायल्टी कटौती, के अतिरिक्त उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) एवं उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) एवं शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 एवं शासनादेश स0 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स0 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.जून 2014 का पालन किया गया है की नहीं जनकारी नहीं हो सकी)व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 105460.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 105460.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी दिनांक -01.04.17 से 06.04.17 तक ,श्री रामचन्द्र राम दिनांक - 07.04.17 से 13.06.17 तक श्री दिनेश प्रताप सिंह दिनांक- 14.06.17 से 27.07.17 तक श्री नीरज दुबे दिनांक -28.07.17 से 20.12.17 तक श्री अनय कुमार दिनांक- 21.12.17 से 31.03.2018 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-05)

**प्रस्तर-60** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज वित्त निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2018 को प्रारम्भिक अवशेष 3598065.00 था और वर्ष दौरान रु. 3637059.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 2922352.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका,, एम0बी0 बुक, निर्माण पत्रावलियों के अभाव में निम्नांकित ; डी0पी0आर0ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना, टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश, रायल्टी कटौती, के

अतिरिक्त उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) एवं उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) एवं शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 एवं शासनादेश स० 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स० 866/33-2-14-93 जी 2004 टी०सी० पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 का पालन किया गया है की नहीं जनकारी नहीं हो सकी)व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 2922352.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 2922352.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार दिनांक -21.12.17 से 15.06.18 तक ,श्री अजितेन्द्र नारायण दिनांक - 22.02.19 से 25.02.19 तक श्री दिनेश कुमार मिश्र दिनांक- 26.02.19 से 09.03.19 तक श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक -10.03.19 से 31.05.19 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल दिनांक 01.04.17 से 12.07.18 तक , श्री शिवकुमार पाण्डेय 13.07.18 से 28.12.20 तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-06)

**प्रस्तर-61** वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2018 को प्रारम्भिक अवशेष 61183.00 था और वर्ष दौरान रु. 485400.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 485400.00. व्यय दर्शित है । परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, , माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 485400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 485400.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार दिनांक -21.12.17 से 15.06.18 तक ,श्री अजितेन्द्र नारायण दिनांक - 22.02.19 से 25.02.19 तक श्री दिनेश कुमार मिश्र दिनांक- 26.02.19 से 09.03.19 तक श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक -10.03.19 से 31.05.19 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल दिनांक 01.04.17 से 12.07.18 तक , श्री शिवकुमार पाण्डेय 13.07.18 से 28.12.20 तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-07)

**प्रस्तर-62** वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2018 को प्रारम्भिक अवशेष 548993.00 था और वर्ष दौरान रु.580200.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 1024622.00 व्यय दर्शित है । परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, , माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 1024622.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 1024622.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार दिनांक -21.12.17 से 15.06.18 तक ,श्री अजितेन्द्र नारायण दिनांक - 22.02.19 से 25.02.19 तक श्री दिनेश कुमार मिश्र दिनांक- 26.02.19 से 09.03.19 तक श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक -10.03.19 से 31.05.19 तक एवं सहायक लेखाकार श्री रविन्दर जयसवाल दिनांक 01.04.17 से 12.07.18 तक , श्री शिवकुमार पाण्डेय 13.07.18 से 28.12.20 तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं०-08)

**प्रस्तर-63** वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज वित्त निधि में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष 4312772.00 था और वर्ष दौरान रु. 4387930.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 4633110.00 व्यय दर्शित है । परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका,, एम०बी० बुक, निर्माण पत्रावलियों के अभाव में निम्नांकित ; डी०पी०आर०ओ द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना, टेण्डर खोलने का आदेश, कार्य प्रभारी नियुक्त आदेश, स्टीमेट, टेण्डर प्रपत्र, सामग्री निर्गत करने का आदेश, रायल्टी कटौती, के अतिरिक्त उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 23(1) एवं उ० प्र० क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सख्या 24(2) एवं शासनादेश सख्या- 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29. जुलाई 1999 एवं शासनादेश स० 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश स० 866/33-2-14-93 जी 2004 टी०सी० पंचायत राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24.जून 2014 का पालन किया गया है की नहीं जनकारी नहीं हो सकी)व्यय प्रमाणक, माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 4633110.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 4633110.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक -10.03.19 से 31.05.19 तक ,श्री श्वेतांक सिंह दिनांक - 01.06.19 से 09.09.19 तक सुश्री रोशनी यादव दिनांक- 09.09.19 से 13.1.20 तक एवं सहायक लेखाकार , श्री शिवकुमार पाण्डेय 13.07.18 से 28.12.20



तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-09)

**प्रस्तर-64** वित्तीय वर्ष 2019-20 में इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक -01.04.2019 को प्रारम्भिक अवशेष 1045571.00 था और वर्ष दौरान रु. 997500.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रु 1102071.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, , माँग करने उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिलेखों की माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु. 1102071.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8(क)के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु. 1102071.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय नाथ द्विवेदी दिनांक -10.03.19 से 31.05.19 तक ,श्री श्वेतांक सिंह दिनांक - 01.06.19 से 09.09.19 तक सुश्री रोशनी यादव दिनांक- 09.09.19 से 13.1.20 तक एवं सहायक लेखाकार , श्री शिवकुमार पाण्डेय 13.07.18 से 28.12.20 तक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति सं0-10)

**प्रस्तर-65** बैंक से प्राप्त ब्याज के मद में दिनांक 01.04.2017 में प्रा0 अवशेष रु. 142391.24 था वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त ब्याज रु.150765.00 वर्ष 2018-19 में प्राप्त रु. 163162.00 हुआ अर्थात् कुल प्राप्त 313927.00 हुआ और वर्ष 2017-18 में रु. 4337.65 एवं 2018'19 4697.70 अर्थात् कुल रु. 9035.35 करने के उपरान्त दिनांक 31.03.2019 को ब्याज की धनराशि रु0 447282.59 अवशेष बचा जिसे सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10/2215 /K-1-502/दस-2015-100 (33) दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और मैं अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दी जाये क्षेत्र पंचायत कोन द्वारा अर्जित ब्याज रुपया ,447282.59 को सहायक लेखाकार श्री शिव कुमार पाण्डेय को राजकोष में जमा कर देना चाहिए अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न करने गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार द्विवेदी ,सहायक लेखाकार श्री शिव कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु0 447282.59.तत्काल प्रभाव से राजकोष जमा कराया जाना अपेक्षित हैं। साथ ही साथ उत्तरदायी के प्रति कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (मूल आपति सं0-11)

### प्रारूप -3

## वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

### जनपद-सोनभद्र

### मण्डल-विन्ध्याचल मण्डल

### क्षेत्र पंचायत- दुद्धी(वर्ष-2019-20)

#### प्रस्तर संख्या-1

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित किये जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषिक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र, आदि के मरम्मत एवं रखरखाव पर आवश्यक व्यय किया जाये। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा।

क्षेत्र-दुद्धी जनपद-सोनभद्र की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्य में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये गये। जबकि उपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश है। विवरण निम्नवत है:-

| क्र.सं० | वर्ष             | कार्य का नाम                                                                    | धनराशि    |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01      | 2018-19 से 19-20 | ग्राम मलदेवा में करमदहा स्कूल से नन्द लाल के घर तक सीसी रोड निर्माण             | 935523.00 |
| 02      | 2018-19 से 19-20 | ग्राम महुली में दीनानाथ के घर से राम प्रसाद कन्नौजिया के घर तक सीसी रोड निर्माण | 190004.00 |
| 03      | 2018-19 से 19-20 | ग्राम कादल में लाल बहादुर के घर से परमानन्द के घर तक सीसी रोड निर्माण           | 494707.00 |
| 04      | 2018-19 से 19-20 | ग्राम बीडर में लक्ष्मण पनिका के घर से राम सहाय के खेत तक सीसी रोड निर्माण       | 529206.00 |
| 05      | 2018-19 से 19-20 | ग्राम झारोखुर्द में गहबाटोला पर लालचन्द के घर के पास घाट निर्माण                | 788289.00 |

|             |                  |                                                                                         |                   |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06          | 2018-19 से 19-20 | ग्राम दीघुल में मुसाफिर यादव के घर से प्रा०पा०स्कूल तक सीसी रोड निर्माण                 | 639896.00         |
| 07          | 2018-19 से 19-20 | ग्राम टेढ़ा में परमेश्वर के घर से रामचरन के घर तक सीसी रोड निर्माण                      | 461313.00         |
| 08          | 2019-20          | ग्राम धिबही में लालमुनि गुप्ता के घर से जगदीश गुप्ता के घर तक सीसी रोड निर्माण          | 154550.00         |
| 09          | 2019-20          | ग्राम फूलवार में विरेन्द्र कन्नौजिया के घर से रामेश्वर गुप्ता के घर तक सीसी रोड निर्माण | 223625.00         |
| <b>योग-</b> |                  |                                                                                         | <b>4417113.00</b> |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराये गये हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्व में न कराये जाने संबंधी प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्य के दोहराव/पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रूपया 4417113.00 का व्यय शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया। जिसके लिये संयुक्त रूप से ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, श्री रमाकान्त सिंह एवं लेखाकार श्री रंग बहादुर उत्तरदायी रहे। उपरोक्त व्यय में शासनादेश का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर संख्या-2

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) का धारा-194 (सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि ” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये लासने का प्रावधान है और कम से कम 3 माह के कठोर करावास के साथ जुर्माने भी लिये जा सकते हैं।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2019-20 की प्राप्त पत्रावलिओं के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर व्यय रूपया 4500133.00 का रहा। इस पर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से रूपया 100803.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु बिलों पर कोई भी आयकर की कटौती नहीं की गई है और न ही ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के आय-व्यय में शामिल किया गया है। इस प्रकार रूपया 100803.00 आयकर की कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गई है। अगर यह कटौती सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं/सीधे जमा किया गया है तो उसका प्रमाणपत्र लेकर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय व श्री रमाकान्त सिंह एवं लेखाकार श्री रंगबहादुर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-03)

### क्षेत्र पंचायत- घोरावल(वर्ष-2019-20)

#### प्रस्तर संख्या-3

कार्य का नाम “मझगावा चौहान शिव मंदिर से जवाहिर कोल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य” जिसका इस्टीमेट रु० 617568.00 ( रु० 556213.00 सामग्री एवं रु० 61355.00 श्रमांश) है। इस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं:-

- इस कार्य हेतु आलोच्य वर्ष में रु० 100000.00 का भुगतान श्रीराम कंसट्रक्सन को चेक संख्या 068930/04.04.2019 के माध्यम से किया गया है। उक्त के भुगतान के सापेक्षा संस्था के पास रु० 228783.00 का क्रय प्रमाणक उपलब्ध है, जिसका क्रमांक व तिथि 18/18.02.2019 है तथा अभिलेखों से ज्ञात हुआ है कि उक्त क्रय प्रमाणक पर संबंधित पार्टी को रु० 128210.00 का भुगतान विगत वर्ष में किया जा चुका है।
- उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है। अंकिक द्वारा बताया गया है कि उक्त कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु रु० 228783.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है, (जिसमें 10000 नग ईट, 40 बोरी सीमेंट, 10.72 घनमीटर बालू तथा 5000 नग इन्टरलॉकिंग सामग्री क्रय है) परंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया है कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री पर भुगतान करने के पश्चात कार्य प्रारंभ न होना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी व बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या-4**

संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों में दो कार्य यथा “विकास खण्ड परिसर में सुन्दरीकरण” तथा “विकास खण्ड कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु एल्युमिनियम पार्टीशन निर्माण” में से प्रथम कार्य हेतु रु० 99614.00 का भुगतान अशोक इलेक्ट्रिकल को किया गया है व रु० 22880.00 का श्रमांश भुगतान किया गया है तथा द्वितीय कार्य हेतु रु० 98827.00 का भुगतान मां वैष्णवी इंटरप्राइजेज को किया गया है। इस प्रकार दोनों कार्यों में कुल रु० 221321.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं:-

- दोनों कार्य बिना किसी इस्टीमेट व एम०बी० के कराए गए हैं, जो निर्माण कार्य नियमावली के अनुसार गंभीर अनियमितता है।
- दोनों कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री विंध्यवासिनी मिश्रा हैं परंतु इस संबंध में कोई कार्यदेश निर्गत नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मौखिक रूप से कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है।
- द्वितीय कार्य हेतु कोई श्रमांश भुगतान नहीं किया गया है जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कार्यों हेतु रु० 221321.00 का अनियमित व्यय किया गया है, जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी व बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या- 05**

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा-194 (सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर करावास के साथ जुर्माने भी लिये जा सकते हैं।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2019-20 की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर व्यय रूपया 6705472.00 रहा, इस पर रूपया 150203.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर आयकर कटौती नहीं की गई है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों से सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

**क्षेत्र पंचायत- बभनी(वर्ष-2019-20)**

**प्रस्तर संख्या- 06**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रु० 502078.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय पत्रावलियाँ अप्राप्त रहीं। अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० और लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर संख्या- 07**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि राज्य वित्त आयोग मद से विकास खंड परिसर में सी.सी.टी.वी. की स्थापना हेतु रु० 54681.00 का भुगतान वेद कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर वाराणसी को किया जाना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य हेतु कार्य प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई। जबकि चतुर्थ राज्य के तहत क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित व तकनीक स्वीकृत के उपरांत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृत के क्रम में कार्य प्रभारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करके ही परियोजना पूरी की जाती है। बिना कार्यप्रभारी नियुक्त किये रु० 54681.00 का भुगतान उक्त कार्य के लिये किया जाना अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० और लेखाकार उत्तरदायी रहे।

**प्रस्तर संख्या- 08**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अस्थायी गोवंश आश्रय योजना के तहत कुल रु० 47658.00 का व्यय अनुदान पंजिका में दर्शित है। जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में केवल गोवंश चारा हेतु भुगतान का पत्रक प्रस्तुत रहा, किन्तु

किस स्थल पर कितने पशुओं को कब से कब तक तथा किसके परवेक्षण में चारा की आपूर्ति की गई, पत्रावलियों के अभाव में अज्ञात रहा। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० और लेखाकार उत्तरदायी रहे। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपति संख्या-17)

### **क्षेत्र पंचायत- चतरा(वर्ष-2019-20)**

#### **प्रस्तर संख्या- 09**

लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न मदों में रु० 6529769.00 व्यय किया गया है, परंतु वर्ष में किए गए आंशिक व्ययों रु० 4333640.00 की ही पुष्टि से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई। ये पत्रावलियाँ मुख्यतः राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों से संबंधित हैं। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से संबंधित हैं, इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में किये गए शेष व्यय रु० 2195415.00, पत्रावली व अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं, जिनका मदवार विवरण इस प्रकार है:-

| क्र०सं०     | मद का नाम                    | कृत व्यय(रु०)     |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| 1           | राज्य वित्त आयोग             | 203255.00         |
| 2           | सोशल ऑडिट मानदेय             | 24200.00          |
| 3           | विधायक निधि योजना            | 535297.00         |
| 4           | प्रधानमंत्री आवास योजना      | 325932.00         |
| 5           | डी०ई०जी०एस० स्वान अनुरक्षण   | 10831.00          |
| 6           | मुख्यमंत्री सा० वि० योजना    | 1092900.00        |
| 7           | टैंडर फार्म बिक्री की धनराशि | 3000.00           |
| <b>योग-</b> |                              | <b>2195415.00</b> |

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपति संख्या-02)

### **क्षेत्र पंचायत- नगवां(वर्ष-2019-20)**

#### **प्रस्तर संख्या- 10**

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार विभिन्न योजनान्तर्गत रु० 8717797.00 व्यय हुआ है जिसकी पुष्टि में मदवार/परियोजनावार व्यय संबंधी पत्रावली/अन्य वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

| क्र०सं०         | योजना का नाम                                | वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि (रु०) |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | सांसद निधि                                  | 2509369.00                         |
| 2               | विधायक निधि                                 | 535166.00                          |
| 3               | पूर्वाञ्चल विकास निधि                       | 23125.00                           |
| 4               | ब्याज                                       | 133003.00                          |
| 5               | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (प्रशा० मद) | 178650.00                          |
| 6               | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना             | 1632000.00                         |
| 7               | टैंडर फॉर्म बिक्री से प्राप्त धन            | -                                  |
| 8               | लेबर सेस                                    | 138024.00                          |
| 9               | आंगनबाड़ी की धनराशि                         | -                                  |
| 10              | श्यामा प्रासाद मुखर्जी रूरबन मिशन           | 3556760.00                         |
| 11              | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम           | 11700.00                           |
| 12              | कोरोना वायरस महामारी मद                     | -                                  |
| <b>कुल योग-</b> |                                             | <b>8717797.00</b>                  |

लेखा परीक्षा के दौरान खण्ड विकास अधिकारी नगवां द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1008/लेखा/2020-21 दिनांक 25.09.2020 जो जिला विकास अधिकारी सोनभद्र को संबोधित एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को पृष्ठांकित है, के माध्यम से

अवगत कराया गया कि उ०प्र० शासन के पत्र सं० 2014 दिनांक 24.11.2017 एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उ०प्र० के कार्यालय पत्र सं० 1359 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा क्षेत्र निधि अनुदान/ऋण के द्वारा प्रदेश के बजट के माध्यम से अथवा विभिन्न वित्त आयोगों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का ऑडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के अधिकारियों द्वारा किया जाना है न कि उपरोक्तानुसार अंकित योजनाओं का, जो कि मान्य नहीं है।

(खण्ड विकास अधिकारी नगवां के कार्यालय पत्रांक 1008/लेखा/2020-21 दिनांक 25.09.2020 की छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों की लेखा, उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 118 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 176 की व्यवस्था के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा सम्पन्न करायी जाती है। जिसके क्रम में शत प्रतिशत अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु समय-2 पर निर्गत शासनादेशों के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास उ०प्र० के कार्यालय पत्रांक 557/संप्रेक्षण/2019-20 दिनांक 04.07.2019 द्वारा भी शत प्रतिशत अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण एवं अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 99 में भी क्षेत्र पंचायत को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी सभी धनराशियाँ (राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित) या दिए गए समस्त ऋण का आशय है। इस प्रकार संस्था द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर तथा व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कर संदर्भित योजनाओं में किए गए व्यय की सदुपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपति संख्या-02)

#### प्रस्तर संख्या- 11

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग मद के आय पक्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि माह अक्टूबर 2019 में इस मद में श्री कमलनाथ मौर्य, ग्राम विकास अधिकारी से वसूल की गई धनराशि ₹ 35200.00 नकद जमा की गई दर्शित है, जिससे संबंधित कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। फलतः उक्त दर्शित आय की पुष्टि/समीक्षा संभव नहीं रही। अतः समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुतकर समीक्षा करायी जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या-03)

### क्षेत्र पंचायत- चोपन(वर्ष-2019-20)

#### प्रस्तर संख्या- 12

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजिका के अनुसार, चतुर्थ राज्य वित्त योग मद से कुल व्यय ₹ 17604689.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल ₹ 17306730.00 का व्यय ही पुष्टित रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 297959.00 का व्यय अपुष्ट पाया गया। ₹ 297959.00 का पुष्टि में अनुदान पंजिका-III के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट व सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपति संख्या-12)

#### प्रस्तर संख्या- 13

आलोच्य वर्ष में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के विभिन्न कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार सामाग्री आपूर्ति की गयी है, परंतु भुगतान से स्रोत पर कटौती नियमानुसार नहीं की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत उक्त का प्रावधान किया गया है। पुनः राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिवलर संख्या 50/2018 तथा 65/39/2018 दिनांक क्रमशः 13.09.2018 तथा 14.09.2018 भी संदर्भित है।

| क्र० सं० | आपूर्तिकर्ता का नाम                                                       | भुगतान की गयी धनराशि (₹ में) | अपेक्षित स्रोत पर कटौती<br>1% सी.जी.एस.टी.+<br>1% एस.जी.एस.टी |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | मे० अमित कंसट्रक्सन, ओबरा, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश                    | 211771.00                    | 00.00                                                         |
| 2        | मे० जनार्दन, कोरट, रिजुल, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश                     | 863636.00                    | 17273.00                                                      |
| 3        | मे० एस. आर. पी. इंटरप्राइजेज, सिंदूरिया, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश      | 1303945.00                   | 26079.00                                                      |
| 4        | मे० दीपक कंसट्रक्सन कंपनी, बरगवा, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश             | 3671927.00                   | 73439.00                                                      |
| 5        | मे० पी.बी.एस. कंसट्रक्सन, ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश                     | 2298259.00                   | 45965.00                                                      |
| 6        | मे० श्री राम इंटरप्राइजेज, न्यू बिचपई, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश | 546388.00                    | 10928.00                                                      |

|    |                                                                     |                    |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 7  | मे० कमलेश कुमार पांडे, पुसौली, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश   | 619402.00          | 12388.00         |
| 8  | मे० भैयाजी कंसट्रक्सन, महालपुर, खरहरा, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश  | 316355.00          | 6327.00          |
| 9  | मे० त्रिमूर्ति कंसट्रक्सन कंपनी, ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश        | 296342.00          | 5927.00          |
| 10 | मे० शिवशक्ति कंसट्रक्सन कंपनी, बिजौरा, बरगवा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश | 60705.00           | 00.00            |
| 11 | मे० विंध्य इंटरप्राइजेज, जुगैल, चोपन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश         | 1296050.00         | 25921.00         |
| 12 | मे० मंजू इंटरप्राइजेज, चोपन रोड, ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश        | 1506391.00         | 30128.00         |
|    | <b>योग-</b>                                                         | <b>12991171.00</b> | <b>254375.00</b> |

उक्त विवरणानुसार आलोच्य वर्ष में कुल ₹ 254375.00 की स्रोत पर कटौती की जानी थी। क्रम संख्या 01 और 10 पर किए गए भुगतान के सापेक्ष स्रोत पर कटौती नियमानुसार शून्य पायी गयी, क्योंकि किया गया भुगतान 250000.00 से कम पाया गया। स्रोत पर कटौती कर नियमानुसार संबंधित मद में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-16)

#### **प्रस्तर संख्या- 14**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न कार्यों पर मिट्टी ढुलाई के लिए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से व्यय धनराशि वाले व्यक्ति/संस्था को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है, जो कि जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट व सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 66 के अनुरूप नहीं पाया गया। विवरण इस प्रकार है:-

| क्र.सं० | कार्य का नाम                                                                                    | धनराशि (₹ में)  | चेक संख्या/दिनांक | कार्य प्रभारी का नाम एवं पद               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1       | सरेहवा संपर्क मार्ग से लाल बहादुर बैसवार के घर तक सी सी रोड निर्माण                             | 13122.00        | 027072/03.01.20   | श्री राजेश कुमार सिंह (ए.डी.ओ.-आई.सी.बी.) |
| 2       | टोला बेलगढ़ी में पन्नालाल के घर से धर्मद के घर तक सी सी रोड निर्माण                             | 8675.00         | 023745/09.04.19   | श्री कृष्ण दुबे (ग्राम विकास अधि०)        |
| 3       | मेन रोड से नसीब शिशु मंदिर तक सी सी रोड निर्माण                                                 | 21066.00        | 023747/09.04.19   | श्री शोभनाथ राम (ए.डी.ओ.-एस.के.)          |
| 4       | विकास खंड परिसर का सुंदरीकरण                                                                    | 2239.00         | 023771/03.05.19   | श्री उदयभान यादव (ए.डी.ओ.-सी)             |
| 5       | डाला से शक्तिनगर मार्ग से कब्रिस्तान तक सी सी रोड निर्माण                                       | 20563.00        | 023755/01.05.19   | श्री उदयभान यादव (ए.डी.ओ. सी)             |
| 6       | बिल्ली मारकुंडी वार्ड 10 में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग से सुरेश की बाउंडी वाल तक सी सी रोड निर्माण | 9593.00         | 023783/अंकित नहीं | श्री उदयभान यादव (ए.डी.ओ. सी)             |
| 7       | बिल्ली मारकुंडी वार्ड 10 में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग से सुरेश की बाउंडी वाल तक सी सी रोड निर्माण | 2628.00         | 023807/22.08.19   | श्री उदयभान यादव (ए.डी.ओ. सी)             |
| 8       | बिल्ली मारकुंडी वार्ड 07 कमलेश के घर से मेन रोड तक सी सी रोड निर्माण                            | 6804.00         | 027078/17.01.20   | श्री उदयभान यादव (ए.डी.ओ. सी)             |
|         | <b>योग-</b>                                                                                     | <b>84690.00</b> |                   |                                           |

उक्त धनराशि ₹ 84690.00 का भुगतान कार्य प्रभारियों को किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-13)

#### **प्रस्तर संख्या- 15**

अनुदान रजिस्टर-II। ₹ 27300.00 का भुगतान श्री राजेश कुमार सिंह (ए.डी.ओ.-आई.सी.बी.) कार्य प्रभारी को टोला पुरसेवा में सुदर्शन गौंड के घर के पास चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रपटा निर्माण के लिए मजदूरी के रूप में किया गया है। परंतु उक्त कार्य

की पत्रावली में संबंधित मस्टर रोल एवं बाउचर अप्राप्त रहा और न ही अन्यत्र उपलब्ध हो सका। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशि चेक संख्या 023795 दिनांक 09.07.2019 द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह के पक्ष में आहरित की गयी है।

इस प्रकार रूप पत्र 22-नियम 2109 मस्टर रोल के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित पाया गया, जो कि जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट व सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 66 के विपरीत रहा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपति संख्या-14)

## **क्षेत्र पंचायत- राबर्ट्सगंज(वर्ष-2019-20)**

### **प्रस्तर संख्या- 16**

**कार्य का नाम-** मेन रोड से राजेन्द्र के घर से शिव शंकर के घर तक सुरक्षा दीवाल एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण जिसका एस्टीमेट रु० 666000.00 है एवं कार्य प्रभारी श्री अजय सिंह ए.डी.ओ.(पी.) हैं। इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (1). इस कार्य हेतु दि० 29.05.2019 को मे० रघुवंशी कन्सट्रक्शन कंपनी राबर्ट्सगंज सोनभद्र से रु० 200206.00 सामग्री क्रय दर्शित है जिसमें गिट्टी रु० 50530.50, सीमेन्ट रु० 53250.00, मोटी बालू रु० 30085.04, स्टोन डस्ट रु० 20931.50 तथा स्टोन बोल्डर रु० 45409 क्रय दर्शित है।
- (2). इस निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है।

अतः उक्त कार्य हेतु रु० 200206.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान करने के बाद कार्य प्रारम्भ न होना राजकीय धन का दुरुपयोग है, जिस हेतु बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या-02)

### **प्रस्तर संख्या- 17**

**कार्य का नाम-** क्रमांक 10 से ओरगाई से केवटी तानाब तक सड़क मार्ग निर्माण जिसका इस्टीमेट रु० 571000.00 है । इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (1). इस कार्य हेतु दि० 29.05.2019 को मे० रघुवंशी कन्सट्रक्शन कंपनी राबर्ट्सगंज सोनभद्र से रु० 253533.00 सामग्री क्रय दर्शित है जिसमें रु० 83171.00 मोरंग, रु० 57095.07 का 45/90 गिट्टी तथा रु० 113266.64 का 45/63 गिट्टी क्रय किया गया है।
- (2). उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है।

अतः उक्त कार्य हेतु रु० 253533.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान करने के बाद कार्य प्रारम्भ न होना राजकीय धन का दुरुपयोग है, जिस हेतु बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है (आपति संख्या-03)

### **प्रस्तर संख्या- 18**

**कार्य का नाम-** क्रमांक 11- पंवर में हरिजन बस्ती में नाली निर्माण जिसका इस्टीमेट रु० 370000.00 है । इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (1). इस कार्य हेतु दि० 26.06.2019 को मे० रघुवंशी कन्सट्रक्शन कंपनी राबर्ट्सगंज सोनभद्र से रु० 131226.00 सामग्री क्रय दर्शित है जिसमें रु० 71000.00 200 बैग सीमेन्ट, रु० 28040.74 स्टोन बोल्डर, रु० 24813.60 मोटी बालू, रु० 7372.50 महीन बालू क्रय दर्शित है।
- (2). उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है।

अतः उक्त निर्माण कार्य हेतु रु० 131226.00 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान करने के बाद कार्य प्रारम्भ न होना राजकीय धन का दुरुपयोग है, जिस हेतु बी.डी.ओ. श्री प्रदीप

कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-04)

#### **प्रस्तर संख्या- 19**

**कार्य का नाम-** क्रमांक 17- कुसीडौर में (मरचईया) चौराहा से कुसहिया को जोड़ने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य जिसका इस्टीमेट रु० 377000.00 है । इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

- (1). इस कार्य हेतु दि० 21.05.2019 को मे० रघुवंशी कन्सट्रक्शन कंपनी राबर्ट्सगंज सोनभद्र से रु० 76661.78 की सामग्री एवं रु० 767.00 जी.एस.टी. पर व्यय दर्शित है जिसमें रु० 38750.40 की गिट्टी, रु० 12306.00 की 45/90 की गिट्टी, रु० 25605.38 का स्टोन कुल रु० 76661.78 की सामग्री एवं रु० 767.00 जी.एस.टी. कुल रु० 77429.00 व्यय दर्शित है।
- (2). उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है।

स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान करने के बाद कार्य प्रारम्भ न होना राजकीय धन का दुरुपयोग है, जिस हेतु तत्कालीन बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-05)

#### **प्रस्तर संख्या- 20**

**कार्य का नाम-** क्रमांक 18- ग्राम बबुरा में मुन्ना बियार के घर से रामपति बियार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसका इस्टीमेट रु० 5.01 लाख है । इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

- (1). इस कार्य हेतु दि० 29.05.2019 को मे० रघुवंशी कन्सट्रक्शन कंपनी राबर्ट्सगंज सोनभद्र से रु० 335076.00 सामग्री दर्शित है जिसमें रु० गिट्टी रु० 48062.00, स्टोनडस्ट रु० 24413.76 तथा इण्टरलाकिंग क्लीम्स रु० 262600.00 का क्रय दर्शित है।
- (2) उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष संस्था के पास कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु श्रमांश भुगतान नहीं हुआ है।

अतः उक्त निर्माण कार्य हेतु रु० 335076.00 सामग्री क्रय पर व्यय हुआ है परंतु रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि क्रय सामग्री क्यों और कहाँ रखी गयी है। इस प्रकार किसी कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान करने के बाद कार्य प्रारम्भ न होना राजकीय धन का दुरुपयोग है, जिस हेतु तत्कालीन बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-06)

#### **प्रस्तर संख्या- 21**

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) का धारा-194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम 3 माह के कठोर करावास के साथ जुर्माने भी लिये जा सकते हैं। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2019-20 की प्राप्त पत्रावलियां के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रूपया 9209894.00 रहा। इस पर रूपया 206302.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए, लेकिन संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर आयकर की कटौती नहीं की गई है, जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रभात कुमार द्विवेदी, श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-07)

#### **प्रस्तर संख्या- 22**

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर कुल व्यय रु० 9209894.00 एवं श्रमांश पर कुल व्यय रु० 4037033.00 कुल लागत रु० 13246927.00 पर 01 प्रतिशत अर्थात् रु० 132469.00 लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि लेबर सेस रु० 88908.00 ही काटा गया है। इस प्रकार अन्तर रु० 43561.00 लेबर सेस की कटौती कम की गई है जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रभात कुमार द्विवेदी, श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय,



लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या-08)

**प्रस्तर संख्या- 23**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजिका II के अनुसार राज्य वित्त योजना में कुल व्यय ₹0 11245993.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में कुल व्यय ₹0 7737419.00 का ही रहा। शेष व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिससे उस व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार अन्तर ₹0 3508574.00 का रहा। जिसकी बार-बार मांगने पर भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या-09)

**प्रस्तर संख्या- 24**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में सांसद निधि में अनुदान पंजिका II के अनुसार राज्य वित्त योजना में कुल व्यय ₹0 3487385.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में ₹0 1656404.00 से संबंधित पत्रावलियाँ ही प्रस्तुत की गई। शेष अन्तर ₹0 1830981.00 का रहा। जिसकी व्यय पत्रावली बार-बार मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिसकी व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या-10)

**प्रस्तर संख्या- 25**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजिका II के अनुसार विधायक निधि योजनान्तर्गत कुल व्यय धनराशि ₹0 3488587.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में ₹0 3294407.00 से संबंधित पत्रावली ही प्रस्तुत की गई। शेष ₹0 194180.00 व्यय से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे इस व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (आपति संख्या-11)

**प्रस्तर संख्या- 26**

अन्य अवशेष मदों से संबंधित व्ययों की पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख ले०प० में प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में ये व्यय अपुष्ट रहें। जिसके लिए बी.डी.ओ. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा ब्लाक प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इनसे बराबर-2 धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है:-

| क्र०सं०     | मद का नाम                             | व्यय धनराशि        |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1           | लेबर सेस                              | 88908.00           |
| 2           | प्रशासनिक मद (प्र०म०अ०)               | 1392863.00         |
| 3           | प्रशासनिक मद (मनरेगा)                 | 3726140.00         |
| 4           | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना       | 4042688.00         |
| 5           | गोवंश आश्रय स्थल                      | 244400.00          |
| 6           | अम्बे सामूहिक भवन योजना               | 188976.00          |
| 7           | टांका की धनराशि (क्षे०प०)             | 2761455.00         |
| 8           | सोशल ऑडिट का धनराशि                   | 178500.00          |
| 9           | टांका पर्चा बिक्री की धनराशि (मनरेगा) | 16500.00           |
| <b>योग-</b> |                                       | <b>12640430.00</b> |

(आपति संख्या-12)



# ग्राम पंचायत

## प्रारूप -4

**1. ग्राम पंचायत - युसुफपुर**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री भागीरथ

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री अनिल आर्या

**प्रस्तर -1** ग्राम पंचायत युसुफपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि रुपया **942835.00** की वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री भागीरथ व श्री अनिल आर्या सचिव से ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**2. ग्राम पंचायत - नगला मनी**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री नीरज कुमार

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्रीमती शिखा सिसौदिया

**प्रस्तर -2** ग्राम पंचायत नगला मनीमें लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि रुपया **1004565.40** की वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार व श्रीमती शिखा सिसौदिया सचिव से ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**3. ग्राम पंचायत - लखनामई**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री तेजवीर सिंह

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्रीमती शिखा सिसौदिया

**प्रस्तर-3**ग्राम पंचायत लखनामईमें लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि रुपया **349182.40** की वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री तेजवीर सिंह व श्रीमती शिखा सिसौदिया सचिव से ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**4. ग्राम पंचायत - नगला गोला**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्रीमती मधु

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री गौरव पाठक

**प्रस्तर-4**ग्राम पंचायत नगला गोलामें लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि रुपया **934219.00** की वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मधु व श्री गौरव पाठक सचिव से ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**5. ग्राम पंचायत - खरकना**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री सत्यवीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री गौरव पाठक

**प्रस्तर-5**ग्राम पंचायत खरकनामें लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि रुपया **368154.40** की वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व श्री गौरव पाठक सचिव से ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**6. ग्राम पंचायत - गढ़ी बच्ची**

**विकास खंड - एत्मादपुर**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री श्याम सुन्दर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्रीमती शिखा सिसौदिया



जनपद – आगरा

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री अनिल

**प्रस्तर** -12 ग्राम पंचायत बृथला की केशबुक एव बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 3417274 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल एव अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रमाण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 3417274 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान सुश्री राजाबेटी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल से आतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

(आपत्ति संख्या 02)

**जनपद-आगरा**

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री संजीव चौहान

**प्रस्तर -1** 3 ग्राम पंचायत लादूखेडाकी कैशबुक एवबैक पासबुक के विवरण अनुसारग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 5973075 व्यय किया गया । लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एव अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसारग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेश्रण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए ।अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसारयदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से कीजाएगी।अतः उपरोक्त व्यय रु 5973075 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री मोनु वर्मा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव चौहान से आतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मेंचलायाजासकेगा।

(आपत्ति संख्या 02 )

जनपद - आगरा

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- सुश्री सरिता

**प्रस्तर -1** 4 ग्राम पंचायत **सिकंदरपुर** की केशवुक एवबैंक पासवुक के विवरण अनुसारग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 3343518.50 व्यय किया गया । लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बधित कोई भी मस्टररोल एव अन्य व्यय से सम्बधित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसारग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेश्रण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए । अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसारयदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से कीजाएगी।अतः उपरोक्त व्यय रु 3343518.50 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान सुश्री विमला तथा ग्राम पंचायत सचिव सुश्री सरिता से आतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालयमें चलाया जा सकेगा

(आपत्ति संख्या 02 )

**जनपद - आगरा**

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री राहुल

**प्रस्तर -1** 5 ग्राम पंचायत डारकी की कैशबुक एवबैंक पासबुक के विवरण अनुसारग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 361574 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसारग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसारयदि

(आपत्ति संख्या 02 )

**16. ग्राम पंचायत –अकबरपुर**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री टिंकु शाक्य

### विकास खंड – बरौली अहीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री अजय फौजदार

**जनपद – आगरा**

(आपत्ति संख्या 02 )

**17. ग्राम पंचायत - धमोटा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री कमलेश कुमार

विकास खंड - बरौली अहीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री राजवीर शर्मा

जनपद - आगरा

(आपत्ति संख्या 02 )

### 18. ग्राम पंचायत –मियाँपुर

ग्राम प्रधान का नाम- सश्री राजकुमारी

विकास खंड – बरौली अहीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- सश्री अपर्णा यादव

जनपद – आगरा

(आपत्ति संख्या 02 )

19. ग्राम पंचायत -सरबतपरा

ग्राम प्रधान का नाम- श्री रनवीर सिंह

**विकास खंड - बरौली अहीर**

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री हेमंत

जनपद - आगरा

**प्रस्तर -19** ग्राम पंचायत **सरबतपुरा** की कैशबुक एवबैंक पासबुक के विवरण अनुसारग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 746174 व्यय किया गया । लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसारग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 746174 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री रनवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री हेमंत से अतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

(आपत्ति संख्या 02)

## 20. ग्राम पंचायत - टोरा

ग्राम प्रधान का नाम- श्री भूपेन्द्र सिंह

विकास खंड - बरौली अहीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- सुश्री नीतू

जनपद - आगरा

**प्रस्तर -20** ग्राम पंचायत टोरा की कैशबुक एवबैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 1844773 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 1844773 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव सुश्री नीतू से अतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

(आपत्ति संख्या 02)

## 21. ग्राम पंचायत - पचगईखेडा

ग्राम प्रधान का नाम- श्री राधेश्याम

विकास खंड - बरौली अहीर

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री कौशलेंद्र यादव

जनपद - आगरा

**प्रस्तर -21** ग्राम पंचायत पचगईखेडा की कैशबुक एवबैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में रु 4867817 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 4867817 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशलेंद्र यादव से अतिथि ब्याज के साथ की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

(आपत्ति संख्या 02)

## 22. ग्राम पंचायत - सौन

ग्राम प्रधान का नाम- श्रीमती अनुराधा ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री नवीन सिंह सोलंकी

विकास खंड - खेरागढ़

जनपद - आगरा

**प्रस्तर -22** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल रु 05387681.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 0 5387681.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम श्रीमती अनुराधा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवीन सिंह सोलंकी से आधी आधी (वसूली तिथि तक) ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 01)

## 23. ग्राम पंचायत - भिलावली

विकास खंड - खेरागढ़

जनपद - आगरा



ग्राम प्रधान का नाम- श्रीमती राजवती ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री नवीन सिंह सोलंकी

**प्रस्तर -23** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01779213.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1779213.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम श्रीमती राजवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवीन सिंह सोलंकी से आधी आधी (वसूली तिथि तक) ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**24. ग्राम पंचायत - बसई खेरागढ़**

**विकास खंड - खेरागढ़**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्रीमती रामबेटी

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री भवानी शंकर

**प्रस्तर -24** दिनांक 03.03.2020 को बैंक खाता संख्या 354101044499 से रुपया 220077.00 आहरित किया गया है किन्तु कैशबुक में दर्ज नहीं पाया गया न उसका कोई वाउचर दिखाया गया जिससे उक्त धनराशि का भुगतान संदिग्ध पाया गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ग्राम श्रीमती रामबेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भवानी शंकर से आधी आधी (वसूली तिथि तक) ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 02)

**25. ग्राम पंचायत - भीकनपुर**

**विकास खंड - फ़तेहाबाद**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री राम दत्त त्यागी

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री नरेंद्र सिंह

**प्रस्तर -25** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01429841.55 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1429841.55 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम श्री राम दत्त त्यागी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह से आधी आधी (वसूली तिथि तक) ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**26. ग्राम पंचायत - प्रतापपुरा**

**विकास खंड - फ़तेहाबाद**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम- श्री महेंद्र सिंह

ग्राम पंचायत सचिव का नाम- श्री सुरेश बाबू गौतम

**प्रस्तर -26** दिनांक 06.03.2020को हँड पंप समान क्रय हेतु रुपया 32605.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसका कोई भी बिल / बाउचरलेखा परीक्षा दौरान नहीं पाया गया जिससे उक्त धनराशि का गबन मानते हुये रुपया 32605.00 की बसूली आधी आधी प्रधान श्री महेंद्र सिंह व सचिव सुरेश बाबू गौतम से संयुक्त रूप से करते हुये राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(आपति संख्या 01)

**27. ग्राम पंचायत - अंगूठी****विकास खण्ड - बिचपुरी****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री कृष्णवीर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्रीमती सुरगंगा पाण्डे

**प्रस्तर 27-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत विभिन्न मदों में कुल ₹0 2514579.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी बाउचर मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बंधित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य से सम्बंधित प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कृष्णवीर सिंह एवं सचिव श्रीमती सुरगंगा पाण्डे से वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 1 )****28. ग्राम पंचायत - बाईपुर****विकास खण्ड - बिचपुरी****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती विनीता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० मोनिका गुप्ता

**प्रस्तर 28-** वित्तीय वर्ष 2019-20में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में दर्शाये गये कार्यों के प्रस्ताव एवं दिनांक अंकित नहीं पाये गये एवं अन्य महत्व पूर्ण प्रविष्टियां भी अंकित नहीं थी अतः प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में दर्शाये गये व्यय की धनराशि ₹0 9231629.00अनियमित व्यय के अन्तर्गत आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० मोनिका गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 21 )**

**प्रस्तर 29-** ग्राम पंचायत बाईपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी० एस० टी० कटौती की गई लेकिन कटौती धनराशि ₹0 703308.46 को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया, जबकि जी०एस०टी० एक्ट, 2017 की धारा 51 के अनुसार आपूर्तिकर्ता से 2 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की कटौती कर कटौती की धनराशि अगले माह की 10 तारीख तक जमा कर फार्म जी०एस०टी०आर०-7 के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर एवं इस कटौती के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता को टी०डी०एस० प्रमाण पत्र (जी०एस०टी०आर०-7 ए) भी जारी किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता के बिलो से जी०एस०टी० की कटौती तो नियमानुसार की गई लेकिन जमा करने की प्रक्रिया का पालन न कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाई गई, इसके लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव कु० मोनिका गुप्ता व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी से जी०एस०टी० बकाया धनराशि ₹0. 703308.46 पर ब्याज ( जमा होने की तिथि तक) वसूल कर जी०एस०टी० धन राशि के साथ सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 13 )**

**प्रस्तर 30-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी मोनिका गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 10548029.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन ₹0 1316400.00 के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1316400.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव कुमारी मोनिका गुप्ता से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 20 )**

**प्रस्तर 31-** ग्राम पंचायत बाईपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 विभिन्न बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गई, जबकि आयकर की धारा 194 सी के अन्तर्गत आपूर्ति कर्ता से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती कर अगले माह की 7 तारीख तक सम्बन्धित विभाग में जमा किया जायेगा। लेखा परीक्षा के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिलो से आयकर की धारा 194 सी के अधीन कटौती धनराशि ₹0 142761.00 की गणना की गयी जिसको सम्बन्धित विभाग में जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई इसके लिये उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव कु० मोनिका गुप्ता व ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी से आयकर बकाया धनराशि पर ₹0 142761.00 एवं अर्थदण्ड धनराशि 142761.00 कुल धनराशि 285522.00 वसूल कर आयकर धनराशि के साथ सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 19 )**

**29. ग्राम पंचायत - बिचपुरी****विकास खण्ड - बिचपुरी****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री केशव सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री चन्द्र शेखर शर्मा

**प्रस्तर 32-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत विभिन्न मदों में कुल ₹0 3092824.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी बाउचर मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बंधित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ही किये गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य से सम्बंधित प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री केशव सिंह एवं सचिव श्री चन्द्र शेखर शर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 1 )****30. ग्राम पंचायत - चौहटना****विकास खण्ड - बिचपुरी****जनपद- आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री देवेन्द्र कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कुं० मोनिका गुप्ता

**प्रस्तर 33-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में दर्शाये गये कार्यों के प्रस्ताव एवं दिनांक अंकित नहीं पाये गये एवं अन्य महत्व पूर्ण प्रविष्टियां भी अंकित नहीं थी अतः प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में दर्शाये गये व्यय की धनराशि ₹0 1486177.00 अनियमित व्यय के अन्तर्गत आती है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रचायत सचिव कु० मोनिका गुप्ता से ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 13 )**

**प्रस्तर 34-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत सचिव कुमारी मोनिका गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹02603202.00 उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन ₹0 1117025.00 के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1117025.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० मोनिका गुप्ता से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 19 )****31. ग्राम पंचायत - गढ़सानी****विकास खण्ड - बिचपुरी****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री राज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक कुमार

**प्रस्तर 35-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी कुं० दीक्षा चौधरी द्वारा दिनांक 01-04-2019 से 02-08-2019 तक की कैश बुक प्रस्तुत की इस अवधि में ₹0 143120.00 का व्यय दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

**(मूल आपति संख्या 8)**

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 143120.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 36** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी कुं० दीक्षा चौधरी द्वारा दिनांक 03-08-2019 से 31-03-2020 तक ढ अवधि का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जबकि इस अवधि में ग्राम निधि प्रथम खाते से ₹0 2055402.00 का आहरण किया गया। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय

8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2055402.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक कुमार से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 10 )

**प्रस्तर 37-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में निर्माण सामग्री पर रु0 12000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 12000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कुं० दीक्षा चौधरी से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 9 )

### 32. ग्राम पंचायत - जऊपुरा

विकास खण्ड - बिचपुरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती कमलेश

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री चन्द्र शेखर शर्मा

**प्रस्तर 38-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत विभिन्न मदों में कुल रु0 2856255.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी बाउचर मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बंधित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ही किये गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य से सम्बंधित प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं सचिव श्री चन्द्र शेखर शर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

### 33. ग्राम पंचायत - खलौआ

विकास खण्ड - बिचपुरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती मुन्नी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कुं० दीक्षा चौधरी

**प्रस्तर 39-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत सचिव कुमारी दीक्षा चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु03419117.00 उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन रु0 936043.00 के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 936043.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव कुं० दीक्षा चौधरी से आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 17 )

**प्रस्तर 40-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 134 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 24934.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 24934.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कुं० दीक्षा चौधरी से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

## 34. ग्राम पंचायत - लड़ामदा

विकास खण्ड - बिचपुरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री कृपाल सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्रीमती सुरगंगा पाण्डे

**प्रस्तर 41-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत विभिन्न मदों में कुल ₹0 2990078.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी बाउचर मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बंधित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ही किये गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य से सम्बंधित प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतोंमें वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कृपाल सिंह एवं सचिव श्रीमती सुरगंगा पाण्डे से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या 1 )

## 35. ग्राम पंचायत - नानपुर

विकास खण्ड - बिचपुरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री निहाल सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्रीमती सुरगंगा पाण्डे

**प्रस्तर 42-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत विभिन्न मदों में कुल ₹0 1922597.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी बाउचर मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बंधित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ही किये गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य से सम्बंधित प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतोंमें वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री निहाल सिंह एवं सचिव श्रीमती सुरगंगा पाण्डे से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपति संख्या 1 )

## 36. ग्राम पंचायत - सुतैडी

विकास खण्ड - बिचपुरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री सुनहरी लाल

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० दीक्षा चौधरी

**प्रस्तर 43-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी कुमारी दीक्षा चौधरी द्वारा दिनांक 01/04/2019 तक की कैश बुक प्रस्तुत की जिसमें अनेक आय एवं भुगतान सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किये गए बैंक पास बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज वित्त एवं केन्द्रीयवित्त से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष सापेक्ष ₹० 532283.00 व्यय दर्शाया गया है लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 532283.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुनहरी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० दीक्षा चौधरी से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 8 )

**प्रस्तर 44-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में निर्माण सामग्री पर ₹० 482958.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 482958.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुनहरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कु० दीक्षा चौधरी से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 9 )

### 37. ग्राम पंचायत - बाघा सोनिंगा

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री सत्यपाल सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 45-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 3348417.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3348417.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 46-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 4218 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 767676.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 45191.20 कुल रु0 812867.20 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 812867.20 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

### 38. ग्राम पंचायत - बाई खेरा

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती कमला देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 47-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1794541.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1794541.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 48-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2764 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 503048.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 25280.90 कुल रु0 528328.90 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 528328.90 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

### 39. ग्राम पंचायत - चौकोरा

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री ओमवीर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गौरव धाकड़

**प्रस्तर 49-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 1801966.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1801966.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1 )

**प्रस्तर 50-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 227 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 41314.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 1891239.26 कुल ₹0 1932553.26 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1932553.26 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

#### 40. ग्राम पंचायत - डावली

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती ममता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गौरव धाकड़

**प्रस्तर 51-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 3818966.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3818966.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1 )

**प्रस्तर 52-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 7332मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 1334424.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 48612.10 कुल ₹0 1383036.10 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1383036.10 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

#### 41. ग्राम पंचायत - धनौली

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती मीना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 53-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 25308542.00 का



उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 25308542.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 54-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 18 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 3276.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 17813.00 कुल रु0 21089.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 21089.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 42. ग्राम पंचायत - गामरी

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री विनीत कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री ऋषि कुमार

**प्रस्तर 55-** दिनांक 01/02/2020 से 31/03/2020 तक की अवधि में कैश बुक में दर्शाये गए व्यय रु 107160.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 107160.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री विनीत कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषि कुमार से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 18 )

#### 43. ग्राम पंचायत - जारुआ कटरा

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री दुर्गा प्रसाद

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 56-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 5056591.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ,जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 5056591.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 57-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1659 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 301938.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 23751.20 कुल रु0 325689.20 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।



अतः उपरोक्त व्यय रु0 325689.20 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

44. ग्राम पंचायत - खाल

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री छित्तर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 58-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कैश बुक एवं ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 402102010944022 उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1514842.56 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1514842.56 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री छित्तर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 59-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में निर्माण सामग्री पर रु0 45881.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 45881.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री छित्तर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

45. ग्राम पंचायत - लालउ

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री शेर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 60-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 848050.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 848050.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 61-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1687 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 307034.00 व्यय किया गया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 307034.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

46. ग्राम पंचायत - मलपुरा

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती पूरन देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 62-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 21416104.97 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 21416104.97 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 63-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 39 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 7098.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 393048.66 कुल ₹0 400146.66 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 400146.66 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**47. ग्राम पंचायत - नारौल**

**विकास खण्ड - अकोला**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री हरी सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 64-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 861639.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 861639.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 65-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में निर्माण सामग्री पर ₹0 10970.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 10970.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**48. ग्रामपंचायत - पिनानीरामनगर**

**विकासखण्ड - अकोला**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती चंद्रावती ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्रीमती लिली माथुर

**प्रस्तर 66-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लिली माथुर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 695145.00 का

उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ,जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 695145.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लिली माथुर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 67-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 167 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 30394.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 519874.20 कुल ₹0 550268.20 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 550268.20 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लिली माथुर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 49. ग्रामपंचायत - सगुनापुर

#### विकासखण्ड - अकोला

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री मोहन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री केशव सिंह

**प्रस्तर 68-** दिनांक 01/04/2019 से 31/01/2020 तक की अवधि में कैश बुक में दर्शाये गए व्यय ₹ 305133.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 305133.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री केशव सिंह से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 18 )

#### 50. ग्रामपंचायत - सलेमाबाद

#### विकासखण्ड - अकोला

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री राजवीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गौरव धाकड़

**प्रस्तर 69-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 1903339.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1903339.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 70-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 423 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 76986.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 26190.59 कुल ₹0 103176.59 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 103176.59 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव धाकड़ से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 51. ग्रामपंचायत - सिरौली

विकासखण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री मुकेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीपक चाहर

**प्रस्तर 71-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 3188707.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ,जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3188707.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 72-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 832 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 149828.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 999775.80 कुल रु0 1149603.80 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1149603.80 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चाहर से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 52. ग्राम पंचायत - भड़कौल

विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री ओमप्रकाश

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री धर्मेन्द्र सिंह

**प्रस्तर 73-** वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तीन तिथियों में कुल रु0 117000.00 का आहरण किया गया। परन्तु उक्त आहरित धनराशियों के सापेक्ष कैश बुक के व्यय पक्ष में खर्च/व्यय दर्शित ना कर उक्त कुल धनराशि रु0 117000.00 का अपहरण कर किया गया जिसकी वसूली प्रचलित ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह से आधी - आधी ब्याजसहित कर राजकीय कोषागार में जमा काराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | चैक      | धनराशि |
|------------|----------|--------|
| 28.06.2019 | 027831   | 52500  |
| 19.07.2019 | 016308   | 4500   |
| 14.01.2020 | ट्रांसफर | 60000  |
|            | योग      | 117000 |

(मूल आपति संख्या 16 )

#### 53. ग्रामपंचायत - चुरियारी

विकासखण्ड - फतेहपुरसीकरी

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री चन्दन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विद्यासागर गुप्ता

**प्रस्तर 74-** ग्राम पंचायत की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्राप्त धनराशि से रु0 1883566.00 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की दशा में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार

यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1883566.00 को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री चन्दन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विधासागर गुप्ता से आतिथि ब्याज के साथ की जाएगी एवं बसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

(मूल आपति संख्या 1 )

**54. ग्रामपंचायत - बसेरीकाज**

**विकासखण्ड - फतेहपुरसीकरी**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री विवेक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विद्यासागर गुप्ता

**प्रस्तर 75-** ग्राम पंचायत की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रु0 1763813.00 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की दशा में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1763813.00 को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विधासागर गुप्ता से आतिथि ब्याज के साथ की जाएगी एवं बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

(मूल आपति संख्या 1 )

**55. ग्रामपंचायत - सीकरीचारहिस्सा**

**विकासखण्ड - फतेहपुरसीकरी**

**जनपद- आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती विमला देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विद्यासागर गुप्ता

**प्रस्तर 76-** ग्राम पंचायत की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रु0 9247051.40 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की दशा में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 9247051.40 को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विधासागर गुप्ता से आतिथि ब्याज के साथ की जाएगी एवं बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

(मूल आपति संख्या 1)

**56. ग्रामपंचायत - पतसाल**

**विकासखण्ड - फतेहपुरसीकरी**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री रामजी लाल ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री नरेश कुमार सिंघल

**प्रस्तर 77** ग्राम पंचायत की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रु0 1267166.40 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। अन्यथा की दशा में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानानुसार

यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1267166.40 को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामजी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेश कुमार सिंघल से आतिथि ब्याज के साथ की जाएगी एवं बसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

(मूल आपति संख्या 1 )

**57. ग्रामपंचायत - कीठम**

**विकासखण्ड - अछनेरा**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री ताराचन्द

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री पंकज शर्मा

**प्रस्तर 78-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कीठम द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार 64 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 2672019.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 2672019.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री ताराचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से आतिथि ब्याज के साथ वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 1 )

**58. ग्रामपंचायत - मुबारिजपुर**

**विकासखण्ड - अछनेरा**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री लज्जा राम

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश चन्द वर्मा

**प्रस्तर 79-** 1-वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1545280.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1545280.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री लज्जा राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश चन्द वर्मा से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 80-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्य में कुल 495 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 90090.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 75673.78 कुल रु0 165763.78 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 165763.78 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री लज्जा राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश चन्द वर्मा से आधा - आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 2 )

**59. ग्रामपंचायत - गढ़ीचन्द्रमन**

**विकासखण्ड - अछनेरा**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री योगेश कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश बाबू

**प्रस्तर 81-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में दिनांक 01/04/2019 से 30/09/2019 तक कार्यरत सचिव श्री दिनेश बाबू व ग्राम प्रधान द्वारा ₹0 768435.40 का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹ 768435.40 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश बाबू से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या 17 )

#### 60. ग्रामपंचायत - पनवारी

विकासखण्ड - अछनेरा

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री उम्मेद सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राम निवास

**प्रस्तर 82-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में दिनांक 01/04/2019 से 30/10/2019 तक कार्यरत सचिव श्री राम निवास व ग्राम प्रधान द्वारा ₹0 2480418.00 का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹ 2480418.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम निवास से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 17 )

#### 61. ग्रामपंचायत -कचौरा

विकासखण्ड - अछनेरा

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री पोहप सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राम निवास

**प्रस्तर 83-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कचौरा द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल एवं ग्रामनिधि प्रथम की बैंक पासबुक से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 61 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल ₹0 5199475.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹ 5199475.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पोहप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राम निवास से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 62. ग्रामपंचायत - सीगना

विकासखण्ड - अछनेरा

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री जितेन्द्र पाल सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राम निवास

**प्रस्तर 84-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सीगना द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 54 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल ₹0 3765465.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी

भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 3765465.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राम निवास से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 63. ग्रामपंचायत - मई

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती उर्मिला देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राम निवास

**प्रस्तर 85-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मई द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 56 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 2719850.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 2719850.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राम निवास से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 64. ग्रामपंचायत - अरसेना

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री नरेश कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राम निवास

**प्रस्तर 86-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अरसेना द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल रु0 4412454.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 4412454.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम निवास से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 65. ग्रामपंचायत - छ:पोखर

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री सुन्दर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश कुमार वर्मा

**प्रस्तर 87-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत छ: पोखर द्वारा निर्माण /मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल एवं ग्रामनिधि प्रथम की बैंक पासबुक से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 56 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 2745313.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई



प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 2745313.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 66. ग्रामपंचायत - कुकथला

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती मंजू देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश कुमार वर्मा

**प्रस्तर 88-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कुकथला द्वारा निर्माण / मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल एवं ग्रामनिधि प्रथम की बैंक पासबुक से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 52 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 3148421.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 3148421.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 67. ग्रामपंचायत - सहता

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री बहोरन

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश कुमार वर्मा

**प्रस्तर 89-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सहता द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल एवं ग्रामनिधि प्रथम की बैंक पासबुक से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 53 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 2363909.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक /रसीद/ पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 2363909.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री बहोरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 68. ग्रामपंचायत - बस्तई

#### विकासखण्ड - अछनेरा

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री तारा चंद

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश कुमार वर्मा

**प्रस्तर 90-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बस्तई द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल एवं ग्रामनिधि प्रथम की बैंक पासबुक से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल 26 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 1216480.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय

से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 1216480.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री तारा चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 69. ग्रामपंचायत - अटूस

#### विकासखण्ड - अछनेरा

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती सुनीता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री पंकज शर्मा

**प्रस्तर 91-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अटूस द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार 49 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 3598261.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 3598261.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 70. ग्रामपंचायत - नागर

#### विकासखण्ड - अछनेरा

जनपद - आगरा

ग्रामप्रधान का नाम -श्री रामवीर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री पंकज शर्मा

**प्रस्तर 92-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत नागर द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रय मद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ईग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार 55 व्यय प्रमाणको के द्वारा कुल रु0 3006572.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 3006572.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 71. ग्रामपंचायत - पट्टी शेखपुर

#### विकासखण्ड - शमशाबाद

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती पूरन देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज शाह

**प्रस्तर-93** आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा कैशबुक के विवरणानुसार दिनांक 02/04/2019 को ओम कॅरपोरेशन को चैक सं0 709879 के द्वारा रु० 23,900/- का भुगतान किया गया है जिसमें से गत वर्ष 2015-16 की

प्रिया फीडिंग व अनुपूरक कार्य योजना पर रु० 11,500/- तथा कूड़ा गाड़ी क्रय हेतु रु० 12400/- व्यय दर्शाया गया है। जबकि ओम कॅरपोरेशन हार्डवेयर सामग्री का विक्रेता था या नहीं, एवं कूड़ा गाड़ी क्रय की गयी या नहीं, की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया और वही गत वर्ष 2015-16 की प्रिया फीडिंग व अनुपूरक कार्य योजना पर पूर्व में कोई भुगतान नहीं किया गया है, के समर्थन में गत वर्षों की लेखापरीक्षित कैशबुक या अन्य कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के

**प्रस्तर-8-(क)** के प्राविधानों का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है। अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

इस प्रकार ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के

**प्रस्तर- 8(क)** के प्राविधान के तहत उक्त मामले में आहरित की गयी धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याजसहित वसूली समान रूप से (आधी-आधी) संबंधित ग्राम प्रधान- श्रीमती पूरनदेवी एवं सचिव-श्री मनोज शाह से किये जाने संबंधी प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**आपत्ति सं०-18**

**प्रस्तर-94** इसी प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था के द्वारा कैशबुक के विवरणानुसार दिनांक 02/04/2019 को इम्पोजर कॉम्प्यूटर ग्राफिक्स को चैक सं० 709883 के द्वारा रु० 7,500/- का भुगतान किया गया है जिसे गत वर्ष 2018-19 की प्रिया फीडिंग व अनुपूरक कार्य योजना पर व्यय दर्शाया गया है। लेकिन उक्त मद पर पूर्व में कोई भुगतान नहीं किया गया है, के समर्थन में गत वर्षों की लेखापरीक्षित कैशबुक या अन्य कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

अतः उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के **प्रस्तर-8-(क)** के प्राविधानों का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है। अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

इस प्रकार ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के **प्रस्तर- 8(क)** के प्राविधान के तहत उक्त दोनों मामलों में आहरित की गयी कुल धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याजसहित वसूली समान रूप से (आधी-आधी) संबंधित ग्राम प्रधान- श्रीमती पूरनदेवी एवं सचिव-श्री मनोज शाह से किये जाने संबंधी प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**आपत्ति सं०-18**

## 72. ग्रामपंचायत-भारा

## विकासखण्ड-जगनेर

## जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री श्रीनिवास ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्री अरुण कुमार यादव

**प्रस्तर 95-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल रु० 2879777.50 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जाँच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 2879777.50 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम श्री श्री निवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार से आधी आधी (वसूली तिथि तक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**73. ग्रामपंचायत-बाजिदपुर****विकासखण्ड-जगनेर****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीबाबू

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्रीशंकर लाल

**प्रस्तर 96-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बाजिदपुर को प्राप्त कुल वार्षिक अनुदान में से ₹0 725601.85 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फार्मों द्वारा किया गया , जबकि आहरित / व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर / मस्टर रोल नहीं पाये गये | जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के **प्रस्तर 08** क के प्राविधानों का उल्लंघन है , जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है | अन्यथा की स्थिति में आहरित / व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये उसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व सचिव से की जाएगी तथा बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के **प्रस्तर- 8(क)** के प्राविधान के तहत उक्त मामलों में आहरित की गयी कुल ₹0 725601.85 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, जिसकी वसूली ब्याजसहित समान रूप से (आधी-आधी) संबंधित ग्राम प्रधान- श्रीबाबू एवं सचिव- श्रीशंकर लाल से किये जाने संबंधी प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

**74. ग्राम पंचायत - सरैन्धी****विकास खण्ड - जगनेर****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती किरन देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री शंकर लाल

**प्रस्तर 97-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सरैन्धीको प्राप्त कुल वार्षिक अनुदान में से ₹0 4366766.00 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फार्मों द्वारा किया गया , जबकि आहरित / व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर / मस्टर रोल नहीं पाये गये | जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के **प्रस्तर 08** क के प्राविधानों का उल्लंघन है , जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है | अन्यथा की स्थिति में आहरित/ व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये उसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व सचिव से की जाएगी तथा बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के **प्रस्तर- 8(क)** के प्राविधान के तहत उक्त मामलों में आहरित की गयी कुल ₹0 4366766.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, जिसकी वसूली ब्याजसहित समान रूप से (आधी-आधी) संबंधित ग्राम प्रधान- श्रीमती किरन देवी एवं सचिव- श्रीशंकर लाल से किये जाने संबंधी प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

**75. ग्राम पंचायत - रिछोहा****विकास खण्ड - जगनेर****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती अंगूरी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री शंकर लाल

**प्रस्तर 98-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रिछोहाको प्राप्त कुल वार्षिक अनुदान में से ₹0 4290848.88 की धनराशि का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों व फार्मों द्वारा किया गया , जबकि आहरित / व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर / मस्टर रोल नहीं पाये गये | जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के **प्रस्तर 08** क के प्राविधानों का उल्लंघन है , जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है | अन्यथा की स्थिति में आहरित / व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये उसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व सचिव से की जाएगी तथा बसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के **प्रस्तर- 8(क)** के प्राविधान के तहत उक्त

मामलों में आहरित की गयी कुल ₹0 4290848.88 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, जिसकी वसूली ब्याजसहित समान रूप से (आधी-आधी) संबंधित ग्राम प्रधान- - श्रीमती अंगूरी देवी एवं सचिव- श्रीशंकर लाल से किये जाने संबंधी प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

#### 76. ग्राम पंचायत - बड़ागाँव

#### विकास खण्ड - जैतपुर कलां

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीप्रहलाद सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मुहम्मद शमीम

प्रस्तर 99- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री मुहम्मद शमीम द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 2864835.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | 626025.00  |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | 521371.00  |
| 3        | पेयजल                                     | 1278174.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 389796.00  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | 49469.00   |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -          |
| 7        |                                           | -          |
|          | योग                                       | 2864835.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2864835.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुहम्मद शमीम से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

#### 77. ग्राम पंचायत - बेदपुरा

#### विकास खण्ड - जैतपुर कलां

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती मीना देवीग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गुलाब सिंह

प्रस्तर 100- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री गुलाब सिंहद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 980774.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि    |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1        | शिक्षा                                    | 120634.00 |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -         |
| 3        | पेयजल                                     | 370140.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 140200.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | 349800.00 |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -         |
|          | योग                                       | 980774.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 980774.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब सिंहसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## 78. ग्राम पंचायत - गढ़बार

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती कुसमाला

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गुलाब सिंह

प्रस्तर 101- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री गुलाब सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 2949753.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -          |
| 3        | पेयजल                                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 2949753.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -          |
|          | योग                                       | 2949753.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 2949753.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमाला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब सिंह से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

## 79. ग्राम पंचायत - गढ़ी प्रतापपुरा

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री हरी सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 102- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1681734.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 1681734.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        |                           | -          |
|          | योग                       | 1681734.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1681734.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

## 80. ग्राम पंचायत - गढ़बार

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती कुसमाला देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गुलाब सिंह

**प्रस्तर 103-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री गुलाब सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1552750.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1552750.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमाला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब सिंह से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**81. ग्राम पंचायत - कमतरी**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री कंचन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश बाबू

**प्रस्तर 104-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री दिनेश बाबू द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1885694.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                 | धनराशि     |
|----------|------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                       | 76900.00   |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण     | -          |
| 3        | पेयजल                        | 460960.00  |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम        | 761334.00  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन    | 436300.00  |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन     | -          |
| 7        | पवन उर्जा संयंत्र का रख रखाव | 150200.00  |
|          | योग                          | 1885694.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1885694.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**82. ग्राम पंचायत - कमतरी**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री कंचन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश बाबू

**प्रस्तर 105-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री दिनेश बाबू द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1232807.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1232807.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**83. ग्राम पंचायत - करनपुरा**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती गीता देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर 106- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री दिनेश बाबूद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1434319.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 1434319.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        |                           | -          |
|          | योग                       | 1434319.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1434319.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

#### 84. ग्राम पंचायत - खेड़ा राठौर

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री राकेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 107- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 3560769.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 3560128.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        | इंटरनेट प्रोविडेंट फण्ड   | 641.00     |
|          | योग                       | 3560769.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 3560769.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

#### 85. ग्राम पंचायत - खेड़ा राठौर

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री राकेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री सुरेश सिंह भदौरिया



**प्रस्तर 108-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 2668048.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 2668048.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

**86. ग्राम पंचायत - खोहरी**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती प्रेमबती देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विद्या सागर गुप्ता

**प्रस्तर 109-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 3846967.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | 542850.00  |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 2075415.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | 1196202.00 |
| 7        | वाटर सप्लाई               | 32500.00   |
|          | योग                       | 3846967.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 3846967.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमबती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्या सागर गुप्ता से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

**87. ग्राम पंचायत - क्यारी**

**विकास खण्ड - पिनाहट**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री जय प्रकाश शर्मा

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री रोहित कुमार त्रिपाठी

**प्रस्तर 110-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री रोहित कुमार त्रिपाठी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1083502.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि    |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1        | शिक्षा                                    | -         |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -         |
| 3        | पेयजल                                     | 351195.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 726307.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -         |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | 6000.00   |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 7 |     | -          |
|   | योग | 1083502.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1083502.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश शर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार त्रिपाठी से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 88. ग्राम पंचायत - कोरथ

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती ममता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 111- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 2074055.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 2073853.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        | इंटरनेट प्रोविडेंट फण्ड   | 202.00     |
|          | योग                       | 2074055.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2074055.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 89. ग्राम पंचायत - कोरथ

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती ममता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 112- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1841589.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1841589.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 90. ग्राम पंचायत - कुकापुर

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री सत्यनारायण

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

**प्रस्तर 113-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री सुरेश सिंह भदौरियाद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19में रु० 3958595.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -          |
| 3        | पेयजल                                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 3958216.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -          |
| 7        | इंटरनेट प्रोविडेंट फण्ड                   | 379.00     |
|          | योग                                       | 3958595.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3958595.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायणएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरियासे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

**91. ग्राम पंचायत - कुकापुर**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री सत्यनारायण

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

**प्रस्तर 114-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 3231128.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है |जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3231128.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सत्य नारायणएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2 )

**92. ग्राम पंचायत - मढ़ेपुरा**

**विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती नत्थी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

**प्रस्तर 115-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19में रु० 3065403.25 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | 1169019.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 387084.25  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | 1369300.00 |
| 7        | डेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट  | 140000.00  |
|          | योग                       | 3065403.25 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3065403.25 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नत्थी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 93. ग्राम पंचायत - मढ़ेपुरा

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती नत्थी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 116 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2808042.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2808042.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नत्थी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 94. ग्राम पंचायत - महुआ

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्री उम्मेद सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री रोहित कुमार त्रिपाठी

प्रस्तर 117 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री रोहित कुमार त्रिपाठी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1638243.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -          |
| 3        | पेयजल                                     | 1062500.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | -          |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | 490936.00  |
| 7        | ग्राम पंचायत कार्यक्रम                    | 84807.00   |
|          | योग                                       | 1638243.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1638243.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार त्रिपाठी से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 95. ग्राम पंचायत - मऊ

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती रामा देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 118 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 2076074.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम | धनराशि |
|----------|--------------|--------|
|----------|--------------|--------|

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | शिक्षा                    | -          |
| 2 | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3 | पेयजल                     | -          |
| 4 | पंचायती राज कार्यक्रम     | 2076074.00 |
| 5 | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6 | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7 |                           | -          |
|   | योग                       | 2076074.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2076074.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 96. ग्राम पंचायत - मऊ

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती रामा देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री सुरेश सिंह भदौरिया

प्रस्तर 119- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह भदौरिया द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1516834.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1516834.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह भदौरिया से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 97. ग्राम पंचायत - नहटोली

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री मुहम्मद शमीम

प्रस्तर 120- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री मुहम्मद शमीम द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1829745.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | 734485.00  |
| 3        | पेयजल                                     | 690203.00  |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 339057.00  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -          |
| 7        | ग्राम विधुतीकरण                           | 66000.00   |
|          | योग                                       | 1829745.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1829745.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुहम्मद शमीम से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 98. ग्राम पंचायत - रीछपुरा

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गुलाब सिंह

प्रस्तर 121- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री गुलाब सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 634210.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि    |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1        | शिक्षा                                    | -         |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -         |
| 3        | पेयजल                                     | 338444.00 |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 106466.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -         |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | 189300.00 |
|          | योग                                       | 634210.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 634210.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब सिंह से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 99. ग्राम पंचायत - रुपपुरा

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री शरीफ अली ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गुलाब सिंह

प्रस्तर 122- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री गुलाब सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1389034.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम                              | धनराशि     |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                                    | 100000.00  |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण                  | -          |
| 3        | पेयजल                                     | 980414.00  |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 127600.00  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | 90300.00   |
| 7        |                                           | 90720.00   |
|          | योग                                       | 1389034.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1389034.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री शरीफ अली एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब सिंह से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

**100. ग्राम पंचायत - बरेण्डा****विकास खण्ड - पिनाहट****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती अंजना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार

**प्रस्तर 123-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19में रु० 4952687.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 4952687.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        |                           |            |
|          | योग                       | 4952687.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 4952687.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 2 )****101. ग्राम पंचायत - बरेण्डा****विकास खण्ड - पिनाहट****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती अंजना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अवनीश कुमार

**प्रस्तर 124-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 2508908.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है |जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2508908.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 2 )****102. ग्राम पंचायत - भगरेना****विकास खण्ड - पिनाहट****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री गजेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अरुण कुमार

**प्रस्तर 125-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अरुण कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1580068.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है |जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1580068.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या 2 )****103. ग्राम पंचायत - करकोली****विकास खण्ड - पिनाहट****जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती सुनीता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार

प्रस्तर 126 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 7025058.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम                          | धनराशि     |
|----------|---------------------------------------|------------|
| 1        | पेयजल एवं स्वच्छता नवीन निर्माण       | 703556     |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण              | -          |
| 3        | पेयजल एवं स्वच्छता                    | 532604     |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम                 | 1666806    |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन             | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन सड़क निर्माण | 3930692    |
| 7        | ग्रामीण विधुतीकरण                     | 191400     |
|          | योग                                   | 7025058.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 7025058.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 104. ग्राम पंचायत - करकोली

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती सुशीला देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अवनीश कुमार

प्रस्तर 127- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 3962179.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3962179.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 105. ग्राम पंचायत - क्योरी

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती रामा देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अरुण कुमार

प्रस्तर 128- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अरुण कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1191508.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1191508.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 106. ग्राम पंचायत - मनौना

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती मीना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार



**प्रस्तर 129-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 2109678.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 2109678.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 7        |                           |            |
|          | योग                       | 2109678.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 2109678.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 107. ग्राम पंचायत - मनौना

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती मीना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार

**प्रस्तर 130-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 767021.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 767021.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवीएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 108. ग्राम पंचायत - पापरीनगर

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री हरी सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मोहन कुमार

**प्रस्तर 131-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 2250456.50का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम                  | धनराशि     |
|----------|-------------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                        | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण      | -          |
| 3        | पेयजल एवं स्वच्छता            | 112187     |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम         | 824602.50  |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन     | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन सड़क | 854016.00  |
| 7        | सीवेज एवं स्वच्छता            | 459651.00  |
|          | योग                           | 2250456.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2250456.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 109. ग्राम पंचायत - पापरीनगर

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्री हरी सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री मोहन कुमार

**प्रस्तर 132-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1625261.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1625261.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 110. ग्राम पंचायत - रेहा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती सुनीता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री मोहन कुमार

**प्रस्तर 133-** वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 3528747.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम              | धनराशि     |
|----------|---------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                    | 98120      |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3        | पेयजल                     | 19680      |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम     | 60214      |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | 490600     |
| 7        | सड़क निर्माण              | 2860133    |
|          | योग                       | 3528747.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3528747.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 111. ग्राम पंचायत - रेहा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती सुनीता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मोहन कुमार

**प्रस्तर 134-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 4610639.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय

8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 4610639.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 112. ग्राम पंचायत - सेहा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री नारायण सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मोहन कुमार

प्रस्तर 135- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1211473.00का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम               | धनराशि     |
|----------|----------------------------|------------|
| 1        | शिक्षा                     | -          |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण   | -          |
| 3        | पेयजल                      | -          |
| 4        | पंचायती राज कार्यक्रम      | 1205599.00 |
| 5        | सृजित सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
| 6        | नवीन सम्पत्तियां का सृजन   | -          |
| 7        | Interest on provident fund | 5874       |
|          | योग                        | 1211473.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1211473.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 113. ग्राम पंचायत - सेहा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री नारायण सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मोहन कुमार

प्रस्तर 136- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री मोहन कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 1381409.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1381409.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 114. ग्राम पंचायत - शाहपुर खालसा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्री मुरारी लाल

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार

प्रस्तर 137- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री अवनीश कुमारद्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1266442.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है ।

| क्र० सं० | योजना का नाम | धनराशि |
|----------|--------------|--------|
|----------|--------------|--------|

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | शिक्षा                    | -          |
| 2 | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण  | -          |
| 3 | पेयजल                     | -          |
| 4 | पंचायती राज कार्यक्रम     | 1266442.00 |
| 5 | सृजित सम्पत्तियां का सृजन | -          |
| 6 | नवीन सम्पत्तियां का सृजन  | -          |
|   | योग                       | 1266442.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1266442.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री मुरारी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 115. ग्राम पंचायत - शाहपुर खालसा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम-श्री मुरारी लाल

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अवनीश कुमार

प्रस्तर 138- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 959859.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 959859.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री मुरारी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 116. ग्राम पंचायत - उमरेठा

विकास खण्ड - पिनाहट

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती सोनी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम-श्री अरुण कुमार

प्रस्तर 139- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 3971362.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3971362.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमारसे आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 2 )

#### 117. ग्राम पंचायत - बिठौना

विकास खण्ड - जैतपुर कलां

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती रानी देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर 140- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री दिनेश बाबू द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 1795795.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

| क्र० सं० | योजना का नाम             | धनराशि |
|----------|--------------------------|--------|
| 1        | शिक्षा                   | -      |
| 2        | स्वस्थ एवं परिवार कल्याण | -      |
| 3        | पेयजल                    | -      |

|   |                                           |            |
|---|-------------------------------------------|------------|
| 4 | पंचायती राज कार्यक्रम                     | 1627255.00 |
| 5 | सृजित सम्पत्तियां का सृजन                 | -          |
| 6 | नवीन सम्पत्तियां का सृजन ( सड़क निर्माण ) | -          |
| 7 | ग्राम पंचायत कार्यक्रम                    | 168540.00  |
|   | योग                                       | 1795795.00 |

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1795795.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से आधा-आधा ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 118. ग्राम पंचायत - बैलोठ

#### विकास खण्ड - खंदोली

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री वीरेश कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री रूपेन्द्र कुमार

**प्रस्तर 141-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बैलोठ द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 714455.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मर्दों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 714455.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 119. ग्राम पंचायत - धोरऊ

#### विकास खण्ड - खंदोली

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती कान्ता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० माधुरी कटारा

**प्रस्तर 142-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत धोरऊ द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2396171.80 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मर्दों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2396171.80 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 120. ग्राम पंचायत - गदपुरा

#### विकास खण्ड - खंदोली

#### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री सुरेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अमित रावत

**प्रस्तर 143-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत गदपुरा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 587378.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 587378.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**121. ग्राम पंचायत - गिज़ोली**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री जुगेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री कमल सिंह

**प्रस्तर 144-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत गिज़ोली द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 1849093.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1849093.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**122. ग्राम पंचायत - गुढा**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री योगेश कुमार

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गौरव शर्मा

**प्रस्तर 145-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत गुढा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 1559380.10 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1559380.10 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**123. ग्राम पंचायत - हसनपुर**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री दलवीर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री वीरेन्द्र सिंह

**प्रस्तर 146-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हसनपुर द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2047876.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2047876.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**124. ग्राम पंचायत - हाजीपुर खेड़ा**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती राजकुमारी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० क्षमा कुलश्रेष्ठ

**प्रस्तर 147-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हाजीपुर खेड़ा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2214697.80 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2214697.80 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**125. ग्राम पंचायत - कुबेरपुर**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री अमर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अमित रावत

**प्रस्तर 148-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कुबेरपुर द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2333544.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2333544.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**126. ग्राम पंचायत - मलुपुर**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री मुकेश सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० क्षमा कुलश्रेष्ठ

**प्रस्तर 149-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मलुपुर द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2021846.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2021846.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**127. ग्राम पंचायत - नादऊ**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री चतुरी सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री गौरव शर्मा

**प्रस्तर 150-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत नादऊ द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 3133851.95 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3133851.95 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**128. ग्राम पंचायत - पैतखेड़ा**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री सत्यवीर सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री कमल सिंह

**प्रस्तर 151-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत पैतखेड़ा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 4032837.80 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 4032837.80 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**129. ग्राम पंचायत - परिहार**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री लाखन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री वीरेन्द्र सिंह



**प्रस्तर 152-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत परिहार द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 811303.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 811303.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**130. ग्राम पंचायत - पोड़या**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती कान्ता देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राहुल देव

**प्रस्तर 153-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत पोड़या द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 12496918.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 12496918.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**131. ग्राम पंचायत - रहनकलां**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री बनवारी लाल

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अमित रावत

**प्रस्तर 154-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रहनकलां द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 3800884.45 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3800884.45 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**132. ग्राम पंचायत - रहनखुर्द**

**विकास खण्ड - खंदोली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती सुनीता

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कुं लाईका

**प्रस्तर 155-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रहनखुर्द द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 222392.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 222392.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**133. ग्राम पंचायत - खंदौली**

**विकास खण्ड - खंदौली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती नाजमा

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राहुल देव

**प्रस्तर 156-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत खंदौली द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 5092984.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 5092984.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**134. ग्राम पंचायत - रामनगर**

**विकास खण्ड - खंदौली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती शीला देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री राहुल देव

**प्रस्तर 157-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रामनगर द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 5047685.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 5047685.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

**135. ग्राम पंचायत - सराय दारुपा**

**विकास खण्ड - खंदौली**

**जनपद - आगरा**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री भीकम सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० क्षमा कुलश्रेष्ठ

**प्रस्तर 158-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सराय दारुपा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2213371.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2213371.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 136. ग्राम पंचायत - उजरई

विकास खण्ड - खंदोली

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री धर्मेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - कु० माधुरी कटारा

**प्रस्तर 159-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत उजरई द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2853550.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2853550.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 137. ग्राम पंचायत - उस्मानपुर

विकास खण्ड - खंदोली

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री रूपेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री वीरेन्द्र सिंह

**प्रस्तर 160-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत उस्मानपुर द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 2796995.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2796995.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

#### 138. ग्राम पंचायत - रूपधनु

विकास खण्ड - खंदोली

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्री सुल्तान सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री रूपेन्द्र सिंह

**प्रस्तर 161-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रूपधनु द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 1206708.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1206708.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

### 139. ग्राम पंचायत -आँवलखेड़ा

### विकास खण्ड - खंदोली

### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती भावना देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री यशवेंद्र कुमार

**प्रस्तर 162-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत आँवलखेड़ा द्वारा निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु सामाग्री क्रय, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश बुक व बैंक स्टेटमेन्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार कुल ₹0 4880891.00 का व्यय किया गया लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर, मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, रसीद, पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त वाउचर व मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर, मस्टररोल, प्रमाणक, रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 4880891.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याजसहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या 1 )

### ग्राम पंचायत - अखबाई

### विकास खण्ड - अकोला

### जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्री केदार सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीवान सिंह

**प्रस्तर 163-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 2375024.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2375024.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री केदार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 164-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 911 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 165802.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 20146.60 कुल ₹0 185948.60 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 185948.60 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री केदार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 2 )

ग्राम पंचायत - अकोला

विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती सीमा देवी

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीवान सिंह

**प्रस्तर 165-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 8494188.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 8494188.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 166-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2627 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 478114.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 624932.46 कुल ₹0 1103046.46 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1103046.46 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 2 )

ग्राम पंचायत - गहराखुर्द विकास खण्ड - अकोला

जनपद - आगरा

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती नीतू सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीवान सिंह

**प्रस्तर 167-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 332310.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 332310.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 168-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2747 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 499954.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 131903.00 कुल ₹0 631857.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 631857.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 2 )

|                                        |                                               |                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>ग्राम पंचायत - इकराम नगर</b>        | <b>विकास खण्ड - अकोला</b>                     | <b>जनपद - आगरा</b> |
| ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती नेहा देवी | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीवान सिंह |                    |

**प्रस्तर 169-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 1502400.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1502400.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 170-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 790 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 143580.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 13605.00 कुल ₹0 157185.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 157185.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 2 )

|                                       |                                               |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>ग्राम पंचायत - जैंगारा</b>         | <b>विकास खण्ड - अकोला</b>                     | <b>जनपद - आगरा</b> |
| ग्राम प्रधान का नाम -श्री सोनवीर सिंह | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री दीवान सिंह |                    |

**प्रस्तर 171-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 2701574.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2701574.00 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सोनवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 1 )

**प्रस्तर 172-** मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1522 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 276388.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 18335.3 कुल ₹0 294723.3 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 294723.3 गवन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सोनवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीवान सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

( मूल आपति संख्या 2 )

## **प्रारूप -04**

### **01.ग्राम पंचायत आकलपुरदामोदरपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 01-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-234/33-3-2015-02/ 2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 निर्गत किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई0डी0सं0-29811345) में ₹0 2,20,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसारनिर्धारितप्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहींकी गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,20,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है।जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 02-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 5,38,300 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका।जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **02.ग्राम पंचायतआलमपुरकनैटाविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 03-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-234/33-3-2015-02/ 2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 निर्गत किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई0डी0सं0-29735783, 29736153) में ₹0 4,39,600=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹ 4,39,600=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीपक यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 04-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार **₹ 20000/-** से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में **₹ 6,38,500** की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीराकेश कुमार** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीपक यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **03.ग्राम पंचायतजैदामईविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 05-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्य पर **₹ 45,600=00** व्यय किया गया है। यह व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के विपरीत करवाया गया है। इस व्यय के सम्बन्ध में इंगित करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि “यह व्यय माननीय जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी फिरोजाबाद के मौखिक निर्देशों के उपरान्त किया गया है।” जबकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार तथा उ०प्र०सरकार द्वारा कोई लिखित दिशा निर्देश जारी ही नहीं किये गये फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह व्यय बिना उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के सम्भव नहीं है। जानबूझकर शासकीय धन केमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹ 45,600=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीहरेन्द्र पाल सिंह बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **04.ग्राम पंचायतजमालपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 06-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन के शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-234/33-3-2015-02/ 2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 निर्गत किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई०डी०सं०-29196438) में **₹ 3,99,196=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹ 3,99,196=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सीमा देवी** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरेन्द्रपाल सिंह बघेल**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **05.ग्राम पंचायतखेडागनेशपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**



**प्रस्तर 07-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लेखराज एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीपक यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **06. ग्राम पंचायत कोलामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 08-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरेन्द्रपाल सिंह बघेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **07. ग्राम पंचायत लढू पुर चकर पुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 09-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0 सं0-32494890, 32495065, 32494934, 32494029, 29781958, 32495116, 32494852, 32495088, 38681924, 38681937, 38637575, 38637557, 38806436, 38806460, 32494164, 32494199, 32494914, 32494981, 29782933, 32494715, 32494947, 32494447) में ₹0 21,19,702=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 21,19,702=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती रेखा तिवारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवांगी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **08. ग्राम पंचायत भौंडेला विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 10-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0 सं0- 28552525) में ₹0 2,37,269=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,37,269=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती रेखा तिवारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवांगी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 09.ग्राम पंचायतबैंदीविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर11-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई0डी0सं0- 28495537) में ₹0 2,90,730=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,90,730=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कपिल गौतम**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 10.ग्राम पंचायतवासुदेवपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर12-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹025,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मती हेमलता**एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रियंका दुबे**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 11.ग्राम पंचायतलुहारीसलेमपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 13-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई0डी0सं0-29404074, 37796289) में ₹0 15,61,004=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 15,61,004=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार**एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

**प्रस्तर14-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार**एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 12.ग्राम पंचायतमटामईविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर15-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-29572909, 29572331, 32365106, 29573187, 32365125, 32365116, 32365004, 32365049) में ₹0 10,81,248=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 10,81,248=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री जयपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवांगी सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **13. ग्राम पंचायत नागउविकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर16-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-32080773, 29439829, 32080807, 32080821, 32080856, 32080717, 32081275, 32081250, 32080840, 32080747, 32080638, 32080729, 32081229, 38921067, 32081263) में ₹0 45,09,558=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 45,09,558=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री अजयपाल** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर17-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री अजयपाल** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **14. ग्राम पंचायत नगलामुल्ला विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर18-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती मुईन फातिमा** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी हरेन्द्र पाल सिंह बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **15. ग्राम पंचायत रसीदपुर कनैटा विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर19-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती ईला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **16. ग्राम पंचायतरूपसपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर20-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु प्रधान श्री रामजीलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्रीप्रियंका दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

#### **17. ग्राम पंचायतसोफीपुरविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर21-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-30096778, 30096765, 30096745, 30096708) में ₹0 10,35,346=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 10,35,346=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पूरनमल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर22-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹025,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पूरनमल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 23-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 17,23,817=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री अशोक सामौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 17,23,817=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्री पूरनमल, पूर्व प्रधान        | ₹0 8,61,908=50 |
| श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0पं0अधि0 | ₹0 8,61,908=50 |

**प्रस्तर 24-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 3,16,453=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्री पूरनमल, पूर्व प्रधान        | ₹0 1,58,226=50 |
| श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0पं0अधि0 | ₹0 1,58,226=50 |

#### 18. ग्राम पंचायत उसायनी विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 25-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-32149708, 32149766, 29161337, 32149860, 32151228, 29158668, 32151272, 29045852) में ₹0 25,86,481=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 25,86,481=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कपिल गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 26-** विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 32,69,311=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कपिल गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 19. ग्राम पंचायत दौकैली विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 27-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 33,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र पाल सिंह बघेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 20.ग्राम पंचायतउलाउखेडाविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर28-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य(कार्य आई0डी0-29404315, 29404324, 29404318, 29404329, 38310467) में ₹0 15,57,837=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 15,57,837=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कपिल गौतम**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

**प्रस्तर29-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकपिल गौतम**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 21.ग्राम पंचायतढकपुराविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर30-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,37,500=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,37,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती शशी देवी**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंह**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 31-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2,30,740=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र पाल सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8(क)** अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र पाल सिंह**ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,30,740=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती शशी देवी, पूर्व प्रधान

₹0 1,15,370=00

श्रीरामेन्द्र पाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0

₹0 1,15,370=00

**प्रस्तर 32-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 29,800=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| श्रीमती शशी देवी, पूर्व प्रधान      | ₹0 14,900=00 |
| श्रीरामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा0प0अधि0 | ₹0 14,900=00 |

## 22.ग्राम पंचायतनानपीथनीविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर33-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-30519669, 30496320, 30519554) में ₹0 8,97,900=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 8,97,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर34-** विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 17,08,817=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 35-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 17,08,817=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री अशोक सामौर्या** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री अशोक सामौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 17,08,817=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| श्री सर्वेश कुमार, पूर्व प्रधान | ₹0 8,54,408=50 |
| श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0प0अधि0 | ₹0 8,54,408=50 |

**प्रस्तर 36-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409

के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 3,31,453=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीसर्वेश कुमार, पूर्व प्रधान

₹0 1,65,726=50

श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0पं0अधि0

₹0 1,65,726=50

**प्रस्तर37-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹050,145=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 23. ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर बिहारीपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर38-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0 सं0-29781975, 29781688) में ₹0 5,25,899=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,25,899=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर39-** विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 8,46,938=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 40-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 8,46,938=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री अशोक सामौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 8,46,938=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सुनीता देवी, पूर्व प्रधान

₹0 4,23,469=00



**प्रस्तर 41-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि रु0 3,86,344=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीमती सुनीता देवी, पूर्व प्रधान

रु0 1,93,172=00

श्री अशोक सामौर्या,ग्रा0पं0अधि0

रु0 1,93,172=00

**प्रस्तर42-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय रु025,145=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्यासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 24.ग्राम पंचायतउधनीविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर43-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 5,04,600=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय रु0 5,04,600=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर44-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में रु0 10,08,114=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका।जिस हेतु ग्राम प्रधानश्रीमती राजकुमारीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 45-** ग्राम पंचायत द्वारा रु0 10,08,114=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र पाल सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र पाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख

तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 10,08,114=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती राजकुमारी, पूर्व प्रधान  
श्रीरामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा0प0अधि0

₹0 5,04,057=00  
₹0 5,04,057=00

**प्रस्तर 46-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,16,671=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीमती राजकुमारी, पूर्व प्रधान  
श्रीरामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा0प0अधि0

₹0 1,08,335=50  
₹0 1,08,335=50

**प्रस्तर 47-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 25. ग्राम पंचायत रानीपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 48-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,95,900=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,95,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 49-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 26. ग्राम पंचायत सलेमपुर नगलाखार विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर50-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0सं0-36380811, 29412210, 29412120) में ₹0 8,03,848=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,03,848=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री रामनिवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयप्रताप सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर51-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री रामनिवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयप्रताप सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## **27. ग्राम पंचायत बरामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर52-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,45,890=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,45,890=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमदन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर53-** विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 5,41,910=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमदन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 54-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 5,41,910=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में 30 प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र पाल सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र पाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख

तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 5,41,910=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मदन सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 2,70,955=00

श्रीरामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा0प0अधि0

₹0 2,70,955=00

**प्रस्तर 55-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,10,104=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीमदन सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 55,052=00

श्रीरामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा0प0अधि0

₹0 55,052=00

**प्रस्तर56-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमदन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 28.ग्राम पंचायतचन्द्रवारविकास खण्ड फिरोजाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर57-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 15,51,899=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 15,51,899=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुकेश यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर58-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 2,56,918=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुकेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 59-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2,56,918=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुकेश यादव को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020

(द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री मुकेश यादवग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि रु० 2,56,918=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| श्री मती कमलेश देवी, पूर्व प्रधान | रु० 1,28,459=00 |
| श्रीमुकेश यादव, ग्रा० पं० अधि०    | रु० 1,28,459=00 |

**प्रस्तर 60-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि रु० 64,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| श्रीमती कमलेश देवी, पूर्व प्रधान | रु० 32,000=00 |
| श्रीमुकेश यादव, ग्रा० पं० अधि०   | रु० 32,000=00 |

**प्रस्तर 61-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी० टी० वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय रु० 1,14,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुकेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 29. ग्राम पंचायत हरदासपुर निस्पी विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 62-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में रु० 15,23,855=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 15,23,855=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीथान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 63-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 9,03,082=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीथान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 64-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 9,03,082=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह** ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,03,082=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| श्री थान सिंह, पूर्व प्रधान     | ₹0 4,51,541=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि० | ₹0 4,51,541=00 |

**प्रस्तर 65-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 3,62,405=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| श्रीथान सिंह, पूर्व प्रधान      | ₹0 1,81,202=50 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि० | ₹0 1,81,202=50 |

**प्रस्तर 66-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीथान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 30. ग्राम पंचायत सडामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 67-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 15,23,855=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,87,806=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 68-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 12,28,325=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 69-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 12,28,325=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में 30 प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8(क)** अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 12,28,325=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| श्री मती सविता देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 6,14,162=50 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0  | ₹0 6,14,162=50 |

**प्रस्तर 70-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8(क)** के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,59,481=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्रीमती सविता देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 1,29,740=50 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0 | ₹0 1,29,740=50 |

### 31. ग्राम पंचायत खरसुली विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 71-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30 प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,07,888=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,07,888=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 72-** विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के **प्रस्तर 4 व 5** के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 7,91,708=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 73-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 13,06,429=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह** ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 13,06,429=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| श्रीमती गुड्डी देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 6,53,214=50 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०   | ₹0 6,53,214=50 |

**प्रस्तर 74-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,94,206=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| श्रीमती गुड्डी देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 97,103=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०   | ₹0 97,103=00 |

**प्रस्तर 75-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 32. ग्राम पंचायत जलालपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 76-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 34,14,104=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 34,14,104=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 77-** विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 37,65,805=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।



उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 78-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 37,65,805=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 37,65,805=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| श्री मती सीमा देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 18,82,905=50 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प००अधि० | ₹0 18,82,905=50 |

**प्रस्तर 79-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 7,09,524=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्रीमती सीमा देवी, पूर्व प्रधान  | ₹0 3,54,762=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प००अधि० | ₹0 3,54,762=00 |

### 33. ग्राम पंचायत नरगापुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 80-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 10,89,740=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 10,89,740=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमहेन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 81-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 9,68,740=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमहेन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 82-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 9,68,740=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8(क)** अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह** ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,68,740=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| श्रीमहेन्द्रपाल सिंह, पूर्व प्रधान | ₹0 4,84,370=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०    | ₹0 4,84,370=00 |

**प्रस्तर 83-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8** के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,44,300=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| श्रीमहेन्द्रपाल सिंह, पूर्व प्रधान | ₹0 72,150=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०    | ₹0 72,150=00 |

**प्रस्तर 84-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,800=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान **श्रीमहेन्द्रपाल सिंह** एवं ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 34. ग्राम पंचायत इटौरा विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 85-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 34,14,104=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 34,14,104=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान **श्रीमती सुमन देवी** एवं ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 86-** विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के **प्रस्तर 4** व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 28,26,004=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 87-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 28,26,004=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में 30 प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 28,26,004=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| श्री मती सुमन देवी, पूर्व प्रधान | ₹0 14,13,002=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0 | ₹0 14,13,002=00 |

**प्रस्तर 88-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 5,88,100=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्रीमती सुमन देवी, पूर्व प्रधान  | ₹0 2,94,050=00 |
| श्रीरामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0 | ₹0 2,94,050=00 |

### 35. ग्राम पंचायत फरौलनगरिया विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 89-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30 प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 15,45,541=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 15,45,541=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री अजीराम राजपूत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमूकेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 90-** विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 11,09,324=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री अजीराम राजपूत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमूकेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 91-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 11,09,324=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीमुकेश यादव** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8(क)** अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री मुकेश यादव** ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 11,09,324=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्री अजीराम राजपूत, पूर्व प्रधान | ₹0 5,54,662=00 |
| श्रीमुकेश यादव, ग्रा०प०अधि०      | ₹0 5,54,662=00 |

**प्रस्तर 92-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के **प्रस्तर 8** के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,08,210=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| श्रीअजीराम राजपूत, पूर्व प्रधान | ₹0 54,105=00 |
| श्रीमुकेश यादव, ग्रा०प०अधि०     | ₹0 54,105=00 |

**प्रस्तर 93-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹045,600=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान **श्रीअजीराम राजपूत** एवं ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीमुकेश यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 36. ग्राम पंचायत अलहदादपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 94-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 36,90,659=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 36,90,659=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान **श्रीश्री लाल** एवं ग्राम पंचायत अधिकारी **श्रीरामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 95-** विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के **प्रस्तर 4** व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 26,03,778=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री श्री लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 96-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 26,03,778=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 26,03,778=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| श्री श्री लाल, पूर्व प्रधान      | ₹0 13,01,889=00 |
| श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि० | ₹0 13,01,889=00 |

**प्रस्तर 97-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 7,19,060=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| श्री श्री लाल, पूर्व प्रधान      | ₹0 3,59,530=00 |
| श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि० | ₹0 3,59,530=00 |

**प्रस्तर 97 अ -** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्री लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 37. ग्राम पंचायत स्यावरी विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 98-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹051,980=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र राजपूत संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **38.ग्राम पंचायतशोभनपुरविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर99-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹021,240=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मती मिथलेश देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **39.ग्राम पंचायतसिरमईविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर100-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,892=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मती सुधारानी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र राजपूत** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर101-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **₹0 2,10,750=00** व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 2,10,750=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुधारानी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र राजपूत** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **40.ग्राम पंचायतशेखनपुरविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर102-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **₹0 2,10,750=00** व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 8,70,173=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती शशि यादव** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाश मधुकर** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **41.ग्राम पंचायतशेखपुराविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर103-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,50,904=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,50,904=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजन श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **42. ग्राम पंचायत सन्दलपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर104-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹055,510=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त पाठक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **43. ग्राम पंचायत साहूई विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर105-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,588=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अचल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त पाठक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **44. ग्राम पंचायत रानीपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर106-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹062,068=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री वीरेश्वर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **45. ग्राम पंचायत रखावली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर107-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,44,800=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,44,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री शशिवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **46. ग्राम पंचायत प्रतापपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर108-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 28,15,700=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 28,15,700=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री राममूर्ति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयपाल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **47. ग्राम पंचायत ओढमपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर109-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 21,240=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती राजन श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **48. ग्राम पंचायत नयाबांस विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर110-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 21,240=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्री रवि कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरालाल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **49. ग्राम पंचायत नन्दपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर111-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक



सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹039,240=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री मती भुवेश्वरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 112-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,17,921=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,17,921=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती भुवेश्वरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **50. ग्राम पंचायत नगलाकिरार विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 113-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹09,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री मती शिवकान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 114-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,46,870=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,46,870=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती शिवकान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **51. ग्राम पंचायत नगलाजाट विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 115-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअजयपालसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 52.ग्राम पंचायतमस्तपुरअकबरपुरविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर116-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,588=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती लता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीउपेन्द्र यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 53.ग्राम पंचायतलालईविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर117-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामौतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयपालसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर118-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,54,904=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 8,54,904=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामौतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअजयपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 54.ग्राम पंचायतकोडरविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर119-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹039,176=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाशसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर120-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,44,128=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,44,128=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **55. ग्राम पंचायत केशपुरा विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर121-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 68,702=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री फूलन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर122-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,25,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,25,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री फूलन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **56. ग्राम पंचायत कौरी सरहद विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर123-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 58,764=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **57. ग्राम पंचायत खरगपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर124-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹030,940=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **58. ग्राम पंचायत कमालपुर खावली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 125-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹030,740=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री कालीचरण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त पाठक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 126-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,87,724=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,87,724=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री कालीचरण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशान्त पाठक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **59. ग्राम पंचायत जरौली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 127-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹040,828=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदित्य राजपूत व श्री सुनील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 128-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,37,700=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,37,700=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्रीआदित्य राजपूत व श्री सुनील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 60. ग्राम पंचायत जखारा विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 129-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीलाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअजयपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 61. ग्राम पंचायत इटौली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 130-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,588=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती पंकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 62. ग्राम पंचायत इन्दरई विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 131-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹030,740=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 132-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,47,719=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,47,719=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र सिंह राजपूत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 63.ग्राम पंचायतघुनपईविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर133-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,892=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमतीमंजू देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयपालसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर134-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 6,73,188=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 6,73,188=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमतीमंजू देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअजयपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 64.ग्राम पंचायतगडौराविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर135-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीउदल सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह राजपूतसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

**प्रस्तर136-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,12,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,12,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीउदल सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र सिंह राजपूत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 65.ग्राम पंचायतफरिहादेहातविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर137-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹058,764=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाशमधुकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 66. ग्राम पंचायत फरीदाबरीली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 138-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹063,720=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरक्षपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 139-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,71,100=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,71,100=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरक्षपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 67. ग्राम पंचायत दारापुर रसैनी विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 140-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,588=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीशिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 141-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,34,498=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,34,498=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीशिशुपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 68.ग्राम पंचायतदपामईविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर142-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु021,240=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीकमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाशसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर143-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 3,24,000=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 3,24,000=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीकमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 69.ग्राम पंचायतचिरावलीविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर144-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु021,240=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीपुरुषोत्तम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 70.ग्राम पंचायतअकबरपुरमस्तपुरविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर145-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु019,588=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री सतीशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 71.ग्राम पंचायतबनवीरपुरकुढीविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर146-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक



सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,892=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीलक्ष्मीनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुष्पेन्द्र यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 72.ग्राम पंचायतबनीपुराविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर147-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीइन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र गौतमसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर148-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 6,87,758=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 6,87,758=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीइन्द्रपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 73.ग्राम पंचायतबरथराविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर149-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,588=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीविनोद गौतम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीआशीष कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर150-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 8,32,500=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 8,32,500=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीविनोद गौतम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीआशीष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 74.ग्राम पंचायतबरौलीविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर151-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,240=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदित्य राजपूत व श्री सुनील यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 75.ग्राम पंचायतबवाइनविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर152-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,892=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती वैजयन्ती देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर153-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 7,34,186=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 7,34,186=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती वैजयन्ती देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

#### 76.ग्राम पंचायतविजौलीविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर154-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹031,892=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती कुसुमा देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 77.ग्राम पंचायतवलीपुरतपस्याविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर155-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,892=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए **प्रधान श्रीराजकुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह** उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर156-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 3,55,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 3,55,000=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीराजकुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर157-** ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28 जून 2019 को पासबुक से चैक संख्या 069051 द्वारा रु0 58000 का आहरण करके कैशबुक में रु0 50000 दर्शित किये गये हैं। अतः कैशबुक में रु0 8000 कम दर्शित है तथा कैशबुक में दिनांक 31 मार्च 2021 को रोकड हस्ते रु0 18000 दर्शित है, जिसको वर्ष 2020-21 की कैशबुक में नहीं पकड़ा गया और न ही कहीं ऑनलाइन फीड कराया गया है। अतः व्यय पक्ष रु0 18000 से कम दर्शित हैं, इस प्रकार वर्षान्त में व्यय धनराशि में रु0 26000 का स्पष्ट अन्तर है। अतः ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह ने संयुक्त रूप से रु0 26000 का अपहरण किया है। इसलिए उ0प्र0पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 अधिभार एवं उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 188 एवं अधिभार सम्बन्धी नियम 256 के अन्तर्गत रु0 26000 की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री राजकुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री विपिन कुशवाह** से की जानी अपेक्षित है।

#### **78.ग्राम पंचायतभामईविकास खण्डहाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर158-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 3,04,519=56 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 3,04,519=56**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमहीपाल सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र सिंह राजपूत** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **79.ग्राम पंचायतविदरखाविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर159-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशशांक यादव उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर160-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,06,000=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,06,000=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशशांक यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **80.ग्राम पंचायत भडाईपुरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर161-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,73,640=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,73,640=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुनील यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नितिन कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **81.ग्राम पंचायत बूढा भरथरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर162-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दुर्गविजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **82.ग्राम पंचायत डाहिनी विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर163-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राहुल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुनील यादव उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 83.ग्राम पंचायतछीछामईविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर164-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर165-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,46,947=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,46,947=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 84.ग्राम पंचायतचमरौलीविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर166-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीनीरज कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकुशलपाल के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 85.ग्राम पंचायतआसदेवमईनूरपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर167-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 7,23,938=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 7,23,938=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीप्रेमश्यामएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमहेन्द्रपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 86.ग्राम पंचायतअरमराजटविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर168-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **87.ग्राम पंचायतअब्बासपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 169-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कविता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **88.ग्राम पंचायतअतापुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर170-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹025,145=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीओमकार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर171-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 3,26,003=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 3,26,003=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीओमकार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **89.ग्राम पंचायतअंगदपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर172-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹025,145=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कविता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुशलपाल के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 90. ग्राम पंचायत दरिगापुर मोहिनीपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 173-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹09,001=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री भगवानदास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशांक संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 174-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,80,651=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,80,651=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री भगवानदास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशांक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 91. ग्राम पंचायत धनपुरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 175-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री वीरभान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरवेन्द्र कुमार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 176-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,43,502=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,43,502=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री वीरभान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरवेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 92. ग्राम पंचायत फतेहपुर कर्खा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर177-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,57,656=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,57,656=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **93. ग्राम पंचायत गागई विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर178-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,99,106=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,99,106=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीवीरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती भावना वर्मा** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **94. ग्राम पंचायत गलामई विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर179-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,30,853=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,30,853=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **95. ग्राम पंचायत हैवतपुर कर्खा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर180-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,40,932=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,40,932=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरवेन्द्र कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर181-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व



वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीहरिशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसरवेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **96.ग्राम पंचायतइटौलीविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर182-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,84,479=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,84,479=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदेवराज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **97.ग्राम पंचायतजाफराबादविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर183-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,04,642=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,04,642=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दिलीप कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **98.ग्राम पंचायतजहांगीरपुरगैरईविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर184-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,49,472=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,49,472=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुधर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर185-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹054,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसुधर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 99.ग्राम पंचायतकरनपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर186-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,06,983=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,06,983=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरवेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर187-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसरवेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 100.ग्राम पंचायतमकखनपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर188-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 19,40,731=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 19,40,731=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुशलपाल व श्री प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर189-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹068,700=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकुशलपाल व श्री प्रताप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 101.ग्राम पंचायतमेवलीविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर190-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,31,240=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,31,240=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुमन यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **102. ग्राम पंचायत मोहिनीपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर191-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,700=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री मिथलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशांक के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **103. ग्राम पंचायत मुहब्बतपुर अहीर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर192-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,13,901=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,13,901=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर193-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **104. ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर लभौ विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर194-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 10,07,098=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 10,07,098=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीसुशील कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्रपाल यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-195-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹026,200=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीसुशील कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमहेन्द्रपाल यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **105.ग्राम पंचायतमुहम्मदपुरनवादाविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर-196-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,800=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीराजपाल** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती हेमलता** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **106.ग्राम पंचायतनगलाबाजदारविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर-197-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 2,64,350=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 2,64,350=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीशैलेन्द्र कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-198-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹045,800=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीशैलेन्द्र कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप कुमार** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 107.ग्राम पंचायतनगलाबलुआविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर199-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,48,237=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,48,237=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशांकसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर200-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशशांक के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 108.ग्राम पंचायतनगलाचन्दाविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर201-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परडिजिटलकैमरा क्रय किये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹09,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 109.ग्राम पंचायतनगलासैदलालविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर202-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीराधेश्यामएवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 110.ग्राम पंचायतनगलाउमरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर203-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक

सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीकिशनमोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 111. ग्राम पंचायत नसीरपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 204-चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,45,051=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,45,051=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 112. ग्राम पंचायत नौशहरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 205-चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 24,88,732=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 24,88,732=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती वेवी वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमहेन्द्र पाल यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 113. ग्राम पंचायत नीमखेरिया विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 206-चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,81,571=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,81,571=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती भावना वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 114. ग्राम पंचायत निजामपुर गढ़मा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 207-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹078,750=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीनरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 115.ग्राम पंचायतरजोपुराविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर208-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीब्रह्मदेव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरवेन्द्र यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 116.ग्राम पंचायतराजपुरबलाईविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर209-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सिम्मी निम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 117.ग्राम पंचायतरपडीविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर210-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमतीसुमन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 118.ग्राम पंचायतरूथउविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर211-चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 5,34,336=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी

और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 5,34,336=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 211 (अ)** - ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जायनबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **119.ग्राम पंचायतसादूपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर212-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹015,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमतीराजनदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **120.ग्राम पंचायतसलेमपुरबरियारमउविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर213-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 5,48,964=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 5,48,964=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीचन्द्रभान यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **121.ग्राम पंचायतसुजावलपुरविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर214-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 10,03,325=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 10,03,325=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीभंवर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।



**प्रस्तर215-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर डिजिटल केमरा क्रय किया गया है। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹09,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीभंवर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **122. ग्राम पंचायत ततारपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर216-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,06,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,06,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर217-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **123. ग्राम पंचायत धौरु हिम्मतपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर218-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर डिजिटल केमरा क्रय किया गया है। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹015,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसुभाषचन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनोद बाबू के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **124. ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर बैरई विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर219-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर डिजिटल केमरा क्रय किया गया है। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका

खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹07,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीभंवर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनितिन कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 125.ग्राम पंचायतइन्दुमईविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर220-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री हेमा जादौन के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 126.ग्राम पंचायतगढीदानसहायविकास खण्डशिकोहाबादजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर221-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कपूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अतुल कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 127.ग्राम पंचायतस्यौमईविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर222-चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 4,10,500=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 4,10,500=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामनिवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुरेन्द्र सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर223-ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामनिवास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 128. ग्राम पंचायत स्याँडा विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 224-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 10,10,462=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 10,10,462=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीविजयपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीगौरव प्रथम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 129. ग्राम पंचायत सुरैलनगला काछी विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 225-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,55,184=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,55,184=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती महादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीगौरव प्रथम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 130. ग्राम पंचायत सबलपुर विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 226-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹018,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीजानेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील यादव संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 131. ग्राम पंचायत सलेमपुर जसराना विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 227-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹043,700=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामरतन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 132.ग्राम पंचायतबिठवाराविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर228-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹037,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीऋषभ के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 133.ग्राम पंचायतमलिकपुरविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर229-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 5,94,642=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 5,94,642=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुरेन्द्र सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 134.ग्राम पंचायतबडागावविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर230-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 7,37,145=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 7,37,145=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामबरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर231-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,350=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामबरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 135.ग्राम पंचायतबड़ोराबुजुर्गविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर232-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 14,81,809=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 14,81,809=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमोहित यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर233-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,350=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमोहित यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 136.ग्राम पंचायतफतेहपुरनारायनसिंहविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर234-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,50,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,50,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीरिन्कू यादव**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविजय यादव**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर235-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीरिन्कू यादव**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविजय यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 137.ग्राम पंचायतपारौलीविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर236-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹054,100=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीगौरव द्वितीय संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 138. ग्राम पंचायत पलियादोयम विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद

**प्रस्तर 237-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹021,350=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 139. ग्राम पंचायत पचवा विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 238-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹018,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 140. ग्राम पंचायत निजामपुर विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 239-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्रशासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,08,799=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,08,799=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीवीरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुरेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 141. ग्राम पंचायत नवादा विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 240-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीकुसुम कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवृतेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 142.ग्राम पंचायतनगलारामविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर241-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,02,461=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,02,461=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीगिरीशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीगौरव प्रथमसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 143.ग्राम पंचायतनगलानथुआविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर242-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹036,540=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामदास सिंह यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 144.ग्राम पंचायतदिहलीविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर243-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 9,74,295=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 9,74,295=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 244-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹073,200=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 145.ग्राम पंचायतदारापुरमिलावलीविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर245-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 7,02,469=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 7,02,469=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीतिलक सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर246-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹019,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीतिलक सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 146.ग्राम पंचायतटोडरपुरवोथरीविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर247-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,44,160=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,44,160=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीप्रमोद कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर248-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹036,540=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीप्रमोद कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 147.ग्राम पंचायतझपाराविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर249-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 16,27,678=00 व्यय किया गया है।



वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 16,27,678=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर250-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹038,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **148.ग्राम पंचायतजसरानादेहातविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर251-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,73,980=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,73,980=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती दया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर252-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹037,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती दया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **149.ग्राम पंचायतउतराराविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर253-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीपरवेन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनोद यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**150.ग्राम पंचायतअकबरपुरकुतुबपुरविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर254-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹019,900=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीचन्द्रशेखरएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**151.ग्राम पंचायतकचमईविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर255-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,500=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविजय यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**152.ग्राम पंचायतखुदादादपुरविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर256-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,504=72**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमुकेश कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीऋषभ के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**153.ग्राम पंचायतकटौराविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर257-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 3,00,000=00** व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 3,00,000=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमान सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**154.ग्राम पंचायतखेरियापटीकराविकास खण्डजसरानाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर258-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,57,683=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,57,683=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती रश्मि** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीगौरव प्रथम** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **155.ग्राम पंचायत चिडरई खास विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर259-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,71,857=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,71,857=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीरामपाल** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअरूण कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **156.ग्राम पंचायत कौराबुजुर्ग विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर260-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 12,11,875=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 12,11,875=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती रीना चौहान** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनोद यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर261-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 1,35,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती रीना चौहान** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनोद यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **157.ग्राम पंचायत खेरिया अहमद विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर262-**चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,17,530=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 8,17,530=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीकरतार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवृतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 263-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹018,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीकरतार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवृतेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 158. ग्राम पंचायत खेरियासिकमी बहत विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 264-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,93,876=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,93,876=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीअवनीश प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीऋषभ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 265-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹053,100=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीअवनीश प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीऋषभ के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 159. ग्राम पंचायत जमालीपुर विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 266-** चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-230 प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,57,515=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,57,515=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीपीतम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमोहित यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर267-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु037,010=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीपीतम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमोहित यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **160.ग्राम पंचायत आसलपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर268-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 7,29,126=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 7,29,126=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर269-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,900=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर270-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 7,59,306=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **161.ग्राम पंचायत असन विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर271-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 3,51,895=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0**

3,51,895=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 272**- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,900=00** नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 162. ग्राम पंचायत आतीपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 273**- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 4,52,942=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 4,52,942=00** नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमान सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री तृप्ति पाण्डेय** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 274**- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹045,800=00** नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमान सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री तृप्ति पाण्डेय** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 163. ग्राम पंचायत बड़ागांव विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 275**- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 2,02,516=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 2,02,516=00** नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्वनी प्रथम** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 276**- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसुशील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी प्रथम के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 164. ग्राम पंचायत बदनपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 277- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,84,591=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,84,591=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 165. ग्राम पंचायत बहोरनपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 278- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,59,879=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,59,879=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 166. ग्राम पंचायत बरतरा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 279- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 8,64,050=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी प्रथम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 280- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी प्रथम के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 167.ग्राम पंचायतभीतरीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर281-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,45,818=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,45,818=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 168.ग्राम पंचायतभीकनपुरमेघपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर282-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹042,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री प्रणवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोविन्द सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 169.ग्राम पंचायतडौरीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर283-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 20,76,479=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 20,76,479=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी द्वितीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर284-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी द्वितीय के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 170.ग्राम पंचायतडोरसामोहम्मदपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।



**प्रस्तर285-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 21,50,784=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 21,50,784=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीचन्द्रशेखर** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्विनी कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

**प्रस्तर286-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
 अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹01,14,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीचन्द्रशेखर** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्विनी कुमार** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **171.ग्राम पंचायतगांगनीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर287-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,30,000=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,30,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीघनश्याम सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **172.ग्राम पंचायतगढीहंसरामविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर288-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 13,57,105=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 13,57,105=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीराजेशपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 289-** आगणित रॉयल्टी की धनराशि ₹0 6,750=00 तथादेय रॉयल्टी का 5 गुना धनराशि ₹0 33,945=00 न तो अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 40,734=00 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है। **ग्राम प्रधान श्रीराजेशपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर290-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 17,13,368=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजेशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर291-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीराजेशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 173. ग्राम पंचायत गढीकल्याणविकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर292-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,56,223=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,56,223=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदामोदर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर293-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 10,24,944=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदामोदर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर294-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹030,110=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीदामोदर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 174.ग्राम पंचायतगढीपुरानीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर295-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 11,57,837=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 11,57,837=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीप्रताप सिंह**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 175.ग्राम पंचायतगढीरन्छोरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर296-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 9,49,059=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 9,49,059=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीप्रताप सिंह**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 176.ग्राम पंचायतगढीश्रीरामविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर297-**विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 5,50,412=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका।जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदीपक यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर298-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदीपक यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 299-** आगणित रॉयल्टी की धनराशि ₹0 1,350=00 तथादेय रॉयल्टी का 5 गुना\* धनराशि ₹0 6,750=00 न तो अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 8,100=00 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है **ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार**एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदीपक यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**177.ग्राम पंचायतगढीसिंधारीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर300-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,44,350=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,44,350=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीजाहर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसीमा यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर301-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीजाहर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसीमा यादव** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**178.ग्राम पंचायतगोंदईविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर302-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,73,185=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,73,185=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीजयपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर303-**विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 9,20,760=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीजयपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**179.ग्राम पंचायतहुसैनपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर304-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,49,660=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,49,660=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान सुश्री तृप्ति पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रवेन्द्र पाल सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 180.ग्राम पंचायतजाखईविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर305-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 21,70,321=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 21,70,321=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर306-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹01,25,750=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 181.ग्राम पंचायतजामपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर307-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 4,50,138=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 4,50,138=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीयादवेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर308-**विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 12,21,975=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीयादवेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर309-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीयादवेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **182.ग्राम पंचायतजसरथपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर310-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,41,000=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,41,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीनारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसतीशचन्द्र शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **183.ग्राम पंचायतजाटउविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर311-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी प्रथम के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **184.ग्राम पंचायतजौधरीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर312-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 13,54,435=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 13,54,435=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती दिव्या शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर313-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00 नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीदेवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती दिव्या शर्मा के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 185.ग्राम पंचायतकार्तिकीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर314-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 15,97,091=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 15,97,091=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर315-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती सीमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 186.ग्राम पंचायतकायथाविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर316-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 18,90,350=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 18,90,350=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुनील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 187.ग्राम पंचायतकछपुराविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर317-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,36,142=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0

11,36,142=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 318-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीराजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 188. ग्राम पंचायत खेरालंगर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 319-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 189. ग्राम पंचायत खेरिया कला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 320-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 4,79,106=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीप्रेमपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदीपक यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 321-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीप्रेमपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदीपक यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 190. ग्राम पंचायत खुशहालपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।



**प्रस्तर322-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,72,187=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,72,187=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर323-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
 अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 191. ग्राम पंचायत कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर324-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,18,318=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,18,318=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सौरभ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 192. ग्राम पंचायत लतीफपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर325-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,68,526=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,68,526=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरवीश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर326-**विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 3,63,736=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ- नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरवीश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 327-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरवीश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 193. ग्राम पंचायत मौहम्मदी विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 328-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 20,68,446=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 20,68,446=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसूरजपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 194. ग्राम पंचायत नगलाडूंगर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 329-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,67,761=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,67,761=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीजयवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 195. ग्राम पंचायत नगलासिकन्दर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 330-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,37,558=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,37,558=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर331-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,900=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती रीना सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 196.ग्राम पंचायतनैपईविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर332-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 30,61,670=00** व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 30,61,670=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसंजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी कुमार, श्री दिलीप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर333-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹01,14,500=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसंजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्वनी कुमार, श्री दिलीप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 197.ग्राम पंचायतनारखीधौकलविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर334-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 26,61,413=00** व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 26,61,413=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गेशनन्दनी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 198.ग्राम पंचायतनारखीताल्लुकाविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर335-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 38,57,440=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 38,57,440=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 336-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के **प्रस्तर 12** व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के **प्रस्तर-169** में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹01,14,500=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश धाकरे** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **199.ग्राम पंचायतओखराविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर337-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 17,83,898=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 17,83,898=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमुन्नालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप कुमार**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर338-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के **प्रस्तर 4 व 5** के अनुसार **₹0 20000/-** से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में **₹0 12,09,797=00** की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमुन्नालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप कुमार**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **200.ग्राम पंचायतपिपरीलीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर339-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 5,99,096=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 5,99,096=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीअशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजेश सिंह**संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 340-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,900=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीअशोक कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **201.ग्राम पंचायतराजपुरकोटलाविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर341-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 2,08,700=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 2,08,700=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीगम्भीर सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेलसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर342-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,900=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीगम्भीर सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ बघेल के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **202.ग्राम पंचायतरामपुरकटेलियाविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर343-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 4,14,500=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 4,14,500=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीविनीत कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजकुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर344-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में रु0 3,08,300=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीविनीत कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजकुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **203.ग्राम पंचायतरतौलीविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर345-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,64,313=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,64,313=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रणवीर सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **204.ग्राम पंचायतरूधउपहाडपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर346-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 47,93,487=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 47,93,487=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तौमर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर347-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹068,700=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तौमर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराकेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **205.ग्राम पंचायतसेवलारामपुरविकास खण्डनारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर348-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,84,553=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,84,553=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर349-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 13,31,778=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर350-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदिलीप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **206. ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर351-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,37,250=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,37,250=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रेशम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्विनी द्वितीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर352-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती रेशम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअश्विनी द्वितीय के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **207. ग्राम पंचायत वजीरपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर353-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,11,978=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,11,978=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्रीअश्विनी द्वितीयसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 208.ग्राम पंचायतसारखविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर354-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 11,99,765=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 11,99,765=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसंतोष कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजमुनादाससंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 355-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹065,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसंतोष कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजमुनादास के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 209.ग्राम पंचायतग्यामईविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर356-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,48,249=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,48,249=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीशिवप्रसादएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनिल रजकसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 210.ग्राम पंचायतअसवाईविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर357-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 14,40,000=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 14,40,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदीपेन्द्र प्रताप सिंहएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरजनेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 211.ग्राम पंचायतबहादुरपुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।



**प्रस्तर358-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 14,40,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,40,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सौरभ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजकिशोर** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **212. ग्राम पंचायत बैजूआखास विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर359-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 17,70,616=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 17,70,616=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवोहम वर्मा** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **213. ग्राम पंचायत भदोसरा विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर360-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 19,69,904=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 19,69,904=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **214. ग्राम पंचायत भनूपुरा विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 361-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 7,40,157=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजराज सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर362-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीबजरज सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 215. ग्राम पंचायत भारौल विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 363- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 16,73,816=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 16,73,816=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामबरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रदीप यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 216. ग्राम पंचायत दरिगापुर भारौल विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 364- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,41,488=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,41,488=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 365- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 8,72,991=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 366- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मा के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 217. ग्राम पंचायत फतेहपुर बड़ा गांव विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर367-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,83,511=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,83,511=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवीनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर368-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 4,45,926=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीरामप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवीनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर369-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीरामप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवीनेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## **218. ग्राम पंचायत फक्करपुर विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर370-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,90,611=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,90,611=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीअंकित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनिल कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

**प्रस्तर371-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 5,35,947=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीअंकित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनिल कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर372-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु044,600=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीअंकित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनिल कुमार रजक के विरुद्ध आवश्यक विभागीय क की जानी अपेक्षित है।

#### **219.ग्राम पंचायतघुडियाटीकुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर373-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 4,33,400=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 4,33,400=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीकप्तान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजीव सोनीसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर374-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,300=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीकप्तान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजीव सोनी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **220.ग्राम पंचायतगुरैयासोयलपुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर375-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 2,24,347=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 2,24,347=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजमुनादाससंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर376-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में रु0 18,27,074=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजमुनादास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **221. ग्राम पंचायत कारीखेड़ा विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 377-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 23,29,615=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 23,29,615=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सौरभ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजकिशोर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 378-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 20,37,280=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सौरभ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजकिशोर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **222. ग्राम पंचायत कमरपुर बैजुआ विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 379-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 10,16,290=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 10,16,290=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रेमराज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **223. ग्राम पंचायत कन्थरी विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 380-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 29,57,649=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 29,57,649=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **224. ग्राम पंचायत करहरा विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर381-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,98,315=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,98,315=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मा** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर382-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
 अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹01,63,600=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मा** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## 225. ग्राम पंचायत खेरियामसाहत विकास खण्ड अरांव जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर383-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 12,53,999=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 12,53,999=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीयशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनस कमाल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 384-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
 अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹068,400=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। **ग्राम प्रधान श्रीयशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनस कमाल** के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## 226. ग्राम पंचायत कुढीना विकास खण्ड अरांव जनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर385-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 21,11,199=00 व्यय किया गया है।  
 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी

और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 21,11,199=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीधर्मवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 227.ग्राम पंचायतमुहम्मदपुरमांडईविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर386-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 21,37,035=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 21,37,035=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमुह0 इलियास खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवीनेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर387-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमुह0 इलियास खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीवीनेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 228.ग्राम पंचायतमुहम्मदपुरहुसैनपुरबैजुआविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर388-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 6,46,970=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 6,46,970=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर389-**विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 15,08,880=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका।जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीशिवोहम वर्मासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 390-** ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 15,08,880=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह

करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री शिवोहम वर्मा** को इस कार्यालय के पत्रांक 1670 दिनांक 09.11.2020 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्रीशिवोहम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 15,08,880=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री सत्यप्रकाश, पूर्व प्रधान

₹0 7,54,440=00

श्री शिवोहम वर्मा, ग्रा०प०अधि०

₹0 7,54,440=00

**प्रस्तर 391-** ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,04,075=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीसत्यप्रकाश, पूर्व प्रधान

₹0 4,52,037=50

श्री शिवोहम वर्मा, ग्रा०प०अधि०

₹0 4,52,037=50

**प्रस्तर 392-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीसत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवोहम वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## 229. ग्राम पंचायत नसूरपुर संज्ञेती विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 393-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीदिनेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार रजक के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## 230. ग्राम पंचायत पैगू विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर 394-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 34,38,992=00 व्यय किया गया है।



वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 34,38,992=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दरसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 231.ग्राम पंचायतपिडसराविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर395-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 6,43,270=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 6,43,270=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ओमकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रदीप यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर396-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹029,200=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती ओमकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रदीप यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 232.ग्राम पंचायतपीथेपुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर397-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 13,80,379=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 13,80,379=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दरसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 233.ग्राम पंचायतराहतपुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर398-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 26,82,361=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0

26,82,361=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीकायम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजीव सोनी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 234.ग्राम पंचायतरूढ़नीविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर399-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,63,462=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,63,462=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेकानन्द मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 235.ग्राम पंचायतरूढ़मईविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर400-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 14,76,788=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीअजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर401-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीअजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दर के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 236.ग्राम पंचायतसैफपुरविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर402-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 14,05,471=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,05,471=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअनस कमाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर403-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक

सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनस कमाल के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **237. ग्राम पंचायत सकतपुर विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 404-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीनेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **238. ग्राम पंचायत सरौलिया विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 405-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,47,754=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,47,754=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **239. ग्राम पंचायत सरसौली विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 406-** विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 4,56,050=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती बादाम श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बजरज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **240. ग्राम पंचायत सीगेमई विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 407-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,60,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी

और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,60,000=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुष्कर सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **241.ग्राम पंचायतसेनावलीविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर408-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 13,38,820=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 13,38,820=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजीव सोनीसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर409-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,500=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती राजेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजीव सोनी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **242.ग्राम पंचायतशेखपुराविकास खण्डअरांवजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर410-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 6,99,540=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 6,99,540=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीताराचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दरसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर411-**विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 14,43,912=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका।जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीताराचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामसुन्दरसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर412-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री ताराचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामसुन्दर के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **243. ग्राम पंचायत शेरपुर अफजलपुर विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 413-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,15,744=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,15,744=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामसुन्दर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 414-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 14,43,912=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामसुन्दर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 415-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्यामसुन्दर के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **244. ग्राम पंचायत ताखा विकास खण्ड अरावजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 416-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 10,08,981=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 10,08,981=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजराज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **245. ग्राम पंचायत बाघई विकास खण्ड टूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर417-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,94,211=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,94,211=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र सिंह यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर418-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 18,57,193=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीजितेन्द्र सिंह यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **246. ग्राम पंचायत छितरई विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर419-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,67,613=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,67,613=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीदयाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधीरेन्द्र कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर420-** विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 16,61,897=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्रीदयाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधीरेन्द्र कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **247. ग्राम पंचायत दिनौली विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर421-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 18,08,808=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0

18,08,808=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीपुष्पेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुकुल शर्मासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 248.ग्राम पंचायतगोधुआविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर422-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 19,21,044=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय रु0 19,21,044=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुनील कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसारिक खानसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 249.ग्राम पंचायत ग्वारईनगलासिंधी विकास खण्ड टूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर423-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय रु022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामशंकर के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### 250.ग्राम पंचायतहजरतपुरविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर424-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 5,11,873=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय रु0 5,11,873=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीहरीबाबू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री सत्या सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 251.ग्राम पंचायतजारखीविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर425-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 4,81,361=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय रु0 4,81,361=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर426-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **₹022,800=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीराजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **252.ग्राम पंचायतलतीफपुरविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर427-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 11,26,416=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 11,26,416=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदेवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपीयूषकान्तसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **253.ग्राम पंचायतमोहम्मदाबादविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर428-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यग्राम बन्ना में मेवाराम के घर से शिवचरण के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण **₹0 6,82,523=00** तथा ग्राम बन्ना में मेवाराम के घर से कालीचरण के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण **₹0 6,78,120=00**में **₹0 13,60,643=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 13,60,643=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **254.ग्राम पंचायतमोहम्मदपुरविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर429-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें **₹0 4,77,900=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **₹0 4,77,900=00**नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री ज्योत्सना अग्रहरिसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **255.ग्राम पंचायतनगलाबलियाविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**



**प्रस्तर430-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,44,142=00 व्यय किया गया है।

256.ग्राम पंचायतपहाडीपुरभाँडेलाविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

257.ग्राम पंचायतप्रतापपुरविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

258.ग्राम पंचायतरसूलाबादविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

259.ग्राम पंचायतरूढउमस्तकिलविकास खण्डटण्डलाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर434-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 63,99,767=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 63,99,767=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती नूरबानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **260. ग्राम पंचायत सरायनूरमहल विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर435-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 14,81,111=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,81,111=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदेवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर436-** विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 20,70,238=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीदेवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **261. ग्राम पंचायत शेखूपुर मण्डनपुर विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर437-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययिता पूर्वक की जानी चाहिए थी।  
अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 68,400=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सारिक खान के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **262. ग्राम पंचायत टीकरी विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर438-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 20,24,927=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी

और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 20,24,927=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर439-** विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20में ₹0 37,13,379=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीराजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजेश कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **263.ग्राम पंचायतटूण्डलाखामविकास खण्डटूण्डलाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर440-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 46,46,668=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 46,46,668=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधीरेन्द्र कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर441-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹041,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **264.ग्राम पंचायतआपुरविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर442-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 11,31,403=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 11,31,403=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीवीरपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुष्पेन्द्र कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर443-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी०सीटी०वी० कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹062,934=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीवीरपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुष्पेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **265.ग्राम पंचायतरूहासीविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर444-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 25,51,902=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 25,51,902=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुष्पेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **266.ग्राम पंचायतआजमपुरसिलौटाविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर445-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,89,634=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,89,634=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुनील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअंकित कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **267.ग्राम पंचायतभदानाविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर446-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 31,35,872=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 31,35,872=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीवीरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रवेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **268.ग्राम पंचायतभादउविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर447-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 13,26,760=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी





#### 277.ग्राम पंचायतगहेरीविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर456-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,64,953=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,64,953=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कुशमीरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीइन्द्रजीत सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर457-**विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 5,10,843=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।  
उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती कुशमीरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीइन्द्रजीत सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 278.ग्राम पंचायतगिनालीविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर458-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,31,403=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,31,403=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीप्रेमपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसंदीप कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 279.ग्राम पंचायतहथौलीजयसिंहपुरविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर459-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 12,19,869=00 व्यय किया गया है।  
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 12,19,869=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रवेन्द्र कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 280.ग्राम पंचायतकैलईविकास खण्डएकाजनपद फिरोजाबाद।









वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹027,500=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्री लवेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवेन्द्र यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### **292. ग्राम पंचायत पलियाखुर्द विकास खण्ड एकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 473-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,76,699=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 6,76,699=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामभरोसे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनीश दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **293. ग्राम पंचायत पतारा विकास खण्ड एकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 474-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 18,42,353=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 18,42,353=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनीश दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **294. ग्राम पंचायत पिलखतरफतेह विकास खण्ड एकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 475-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹07,17,588=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,17,588=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सन्ध्या देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **295. ग्राम पंचायत पिलखतरजैत विकास खण्ड एकाजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर 476-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,60,921=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी





### 304.ग्राम पंचायतनानेमउविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर485-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती संगीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनितेश सक्सैना के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 305.ग्राम पंचायतउजरईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर486-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीकृष्ण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती संध्या किरन के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 306.ग्राम पंचायतगुराउविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर487-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 13,52,817=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 13,52,817=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीश्यामप्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराजकुमार द्वितीयसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 307.ग्राम पंचायतइशहाकपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर488-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीप्रबल प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनितेश सक्सैना के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 308.ग्राम पंचायतवीरईजहानाबादविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर489-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीप्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सन्ध्या किरन के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **309.ग्राम पंचायतउरावरहस्तर्विकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर490-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 63,26,484=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 63,26,484=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसचिन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीरामसेवक यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **310.ग्राम पंचायतकटौराबुजुर्विकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर491-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीअशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधर्मन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **311.ग्राम पंचायतकेसरीविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर492-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोंके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहितग्राम प्रधानश्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीधर्मन्द्र कुमारसे की जानी अपेक्षित है।

### **312.ग्राम पंचायतखोडईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर493-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु045,670=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्री सचेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 313.ग्राम पंचायतसुजनीपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर494-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 8,98,301=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 8,98,301=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीहम्मीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनय कुमारसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर495-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी। अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु022,800=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीहम्मीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविनय कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 314.ग्राम पंचायतसूरजपुरदुग्मईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर496-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें रु0 12,63,423=00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय **रु0 12,63,423=00**नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीअनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर497-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।



अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीअनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 315.ग्राम पंचायतस्यारमउहरगनपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर498-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानवेन्द्र यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 316.ग्राम पंचायतस्यारमउरामलालविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर499-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 8,97,583=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 8,97,583=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुनीलकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानवेन्द्र यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर500-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसुनीलकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानवेन्द्र यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 317.ग्राम पंचायतसलेमपुरकर्खाविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर501-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,46,860=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,46,860=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुजान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर502-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसुजान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **318.ग्राम पंचायतएलमपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर503-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 9,55,732=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 9,55,732=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीब्रजकिशोरसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर504-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹01,59,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती सुमन तोमर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसंजीव चतुर्वेदी, श्री विनय कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **320.ग्राम पंचायतडडियामईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर505-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 16,93,507=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 16,93,507=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती आदिवतीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनितेश सक्सेनासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर506-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹048,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती आदिवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनितेश सक्सेना के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 321.ग्राम पंचायतपरिहारमउविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर507-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 12,45,797=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 12,45,797=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसुमित कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सन्ध्या किरनसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 508-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹022,800=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसुमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सन्ध्या किरन के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 322.ग्राम पंचायतमल्हापुरशाहजहांपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर509-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीसुख सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअजय यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 323.ग्राम पंचायतलखनईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर510-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 2,47,503=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 2,47,503=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमनोज कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानवेन्द्र यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 324.ग्राम पंचायतमईगदोखरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर511-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 17,97,294=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 17,97,294=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती नेमा देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 325.ग्राम पंचायतमुहम्मदपुरनादईविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर512-**ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹049,305=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 326.ग्राम पंचायतजैमतपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर513-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 4,87,635=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 4,87,635=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीउमाशंकरएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादवसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 327.ग्राम पंचायतकौराखुर्दविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर514-**चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 10,99,446=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 10,99,446=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीसंदीप कुमारएवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसंजीव चतुर्वेदीसंयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 328.ग्राम पंचायतनायनविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।

**प्रस्तर515-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीकमलस्वरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीश्यामवीर सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **329.ग्राम पंचायतगढसानविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर516-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **330.ग्राम पंचायतगुढाविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर517-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹045,600=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधानश्रीमती कमलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### **331.ग्राम पंचायतकौरारीविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर518-** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वाराअनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यमें ₹0 17,93,602=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इसकार्यपर व्यय ₹0 17,93,602=00नियमोके विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनरवीश मिश्रासंयुक्त रूप से उत्तरदायी है।संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### **332.ग्राम पंचायतफतेहपुरनसीरपुरविकास खण्डमदनपुरजनपद फिरोजाबाद।**

**प्रस्तर519-** ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों परपर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक

सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹024,300=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीदेवेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

### 333. ग्राम पंचायत गलपुरा विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 520- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 17,93,602=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 17,93,602=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रवती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीनरवीश मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

### 334. ग्राम पंचायत रुरिया स्वरूपपुर विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 521- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 15,18,668=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 15,18,668=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती धन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 522- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्ययमें बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹072,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। ग्राम प्रधान श्रीमती धन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक कुमार यादव के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## प्रारूप-4

### ग्राम पंचायतों का वार्षिक प्रतिवेदन

#### जनपद मैनपुरी

#### मण्डल-आगरा

#### प्रस्तर 01. ग्राम पंचायत अगौथा विकास खण्ड मैनपुरी















1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल ₹0 971117.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 971117.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सोनवीर और प्रधान श्री नवीन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 36 ग्राम पंचायत बीनेपुर विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल ₹0 1876317.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 1876317.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री संतोष और प्रधान श्री मती अनीता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 37. ग्राम पंचायत चंदीकरा विकासखण्ड बरनाहल

1 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शा0सं0 1629/33-3-2015 दि0 19जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित अनुदान की धनराशि के हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 234/33-2015-02/2016 दि0 18 फर0 2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर रुपया 229164.00, रिवोर रुपया 147500.00, प्राथमिक विद्यालय में कार्य रुपया 106000.00 प्रमोद के घर से विद्याराम के घर तक सीसी व नाली निर्माण रुपया 158100.00, अहिवरन के घर से प्रभुदयाल के घर तक सीसी व नाली निर्माण रुपया 488865.00, तालाब खुदाई रुपया 260851.00 में न तो तकनीकी स्वीकृति और न ही वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी। जबकि इन कार्यों पर रुपया 1390480.00 का व्यय किया गया है

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 के अनुसार एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति कनि0 अभियंता ग्रा0अभि0सेवा, अवर अभि0 जिला पंचायत से प्राप्त नहीं की गई है और न ही कार्य समाप्ति के उपरांत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष सहा0वि0अधि0 पंचायत/ जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त की गई है। अतः वर्ष 2019-20 में ₹0 1390480.00 का व्यय नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। तत्कालीन प्रधान एवं सचिव पर कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 38. ग्राम पंचायत ढकपुरा विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल ₹0 625175.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 625175.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अलकेश और प्रधान श्री रेवेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 39. ग्राम पंचायत एमहासनगर विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में ₹0 278200.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी।



जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 1396566 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री राजवीर सिंह और प्रधान श्री सुषमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 46. ग्राम पंचायत कसौली विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में ₹0 628373 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 628373 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री राम किशोर और प्रधान श्री मती पूनम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 47. ग्राम पंचायत खेडा महान विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में ₹0 1904073 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 1904073 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री रोहित यादव और प्रधान श्री राधेश्याम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 48. ग्राम पंचायत खुशालपुर विकासखण्ड बरनाहल

1 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशिके अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शा0सं0 1629/33-3-2015 दि0 19जून 2015 तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित अनुदान की धनराशिके हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 234/33-2015-02/2016 दि0 18 फर0 2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर रुपया 47000.00, प्राथमिक व जूनियर विद्यालय में कार्य रुपया 65937.00 और 43536.00, कुलदीप के घर से मुख्य मार्ग तक खरंजा व नाली निर्माण पर रुपया 248000.00 में न तो तकनीकी स्वीकृति और न ही वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी, जबकि इन कार्यों पर रुपया 404473.00 व्यय किया गया ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 के अनुसार एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति कनि0 अभियंता ग्रा0अभि0सेवा, अवर अभि0 जिला पंचायत से प्राप्त नहीं की गई है और न ही कार्य समाप्ति के उपरांत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष सहा0वि0अधि0 पंचायत/ जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त की गई है। अतः वर्ष 2019-20 में ₹0 404473 का व्यय नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। तत्कालीन प्रधान एवं सचिव पर कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 49. ग्राम पंचायत लाखनमऊ विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में ₹0 2125356.25 व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय ₹0 2125356.25 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री संतोष यादव और प्रधान श्री मती दीपिका से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 50. ग्राम पंचायत मढामई विकासखण्ड बरनाहल

1- लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 19-20 में ₹0 625249 व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा























































**प्रस्तर 48-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 16,56,698/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 16,56,698/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री साहन सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विशाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

#### **49. ग्राम पंचायत बेरी विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 49-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 31,91,240/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 31,91,240/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

#### **50. ग्राम पंचायत फेंचरी विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 50-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 27,65,692/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 27,65,692/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चन्दन सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती नीरज से की जानी अपेक्षित है।

#### **51. ग्राम पंचायत अस्तौली विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 51-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 17,20,508/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 17,20,508/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### **52. ग्राम पंचायत भरतिया विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 52-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 36,67,98.00 व्यय किया गया है। तथा कुल ₹0 9382.00 का बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरण किया गया किन्तु कैशबुक में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं अंकित की गयी। उपरोक्त दोनों व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 36,67,98 + ₹0 9382.00 = ₹37,61,80 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लेखराज एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विष्णु वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

#### **53. ग्राम पंचायत डिरावली विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**



**प्रस्तर 53-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 10,03,278.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 10,03,278.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विष्णु वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

#### **54. ग्राम पंचायत आंझई खुर्द विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 54-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 15,81,751/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 15,81,751/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरवेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

#### **55. ग्राम पंचायत सोन विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 55-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 23,90,307/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 23,90,307/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरदेव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चरण सिंह तोमर से की जानी अपेक्षित है।

#### **56. ग्राम पंचायत पबेसरा विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 56-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 14,000/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 14,000/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चोखेलाल से की जानी अपेक्षित है।

#### **57. ग्राम पंचायत सेमरी विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 57-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में मानदेय व बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 49,96,646/- व्यय किया गया है। तथा इसके अतिरिक्त कुल ₹0 28,8070.00 का बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरण किया गया किन्तु कैशबुक में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं अंकित की गयी। उपरोक्त दोनों व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 49,96,646 + ₹0 28,807.00 = 5025453.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री तुलाराम से की जानी अपेक्षित है।

#### **58. ग्राम पंचायत डाहरौली विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 58-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 1,50,000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 1,50,000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिओम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लबी बंसल से की जानी अपेक्षित है।

#### **59. ग्राम पंचायत सहार विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 59-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 51,64,447.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त ₹0 13,48,86.00 = (113874.00 \$ 21012.00) कर प्रविष्टि कैशबुक में अंकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 52,99,333.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजमल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लबी बंसल से की जानी अपेक्षित है।

#### **60. ग्राम पंचायत बबूरी विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 60-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 05.06.202018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 3000.00 का आहरण किया गया। लेकिन इसकी एंट्री कैशबुक में न कर अपहरण किया गया। अतः ₹0 3000.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख व्याज सहित क्रमशः ग्राम प्रधान श्री हुकुम सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चंद्रपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

#### **61. ग्राम पंचायत खामनी विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 61-** आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में बैंक कटौती एवं प्रधान को मानदेय भुगतान के अतिरिक्त ₹. 7347127.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹. 7347127.00 की आधी- आधी वसूली तातारीख व्याज सहित क्रमशः ग्राम प्रधान श्री नीर सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती नीरज से की जानी अपेक्षित है।

#### **62. ग्राम पंचायत ततारपुर विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 62-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 8500.00 कैमरा क्रय किया गया किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः धनराशि ₹0 8500.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गिरधारीलाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### **63. ग्राम पंचायत पेलखू विकास खण्ड चौमुहाँ जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 63-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 31900.00 व्यय किया गया , किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी । अतः व्यय दर्शायी



#### 69. ग्राम पंचायत आझईखुर्द विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 69-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 570791.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 570791.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीदेवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरवेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

#### 70. ग्राम पंचायत फोंडर विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 70-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज 30 प्र0 लखनऊ को वापस के अतिरिक्त रु 445000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु 445000.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चरण सिंह तोमर से की जानी अपेक्षित है।

#### 71. ग्राम पंचायत लोरियापट्टी विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 71-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज 30 प्र0 लखनऊ को वापस एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु 525550.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु 525550.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मानसिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चरण सिंह तोमर से की जानी अपेक्षित है।

#### 72. ग्राम पंचायत मुखरई विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 72** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज 30 प्र0 लखनऊ को वापस के अतिरिक्त रु 119892.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु 119892.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मुकेश बघेल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती नीरज से की जानी अपेक्षित है।

#### 73. ग्राम पंचायत भदाल इच्छा विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 73-** आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रधान को मानदेय व परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज 30 प्र0 लखनऊ को वापस के अतिरिक्त रु. 7090.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि



















**प्रस्तर 115-**आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज उ० प्र० लखनऊ को वापस एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु 19020.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु 19020.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति बबीता देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विशन सिंह से की जानी अपेक्षित है

#### **116. ग्राम पंचायत शहदगढ़ी विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 116-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 690208.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 690208.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री बच्चू सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### **117. ग्राम पंचायत भूरेका विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 117-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 1083264.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 1083264.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनोखी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### **118. ग्राम पंचायत रामगढ़ी विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 118-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 1106472.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 1106472.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रकाशी देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### **119. ग्राम पंचायत ईखू विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।**

**प्रस्तर 119-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 1264474.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क)

के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 1264474.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुमकुमवाला एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार से की जानी अपेक्षित है।

#### 120. ग्राम पंचायत जौनई विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 120-** आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रधान को मानदेय व परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज उ0 प्र0 लखनऊ को वापस के अतिरिक्त रु. 116438.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 116438.00 की आधी- आधी वसूली तातारीख व्याज सहित क्रमशः ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

#### 121. ग्राम पंचायत महमदपुर विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

**प्रस्तर 121-** आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, परफोर्मेस ग्रांट की धनराशि निदेशक पंचायती राज उ0 प्र0 लखनऊ को वापस एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 19634.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 19634.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री पन्ना लाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विशन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

### वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 :- ग्राम पंचायतें

#### प्रारूप -4

संस्था का नाम- ग्राम पंचायतें

जनपद- अलीगढ़

मण्डल- अलीगढ़

01 ग्राम पंचायत- रशीदपुर गोरना, विकास खण्ड- चण्डीस, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 01-** उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2017-18             | धनराशि     | क्र0 सं0 | वर्ष 2018-19             | धनराशि     |
|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|
| 1        | सामग्री                  | 1735728.00 | 1        | सामग्री                  | 1605392.00 |
| 2        | मस्टररोल                 | 141910.00  | 2        | मस्टररोल                 | 419370.00  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर | 132653.00  | 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व सामान | 70000.00   |
| 4        | अन्य व्यय                | 60207.00   | 4        | गौशाला कार्य             | 100000.00  |
|          | -                        |            | 5        | अन्य व्यय                | 42337.00   |
|          | योग                      | 2070498.00 |          | योग                      | 2237099.00 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 2070498.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 2237099.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 4307597.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय ₹0 4307597.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञानवेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजबहादुर पटेल से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

02-ग्राम पंचायत- औगीपुर,

विकास खण्ड- चण्डीस,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 02-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2017-18             | धनराशि     | क्र0 सं0 | वर्ष 2018-19             | धनराशि     |
|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|
| 1        | सामग्री                  | 777422.00  | 1        | सामग्री                  | 970033.00  |
| 2        | मस्टररोल                 | 333938.00  | 2        | मस्टररोल                 | 260678.00  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व सामान | 80000.00   | 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व सामान | 95000.00   |
| 4        | अन्य व्यय                | 25440.00   | 4        | गौशाला कार्य             | 425000.00  |
| 5        | सोलर लाईट                | 655200.00  | 5        | अन्य व्यय                | 38819.00   |
|          | योग                      | 1872000.00 |          | योग                      | 1789530.00 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 1872000.00 व वर्ष 2018-19 में ₹0 1789530.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 3661530.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल व्यय ₹0 3661530.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहता सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री तेजबहादुर पटेल से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

03 ग्राम पंचायत- एलमपुरा,

विकास खण्ड- चण्डीस,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 03-वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18** की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री शान्तीलाल द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0सं0 | विवरण            | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 |
|---------|------------------|--------------|--------------|
| 1       | सामग्री          | 1265380.00   | 952100.00    |
| 2       | मस्टररोल         | 98425.00     | 214575.00    |
| 3       | हैण्डपम्प मरम्मत | 152920.00    | 123560.00    |
| 4       | हैण्डपम्प रिबोर  | -            | 89660.00     |
| 5       | अन्य व्यय        | 352807.00    | 161089.00    |
|         | योग              | 1869532.00   | 1540984.00   |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 1869532.00 व वर्ष 2017-18 में ₹0 1540984.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 3410516.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 व 2018-19 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 3410516.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधु देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शान्तीलाल से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

04 ग्राम पंचायत- बामनी,

विकास खण्ड- खैर,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 04-** ग्राम पंचायत बामनी की वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनय से अभिलेखों की मांग की गई। श्री अभिनय द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवेश कुमार द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में माह अप्रैल से लेकर जून तक के अभिलेख अपने प्रतिस्थानी ग्राम पंचायत सचिव को नहीं दिया है। जिस कारण 01.04.2018 से 30.06.2019 तक के अपेक्षित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। 01.07.2019 से 31.03.2020 तक की कैशबुक, वाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख ऑडिट हेतु उपलब्ध हैं, से संबंधित लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान सचिव से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार लेखा परीक्षा संपन्न की गयी। जिस अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए उनके आय-व्यय के आंकड़े बैंक पासबुक से प्राप्त किये गए। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े बैंक पासबुक के अनुसार |
|---------|---------|------------------------------|
| 1       | 2018-19 | 846034.00                    |
| 2       | 2019-20 | 89647.00                     |
|         | योग     | 935681.00                    |

उक्त अवधि में दर्शित आहरित कुल धनराशि (बैंक पासबुक के अनुसार) ₹0 935681.00 से संबंधित व्ययों की पुष्टि उक्त अवधि के वाउचर व अन्य अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त अवधि में आहरित कुल धनराशि का ₹0 935681.00 का व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार चौहान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवेश कुमार दोषी उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्ट व्यय ₹0 935681.00 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

05 ग्राम पंचायत- मऊ,

विकास खण्ड- खैर,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 05-** कैशबुक में माह अप्रैल- 2019 में धर्मपाल के घर से रामपाल के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का व्यय सामग्री के मद में ₹0 138120.00 मिट्टी भराव के मद में 5700.00 व मस्टररोल के मद में ₹0 26030.00 दर्शाया गया है उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली की जांच में गंभीर आपत्ति पायी गयी जो निम्नवत है-

- (1) पत्रावली में उक्त कार्य की कार्ययोजना व कार्य का प्रस्ताव संलग्न नहीं है।
- (2) निर्माण कार्य की निविदा सूचना अखबार (हिन्दी दैनिक शहीदी दरिया) में दिनांक 04.03.2019 में प्रकाशित किया गया है निविदा प्रकाशन में दिये गये नियम शर्तों का कोई भी पालन हुआ है।
- (3) उक्त कार्य का प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार कराया गया है लेकिन उस में ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक व अवर अभियन्ता के अलावा किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं जैसे की ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायतव वी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
- (4) प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री आपूर्ति कर्ताओं से सील बन्द निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा टेण्डर फार्म भी ग्राम पंचायत कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध थे। किसी भी टेण्डर फार्म की बिक्री नहीं हुई और न ही कोई भी निविदा प्राप्त हुई। तीन फार्मों से कुटेशन फार्म प्राप्त कर एक ही व्यक्ति द्वारा भर कर पत्रावली में रख दिया गया है। कुटेशन फार्म में किसी के भी हस्ताक्षर फार्म पाये गये जो पूरी तरह अमान्य है।
- (5) कुटेशन फार्मों का तुलनात्मक चार्ट तैयार तो किया गया है लेकिन चार्ट में किसी के भी हस्ताक्षर पाये गये हैं, जो अमान्य हैं।
- (6) सामग्री आपूर्ति आदेश तैयार कर (जिस में केवल ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर हैं) सामग्री की आपूर्ति में मै0 सोना कंट्रक्शन से आपूर्ति का बिल (टैस्ट इनवाइज- 083 दिनांक 05.04.2019) प्राप्त कर ₹0 138120.00 का भुगतान किया गया है, जबकि पत्रावली में एम0बी0 (माप पुस्तिका) उपलब्ध नहीं है। किसी भी निर्माण कार्य का बिना एम0बी0 के भुगतान करना मान्य नहीं है।
- (7) उक्त रास्ते में मिट्टी भराव का वाउचर विवेक के नाम तैयार कर ₹0 5700.00 का भुगतान किया गया है, जबकि वाउचर में प्राप्तकर्ता व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।



(8) उक्त रास्ते के निर्माण कार्य का मस्टररोल मजदूरी भुगतान ₹0 26030.00 दिया गया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध मस्टररोल में किसी भी मजदूर का नाम उसकी उपस्थिति व धन प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर नहीं है केवल भुगतान की ही धनराशि मात्र अंकित है। इस प्रकार किया गया भुगतान मान्य नहीं है।

(9) उक्त के अलावा पत्रावली में उक्त निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु जो भी भुगतान दर्शाये गये हैं वे किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है किसी भी प्रकार से भुगतानों की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती ज्ञानदेवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्ट भुगतान ₹0 169850.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 06-** कैशबुक में माह अप्रैल- 2019 में डाबर सड़क से मन्दिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का व्यय सामग्री के मद में ₹0 138120.00 मिट्टी भराव के मद में 5700.00 व मस्टररोल के मद में ₹0 26030.00 दर्शाया गया है उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली की जांच में गंभीर आपत्ति पायी गयी जो निम्नवत है-

- (1) पत्रावली में उक्त कार्य की कार्ययोजना व कार्य का प्रस्ताव संलग्न नहीं है।
- (2) निर्माण कार्य की निविदा सूचना अखबार (हिन्दी दैनिक शहीदी दरिया) में दिनांक 04.03.2019 में प्रकाशित किया गया है निविदा प्रकाशन में दिये गये नियम शर्तों का कोई भी पालन हुआ है।
- (3) उक्त कार्य का प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार कराया गया है लेकिन उस में ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक व अवर अभियन्ता के अलावा किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं जैसे की ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायतव वी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
- (4) प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री आपूर्ति कर्ताओं से सील बन्द निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा टेण्डर फार्म भी ग्राम पंचायत कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध थे। किसी भी टेण्डर फार्म की बिक्री नहीं हुई और न ही कोई भी निविदा प्राप्त हुई। तीन फार्मों से कुटेशन फार्म प्राप्त कर एक ही व्यक्ति द्वारा भर कर पत्रावली में रख दिया गया है। कुटेशन फार्म में किसी के भी हस्ताक्षर फार्म पाये गये जो पूरी तरह अमान्य है।
- (5) कुटेशन फार्मों का तुलनात्मक चार्ट तैयार तो किया गया है लेकिन चार्ट में किसी के भी हस्ताक्षर पाये गये हैं, जो अमान्य हैं।
- (6) सामग्री आपूर्ति आदेश तैयार कर (जिस में केवल ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर हैं) सामग्री की आपूर्ति में मै0 सोना कंट्रक्शन से आपूर्ति का बिल (टैस्ट इनवाइज- 084 दिनांक 06.04.2019) प्राप्त कर ₹0 94930.00 का भुगतान किया गया है, जबकि पत्रावली में एम0बी0 (माप पुस्तिका) उपलब्ध नहीं है। किसी भी निर्माण कार्य का बिना एम0बी0 के भुगतान करना मान्य नहीं है।
- (7) उक्त रास्ते में मिट्टी भराव का वाउचर विवेक के नाम तैयार कर ₹0 3900.00 का भुगतान किया गया है, जबकि वाउचर में प्राप्तकर्ता व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।
- (8) उक्त रास्ते के निर्माण कार्य का मस्टररोल मजदूरी भुगतान ₹0 17790.00 दिया गया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध मस्टररोल में किसी भी मजदूर का नाम उसकी उपस्थिति व धन प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर नहीं है केवल भुगतान की ही धनराशि मात्र अंकित है। इस प्रकार किया गया भुगतान मान्य नहीं है।
- (9) उक्त के अलावा पत्रावली में उक्त निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु जो भी भुगतान दर्शाये गये हैं वे किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है किसी भी प्रकार से भुगतानों की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती ज्ञानदेवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्ट भुगतान ₹0 116620.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 02**

**प्रस्तर 07-** कैशबुक में निम्न मदों में भुगतान दिखाया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- (1) कैशबुक में दिनांक 23.04.2019 में ₹0 15000 प्राथमिक विद्यालय मऊ पर स्कूल रास्ते पर ईट रोड़ा का भराव 20 ट्राली ₹0 750 दर्शाया गया है। ₹0 15000 का कोई प्रमाणक नहीं मिला और न ही इस व्यय के संबंध में व्यय करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
- (2) दिनांक 30.04.2019 में व्हीलर चैयर क्रय का भुगतान ₹0 5539 में संबंधित कोई आदेश व वाउचर प्राप्त नहीं हुआ इससे व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
- (3) दिनांक 18.06.2019 में हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान ₹0 51484 दर्शित है इससे संबंधित कोई भी आदेश व वाउचर उपलब्ध नहीं हुआ। इससे व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य के वाउचर/प्रमाणक प्राप्त न होने पर, जो भी भुगतान दर्शाये गये हैं वे किसी भी स्थिति में मान्य नहीं हैं किसी भी प्रकार से भुगतानों की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती ज्ञानदेवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्ट भुगतान ₹0 72023.00 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 03**

**06 ग्राम पंचायत- लोहागढ़,**

**विकास खण्ड- खैर,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 08-** ग्राम पंचायत लोहागढ़ की वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनय से अभिलेखों की मांग की गई। श्री अभिनय द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवेश कुमार द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में माह अप्रैल से लेकर जून तक के अभिलेख अपने प्रतिस्थानी ग्राम पंचायत सचिव को नहीं दिया है। जिस कारण 01.04.2018 से 30.06.2019 तक के अपेक्षित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। 01.07.2019 से 31.03.2020 तक की कैशबुक, वाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख ऑडिट हेतु उपलब्ध हैं, से संबंधित लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान सचिव से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार लेखा परीक्षा संपन्न की गयी। जिस अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए उनके आय-व्यय के आंकड़े बैंक पासबुक से प्राप्त किये गए। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े बैंक पासबुक के अनुसार |
|---------|---------|------------------------------|
| 1       | 2018-19 | 2338635.00                   |
| 2       | 2019-20 | 97739.00                     |
|         | योग     | 2436374.00                   |

उक्त अवधि में दर्शित आहरित कुल धनराशि (बैंक पासबुक के अनुसार) ₹0 2436374.00 से संबंधित व्ययों की पुष्टि उक्त अवधि के वाउचर व अन्य अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त अवधि में आहरित कुल धनराशि का ₹0 2436374.00 का व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चैनवती व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवेश कुमार उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्ट व्यय ₹0 2436374.00 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

07 ग्राम पंचायत- सोगरा,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 09-**लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोगरा के वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2012-13           | 691820      |
| 2013-14           | 1245743     |
| 2014-15           | 1054401     |
| 2015-16           | 475990      |
| 2016-17           | 1553966     |
| 2017-18           | 2063710     |
| योग               | 7085630     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कुल ₹0 7085630 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साध्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कुल ₹0 7085630 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश व श्रीमती पुष्पा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

08 ग्राम पंचायत- वीरपुर छबिबगढ़,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 10-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट अनुसार ₹0 1635111.00 आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है।

वर्ष 2019-20 में ₹0 1635111.00 की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल

व्यय रू0 1635111.00 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

09 ग्राम पंचायत- अहक,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 11-** वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासाफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में रू0 1117697 व वर्ष 2019-20 में रू0 393525 कुल व्यय रू0 1511222 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2018-19           | 1117697     |
| 2019-20           | 393525      |
| योग               | 1511222     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल रू0 1511222 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल रू0 1511222 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

10 ग्राम पंचायत- अहरौली,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 12-** वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासाफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में रू0 1131042 व वर्ष 2019-20 में रू0 975412 कुल व्यय रू0 2106454 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2018-19           | 1131042     |
| 2019-20           | 975412      |
| योग               | 2106454     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल रू0 2106454 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल रू0 2106454 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

11 ग्राम पंचायत- पोहिना,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 13-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में बैंक स्टेटमेंट अनुसार रू0 424787.00 आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है।

वर्ष 2016-17 में ₹0 424787.00 की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2016-17 में कुल व्यय ₹0 424787.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय पचौरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

12 ग्राम पंचायत- पोथी,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 14-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2012-13           | 529850      |
| 2013-14           | 997922      |
| 2014-15           | 809550      |
| 2015-16           | 712905      |
| 2016-17           | 899609      |
| योग               | 3949836     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कुल ₹0 3949836 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कुल ₹0 3949836 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से ₹0 1525113.50 व ग्राम प्रधान श्री रूप किशोर चौहान से ₹0 449804.50 व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से ₹0 1974918.00 की वसूली करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

13 ग्राम पंचायत- भवाइन,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 15-** वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासाफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 862777 व वर्ष 2019-20 में ₹0 783215 कुल व्यय ₹0 1645992 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2018-19           | 862777      |
| 2019-20           | 783215      |
| योग               | 1645992     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल ₹0 1645992 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल ₹0 1645992 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकान्ता व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

14 ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 16-** वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासाफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 249748 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार ₹0 249748 व्यय दर्शित है।

दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 तक कुल ₹0 1645992 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**15 ग्राम पंचायत- सलेमपुर,**

**विकास खण्ड- जंवा,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 17-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में स्टेटमेंट अनुसार ₹0 309325 आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है।

आहरित धनराशि से व्यय की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल व्यय ₹0 309325.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**16 ग्राम पंचायत- गौवरी,**

**विकास खण्ड- जंवा,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 18-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2012-13           | 572505      |
| 2013-14           | 1092336     |
| 2014-15           | 1405774     |
| 2015-16           | 401400      |
| योग               | 3472015     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल ₹0 3472015 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल ₹0 3472015 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवानदास पाली व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 19-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2016-17 | धनराशि | क्र0 सं0 | वर्ष 2017-18 | धनराशि |
|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|
|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|

|   |                  |         |   |                          |        |
|---|------------------|---------|---|--------------------------|--------|
| 1 | सामग्री          | 780869  | 1 | सामग्री                  | 482872 |
| 2 | मिट्टी           | 5660    | 2 | मस्टररोल                 | 107820 |
| 3 | मस्टररोल         | 231537  | 3 | हैण्डपम्प मरम्मत व सामान | 71675  |
| 4 | हैण्डपम्प मरम्मत | 16650   | 4 | विविध                    | 4395   |
| 5 | विविध            | 3578    | 5 |                          |        |
|   | योग              | 1038294 |   | योग                      | 666762 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 1038294.00 व वर्ष 2017-18 में ₹0 666762.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 1705056.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल व्यय ₹0 1705056.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीन कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

#### आपत्ति संख्या-02

**प्रस्तर 20-** वित्तीय वर्ष 2016-17 की कैशबुकमें माह सितम्बर 2016 में आय पक्षका योग ₹0 364443 है जबकि व्यय पक्ष का योग ₹0 363945 आ रहा है। अतः अन्तर ₹0 498 का रहा है। जो नकद दर्शाया गया परन्तु 1.1.2016 के प्रारम्भिक अवशेष में उक्त धनराशि अंकन नहीं की गयी। इसी प्रकार माह जनवरी 2017 में आय पक्ष का योग 258400 आ रहा है। जबकि व्यय पक्ष का योग ₹0 250499 का रहा है। अतः अन्तर ₹0 8000 का है। जिसे प्रधान के पास नकद भी नहीं दर्शाया गया। अतः कुल ₹0 8498 का अपहरण किया गया है। जिसकी व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीनकुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है।

#### आपत्ति संख्या- 03

**17 ग्राम पंचायत- पिपलौठ गोकुलपुर,**

**विकास खण्ड- जंवा,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 21-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2013-14           | 471466      |
| 2014-15           | 989946      |
| 2015-16           | 180905      |
| 2016-17           | 1535135     |
| 2017-18           | 701231      |
| योग               | 3878683     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल ₹0 3878683 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल ₹0 3878683 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशादेवी (पूर्व), श्री लक्ष्मण सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

#### आपत्ति संख्या- 01

**18 ग्राम पंचायत- तकीपुर,**

**विकास खण्ड- जंवा,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 22-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 कैशबुक एवं पासबुक अनुसार व 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि व्यय की जानी दर्शित है।

| वर्ष    | धनराशि  |
|---------|---------|
| 2018-19 | 1138004 |

|         |         |
|---------|---------|
| 2019-20 | 962799  |
| योग     | 2100803 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 1138004.00 व वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि ₹0 962799.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (जिसकी कैशबुक भी उपलब्ध करायी गयी।) अतः कुल ₹0 2100803.00 दर्शित व्ययकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय ₹0 2100803.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीन कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

19 ग्राम पंचायत- मलिकपुरा,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 23-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2012-13           | 292001      |
| 2013-14           | 874156      |
| 2014-15           | 557703      |
| 2015-16           | 244616      |
| 2016-17           | 942652      |
| 2017-18           | 985851      |
| योग               | 3896979     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कुल ₹0 3896979 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कुल ₹0 3896979 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कल्याण सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

20 ग्राम पंचायत- कोटा खास,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 24-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2014-15           | 835445      |
| 2015-16           | 229159      |
| 2016-17           | 1071796     |
| 2017-18           | 1225354     |
| योग               | 3361754     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल ₹0 3361754 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल ₹0 3361754 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय

8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप चौहान व श्री महीपाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

21 ग्राम पंचायत- दाऊपुर कोटा,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 25-** लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव श्री अरविन्द यादव द्वारा ग्राम पंचायत सोंगरा के वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष      | व्यय धनराशि |
|------------------------|-------------|
| 2013-14                | 715492      |
| 2014-15                | 992545      |
| 2015-16                | 281700      |
| 2016-17                | 1098912     |
| 2017-18(कैशबुक अनुसार) | 1170955     |
| योग                    | 4259604     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल ₹0 4259604 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल ₹0 4259604 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आफाक अहमद व श्रीमती शाकिरा व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द यादव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

22 ग्राम पंचायत- देकुरा,

विकास खण्ड- जंवा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 26-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2018-19             | धनराशि | क्र0 सं0 | वर्ष 2019-20             | धनराशि |
|----------|--------------------------|--------|----------|--------------------------|--------|
| 1        | सामग्री                  | 436908 | 1        | सामग्री                  | 143624 |
| 2        | मस्टररोल                 | 78900  | 2        | मस्टररोल                 | 00     |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर | 100318 | 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व सामान | 00     |
| 4        | अन्य व्यय                | 46205  | 4        | अन्य व्यय                | 17231  |
|          | योग                      | 662331 |          | योग                      | 160855 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 662331.00 व वर्ष 2019-20 में ₹0 160855.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 823186.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय ₹0 823186.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

23 ग्राम पंचायत- सलगवां,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 27-** ग्राम पंचायत सलगवां के वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु गम्भीर प्रवृत्ति के पाये गये। जिसका विवरण निम्नलिखित है।



- 1- ग्राम प्रधान सलगवां द्वारा गांव में खुले जनसुविधा केन्द्र से अपना आधार कार्ड ग्राम निधि खाते से लिंक कराकर ग्राम पंचायत के धन को खाते से निकासी की गयी जो नियमों के विपरीत रहा। जबकि धन की निकासी प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी चेकों के माध्यम से की जानी चाहिए थी।
- 2- इस अनियमित कार्य में जन सुविधा केंद्र प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध रही क्योंकि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के खाते को प्रधान के व्यक्तिगत आधार कार्ड से लिंक नहीं करना चाहिए था।
- 3- ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा समय से कैशबुक न लिखने के कारण यह अनियमित कार्य एक लम्बे समय तक चलता रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षाका निष्कर्ष है कि विभिन्न वित्तीय वर्षों में ₹0 476200 का ग्राम प्रधान द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए धन की निकासी की गयी तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों में उपभोग करना सिद्ध होता है। यद्यपि इस अनियमित दुरुपयोग का खुलासा/संज्ञान में आने पर उनके द्वारा समय-समय पर बिना ब्याज के धन जमा किया गया है। इस संबंध में ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

| वर्ष    | धनराशि |
|---------|--------|
| 2016-17 | 135000 |
| 2017-18 | 210000 |
| 2018-19 | 131200 |
| योग     | 476200 |

आपत्ति संख्या- 01

24 ग्राम पंचायत- बरौली,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 28-**पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में आहरित समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत बरौली के वर्ष 2019-20 की कैशबुक, पासबुक, वर्कफाइल, वाउचर, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन 2598046 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

25 ग्राम पंचायत- आलमपुर रानी,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 29-** लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की कैशबुक अनुसार छात्रवृत्ति एवं एम0डी0एम0 खाते का प्रारम्भिक शेष क्रमशः 29819 एवं 3310 है जबकि वर्ष के अन्त में उक्त खातों के अवशेष की प्रतिष्ठि कैशबुक में नहीं की गयी है। न ही खातों की पास-बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिससे वर्ष के आय-व्यय में 33129 ₹0 से अंतर है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। पासबुक प्रस्तुत कर खातों में शेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

26 ग्राम पंचायत- टिकटा,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 30-** लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 की कैशबुक अनुसार छात्रवृत्ति एवं एम0डी0एम0 खाते का प्रारम्भिक शेष क्रमशः 48373 एवं 292 दर्शित है जबकि वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में उक्त खातों के अवशेष की प्रतिष्ठि कैशबुक में नहीं की गयी है। न ही खातों की पास-बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिससे वर्ष के आय-व्यय में 48665 ₹0 से अंतर है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। पासबुक प्रस्तुत कर खातों में शेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 31-**लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 12.02.2015 को ग्राम निधि खाता- प्रथम से चेक नं0 11397 से 5000 का अहारण कर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी न ही उसके व्यय का कोई साध्य प्रस्तुत किया गया। अतः 5000 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

27 ग्राम पंचायत- शाहजहांपुर बैजना,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 32-**ग्राम पंचायत के वर्ष 2016-17 से जून 2019 तक के अभिलेख यथा कैशबुक, वर्कफाइल, वाउचर, एम0वी0, सी0आर0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में समस्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उक्त वर्षों में आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

| वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|
| 2016-17 | 2098973      |

|             |          |
|-------------|----------|
| 2017-18     | 3194220  |
| 2018-19     | 4177680  |
| जून 2019 तक | 761104   |
| योग         | 10231977 |

आपत्ति संख्या- 01

28 ग्राम पंचायत- बूढागांव,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 33-**लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में 752500 की सोलर लाइट क्रय प्राइवेट फर्म से क्रय दर्शित है। जबकि नेडा से क्रय किया जाना चाहिए था। विभागीय नियमों आदेशों का पालन अपेक्षित था। सोलर लाइट क्रय से संबंधित टेण्डर फाइन वित्तीय स्वीकृत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 34-**लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रधान का मानदेय अक्टूबर 2017 का दिनांक 02.11.2017 एवं 18.11.2017 को दो बार 3500- 3500 रु० दिया गया है। अतः प्रधान से 3500 रु० की ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

**प्रस्तर 35-** लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 की कैशबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते का प्रारम्भिक अवशेष रु० 2755 था जबकि वर्ष के अन्त में उक्त खाते के शेष की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं की गयी जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक है। न ही छात्रवृत्ति खाते की पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिससे वर्ष के आय-व्यय में 2755 रु० से अन्तर है। अतः प्रधान से 2755 रु० की ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 03

**प्रस्तर 36-**लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति खाते का प्रारम्भिक शेष कैशबुक अनुसार 82476 है तथा वर्ष में प्राप्ति 1729 है इस प्रकार इस खाते की कुल आय 84205 हुई। इसके सापेक्ष वर्ष में कुल वितरण 84920 दर्शित है तथा वर्ष के अन्त में कैशबुक में 2545 का शेष भी दर्शित है। इस प्रकार आय से व्यय अधिक दर्शित है अधिक व्यय 3260 से वर्ष का आय-व्यय प्रभावित है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मद की पासबुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 04

29 ग्राम पंचायत- चित्तुरा,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 37-**पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में आहरित समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत चित्तुरा के वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक की कैशबुक, पासबुक, वर्कफाइल, वाउचर, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त वर्षों में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

| वर्ष                        | आहरित धनराशि |
|-----------------------------|--------------|
| 2016-17                     | 296589       |
| 2017-18                     | 796987       |
| अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक | 96236        |
| योग                         | 1189812      |

आपत्ति संख्या- 01

30 ग्राम पंचायत- सतरापुर,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 38-**ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में आहरित समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत के वर्ष 2012-13 से जुलाई 2016 तक के अभिलेख यथा कैशबुक, पासबुक, वाउचर, सी0आर0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त वर्षों में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

| वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|
| 2012-13 | 595577       |

|            |         |
|------------|---------|
| 2013-14    | 763155  |
| 2014-15    | 842811  |
| 2015-16    | 287640  |
| जुलाई 2016 | 23480   |
| योग        | 2512663 |

आपत्ति संख्या- 01

31 ग्राम पंचायत- रहमापुर,

विकास खण्ड- गंगीरी,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 39-**ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध न होने की दशा में आहरित समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत के वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक के अभिलेख यथा कैशबुक, पासबुक, वाउचर, सी0आर0, वर्क फाइल, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त वर्षों में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

| वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|
| 2012-13 | 425150       |
| 2013-14 | 710890       |
| 2014-15 | 687268       |
| 2015-16 | 225284       |
| 2016-17 | 736209       |
| 2017-18 | 748809       |
| 2018-19 | 1141605      |
| 2019-20 | 1198720      |
| योग     | 5873935      |

आपत्ति संख्या- 01

32 ग्राम पंचायत- मजूरपुर सुबकरा,

विकास खण्ड- गोण्डा,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 40-**कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के मिलान में पाया गया कि माह मार्च में ग्राम पंचायत के खाता संख्या 31584808932 निधि प्रथम से आहरित धनराशि को कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है- दिनांक 06.03.2020 में ₹0 386150, दिनांक 16.03.2020 में ₹0 21000, 103086, 84116 व 178107, दिनांक 17.03.2020 में ₹0 5599 व 7212, दिनांक 23.03.2020 में ₹0 14424 दिनांक 30.03.2020 में क्रमशः 134888, 45015, 113601, 30302, 5650 व 164328 कुल ₹0 1345286 का आहरण हुआ है जिसकी कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई। इस कारण कोई व्यय भी अंकित नहीं किया गया है। जिससे उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार 01.04.2019 से लेकर 10.01.2020 तक तत्कालीन सचिव श्री श्योराज सिंह तैनात रहे जिनके द्वारा अपने कार्यकाल की पूरी कैशबुक व व्यय प्रमाणक नियमानुसार पूर्ण किये गये हैं। इसके बाद माह फरवरी 2020 से वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित का कार्यकाल प्रारम्भ हुआ। इनके द्वारा उक्त बैंक खाते से आहरित धनराशियों का अंकन कैशबुकमें नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में अनेक बार उनसे कैशबुक पूर्ण करने के लिए कहा गया लेकिन उनके द्वारा कैशबुक पूर्ण नहीं की गयी। जिसके लिए वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो देवी दोषी व उत्तरदायी हैं। अभिलेखों का पूर्ण करना सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। कैशबुक का पूर्ण न होना स्थिति को संदेहात्मक बनाता है। उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे ऑडिट हेतु व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये। परन्तु यहां पर वर्तमान सचिव व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो देवी द्वारा माह मार्च की न ही कैशबुक पूर्ण की और न ही इस अवधि से संबंधित कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आहरित धनराशि ₹0 1345286 के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। स्थिति संदिग्ध है। अतः उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो देवी से करातेहुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**33 ग्राम पंचायत- भैया,****विकास खण्ड- गोण्डा,****जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 41-**इण्टर लॉकिंग कार्य- टप्पल के घर से पप्पू के घर तक की पत्रावली की जांच में पाया कि इस कार्य को दो भागों में दर्शाया गया है। टप्पल के घर से पप्पू के घर तक (भाग-1) व टप्पल के घर से पप्पू के घर तक (भाग-2) के रूप में दर्शाया गया है। इनकी तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक- 291 दिनांक 10.12.2018 व क्रमांक- 292 दिनांक 10.12.2018 अंकित है। उनकी अनुमानित लागत क्रमशः 201231.70 व 194031.70 दर्शायी गयी है। उक्त कार्य को भाग-1 व भाग-2 करने का औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ। पूरे कार्य का एक ही एस्टीमेट होना चाहिए था। अनावश्यक रूप से 02 एम0बी0 तैयार करायी गयी है। पत्रावलियों की जांच में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य की सामग्री लागत 01 लाख से अधिक होने के बावजूद सामग्री की खरीद निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन पद्धति से की गयी है जो कि अनियमित है। पत्रावली के साथ संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों में सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के अलावा किसी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य के दोनों भागों की कैशबुक में दर्शित कुल लागत ₹0 347239 का व्यय अनियमित है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिमला दोषी व उत्तरदायी हैं। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01****34 ग्राम पंचायत- नगला जुझार,****विकास खण्ड- गोण्डा,****जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 42-**वित्तीय वर्ष 2015-16 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासाफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में ₹0 482744 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 ₹0 482744 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2015-16 ₹0 482744 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01****35 ग्राम पंचायत- नगला कुंजी,****विकास खण्ड- गोण्डा,****जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 43-**लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि दिनांक 24.03.2015 से 31.03.2015 तक बैंक पासबुक के अनुसार निम्न चैक आहरण किये गये जो क्रमशः ₹0 9000, 20000, 10000, 20000, 15000, 10000 कुल ₹0 84000 है लेकिन उक्त आहरणों को कैशबुक में दर्शाया ही नहीं गया। अर्थात् बैंक से धन को आहरित कर सीधे रोकड़ का अपहरण किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है उक्त ₹0 84000 का ग्राम पंचायत के कार्यों में उपभोग नहीं किया गया है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव श्री रामेन्द्र सिंह , श्री राजीव दीक्षित दोषी व उत्तरदायी है। उक्त कैशबुक में सचिव के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। वर्तमान सचिव द्वारा भी उक्त अवधि में तैनात सचिवों की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। अतः तत्कालीन सचिव व तत्कालीन प्रधान से व्याजसहित वसूली कराते हुए कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01****36 ग्राम पंचायत- हामिदपुर,****विकास खण्ड- गोण्डा,****जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 44-**लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कैशबुक में दर्शित विभिन्न निर्माण कार्यों के व्ययों की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- पंचायत घर की मरम्मत कार्य की पत्रावली के अनुसार अनुमानित लागत ₹0 227000 है लेकिन अखबार में विज्ञप्ति नहीं दी गयी है व कार्य का प्रस्ताव भी संलग्न नहीं है। उक्त कार्य के मस्टरोल ₹0 34310 में मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की खरीद का वाउचर भी नहीं है, जबकि कैशबुक में ₹0 191686 की खरीद दर्शित है।
- 2- वाउचर नं0- 4 दिनांक 05.04.2019 में धीरज के घर से नीरज पण्डित के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सामग्री पर ₹0 50000 का व्यय दर्शित है लेकिन व्यय की पुष्टि प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। इस प्रकार व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

- 3- कैशबुक में निरंजन पण्डित के खेत से वृजपाल के खेत तक यू टाईप नाली कार्य हेतु सामग्री खरीद रु0 426623 व मजदूरी व्यय रु0 82810 दर्शित है, लेकिन दर्शित व्ययों की पुष्टि में इस निर्माण कार्य की कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि नहीं होती है।
- 4- कैशबुक में गामा के घर से राजपाल के घर तक सी0सी0 कार्य हेतु सामग्री खरीद रु0 196902 एवं मजदूरी रु0 29430 का व्यय दर्शित है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य का प्राक्कलन ही संलग्न नहीं है। जिससे टी0एस0 नं0 व व्ययों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पत्रावली में कार्यपूति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार दर्शित सामग्री व मजदूरी व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।
- 5- कैशबुक में प्राइमरी विद्यालय में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री रु0 188532 व मजदूरी रु0 36660 का व्यय दर्शित है जबकि उक्त कार्य की अखबार में विज्ञप्ति नहीं है। इसके अलावा कार्य का प्रस्ताव भी संलग्न नहीं है। कार्यपूति प्रमाण पत्र भी नहीं है। निर्माण कार्य फाइल में संलग्न सामग्री आपूर्ति के प्रमाणक में कीमत रु0 187932 अंकित है, जबकि कैशबुक में रु0 188532 का व्यय अंकित है। उक्त निर्माण कार्य का फोटो भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार उक्त दर्शित कार्य के व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उक्त विवरण के अनुसार क्रमांक 1 से 5 तक के व्यय क्रमशः रु0 225996, रु0 50000, 509433, रु0 226332 व रु0 225192 कुल व्यय रु0 1236953 की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु0 786029 का व्यय बिना प्रमाणक के तथा शेष व्ययरु0 450924 अनियमित है। उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु0 786029 को अपहरण व शेष रु0 450924 को अनियमित मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती धर्मवती व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 45-**वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक व प्रमाणकों की जांच में पायागया कि अनेक व्ययों की पुष्टि में संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

हैण्डपम्प मरम्मत व्यय' रु0 20000, 25000, 51000, 25000, व 95000 कुल रु0 216000

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु0 216000 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती धर्मवती व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 02**

**37 ग्राम पंचायत- नगला सबल उर्फ गोण्डा,**

**विकास खण्ड- गोण्डा,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 46-**ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा हेतु तत्कालीन तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री मो0 तवरेज महबूब से अभिलेखों की मांग करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि माह अप्रैल 2016 से लेकर सितम्बर 2019 तक की अवधि का कार्यकाल मेरे से पूर्व तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव दीक्षित से संबंधित है। जिसकी अवधि के सभी निर्माण कार्यों के पत्रावलियां, जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़ को उनके कार्यालय के पत्रांक 134/एस0टी0-डी0डी0ओ0/2019-20 दिनांक 04.11.2019 की परिपालन में दिनांक 13.11.2019 को जमा करा दी गयी थी। इसके अलावा यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री दीक्षित द्वारा अवधि में से वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की कैशबुकें (03 वर्षों की) चार्ज में न दिये जाने के कारण जांच हेतु जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं की जा सकी। केवल वर्ष 2019-20 की कैशबुक व माह अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां उपलब्ध है। इससे संबंधित लिखित प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव श्री महबूब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाण पत्र के साथ जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़ व जिला पंचायती राज अधिकारी, अलीगढ़ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महबूब द्वारा जिला विकास अधिकारी को संबोधित पत्र आदि संलग्न है।

उक्त प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के व्ययों के धनराशि के आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार प्राप्त किये गये। जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | लेखा परीक्षा वर्ष | ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2016-17           | 1700397                                           |
| 2       | 2017-18           | 9944336                                           |
| 3       | 2018-19           | 7801466                                           |
|         | योग               | 19446199                                          |

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 1700397, वर्ष 2017-18 में रु0 9944336 एवं वर्ष 2018-19 में रु0 7801466 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार तीनों वर्षों में कुल व्यय रु0 19446199 दर्शित पाया गया जिसकी जांच व पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। जैसा

कि वर्तमान सचिव श्री महबूब द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में स्पष्ट है कि पूर्व तैनात सचिव श्री राजीव दीक्षित द्वारा वर्ष वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की कैशबुकें चार्ज में नहीं दी गयी थी बिना कैशबुक के किसी भी लेखे की जांच, व्ययों का मिलान व उनकी पुष्टि संभव नहीं है किसी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कैशबुक चार्ज में न देना गम्भीर प्रकरण है। ग्राम पंचायत सचिव श्री महबूब द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2016-17 से सितम्बर 2019 तक के निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियां जिला विकास कार्यालय में जमा है के संबंध में स्पष्ट करना है कि सूची में दर्शित जमा पत्रावलियां उक्त अवधि के सभी निर्माण कार्यों व अन्य व्ययों के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं, की पुष्टि व मिलान बिना कैशबुकों के संभव नहीं है।

अतः तत्कालीन तैनात पंचायत सचिव श्री राजीव दीक्षित से इसकी ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 47-**वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार माह अप्रैल से सितम्बर 2019 तक कार्यकाल ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव दीक्षित का है इस अवधि में कैशबुक के अनुसार कुल ₹0 1726068 का व्यय अंकित है लेकिन इसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हुई। उपलब्ध प्रमाण पत्र के अनुसार इस अवधि के भी व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां जमा बताई गयी है। अतः जिला विकास अधिकारी कार्यालय से अभिलेख प्राप्त कर वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करा कर इस अवधि की भी लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जाए। ताकि वास्तविक स्थिति से विभाग को अवगत कराया जा सके।

**आपत्ति संख्या- 02**

**38 ग्राम पंचायत- रायपुर मुजफता,**

**विकास खण्ड- अतरौली,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 48-**उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में बैंक पासबुक अनुसार आहरित धनराशि व 2017-18 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|
| 2016-17 | 590219       |
| 2017-18 | 2352589      |
| योग     | 2942808      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17में ₹0 590219.00 व वर्ष 2017-18में ₹0 2352589.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 2942808.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल व्यय ₹0 2942808.00 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री दुष्यन्त सिंह व भूपेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**39 ग्राम पंचायत- जामुना,**

**विकास खण्ड- अतरौली,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 49-**लेखा परीक्षा के दौरान वर्तमान सचिव श्री मनोज कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव द्वारा ग्राम पंचायत जामुना के वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 व 2016-17 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरण कर व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2015-16           | 348476      |
| 2016-17           | 220640      |
| योग               | 569116      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 व 2016-17 तक कुल ₹0 569116 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2015-16 व 2016-17 तक कुल ₹0 569116 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती नीरज देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री के0पी0 सिंह व श्री दुष्यन्त सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

40 ग्राम पंचायत- बैम्बीपुर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 50-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2010-11           | 162620      |
| 2011-12           | 232035      |
| 2012-13           | 857094      |
| 2013-14           | 1131178     |
| 2014-15           | 925734      |
| 2015-16           | 429740      |
| योग               | 3738401     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि कुल ₹03738401 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल ₹0 3738401 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती महेन्द्रवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री चरन सिंह व श्री शिशुपाल से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

41 ग्राम पंचायत- चमनपुर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 51-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2016-17     | धनराशि | क्र0 सं0 | वर्ष 2017-18             | धनराशि |
|----------|------------------|--------|----------|--------------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 118248 | 1        | सामग्री                  | 513016 |
| 2        | मस्टररोल         | 24990  | 2        | मस्टररोल                 | 278160 |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 51150  | 3        | हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर | 143548 |
| 4        | अन्य व्यय        | 9450   | 4        | अन्य व्यय                | 43101  |
|          | योग              | 203838 |          | योग                      | 977825 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 203838.00 व वर्ष 2017-18 में ₹0 977825.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 1181663.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल व्यय ₹0 1181663.00 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित मोहन व युवराज सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

42 ग्राम पंचायत- नगला हरजी,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 52-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कैशबुक अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2011-12           | 330074      |
| 2012-13           | 358481      |
| 2013-14           | 215220      |
| 2014-15           | 949018      |
| 2015-16           | 307336      |
| योग               | 2160129     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल ₹0 2160129 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल ₹0 2160129 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दिगम्बर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिशुपाल से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 53-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जारी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष16-17 | वर्ष17-18 | वर्ष18-19 | वर्ष19-20 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | सामग्री          | 197883    | 989810    | 1080933   | 718582    |
| 2        | मस्टररोल         | 54750     | 241340    | 358573    | 177530    |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 39480     | 58305     | 56093     | 61356     |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | -         | 105900    | -         | -         |
| 5        | अन्य व्यय        | 9910      | 42092     | 49973     | 29000     |
|          | योग              | 302023    | 1437447   | 1545572   | 986468    |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 302023, वर्ष 2017-18 में ₹0 1437447, वर्ष 2018-19 में ₹01545572, वर्ष 2019-20 में ₹0 986468 (कुल ₹0 4271510) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल ₹0 4271510 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मेघराज सिंह, युवराज सिंह, आशुतोष जौहरी व श्री जितेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 02**

**43 ग्राम पंचायत- खेडिया रफातपुर,**

**विकास खण्ड- अतरौली,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 54-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जारी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2018-19 | धनराशि  | क्र0 सं0 | वर्ष 2019-20 | धनराशि  |
|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|
| 1        | सामग्री      | 1593919 | 1        | सामग्री      | 1082934 |
| 2        | मस्टररोल     | 302838  | 2        | मस्टररोल     | 225220  |



|   |                  |         |   |                  |         |
|---|------------------|---------|---|------------------|---------|
| 3 | हैण्डपम्प मरम्मत | 25450   | 3 | हैण्डपम्प मरम्मत | 59185   |
| 4 | अन्य व्यय        | 69996   | 4 | अन्य व्यय        | 30121   |
|   | योग              | 1992203 |   | योग              | 1397460 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 1992203.00 व वर्ष 2019-20 में ₹0 1397460.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 3389663.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय ₹0 3389663.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश चन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित मोहन, श्री डेविड कुमार व जितेन्द्र कुमार से व्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

44 ग्राम पंचायत- चकाथल,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 55-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक ई-स्वराज पर फीडिंग के अनुसार निम्न प्रकार व्यय दूथाया गया है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2010-11           | 444718      |
| 2011-12           | 437651      |
| 2012-13           | 1066123     |
| 2013-14           | 942957      |
| 2014-15           | 2040121     |
| 2015-16           | 635493      |
| योग               | 5567063     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल ₹0 5567063 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल ₹0 5567063 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 56-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष<br>2016-17 | वर्ष<br>2017-18 | वर्ष<br>2019-20 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1        | सामग्री          | 206124          | 3130781         | 1906777         |
| 2        | मस्टररोल         | 77550           | 641832          | 365940          |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 98475           | 75795           | 83020           |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | -               | 96000           | -               |
| 5        | अन्य व्यय        | 21800           | 54500           | 53340           |
|          | योग              | 403949          | 3998908         | 2409077         |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 403949, वर्ष 2017-18 में ₹0 3998908, वर्ष 2019-20 में ₹0 2409077 (कुल ₹0 6811934) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-

17, 2017-18 व 2019-20 में कुल ₹0 6811934 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित मोहन, युवराज सिंह व श्री जितेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 02

44 ग्राम पंचायत- कोरह रघुपुरा,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 57-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | वर्ष 2019-20     | धनराशि  |
|----------|------------------|---------|
| 1        | सामग्री          | 1605565 |
| 2        | मस्टररोल         | 259425  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 100635  |
| 4        | विविध व्यय       | 47000   |
|          | योग              | 2012625 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2012625 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2012625 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनय सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

45 ग्राम पंचायत- लोहगढ़,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 58-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | वर्ष 2019-20     | धनराशि  |
|----------|------------------|---------|
| 1        | सामग्री          | 1685931 |
| 2        | मस्टररोल         | 191355  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 48710   |
| 4        | विविध व्यय       | 143886  |
|          | योग              | 2069882 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2069882 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2069882 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

46 ग्राम पंचायत- रायपुर दलपतपुर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 59-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | वर्ष 2019-20 | धनराशि |
|----------|--------------|--------|
|----------|--------------|--------|

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1 | सामग्री          | 1572404 |
| 2 | मस्टररोल         | 65585   |
| 3 | हैण्डपम्प मरम्मत | 27954   |
| 4 | विविध व्यय       | 117606  |
|   | योग              | 1783549 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 1783549 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 1783549 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश चन्द्र व ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

47 ग्राम पंचायत-धौरा खास उर्फ प्रेमनगर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 60-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2019-20     | धनराशि |
|----------|------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 173565 |
| 2        | मस्टररोल         | 53415  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 50590  |
| 4        | विविध व्यय       | 46007  |
|          | योग              | 323577 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 323577 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 323577 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

48 ग्राम पंचायत- नहल,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 61-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 278617 आहरित कर व्यय की जानी दर्शित है।

दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख कैशबुक व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2016-17 में कुल व्यय ₹0 278617 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री के0पी0 सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

49 ग्राम पंचायत- कुंजलपुर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 62-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | वर्ष 2019-20     | धनराशि |
|----------|------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 319485 |
| 2        | मस्टररोल         | 51870  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 90074  |
| 4        | विविध व्यय       | 87936  |
|          | योग              | 549365 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 549365 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 549365 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भगवान देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेश उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

50 ग्राम पंचायत- पनेहरा,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 63-**उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2015-16           | 677701      |
| योग               | 677701      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार ₹ 677701 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 677701 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री मेघ सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

51 ग्राम पंचायत- गहतौली निर्मल,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 64-**उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में निधि प्रथम से आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2015-16           | 485543      |
| योग               | 485543      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार ₹ 485543 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 485543 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

52 ग्राम पंचायत- चालाकपुर,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 65-**उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र० सं० | वर्ष 2018-19     | धनराशि | क्र० सं० | वर्ष 2019-20        | धनराशि |
|----------|------------------|--------|----------|---------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 292530 | 1        | सामग्री             | 544070 |
| 2        | मस्टररोल         | 00     | 2        | मस्टररोल            | 115400 |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 15800  | 3        | हैण्डपम्प रिबोर- 02 | 57630  |
| 4        | अन्य व्यय        | 12920  | 4        | अन्य व्यय           | 4560   |
|          | योग              | 321250 |          | योग                 | 721660 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 321250.00 व वर्ष 2019-20 में ₹0 721660.00 व्यय किया जाना दर्शित है। (कुल ₹0 1042910.00) दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय ₹0 1042910.00 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जशोदा से ₹0 521455 व ग्राम पंचायत सचिव श्री नागेन्द्र कुमार से ₹0 160625 व ग्राम पंचायत सचिव श्री डेविड कुमार से ₹0 360830 वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

53 ग्राम पंचायत- सिमथला,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 66-**वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मार्च 2018 में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में 11 चेकों की धनराशि ₹0 261806 का आहरण आय पक्ष में तो दर्शाया गया है परन्तु व्यय पक्ष में आहरित धनराशि का विवरण अंकन नहीं किया गया। न ही उक्त दर्शित धनराशि के व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। अतः उक्त धनराशि ₹0 261806 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री दुष्यन्त सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 67-**उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र० सं० | विवरण            | वर्ष15-16 | वर्ष16-17 | वर्ष17-18 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | सामग्री          | 73300     | 137533    | 971317    |
| 2        | मिट्टी           | 40800     | 00        | 00        |
| 3        | मस्टररोल         | 69104     | 61605     | 205525    |
| 4        | हैण्डपम्प मरम्मत | 11190     | 86530     | 44560     |
| 5        | अन्य व्यय        | 7050      | 333       | 25851     |
| 6        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00        | 00        | 89857     |
|          | योग              | 201444    | 286001    | 1337110   |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में ₹0 201444, वर्ष 2016-17 में ₹0 286001, वर्ष 2017-18 में ₹0 1337110 (कुल ₹0 1824555) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल ₹0 1824555 की ब्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से ₹0 100722 व ग्राम पंचायत सचिव श्री के0पी0 सिंह से ₹0 100722 व वर्ष 2016-17 व 2017-18 में ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से ₹0 811555.50 व ग्राम पंचायत सचिव श्री के0पी0 सिंह से ₹0 143000.50 व ग्राम पंचायत सचिव श्री दुष्यन्त सिंह से ₹0 668555 की ब्याजसहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

54 ग्राम पंचायत- मधुपुरा,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 68-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र० सं० | विवरण            | धनराशि |
|----------|------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 231120 |
| 2        | मिट्टी           | 8910   |
| 3        | मस्टररोल         | 87600  |
| 4        | हैण्डपम्प मरम्मत | 34470  |
| 5        | विविध व्यय       | 50     |
|          | योग              | 362150 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 362150 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 362150 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीरामप्रकाश व ग्राम पंचायत सचिव श्री थान सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

55 ग्राम पंचायत- आलमपुर कायस्थान,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 69-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र० सं० | विवरण            | धनराशि  |
|----------|------------------|---------|
| 1        | सामग्री          | 821602  |
| 2        | मिट्टी           | 11496   |
| 3        | मस्टररोल         | 166270  |
| 4        | हैण्डपम्प मरम्मत | 46235   |
| 5        | हैण्डपम्प रिबोर  | 60658   |
| 6        | विविध व्यय       | 29250   |
|          | योग              | 1135511 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 1135511 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 1135511 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री दुष्यन्त सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 70-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में बैंक स्टेटमेंट अनुसार विभिन्न तिथियों में ₹0 99414 आहरण किया जाना दर्शित है। जिसकी कैशबुक, व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 में कुल ₹0 99414 की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री के0पी0 सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 02**

**56 ग्राम पंचायत- डडार अलुपुरा,**

**विकास खण्ड- अतरौली,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 71-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | धनराशि |
|----------|------------------|--------|
| 1        | सामग्री          | 167213 |
| 2        | मस्टररोल         | 35765  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 61780  |
| 4        | विविध व्यय       | 7645   |
|          | योग              | 272403 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में कुल ₹0 272403 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 में कुल ₹0 272403की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**57 ग्राम पंचायत- खानपुर खिठौली,**

**विकास खण्ड- अतरौली,**

**जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 72-लेखा परीक्षा** के दौरान वर्तमान सचिव श्री नेमपाल सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि मेरे से पूर्व तैनात सचिव द्वारा ग्राम पंचायत जामुना के वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व के कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2011-12           | 1169283     |
| 2012-13           | 392824      |
| 2013-14           | 699342      |
| 2014-15           | 1368301     |
| 2015-16           | 481586      |
| 2016-17           | 266306      |
| योग               | 4377642     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक कुल ₹0 4377642 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक कुल ₹0 4377642 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नवीन कुमार व श्रीमती सुन्दरी देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री मुकेश कुमार व श्री के0पी0 सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

58 ग्राम पंचायत- भवीगढ़,

विकास खण्ड- अतरौली,

जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 73-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

| क्र0 सं0 | वर्ष 2019-20     | धनराशि  |
|----------|------------------|---------|
| 1        | सामग्री          | 1974732 |
| 2        | मस्टररोल         | 330330  |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 60000   |
| 4        | सोलर लाईट        | 487495  |
| 5        | विविध व्यय       | 43849   |
|          | योग              | 2896406 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2896406 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2896406की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनारो देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनय सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

59 ग्राम पंचायत- केलनपुर, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर-74-व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 1355188 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव आरती से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

आपत्ति संख्या- 01

60 ग्राम पंचायत- गोपी, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 75-सचिव भूदेव वर्मा द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 5044693 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

61 ग्राम पंचायत- झिरौली हीरासिंह, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 76-सचिव भूदेव वर्मा द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 5088075 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।



**62 ग्राम पंचायत- विजयगढ़ देहात, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 77-**सचिव भूदेव वर्मा द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 3756682 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**63 ग्राम पंचायत- बरहद, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 78-**सचिव भूदेव वर्मा द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 1729394 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**64 ग्राम पंचायत-बाराकलां, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 79-**सचिव भूदेव वर्मा द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 5977448 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**65 ग्राम पंचायत-राजीपुर, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 80-**आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में ही कैशबुक के अनुसार प्रधान के पास ₹0 87665 की धनराशि हस्तगत थी। उक्त धनराशि को तत्काल प्रधान से वसूल कर अप्रैल 2019 में ही ग्राम कोष में जमा कराया जाना सचिव की जिम्मेदारी थी क्योंकि पी0एफ0एम0एस0 से पेमेंट प्रारम्भ हो जाने के बाद प्रधान के हाथ से व्यय संभव नहीं था। किन्तु ऐसा न कर के प्रधान के हाथ में उक्त धनराशि प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाने के दिनांक 25.12.2020 तक भी वसूल नहीं किया गया। सचिव द्वारा अपनी कैशबुक में वर्ष 2021-22 के 31.03.2021 तक भी रुपये 87665 को प्रधान के पास हस्तगत दर्शाया है। यह सचिव के स्तर से घोर लापरवाही का द्योतक है। अतः प्रधान के पास एक बड़ी धनराशि छोड़ देने के लिए दोषी सचिव कुमारी आरती से उक्त धनराशि 87665 की व्याजसहित वसूली कर ली जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**66 ग्राम पंचायत- भिनौली, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 81-**सचिव नारायण सिंह द्वारा आलोच्य वर्षों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 1781706 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल- 1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की व्याजसहित वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव श्री भूदेव वर्मा से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**67 ग्राम पंचायत- कनसेरा, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 82-**ग्राम पंचायत कनसेरा की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 10-02-2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 10-02-2021 से लेकर 31-03-2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। और न ही वर्तमान सचिव श्री चरन सिंह व तत्कालीन प्रधान श्री पूरन द्वारा कभी कोई सम्पर्ककर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 579118, वर्ष 2017-18 में ₹0 995504, वर्ष 2018-19 में ₹0 1498950 व वर्ष 2019-20 में ₹0 252880 का कुल व्यय ₹0 3326452 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रु0 3326452 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री पूरन व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रु0 3326452 को अपुष्ट मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पूरन व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 68 ग्राम पंचायत- निगुना सिगुना, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 83-** वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप द्वारा केवल कैशबुकों व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 223150       | 383262       | 673187       |
| 2        | मस्टररोल         | 63270        | 249799       | 71440        |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 338862       | 539834       | 79110        |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00           | 36189        | 31784        |
| 5        | अन्य व्यय        | 48004        | 72263        | 17500        |
|          | योग              | 673286       | 1281347      | 873021       |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 673286, वर्ष 2018-19 में रु0 1281347, वर्ष 2019-20 में रु0 873021 (कुल रु0 2827654) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय रु0 2827654 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 69 ग्राम पंचायत- बुढाका, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 84-** उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 1260668      | 1636066      | 1478855      |
| 2        | मस्टररोल         | 426718       | 419780       | 352646       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 17000        | 32000        | 12780        |
| 4        | अन्य व्यय        | 69812        | 57967        | 69959        |
|          | योग              | 1774198      | 2145813      | 1914240      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 1774198, वर्ष 2018-19 में रु0 2145813, वर्ष 2019-20 में रु0 1914240 (कुल रु0 5834251) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन,

टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय रु0 5834251 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 70 ग्राम पंचायत- मानपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 85-उ0प्र0** सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 334415       | 1745529      | 1520826      |
| 2        | मस्टररोल         | 79385        | 464095       | 146700       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 46020        | 109500       | 5280         |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00           | 34971        | 00           |
| 5        | सोलर लाईट        | 392400       | 00           | 00           |
| 6        | अन्य व्यय        | 67059        | 95700        | 46020        |
|          | योग              | 919279       | 2449795      | 1718826      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 919279, वर्ष 2018-19 में रु0 2449795, वर्ष 2019-20 में रु0 1718826 (कुल रु0 5087900) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय रु0 5087900 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 86-कैशबुक बैंक स्टेटमेंट** के मिलान व जांच में पाया गया है कि दिनांक 03.04.2017 में बैंक संख्या 438490 जिसकी धनराशि रु0 8480 बैंक खाते से आहरित की गई है। लेकिन आहरित धनराशि को कैशबुक में दर्ज न कर सीधे रोकड़ का गबन किया गया है। अतः उक्त धनराशि रु0 8380 की वसूली मय सूद के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से कराते हुये विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 71 ग्राम पंचायत- मानपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 87-लेखा परीक्षा** वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों व बैंक स्टेटमेंट ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं, दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 293751       | 544353       | 817453       |
| 2        | मस्टररोल         | 64820        | 80590        | 155320       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 192438       | 40500        | 90790        |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00           | 40537        | 31057        |
| 5        | सोलर लाईट        | 203175       | 00           | 00           |
| 6        | अन्य व्यय        | 91732        | 104567       | 46709        |
|          | योग              | 845916       | 810547       | 1141329      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 845916, वर्ष 2018-19 में ₹0 810547, वर्ष 2019-20 में ₹0 1141329 (कुल ₹0 2797792) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 2797792 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

#### **72 ग्राम पंचायत- नरवारी, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 88-**ग्राम पंचायत नरवारी की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 15-02-2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 15-02-2021 से लेकर 31-03-2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। और न ही वर्तमान सचिव श्री चरन सिंह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम द्वारा कभी कोई सम्पर्ककर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 1126582, वर्ष 2018-19 में ₹0 1892756 व वर्ष 2019-20 में ₹0 701397 का कुल व्यय ₹0 3720735 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 3720735 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 3720735 को अपुष्ट मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01**

#### **73 ग्राम पंचायत- न0 जड़ाना, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 89-**ग्राम पंचायत न0 जड़ाना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 16-03-2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 16-03-2021 से लेकर 31-03-2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। और न ही वर्तमान सचिव श्री चरन सिंह व तत्कालीन प्रधान श्री सर्विस्टर द्वारा कभी कोई सम्पर्ककर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 1094608, वर्ष 2018-19 में ₹0 901495 व वर्ष 2019-20 में ₹0 1014805 का कुल व्यय ₹0 3010908 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 3010908 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सर्विस्टर व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 3010908 को अपुष्ट मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम व तत्कालीन सचिव श्री चरन सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 01**

#### **74 ग्राम पंचायत- कुराना, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 90-**लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुकों बैंक स्टेटमेंट ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं, दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययों के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | विवरण            | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 659047       | 619019       | 1050500      | 2752840      |
| 2        | मस्टररोल         | 385163       | 176680       | 483680       | 566450       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 834005       | 1547279      | 1789284      | 983640       |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00           | 00           | 135334       | 180328       |
| 5        | अन्य व्यय        | 377859       | 69001        | 181724       | 426143       |
|          | योग              | 2256074      | 2411979      | 3640522      | 4909401      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 2256074 वर्ष 2017-18 में ₹0 2411979, वर्ष 2018-19 में ₹0 3640522, वर्ष 2019-20 में ₹0 4909401 (कुल ₹0 13217976) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपुष्टि/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-18 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 13217976 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 75 ग्राम पंचायत- मौर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 91-**लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कैशबुक में दर्शित विभिन्न निर्माण कार्यों के व्ययों की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- वर्ष 2017-18 में गनेशी शर्मा के घर से निरंजन शर्मा के घर तक सी0सी0 कार्य में दर्शित ईट क्रय ₹0 45829 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है।
- 2- अंतर सिंह के जाटव के घर से राजपाल जाटव तक सी0सी0 निर्माण कार्य में दर्शित ईट खरीद ₹0 25484 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है।
- 3- नेतराम के घर से श्याम सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य में दर्शित ईट खरीद ₹0 7614 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है।

**वर्ष 2018-19 में-** 1- श्याम सिंह के घर से रामजीलाल के घर तक खंडजा निर्माण कार्य की पत्रावली में ₹0 114000 व ₹0 9120 की ईट खरीद के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए।

- 1- रामजीलाल के घर से टूकी के घर तक खंडजा निर्माण कार्य की पत्रावली में ईट खरीद ₹0 114000, 8550 व 68400 के प्रमाणक नहीं है।
- 2- टूकी के घर से मक्खन वाल्मीकी के घर तक खंडजा कार्य में ईट खरीद ₹0 62550 के प्रमाणक नहीं है।
- 3- संतोष के घर से प्रेमपालीवाल के घर तक सी0सी0 कार्य में सामग्री खरीद ₹0 105772 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं है।
- 4- कृपाल के घर से पुल तक नाली निर्माण कार्य में सामग्री खरीद ₹0 80837 व मजदूरी ₹0 24430 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए।
- 5- सुभाष के घर से ओमवीर के घर तक सी0सी0 कार्य सामग्री में ₹0 73200 व ₹0 167829 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए।
- 6- ओमवीर के घर से अजबों के घर तक सी0सी0 कार्य में सामग्री खरीद ₹0 65400 व 151045 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए।
- 7- चरन सिंह के घर से सत्तन के घर तक सी0सी0 कार्य में सामग्री खरीद ₹0 85800, 196968 व मजदूरी ₹0 24130 व 58260 के प्रमाणक उपलब्ध हुए।

उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 के क्रमांक 1 से 3 तक के व्यय क्रमशः ₹0 45829, 25484 व 7614 कुल व्यय ₹0 78927 की पुष्टि नहीं हो सकी।

उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 के क्रमांक 1 से 8 तक के व्यय क्रमशः ₹0 123120, 190950, 62550, 105772, 105267, 241029, 216445 व 365158 कुल व्यय ₹0 1410291 की पुष्टि नहीं हो सकी।

इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 78927 व वर्ष 2018-19 में ₹0 1410291 का व्यय बिना प्रमाणक के है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार ₹0 1489218 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लेखराज सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 92-**वित्तीय वर्ष 2018-19 की कैशबुक व प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि अनेक व्ययों की पुष्टि में संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

हैण्डपम्प मरम्मत व्यय- ₹0 26500, 7500, कुल ₹0 34000 उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार ₹0 34000 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लेखराज सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 76 ग्राम पंचायत- वाजिदपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 93-** वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि तीन वर्षों की लेखा परीक्षा में दो ग्राम पंचायत सचिवों का कार्यकाल सम्मिलित है प्रथम सचिव श्री यशपाल का कार्यकाल 01.04.2017 से 30.06.2019 तक है तथा दूसरा सचिव श्री दीपक शर्मा का कार्यकाल 01.07.2019 से 31.03.2020 तक का है। उक्त अवधि की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल के कार्यकाल से संबंधित अभिलेखों में केवल कैशबुके व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध हुआ है, उपलब्ध कैशबुके व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जो व्यय दर्शाये गये हैं उनकी पुष्टि में कोई वाउचर/प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त कथन की पुष्टि वर्तमान सचिव श्री दीपक शर्मा द्वारा लिखित प्रमाण पत्र में दिया गया है। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि श्री यशपाल द्वारा बिना वाउचर व अन्य साक्ष्यों के व्यय दर्शाये गये हैं, जो अपुष्ट हैं। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा अवधि 01.04.2017 से 30.06.2019 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20(आंशिक) |
|----------|------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1        | सामग्री          | 463292       | 609354       | 00                  |
| 2        | मस्टररोल         | 126440       | 334700       | (मिट्टी भराव) 20000 |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 121213       | 27100        | 54427               |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 359959       | 61000        | 00                  |
| 5        | अन्य व्यय        | 168132       | 45944        | 24289               |
|          | योग              | 1239036      | 1078098      | 98716               |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 1239036, वर्ष 2018-19 में ₹0 1078098, वर्ष 2019-20 में ₹0 98716 (कुल ₹0 2415850) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 2415850 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रकाश शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 77 ग्राम पंचायत- नागल खुर्द, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 94-** वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुके व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|

|   |                  |        |         |        |
|---|------------------|--------|---------|--------|
| 1 | सामग्री          | 83100  | 331131  | 60000  |
| 2 | मस्टररोल         | 57490  | 199500  | 00     |
| 3 | हैण्डपम्प मरम्मत | 254500 | 535376  | 209500 |
| 4 | हैण्डपम्प रिबोर  | 00     | 00      | 44629  |
| 5 | अन्य व्यय        | 47114  | 85290   | 29500  |
|   | योग              | 442204 | 1151297 | 343629 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 442204, वर्ष 2018-19 में ₹0 1151297, वर्ष 2019-20 में ₹0 343629 (कुल ₹0 1937130) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 1937130 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 78 ग्राम पंचायत- उसरह रसूलपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 95-** वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप द्वारा केवल कैशबुकों व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययों के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 550320       | 1151297      | 408662       |
| 2        | मस्टररोल         | 198410       | 190680       | 194000       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 218834       | 862270       | 293090       |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 163040       | 00           | 120000       |
| 5        | अन्य व्यय        | 83539        | 80281        | 159970       |
|          | योग              | 1214143      | 2284528      | 1175722      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 1214143, वर्ष 2018-19 में ₹0 2284528, वर्ष 2019-20 में ₹0 1175722 (कुल ₹0 4674393) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 4674393 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 79 ग्राम पंचायत- धांधौली, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 96-**वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में ₹0 896576 व वर्ष 2014-15 में ₹0 1251328 कुल व्यय ₹0 2147904 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के **प्रस्तर- 8 (क)** के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2013-14           | 896576      |
| 2014-15           | 1251328     |
| योग               | 2147904     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल ₹0 2147904 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल ₹0 2147904 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के **प्रस्तर- 8 (क)** के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या 01**

**प्रस्तर 97-**वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुकों व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के **प्रस्तर- 8 (क)** के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2015-16 | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 440675       | 1349470      | 897717       | 1609009      |
| 2        | मस्टररोल         | 171347       | 323700       | 161940       | 462270       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 23830        | 97806        | 357882       | 31280        |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 00           | 00           | 00           | 00           |
| 5        | अन्य व्यय        | 20265        | 64103        | 62902        | 103926       |
|          | योग              | 656117       | 1835079      | 1480441      | 2206485      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में ₹0 656117, वर्ष 2016-17 में ₹0 1835079, वर्ष 2017-18 में ₹0 1480441 व वर्ष 2018-19 में ₹0 2206485 (कुल ₹0 6178122) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कुल व्यय ₹0 6178122 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह, श्री कर्मवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री रामजीलाल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 02**

**80 ग्राम पंचायत- श्यारौल, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**



**प्रस्तर 98-**वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुकों व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण            | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 |
|----------|------------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 1979394      | 2620788      |
| 2        | मस्टररोल         | 554100       | 845150       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 43695        | 117220       |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर  | 70732        | 92238        |
| 5        | अन्य व्यय        | 73429        | 81979        |
|          | योग              | 2721350      | 3757375      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 2721350 व वर्ष 2018-19 में ₹0 3757375 (कुल ₹0 6478725) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक कुल व्यय ₹0 6478725 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

#### **81 ग्राम पंचायत- कीलपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 99-**वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में ₹0 1214343, वर्ष 2014-15 में ₹0 608885 व वर्ष 2015-16 में ₹0 439337 कुल व्यय ₹0 2262565 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2013-14           | 1214343     |
| 2014-15           | 608885      |
| 2015-16           | 439337      |
| योग               | 2262565     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल ₹0 2262565 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल ₹0 2262565 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मछला देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**आपत्ति संख्या- 01**

**प्रस्तर 100-**वित्तीय वर्ष 2016-17 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 946427 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा

जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 946427 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2016-17 में कुल व्यय ₹0 946427 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शनी सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 02

## 82 ग्राम पंचायत- हेटलपुर, विकास खण्ड- टप्पल, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 101-**वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में ₹0 905890, वर्ष 2014-15 में ₹0 705872 व वर्ष 2015-16 में ₹0 313914 कुल व्यय ₹0 1925676 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2013-14           | 905890      |
| 2014-15           | 705872      |
| 2015-16           | 313914      |
| योग               | 1925676     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल ₹0 1925676 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल ₹0 1925676 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह/स्व0 श्रीमती मंगफली देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिल्लन सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल अपुष्ट व्यय ₹0 1925676 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीनसचिव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 102-**वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण           | वर्ष 16-17 | वर्ष 17-18 | वर्ष 18-19 | वर्ष 19-20 4/19 से 7/19 |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 1        | सामग्री         | 417181     | 609513     | 753730     | 312000                  |
| 2        | मस्टररोल        | 183160     | 193500     | 282755     | 00                      |
| 3        | हैण्डपम्प कार्य | 361295     | 434640     | 857341     | 135051                  |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर | 00         | 00         | 97300      | 80449                   |
| 5        | अन्य व्यय       | 48123      | 66379      | 104637     | 23789                   |

|  |     |         |         |         |        |
|--|-----|---------|---------|---------|--------|
|  | योग | 1009759 | 1304032 | 2095763 | 551289 |
|--|-----|---------|---------|---------|--------|

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 1009759, वर्ष 2017-18 में ₹0 1304032, वर्ष 2018-19 में ₹0 2095763 व वर्ष 2019-20 में ₹0 551289 (कुल ₹0 4960843) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 से 2019-20 (अप्रैल से जुलाई) तक कुल व्यय ₹0 4960843 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

#### आपत्ति संख्या- 02

**प्रस्तर 103-**वर्ष 2019-20 की उपलब्ध कैशबुक में माह अप्रैल 2019 से लेकर जुलाई 2019 तक के आंकड़े उपलब्ध है। शेष अवधि माह अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के आय-व्यय के आंकड़े कैशबुक में अंकित नहीं है। यह अवधि वर्तमान सचिव श्री दीपक कुमार शर्मा से संबंधित है। दीपक कुमार शर्मा से अनेक बार मौखिक व दूरभाष वार्तालाप में कैशबुक को पूरा करने के लिए कहा गया। उनके द्वारा कैशबुक पूर्ण नहीं की गयी। जिसके संबंध में लिखित रूप से ए0डी0ओ0 पंचायत टप्पल को अवगत कराया गया है, इसके बावजूद भी कैशबुक पूर्ण नहीं की गयी। जिस अवधि की कैशबुक पूर्ण नहीं है। उस अवधि के आय-व्यय के आंकड़े बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त किये गये हैं। जिसके अनुसार माह अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में कुल 1123325 की आय व ₹0 1107527 का व्यय किया गया है। स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक व अन्य कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। इसके लिए वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक कुमार शर्मा एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः दर्शित कुल अपुष्ट व्यय ₹0 1107527 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### आपत्ति संख्या- 03

#### 83 ग्राम पंचायत- अलहादपुर नींवरी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 104-**कैशबुक में माह फरवरी 2020 व्यय पक्ष का योग ₹0 2291041 के स्थान पर ₹0 2303131 दर्शाकर ₹0 12090 का अन्तर किया गया है। इस प्रकार ₹0 12090 का अन्तर कर रोकड़ शेष का अपहरण किया गया है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वशीर खां एवं तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अन्तर की धनराशि तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से व्याजसहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

#### आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 105-**कैशबुक में दिनांक 06.07.2019 को ₹0 34000 का आहरण आय पक्ष में दर्शित है जो बैंक पासबुक के अनुसार सही पाया गया है लेकिन उक्त आहरण के सापेक्ष व्यय पक्ष में केवल ₹0 34000 अंकित किया गया है। व्यय का कोई भी मद अंकित नहीं है और दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक व अन्य कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं किया गया है इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वशीर खां एवं तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित काल्पनिक व्यय ₹0 34000 की वसूली मय व्याज तत्कालीन प्रधान श्री वशीर खां एवं सचिव श्री दिग्विजय सिंह से कराते हुये प्रशासनिक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

#### आपत्ति संख्या- 02

**प्रस्तर 106-**लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की जांच में पाया गया कि कैशबुक में दर्शित विभिन्न निर्माण कार्यों के व्ययों की जांच में निम्न

आपत्तियां पायी गयीं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- राजू के घर से वली शेर के घर तक क्रय सामग्री ₹0 500000 से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए है। जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
- 2- जफरुद्दीन के घर से शकील के घर तक क्रय सामग्री ₹0 250000 से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए है। जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
- 3- रफीक के घर से उमर मस्जिद तक में क्रय सामग्री ₹0 42000 व मजदूरी ₹0 131900 से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए है। जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
- 4- उदयवीर के घर से चांद के घर तक में क्रय सामग्री ₹0 505000 व मजदूरी ₹0 112930 से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए है। जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 के क्रमांक 1 से 4 तक के व्यय क्रमशः ₹0 500000, 250000, 173900 व 617930 कुल व्यय ₹0 1541830 की पुष्टि नहीं हो सकी।

इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 1541830 का व्यय बिना प्रमाणक के है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार ₹0 1541830 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वशीर खां एवं सचिव श्री दिग्विजय सिंह से कराते हुये प्रशासनिक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 03**

**प्रस्तर 107-**वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में व्यय प्रमाणकों से मिलान व जांच में पाया गया कि अनेक व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

हैण्डपम्प मरम्मत व्यय-रु० 20000, 63835, 9500 व 21500 कुल रु० 114835 का व्यय किया जाना दर्शित है जिनके कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुये हैं। जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु० 114835 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वशीर खां एवं सचिव श्री दिग्विजय सिंह से कराते हुये प्रशासनिक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 04**

**प्रस्तर 108-**वित्तीय वर्ष 2015-16 की माह जून तक की कैशबुक उपलब्ध रही व 2016-17 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक का कुल व्यय रु० 937617 व वर्ष 2016-17 में रु० 2743559 कुल व्यय रु० 3681176 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये।

लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 व 2016-17 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार प्राप्त व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2015-16           | 937617      |
| 2016-17           | 2743559     |
| योग               | 3681176     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015-16 में जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक का कुल व्यय रु० 3681176 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षामें उपलब्ध नहीं कराये गये। यहां यह स्पष्ट करना है कि पूर्व सचिव ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनसे पूर्व तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार दिनकर व श्री भूदेव सिंह द्वारा चार्ज में अभिलेख दिये गये या नहीं। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे, तो सचिवश्री दिग्विजय सिंह को इस संबंध में स्पष्ट आख्या दीजानी चाहिए थी कि अभिलेख चार्ज में न मिलने पर उनके द्वारा क्या विभागीय कार्यवाही की गयी थी। इसके अलावा यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये थे, तो वो अभिलेख श्री दिग्विजय द्वारा अपने प्रस्थानिक सचिव को चार्ज में दिया जाना चाहिए था। जबकि श्री सिंह द्वारा अपने प्रस्थानिक श्री किशनलाल को पिछले कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इस प्रकार वर्ष 2015-16 व 2016-17 के अभिलेखों की उपलब्धता संदिग्ध है। इस प्रकार अभिलेखों के रख रखाव में की गयी लापरवाही गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। अतः इस प्रति विभागीय जांचोपरान्त वास्तविक स्थिति स्पष्ट करायी जाए कि श्री दिनकर व श्री भूदेव सिंह द्वारा अपने कार्य अवधि के अभिलेख चार्ज में दिये थे या नहीं। वास्तविक स्थिति के अनुसार दोषी ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**आपत्ति संख्या- 05**

**प्रस्तर 109-**वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुक के व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र० सं० | विवरण           | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 |
|----------|-----------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री         | 4412715      | 5846413      |
| 2        | मस्टररोल        | 884250       | 696532       |
| 3        | हैण्डपम्प कार्य | 215000       | 165497       |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर | 00           | 64000        |

|   |           |         |         |
|---|-----------|---------|---------|
| 5 | अन्य व्यय | 37448   | 84151   |
|   | योग       | 5549413 | 6856593 |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 5549413 व वर्ष 2018-19 में ₹0 6856593 (कुल ₹0 12406006) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपुष्टि/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक कुल व्यय ₹012406006 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान एवं गठित समिति एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री भूदेव व श्री दिग्विजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 06

#### 84 ग्राम पंचायत- शहरी मदनगढ़ी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 110-**ग्राम पंचायत शहरी मदनगढ़ी की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 02 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इसके अलावा वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा मात्र 2018-19 व 2019-20 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं। लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सचिव महेश चन्द्र शर्मा से पूर्व जो सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे हैं उनके द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये या नहीं, यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो सचिव महेश चन्द्र शर्मा को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में किया जाना चाहिए था। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उन अभिलेखों को महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपने अभिलेखों के साथ ही कु0 प्रवीन को चार्ज में दिया जाना चाहिए था, ऐसा नकर अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है। इसके अलावा आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस सचिव का कितनी अवधि का कार्यकाल था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के क्रमशः धर्मे श कुमार व मुकेश कुमार सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा चार्ज में दिये गये अभिलेखों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध एवं आपत्तिजनक है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज्य से प्राप्त किये गये। उक्त तीनों वर्षों 2015-16 से 2017-18 तक के आय व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2015-16 | 884991                                | 564853  |
| 2       | 2016-17 | 3212193                               | 1226395 |
| 3       | 2017-18 | 2209386                               | 3347376 |
|         | योग     | 6306570                               | 5138624 |

उक्त तालिका में दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2015-16 में ₹0 564853, वर्ष 2016-17 में ₹0 1226395 व वर्ष 2017-18 में ₹0 3347376 के व्यय अपुष्ट रहे। जिसके संबंध में विभागीय जांचोपरान्त यह स्पष्ट कराया जाए कि लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महावीर प्रसाद (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं श्री सुधीर कुमार (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए) तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मे श कुमार, श्री मुकेश कुमार व महेश चन्द्र शर्मा, जिस पर भी दोष सिद्ध हो उनसे वसूली व अन्य विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 85 ग्राम पंचायत- बड़ौली फतेह खां, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 111-**ग्राम पंचायत बड़ौली फतेह खां की वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार से अभिलेखों की मांग की गई। श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 से पूर्व का कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री संजीव कुमार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुक्स व अन्य अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार

स्पष्ट है कि 2011-12 से 2015-16 तक की कैशबुक्स व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की कैशबुक्स व अन्य कोई भी अभिलेख प्राप्त न होने की स्थिति में ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय के आंकड़े प्राप्त किये गये। जो निम्न प्रकार है-

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 1       | 2011-12 | 444160                                |
| 2       | 2012-13 | 426665                                |
| 3       | 2013-14 | 397100                                |
| 4       | 2014-15 | 1466630                               |
| 5       | 2015-16 | 1117205                               |
|         | योग     | 3851760                               |

उक्त ऑनलाईन दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी अर्थात् उक्त व्यय अपुष्ट रहे। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे ऑडिट हेतु व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये। जिसके अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक में कुल व्यय रु० 3851760 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी वाउचर व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। इस प्रकार व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री करमेन्द्र सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं अतः अपुष्ट व्यय रु० 3851760 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 86 ग्राम पंचायत- रूस्तमपुर नईमाबाद, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 112-ग्राम पंचायत रूस्तमपुर नईमाबाद की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु० प्रवीन द्वारा मात्र 02 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इसके अलावा वर्तमान सचिव कु० प्रवीन द्वारा पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा मात्र 2018-19 व 2019-20 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं। लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सचिव महेश चन्द्र शर्मा से पूर्व जो सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे हैं उनके द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये या नहीं, यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो सचिव महेश चन्द्र शर्मा को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में किया जाना चाहिए था। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उन अभिलेखों को महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपने अभिलेखों के साथ ही कु० प्रवीन को चार्ज में दिया जाना चाहिए था, ऐसा नकर अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है। इसके अलावा आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस सचिव का कितनी अवधि का कार्यकाल था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव कु० प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के क्रमशः नाहर सिंह व विदेशी खां सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि व उनके द्वारा चार्ज में दिये गये अभिलेखों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध एवं आपत्तिजनक है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आंकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज से प्राप्त किये गये। उक्त तीनों वर्षों 2015-16 से 2017-18 तक के आय व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2015-16 | 150983                                | 00      |
| 2       | 2016-17 | 688371                                | 689009  |
| 3       | 2017-18 | 885142                                | 916700  |
|         | योग     | 1724496                               | 1605709 |

उक्त तालिका में दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2015-16 में शून्य, वर्ष 2016-17 में ₹0 689009 व वर्ष 2017-18 में ₹0 916700 के व्यय अपुष्ट रहे। जिसके संबंध में विभागीय जांचोपरान्त यह स्पष्ट कराया जाए कि लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं श्रीमती अंगूरी देवी (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए) तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह, श्री विदेशी खां व महेश चन्द्र शर्मा, जिस पर भी दोष सिद्ध हो उनसे वसूली व अन्य विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 113-वित्तीय वर्ष 2019-20 के निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि सुनील के घर से सड़क तक इण्टर लॉकिंग व नाली की पत्रावली में सामग्री क्रय ₹0 59893 के सापेक्ष ठेकेदार को ₹0 70548 किया गया है। इस प्रकार ₹0 10655 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीण दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः अधिक भुगतान ₹0 10655 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 87 ग्राम पंचायत-वाजिदपुर नादा, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 114-ग्राम पंचायत वाजिदपुर नादा की वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में ₹0 638818 व वर्ष 2015-16 में ₹0 366006 कुल व्यय ₹0 1004824 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। कैशबुकें व अन्य कोई भी अभिलेख प्राप्त न होने की स्थिति में ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार आय और व्यय के आंकड़े प्राप्त किये गये। जो निम्न प्रकार हैं-

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 1       | 2014-15 | 638818                                |
| 2       | 2015-16 | 366006                                |
|         | योग     | 1004824                               |

जिसके अनुसार वर्ष 2014-15 व 2015-16 तक में कुल व्यय ₹0 1004824 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी वाउचर व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। इस प्रकार व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त अपुष्टव्यय ₹0 1004824 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 115-वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधूप द्वारा केवल कैशबुकें व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण           | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री         | 909753       | 673200       | 1193600      | 1440098      |
| 2        | मस्टररोल        | 209480       | 45500        | 00           | 00           |
| 3        | हैण्डपम्प कार्य | 88300        | 383425       | 69200        | 125000       |
| 4        | हैण्डपम्प रिबोर | 00           | 00           | 223500       | 00           |
| 5        | अन्य व्यय       | 46500        | 45896        | 18046        | 40239        |
|          | योग             | 1254033      | 1148021      | 15043846     | 1605337      |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 1254033, वर्ष 2017-18 में ₹0 1148021, वर्ष 2018-19 में ₹0 15043846 व वर्ष 2019-20 में ₹0 1605337 (कुल ₹0 5511737) व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल व्यय ₹0 5511737 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 88 ग्राम पंचायत- ल्हौरा नगला बाढ़ौन, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 116-**ग्राम पंचायत ल्हौरा नगला बाढ़ौन की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 02 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इसके अलावा वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा मात्र 2018-19 व 2019-20 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं। लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सचिव महेश चन्द्र शर्मा से पूर्व जो सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे हैं उनके द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये या नहीं, यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो सचिव महेश चन्द्र शर्मा को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में किया जाना चाहिए था। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उन अभिलेखों को महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपने अभिलेखों के साथ ही कु0 प्रवीन को चार्ज में दिया जाना चाहिए था, ऐसा न कर अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है। इसके अलावा आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस सचिव का कितनी अवधि का कार्यकाल था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के क्रमशः नाहर सिंह सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा चार्ज में दिये गये अभिलेखों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध एवं आपत्तिजनक है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज्य से प्राप्त किये गये। उक्त तीनों वर्षों 2015-16 से 2017-18 तक के आय व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2015-16 | 424993                                | 262118  |
| 2       | 2016-17 | 505401                                | 604984  |
| 3       | 2017-18 | 629952                                | 665921  |
|         | योग     | 1560346                               | 1533023 |

उक्त तालिका में दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2015-16 में ₹0 262118, वर्ष 2016-17 में ₹0 604984 व वर्ष 2017-18 में ₹0 665921 के व्यय अपुष्ट रहे। जिसके संबंध में विभागीय जांचोपरान्त यह स्पष्ट कराया जाए कि लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं श्री सुनील कुमार (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए) तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह व महेश चन्द्र शर्मा, जिस पर भी दोष सिद्ध हो उनसे वसूली व अन्य विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 117-**वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो निर्माण कार्य दर्शाये गये हैं। ऐसे निर्माण कार्य जिनकी निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है। जो निम्न है-

| क्र0सं0 | निर्माण कार्य का नाम                              | सामग्री | मजदूरी | मिट्टी |
|---------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 1       | बलवीर के घर से शिशुपाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य | 244467  | 32900  | 15470  |
| 2       | युवराज के घर से बलवीर के घर तक खण्डजा कार्य       | 33758   | 14795  | 12876  |
|         | योग                                               | 278225  | 47695  | 28346  |

उक्त निर्माण कार्यों की दर्शित व्ययों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। इस प्रकार दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि



की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। उक्त अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 354266 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 89 ग्राम पंचायत- हीरपुर हुसैनपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 118-**ग्राम पंचायत हीरपुर हुसैनपुर की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 02 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इसके अलावा वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा मात्र 2018-19 व 2019-20 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं। लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सचिव महेश चन्द्र शर्मा से पूर्व जो सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे हैं उनके द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये या नहीं, यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो सचिव महेश चन्द्र शर्मा को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में किया जाना चाहिए था। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उन अभिलेखों को महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपने अभिलेखों के साथ ही कु0 प्रवीन को चार्ज में दिया जाना चाहिए था, ऐसा न कर अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है। इसके अलावा आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस सचिव का कितनी अवधि का कार्यकाल था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के क्रमशः नाहर सिंह व श्री विदेशी खां सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा चार्ज में दिये गये अभिलेखों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध एवं आपत्तिजनक है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज्य से प्राप्त किये गये। उक्त तीनों वर्षों 2015-16 से 2017-18 तक के आय व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2015-16 | 520203                                | 219498  |
| 2       | 2016-17 | 709180                                | 1002968 |
| 3       | 2017-18 | 769852                                | 1191735 |
|         | योग     | 1999235                               | 2414201 |

उक्त तालिका में दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2015-16 में ₹0 219498, वर्ष 2016-17 में ₹0 1002968 व वर्ष 2017-18 में ₹0 1191735 के व्यय अपुष्ट रहे। जिसके संबंध में विभागीय जांचोपरान्त यह स्पष्ट कराया जाए कि लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा शर्मा (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं श्री देवेन्द्र पाल सिंह (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए) तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह, श्री विदेशी खां व महेश चन्द्र शर्मा, जिस पर भी दोष सिद्ध हो उनसे वसूली व अन्य विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 90 ग्राम पंचायत- सिखारन, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 119-**ग्राम पंचायत सिखारन की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव तनय तिवारी द्वारा वर्ष 2019-20 के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक 04 वर्षों के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए। इसके संबंध में वर्तमान सचिव तनय तिवारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज्य से प्राप्त किये गये। उक्त 04 वर्षों 2015-16 से 2018-19 तक के व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 1       | 2015-16 | 425545                                |
| 2       | 2016-17 | 588402                                |
| 3       | 2017-18 | 436090                                |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 4 | 2018-19 | 1364532 |
|   | योग     | 2814569 |

उक्त ऑनलाईन दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी अर्थात उक्त व्यय अपुष्ट रहे। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे ऑडिट हेतु व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये। उक्त में से वर्ष 2015-16 के लिए तत्कालीन प्रधान श्री शफी मोहम्मद एवं तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार तथा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए तत्कालीन प्रधान श्री दुर्गेश कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 91 ग्राम पंचायत- पींजरी नागरी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 120-**ग्राम पंचायत पींजरी नागरी की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 02 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये एवं लिखित रूप में यह भी अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इसके अलावा वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा मात्र 2018-19 व 2019-20 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं। लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सचिव महेश चन्द्र शर्मा से पूर्व जो सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे हैं उनके द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये या नहीं, यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो सचिव महेश चन्द्र शर्मा को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में किया जाना चाहिए था। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उन अभिलेखों को महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपने अभिलेखों के साथ ही कु0 प्रवीन को चार्ज में दिया जाना चाहिए था, ऐसा न कर अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है। इसके अलावा आलोच्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस सचिव का कितनी अवधि का कार्यकाल था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के क्रमशः नाहर सिंह व श्री मुकेश कुमार सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा चार्ज में दिये गये अभिलेखों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार स्थिति संदिग्ध एवं आपत्तिजनक है। उक्त जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज्य से प्राप्त किये गये। उक्त तीनों वर्षों 2015-16 से 2017-18 तक के आय व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2015-16 | 439338                                | 249857  |
| 2       | 2016-17 | 833234                                | 907765  |
| 3       | 2017-18 | 742380                                | 834517  |
|         | योग     | 2014952                               | 1992139 |

उक्त तालिका में दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2015-16 में रू0 249857, वर्ष 2016-17 में रू0 907765 व वर्ष 2017-18 में रू0 834517 के व्यय अपुष्ट रहे। जिसके संबंध में विभागीय जांचोपरान्त यह स्पष्ट कराया जाए कि लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं श्री हरिजोम (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए) तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह, श्री मुकेश कुमार व महेश चन्द्र शर्मा, जिस पर भी दोष सिद्ध हो उनसे वसूली व अन्य विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 92 ग्राम पंचायत- भदेसी माँफी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 121-**ग्राम पंचायत भदेसी माँफी की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार से अभिलेखों की मांग की गई। श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 से पूर्व का कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री संजीव कुमार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की केशवके व अन्य अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट

है 2015-16 की कैशबुक व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। वर्ष 2015-16 की कैशबुक व अन्य अभिलेख प्राप्त न होने की स्थिति में ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार आय और व्यय के आंकड़े प्राप्त किये गये जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 में ₹0 311901 के व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी वाउचर व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। इस प्रकार व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपुष्ट व्यय ₹0 311901 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

### 93 ग्राम पंचायत- बाढ़ौन, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 122-ग्राम पंचायत बाढ़ौन की वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री किशनलाल से अभिलेखों की मांग की गई। श्री किशनलाल द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा आंशिक अभिलेख ही चार्ज में दिये गये हैं। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री किशनलाल द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक (03 वर्ष) एवं वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक (03 वर्ष की कैशबुक) उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2011-12, 2012-13, 2016-17 की कैशबुकें उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके अलावा जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 व 2019-20 की कैशबुकें अपूर्ण पायी गयी। उक्त कैशबुकों के अलावा 01 बैंक पासबुक जो 13.03.2016 से लेकर मार्च 2020 तक थी उक्त वित्तीय वर्षों में दर्शाये गये व्ययों की पुष्टि हेतु निर्माण कार्य की 04 पत्रावलियां भी उपलब्ध करायी गयी है जो वर्ष 2019-20 से संबंधित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- रामदयाल के घर से तकिया तक इण्टर लॉकिंग कार्य पत्रावली।
- 2- मुनीपाल के घर से हरप्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पत्रावली।
- 3- रामदयाल के घर से शेर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पत्रावली।
- 4- शहजाद के घर से करण सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पत्रावली।

उक्त चारों पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि चारों पत्रावलियां अपूर्ण थी। चारों पत्रावलियों में प्राक्कलन (एस्टीमेट) संलग्न है लेकिन किसी भी एस्टीमेट में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी अर्थात् टी0एस0 न0 निर्गत नहीं किया गया। पत्रावलियों में निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति से संबंधित अखबार की कटिंग व कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। अर्थात् निर्माण कार्यों की निविदा सूचना प्रकाशित नहीं की गयी जो कि आवश्यक थी किसी भी पत्रावली में निविदाएं (टेण्डर फार्म) संलग्न नहीं है। सभी पत्रावलियों में तीन-तीन फर्मों के काल्पनिक कोटेशन संलग्न है। किसी भी कोटेशन फार्म में कोटेशन देने वाले का नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तीनों फर्मों का तुलनात्मक चार्ट भी तैयार किया गया है लेकिन चार्ट में किसी भी अधिकारी/कर्मचारीके हस्ताक्षर नहीं हैं। पत्रावलियों में संबंधित फर्मों से सामग्री आपूर्ति का बिल प्राप्त कर भुगतान दर्शा दिया गया है जबकि पत्रावली में माप पुस्तिका (एम0बी) संलग्न नहीं है और न ही मजदूरी का मस्टरोल संलग्न है इसके अलावा निर्माण कार्य किये जाने की पुष्टि में कार्यपूति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निर्माण कार्यों के व्ययों की पुष्टि उक्त उपलब्ध पत्रावलियों से नहीं होती है।

आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक में दर्शित व्ययों (कैशबुकों एवं ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार) दर्शित व्ययों की पुष्टि में उक्त 04 पत्रावलियों के अलावा कोई भी वाउचर व अन्य साक्ष्य अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार उक्त वर्षों में दर्शाए गये व्ययों की पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं होती है। व्ययों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है। (कैशबुकों एवं ई-स्वराज फीडिंग के अनुसार)

| क्र0सं0 | लेखा परीक्षा वर्ष  | व्ययधनराशि |
|---------|--------------------|------------|
| 1       | 2011-12 (ई-स्वराज) | 107850     |
| 2       | 2012-13 (ई-स्वराज) | 90480      |
| 3       | 2013-14 (कैशबुक)   | 367700     |
| 4       | 2014-15 (कैशबुक)   | 1053344    |
| 5       | 2015-16 (ई-स्वराज) | 976833     |
|         | योग                | 2596207    |
| 6       | 2016-17 (ई-स्वराज) | 413863     |
| 7       | 2017-18 (कैशबुक)   | 586100     |
| 8       | 2018-19 (कैशबुक)   | 1044039    |
| 9       | 2019-20 (कैशबुक)   | 731729     |

|     |         |
|-----|---------|
| योग | 2775731 |
|-----|---------|

उक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का कुल व्यय रू0 2596207 एवं वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का कुल व्यय रू0 2775731 अपुष्ट रहा। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी है एवं वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती मनोरमा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का कुल व्यय रू0 2596207 एवं वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का कुल व्यय रू0 2775731 की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 94 ग्राम पंचायत- भीकमपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 123-वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 की कैशबुक उपलब्ध नहीं हुई। ई-स्वराज्य (प्रियासॉफ्ट) फीडिंग के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में रू0 1176585, वर्ष 2014-15 में रू0 1002378 व वर्ष 2015-16 में रू0 418675 कुल व्यय रू0 2597638 दर्शित है। दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। उक्त के क्रम में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2013-14           | 1176585     |
| 2014-15           | 1002378     |
| 2015-16           | 418675      |
| योग               | 2597638     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल रू0 2597638 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल रू0 2597638 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वनवारी लाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्रकाश शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 95 ग्राम पंचायत- सहारनपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 124-उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक ई-स्वराज्य फीडिंग के अनुसार व्यय निम्न प्रकार है।

| लेखा परीक्षा वर्ष | व्यय धनराशि |
|-------------------|-------------|
| 2014-15           | 847074      |
| 2015-16           | 328747      |
| योग               | 1175821     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक कुल रू0 1175821 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख व साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक कुल रू0 1175821 उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री भूदेव से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

**6 ग्राम पंचायत- भरतपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 125-**ग्राम पंचायत भरतपुर की वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 04 वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की 04 कैशबुकें उपलब्ध करायी गयी हैं। सचिव कु0 प्रवीन द्वारा मात्र 04 वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के आंशिक अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इसके संबंध में लिखित रूप से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक में वर्ष 2016-17 से 2017-18 की मात्र कैशबुकें ही उपलब्ध करायी गयी हैं। बैंक पासबुक/स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी वाउचर/पत्रावलियां व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। जिनके व्यय का वर्षवार विवरण निम्न है।

| क्र० सं० | विवरण            | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 |
|----------|------------------|--------------|--------------|
| 1        | सामग्री          | 459950       | 614308       |
| 2        | मस्टररोल         | 47320        | 103640       |
| 3        | हैण्डपम्प मरम्मत | 36540        | 22819        |
| 4        | अन्य व्यय        | 33000        | 62326        |
|          | योग              | 576810       | 803093       |

उक्त तालिका के अनुसार दर्शित व्यय अपुष्ट रहे जिसके संबंध में स्पष्ट करना है कि सचिव कु0 प्रवीन से पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपनी चार्ज लिस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है। कि उनसे पूर्व में तैनात सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में उपलब्ध कराये गये थे या नहीं। यदि अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये थे तो इसका स्पष्ट उल्लेख अपनी चार्ज लिस्ट में देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये थे तो उपलब्ध सभी अभिलेख अपने अभिलेखों के साथ कु0 प्रवीन को चार्ज में दिये जाने चाहिए थे। इस प्रकार अभिलेखों की रख रखाव की स्थिति अस्पष्ट एवं आपत्तिजनक है अतः इस प्रति विभागीय जांचोपरान्त स्पष्ट कराया जाये कि अभिलेखों की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति क्या है यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये तो उक्त अपुष्ट व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों से करायी जाए। यदि पूर्व सचिवों द्वारा अभिलेख चार्ज में दिये गये हैं तो उक्त अपुष्ट व्ययों के लिए पंचायत सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा को उत्तरदायी माना जाना चाहिए। अतः वास्तविक स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

**प्रस्तर 126-** वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन के लिखित प्रमाण पत्रके अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुये। अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उक्त तीनों वर्षों के आय-व्यय के आकड़े ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट/ई-स्वराज से प्राप्त किये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2013-14 | 433608                                | 335485  |
| 2       | 2014-15 | 423962                                | 583612  |
| 3       | 2015-16 | 132621                                | 151318  |
|         | योग     | 990191                                | 1070415 |

उक्त तालिका के अनुसार दर्शित व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव दोषी व उत्तरदायी हैं। वर्तमान सचिव कु0 प्रवीन द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश कुमार व विदेशी खां थे, लेकिन ग्राम पंचायत सचिवों के कार्यकाल अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त तत्कालीन सचिवों द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित अभिलेख अपने बाद तैनात ग्राम पंचायत सचिवों को दिये गये हैं या नहीं इस संबंध में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार अभिलेखों के रख रखाव व उनकी उपलब्धता की स्थिति संदिग्ध व अस्पष्ट रही अतः विभागीय जांचोपरान्त वास्तविक स्थिति के अनुसार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

**प्रस्तर 127-**वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 के अभिलेख प्राप्त हुये जिनमें वर्ष 2018-19 में दर्शित व्ययों की पुष्टि में वाउचर व निर्माण कार्य पत्रावलियां प्राप्त हुयी तथा वर्ष 2019-20 में दो निर्माण कार्य दर्शाये गये हैं। उन निर्माण कार्यों के व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | निर्माण कार्य का नाम                             | सामग्री | मजदूरी | मिट्टी |
|---------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 1       | शब्बीर के घर से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य     | 272399  | 41880  | 5897   |
| 2       | के०के० के घर से सोनू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य | 399000  | 00     | 00     |
|         | योग                                              | 671399  | 41880  | 5897   |

उक्त निर्माण कार्यों की दर्शित व्ययों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। इस प्रकार दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययों के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। उक्त अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भीमसेन व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश चन्द्र शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रु० 719184 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 03

#### 97 ग्राम पंचायत- मुकुन्दपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 128-**ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान सचिव श्री संजीव कुमार से अभिलेखों की मांग की गई। श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 (01.08.2016) से पूर्व का कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री संजीव कुमार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुक्स व अन्य अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 व 2015-16 की कैशबुक व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। वर्ष 2014-15 व 2015-16 की कैशबुक व अन्य अभिलेख प्राप्त न होने की स्थिति में ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट फीडिंग व बैंक पासबुक के अनुसार आय और व्यय के आंकड़े प्राप्त किये गये।

| क्र०सं० | वर्ष                            | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार |          |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
|         |                                 | आय                                    | व्यय     |
| 1       | 2014-15                         | अप्राप्त                              | अप्राप्त |
| 2       | 2015-16                         | 784396                                | 274635   |
| 3       | 2016-17(01.04.2016से31.07.2016) | 00                                    | 49300    |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के आंकड़े ऑनलाईन फीडिंग में उपलब्ध नहीं हुये। इस प्रकार वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 उक्तानुसार दर्शित व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। इसमें से वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान रूप किशोर व तत्कालीन सचिव श्री नाहर सिंह एवं वर्ष 2016-17 (01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के व्ययों के लिए तत्कालीन प्रधान श्री अमर पाल सिंह व तत्कालीन ग्राम सचिव श्री नाहर सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त अपुष्ट व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 98 ग्राम पंचायत- रूस्तमपुर सकतखां, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 129-**ग्राम पंचायत रूस्तमपुर सकतखां की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान सचिव श्री संजीव कुमार से अभिलेखों की मांग की गई। श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 (01.12.2016) से पूर्व का कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री संजीव कुमार द्वारा वर्ष 2016-17 (01.12.2016) से 2019-20 तक की कैशबुक्स व अन्य अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 (अप्रैल से लेकर नवम्बर तक) की कैशबुक्स व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। जिन वर्षों /व्ययों की कैशबुक्स व अन्य अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट फीडिंग व बैंक पासबुक से प्राप्त किये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार |
|---------|------|---------------------------------------|
|---------|------|---------------------------------------|

|   |                                                                | आय       | व्यय     |
|---|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2014-15                                                        | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 2 | 2015-16                                                        | 1278076  | 438234   |
| 3 | 2016-17 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार (01.04.2016 से 31.11.2016 तक) | 00       | 1441374  |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के आंकड़े ऑनलाईन फीडिंग में उपलब्ध नहीं हुये। इस प्रकार वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (अप्रैल से लेकर नवम्बर तक) में दर्शित व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त तालिका में दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। इसमें से वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री नाहर सिंह एवं वर्ष 2016-17 (अप्रैल से लेकर नवम्बर तक) के व्ययों के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती पार्वती देवी व तत्कालीन ग्राम सचिव श्री नाहर सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त अपुष्ट व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 99 ग्राम पंचायत- पडियावली, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 130-**ग्राम पंचायत पडियावली की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान सचिव श्री संजीव कुमार से अभिलेखों की मांग की गई। श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे इस ग्राम पंचायत का पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 से पूर्व का कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिसका उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री संजीव कुमार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की कैशबुके व अन्य अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 व 2015-16 की कैशबुके व अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए। वर्ष 2014-15 व 2015-16 की कैशबुके व अन्य अभिलेख प्राप्त न होने के कारण की स्थिति में ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार आय और व्यय के आंकड़े प्राप्त किये गये। जो निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2014-15 | 728887                                | 747040  |
| 2       | 2015-16 | 1096680                               | 419340  |
|         | योग     | 1825567                               | 1166380 |

उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2014-15 व 2015-16 तक में कुल व्यय रु० 1166380 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी वाउचर व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। इस प्रकार व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यतेन्द्रपाल सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नाहर सिंह दोषी व उत्तरदायी है अतः उक्त अपुष्ट व्यय रु० 1166380 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 100 ग्राम पंचायत- शाहपुर कुतुब, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 131-**ग्राम पंचायत शाहपुर कुतुब की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जिसके संबंध में वर्तमान सचिव श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा वर्ष 2018-19 व 2019-20 की केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्राप्त कराये गये है इसके अलावा उक्त अवधि के कोई भी अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसके संबंध में वर्तमान सचिव श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि इससे पूर्व के कोई भी अभिलेख पूर्व सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। इससे स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक 04 वर्षों के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए। शेष 02 वर्षों की कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही प्राप्त हुये हैं। अतः जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुये उनके आय-व्यय के आंकड़े ऑनलाईन प्रियासाफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज से प्राप्त किये गये उक्त 04 वर्षों 2014-15 से 2017-18 तक के व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | वर्ष    | व्यय के आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार |
|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 1       | 2014-15 | 1052515                                       |
| 2       | 2015-16 | 440135                                        |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 3 | 2016-17 | 1835842 |
| 4 | 2017-18 | 1487280 |
|   | योग     | 4815772 |

उक्त ऑनलाईन दर्शित व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी अर्थात् उक्त व्यय अपुष्ट रहे। उक्त में से वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह तथा वर्ष 2016-17 व 2017-18 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बबली व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी है अतः उक्त अपुष्ट व्ययों की ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 132-वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा केवल कैशबुकें व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुकों में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 की कैशबुकों में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | व्यय के आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |
|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 1       | 2018-19 | 2459005                                       |
| 2       | 2019-20 | 2454980                                       |
|         | योग     | 4913985                                       |

उक्त तालिका में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों से नहीं होती है। पत्रावलियों के अलावा दर्शित व्ययों की पुष्टि में अन्य कोई बिल/वाउचर/साक्ष्य, स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0वी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बबली व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। इसके संबंध में उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु0 4913985 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवसे कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

#### 101 ग्राम पंचायत- केशोपुर जोफरी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 133-ग्राम पंचायत केशोपुर जोफरी की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती स्वाती सिंह द्वारा मात्र 03 वर्ष 2017-18 से 2019-20 की कैशबुकें एवं निर्माण कार्य से संबंधित 07 फाईलें एवं बैंक स्टेटमेंट (01.04.2017 से 31.03.2020) तक ही उपलब्ध कराये गये हैं। शेष अन्य आपेक्षित अभिलेख चार्ज में प्राप्त न होने की बात कही गयी है इसके संबंध में एक लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा उक्त अभिलेखोंके अलावा अन्य कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुए। अतः जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उन वर्षों के आय-व्यय के आंकड़े ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज से प्राप्त किये गये हैं। जिनका आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2014-15 | 736098                                | 772385  |
| 2       | 2015-16 | 729911                                | 259214  |
|         | योग     | 1466009                               | 1031599 |



उक्त तालिका में दर्शित कुल व्यय ₹0 1031599 की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरिराज सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त अपुष्ट व्ययों की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 134-वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराजसे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ₹0 1293092 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सकी। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

प्रस्तर 135-ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेखों, जिसमें 03 वर्ष की कैशबुकें वर्ष 2017-18 से 2019-20 एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेंट तथा निर्माण कार्यों से संबंधित 07 निर्माण कार्य पत्रावलियां उपलब्ध हुई है। जिनकी जांच व समीक्षा में निम्न आपत्तियां पायी गई। पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | दर्शित निर्माण कार्य का नाम                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | बिन्नामी के मकान से जयप्रकाश के मकान तक सी०सी० रोड                                                                                                                                                 |
| 2        | वीरपाल सिंह के मकान से भोला के मकान तक सी०सी० रोड                                                                                                                                                  |
| 3        | पप्पू के घर से बिन्नामी के घर तक सी०सी० कार्य                                                                                                                                                      |
| 4        | रोहताश के मकान से लालाराम के खेत तक यू टाईप नाली निर्माण                                                                                                                                           |
| 5        | बिन्नामी के घर से भूप सिंह के घर तक सी०सी० कार्य                                                                                                                                                   |
| 6        | विक्रम के प्लाट से बहोरी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य                                                                                                                                         |
| 7        | मनोहर जोशी के घर से कालीचरण के घर तक ये निर्माण कार्य पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित है। जिसकी कैशबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई अतः इस पत्रावली का मिलान व जांच संभव नहीं हो सकी। |

उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में क्र०सं० 01 से लेकर 06 तक की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी- (क) पत्रावली में प्राक्कलन (एस्टीमेट) में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर तो पाये गये हैं लेकिन तकनीकी स्वकृति अंकित नहीं है। इसके अलावा पत्रावली में कार्य का प्रस्ताव, कार्ययोजना, अखबार की निविदा विज्ञप्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की एम०बी० (माप पुस्तिका), मजदूरी से संबंधित मस्टररोल, निर्माण कार्य से संबंधित तीन स्तर के फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। पत्रावलियों में संलग्न सामग्री पूर्ति आदेश एवं संलग्न सामग्री आपूर्ति के बिल/वाउचर में अंतर पाये गये हैं। आदेश व बिलों में तारीख तक अंकित नहीं है तथा किसी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। पत्रावलियों के अनुसार सामग्री आपूर्ति 01 लाख से अधिक की है लेकिन सामग्री खरीद की प्रक्रिया निविदा (टण्डर) की पद्धति के बजाय कुटेशन पद्धति से की गई है जो कि अनियमित व अमान्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपलब्ध निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों से कैशबुकों में दर्शाये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। कैशबुकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के व्ययों के विवरण निम्न प्रकार हैं-

| क्र०सं० | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2017-18 | 1250138                               | 1275896 |
| 2       | 2018-19 | 1938203                               | 1601560 |
| 3       | 2019-20 | 1939928                               | 2030595 |
|         | योग     | 5128269                               | 4908051 |

उक्त तालिका में दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों से नहीं होती है। पत्रावलियों के अलावा दर्शित व्ययों की पुष्टि में अन्य कोई बिल/वाउचर/साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये हैं। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। इसके संबंध में उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को

अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार रु0 4908051 को अपहरण मानते हुए इसकी व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 03

#### 102 ग्राम पंचायत-इब्राहिमपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 136**-ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। इससे पूर्व के वर्षों के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके संबंध में पूर्व में तैनात सचिवों द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 के ही अभिलेख चार्ज में दिये गये थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा अभिलेख चार्जमें नहीं दिये गये थे। जिन वर्षों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए उनके आय-व्यय के आकड़े ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग/ई-स्वराज से प्राप्त किये गये। उक्त 03 वर्षों 2014-15 से 2016-17 तक के आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आंकड़े ई-स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार |         |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |         | आय                                    | व्यय    |
| 1       | 2014-15 | 796270                                | 1074615 |
| 2       | 2015-16 | 825635                                | 377169  |
| 3       | 2016-17 | 1168476                               | 638400  |
|         | योग     | 2790381                               | 2090184 |

उक्त ऑनलाईन दर्शित व्ययों की पुष्टि, अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी अर्थात उक्त व्यय अपुष्ट रहे। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे ऑडिट हेतु व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये। उक्त तालिका में दर्शित व्ययों में से वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए तत्कालीन प्रधान श्री भोजराज एवं तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह तथा वर्ष 2016-17 के लिए तत्कालीन प्रधान श्री छत्रपाल सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 103 ग्राम पंचायत- कलुआ, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 137**-ग्राम पंचायत कलुआ की वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जानी थी। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 की कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/वाउचर व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव श्री अमर सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं। उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

| क्र0 सं0 | विवरण           | व्यय धनराशि |
|----------|-----------------|-------------|
| 1        | मटेरियल         | 2075026     |
| 2        | मजदूरी          | 267900      |
| 3        | हैण्डपम्प कार्य | 128930      |
| 4        | विविध           | 27684       |
|          | योग             | 2499540     |

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 2499540 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल अपुष्ट व्यय ₹0 2499540 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की व्याजसहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

#### 104 ग्राम पंचायत- बीलपुरा, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 138-ग्राम पंचायत बीलपुरा के निधि खाता से वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2011-12 | 147006       |
| 2       | 2012-13 | 282261       |
| 3       | 2013-14 | 391814       |
| 4       | 2014-15 | 423603       |
| 5       | 2015-16 | 261867       |
|         | योग     | 1506551      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत ₹0 1506551 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अतिन वाष्णैय एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा पचौरी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 22

प्रस्तर 139-ग्राम पंचायत बीलपुरा के निधि खाता से वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2016-17 | 606500       |
| 2       | 2017-18 | 463700       |
| 3       | 2018-19 | 1035939      |
| 4       | 2019-20 | 884684       |
|         | योग     | 2990823      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत ₹0 2106139 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री अतिन वाष्णैय एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा पचौरी एवं ₹0 884684 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीयशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा पचौरी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 23

**प्रस्तर 140-**ऑनलाईन फीडिंग में वर्ष 2018-19 में अंतिम शेष रु0 181215 की प्रविष्टि है, जबकि वर्ष 2019-20 में प्रारम्भिक अवशेष रु0 1707.92 दर्शित है। इस प्रकार रु0 136766 अन्तर रहा। उक्त अन्तर रु0 179508 के आहरण एवं व्यय की प्रविष्टि न कर सीधे धन का अपहरण किया जाना दर्शाता है। इस अंतर की स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित रहा। अन्यथा की स्थिति में रु0 179508 की व्याजसहित वसूली श्री यशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा पचौरी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 24

**105 ग्राम पंचायत- नगला आलिया, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़**

**प्रस्तर 141-**ग्राम पंचायत नगला आलिया के निधि खाता से वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2012-13 | 320783       |
| 2       | 2013-14 | 300150       |
| 3       | 2014-15 | 259759       |
| 4       | 2015-16 | 248583       |
|         | योग     | 1129275      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु0 1129275 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अतिन वाष्ण्य एवं तत्कालीन प्रधान श्री हरिप्रसाद से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- पैरा-1/ 26

**प्रस्तर 142-**ग्राम पंचायत नगला आलिया के निधि खाता से वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र0सं0 | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2016-17 | 594349       |
| 2       | 2017-18 | 1125530      |
| 3       | 2018-19 | 769122       |
|         | योग     | 2489001      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु0 2489001 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अतिन वाष्ण्य एवं तत्कालीन प्रधान श्री चोब सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- पैरा-3/ 27

**प्रस्तर 143** वर्ष 2018-19 में अंतिम शेष रु0 597880 है, जबकि वर्ष 2019-20 में प्रारम्भिक अवशेष रु0 461114 दर्शित है। जबकि कोई व्यय दर्शित नहीं है। इस प्रकार अन्तर रु0 136766 होता है। इस अंतर की स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित रहा। अन्यथा की स्थिति में रु0 136766 की वसूली श्री अतिन वाष्ण्य तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री चोब सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- पैरा-5/ 29

प्रस्तर 144-दिनांक 01.04.2019 को चेक संख्या 850114 ₹0 5000, चेक संख्या- 850113 ₹0 14000 कुल ₹0 19000 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार है। कैशबुक वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक अवशेष में आहरित चेक भी दर्शित नहीं है और कैशबुक में आय एवं व्यय पक्ष में उनका आहरण एवं व्यय भी दर्शित नहीं है। इस स्थिति से उक्त धनराशि का सीधे आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः ₹0 19000 की वसूली श्री अतिन वाष्ण्य तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान श्री चोब सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- पैरा-2/ 28

106 ग्राम पंचायत- अलीपुर सेसई, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 145-ग्राम पंचायत अलीपुर सेसई के निधि खाता से वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र०सं० | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2012-13 | 136819       |
| 2       | 2013-14 | 186802       |
| 3       | 2014-15 | 253087       |
| 4       | 2015-16 | 754469       |
|         | योग     | 3131177      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत ₹0 3131177 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रवीण कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 25

प्रस्तर 146-ग्राम पंचायत अलीपुर सेसई के निधि खाता से वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक निम्न प्रकार वर्षवार धनराशि का आहरण किया गया।

| क्र०सं० | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2016-17 | 149965       |
| 2       | 2017-18 | 1167522      |
| 3       | 2018-19 | 1553440      |
|         | योग     | 2870927      |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत ₹0 2870927 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रवीण कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 26

107 ग्राम पंचायत-दरी अलावलपुर, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 147-ग्राम पंचायत दरी अलावलपुर की ऑनलाईन लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की गई। उक्त अवधि के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक दर्शित वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है-

| क्र०सं० | वर्ष    | आहरित धनराशि |
|---------|---------|--------------|
| 1       | 2016-17 | 516824.18    |
| 2       | 2017-18 | 77454.00     |
| 3       | 2018-19 | 1052968.00   |
| 4       | 2019-20 | 1185872.00   |
|         | योग     | 2833118.18   |

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु० 2833118.18 में से रु० 164746.18 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रवीण कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं रु० 1185872 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री यशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती उषा देवी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या-23

प्रस्तर 148-ऑनलाईन फीडिंगवर्ष 2018-19 में अंतिम शेष रु० 704280.94 व नकद रु० 1486 की प्रविष्टि है, जबकि वर्ष 2019-20 में प्रारम्भिक अवशेष रु० 281170.30 व नकद रु० 1485 दर्शित है। इस प्रकार अन्तर रु० 423111.64 होता है। इस अंतर की धनराशि का कोई आहरण एवं सापेक्ष व्यय को न दर्शाकर सीधे अपहरण किया जाना दर्शाता है। अतः रु० 423111.64 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री यशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती उषा देवी से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 24

108ग्राम पंचायत- मुजफ्फरा, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 149-ग्राम पंचायत मुजफ्फरा में वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक के अनुसार रु० 605788 का आहरण किया गया जिसमें से बैंक कटौती रु० 53 रही। शेष धनराशि रु० 605735 में निर्माण सामग्री रु० 138516, मजदूरी पर व्यय रु० 54000, हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 371794, मानदेय पर रु० 35000 एवं अन्य व्यय रु० 6425 का व्यय दर्शाया गया। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रु० 605735 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री यशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती नीतू यादव से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- पैरा-1/ 25

109ग्राम पंचायत- कंचनपुर, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 150-दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक माह जुलाई एवं अगस्त 2019 में रु० 2289830.50 आहरित धनराशि में रु० 265.50 बैंक कटौती है जिसे घटाने के उपरान्त रु० 228718 का आहरण किया गया जिसका दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| दिनांक     | चेक संख्या | धनराशि | व्यय का विवरण                                                                     |
|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 05.07.2019 | 292708     | 31020  | मेन खड्गजा से प्रेमपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य की मजदूरी भुगतान               |
| 05.07.2019 | 292709     | 3078   | मेन खड्गजा से प्रेमपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु मिट्टी कार्य का भुगतान    |
| 05.07.2019 | 292710     | 174400 | मेन खड्गजा से प्रेमपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति का भुगतान |
| 09.07.2019 | 292713     | 10500  | प्रधान मानदेय                                                                     |

|            |        |        |                            |
|------------|--------|--------|----------------------------|
| 31.07.2019 | 292711 | 5000   | प्रशासनिक कार्य पर व्यय    |
| 09.08.2019 | 292714 | 4720   | सिगनेचर डिवाइस हेतु भुगतान |
| योग        |        | 228718 |                            |

उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- इंटरलॉकिंग कार्य का प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना स्पष्ट होता है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रू0 228718 की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अतिन बाण्य एवं तत्कालीन प्रधान श्री पंकज कुमार से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 01

#### 110 ग्राम पंचायत- हैबतपुर, विकास खण्ड- विजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 151-ग्राम पंचायत हैबतपुर कोटरा की वर्ष 2019-20 की ऑनलाईन लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि रू0 877760 के सापेक्ष हुए व्यय को दर्शाया गया। निधि- 1 की बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं होती। दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | व्यय का विवरण                   | धनराशि |
|---------|---------------------------------|--------|
| 1       | प्रधान मानदेय                   | 28000  |
| 2       | अन्य व्यय                       | 15425  |
| 3       | निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री | 656466 |
| 4       | निर्माण कार्य में व्यय मजदूरी   | 105903 |
| 5       | हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर          | 71966  |
|         | योग                             | 877760 |

उक्त व्यय के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु व्यय मजदूरी रू0 105903 का भुगतान श्रमिक खाते में न कर एक ही खाते में दर्शित कार्य के अनुसार किया गया है। श्रमिक भुगतान के समय पी0एफ0एम0एस0 लागू हो चुका था। जिसके अन्तर्गत सरकार की मंशा श्रमिकों के संबंधित खातों में सीधे भुगतान हेतु लागू की गई। इस प्रकार किया गया व्यय पूर्णतः नियमों के विपरीत एवं संदिग्ध है। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों की पुष्टि में अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, क्रय सामग्री के बाउचर, मजदूरी से संबंधित मस्टरोल, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्ड पम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल की सूची, हैण्डपम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र, आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है एवं उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं आहरित धनराशि को मात्र समायोजित कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत रू0 877760की व्याजसहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री यशपाल एवं तत्कालीन प्रधान श्री दंगल सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 22

#### 111 ग्राम पंचायत- सिरकुरा, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 152-ग्राम पंचायत सिरकुरा की लेखा परीक्षा में 2019-20 तक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रयाप्त समय देने के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1811992का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राक्कलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की

प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1822992 की व्याजसहित वसूली श्री विनोद शर्मा, सचिव एवं श्री चन्दन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

#### 112 ग्राम पंचायत- सिमरधरी, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 153-**ग्राम पंचायत सिमरधरी की लेखा परीक्षा में 2018-19 एवं 2019-20 तक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रयाप्त समय देने के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 1355958 एवं वर्ष 2019-20 में रु0 2199962 कुल रु0 3555920 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 3555920 की व्याजसहित वसूली श्री विनोद शर्मा, सचिव एवं श्री लक्ष्मण प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

#### 113 ग्राम पंचायत- सीतापुर, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

**प्रस्तर 154-**ग्राम पंचायत सीतापुर की लेखा परीक्षा में 2018-19 एवं 2019-20 तक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रयाप्त समय देने के उपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 1039916 एवं वर्ष 2019-20 में रु0 2720341 कुल रु0 3760257 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 3760257 की व्याजसहित वसूली श्री विनोद शर्मा, सचिव एवं श्री नवल सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**114 ग्राम पंचायत- सुभाष ग्राम, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़**  
**प्रस्तर 155-**ग्राम पंचायत सुभाष ग्राम की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2010-11      | 456679       |
| 2       | 2011-12      | 539982       |
| 3       | 2012-13      | 1161660      |
| 4       | 2013-14      | 1745295      |
| 5       | 2014-15      | 1167161      |
| 6       | 2015-16      | 1035177      |
|         | योग          | 6105942      |



वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल आहरित रु0 6105942 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 6105942 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव, सचिव एवं श्री जितेन्द्र प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

#### आपत्ति संख्या- 11

प्रस्तर 156-ग्राम पंचायत सुभाष ग्राम की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2016-17      | 669828       |
| 2       | 2017-18      | 4359871      |
| 3       | 2018-19      | 4436209      |
|         | योग          | 9465908      |

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल आहरित रु0 9465908 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 9465908 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव, सचिव एवं श्रीमती रजनी देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

#### आपत्ति संख्या- 12

प्रस्तर 157-ग्राम पंचायत सुभाष ग्राम की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल आहरित रु0 4125617 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 4125617 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव, सचिव एवं श्रीमती रजनी देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

#### आपत्ति संख्या- 13

115 ग्राम पंचायत- नयाबास, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़ प्रस्तर 158-ग्राम पंचायत नयाबास की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2010-11      | 337191       |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 2 | 2011-12 | 640525  |
| 3 | 2012-13 | 2396363 |
| 4 | 2013-14 | 1443032 |
| 5 | 2014-15 | 1150207 |
| 6 | 2015-16 | 762827  |
|   | योग     | 6730145 |

वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल आहरित रू0 6730145 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रू0 6730145 की व्याजसहित वसूली श्री बिहारी लाल, सचिव एवं श्रीमती गिरिजा देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 26

**प्रस्तर 159-**ग्राम पंचायत नयाबास की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2016-17      | 1886334      |
| 2       | 2017-18      | 2595843      |
|         | योग          | 4482177      |

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक कुल आहरित रू0 4482177 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रू0 4482177 की व्याजसहित वसूली श्री बिहारी लाल, सचिव एवं श्रीमती भूरी देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 27

**116** ग्राम पंचायत- कजरौठ, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़ प्रस्तर 160-ग्राम पंचायत कजरौठ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2010-11      | 328566       |
| 2       | 2011-12      | 486390       |
| 3       | 2012-13      | 907856       |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 4 | 2013-14 | 1382674 |
| 5 | 2014-15 | 898013  |
| 6 | 2015-16 | 50605   |
| 7 | 2016-17 | 1446175 |
| 8 | 2017-18 | 3238737 |
|   | योग     | 8739016 |

वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक कुल आहरित रु0 8739016 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 8739016 की व्याजसहित वसूली श्री सुशील गोयल एवं विनोद शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री कुमोद सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

#### आपत्ति संख्या-28

प्रस्तर 161-ग्राम पंचायत कजरौठ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से माह फरवरी 2019 तक कुल व्यय रु0 4362487 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से माह फरवरी 2019 तक कुल व्यय रु0 4362487 आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 4362487 की व्याजसहित वसूली श्री सुशील गोयल एवं विनोद शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री कुमोद सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

#### आपत्ति संख्या- 26

117ग्राम पंचायत- अरनिया ख्वाजा राजू, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़ प्रस्तर 162-ग्राम पंचायत अरनिया ख्वाजा राजू की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2010-11      | 55050        |
| 2       | 2011-12      | 192995       |
| 3       | 2012-13      | 382012       |
| 4       | 2013-14      | 401238       |
| 5       | 2014-15      | 7820436      |
| 6       | 2015-16      | 270251       |
|         | योग          | 2021982      |

वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल आहरित रु0 2021982 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 2021982 की व्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव तत्कालीन सचिव एवं श्री अजयपाल सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**प्रस्तर 163-**ग्राम पंचायत अरनिया ख्वाजा राजू की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2016-17      | 908541       |
| 2       | 2017-18      | 378842       |
| 3       | 2018-19      | 2025134      |
| 4       | 2019-20      | 1058332      |
|         | योग          | 4029849      |

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल आहरित रु0 4029849 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 4029849 की व्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रामवती प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 12

**118** ग्राम पंचायत- हैबतपुर, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़ प्रस्तर 164-ग्राम पंचायत हैबतपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में रु0 1777452 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1777452 की व्याजसहित वसूली श्री बिहारी लाल तत्कालीन सचिव एवं श्री आदित्य कुमार, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 26

**प्रस्तर 165-**लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.2019 से 31.07.2019 तक रु0 389214 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0वी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 389214 की व्याजसहित वसूली श्री बिहारी लाल

तत्कालीन सचिव एवं श्री आदित्य कुमार, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 27

**119ग्राम पंचायत- जैथौली, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़प्रस्तर 166-**ग्राम पंचायत जैथौली की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पंत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2010-11      | 135780       |
| 2       | 2011-12      | 122175       |
| 3       | 2012-13      | 1018959      |
| 4       | 2013-14      | 1042121      |
| 5       | 2014-15      | 824348       |
| 6       | 2015-16      | 305907       |
|         | योग          | 3449290      |

वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कुल आहरित रू0 3449290 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पंत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दोरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रू0 3449290 की व्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुदेश देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**प्रस्तर 167-**ग्राम पंचायत जैथौली की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पंत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2016-17      | 967899       |
| 2       | 2017-18      | 1164987      |
| 3       | 2018-19      | 2738078      |
| 4       | 2019-20      | 1506860      |
|         | योग          | 6377824      |

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल आहरित रू0 6377824 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पंत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दोरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 6377824 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द यादव तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती विमलेश देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 12

**120** ग्राम पंचायत- माकरोल, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़प्रस्तर 168-ग्राम पंचायत माकरोल की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के कोई भी अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वर्षवार आहरण कर व्यय किया गया का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2018-19      | 1058454      |
| 2       | 2019-20      | 964671       |
|         | योग          | 2023125      |

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के कुल आहरित रु0 2023125 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 2023125 की ब्याजसहित वसूली श्री विनोद शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री नरेश कौशिक प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**121** ग्राम पंचायत- भौरा गौरवा, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़प्रस्तर 169-ग्राम पंचायत भौरा गौरवा की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2018 से 31.07.2018 तक रु0 1276573 का आहरण कर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1276573 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री जितेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**122** ग्राम पंचायत- बरौठ, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़प्रस्तर 170-ग्राम पंचायत बरौठ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में रु0 853679 एवं वर्ष 2019-20 में रु0 1036909 कुल आहरित रु0 1890588 का आहरण कर व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1890588 की ब्याजसहित वसूली श्री अरविन्द सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री जितेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

**123** ग्राम पंचायत- बहादुरपुर, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़प्रस्तर 171-ग्राम पंचायत बहादुरपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 में रु0 1036909 आहरित कर व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष पर्याप्त समय के उपरान्त भी आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टरोल, एवं हैण्डपम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की प्रार्थनापत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी

का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1036909 की वसूली श्री अरविन्द सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री जितेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख न होने की स्थिति में अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(ख) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 11

124 ग्राम पंचायत- भरतपुर, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़ प्रस्तर 172- वर्ष 2018-19 में निम्न लिखित निर्माण कार्य कराये गये जिसमें गम्भीर कमियां पायी गयी है। निर्माण कार्य एवं उन पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                         | दर्शित व्यय की सामग्री | मजदूरी पर व्यय | योग    |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| 1        | बच्चू सिंह के घर से लाहौर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य | 144120                 | 26780          | 170900 |
| 2        | धर्मवीर से रघुवीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य         | 282963                 | 40180          | 323143 |
| 3        | चन्द्रपाल से संदेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य        | 155305                 | 29530          | 184835 |
|          | योग                                                  | 582388                 | 96490          | 678878 |

क- उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में कार्यों के स्टीमेट जो कि कम्प्यूटर से प्रिंट कर एवं उनको किसी अवर अभियन्ता/अभियन्ता द्वारा न तैयार/स्वीकृत न कराकर स्वयं ही स्वीकृत कर काल्पनिक तकनीकी स्वीकृति संख्या डालकर इस कार्य हेतु दिगभूमित किया गया।

ख- टेण्डर हेतु विज्ञप्ति किस समाचार पत्र में निकाली गई इससे संबंधित क्या शर्तें रही संबंधी कोई भी नोटिस पत्रावली में अप्राप्त रही। यह स्थिति दर्शाती है कि टेण्डर हेतु विज्ञप्ति न छपवाकर इसकी खाना पूर्ति हेतु काल्पनिक टेण्डर तैयार कर पत्रावली पूर्ण की गई। टेण्डर के साथ फर्मों के चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहे और न ही धरोहर राशि प्राप्ति की गई।

ग- कराये गये कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, मस्टरोल पर मात्र मजदूरी की मात्र धनराशि अंकित रही परंतु मजदूरों का नाम आदि अंकित नहीं पाये गये और न ही प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये गये। एम0बी0 कम्प्यूटर निर्मितपर अभियन्ता के स्थान पर स्वयं सचिव श्री सुशील कुमार गोयल द्वारा हस्ताक्षरित कर कार्य होने की मात्र खाना पूर्ति की गई। इस स्थिति में कराये गये कार्यों की पुष्टि प्रमाणकों के स्थान पर कूट रचित तरीके से तैयार कर आहरित धनराशि को मात्र समायोजित मात्र दर्शाकर आहरित धनराशि का अपहरण किया गया। एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये।

अतः ₹0 679978 की व्याजसहित वसूली श्री सुशील कुमार गोयल तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रूपेश देवी से किया जाना अपेक्षित है एवं प्रमाणकों को फर्जी तरीके से तैयार किये जाने हेतु विभागीय अवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। आपत्ति संख्या- 22

प्रस्तर 173-दिनांक 31.03.2018 को नकद अवशेष एवं दिनांक 01.08.2018 से 31.01.2019 तक नकद आहरित कर नकद भुगतान किया गया दर्शित है। व्यय का पूर्ण विवरण अंकित नहीं रहा एवं किसको भुगतान किया गया अज्ञात रहा। संबंधित व्ययों के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। आहरित एवं भुगतान दर्शित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र० सं० | दिनांक                | धनराशि | व्यय का विवरण      | दर्शित व्यय धनराशि | अभ्युक्ति/नकद शेष |
|----------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1        | 31.03.2018 को नकद शेष | 3000   | हैण्डपम्प मरम्मत   | 3000               | प्रमाणक अप्राप्त  |
| 2        | 09.08.2018            | 20000  | इंटरलॉकिंग ईट क्रय | 108570             | प्रमाणक अप्राप्त  |
| 3        | 10.08.2018            | 10000  | नल मरम्मत          | 9056               | प्रमाणक अप्राप्त  |
| 4        | 13.08.2018            | 20000  |                    |                    |                   |
| 5        | 16.08.2018            | 17000  |                    |                    |                   |
| 6        | 10.08.2018            | 3500   |                    |                    |                   |
| 7        | 20.08.2018            | 5000   |                    |                    |                   |
| 8        | 21.08.2018            | 27000  |                    |                    |                   |
| 9        | 27.08.2018            | 15000  |                    |                    |                   |

|    |            |        |                             |        |      |
|----|------------|--------|-----------------------------|--------|------|
| 10 | 28.08.2018 | 10000  |                             |        |      |
|    | योग        | 130500 | कुल दर्शित व्यय             | 121426 | 9074 |
| 1  | 07.09.2019 | 20000  | सामग्री क्रय दर्शित         | 62373  |      |
| 2  | 14.09.2019 | 15000  | फोटो स्टेट                  | 90     |      |
| 3  | 15.09.2019 | 5000   |                             |        |      |
| 4  | 25.09.2019 | 22000  |                             |        |      |
|    | योग        | 62000  | कुल दर्शित व्यय             | 62453  | 8621 |
| 1  | 24.10.2018 | 5000   | मानेदय                      | 10500  |      |
| 2  | 29.10.2018 | 5000   | दीवार लेखन                  | 4500   |      |
|    | योग        | 10000  | कुल दर्शित व्यय             | 15000  | 4074 |
| 1  | 01.11.2018 | 25000  | नल मरम्मत                   | 15214  |      |
| 2  | 12.11.2018 | 12250  | खम्भे खरीद ढुलाई व लगार्ई   | 27750  |      |
| 3  | 14.11.2018 | 3500   | चारा हेतु बीज               | 6000   |      |
| 4  | 16.11.2018 | 7000   | शौचालय डबलेटिंग ईट व मजदूरी | 25775  |      |
| 5  | 20.11.2018 | 5000   |                             |        |      |
| 6  | 26.11.2018 | 20000  |                             |        |      |
| 7  | 27.11.2018 | 24000  |                             |        |      |
|    | योग        | 96750  | कुल दर्शित व्यय             | 74734  | 2085 |
| 1  | 01.12.2018 | 89000  | सामग्री क्रय                | 82300  |      |
| 2  | 19.12.2018 | 3500   | मजदूरी                      | 16700  |      |
| 3  | 31.12.2018 | 5000   |                             |        |      |
|    | योग        | 97500  | कुल व्यय                    | 99000  | 585  |
| 1  | 04.01.2019 | 2000   | लोहा खरीद                   | 40100  |      |
| 2  | 05.01.2019 | 49000  | वायर मैश का भुगतान          | 42380  |      |
| 3  | 10.01.2019 | 5000   | भाड़ा                       | 7000   |      |
| 4  | 11.01.2019 | 22000  | सामग्री क्रय                | 40380  |      |
| 5  | 15.01.2019 | 4000   | गौशाला निर्माण हेतु लोहा    | 99841  |      |
| 6  | 16.01.2019 | 48500  | ढुलाई                       | 4000   |      |
| 7  | 23.01.2019 | 99000  | फाउण्डेशन हेतु सरिया        | 5204   |      |



|   |            |        |                     |        |  |
|---|------------|--------|---------------------|--------|--|
| 8 | 29.01.2019 | 65000  | जनरेटर भाड़ा व डीजल | 21000  |  |
| 9 | 31.01.2019 | 6000   | मिट्टी भराव         | 9975   |  |
|   |            |        | लोहा क्रय           | 17200  |  |
|   |            |        | फैब्रिकेशन चार्ज    | 24000  |  |
|   | योग        | 300500 | कुल दर्शित व्यय     | 311085 |  |
|   | कुल योग    | 697250 | कुल व्यय            | 683698 |  |

उक्त विवरण के अनुसार नकद शेष 31.10.2018 को 3621 के स्थान पर 4074, दिनांक 30.11.2018 को 25634 के स्थान पर रू0 2085, दिनांक 31.12.2018 को रू0 24137 के स्थान पर रू0 585 एवं 31.01.2019 को 13552 के स्थान पर शून्य दर्शाया गया। इस प्रकार से आहरित धनराशि के सापेक्ष मात्र व्यय दर्शाकर एवं नकद शेष को त्रुटिपूर्ण दर्शाकर अपहरण कर लिया गया। नियमों के विपरीत नकद आहरित कर नकद भुगतान करना दर्शाया गया एवं उसके कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। अतः कुल आहरित धनराशि रू0 697250 की वसूली श्री सुशील गोयल, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रूपेश देवी तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 23

**प्रस्तर 174-** वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध नहीं। उसके व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आहरित धनराशिका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2011-12      | 266054       |
| 2       | 2012-13      | 116983       |
| 3       | 2013-14      | 484760       |
| 4       | 2014-15      | 286629       |
| 5       | 2015-16      | 442119       |
|         | योग          | 1596545      |

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष संबंधित कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाण यथा- निर्माण कार्य पत्रावलिया, व्यय वाउचर, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के फोटो, हैण्डपम्प बनवाने हेतु जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति एवं हैण्डपम्प के स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक आहरित रू0 1596545 की वसूली मय ब्याज सहित श्री नरोत्तम गुप्ता, तत्कालीन सचिव एवं श्री अजय सिंह, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 24

**प्रस्तर 175-** वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक मात्र कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध नहीं। उसके व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आहरित धनराशिका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | आहरित धनराशि |
|---------|--------------|--------------|
| 1       | 2016-17      | 455273       |
| 2       | 2017-18      | 1707315      |
|         | योग          | 2162588      |

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष संबंधित कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाण यथा- निर्माण कार्य पत्रावलिया, व्यय वाउचर, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के फोटो, हैण्डपम्प बनवाने हेतु जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति एवं हैण्डपम्प के स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक आहरित रू0 2162588 की वसूली मय ब्याज सहित श्री नरोत्तम गुप्ता, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रूपेश देवी, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रारूप -4****वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 :- ग्राम पंचायतें****संस्था का नाम- ग्राम पंचायतें****जनपद- एटा****मण्डल- अलीगढ़****ग्राम पंचायत भमौरा, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।**

**प्रस्तर 01:-** वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 735569.00 आहरित किए गए हैं, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता और ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत मोहकमपुर, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।**

**प्रस्तर 02:-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 971993.00 आहरित किए हैं, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अनार सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत सरौठ पछायां, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।**

**प्रस्तर 03-**लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 501500.00 आहरित किए गये हैं, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी -आधी ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक कुमार से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**ग्राम पंचायत बरौलिया, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।**

**प्रस्तर 04-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 976157.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए, इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार से एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक कुमार से रुपये की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**ग्राम पंचायत सहोरी, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।**

**प्रस्तर 05-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 8941608.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं



**प्रस्तर 10-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 448923.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री प्रेम शंकर एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, मंडनपुर, विकास खण्ड, अवागढ, जिला एटा।**

**प्रस्तर 11-**वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 05.03.2020 को रु 48000.00 का भुगतान मिट्टी कार्य पर श्री ओमपाल तत्कालीन प्रधान द्वारा स्वयं धनराशि का आहरण कर रसीद द्वारा धन प्राप्त करना दर्शाया गया है। जबकि संबंधित भुगतान नियमानुसार मिट्टी कार्य पर लगे मजदूरों को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये था तथा लेखा परीक्षा के दौरान उक्त धनराशि से संबंधित प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि धन का दुरुपयोग कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति प्रधान श्री धरमवीर,सचिव श्री राघवेन्द्र उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत, सकतपुर, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 12-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 1455280.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामादेवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, चपरई, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 13-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 1572873.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, राजकोट, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 14-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 1130791.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, सलेमपुर खेडिया, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 15-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 2708137.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती विद्योतमा एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, नगला हम्मीर, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 16-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 766784.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री कल्याण सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, चांदपुर लोकसपुर, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।**

**प्रस्तर 17-** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 1191109.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामबाबू एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

**ग्राम पंचायत, बमनई, विकास खण्ड, निधौली कलां, जिला एटा।**

**प्रस्तर 18-**आलोच्य वर्ष में दिनांक 20.3.2020 को गोगा सप्लायर्स को स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु ₹0 72000.00 का भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं जिनके लिए प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्योति से तातारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर 19-**आलोच्य वर्ष में दिनांक 02.12.2019 को पोलेक्स इंटरनेशनल को सोलर लाईट मरम्मत हेतु ₹0 46900.00 का भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं जिनके लिए प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्योति से तातारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत, भडैरा, विकास खण्ड, निधौली कलां, जिला एटा।**

**प्रस्तर 20-** आलोच्य वर्ष में दिनांक 20.01.2020 को एस0के0 इलैक्ट्रिकल को स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु ₹0 207000.00 का भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं जिनके लिए प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। ग्राम प्रधान श्री भीष्मपाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री हेमंत कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**ग्राम पंचायत, धौलेश्वर ,विकास खण्ड, निधौली कलां, जिला एटा।**

**प्रस्तर 21-** आलोच्य वर्ष में धौलेश्वर मण्डी समिति की बाउण्ड्रीवाल का मरम्मत कार्य हेतु ₹0 476000.00 का व्यय तथा धौलेश्वर मण्डी समिति की रंगाई पुताई व समरसेबल कार्य पर ₹0 174000.00 एवं सुशील के खेत तक खडंजा/नाली निर्माण कार्य पर ₹0 248400.00 व्यय किया गया है इस प्रकार कुल ₹0 898400.00 व्यय किया गया परन्तु इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई





**प्रस्तर 31-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 172940.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे धनराशि की पुष्टि न की जा सकी जिसके प्रति प्रधान सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुधाकर किशोर से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर 32-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.07.2019 को ₹0 69794.00 का भुगतान श्रीमती नीरज तत्कालीन प्रधान द्वारा स्वयं धनराशि का आहरण कर रसीद द्वारा धन प्राप्त करना दर्शाया गया है। जबकि संबंधित मस्टररोल द्वारा मजदूरी के खुले बैंक खातों के माध्यम से किया जाना था। तथा इसके अतिरिक्त कोई प्रमाणक भी लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया इससे यह प्रतीत होता है कि धन का दुरुपयोग कर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुधाकर किशोर से की जानी अपेक्षित रही।

**ग्राम पंचायत, दलशाहपुर विकास खण्ड, अवागढ़, जिला एटा।**

**प्रस्तर 33-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 100352.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे धनराशि की पुष्टि न की जा सकी ऐसा प्रतीत होता है वित्तीय गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राघवेंद्र से की जानी अपेक्षित रही।

**ग्राम पंचायत, कपरैटा विकास खण्ड, निधाली कलां, जिला एटा।**

**प्रस्तर 34-** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 1761103.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1761103.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 880551.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू से तथा शेष 50 प्रतिशत 880551.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री जाकिर हुसैन से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

**ग्राम पंचायत, शहबाजपुर विकास खण्ड, निधाली कलां, जिला एटा।**

**प्रस्तर 35-** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 1620310.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टररोल ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1620310.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 810155.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सददान खान से तथा शेष 50 प्रतिशत 810155.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री हेमन्त से नियमानुसार वसूल की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**ग्राम पंचायत सुन्ना सिहोरी विकास खण्ड निधाली कलां जिला एटा।**

**प्रस्तर 36-** आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.12.2019 को ₹0 80192.00 का भुगतान किया गया है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर ₹0 91710.00 का व्यय दर्शित है इस प्रकार कैश बुक में ₹0 11518.00 कम व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रेनू तकाथ से की जानी अपेक्षित रही।



ग्राम पंचायत नगला गलू विकास खण्ड निधाली कलां जिला एटा।

**प्रस्तर 37:-** आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.03.2020 को ₹0 7245.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 से किया गया है परन्तु कैशबुक में प्रविष्टि नहीं करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए सचिव/प्रधान उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऐवरन सिंह से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत साधा नवीपुर विकास खण्ड जलेसर जिला एटा।

**प्रस्तर 38:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2268464.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राक्कलन, एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्ड पम्पो की स्थलवार सूची, ग्राम वासियो द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्ड पम्प सही होने का प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन ₹0 2268464.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती कस्तूरी देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत समसपुर विकास खण्ड जलेसर जिला एटा।

**प्रस्तर 39:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2621923.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिसमें प्राक्कलन एम0बी0 कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ययोजना प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम वासियो द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्ड पम्प सही होने का प्रमाण जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन ₹0 2621923.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उंचागांव विकास खण्ड जलेसर जिला एटा।

**प्रस्तर 40:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 दिनांक 23.02.2020 को ग्राम पंचायत उंचागांव में सीमेंटबालू की खरीद की गई किन्तु प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन ₹0 187247.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री राम बाबू एवं तत्कालीन सचिव श्री मुज्जमिल खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, करहला कासिमपुर, विकास खण्ड, जलेसर, जिला एटा।

**प्रस्तर 41:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत करहला कासिमपुर में तिथियों में मिटटी कार्य हेतु प्रधान श्री कायम सिंह का नकद भुगतान रुपये 73008.00 किया गया किन्तु प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया विवरण निम्न प्रकार है। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री लायक सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री मेघ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

|    |    |                                 |    |
|----|----|---------------------------------|----|
| -  | -  | भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम | -  |
| 01 | 01 | श्री कायम सिंह                  | 01 |
| 02 | 01 | श्री कायम सिंह                  | 01 |
| -  | -  | श्री कायम सिंह                  | 01 |

ग्राम पंचायत, सिकन्दरपुर मढी, विकास खण्ड, जलेश्वर, जिला एटा।

**प्रस्तर 42:-** लेखा परीक्षा वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 दिनांक 23.09.2019 को ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर मढी में स्ट्रीट लाइट पर ₹0 45000.00 का व्यय किया गया किन्तु प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रीति देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विनेश कौशिक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, सौहार, विकास खण्ड, सकीट, जिला एटा।

**प्रस्तर 43:-**लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता 01 से रुपये 2182055.00 आहरित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां(कार्ययोजना,कार्य आदेश,तकनीकी,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र,टेंडर/कोटेशन प्रपत्र,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए । इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है । वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही,जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मधु कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अवेनेन्द्र शर्मा से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

## वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 :- ग्राम पंचायतें

### जनपद- हाथरस

### मण्डल- अलीगढ़ प्रारूप -4

#### 01- ग्राम पंचायत-अगसौली, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ, जनपद - हाथरस

**प्रस्तर 01-** वर्ष 2019-20 में न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को कूटरचना करके अस्वीकार करना, व अधिक कीमत का प्रस्ताव करने वाले का नियम विरुद्ध तरीके से प्रस्ताव स्वीकार करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 147859.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**प्रस्तर 02-** वर्ष 2019-20 में न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को कूटरचना करके अस्वीकार करना, व अधिक कीमत का प्रस्ताव करने वाले का नियम विरुद्ध तरीके से प्रस्ताव स्वीकार करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 491296.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-02)

**प्रस्तर 03-** वर्ष 2019-20 में अवमानक सामग्री का उपयोग करके, गुणवत्ताविहीन कार्य कराना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 77709.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-03)

**प्रस्तर 04-** वर्ष 2019-20 में अवमानक सामग्री का उपयोग करके, गुणवत्ताविहीन कार्य कराना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 89697.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-04)

**प्रस्तर 05-** वर्ष 2019-20 में अवमानक सामग्री का उपयोग करके, गुणवत्ताविहीन कार्य कराना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 1230607.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-05)

**प्रस्तर 06-** वर्ष 2019-20 में अवमानक सामग्री का उपयोग करके, गुणवत्ताविहीन कार्य कराना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 792011.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-06)

**प्रस्तर 07-** वर्ष 2019-20 में अवमानक सामग्री का उपयोग करके, गुणवत्ताविहीन कार्य कराना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 374573.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-07)





**प्रस्तर 31-** वर्ष 2019-20 में बिना उचित व्यय प्रमाणक के राशि निकलकर कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री जयसिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 302550.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-05)

**03- ग्राम पंचायत- खेडिया खुर्द, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 32-** वर्ष 2019-20 में वाउचर एमाउंट से अधिक धनराशि निकालकर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 311.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 33-** वर्ष 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री का क्रय करने की इनवाइस लगा कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 82584.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**प्रस्तर 34-** वर्ष 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री का क्रय करने की इनवाइस लगा कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 82895.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-03)

**प्रस्तर 35-** वर्ष 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री का क्रय करने की इनवाइस लगा कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 416694.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-04)

**प्रस्तर 36-** वर्ष 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री का क्रय करने की इनवाइस लगा कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 70244.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-05)

**प्रस्तर 37-** वर्ष 2019-20 में तकनीकी स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जयनारायण सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 95097.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-06)

**04- ग्राम पंचायत- लिहा आलमपुर, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 38-** वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री राजपाल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सूरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3258066.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 39-** वर्ष 2019-20 में उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री राजपाल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सूरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3258066.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**प्रस्तर 40-** वर्ष 2019-20 में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री राजपाल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सूरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3152566.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-03)

**05- ग्राम पंचायत-मऊ चिरायल, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 41-** वर्ष 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणक के एवं बिना प्रापर व्यय प्रमाणक के राशि का भुगतान कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 875220.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 42-** वर्ष 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री का क्रय करने की इनवाइस लगा कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 45631.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)









(आपति संख्या-01 एवं 02)

**प्रस्तर 82-** वर्ष 2019-20 में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 1245683.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-04)

**प्रस्तर 83-** वर्ष 2019-20 में एकाउंटिंग फिगर में अन्तर होना । इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 50.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-05)

**प्रस्तर 84-** वर्ष 2019-20 में अपुष्ट धनराशि का होना । इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 55578.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-06)

**13- ग्राम पंचायत-बरई शाहपुर, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 85-** वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री नन्द किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3573243.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01 एवं 02)

**प्रस्तर 86-** वर्ष 2019-20 में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री नन्द किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3455004.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-03)

**14- ग्राम पंचायत-भटीकरा, विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 87-** वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री मलिखान सिंह किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 42225.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 88-** वर्ष 2019-20 में बिना प्रापर वाउचर के राशि निष्कासित करना। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री की खरीदी की इनवाईस लगाकर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री मलिखान सिंह किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 135315.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**प्रस्तर 89-** वर्ष 2019-20 में बिना प्रापर वाउचर के राशि निष्कासित करना। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सामग्री की खरीदी की इनवाईस लगाकर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री मलिखान सिंह किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती मीनू बघेल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 71430.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**15- ग्राम पंचायत-भीसी मिर्जापुर , विकास खण्ड- सिकन्दाराऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 90-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 4498643.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01 एवं 02)

**प्रस्तर 91-**वर्ष 2019-20 में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरजपाल उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3943111.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-03)

**16- ग्राम पंचायत-महमूदपुर ब्राह्मन , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 92-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री विमल कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3578135.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**17- ग्राम पंचायत-जटोई , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 93-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री प्रवेश एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 4935452.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**18- ग्राम पंचायत-टिमरली , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 94-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हरी मोहन एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 4622159.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**19- ग्राम पंचायत-झींगुरा , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 95-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती गुडिया देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 5618972.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**20- ग्राम पंचायत-मुन्धिया , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 96-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शकील खॉ एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 2886129.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**21- ग्राम पंचायत-चाचपुर भटेला , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 97-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती ओमवती देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु0 2218166.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**22- ग्राम पंचायत-कोटा , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 98-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना चौहान एवं तत्कालीन सचिव श्री यतेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 9379457.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**23- ग्राम पंचायत-दयालपुर , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 99-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। प्रस्तुत न अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री महीपाल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सतेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु 4269799.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**24- ग्राम पंचायत -धतुरा खुर्द , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 100-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री सौरन एवं तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 6962373.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**25- ग्राम पंचायत -विशुनदास , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 101-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु 1981506.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**26- ग्राम पंचायत - पैठगाँव , विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 102-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती कलौ देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री दीपक रघुवंशी उत्तरदायी है। इस लिए रु 606159.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)





(आपति संख्या-02)

**36- ग्राम पंचायत - कछपुरा विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 123-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुलेखा पाठक एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 7202977.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**37- ग्राम पंचायत - खेड़िया डहर विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 124-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री दीपक रघुवंशी उत्तरदायी है। इस लिए रु 839385.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 125-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री दीपक रघुवंशी उत्तरदायी है। इस लिए रु 3026608.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**38- ग्राम पंचायत - जिन्द पट्टी विसाना विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 126-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री दिगम्बर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 3803090.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**39- ग्राम पंचायत - खेड़ा बरामई विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 127-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री भगवानदास एवं तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 1601346.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 128-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री भगवानदास एवं तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 4653586.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**40- ग्राम पंचायत - अनीगढी विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 129-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुशुमा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 1692367.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**41- ग्राम पंचायत - विसरात विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 130-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री भगवानदास एवं तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु 1064778.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**42- ग्राम पंचायत - भौकरी नगला भोजा विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 131-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री बिजेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री रामकिशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 622206.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 132-**वर्ष 2015-2016 से 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री बिजेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री रामकिशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 4860175.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-02)

**43- ग्राम पंचायत - नगला बाबू विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 133-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती लज्जावती एवं तत्कालीन सचिव श्री यतेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 7039551.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**44- ग्राम पंचायत - बामौली विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 134-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती शैलेश कुमारी एवं तत्कालीन सचिव श्री यतेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 1851088.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**45- ग्राम पंचायत - कथरिया विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 135-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती गुडिया देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री निहारिका उत्तरदायी है। इस लिए रु 90262.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**46- ग्राम पंचायत - ताजपुर विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 136-**वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु 2692570.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**47- ग्राम पंचायत - वधू नगला हेमराज विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 137-**वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री लाखन सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु 246719.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**48- ग्राम पंचायत - दाऊद बनका विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 138-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री बच्चू सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री यतेन्द्र उत्तरदायी है। इस लिए रु 2169435.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**49- ग्राम पंचायत - नगला अमरा विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 139-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती रज्जो एवं तत्कालीन सचिव कु0 रीता उत्तरदायी है। इस लिए रु 800719.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**50- ग्राम पंचायत - पटाखास विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 140-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री महेश सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री यतेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु 2123792.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या-01)

**51- ग्राम पंचायत - बमनई विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 141-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु 2457600.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**52- ग्राम पंचायत - लुहेदा खुर्द कलां विकास खण्ड- मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 142-**वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री राघवेन्द्र शर्मा एवं तत्कालीन सचिव श्री राम किशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 1830548.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**53-ग्राम पंचायत -बाद नगला अठवरिया विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 143-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हीरेन्द्र एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 6026987.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**54-ग्राम पंचायत -कोरना चमरूआ विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 144-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती निर्मला एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 3165440.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 145-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती निर्मला एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी है। इस लिए रु0 7045766.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**55-ग्राम पंचायत -वर्द्धवारी विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 146-** वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शिशपाल एवं तत्कालीन सचिव श्री राम किशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 8217012.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 147-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शिशपाल एवं तत्कालीन सचिव श्री राम किशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 7013269.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-02)

**प्रस्तर 148-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री शिशपाल एवं तत्कालीन सचिव श्री राम किशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 6366318.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-03)

**56-ग्राम पंचायत -मथू बिचपुरी विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 149-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री जसवन्त सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री राम किशन सिंह उत्तरदायी है। इस लिए रु0 5772932.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**57-ग्राम पंचायत -नगला गजुआ विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 150-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री बृहमजीत एवं तत्कालीन सचिव श्री दीपक कुमार उत्तरदायी है। इस लिए रु05308961.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**58-ग्राम पंचायत -सुरतिया विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 151-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती विमला एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 6467742.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**59-ग्राम पंचायत -टुकसान विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 152-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 9497402.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**60-ग्राम पंचायत -खरगू विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 153-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री विष्णु कौशिक एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2998280.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**61-ग्राम पंचायत -रोहई विकास खण्ड-मुरसान , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 154-**वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न होना। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री अवनीश एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 4660236.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**62-ग्राम पंचायत -कौकना कलां विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 155-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री नरेन्द्र एवं तत्कालीन सचिव श्री रामेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1783331.50 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**63-ग्राम पंचायत -कुकरगवां विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 156-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सन्नो देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री रामेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 926112.16 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**64-ग्राम पंचायत -मकनपुर विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 157-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री छीतर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कुमार गौतम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1517858.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**65-ग्राम पंचायत -मानिकपुर विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 158-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री हरिओम एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कुमार गौतम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2110780.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**66-ग्राम पंचायत -नगला बिहारी विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 159-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री योगेन्द्र एवं तत्कालीन सचिव श्री रामेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 645640.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**67-ग्राम पंचायत -परसौरा विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 160** वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री इरशाद अली उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2387903.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**68-ग्राम पंचायत -रामपुर विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**



**प्रस्तर 161-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री कौशल किशोर एवं तत्कालीन सचिव श्री गिरीश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1681216.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**69-ग्राम पंचायत -शिखरा विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 162** वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती भगवान देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री ईश्वर चन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2741032.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**70-ग्राम पंचायत -वीरनगर विकास खण्ड-सहपऊ , जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 163-**वर्ष 2019-20 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री इरशाद अली उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1888691.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-01)

**71-ग्राम पंचायत -बिलखौरा कलां विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 164-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री दारा सिंह एवं सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 923312.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

(आपति संख्या-10)

**72-ग्राम पंचायत -छाँडा गढौआ विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 165-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार पाठक एवं सचिव श्री बी0के0 गुप्ता एवं श्री शशिकान्त उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5143210.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-10)

**73-ग्राम पंचायत -दरकौला विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 166-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री योगेश कुमार एवं सचिव श्री शकील अहमद उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 713578.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

(आपति संख्या-10)

**74-ग्राम पंचायत -गौहाना विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 167-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी एवं सचिव श्री बी0के0 गुप्ता एवं श्री शशिकान्त सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2280988.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या-10)

**75-ग्राम पंचायत -जरैया गदा खेडा विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 168** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती योगेश कुमारी एवं सचिव श्री अजीत सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 4160912.70 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

(आपति संख्या-10)

**76-ग्राम पंचायत -खेडा फिरोजपुर विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 169-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री सतीश कुमार एवं सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2148821.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

(आपति संख्या-10)

**77-ग्राम पंचायत -खेडिया विकास खण्ड-सासनी, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 170-**वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री लालता प्रसाद एवं सचिव श्री दलवीर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1021129.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

(आपति संख्या-01)

**प्रस्तर 171-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती सन्नो एवं सचिव श्री शकील अहमद उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2031250.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

**प्रस्तर 172-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री राजवीर सिंह एवं सचिव श्री अजीत सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 2022360.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं

**प्रस्तर 173-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक स्टेटमेंट वाउचर कार्यपूति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री चोब सिंह एवं सचिव श्री अजीत सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 2755471.95 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर 174-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री योगेश कुमार एवं सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹01843948.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 175-वर्ष** 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री दुर्गेश एवं सचिव श्री प्रेमचन्द्र एवं सत्यवीर उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 3538471.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

**प्रस्तर 176-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 3237526.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर 177-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 1468963.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर 178-** वर्ष 2015-16 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री मुकेश एवं सचिव श्री हरिश्चन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 6030806.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 179-** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेंट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री संजय कुमार एवं सचिव श्री प्रशान्त कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 1879787.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

87-ग्राम पंचायत -हाजीपुर विकास खण्ड-हाथरस, जनपद - हाथरस



**प्रस्तर 189** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कैशबुक बैंक, स्टेटमेन्ट वाउचर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की पत्रावली एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री रामसिंह एवं सचिव श्री हरिशचन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹ 2417448.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**97-ग्राम पंचायत - राजपुर      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

98-ग्राम पंचायत - कुम्हरई विकास खण्ड-हाथरस, जनपद - हाथरस

**प्रस्तर 192** वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट, अतिरिक्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती शबिना एवं सचिव श्री संत कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 1107199.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**99-ग्राम पंचायत - मझोला**      **विकास खण्ड-हाथरस,**      **जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 194** वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट, अतिरिक्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती शबिना एवं सचिव श्री संत कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 3969577.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

100-ग्राम पंचायत - परसारा      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस

**प्रस्तर 196** वर्ष 2018-19 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री संत कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 5878837.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 197** वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट, अतिरिक्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री संत कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 9291206.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

101-ग्राम पंचायत - नगला केशो विकास खण्ड-हाथरस, जनपद - हाथरस

**102-ग्राम पंचायत - रारावली      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 199** वर्ष 2015-16 व 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री बृजरानी देवी एवं सचिव श्री संजीव रावत उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2275785.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**103-ग्राम पंचायत - काकोरी      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 200** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री अशोक एवं सचिव श्री प्रशान्त कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5786525.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**104-ग्राम पंचायत - कैमार      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 201** वर्ष 2017-18

2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री राजीव सिंह एवं सचिव श्री विदेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5715649.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**105-ग्राम पंचायत - जहांगीरपुर      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 202** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री ध्रुव कुमार एवं सचिव श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 6053800.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**106-ग्राम पंचायत - गढी परता बनारसी      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 203** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री त्रिलोक कुमार एवं सचिव श्री शिव यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3068147.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**107-ग्राम पंचायत - कोका      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 204** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री भूरी सिंह एवं सचिव श्री विशाल कुमार रावत उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 6367887.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**108-ग्राम पंचायत -लाखनू      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 205** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं सचिव श्री कृष्ण कान्त उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 6770892.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**109-ग्राम पंचायत - मोहारी      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 206** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री रणजीत सिंह एवं सचिव श्री अनीस खां उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1689351.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**110-ग्राम पंचायत - इमलिया      विकास खण्ड-हाथरस,      जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 207** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री नरेश कुमार सिंह एवं सचिव श्री शिवम यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2551818.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**111-ग्राम पंचायत - पहाडपुर विकास खण्ड-हाथरस, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 208** वर्ष 2015-16 व 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री शैलेन्द्रकुमार पचौरी एवं सचिव श्री अरूणकुमार अग्निहोत्री उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 5290303.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**112-ग्राम पंचायत - पकवाडा विकास खण्ड-हाथरस, जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 209** वर्ष 2017-18 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री राजपाल एवं सचिव श्री राजेश कुमार पाठक उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 4072470.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**113-ग्राम पंचायत - जरारा विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 210** वर्ष 2018-19 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री सुशील कुमार एवं सचिव श्री गजेन्द्रपाल उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 9186000.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**प्रस्तर 211** दिनांक - 01.04.2019 को कैशबुक में दर्शित ओपनिंग बैलेस के स्थान पर ₹0 7408.00 क्रम दर्शाया अपहरण किया गया। इस हेतु प्रधान श्री सुशील कुमार एवं सचिव श्री गजेन्द्रपाल उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 7408.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-11)

**प्रस्तर 212** वर्ष 2015-16 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री सुशील कुमार एवं सचिव श्री गजेन्द्रपाल उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 1140211.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-12)

**114-ग्राम पंचायत - अमौसी विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 213** वर्ष 2015-16 व 2018-19 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री राम किशोर एवं सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 3537722.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**115-ग्राम पंचायत - अंडौली विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 214** वर्ष 2015-16 व 2018-19 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती स्नेहलता एवं सचिव श्री संजीव सारस्वत उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 6418574.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**116-ग्राम पंचायत - बरामई नगला विजन विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 215** वर्ष 2015-16 व 2018-19 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती कुसमा देवी एवं सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 13282517.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**117-ग्राम पंचायत - चाँदनपुर विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 216** वर्ष 2015-16 व 2018-19 से 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री कौशलेन्द्र एवं सचिव श्री दिनेश सिंह व श्री संजीव कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 3731057.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**118-ग्राम पंचायत - धुबई विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**









**प्रस्तर 244** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती बबीता देवी एवं सचिव श्री गजेन्द्र पाल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1268550.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**146-ग्राम पंचायत -बाडी विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 245** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री राम कुमार एवं सचिव श्री गजेन्द्र पाल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3487328.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**147-ग्राम पंचायत -सिंचावली कदीम विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 246** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री रूकम पाल सिंह

एवं सचिव श्री उदय प्रताप सिंह व श्री गिरीश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2024750.80 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**148-ग्राम पंचायत -सिहोरी विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 247** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं सचिव श्री गजेन्द्र पाल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2648781.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**149-ग्राम पंचायत -सीधामई विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 248** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती विमलेश कुमारी एवं सचिव श्री लवकेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1805290.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**150-ग्राम पंचायत -शहवाजपुर विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 249** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री अमित कुमार एवं सचिव श्री नागेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2654831.16 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**151-ग्राम पंचायत -रसूलपुर विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 250** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं सचिव श्री राज कुमार शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1144398.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

**152-ग्राम पंचायत -पिछौती विकास खण्ड-हसायन जनपद - हाथरस**

**प्रस्तर 251** वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों कार्य योजना, प्रस्ताव स्वीकृति निर्माण कार्य की पत्रावलियों एम०बी० सामग्री का वाउचर मस्टररोल हैण्ड पम्प की सूची प्रस्तुत न किया जाना। इस हेतु प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव श्री लवकेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 454750.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपति संख्या-10)

#### **प्रारूप -4**

### **वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 :- ग्राम पंचायतें**

**संस्था का नाम-** ग्राम पंचायत

**जनपद-** कासगंज

**मण्डल-** अलीगढ़















आपत्ति संख्या- 04

आपत्ति संख्या- 01

आपत्ति संख्या- 02

आपत्ति संख्या- 03

आपत्ति संख्या- 01

आपत्ति संख्या- 02

आपत्ति संख्या- 03

आपत्ति संख्या- 01

आपत्ति संख्या- 02

आपत्ति संख्या- 01

आपत्ति संख्या- 02

आपत्ति संख्या- 03

आपत्ति संख्या- 04

1897 | Page























**प्रस्तर 230-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती कविता देवी एवं सचिव श्री दलवीर सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5120710.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 02**

**81 ग्राम पंचायत- कलियानपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 231-** वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुखरानी एवं सचिव श्री जुगेन्द्र एवं जानेन्द्र सोनकर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 7575710.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**82 ग्राम पंचायत- फिरोजपुर शिहोला अलियार खां, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 232-** वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती मंजू एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 7575710.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**83 ग्राम पंचायत- फिरोजपुर शिहोला वकसुल्ला खां, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 233-** वर्ष 2015-16 से 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री मुहम्मद शरीफ एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5929118.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**84 ग्राम पंचायत- ढोलना, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 234-** वर्ष 2015-16 से 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 11407018.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**85 ग्राम पंचायत- बांकेर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 235-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री रवेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 638640.91 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**86 ग्राम पंचायत- पथेरकी, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 236-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री जनित कुमार एवं सचिव श्री चंद्रप्रकाश (राधे) उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3324456.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**87 ग्राम पंचायत- सेवर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 237-** वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री सूरजपाल सिंह एवं सचिव श्री शिवनारायण शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2134031.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**प्रस्तर 238-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री सूरजपाल सिंह एवं सचिव श्रीमती शीतल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1047597.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 02**

**88 ग्राम पंचायत- इखौना, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 239-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनिता यादव एवं सचिव श्री जुगेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 449347.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**89 ग्राम पंचायत- किलौनी रफातपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज**

**प्रस्तर 240-** वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं सचिव श्री शिव नारायण शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5202216.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 01**

**प्रस्तर 241-** वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं सचिव श्री ब्रह्मप्रकाश यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3561581.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**आपति संख्या- 02**

90 ग्राम पंचायत- बरखुरदारपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 242- वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री शिव नारायण शर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 2064442.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपति संख्या- 01

प्रस्तर 243- वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्रीमती शीतल उत्तरदायी हैं। इस लिए ₹0 780307.95 रुपये की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपति संख्या- 02

#### प्रारूप-4

### वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2019-20

जनपद- अम्बेडकरनगर

सम्भाग- अयोध्या

संस्था- ग्राम पंचायत

(1)-ग्राम पंचायत - अहलादे

विकास खण्ड- अकबरपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत अहलादे की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में आपतियाँ पाई गई।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0 | धनराशि    | वर्क आई0डी0 | मद                  |
|------|------------|---------|-----------|-------------|---------------------|
| 1    | 18.07.2019 | 137119  | 88550.00  | 18322427    | मिट्टी पटाई पर व्यय |
| 2    | 18.07.2019 | 137116  | 50000.00  | 18322426    | मिट्टी पटाई पर व्यय |
| 3    | 19.07.2019 | 137120  | 69875.00  | 18322427    | मिट्टी पटाई पर व्यय |
|      |            | योग     | 208425.00 |             |                     |

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, मस्टर रोल, बिल/वाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, मिट्टी ढुलाई में प्रयुक्त वाहन का पंजीकरण क्रमांक, आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0208425.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रमोद कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक कुमार उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(2)-ग्राम पंचायत - केशवपुर

विकास खण्ड- अकबरपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत मद पर निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में आपतियाँ पाई गई।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0 | धनराशि  | मद                                                         |
|------|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1    | 02.04.2019 | 135631  | 9975.00 | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 2    | 08.04.2019 | 135630  | 9975.00 | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 3    | 12.04.2019 | 135634  | 9950.00 | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |

|    |            |        |           |                                                            |
|----|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | 16.04.2019 | 135635 | 9950.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 5  | 25.04.2019 | 135637 | 9975.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 6  | 01.05.2019 | 135638 | 9975.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 7  | 11.06.2019 | 135643 | 9928.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 8  | 13.06.2019 | 135644 | 9928.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 9  | 06.07.2019 | 135650 | 9828.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 10 | 12.07.2019 | 135302 | 9828.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 11 | 15.07.2019 | 135303 | 9828.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 12 | 24.07.2019 | 135311 | 9828.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
| 13 | 01.08.2019 | 135313 | 9828.00   | विपिन के घर से दीपू के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान |
|    |            | योग    | 128796.00 |                                                            |

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उल्लेखनीय है कि खड़जा मरम्मत कार्य में 4 माह के भीतर 13 बार मजदूरी का भुगतान दर्शित करते हुए कुल धनराशि रु0 128796.00 व्यय किया गया है जबकि इसके सापेक्ष वर्षपर्यंत किसी भी प्रकार का ईंट क्रय दर्शित नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 128796.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मुन्नर राम व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(3)-ग्राम पंचायत - मंजीषा विकास खण्ड- अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर-3**

ग्राम पंचायत मंजीषा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि   | कार्य का विवरण     |
|------|------------|----------|----------|--------------------|
| 1    | 17-01-2020 | पीएफएमएस | 31500.00 | प्रधान मानदेय      |
| 2    | 25-02-2020 | पीएफएमएस | 34132.00 | हैन्डपंप मरम्मत    |
| 3    | 28-03-2020 | पीएफएमएस | 70281.00 | खड़जा मरम्मत कार्य |

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| योग | 135913.00 |  |
|-----|-----------|--|

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, एमडी, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30 प्र 0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹135913.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजदेई व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत मंजीशा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | चेक सं० | धनराशि    | कार्य का विवरण       |
|------------|---------|-----------|----------------------|
| 03-07-2019 | 142057  | 25000.00  | खड़जा मरम्मत कार्य   |
| 10-07-2019 | 142091  | 57950.00  | खड़जा मरम्मत कार्य   |
| 17-07-2019 | 142094  | 86706.00  | खड़जा निर्माण कार्य  |
| 18-07-2019 | 142096  | 80528.00  | खड़जा मरम्मत कार्य   |
| 23-07-2019 | 142100  | 9000.00   | प्रशासनिक व्यय       |
| 24-07-201  | 142098  | 42000.00  | प्रधान मानदेय        |
| 08-08-2019 | 142106  | 175530.00 | खड़जा मरम्मत कार्य   |
| 17-08-2019 | 142111  | 157349.00 | शौचालय निर्माण कार्य |
| 20-08-2019 | 142107  | 175530.00 | खड़जा मरम्मत कार्य   |
| 20-08-2019 | 142116  | 44050.00  | हैन्डपंप मरम्मत      |
| 22-08-2019 | 142118  | 175600.00 | ह्यूमपाइप कार्य      |

|            |          |          |                     |
|------------|----------|----------|---------------------|
| 04-11-2019 | पीएफएमएस | 18125.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 04-11-2019 | पीएफएमएस | 16235.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 09-11-2019 | पीएफएमएस | 18125.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 09-11-2019 | पीएफएमएस | 16235.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 14-11-2019 | पीएफएमएस | 73000.00 | ह्यूमपाइप कार्य     |
| 21-11-2019 | पीएफएमएस | 72956.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 21-11-2019 | पीएफएमएस | 31720.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 23-11-2019 | पीएफएमएस | 55062.00 | खड़जा मरम्मत कार्य  |
| 23-11-2019 | पीएफएमएस | 59850.00 | खड़जा मरम्मत कार्य  |
| 24-11-2019 | पीएफएमएस | 62250.00 | स्ट्रीट लाइट कार्य  |
| 24-11-2019 | पीएफएमएस | 58128.00 | स्ट्रीट लाइट कार्य  |
| 07-12-2019 | पीएफएमएस | 22750.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 07-12-2019 | पीएफएमएस | 12950.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 07-12-2019 | पीएफएमएस | 12012.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 08-12-2019 | पीएफएमएस | 20036.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 08-12-2019 | पीएफएमएस | 19679.00 | हैन्डपंप मरम्मत     |
| 08-12-2019 | पीएफएमएस | 51000.00 | ह्यूमपाइप कार्य     |
| 30-12-2019 | पीएफएमएस | 41860.00 | खड़जा मरम्मत कार्य  |
| 30-12-2019 | पीएफएमएस | 38200.00 | खड़जा मरम्मत कार्य  |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 68264.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 20930.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 39572.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 12194.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 18050.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 15-01-2020 | पीएफएमएस | 5460.00  | खड़जा निर्माण कार्य |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 63040.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 14560.00 | खड़जा निर्माण कार्य |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 7280.00  | खड़जा निर्माण कार्य |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 43618.00 | खड़जा निर्माण कार्य |



|            |          |                   |                                                  |
|------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 13650.00          | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 26920.00          | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 8190.00           | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 32803.00          | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 19-01-2020 | पीएफएमएस | 11284.00          | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 25-01-2020 | पीएफएमएस | 134290.00         | स्कूल में टाइल्स कार्य                           |
| 12-02-2020 | पीएफएमएस | 98800.00          | ह्यूमपाइप कार्य                                  |
| 24-02-2020 | पीएफएमएस | 197259.00         | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 29-02-2020 | पीएफएमएस | 42900.00          | स्कूल में व्हाइट बोर्ड कार्य                     |
| 29-02-2020 | पीएफएमएस | 47320.00          | खड़जा निर्माण कार्य                              |
| 01-03-2020 | पीएफएमएस | 240000.00         | बैच लगवाई कार्य                                  |
| 13-03-2020 | पीएफएमएस | 131000.00         | प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स कार्य |
| 22-03-2020 | पीएफएमएस | 179570.00         | प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई कार्य          |
| 22-03-2020 | पीएफएमएस | 366800.00         | उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई कार्य   |
| 28-03-2020 | पीएफएमएस | 92015.00          | नाली निर्माण कार्य                               |
| 29-03-2020 | पीएफएमएस | 39894.00          | नाली निर्माण कार्य                               |
| योग        |          | <b>3685079.00</b> |                                                  |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3685079.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजदेई व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

**(4)-ग्राम पंचायत - पलई कल्यानपुर विकास खण्ड- अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-5**

ग्राम पंचायत पलई कल्यानपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि           | कोषबही के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|------|------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| 1    | 07-01-2020 | पीएफएमएस | 15180.00         | प्रशासनिक व्यय                       |
| 2    | 17-01-2020 | पीएफएमएस | 17500.00         | प्रधान मानदेय                        |
| 3    | 12-02-2020 | पीएफएमएस | 143640.00        | खड़जा मरम्मत कार्य                   |
| 4    | 12-02-2020 | पीएफएमएस | 143640.00        | खड़जा मरम्मत कार्य                   |
| 5    | 13-02-2020 | पीएफएमएस | 70980.00         | खड़जा निर्माण कार्य                  |
| योग  |            |          | <b>390940.00</b> |                                      |

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8(क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0390940.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधानश्री दुर्गेश कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीशिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत पलई कल्यानपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | चेक सं० | धनराशि   | कार्य का विवरण  |
|------------|---------|----------|-----------------|
| 16-08-2019 | 141854  | 33200.00 | हैन्डपंप मरम्मत |
| 17-08-2019 | 141859  | 14000.00 | प्रधान मानदेय   |

|            |          |                   |                                   |
|------------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 19-08-2019 | 141861   | 126000.00         | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य         |
| 20-08-2019 | 141862   | 158291.00         | ह्यूम पाइप क्रय                   |
| 22-08-2019 | 141863   | 96596.00          | खड़जा मरम्मत कार्य                |
| 24-08-2019 | 141865   | 169848.00         | खड़जा मरम्मत कार्य                |
| 25-12-2019 | पीएफएमएस | 73430.00          | स्ट्रीट लाइट कार्य                |
| 25-12-2019 | पीएफएमएस | 26516.00          | हैन्डपंप मरम्मत                   |
| 25-12-2019 | पीएफएमएस | 15627.00          | हैन्डपंप मरम्मत                   |
| 17-01-2020 | पीएफएमएस | 36077.00          | खड़जा निर्माण कार्य               |
| 17-01-2020 | पीएफएमएस | 25304.00          | खड़जा निर्माण कार्य               |
| 17-01-2020 | पीएफएमएस | 162000.00         | बैंच लगवाई कार्य                  |
| 22-01-2020 | पीएफएमएस | 120317.00         | आंगनवाड़ी केंद्र में टाइल्स कार्य |
| 23-01-2020 | पीएफएमएस | 11102.00          | खड़जा निर्माण कार्य               |
| 23-01-2020 | पीएफएमएस | 7644.00           | खड़जा निर्माण कार्य               |
| 05-03-2020 | पीएफएमएस | 23436.00          | हैन्डपंप मरम्मत                   |
| 28-03-2020 | पीएफएमएस | 65000.00          | ह्यूम पाइप क्रय                   |
| योग        |          | <b>1164388.00</b> |                                   |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एमओबी, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1164388.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री दुर्गेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

**(5)-ग्राम पंचायत - रामनगर नरसिंहपुर      विकास खण्ड- अकबरपुर      जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-7**

ग्राम पंचायत रामनगर नरसिंहपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइट क्रय मद पर निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में आपत्तियाँ पाई गई।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0 | धनराशि           | मद                                            |
|------|------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 06.06.2019 | 134253  | 53950.00         | स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स |
| 2    | 01.07.2019 | 134261  | 84000.00         | स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स |
| 3    | 01.07.2019 | 134263  | 84000.00         | स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स |
| 4    | 01.07.2019 | 134265  | 84000.00         | स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स |
| योग  |            |         | <b>305950.00</b> |                                               |

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, बिल/वाउचर, एम0बी0 पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, संबंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रही। उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि स्ट्रीट लाइट लगवाने से पूर्व ग्राम पंचायत में बिजली संयोजन के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि अपुष्ट रही जोकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 305950.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अनुपम देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

**(6)-ग्राम पंचायत - सुलेमपुर विकास खण्ड- अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-8**

ग्राम पंचायत सुलेमपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि          | कार्य का विवरण |
|------|------------|----------|-----------------|----------------|
| 1    | 07-08-2109 | 107854   | 14000.00        | प्रधान मानदेय  |
| 2    | 24-01-2020 | पीएफएमएस | 17500.00        | प्रधान मानदेय  |
| 3    | 13-03-2020 | पीएफएमएस | 18754.00        | राज ट्रेडर्स   |
| योग  |            |          | <b>50254.00</b> |                |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी

द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु050254.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिकेश व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-9**

ग्राम पंचायत सुलेमपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | चेक स०   | धनराशि           | कार्य का विवरण      | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 07-08-2019 | 107856   | 78932.00         | खड़जा मरम्मत कार्य  | जी के ट्रेडर्स      |
| 09-08-2019 | 107855   | 308.00           | प्रशासनिक व्यय      | प्रधान              |
| 16-08-2019 | 107857   | 87360.00         | खड़जा मरम्मत कार्य  | जी के ट्रेडर्स      |
| 21-08-2019 | 107859   | 78000.00         | ह्यूमपाइप क्रय      | जे के ट्रेडर्स      |
| 22-08-2019 | 107858   | 52000.00         | स्ट्रीट लाइट कार्य  | अज्ञात              |
| 23-08-2019 | 107860   | 18000.00         | हैन्डपंप मरम्मत     | जे के ट्रेडर्स      |
| 19-12-2019 | पीएफएमएस | 81000.00         | बेंच लगवाई कार्य    | राज ट्रेडर्स        |
| 19-12-2019 | पीएफएमएस | 33831.00         | हैन्डपंप मरम्मत     | राज ट्रेडर्स        |
| 07-01-2020 | पीएफएमएस | 33661.00         | हैन्डपंप रीबोर      | शुभम ट्रेडर्स       |
| 07-01-2020 | पीएफएमएस | 34544.00         | हैन्डपंप रीबोर      | शुभम ट्रेडर्स       |
| 17-01-2020 | पीएफएमएस | 168367.00        | स्कूल का कायाकल्प   | राज ट्रेडर्स        |
| 05-03-2020 | पीएफएमएस | 23436.00         | हैन्डपंप मरम्मत     | राज ट्रेडर्स        |
| 22-03-2020 | पीएफएमएस | 50000.00         | खड़जा निर्माण कार्य | वर्मा ब्रिक फील्ड   |
| योग        |          | <b>739439.00</b> |                     |                     |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 739439.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिकेश व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

**(7)-ग्राम पंचायत - उम्मरपुर विकास खण्ड- अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-10**

ग्राम पंचायत उम्मरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में आपत्तियाँ पाई गई।

| क्र0 | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि           | मद                                                |
|------|------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 03.04.2019 | 116120   | 150000.00        | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 2    | 10.04.2019 | 116121   | 60000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 3    | 16.04.2019 | 116122   | 100000.00        | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 4    | 20.04.2019 | 116123   | 110000.00        | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 5    | 28.04.2019 | 116124   | 100000.00        | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 6    | 30.04.2019 | 116125   | 100000.00        | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 7    | 10.05.2019 | 63451    | 50000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 8    | 28.05.2019 | 63452    | 25000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 9    | 11.06.2019 | 63456    | 35000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 10   | 27.06.2019 | 63457    | 50000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 11   | 26.10.2019 | पीएफएमएस | 40000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 12   | 09.12.2019 | पीएफएमएस | 75000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| 13   | 27.01.2020 | पीएफएमएस | 30000.00         | अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर ए0 एस0 कॉन्स्ट्रक्शंस |
| योग  |            |          | <b>925000.00</b> |                                                   |

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, एम0बी0 पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, संबंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रही। उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि अपुष्ट रही जोकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 925000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती वंदना कुमारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(8) ग्राम पंचायत - सुलहनतारा विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर- 11**

ग्राम पंचायत सुलहनतारा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| क्र० | दिनांक     | चेक सं० | धनराशि   | कार्य का विवरण |
|------|------------|---------|----------|----------------|
| 1    | 07-01-2020 | P F M S | 17500.00 | प्रधान मानदेय  |
| योग  |            |         | 17500.00 |                |

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धार 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा. उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु०17500.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रेनू वर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आपत्ति सं० - 01 )

#### प्रस्तर- 12

ग्राम पंचायत सुलहनतारा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी अकबरपुर को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | चेक सं०     | धनराशि    | कार्य का विवरण     |
|------------|-------------|-----------|--------------------|
| 17-07-2019 | 105919      | 35200.00  | हैन्डपंप रीबोर     |
| 18-07-2019 | 105931      | 3700.00   | हैन्डपंप रीबोर     |
| 19-07-2019 | 105925      | 101643.00 | स्ट्रीट लाइट कार्य |
| 25-07-2019 | 105930      | 135100.00 | स्ट्रीट लाइट कार्य |
| 20-08-2019 | 105932      | 21000.00  | प्रधान मानदेय      |
| 22-08-2019 | 105928      | 164028.00 | हैन्डपंप मरम्मत    |
| 25-10-2019 | पी एफ एम एस | 34508.00  | हैन्डपंप रीबोर     |
| 25-10-2019 | पी एफ एम एस | 34944.00  | हैन्डपंप रीबोर     |
| 14-11-2019 | पी एफ एम एस | 27561.00  | हैन्डपंप मरम्मत    |
| 19-11-2019 | पी एफ एम एस | 35427.00  | हैन्डपंप रीबोर     |
| 19-11-2019 | पी एफ एम एस | 34508.00  | हैन्डपंप रीबोर     |
| 24-11-2019 | पी एफ एम एस | 47950.00  | लाइट मरम्मत कार्य  |
| 24-12-2019 | पी एफ एम एस | 103840.00 | इन्टरलॉकिंग कार्य  |

|            |             |                   |                                |
|------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 30-12-2019 | पी एफ एम एस | 26633.00          | खड़जा मरम्मत कार्य             |
| 30-12-2019 | पी एफ एम एस | 52069.00          | खड़जा मरम्मत कार्य             |
| 30-12-2019 | पी एफ एम एस | 104000.00         | स्ट्रीट लाइट कार्य             |
| 25-01-2020 | पी एफ एम एस | 40768.00          | खड़जा मरम्मत कार्य             |
| 15-02-2020 | पी एफ एम एस | 98761.00          | स्कूल में फर्श पर टाइल्स कार्य |
| 15-02-2020 | पी एफ एम एस | 81000.00          | बैंच लगवाई कार्य               |
| योग        |             | <b>1182640.00</b> |                                |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वार्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० **1182640.00** गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रेनू वर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव पूजन वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आपत्ति सं० - 02 )

(9) ग्राम पंचायत - बेलुवा बरियारपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 13

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बेलुवा बरियारपुर में मेसर्स राम केवल को विभिन्न तिथियों में भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है विवरण निम्नवत है ,

| क्र० | दिनांक   | व्यय का विवरण                                                                                              | चैक संख्या | धनराशि   |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1.   | 15-04-19 | प्राइमरी विद्यालय में शौचालय में निर्माण कार्य                                                             | 110352     | 96700.00 |
| 2.   | 16.04.19 | राम केवल (मेसर्स राम केवल) को मस्टर रोल बाबत मजदूरी भुगतान (जयकरन के घर से राम नयन के घर तक खड़जा निर्माण) | 110354     | 20000.00 |
| 3.   | 16.04.19 | राम केवल को उपरोक्त कार्य पर भुगतान                                                                        | 110358     | 20000.00 |
| 4.   | 07.05.19 | प्रा० वि० में शौचालय निर्माण कार्य                                                                         | 110363     | 46100.00 |



|  |  |                  |  |                  |
|--|--|------------------|--|------------------|
|  |  | मैसर्स राम)केवल( |  |                  |
|  |  | <b>योग</b>       |  | <b>182800.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक कार्यवाही पुस्तिका-, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र-, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेखउपलब्ध नहीं कराया गया है जो ,ग्राम पंचायत-के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य , है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्तकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद एवं ग्राम पंचायत सचिव सुश्री आस्था पाण्डेय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

**(10) ग्राम पंचायत - चंदनपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 14**

- ग्राम पंचायत चंदनपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 02-05-2019 को रु०39450.00 एवं दिनांक 03-05-2019 को रु०166175.00 मिट्टी पट्टाई कार्य पर व्यय कर कुल रु० ,205625.00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय अपुष्ट , रहा है. अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया ,किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित हैजो ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री मती लालमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रतनेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

**प्रस्तर- 15**

- आलोच्य वर्ष 2019-20 में -20 में ग्राम पंचायत चंदनपुर में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०स० | दिनांक   | व्यय का विवरण | धनराशि          |
|--------|----------|---------------|-----------------|
| 1.     | 02.07.19 | प्रधान मानदेय | 42000.00        |
| 2.     | 31.01.20 | प्रधान मानदेय | 21000.00        |
| 3.     | 24.02.20 | प्रधान मानदेय | 21000.00        |
|        |          | <b>योग</b>    | <b>84000.00</b> |

पंचायतराजअनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसारग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/-मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है. किन्तु उक्त ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु०84000 . किया गया 00मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है. जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया ,की जाँच नहीं की जा सकी .उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरांत-वेतन पंजिका /मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है जो ,ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत1947 राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य , है.

जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान श्री मती लालमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रतनेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 16

- ग्राम पंचायत चंदनपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 19.03.20 को रु० 234200.00 उ० प्रा० वि० में रंगाई पुताई-कार्य हेतु आर. पी. ट्रेडर्स को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय अपुष्ट , रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती लालमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रतनेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 17

- ग्राम पंचायत चंदनपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 01-07.2019. को रु० 19143000.00 का गायत्री मंदिर से राजमार्ग तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य हेतु जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती लालमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रतनेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 18

- आलोच्य वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत चंदनपुर में विभिन्न तिथियों में प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत पर भुगतान कर कैशबुक - : में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है

| क्र०सं० | दिनांक   | व्यय का विवरण                | भुगतान प्राप्तकर्ता       | धनराशि           |
|---------|----------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.      | 12.04.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | ए के. ब्रिक फील्ड .       | 30000.00         |
| 2.      | 16.04.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | निरंकार बिल्डिंग मेटेरिअल | 7778.00          |
| 3.      | 23.05.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | मस्टररोल                  | 9908.00          |
| 4.      | 14.05.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | मस्टररोल                  | 9908.00          |
| 5.      | 04.06.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | मस्टररोल                  | 39966.00         |
| 6.      | 02.07.19 | प्रा० पा० भवन की फर्श मरम्मत | मस्टररोल                  | 9908.00          |
|         |          | <b>योग</b>                   |                           | <b>107468.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो-ग्राम पंचायत के -वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य , है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्तकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती लालमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रतनेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(11) ग्राम पंचायत - खानजहाँपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 19

- आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत खानजहाँपुर में विभिन्न तिथियों में प्राइमरी विद्यालय शिवरा में फर्श मरम्मत कार्य पर भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०सं | दिनांक   | व्यय का विवरण                   | भुगतान प्राप्तकर्ता | धनराशि           |
|--------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.     | 04.07.19 | प्रा० वि० शिवरा में फर्श मरम्मत | ए०एस० कंस्ट्रक्शन   | 79150.00         |
| 2.     | 04.07.19 | प्रा० वि० शिवरा में फर्श मरम्मत | रमा ईट उद्योग       | 20280.00         |
| 3.     | 06.07.19 | प्रा० वि० शिवरा में फर्श मरम्मत | मजदूरी              | 9975.00          |
| 4.     | 22.07.19 | प्रा० वि० शिवरा में फर्श मरम्मत | मजदूरी              | 9828.00          |
| 5.     |          | <b>योग</b>                      |                     | <b>119233.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर (प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधानश्री अमर बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 20

2 आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतखानजहापुर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है , विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं | दिनांक   | व्यय का विवरण  | भुगतान प्राप्तकर्ता    | धनराशि          |
|--------|----------|----------------|------------------------|-----------------|
| 1.     | 21.10.19 | हैंडपंप मरम्मत | शुभम ट्रेडर्स          | 19200.00        |
| 2.     | 22.11.19 | हैंडपंप मरम्मत | शुभम ट्रेडर्स          | 18700.00        |
| 3.     | 22.11.19 | हैंडपंप मरम्मत | शुभम ट्रेडर्स          | 5000.00         |
| 4.     | 20.01.20 | हैंडपंप मरम्मत | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 17880.00        |
| 5.     |          | <b>योग</b>     |                        | <b>60780.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर (प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त कीग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

#### प्रस्तर- 21

3 . ग्राम पंचायत खानजहापुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रा० वि० विद्यालय में दिनांक12.03.2020 को रु० 241457. 00 प्रा० वि० में टाइल्स कार्य हेतु जे० के० ट्रेडर्स को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया-, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(12) ग्राम पंचायत - फतेपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 22**

1 . ग्राम पंचायत फतेपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 26.06. 19को 34500.00 सामग्री क्रय हेतु आर पी. ट्रेडर्स . को भुगतान एवं रु०9000.00 मस्टर रोल पर व्यय कर, कुल रु० 43500.00 कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया-, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है. अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव सुश्री अंशिका श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर- 23**

2 आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत फतेपुर में प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य पर विभिन्न तिथियों में भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है

| क्र० | दिनांक   | व्यय का विवरण                             | ट्रेडर्स              | धनराशि           |
|------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.   | 25.07.19 | प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य | मस्टररोल              | 19646.00         |
| 2.   | 25.07.19 | प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य | अंकित ब्रिक फील्ड     | 50362.00         |
| 3.   | 25.07.19 | प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य | आरपी. ट्रेडर्स .      | 52729.00         |
| 4.   | 26.07.19 | प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य | सुपर बिल्डिंग मटेरियल | 73633.00         |
| 5    | 03.08.19 | प्रा० वि० फतेपुर में शौचालय निर्माण कार्य | मस्टररोल              | 6958.00          |
|      |          | <b>योग</b>                                |                       | <b>203328.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत1947 राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूलीग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव सुश्री अंशिका श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

(13) ग्राम पंचायत - हसनपुर जलालपुर, विकास क्षेत्र - अकबरपुर, जनपद -अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 24**

1 . आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हसनपुर जलालपुर में हैंडपंप मरम्मत एवं हैंडपंप रेबोर पर विभिन्न तिथियों में भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है

| क्र० | दिनांक | व्यय का विवरण | ट्रेडर्स | धनराशि |
|------|--------|---------------|----------|--------|
|------|--------|---------------|----------|--------|

|    |          |                |                    |                  |
|----|----------|----------------|--------------------|------------------|
| 1. | 10-04-19 | हैंडपंप मरम्मत | एएन. कंस्ट्रक्शन . | 13850.00         |
| 2. | 04.06.19 | हैंडपंप रिबोर  | ओम साईं ट्रेडर्स   | 34200.00         |
| 3. | 04.06.19 | हैंडपंप मरम्मत | ओम साईं ट्रेडर्स   | 15500.00         |
| 4. | 20.06.19 | हैंडपंप मरम्मत | उपाध्याय मशीनरी    | 13550.00         |
| 5. | 17.01.20 | हैंडपंप रिबोर  | शुभम ट्रेडर्स      | 34500.00         |
| 6. | 25.02.20 | हैंडपंप मरम्मत | उपाध्याय मशीनरी    | 21526.00         |
|    |          | <b>योग</b>     |                    | <b>133126.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 25**

2 . ग्राम पंचायत हसनपुर जलालपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 20.02.2020 को रु० 36900. हयूम पाइप क्रय हेतु अविनाश कंस्ट्रक्शन को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरान्त-व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 26**

3 . आलोच्य वर्ष 2019-20 में - ग्राम पंचायत हसनपुर जलालपुर में प्रा० पा० में रंगाई-पुताई कार्य पर विभिन्न तिथियों में भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है:-

| क्र० | दिनांक   | व्यय का विवरण                   | ट्रेडर्स       | धनराशि   |
|------|----------|---------------------------------|----------------|----------|
| 1.   | 07.03.20 | प्रा० पा० में रंगाईपुताई कार्य- | महोबा ट्रेडर्स | 93000.00 |
| 2.   | 07.03.20 | प्रा० पा० में रंगाईपुताई कार्य- | महोबा ट्रेडर्स | 66900.00 |

|    |          |                                  |                    |                  |
|----|----------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 3. | 07.03.20 | प्रा० पा० में रंगाई पुताई कार्य- | अविनाश कंस्ट्रक्शन | 39280.00         |
|    |          | <b>योग</b>                       |                    | <b>199180.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली के 19-नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

**(14) ग्राम पंचायत - मुबारकपुर मरैला विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 27**

1 . आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मुबारकपुर मरैला में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०स०     | दिनांक   | व्यय का विवरण | धनराशि          |
|------------|----------|---------------|-----------------|
| 1.         | 16.06.19 | प्रधान मानदेय | 56000.00        |
| 2.         | 17.02.20 | प्रधान मानदेय | 35000.00        |
| <b>योग</b> |          |               | <b>91000.00</b> |

पंचायतराजअनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसारग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/-मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है. किन्तु उक्त ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु० 91000. किया गया. मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है. जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया, की जाँच नहीं की जा सकी .उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत वेतन पंजिका / मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम एवं 205 के विपरीत तथा 204ा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानश्री मती किशनावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

**प्रस्तर- 28**

2 आलोच्य वर्ष 2019-20 में - ग्राम पंचायत मुबारकपुर मरैला में विभिन्न तिथियों में ह्युम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०स०     | दिनांक   | व्यय का विवरण | भुगतान प्राप्तकर्ता    | धनराशि           |
|------------|----------|---------------|------------------------|------------------|
| 1.         | 01.07.19 | ह्युम पाइप    | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 52000.00         |
| 2.         | 15.11.19 | ह्युम पाइप    | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 114400.00        |
| 3.         | 18.11.19 | ह्युम पाइप    | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 83200.00         |
| <b>योग</b> |          |               |                        | <b>249600.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार-मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत1947 राज नियमावली के नियम

204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान श्री मती किशनावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 29**

3 . आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मुबारकपुर मरैला में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं     | दिनांक   | व्यय का विवरण  | भुगतान प्राप्तकर्ता    | धनराशि          |
|------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|
| 1.         | 01.07.19 | हैंडपंप मरम्मत | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 16000.00        |
| 2.         | 17.10.19 | हैंडपंप मरम्मत | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 14500.00        |
| 3.         | 25.11.19 | हैंडपंप मरम्मत | जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स | 12456.00        |
| <b>योग</b> |          |                |                        | <b>42956.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक-उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत1947 राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान श्री मती किशनावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 30**

4. आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मुबारकपुर मरैला में विभिन्न तिथियों में खडंजा मरम्मत पर भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं     | दिनांक   | व्यय का विवरण | धनराशि           |
|------------|----------|---------------|------------------|
| 1.         | 03.12.19 | खडंजा मरम्मत  | 37324.00         |
| 2.         | 20.12.19 | खडंजा मरम्मत  | 43690.00         |
| 3.         | 20.12.19 | खडंजा मरम्मत  | 27531.00         |
| 4.         | 25.12.19 | खडंजा मरम्मत  | 35112.00         |
| 5.         | 25.12.19 | खडंजा मरम्मत  | 22104.00         |
| <b>योग</b> |          |               | <b>165761.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत1947 राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती किशनावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(15) ग्राम पंचायत - कूदामोहम्मदगढ़ विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### **प्रस्तर- 31**

1 . आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कूदा मोहम्मदगढ़ में विभिन्न तिथियों में चौदहवां वित्त से ह्युम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | दिनांक   | व्यय का विवरण | खाता संख्या | धनराशि   |
|----------|----------|---------------|-------------|----------|
| 1.       | 08.08.19 | हयुम पाइप     | 141656      | 52000.00 |
| 2.       | 20.08.19 | हयुम पाइप     | 141557      | 13000.00 |
|          |          | योग           |             | 65000.00 |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बारबार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान .श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 32**

2 . ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 07-08-19 को रु०59800.00 स्ट्रीट लाइट पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है. अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है.

#### **प्रस्तर- 33**

3 . ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 21.09.19 को चौदहवें वित्त से रु० 50000.00 हैंडपंप मरम्मत पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक-उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है. अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 34**

4. आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में विभिन्न तिथियों में चौदहवां वित्त से सेनेटरी कार्य पर भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०सं० | दिनांक   | व्यय का विवरण | धनराशि    |
|---------|----------|---------------|-----------|
| 1.      | 21.09.19 | सेनेटरी कार्य | 58565.00  |
| 2.      | 26.09.19 | सेनेटरी कार्य | 68000.00  |
| 3.      |          | योग           | 126565.00 |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है-, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके



सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूलीग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 35**

5. आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में विभिन्न तिथियों में चौदहवां वित्त से खंडजा मरम्मत पर भुगतान पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत है--:

| क्र०सं० | दिनांक   | व्यय का विवरण      | धनराशि           |
|---------|----------|--------------------|------------------|
| 1.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 17500.00         |
| 2.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 2548.00          |
| 3.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 2548.00          |
| 4.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 2548.00          |
| 5.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 1274.00          |
| 6.      | 31.10.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 2548.00          |
| 7.      | 23.11.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 29983.00         |
| 8.      | 03.12.19 | खंडजा मरम्मत कार्य | 17100.00         |
| 9.      | 29.01.20 | खंडजा मरम्मत कार्य | 37651.00         |
|         |          | <b>योग</b>         | <b>113700.00</b> |

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश (पंचायत 1947 राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूलीग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 36**

6. ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 25.12.2019 को चौदहवें वित्त से रु०245300.00 का स्कूल फर्श मरम्मत कार्य पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरान्त-व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 37**

7. ग्राम पंचायत कूड़ा मोहम्मदगढ़ में आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 11.03.20 को चौदहवें वित्त से रु०52356.00 सोखपिट निर्माण कार्य पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार बार मांगोपरान्त व्यय-प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती संगीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(16) ग्राम पंचायत - मुंगरी विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 38**

ग्राम पंचायत मुंगरी विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

**01-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में व्यय व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | विवरण                                                               | धनराशि रु0 | अन्य |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 04.06.2019 | प्रियासाफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान                                      | 3000.00    |      |
| 06.06.2019 | आंगनवाड़ी शौचालय में मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी भुगतान।               | 2184.00    |      |
| 18.06.2019 | आंगनवाड़ी शौचालय में टाइल्स कार्य हेतु मे0 शुभम ट्रेडर्स को भुगतान। | 7064.00    |      |
| 02.07.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मे0 शुभम ट्रेडर्स को भुगतान    | 15376.00   |      |
|            |                                                                     | 27624.00   |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः अप्रस्तुत वाउचर के सम्बन्ध में उ0प्रा0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती अंजुम एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 39**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार उ0प्रा0 विद्यालय में टाइल्स कार्य दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

| दिनांक     | फर्म का नाम                                                                                     | मजदूरी पर व्यय |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 21.04.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में फर्स एवं टाइल्स कार्य हेतु मजदूरी भुगतान                                   | 8918.00        |  |
| 11.06.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में फर्स एवं टाइल्स कार्य हेतु मजदूरी भुगतान                                   | 9828.00        |  |
| 13.06.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में फर्स एवं टाइल्स कार्य हेतु मजदूरी भुगतान                                   | 9968.00        |  |
| 02.07.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में गेट निर्माण हेतु ओम साईं ट्रेडर्स को भुगतान                                | 11200.00       |  |
| 01.07.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में टाइल्स कार्य हेतु सीमेंट, मोरंग, बालू आदि हेतु मे0 शुभम ट्रेडर्स को भुगतान | 108015.00      |  |
| 01.07.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में टाइल्स कार्य हेतु टाइल्स मूल्य मे0 शुभम ट्रेडर्स को भुगतान                 | 123480.00      |  |
| 02.07.2019 | उ0प्रा0 विद्यालय में शौचालय में पानी सप्लाई हेतु सिनेटरी कार्य हेतु मे0 शुभम ट्रेडर्स को भुगतान | 42360.00       |  |

|            |  |           |  |
|------------|--|-----------|--|
| 02.07.2019 |  | 313669.00 |  |
|------------|--|-----------|--|

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त भुगतान विवरण जो कैशबुक एवं बैंक के अनुसार अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय के पूर्व ही मजदूरी भुगतान की गई है। बिना सामग्री के कार्य का कराया जाना संभव नहीं है।

अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अंजुम एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(17) ग्राम पंचायत - **सिसवा** विकास क्षेत्र - **अकबरपुर** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 40**

ग्राम पंचायत **सिसवा** विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-कैशबुक जांच में पाया गया कि दिनांक 24.10.2019 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर रु. 19863.00 हैंडपम्प मरम्मत पर भुगतान किया गया है। आडिट में व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत पत्रावली में मात्र इस्टीमेट प्राप्त रहा अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से नियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती उमा तथा ग्राम पंचायत/विकास श्री आदित्य सिंह अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(18) ग्राम पंचायत - **लालापुर** विकास क्षेत्र - **अकबरपुर** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 41**

ग्राम पंचायत **लालापुर** विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

कैशबुक जांच में पाया गया कि दिनांक 24.10.2019 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर रु. 38100.00 हैंडपम्प मरम्मत पर भुगतान किया गया है। आडिट में व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत पत्रावली में मात्र इस्टीमेट प्राप्त रहा अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से नियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय लक्ष्मी तथा ग्राम पंचायत/विकास श्री आदित्य सिंह अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(19) ग्राम पंचायत - **बरधा भिउरा** विकास क्षेत्र - **अकबरपुर** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 42**

ग्राम पंचायत **बरधा भिउरा** विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-आडिट में पाया गया कि निम्न ईट/ इण्टरलॉकिंग ब्रिक्स भट्टों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

| कैशबुक भुगतान दिनांक | में का | आपूर्ति फर्म/ईट का नाम | कर्ता भट्टे | खरीद मात्रा/दर/ | मूल्य   | वस्तु/सेवा कीमत(पी0डब्ल्यू0डी0) अनुसार मात्रा/दर/ | की के | मूल्य   | अंतर की धनराशि |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 28.06.2019           |        | अभिषेक फिल्ड भिउरा     | ब्रिक बरधा  | 787/5880        | 4628.00 | 787/4900                                          |       | 3856.00 | 772.00         |

|            |                        |           |          |           |          |         |
|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| 25.11.2019 | चौहान ईट उद्योग कटरिया | 2300/6510 | 14973.00 | 2300/6300 | 14490.00 | 483.00  |
| 09/01-2020 | चौहान ईट उद्योग कटरिया | 3375/6510 | 21971.00 | 3375/6300 | 21263.00 | 708.00  |
| 09.01.2020 | चौहान ईट उद्योग कटरिया | 6450/5985 | 38603.00 | 6450/5700 | 36765.00 | 1838.00 |
|            |                        |           | 80175.00 |           | 76374.00 | 3801.00 |

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 30.06.2019 तक ईट की प्रथम श्रेणी एवं एस0ओ0बी0 श्रेणी की दर क्रमशः रु. 5250 एवं 4900 तथा दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6300 एवं 5700 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में तैनात जेई आर0ई0डी0 (जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) श्री संजय कुमार यादव द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 दर से अधिक (जैसा कि ऊपर विवरण में दर्शाया गया है।) मापी एम0बी0 में दर्ज की गई है जिसके आधार पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु. 3801.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 43

02-(क) ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि प्रा0पा0 बरधा भिउरा में इण्टरलॉकिंग टाइल्स कार्य हेतु जेई द्वारा इस्टीमेट में 215.30 वर्ग मीटर के लिए 80 एम.एम. रबरमोल्ड 6890 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्राविधन रु. 25.96 प्रति टाइल्स की दर किया गया था। परंतु एम.बी. में इसकी मापी के समय 253.19 वर्ग मीटर के लिए 8102 टाइल्स रु. 25.50 प्रति टाइल्स की दर से रु. 206601.00 का किया गया। अंततः ए.एस. इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स बरधा भिउरा के बिल के अनुसार कुल 8100 इण्टरलॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु रु. 25 की दर से रु. 202500.00 का भुगतान किया गया है, जो पी0डब्ल्यू0डी0 की तत्कालीन दर रु. 22.00 से रु. 3.00 अधिक है। उक्त से स्पष्ट है कि 6890 टाइल्स के लिए रु. 22 की दर से कुल रु. 151580.00 का भुगतान किया जाना था जबकि 50920.00 से अधिक रु. 202500.00 का भुगतान किया गया है। यह क्रय ग्राम पंचायत में तैनात जेई आर0ई0डी0 (जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) श्री संजय कुमार यादव द्वारा की गई एम.बी. के आधार पर किया गया है, जिसके कारण रु. 50920.00 से ग्राम पंचायत के धन की क्षति कारित हुई। अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जेई आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(20) ग्राम पंचायत - छित्तनी विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 44

ग्राम पंचायत छित्तनी विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत छित्तनी की आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्टों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

| कैशबुक में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे का नाम | मात्रा/दर/मूल्य | वस्तु/सेवा की कीमत(पी0डब्ल्यू0डी0) के अनुसार मात्रा/दर/मूल्य | अंतर की धनराशि | अन्य |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 04.04.2019                  | आर.डी.आर. ईट उद्दोग उकरा           | 2500/5880/14700 | 2500/4900/12250                                              | 2450.00        |      |
| 04.04.2019                  | आर.डी.आर. ईट उद्दोग उकरा           | 5100/5880/29988 | 5100/4900/24990                                              | 4998.00        |      |

|            |                             |                  |                  |          |  |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 04.04.2019 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 4000/5880/23520  | 4000/4900/19600  | 3920.00  |  |
| 20.04.2019 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 15000/5350/80250 | 15000/4900/73500 | 6750.00  |  |
| 21.05.2019 | शिवा ब्रिक फिल्ड<br>हाजीपुर | 11000/5350/58850 | 11000/4900/53900 | 4950.00  |  |
| 02.08.2019 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 2600/5880/15080  | 2600/5700/14820  | 260.00   |  |
| 22.12.2019 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 12000/5985/71820 | 12000/5700/68400 | 3420.00  |  |
| 22.12.2019 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 9600/6500/62400  | 9600/6300/60480  | 1920.00  |  |
| 18.01.2020 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 6400/6510/41664  | 6400/6300/40320  | 1344.00  |  |
| 18.01.2020 | आर.डी.आर. ईट<br>उद्दोग उकरा | 7987/5985/47802  | 7987/5700/45526  | 2276.00  |  |
|            |                             | 446074.00        | 413786.00        | 32288.00 |  |

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 30.06.2019 तक ईट की प्रथम श्रेणी एवं एस0ओ0बी0 श्रेणी की दर क्रमशः रु. 5250 एवं 4900 तथा दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6300 एवं 5700 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में तैनात जेई आर0ई0डी0 (जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) श्री संजय कुमार यादव द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 दर से अधिक दर पर (जैसा कि ऊपर विवरण में दर्शाया गया है।) मापी एम0बी0 में दर्ज की गई है जिसके आधार पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु. 32288.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है।

इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(21) ग्राम पंचायत - कशेरुआ विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 45

ग्राम पंचायत कशेरुआ विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्ठों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

| कैशबुक भुगतान दिनांक | में का | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्ठे का नाम | खरीद मात्रा/दर/ | मूल्य  | वस्तु/सेवा की कीमत(पी0डब्ल्यू0डी0) अनुसार मात्रा/दर/ | की के | मूल्य | अंतर की धनराशि |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 02.07.2019           |        | ओम प्रकाश वर्मा ईट उद्योग दुर्गपुर | 19800/5350      | 105934 | 19800/4900                                           |       | 97020 | 8914           |

|            |                                          |            |        |            |           |          |
|------------|------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 02.07.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 20000/5350 | 107000 | 20000/4900 | 98000     | 9000     |
| 02.07.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 20200/5350 | 108070 | 20200/4900 | 98990     | 9080     |
| 11.12.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 10000/5985 | 59850  | 10000/5700 | 57000     | 2850     |
| 11.12.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 8000/5985  | 47880  | 8000/5700  | 45600     | 2280     |
| 11.12.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 25000/5985 | 149625 | 25000/5700 | 142500    | 7125     |
| 11.12.2019 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 15000/5985 | 89775  | 15000/5700 | 85500     | 4275     |
| 16.01.2020 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 3522/4985  | 21079  | 3522/5700  | 20075     | 1004     |
| 16.01.2020 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 3815/5985  | 22832  | 3815/5700  | 21745     | 1087     |
| 16.01.2020 | ओम प्रकाश<br>वर्मा ईट उद्योग<br>दुर्गपुर | 6320/5985  | 37825  | 6320/5700  | 36024     | 1801     |
|            |                                          |            |        | 749870.00  | 702454.00 | 47416.00 |

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 30.06.2019 तक ईट की प्रथम श्रेणी एवं एस0ओ0बी0 श्रेणी की दर क्रमशः रु. 5250 एवं 4900 तथा दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6300 एवं 5700 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में तैनात जेई आर0ई0डी0 (जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) श्री संजय कुमार यादव द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 दर से अधिक (जैसा कि ऊपर विवरण में दर्शाया गया है।) मापी एम0बी0 में दर्ज की गई है जिसके आधार पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु. **47416.00** से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(22) ग्राम पंचायत - माउख विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 46

ग्राम पंचायत माउख विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- ग्राम पंचायत माउख की आडिट में पाया गया कि निम्न फर्मों/वेंडरों द्वारा विभिन्न कर््यों हेतु सामग्री सप्लाई हेतु उपलब्ध करायी गयी बिलों के विरुद्ध निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

| कैशबुक में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे/वेंडर का नाम               | भुगतान        |           | कुल भुगतान |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|                             |                                                        | सामग्री मूल्य | जी.एस.टी. |            |
| 13.02.2020                  | गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस रगड़गंज अम्बेडकर नगर | 219803.00     | 22002.00  | 241805.00  |
| 19.02.2020                  | गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस रगड़गंज अम्बेडकर नगर | 207286.00     | 20512.00  | 227798.00  |
|                             |                                                        |               | 42514.00  | 469603.00  |

आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 13.02.2020 एवं 19.02.2020 में गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस रगड़गंज अम्बेडकर नगर द्वारा की गयी सामग्री सप्लाई/सेवा हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल के अनुसार कुल रु. 469603.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें रु. 42514.00 की जी एस टी काटी गयी है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस को रु. 42514.00 का जी एस टी भुगतान जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 47

ग्राम पंचायत माउख की आडिट में पाया गया कि गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस रगड़गंज अम्बेडकर नगर को माध्यमिक विद्यालय माउख की रंगाई-पुताई हेतु, उनके बिल रु0 371197.00, दिनांक 24.01.2020 के विरुद्ध कैशबुक दिनांक 24.02.2020 को रु0 325000.00 तथा दिनांक 02.03.2020 को रु0 20088.00 कुल रु0 345088.00 का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया गया है जो बिल से रु0 26109.00 कम है। शेष भुगतान की कोई सूचना अनुपलब्ध रही। स्पष्ट करना है कि कुल वास्तविक बिल की धनराशि रु0 368251.00 में रु0 44189.00 जी0एस0टी0 के रूप में जोड़ा गया है तथा पुनः 41243.00 सी0पी0 लिखकर घटाया गया है तथा भुगतान योग्य धनराशि रु0 371197.00 का बिल बनाया गया है। ठीक इसी तरह जे0ई द्वारा एम0बी0 भी की गई है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु गौरव हार्ड वेअर एण्ड सेनेटरी हाउस को रु. 44189.00 का जी एस टी भुगतान जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। इसकी ब्याज सहित वसूली जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(23) ग्राम पंचायत - अफजलपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर

जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 48

ग्राम पंचायत अफजलपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- ग्राम पंचायत अफजलपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में प्रायः एक ही तिथि में इण्टरलॉकिंग ईट क्रय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | विवरण                                                                                             | धनराशि रु0 |         |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
|            |                                                                                                   | मटेरियल    | मजदूरी  |           |
| 24.07.2019 | सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान       | 96000.00   | ----    |           |
| 24.07.2019 | रमापति के घर से खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान              | 96000.00   | ----    |           |
| 24.07.2019 | महावीर के घर से रामनेवाज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान   | 96000.00   | -----   |           |
| 30.07.2019 | मस्जिद से सुखराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान           | 48000.00   | ----    |           |
| 31.07.2019 | सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु मजदूरी भुगतान                                | -----      | 9828.00 |           |
| 06.11.2019 | सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु एम/एस बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान             | 15002.00   | -----   |           |
| 06.11.2019 | महावीर के घर से रामनेवाज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु कृष्णा ईट उद्दोग को भुगतान               | 37910.00   | ---     |           |
| 06.11.2019 | सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु कृष्णा ईट उद्दोग को भुगतान                   | 58322.00   | ----    |           |
| 16.12.2019 | जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य                    | 25800.00   | ----    |           |
| 16.12.2019 | जय अम्बे इण्टरपाइजेज को रबरमोल्ड ईट का भुगतान महावीर के घर से रामनेवाज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य | 42075.00   | ----    |           |
| 16.12.2019 | एम/एस बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य                  | 18604.00   | ----    |           |
| 16.12.2019 | एम/एस बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान महावीर के घर से रामनेवाज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य              | 24165.00   | -----   |           |
|            |                                                                                                   | 557878.00  | 9828.00 | 567706.00 |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-1-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में उपलब्ध नहीं कराए गए।
- 02- इण्टरलॉकिंग ईट निर्माता मौजूद होने के बावजूद सप्लायर से ईट क्रय नियमों के विपरीत है।
- 03- एक साथ 4 कार्य योजनाओं पर मटेरियल खरीद दर्शित है केवल सोनू के घर से बहादुर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर रु0 9828.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि मजदूरी पर भुगतान ही नहीं किया गया है।
- 04- एक साथ 04 योजनाओं पर मटेरियल खरीद लगातार 5 माह तक करते रहना परंतु इस्तेमाल न करना धनराशि के अपहरण को पुष्ट करता है। जबकि एक कार्य समाप्ति पर ही दूसरा आरम्भ किए जाने चाहिए।



05- सभी भुगतान फर्म को किए जाने से स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान नहीं किया अतः मटेरियल का निजी हित में उपयोग कर लिया गया है अथवा सम्बन्धित फर्मों से धनराशि वापस ले ली गई है।

06- बिल्डिंग मटेरियल केवल सोनू के घर से बहादुर के घर तक तथा महावीर के घर से रामनेवाज के घर तक के लिये ही खरीदा गया है जो मनमाना अनियमित खरीद की पुष्टि करता है।

वाउचर/मस्टररोल/व्यय पमाणक विहीन किया गया उक्त व्यय ₹0 567706.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान राज बहादुर एवं ग्राम सचिव बबिता वर्मा तथा जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 49**

ग्राम पंचायत अफजलपुर की आडिट में पाया गया कि पिच रोड से बाबूलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु राना कांस्ट्रक्शन को दिनांक 28.02.2020 में ₹0 407370.00 कैशबुक में एक मुश्त भुगतान दर्शित है। इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान एवं कोई अन्य विवरण कैशबुक में अंकित नहीं है। पत्रावली जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

01- वित्तीय स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पिच रोड से मिठाई लाल के घर तक में इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु दिनांक 26.02.2020 में दिया गया है परंतु कार्य पिच रोड से बाबूलाल के घर तक कराया गया है जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

02- वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2020 को दी गई हैं परंतु राना टेडर्स से मटेरियल की खरीद बिल के अनुसार 18 दिन पूर्व दिनांक 08.02.2020 को ही कर ली गई है अतः कार्य एवं कार्य पर किया गया भुगतान नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है।

03- इस कार्य के मस्टररोल ₹0 38262.00 में कार्य की अवधि 16.02.2020 से 29.02.2020 दर्शित है जो बिना मटेरियल के संभव नहीं था अतः मस्टररोल फर्जी एवं कूट रचित हैं। जबकि मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार नहीं किया गया है। अतः कार्य एवं कार्य पर किया गया भुगतान नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है।

04- एम/एस राना कांस्ट्रक्शन जैसिंहपुर सुल्तानपुर से मटेरियल खरीद की गई है जो जनपद के बाहर की फर्म है। संस्था हित में जिले से बाहर की फर्म से खरीद का कोई औचित्य नहीं पाया गया। फर्म द्वारा जे0ई0 द्वारा कि गई एम0बी0 के अनुसार इनक्लूडिंग जी0एस0टी0 बिल आफ सप्लाय पर बिल बनाया गया है। जिसके आधार पर भुगतान किया गया है जे0ई0 द्वारा नियमानुसार बिल में अलग से जी0एस0टी0 न दर्शाकर गलत एम0बी0 की गई है।

अतः उक्त नियम विरुद्ध कराये गये कार्य एवं किए गए भुगतान ₹0 407370.00 के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे0ई0 से स्पष्टीकरण उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान राज बहादुर, ग्राम सचिव बबिता वर्मा एवं जे0ई0 आर0ई0डी0 संजय कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर-50**

ग्राम पंचायत अफजलपुर की आडिट में पाया गया कि पा0पाठशाला में टाइल्स कार्य हेतु मटेरियल खरीद पर दिनांक 13.03.2020 का ओम साईं टेडर्स को ₹0 29085.00 तथा दिनांक 13.03.2020 को जय मां दुर्गे टेडर्स को ₹0 162406.00 का भुगतान किया गया है। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई:-

01- एक ही कार्य पर एक तरह का मटेरियल दो फर्मों से खरीदा जाना निर्माण कार्य नियमों के विपरीत एवं अनियमित है जिस पर जे0ई0 द्वारा एम0बी0 के समय रोक लगाई जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया है।

02- उक्त बिलों की कुल धनराशि ₹0 191491.00 का भुगतान किया गया है जो एम0बी0 में दर्शित धनराशि के सदृश्य है। फर्म ने अपने बिल में जी0एस0टी चार्ज नहीं किया है परंतु एम0बी0 में जी0एस0टी भी चार्ज की गई है परंतु भुगतानित नहीं है। स्पष्ट है कि जे0ई0 द्वारा बिना बिल देखे पहले ही एम0बी0 कर दी गई है।

03- कार्य पर जे0ई0 द्वारा बिना तिथि की ठीके पर कराए गए कार्य के अनुरूप एम0बी0 की गई है परंतु फर्म द्वारा दिए गये बिल में टाइल्स का मूल्य एवं सीमेंट खरीद आदि अंकित किया गया है जबकि कराए गए कार्य का पूर्ण विवरण अंकित किया जाना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि कराया गया कार्य निर्माण कार्य नियमों के विरुद्ध तथा की गई एम0बी0 काल्पनिक है।

अतः उक्त नियम विरुद्ध कराये गये कार्य एवं किए गए भुगतान ₹0 191491.00 के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे0ई0 से स्पष्टीकरण उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त

साक्ष्यों सहित अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान राज बहादुर, ग्राम सचिव बबिता वर्मा एवं से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(24) ग्राम पंचायत - हासिमपुर बरसावा विकास क्षेत्र-अकबरपुर

जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 51**

ग्राम पंचायत हासिमपुर बरसावा विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

**01-** ग्राम पंचायत बरसावा हासिमपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार माइनर से बच्चाराम के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | व्यय विवरण                                                       | धनराशि रु0       |                               |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|            |                                                                  | ईंट खरीद         | मजदूरी                        |
| 22.03.2020 | माइनर से बच्चाराम के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान |                  | 2548.00                       |
| 22.03.2020 | अंश बिक फिल्ड से ईंट खरीद                                        | 119700.00        |                               |
| 22.03.2020 | ओम साईं टेडर्स को भुगतान बाबत उपरोक्त। सामान का नाम अंकित नहीं।  | 22144.00         | -----                         |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 1820.00                       |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 5110.00                       |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 5110.00                       |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 23.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 5110.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 1820.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 5110.00                       |
| 28.03.2020 | खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान                             | -----            | 2548.00                       |
|            |                                                                  | <b>141844.00</b> | <b>44464.00</b>               |
|            |                                                                  |                  | <b>कुल योग-<br/>186308.00</b> |

- 1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त कार्य पर अंश बिक फिल्ड से वाउचर विहीन ईट खरीद रु0 119700.00 तथा वाउचर विहीन ओम साईं टेडर्स को भुगतान रु0 22144.00 की सामग्री का नाम अंकित नहीं रहा कि कौन सा सामान खड़जा निर्माण कार्य पर ओम साईं टेडर्स से खरीदा गया है। इसी प्रकार कुल मजदूरी भुगतान रु0 44464.00 के सापेक्ष पुष्टि में भी मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन कुल व्यय **रु0 186308.00** ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान अनुराधा वर्मा एवं ग्राम सचिव बबिता वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 52

ग्राम पंचायत बरसावां हासिमपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 17.02.2020 में ओम साईं टेडर्स को एक मुस्त रु0 121447.00 का भुगतान पाठशाला में टाइल्स लगाने का कार्य दर्शित कर किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार हुआ है कि नहीं।

अतः उक्त कार्य वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली विहीन व्यय **रु0 121447.00** ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान अनुराधा वर्मा एवं ग्राम सचिव बबिता वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(25) ग्राम पंचायत - खानपुर शाहसलेमपुर, विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 53

ग्राम पंचायत खानपुर शाहसलेमपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत खानपुर शाह सुलेमपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 17.02.2020 में ओम साईं टेडर्स को एक मुस्त रु0 158145.00 का भुगतान पाथमिक पाठशाला में रंगाई पुताई का कार्य दर्शित कर किया गया है। इसी तरह दिनांक 24.03.2020 में 30पा0 विद्यालय की रंगाई पुताई का कार्य दर्शित कर रु0 179419.00 का भुगतान जय मां दुर्गा टेडर्स को किया गया दर्शित है। भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली विहीन कुल व्यय रु0 337564.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती कुंजलता एवं ग्राम सचिव श्री मती बबिता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 54

ग्राम पंचायत खानपुर शाह सुलेमपुर की आडिट में पाया गया कि भूमिगत नाली निर्माण दर्शित करते हुए निम्न प्रकार से ह्यूम पाइप खरीद दर्शित है:-

| कैशबुक दिनांक | व्यय विवरण                                                                                     | धनराशि रु0 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 30.07.2019    | जय मां दुर्गा टेडर्स को भुगतान बाबत अभिलाष के घर से विनय के घर तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप। | 49530.00   |  |

|            |                                                                                                 |           |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 30.07.2019 | जय मां दुर्गा टेडर्स को भुगतान बाबत महेश के घर से सियाराम के घर तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप। | 41600.00  |  |
| 30.07.2019 | जय मां दुर्गा टेडर्स को भुगतान बाबत महेश के घर से सेवाराम के घर तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप। | 41600.00  |  |
| 30.07.2019 | जय मां दुर्गा टेडर्स को भुगतान बाबत सुनील के घर से गड़ही तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप।        | 46800.00  |  |
|            | योग-                                                                                            | 179530.00 |  |

एक साथ कई कार्य हेतु खरीदी गई ह्यूम पाइप से नाली निर्माण पर कोई मजदूरी व्यय नहीं की गई है। जबकि एक कार्य समाप्ति पर ही दूसरा आरम्भ किए जाने चाहिए। इनके बिल भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे खरीद की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि उक्त से ह्यूम पाइप खरीद न करके धनराशि जय मां दुर्गा टेडर्स से वापस ले ली गई है अथवा स्टॉक का निजी हित में उपयोग किया गया है।

अतः उक्त वाउचर/बिल विहीन व्यय रु0 179530.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती कुंजलता एवं ग्राम सचिव श्री मती बबिता वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 55

ग्राम पंचायत खानपुर शाह सुलेमपुर की आडिट में पाया गया कि मेन सड़क से मयाराम यादव के ईट भट्टे तक मिट्टी खड़जा कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य पर सीमेंट इस्टीमेट से 29 बोरी, रु0 9280 से अधिक, फाइनसैण्ड 2.32 घ.मी. रु0 1705 से अधिक, कोर्स सैण्ड 0.64 घ.मी. रु0 1376 से अधिक, बिकबैलास्ट 40.63 घ.मी. रु0 4130 से अधिक एवं स्टोन गिड 1.33 घ.मी. रु0 4256 से अधिक कुल रु0 20747.00 से अनियमित अधिक की खरीद एवं भुगतान किया गया दर्शित है। यह भुगतान श्री संजय कुमार यादव की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण, इस्टीमेट के अनुरूप कार्य कराए जाने आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण श्री संजय कुमार यादव से उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित अपेक्षित है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में रु0 20747.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती कुंजलता एवं ग्राम सचिव श्री मती बबिता वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### (26) ग्राम पंचायत - अटंगी विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

##### प्रस्तर-56

ग्राम पंचायत अटंगी विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- ग्राम पंचायत अटंगी की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | विवरण                                    | धनराशि रु0 | अन्य |
|------------|------------------------------------------|------------|------|
| 01.05.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 36500.00   |      |
| 03.05.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 36202.00   |      |
| 06.05.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 37500.00   |      |
|            | योग-                                     | 110202.00  |      |

01-उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

02-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की आइडी शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप उपलब्ध नहीं रही।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती प्रतिभा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दिवाकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-57**

ग्राम पंचायत अटंगी की आडिट में पाया गया कि दिनांक 31.07.2019 में भुगतान बाबत उ0पा0 विद्यालय में टाइल्स लगाने का कार्य रु0 78575.00 का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कैशबुक में फर्म का नाम भी अंकित नहीं किया गया था कि किसको भुगतान किया गया है। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती प्रतिभा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दिवाकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(27) ग्राम पंचायत - अशरफाबाद विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-58**

ग्राम पंचायत अशरफाबाद विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत अशरफाबाद की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 27.01.2020 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान शुभम टेडर्स को रु0 38573.00 एवं रु0 32460.00 तथा दिनांक 19.11.2019 में हैण्डपम्प चौकी मरम्मत व्यय रु0 33849.00 कुल रु0 104882.00 की पत्रावली आडिट में दिखाई नहीं जा सकी अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 104882.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सत्येन्द वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दिवाकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(28) ग्राम पंचायत - चन्दनपारा विकास क्षेत्र -अकबरपुर**

**जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-59**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 539000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 539000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री सुशीव वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री जयराम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(29) ग्राम पंचायत - अधियरवा विकास क्षेत्र -अकबरपुर**

**जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-60**

ग्राम पंचायत **अधियरवा** विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 374000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 374000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दीपक कुमार एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-61**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि पी०एम०एफ०एस से भुगतान के पूर्व में भुगतानित प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र० | दिनांक     | आनलाईन कैशबुक में व्यय विवरण                                                     | धनराशि ₹0 | अन्य/बैंक के अनुसार व्यय विवरण                                                             |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 05.04.2019 | शोचालय निर्माण कार्य हेतु <b>लेबर को</b> चेक सं० 000197 से भुगतान                | 48200.00  | बैंक के अनुसार <b>राज ट्रेडर्स</b> को चेक सं० 12030731 से भुगतान किया गया है.              |
| 02   | 20.04.2019 | शोचालय निर्माण कार्य हेतु <b>ए०एस० कांस्ट्रक्शन</b> को चेक सं० 000184 से भुगतान  | 51336.00  | बैंक के अनुसार <b>रक्षाराम</b> को को चेक सं० 12030737 से भुगतान किया गया है.               |
| 03   | 22.04.2019 | शोचालय निर्माण कार्य हेतु <b>शुभम ट्रेडर्स</b> को को चेक सं० 000196 से भुगतान    | 84148.00  | बैंक के अनुसार <b>निखिल बिल्डिंग मटेरियल</b> को को चेक सं० 12030736 से भुगतान किया गया है. |
| 04   | 24.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु ग्राम पंचायत <b>लेबर</b> को चेक सं० 000195 से भुगतान | 13800.00  | बैंक के अनुसार <b>जे०के० टेडर्स</b> को को चेक सं० 12034990 से भुगतान किया गया है.          |
| 05   | 15.07.2019 | टाइल्स लगवाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत <b>लेबर</b> को चेक सं० 000187 से भुगतान     | 10600.00  | बैंक के अनुसार <b>जे०के० टेडर्स</b> को चेक सं० 12034993/ 01.07.2019 से भुगतान किया गया है. |
| 06   | 20.07.2019 | टाइल्स लगवाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत <b>लेबर</b> को चेक सं० 000192 से भुगतान     | 37250.00  | बैंक के अनुसार <b>जे०के० टेडर्स</b> को चेक सं० 12034998 से भुगतान किया गया है.             |
|      |            | योग-                                                                             | 245334.00 |                                                                                            |

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त व्ययों के सापेक्ष आडिट में पुष्टिपरक प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए।
- 02- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 01, 04, 05, एवं 06 पर दर्शित व्ययों को कैशबुक में लेबर पर दिखाया गया है जबकि बैंक के अनुसार इनका भुगतान फर्म को एकाउण्ट पेई चेक से किया गया है। ऐसा स्थिति में लेबर को भुगतान किया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि व्यय कूट रचित किया गया है जिनकी भुगतान रसीद भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
- 03- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 02 एवं 03 पर दर्शित व्यय भी कूट रचित एवं फर्जी किए गए हैं क्योंकि कैशबुक में जिस फर्म को भुगतान दर्शाया गया है उससे भिन्न फर्म को बैंक से भुगतान कराया गया है।

अतः वाउचर विहीन एवं कूट रचित उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं कैशबुक में कूटकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में आपत्ति में सन्निहित रु0 245334.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दीपक कुमार एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(30) ग्राम पंचायत - गौरा विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-62

ग्राम पंचायत गौरा विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 232000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 232000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामअचल एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-63

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | विवरण                                                | धनराशि रु0 | अन्य |
|------------|------------------------------------------------------|------------|------|
| 03.04.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बजरंगी मशीनरी उद्योग को भुगतान | 16220.00   |      |
| 24.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ओम साई कान्स्ट्रक्शन को भुगतान | 16850.00   |      |
| 26.08.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ए0एस0 कान्स्ट्रक्शन को भुगतान  | 15200.00   |      |
|            | योग-                                                 | 48270.00   |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 03- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

विवरणहीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 48270.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामअचल एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-64

प्रा0विद्यालय गौरा में सेनेटरी कार्य हेतु ओम साईं ट्रेडर्स को दिनांक 10.05.2019 में ₹0 43106.00 का भुगतान किया गया है जिसमें निम्नआपत्तियां पाई गई हैं:-

01-उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी।

विवरणहीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 25 ल 6 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामअचल एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-65**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया ₹0 132960.00 कि इण्टरलॉकिंग ईट ए0एस0 कांस्ट्रक्शन से दिनांक 26.07.2019 में क्रय की गई दर्शित है जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक एवं भुगतान आडिट में अनियमित पाये गए। उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है।

02-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत के कार्य से लेकर स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत का कार्य, ह्यूम पाइप बिक्री का कार्य, इण्टरलॉकिंग का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल बिक्री का कार्य तथा टाइल्स लगाने का कार्य अर्थात् ठेकेदार एवं बिक्रेता का कार्य एक साथ करते हैं। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-ठेके से कार्य कराया जाना ग्राम पंचायतों में चालू योजनाओं के मजदूरी सृजन के उद्देश्यों के विपरीत है।

04- इण्टरलॉकिंग ईट निर्माता मौजूद होने के बावजूद सप्लायर से ईट क्रय नियमों के विपरीत है।

व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 132960.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामअचल एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-66**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप ए0एस0 कांस्ट्रक्शन से दिनांक 09.08.2019 में ₹0 26000.00 की क्रय दर्शित की गई है। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

03-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

04-आडिट आनलाइन कैशबुक में इसका भुगतान रामा ईट उद्योग को किया जाना दर्शाया गया है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹ 26000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामअचल एवं ग्राम सचिव श्री अतुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।



**प्रस्तर-67**

ग्राम पंचायत जमुनीपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 325000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 325000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राम अनुज, एवं ग्राम प्रधान अरी सुरेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-68**

ग्राम पंचायत जमुनीपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में प्रा०वि० जमुनीपुर की फर्श मरम्मत एवं टाइल्स लगाने के कार्य पर दिनांक 13.02.2020 को ₹0 170315.00 में शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर को सामग्री हेतु भुगतान तथा दिनांक 22.02.2020 को ₹0 20195.00 ईट क्रय का भुगतान यादव ब्रिक फिल्ड को तथा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 56392.00 की मजदूरी कुल ₹0 246902.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

- 01- मे० शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर अकबरपुर से दिनांक 13.02.2020 में ₹0 170315.00 का प्राप्त टैक्स इनवॉयस नं० 77 पत्रावली में पूरी तरह ब्लैंक संलग्न किया गया है, जो आडिट में अमान्य पाया गया।
- 02- उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान ₹0 56392.00 के मस्टररोल पर ग्राम पंचायत का नाम, कार्य कराए जाने की अवधि, मजदूरों की हाजिरी एवं हस्ताक्षर एवं कार्यदाई संस्था के सक्षम अधिकारियों एवं प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं रहे। मस्टररोल पर मात्र मजदूरों के नाम एवं उनको भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी की धनराशि मस्टर रोल के एक साइड में अंकित किया गया था। आडिट में मस्टररोल अमान्य पाया गया।
- 03- दिनांक 22.02.2020 को ₹0 20195.00 की ईट क्रय का भुगतान यादव ब्रिक फिल्ड को किया गया था परंतु आडिट में उक्त भुगतान का बिल अप्राप्त रहा।
- 04- कार्य की एम०बी० सक्षम कार्यालय से निर्गत नहीं रही तथा पूरी तरह से विवरणहीन एवं तिथि विहीन प्राप्त रही। एम०बी० पर अनिवार्य रूप से अंकित की जाने वाली प्रारंभिक सूचनाएं अंकित नहीं रहीं जो सूचना छिपाने का प्रयास है जिससे पूर्ण जांच न हो सके।
- 05- जे०ई०आर०ई०डी० अकबरपुर द्वारा सेनेटरी कार्य पर व्यय अंकित करते हुए इस्टीमेट के अंत में विवरणहीन ₹0 11000.00 क्लब कर दिया गया है। इसकी एम०बी० में भी इसी प्रकार विवरणहीन धनराशि ₹0 10000.00 क्लब की गई है जिसका भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है जबकि सेनेटरी का कोई सामान अलग से क्रय नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि इस्टीमेट ₹0 47117.00 के विरुद्ध एम०बी० ₹0 46550.00 की तथा कैशबुक के अनुसार ₹0 9275.00 से अधिक ₹0 56392.00 का किया गया है जो नियम विरुद्ध है।
- 06- मे० शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर अकबरपुर को एम०बी० के अनुसार ₹0 9000.00 का दरवाजे का भुगतान किया गया है जबकि उक्त फर्म फर्नीचर का कार्य नहीं करती है।
- 07- मे० शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर अकबरपुर एक रेगुलर फर्म है परंतु जे०ई० द्वारा किसी प्रकार की जी०एस०टी० का प्राविधान नहीं किया गया है।
- 08- जे०ई०आर०ई०डी० अकबरपुर द्वारा बिलों/वाउचरों का विवरण एम०बी० पर न दिया जाना सूचनाओं को छिपाना है। क्योंकि उक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि बिल एवं मस्टररोल जे०ई० द्वारा बिना देखे क्रय के पूर्व एम०बी० की गई है जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली में प्रमाणक विहीन व्यय एवं नियम विरुद्ध बिल/मस्टर रोल के आधार पर किये गये दावे आडिट में अमान्य पाए गए एवं अन्य पाई गई अनियमितताएं जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत गबन/वसूली योग्य मानी गई हैं तथा इसकी वसूली की अपेक्षा

ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय प्रमाणक विहीन एवं अमान्य बिलों के आधार पर किए गए भुगतान के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि ₹ 246902.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम सचिव श्री राम अनुज एवं जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-69

03-ग्राम पंचायत जमुनीपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि मे0 शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर को हैण्डपम्प मरम्त पर कैशबुक के अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया:-

| क्रमांक | कैशबुक दिनांक | कार्य का विवरण                                                          | टैक्स नं0 | इनवाँयस व्यय ₹0 | धनराशि | • |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---|
| 1.      | 16.12.2019    | ग्राम पंचायत जमुनीपुर में सुभाष सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 51.       | 32879.00        |        |   |
| 2.      | 18.12.2019    | ग्राम पंचायत जमुनीपुर में मुकेश के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य      | 52.       | 36241.00        |        |   |
| 3.      | 20.12.2019    | ग्राम पंचायत जमुनीपुर में काली जी के स्थान के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 56.       | 34602.00        |        |   |
| 4.      | 20.12.2019    | ग्राम पंचायत जमुनीपुर में इन्द्रसेन के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य        | 57.       | 34312.00        |        |   |
| 5.      | 20.01.2020    | ग्राम पंचायत जमुनीपुर में रतिपाल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य     | 65.       | 35544.00        |        |   |
|         |               | योग-                                                                    |           | 173578.00       |        |   |

उक्त विवरण में दर्शित व्यय पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गई:-

- उक्त विवरण में दर्शित मे0 शिव प्रेशर बोरिंग मशीन करमुलहा जमुनीपुर अकबरपुर के प्राप्त टैक्स इनवाँयस नं0 51, 52, 56, 57 एवं 65 सम्बन्धित पत्रावलियों में पूरी तरह ब्लैंक(सादा) संलग्न किया गया है, जो आडिट में अमान्य पाया गया।
- एम0बी0, इस्टीमेट एवं टैक्स इनवायस आदि किसी भी प्रमाणक पर किसी भी स्थान पर तिथि अंकित अंकित नहीं की गई थी। जे0ई0आर0ई0डी0 द्वारा कार्य का काल्पनिक इस्टीमेट बनाया गया है और कार्य के पूर्व कागजी एम0बी0 की गई है क्योंकि टैक्स इनवायस का विवरण एम0बी0 पर एवं ठीक इसी प्रकार एम0बी0 का विवरण टैक्स इनवायस पर अंकित नहीं किया गया है और फर्म द्वारा जी0एस0टी0 चार्ज नहीं किया गया है जबकि एम0बी0 में प्राविधान किया गया है और फर्म को इसका भुगतान भी किया गया है।
- सभी हैण्डपम्प रिबोर एक साथ 4 दिन के अंदर कराकर भुगतान किये गये हैं। उक्त रिबोर के बाद प्राप्त पुराने पार्ट के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

अतः उक्त कार्य पत्रावलियों में विवरण शून्य एवं नियम विरुद्ध प्राप्त ब्लैंक टैक्स इनवायस के आधार पर किये गये दावे आडिट में अमान्य पाए गए हैं जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य मानी गई है तथा इसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः नियम विरुद्ध प्राप्त ब्लैंक (सादे) टैक्स इनवायस के आधार पर किये गये गए भुगतान के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि ₹ 173578.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम सचिव श्री राम अनुज एवं जे0ई0आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(32) ग्राम पंचायत - मीरपुर शेखपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-70

ग्राम पंचायत मीरपुर शेखपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 189000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹ 189000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी प्रियंका श्रीवास्तव, एवं ग्राम प्रधान श्री देव नारायण तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-71**

02-ग्राम पंचायत की आडिट वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दिनांक 04.04.2019 में ₹0 9975.00 तथा 05-04-2019 में ₹0 9975.00 कुल ₹0 19950.00 खड़जा निर्माण कार्य दर्शित करते हुए व्यय किया गया है। बैंक के अनुसार इसका भुगतान प्रधान श्री देवमणि तिवारी को नकद किया गया है उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान किस कार्य पर किया गया है तथा किस मद पर किया गया है इसका कोई विवरण कैशबुक आदि किसी भी अभिलेख में प्राप्त नहीं रहा। इससे सम्बन्धित मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः उक्त विवरणहीन नियम विरुद्ध बिना मस्टर रोल के किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन/वसूली योग्य हैं तथा इसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय प्रमाणक विहीन एवं एवं विवरणहीन भुगतान के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि ₹ 19950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री देव नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-72**

कैशबुक दिनांक 05-04-2019 में जय मा दुर्गे ट्रेडर्स से ₹0 39000.00 की ह्यूमपाइप क्रय अंकित करते हुए भुगतान दर्शित है। इसके अतिरिक्त कोई सूचना कार्य एवं क्रय के सम्बन्ध में यथा ह्यूमपाइप क्रय का उद्देश्य, कार्य का नाम अथवा लगवाए जाने का स्थान आदि प्राप्त नहीं रही। आडिट में प्राप्त बिल पर प्रोपाइटर के हस्ताक्षर, बिल तिथि, वाहन संख्या आदि अंकित नहीं पाया गया अतः बिल भी अनियमित पाया गया। आडिट में अमान्य दावे ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य मानी गई हैं तथा इसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः नियम विरुद्ध बिलों के आधार पर भुगतान के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि ₹ 39000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री देव नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-73**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 03.03.2020 में भुगतान बाबत पिच रोड से हरिजन बस्ती होते हुए मेन खड़जा एवं उर्मिला के घर तक ₹0 93220.00 का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कैशबुक में फर्म का नाम भी अंकित नहीं किया गया था कि किसको भुगतान किया गया है। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री देव नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(33) ग्राम पंचायत - कोटवा महमदपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर**

**जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-74**

ग्राम पंचायत कोटवा महमदपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-  
लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-25.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय .स्थानान्तरण ₹/ 17300.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई

जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली व्यय प्रमाणक विहीन व्यय/ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 17300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम बली एवं ग्राम सचिव सुश्री प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-75

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्नानुसार क्रय इण्टरलॉकिंग ईट की दर पी0डब्ल्यू0डी0 की प्रचलित दर ₹0 22 से अधिक ₹0 25.50 लगाकर अधिक भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | विवरण                                                                                                          | धनराशि ₹0<br>क्रयदर ₹0 25.50<br>के अनुसार मूल्य | पी0डब्ल्यू0डी0 की<br>प्रचलित दर<br>₹0 22 के अनुसार<br>ईट का मूल्य | अधिक भुगतान<br>का अंतर |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 07.12.2019 | बनवारी के घर से श्रीराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान 5100 ईट         | 130050.00                                       | 112200.00                                                         | 17850.00               |
| 13.12.2019 | बहादुर के घर से केशवराम वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान 5700 ईट | 145350.00                                       | 125400.00                                                         | 19950.00               |
| 06.11.2019 | उदय राज के घर से लालता प्रसाद के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय जय अम्बे इण्टरपाइजेज को भुगतान 5683 ईट   | 144916.00                                       | 125026.00                                                         | 19890.00               |
|            |                                                                                                                |                                                 |                                                                   | 57650.00               |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-इण्टरलॉकिंग ईट निर्माता मौजूद होने के बावजूद सप्लायर से ईट क्रय नियमों के विपरीत करके ₹0 22 के स्थान पर ₹0 25.50 की अधिक दर से ईट क्रय करके राजकीय धन ₹0 57650.00 की हानि की गई है। अतः 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामबली एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-76

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 134000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 134000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामबली एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(34) ग्राम पंचायत - हरिपुर जगदीशपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-77

ग्राम पंचायत हरिपुर जगदीशपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में दिनांक-25.12.2019 को रु. 51264.00 मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित किया गया है। बैंक के अनुसार इसका भुगतान व्यक्तिगत श्री दिलीप कुमार को किया गया है। इसकी पुष्टि प्रस्तुत व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अमान्य रहा। इतनी अधिक धनराशि का भुगतान सादे कागज की रसीद पर नकद एवं व्यक्तिगत किया जाना नियमों के विपरीत है। यह कार्य किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से कराया जाना चाहिये था। अतः नकद भुगतान दर्शाकर यह धनराशि अपहृत की गई है। आडिट में उक्त रसीद अमान्य है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं तथा इसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः नियम विरुद्ध प्रमाणक के आधार पर भुगतान के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि रु0 51264.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राकेश कुमार राजभर एवं ग्राम सचिव सुश्री प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-78**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 13.05.2019 में भिन्न-भिन्न स्थानों पर सोलह लाइट मरम्मत हेतु खर्च रु0 35700.00 एवं दिनांक 06.11.2019 में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पटिया निर्माण हेतु मटेरियल क्रय प्रजा ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान रु0 196523.00 कुल रु0 232223.00 के वाउचर/पत्रावली आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सके। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 232223.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राकेश कुमार राजभर एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-79**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 225000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 225000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राकेश कुमार राजभर एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(35) ग्राम पंचायत - संग्रामपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-80**

ग्राम पंचायत संग्रामपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 03.03.2020 में बाबत रईस के खेत से राम उजागिर के खेत मिट्टी खडंगा निर्माण पर कुल रु0 233496.00 का भुगतान दर्शित है जिसमें रु0 177754.00 ईंट क्रय हेतु रामा ईंट उद्दोग को, रु0 23710.00 मिट्टी पटाई हेतु ए0एस0 कन्सट्रक्शन को तथा रु0 32032.00 मजदूरों को भुगतान दर्शित है। जिसमें निम्नआपत्तियां पाई गई-

01- कई बार पत्राचार से एवं मौखिक कार्यक्रम के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित वाउचर्स/व्यय पत्रावली व्यय की पुष्टि हेतु आडिट में प्रस्तुत नहीं कराई गई।

- 02- उक्त कार्य हेतु रु0 177754.00 ईट क्रय हेतु रामा ईट उद्दोग को भुगतान किया गया है कैशबुक में मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। भुगतान की गई धनराशि ईट की प्रचलित दर के हजार के गूणांक में नहीं है अतः दर के आधार पर भी इसकी मात्रा का ज्ञान नहीं हो सका जिससे सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।
- 03- उक्तानुसार कैश बुक में दिनांक 03.03.2020 को रु0 23710.00 मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शित कर ए0एस0 कन्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है। बिल के अभाव में इसकी भी जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त कार्य पर रु0 32032.00 मजदूरी की भुगतान दर्शित है परंतु मस्टररोल आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सही भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल रु0 233496.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेषनाथ सिंह एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-81

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 265000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 265000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेषनाथ सिंह एवं ग्राम सचिव प्रियंका श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(36) ग्राम पंचायत - उकरा विकास क्षेत्र -अकबरपुर

जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-82

ग्राम पंचायत उकरा विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 650000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 650000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री चूडामणि , एवं ग्राम प्रधान श्री श्रीपति से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-83

ग्राम पंचायत उकरा की आडिट में पाया गया कि निम्न फर्मों/वेंडरों द्वारा विभिन्न कर्तव्यों हेतु सामग्री सप्लाई हेतु उपलब्ध करायी गयी बिलों के विरुद्ध निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

| कैशबुक में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे/वेंडर का नाम | भुगतान        |           |     | कुल शुद्ध भुगतान |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----|------------------|
|                             |                                          | सामग्री मूल्य | जी.एस.टी. | योग |                  |
|                             |                                          |               |           |     |                  |

|            |                                                                                                        |           |                 |           |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 21.11.2019 | प्रा0वि0 उकरा में फर्श मरम्मत/टाइल्स लगवाई हेतु शुभम ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर अम्बेडकर नगर को भुगतान   | 203953.56 | 24474.43        | 228427.99 | 228428.88 |
| 29.11.2019 | जू0वि0 उकरा में फर्श मरम्मत/टाइल्स लगवाई हेतु शुभम ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर अम्बेडकर नगर को भुगतान नगर | 194850.44 | 19485.04        | 214335.48 | 214335.00 |
| 06.02.2020 | प्रा0वि0 उकरा में फर्श रंगाई पुताई हेतु शुभम ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर अम्बेडकर नगर को भुगतान           | 216915.87 | 26024.90        | 242945.77 | 242000.00 |
|            | <b>योग कुल जी0एस0टी0</b>                                                                               |           | <b>69984.37</b> |           |           |

आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 21.11.2019, 29.11.2019 तथा 06.02.2020 में शुभम ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर अम्बेडकर नगर द्वारा की गयी सामग्री सप्लाई/सेवा हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल के अनुसार उक्त विवरणानुसार कुल रु0 69984.00 की जी एस टी .काटी गयी है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। शुभम ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर अम्बेडकर नगर को रु. 69984.00 का जी एस टी .भुगतान जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। माप पुस्तिका में जी0एस0टी0 की एम0बी0 अलग से की गई है जबकि बिल में मूल्य में जी0एस0टी0 शामिल करके लिया गया है। स्पष्ट है कि बिना बिल फर्म से प्राप्त किए पहले ही एम0बी0 की गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण एवं जांच आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। अतः इस सम्बन्ध में श्री संजय कुमार यादव से उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा स्पष्टीकरण न दिए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 69984.00 की ब्याज सहित वसूली श्री संजय कुमार यादव जेई0आर0ई0डी0 से उक्त नियमावली के नियम 257 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है।

(37) ग्राम पंचायत - रुकनुद्दीनपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर

जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-84

ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1250000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है। अतः उक्त कुल व्यय रु 1250000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री चूडामणि , एवं ग्राम प्रधान श्री लल्लन यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(38) ग्राम पंचायत - कयामुद्दीनपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर

जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-85

ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की मैनुअल कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 22.01.2020 को ₹0 119600.00 जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को पीएफएमएस से भुगतान, दिनांक 22.01.2020 को ₹0 47213.00 बिल्डिंग मटेरियल का पीएफएमएस से भुगतान तथा दिनांक 22.01.2020 को ₹0 47506.00 आरएआर ईट उद्दोग को ईट का भुगतान कुल भुगतान ₹0 214319.00 का दर्शित किया गया है। कैशबुक में कहीं भी कार्य का नाम अंकित नहीं किया गया है जो कैशबुक बनाए जाने के उद्देश्य के विपरीत है। बैंक स्टेटमेंट में वेंडर/फर्म के नाम का विवरण अंकित न होने के कारण भुगतान की विधि का ज्ञान नहीं हो पाया। ई ग्राम स्वराज पर पेमेंट वाउचर डिटेल्स के अनुसार यह भुगतान वंशराज के घर से भैरोदीन के घर तक भूमिगत नाली निर्माण पर व्यय किया गया है। परंतु कैशबुक में कहीं भी इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया गया दर्शित नहीं है जो सामग्री उपभोग किए जाने का प्रमाण है।

उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाउचर विहीन एवं विवरण विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 से अनधिक अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्थिति में ₹0 214319.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त नियमावली के नियम 257 के अन्तर्गत ग्राम-प्रधान श्री मती चन्द्रावती देवी एवं ग्राम सचिव अखण्ड प्रताप वर्मा से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-86**

ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की मैनुअल कैशबुक जांच में पाया गया कि दिनांक रहित ₹0 111800.00 जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को प्रहलाद के घर से दयाराम के घर तक भूमिगत नाली निर्माण हेतु ह्यूमपाइप का भुगतान चेक संख्या 133731 से किया गया है। ई ग्राम स्वराज पर पेमेंट वाउचर डिटेल्स के अनुसार यह भुगतान नाली निर्माण पर व्यय किया गया दर्शित है। परंतु कैशबुक में एवं कहीं भी इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी भुगतान कार्य का कराया जाना किस प्रकार संभव हो सकता है।

उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाउचर विहीन एवं विवरण विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 से अनधिक अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्थिति में ₹0 111800.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त नियमावली के नियम 257 के अन्तर्गत ग्राम-प्रधान श्री मती चन्द्रावती देवी एवं ग्राम सचिव अखण्ड प्रताप वर्मा से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-87**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 3579000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 3579000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती चन्द्रावती देवी एवं ग्राम सचिव अखण्ड प्रताप वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(39) ग्राम पंचायत - मानिकपुर विकास क्षेत्र -अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-88**

ग्राम पंचायत मानिकपुर विकास खण्ड अकबरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 164000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा



में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 164000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक उपाध्याय, एवं ग्राम प्रधान श्री राम उजागिर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-89

ग्राम पंचायत मानिकपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 20.03.2020 में आशिर्वाद सेनेटरी को एक मुस्त रु0 182851.00 का भुगतान पाथमिक पाठशाला में रंगाई पुताई कार्य पर दर्शित किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली विहीन कुल व्यय रु0 182851.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम उजागिर एवं ग्राम सचिव श्री अभिषेक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(40) ग्राम पंचायत - बनगाँव विकास क्षेत्र -अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-90

ग्राम पंचायत बनगाँव विकास खण्ड अकबरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनके सम्बन्ध में ,नियमों में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/वसूली की समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में प्रायः एक ही तिथि में इण्टरलॉकिंग ईट बिना किसी कार्य योजना के क्रय किया गया दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण                                    | धनराशि रु0       | अन्य |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान       | 96000.00         |      |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान       | 96000.00         |      |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान       | 96000.00         |      |
| 22.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 96000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 96000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 96000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 96000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 98400.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 96000.00         |      |
|            | <b>योग-</b>                                               | <b>866400.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग ईट क्रय से सम्बन्धित भुगतान वाउचर आडिट में अनियमित पाये गए। कैशबुक में दर्शित विभिन्न तिथियों में उक्त फर्मों को भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष कोई बिल प्राप्त नहीं रहा बल्कि इससे भिन्न धनराशि के बिल प्राप्त रहे जिनकी एम0बी0 भी की गई है। एमबी एवं प्राप्त बिलों की धनराशि में तथा कैशबुक में भुगतान की गई धनराशि में कोई भी साम्यता एवं तालमेल नहीं पाया गया।
- 02- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 03- इण्टरलॉकिंग ईट का क्रय कार्य के हिसाब से न करके एकमुस्त और मनमाने ढंग से किया गया है। किस तिथि की इण्टरलॉकिंग ईट किस कार्य के लिए क्रय की गई है इसका कोई भी विवरण अप्राप्त रहा।
- 04- मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार 04.06.2019 तक कर दिया गया है जबकि इण्टरलॉकिंग ईट का क्रय 01-07-2019 में भी कई बार किया गया है।
- 05- जेई आर0ई0डी0 द्वारा बिना बिल/वाउचर की जांच के एम0बी0 की गई है जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि एमबी ईट क्रय के पूर्व ही कर दी गई है क्योंकि कैशबुक में क्रय ईट की मात्रा एवं भुगतान की धनराशि में कोई साम्यता नहीं पाई गई जो पूर्णतया उत्तरदायित्व विहीन कार्य है।
- 06- मस्टररोल पर कार्यावधि अंकित नहीं है। एम0बी0 तिथि विहीन है तथा बिलों पर भी तिथि अंकित नहीं पाई गई।
- 07- एक साथ लगातार किए गये उक्त क्रय से स्पष्ट है कि डोंगल लागू होने के पूर्व बिना किसी कार्य योजना के उक्त धनराशियां सम्बन्धित फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई हैं तथा बाद में इनके बिल काल्पनिक कार्यों अथवा पूर्व में हो चुके कार्यों के आधार पर प्राप्त कर खारिज किए गए हैं जिनका भुगतान एवं कार्य से कोई सामंजस्य नहीं है और जो पूर्णतया अनियमित एवं वसूली योग्य हैं।

नियमों के विपरीत वाउचर/प्रमाणक के आधार पर किए गए व्यय आडिट में अमान्य पाये गये जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य हैं। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **उक्त रु0 866400.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री पंकज कुमार एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा एवं जेई आर0ई0डी0 श्री संजय यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-91**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक निम्न तिथियों में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण हेतु निम्न प्रकार मजदूरी पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण                                      | धनराशि रु0      | अन्य |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 26.04.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग सीसी रोड से अन्नू के घर तक        | 20920.00        |      |
| 10.05.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग माइनर से चन्दू के घर तक           | 21966.00        |      |
| 24.05.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग आजाद सिंह के घर से राजेश के घर तक | 26673.00        |      |
| 31.05.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग राजेश के घर से सचिन की दुकान तक   | 14644.00        |      |
| 04.06.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग राजेश के घर से सचिन की दुकान तक   | 8368.00         |      |
|            | <b>योग-</b>                                                 | <b>92571.00</b> |      |

उक्त मजदूरी व्यय से सम्बन्धित मस्टररोल आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत नियम विरुद्ध है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव तथा जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 से अनधिक अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्थिति में **रु0 92571.00** की ब्याज सहित वसूली उक्त नियमावली के नियम 257 के ग्राम-प्रधान श्री पंकज कुमार एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा एवं जेई आर0ई0डी0 श्री संजय यादव से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-92

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न तिथियों में निर्माण सामग्री क्रय की गई है। जो बिना किसी कार्य योजना के क्रय किया गया दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण           | धनराशि रु0       | अन्य       |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 11.04.2019 | शुभम ईट उद्योग को भुगतान         | 106000.00        |            |
| 31.05.2019 | एस0के0एस0 ईट भट्ठे को भुगतान     | 20947.00         | नकद भुगतान |
| 01.06.2019 | एस0के0एस0 ईट भट्ठे को भुगतान     | 53000.00         |            |
| 01.06.2019 | एस0के0एस0 ईट भट्ठे को भुगतान     | 53000.00         |            |
| 01.07.2019 | जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान | 104000.00        |            |
| 01.07.2019 | शुभम ईट उद्योग को भुगतान         | 79500.00         |            |
| 01.07.2019 | कुमार इण्टर प्राइजेज को भुगतान   | 24930.00         | नकद भुगतान |
| 02.07.2019 | चौधरी बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान | 3450.00          | नकद भुगतान |
|            | <b>योग-</b>                      | <b>444827.00</b> |            |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित भुगतान वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में उक्त फर्मों को भुगतान की गई धनराशि एवं मात्रा के सापेक्ष कोई कार्य कराए जाने का मस्टर रोल आडिट में प्राप्त नहीं रहा अर्थात् किस कार्य पर उक्त सामग्री का उपयोग किया गया है कोई विवरण कैशबुक में अंकित नहीं रहा। इसकी एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- 02- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 03- उक्त क्रय कार्य के हिसाब से न करके मनमाने ढंग से किया गया है। यह सामग्री किस कार्य के लिए क्रय की गई है इसका कोई भी विवरण अप्राप्त रहा।
- 04- उक्त सामग्री क्रय के उपयोग में मजदुरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सामग्री स्टॉक का अथवा स्थानांतरित एवं नकद सामग्री क्रय हेतु भुगतान दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है।
- 05- उल्लेखनीय है कि उक्त के पश्चात अगस्त 2019 से 3.03.2020 तक बैंक से न तो कोई आहरण है और न कोई भुगतान किया गया है। इस दौरान ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा के स्थान पर श्री हंस प्रकाश सिंह को चार्ज मिल गया। अतः स्पष्ट है कि ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा द्वारा उक्त अवशेष स्टॉक/धनराशि का अपहरण किया गया है।
- 06- विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय हेतु नकद का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 एवं वित्तीय नियमों के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के भुगतान हेतु एकाउंट पेई चेक से भुगतान की अनिवार्यता है।

अतः नियमों के विपरीत, वाउचर विहीन एवं विवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत नियम विरुद्ध है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव तथा जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 से अनधिक अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। असंतोषजनक अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्थिति में रु0 444827.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त नियमावली के नियम 257 के अन्तर्गत ग्राम-प्रधान श्री पंकज कुमार एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-93

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 649000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04

फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 649000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री पंकज कुमार एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(41) ग्राम पंचायत - इमामपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर प्रस्तर-94**

ग्राम पंचायत **इमामपुर** विकास खण्ड अकबरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनके सम्बन्ध में ,नियमों में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/वसूली की समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 488000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 488000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेषमणि एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-95**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न तिथियों में इण्टरलॉकिंग निर्माण सामग्री क्रय की गई एवं लगवाई गई दर्शित है, जिसका विवरण एवं आपतियां निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण                                      | धनराशि रु0       | अन्य |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | 96000.00         |      |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | 96000.00         |      |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | 96000.00         |      |
| 22.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | 144000.00        |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | 96000.00         |      |
| 01.07.2019 | सुभम ईट उद्योग को भुगतान                                    | 58000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग हेतु निखिल बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान           | 20000.00         |      |
| 01.07.2019 | इण्टरलॉकिंग हेतु मजदूरी का भुगतान पिच रोड से जोखू के खेत तक | 24422.00         |      |
|            | <b>योग-</b>                                                 | <b>630422.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग ईट क्रय से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। कैश बुक में परियोजना का नाम अंकित न होने के कारण जो पत्रावली प्रस्तुत रही उसका मिलान भी संभव नहीं रहा। कार्य का नाम कैशबुक में अंकित न होना एवं कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष व्यय वाउचर की धनराशि में कोई मेल एवं साम्यता न होने कारण सम्यक जांच किया जाना भी संभव नहीं हो पाया।
- 02- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमान्तर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन आदि के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।

03- इण्टरलॉकिंग लगवाई पर भुगतानित मजदूरी का भुगतान आधे से भी कम है। तथा कार्य पर क्रय ईट एवं बिल्डिंग मटेरियल भी अनुपात से काफी कम अधिक हैं इसको बावजूद वाउचर का अप्रस्तुतीकरण भी कार्य के कराए बिना भुगतान की पूर्ण करते हैं।

नियमों के विपरीत बिना व्यय वाउचर/प्रमाणक के किए गए उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त **रु0 630422.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेषमणि एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

#### प्रस्तर-96

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में नियमों के विपरीत निम्न तिथियों में वाउचर विहीन एवं नकद सामग्री क्रय तथा मजदूरी पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण                       | धनराशि रु0       | अन्य       |
|------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| 09.04.2019 | मस्टररोल बाबत स्कूल शौ0 निर्माण पर व्यय      | 39480.00         |            |
| 09.04.2019 | शुभम ईट उद्योग को भुगतान                     | 53000.00         |            |
| 24.05.2019 | शौ0 हेतु लोहे का दरवाजा रोशनदान खरीद पर व्यय | 15500.00         | नकद भुगतान |
| 24.06.2019 | मीरा खरीद पर व्यय वास्ते प्रा0वि0 इमामपुर    | 10000.00         | नकद भुगतान |
|            | <b>योग-</b>                                  | <b>117980.00</b> |            |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्यय के सापेक्ष पुष्टि में भुगतान वाउचर/मस्टररोल आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए ।
- 02- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन आदि के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।
- 03- विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय हेतु नकद का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 एवं वित्तीय नियमों के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के भुगतान हेतु एकाउण्ट पेई चेक से भुगतान की अनिवार्यता है।

नियमों के विपरीत बिना व्यय वाउचर/मस्टररोल के किए गए उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त **रु0 117980.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेषमणि एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

**(42) ग्राम पंचायत - सोनगांव विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर**

#### प्रस्तर-97

ग्राम पंचायत **सोनगांव** विकास खण्ड अकबरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनके सम्बन्ध में नियमों में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/वसूली की समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में इण्टरलॉकिंग ईट/नाली निर्माण सामग्री बिना किसी कार्य योजना के एक साथ भारी मात्रा में मगमाने ढंग से क्रय किया गया दर्शित है तथा इस प्रकार मजदूरी भुगतान भी की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक | कैशबुक में अंकित विवरण | धनराशि रु0 | अन्य |
|--------|------------------------|------------|------|
|--------|------------------------|------------|------|

|            |                                                                               |                  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 08.04.2019 | एस0के0एस0 ईट भट्ठा को भुगतान                                                  | 31800.00         |  |
| 11.04.2019 | शुभम ईट उद्योग को भुगतान                                                      | 53000.00         |  |
| 11.04.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग दोस्तपुर रोड से स्वास्थ्य केन्द्र तक                | 16926.00         |  |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान                           | 96000.00         |  |
| 16.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान                           | 96000.00         |  |
| 22.04.2019 | मिस्त्री को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग                                         | 6000.00          |  |
| 23.04.2019 | इण्टरलॉकिंग ईट क्रय हेतु सौरभ इण्टरलॉकिंग को भुगतान                           | 96000.00         |  |
| 24.04.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग जंग बहादुर के घर के बगल राम बहाल के घर के सामने तक  | 19838.00         |  |
| 24.04.2019 | मिस्त्री को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग                                         | 7000.00          |  |
| 25.04.2019 | आर0के0 इण्टरप्राइजेज को भुगतान सीमेंट, मोरंग बालू                             | 70000.00         |  |
| 30.04.2019 | मस्टररोल बाबत नाली निर्माण कन्हैया के घर से राजितराम के घर तक                 | 10010.00         |  |
| 16.05.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग राम अकबाल के घर के बगल से मंशाराम के घर के सामने तक | 19838.00         |  |
| 29.05.2019 | उपरोक्त कार्य पर मिस्त्री को भुगतान                                           | 7000.00          |  |
|            | <b>योग-</b>                                                                   | <b>529412.00</b> |  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग लगवाई एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में उक्त फर्मों को भुगतान की गई धनराशि एवं मात्रा के सापेक्ष कोई बिल एवं भुगतान की गई मजदूरी के सापेक्ष कोई मस्टररोल प्राप्त नहीं रहा।
- 02- इसी प्रकार सामग्री क्रय भी नियमानुसार कार्यों पर न कर नाली निर्माण, शौचालय निर्माण एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण हेतु एकमुस्त एवं मनमाना किया गया है जो पूर्णतया नियमों के विपरीत है।
- 03- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 04- इण्टरलॉकिंग ईट एवं सामग्री का क्रय किसी कार्ययोजना का कार्य के सापेक्ष न करके मनमाने ढंग से किया गया है। किस तिथि की इण्टरलॉकिंग ईट/निर्माण सामग्री किस कार्य के लिए क्रय की गई है इसका कोई भी विवरण कैशबुक एवं किसी अन्य अभिलेख में अप्राप्त रहा।
- 05- मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार प्रायः उन्ही तिथियों में किया गया है जिस तिथि में इण्टरलॉकिंग ईट का क्रय अथवा सामग्री का क्रय किया गया है ऐसी स्थिति में कार्य कब कराया गया। इसी प्रकार इण्टरलॉकिंग ईट के क्रय को कैशबुक में कार्ययोजनावार न दर्शाकर एकमुस्त क्रय दर्शित कर भ्रामक स्थिति पैदा की गई है। कैशबुक में विवरण आधे-अधूरे अंकित किए गये हैं। कार्यों की कोई जानकारी नहीं रही कि जो कार्य कराए गये हैं वे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हैं अथवा नहीं। अतः सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।
- 06- एक साथ लगातार किए गये क्रय तथा क्रय तिथि में ही मजदूरी का भुगतान एवं मनमाने ढंग कार्यों पर दर्शाए गए व्यय से स्पष्ट है कि डौंगल लागू होने के पूर्व बिना किसी कार्य योजना के उक्त धनराशियां सम्बन्धित फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई हैं तथा बाद में इनके बिल काल्पनिक कार्यों अथवा पूर्व में हो चुके कार्यों के आधार पर प्राप्त कर खारिज किए गए हैं जिनका भुगतान एवं कार्य से कोई सामंजस्य नहीं है और जो पूर्णतया अनियमित एवं वसूली योग्य हैं।
- 07- उक्त कार्य पर क्रय इण्टर लॉकिंग ईट के अनुसार प्रायः दो गुना मजदूरी का भुगतान किया गया है जो कराए गए कार्य की वास्तविकता से दूर एवं अनियमित है।

वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली

की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रु0 529412.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्रभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-98

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में इण्टरलॉकिंग ईंट बिना किसी कार्य योजना के एक साथ भारी मात्रा में मगमाने ढंग से क्रय किया गया दर्शित है तथा इस पर मजदूरी भुगतान भी यदाकदा की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| दिनांक     | कैशबुक में अंकित विवरण                                                   | धनराशि रु0 | अन्य |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 01.07.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग राम मनोरथ वर्मा के घर से जगन्नाथ यादव के घर तक | 19838.00   |      |
| 01.07.2019 | उपरोक्त कार्य पर मिस्त्री को भुगतान                                      | 5500.00    |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 48000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 01.07.2019 | जय अम्बे इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते इण्टरलॉकिंग ब्रिक                | 96000.00   |      |
| 02.07.2019 | मस्टररोल बाबत इण्टरलॉकिंग उमेश वर्मा के घर से लल्लन वर्मा के घर तक       | 12012.00   |      |
|            |                                                                          | 757350.00  |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग लगवाई एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में उक्त फर्मों को भुगतान की गई धनराशि एवं मात्रा के सापेक्ष कोई बिल एवं भुगतान की गई मजदूरी के सापेक्ष कोई मस्टररोल प्राप्त नहीं रहा।
- 02- कार्य पर सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य 01.07.2019 से प्रारम्भ करके 02.07.2019 को समाप्त कर दिया गया है जो संभव नहीं है। 01.07.2019 को सामग्री क्रय इसी तिथि में मजदूरी भी भुगतान किया गया है।
- 03- इसी प्रकार सामग्री क्रय भी नियमानुसार कार्यों पर न कर नाली निर्माण, शौचालय निर्माण एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण हेतु एकमुस्त किया गया है जो पूर्णतया नियमों के विपरीत है।
- 04- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 05- इण्टरलॉकिंग ईंट एवं सामग्री का क्रय कार्य के हिसाब से न करके मनमाने ढंग से किया गया है। किस तिथि की इण्टरलॉकिंग ईंट किस कार्य के लिए क्रय की गई है इसका कोई भी विवरण कैशबुक एवं किसी अन्य अभिलेख में अप्राप्त रहा।
- 06- मजदूरी का भुगतान कैशबुक के अनुसार प्रायः उन्ही तिथियों में किया गया है जिस तिथि में इण्टरलॉकिंग ईंट का क्रय अथवा सामग्री का क्रय किया गया है ऐसी स्थिति में कार्य कब कराया गया। इसी प्रकार इण्टरलॉकिंग ईंट के क्रय को कैशबुक में कार्ययोजनावार न दर्शाकर एकमुस्त क्रय दर्शित कर भ्रामक स्थिति पैदा की गई है। कैशबुक में विवरण आधे-अधूरे अंकित किए गये हैं। कार्यों की कोई जानकारी नहीं रही कि जो कार्य कराए गये हैं वे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हैं अथवा नहीं। अतः सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।

07- एक साथ लगातार किए गये क्रय तथा क्रय तिथि में ही मजदूरी का भुगतान एवं मनमाने ढंग कार्यों पर दर्शाए गए व्यय से स्पष्ट है कि डोंगल लागू होने के पूर्व बिना किसी कार्य योजना के उक्त धनराशियां सम्बन्धित फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई हैं तथा बाद में इनके बिल काल्पनिक कार्यों अथवा पूर्व में हो चुके कार्यों के आधार पर प्राप्त कर खारिज किए गए हैं जिनका भुगतान एवं कार्य से कोई सामंजस्य नहीं है और जो पूर्णतया अनियमित एवं वसूली योग्य हैं।

वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **उक्त रु0 757350.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्रभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-99**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 12.03.2020 में शुभम टेडर्स मुबारकपुर अकबरपुर द्वारा किए गए हैण्डपम्प रिबोर सामग्री/सेवा आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल के अनुसार रु. 37436.00 का भुगतान किया गया है जिसमें रु. 4011.00 की जी एस टी . भी शामिल है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो सामग्री/सेवा आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु शुभम टेडर्स को रु0 4011.00 का जी एस टी .भुगतान जे.ई.आर.ई.डी की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है, जिसमें जी एस टी . की एमबी करके उक्त मूल्य में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण, बिलों के आधार पर एम0बी0 किए जाने आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव से उक्त रु0 4011.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-100**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि शंकर के घर से जियालाल निषाद के घर तक खडंजा निर्माण पर कैशबुक दिनांक 29.02.2020 में रु0 201927.00 का भुगतान एस0के0एस0 ईट भट्ठा मीरपुर शेखपुर अम्बेडकर नगर को इसके कैशमेमों/बिल के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि 33739 ईट रु0 5985.00 प्रति हजार की दर से क्रय है जबकि तत्समय पी0डब्ल्यू0डी0 दर रु0 5700.00 प्रति हजार थी। ईट भट्ठा द्वारा टैक्स इनवायस उपलब्ध नहीं कराई गई है इसलिए जी एस टी . भी चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। स्पष्ट है कि रु0 285.00 प्रति हजार अधिक की दर से जे.ई.आर.ई.डी की एम.बी.(मापी) के आधार पर अधिक भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है। अतः उक्त क्रय पर अधिक भुगतानित अंतर की धनराशि रु0 (33.739 हजार ईट\*285) 9616.00 के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित जे.ई.आर.ई.डी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव से उक्त रु0 9616.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-101**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि याशीन के घर से होते हुए राम दयाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सौरभ इण्टरलाकिंग मीरपुर शेखपुर अम्बेडकर नगर को टैक्स इनवायस पर इण्टरलाकिंग ईट आपूर्ति हेतु रु0 263169.00 का भुगतान कैशबुक दिनांक 29.02.2020 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि 10161 इण्टरलाकिंग ईट रु0 25.90 प्रति ईट की दर से क्रय है जो रु0 3.90 से अधिक है जबकि तत्समय पी0डब्ल्यू0डी0 दर रु0 22.00 प्रति ईट थी। सौरभ इण्टरलाकिंग द्वारा क्रय रसीद के रूप में टैक्स इनवायस उपलब्ध कराई गई है जबकि यह फर्म एकमुस्त समाधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है जो टैक्स इनवायस जारी नहीं कर सकती। स्पष्ट है कि रु0 3.90 प्रति ईट अधिक की दर से जे.ई.आर.ई.डी की एम.बी.(मापी) के आधार पर अधिक भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है। अतः उक्त क्रय पर अधिक भुगतानित अंतर की धनराशि रु0 (10161\*3.90) 39628.00 के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित जे.ई.आर.ई.डी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव से उक्त रु0 39628.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-102**



ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि याशीन के घर से होते हुए राम दयाल के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है:-

| कैशबुक तिथि | कैशबुक के अनुसार कार्य का विवरण                                                                    | व्यय धनराशि (रु) | अन्य |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 29.02.2020  | आर0के0 इण्टरप्राइजेज को भुगतान वास्ते याशीन के घर से होते हुए राम दयाल के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य | 39128.00         |      |
| 29.02.2020  | याशीन के घर से होते हुए राम दयाल के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य                                       | 96095.00         |      |
| 29.02.2020  | सौरभ इण्टरलांकिंग को भुगतान वास्ते याशीन के घर से होते हुए राम दयाल के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य    | 263169.00        |      |
|             | योग-                                                                                               | 398387.00        |      |

उक्त कार्य पर निम्नआपतियां पाई गई-

01-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2020 को प्राप्त है।

02-सामग्री क्रय के बिल 15.02.2020/18.02.2020 एवं 15.02.2020/22.02.2020 के हैं जो तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2020 के पूर्व के हैं।

03-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में कार्य कराए जाने की अवधि 15.02.2020 से 29.02.2020 अंकित है जो तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2020 के पूर्व के हैं।

04-इस्टीमेट एवं एमबी मे कोई तिथि अंकित नहीं है।

05-उक्त विवरण में अंकित रु0 39128-00 का वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।

06-बिल का विवरण एम0बी0 पर एवं एम0बी0 का विवरण बिलों एवं अन्य प्रमाणकों पर नहीं किया गया है। पत्रावली में कार्य की फोटो भी संलग्न नहीं की गई है।

उक्तआपतियों से स्पष्ट है कि भुगतान बिना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के करके कार्य में भारी अनियमितता की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि **रु0 398387.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्रभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री हंस प्रकाश सिंह एवं जे.ई.आर.ई.डी श्री संजय कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-103

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 814000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा/ में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रखरखाव भी- नहीं किया गया है। अंत .उक्त कुल व्यय रु :814000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्रभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर वर्मा एवं श्री हंस प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(43) ग्राम पंचायत - डल्लानिजामपुर विकास क्षेत्र - अकबरपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

### प्रस्तर-104

ग्राम पंचायत डल्लानिजामपुर विकास खण्ड अकबरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनके सम्बन्ध में ,नियमों में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/वसूली की समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम पंचायत की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 26.02.2020 में रु0 67000.00 का भुगतान मेसर्स पी0 कुमार ट्रेडर्स सोनगांव अकबरपुर को वास्ते प्रा0वि0 डल्ला निजामपुर में शौचालय में पानी हेतु सेनेटरी कार्य पर किया गया है। उक्त भुगतान में निम्नआपतियां पाई गई-

01-जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा बिना कैशमेमों/बिल देखे एम0बी0 की गई हैं क्योंकि बिल में किसी भी मद/सामान का कोई नाम अंकित नहीं किया गया है केवल "प्रा0वि0 डल्ला निजामपुर में पानी हेतु सेनेटरी कार्य रु0 55000.00 एवं मजदूरी रु0 12000.00 अंकित कर दिया गया है। स्पष्ट है कि एम0बी0 सामान क्रय एवं बिल की प्राप्ति के पूर्व ही कर दी गई है।

02-जब बिल में सामान/पार्ट के नाम अंकित नहीं हैं तो जे0ई0 आर0ई0डी0 किस आधार पर एम0बी0 में इनके नाम अंकित किए गए एवं विवरण अंकित किया गया है तथा लेबर कास्ट के आगणन का पैमाना भी अज्ञात रहा।

03-बिल पर तिथि भी अंकित नहीं है। इसी प्रकार एम0बी0 एवं इस्टीमेट में कहीं भी तिथि अंकित नहीं की गई है जो नियम विरुद्ध होने के साथ-साथ जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा अपने कर्तव्य के विपरीत एम0बी0 किए जाने का प्रमाण है क्योंकि कार्य के सम्पादन में समयबद्धता एवं समय का सार इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कार्य के प्रारंभ की तिथि, कार्य के समापन की तिथि एवं एम0बी0 की तिथि आदि जिनका अनुपालन नहीं किया गया है।

04-बिल का विवरण एम0बी0 पर एवं एम0बी0 का विवरण बिलों एवं अन्य प्रमाणकों पर नहीं किया गया है। पत्रावली में कार्य की फोटो भी संलग्न नहीं की गई है।

अनियमित वाउचर के आधार पर किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **उक्त रु0 67000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शान्तीदेवी एवं ग्राम सचिव श्री हंस प्रकाश सिंह एवं तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

#### प्रस्तर-105

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि सहतूगंज सम्पर्क मार्ग से दैतलिया तालाब तक खड़जा कार्य पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है:-

| कैशबुक तिथि | कैशबुक के अनुसार कार्य का विवरण                                                       | व्यय धनराशि रु) | अन्य |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 26.02.2020  | रमा ईट उद्योग को भुगतान वास्ते खड़जा मरम्मत सहतूगंज सम्पर्क मार्ग से दैतलिया तालाब तक | 83191.00        |      |
|             | योग-                                                                                  | 83191.00        |      |

उक्त कार्य पर निम्नआपत्तियां पाई गई-

- 01- सामग्री क्रय के बिल तिथि विहीन है जो निर्माण नियमों के विपरीत है।
- 02- कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में कार्य कराए जाने की अवधि अंकित नहीं है जो निर्माण नियमों के विपरीत है।
- 03- प्रकार एम0बी0 एवं इस्टीमेट में कहीं भी तिथि अंकित नहीं की गई है जो नियम विरुद्ध होने के साथ-साथ जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा अपने कर्तव्य के विपरीत एम0बी0 किए जाने का प्रमाण है क्योंकि कार्य के सम्पादन में समयबद्धता एवं समय का सार इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कार्य के प्रारंभ की तिथि, कार्य के समापन की तिथि एवं एम0बी0 की तिथि आदि जिनका अनुपालन नहीं किया गया है।
- 04- बिल का विवरण एम0बी0 पर एवं एम0बी0 का विवरण बिलों एवं अन्य प्रमाणकों पर नहीं किया गया है। पत्रावली में कार्य की फोटो भी संलग्न नहीं की गई है।
- 05- उक्त कार्य पर 2 किमी की दूरी से मिट्टी कारटेज की एम0बी0 रु0 75894.00 की गई है परंतु पत्रावली में मस्टररोल प्राप्त है जबकि इसके लिए ट्राली मिट्टी पटाई की रसीद वाउचर के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। परंतु अभी तक न तो मजदूरी एवं न ही कारटेज का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि जब कार्य मजदूरों द्वारा कराया गया है तो 2 किमी की दूरी से मिट्टी कारटेज की एम0बी0 किया जाना काल्पनिक एवं कार्य के पूर्व ही एम0बी0 किए जाने का प्रमाण है। जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा इस प्रकार की एम0बी0 किए जाने की व्यवस्था बना ली गई जान पड़ती है।

अनियमित वाउचर के आधार पर किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **उक्त रु0**

**83191.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शान्तीदेवी एवं ग्राम सचिव श्री हंस प्रकाश सिंह एवं तत्कालीन जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री संजय कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।**

#### **प्रस्तर-106**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाइन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 233000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा/में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रखरखाव भी नहीं किया गया- है। अतः उक्त कुल व्यय रु :233000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शान्तीदेवी एवं ग्राम सचिव श्री हंस प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(44) ग्राम पंचायत - सोनहन विकास क्षेत्र - बसखारी जनपद - अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर 107**

ग्राम पंचायत सोनहन की आडिट आनलाइन कैशबुक में पाया गया कि प्राथमिक वि० सोनहन में बाउण्ड्री निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रु- **343610.00** व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | व्यय विवरण                                     | दिनांक     | कुल मटेरियल क्रय | मजदूरी पर व्यय |
|---------|------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 01      | प्राथमिक वि० सोनहन में बाउण्ड्री निर्माण कार्य | 13.02.2020 | 282304.00        | 61306.00       |
|         | <b>योग-</b>                                    |            | <b>282304.00</b> | 61306.00       |
|         | <b>कुल योग- 343610.00</b>                      |            |                  |                |

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि/नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 19475 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु- **343610.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्ण मणि उपाध्याय एवं ग्राम सचिव श्री विनय मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर 108-**

ग्राम पंचायत सोनहन की आडिट आनलाइन कैशबुक में पाया गया कि संतराम मिश्रा के खेत से दक्षिण रामाशीष आदि के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रु- **343610.00** व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | व्यय विवरण                                                                | दिनांक     | कुल मटेरियल क्रय | मजदूरी पर व्यय |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 01      | संतराम मिश्रा के खेत से दक्षिण रामाशीष आदि के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य | 02.03.2020 | 143711.00        | 45682.00       |
|         | <b>योग-</b>                                                               |            | 143711.00        | 45682.00       |
|         | <b>कुल योग- 189393.00</b>                                                 |            |                  |                |

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि/नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 19475 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु- **189393.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्ण मणि उपाध्याय एवं ग्राम सचिव श्री विनय मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर 3-

ग्राम पंचायत सोनहन की आडिट आनलाइन कैशबुक में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनेन्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु- **837000.00** व्यय दर्शित किया गया है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं० 201/दस- 101-2011. 09.43टी० सी० लखनऊदिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त, ग्राम विकास उ० प्र० के पत्रांक 806/सम्प्रेक्षा क्षेत्र पं० ऑडिट /दिनांक-05/08 /2011/के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं आय व्यय लेखों का रख रखाव नहीं किया गया है , अतः उक्त कुल व्यय रु- **837000.00** की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा पंचायत ,ी राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमोअधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- **837000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्ण मणि उपाध्याय एवं ग्राम सचिव श्री विनय मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायकरोजगार सेवक , से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

(45) ग्राम पंचायत - **लखनपुर** विकास क्षेत्र - **बसखारी** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

### प्रस्तर 109

दिनांक 09.08.2019 को 14 वें वित्त आयोग से रुपया 42840.00 का भुगतान ओम साईं कंस्ट्रक्शन को किया जाना कैश बुक में दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त भुगतान ज्योति ब्रिक फील्ड को किया गया है इस प्रकार उक्त कैश बुक की इंटी भ्रामक वा अवास्तविक है एवं कैश बुक में भुगतान का मद अंकित नहीं है उक्त व्यय के संगत कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा इस प्रकार उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होता है ।

अतः उक्त व्यय **रु-42840.00** की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय का मद स्पष्ट नहीं है व्यय की प्रासंगिकता की जाँच नहीं की जा सकी सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय विवरण व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 19475 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मीरा सिंह एवं ग्राम सचिव श्री सुनील रंजन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(46) ग्राम पंचायत - **चैनपुर, विकास खण्ड- भियाँव** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

### प्रस्तर- 110

ग्राम पंचायत चैनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियाँव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। चैनपुर 1468024.00 4 वा एसएफसी 56300.00

| दिनांक     | धनराशि   | विवरण            |
|------------|----------|------------------|
| 02.03.2020 | 19800.00 | हैन्डपम्प मरम्मत |
| 09.02.2020 | 7000.00  | अज्ञात           |
| 29.12.2019 | 17500.00 | अज्ञात           |

|            |          |                                     |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 31.03.2020 | 12000.00 | अज्ञात पर वीरेंद्र प्रताप को भुगतान |
|            | 56300.00 |                                     |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 56300.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 111

ग्राम पंचायत चैनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियांव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 14 वा एसएफसी 1411724.00

| दिनांक     | धनराशि    | विवरण             |
|------------|-----------|-------------------|
| 01.11.2019 | 3500.00   | हैन्डपम्प मरम्मत  |
| 02.07.2019 | 7000.00   | मानदेय            |
| 03.03.2020 | 18800.00  | हैन्डपम्प मरम्मत  |
| 03.11.2019 | 104000.00 | स्ट्रीट लाइट क्रय |
| 06.04.2019 | 24708.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 06.06.2019 | 22750.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 06.07.2019 | 47320.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 06.07.2019 | 38823.00  | ईंट क्रय          |
| 07.11.2019 | 29500.00  | हैन्डपम्प रीबोर   |
| 07.11.2019 | 29500.00  | हैन्डपम्प रीबोर   |
| 08.01.2020 | 81935.00  | ईंट क्रय          |

|            |           |                              |
|------------|-----------|------------------------------|
| 08.01.2020 | 20020.00  | मजदूरी का भुगतान             |
| 08.11.2019 | 5000.00   | हैन्डपम्प मरम्मत             |
| 10.11.2019 | 4290.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 4290.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 4290.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2496.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.11.2019 | 2366.00   | मजदूरी का भुगतान             |
| 10.12.2019 | 5200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत             |
| 12.03.2020 | 35120.00  | ईट क्रय                      |
| 12.03.2020 | 35120.00  | सामग्री क्रय                 |
| 13.06.2019 | 25700.00  | मजदूरी का भुगतान             |
| 13.06.2019 | 22022.00  | मजदूरी का भुगतान             |
| 13.06.2019 | 77647.00  | ईट क्रय                      |
| 14.02.2020 | 4200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत             |
| 16.05.2019 | 9500.00   | हैन्डपम्प मरम्मत             |
| 16.05.2019 | 7000.00   | हैन्डपम्प मरम्मत             |
| 17.03.2020 | 31120.00  | ईट क्रय आर के एस ब्रिक फील्ड |
| 18.01.2020 | 41314.00  | मजदूरी का भुगतान             |
| 18.12.2019 | 9030.00   | मिट्टी पर व्यय               |
| 18.12.2019 | 38273.00  | ईट क्रय                      |
| 19.01.2020 | 135000.00 | बेंच डेस्क निर्माण           |
| 20.11.2019 | 51795.00  | ईट क्रय                      |
| 20.11.2019 | 24256.00  | ईट क्रय                      |

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| 20.11.2019 | 1665.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 20.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.02.2020 | 21000.00 | व्हाइट बोर्ड क्रय |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 728.00   | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2366.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 21.12.2019 | 2002.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1820.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1820.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1820.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1820.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1456.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 22.12.2019 | 1820.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 24.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 24.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 24.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 24.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |
| 24.11.2019 | 1638.00  | मजदूरी का भुगतान  |

|            |            |                               |
|------------|------------|-------------------------------|
| 24.11.2019 | 1638.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 364.00     | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2674.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 24.11.2019 | 1638.00    | मजदूरी का भुगतान              |
| 25.03.2020 | 25140.00   | ईंट क्रय                      |
| 26.10.2019 | 4825.00    | ईंट क्रय                      |
| 26.10.2019 | 19700.00   | हैन्डपम्प मरम्मत              |
| 26.10.2019 | 15900.00   | ह्यूमपाइप क्रय                |
| 27.12.2019 | 93600.00   | लाइट क्रय                     |
| 29.04.2019 | 3500.00    | मानदेय                        |
| 29.04.2019 | 10000.00   | हैन्डपम्प मरम्मत एम्प्लोयी को |
| 29.11.2019 | 39052.00   | ईंट क्रय                      |
| 29.11.2019 | 29500.00   | ईंट क्रय                      |
| 29.11.2019 | 43391.00   | ईंट क्रय                      |
| 29.11.2019 | 17356.00   | ईंट क्रय                      |
|            | 1411724.00 |                               |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धार 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी



द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1411724.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी आधी-धनराशि ग्रामप्रधान श्री वीरेंद्र प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(47) ग्राम पंचायत - अजमलपुर, विकास क्षेत्र - भियाँव जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 112

1 ग्राम पंचायत अजमलपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में खड़जा निर्माण कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक धनराशि के सापेक्ष बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए-है।

| क्रम | दिनांक     | धनराशि    | विवरण    |
|------|------------|-----------|----------|
| 1    | 29.06.2019 | 76600.00  | ईंट क्रय |
| 2    | 29.06.2019 | 50960.00  | मजदूरी   |
| योग  |            | 127560.00 |          |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 127560.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रवीण कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 113

ग्राम पंचायत अजमलपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में हैन्डपम्प रीबोर कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक धनराशि के सापेक्ष बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

| क्रम | दिनांक     | धनराशि   | विवरण           |
|------|------------|----------|-----------------|
| 1    | 23.01.2020 | 30726.00 | हैन्डपम्प रीबोर |
| 2    | 23.01.2020 | 30726.00 | हैन्डपम्प रीबोर |
| योग  |            | 61452.00 |                 |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में हैन्डपम्प के खराब होने की सूचना, ग्राम सभा की जल समिति की अनुशंसा एवं अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी

द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 61452.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रवीण कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 114

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ह्यूम पाइप क्रय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक धनराशि के सापेक्ष बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

| क्रम | दिनांक     | धनराशि   | विवरण           |
|------|------------|----------|-----------------|
| 1    | 23.01.2020 | 49700.00 | ह्यूम पाइप क्रय |
| योग  |            | 49700.00 |                 |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 49700.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रवीण कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

(48) ग्राम पंचायत - भुजगी, विकास क्षेत्र - भियाँव जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 115

1 ग्राम पंचायत भुजगी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

| क्रम | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि    | विवरण                                |
|------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1    | 02.07.2019 | 8619     | 98800.00  | स्ट्रीट लाइट क्रय पर आशुतोष ट्रेडर्स |
| 2    | 02.07.2019 | 8820     | 93600.00  | स्ट्रीट लाइट क्रय पर आशुतोष ट्रेडर्स |
| 3    | 08.11.2019 | पीएफएमएस | 52000.00  | स्ट्रीट लाइट क्रय पर आशुतोष ट्रेडर्स |
| योग  |            |          | 244400.00 |                                      |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा", उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 244400.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी

धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती भावना से ₹0 122200.00 व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार यादव से ₹0 96200.00 एवं श्री बृजेश सिंह से ₹0 26000.00 किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 116

ग्राम पंचायत भुजगी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में हैन्डपम्प रीबोर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

| क्रम | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि    | विवरण                               |
|------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 1    | 04.06.2019 | 8867     | 29485.00  | हैन्डपम्प रीबोर पर सोनेलाल ट्रेडर्स |
| 2    | 08.11.2019 | पीएफएमएस | 92177.00  | हैन्डपम्प रीबोर पर सोनेलाल ट्रेडर्स |
| योग  |            |          | 121662.00 |                                     |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और उसके समर्थन में तकनीकी रिपोर्ट, रीबोर में निकले निष्प्रयोज्य सामानों के निस्तारण की स्थिति आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 121662.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती भावना से ₹0 60831.00 व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार यादव से ₹0 14742.50 एवं श्री बृजेश सिंह से ₹0 46088.50 किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 117

ग्राम पंचायत भुजगी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ह्यूमपाइप क्रय किया गया है किन्तु उसके सापेक्ष वर्षपर्यंत मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

| क्रम | दिनांक     | चेक सं0  | धनराशि   | विवरण                               |
|------|------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 1    | 29.11.2019 | पीएफएमएस | 65000.00 | ह्यूमपाइप क्रय पर मे० सिंह ट्रेडर्स |
| योग  |            |          | 65000.00 |                                     |

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 65000.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती भावना से रु0 32500.00 व ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश सिंह से रु0 32500.00 किया जाना अपेक्षित है।

**(49) ग्राम पंचायत - मठिया, विकास क्षेत्र - भियाँव जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 118**

(1) ग्राम पंचायत मठिया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी।

| क्रम | दिनांक     | धनराशि     | विवरण                |
|------|------------|------------|----------------------|
| 1    | 29.06.2019 | 102800.00  | खड़जा                |
| 2    | 29.06.2019 | 61516.00   | मजदूरी               |
| 3    | 01.07.2019 | 17290.00   | मजदूरी               |
| 4    | 01.07.2019 | 62605.00   | ईंट क्रय             |
| 5    | 01.07.2019 | 102800.00  | खड़जा                |
| 6    | 01.07.2019 | 61516.00   | मजदूरी               |
| 7    | 01.07.2019 | 68362.00   | ईंट क्रय             |
| 8    | 01.07.2019 | 40950.00   | मजदूरी               |
| 9    | 01.07.2019 | 85324.00   | बिल्डिंग मटेरियल     |
| 10   | 01.07.2019 | 51324.00   | मजदूरी               |
| 11   | 01.07.2019 | 59624.00   | अज्ञात               |
| 12   | 23.11.2019 | 30200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत     |
| 13   | 23.11.2019 | 30200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत     |
| 14   | 23.11.2019 | 30200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत     |
| 15   | 23.11.2019 | 30200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत     |
| 16   | 23.11.2019 | 30200.00   | हैन्डपम्प मरम्मत     |
| 17   | 28.11.2019 | 98800.00   | स्ट्रीट लाइट पर व्यय |
| 18   | 14.12.2019 | 98800.00   | स्ट्रीट लाइट पर व्यय |
| 19   | 27.12.2019 | 197600.00  | स्ट्रीट लाइट पर व्यय |
| 20   | 27.12.2019 | 77141.00   | ईंट क्रय             |
| 21   | 27.12.2019 | 132233.00  | ईंट क्रय             |
| 22   | 27.12.2019 | 116526.00  | ईंट क्रय             |
| 23   | 27.12.2019 | 98400.00   | ईंट क्रय             |
| 24   | 27.12.2019 | 53865.00   | ईंट क्रय             |
|      |            | 1738476.00 |                      |

ग्राम पंचायत मठिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम

पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1738476.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कुसुम व ग्राम पंचायत सचिव (बार बार मांगने के बाद भी पदभार ग्रहण संबंधी सूचना अनुपलब्ध रही जिससे कार्यकाल का एवं उत्तरदायित्व निर्धारण स्पष्टतः नहीं किया जा सका) श्री अखिलेश गौड़ एवं श्री फिरदौस आलम से कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

**(50) ग्राम पंचायत - किशुनदासपुर, विकास क्षेत्र - भियाँव जनपद - अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 119**

1 ग्राम पंचायत किशुनदासपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी,भियाँव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | धनराशि    | विवरण            |
|------------|-----------|------------------|
| 02.07.2019 | 9054.00   | मजदूरी का भुगतान |
| 02.07.2019 | 61850.00  | ईंट क्रय         |
| 07.01.2020 | 19570.00  | हैन्डपम्प मरम्मत |
| 07.01.2020 | 19570.00  | हैन्डपम्प मरम्मत |
| 10.10.2019 | 29540.00  | हैन्डपम्प रीबोर  |
| 10.10.2019 | 29540.00  | हैन्डपम्प रीबोर  |
| 10.10.2019 | 29540.00  | हैन्डपम्प रीबोर  |
| 10.10.2019 | 29540.00  | हैन्डपम्प रीबोर  |
| 10.10.2019 | 29540.00  | हैन्डपम्प रीबोर  |
| 12.03.2020 | 19800.00  | हैन्डपम्प मरम्मत |
| 22.09.2019 | 65223.00  | खड़जा मरम्मत     |
|            | 323197.00 |                  |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान

विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30.09.20 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 323197.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(51) ग्राम पंचायत - लखमीपुर, विकास क्षेत्र - भियाँव जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 120

1 ग्राम पंचायत लखमीपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियाँव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए लखमीपुर

4वा एसएफसी 63000.00

| दिनांक     | धनराशि   | विवरण  |
|------------|----------|--------|
| 02.01.2020 | 21000.00 | मानदेय |
| 12.02.2020 | 42000.00 | मानदेय |
|            | 63000.00 |        |

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में 18 माह का मानदेय दिया गया है। प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्राप्ति रसीद, डायरेक्टरी ऑफ वार्स, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग 30.09.20 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 63000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सतीश रंजन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत लखमीपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियाँव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी

वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | धनराशि    | विवरण                      |
|------------|-----------|----------------------------|
| 01.10.2019 | 118195.00 | खड़जा मरम्मत               |
| 01.10.2019 | 118195.00 | खड़जा मरम्मत               |
| 02.01.2020 | 43998.00  | ईट क्रय ए पी वाई ईट उद्योग |
| 02.01.2020 | 41450.00  | अज्ञात                     |
| 02.01.2020 | 66185.00  | नाली निर्माण               |
| 02.01.2020 | 79169.00  | ईट क्रय ए पी वाई ईट उद्योग |
| 02.07.2019 | 51016.00  | राजपूत                     |
| 02.07.2019 | 6771.00   | ग्राम प्रधान को भुगतान     |
| 02.07.2019 | 17548.00  | ग्राम प्रधान को भुगतान     |
| 02.07.2019 | 3458.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 03.01.2020 | 14014.00  | मजदूरी भुगतान              |
| 03.01.2020 | 24570.00  | मजदूरी भुगतान              |
| 05.03.2020 | 93233.00  | खड़जा मरम्मत               |
| 05.03.2020 | 102813.00 | खड़जा मरम्मत               |
| 15.03.2020 | 27502.00  | मजदूरी भुगतान              |
| 15.03.2020 | 27502.00  | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |
| 23.10.2019 | 3276.00   | मजदूरी भुगतान              |

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3458.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3458.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3458.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 13020.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 23.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3482.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3482.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 28.11.2019 | 3482.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 29.03.2020 | 21280.00 | मजदूरी भुगतान     |
| 29.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 29.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 29.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |
| 29.10.2019 | 3276.00  | मजदूरी भुगतान     |



|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3276.00    | मजदूरी भुगतान |
| 29.10.2019 | 3482.00    | मजदूरी भुगतान |
|            | 1054927.00 |               |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एमओबी, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपत्र प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1054927.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री सतीश रंजन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(52) ग्राम पंचायत -

जैतपुर,

विकास क्षेत्र -

भियाँव

जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 122**

1 ग्राम पंचायत जैतपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियांव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | धनराशि   | विवरण            |
|------------|----------|------------------|
| 30.03.2020 | 5096.00  | मजदूरी का भुगतान |
| 31.03.2020 | 26380.00 | मजदूरी का भुगतान |
| 31.03.2020 | 14000.00 | अज्ञात           |
|            | 45476.00 |                  |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 45476.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री राम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-123** ग्राम पंचायत जैतपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी भियांव को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

| दिनांक     | धनराशि    | विवरण               |
|------------|-----------|---------------------|
| 02.10.2019 | 130000.00 | स्ट्रीट लाइट        |
| 03.07.2019 | 24752.00  | मजदूरी भुगतान       |
| 03.07.2019 | 19541.00  | रामनारायण को भुगतान |
| 03.07.2019 | 30036.00  | हैन्डपम्प रीबोर     |

|            |           |                               |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 03.07.2019 | 197600.00 | सिद्धि इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| 03.07.2019 | 93177.00  | ईट क्रय                       |
| 03.07.2019 | 30030.00  | हैन्डपम्प रीबोर               |
| 03.07.2019 | 2500.00   | पवन पाण्डेय को भुगतान         |
| 03.07.2019 | 77647.00  | ईट क्रय पी वाई ईट उद्योग      |
| 03.07.2019 | 60788.00  | रामनारायन इम्प्लाई को भुगतान  |
| 03.07.2019 | 30870.00  | रामनारायन एजेन्सी को भुगतान   |
| 03.07.2019 | 47955.00  | हैन्डपम्प मरम्मत इम्प्लाई को  |
| 03.07.2019 | 12740.00  | रामनारायन एजेन्सी को भुगतान   |
| 07.11.2019 | 19500.00  | हैन्डपम्प मरम्मत              |
| 09.02.2020 | 72298.00  | सोकपिट पर व्यय                |
| 09.02.2020 | 109827.00 | सोकपिट पर व्यय                |
| 11.12.2019 | 23940.00  | ईट क्रय                       |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 2548.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 1820.00   | मजदूरी भुगतान                 |
| 12.12.2019 | 910.00    | मजदूरी भुगतान                 |
| 14.11.2019 | 49425.00  | ह्यूमपाइप क्रय                |
| 14.11.2019 | 26153.00  | सामग्री भुगतान                |
| 15.11.2019 | 58716.00  | ईट क्रय                       |
| 21.02.2020 | 21000.00  | व्हाइट बोर्ड क्रय             |
| 21.11.2019 | 17500.00  | मानदेय                        |
| 22.12.2019 | 126702.00 | ईट क्रय                       |

|            |            |                  |
|------------|------------|------------------|
| 22.12.2019 | 130173.00  | ईट क्रय          |
| 23.01.2020 | 27664.00   | मजदूरी भुगतान    |
| 23.10.2019 | 19500.00   | हैन्डपम्प मरम्मत |
| 23.12.2019 | 27482.00   | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 1520.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 2548.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 24.11.2019 | 1260.00    | मजदूरी भुगतान    |
| 25.01.2020 | 19125.00   | ह्यूमपाइप क्रय   |
| 29.11.2019 | 29500.00   | ईट क्रय          |
| 30.03.2020 | 10192.00   | मजदूरी भुगतान    |
|            | 1610447.00 |                  |

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश

में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1610447.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री राम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(53) ग्राम पंचायत - महापारा, विकास क्षेत्र - भीटी जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 124**

ग्रामपंचायत महापारा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार अपहरण दुर्विनियोग एवं ग० अनियमितता के प्रकरण पाए गए। अतः अविलम्ब विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही व वसूली हेतु विभागीय सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्रीसियाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमयंकचतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं-

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्र वित्त से प्राप्त अनुदान राशि कुल प्राप्त रु० 9,40,528.00 रही है, जिसमें से विभिन्न चेक के माध्यम से व पी०एफ०एम०एस० द्वारा कुल रु० 5,79,605.00 आहरित दर्शाया गया, परन्तु व्यय से सम्बन्धित न तो कोई प्रमाणक एवं न ही कार्य पत्रावलियां प्राप्त रही इस प्रकार वर्ष पर्यान्त मात्र आहरण करके धनराशि का अपहरण किया जाना लेखा परीक्षा के अनुसार पाया गया है। अतः विधि सम्मत विरुद्ध कार्यवाही व वसूली हेतु अधिभार रु० 5,79,605.00 का अवधारित किया जाता है, एवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीसियाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमयंकचतुर्वेदी से कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-125**

वर्ष के प्रारम्भ रु० 6,83,778.00 प्रधान श्री सियाराम के जिम्मे नगद कोष रहा है। वर्षपर्यंत रोकड़ शेष का उपयोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के निमित्त किए जाने अथवा खाते में जमा करने की कोई पुष्टि ही नहीं होती है इस प्रकार अधिक रोकड़ शेष निजी हित में रोककर दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पंचायत सचिव व विभागीय अधिकारियों द्वारा संज्ञान ही नहीं लिया गया। ब्याज सहित धनराशि की क्षतिपूर्ति ग्रामप्रधान श्रीसियाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मयंकचतुर्वेदी से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अधिभार अंतर्गत लेखा परीक्षा स्तर से प्रस्तावित किया जाता है।

**प्रस्तर-126.**

बैंक खाता सं०- 10560100015939 के विवरण पत्र में दिनांक 01.04.2019 को प्रा० शेष रु० 9,37,988.96 रहा है जबकि प्रियासाफ्ट विवरणी के अनुसार रु० 9,52,988.96 प्रा० शेष अंकित है इस प्रकार लेखा रख-रखावमें रु० 15,000.00 का अंतर रहा है। अंतर संबंधी गंभीर अनियमितता के प्रति प्रधान व सचिव पूर्णतया उत्तरदायी रहे हैं। अतः प्रकरण अधिभार अंतर्गत लाया जाता है, विरुद्ध विभागीय सघन जांच व विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सियाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मयंकचतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

**(54) ग्राम पंचायत - सझवा, विकास क्षेत्र - भीटी जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 127**

ग्राम पंचायत सझवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण अपहरण दुर्विनियोग एवं गंभीर अनियमितता के पाए गए। अतः अविलम्ब विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही व ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री मो० शरीफ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं-

1. विभिन्न चेकों व पी०एफ०एम०एस० द्वारा वर्ष आलोच्य में कुल धनराशि रु० 8,35,241.00 आहरित किया गया है, परन्तु सम्बन्धित के व्यय प्रमाणक/ कार्यपत्रावलियां अथवा अन्य प्रकार व्यय धनराशि की पुष्टि आडिट स्तर से न की जा सकी। पुष्टिपरक अभिलेख कार्यपत्रावली एवं प्रमाणक ही नदारद पाये गए। अतः प्रकरण अपहरण का रहा है तथा अधिभार की परिधि में लाया जाता है। संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो० शरीफ व ग्रामपंचायत अधिकारी श्री मयंकचतुर्वेदी से संयुक्त रूप से किए जाने तथा विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**प्रस्तर-128.** प्रधान श्री मो0 शरीफ द्वारा रू0 3,32,362.00 हस्ते रोकड़ निजी हित में वर्ष के प्रारम्भ में रोका गया है। वर्षपर्यंत धनराशि को जमा /उपभोग किए जाने की पुष्टि ही नहीं होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से नगद रोकड़ निजी हित में रोककर दुरुपयोग किया गया है। ज्ञातव्य है कि उक्त धनराशि वर्षांत 31.03.2020 को भी हस्ते प्रधान रही है। यह स्थिति नियंत्रणहीन रही है, एवं धन ब्याज सहित वसूली योग्य है। सचिव श्री मयंकचतुर्वेदी एवं प्रधान इस हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं।

**प्रस्तर-129.** प्रियासाफ्ट के आंकड़े के अनुसार खाता शेषरू0 1,07,685.00 रहा है जबकि बैंकस्टेटमेंट के अनुसार रू0 55,944.43 अवशेष हैं। इस प्रकार वर्ष पर्यंत रू0 51,741.50 का अंतर बना हुआ है। अंतर बना रहना अनियमित लेखा रख रखाव का सूचक है। अतः अनियमितता की श्रेणी में अधिभार अंतर्गत प्रकरण लाया जाता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिकारियों का ध्यान अविलम्ब विरुद्ध कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 शरीफ एवं सचिव श्री मयंकचतुर्वेदी से अपेक्षित है।

**(55) ग्राम पंचायत - जैतपुर, विकास क्षेत्र - भीटी जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर- 130**

ग्राम पंचायत जैतपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकार अपहरण के गंभीर प्रकरण लेखा परीक्षा में पाए गये जिसके प्रति उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्रीमती रिकल सिंह एवं ग्राम सचिव श्रीसुशील शाह के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु विभागीय सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है। धनराशि की वसूली मय ब्याज किए जाने की आवश्यकता है-

1. वर्ष आलोच्य में राज्य व केन्द्र वित्त खाता सं0- 10560100015949 से रू0 9,69,129.00 आहरित किया गया, परन्तु इससे सम्बन्धित कार्य पत्रावलि, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में नदारद पाये गये। पुष्टिपरक अभिलेख कार्य पत्रावली एवं प्रमाणक ही नदारद पाये गए। अतः धनराशि के व्यय की पुष्टि कदापि नहीं होती है। इस प्रकार धनराशि अधिभार की श्रेणी में अपहरित है। अतः उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रिकल सिंह एवं ग्राम सचिव श्रीसुशील शाह से ब्याज सहित वसूली व विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार किए जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**(56)-ग्राम पंचायत - फरीदपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-131**

ग्राम पंचायत फरीदपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रू0 8000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रू. 8000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री नरसिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-132**

ग्राम पंचायत की आडिट में प्रस्तुत कैशबुक में दर्शाए गए खड़जा कार्य पिच रोड से अनिल यादव के प्लॉट एवं तालाब तक के कार्य पर दिनांक 02.04.2019 को रू0 173400.00 की ईडिया ईट उद्दोग से ईट क्रय तथा दिनांक 02.04.2019 में रू0 26400.00 एवं 38150.00 की मजदूरी भगतान किया गया दर्शित है। उक्त खड़जा कार्य पर कुल व्यय रू0 237950.00 किया गया दिखाया गया है परंतु इसको सापेक्ष आडिट में कोई वाउचर/व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। कैशबुक में किया गया व्यय का विवरण सभी खर्चों के लिये अपठनीय एवं लापरवाहीपूर्ण है। विवरणहीन एवं वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रू0 237950.00 ब्याज सहित

वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री नरसिंह यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-133

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | कैशबुक में दर्शित विवरण                               | धनराशि ₹0 |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 02.07.2019 | स्ट्रीट लाइट मरम्मत क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान | 55000.00  |
| 2.07.2019  | स्ट्रीट लाइट मरम्मत क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान | 55000.00  |
|            | योग-                                                  | 110000.00 |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत / सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं अतः इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

06-उक्त प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.04.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 110000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री नरसिंह यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-134

कैशबुक दिनांक 16.12.2019 को इण्टरलाकिंग कार्य पर इण्टरलाकिंग का भुगतान अंकित कर ₹0 129172.00 का भुगतान दर्शित है परंतु इसकी पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई अतः भुगतान एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरणहीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.04.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 129172.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री नरसिंह यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(57)-ग्राम पंचायत - इस्माइलपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

### प्रस्तर-135

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर , विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 261000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख

सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 261000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार वर्मा तथा रोजगार सेवक से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-136

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | कैशबुक में दर्शित विवरण                               | धनराशि रु0 |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 22.07.2019 | स्ट्रीट लाइट मरम्मत क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान | 99000.00   |
| 22.07.2019 | स्ट्रीट लाइट मरम्मत क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान | 99000.00   |
|            | योग-                                                  | 198000.00  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत आदि कई कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत / सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं अतः इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

06-उक्त प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत लगवाए जाने से सम्बन्धित स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त विवरणहीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 198000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-137

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| दिनांक     | विवरण                                                       | धनराशि रु0 |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 22.07.2019 | ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान                | 72800.00   |
| 08.08.2019 | ह्यूम पाइप एवं अन्य सामान क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स को भुगतान | 156000.00  |
|            |                                                             | 228800.00  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।



2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

04-कार्य की फोटो तीन स्टेप की प्राप्त नहीं रही।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 228800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(58)-ग्राम पंचायत - **महेशपुर नेमपुर**                      **विकास खण्ड- जलालपुर**                      **जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-138**

ग्राम पंचायत **महेशपुर नेमपुर**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 392000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश **संख्या** 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 392000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव, एवं ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(59)-ग्राम पंचायत - **मंशूरपुर**                      **विकास खण्ड- जलालपुर**                      **जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-139**

ग्राम पंचायत **मंशूरपुर**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 377000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश **संख्या** 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 377000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री शशिकपूर, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(60)-ग्राम पंचायत - **रुकुनपुर**                      **विकास खण्ड- जलालपुर**                      **जनपद - अम्बेडकरनगर**  
**प्रस्तर-140**

ग्राम पंचायत **रुकुनपुर**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 462000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 462000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री शशिकपूर, एवं ग्राम प्रधान श्री मती कमला देवी से किया जाना अपेक्षित है।

**(61)-ग्राम पंचायत - सुल्तानपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-141**

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-  
01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 150000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 150000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री शशिकपूर, एवं ग्राम प्रधान विजय लक्ष्मी से किया जाना अपेक्षित है।

**(62)-ग्राम पंचायत - जफरपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-142**

ग्राम पंचायत जफरपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-  
01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 64000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 64000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, एवं ग्राम प्रधान श्री रामदौर से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-143**

ग्राम पंचायत जफरपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि निम्न फर्मों/वेंडरों द्वारा विभिन्न कर्तव्यों हेतु सामग्री सप्लाई हेतु उपलब्ध करायी गयी बिलों के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

| कैशबुक में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे/वेंडर का नाम | भुगतान        |           | कुल भुगतान |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|                             |                                          | सामग्री मूल्य | जी.एस.टी. |            |
| 26.03.2020                  | मंगल ट्रेडर्स आर्डर एण्ड सप्लायर्स       | 136090.00     | 15956.00  | 152066.00  |
| 26.03.2020                  | भारत ट्रेडर्स                            | 50589.00      | 9106.00   | 59695.00   |
| 26.03.2020                  | सिंह ब्रिक फिल्ड                         | 10020.00      | 501.00    | 10521.00   |

|            |                                    |           |                 |           |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 26.03.2020 | भारत ट्रेडर्स                      | 91922.00  | 16717.00        | 108639.00 |
| 25.03.2020 | सिंह ब्रिक फिल्ड                   | 75676.00  | 3783.00         | 79459.00  |
| 26.03.2020 | भारत ट्रेडर्स                      | 39629.00  | 7133.00         | 46762.00  |
| 26.03.2020 | सिंह ब्रिक फिल्ड                   | 8580.00   | 429.00          | 9009.00   |
| 26.03.2020 | मंगल ट्रेडर्स आर्डर एण्ड सप्लायर्स | 172766.00 | 21120.00        | 193886.00 |
| 29.01.2020 | सिंह ब्रिक फिल्ड                   | 178410.00 | 8920.00         | 187330.00 |
| 29.01.2020 | सिंह ब्रिक फिल्ड                   | 107445.00 | 5372.00         | 112817.00 |
| 29.01.2020 | सिंह ब्रिक फिल्ड                   | 173565.00 | 8678.00         | 182243.00 |
|            | <b>योग-</b>                        |           | <b>97715.00</b> |           |

आडिट में पाया गया कि उक्त विवरणानुसार की गयी सामग्री/सेवा आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल के अनुसार विभिन्न फर्मों/वेंडरों को भुगतान किया गया है। जिसमें रु. 97715.00 की जी एस टी . फर्मों/वेंडरों द्वारा काटी गयी है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु उक्त फर्मों/वेंडरों को रु. 97715.00 का जी एस टी .भुगतान जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमजीत वर्मा की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड जलालपुर की ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर लघु सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। पूछने पर बताया गया कि पहले से एम.बी.(मापी) में जी एस टी . की एम0बी0 कर दिए जाने के कारण इसका भुगतान किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में श्री विक्रमजीत वर्मा से विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में रु0 97715.00 की ब्याज सहित वसूली श्री वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-144**

आडिट में पाया गया कि दिनांक 24.06.2020 में रु0 18200.00 ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर कराई गई सफाई हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में सफाई हेतु स्थाई कर्मचारी कि नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है अतः इस प्रकार के भुगतान का कोई औचित्य नहीं पाया गया। इसका वाउचर भी अप्राप्त रहा। अतः इसकी वसूली ग्राम सचिव श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्री रामदौर से क्यों न की जाय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में इसकी वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(63)-ग्राम पंचायत - चिलवनियां विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### **प्रस्तर-145**

ग्राम पंचायत चिलवनियां, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 195000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 195000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र, एवं ग्राम प्रधान श्री लालजीत से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-146**

ग्राम पंचायत चिलवनियां की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि निम्न फर्मों/वेंडरों द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु सामग्री सप्लाई हेतु उपलब्ध करायी गयी बिलों के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

| कैशबुक में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे/वेंडर का नाम | भुगतान        |                 | कुल भुगतान |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
|                             |                                          | सामग्री मूल्य | जी.एस.टी.       |            |
| 26.11.2019                  | किसान ईट भट्टा उद्दोग                    | 151050.00     | 7552.00         | 158602.00  |
| 26.11.2019                  | किसान ईट भट्टा उद्दोग                    | 163590.00     | 8179.00         | 171769.00  |
| 24.01.2020                  | किसान ईट भट्टा उद्दोग                    | 19632.00      | 981.00          | 20613.00   |
| 27.01.2020                  | अहमद बिल्डिंग मटेरियल                    | 139209.00     | 18080.00        | 157289.00  |
| 27.01.2020                  | सिंह ट्रेडर्स                            | 9750.00       | 1170.00         | 10920.00   |
| 24.01.2020                  | अहमद बिल्डिंग मटेरियल                    | 16969.00      | 2037.00         | 19006.00   |
| 24.01.2020                  | किसान ईट भट्टा उद्दोग                    | 37340.00      | 4480.00         | 41820.00   |
| 26.03.2020                  | अहमद बिल्डिंग मटेरियल                    | 126272.00     | 16717.00        | 142989.00  |
|                             | <b>योग-</b>                              |               | <b>59196.00</b> |            |

आडिट में पाया गया कि उक्त विवरणानुसार की गयी सामग्री/सेवा आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल के अनुसार विभिन्न फर्मों/वेंडरों को भुगतान किया गया है। जिसमें रु. 59196.00 की जी एस टी . फर्मों/वेंडरों द्वारा काटी गयी है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु उक्त फर्मों/वेंडरों को रु. 59196.00 का जी एस टी .भुगतान जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमजीत वर्मा की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। पूछने पर बताया गया कि पहले से एम.बी.(मापी) में जी एस टी . का एम0बी0 कर दिए जाने के कारण इसका भुगतान किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में श्री विक्रमजीत वर्मा से विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में रु0 59196.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विक्रमजीत वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(64)-ग्राम पंचायत - जलालपुर देहात

विकास खण्ड- जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर-147**

ग्राम पंचायत जलालपुर देहात, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 383000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 383000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र, एवं ग्राम प्रधान श्री मती गुलनाज खातून से किया जाना अपेक्षित है।

(65)-ग्राम पंचायत - कुसुमखोर

विकास खण्ड- जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर-148**

ग्राम पंचायत कुसुमखोर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 185000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 185000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री मिथिलेश यादव, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती गीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-149

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 20.03.2020 में ए०के० टेडर्स द्वारा की गई टाइल्स आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी बिल आफ सप्लाइ के अनुसार रु. 243011.00 का भुगतान किया गया है जिसमें रु. 20199.00 की जी एस टी . भी शामिल है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत बताई गई जो कम्पोजीशन टैक्सबल पर्सन है और सामग्री/सेवा आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है, परन्तु ए०के० टेडर्स को रु0 20199.00 का जी एस टी .भुगतान जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमाजीत वर्मा की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण, बिलों के आधार पर एम०बी० किए जाने आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग आदि को सौंपी गई है। अतः उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमाजीत वर्मा से उक्त रु0 20199.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-150

आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्टों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार से निर्धारित दर से अधिक दर पर ईट/सीमेंट ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

| कैशबुक/बिल में भुगतान का दिनांक | आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे का नाम                                                                | खरीद मात्रा/दर प्रति हजार | मूल्य  | वस्तु/सेवा की कीमत(पी०डब्ल्यू०डी०) के अनुसार मात्रा/दर प्रति हजार | मूल्य  | अंतर की धनराशि |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                 | 3                         | 4      | 5                                                                 | 6      | 7              |
| 03.12.2019                      | आरुष यादव इण्टरलाकिंग ईट भट्टा/रामदास के घर से पश्चिम राजनरायन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 5900/24.60                | 145140 | 5900/22                                                           | 129800 | 15340          |
| 03.12.2019                      | हिन्द ईट उद्दोग /रामदास के घर से पश्चिम राजनरायन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य               | 2070/6510                 | 13475  | 2070/6200                                                         | 12834  | 641            |
| 23.11.2019                      | आरुष यादव इण्टरलाकिंग ईट भट्टा/रामदास के घर से पश्चिम राजनरायन के घर                              | 13818/24.60               | 339923 | 13818/22                                                          | 303996 | 35927          |

|  |                              |  |        |  |        |       |
|--|------------------------------|--|--------|--|--------|-------|
|  | तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य |  |        |  |        |       |
|  |                              |  | 498538 |  | 446630 | 51908 |

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 30.06.2019 तक ईट की प्रथम श्रेणी एवं एस0ओ0बी0 श्रेणी की दर क्रमशः रु. 5250 एवं 4900 तथा दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6200 एवं 5700 तथा इण्टरलाकिंग ईट की दर रु. 22 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में जूनियर इंजिनियर लघु सिंचाई विभाग, श्री विक्रमजीत वर्मा की एम.बी. के आधार पर उक्त प्रकार से अधिक दर पर भुगतान करके रु. 51908.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण एवं निर्धारण, बिलों के आधार पर एम0बी0 किए जाने आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग आदि को सौंपी गई है।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमजीत वर्मा से उक्त रु0 51908.00 की ब्याज सहित वसूली** किया जाना अपेक्षित है।

(66)-ग्राम पंचायत - **जमौली** विकास खण्ड- **जलालपुर** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-151**

ग्राम पंचायत **जमौली**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 137000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 137000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री कमलेश रंजन एवं श्री शिवाकांत मिश्र, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती रेखा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-152**

02-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                             | धनराशि रु0      | अन्य |
|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|------|
| 01      | 28.01.2020 | हैण्डपम्प रिबोर हेतु साकेत इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 29650.00        |      |
| 02      | 28.01.2020 | हैण्डपम्प रिबोर हेतु साकेत इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 29650.00        |      |
| 03      | 28.01.2020 | हैण्डपम्प रिबोर हेतु साकेत इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 29650.00        |      |
|         |            | <b>योग-</b>                                        | <b>88950.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- एक साथ एक ही तिथि 08.01.2020 में 03 हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान का कोई औचित्य नहीं पाया गया जबकि रिबोर आदि की सबसे अधिक आवश्यकता जून एवं जुलाई माह माह में होती है।
- 05- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 06- प्रत्येक रिबोर/मरम्मत को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसाक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 07- रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 88950.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री कमलेश रंजन एवं श्री शिवाकांत मिश्र, ग्राम प्रधान श्री मती रेखा देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(67)-ग्राम पंचायत - जैनापुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-153**

ग्राम पंचायत जैनापुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 341000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 341000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री कमलेश रंजन एवं श्री शिवाकांत मिश्र, ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-154**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर व्यय वाउचर विहीन हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                    | धनराशि रु0 | अन्य |
|---------|------------|-------------------------------------------|------------|------|
| 01      | 14.08.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान  | 59700.00   |      |
| 02      | 14.08.2019 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान  | 29750.00   |      |
| 03      | 14.01.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान | 22700.00   |      |
| 04      | 21.0.20220 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान | 22700.00   |      |
| 05      | 19.02.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान  | 29650.00   |      |
| 06      | 19.02.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान | 10210.00   |      |

|    |            |                                          |                  |  |
|----|------------|------------------------------------------|------------------|--|
| 07 | 19.02.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्त का भुगतान | 8840.00          |  |
| 08 | 19.02.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्त का भुगतान | 7680.00          |  |
| 09 | 12.03.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 30195.00         |  |
| 10 | 12.03.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्त का भुगतान | 17500.00         |  |
| 11 | 12.03.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 29544.00         |  |
| 12 | 12.03.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्त का भुगतान | 13600.00         |  |
| 13 | 12.03.2020 | इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान | 29650.00         |  |
|    |            | <b>योग-</b>                              | <b>311719.00</b> |  |

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्त की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्त हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- एक साथ एक ही तिथि 08.01.2020 में 03 हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान का कोई औचित्य नहीं पाया गया जबकि रिबोर आदि की सबसे अधिक आवश्यकता जून एवं जुलाई माह माह में होती है।
- 05- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 06- प्रत्येक रिबोर/मरम्त को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसार कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 07- रिबोर/मरम्त के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपति में अंकित कुल धनराशि **रु0 311719.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुनीता एवं ग्राम सचिव श्री कमलेश रंजन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-155

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                | धनराशि रु0 | अन्य |
|---------|------------|---------------------------------------|------------|------|
| 01      | 14.08.2019 | सोखता निर्माण पर व्यय मजदूरी          | 7550.00    |      |
| 02      | 14.08.2019 | चार अदद सोखता निर्माण की सामग्री क्रय | 22507.00   |      |
| 03      | 14.08.2019 | चार अदद सोखता निर्माण हेतु ईंट क्रय   | 28850.00   |      |



|  |      |          |  |
|--|------|----------|--|
|  | योग- | 58907.00 |  |
|--|------|----------|--|

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपति नें अंकित कुल धनराशि **रु0 58907.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुनीता एवं ग्राम सचिव श्री कमलेश रंजन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-156

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                                                                                               | धनराशि रु0 | अन्य |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1       | 14.08.2019 | रामशब्द के घर से राम आसरे के घर तक नाली निर्माण की मजदूरी भुगतान                                                     | 25882.00   |      |
| 2       | 14.08.2019 | पिचरोड से गंगाराम के घर तक खड़जा निर्माण मजदूरी का भुगतान                                                            | 23936.00   |      |
| 3       | 14.08.2019 | रामशब्द के घर से राम आसरे के घर तक नाली निर्माण हेतु मटेरियल क्रय का भुगतान                                          | 35600.00   |      |
| 4       | 14.08.2019 | रामशब्द के घर से राम आसरे के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय का भुगतान                                               | 65000.00   |      |
| 5       | 14.08.2019 | पिचरोड से गंगाराम के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय का भुगतान                                                      | 29712.00   |      |
| 06      | 17.01.2020 | प्रधान मानदेय का भुगतान                                                                                              | 17500.00   |      |
| 07      | 19.02.2020 | सुभाष के घर से मेन नाली तक अंडरग्राउण्ड नाली निर्माण हेतु पी0वी0सी0 पाइप क्रय का अंकित इण्टरप्राइजेज को भुगतान       | 61500.00   |      |
| 08      | 12.03.2020 | प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु अंकित इण्टरप्राइजेज को भुगतान                                                       | 190695.00  |      |
| 09      | 12.03.2020 | प्रा0वि0 में बोर्ड हेतु मंगल ट्रेडर्स को भुगतान                                                                      | 28800.00   |      |
| 10      | 12.03.2020 | महेन्द्र के घर से मेन खड़जा तक खड़जा निर्माण हेतु वर्मा ब्रिक फिल्ड को ईट का भुगतान                                  | 171000.00  |      |
| 11      | 12.03.2020 | प्रा0वि0 में छत एवं फर्श निर्माण हेतु मटेरियल कास्ट का भुगतान                                                        | 180732.00  |      |
| 12      | 12.03.2020 | प्रा0वि0 में छत एवं फर्श निर्माण हेतु वर्मा ब्रिक फिल्ड को ईट का भुगतान                                              | 6540.00    |      |
| 13      | 16.03.2020 | मालीपुर रोड से लाल बंधा तालाब तक अंडरग्राउण्ड नाली निर्माण हेतु पी0वी0सी0 पाइप क्रय का अंकित इण्टरप्राइजेज को भुगतान | 182750.00  |      |
| 14      | 16.03.2020 | वर्मा ब्रिक फिल्ड वास्ते मालीपुर पिचरोड से पुलिया तक इण्टरलांकिंग में प्रयुक्त ईट का क्रय                            | 27280.00   |      |

|    |            |                                                                                       |            |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 15 | 16.03.2020 | मे0 देवी कांस्ट्रक्शन वास्ते पिचरोड से पुलिया तक इण्टरलांकिंग में प्रयुक्त ईट का क्रय | 246700.00  |  |
| 16 | 16.03.2020 | पिच रोड से लाल बंधा तालाब तक नाली निर्माण हेतु अंकित इण्टरप्राइजेज को भुगतान          | 50500.00   |  |
|    |            | योग-                                                                                  | 1344127.00 |  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त वेंडर/फर्म कैशबुक में दर्शित सेवा एवं सामग्री की आपूर्ति करते हैं अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो का जा सकी।
- 05- क्रमांक 11 से 12 के कार्यों पर केवल सामग्री क्रय दर्शित है। इन क्रमांक के किसी के कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का उपयोग संदिग्ध है।
- 06- कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स/कार्य पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकी।
- 07- उक्त विवरण के क्रमांक 07 पर सुभाष के घर से मेन नाली तक एवं क्रमांक 13 पर मालीपुर रोड से लाल बंधा तालाब तक अंडरग्राउण्ड नाली निर्माण हेतु मात्र पी0वी0सी0 पाइप का क्रय किए जाने का भुगतान अंकित इण्टरप्राइजेज को किया गया है। अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का न किया जाना मात्र पी0वी0सी0 पाइप के आधार पर अंडरग्राउण्ड नाली का निर्माण कराया जाना पाइप के दुरुपयोग की संभावना है।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 1344127.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुनीता एवं ग्राम सचिव श्री कमलेश रंजन से किया जाना अपेक्षित है।

(68)-ग्राम पंचायत - **शेखपुर राजकुमारी**      विकास खण्ड- **जलालपुर**      जनपद - **अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर-157**

ग्राम पंचायत **शेखपुर राजकुमारी**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में निम्न गबन/अनियमितता एवं दुरुपयोग के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 273000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 273000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राजितराम यादव, ग्राम प्रधान श्री मती चन्द्रावती एवं रोजगार सेवक से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-158**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार हैण्डपम्प रिबोर मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                               | धनराशि रु0      | अन्य |
|---------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 01      | 01.04.2019 | हैण्डपम्प रिबोर मटेरियल कास्ट                        | 22624.00        |      |
| 02      | 01.07.2019 | हैण्डपम्प रिबोर मटेरियल कास्ट                        | 5250.00         |      |
| 03      | 01.07.2019 | हैण्डपम्प रिबोर मटेरियल कास्ट                        | 700.00          |      |
| 04      | 14.03.2020 | आजाद पेंटर/नरेन्द्रदेव के घर से पास हैण्डपम्प मरम्मत | 14260.00        |      |
|         |            | <b>योग</b>                                           | <b>42834.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- कार्य कराए जाने के स्थान आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 03- हैण्डपम्प रिबोर पर केवल मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित है। उक्त रिबोर कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का उपयोग संदिग्ध है।
- 04- उक्त विवरण के क्रमांक 4 पर एक ही चेक से आजाद पेंटर को एवं हैण्डपम्प मरम्मत का भी भुगतान किया गया जो अलग-अलग कार्यों हेतु भुगतान प्राप्त करता है। यह स्थिति भुगतान को कूटरचित प्रमाणित करती है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 42834.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्राम सचिव श्री राजितराम से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-159

ग्राम पंचायत की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि कैशबुक आनलाइन वाउचर रिपोर्ट/ में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर कार्य परियोजना का नाम अंकित किए बगैर कैश बुक में मात्र मटेरियल क्रय पर/व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण         | धनराशि रु0 | अन्य |
|---------|------------|--------------------------------|------------|------|
| 01      | 22.04.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 91814.00   |      |
| 02      | 22.04.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 46280.00   |      |
| 03      | 07.05.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 18686.00   |      |
| 04      | 22.05.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 30958.00   |      |
| 05      | 22.05.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 41645.00   |      |
| 06      | 24.05.2019 | ट्वायलेट निर्माण मटेरियल कास्ट | 29543.00   |      |
| 07      | 01.08.2019 | खड़जा निर्माण मटेरियल कास्ट    | 27090.00   |      |

|    |            |                             |                  |  |
|----|------------|-----------------------------|------------------|--|
| 08 | 01.08.2019 | खड़जा निर्माण मटेरियल कास्ट | 6300.00          |  |
|    |            | <b>योग-</b>                 | <b>292316.00</b> |  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त वेंडर/फर्म कैशबुक में दर्शित सेवा एवं सामग्री की आपूर्ति करते हैं अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो का जा सकी।
- 05- उक्त विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकी।
- 06- कार्य पर मजदूरी व्यय नहीं है, ऐसी स्थिति में कार्य का सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है। उक्त स्टाक का अपहरण किया जाना प्रमाणित होता है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 292316.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्राम सचिव श्री राजितराम से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-160**

ग्राम पंचायत की आडिट वर्ष में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा राजकुमारी के दूसरे 2019-20 भवन एवं पुराने भवन में टाइल्स निर्माण एवं लेबर कास्ट पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण                                                          | धनराशि रु0       | अन्य |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 01      | 13.03.2020 | प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा राजकुमारी के दूसरे भवन में टाइल्स निर्माण लेबर कास्ट  | 125878.00        |      |
| 02      | 13.03.2020 | प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा राजकुमारी के पुराने भवन में टाइल्स निर्माण लेबर कास्ट | 161596.00        |      |
| 03      | 19.03.2020 | गंगाधरी से घर से धोबिया नाले से तक नाली निर्माण लेबर कास्ट                      | 39372.00         |      |
| 04      | 19.03.2020 | गंगाधरी से घर से धोबिया नाले से तक नाली निर्माण लेबर कास्ट                      | 103149.00        |      |
|         |            | <b>योग-</b>                                                                     | <b>429995.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं जा सकती।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकती।
- 04- उक्त विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकती।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 429995.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्राम सचिव श्री राजितराम से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

(69)-ग्राम पंचायत - बसिया विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर-161

ग्राम पंचायत बसिया, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने एवं अन्य गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 173000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 173000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अंगद यादव, दुर्गा प्रसाद पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्री मती पूनम यादव एवं रोजगार सेवक से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-162

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण      | धनराशि रु0      | अन्य |
|---------|------------|-----------------------------|-----------------|------|
| 1       | 06.06.2019 | खडंजा निर्माण मटिरियल कास्ट | 16975.00        |      |
| 2       | 14.08.2019 | खडंजा निर्माण मटिरियल कास्ट | 51000.00        |      |
|         |            | योग-                        | <b>67975.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, सामग्री क्रय/एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं की जा सकती।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकती।
- 04- खडंजा निर्माण पर मात्र मटेरियल कास्ट पर भुगतान दर्शित है। खडंजा निर्माण के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की गई धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 67975.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती पूनम यादव एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-163

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट / हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया और नही मजदूरी भुगतान किया गया है-जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है: ,

| क्रमांक | दिनांक     | कैशबुक के अनुसार विवरण         | धनराशि ₹0       | अन्य |
|---------|------------|--------------------------------|-----------------|------|
| 01      | 27.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट | 12400.00        |      |
| 02      | 15.07.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट | 12200.00        |      |
| 03      | 15.07.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत               | 14800.00        |      |
| 04      | 15.10.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट | 36604.00        |      |
|         |            |                                | <b>76004.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।
- 02- कार्य कराए जाने के स्थान आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकती।
- 03- हैण्डपम्प मरम्मत पर केवल मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित है। उक्त रिबोर कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 76004.00** में से **₹0 38002.00** की वसूली कार्यकाल के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव से तथा **₹0 19700.00** ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से एवं **₹0 18302.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-164

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय मरम्मत/-पर व्यय दर्शित किया गया है:

| दिनांक     | विवरण                       | धनराशि रु0 |
|------------|-----------------------------|------------|
| 30.06.2019 | एल0ई0डी0 बल्ब मटेरियल कास्ट | 97200.00   |
| 05-07-2019 | एल0ई0डी0 बल्ब मटेरियल कास्ट | 92200.00   |
|            |                             | 189400.00  |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त एल0ई0डी0 बल्ब मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। किस वेंडर से क्रय है इसका भी विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं किया गया है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट/ एल0ई0डी0 बल्ब का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **रु0 189400.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती पूनम यादव एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

(70)-ग्राम पंचायत - सोनगांव

विकास खण्ड- जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर-165**

ग्राम पंचायत सोनगांव विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में निम्न गबन/अनियमितता एवं दुरुपयोग के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 650000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु0 650000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-166**

02- दिनांक में ह्यूम पाइप कार्य 25.01.2020मात्र दर्शित करते हुए रु0 26000.00 का भुगतान दर्शित है। भुगतान किसे तथा किस कार्य के लिए ह्यूम पाइप क्रय की गई आदि का उल्लेख कैशबुक में अंकित नहीं रहा। पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों

की कार्य योजना ,कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 ,कार्य कराए जाने की तिथि निर्माण , कार्य एजेंसी तथा बिल/वाउचर/डिलिवरी चालान आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी। वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय ) के खण्ड 8 8क( के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-167

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

| क्रमांक | दिनांक     | आनलाइन कैशबुक के अनुसार विवरण | धनराशि रु0       | अन्य |
|---------|------------|-------------------------------|------------------|------|
| 1       | 02.04.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 3500.00          |      |
| 2       | 02.04.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 27200.00         |      |
| 3       | 02.04.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 40150.00         |      |
| 4       | 08.04.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 4400.00          |      |
| 5       | 18.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 18260.00         |      |
| 6       | 25.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 23340.00         |      |
| 7       | 02.07.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 29900.00         |      |
| 8       | 02.07.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 30800.00         |      |
| 9       | 19.11.2019 | हैण्डपम्प                     | 15200.00         |      |
| 10      | 22.02.2020 | हैण्डपम्प मरम्मत              | 5000.00          |      |
| 11      | 30.03.2020 | हैण्डपम्प                     | 15500.00         |      |
| 12      | 30.03.2020 | हैण्डपम्प                     | 5000.00          |      |
|         |            | <b>योग-</b>                   | <b>218250.00</b> |      |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-  
01-उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किया

गया जिससे उक्त व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 02- कार्य कराए जाने के स्थान आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 03- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर अधूरी सूचना देकर व्यय दर्शित है। उक्त रिबोर कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।
- 04- हैण्डपम्प मरम्मत के उक्त विवरण से स्पष्ट है हैण्डपम्प की मरम्मत पर बिना किसी मानक के मनमाना व्यय दर्शित किया गया है। पत्रावली के अभाव में पूर्ण जांच नहीं की जा सकी।
- 05- हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात् प्राप्त निष्प्रयोज्य बहुमूल्य पार्ट का हिसाब नहीं रखा गया है जिसके हैण्डपम्प के खराब होने की भी पुष्टि नहीं होती है।